निदेशक
सहकारी समितियाँ एवं पंचायत
लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।

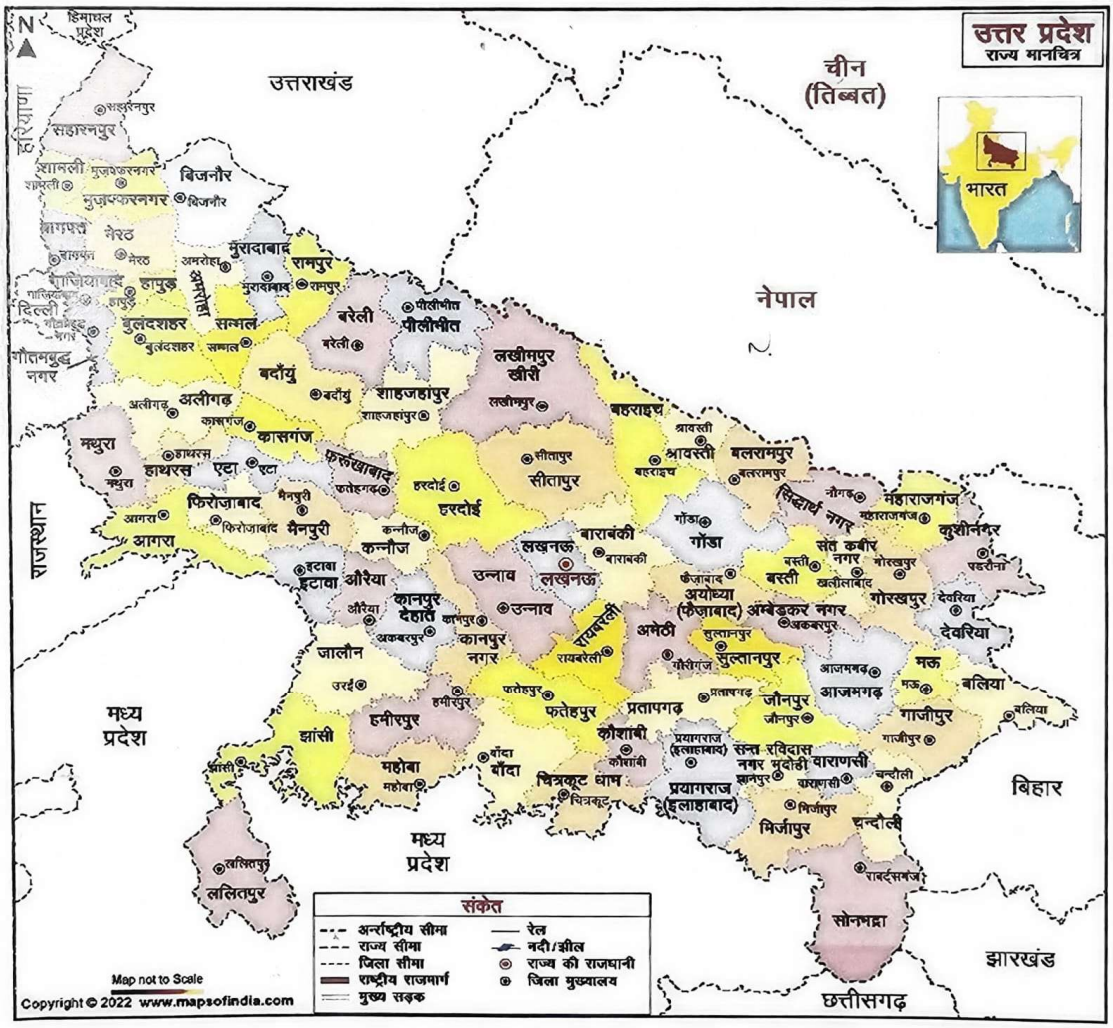

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2021-2022
भाग-3

अध्याय-4

अधिभार प्रतिवेदन एवं उनमें उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियॉ

क्र0 सं0	क्षेत्र पंचायत	4.2	पृष्ठसंख्या(भाग)
1	आगरा मण्डल		**1000-1028(3)**
2	अलीगढ़ मण्डल		**1028-1146(3)**
3	अयोध्या मण्डल		**1147-1220(3)**
4	आजमगढ़ मण्डल		**1220-1262(3**
5	बरेली मण्डल		**1262-1305(3)**
6	बस्ती मण्डल		**1306-1353(3)**
7	चित्रकूटधाम मण्डल		**1353-1355(3)**
8	देवीपाटन मण्डल		**1356-1414(3)**
9	गोरखपुर मण्डल		**1414-1428(3)**
10	झाँसी मण्डल		**1429-1453(3)**
11	कानपुर मण्डल		**1453-1551(3)**

जनपद- आगरा मण्डल - आगरा

वार्षिक प्रतिवेदन क्षेत्र पंचायत जनपद आगरा वर्ष 2021-22

क्षेत्र पंचायत अछनेरा

प्रस्तर सं0 01 क्षेत्र पंचायत अछनेरा को 5 वे राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को निर्माण कार्य हेतु प्राप्त प्रस्ताव की प्रारम्भिक योजना/ प्राथमिक प्लान क्षेत्र पंचायत की स्थिति में कार्यकारिणी को, प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यकारिणी उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन प्रारम्भिक परियोजना और प्रस्ताव प्राप्त हो पर उनकी जांच करेगी और उन्हें अपने सिफारिशों के साथ क्षेत्र पंचायत को भेजेगी। कोई परियोजना तब तक तैयार न की जाएगी जब तक कि यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत संकल्प द्वारा निर्माण-कार्य के लिए प्रारम्भिक परियोजना का अनुमोदन न कर दें। लेखा परीक्षा दौरान प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया गया ! पत्रावलियो की जाँच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि में से रु० **11023846-00** के निर्माण कार्य उ०प्र०जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 03 सेक्शन 33 (02) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर कराया गया ।

उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 03 के सेक्शन 33(02) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अंतर्गत क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है ,. उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्रामीण मार्गों को बनाने का अधिकार उक्त धारा द्वारा ग्राम पंचायत को प्रदत्त किया गया। प्रकरण की समीक्षा दौरान ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबन्धन कमेटी द्वारा इस हेतु पारित प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ जिससे स्पष्ट हो सके कि ग्राम पंचायत द्वारा उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 03. के सेक्शन 34 (01) के अधीन क्षेत्र पंचायत को अधिकृत किया गया हो अतः उक्त समस्त निर्माण कार्य गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के अंतर्गत आता है। उ०प्र०क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली के नियम संख्या 179 (02) के अनुसार उक्त निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि अधिभार की कार्यवाही के अंतर्गत आती है। जिस हेतु बैठक में उपस्थित एवं प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन करने वाले सदस्यों के साथ खंड विकास अधिकारी श्री नवीन कुमार (दि0 02-11-21 तक) श्री सुरेन्द्र कुमार (दि0 02-11-21 से 31-03-22 तक) , अवर अभियंता श्री राजीव कुमार (दि0 30-05-21 से) श्री कमल सिंह (दि0 01-04-21 से 29-05-21 तक) के साथ आन्किक श्री कुंवर सेन/ श्री राकेश बाबू दोषी हैं, आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 02 क्षेत्र पंचायत अछनेरा को 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को निर्माण कार्य हेतु प्राप्त प्रस्ताव की प्रारम्भिक योजना/ प्राथमिक प्लान क्षेत्र पंचायत की स्थिति में कार्यकारिणी को, प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यकारिणी उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन प्रारम्भिक परियोजना और प्रस्ताव प्राप्त हो पर उनकी जांच करेगी और उन्हें अपने सिफारिशों के साथ क्षेत्र पंचायत को भेजेगी। कोई परियोजना तब तक तैयार न की जाएगी जब तक कि यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत संकल्प द्वारा निर्माण-कार्य के लिए प्रारम्भिक परियोजना का अनुमोदन न कर दें। लेखा परीक्षा दौरान प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया गया ! पत्रावलियो की जाँच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि में से रु० **7093422-00** के निर्माण

कार्य उ०प्र०जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 03 सेक्शन 33 (02) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों का अतिक्रमण कर कराया गया ।

उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 03 के सेक्शन 33(02) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अंतर्गत क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है ,. उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्रामीण मार्गों को बनाने का अधिकार उक्त धारा द्वारा ग्राम पंचायत को प्रदत्त किया गया। प्रकरण की समीक्षा दौरान ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबन्धन कमेटी द्वारा इस हेतु पारित प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ जिससे स्पष्ट हो सके कि ग्राम पंचायत द्वारा उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 03. के सेक्शन 34 (01) के अधीन क्षेत्र पंचायत को अधिकृत किया गया हो अतः उक्त समस्त निर्माण कार्य गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के अंतर्गत आता है। उ०प्र०क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली के नियम संख्या 179 (02) के अनुसार उक्त निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि अधिभार की कार्यवाही के अंतर्गत आती है। जिस हेतु बैठक में उपस्थित एवं प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन करने वाले सदस्यों के साथ खंड विकास अधिकारी श्री नवीन कुमार (दि0 02-11-21 तक) श्री सुरेन्द्र कुमार (दि0 02-11-21 से 31-03-22 तक) , अवर अभियंता श्री राजीव कुमार (दि0 30-05-21 से) श्री कमल सिंह (दि0 01-04-21 से 29-05-21 तक) के साथ आन्किक श्री कुंवर सेन/ श्री राकेश बाबू दोषी हैं, आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 03 वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत अछनेरा को पंचम राज्य वित्त आयोग एवं 15 वे वित्त आयोग से टाइड एवं अनटाइड मद से निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 26109693-00 की धनराशि प्राप्त हुई। गत वर्ष की अवशेष धनराशि रु0 13929609-00 सहित वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि रु0 40039302-00 के सापेक्ष मात्र रु0 18117268-00 की धनराशि का ही उपभोग किया गया । इस प्रकार वर्षान्त में रु0 21922034-00 की धनराशि का उपभोग नही किया जा सका---

मद का विवरण	प्राम्भिक शेष	वर्ष मैं प्राप्त	वर्ष में व्यय	अ0 धनराशि
पंचम राज्य वित्त	7349201-00	11851953-00	11023846-00	8177308-00
15 केंद्रीय वित्त	6580408-00	14257740-00	7093422-00	13744726-00
कुल योग	13929609-00	26109693-00	18117268-00	21922034-00

वित्तीय नियमों एंव बजट मैनुअल तथा शासनादेशो में निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि का उपयोग नियमतः उसी वित्तीय वर्ष में किया जाए, ताकि किये गये विकास कार्यो की सुविधाओं का लाभ उस क्षेत्र की जनता को मिल सके तथा व्यय किये गये अनुदान का उपभोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार निर्धारित तिथि तक प्रेषित किया जाना चाहिए था। अनुदान का उपभोग किये जाने के सम्बन्ध में-उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या-165 एवं 166 में नियत प्रपत्र संख्या-44 अथवा अन्य निर्धारित प्रपत्र पर नियतकालीन विवरण पत्र तैयार किये जाने प्राविधान है। आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा 181-17 लाख अनुदान का उपभोग किया गया है , लेकिन उपभोग प्रमाण-पत्र की प्रति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष के अन्त में कुल अनुदान रू0 219-22 लाख की धनराशि अप्रयुक्त पड़ी थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राप्त अनुदान का समय रहते उपभोग न कर जनपद वासियों को विकास से वंचित रखा गया है। उल्लेखनीय है कि शासन के द्वारा संस्था को अनुदान बजट के अनुसार विकास कार्यों पर वित्तीय वर्ष में उपभोग हेतु दिया जाता है। जिसका उपभोग न होने की दशा मे बाज़ार मूल्य के चढ़ाव से हानि होती है। वर्षांत में धनराशि का अवशेष रहना इस तथ्य का भी सूचक है। कि अनुदान के उपभोग पर विकास खंड के

प्रबंधक खंड विकास अधिकारी का नियंत्रण ठीक-ठाक नहीं रहा । बिभिन्न वर्षों में वर्षान्त अवशेष धनराशि का किन कारणों से उपभोग नहीं किया गया स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

1- क्षेत्र पंचायत- बरौली अहीर

प्रस्तर सं0 04 क्षेत्र पंचायत बरौली अहीर की वित्तीय वर्ष 2021.22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था को पंचम राज्य वित्त आयोग के मद में ग्रांट रजिस्टर 3 एवं बैंक पासबुक के अनुसार प्राप्त कुल अनुदान एवं ब्याज की धनराशि क्रमशः रु0 2,16,13,414.00 एवं रु0 2,43,681.00 सहित कुल आय रु0 2,18,57,095.00 के सापेक्ष प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज पर वर्ष का कुल आय रु0 2,16,80,030.0 ही दर्शित है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2021.22 में ग्रांट रजिस्टर 3 एवं ई ग्राम स्वराज की फीडिंग में रु० 1,77,605.00 का अन्तर है। इस प्रकार लेखाकार द्वारा संस्था को पंचम राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान एवं ब्याज के त्रुटिपूर्ण लेखांकन के कारण उऊ मद की आय एवं अंतिम शेष रूपया 1,77,605.00 प्रभावित रहा। यह गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिये संस्था आंकिक श्री सुशील कुमार एवं श्री मोहित कुमार दोषी है। खण्ड विकास अधिकारी श्री अमित कुमार का कार्मिको वित्तीय अनुशासन नही रखने के दोषी है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 05 क्षेत्र पंचायत बरौली अहीर को 5 वे राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अनुसार क्षेत्र पंचायत को निर्माण कार्य हेतु ग्राम प्रस्ताव की प्रारम्भिक योजना/ प्राथमिक प्लान क्षेत्र पंचायत की स्थिति में कार्यकारिणी को, प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यकारिणी उपनियम उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन प्रारम्भिक परियोजना और प्रस्ताव प्राप्त हो पर उनकी जांच करेगी और उन्हें अपने सिफारिशों के साथ क्षेत्र पंचायत को भेजेगी। कोई परियोजना तब तक तैयार न को जाएगी जब तक कि यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत संकल्प द्वारा निर्माण कार्य के लिए प्रारम्भिक परियोजना का अनुमोदन न कर दें। लेखा परीक्षा दौरान प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त मद के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति कब प्राप्त हुई इसका विवरण भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। निम्न पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि कार्य उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 03 सेक्शन 33 (02) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शकियों का अतिक्रमण कर कराया गया।

21.01.22	ग्राम नैनाना जाट के मजरा घोर नगरिया चक-6 में हनुमान मन्दिर से अमरनाथ मन्दिर तक सी०सी० नाली कार्य।	6,23,252.00
21.01.22	ग्राम बाद में मुत्रा सिंह के मकान से चामड माता मन्दिर तक सी०सी० नाली कार्य।	6,32,095.00
21.01.22	ग्राम माहई के मजरा गढ़ी हरलाल में सुमेर सिंह के मकान से अचल सिंह के म मकान सी०सी० नाली कार्य।	5,42,378.00
	कुल योग	18,06,725.00

उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 03 के सक्शन 33 (02) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शतियां एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अन्तगत क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि । अनुदान विभिन्न मर्दों से प्राप्त होती है। .. उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराने हेतु अधिकृत है। ग्रामीण मार्गों को बनाने का अधिकार उक्त धारा द्वारा ग्राम पंचायत को प्रदत्त किया गया। प्रकरण की समीक्षा दौरान ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबन्धन कमेटी द्वारा इस हेतु पारित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ जिससे स्पष्ट हो सके कि ग्राम पंचायत द्वारा उ०प्र० जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय

03. के सेक्शन 34 (01) के अधीन क्षेत्र पंचायत को अधिकृत किया गया हो अतः उक समस्त निर्माण कार्य गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के अन्तगत आता है। उ०प्र०क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियमावली के नियम संख्या 179 (02) के अनुसार उक्त निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि रुपया 18,06,725.00 अधिभार की कार्यवाही के अंतर्गत आती है। जिसकी वसूली अधिभार के प्रावधानों के अनुसार बैठक में उपस्थित एवं प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन करने वाले सदस्यों के साथ खंड विकास अधिकारी श्री अमित कुमार, अवर अभियंता श्री श्रीचंद के साथ आन्किक श्री सुशील कुमार एवं श्री मोहित कुमार पर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 06 वित्तीय वर्ष 2021.22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत बरौली अहीर को पंचम राज्य वित्त आयोग एवं 15 वें वित्त आयोग से टाइड एवं अनटाइड मद से निम्न विवरण के अनुसार कुल रु0 4,07,08,278.00 की धनराशि सूद सहित प्राप्त हुई। गत वर्ष की अवशेष धनराशि रु० 11562627.14 सहित वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि रु0 5,22,71,905.14 के सापेक्ष मात्र रु0 44577033.00 की धनराशि का ही उपभोग किया गया। इस प्रकार वर्षात में रु0 7694872.14 की धनराशि का उपभोग नहीं किया जा सका-

मद का विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अ० धनराशि
पंचम राज्य वित्त	41,62,824.14	2,18,57,095.00	2,46,13,090.00	1406829.14
15 केंद्रीय वित्त टाइड	65,61,522.00	1,10,97,862.00	1,17,14,761.00	5944623.00
15 केंद्रीय वित्त अनटाइड	8,38,281.00	77,54,321.00	8249182.00	343420.00
योग	11562627.14	4,07,09,278.00	44577033.00	7694872.14

वित्तीय नियमों एवं बजट मैनुअल तथा शासनादेशों में निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि का उपयोग नियमतः उसी वित्तीय वर्ष में किया जाए, ताकि किये गये विकास कार्यों की सुविधाओं का लाभ उस क्षेत्र की जनता को मिल सके तथा व्यय किये गये अनुदान का उपभोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार निर्धारित तिथि तक प्रेषित किया जाना चाहिए था। अनुदान का उपभोग किये जाने के सम्बन्ध में-उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या 165 एवं 166 में नियत प्रपत्र संख्या-44 अथवा अन्य निर्धारित प्रपत्र पर नियतकालीन विवरण पत्र तैयार किये जाने प्राविधान है। आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा 445.77 लाख अनुदान का उपभोग किया गया है , लेकिन उपभोग प्रामण-पत्र की प्रति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। अभिलेखों की जॉब में पाया गया कि वित्तीय वर्ष के अन्त में कुल अनुदान रू0 76.94 लाख की की धनराशि अप्रयुक पड़ी थी। इस प्रकार स्पष्ट है। कि आठ अनुदान का समय रहते उपभोग न कर जनपद वासियों को विकारों से बचित रखा गया है। उवेखनीय है। कि शासन के द्वारा संस्था को अनुदान बजट के अनुसार विकास कार्यों पर वित्तीय वर्ष में उपभोग हेतु दिया जाता है। जिसका उपभोग न होने की दशा में बाजार मूल्य के चढ़ाव से हानि होती है। वर्षांत में धनराशि का अवशेष रहना इस तथ्य का भी सूचक है कि अनुदान के उपभोग पर विकास खण्ड के प्रवन्धक खण्ड विकास अधिकारी श्री अमित कुमार का नियंत्रण ठीक ठाक नहीं रहा | विभिन्न वर्षों में वर्षांत अवशेष धनराशि का किन कारणों से उपभोग नहीं किया गया स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 07 क्षेत्र पंचायत बरौली अहीर की वित्तीय वर्ष 2021.22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था को 15 वे वित्त आयोग के मद में ग्रांट रजिस्टर 3 एवं बैंक पासबुक के अनुसार प्राप्त कुल अनुदान एवं ब्याज की धनराशि क्रमशः रु0 1,84,96,438.00 एवं रु0 3,55,745.00 सहित कुल आय रु0 1,88,52,188.00 के सापेक्ष प्रियासॉफ्ट/ ई ग्राम स्वराज पर वर्ष का कुल आय रु० 1,31,84,068.00 ही दर्शित है। इस प्रकार

वित्तीय वर्ष 2021.22 में ग्रांट रजिस्टर 3 एवं ई ग्राम स्वराज की फीडिंग में रु0 56,68,015 का अन्तर है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज पर फीडिंग करते समय संस्था द्वारा दिनांक 08.02.2022 को प्राप्त सूद रुपया 1,18,559.00 एवं दिनांक 31.03.2022 को प्राप्त अनुदान रुपया 55,49,656.00 सहित कुल धनराशि रुपया 56,68,215.00 की प्रविष्टियां नहीं की गयी इस प्रकार लेखाकार द्वारा संस्था को पंचम राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान एवं ब्याज के त्रुटिपूर्ण लेखांकन के कारण उक्त मद की आय एवं अंतिम शेष रूपया 56,68,215.00 प्रभावित रहा। यह गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिये संस्था आंकिक श्री सुशील कुमार एवं श्री मोहित कुमार दोषी है। खण्ड विकास अधिकारी श्री अमित कुमार का कार्मिको वित्तीय अनुशासन नहीं रखने के दोषी है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत फतेहाबाद

प्रस्तर सं0 08 कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) की कटौती न किया जानाः- उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार; रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियमद्ध नियम 2009 के नियम संख्या 4(3) के अनुसार- ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत धनराशि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी तथा समस्त समावेशी अनुबन्धो में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाए। प्रावधानित कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दशा में संस्था द्वारा वहन नहीं किया जा सकेगा। उक्त कृम में लेखा परीक्षा में पाया गया, कि क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में निम्नानुसार निर्माण कार्यो पर व्यय किया है।

कृ0	आलोच्य वर्ष	कुल निर्माण व्यय	संस्था द्वारा कटोती	लेखा परीक्षानुसार कटोती	राजस्व हानि
1.	2021-22	165,61,335.00	1,47,891.00	1,65,613.35	17,722.35
	योग-	**165,61,335.00**	**1,47,891.00**	**1,65,613.35**	**17,722.35**

उक्त विवरण से स्पष्ट हैं कि संस्था ने निर्माण कार्यो पर कुल **रु0 165,61,335.00** व्यय किये हैं, परन्तु उसके सापेक्ष फर्म/ ठेकेदार को भुगतानित बिलो से कार्य की कुल लागत का **1 प्रतिशत की दर** से लेखा परीक्षा की गणनानुसार रु0 **1,65,613.35** लेबर सेस की कटौती की जानी चाहिए थी, जबकि संस्था द्वारा केवल रु0 **1,47,891.00** लेबर सेस की कटोती की गयी है। , जिससे सरकार को रु0 **17,722.35** राजस्व की हानि हुई, जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता हैं, जिस हेतु बी0डी0ओ0 श्री आर के सिंह व मंगल यादव एंव लेखाकार श्री कुबर सेन व श्री गिरीश कुमार उत्तरदायी है। अतः संस्था द्वारा कटोती की गयी धनराशि रु0 **1,47,891.00** की जमा की पुष्टि कराते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों से शेष लेबर सेस रू0 **17,722.35** की ब्याज सहित वसूली करके , कर्मकार कल्याण उपकर कोष/ शीर्ष में जमा कराये जाने की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 09 नियमो की अनदेखी कर अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य करानाः - उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा-32 अनुसूची (1) व खण्ड (2) के अधीन क्षेत्र पंचायत को प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यकलापों के वर्णित अधिकारों के अधीन. क्षेत्र पंचायतें अर्न्तग्रामित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं , जबकि ग्राम सडको को बनाने का कार्य ग्राम पंचायतों को उक्त धारा के अधीन प्रदत्त किया गया है। लेकिन संस्था की लेखा परीक्षा में उदघाटित हुआ, कि क्षेत्र पंचायत - फतेहाबाद द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य व केन्द्र वित्त से प्राप्त धनराशि से ग्राम पंचायतों के अधिकारों एवं शक्तिओं का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव से स्वीकृति देकर प्रारुप-01 के विवरणानुसार ग्राम पंचायतों में नियमो की अनदेखी कर अधिकार क्षेत्र के बाहर कुल रू0 **38,45,535.00** के निर्माण कार्य सम्पन्न कराये गये।

प्रारुप-01 के अनुसार क्रार्य कृमांक	कार्य का नाम व पूर्ण पता	सामग्री हेतु भुगतानित धनराशि	मजदूरी	योग

2-	सीसी-मंदिरसेमुन्नालालत्यागी तक, कुतुकपुरगोला।	3,03,493	-	3,03,493
3	सीसी- रमेश से अमरसिंह के घर तक, जरारी।	4,62,181	-	4,62,181
6-	सीसी-द्वारिकाप्रसाद से अमरसिंहतक,मल्लपुरा में।	2,30,212	-	2,30,212
7-	सीसीअवशेषकार्य-सर्विसरोड सेशहीदनगर, भलोखरा	7,33,805	-	7,33,805
10-	सीसी-केशवसिंह से उदयवीर तक, गढी दरियाब।	5,54,625	-	5,54,625
12-	सीसी-चकरोड से प्रहलाद के घर तक, तिबाहा में।	4,71,532	-	4,71,532
14-	सीसी-राजपत से जोमदार तक, न0 हाजी, स्वारा।	2,14,237	-	2,14,237
27-	सीसी-सर्विस रोड से शहीदनगर तक, भलोखरा में।	8,75,450	-	8,75,450
	योग-	38,45,535	-	38,45,535

इस प्रकार उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 धारा-32 अनुसूची-1 व खण्ड-2 के प्राविधानों के अधीन संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में उक्त कार्यो पर खर्च की गयी कुल धनराशि रु0 **38,45,535.00** एक अनियमित व्यय है। जिस हेतु संबन्धित ब्लॉक प्रमुख श्रीमती प्रियंका गुर्जर, बी0डी0ओ0 श्री आर०के० सिंह व श्री मन्गल यादव, जे0ई0 श्री संतोष शर्मा, कार्यप्रभारी एंव लेखाकार श्री कुंवर सेन व श्री गिरीश कुमार जिम्मेदार है , अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर, अनियमित रुप से व्यय की गयी धनराशि की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 10 भुगतानित बिलों से करों की निर्धारित दरों से कटोती न किया जानाः- आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा कराये गये विविध कार्यो के सापेक्ष फर्मो को भुगतानित बिलों से निर्धारित दरों से करों की कटोती न करके राजकीय राजस्व को हानि पंहुचायी गयी। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं।

(अ) आलोच्य वर्ष में में क्षैत्र पंचायत द्वारा वर्क रजिस्टर /ग्रांट रजिस्टर-2 के अनुसार निमार्ण कार्य सामग्री पर कुल **रू0 165,61,335.00** व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष फर्मो को भुगतानित बिलों से निम्न दरों से आयकर की कटोतियां की गयी हैं।

कृ0	निर्धारित दर	वर्ष	निर्माण व्यय धनराशि	संस्था द्वारा कटोती	लेखा परीक्षा नुसार कटोती	राजस्व हानि
1.	आयकर दर 2%	2021-22	165,61,335.00	2,95,776.00	3,31,226.70	35,450.70
		योग	165,61,335.00	2,95,776.00	3,31,226.70	35,450.70

उक्त विवरण से स्पष्ट है संस्था द्वारा आलोच्य वर्षो में फर्म को भुगतानित बिलों से आयकर की ससमय प्रचलित दरों से लेखा परीक्षा की गणनानुसार **रु0 3,31,226.70** आयकर की कटोती न करके करके केवल **रु0 2,95,776.00** आयकर की कटोती की गयी है , जिससे सरकार को **रु0 35,450.70** के राजस्व की हानि हुई, जो आयकर अधिनियम-1961 की धारा-194 (सी) के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंधन है। जिस हेतु संबन्धित बी0डी0ओ0 श्री आर के सिंह व मंगल यादव एंव लेखाकार श्री कुबर सेन व श्री गिरीश कुमार उत्तरदायी है तथा कटोती किये गये आयकर की धनराशि **रु0 2,95,776.00** को नियत शीर्ष में जमा की पुष्टि कराते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों से शेष आयकर **रू0 35,450.70** की ब्याज सहित वसूली कर राजकोष में जमा कराया जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(ब)- आलोच्य वर्ष में में क्षैत्र पंचायत द्वारा वर्क रजिस्टर/ग्रांट रजिस्टर-2 के अनुसार निमार्ण कार्य सामग्री पर कुल **रू0 165,61,335.00** व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष फर्मो को भुगतानित बिलों से निम्न दरों से जी0एस0टी0 की कटोतियां की गयी हैं।

कृ0	निर्धारित दर	वर्ष	निर्माण व्यय धनराशि	संस्था द्वारा कटोती	लेखा परीक्षा नुसार कटोती	राजस्व हानि
1.	जीएसटी दर 2%	2021-22	165,61,335.00	2,95,782.00	3,31,226.70	35,444.70
		योग	165,61,335.00	2,95,782.00	3,31,226.70	35,444.70

उक्त विवरण से स्पष्ट है। संस्था द्वारा फर्म को भुगतानित बिलों की धनराशि **रु0 165,61,335.00** से जी0एस0टी0 की ससमय प्रचलित दरों से लेखा परीक्षानुसार कटोती **रु0 3,31,226.70** की न करके करके केवल **रु0 2,95,782.00** की कटोती की गयी है। , जिससे सरकार को **रु0 35,444.70** के राजस्व की हानि हुई, जो 01-07-2017 से लागू जी0एस0टी0 अधि0 की धारा-51 के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंधन है। जिसके अनुसार समस्त सरकारी विभागों, एजेन्सी एवं स्थानीय निकायों द्वारा रु0 2.50 लाख से अधिक कृय आदेश के विरुद्ध किये गये भुगतानों पर 1 प्रतिशत की दर से एस0जी0एस0टी0 तथा 1 प्रतिशत की दर से सी0जी0एस0टी0 तथा सप्लायर के प्रान्त से बाहर का होने की स्थिति में 2 प्रतिशत की दर से आई0जी0एस0टी0 की कटौती किये जाने का प्रविधान है।

अतः स्पष्ट है संस्था द्वारा जी0एस0टी0 अधि0 की धारा-51 के प्रविधानों का उल्लंधन किया गया जिस हेतु संबन्धित बी0 डी0 ओ0 श्री आर के सिंह व मंगल यादव एंव लेखाकार श्री कुबर सेन व श्री गिरीश कुमार उत्तरदायी है तथा कटोती की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि **रु0 2,95,782.00** को नियत शीर्ष में जमा की पुष्टि कराते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों से शेष जी0एस0टी0 **रू0 35,444.70** की ब्याज सहित वसूली कर राजकोष में जमा कराया जाने की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 11 निर्माण कार्यो हेतु निर्धारित नियमो एंव प्रकृियाओं का पालन न कर, अनियमित पूर्वक व्यय करनाः- क्षेत्र पंचायत- फतेहाबाद द्वारा वर्ष 2021-22 में कुल **रु0 165,61,335.00** के निर्माण कार्य कराये गये हैं, परन्तु लेखा परीक्षा में निर्माण कार्य पत्रावलियों की जॉचोपरान्त पाया गया, कि संस्था ने निर्माण कार्य से संबन्धित जो निर्धारित नियम एंव प्रकृियाएं हैं, उनका पालन न करके मनमानापूर्ण व अनियमित पूर्वक व्यय किया है। जैसे-

1. निर्माण कार्य स्थलों का नजरी नक्शा किसी भी निर्माण कार्य पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है , जो कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम-6 के प्रविधानों की घोर अवहेलना हैं।

2. कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के मध्य तथा कार्य पूर्ण के पश्चात, कार्य स्थल के फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं किये गये है तथा जो फोटो संलग्न भी हैं, वो एक कार्य स्थल के न होकर, अलग-अलग कार्य स्थलों के हैं।

3. कई एक निर्माण कार्य पत्रावलियों के साथ एम0बी0 संलग्न नहीं थे, जो संस्था द्वारा किये गये निर्माण कार्यो पर ही प्रश्न चिहन लगाता है , जो कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम-36(1) के प्रविधानों की घोर अवहेलना हैं।

4. आपूर्तिकर्ता फर्म क्षेत्र पंचायत में पंजीकृत है। या नहीं, की पुष्टि में अनुमोदित ठकेदारों का रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे पुष्टि नहीं की जा सकी, जो कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम-18 के प्रविधानों की घोर अवहेलना हैं।

5. अधिकांश निविदाएं न्यूनतम तीन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों के स्थान पर किसी एक/दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गयी हैं, जो कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम-19 के प्रविधानों की घोर अवहेलना हैं।

6. प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता द्वारा दो प्रतिशत धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट खण्ड विकास अधिकारी के पक्ष में बंधक बनाकर जमा नहीं किया गया है , फिर भी उन सभी निविदाओं को निरस्त न करके विचारार्थ निर्माण समिति के समक्ष रखा गया है , जो कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम-24(1) के प्रविधानों की घोर अवहेलना हैं।

7. प्रस्तुत निविदाओं के साथ अनुभव प्रमाण पत्र/ आयकर /बिक्री कर प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं वे नियमानुकूल नहीं है।

8. निविदा स्वीकृति के पश्चात 8 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में सभी निर्माण कार्यो के सापेक्ष निविदा दाताओं से नहीं ली गयी, जो कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम-23(1) के प्रविधानों की घोर अवहेलना हैं।

9. निविदा खोले जाने के समय ईंट बालू व इण्टरलाकिंग ईंट आदि का नमूना जाँच का कोई साक्ष्य किसी पत्रावली में नहीं पाया गया।

10. निविदा प्रपत्र पर मात्र प्राक्कलन दर से कुछ प्रतिशत अधिक या कुछ प्रतिशत कम पर लिये जाने हेतु दर अंकित है। किन्तु किसी पत्रावली में निर्माण सामग्री की वास्तविक दर सामग्रीवार अंकित नहीं है।

11. प्रत्येक कार्य के लिए न्यूनतम तीन निविदायें तो आमन्त्रित की गयी लेकिन स्वीकृत निविदा (जो प्राक्कलन दर से 0.25 से 0.50 प्रतिषत कम पर) को छोडकर अन्य दो निविदायें प्राक्कलन दर से अधिक की होते हुए भी निर्माण समिति द्वारा अमान्य करार नहीं दी गयीं और न ही उस कार्य के लिए पुन: निविदा प्रकाशन कराया गया।

12. निविदायें सील्ड लिफाफों में उनके संलग्नकों के साथ प्राप्त नहीं की गयी हैं बल्कि पत्रावली पूर्ण करने के लिए निविदाओं के साथ लिफाफे व संलग्नक लगाकर औपचारिकतायें बाद में पूर्ण की गयीं हैं।

13. प्रत्येक निविदा प्रकिृया के समय यही चुनिंदा फर्में ही टेण्डर हेतु आवेदन कर रही हैं जो प्रकिृया की गोपनीयता भंग कर उसे अपारदर्शी बनाता है।

14. स्वीकृत प्राक्कलन का कार्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984, शासनादेश संख्या 612 बी/39-2-10 वार 83 यू0पी0ए0 38-1961 में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप न तो कार्य सम्पादित कराया गया है। तथा उक्त शासनादेश के पैरा-36 के **प्रस्तर-**8 के अनुरूप माप पुस्तिका में दर्ज मापों की जाँच भी 25 प्रतिशत खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नहीं की गयी है।

15. शासनादेश संख्या 2618/आर0 ई0/30-4-59 एम/85 दिनांक 18-12-1985 के सन्दर्भित पैरा 6 के अनुसार-80 प्रतिशत धनराशि का भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन उपरान्त किया जायेगा तथा शेष 20 प्रतिशत धनराशि का भुगतान अनिवार्य रूप से सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की संस्तुति के उपरान्त ही किया जाये, परन्तु उपरोक्त शासनादेश की अनदेखी अधिकांश निर्माण कार्यो के भुगतान के समय की गयी तथा समस्त भुगतान एक या दो बार में बिना किसी सत्यापन रिपोर्ट/ संस्तुति के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किये गये हैं।

16. कई एक कार्यो के मामलो में पाया गया कि सामग्री की आपूर्ति निर्धारित अवधि के बाद ही की गयी है , फिर भी आपूर्ति आदेश निरस्तीकरण/ जमानत राशि जब्त किये जाने की कार्यवाही नहीं की गयी है।

17. आपूर्तिकर्ता द्वारा वन अभिवहन फीस/ रॉयल्टी जमा (एम0एम0-11) चालान से पुष्टि किये बिना ही खनन सम्बन्धी सामग्री की आपूर्ति ली गयी हैं, जो शासनादेश सं0-3385/86-2015-292/2015 के प्राविधानों की घोर अवहेलना हैं।

18. कृत कार्यो की समस्त धनराशि का भुगतान कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना एवं गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट के अभाव में किया गया हैं, जो कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के नियम-38 के प्रविधानों की घोर अवहेलना हैं।

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट हैं, कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली-1984 के संगत प्राविधानों का पालन नहीं किया गया तथा अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रकृिया भी पारदर्शी एवं नियमानुकूल नहीं थी, जिससे संस्था को प्रतियोगी दर का वास्तविक लाभ नहीं मिल सका तथा कराये गये अधिकांश निर्माण कार्य भी निर्धारित नियमो व मानको के अनुरूप नहीं थे। अत: उक्त आपत्तियों के आलोक में सी0सी0 निर्माण एवं समर व टंकी स्थापना इत्यादि कार्यों पर व्यय की गयी कुल धनराशि **रु0 165,61,335.00** एक प्रकार का अनियमित व्यय है , जिस हेतु तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख श्रीमती प्रियांजा गुर्जर, खण्ड विकास अधिकारी श्री आर के सिंह व मंगल यादव, जे0ई0 श्री संतोष शर्मा एवं लेखाकार लेखाकार श्री कुबर सेन व श्री गिरीश कुमार जिम्मेदार हैं। अतः उक्त प्रकरण लेखा परीक्षा द्रष्टिकोण से अधिभार योग्य पाये जाने के कारण उत्तरदायी व्यक्तियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर, अनियमित व्यय की उक्त धनराशि की वसूली हेतु उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली-1965 के नियम-179(1) व (2) के (क) से (ड) के प्रविधानों के तहत कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत खंदौली

प्रस्तर सं० 12

वितीय वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा दिनांक 26.03.2022 को 15 वे केंद्रीय वित्त आयोग मद से रु0 2,54,194.00 एवं पंचम राज्य वित्त आयोग से रु0 1,57,786.00 का भुगतान वितीय वर्ष 2020-21 में किये गये निर्माण कार्यो के प्रति एसजीएसटी मद का किया जाना दर्शित है। शासकीय निर्देनुसार एसजीएसटी की कटौती भुगतान के समय ही की जानी अपेक्षित है। सीजीएसटी अधिनियम 2017 के शाअंतर्गत धारा 51 में स्रोत्र पर कर कटौती के लिए प्रक्रिया एवं प्राधिकार विनिर्धारित किया गया है। । उत्तर प्रदेश में यह अधिनियम 01.10.2018 से प्रभावी है। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सर्कुलर संख्या 65/39/2018-डीडीआर दि० 14.09.2018 के द्वारा जारी किये गए है। टीडीएस की राशि की कटौती न करने टीडीएस के रूप में कटौती हेतु अपेक्षित राशि से कम कटौती करने अथवा टीडीएस के रूप में कटौती की गयी राशि का भुगतान सरकार को न करने की स्थिति में केंद्रीय जीएसटी अधिनियम तथा प्रांतीय अधिनियम की धारा-122 के तहत कार्यवाही की जाने की व्यवस्था है। लेखा परीक्षा दौरान खंड विकास अधिकारी खंदौली को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु 06 पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी वित्तीय वर्ष विगत वर्षो के अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये । विगत वर्षो के अभिलेख प्रस्तुत नही करने के कारण तदसमय किये गये भुगतान की जाँच एवं एसजीएसटी के आगणन की जाँच नही की जा सकी । ससमय एसजीएसटी की कटौती किये बिना किया गया भुगतान अनियमित है। जिस प्रति तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री विकल कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर सं० 13

क्षेत्र पंचायत खंदौली की वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था को पंचम राज्य वित्त 2021.22 आयोग के मद में ग्रांट रजिस्टर एवं बैंक पासबुक के अनुसार प्राप्त कुल अनुदान एवं ब्याज की धनराशि क्रमशः रु० 1,10,85,100.00 एवं रु०239107.00 सहित कुल आय रु० 1,13,24,207.00 के सापेक्ष प्रियासॉफ्टई / ग्राम स्वराज पर वर्ष का कुल आय रु01,54,38,901.00 दर्शित है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष में 2021.22ग्रांट रजिस्टर एवं ई ग्राम स्वराज की फीडिंग में रु० 41,14,694.00 का अन्तर है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रियासॉफ्टई ग्राम स्वराज पर फीडिंग करते समय संस्था द्वारा प्राप्त अनुदान एवं सूद की निम्न प्रविष्टियां / -नही की गयी

दिनांक	मद	प्राप्त धनराशि
09.06.21	पंचम राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान	10,14,891.00
25.09.21	ब्याज से आय	53,644.00

27.09.21	पंचम राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान	10,14,891.00
16.11.21	पंचम राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान	10,14,891.00
08.12.21	पंचम राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान	92,263.00
25.12.21	ब्याज से आय	72,587.00
31.12.21	पंचम राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान	10,14,891.00
27.01.22	पंचम राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान	9,07,856.00
16.02.22	पंचम राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान	9,07,856.00
14.03.22	पंचम राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान	2,15,900.00
14.03.22	पंचम राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान	9,23,005.00
25.03.22	ब्याज से आय	76,867.00
29.03.22	पंचम राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान	9,22,683.00
29.03.22	पंचम राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान	11,300.00
	कुल योग	82,43,525.00

इसी प्रकार ई ग्राम स्वराज कैशबुक में निम्न प्रविष्टयां से आय दर्शित है। जिसकी पुष्टि बैंक पासबुक एवं ग्रांट रजिस्टर से नही की जा सकी ---

दिनांक	मद	प्राप्त दर्शित धनराशि
11.04.21	पंचम राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान	61,40,255.00
26.03.22	पंचम राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान	62,17,784.00
	कुल योग	1,23,58,039.00

इस प्रकार लेखाकार / कंप्यूटर ओपरेटर द्वारा द्वारा संस्था को पंचम राज्य वित्त से प्राप्त अनुदान एवं ब्याज के त्रुटिपूर्ण लेखांकन के कारण 82,43,525.00 की आय कोषवही में कम दर्शित है। वहो रुपया 1,23,58,039.00 की जो आय संस्था को नही हुयी , उसका भी अंकन किया गया । इस प्रकार वर्ष दौरान संस्था की आय रुपया 1,23,58,039.00 - 82,43,525.00 = रुपया 41,14,514.00 की आय का अधिक लेखांकन किया गया । यह गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिये संस्था आंकिक श्री राजकुमार शर्मा दोषी है। खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव , श्री भीम जी उपाध्याय एवं श्री रामवंत जी भी कार्मिको पर वित्तीय अनुशासन नही रखने के दोषी है। प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुये आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 14

वितीय वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा दिनांक 26.03.2022 को 15 वे केंद्रीय वित्त आयोग मद से रुपया 2,54,194.00 एवं पंचम राज्य वित्त आयोग से रुपया 1,57,791.00 का भुगतान वितीय वर्ष 2020-21 में किये गये निर्माण कार्यो के प्रति आयकर टीडीएस कटौती मद का किया जाना दर्शित है। शासकीय निर्देशानुसार आयकर टीडीएस की कटौती भुगतान के समय ही की जानी अपेक्षित है। आयकर अधिनियम की धारा 200 के अनुसार प्रत्येक कर काटने वाले व्यक्ति को स्रोत पर काटी गई कर की राशि को नियम 30 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कोष में निर्धारित समय अवधि के अन्दर जमा कराना होता है। लेखा परीक्षा दौरान खंड विकास अधिकारी खंदौली को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु 06 पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी वित्तीय वर्ष विगत वर्षो के अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये । विगत वर्षो के अभिलेख प्रस्तुत नही करने के कारण तदसमय किये गये भुगतान की जाँच एवं आयकर के आगणन की जाँच नही की जा सकी । ससमय आयकर की कटौती किये बिना किया गया भुगतान अनियमित है। जिस प्रति तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री विकल कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार श्री रामकांत शर्मा के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 15

क्षेत्र पंचायत खंदौली की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था को वर्ष आलोच्य दौरान पंचम राज्य वित्त एवं पंद्रहवे वित्त आयोग मद से कुल रुपया 2,48,80,816.00 की धनराशि सूद सहित प्राप्त हुई । गत वर्ष की अवशेष धनराशि रुपया 98,72,348.00 सहित वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि रुपया 3,47,53,164.00 के सापेक्ष वर्ष दौरान मात्र रुपया 2,24,80,816.00 की धनराशि का ही उपभोग किया गया । इस प्रकार वर्षान्त में रुपया 1,22,93,043.00 की धनराशि का उपभोग नही किया जा सका । वित्तीय नियमों एंव बजट मैनुअल तथा शासनादेशो में निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि का उपयोग नियमतः उसी वित्तीय वर्ष में किया जाए, ताकि किये गये विकास कार्यों की सुविधाओं का लाभ उस क्षेत्र की जनता को मिल सके । इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राप्त अनुदान का समय रहते उपभोग न कर क्षेत्रवासियों को विकास से वंचित रखा गया है। उल्लेखनीय है कि शासन के द्वारा संस्था को अनुदान बजट के अनुसार विकास कार्यों पर वित्तीय वर्ष में उपभोग हेतु दिया जाता है। जिसका उपभोग न होने की दशा मे बाज़ार मूल्य के चढ़ाव से हानि होती है। वर्षांत में धनराशि का अवशेष रहना इस तथ्य का भी सूचक है कि अनुदान के उपभोग के प्रति खंड विकास अधिकारी श्री रामवंत जी के द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन नही किया गया| आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 16

क्षेत्र पंचायत खंदौली की वित्तीय वर्ष 2021.22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि संस्था को 15 वे वित्त आयोग के मद में ग्रांट रजिस्टर एवं बैंक पासबुक के अनुसार प्राप्त कुल अनुदान एवं ब्याज की धनराशि क्रमशः रु0 1,33,20,594.00 एवं रु0 2,36,015.00 सहित कुल आय रु0 1,35,56,609.00 के सापेक्ष प्रियासॉफ्ट/ ई ग्राम स्वराज पर वर्ष की कुल आय रु0 1,38,20,594.00 दर्शित है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2021.22 में ग्रांट रजिस्टर एवं ई ग्राम स्वराज की फीडिंग में रु0 2,63,985.00 का अन्तर है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रियासॉफ्ट/ ई ग्राम स्वराज पर फीडिंग करते समय संस्था द्वारा निम्न लेखांकन त्रुटिपूर्ण किये गए ----

दिनांक	मद	प्राप्त धनराशि
06.05.21	पंद्रहवे वित्त आयोग के ब्याज से आय	45,938.00
07.08.21	पंद्रहवे वित्त आयोग के ब्याज से आय	50,613.00
06.11.21	पंद्रहवे वित्त आयोग के ब्याज से आय	71,090.00
07.02.22	पंद्रहवे वित्त आयोग के ब्याज से आय	68,374.00
	कुल योग	2,36,015.00

इसी प्रकार ई ग्राम स्वराज कैशबुक में दिनांक 31.01.2022 रुपया 5,00,000.00 की आय दर्शित है। जिसकी पुष्टि बैंक पासबुक एवं ग्रांट रजिस्टर से नही की जा सकी । इस प्रकार लेखाकार द्वारा संस्था की पद्रहवे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान एवं ब्याज के त्रुटिपूर्ण लेखांकन के कारण उक्त मद की आय रुपया 5,00,000.00 - 2,36,015= रुपया 2,63,985.00 से प्रभावित रही । यह गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिये संस्था आंकिक श्री राजकुमार शर्मा दोषी है। खण्ड विकास अधिकारी श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव ,श्री भीम जी उपाध्याय एवं श्री रामवंत जी भी कार्मिको पर वित्तीय अनुशासन नही रखने के दोषी है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 17

दिनांक 01.03.2021 क्षेत्र पंचायत खंदौली की अनुदान पंजिका एवं अन्य उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार प्रारम्भिक शेष रुपया 98,72,348.00 के स्थान पर इ ग्राम स्वराज पोर्टल पर रुपया 1,90,97,079.00 का

प्रारम्भिक शेष दर्शित है। पंचम राज्य वित्त की पास बुक के अनुसार दिनांक 01.03.2021 को उक्त खाता रुपया 51,65,886.00 से क्रेडिट था इसी प्रकार पंद्रहवे वित्त आयोग की पास बुक में भी दिनांक ,01.03.2021 को रुपया 47,06,462.00 का शेष दर्शित है। इस प्रकार ग्रांट रजिस्टर एवं पास बुक के अनुसार दिनांक 01.03.2021 क्षेत्र पंचायत खंदौली का प्रारम्भिक शेष रुपया 98,72,348.00 के स्थान पर इ ग्राम स्वराज पोर्टल पर रुपया 1,90,97,079.00 का अंकन रुपया 92,24,731.00 से त्रुटिपूर्ण है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 18

दिनांक 31.03.2022 क्षेत्र पंचायत खंदौली की अनुदान पंजिका एवं अन्य उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार अंतिम शेष 1,22,93,043.00 रुपया के स्थान पर इ ग्राम स्वराज पोर्टल पर रुपया 2,58,96,273.00 का अंतिम शेष दर्शित है। पंचम राज्य वित्त की पास बुक के अनुसार दिनांक 31.03.2022 को उक्त खाता रुपया 62,48,572.00 से क्रेडिट था इसी प्रकार पंद्रहवे वित्त आयोग की पास बुक में भी दिनांक ,31.03.2021 को रुपया 64,47,791.00 का अंतिम शेष दर्शित है। । उक्त खाते द्वारा ग्रांट रजिस्टर के अनुसार रुपया 4,03,220.00 का भुगतान 31.03.2022 के पश्चात किया गया जिससे उक्त खाता भी दिनांक 31.03.2022 को रुपया 60,44,471.00 से क्रेडिट था । इस प्रकार ग्रांट रजिस्टर एवं पास बुक के अनुसार दिनांक 31.03.2022 क्षेत्र पंचायत खंदौली का अंतिम शेष रुपया 1,22,93,043.00 के स्थान पर इ ग्राम स्वराज पोर्टल पर रुपया 2,58,96,273.00 का अंकन रुपया 1,36,03,236.00 से त्रुटिपूर्ण है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

जनपद- फिरोजाबाद मण्डल - आगरा

क्षेत्र पंचायत फिरोजाबाद :- वर्ष 2021-22

(1) क्षेत्र पंचायत टूण्डला

प्रस्तर 01- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान - वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माण कार्यों पर अंकन रू0 59,80,825=00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारिओं को किया गया है। श्रमिक/मजदूरो के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन रू0 59,80,825=00 का वर्ष 2021-22 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिए श्री सतेन्द्र हितैषी जे0ई0, श्री चन्द्रभान सिंह, श्री शिवशंकर, श्री सुधीर कुमार, श्री वीरेन्द्र सिंह, ए0डी0ओ0 (कार्यप्रभारी), श्री नरेश कुमार खण्ड विकास अधिकारी, चौधरी श्री भंवरपाल सिंह ब्लाक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली सम्बन्धित से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि **रू0 59,80,825=00**

प्रस्तर-02- टी0डी0एस0 कटौतियों की जमा की पुष्टि न कराया जाना - वित्तीय वर्ष 2021-22 **में क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर हुये व्यय में से रू**0 10,62,802=00 **की टी0डी0एस0 की कटौती की गई है। परन्तु बार-बार मांगे जाने के बावजूद चालान प्रस्तुत नही किये गये जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा कटौतियां तो कर ली गईं हैं किन्तु इन्हें संगत लेखा शीर्षक में जमा नहीं कराया गया है। जो कराया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-03- सैस कटौतियों की जमा की पुष्टि न कराया जाना - वित्तीय वर्ष 2021-22 **में क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर हुये व्यय में से रू0** 5,30,405=00 **की सैस की कटौती की गई है। परन्तु बार-बार मांगे जाने के बावजूद चालान प्रस्तुत नही किये गये जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा कटौतियाँ तो कर ली गईं हैं किन्तु इन्हें संगत लेखा शीर्षक में जमा नहीं कराया गया है। जो कराया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर-04- जी0एस0टी0 न काटकर राजस्व को हानि पहुँचना - सी0जी0एस0टी0अधिनियम 2017 की धारा 51 के अनुसार सदि किसी ठेके या उप ठेके का प्रतिफल 2,50,000 से अधिक हो तो जी0एस0टी0 की कटौती की जायेगी जो दो प्रतिशत के बराबर होगी। क्षेत्र पंचायत टूण्डला द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माण कार्यों हेतु क्रय कुल सामग्री रू0 2,68,09,969=00 के आधार पर निर्धारित दर 2% प्रतिशत के आधार पर जी0एस0टी0 कुल रू0 5,36,199=38 की वसूली राजकीय कोष में जमा न कराकर फर्मों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाया गया है। जिसकी वसूली सी0जी0एस0टी0अधिनियम 2017 के अधीन व्यवस्थानुसार सम्बन्धित सप्लायर्स से की जानी अपेक्षित है ऐसा न होने की स्थिति में श्री नरेश कुमार खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री प्रबल प्रताप सिंह लेखाकार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि रू0 5,36,199=38

प्रस्तर-05- निविदा प्रपत्रों की बिक्री न कर संस्था को हानि पहुँचाना - विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रू0 20000 से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000 से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 78 निर्माण कार्य किये गये हैं जिसमें प्रत्येक कार्य पर तीन-तीन निविदायें प्राप्त हुयी हैं। एक निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 500=00 निर्धारित था। जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत टूण्डला को उक्त वर्षों में निविदा प्रपत्रों की बिक्री से आय रू0 1,17,000=00 (78*3*500) होनी चाहिए थी जिसे न दर्शाकर खण्ड विकास अधिकारिओं व पटल लिपिक द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है जिसकी वसूली सम्बन्धित ब्लॉक प्रमुख चौधरी श्री भंवरपाल सिंह, श्री नरेश कुमार खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री प्रबल प्रताप सिंह लेखाकार से ता-तारीख सूद सहित की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि रू0 1,17,000=00

(2) क्षेत्र पंचायत अराव

प्रस्तर-06- जी0एस0टी0 न काटकर राजस्व को हानि पहुँचना - किसी ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 2 प्रतिशत धनराशि जी0एस0टी0 के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी। क्षेत्र पंचायत टूण्डला द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल क्रय निर्माण सामग्री रू0 1,52,27,774 के आधार पर निर्धारित दर अनुसार 2 प्रतिशत धनराशि जी0एस0टी0 कटौती न किये जाने के कारण रू0 3,04,555=00 जी0एस0टी0 जमा न कर ठेकेदारों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है जिससे राजकीय राजस्व को प्रत्यक्ष क्षति हुयी है जिसकी वसूली सम्बन्धित सप्लायर्स से की जानी अपेक्षित है ऐसा न होने की स्थिति में श्री कमलेश राजपूत ब्लाक प्रमुख व श्री ओमप्रकाश खण्ड विकास अधिकारियों से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि रू0 3,04,555=00

प्रस्तर-07- इण्टरलाकिंग ईंटों का परीक्षण किये बिना अधोमानक रूप से निर्माण कार्य कराना -मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उ0प्र0लखनऊ के पत्रांक सी0ई0सी0जेडसा0/17 दिनांक 31 जनवरी 2007 द्वारा ग्रामीण सडकों में प्रयुक्त होने वाली इण्टरलाकिंग टायल्स की गुणवत्ता एवं मोटाई सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसके अनुसार इण्टरलाकिंग टायल्स का प्रयोग करने के पूर्व प्रत्येक 500 टायल्स में से एक टायल गुणवत्ता

परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजी जानी चाहिए। गुणवत्ता जाँच की रिपोर्ट प्राप्त हाने के पश्चात ही सही गुणवत्ता वाली टायलों का प्रयोग इण्टरलाकिंग सडक निर्माण में किया जाना चाहिए।
क्षेत्र पंचायत अराव द्वारा वर्ष 2021-22 में चतुर्थ राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्यों में उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार टायल्स की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कराया गया था। अग्रेतर जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु पी0डब्ल्यू0डी0 एवं आई0आर0सी0द्वारा निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार टायल्स की मोटाई का आगणन में 80 एमएम किया गया था। किन्तु आपूर्ति बिल एवं माप पुस्तिका में मोटाई का अंकन न होने से यह स्पष्ट नहीं था कि कार्य में जो टायल प्रयोग किया गया वह आगणन की विशिष्टयों के अनुसार था अथवा नहीं। अग्रेतर जाच में पाया गया कि उनकी गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कराया गया था। बिना टायल्स की मोटाई सुनिश्चित किए एवं गुणवत्ता परीक्षण किए कार्य पर रू0 56,87,590=00 का अनियमित व्यय किया गया तथा आपूर्ति टायल्स की मोटाई एवं परीक्षण न कराये जाने से कार्य गुणवत्तायुक्त न होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षण में उत्तर मान्य नहीं है क्योकि आगणन में प्रावधान होने के बावजूद टायल्स 80 एमएम की मोटाई का सुनिश्चित नहीं किया गया और न ही सी0सी0टायल्स की गुणवत्ता परीक्षण कराया गया था। अत: रू0 56,87,590=00 के अनियमित व्यय के सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-08- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना - वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5thराज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 33 अनुसूची (1) व खण्ड (2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तिओं का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति देकर कुल रूपया 70,94,881=00 के निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है । क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अन्र्तग्रामित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत अरांव द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताए भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पडे। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत अराव द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रकिृया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रकिृया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। रू0 70,94,881=00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत अरांव द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय रू0 70,94,881=00 के दुरूपयोग के सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-09- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना - वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15वां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 धारा 33 अनुसूची (1) व खण्ड (2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों एवं शक्तिओं का अतिक्रमण कर अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति देकर कुल रूपया 81,32,893=00 के निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराया गया है । क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को

लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अन्तग्रामित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत हाथवन्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताए भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पडे। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत अराव द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रकृिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रकृिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। रू0 81,32,893=00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत अरांव द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय रू0 81,32,893=00 के दुरूपयोग के सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(3) क्षेत्र पंचायत नारखी

प्रस्तर-10- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना - क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अन्तग्रामित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत नारखी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराये हुए समस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताए भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिए ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पडे। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत नारखी द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रकृिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रकृिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। रू0 2,86,56,381=00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत नारखी द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय रू0 2,86,56,381=00 के दुरूपयोग के सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-11- इण्टरलाकिंग ईंटों का परीक्षण किये बिना अधोमानक रूप से निर्माण कार्य कराना -मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उ0प्र0लखनऊ के पत्रांक सी0ई0सी0जेडसा0/17 दिनांक 31 जनवरी 2007 द्वारा ग्रामीण सडकों में प्रयुक्त होने वाली इण्टरलाकिंग टायल्स की गुणवत्ता एवं मोटाई सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसके अनुसार इण्टरलाकिंग टायल्स का प्रयोग करने के पूर्व प्रत्येक 500 टायल्स में से एक टायल गुणवत्ता

परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजी जानी चाहिए। गुणवत्ता जाँच की रिपोर्ट प्राप्त हाने के पश्चात ही सही गुणवत्ता वाली टायलों का प्रयोग इण्टरलाकिंग सडक निर्माण में किया जाना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत नारखी द्वारा वर्ष 2021-22 में चतुर्थ राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्यों में उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार टायल्स की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कराया गया था। अग्रेतर जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु पी0डब्ल्यू0डी0 एवं आई0आर0सी0द्वारा निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार टायल्स की मोटाई का आगणन में 80 एमएम किया गया था। किन्तु आपूर्ति बिल एवं माप पुस्तिका में मोटाई का अंकन न होने से यह स्पष्ट नहीं था कि कार्य में जो टायल प्रयोग किया गया वह आगणन की विशिष्टयों के अनुसार था अथवा नहीं। अग्रेतर जाँच में पाया गया कि उनकी गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कराया गया था। बिना टायल्स की मोटाई सुनिश्चित किए एवं गुणवत्ता परीक्षण किए कार्य पर रू0 2,40,90,802=00 का अनियमित व्यय किया गया तथा आपूर्ति टायल्स की मोटाई एवं परीक्षण न कराये जाने से कार्य गुणवत्तायुक्त न होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षण में उत्तर मान्य नहीं है क्योकि आगणन में प्रावधान होने के बावजूद टायल्स 80 एमएम की मोटाई का सुनिश्चित नहीं किया गया और न ही सी0सी0टायल्स की गुणवत्ता परीक्षण कराया गया था। अत: रू0 2,40,90,802=00 के अनियमित व्यय के सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-12- जी0एस0टी0 न काटकर राजस्व को हानि पहुँचना - सी0जी0एस0टी0अधिनियम 2017 की धारा 51 के अनुसार सदि किसी ठेके या उप ठेके का प्रतिफल 2,50,000 से अधिक हो तो जी0एस0टी0 की कटौती की जायेगी जो दो प्रतिशत के बराबर होगी। क्षेत्र पंचायत टूण्डला द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माण कार्यों हेतु क्रय कुल सामग्री रू0 2,55,96,488=00 के आधार पर निर्धारित दर 2% प्रतिशत के आधार पर जी0एस0टी0 कुल रू0 5,11,929=76 की वसूली राजकीय कोष में जमा न कराकर फर्मों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाया गया है। जिसकी वसूली सी0जी0एस0टी0अधिनियम 2017 के अधीन व्यवस्थानुसार सम्बन्धित सप्लायर्स से की जानी अपेक्षित है ऐसा न होने की स्थिति में श्री मती रविता चक ब्लाक प्रमुख, श्री सतेन्द्र सिंह, श्री रामअवतार खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री राकेश कुमार सिंह लेखाकार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि रू0 5,11,929=76

प्रस्तर-13- अपारदर्शी निविदा प्रक्रिया के द्वारा चुनिंदा फर्मों से निर्माण सामग्री क्रय करना -

वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग एवं 15वां वित्त आयोग से संक्रमित धनराशि से रू0 2,55,96,488.00 के निर्माण कार्य कराये गये हैं जिनके लिये रू0 2,55,96,488.00 की निर्माण सामग्री आपूर्ति के लिये चुनिन्दा फर्मों से ही प्राप्त हुई है, जिस प्रक्रिया में निम्न कमियाॅं पायीं गयीं-

(ए) आपूर्तिकर्ता क्षेत्र पंचायत में पंजीकृत नहीं है और अनुमोदित ठकेदारों का एक रजिस्टर प्रपत्र संख्या नि0का0.1 भी कार्यालय में नहीं रखा गया है।

(बी) कतिपय निविदाओं के साथ अनुभव प्रमाण पत्र/आयकर/बिक्री कर प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

(सी) निविदा खोले जाने के समय ईंट बालू व इण्टरलाकिंग ईंट आदि का नमूना प्रस्तुत करने/ नमूना जाँच का कोई साक्ष्य किसी पत्रावली में नहीं पाया गया।

(डी) निविदा प्रपत्र पर मात्र प्राक्कलन दर से कुछ प्रतिशत अधिक या कुछ प्रतिशत कम पर लिये जाने हेतु दर अंकित है किन्तु किसी पत्रावली में निर्माण सामग्री की वास्तविक दर सामग्रीवार अंकित नहीं है।

(ई) निविदायें सील्ड लिफाफों में उनके संलग्नकों के साथ नहीं प्राप्त की गयी हैं बल्कि पत्रावली पूर्ण करने के लिनिविदाओं के साथ लिफाफे व संलग्नक लगाकर औपचारिकतायें बाद में पूर्ण की गयीं हैं।

(एफ़) प्रत्येक निविदा प्रकृिया के समय यही चुनिंदा फ़र्में ही टेण्डर हेतु आवेदन कर रही हैं जो पूर्ण प्रकृिया की गोपनीयता भंग कर उसे अपारदर्शी बनाता है।

(जी) आपसी मिली-भगत के उपरान्त स्वीकृत टेण्डरों से सामग्री की आपूर्ति उक्त फ़र्मों के कच्चे बिलों पर ही ली गयी है जिस पर न तो बुक नं0 और न ही इनवॉइस नं0 प्रिण्टिेड है। इसके अतिरिक्त आपूर्ति सामग्री पर वैट की कोई दर भी आगणित नहीं है।

(एफ़) वित्तीय वर्ष 2021-22 तक कराये गये निर्माण कार्यों में मात्र 04 फ़र्मों को ही सामग्री आपूर्ति का टेण्डर स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और न ही यह प्रक्रिया वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त के अनुरूप है। इसके लिये प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं खण्ड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-14- निविदा प्रपत्रों की बिक्री न कर संस्था को हानि पहुँचना - विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रू0 20000 से अधिक की सामग्री क्रय के लिकोटेशन व 100000 से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिथी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 51 निर्माण कार्य किये गये हैं। जिसमें प्रत्येक कार्य पर तीन-तीन निविदायें प्राप्त हुयी हैं। एक निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 500=00 निर्धारित था। जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत नारखी को उक्त वर्षों में निविदा प्रपत्रों की बिक्री से आय रू0 76,500=00 (51*3*500) होनी चाहिथी जिसे न दर्शाकर खण्ड विकास अधिकारिओं व पटल लिपिक द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है जिसकी वसूली सम्बन्धित श्री सतेन्द्र सिंह, श्री रामअवतार खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री राकेश कुमार सिंह लेखाकार से ता-तारीख सूद सहित की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि रू0 76,500=00

(4) क्षेत्र पंचायत मदनपुर

प्रस्तर-15- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना - क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिकार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अन्र्तग्रामित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत मदनपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराये हुसमस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताभ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पडे। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिजिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत मदनपुर द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रकृिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रकृिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। रू0 2,19,53,126=00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत मदनपुर द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय रू0 2,19,53,126=00 के दुरूपयोग के सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-16- इण्टरलाकिंग ईंटों का परीक्षण किये बिना अधोमानक रूप से निर्माण कार्य कराना -मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उ0प्र0लखनऊ के पत्रांक सी0ई0सी0जेडसा0/17 दिनांक 31 जनवरी 2007 द्वारा ग्रामीण सडकों में प्रयुक्त होने वाली इण्टरलाकिंग टायल्स की गुणवत्ता एवं मोटाई सुनिश्चित करने के लिव्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसके अनुसार इण्टरलाकिंग टायल्स का प्रयोग करने के पूर्व प्रत्येक 500 टायल्स में से एक टायल गुणवत्ता परीक्षण

हेतु प्रयोगशाला में भेजी जानी चाहिए। गुणवत्ता जाँच की रिपोर्ट प्राप्त हाने के पश्चात ही सही गुणवत्ता वाली टायलों का प्रयोग इण्टरलाकिंग सडक निर्माण में किया जाना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत मदनपुर द्वारा वर्ष 2021-22 में चतुर्थ राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्यों में उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार टायल्स की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कराया गया था। अग्रेतर जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु पी0डब्ल्यू0डी0 एवं आई0आर0सी0द्वारा निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार टायल्स की मोटाई का आगणन में 80 एमएम किया गया था। किन्तु आपूर्ति बिल एवं माप पुस्तिका में मोटाई का अंकन न होने से यह स्पष्ट नहीं था कि कार्य में जो टायल प्रयोग किया गया वह आगणन की विशिष्टयों के अनुसार था अथवा नहीं। अग्रेतर जाँच में पाया गया कि उनकी गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कराया गया था। बिना टायल्स की मोटाई सुनिश्चित किएवं गुणवत्ता परीक्षण किकार्य पर रू0 1,07,00,692=00 का अनियमित व्यय किया गया तथा आपूर्ति टायल्स की मोटाई एवं परीक्षण न कराये जाने से कार्य गुणवत्तायुक्त न होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखा परीक्षण में उत्तर मान्य नहीं है क्योकि आगणन में प्रावधान होने के बावजूद टायल्स 80 एमएम की मोटाई का सुनिश्चित नहीं किया गया और न ही सी0सी0टायल्स की गुणवत्ता परीक्षण कराया गया था। अत: रू0 1,07,00,692=00 के अनियमित व्यय के सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-17- संक्रमित धनराशि का 50 प्रतिशत भाग सार्वजनिक भवनों एवं पूर्व में सृजित परिसम्पत्तिओं के रख-रखाव पर व्यय न करना - शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-05-03-2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के प्रस्तर संख्या 06 के अनुसार- क्षेत्र पचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यय यथावश्यकता क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तिओं यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय,, कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम, आदि की मरम्मत हेतु और रख-रखाव पर अवश्यक किया जाये, शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुविकास कार्यों/सृजित परिसम्पत्तिओं के रख-रखाव पर तथा इसी प्रकारके नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत द्वारा विकास-खण्ड कार्यालय की चाहरदीवारी उच्चीकरण पर रू0 4,85,897=00 एवं साधन सहकारी समिति की छत मरम्मत/परिसर में इण्टरलाकिंग नगला खंगर पर रू0 5,73,061=00 कुल रू0 10,58,958=00 उपरोक्त शासनादेश की अनदेखी कर व्यय किये गये हे।। जिस हेतु ब्लॉक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-18- जी0एस0टी0 न काटकर राजस्व को हानि पहुँचना - सी0जी0एस0टी0अधिनियम 2017 की धारा 51 के अनुसार सदि किसी ठेके या उप ठेके का प्रतिफल 2,50,000 से अधिक हो तो जी0एस0टी0 की कटौती की जायेगी जो दो प्रतिशत के बराबर होगी। क्षेत्र पंचायत मदनपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माण कार्यों हेतु क्रय कुल सामग्री रू0 2,11,11,807=00 के आधार पर निर्धारित दर 2% प्रतिशत के आधार पर जी0एस0टी0 कुल रू0 4,22,236=14 की वसूली राजकीय कोष में जमा न कराकर फर्मों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाया गया है। जिसकी वसूली सी0जी0एस0टी0अधिनियम 2017 के अधीन व्यवस्थानुसार सम्बन्धित सप्लायर्स से की जानी अपेक्षित है ऐसा न होने की स्थिति में ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि रू0 4,22,236=14

(5) क्षेत्र पंचायत एका

प्रस्तर 19- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान - वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक में निर्माण कार्यों पर अंकन क्रमश: रू0 32,44,900=00, रू0 41,93,420=00 कुल रू0 74,38,320=00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारिओं को किया गया है। श्रमिक/मजदूरो के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी

व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन रू0 74,38,320=00 का वर्ष 2020-21 से 2021-22 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिजे0ई0/ कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली सम्बन्धित से ता-तारीख सूद सहित की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि रू0 74,38,320=00

प्रस्तर-20- जी0एस0टी0 न काटकर राजस्व को हानि पहुँचना - सी0जी0एस0टी0अधिनियम 2017 की धारा 51 के अनुसार सदि किसी ठेके या उप ठेके का प्रतिफल 2,50,000=00 से अधिक हो तो जी0एस0टी0 की कटौती की जायेगी जो दो प्रतिशत के बराबर होगी। क्षेत्र पंचायत एका द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 में निर्माण कार्यों हेतु क्रय कुल सामग्री क्रमश: रू0 1,71,45,226=00, 1,77,99,460=00 के आधार पर निर्धारित दर 2% प्रतिशत के आधार पर जी0एस0टी0 क्रमश: रू0 3,42,905=00, 3,55,989=00 कुल रू0 6,98,894=00 की वसूली राजकीय कोष में जमा न कराकर फर्मों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाया गया है। जिसकी वसूली सी0जी0एस0टी0अधिनियम 2017 के अधीन व्यवस्थानुसार सम्बन्धित सप्लायर्स से की जानी अपेक्षित है ऐसा न होने की स्थिति में ब्लाक प्रमुख, श्री रविकान्त सिंह, श्री प्रकाश लवानिया, श्री रजत कुशवाहा खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री रामपाल सिंह लेखाकार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि रू0 6,98,894=00

प्रस्तर-21- इण्टरलाकिंग ईंटों का परीक्षण किये बिना अधोमानक रूप से निर्माण कार्य कराना -मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उ0प्र0लखनऊ के पत्रांक सी0ई0सी0जेडसा0/17 दिनांक 31 जनवरी 2007 द्वारा ग्रामीण सडकों में प्रयुक्त होने वाली इण्टरलाकिंग टायल्स की गुणवत्ता एवं मोटाई सुनिश्चित करने के लिव्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसके अनुसार इण्टरलाकिंग टायल्स का प्रयोग करने के पूर्व प्रत्येक 500 टायल्स में से एक टायल गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजी जानी चाहिए। गुणवत्ता जाँच की रिपोर्ट प्राप्त हाने के पश्चात ही सही गुणवत्ता वाली टायलों का प्रयोग इण्टरलाकिंग सडक निर्माण में किया जाना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत नारखी द्वारा वर्ष 2021-22 में चतुर्थ राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्यों में उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार टायल्स की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कराया गया था। अग्रेतर जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु पी0डब्ल्यू0डी0 एवं आई0आर0सी0द्वारा निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार टायल्स की मोटाई का आगणन में 80 एमएम किया गया था। किन्तु आपूर्ति बिल एवं माप पुस्तिका में मोटाई का अंकन न होने से यह स्पष्ट नहीं था कि कार्य में जो टायल प्रयोग किया गया वह आगणन की विशिष्टयों के अनुसार था अथवा नहीं। अग्रेतर जाँच में पाया गया कि उनकी गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कराया गया था। बिना टायल्स की मोटाई सुनिश्चित किएवं गुणवत्ता परीक्षण किकार्य पर रू0 2,67,87,590=00 का अनियमित व्यय किया गया तथा आपूर्ति टायल्स की मोटाई एवं परीक्षण न कराये जाने से कार्य गुणवत्तायुक्त न होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखा परीक्षण में उत्तर मान्य नहीं है क्योकि आगणन में प्रावधान होने के बावजूद टायल्स 80 एमएम की मोटाई का सुनिश्चित नहीं किया गया और न ही सी0सी0टायल्स की गुणवत्ता परीक्षण कराया गया था। अत: रू0 2,67,87,590=00 के अनियमित व्यय के सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-22- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना - क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिकार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अन्तग्रामित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत एका द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक कराये हुसमस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताभ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य

में रोकने की आवश्यकता न पडे। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिजिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत एका द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रकृिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रकृिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। रू0 4,23,83,006=00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 में क्षेत्र पंचायत एका द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय रू0 4,23,83,006=00 के दुरूपयोग के सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(6) क्षेत्र पंचायत शिकोहाबाद

प्रस्तर-23- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान - वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक में निर्माण कार्यों पर अंकन क्रमश: रू0 19,47,020=00, रू0 1,87,815=00 कुल रू0 21,34,835=00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारिओं को किया गया है। श्रमिक/मजदूरो के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन रू0 21,34,835=00 का वर्ष 2020-21 से 2021-22 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है जिसके लिश्री अरविन्द कुमार जे0ई0/ श्री जसवन्त सिंह श्री सूरजपाल सिंह, ए0डी0ओ0 कार्यप्रभारी/ श्री मती प्रवीना शुक्ला, श्री प्रेमपाल सिंह, श्री मती विमला देवी खण्ड विकास अधिकारी/ श्री मती प्रिया यादव ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली सम्बन्धित से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि रू0 21,34,835=00

प्रस्तर-24- जी0एस0टी0 न काटकर राजस्व को हानि पहुँचना - सी0जी0एस0टी0अधिनियम 2017 की धारा 51 के अनुसार सदि किसी ठेके या उप ठेके का प्रतिफल 2,50,000=00 से अधिक हो तो जी0एस0टी0 की कटौती की जायेगी जो दो प्रतिशत के बराबर होगी। क्षेत्र पंचायत शिकोहाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 में निर्माण कार्यों हेतु क्रय कुल सामग्री क्रमश: रू0 2,47,86,784=00, 1,78,77,488=00 के आधार पर निर्धारित दर 2% प्रतिशत के आधार पर जी0एस0टी0 क्रमश: रू0 4,95,736=00, 3,57,550=00 कुल रू0 8,53,286=00 की वसूली राजकीय कोष में जमा न कराकर फर्मों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाया गया है। जिसकी वसूली सी0जी0एस0टी0अधिनियम 2017 के अधीन व्यवस्थानुसार सम्बन्धित सप्लायर्स से की जानी अपेक्षित है ऐसा न होने की स्थिति में ब्लाक प्रमुख, श्री मती प्रवीना शुक्ला, श्री प्रेमपाल सिंह, श्री मती विमला देवी खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री दलवीर सिंह लेखाकार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि रू0 8,53,286=00

प्रस्तर-25- इण्टरलाकिंग ईंटों का परीक्षण किये बिना अधोमानक रूप से निर्माण कार्य कराना -मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उ0प्र0लखनऊ के पत्रांक सी0ई0सी0जेडसा0/17 दिनांक 31 जनवरी 2007 द्वारा ग्रामीण सडकों में प्रयुक्त होने वाली इण्टरलाकिंग टायल्स की गुणवत्ता एवं मोटाई सुनिश्चित करने के लिव्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसके अनुसार इण्टरलाकिंग टायल्स का प्रयोग करने के पूर्व प्रत्येक 500 टायल्स में से एक टायल गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजी जानी चाहिए। गुणवत्ता जाँच की रिपोर्ट प्राप्त हाने के पश्चात ही सही गुणवत्ता वाली टायलों का प्रयोग इण्टरलाकिंग सडक निर्माण में किया जाना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में चतुर्थ राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्यों में उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार टायल्स की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कराया गया था। अग्रेतर जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु पी0डब्ल्यू0डी0 एवं आई0आर0सी0द्वारा निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार टायल्स की मोटाई का आगणन में 80 एमएम किया गया था। किन्तु आपूर्ति बिल एवं माप पुस्तिका में मोटाई का अंकन न होने से यह स्पष्ट नहीं था कि कार्य में जो टायल प्रयोग किया गया वह आगणन की विशिष्टयों के अनुसार था अथवा नहीं। अग्रेतर जाँच में पाया गया कि उनकी गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कराया गया था। बिना टायल्स की मोटाई सुनिश्चित किएवं गुणवत्ता परीक्षण किकार्य पर रू0 20,18,428=00 का अनियमित व्यय किया गया तथा आपूर्ति टायल्स की मोटाई एवं परीक्षण न कराये जाने से कार्य गुणवत्तायुक्त न होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
लेखा परीक्षण में उत्तर मान्य नहीं है क्योकि आगणन में प्रावधान होने के बावजूद टायल्स 80 एमएम की मोटाई का सुनिश्चित नहीं किया गया और न ही सी0सी0टायल्स की गुणवत्ता परीक्षण कराया गया था। अत: रू0 20,18,428=00 के अनियमित व्यय के सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-26- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना - क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिकार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अन्तग्रामित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत शिकोहाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक कराये हुसमस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताभ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पडे। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिजिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत शिकोहाबाद द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रकृिया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रकृिया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। रू0 4,47,99,107=00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 में क्षेत्र पंचायत शिकोहाबाद द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय रू0 4,47,99,107=00 के दुरूपयोग के सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(7) क्षेत्र पंचायत हाथवन्त

प्रस्तर-27- श्रमांश के मद में मजदूरों को काल्पनिक मस्टररोल द्वारा भुगतान - वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक में निर्माण कार्यों पर अंकन क्रमश: रू0 21,66,300=00, रू0 6,01,880=00 कुल रू0 27,68,180=00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारिओं को किया गया है। श्रमिक/मजदूरो के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित हैं वह प्रमाणित नहीं है। सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टररोल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन रू0 27,68,180=00 का वर्ष 2020-21 से 2021-22 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिश्री राकेश कुमार जे0ई0/ श्री महेश शाक्य, श्री नागेन्द्र पाल सिंह, श्री नन्द किशोर चाहर, ए0डी0ओ0 कार्यप्रभारी/ श्री अजय कुमार, श्री रामअवतार सिंह, श्री मती विमला देवी खण्ड विकास अधिकारी/ श्री सुरेशचन्द्र यादव ब्लॉक प्रमुख समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि रू0 27,68,180=00

प्रस्तर-28- जी0एस0टी0 न काटकर राजस्व को हानि पहुँचना - सी0जी0एस0टी0अधिनियम 2017 की धारा 51 के अनुसार सदि किसी ठेके या उप ठेके का प्रतिफल 2,50,000=00 से अधिक हो तो जी0एस0टी0 की कटौती की जायेगी जो दो प्रतिशत के बराबर होगी। क्षेत्र पंचायत हाथवन्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 में निर्माण कार्यों हेतु क्रय कुल सामग्री क्रमश: रू0 1,27,71,409=00, 73,75,575=00 के आधार पर निर्धारित दर 2% प्रतिशत के आधार पर जी0एस0टी0 क्रमश: रू0 2,55,428=00, 1,47,512=00 कुल रू0 4,02,940=00 की वसूली राजकीय कोष में जमा न कराकर फर्मों/सप्लायर्स को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाया गया है। जिसकी वसूली सी0जी0एस0टी0अधिनियम 2017 के अधीन व्यवस्थानुसार सम्बन्धित सप्लायर्स से की जानी अपेक्षित है ऐसा न होने की स्थिति में श्री सुरेशचन्द्र यादव, ब्लाक प्रमुख, श्री अजय कुमार, श्री रामअवतार सिंह, श्री मती विमला देवी खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि रू0 4,02,940=00

प्रस्तर-29- इण्टरलाकिंग ईंटों का परीक्षण किये बिना अधोमानक रूप से निर्माण कार्य कराना -मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उ0प्र0लखनऊ के पत्रांक सी0ई0सी0जेडसा0/17 दिनांक 31 जनवरी 2007 द्वारा ग्रामीण सडकों में प्रयुक्त होने वाली इण्टरलाकिंग टायल्स की गुणवत्ता एवं मोटाई सुनिश्चित करने के लिव्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसके अनुसार इण्टरलाकिंग टायल्स का प्रयोग करने के पूर्व प्रत्येक 500 टायल्स में से एक टायल गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजी जानी चाहिए। गुणवत्ता जाँच की रिपोर्ट प्राप्त हाने के पश्चात ही सही गुणवत्ता वाली टायलों का प्रयोग इण्टरलाकिंग सडक निर्माण में किया जाना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में चतुर्थ राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्यों में उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार टायल्स की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कराया गया था। अग्रेतर जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु पी0डब्ल्यू0डी0 एवं आई0आर0सी0द्वारा निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार टायल्स की मोटाई का आगणन में 80 एमएम किया गया था। किन्तु आपूर्ति बिल एवं माप पुस्तिका में मोटाई का अंकन न होने से यह स्पष्ट नहीं था कि कार्य में जो टायल प्रयोग किया गया वह आगणन की विशिष्टयों के अनुसार था अथवा नहीं। अग्रेतर जाँच में पाया गया कि उनकी गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कराया गया था। बिना टायल्स की मोटाई सुनिश्चित किएवं गुणवत्ता परीक्षण किकार्य पर रू0 3,53,509=00 का अनियमित व्यय किया गया तथा आपूर्ति टायल्स की मोटाई एवं परीक्षण न कराये जाने से कार्य गुणवत्तायुक्त न होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखा परीक्षण में उत्तर मान्य नहीं है क्योकि आगणन में प्रावधान होने के बावजूद टायल्स 80 एमएम की मोटाई का सुनिश्चित नहीं किया गया और न ही सी0सी0टायल्स की गुणवत्ता परीक्षण कराया गया था। अत: रू0 3,53,509=00 के अनियमित व्यय के सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-30- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना - क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिकार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अन्र्तग्रामित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत हाथवन्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक कराये हुसमस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताभ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पडे। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिजिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत हाथवन्त द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रकिृया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रकिृया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। रू0 2,39,76,969=00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 में क्षेत्र पंचायत हाथवन्त द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय रू0 2,39,76,969=00 के दुरूपयोग के सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(8) क्षेत्र पंचायत जसराना

प्रस्तर-31- नियमों की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराकर संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचाना - क्षेत्र पंचायत का प्राथमिक कार्य दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिकार्य कराये जायें अर्थात् क्षेत्र पंचायतें अन्तग्रामित सडको पर ही कार्य कराने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त सभी नियमों व शासनादेशों की अनदेखी कर क्षेत्र पंचायत जसराना द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 तक कराये हुसमस्त निर्माण कार्य एक ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के फलस्वरूप अनियमितताभ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है जबकि कार्य कराने के लिग्राम पंचायतों की अनुमन्यता पूर्व में अवश्य प्राप्त कर ली जाये जिससे कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी विवाद के कारण कार्य मध्य में रोकने की आवश्यकता न पडे। कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव लिया जाना चाहिजिससे यह स्पष्ट हो सके कि कराये गये कार्यों की आवश्यकता ग्राम पंचायतों को थी अथवा नहीं। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

क्षेत्र पंचायत जसराना द्वारा निर्माण कार्य कराते समय अपनायी गयी टेण्डर की समस्त प्रकिृया पारदर्शी नहीं थी जिससे उसे प्रतियोगी दर का लाभ नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त भुगतान प्रकिृया के समय मजदूरी/ आपूर्ति सामग्री का भुगतान एकल चैक द्वारा ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट के अभाव में किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं हैं। रू0 1,11,72,502=00 के निर्माण कार्य जानबूझकर नियमों की अनदेखी करके कराये गये हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत जसराना द्वारा उपरोक्तानुसार अधोमानक कार्यों पर अनियमित रूप से व्यय रू0 1,11,72,502=00 के दुरूपयोग के सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-32- अपारदर्शी निविदा प्रक्रिया के द्वारा चुनिंदा फर्मों से निर्माण सामग्री क्रय करना -

वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग एवं 15वां वित्त आयोग से संक्रमित धनराशि से रू0 1,14,08,616.00 के कुल 15 कार्य कराये गये हैं जिनके लिये रू0 1,14,08,616.00 की निर्माण सामग्री आपूर्ति के लिये चुनिन्दा 04 फर्मों से ही प्राप्त हुई है, जिस प्रक्रिया में निम्न कमिया पायीं गयीं-

(ए) आपूर्तिकर्ता क्षेत्र पंचायत में पंजीकृत नहीं है और अनुमोदित ठकेदारों का एक रजिस्टर प्रपत्र संख्या नि0का0.1 भी कार्यालय में नहीं रखा गया है।

(बी) कतिपय निविदाओं के साथ अनुभव प्रमाण पत्र/आयकर/बिक्री कर प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

(सी) निविदा खोले जाने के समय ईंट बालू व इण्टरलाकिंग ईंट आदि का नमूना प्रस्तुत करने/ नमूना जाँच का कोई साक्ष्य किसी पत्रावली में नहीं पाया गया।

(डी) निविदा प्रपत्र पर मात्र प्राक्कलन दर से कुछ प्रतिशत अधिक या कुछ प्रतिशत कम पर लिये जाने हेतु दर अंकित है किन्तु किसी पत्रावली में निर्माण सामग्री की वास्तविक दर सामग्रीवार अंकित नहीं है।

(ई) निविदायें सील्ड लिफाफों में उनके संलग्नकों के साथ नहीं प्राप्त की गयी हैं बल्कि पत्रावली पूर्ण करने के लिनिविदाओं के साथ लिफाफे व संलग्नक लगाकर औपचारिकतायें बाद में पूर्ण की गयीं हैं।

(एफ) प्रत्येक निविदा प्रकिृया के समय यही चुनिंदा फ़र्में ही टेण्डर हेतु आवेदन कर रही हैं जो पूर्ण प्रकिृया की गोपनीयता भंग कर उसे अपारदर्शी बनाता है।

(जी) आपसी मिली-भगत के उपरान्त स्वीकृत टेण्डरों से सामग्री की आपूर्ति उक्त फ़र्मों के कच्चे बिलों पर ही ली गयी है जिस पर न तो बुक नं0 और न ही इनवॉइस नं0 प्रिण्टिेड है। इसके अतिरिक्त आपूर्ति सामग्री पर वैट की कोई दर भी आगणित नहीं है।

(एच) वित्तीय वर्ष 2021-22 तक कराये गये कुल 15 कार्यों में मात्र 04 फ़र्मों (शालिनी कन्सट्रक्सन, कमलेश कन्सट्रक्शन, अजय सिंह कान्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर्स एवं दिनेश कान्ट्रैक्टर) को ही सामग्री आपूर्ति का टेण्डर स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और न ही यह प्रक्रिया वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त के अनुरूप है। इसके लिये प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं खण्ड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद - मैनपुरी मण्डल - आगरा

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 जनपद - मैनपुरी

क्षेत्र पंचायत - सुल्तानगंज वर्ष 2021-2022

प्रस्तर 01 - क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में फेरू सिंह के घर से शोभा राम के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रू0 951541.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र राय एवं लेखाकार श्री नवनीत कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 20)

प्रस्तर 02 - क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में अमरपाल के घर से विजय बहादुर के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रू0 992012.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र राय एवं लेखाकार श्री नवनीत कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 21)

प्रस्तर 03 - क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में सोभाराम की झोपड़ी से अनार सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रू0 781417.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र राय एवं लेखाकार श्री नवनीत कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 22)

प्रस्तर 04- क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में राम सिंह के घर से गंगा चरन के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रू0 941572.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र राय एवं लेखाकार श्री नवनीत कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 23)

प्रस्तर 05 - क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में अतर सिंह के घर से जबर सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रू0 837749.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र राय एवं लेखाकार श्री नवनीत कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 24)

प्रस्तर 06 - क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में अहिरवां में नन्दी बाबा से वर्माजीत के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रू0 976176.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र राय एवं लेखाकार श्री नवनीत कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 25)

प्रस्तर 07- क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में सूरजपुर बरा में बादाम सिंह के घर से सुनील के खेत तक इण्टरलाकिंग का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रू0 835916.00 का भुगतान अनियमित रहा।

अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र राय एवं लेखाकार श्री नवनीत कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 26)

प्रस्तर 08 - क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में राकेश के घर से शेर सिंह के घर तक नाली निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रू0 384059.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रेम चन्द्र राय एवं लेखाकार श्री नवनीत कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या 27)

क्षेत्र पंचायत - मैनपुरी (वर्ष 2016-17 से 2018-19)

प्रस्तर 09 . क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में करीमगंज में बेचेलाल के घर से रामलाल के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रू0 622197.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम शिरोमणि मौर्य, दिलीप कु0 सोनकर एवं जे0के0 त्रिवेदी, ख0वि0अधि0 एंव लेखाकार श्री शिवओम दुबे, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।(आपत्ति संख्या 21)

प्रस्तर 10 . क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 में रूपपुर में राजेश के घर से चरन सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रू0 241587.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम शिरोमणि मौर्य, दिलीप कु0 सोनकर एवं जे0के0 त्रिवेदी, ख0वि0अधि0 एंव लेखाकार श्री शिवओम दुबे, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।(आपत्ति संख्या 22)

प्रस्तर 11 . क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में कमलपुर में प्रभु दयाल के घर से सत्यवीर के खेत तक इण्टरलाकिंग का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रू0 868782.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिलीप कु0 सोनकर, प्रमोद कु0 चतुर्वेदी, अजय कु0 त्रिवेदी एवं एन0के0 अग्रवाल ,ख0वि0अधि0 एंव लेखाकारी श्री शिवओम दुबे, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 23)

प्रस्तर 12 क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में करीमगंज में सीताराम के घर से इन्द्रपाल के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रू0 201703.86 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिलीप कु0 सोनकर, प्रमोद कु0 चतुर्वेदी, अजय कु0 त्रिवेदी एवं एन0के0 अग्रवाल ,ख0वि0अधि0 एंव लेखाकारी श्री शिवओम दुबे, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 24)

प्रस्तर 13 . क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में अगौथा में रघुवीर दिवाकर के घर से कप्तान सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रू0 374388.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिलीप कु0 सोनकर, प्रमोद कु0 चतुर्वेदी, अजय कु0 त्रिवेदी एवं एन0के0 अग्रवाल ,ख0वि0अधि0 एंव लेखाकार श्री शिवओम दुबे, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 25)

प्रस्तर 14 क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में करीमगंज में राजेन्द्र पाण्डेय के घर से दिनेश पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रू0 508243.40 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिलीप कु0 सोनकर, प्रमोद कु0 चतुर्वेदी, अजय कु0 त्रिवेदी एवं एन0के0 अग्रवाल ,ख0वि0अधि0 एंव लेखाकार श्री शिवओम दुबे, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।(आपत्ति संख्या 26)

प्रस्तर 15 क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में करीमगंज में सुभाष चन्द्र के घर से लक्ष्मी नरायन के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रू0 397954.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिलीप कु0 सोनकर, प्रमोद कु0 चतुर्वेदी, अजय कु0 त्रिवेदी एवं एन0के0 अग्रवाल ,ख0वि0अधि0 एंव लेखाकार श्री शिवओम दुबे, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या 27)

प्रस्तर 16 . क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में करीमगंज में किशन दुबे के घर से महमूद खां के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रू0 738882.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिलीप कु0 सोनकर, प्रमोद कु0 चतुर्वेदी, अजय कु0 त्रिवेदी एवं एन0के0 अग्रवाल ,ख0वि0अधि0 एंव लेखाकार श्री शिवओम दुबे, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या 28)

प्रस्तर 17 क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में दिवलपुर में किशन लाल के घर से राम लड़ौते के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रू0 413372.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिलीप कु0 सोनकर, प्रमोद कु0 चतुर्वेदी, अजय कु0 त्रिवेदी एवं एन0के0 अग्रवाल ,ख0वि0अधि0 एंव लेखाकार श्री शिवओम दुबे, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 29)

प्रस्तर 18 . क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में दिवलपुर में मुरारी के घर से अमरपाल के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रू0 546137.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिलीप कु0 सोनकर, प्रमोद कु0 चतुर्वेदी, अजय कु0 त्रिवेदी एवं एन0के0 अग्रवाल ,ख0वि0अधि0 एंव लेखाकार श्री शिवओम दुबे, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 30)

प्रस्तर 19 . क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में पीरपुर में भौरों के घर से मुन्नालाल के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रू0 767976.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिलीप कु0 सोनकर, प्रमोद कु0 चतुर्वेदी, अजय कु0 त्रिवेदी एवं एन0के0 अग्रवाल ,ख0वि0अधि0 एंव लेखाकार श्री शिवओम दुबे, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 31)

प्रस्तर 20 . क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक व्याज के मद मेंप्राप्त धनराशि में से रुपया 17598.03 का भुगतान बैंक चार्जेज एवम अकश्मिक व्यय किया गया जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट एवम सम्बंधित अभिलेखों से कर ली गयी हैं.अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दिलीप कु0 सोनकर, प्रमोद कु0 चतुर्वेदी, अजय कु0 त्रिवेदी एवं एन0के0 अग्रवाल ,ख0वि0अधि0 एंव लेखाकार श्री शिवओम दुबे, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 18)

क्षेत्र पंचायत- बेबर (वर्ष 2021-22)

प्रस्तर 21 -कार्य का नामः-विकास खण्ड बेबर में ग्राम न0 दुधी (गंगरवाला) में सुखवीर के घर से बाबूराम के घर तक इण्टरलांकिग।

स्वीकृत/अनुमानित लागतः-09.00 लाख कार्य प्रभारीः- श्री राजीव कुमार, जे0ई0 (आर0ई0डी0)

उक्त के सम्बन्ध में निम्न कमियां प्रकाश में आयीं:-

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियो से प्राप्त धन राशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 17/19/33-2010-48/2007दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ/पंचम वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 1839/33-03-2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किये गये कार्य की मरम्मत एवं नये कार्य कराये जायेंगें। उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करतें हैं, उपरोक्त व्यय इस शासनादेश का स्पष्ट विचलन को दर्शाता है। कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रु 900000.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजयपाल सिंह एंव लेखाकार श्री उदयवीर, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है (आपत्ति संख्या-1)

प्रस्तर 22 -कार्य का नामः- ग्राम खजुरिया में चैखेलाल के मकान से जयवीर के घर तक इण्टरलांकिग

स्वीकृत/अनुमानित लागतः-06.35 लाख कार्य प्रभारीः- श्री राजीव कुमार, जे0ई0 (आर0ई0डी0)

उक्त के सम्बन्ध में निम्न कमियां प्रकाश में आयीं:-

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियो से प्राप्त धन राशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 17/19/33-2010-48/2007दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ/पंचम वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 1839/33-03-2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किये गये कार्य की मरम्मत एवं नये कार्य कराये जायेंगें। उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करतें हैं, उपरोक्त व्यय इस शासनादेश का स्पष्ट विचलन को दर्शाता है। कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रु 635000.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजयपाल सिंह एंव लेखाकार श्री उदयवीर, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-2)

प्रस्तर 23 -कार्य का नामः- ग्राम बखरिया मे जमादार के घर से पप्पू के घर तक इण्टरलांकिग
स्वीकृत/अनुमानित लागतः-05.18 लाख कार्य प्रभारीः- श्री राजीव कुमार, जे0ई0 (आर0ई0डी0)
उक्त के सम्बन्ध में निम्न कमियां प्रकाश में आयीं:-
राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियो से प्राप्त धन राशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 17/19/33-2010-48/2007दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ/पंचम वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 1839/33-03-2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किये गये कार्य की मरम्मत एवं नये कार्य कराये जायेंगें। उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करतें हैं, उपरोक्त व्यय इस शासनादेश का स्पष्ट विचलन को दर्शाता है। कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रु 518000.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजयपाल सिंह एंव लेखाकार श्री उदयवीर, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-3)
प्रस्तर 24 -कार्य का नामः- नैकामउ में रविन्द्र के घर से देवेन्द्र के घर तक इण्टरलांकिग
स्वीकृत/अनुमानित लागतः-05.35 लाख कार्य प्रभारीः- श्री राजीव कुमार, जे0ई0 (आर0ई0डी0)
उक्त के सम्बन्ध में निम्न कमियां प्रकाश में आयीं:-
राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियो से प्राप्त धन राशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 17/19/33-2010-48/2007दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ/पंचम वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 1839/33-03-2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किये गये कार्य की मरम्मत एवं नये कार्य कराये जायेंगें। उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करतें हैं, उपरोक्त व्यय इस शासनादेश का स्पष्ट विचलन को दर्शाता है। कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रु 535000.00 का भुगतान अनियमित रहा। रहा अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजयपाल सिंह एंव लेखाकार श्री उदयवीर, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (आ सं-4)

प्रस्तर 25 -कार्य का नामः- ग्राम तरवादेव में रमेशपाल के घर से मुन्नालाल के घर तक इण्टरलांकिग
स्वीकृत/अनुमानित लागतः-09.61 लाख कार्य प्रभारीः- श्री राजीव कुमार, जे0ई0 (आर0ई0डी0)
उक्त के सम्बन्ध में निम्न कमियां प्रकाश में आयीं:-
राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियो से प्राप्त धन राशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 17/19/33-2010-48/2007दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ/पंचम वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 1839/33-03-2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किये गये कार्य की मरम्मत एवं नये कार्य कराये जायेंगें। उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करतें हैं, उपरोक्त व्यय इस शासनादेश का स्पष्ट विचलन को दर्शाता है। कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रु 961000.00 का भुगतान अनियमित रहा। रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजयपाल सिंह एंव लेखाकार श्री उदयवीर, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-5)
प्रस्तर 26 -कार्य का नामः- शिवसिंहपुर में हरिभान के घर से राजेश के घर तक इण्टरलांकिग
स्वीकृत/अनुमानित लागतः-05.78 लाख कार्य प्रभारीः- श्री राजीव कुमार, जे0ई0 (आर0ई0डी0)
उक्त के सम्बन्ध में निम्न कमियां प्रकाश में आयीं:-
राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियो से प्राप्त धन राशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 17/19/33-2010-48/2007दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ/पंचम वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 1839/33-03-2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को

आच्छादित करने वाले पूर्व में किये गये कार्य की मरम्मत एवं नये कार्य कराये जायेंगें। उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करतें हैं, उपरोक्त व्यय इस शासनादेश का स्पष्ट विचलन को दर्शाता है। कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रु 578000.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजयपाल सिंह एंव लेखाकार श्री उदयवीर, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-6)

प्रस्तर 27 -कार्य का नामः- हिमायूपुर में रामदेव के घर से वेदराम के घर तक इण्टरलांकिग
स्वीकृत/अनुमानित लागतः-09.33 लाख कार्य प्रभारीः- श्री राजीव कुमार, जे0ई0 (आर0ई0डी0)
उक्त के सम्बन्ध में निम्न कमियां प्रकाश में आयीं:-
राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियो से प्राप्त धन राशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 17/19/33-2010-48/2007दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ/पंचम वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 1839/33-03-2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किये गये कार्य की मरम्मत एवं नये कार्य कराये जायेंगें। उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करतें हैं, उपरोक्त व्यय इस शासनादेश का स्पष्ट विचलन को दर्शाता है। कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रु 933000.00 का भुगतान अनियमित रहा। रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजयपाल सिंह एंव लेखाकार श्री उदयवीर, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-7)

प्रस्तर 28 -कार्य का नामः- नगला विद्रा में विजय सिंह से रिन्कु के घर तक इण्टरलांकिग
स्वीकृत/अनुमानित लागतः-08.74 लाख कार्य प्रभारीः- श्री राजीव कुमार, जे0ई0 (आर0ई0डी0)
उक्त के सम्बन्ध में निम्न कमियां प्रकाश में आयीं:-
राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियो से प्राप्त धन राशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 17/19/33-2010-48/2007दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ/पंचम वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 1839/33-03-2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किये गये कार्य की मरम्मत एवं नये कार्य कराये जायेंगें। उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करतें हैं, उपरोक्त व्यय इस शासनादेश का स्पष्ट विचलन को दर्शाता है। कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रु 874000.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजयपाल सिंह एंव लेखाकार श्री उदयवीर, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।(आपत्ति संख्या-8)
प्रस्तर 29 -कार्य का नामः- ग्राम मधुकरपुर में शिवसरन के घर से विमल अवस्थी के प्लाट तक इण्टरलांकिग
स्वीकृत/अनुमानित लागतः-09.56 लाख कार्य प्रभारीः- श्री राजीव कुमार, जे0ई0 (आर0ई0डी0)
उक्त के सम्बन्ध में निम्न कमियां प्रकाश में आयीं:-
राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियो से प्राप्त धन राशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 17/19/33-2010-48/2007दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ/पंचम वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 1839/33-03-2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किये गये कार्य की मरम्मत एवं नये कार्य कराये जायेंगें। उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करतें हैं, उपरोक्त व्यय इस शासनादेश का स्पष्ट विचलन को दर्शाता है। कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रु 956000.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजयपाल सिंह एंव लेखाकार श्री उदयवीर, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-9)
प्रस्तर 30 -कार्य का नामः- ग्राम किशनपुर में शिवराज सिंह के घर से किशनपाल के घर तक इण्टरलांकिग
स्वीकृत/अनुमानित लागतः-04.67 लाख कार्य प्रभारीः- श्री राजीव कुमार, जे0ई0 (आर0ई0डी0)
उक्त के सम्बन्ध में निम्न कमियां प्रकाश में आयीं:-

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियो से प्राप्त धन राशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 17/19/33-2010-48/2007दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ/पंचम वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 1839/33-03-2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किये गये कार्य की मरम्मत एवं नये कार्य कराये जायेंगें। उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करतें हैं, उपरोक्त व्यय इस शासनादेश का स्पष्ट विचलन को दर्शाता है। कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रु 467000.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजयपाल सिंह एंव लेखाकार श्री उदयवीर, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

प्रस्तर 31 -कार्य का नामः- ग्राम किशनपुर में भूरे लाल के घर से रवी के घर तक इण्टरलांकिग

स्वीकृत/अनुमानित लागतः-05.89 लाख कार्य प्रभारीः- श्री राजीव कुमार, जे0ई0 (आर0ई0डी0)

उक्त के सम्बन्ध में निम्न कमियां प्रकाश में आयीं:-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियो से प्राप्त धन राशि के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 17/19/33-2010-48/2007दिनांक 01.09.2010 के प्रस्तर 2.4 में एवं चतुर्थ/पंचम वित्त आयोग के उपयोग से संबंधित शासनादेश सं0 1839/33-03-2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में स्पष्ट किया गया है कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में किये गये कार्य की मरम्मत एवं नये कार्य कराये जायेंगें। उक्त कार्य केवल एक ही ग्राम पंचायत को आच्छादित करतें हैं, उपरोक्त व्यय इस शासनादेश का स्पष्ट विचलन को दर्शाता है। कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये जाने के कारण रु 589000.00 का भुगतान अनियमित रहा। अतः तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजयपाल सिंह एंव लेखाकार श्री उदयवीर, पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-11)

जनपद- अलीगढ़ मण्डल- अलीगढ़

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22:- क्षेत्र पंचायतें

1- संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत गोंडा जनपद- अलीगढ़ मण्डल- अलीगढ़

अपहरण -320005.00 दुर्विनियोग -0.00 अनियमितता 4668623.00 कुल सन्निहित धनराशि -4988628.00

प्रस्तर -1 टी0डी0एस0 कटौतियॉ की जमा की पुष्टि न कराया जाना।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत गोण्डा द्वारा निर्माण कार्यों पर हुए व्यय से निम्न विवरण के अनुसार कटौतियां की गयी हैं।

क्र0सं0	मद का नाम	वर्ष	धनराषि
1	टी0डी0एस0 आयकर	2021.22	48074-00

बार-बार मॉगे जाने के बाद भी चालान प्रस्तुत नही किये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा कटौतियॉ तो कर ली गयी हैं किन्तु इन्हें संगत लेख शीर्षकों/विभागों में जमा न करके अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार से विधिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम	वर्ष	सन्निहित धनराषि
1.	श्री अरविन्द कुमार दुवे(ख0वि0अ0) श्री चिन्ताराम (ख0वि0अ0) श्री विनय कुमार शर्मा (ख0वि0अ0) श्री कुलदीप कुमार (ख0वि0अ0) श्री सुरेश कुमार(लेखाकार)	2021.	9614. 9614. 9614. 9614. 9614.
		योग	48074.00

प्रस्तर -2-जी0एस0टी0 कटौतियॉ की जमा की पुष्टि न कराया जाना।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत गोण्डा द्वारा निर्माण कार्यों पर हुए व्यय से निम्न विवरण के अनुसार कटौतियां की गयी हैं।

क्र0सं0	मद का नाम	वर्ष	धनराषि
1	टी0डी0एस0 आयकर	2021.22	41788-00

बार-बार मॉगे जाने के बाद भी चालान प्रस्तुत नही किये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा कटौतियॉ तो कर ली गयी हैं किन्तु इन्हें संगत लेख शीर्षकों/विभागों में जमा न करके अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार से विधिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम	वर्ष	सन्निहित धनराषि
1.	श्री अरविन्द कुमार दुवे(ख0वि0अ0) श्री चिन्ताराम (ख0वि0अ0) श्री विनय कुमार शर्मा(ख0वि0अ0) श्री कुलदीप कुमार (ख0वि0अ0) श्री सुरेश कुमार(लेखाकार)	2021.	8357. 8357. 8357. 8357. 8357.
		योग	41788.00

प्रस्तर -3- सैस कटौतियॉ की जमा की पुष्टि न कराया जाना।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत गोण्डा द्वारा निर्माण कार्यों पर हुए व्यय से निम्न विवरण के अनुसार कटौतियां की गयी हैं।

क्र0सं0	मद का नाम	वर्ष	धनराषि
1	टी0डी0एस0 आयकर	2021.22	20894.00

बार-बार मॉगे जाने के बाद भी चालान प्रस्तुत नही किये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा कटौतियॉ तो कर ली गयी हैं किन्तु इन्हें संगत लेख शीर्षकों/विभागों में जमा न करके अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार से विधिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम	वर्ष	सन्निहित धनराषि
1.	श्री अरविन्द कुमार दुवे(ख0वि0अ0) श्री चिन्ताराम (ख0वि0अ0) श्री विनय कुमार शर्मा(ख0वि0अ0) श्री कुलदीप कुमार (ख0वि0अ0) श्री सुरेश कुमार(लेखाकार)	2021.	4178. 4178. 4178. 4178.
		योग	20894.00

प्रस्तर -4- नियमो की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराना—

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 सेक्शन 33(2) तथा शासनादेश संख्या 1838/33/-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 का अतिक्रमण कर सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति देकर केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग से संक्रमित धनराशि से निम्न लिखित कार्य कराये गये हैं-

क्रं0स0	कार्य का विवरण	वर्ष	व्यय धनराशि
1	2	3	4
1	दिगसारी में घूरे के घर से करतार के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	2021.22	110959
2	श्याम नगरिया से गोंडा में चिंता की नगरिया रोड पर भट्टा तक खड़ंजा निर्माण कार्य	2021.22	503765
3	पिपली में भूरा फौजी के मकान नितिन के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	2021.22	213909
4	कैमथल मे नेत्रपाल के घर से शमसान घाट तक खंडजा निर्माण कार्य	2021.22	308841
5	अलीगढ़ गोंडा रोड से सुरेंद्र सिंह के घर तक सीसी रोड	2021.22	473853
6	भैया मे उमेश गौतम के घर से हरीमोहन तक इण्टर लोकिग या खंडजा निर्माण कार्य	2021.22	150325
7	राजावल में गोराई रोड से लाखामा के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	2021.22	321375
8	सूरज करौली में अलीशेर के घर से धर्मेंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	2021.22	288778
9	ग्राम भांगड़ा देताजलालपुर में पथवारी मंदिर से भूरा एस ओ श्री भगवान सहाय के घर तक इंटरलॉकिन	2021.22	605736
	योग		**2977541.00**

उपरोक्त अधिनियम एवं शासनादेश की व्यवस्थानुसार क्षेत्र पंचायत एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराने हेतु अधिकृत है। उपरोक्त कार्यों के विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 33(2) एंव शासनादेश संख्या 1838/33/03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 की अनदेखी कर ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराये गये हैं जिससे डुप्लीकेसी की संभावनायें बनी रहती हैं। इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत द्वारा बताया गया है कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात निर्धारित प्राधिकारी से कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य कराये गये हैं। उत्तर मान्य नही है। क्योंकि अधिनियम एवं शासनादेशों के अनुसार ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराने का अधिकार क्षेत्र पंचायत को नही है। अतः रू0 **2977541.00** के अनिमियत व्यय के लिये ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एव अवर अभियंता सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

क्र0सं0	**उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम**	**वर्ष**	**सन्निहित धनराषि**
1.	श्री अरविन्द कुमार दुवे(ख0वि0अ0)	2021.	1. 2.

	श्री चिन्ताराम (ख0वि0अ0) श्री विनय कुमार शर्मा(ख0वि0अ0) श्री कुलदीप कुमार (ख0वि0अ0) श्री सुरेश कुमार(लेखाकार) श्री रामसेवक (अवर अभियन्ता)		3. 4. 5. 6.
		योग	**2977541.00**

प्रस्तर -5- <u>बिना गुणवत्ता परीक्षण के 80 एम0एम0 इण्टरलॉकिंग टाइल्स का प्रयोग निर्माण कार्यों में किया जाना।</u>

मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक सी0ई0सी0जेड0 सा0/17 दिनांक 31-01-2017 द्वारा ग्रामीण सड़कों में प्रयुक्त होने वाली इण्टरलाकिंग टाइल्स की गुणवत्ता एवं मोटाई सुनिश्चित करने के लिये व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसके अनुसार इण्टरलाकिंग टाइल्स का प्रयोग करने के पूर्व प्रत्येक 500 टाइल्स में से एक टाइल्स गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजी जानी चाहिए। गुणवत्ता जॉच की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही सही गुणवत्ता वाली टाइलों का प्रयोग इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण में किया जाना चाहिए।
क्षेत्र पंचायत गोण्डा द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 तक में राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से सक्रमित धनराशि से निम्न कार्य कराये गये।

क्र0स0	**कार्य का विवरण**	**वर्ष**	**व्यय धनराशि**
1	2	3	4
1	दिगसारी में घूरे के घर से करतार के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	2021.22	110959
2	पिपली में भूरा फौजी के मकान नितिन के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	2021.22	213909
3	भैया मे उमेश गौतम के घर से हरीमोहन तक इण्टर लोकिग या खंडजा निर्माण कार्य	2021.22	150325
4	राजावल में गोराई रोड से लाखामा के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	2021.22	321375
5	सूरज करौली में अलीशेर के घर से धर्मेंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	2021.22	288778
6	ग्राम भांगड़ा देताजलालपुर में पथवारी मंदिर से भूरा एस ओ श्री भगवान सहाय के घर तक इंटरलॉकिन	2021.22	605736
	योग		**1691082.00**

उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार टायल्स की गुणवत्ता का परीक्षण नही किया गया था। अग्रेतर जाच में पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु पी0डव्ल्यू0 द्वारा निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार टायल्स की मोटाई का आगणन में 80 एम0एम0 किया गया था। किन्तु आपूर्ति बिल एवं पुस्तिका में मोटाई का अकंन न होने से यह स्पष्ट नही था कि कार्य में जो टायल प्रयोग किया गया वह आगणन की विशिष्टयों के अनुसार था अथवा नही । अग्रेतर जांच में पाया गया कि उनकी गुणवत्ता का परीक्षण नही कराया गया था। बिना टायल्स की मोटाई सुनिश्चित किए एवं गुणवत्ता परीक्षण किए कार्य रु0 **1691082**.00 का अनियमित व्यय किया गया तथा आपूर्ति टायल्स की मोटाई एवं परीक्षण न कराये जाने से कार्य गुणवत्ता न होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है।
लेखा परीक्षण में उपरोक्त अनियमितताओं को इगिंत करने पर क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर में बताया गया कि भविष्य में इसका ध्यान जायेगा। लेखा परीक्षण में उत्तर मान्य नही है क्योंकि आगणन में प्रावधान होने के बावजूद टायल्स 80 एम0एम0 की मोटाई का सुनिश्चित नही किया गया और न ही सी0सी0 टायल्स की गुणवत्ता परीक्षण कराया गया था। अतः रु0 **1691082**.00 के अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर -6- <u>निविदा प्रपत्रों की बिक्री न कर क्षेत्र पंचायत को अर्थिक क्षति पहुॅचाना</u>

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन वित (लेखा)अनुभाग के शासनादेश संख्या -ए-1-864/दस-05-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रुपया 20000.00 से अधिक की सामग्री क्रय करने के लिये कोटेशन व 100000.00 से अधिक सामग्री क्रय करने हेतु निविदायें आमंत्रित की जायेगी। उक्त के अनुपालन में क्षेत्र पंचायत गोण्डा द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 12 कार्य के लिये निविदायें आमंत्रित की गयी। जिसमें प्रत्येक कार्य के लिये तीन-तीन निविदायें प्राप्त हुई। प्रत्येक निविदा पत्र का मूल्य रू0 500.00 निर्धारित था। जिससे क्षेत्र पंचायत अकराबाद को वर्ष 2021-22 में निविदा प्रपत्रों की बिक्री से रुपया (12×3××500== 18000.00) की आय होनी चाहिए थी। आपूर्तिकर्ता फर्मों को निविदा प्रपत्रों की बिक्री न कर क्षेत्र पंचायत को रू0 18000.00 अर्थिक क्षति हुई है। जिसके लिये निम्नलिखित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। अतः रू0 18000.00 की क्षतिपूर्ति खण्डविकास अधिकारी एवं लेखाकार से निम्न विवरण के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	**वर्ष**	**सन्निहित धनराषि**	**उत्तरदायी व्यक्ति का नाम**
1	**2021.22**	3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00	श्री अरविन्द कुमार दुवे(ख0वि0अ0) श्री चिन्ताराम (ख0वि0अ0) श्री विनय कुमार शर्मा(ख0वि0अ0) श्री कुलदीप कुमार (ख0वि0अ0) श्री सुरेश कुमार(लेखाकार) श्री रामसेवक (अवर अभियन्ता)
	योग	18000.00	

प्रस्तर -7-<u>देय रॉयल्टी नियमानुसार न काटकर राजकीय राजस्व को हानि पहुॅचाना।</u>

शासनादेश संख्या- 594/77-5-2001-200/77-टीसी.1 दिनांक 02 फरवरी 2001 तथा शासनादेश संख्या 389/77-5-2002-1(216)/93 दिनांक 05 अगस्त 2002 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसारः-

(अ) सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उप खनिजों जैसे मिट्टी, साधारण बालू, मौरम, इमारती पत्थर, साधारण मिट्टी आदि की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उप खनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर बैध खनन (एम0एम0-11) के आधार पर ही परिवहन किये जाने चाहिए तथा रॉयल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्ता से रॉयल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान प्रमाणित प्रति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(ब) देय रॉयल्टी का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के पश्चात ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाये। यदि कार्यदायी विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ठेकेदार को बिना देय रॉयल्टी की धनराशि के भुगतान किये अंतिम भुगतान किया जाता है। तो निहित सरकारी राजस्व की हानि हेतु सम्बन्धित अधिकारी को ही उत्तरदायी माना जायेगा।

शासनादेश संख्या- 6190/77-5-2003-7(224)/92 दिनांक 27 सितम्बर 2003 द्वारा उ0प्र0 राज्य में खनिजों का पहिवन सरकारी प्रेस में छपे एम0एम0-11 प्रपत्रों द्वारा किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा राजकीय मुद्रणालयों से प्रपत्र एम0एम0-11 छपवाकर जिलाधिकारियों को उनकी मॉग के अनुसार आपूर्ति की जाती रही है। प्रपत्र एम0एम0-11 के पन्नों पर जनपद का कोड वाहन के प्रकार के लिए पंचिग एवं होलोग्राम लगा होता है।

निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0शासन लखनऊ द्वारा जारी खनन नीति 2017 के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र पंचायत अकराबाद द्वारा किसी भी आपूर्तिकर्ता फर्म से वित्तीय वर्ष 2021-22 में न तो उप खनिजों की आपूर्ति लेने से पूर्व एम0एम0-11 प्राप्त किया गया और न ही किसी भी ठेकेदार से उपरोक्त शासनादेशों के अधीन उप खनिजों हेतु देय रॉयल्टी का भुगतान भी प्राप्त ही किया गया। जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 **{खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम-1957}**की धारा 15 व 23-सी तथा उ0प्र0 खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2002 का पूर्णतयः उल्लघन है।

अतः ठेकेदारों द्वारा बिना बैध अभिवहन प्रपत्र (एम0एम0-11) के अवैध रूप से खनन कर उप खनिज प्राप्त किया गया है एवं बिल से रॉयल्टी की धनराशि कटवाकर जमा नही करायी जा रही है। ठेकेदारों का यह कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4-ए एवं उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम-3 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। उक्त अधिनियम की धारा 21(5) के प्रावधानों के अनुसारः-

यदि खनिजों का अवैध खनन कर उसका उपयोग कर लिया गया है तो अवैध खननकर्ता से रॉयल्टी के साथ-साथ खनिज का मूल्य भी वसूला जा सकता है।"

शासनादेश संख्या -3385/86-2015-292/2015 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 15 अक्टूबर 2015 में निहित व्यवस्थानुसारः-

यदि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में कार्यदायी संस्था से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किसी भी उप खनिज का प्रयोग बिना बैध अभिवहन प्रपत्र (एम0एम0-11) के किया जाता है तब प्रयुक्त उप खनिज की रॉयल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रॉयल्टी का पॉच गुना) की कटौती ठेकेदार के से बिल से करते हुए निर्धारित लेखा शीर्षक 0853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियारत शुल्क किराया एवं स्वत्व शुल्क में जमा करा दिया जाए तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाए।

उक्त के अनुपालन में क्षेत्र पंचायत अकराबाद द्वारा निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों से प्रपत्र एम0एम0-11 प्राप्त करके निर्माण कार्य पत्रावली में संलग्न करने चाहिए थे। जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराये गये निर्माण कार्यो की पत्रावलियों में नही पाये गये, और न ही आपूर्तिकर्ता फर्मों के बिलों से उक्त शासनादेशों के अनुपालन में रॉयल्टी भी नही काटी गयी। यह खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 **{खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम-1957}**की धारा 15 व 23-सी तथा उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2002 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन नही किया गया है।

निर्माण कार्यों मे प्रयुक्त स्टोन ग्रिट एवं कोर सैण्ड की रायल्टी की गणना करने पर 38249.80 आयी है। परन्तु संस्था काटी ही नही गयी है। रायल्टी मूल्य रू0 38249.80 के 5 गुना पेनल्टी (दण्ड शुल्क) रू0 191249 के साथ जमा कराया जाना अपेक्षित है। रायल्टी की क्षति के लिये आहरण वितरण अधिकारी(खण्ड विकास अधिकारी एवं अवर अभियन्ता) जिम्मेदार है।

2-संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत अकराबाद

अपहरण -476311.00 दुर्विनियोग -0.00 अनियमितता 11118754.00 कुल संनहित धनराशि -11595065.00

प्रस्तर -8- टी0डी0एस0 कटौतियां की जमा की पुष्टि न कराया जाना।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत अकराबाद द्वारा निर्माण कार्यों पर हुए व्यय से निम्न विवरण के अनुसार कटौतियां की गयी हैं।

क्र0सं0	मद का नाम	वर्ष	धनराषि
1	टी0डी0एस0 आयकर	2021.22	142976-00

बार-बार मॉगे जाने के बाद भी चालान प्रस्तुत नही किये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा कटौतियॉ तो कर ली गयी हैं किन्तु इन्हें संगत लेख शीर्षकों/विभागों में जमा न करके अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार से विधिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम	वर्ष	सन्निहित धनराषि
1.	श्रीमती शैकी गोबिल (ख0वि0अ0) श्री शिशुपाल सिंह(ख0वि0अ0) श्री सुखपाल सिंह (ख0वि0अ0)	\ 2021.22	28595. 28595. 28595. 28595. 28595.

	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा (लेखाकार) श्री संजय कुमार(लेखाकार)		
		योग	**142976.00**

प्रस्तर -9- जी0एस0टी0 कटौतियॉ की जमा की पुष्टि न कराया जाना।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत अकराबाद द्वारा निर्माण कार्यों पर हुए व्यय से निम्न विवरण के अनुसार कटौतियां की गयी हैं।

क्र0सं0	**मद का नाम**	**वर्ष**	**धनराषि**
1	टी0डी0एस0 आयकर	**2021.22**	**142976-00**

बार-बार मॉगे जाने के बाद भी चालान प्रस्तुत नही किये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा कटौतियॉ तो कर ली गयी हैं किन्तु इन्हें संगत लेख शीर्षकों/विभागों में जमा न करके अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार से विधिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	**उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम**	**वर्ष**	**सन्निहित धनराषि**
1.	श्रीमती शैकी गोबिल (ख0वि0अ0) श्री शिशुपाल सिंह(ख0वि0अ0) श्री सुखपाल सिंह (ख0वि0अ0) श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा (लेखाकार) श्री संजय कुमार(लेखाकार)	**2021.22**	28595. 28595. 28595. 28595. 28595.
		योग	**142976.00**

प्रस्तर -10- सैस कटौतियॉ की जमा की पुष्टि न कराया जाना।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत अकराबाद द्वारा निर्माण कार्यों पर हुए व्यय से निम्न विवरण के अनुसार कटौतियां की गयी हैं।

क्र0सं0	**मद का नाम**	**वर्ष**	**धनराषि**
1	टी0डी0एस0 आयकर	**2021.22**	**62163-00**

बार-बार मॉगे जाने के बाद भी चालान प्रस्तुत नही किये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा कटौतियॉ तो कर ली गयी हैं किन्तु इन्हें संगत लेख शीर्षकों/विभागों में जमा न करके अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार से विधिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	**उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम**	**वर्ष**	**सन्निहित धनराषि**
1.	श्रीमती शैकी गोबिल (ख0वि0अ0) श्री शिशुपाल सिंह(ख0वि0अ0) श्री सुखपाल सिंह (ख0वि0अ0) श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा (लेखाकार) श्री संजय कुमार(लेखाकार)	2021-22	12432. 12432. 12432. 12432. 12432.
		योग	**62163.00**

प्रस्तर -11-. नियमो की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराना

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 सेक्शन 33(2) तथा शासनादेश संख्या 1838/33/-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 का अतिक्रमण कर सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति देकर केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग से संक्रमित धनराशि से निम्न लिखित कार्य कराये गये हैं-

क्रं0स0	**कार्य का विवरण**	**वर्ष**	**व्यय धनराशि**
1	2	3	4
1	धौराई कालिका मंदिर में इंटरलॉक 70 मीटर	2021.22	695972
2	पीएस से मोनू वर्मा के घर तक इंटरलॉक और नाली बमनोई में	2021.22	922480
3	किरतपुर दुर्गा मंदिर में इंटरलॉक 70 मीटर	2021.22	223288
4	एन कमलू मी मंदिर परिसर मी इंटरलॉक गोपी मी	2021.22	534560
5	कुलिंजरा माता का सौन्दर्यकरण	2021.22	917904
6	गोपी भिलावली मार्ग से पीएस बमनोई तक इंटरलॉक और नाली	2021.22	922376
7	सतेंद्र के घर से यशपाल के घर तक इंटरलॉक दरियापुर	2021.22	443664
8	दरियापुर मे रामस्वरूप मास्टर के घर से ओमवीर के घर तक इंटर लॉक और नाली 75 मीटर	2021.22	922688
	योग		**5582932.00**

उपरोक्त अधिनियम एवं शासनादेश की व्यवस्थानुसार क्षेत्र पंचायत एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराने हेतु अधिकृत है। उपरोक्त कार्यों के विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा

33(2) एंव शासनादेश संख्या 1838/33/03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 की अनदेखी कर ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराये गये हैं जिससे डुप्लीकेसी की संभावनायें बनी रहती हैं। इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत द्वारा बताया गया है कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात निर्धारित प्राधिकारी से कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य कराये गये हैं। उत्तर मान्य नही है। क्योंकि अधिनियम एवं शासनादेशों के अनुसार ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराने का अधिकार क्षेत्र पंचायत को नही है। अतः रू0 **5582932.00** के अनिमियत व्यय के लिये ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, लेखाकार एव अवर अभियंता सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

क्र0सं0	**उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम**	**वर्ष**	**सन्निहित धनराषि**
1.	श्रीमती शैकी गोबिल (ख0वि0अ0) श्री शिशुपाल सिंह(ख0वि0अ0) श्री सुखपाल सिंह (ख0वि0अ0) श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा (लेखाकार) श्री संजय कुमार(लेखाकार) जितेन्द्र कुमार (अवर अभियन्ता)	**2021.22**	12984. 12984. 12984. 12984. 12984. 12984.
		योग	**5582932.00**

प्रस्तर -12- <u>बिना गुणवत्ता परीक्षण के 80 एम0एम0 इण्टरलॉकिंग टाइल्स का प्रयोग निर्माण कार्यों में किया जाना।</u>

मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक सी0ई0सी0जेड0 सा0/17 दिनांक 31-01-2017 द्वारा ग्रामीण सड़कों में प्रयुक्त होने वाली इण्टरलाकिंग टाइल्स की गुणवत्ता एवं मोटाई सुनिश्चित करने के लिये व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसके अनुसार इण्टरलाकिंग टाइल्स का प्रयोग करने के पूर्व प्रत्येक 500 टाइल्स में से एक टाइल्स गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजी जानी चाहिए। गुणवत्ता जाॅच की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही सही गुणवत्ता वाली टाइलों का प्रयोग इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण में किया जाना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत अकराबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 तक में राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से सक्रमित धनराशि से निम्न कार्य कराये गये।

क्र0सं0	**कार्य का विवरण**	**वर्ष**	**व्यय धनराशि**
1	विकास खंड अकराबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इंटरलॉक एवं मरममत कार्य	2021.22	870694
2	धौराई कालिका मंदिर में इंटरलॉक 70 मीटर	2021.22	695972
3	पीएस से मोनू वर्मा के घर तक इंटरलॉक और नाली बमनोई में	2021.22	922480
4	किरतपुर दुर्गा मंदिर में इंटरलॉक 70 मीटर	2021.22	223288
5	एन कमलू मी मंदिर परिसर मी इंटरलॉक गोपी मी	2021.22	534560
6	गोपी भिलावली मार्ग से पीएस बमनोई तक इंटरलॉक और नाली	2021.22	922376
7	सतेंद्र के घर से यशपाल के घर तक इंटरलॉक दरियापुर	2021.22	443664
8	दरियापुर मे रामस्वरूप मास्टर के घर से ओमवीर के घर तक इंटर लॉक और नाली 75 मीटर	2021.22	922688
	योग		**5535722**

उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार टायल्स की गुणवत्ता का परीक्षण नही किया गया था। अग्रेतर जाच में पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु पी0डब्ल्यू0 द्वारा निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार टायल्स की मोटाई का आगणन में 80 एम0एम0 किया गया था। किन्तु आपूर्ति बिल एवं पुस्तिका में मोटाई का अकंन न होने से यह स्पष्ट नही था कि कार्य में जो टायल प्रयोग किया गया वह आगणन की विशिष्टयों के अनुसार था अथवा नही । अग्रेतर जाॅच में पाया गया कि उनकी गुणवत्ता का परीक्षण नही कराया गया था। बिना टायल्स की मोटाई सुनिश्चित किए एवं गुणवत्ता परीक्षण किए कार्य रु0 **5535722**.00 का अनियमित व्यय किया गया तथा आपूर्ति टायल्स की मोटाई एवं परीक्षण न कराये जाने से कार्य गुणवत्ता न होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है।

लेखा परीक्षण में उपरोक्त अनियमितताओं को इगिंत करने पर क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर में बताया गया कि भविष्य में इसका ध्यान जायेगा। लेखा परीक्षण में उत्तर मान्य नही है क्योंकि आगणन में प्रावधान होने के बावजूद टायल्स 80 एम0एम0 की मोटाई का सुनिश्चित नही किया गया और न ही सी0सी0 टायल्स की गुणवत्ता परीक्षण कराया गया था। अतः रु0 **5535722**.00 के अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर -13- <u>निविदा प्रपत्रों की बिक्री न कर क्षेत्र पंचायत को अर्थिक क्षति पहुॅचाना</u>

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन वित (लेखा)अनुभाग के शासनादेश संख्या -ए-1-864/दस-05-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रुपया 20000.00 से अधिक की सामग्री क्रय करने के लिये कोटेशन व 100000.00 से अधिक सामग्री क्रय करने हेतु निविदायें आमंत्रित की जायेगी। उक्त के अनुपालन में क्षेत्र पंचायत जैथरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 28 कार्य के लिये निविदायें आमंत्रित की गयी। जिसमें प्रत्येक कार्य के लिये तीन-तीन निविदायें प्राप्त हुई। प्रत्येक निविदा पत्र का मूल्य रू0 500.00 निर्धारित था। जिससे क्षेत्र पंचायत अकराबाद को वर्ष 2021-22 में निविदा प्रपत्रों की बिक्री से रुपया (9×3××500== 13500.00) की आय होनी चाहिए थी। आपूर्तिकर्ता फर्मों को निविदा प्रपत्रों की बिक्री न कर क्षेत्र पंचायत को रू0 13500.00 अर्थिक क्षति हुई है। जिसके लिये निम्नलिखित खण्ड

विकास अधिकारी एवं लेखाकार सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। अतः रू0 13500.00 की क्षतिपूर्ति खण्डविकास अधिकारी एवं लेखाकार से निम्न विवरण के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	**वर्ष**	**सन्निहित धनराषि**	**उत्तरदायी व्यक्ति का नाम**
1	**2021.22**	2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00	श्रीमती शैकी गोबिल (ख0वि0अ0) श्री शिशुपाल सिंह(ख0वि0अ0) श्री सुखपाल सिंह (ख0वि0अ0) श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा (लेखाकार) श्री संजय कुमार(लेखाकार) जितेन्द्र कुमार (अवर अभियन्ता)
	योग	13500.00	

प्रस्तर -14-- **देय रॉयल्टी नियमानुसार न काटकर राजकीय राजस्व को हानि पहुॅचाना।**

शासनादेश संख्या- 594/77-5-2001-200/77-टीसी.1 दिनांक 02 फरवरी 2001 तथा शासनादेश संख्या 389/77-5-2002-1(216)/93 दिनांक 05 अगस्त 2002 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसारः-

(अ) सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उप खनिजों जैसे मिट्टी, साधारण बालू, मौरम, इमारती पत्थर, साधारण मिट्टी आदि की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उप खनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर बैध खनन (एम0एम0-11) के आधार पर ही परिवहन किये जाने चाहिए तथा रॉयल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु आपूर्तिकर्ता से रॉयल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान प्रमाणित प्रति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(ब) देय रॉयल्टी का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के पश्चात ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाये। यदि कार्यदायी विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ठेकेदार को बिना देय रॉयल्टी की धनराशि के भुगतान किये अंतिम भुगतान किया जाता है। तो निहित सरकारी राजस्व की हानि हेतु सम्बन्धित अधिकारी को ही उत्तरदायी माना जायेगा।

शासनादेश संख्या- 6190/77-5-2003-7(224)/92 दिनांक 27 सितम्बर 2003 द्वारा उ0प्र0 राज्य में खनिजों का पहिवन सरकारी प्रेस में छपे एम0एम0-11 प्रपत्रों द्वारा किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा राजकीय मुद्रणालयों से प्रपत्र एम0एम0-11 छपवाकर जिलाधिकारियों को उनकी मॉग के अनुसार आपूर्ति की जाती रही है। प्रपत्र एम0एम0-11 के पन्नों पर जनपद का कोड वाहन के प्रकार के लिए पंचिग एवं होलोग्राम लगा होता है।

निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0शासन लखनऊ द्वारा जारी खनन नीति 2017 के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र पंचायत अकराबाद द्वारा किसी भी आपूर्तिकर्ता फर्म से वित्तीय वर्ष 2021-22 में न तो उप खनिजों की आपूर्ति लेने से पूर्व एम0एम0-11 प्राप्त किया गया और न ही किसी भी ठेकेदार से उपरोक्त शासनादेशों के अधीन उप खनिजों हेतु देय रॉयल्टी का भुगतान भी प्राप्त ही किया गया। जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 **{खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम-1957}** की धारा 15 व 23-सी तथा उ0प्र0 खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2002 का पूर्णतयः उल्लघन है।

अतः ठेकेदारों द्वारा बिना बैध अभिवहन प्रपत्र (एम0एम0-11) के अवैध रूप से खनन कर उप खनिज प्राप्त किया गया है एवं बिल से रॉयल्टी की धनराशि कटवाकर जमा नही करायी जा रही है। ठेकेदारों का यह कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4-ए एवं उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम-3 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। उक्त अधिनियम की धारा 21(5) के प्रावधानों के अनुसारः-

यदि खनिजों का अवैध खनन कर उसका उपयोग कर लिया गया है तो अवैध खननकर्ता से रॉयल्टी के साथ-साथ खनिज का मूल्य भी वसूला जा सकता है।"

शासनादेश संख्या -3385/86-2015-292/2015 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 15 अक्टूबर 2015 में निहित व्यवस्थानुसारः-

यदि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में कार्यदायी संस्था से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किसी भी उप खनिज का प्रयोग बिना बैध अभिवहन प्रपत्र (एम0एम0-11) के किया जाता है तब प्रयुक्त उप खनिज की रॉयल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रॉयल्टी का पॉच गुना) की कटौती ठेकेदार के से बिल से करते हुए निर्धारित लेखा शीर्षक 0853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियारत शुल्क किराया एवं स्वत्व शुल्क में जमा करा दिया जाए तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाए।

उक्त के अनुपालन में क्षेत्र पंचायत अकराबाद द्वारा निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्मों से प्रपत्र एम0एम0-11 प्राप्त करके निर्माण कार्य पत्रावली में संलग्न करने चाहिए थे। जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराये गये निर्माण कार्यो की पत्रावलियों में नही पाये गये, और न ही आपूर्तिकर्ता फर्मों के बिलों से उक्त शासनादेशों के अनुपालन में रॉयल्टी भी नही काटी गयी। यह खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 **{खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम-1957}**की धारा 15 व 23-सी तथा उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2002 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन नही किया गया है।

निर्माण कार्यों मे प्रयुक्त स्टोन ग्रिट एवं कोर सैण्ड की रायल्टी की गणना करने पर 30327.00 आयी है। परन्तु संस्था द्वारा मात्र 11211.00 ही काटी गयी है। शेष रायल्टी मूल्य रू0 19116 के 5 गुना पेनल्टी (दण्ड शुल्क) रू0 95580.00 के साथ कुल रू 114696-00 जमा कराया जाना अपेक्षित है। रायल्टी की क्षति के लिये आहरण वितरण अधिकारी(खण्ड विकास अधिकारी) जिम्मेदार है। शेष निर्माण कार्यों में कोई रॉयल्टी नही काटी गयी है।

3-संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत लोधा

प्रस्तर -15- **<u>क्षेत्र पंचायत लोधा</u>** के वित्तीय वर्ष **2021-22** में राज्य वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- **1984** के नियम **-39** में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू **5** लाख से अधिक किन्तु रू. **10** लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू. **10** लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली **1984** में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष **2021-22** में राज्य वित्त आयोग के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रू. **5** लाख से अधिक परन्तु रू. **10** लाख से कम लागत के **11** कार्य कराये गये जिन पर रू. **9321017-00** की लागत रही। इस प्रकार वर्ष **2021-22** में कुल **11** कार्यों पर किये गये व्यय का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है। जिसकी कुल लागत रू. **9321017-00** है। उक्त कार्यों के अन्तिम भुगतानों की बहुत छोटी धनराशि रही। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता मनोज कुमार एवं खण्ड विकास अधिकारी विनोद कुमार श्रेयश कुमार राजीव कुमार वर्मा दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

<u>वर्ष 2021-22 में रू. 5 लाख व रू. 10 लाख से अधिक के कार्य</u>

क्र०	कार्य का नाम	धनराशी
1	ग्रा0 पं0 बरौठ छजमल में तेजवीर सिंह के घर से पथवारी मंदिर तक सी0सी0 कार्य	**961583**
2	ग्रा0 पं0 करहेला गौरवा में आंमवीर सिंह यादव के घर से सूरजमल के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग	**624378**
3	ग्रा0 पं0 बलभद्रपुर मजरा मंडला में रवि के घर से दिनेश के खेत तक इण्टरलाकिंग	**708672**
4	ग्रा0 पं0 रूस्तमपुर नौमाबाद में बनवारी लाल के घर से प्रा0पा0 तक इण्टरलाकिंग	**981930**
5	ग्रा0 पं0 लोधा में मानवीर के घर से विद्याराम के घर तक सी0सी0/नाली	**711997**
6	ग्रा0 पं0 सेमला में पंचायत घर के कोने से नरशी के घर तक इण्टरलाकिंग	**994978**
7	ग्रा0 पं0 मूसेपुर में बेबी के घर से पप्पी के धर तक सी0सी0/नाली	**993668**
8	ग्रा0 पं0 पडियावली में के0पी0 के घर से गिर्राज सिंह के घर तक सी0सी0/नाली	**684178**
9	ग्रा0 पं0 अमरपुर कोडला में मुकुद के घर से दिनेश के घर तक इण्टरलाकिंग	**742337**
10	ग्रा0 पं0 भकरौला में शंकर लाल के घर से पंचायत घर तक इण्टरलाकिंग/नाली	**969320**
11	ग्राम पंचायत नेहरा/ लोधा में सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र पर इण्टरलाकिंग टायल्स व मरम्मत	**947976**
	वर्ष **2021-22** का योग	**9321017**

प्रस्तर -16--वित्तीय वर्ष **2021-22** में केन्द्रीय वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- **1984** के नियम **-39** में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू **5** लाख से अधिक किन्तु रू. **10** लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू. **10** लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली **1984** में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष **2021-22** में राज्य वित्त आयोग के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रू. **5** लाख से अधिक परन्तु रू. **10** लाख से कम लागत के **17** कार्य कराये गये जिन पर रू. **12755796-00** की लागत रही। इस प्रकार वर्ष **2021-22** में कुल **17** कार्यों पर किये गये व्यय का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है। जिसकी कुल लागत रू. **12755796-00** है। उक्त कार्यों के अन्तिम भुगतानों की बहुत छोटी धनराशि रही। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता मनोज कुमार एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष **2021-22** में रू. **5** लाख व रू. **10** लाख से अधिक के कार्य

क्र0	कार्य का विवरण	धनराशि
1	ग्रा0 पं0 कीरतपुर निमाना में चन्द्रपाल के घर से दुर्गश के खेत तक नाली निर्माण	**889903**
2	ग्रा0 पं0 सलेमपुर माफी में राबबाबू के घर से तालाब तक नाली निर्माण	**911519**
3	ग्रा0 पं0 सेमला में पप्पू/बाबू के घर से पोखर तक नाली निमार्ण	**833199**
4	ग्रा0 पं0 अमरपुर में परशुराम के घर से बम्बा तक नाली निमार्ण	**833760**
5	ग्रा0 पं0 राना में केशन के घर से बम्बा तक नाली निमार्ण	**979996**
6	ग्रा0 पं0 जोशिया में सुधीर कुमार सिंह के घर से शिव कुमार के घर होते हुए विमल प्रताप के घर तक नाली निमार्ण	**689317**

7	ग्रा0 पं0 भरतपुर में जयवीर सिंह के घर से तालाब तक नाली निमार्ण	**787246**
8	ग्रा0 पं0 चिकावटी में प्रा0 पा0 से हरिओम शर्मा के घर तक नाली निमार्ण	**936916**
9	ग्रा0 पं0 नौगवां में नसीबुल्ला जी के घर से बम्बा तक नाली निमार्ण	**853708**
10	ग्रा0 पं0 तालसपुर खुर्द से प्रा0 पा0 से नौगवा रोड तक नाली निमार्ण	**942574**
11	ग्रा0 पं0 चिलकौरा में सनराइज होम के गेट से बडे नाले तक नाली निमार्ण	**673182**
12	ग्रा0 पं0 सुखरावली में राजकुमार के घर से धर्मवीर सिंह के धर तक सी0सी0 कार्य	**515176**
13	ग्रा0 पं0 दुनाई में परसहरा रोड से अशोक शर्मा के घर तक खडण्जा खडण्जा व मिटटी कार्य	**737183**
14	ग्रा0 पं0 तालसपुर कलां चैधरी नगर में कुमार वाले घर से कुन्तेश देवी के घर तक सी0सी0 निर्माण	**724811**
15	ग्रा0 पं0 खेडिया हैबत खां गिरधरपुर में सुन्दरला शास्त्री के घर से ओमवीर सिंह के घर तक सी0सी0 कार्य	**607468**
16	ग्रा0 पं0 बादवामनी में मुरली चक्की वाले के घर से मोहन सिंह प्रधान के घर तक सी0सीव रोड	**572583**
17	ग्रा0 पं0 समस्तपुर कीरत मे साहब सिंह के घर से चामड तक इण्टरलाकिंग कार्य	**967572**
		12755796

प्रस्तर -17- वित्तीय वष **2021-22** तक राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यो की जांच में प्रकाश मे आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय-**3** की धारा **33(2)** में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एव शासनादेश संख्या **8307/33-.2-.2004/.93** जी/**2004** दिनांक **21-01-05** व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या **-4/866/33-.2.14-.93**जी/**2004** दिनांक **24-06-2014** द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-**33--¼2½** व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडको, अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है । अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष **2021-22** में **14** कार्य जिन पर रू**0 10528984-00** का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यो के होने डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य की कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः .त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री गिरीश कुमार यादव एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर कारायें गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:-

-

क्र०	कार्य का नाम	धनराशी
1	ग्रा0 पं0 नाद वाजिदपुर में प्रदीप कुमार के प्लाट से अनिता देवी के घर तक सी0सी0	**330426**
2	ग्रा0 पं0बाढौन में सौदान सिंह के घर से चामड तक इण्टरलाकिग कार्य	**447297**
3	ग्रा0 पं0 भरतपुर गढी में मदनलाल दूध वाले के घर से हरिओम वीरपाल के घर होते हुए दुर्ग पाल शर्मा के घर तक सी0सी0 कार्य	**430244**
4	ग्रा0 पं0 बरौठ छजमल में तेजवीर सिंह के घर से पथवारी मंदिर तक सी0सी0 कार्य	**961583**
5	ग्रा0 पं0 करहेला गौरवा में आंमवीर सिंह यादव के घर से सूरजमल के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग	**624378**
6	ग्रा0 पं0 बलभद्रपुर मजरा मंडला में रवि के घर से दिनेश के खेत तक इण्टरलाकिंग	**708672**
7	ग्रा0 पं0 रूस्तमपुर नौमाबाद में बनवारी लाल के घर से प्रा0पा0 तक इण्टरलाकिंग	**981930**
8	ग्रा0 पं0 लोधा में मानवीर के घर से विद्याराम के घर तक सी0सी0/नाली	**711997**
9	ग्रा0 पं0 सेमला में पंचायत घर के कोने से नरशी के घर तक इण्टरलाकिंग	**994978**
10	ग्रा0 पं0 मूसेपुर में बेबी के घर से पप्पी के धर तक सी0सी0/नाली	**993668**
11	ग्रा0 पं0 पडियावली में के0पी0 के घर से गिर्राज सिंह के घर तक सी0सी0/नाली	**684178**
12	ग्रा0 पं0 अमरपुर कोडला में मुकुद के घर से दिनेश के घर तक इण्टरलाकिंग	**742337**
13	ग्रा0 पं0 भकरौला में शंकर लाल के घर से पंचायत घर तक इण्टरलाकिंग/नाली	**969320**
14	ग्राम पंचायत नेहरा/ लोधा में सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र पर इण्टरलाकिंग टायल्स व मरम्मत	**947976**
	वर्ष **2021-22** का योग	**10528984**

प्रस्तर -18-- वित्तीय वष **2021-22** तक केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यो की जांच में प्रकाश मे आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय-**3** की धारा **33..(2)** में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एव शासनादेश संख्या **830/33-.2.-2004.-93** जी/**2004** दिनांक **21-01-05** व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या .4/866/33.-2-.14-93 जी/**2004** दिनांक **24-06-2014** द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-**33..(2)** व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडको, अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप् में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया

गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है । अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष **2021-22** में **23** कार्य जिन पर रू**0 14746287-00** का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यो के होने डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य की कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः .त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर काराये गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:--

क्र0	कार्य का विवरण	धनराशि
1	ग्रा0 पं0 आसना में भगवती के घर से मरघट तक नाली निमार्ण कार्य	427317
2	ग्रा0 पं0 भरतपुर गढी में उदयराम के घर से तालाब तक नाली निर्माण	350981
3	ग्रा0 पं0 कीरतपुर निमाना में चन्द्रपाल के घर से दुर्गश के खेत तक नाली निर्माण	889903
4	ग्रा0 पं0 सलेमपुर माफी में राबबाबू के घर से तालाब तक नाली निर्माण	911519
5	ग्रा0 पं0 सेमला में पप्पू/बाबू के घर से पोखर तक नाली निमार्ण	833199
6	ग्रा0 पं0 देवसैनी में गोकलेशपुरम कालोनी से मरघट तक नाली निमार्ण	98563
7	ग्रा0 पं0 अमरपुर में परशुराम के घर से बम्बा तक नाली निमार्ण	833760
8	ग्रा0 पं0 राना में केशन के घर से बम्बा तक नाली निमार्ण	979996
9	ग्रा0 पं0 जोशिया में सुधीर कुमार सिंह के घर से शिव कुमार के घर होते हुए विमल प्रताप के घर तक नाली निमार्ण	689317
10	ग्रा0 पं0 भरतपुर में जयवीर सिंह के घर से तालाब तक नाली निमार्ण	787246
11	ग्रा0 पं0 चिकावटी में प्रा0 पा0 से हरिओम शर्मा के घर तक नाली निमार्ण	936916
12	ग्रा0 पं0 नौगवां में नसीबुल्ला जी के घर से बम्बा तक नाली निमार्ण	853708
13	ग्रा0 पं0 चिलकौरा में सनराइज होम के गेट से बडे नाले तक नाली निमार्ण	673182
14	ग्रा0 पं0 सुखरावली में राजकुमार के घर से धर्मवीर सिंह के धर तक सी0सी0 कार्य	515176
15	ग्रा0 पं0 दुनाई में परसहरा रोड से अशोक शर्मा के घर तक खडण्जा खडण्जा व मिटटी कार्य	737183
16	ग्रा0 पं0 तालसपुर कलां चैधरी नगर में कुमार वाले घर से कुन्तेश देवी के घर तक सी0सी0 निर्माण	724811
17	ग्रा0 पं0 खेडिया हैबत खां गिरधरपुर में सुन्दरला शास्त्री के घर से ओमवीर सिंह के घर तक सी0सी0 कार्य	607468
18	ग्रा0 पं0 बादवामनी में मुरली चक्की वाले के घर से मोहन सिंह प्रधान के घर तक सी0सीव रोड	572583
19	ग्रा0 पं0 समस्तपुर कीरत मे साहब सिंह के घर से चामड तक इण्टरलाकिंग कार्य	967572
20	ग्रा0 पं0 असनेता बझेडा में दीपक सिंह के घर से सरकारी चकरोड तक इण्टरलाकिंग	389962
21	ग्रा0 पं0 तालसपुर कलां में राजीव भवन से दीपक मास्टर के घर तक सी0सी0 कार्य	342117
22	ग्रा0 पं0 शहरी मदनगढी में पवन कुमार शर्मा के घर से वीरपाल गौतम के घर तक सी0सी0 व नाली	380397
23	ग्रा0 पं0 बिनुपुर में बम्बा से मन्दिर तक आंशिक खडण्जा व मिटटी कार्य	243409
	वर्ष **2021-22** का योग	14746287

4- **संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत बिजौली जनपद- अलीगढ़ मण्डल- अलीगढ़**

प्रस्तर -19- "उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली के महत्वपूर्ण प्राविधानों के अन्तर्गत" के नियम संख्या 39 के अनुसार 5 लाख से 10 लाख तक के कार्यों के लिए अन्तिम रूप से भुगातान किये जाने के पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। परन्तु आलोच्य वर्ष में 15वें वित्त आयोग के आठ कार्य, लागत धनराशि रू0 59,16,582 एवं 5वें राज्य वित्त आयोग का एक कार्य, लागत धनराशि रू0 9,80,708 के भुगतान उपरोक्त प्राधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के बिना ही किये गये हैं। अतः ये समस्त भुगतान अनियमित रहे। इसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री नितेश कुमार सचिन श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी श्री चिन्ताराम वर्मा, प्रवीन कुमार जिम्मेदार रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -20-. उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33(2) एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004, दिनांक 12.01.2005 एवं पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/866/33-2-14-93 जी/2004 दिनांक 24 जून, 2014 द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर कतिपय निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये हैं। जबकि अधिनियम की धारा 33(2) एवं शासनादेशों में दिये गये निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों का कार्य क्षेत्र क्रमशः ग्राम सड़कों, अन्तर्ग्रामित सड़कों (एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने वाले कार्य) व जिला सड़कों के रूप में वर्गीकृत है। इस अतिक्रमण के कारण अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की सम्भावना रहती है। आलोच्य वर्ष में संस्था द्वारा 15वें वित्त आयोग के पाँच कार्य जो निम्नवत हैं, दो राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने वाले नहीं हैं।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लागत धनराशि (रू0 में
1	ग्राम ककराली में विजय सिंह के मकान से तालाब तक दोनों साइड में यू टाइप नाली निर्माण कार्य	3,40,891.00

2	ग्राम मीढ़ौल के बाल्मीकि बस्ती से जाटवों की गली तक यू टाइप नाली निर्माण कार्य	2,13,174.00
3	. ग्राम ककराली में चन्द्रपाल के मकान से ऊदल के मकान तक यू टाइप नाला निर्माण कार्य	5,02,574.00
4	. ग्राम सिंधौली खुर्द के मुकेश के घेर से सिवन के खेत तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी खडंजा कार्य	8,22,046.00
	योग -	18,78,685.00

अतः ये कार्य अनियमित रहे । इसके लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुख उमेश कुमार यादव एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -21-.1 संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में जो 1 प्रतिशत लेबर सेस काटा गया है, वह कुल बिल पर (जीएसटी सम्मिलित न करते हुए) काटा है, जो त्रुटिपूर्ण था। लेबर सेस को अन्तिम बिल में सम्मिलित करने के पश्चात काटा जाना चाहिए था। इस प्रकार उपलब्ध कराई गई समस्त पत्रावलियों में यह धनराशि रू0 94,913 काटकर जमा की जानी थी, परन्तु यह रू0 80,421 ही काटा गया है। अन्तर रू0 14,492 संस्था द्वारा कर्मचारी कल्याण बोर्ड में और जमा किया जाना चाहिए। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार श्री देवेन्द्र पाल सिंह जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -22-. 2 आलोच्य वर्ष में 15वें वित्त आयोग की टाइड ग्रान्ट से जो कार्य कराये गये हैं, उनकी सूची निम्नवत है -

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लागत धनराशि (रू0 में
1	ग्राम मीढ़ौल के बाल्मीकि बस्ती से जाटवों की गली तक यू टाइप नाली निर्माण कार्य	2,13,174.00
2	ग्राम पीढ़ौल में खजान सिंह के घर से डाबर रोड तक यू टाइप नाली निर्माण कार्य	2,97,294.00
3	ग्राम ककराली में चन्द्रपाल के मकान से ऊदल सिंह के मकान तक यू टाइप नाली निर्माण कार्य	5,02,574.00
4	ग्राम ककराली में विजय सिंह के मकान से तालाब तक दोनों साइड में यू टाइप नाली निर्माण कार्य	3,40,891.00

1. उपरोक्त 4 कार्यों में से 3 कार्य यू टाइप नाली नाला निर्माण के हैं तथा एक कार्य तालाब तक नाली निर्माण का हैं 15वें वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुलग्नक-111सी में उल्लिखित (ब्लॉक और जिला स्तर पर स्वच्छता संबंधी कार्यों/गतिविधियों की सांकेतिक सूची) कार्य के शीर्षक तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य: गांवों के एक समूह से एक सामान्य उपचार इकाई तक अपशिष्ट जल के परिवहन के लिए जल निकासी व्यवस्था। जहां गांवों के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं है और सामान्य उपचार सुविधा ही एकमात्र व्यवहार्य समाधान है। के अन्तर्गत मानी जा सकती है। परन्तु लेखा परीक्षा में इन कार्यों में निम्न न्यूनताऐं/आपत्तियाँ पाई गईं:-
2. यहाँ गाँवों के समूह की शर्त पूरी नहीं हो रही है।
3. प्राकृतिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट में स्टेबिलाइजेशन/आक्सीजन तालाब माने जाते हैं, जो पाँच प्रकार के होते हैं। इनकी विशिष्ट डिजाइन, लम्बाई, चैड़ाई एवं गहराई, क्षमता आदि अलग-अलग होती है। तालाब की जियो टैगिंग एवं सूची सहित उपरोक्त तथ्य लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से यह ज्ञात न हो सका कि क्या यह तालाब वास्तव में वाटर ट्रीटमेंट यूनिट का कार्य कर रहा है। अतः गाँवों के समूह की शर्त एवं उपरोक्त तथ्यों की अनुपलब्धता के कारण इस अनुदान के नियमानुसार समुचित उपभोग की पुष्टि न हो सकी। गाँव के समूह की शर्त पूरी न होने एवं तालाब के वाटर ट्रीटमेंट यूनिट की तरह कार्य करने के तथ्यों की पुष्टि न होने तक यह कार्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का उल्लंघन था। इस कारण रू0 3,40,891 का यह कार्य अनियमित रहा। इस सम्बन्ध में परिपालन एवं आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
4. इसी प्रकार उक्त सूची के पहले तीन कार्यों में नाली/नाला निर्माण को किसी वाटर ट्रीटमेंट यूनिट तक नहीं बनाया गया है तथा गाँवों के समूह की शर्त यहाँ भी पूरी नहीं की गई है। अतः यह इन तीनों कार्यों की कुल लागत धनराशि रू0 10,13,242 दुरूपयोग की श्रेणी में है।
5. साथ ही इस अनुदान के मैनुअल (15वें वित्त आयोग) के बिन्दु 5.1 के अनुसार "बंधे हुए अनुदान का उपयोग (क) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण और (ख) स्वच्छता, ओडीएफ स्थिति के रखरखाव और ..... के लिए किया जा सकता है।
6. आरएलबी जहां तक संभव हो, इन दो महत्वपूर्ण सेवाओं में से प्रत्येक के लिए बंधे हुए अनुदान का आधा हिस्सा निर्धारित करेंगे। हालांकि, यदि किसी आरएलबी ने एक श्रेणी के तहत आवश्यकता को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया है और उसे उस उद्देश्य के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, तो वह अन्य श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकता है, उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थानीय निकाय ने अपने अधिकार क्षेत्र के क्षेत्र में सभी को पेयजल आपूर्ति प्रदान की है, तो वह स्वच्छता के लिए धन का उपयोग कर सकता है और इसके विपरीत। संबंधित ग्राम सभा इसे प्रमाणित करेगी, और पंचायत या राज्य सरकार के पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा इसकी विधिवत पुष्टि की जाएगी। परन्तु आलोच्य वर्ष में दोनों प्रकार के कार्य 50-50 प्रतिशत नहीं कराये गये हैं और एक प्रकार के कार्यों की संतृप्तता के लिए उपरोक्त प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया है। समस्त कार्य नाली/नाला निर्माण के ही कराये गये हैं।
7. अतः उपरोक्त उल्लिखित आपत्तियों के कारण सूची के क्रमांक-4 का कार्य अनियमित एवं पहले 3 कार्य दुरूपयोग की श्रेणी में रहे। इसके लिए संस्था की कार्यवाही में उपस्थित क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुख उमेश कुमार यादव एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -23. ग्रामीण सड़कों के निर्माण में वर्षा का जल एवं अन्य प्रकार से जलभराव सड़कों पर न होने देने के लिए ह्यूम पाइप डलवाने की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि बारिश के मौसम में सड़कें खराब न हों एवं राजकीय धन का पूरा सदुपयोग हो। आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0

के शासनादेश (अक्टूबर 2006) के अनुसार निर्देश भी हैं कि "इण्डियन रोड कांग्रेस (आईआरसी): एसपी-20के मानकों के अनुसार ग्रामीण सड़कों के प्रत्येक एक किमी0 में कम से कम 900उउ ह्यूम पाइप की दो पुलियों का निर्माण किया जाना चाहिए।"

परन्तु आलोच्य वर्ष में कतिपय कार्य ऐसे हैं, जिनमें प्राक्कलन में ह्यूम पाइपों का प्राविधान किया गया है, परन्तु वास्तविक कार्य में एक भी ह्यूम पाइप नहीं डाला गया है। ऐसे कार्यों की तालिका निम्नवत् है:

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलन में ह्यूम पाइप की पाप (आरएम में)	कार्य में प्रयुक्त ह्यूम पाइप(आरएम में)	लागत धनराशि (रू0 में)
1	ग्राम कटका से अली बख्श के प्लाट तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी, खडंजा कार्य	15	--	8,66,392.00
2	ग्राम हारनपुर कलां सांकरा मार्ग से रंगीलाल के खेत तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी खडंजा कार्य	15	-	7,73,559.00
3	ग्राम भीकमपुर के नगला कोठी से श्मशान तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी, खडंजा कार्य	10	--	7,41,695.00
4	ग्राम भमौरी खुर्द के अनूपशहर ब्रांच साइफन से घमण्डी सिंह के घेर तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी, खडंजा कार्य	15	--	6,37,540.00
5	ग्राम ककराली में चन्द्रपाल सिंह के मकान से बाईपास गेंदालाल के मकान होते हुए मढ़ैया तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी, खडंजा कार्	05	--	7,05,856.00
6	ग्राम रसैनी के बिजौली छर्रा मार्ग से सोहनलाल के खेत तक मिट्टी, खडंजा मरम्मत कार्य	05	--	2,60,426.00
	योग -			39,85,468.00

अतः रू0 39,85,468 धनराशि का सड़कों के निर्माण में हुआ व्यय बिना ह्यूम पाइप लगाये किया गया है। बारिश में जलभराव एवं अन्य कारणों से जलभराव से सड़कों को बचाने का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। यह राजकीय धन का दुरूपयोग है, क्योंकि ह्यूम पाइप लगाये बिना सड़क निर्माण अवमानक श्रेणी का है। इसके लिए अवर अभियन्ता नीतेश कुमार, अभियन्ता सचिन श्रीवास्तव एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -24-संस्था द्वारा आलोच्य वर्ष में उपलब्ध पत्रावलियों में निर्माण कार्यों की टेण्डर प्रक्रिया में अनियमिततायें दृष्टिगोचर हुई। इनका विवरण निम्नवत है:-

1. समस्त टेण्डरों में समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति के दिनांक से ठेका प्रपत्र जमा करने की तिथि तक न्यूनतम तीन सप्ताह का समय दिया जाना अपेक्षित है। परन्तु सभी टेण्डरों में 7 दिन, 5 दिन एवं एक रंगाई पुताई व मरम्मत कार्य में मात्र 2 दिन का समय दिया गया है, जो आपत्तिजनक है।

इसी प्रकार 5 लाख से 10 लाख के ठेकों की दशा में 03 समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित होनी चाहिए। इनमें से 01 अखबार स्थानीय प्रचलन का हो सकता है। परन्तु समस्त टेण्डर मात्र दो अखबारों में ही प्रकाशित कराये गये हैं।

2. समस्त टेण्डरों में जिन दो ठेकेदारों के टेण्डर अस्वीकृत हुए हैं, उनकी 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि जमा कराये जाने की पुष्टि में इस जमा धनराशि सम्बन्धी कोई साक्ष्य पत्रावली में संलग्न नहीं थे। अतः इनके द्वारा इस धरोहर धनराशि के जमा किये जाने की पुष्टि न हो सकी। इसकी पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में यह गंभीर वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी।

3. समस्त टेण्डरों में भाग लेने वाले तीन ठेकेदारों में से एक ठेकेदार श्री विजय यादव (मै0 विजय एन्टरप्राइजेज) हैं। परन्तु विजय यादव की ठेकेदारी की वैधता दिनांक 30.06.2021 तक (पत्रांक 1996, दिनांक 07.01.19, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड अलीगढ़) ही थी। श्री यादव द्वारा इस वैधता से टेण्डर प्रक्रिया में भाग लिया जाना अनियमित था एवं समस्त प्रक्रिया ही दूषित एवं अनियमित रही। जबकि समस्त विज्ञप्तियाँ इस दिनांक के पश्चात् की थीं।

श्री यादव को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिजौली की छत, दरवाजे आदि की मरम्मत कार्य का एक कार्य का ठेका भी मिला है। यह टेण्डर प्रक्रिया हालांकि दिनांक 22.06.2021 तक ही थी, परन्तु कार्य दिनांक 28.08.2021 में हुआ है। अर्थात् ये दिनांक 30.06.2021 को वैधता समाप्त होने के बाद भी कार्य कर रहे थे। यह गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

4. 100/- के स्टाम्प पेपर पर हुआ अनुबन्ध शर्तों के लिखित रूप में एवं पूरे विवरण के साथ निर्धारित प्रारूप पर होना चाहिए एवं इस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होने चाहिए। परन्तु सभी टेण्डरों में मात्र रिक्त स्टाम्प पेपर संलग्न हैं। इन पर अनुबन्ध की शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया है।

5. 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि एवं 8 प्रतिशत जमानत धनराशि की गणना प्राक्कलन पर की जाती है एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही इन्हें संस्था में जमा कराया जाता है। परन्तु सभी निर्माण कार्यों में 2 प्रतिशत धनराशि को प्राक्कलन की धनराशि में जीएसटी को हटाकर जमा कराया गया है तथा 8 प्रतिशत की धनराशि को अन्तिम बिल में से (जीएसटी सम्मिलित नहीं) काटा गया है। यह त्रुटिपूर्ण है। इस त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के कारण धरोहर धनराशि एवं जमानत धनराशि कम करके जमा कराई गई हैं। इससे ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया है, जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

(ii) समस्त निर्माण कार्यों में 8 प्रतिशत जमानत धनराशि को कार्य कराये जाने के पश्चात् काटा गया है, वह भी त्रुटिपूर्ण ढंग से कम काटा गया (उपरोक्त आपत्ति में कारण उल्लिखित है) है। परन्तु उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 केअध्याय-दो के नियम संख्या-23 के अनुसार "..... मुख्य अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी ऐसे निर्माण कार्यों की स्थिति में, जिसका अनुमान 10,000 से अधिक हो, ठेकेदार को प्रारम्भ में उतनी धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करने की अनुज्ञा दे सकता है, जो बयाने की धनराशि सहित ठेके की धनराशि के 5 प्रतिशत के बराबर हो। शेष 5 प्रतिशत प्रतिभूति की धनराशि ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के लिए उसके चालू लेखा बिलों से

10 प्रतिशत की दर से तब तक काटी जायेगी, जब तक कि प्रतिभूति की धनराशि पूरी न हो जाए। कोई भी ठेका तब तक वैध न होगा और न ही निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ किया जाएगा, जब तक कि ऊपर नियत की गई अपेक्षित प्रतिभूति जमा न कर दी जाए और ठेके के विलेख पर .....। यथास्थिति मुख्य अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी की ओर से ठेके के विलेख-पत्र पर हस्ताक्षर किया जाएगा।''

परन्तु समस्त निर्माण कार्यों में इस नियम संख्या-23 का उल्लंघन किया गया है, जो गम्भीर अनियमितता है।

इन समस्त उपरोक्त आपत्तियों के कारण सभी कार्यों की टेण्डर प्रक्रिया दूषित एवं अनियमित रही। इसका अविलम्ब परिपालन किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में कुल लागत धनराशि रू0 94,91,424 के टेण्डर अनियमित माने जायेंगे। इसके लिए टेण्डर कमेटी के सभी सदस्य (अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी, बिजौली) जिम्मेदार होंगे।

5-संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत चंडोस जनपद- अलीगढ़ मण्डल- अलीगढ़

प्रस्तर -25-<u>क्षेत्र पंचायत चन्दौस</u> के वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम -39 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू 5 लाख से अधिक किन्तु रू. 10 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू. 10 लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रू. 5 लाख से अधिक परन्तु रू. 10 लाख से कम लागत के 05 कार्य कराये गये जिन पर रू. 3733267-00 की लागत रही। इस प्रकार वर्ष 2021-22 में कुल 08 कार्यों पर किये गये व्यय का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है। जिसकी कुल लागत रू. 3733267-00 है। उक्त कार्यों के अन्तिम भुगतानों की बहुत छोटी धनराशि रही। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता मनोज कुमार एवं खण्ड विकास अधिकारी प्रवीन कुमार दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष 2021-22 में रू. 5 लाख व रू. 10 लाख से अधिक के कार्य

क्रमांक	वर्ष	कार्य का नाम	धनराशी
1	2021-22	ग्रा0पं0नगला सरूआ में देवू के घर से ओम प्रकाश के घर तक सी0सी0/नाली	577718
2		वि0ख0चण्डौस में पार्क एवं चबूतरा व बॉउन्डरी निमार्ण	989117
3		ग्रा0पं0हसनपुर में केछी के प्लाट से राकेश के प्लाट तक सी0सी0/नाली	992169
4		ग्रा0पं0मढकी में देवा जाटव के घर से आश्रम तक ख0नि0	615501
5		ग्रा0पं0इमलहरा में प्रवीण के घर से रामपाल वाया देवकी लाल के घर तक सी0सी0/नाली	558762
		वर्ष 2021-22 का योग	3733267

-वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम -39 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू 5 लाख से अधिक किन्तु रू. 10 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू. 10 लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रू. 5 लाख से अधिक परन्तु रू. 10 लाख से कम लागत के 19 कार्य कराये गये जिन पर रू. 12825589-00 की लागत रही। इस प्रकार वर्ष 2021-22 में कुल 19 कार्यों पर किये गये व्यय का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है। जिसकी कुल लागत रू. 12825589-00 है। उक्त कार्यों के अन्तिम भुगतानों की बहुत छोटी धनराशि रही। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

<u>वर्ष 2021-22 में रू. 5 लाख व रू. 10 लाख से अधिक के कार्य</u>

क्रमांक	वर्ष	कार्य का नाम	धनराशी
1	2021-22	ग्राम हसनपुर रामपुर में प्रा0वि0 से सत्यप्रकाश के घर से तालाब तक नाली निर्माण	745360
2		ग्राम पं0 डेटा सैदपुर में देवी सिंह के घर से झडिया तालाब तकनाली	980439
5		ग्रा0पं0ओगर में धर्मवीर सिंह के घर से किशनलाल के खेत तक नाली	897836

6		ग्रा0पं0भोजपुर गैयनपुर में चामड से गैयनपुर पोखर तक नाली	877705
7		ग्रा0पं0 जहराना में रामवीर की चक्की से तालाब तक नाली	589882
8		ग्रा0पं0 गंगेई मं माया के घर से सुखवीर एवं सतीश के घर से पोखर व नवाब के घर से पोखर तक नाली निर्माण कार्य	571728
9		ग्रा0पं0टीकरीभवापुर में बिघयाना में मुकेश जादौन के खेत से पोखर तक नाली	985777
10		ग्रा0पं0गंगेई में विजय सिंह से स्कूल व गजराज सिंह से पोखर तक नाली निर्माण	455605
11		ग्रा0पं0चांदनेर में होमदत्त शर्मा के घर से चादने तालाब तक नाली	991361
12		विकास खण्ड में सामुदायिक शौचालय निर्माण	624134
13		ग्रा0पं0 अर्जुनपुर हुसैना में सुरारी लाल शर्मा के घर से बम्बा तक पक्की नाली निर्माण	547469
15		विकास खण्ड चण्डौस में प्रमुख कक्ष में शौचालय निर्माण	995445
16		ताजपुर में भीमसेन देवेन्द्र के घर से पोखर तक नाली	863122
17		ग्रा0पं0विसारा में यशपाल जाटव के घरसे प्रभुदयाल के घर तक सी0सी0/नाली	765494
18		गा0पं0 अमृतपुर में जगदीश चौधरी के घर से पोखर तक सी0सी0	990356
19		ग्रा0पं0ओगर में गोपाल सिंह के घर से छेटू ठाकुर के घर तक सी0सी0/नाली	943876
		वर्ष 2021-22 का योग	12825589

प्रस्तर -26-वित्तीय वष 2021-22 तक राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यो की जांच में प्रकाश मे आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एव शासनादेश संख्या8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 21-01-05 व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या - 4/866/33-2-14-93जी/2004 दिनांक 24-06-2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-33(2) व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडको, अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप् में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है । अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का

क्रमांक	वर्ष	कार्य का नाम	धनराशी
1	2021-22	ग्रा0पं0 हसनपुर में केछी के प्लाट से राकेश के प्लाट तक सी0सी0/नाली	420129
2		ग्रा0पं0 हीसेल में करन सिंह से ईशवरी प्रसाद के घर तक सी0सी0/नाली	334830
3		ग्रा0पं0 महाराजपुर में मन्दिर से कमर साहब के घर तक इण्टर कार्य	186632
4		ग्रा0पं0 हीसेल में सतवीर से डा0साहबव कालीचरन के घर तक सी0सी0/नाली	334830
5		ग्रा0पं0 नगला सरूआ में देवू के घर से ओम प्रकाश के घर तक सी0सी0/नाली	577718
6		ग्रा0पं0 हसनपुर में केछी के प्लाट से राकेश के प्लाट तक सी0सी0/नाली	992169
7		ग्रा0पं0 मढकी में देवा जाटव के घर से आश्रम तक ख0नि0	615501
8		ग्रा0पं0 इमलहरा में प्रवीण के घर से रामपाल वाया देवकी लाल के घर तक सी0सी0/नाली	558762
		वर्ष 2021-22 का योग	4020571

कडाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 08 कार्य जिन पर रू0 4020571-00 का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यो के होने डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्यों की कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः .त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती सीमा सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी किरन देवी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर काराये गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रस्तर -27- वित्तीय वर्ष 2021-22 तक केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यो की जांच में प्रकाश मे आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एव शासनादेश संख्या8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 21-01-05 व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या - 4/866/33-2-14-93जी/2004 दिनांक 24-06-2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-33(2) व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडको, अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप् में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है । अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में 17 कार्य जिन पर रू0 12198119-00 का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यो के डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्यों की कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः .त्रुटिपूर्ण रही। उक्त

वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर कारायें गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	वर्ष	कार्य का नाम	धनराशी
1	2021-22	ग्राम हसनपुर रामपुर में प्रा0वि0 से सत्यप्रकाश के घर से तालाब तक नाली निर्माण	745360
2		ग्राम पं0 डेटा सैदपुर में देवी सिंह के घर से झडिया तालाब तकनाली	980439
3		ग्रा0पं0चीवनपुर में देवा के घर से सरकारी नाली तक नाली	376606
4		ग्रा0पं0वीरपुरा में मजरा हीरापुर में संजय कुमार सिंह के घर से सोनू के खेत तक नाली निर्माण	381979
5		ग्रा0पं0ओगर में धर्मवीर सिंह के घर से किशनलाल के खेत तक नाली	897836
6		ग्रा0पं0भोजपुर गैयनपुर में चामड से गैयनपुर पोखर तक नाली	877705
7		ग्रा0पं0 जहराना में रामवीर की चक्की से तालाब तक नाली	589882
8		ग्रा0पं0 गंगेई मं माया के घर से सुखवीर एवं सतीश के घर से पोखर व नवाब के घर से पोखर तक नाली निर्माण कार्य	571728
9		ग्रा0पं0 टीकरी भवापुर में बिघयाना में मुकेश जादौन के खेत से पोखर तक नाली	985777
10		ग्रा0पं0गंगेई में विजय सिंह से स्कूल व गजराज सिंह से पोखर तक नाली निर्माण	455605
11		ग्रा0पं0चांदनेर में होमदत्त शर्मा के घर से चादने तालाब तक नाली	991361
12		ग्रा0पं0 अर्जुनपुर हुसैना में सुरारी लाल शर्मा के घर से बम्बा तक पक्की नाली निर्माण	547469
13		हसनपुर में अरगपाल व प्रा0वि0से तालाब तक नाली निर्माण	233524
14		ताजपुर में भीमसेन देवेन्द्र के घर से पोखर तक नाली	863122
15		ग्रा0पं0विसारा में यशपाल जाटव के घरसे प्रभुदयाल के घर तक सी0सी0/नाली	765494
16		गा0पं0 अमृतपुर में जगदीश चैधरी के घर से पोखर तक सी0सी0	990356
17		ग्रा0पं0ओगर में गोपाल सिंह के घर से छोटू ठाकुर के घर तक सी0सी0/नाली	943876
		वर्ष 2021-22 का योग	12198119

6- **संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत इगलास जनपद- अलीगढ़ मण्डल- अलीगढ़**

प्रस्तर -28-वित्तीय वर्ष 21-22 तक राज्य वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- **1984** के नियम **-39** में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू **5** लाख से अधिक किन्तु रू. **10** लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू. **10** लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली **1984** में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष21-22 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रू. **5** लाख से अधिक परन्तु रू. **10** लाख से कम लागत के 09 कार्य कराये गये जिन पर रू. 5949027 की लागत रही । इस प्रकार वर्ष 21-22 में कुल 09 कार्यों का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है। जिसकी कुल लागत रू. 5949027 है। उक्त कार्यों के अन्तिम भुगतानों की बहुत छोटी धनराशि रही। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता लवकुश सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी अरविन्द दुबे दोषी एवं उत्तरदायी है। आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है। वर्ष **2021-22** में रू. **5** लाख व रू. **10** लाख से अधिक के कार्य

क्र सं**0**	वर्ष	कार्य का नाम	धनराशि
	2021-22	मदाखेडा रोड से पंडित की समांधि तक इण्टरलाकिंग	890804
2.		मई डाबर रोड से गाँधी ग्राम तक इण्टरलाकिंग	634440
3.		उप स्वस्थ केंद्र हस्तपुर में मेंमत एवं सौंदर्यकारन	852555
4.		गदा खेडा से नहर तक इण्टरलाकिंग	766563
5.		इगलास मुरसान रोड कनोरिया शनि देव मंदिर से प्रमोद के घर तक इण्टरलाकिंग	627329
6.		कज्रौथ हाथरस रोड से शमशान तक खडंजा	600329
7.		नगला चुन्नी मत्रोई में सीजेएस स्कूल तक इण्टरलाकिंग	866434
8		बिदारका में नेत्रपाल सरस्वती विद्या मंदिर से लोधा की सीमा तक इण्टरलाकिंग	995030
9.		इमलिया में अर्जुन के घर से श्समशान तक खडंजा	710573
		वर्ष 21-22 का योग	5949027

प्रस्तर -29- वित्तीय वर्ष 21-22 तक केंद्रीय वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- **1984** के नियम **-39** में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू **5** लाख से अधिक किन्तु रू. **10** लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू. **10** लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली **1984** में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 21-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रू. **5** लाख से अधिक परन्तु रू. **10** लाख से कम लागत के 09 कार्य कराये गये जिन पर रू. 8795090 की लागत रही । इस प्रकार वर्ष 21-22 में कुल 12 कार्यों का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है। जिसकी कुल लागत रू. 8795090 है। उक्त कार्यों के अन्तिम भुगतानों की बहुत छोटी धनराशि रही। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष 2021-22 में रू. **5** लाख व रू. **10** लाख से अधिक के कार्य

क्र0 सं**0**	वर्ष	कार्य का नाम	धनराशि
1.	2021-22	नागला परता में गुलाब के घर से हुकमी के घर तक इंटरलॉकिंग	884210
2		खेडिया गुरदेव में राजकुमार के नाले तक नाली कार्य	778785
3.		उप्स्वस्थ केंद्र नगला फलाहार में मरम्मत कार्य	714878
4.		विशुनपुर में सोनू घर से बम्बा बाइपास तक इंटरलॉकिंग	609956
5.		रायतपुर इमलिया से संजय के भटटा तक खडन्जा	541155
6.		ब्योहारा में रोड के किनारे नाली कार्य	840833
8.		सदुपुरा में ग्रीश के घर से जैथोली मार्ग तक इंटरलॉकिंग/नाली	875310
8		ग्राम फतेहपुर कारस सुरजा रोड पर सत्यपाल के घर से नारायण के तुब्वेल्ल तक इंटरलॉकिंग/नाली	880260
9		नगला नह्चाला में दिनेशसे जगदीश के घर तक इंटरलॉकिंग	650072
10		नगला मोहन में गुड्डी के घर से सामुदायिक शौचालय होते हुवे सत्य प्रकाश के घर तक नाली	883447
11		तेहरा में लाला पाठक के घर से महेंद्र बघेल के घर तक नाली	878902
12		हस्तपुर बघेलों की मध्य में राजेंद्र के घर से खाद के गधों तक नाली	557282
		वर्ष 21-22 का योग	8795090

प्रस्तर -30 - वित्तीय वर्ष 21-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यो की जांच में प्रकाश मे आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय-**3** की धारा **33(2)**में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एव शासनादेश संख्या **8307/33-2-2004-93** जी/**2004** दिनांक **21-01-05** व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या **-4/866/33-2-14—93** जी/**2004** दिनांक **24-06-2014** द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-**33(2)** व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडको, अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है । अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 21-22 में 10 कार्य जिन पर रू**0** 7408797 का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यो के होने डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्या की कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः .त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती भाग्यवान देवी श्री पंकज पाठक एवं खण्ड विकास अधिकारी अरविन्द दुबे दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर काराये गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:--

क्र0 सं**0**	वर्ष	कार्य का नाम	धनराशि
1	21-22	नागला परता में गुलाब के घर से हुकमी के घर तक इंटरलॉकिंग	883210
2		खेडिया गुरदेव में राजकुमार के नाले तक नाली कार्य	778785
3		इमलिया में अर्जुन के घर से श्समश्न तक खडंजा	710573

4		सदुपुरा में ग्रीश के घर से जैथोली मार्ग तक इंटरलॉकिंग/नाली	875310
5		ग्राम फतेहपुर करस सुरजा रोड पर सत्यपाल के घर से नारायण के तुब्वेल्ल तक इंटरलॉकिंग/नाली	880260
6		नगला नह्चाला में दिनेशसे जगदीश के घर तक इंटरलॉकिंग	650072
7		नगला मोहन में गुड्डी के घर से सामुदायिक शौचालय होते हुवे सत्य प्रकाश के घर तक नाली	883447
8		तेहरा में लाला पाठक के घर से महेंद्र बघेल के घर तक नाली	578902
9		हस्तपुर बघेलों की मध्य में राजेंद्र के घर से खाद के गधों तक नाली	557282
10		विशुनपुर में सोनू घर से बम्बा बाइपास तक इंटरलॉकिंग	609956
		योग	7408797

प्रस्तर -31- वित्तीय वर्ष 21-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यो की जांच में प्रकाश मे आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय-**3** की धारा **33(2)** में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एव शासनादेश संख्या **8307/33-2-2004-93** जी/**2004** दिनांक **21-01-05** व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या **-4/866/33-2-14—93** जी/**2004** दिनांक **24-06-2014** द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-**33-2** व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडको, अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है । अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 21-22 में 03 कार्य जिन पर रू**0** 2572037 का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यो के होने डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्या की कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः .त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर काराये गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:--

क्र0 सं**0**	वर्ष	कार्य का नाम	धनराशि
1.	21-22	नगला चुन्नी मत्रोई में सीजेएस स्कूल तक इण्टरलाकिंग	866434
2		बिदारका में नेत्रपाल सरस्वती विद्या मंदिर से लोधा की सीमा तक इण्टरलाकिंग	995030
3		इमलिया में अर्जुन के घर से श्समशान तक खडंजा	710573
		योग	2572037

7-संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत अतरौली जनपद- अलीगढ़ मण्डल- अलीगढ़

प्रस्तर -32- क्षेत्र पंचायत अतरौली के वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम -39 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू 5 लाख से अधिक किन्तु रू. 10 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू. 10 लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रू. 5 लाख से अधिक परन्तु रू. 10 लाख से कम लागत के 08 कार्य कराये गये जिन पर रू. 6054770-00 की लागत रही। इस प्रकार वर्ष 2021-22 में कुल 08 कार्यों पर किये गये व्यय का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है। जिसकी कुल लागत रू. 6054770-00 है। उक्त कार्यों के अन्तिम भुगतानों की बहुत छोटी धनराशि रही। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता प्रवीन कुमार एवं खण्ड विकास अधिकारी संजय कुमार, राहुल वर्मा दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष 2021-22 में रू. 5 लाख व रू. 10 लाख से अधिक के कार्य

क्र0स0	वर्ष	कार्य का नाम	धनरशी
1	21-22	प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र नहल का मरम्मत कार्य	994029-00
2		भविगढ में सुरेश के घर से अदयवीर के घर तक नाली / इण्टर0	983474-00
3		गोवली में सुजान सिंह के मकान से दाउदगढी तक मि0 ख0 कार्य	929134-00
4		अरफाबाद में नेम सिंह के मकान से मन्दिर तक मि0 ख0 कार्य	598830-00
5		इज्जतपुर निसारपुर मे जू0हा0स्कूल से बम्बा पटरी तक मि0 खडण्जा कार्य	862798-00
6		प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र सूरतगढ(सहनोल) का मरम्मत कार्य	823902-00
7		सूरतगढ में इन्द्रपाल के खेत से चालाकपुर तक मिटटी खडण्जा कार्य	862603-00
		वर्ष 2021-22 का	6054770-00

प्रस्तर -33 -वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम -39 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू 5 लाख से अधिक किन्तु रू. 10 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू. 10 लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रू. 5 लाख से अधिक परन्तु रू. 10 लाख से कम लागत के 14 कार्य कराये गये जिन पर रू. 11205408-00 की लागत रही। इस प्रकार वर्ष 2021-22 में कुल 14 कार्यों पर किये गये व्यय का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है। जिसकी कुल लागत रू. 11205408-00है। उक्त कार्यों के अन्तिम भुगतानों की बहुत छोटी धनराशि रही। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष 2021-22 में रू. 5 लाख व रू. 10 लाख से अधिक के कार्य

क्र0	वर्ष	कार्य का विवरण	धनराशि
1	2021-22	ग्राम ग्राम पिलखुनी में रामघाट रोड से डोरी लाल के घर तक इण्टर0	871766
2		विकास खण्ड में पार्क में लगे वृक्षो के संरक्षण हेतु बाउनड्ररी निर्माण कार्य	804965
3		ग्राम गडिया चाउपुर हौज में जगदीश के घर से प्रताप सिंह की चक्की तकनाली/इण्टरलाक	878986
4		ग्राम हरचन्द्रपुर में घूरी सिंह के घर से द्वारिका प्रसाद के घर तक तथा बेनी राम	846440
5		खेडिया ताल्लुक लौहगढ में सुरेश की दुकान से पप्पू के घर तक नाली/ इण्टरलाकिंग कार्य	861951
6		ग्राम गनियावली में पक्की सडक से पू0 प्रा0वि0 तक नाली/इण्टर	842973
7		ग्राम खैराबाद नगलिया में डाबर रोड से डोरी लाल के घर तक नाली/इण्टर	887235
8		ग्राम मधुपुर में लटूरी के घर से राम चरन के मकान तक नाली/इण्टर	735820
9		मुरादपुर में महावीर सिंह के घर से सूरजपाल के घर तक नाला निर्माण	639945
10		ग्राम काजिमाबाद में टावर से मंगल सिंह के घर तक नाला निर्माण	713149
11		सहनौल सामुदायिक शौचालय से बब्लू जाटव के घर तक यू नाली निर्माण	781988
12		चण्डौला सुजानपुर में मुनेन्द्र के घर से पोखर तक नाला निर्माण	539783
13		पहाडगढी में पथवारी से लेबर खडण्जा बम्बा तक नाली निर्माण	871297
14		बढौली में जयपाल सिंह के टावर से पोखर तक यू टाइप नाली	929110
	योग		11205408

प्रस्तर -34- वित्तीय वष 2021-22 तक राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यो की जांच में प्रकाश मे आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एव शासनादेश संख्या8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 21-01-05 व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या -4/866/33-2-14-93जी/2004 दिनांक 24-06-2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-33(2) व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडको, अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप् में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है । अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में 05 कार्य जिन पर रू0 4236839-00का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यो के होने डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य की कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः .त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री केहर सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राजेश्वरी देवी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर काराये गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:--

क्र0	वर्ष	कार्य का विवरण	धनराशि
1	2021-22	भविगढ में सुरेश के घर से अदयवीर के घर तक नाली / इण्टर0	983474-00
2		गोवली में सुजान सिंह के मकान से दाउदगढी तक मि0 ख0 कार्य	598830-00
3		अरफाबाद में नेम सिंह के मकान से मन्दिर तक मि0 ख0 कार्य	929134-00
4		इज्जतपुर निसारपुर मे जू0हा0स्कूल से बम्बा पटरी तक मि0 खडण्जा कार्य	862798-00
		सूरतगढ में इन्द्रपाल के खेत से चालाकपुर तक मिटटी खडण्जा कार्य	862603-00
		योग	4236839-00

प्रस्तर -35 -वित्तीय वष 2021-22 तक केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यो की जांच में प्रकाश मे आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एव शासनादेश संख्या8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 21-01-05 व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या - 4/866/33-2-14-93जी/2004 दिनांक 24-06-2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-33(2) व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडको, अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप् में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है । अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में 13 कार्य जिन पर रू0 100400443-00 का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यो के होने डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्या की कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः .त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री केहर सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती राजेश्वरी देवी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर काराये गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:--

क्र0	वर्ष	कार्य का विवरण	धनराशि
1	2021-22	ग्राम ग्राम पिलखुनी में रामघाट रोड से डोरी लाल के घर तक इण्टर0	871766-00
2		ग्राम गडिया चाउपुर हौज में जगदीश के घर से प्रताप सिंह की चक्की तकनाली/इण्टरलाक	878986-00
3		ग्राम हरचन्द्रपुर में घूरी सिंह के घर से द्वारिका प्रसाद के घर तक तथा बेनी राम के घर सेजमुना प्रसाद के घर तक नाली/ इण्टरलाकिग कार्य	846440-00
4		खेडिया ताल्लुक लौहगढ में सुरेश की दुकान से पप्पू के घर तक नाली/ इण्टरलाकिंग कार्य	861951-00
5		ग्राम गनियावली में पक्की सडक से पू0 प्रा0वि0 तक नाली/इण्टर	842973-00
6		ग्राम खैराबाद नगलिया में डाबर रोड से डोरी लाल के घर तक नाली/इण्टर	887235-00
7		ग्राम मधुपुर में लटूरी के घर से राम चरन के मकान तक नाली/इण्टर	735820-00
8		मुरादपुर में महावीर सिंह के घर से सूरजपाल के घर तक नाला निर्माण	639945-00
9		ग्राम काजिमाबाद में टावर से मंगल सिंह के घर तक नाला निर्माण	713149-00
10		सहनौल सामुदायिक शौचालय से बब्लू जाटव के घर तक यू नाली निर्माण	781988-00
11		चण्डौला सुजानपुर में मुनेन्द्र के घर से पोखर तक नाला निर्माण	539783-00
12		पहाडगढी में पथवारी से लेबर खडण्जा बम्बा तक नाली निर्माण	871297-00
13		बढौली में जयपाल सिंह के टावर से पोखर तक यू टाइप नाली	929110-00
			10400443-00

प्रस्तर -36 --आलोच्य वर्ष में 15वें वित्त आयोग की टाइड ग्रान्ट से जो कार्य कराये गये हैं, उनकी सूची निम्नवत है –

क्र0सं0	क्र0सं0	लागत धनराशि (रू0 में)
1	मुरादपुर में महावीर सिंह के घर से सूरजपाल के घर तक नाला निर्माण	639945-00
2	ग्राम काजिमाबाद में टावर से मंगल सिंह के घर तक नाला निर्माण	713149-00
3	सहनौल सामुदायिक शौचालय से बब्लू जाटव के घर तक यू नाली निर्माण	781988-00
4	नरौरा आलमपुर में मास्टर रातें सिंह के प्लाट से वेड राम के घर तक यू टाइप नाली	436666-00
5	पहाडगढी में पथवारी से लेबर खडण्जा बम्बा तक नाली निर्माण	871297-00

6	बढौली में जयपाल सिंह के टावर से पोखर तक यू टाइप नाली	929110-00
7	चण्डौला सुजानपुर में मुनेन्द्र के घर से पोखर तक नाला निर्माण	539783-00
		4911938-00

उपरोक्त 7 कार्यों में से 5 कार्य यू टाइप नाली नाला निर्माण के हैं तथा एक कार्य पोखर तक नाली निर्माण का हैं 15वें वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुलग्नक-111सी में उल्लिखित (ब्लॉक और जिला स्तर पर स्वच्छता संबंधी कार्यों/गतिविधियों की सांकेतिक सूची) कार्य के शीर्षक तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य: गांवों के एक समूह से एक सामान्य उपचार इकाई तक अपशिष्ट जल के परिवहन के लिए जल निकासी व्यवस्था। जहां गांवों के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं है और सामान्य उपचार सुविधा ही एकमात्र व्यवहार्य समाधान है। के अन्तर्गत मानी जा सकती है। परन्तु लेखा परीक्षा में इन कार्यों में निम्न न्यूनताऐं/आपत्तियाँ पाई गईं:-

1.यहाँ गाँवों के समूह की शर्त पूरी नहीं हो रही है।

2.प्राकृतिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट में स्टेबिलाइजेशन/आक्सीजन तालाब माने जाते हैं, जो पाँच प्रकार के होते हैं। इनकी विशिष्ट डिजाइन, लम्बाई, चैड़ाई एवं गहराई, क्षमता आदि अलग-अलग होती है। तालाब की जियो टैगिंग एवं सूची सहित उपरोक्त तथ्य लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से यह ज्ञात न हो सका कि क्या यह तालाब वास्तव में वाटर ट्रीटमेंट यूनिट का कार्य कर रहा है। अतः गाँवों के समूह की शर्त एवं उपरोक्त तथ्यों की अनुपलब्धता के कारण इस अनुदान के नियमानुसार समुचित उपभोग की पुष्टि न हो सकी। गाँव के समूह की शर्त पूरी न होने एवं तालाब के वाटर ट्रीटमेंट यूनिट की तरह कार्य करने के तथ्यों की पुष्टि न होने तक यह कार्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का उल्लंघन था। इस कारण क्रमांक 6 व 7 के दो कार्यों जिन पैर रू0 1468893-00 का यह कार्य अनियमित रहा। इस सम्बन्ध में परिपालन एवं आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

इसी प्रकार उक्त सूची के पहले तीन कार्यों में नाली/नाला निर्माण को किसी वाटर ट्रीटमेंट यूनिट तक नहीं बनाया गया है तथा गाँवों के समूह की शर्त यहाँ भी पूरी नहीं की गई है। अतः यह इन पाचों कार्यों की कुल लागत धनराशि रू0 3543045-00 दुरूपयोग की श्रेणी में है।

साथ ही इस अनुदान के मैनुअल (15वें वित्त आयोग) के बिन्दु 5.1 के अनुसार "बंधे हुए अनुदान का उपयोग (क) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण और (ख) स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति का रखरखाव और ..... के लिए किया जा सकता है।

आरएलबी जहां तक संभव हो, इन दो महत्वपूर्ण सेवाओं में से प्रत्येक के लिए बंधे हुए अनुदान का आधा हिस्सा निर्धारित करेंगे। हालांकि, यदि किसी आरएलबी ने एक श्रेणी के तहत आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा कर लिया है और उसे उस उद्देश्य के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, तो वह दूसरी श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकता है, उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थानीय निकाय ने अपने अधिकार क्षेत्र के सभी लोगों को पेयजल आपूर्ति प्रदान की है, तो वह स्वच्छता के लिए धन का उपयोग कर सकता है और इसके विपरीत। संबंधित ग्राम सभा इसे प्रमाणित करेगी, और पंचायत या राज्य सरकार के पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा इसकी विधिवत पुष्टि की जाएगी। परन्तु आलोच्य वर्ष में दोनों प्रकार के कार्य 50-50 प्रतिशत नहीं कराये गये हैं और एक प्रकार के कार्यों की संतृप्तता के लिए उपरोक्त प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया है। समस्त कार्य नाली/नाला निर्माण के ही कराये गये हैं।

अतः उपरोक्त उल्लिखित आपत्तियों के कारण सूची के क्रमांक-4 का कार्य अनियमित एवं पहले 3 कार्य दुरूपयोग की श्रेणी में रहे। इसके लिए संस्था की कार्यवाही में उपस्थित क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

8-संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत गंगीरी जनपद- अलीगढ़ मण्डल- अलीगढ़

प्रस्तर -37-- **<u>क्षेत्र पंचायत गंगीरी</u>** के वित्तीय वर्ष **2021-22** में राज्य वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- **1984** के नियम **-39** में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू **5** लाख से अधिक किन्तु रू. **10** लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू. **10** लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली **1984** में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष **2021-22** में राज्य वित्त आयोग के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रू. **5** लाख से अधिक परन्तु रू. **10** लाख से कम लागत के **13** कार्य कराये गये जिन पर रू. **11465611-00** की लागत रही। इस प्रकार वर्ष **2021-22** में कुल **13** कार्यों पर किये गये व्यय का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है। जिसकी कुल लागत रू. **11465611-00** है। उक्त कार्यों के अन्तिम भुगतानों की बहुत छोटी धनराशि रही। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री सुरेन्द्र सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रेयश कुमार श्रीमती शैली गोविल श्रीमती स्मृति अवस्थी दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष **2021-22** में रू. **5** लाख व रू. **10** लाख से अधिक के कार्य

क्र०	कार्य का विवरण	धनराशी
1	ग्राम आलमपुर के पिपरिया नगला में शिव मंदिर से प्रायमरी पाठशाला तक मिटटी खडन्जा	592603

2	ग्राम अरनी में हाफिज जी के खेत से मरघट तक मिटटी खडन्जा	990575
3	ग्राम दतावाली में चमड़ से चाँद गढ़ी पुलिया तक मिटटी खडन्जा	976318
4	ग्राम अरनी में राजू के ट्यूबवेल से अरनी प्लांट तक मिटटी खडन्जा	994031
5	बाईकलां में वीरसिंह चैधरी की मढिया से जजाथल से बाई खडण्जा मार्ग पर रामफल के खेत तक मिटटी खडण्जा कार्य	**996579**
6	चांदगढी दतावली में रनवीर के टयूबवेल से प्रा0 प्रा0 तक मिटटी खडण्जा कार्य	**992830**
7	बिलौना चितरासी में मलसई भीकनपुर मार्ग से सुम्मेर नगला तक मिटटी खडण्जा कार्य	**992189**
8	सुनपहर में गुडडू के घर से सियाराम के खेत/छर्रा मार्ग तक मिटटी खडण्जा कार्य	**986984**
9	टीकरी में पक्की सडक से सरकारी हास्पिटल तक मिटटी खडण्जा कार्य	**550182**
10	जजाथल में ओम प्रकाश के टयूबवेल से रामचन्द्र के टयूबवेल तक मिटटी खडण्जा कार्य	**724621**
11	आफत नगल में ओनारी के खेत से राधेश्याम के खेत तक मिटटी खडण्जा कार्य	**687510**
12	बरला उतरा मार्ग पर संत साहब के बाग से नगला फिटकरी तक मिटटी खडण्जा कार्य	**988832**
13	बोनई में बिजली घर से गुलरिया नगला तक मिटटी खडण्जा कार्य	**992357**
	योग	11465611

प्रस्तर -38- क्षेत्र पंचायत गंगीरी के वित्तीय वर्ष **2021-22** में केन्द्रीय से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- **1984** के नियम **-39** में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू **5** लाख से अधिक किन्तु रू. **10** लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू. **10** लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली **1984** में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष **2021-22** में राज्य वित्त आयोग के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रू. **5** लाख से अधिक परन्तु रू. **10** लाख से कम लागत के **11** कार्य कराये गये जिन पर रू. 8614065**-00** की लागत रही। इस प्रकार वर्ष **2021-22** में कुल **11** कार्यों पर किये गये व्यय का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है। जिसकी कुल लागत रू8614065**-00** है। उक्त कार्यों के अन्तिम भुगतानों की बहुत छोटी धनराशि रही। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष **2021-22** में रू. **5** लाख व रू. **10** लाख से अधिक के कार्य

क्र०	कार्य का विवरण	धनराशी
1	ग्राम बरला में कालीचरन की मडिया से नरायण स्वरूप के खेत मिटटी खडण्जा कार्य	**529115**
2	ग्राम राजगढ टीला में किशनलाल के घर से बुधसेन के खेत मिटटी खडण्जा कार्य	**995637**
3	ग्राम धनसारी में भगीरथी के घर से मिस्त्रियों के कब्रिस्तान मिटटी खडण्जा कार्य	**996910**
4	ग्राम भोनई में अब्दुल जफर के घर से स्कूल तक दोनो तरफ नाली निर्माण	**515060**
5	जिरौली में नेत्रपल के घर से तलब तक यू टाइप नाली निर्माण	**541486**
6	ग्राम जजाथल में अनार सिंह के प्लाट से नदी तक यूटाइप नाली निर्माण	**991978**
7	रहमापुर न0 बलदेव में जय सिंह के घर से बाईपास पोखर तक यूटाइप नाली निर्माण	**996781**
8	ग्राम धनसारी में उमाशंकर के खेत तक यू टाइप नाली निर्माण	**986552**
9	ग्राम बाजिदपुर में धर्मशाला से गडढा तक यूटाप नाली निर्माण	**777116**
10	नगला मोहन में विनोद के घर से सरकारी पोखर तक यू टाइप नाली निर्माण	**651707**
11	ग्राम गंगीरी में राधेश्याम कुशवाहा के घर से कल्लू की खोखा तक यू टाइप	**631723**
	योग	8614065

प्रस्तर -39- वित्तीय वर्ष **2021-22** तक राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यो की जांच में प्रकाश मे आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय-**3** की धारा **33(2)** में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एव शासनादेश संख्या **8307@33&-2&-2004@-93** जी/**2004** दिनांक **21-01-05** व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या **-4@866@33&-2-14&-93** जी/**2004** दिनांक **24-06-2014** द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-**33--¼2½** व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडको, अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है । अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष **2021-22** में 11 कार्य जिन पर रू**0 7498717** का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यो के होने डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्यों की कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः .त्रुटिपूर्ण रही। उक्त

वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती अंगूरी देवी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती वीरवती दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर काराये गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:--

क्र०	कार्य का विवरण	धनराशी
1	ग्राम आलमपुर के पिपरिया नगला में शिव मंदिर से प्रायमरी पाठशाला तक मिटटी खडन्जा	592603
2	ग्राम अरनी में हाफिज जी के खेत से मरघट तक मिटटी खडन्जा	990575
3	ग्राम दतावाली में चमड़ से चाँद गढ़ी पुलिया तक मिटटी खडन्जा	976318
4	ग्राम अरनी में राजू के ट्यूबवेल से अरनी प्लांट तक मिटटी खडन्जा	**994031**
5	चांदगढी दतावली में रनवीर के टयूबवेल से प्रा0 प्रा0 तक मिटटी खडण्जा कार्य	**992830**
6	आलमपुर में ममता के घर से चामड तक मिटटी खडण्जा कार्य	**352460**
7	टीकरी में पक्की सडक से सरकारी हास्पिटल तक मिटटी खडण्जा कार्य	**550182**
8	हसनपुर देहमाफी में शान मिया के भटटे से मरघट तक मिटटी खडण्जा कार्य	**402386**
9	जजाथल में ओम प्रकाश के टयूबवेल से रामचन्द्र के टयूबवेल तक मिटटी खडण्जा कार्य	**724621**
10	आफत नगल में ओनारी के खेत से राधेश्याम के खेत तक मिटटी खडण्जा कार्य	**687510**
11	कासिमपुर में लायक सिंह की समर से ओमवीर सिंह के खेत तक मिटटी खडण्जा कार्य	**237201**
	योग	**7498717**

प्रस्तर -40- वित्तीय वष **2021-22** तक केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यो की जांच में प्रकाश मे आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय-**3** की धारा **33--½2½** में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एव शासनादेश संख्या **830@33&-2-&2004-&93** जी/**2004** दिनांक **21-01-05** व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या **-4@866@33-&2&-14&93** जी/**2004** दिनांक **24-06-2014** द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-**33--½2½** व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडको, अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप् में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है । अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष **2021-22** में **13** कार्य जिन पर रू**0 15222458** का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यो के होने डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य की कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः .त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर काराये गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:--

क्र०	कार्य का विवरण	धनराशी
1	ग्राम बरला में कालीचरन की मडिया से नरायण स्वरूप के खेत मिटटी खडण्जा कार्य	**529115**
2	ग्राम राजगढ टीला में किशनलाल के घर से बुधसेन के खेत मिटटी खडण्जा कार्य	**995637**
3	ग्राम धनसारी में भगीरथी के घर से मिस्त्रियों के कब्रिस्तान मिटटी खडण्जा कार्य	**996910**
4	ग्राम भोनई में अब्दुल जफर के घर से स्कूल तक दोनो तरफ नाली निर्माण	**515060**
5	मझौला में गंगासहाय से मरघट तक यू टाइप नाली निर्माण	**351075**
6	जिरौली में नेत्रपल के घर से तालाब तक यू टाइप नाली निर्माण	**541486**
7	दतावली में रघुवीर सिंह के घर से पोखर तक यू टाइप नाली निर्माण	**244022**
8	ग्राम आफत न0 में प्रेमपाल दूधिया के मकान से सरकारी पोखर तक यूटाइप नाली निर्माण	**400098**
9	ग्राम आफत न0 में रक्षपाल के मकान से राधेश्याम के खेत तक यू टाइप नाली निर्माण	**203240**
10	ग्राम धनसारी में उमाशंकर के खेत तक यू टाइप नाली निर्माण	**986552**
11	ग्राम बाजिदपुर में धर्मशाला से गडढा तक यूटाप नाली निर्माण	**777116**

12	नगला मोहन में विनोद के घर से सरकारी पोखर तक यू टाइप नाली निर्माण	651707
13	ग्राम गंगीरी में राधेश्याम कुशवाहा के घर से कल्लू की खोखा तक यू टाइप	631723
	योग	15222458

9 - **संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत धनीपुर जनपद- अलीगढ़ मण्डल- अलीगढ़**

प्रस्तर -41-अ क्षेत्र पंचायत धनीपुर के वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम -39 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू 5 लाख से अधिक किन्तु रू. 10 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू. 10 लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रू. 5 लाख से अधिक परन्तु रू. 10 लाख से कम लागत के 09 कार्य कराये गये जिन पर रू. 6495077-00 की लागत रही। इस प्रकार वर्ष 2021-22 में कुल 09 कार्यों पर किये गये व्यय का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है। जिसकी कुल लागत रू. 6495077-00 है। उक्त कार्यों के अन्तिम भुगतानों की बहुत छोटी धनराशि रही। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष 2021-22 में रू. 5 लाख व रू. 10 लाख से अधिक के कार्य

क्र०	वर्ष	कार्य का विवरण	धनराशी
	2021-22	विकास खण्ड कार्यालय में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	681232
		गडराना में प्रा0स्वा0केन्द्र बाउन्ड्री वाल निर्माण	895616
		ग्राम पनेठी के स्वास्थ केन्द्र का सोदर्यीकरण कार्य	977105
		बुढासी इटावली में कुलदीप के घर से पुष्पेन्द्र फौजी के घर तक सी0सी0	721528
		भूडा किशनगढी में चरन सिंह के खेत से आमदपाल के खेत तक मि0ख0	617557
		बहरामपुर में मेनरोड से सत्यप्रकाश के खेत तक मि0 /ख0	986744
		भटौला में प्रदीप शर्माके घर से शेखुपुर खरई सम्पर्क मार्ग तक इण्टर	658835
		खरई में दीवान सिंह के घर से जफरूद्दीन रमेश के घर तक इण्टर	956460
		ग-वर्ष 2021.22 का योग	6495077

1-ब-वित्तीय वर्ष 2021.22 में केन्द्रीय वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम -39 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू 5 लाख से अधिक किन्तु रू. 10 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू. 10 लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2021.22 में राज्य वित्त आयोग के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रू. 5 लाख से अधिक परन्तु रू. 10 लाख से कम लागत के 05 कार्य कराये गये जिन पर रू. 3534062.00 की लागत रही। इस प्रकार वर्ष 2021.22 में कुल 05 कार्यों पर किये गये व्यय का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है। जिसकी कुल लागत रू. 3534062.00 है। उक्त कार्यों के अन्तिम भुगतानों की बहुत छोटी धनराशि रही। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष 2021.22 में रू. 5 लाख व रू. 10 लाख से अधिक के कार्य

क्र०	वर्ष	कार्य का विवरण	धनराशी
1	2021-22	ग्रा0 पं0 आदौन में रामकुमार के टयूबबेल के पास सामुदायिक शोचालय निर्माण	562481
2		विकास खण्ड परिसर में सामुदायिक शोचालय निर्माण	587771
3		महमूदपुर में जनसेवा केन्द्र का निर्माण	734440
4		दारापुर में सुरजैन सिंह के घर से ओमप्रकाश के घर तक मिट्टी/खडण्जा	986790
5		ईमलानी में डाबर सडक से चित्र रोज के टयूबवेल तक मिट्टी/खडण्जा	662580
		ग-वर्ष 2021.22 का योग	3534062

प्रस्तर -42-अ- वित्तीय वष 2021.22 तक राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यो की जांच में प्रकाश मे आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33;2 में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एव शासनादेश संख्या 8307/33–.2–.2004/.93 जी/2004 दिनांक 21.01.05 व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या -4/866/33–.2.14–.93 जी/2004 दिनांक 24.06.2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-33..(2) व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडकों अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित

धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है । अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2021.22 में 06 कार्य जिन पर रू0 4066653.00 का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यो के होने डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्याे की कार्य योजना का प्रस्तावए उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः .त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर कारये गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:--

क्र०	वर्ष	कार्य का विवरण	धनराशी
1	2021-22	बुढासी इटावली में कुलदीप के घर से पुष्पेन्द्र फौजी के घर तक सी0सी0	7215282
2		मीरपुर में प्रा0वि0 से दानवीर के खेत तक इण्टरलार्किंग कार्य	225529
3		भूडा किशनगढी में चरन सिंह के खेत से आमदपाल के खेत तक मि0ध्ख0	617557
4		बहरामपुर में मेनरोड से सत्यप्रकाश के खेत तक मि0 ध्ख0	986744
5		भटौला में प्रदीप शर्माके घर से शेखुपुर खरई सम्पर्क मार्ग तक इण्टर	658835
6		खरई में दीवान सिंह के घर से जफरूद्दीन रमेश के घर तक इण्टर	956460
		ग-वर्ष 2021.22 का योग	4066653

-ब- वित्तीय वष 2021.22 तक केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यो की जांच में प्रकाश मे आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33..(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एव शासनादेश संख्या 830/33–.2.–2004.–93 जी/2004 दिनांक 21.01.05 व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या -4/866/33.–2–.14–93 जी/2004 दिनांक 24.06.2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-33..(2) व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडकों अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप् में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है । अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2021.22 में 05 कार्य जिन पर रू0 2468851.00 का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यो के होने डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य की कार्य योजना का प्रस्ताव उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः .त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर कारये गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:--

क्र०	वर्ष	कार्य का विवरण	धनराशी
1	2021-22	ग्रा0 पं0 आदौन में रामकुमार के टयूबबेल के पास सामुदायिक शा0 निर्माण	562481
2		महमूदपुर में जनसेवा केन्द्र का निर्माण	734440
3		दुम्हौरा में डाबर सडक से बम्बा की पुलिया तक मि0ध्खडण्जा कार्य	185140
4		दारापुर में सुरजैन सिंह के घर से ओमप्रकाश के घर तक मिट्टी/खडण्जा	986790
5		ईमलानी में डाबर सडक से चित्र रोज के टयूबवेल तक मिट्टी/खडण्जा	662580
		वर्ष 2021.22 का योग	2468851

प्रस्तर -43-.वित्तीय वर्ष 2021.22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराये गये कार्यो में कुल भुगतान जी0एस0टी0 सहित पर लेबर सेस न काटकर फर्म को भुगतान की गई जी0एस0टी0 को घटा कर शेष धनराशि पर लेबर सेस का आगणन कर कटौती कर फर्म को अनियमित लाभ देते हुए राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाते हुए अपरोक्ष रूप में अपहरण किया गया।

क्र0 सं0	कराया गया कार्य	कार्य पर कुल व्यय	सेस जो काटा जाना चाहिए	सेस जो काटा गया	अन्तर
1	विकास खण्ड कार्यालय में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	681232	6812	6083	729
2	गडराना में प्रा0स्वा0केन्द्र बाउन्ड्ी वाल निर्माण	895616	8956	8890	66
3	ग्राम पनेठी के स्वास्थ केन्द्र का सोदर्यीकरण कार्य	977105	9771	8724	1047
4	बुढासी इटावली में कुलदीप के घर से पुष्पेन्द्र फौजी के घर तक सी0सी0	721528	7215	6442	773
5	भूडा किशनगढी में चरन सिंह के खेत से आमदपाल के खेत तक मि0 ख0	617557	6176	5514	662
6	बहरामपुर में मेनरोड से सत्यप्रकाश के खेत तक मि0ध्ख0	986744	9867	8810	1057
7	भटौला में प्रदीप शर्माके घर से शेखुपुर खरई सम्पर्क मार्ग तक इण्टर	658835	6588	5882	706
8	खरई में दीवान सिंह के घर से जफरूद्दीन रमेश के घर तक इण्टर	956460	9565	8540	1025
9	मीरपुर में प्रा0वि0 से दानवीर के खेत तक इण्टरलार्किंग कार्य	225529	2255	2014	241
	योग				6306

उक्त विवरण के अनुसार रू0 6306.00 की कम कटौती की गई जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार दोषी एवं उत्तरदरायी है। अतः रू0 6306.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार वीरेन्द्र कुमार गुप्ता से की जानी अपेक्षित है।

10 - संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत खैर जनपद- अलीगढ मण्डल- अलीगढ

प्रस्तर -44-वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम -39 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू 5 लाख से अधिक किन्तु रू. 10 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू. 10 लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रू. 5 लाख से अधिक परन्तु रू. 10 लाख से कम लागत के 08 कार्य कराये गये जिन पर रू. 11606725 की लागत रही। इस प्रकार वर्ष 2021-22 में कुल 15 कार्यों पर किये गये व्यय का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है। उक्त कार्यों के अन्तिम भुगतानों की बहुत छोटी धनराशि रही। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी मनीष वर्मा दोषी एवं उत्तरदायी है। आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है:- वर्ष 2021-22 में रू. 5 लाख व रू. 10 लाख से अधिक के कार्य:-

क्र.	कार्य का नाम	व्यय
1	प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक पाठशाला में चारदीवारी कार्य	929592
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शिवाला में सौंदयकरण योग धनराशि	853256
	योग	1782848

प्रस्तर -45- वित्तीय वर्ष 2021-22 तक राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यो की जांच में प्रकाश मे आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय- 3 की धारा 33 (2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एव शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी /2004 दिनांक 21-01-2005 व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या - 4 / 866/33-2-14- 93जी/2004 दिनांक 24-06-2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-33(2) व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडको, अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार त्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है । अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष **2021.22** में **06** कार्य जिन पर रू**0 4066653.00** का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यो के होने डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्याे की कार्य योजना का प्रस्ताव उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः .त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर काराये गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:--

क्र.	कार्य का नाम	व्यय
1	प्राथमिक पूर्व माध्यमिक पाठशाला में चहरदीवारी	929591
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शिवाला में सौदयीकरण	853256
3	ग्राम पंचायत सोफ़ा में आरसीसी श्मशान शेड निर्माण	451307
4	ग्राम पंचायत सोफ़ा में आरसीसी श्मशान में बैठने के लिए शेड निर्माण	421310
	योग	2655465

प्रस्तर -46- आलोच्य वर्ष में ठेकेदारों के बिलों से लेबर सेस की कटौती दर 1% की दर से की गई है। किन्तु यह कटौती ठेकेदार को बिना जीएसटी भुगतान यानि जीएसटी के योग से पूर्व की गई है। जबकि यह कटौती दे जीएसटी को जोड़ कर की जानी चाहिए थी। यह अंतर की धनराशि कल रुपये 5689.00 की है। यह राजस्व का नुकसान है। उक्त के लिए तत्कालीन लेखाकार श्री सुरेश चंद्र उत्तरदायी हैं। उक्त की वसूली श्री चंद्र से कर क्षेत्र पंचायत कोश में जमा किया. जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -47-आलोच्य वर्ष में केवल टेंडर प्राप्तकर्ता ठेकेदार से ही धरोहर राशि टेंडर डालते समय रखवाने का दृष्टांत प्राप्त होता है। लेखाकार ने बताया की सभी ठेकेदारों से धरोहर राशि क्षेत्र पंचायत के पक्ष में एफडीआर के रूप में प्राप्त की गई थी। किन्तु कार्य का टेंडर एक ठेकेदार को प्राप्त हो जाने के बाद केवल विजेता ठेकेदार की राशि रखकर बाकी सब को वापस कर दिया गया। किन्तु नियमतः धरोहर राशि के एफडीआर की फोटोकापी फाइल में संरक्षित नहीं की गई गई है। यह रखा जाना चाहिए था। किसी भी कार्य के सूचित के लिए यह आवश्यक था। अतः क्षेत्र पंचायत के द्वारा कराए गए गए सभी टेंडर जो की कुल रुपये 3160069.00 के हैं, को अनियमित की श्रेणी में रखा जाता है। (मूल आपत्ती की संख्या-15)

11-क्षेत्र पंचायत लोधा जनपद- अलीगढ मण्डल-अलीगढ

प्रस्तर -48- क्षेत्र पंचायत लोधा के वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम -39 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू 5 लाख से अधिक किन्तु रू. 10 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू. 10 लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही

निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रू. 5 लाख से अधिक परन्तु रू. 10 लाख से कम लागत के 10 कार्य कराये गये जिन पर रू. 6895211–00 की लागत रही । इस प्रकार वर्ष 2020-21 में कुल 10 कार्यों पर किये गये व्यय का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है, जिसकी कुल लागत रू. 6895211–00 है। उक्त कार्यों का भुगतान एक बार में कुल कार्य हो जाने के पश्चात् किया गया । यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष 2020-21 में रू. 5 लाख व रू. 10 लाख से अधिक के कार्य

क्र0	कार्य का विवरण	धनराशि
1	ग्राम तालसपुर कलां मे अशोक के प्लाट से अतुल के घर तक इण्टर/नाली	857000
2	विकास खण्ड परिसर में कार्यालय की मरम्मत का कार्य	956948
3	ग्राम डिगसी में जलालुद्दीन के घर से ओम कुमार के घर तक इण्टरलार्किंग /नाली	555296
4	विकास खण्ड परिसर में छत्स्ड कार्यालय की मरम्मत का कार्य	532428
5	ग्राम धोर्रापालन में राधेश्याम के घर बाग से रजवाहे पर राधेलाल के खेत तक खडण्जा	507367
6	ग्राम चिलकौरा की रहीमबाग कालोनी में तैफीक के घर से शाकिर के घर तक इण्टर/नाली कार्य	911273
7	ग्राम एसी में एसी सम्पर्क मार्ग से बूढेबाबा मन्दिर तक इण्टर/नाली कार्य	863087
8	ग्राम एदलपुर में अशोक के घर से जगदीश के घर होते हुए सोनपाल के घर तक तक इण्टर/नाली	580176
8	ग्राम बिनूपुरा में न0 मौनी में गोण्डा रोड से रविन्द्र सिंह के घर तक तक इण्टर/नाली कार्य	576763
10	ग्राम चिलकौरा में जे0वी0 शर्मा के मकान से सचिन शर्मा के घर तक तक इण्टर/नाली कार्य	554873
	योग	6895211

b- क्षेत्र पंचायत लोधा के वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम -39 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू 5 लाख से अधिक किन्तु रू. 10 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू. 10 लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

क्र0	कार्य का विवरण	धनराशि
1	ग्राम नीवरी में 4 शीटर सामान्य शौचालय निर्माण कार्य	646524
2	ग्राम पंचायत लोधा में सामान्य स्वास्थ्य केन्द्र में 4 सीटर सामान्य शौचालय निर्माण	646524
3	ग्राम पंचायत सिंघारपुर में राजकीय विद्यालय में 4 सीटर सामान्य शौचालय निर्माण	646524
4	ग्राम पंचायत हसनपुर माजरा अहमदपुर में होमयो0 हा0 में 4 सीटर सामान्य शौ0 निर्माण	646524
5	ग्राम पंचायत हसनपुर माजरा अहमदपुर में एसी मोड पर में 4 सीटर सामान्य शौ0 निर्माण	646524
6	विकास खण्ड लोधा में 4 सीटर सामान्य शौ0 निर्माण	646524
7	ग्राम पंचायत तालसपुर कलां में मेन रोड से रामकुमार के घर के पास इण्टर/नाली	992526
8	ग्राम जिरौली में गजराज शर्मा के घर से महाराज जिसं के घर की ओर इण्टर/नाली	720962
9	नीवरी में रफीक के घर से मुख्य नाले तक नाला निर्माण	843889
10	बाजिदपुर नादा में सी0सी0 रोड से विक्रम सिंह राणा के प्लाट तक इण्टर/नाली कार्य	567487
11	घोरापालन में राधेलाल शर्मा के बाग से नहरपुर तक खडण्जा निर्माण	690085
12	ग्राम भाखरी खास मंे गोपाल सिंह की दुकान से राजपाल के घर तक तक इण्टर/नाली कार्य	944696
13	ग्राम महुआ खेडा में आजोन सिटी मार्ग से वंटी के प्लाट तक इण्टरलार्किंग कार्य	637684
	योग	9276473

वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रू. 5 लाख से अधिक परन्तु रू. 10 लाख से कम लागत के 13 कार्य कराये गये जिन पर रू. 9276473–00 की लागत रही । इस प्रकार वर्ष 2020-21 में कुल 13 कार्यों पर किये गये व्यय का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है, जिसकी कुल लागत रू. 9276473–00 है। उक्त कार्यों का भुगतान एक बार में कुल कार्य हो जाने के पश्चात् किया गया । यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

प्रस्तर -49-अ- वित्तीय वर्ष 2020-21 तक राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यो की जांच में प्रकाश मे आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एव शासनादेश संख्या8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 21-01-05 व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या - 4/866/33-2-14-93जी/2004 दिनांक 24-06-2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-33(2) व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडको, अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप् में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा

आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है । अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 11 कार्य जिन पर रू0 6156903–00 का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यो के होने डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य की कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः .त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर कारावे गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है

क्र0	कार्य का विवरण	धनराशि
1	ग्राम डिगसी में जाखड के घर से चरण सिंह के धर तक इण्टरलार्किंग एवं नाली कार्य	421140
2	ग्राम मूसेपुर में शहीद दलबीर सिंह के घर से रामू के घर तक सी0सी0ध्नाली कार्य	496788
3	ग्राम तालसपुर कलां में अशोक के प्लाट से अतुल के घर तक इण्टर/नाली	857000
4	भगवानपुर में दुर्गा प्रसाद के घर से मस्जिद तक इण्टरलार्किंग व नाली कार्य	455687
5	ग्राम डिगसी में जलालुद्दीन के घर से ओम कुमार के घर तक इण्टरलार्किंग/नाली	555296
6	ग्राम मुकुटगढी में प्रा0स्कूल से श्री नरायण के घर तक इण्टरलार्किंग/नाली	471592
7	ग्राम धोर्रापालन में राधेश्याम के बाग से रजवाहे पर राधेलाल के खेत तक खडण्जा	507367
8	ग्राम देवसैनी में (पंचशील कालोनी) आरती देवी के मकान से संतोष राघव के घर तक इण्टर/नाली	345711
9	ग्राम चिलकौरा की रहीमबाग कालोनी में तैफीक के घर से शाकिर के घर तक इण्टर/नाली कार्य	911273
10	ग्राम एदलपुर में अशोक के घर से जगदीश के घर होते हुए सोनपाल के घर तक तक इण्टर/नाली	580176
11	ग्राम चिलकौरा में जे0वी0 शर्मा के मकान से सचिन शर्मा के घर तक तक इण्टर/नाली कार्य	554873
	योग	6156903

ब- वित्तीय वष 2020-21 तक केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यो की जांच में प्रकाश मे आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एव शासनादेश संख्या8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 21-01-05 व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या -4/866/33-2-14-93जी/2004 दिनांक 24-06-2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-33(2) व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडको, अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप् में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है । अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 12 कार्य जिन पर रू0 7174455–00 का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यो के होने डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्या की कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख गिरीश कुमार यादव एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर कारावे गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0	कार्य का विवरण	धनराशि
1	नगला श्याम में भवरपाल सिंह के घर से वेदराम सिंह के घर तक इण्टर/नाली	419984
2	जिरोली डोर में देवेन्द्र के घर से सोनवीर के घर तक इण्टर/नाली	113155
3	ग्राम नीवरी में 4 शीटर सामान्य शौचालय निर्माण कार्य	646524
4	ग्राम पंचायत दुनई में बादाम के घर से मरघट तक खडण्जा एवं मिटटी भराव	486990
5	ग्राम पंचायत तालसपुर कलां में मेन रोड से रामकुमार के घर के पास इण्टर/नाली	992526
6	ग्राम जिरौली में गजराज शर्मा के घर से महाराज सिंहं के घर की ओर इण्टर/नाली	720962
7	नीवरी में रफीक के घर से मुख्य नाले तक नाला निर्माण	843889
8	ग्राम बादवामनी में रामवीर सिह के घर से गोल कुआं तक इण्टर/नाली कार्य	407360
9	बाजिदपुर नादा में सी0सी0 रोड से विक्रम सिंह राणा के प्लाट तक इण्टर/नाली कार्य	567487
10	ग्राम भाखरी खास मंे गोपाल सिंह की दुकान से राजपाल के घर तक तक इण्टर/नाली कार्य	944696
11	ग्राम भाखरी सेमला मार्ग से रामकुमार के खेत तक तक इण्टर/नाली कार्य	393198
12	ग्राम ग्राम महुआ खेडा में आजोन सिटी मार्ग से वंटी के प्लाट तक इण्टरलार्किंग कार्यं	637684
	योग	7174455

प्रस्तर -50- उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2002 में प्राविधानित है कि एक वैध परिवहन पास (एमएम-11 प्रपत्र) के बिना खनिजों का परिवहन अनियमित है। अग्रेतर, फरवरी-2001, अगस्त-2002 और अक्टूबर-2006 में निर्गत शासकीय आदेशों के अनुसार कार्य सम्पादित करने वाली संस्थाओं को सम्बन्धित जिला खखन अधिकारियों से एमएम-11 प्रपत्रों की वैधता की पुष्टि कराये जाने के बाद ही उनको स्वीकार किया जाना चाहिये। प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी रायल्टी की वसूली के लिए उत्तरदायी है। यदि ठेकेदार द्वारा रायल्टी की रसीद को प्रारूप एमएम-11 के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ठेकेदार के देयक से रायल्टी की कटौती की जानी चाहिये और उसे कोषागार में जमा किया जाना चाहिये। ठेकेदार के बिल भुगतान से पूर्व, उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (

बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली-1965 के नियम संख्या-66 के अनुसार लेखाकार द्वारा बिल का परीक्षण कर " जाच कर ली और सही पाया " का उल्लेख करेगा। जबकि लेखाकार द्वारा ऐसा कोई उल्लेख पत्रावली में कहीं भी नही किया गया है। जिसके सम्बन्ध में मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या-3385(1)/86-2015-292/2015 दि0 15 अक्टूबर, 2015 के प्रस्तर 3(3) के अनुसार यदि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में कार्यदायी संस्था से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किसी भी उप खनिज का प्रयोग बिना बैध अभिवहन प्रपत्र एम0एम0-11 के किया जाता है, तब प्रयुक्त उप खनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य(सामान्यतः रायल्टी का पाच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए निर्धारित लेखा शीर्षक "0853-अलौह" खनन तथा धातुकर्म उघोग-102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जमा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाय। उक्त का पालन नही हुआ। पत्रावली में उपखनिज की रायल्टी कटौती से सम्बंधित कोई प्रपत्र उपलभ्द नहीं रहा।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों को अवैध परिवहन से मंगाकर प्रयुक्त कर कार्य सम्पादित कराया गया है, जो अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है एवं रायल्टी के रूप में प्राप्त होने वाले राजकीय राजस्व की गम्भीर क्षति का प्रकरण है। इस हेतु तत्कालीन लेखाकार सुरेशचन्द्र एवं तत्कालीन अवर अभियन्ता रामसेवक उत्तरदाई एवं दोषी हैं। कतिपय पत्रावलियों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं० सं०	कार्य का नाम	आन्ग्रित रोयल्टी	पांच गुना धनराशी	योग(4+5)	कटी गयी रोयल्टी	अन्तर (6-7)
1	2	4	5	6	7	8
1	ग्राम डिगसी में जाखड के घर से चरण सिंह के धर तक इण्टरलार्किंग एवं नाली कार्य	7966	39830	47796	----	47796
2	ग्राम बादवामनी मे परिक्रमा मार्ग से पंचायत घर सम्पर्क मार्ग पर इण्टर एवं नाली कार्य	8254	41270	49524	——	49524
3	ग्राम मूसेपुर में शहीद दलबीर सिंह के घर से रामू के घर तक सी0सी0ध्नाली कार्य	16702	83510	100212	——	100212
4	ग्राम तालसपुर कलां में अशोक के प्लाट से अतुल के घर तक इण्टर/नाली	16750	83750	100500	——	100500
5	विकास खण्ड परिसर में कार्यालय की मरम्मत का कार्य	21745	108725	130470	——	130470
6	भगवानपुर में दुर्गा प्रसाद के घर से मस्जिद तक इण्टरलार्किंग व नाली कार्य	10375	51`875	62250	----	62250
7	ग्राम डिगसी में जलालुद्दीन के घर से ओम कुमार के घर तक इण्टरलार्किंग/नाली	9268	46340	55608	——	55608
8	विकास खण्ड परिसर में छत्स्ड कार्यालय की मरम्मत का कार्य	13985	69925	83910	——	83910
9	ग्राम मुकुटगढी में प्रा0स्कूल से श्री नरायण के घर तक इण्टरलार्किंग/नाली	8288	41440	49728	——	49728
10	ग्राम देवसैनी में (पंचशील कालोनी) आरती देवी के मकान से संतोध राघव के घर तक इण्टर/नाली	6105	30525	36630	——	36630
11	ग्राम चिलकौरा की रहीमबाग कालोनी में तैफीक के घर से शाकिर के घर तक इण्टर/नाली कार्य	18608	93040	111648	----	111648
12	ग्राम एसी में एसी सम्पर्क मार्ग से बूढेबाबा मन्दिर तक इण्टर /नाली कार्य	11796	58980	70776	——	70776
13	ग्राम कलूआ में में मुकुन्द मार्ग से दीपक के घर तक तक इण्टर/नाली कार्य	**3771**	18855	22626	——	22626
14	ग्राम एदलपुर में अशोक के घर से जगदीश के घर होते हुए सोनपाल के घर तक तक इण्टर/नाली	**10100**	50500	60600	——	60600
15	ग्राम बिनूपुरा में न0 मौनी में गोण्डा रोड से रविन्द्र सिंह के घर तक तक इण्टर/नाली कार्य	8990	44950	53940	——	53940
16	ग्राम चिलकौरा में जे0वी0 शर्मा के मकान से सचिन शर्मा के घर तक तक इण्टर/नाली कार्य	8786	43930	52716	----	52716
17	नगला श्याम में भवरपाल सिंह के घर से वेदराम सिंह के घर तक इण्टर/नाली	9144	445720	54864	——	54864
18	जिरोली डोर में देवेन्द्र के घर से सोनवीर के घर तक इण्टर /नाली	2241	11205	13446	——	13446
29	ग्राम नीवरी में 4 शीटर सामान्य शौचालय निर्माण कार्य	11808	59040	70848	——	70848
20	ग्राम पंचायत लोधा में सामान्य स्वास्थ्य केन्द्र में 4 सीटर सामान्य शौचालय निर्माण	11808	59040	70848	——	70848

21	ग्राम पंचायत सिंघारपुर में राजकीय विद्यालय में 4 सीटर सामान्य शौचालय निर्माण	11808	59040	70848	----	70848
22	ग्राम पंचायत हसनपुर माजरा अहमदपुर मंे होमयो0 हा0 में 4 सीटर सामान्य शौ0 निर्माण	11808	59040	70848	——	70848
23	ग्राम पंचायत हसनपुर माजरा अहमदपुर मंे एसी मोड पर में 4 सीटर सामान्य शौ0 निर्माण	11808	59040	70848	——	70848
24	विकास खण्ड लोधा में 4 सीटर सामान्य शौ0 निर्माण	11808	59040	70848	——	70848
25	ग्राम पंचायत तालसपुर कलां में मेन रोड से रामकुमार के घर के पास इण्टर/नाली	4692	23460	28152	——	28152
26	ग्राम जिरौली में गजराज शर्मा के घर से महाराज जिसं के घर की ओर इण्टर/नाली	14693	73465	88158	----	88158
27	नीवरी में रफीक के घर से मुख्य नाले तक नाला निर्माण	26033	130165	156198	——	156198
28	ग्राम बादवामनी में रामवीर सिह के घर से गोल कुआं तक इण्टर/नाली कार्य	5834	29170	34004	——	34004
29	बाजिदपुर नादा में सी0सी0 रोड से विक्रम सिंह राणा के प्लाट तक इण्टर/नाली कार्य	6190	30950	37140	——	37140
30	ग्राम भाखरी खास मंे गोपाल सिंह की दुकान से राजपाल के घर तक तक इण्टर/नाली कार्य	15340	76700	92040	——	92040
31	ग्राम महुआ खेडा में आजोन सिटी मार्ग से वंटी के प्लाट तक इण्टरलाकिंग कार्य	9938	49690	59628	----	59628
	योग	445436	222710	2077652	——	2077652

उक्त के क्रम में मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या-86-2015-292/2015 दि0 15 अक्टूबर, 2015 के अनुसार उक्त अवैध परिवहन की स्थिति में पत्र के प्रस्तर 3 के भाग-3 के अनुसार प्रयुक्त उप-खनिज की रायल्टी के साथ ही साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करके निर्धारित लेखा शीर्षक "0853-अलौह" खनन तथा धातुकर्म उघोग-102 खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाय।

अत: कुल रॉयल्टी एवं रायल्टी का पांच गुना सहित कुल रु० 2077652-00 की वसूली ढेकेदार से करके लेखा शीर्षक "0853-अलौह" खनन तथा धातुकर्म उघोग-102 खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जा करा लिया जाय अन्यथा की स्थिति ,में कुल रु० 2077652-00 की वसूली उत्तरदाई एवं दोषी खंड विकास अधिकारी एवं अवर अभियन्ता तत्कालीन से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -51--वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कृत निर्माण कार्यों की कुल लागत के भुगतान(जी0एस0टी0 सहित) का 01 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती न कर कुल भुगतान से जी0एस0टी0 घटाकर किये गये भुगतान का 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती कर कर्मकार कल्याण बोर्ड को भुगतान किया किया गया है। जबकि शासनादेश संख्या- 392/36-2-2010 दिनांक 26-02-10 के अनुसार प्रत्येक संस्था को समस्त निर्माण कार्य की कुल लागत (जी0एस0टी0 सहित) का एक प्रतिशत की दर से उपकर (सेस) का भुगतान कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष देय था। लेकिन क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराये गये किसी भी निर्माण कार्य में सेस की कटौती जी0एस0टी0 घटा कर 1 प्रतिशत ही की गई है। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश की अवहेलना कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाते हुए फर्म/ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है।–

क0 सं0	कराये गया निर्माण कार्य	कुल भुगतान जी0 एस0 टी0सहित	सेस कटौती जो की जानी थी	सेस की कटौती जो की गयी	अन्तर
1	2	3	4	5	6
1	ग्राम डिगसी में जाखड के घर से चरण सिंह के धर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली कार्य	421140	4211	3760	451
2	ग्राम बादवामनी मे परिक्रमा मार्ग से पंचायत घर सम्पर्क मार्ग पर इण्टर एवं नाली कार्य	469048	4690	4188	502
3	ग्राम मूसेपुर में शहीद दलबीर सिंह के घर से रामू के घर तक सी0सी0नाली कार्य	496788	4968	4436	538
4	ग्राम तालसपुर कलां मे अशोक के प्लाट से अतुल के घर तक इण्टर/नाली	857000	8570	7652	918
5	विकास खण्ड परिसर में कार्यालय की मरम्मत का कार्य	956948	9569	8803	766
6	भगवानपुर में दुर्गा प्रसाद के घर से मस्जिद तक इण्टरलार्किंग व नाली कार्य	455687	4557	4069	488
7	ग्राम डिगसी में जलालुद्दीन के घर से ओम कुमार के घर तक इण्टरलार्किंग /नाली	555296	5553	4958	595

8	विकास खण्ड परिसर में छत्स्ड कार्यालय की मरम्मत का कार्य	532428	5324	4754	570
9	ग्राम धोंर्रा पालन मे राधेश्याम के बाग से राजवाहे पर राधे श्याम के खेत तक खड़ंजा कार्य	507367	5074	4530	544
10	ग्राम मुकुटगढी में प्रा0स्कूल से श्री नरायण के घर तक इण्टरलार्किंग/नाली	471592	4716	4211	405
10	ग्राम देवसैनी में (पंचशील कालोनी) आरती देवी के मकान से संतोध राघव के घर तक इण्टर/नाली	345711	3457	3086	371
11	ग्राम चिलकौरा की रहीमबाग कालोनी में तैफीक के घर से शाकिर के घर तक इण्टर/नाली कार्य	911273	9113	8136	977
12	ग्राम एसी में एसी सम्पर्क मार्ग से बूढेबाबा मन्दिर तक इण्टर /नाली कार्य	863087	8631	7706	925
13	ग्राम कलूआ में में मुकुन्द मार्ग से दीपक के घर तक तक इण्टर/नाली कार्य	195128	1951	1742	209
14	ग्राम एदलपुर में अशोक के घर से जगदीश के घर होते हुए सोनपाल के घर तक तक इण्टर/नाली	580176	5802	5180	622
15	ग्राम बिनूपुरा में न0 मौनी में गोण्डा रोड से रविन्द्र सिंह के घर तक तक इण्टर/नाली कार्य	576763	5768	5150	618
16	ग्राम चिलकौरा में जे0वी0 शर्मा के मकान से सचिन शर्मा के घर तक तक इण्टर/नाली कार्य	554873	5549	4954	595
17	नगला श्याम में भवरपाल सिंह के घर से वेदराम सिंह के घर तक इण्टर/नाली	419984	4200	3750	450
18	जिरोली डोर में देवेन्द्र के घर से सोनवीर के घर तक इण्टर /नाली	113155	1132	1010	122
19	ग्राम नीवरी में 4 शीटर सामान्य शौचालय निर्माण कार्य	646524	6465	5773	692
20	ग्राम पंचायत लोधा में सामान्य स्वास्थ्य केन्द्र में 4 सीटर सामान्य शौचालय निर्माण	646524	6465	5773	692
21	ग्राम पंचायत सिंघारपुर में राजकीय विद्यालय में 4 सीटर सामान्य शौचालय निर्माण	646524	6465	5773	692
22	ग्राम पंचायत हसनपुर माजरा अहमदपुर में होमयो0 हा0 में 4 सीटर सामान्य शौ0 निर्माण	646524	6465	5773	692
23	ग्राम पंचायत हसनपुर माजरा अहमदपुर में एसी मोड पर में 4 सीटर सामान्य शौ0 निर्माण	646524	6465	5773	692
24	विकास खण्ड लोधा में 4 सीटर सामान्य शौ0 निर्माण	646524	6465	5773	692
	ग्राम दुनाई मे बादाम के घर से मरघट तक खड़ंजा एवं मिट्टी कार्य	486990	4870	4349	521
25	ग्राम पंचायत तालसपुर कलां में मेन रोड से रामकुमार के घर के पास इण्टर/नाली	992526	9925	8862	1063
26	ग्राम जिरौली में गजराज शर्मा के घर से महाराज जिसं के घर की ओर इण्टर/नाली	720962	7210	6437	773
27	नीवरी में रफीक के घर से मुख्य नाले तक नाला निर्माण	843589	8436	7534	902
28	ग्राम बादवामनी में रामवीर सिह के घर से गोल कुआं तक इण्टर/नाली कार्य	407360	4074	3637	437
29	बाजिदपुर नादा में सी0सी0 रोड से विक्रम सिंह राणा के प्लाट तक इण्टर/नाली कार्य'	567487	5675	5318	357
30	ग्रा0धौर्रा पालन में राधेलाल शर्मा के बाग से नहर पुल तक ख0 कार्य	690085	6901	6162	739
31	ग्राम भाखरी खास में गोपाल सिंह की दुकान से राजपाल के घर तक तक इण्टर/नाली कार्य	944695	9446	8435	1011
32	ग्राम भाखरी खास में सेमला मार्ग से राजकुमार के खेत की ओर खडण्जा निर्माण कार्य	393198	3932	3510	422
33	ग्राम महुआ खेडा में आजोन सिटी मार्ग से वंटी के प्लाट तक इण्टरलाकिंग कार्य	637684	6377	5694	683
	योग'				21726

उक्त तालिका के अनुसार क्रमांक -6 में अंकित धनराशि की कम कटौती कर फर्म/ ठेकेदार को अनियमित लाभ पहुंचाते हुए जहां एक तरफ संस्था को हानि पहुचाया गया वही कर्मकार कल्याण बोर्ड को रू0 21726.00 का कम भुगतान किया गया।

अतः रू0 21726.00 की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से करते हुए कर्मकार कल्याण बोर्ड को सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में रू0 21726.00 की वसूली मय ब्याज के तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-52- 05 ग्रामीण सड़कों के निर्माण में वर्षा का जल एवं अन्य प्रकार से जलभराव सड़कों पर न होने देने के लिए ह्यूम पाइप डलवाने की व्यवस्था की जाती हैए जिससे कि बारिश के मौसम में सड़कें खराब न हों एवं राजकीय धन का पूरा सदुपयोग हो। आयुक्त ग्राम्य विकासए उ0प्र0 के शासनादेश अक्टूबर 2006 के अनुसार निर्देश भी हैं कि इण्डियन रोड कांग्रेस आई आर सी -एस पी 20 के मानकों के अनुसार ग्रामीण सड़कों के प्रत्येक एक किमी0 में कम से कम 900उउ ह्यूम पाइप की दो पुलियों का निर्माण किया जाना चाहिए।ष्ष्

परन्तु आलोच्य वर्ष में कतिपय कार्य ऐसे हैंए जिनमें प्राक्कलन में ह्यूम पाइपों का प्राविधान किया गया हैए परन्तु वास्तविक कार्य में एक भी ह्यूम पाइप नहीं डाला गया है। ऐसे कार्यों की तालिका निम्नवत् हैरू.

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलन में ह्यूम पाइप की पाप (आर एम में)	कार्य में प्रयुक्त ह्यूम पाइप(आर एम में)	लागत धनराशि (रू0 में)
1	जिरोली डोर में देवेन्द्र के घर से सोनवीर के घर तक इण्टर /नाली	7-50	एनपी -3 , 350 मिमी	113155
2	ग्रा0धौर्रा पालन में राधेलाल शर्मा के बाग से रजवाहे पर राधेलाल के खेत तक ख0 कार्य	10	एनपी -3 , 350 मिमी	507367
3	ग्राम तालसपुर कलां में अशोक के प्लाट से अतुल के घर तक इण्टर/नाली	7-50	एनपी -3 , 4 50 मिमी	857000
	योग -			1477522

अतः रू0 1477522-00 धनराशि का सड़कों के निर्माण में हुआ व्यय बिना ह्यूम पाइप लगाये किया गया है। बारिश में जलभराव एवं अन्य कारणों से जलभराव से सड़कों को बचाने का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। यह राजकीय धन का दुरूपयोग है, क्योंकि ह्यूम पाइप लगाये बिना सड़क निर्माण अवमानक श्रेणी का है। इसके लिए अवर अभियन्ता, अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या– 09)

12-क्षेत्र पंचायत अकराबाद वर्ष 2020-21

प्रस्तर -53-अ-- क्षेत्र पंचायत अकराबाद के वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम -39 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू 5 लाख से अधिक किन्तु रू. 10 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू. 10 लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रू. 5 लाख से अधिक परन्तु रू. 10 लाख से कम लागत के 04 कार्य कराये गये जिन पर रू. 3131300-00 की लागत रही । एवं रु0 10 लाख से अधिक के 03 कार्य जिन पर रु0 5441000-00 वयय हुआ इस प्रकार वर्ष 2020-21 में कुल 07 कार्यों पर किये गये कुल व्यय रू0 8572300-00 वयय का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है, जिसकी कुल लागत रू0 8572300-00 है।

उक्त कार्यों का भुगतान एक बार में कुल कार्य हो जाने के पश्चात् किया गया । यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष 2020-21 में रू. 5 लाख व रू. 10 लाख से अधिक के कार्य

क्र0	कार्य का विवरण	धनराशि
1	ग्राम रायपुर मनीपुर के मुख्य चैराहे से भिलावली रोड पर प्रा0 वि0 के सामने दोनोओर नाली	757700
2	ग्राम रायपुर मनीपुर के अकराबाद रोड से प्रा0वि0 होते हुए गंगा मठ बाइपास पर इण्टर/नाली	1536000
3	ग्राम गगरौली के मजरा नगला ढक से रति का नगला तरफ चोब सिंह के खेत से मोहन मकेनिक के गेट तक नाली/इण्टर	2300000
4	ग्राम रायपुर मनीपुर के मुख्य चैराहे से चांदपुर मिर्जा रोड से ग्राम नयावास में अजयपाल के घर तक इण्टर	1605000
5	ग्राम रायपुर मनीपुर में दुशयन्त के खेत से रेवती के खेत तक मिटटी खडण्जा कार्य	950000
6	ग्राम नगला बघेल अकराबाद बाइपास से रामवीर के मकान व खूबसिंह के मकान से पुलिया तक शकर पाल के घर तक इण्टर	623000
7	ग्राम गगरौल के नगला ढक में रतन सिंह से चन्द्रपाल के घर तक नाली व इण्टरलार्किंग	800600
	योग	8572300

ब- क्षेत्र पंचायत अकराबाद के वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम -39 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू 5 लाख से अधिक किन्तु रू. 10 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू. 10 लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त

परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रू. 5 लाख से अधिक परन्तु रू. 10 लाख से कम लागत के 12 कार्य कराये गये जिन पर रू. 8870000-00 की लागत रही । इस प्रकार वर्ष 2020-21 में कुल 12 कार्यों पर किये गये व्यय का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है, जिसकी कुल लागत रू. 8870000–00 है। उक्त कार्यों का भुगतान एक बार में कुल कार्य हो जाने के पश्चात् किया गया । यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता अनिकेत काकरन एवं खण्ड विकास अधिकारी वी पी सत्यार्थी दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0	कार्य का विवरण	धनराशि
1	रायपुर मनीपुर के मेन चैराइे से शाहगढ रोड पर सामुदायिक शौचाल निर्माण	704000
2	ग्राम रायपुर मनीपुर के मेन रोड से अकराबाद की तरफ दोनो तरफ नाली मरम्मत व नाली नि0	592000
3	ग्राम रायपुर मनीपुर के शाहगढ रोड की दोना तरफ नाली मरम्मत एवं मरम्मत कार्य	724000
4	ग्राम रायपुर मनीपुर के बाइपास से सतपाल के घर तक इण्टर/नाली	639000
5	ग्राम रायपुर मनीपुर के अकराबाद रोड से भूदेव के घर तक एल टाइप नाली/इण्टर	942000
6	ग्राम रायपुर मनीपुर के मुख्य चैराहे से चांदपुर मिर्जा से किशन पाल के घर तक इण्टर/नाली	531000
7	ग्राम रायपुर मनीपुर के अकराबाद रोड से नत्थू के घर संे छोटै लाल व रामेश्वर से पप्पू के घर तक एल टाइप नाली/इण्टर	533000
8	ग्राम रायपुर मनीपुर के अकराबाद रोड से जगदीश के घर तक एल टाइप नाली/इण्टर	920000
9	ग्राम रामनगर भीलेट के पं0 घर से अमर सिंह के घर तक इण्टर	625000
10	ग्राम रायपुर मनीपुर के अकराबाद रोड से पोखर के किनारे होते हुए बाइपास प्रा0 वि0 मनीपुर तक इण्टर	586000
11	ग्राम कटरा मलोई से बम्बा के पुल तक मि0 ख0 व पुलिया	1560000
12	विकास खण्ड परिसर के टीन शेड की मरम्मत फर्श पर सी0सी0 चारो तरफ जाली कवर्ड कराने	514000
	योग	8870000

प्रस्तर -54-अ- वित्तीय वर्ष 2020-21 तक राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यो की जांच में प्रकाश मे आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एव शासनादेश संख्या8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 21-01-05 व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या -4/866/33-2-14-93जी/2004 दिनांक 24-06-2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-33(2) व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडको, अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप् में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है । अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 04 कार्य जिन पर रू0 4379600 –00 का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यो के होने डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य की कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः .त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री मुकेश कुमार एवं खण्ड विकास अधिकारी वी पी सत्यार्थी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर काराये गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है

क्र0	कार्य का विवरण	धनराशि
1	ग्राम तेहरा मोड से ओम प्रकाश की दुकान से महावीर सिंह की पैठ तक इण्टरलार्किंग कार्य	329000
2	ग्राम गगरौली के मजरा नगला ढक से रति का नगला तरफ चोब सिंह के खेत से मोहन मकेनिक के गेट तक नाली/इण्टर	2300000
3	ग्राम रायपुर मनीपुर में दुशयन्त के खेत से रेवती के खेत तक मिटटी खडण्जा कार्य	950000
4	ग्राम गगरौल के नगला ढक में रतन सिंह से चन्द्रपाल के घर तक नाली व इण्टरलार्किंग	800600
	योग	4379600

ब- वित्तीय वर्ष 2020-21 तक केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यो की जांच में प्रकाश मे आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एव शासनादेश संख्या8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 21-01-05 व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या -4/866/33-2-14-93जी/2004 दिनांक 24-06-2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-33(2) व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडको, अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप् में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है । अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 05 कार्य जिन पर रू0 3949000–00 का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यो के होने डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्या की कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर कारावे गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0	कार्य का विवरण	धनराशि
1	ग्राम रायपुर मनीपुर के अकराबाद रोड से भूदेव के घर तक एल टाइप नाली/इण्टर	942000
2	ग्राम रायपुर मनीपुर भिलावली रोड से हुकुम सिंह व पप्पू के घर तक नाली / इण्टर	454000
3	ग्राम मोहन पुर में पवन के खेत से सूरजभान सिंह के खेत तक खडण्जा/इण्टर	368000
4	ग्राम रामनगर भीलेट के पं0 घर से अमर सिंह के घर तक इण्टर	625000
5	ग्राम कटरा मलोई से बम्बा के पुल तक मि0 ख0 व पुलिया	1560000
	योग	3949000

प्रस्तर -55- उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2002 में प्राविधानित है कि एक वैध परिवहन पास (एमएम-11 प्रपत्र) के बिना खनिजों का परिवहन अनियमित है। अग्रेतर, फरवरी-2001, अगस्त-2002 और अक्टूबर-2006 में निर्गत शासकीय आदेशों के अनुसार कार्य सम्पादित करने वाली संस्थाओं को सम्बन्धित जिला खखन अधिकारियों से एमएम-11 प्रपत्रों की वैधता की पुष्टि कराये जाने के बाद ही उनको स्वीकार किया जाना चाहिये। प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी रायल्टी की वसूली के लिए उत्तरदायी है। यदि ठेकेदार द्वारा रायल्टी की रसीद को प्रारूप एमएम-11 के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ठेकेदार के देयक से रायल्टी की कटौती की जानी चाहिये और उसे कोषागार में जमा किया जाना चाहिये। ठेकेदार के बिल भुगतान से पूर्व, उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली-1965 के नियम संख्या-66 के अनुसार लेखाकार द्वारा बिल का परीक्षण कर " जाच कर ली और सही पाया " का उल्लेख करेगा। जबकि लेखाकार द्वारा ऐसा कोई उल्लेख पत्रावली में कहीं भी नही किया गया है। जिसके सम्बन्ध में मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या-3385(1)/86-2015-292/2015 दि0 15 अक्टूबर, 2015 के प्रस्तर 3(3) के अनुसार यदि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में कार्यदायी संस्था से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किसी भी उप खनिज का प्रयोग बिना बैध अभिवहन प्रपत्र एम0एम0-11 के किया जाता है, तब प्रयुक्त उप खनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य(सामान्यतः रायल्टी का पाच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए निर्धारित लेखा शीर्षक "0853-अलौह" खनन तथा धातुकर्म उघोग-102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जमा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाय। उक्त का पालन नही हुआ। पत्रावली में उपखनिज की रायल्टी कटौती से सम्बंधित कोई प्रपत्र उपलभ्द नहीं रहा।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों को अवैध परिवहन से मंगाकर प्रयुक्त कर कार्य सम्पादित कराया गया है, जो अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है एवं रायल्टी के रूप में प्राप्त होने वाले राजकीय राजस्व की गम्भीर क्षति का प्रकरण है। इस हेतु तत्कालीन , लेखाकार तत्कालीन एवं अवर अभियन्ता तत्कालीन उत्तरदाई एवं दोषी हैं।

उक्त के क्रम में मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या-86-2015-292/2015 दि0 15 अक्टूबर, 2015 के अनुसार उक्त अवैध परिवहन की स्थिति में पत्र के प्रस्तर 3 के भाग-3 के अनुसार प्रयुक्त उप-खनिज की रायल्टी के साथ ही साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करके निर्धारित लेखा शीर्षक "0853-अलौह" खनन तथा धातुकर्म उघोग-102 खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाय।

अतः कुल रायल्टी एवं रायल्टी का पांच गुना की कटौती सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म से की जानी चाहिए। रायल्टी की धनराशि का आंगणन कराये गये निर्माण कार्यो में प्रयुक्त उप खनिज पर देय रायल्टी के आंगणन हेतु निर्माण कार्यो की एम0 बी0 लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही रही जिस कारण रायल्टी का आंगणन न किया जा सका। रायल्टी एवं अवैध खनन के सम्बन्ध में राज्य सरकार के दिशा निर्देशो का पूर्णतः उल्लंघन कर निर्माण कार्यो का भुगतान किया गया जिससे राज्य सरका की एक बडी धनराशि के राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई गई है।

इस ओर उच्चाधिकारियों से अपेक्षा है कि वित्तीय वर्ष 2020.21 में कराये गये कार्यो पर प्रयुक्त उपखनिज के आधार पर रायल्टी का आंगणन कर देय रायल्टी एवं पांच गुना की कटौती सम्बन्धित ढेकेदार से करते हुए सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में कुल रायल्टी एवं पांच गुना अवैध खनन की वसूली उत्तरदायी तत्कालीन अवर अभियन्ताए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -56-.वित्तीय वर्ष 2020.21 में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कृत निर्माण कार्यों की कुल लागत के भुगतान(जी0एस0टी0 सहित) का 01 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती नही की गई है जबकि शासनादेश संख्या- 392/36.2.2010 दिनांक 26.02.10 के अनुसार प्रत्येक संस्था को समस्त निर्माण कार्य की कुल लागत (जी0एस0टी0 सहित) का एक प्रतिशत की दर से उपकर (सेस) का भुगतान कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष देय था। लेकिन क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020.21 में कराये गये किसी भी निर्माण कार्य में सेस की कटौती नही की गई है। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश की अवहेलना कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाते हुए फर्म/ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया। विवरण निम्न प्रकार है:--

क्र0	कराया गया निर्माण कार्य	कुल भुगतान जी0 एस0 टी0 सहित	सेस कटौती जो की जानी थी	सेस की कटौती जो की गयी	अन्तर
1	2	3	4	5	6
1	राज्य वित्त से कराये गये 11 कार्य	9890600–00	98906–00	––	98906–00
2	केन्द्रीय वित्त टाइड ग्राण्ट के 07 कार्य	4522000–00	45220–00	––	45220–00
3	केन्द्रीय वित्त अन टाइड ग्राण्ट के 14 कार्य	7349000–00	73490–00	––	73490–00
	योग	21761600–00	217616–00	––	217616–00

उक्त तालिका के अनुसार क्रमांक -6 में अंकित धनराशि की कटौती न कर फर्म/ ठेकेदार को अनियमित लाभ पहुंचाते हुए जहां एक तरफ संस्था को हानि पहुचाया गया वही कर्मकार कल्याण बोर्ड को रू0 217616-00 का भुगतान नही किया गया।

अतः रू0 217616-00 की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से करते हुए कर्मकार कल्याण बोर्ड को सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में रू0 217616-00 की वसूली मय ब्याज के तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -57-.संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2020.21में राज्य वित्त से 11 केन्द्रीय वित्त से 21 कार्यो को बिना टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण किये सीधे यू0पी0एस0सी0आई0डी0सी0 से निर्माण कार्य कराये गये जिन पर कुल रू0 21761600.00 का व्यय हुआ। टेण्डर प्रक्रिया में भाग लिये बिना कार्य कराने हेतु आदेश दिया गयाए जिस कारण न्यूनतम दर की प्रतिस्प्रधा न कराकर अपने अधिकारों के बाहर जाकर उक्त आदेश दिये गये जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक है।उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी अवर अभियन्ता ब्लाक प्रमुख एवं प्रस्ताव में हस्ताक्षर करने वाले समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्य दोषी एवं उत्तरदायी है जिस हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -58-.यू0पी0एस0सी0आई0डी0सी0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020.21 में प्रस्तुत निर्माण कार्यो से की गई जी0एस0टी0 कटौती रू0 156798-00 को जी0 एस0टी विभाग में जमा किये जाने का कोई प्रमाणक यथा चालान आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा और न ही विभागीय अनुदान पंजी में भी उल्लिखित रहा, जिस कारण उक्त धनराशि सम्बन्धित विभाग में जमा किया जाना अपुष्ट रहा पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में रू0 156798-00 की तत्कालीन उत्तरदायी से वसूल कर सम्बन्धित विभाग को जमा किया जाना अपेक्षित है। यदि विलम्ब हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा कोई दण्ड निर्धारित किया जाता है की स्थिति में उक्त की वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -59 -यू0पी0एस0सी0आई0डी0सी0 द्वारा वित्तीय वर्ष-2021-22 में प्रस्तुत निर्माण कार्यो से की गई आयकर कटौती रू0 156798-00 को आयकर विभाग में जमा किये जाने का कोई प्रमाणक यथा चालान आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा और न ही विभागीय अनुदान पंजी में भी उल्लिखित रहा, जिस कारण उक्त धनराशि सम्बन्धित विभाग में जमा किया जाना अपुष्ट रहा पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में रू0 156798-00 की तत्कालीन उत्तरदायी से वसूल कर सम्बन्धित विभाग को जमा किया जाना अपेक्षित है। यदि विलम्ब हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा कोई दण्ड निर्धारित किया जाता है की स्थिति में उक्त की वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

13- क्षेत्र पंचायत धनीपुर

प्रस्तर -60- क्षेत्र पंचायत धनीपुर के वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली. 1984 के नियम .39 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू 5 लाख से अधिक किन्तु रूण् 10 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता यविनियोजनद्ध द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू0 10 लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता यअल्प सिंचाईद्ध द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रूण् 5 लाख से अधिक परन्तु रूण् 10 लाख से कम लागत के 10 कार्य कराये गये जिन पर रूण् 7145799-00 की लागत रही । इस प्रकार वर्ष 2020-21 में कुल 12 कार्यों पर किये गये व्यय का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन हैए जिसकी कुल लागत रूण् 7145799-00 है। उक्त कार्यों का भुगतान एक बार में कुल कार्य हो जाने के पश्चात् किया गया । यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष 2020-21 में रू0 5 लाख व रू0 10 लाख से अधिक के कार्य

क्र0	कार्य का विवरण	धनराशि
1	ग्रा0 पं0 उकावली में चांदगढी से बनवारी सिंह के टयूबवेल तक खडण्जा कार्य	765189
2	ग्रा0 हरदुआगंज देहात में समेर सिंह के टयूबवेल से राजवीर सिंह के खेत तक मि0ख0कार्य	996887
3	ग्रा0 पिखलोनी में मरघट सम्पर्क मार्ग से महुआखेडा बम्बा तक खडण्जा कार्य	631313
4	ग्रा0 पं0 चंगेरी मे दौलतपुर मन्दिर से नगला तक मि0 ख0 कार्य	619210
5	ग्रा0 पं0 बलरामपुर में अन्त्येष्ठी स्थल की बाउन्ड्ीवाल निर्माण कार्य	829361
8	ग्रा0पं0 इकरी में निसारखान के घर से राकेश के खेत तक ख0 व मि0 कार्य	602975
9	ग्रा0पं0 निधौला में अन्त्येष्ठी स्थल बाउन्ड्ीवाल निमार्ण कार्य	793138
10	ग्रा0पं0 गुरूसिखरन में मानिकचन्द्र दिवाकर के घर से दिनेश के खेत तक ख0 व मि0 कार्य	643485
11	ग्रा0पं0 बरकातपुर में बम्बा पुल से देवेन्द्र प्रधान के खेत तक ख0 व मि0 कार्य	685573
12	ग्रा0पं0 अलहदादपुर में बकील साहब के घर से मधापुर पुलिया तक ख0 व मि0 कार्य	578668

	योग	7145799

ब- क्षेत्र पंचायत धनीपुर के वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम -39 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू 5 लाख से अधिक किन्तु रू. 10 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू. 10 लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय वित्त के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रू. 5 लाख से अधिक परन्तु रू. 10 लाख से कम लागत के 13 कार्य कराये गये जिन पर रू. 10528144–00 की लागत रही । इस प्रकार वर्ष 2020-21 में कुल 13 कार्यों पर किये गये व्यय का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है, जिसकी कुल लागत रू. 10528144–00 है। उक्त कार्यों का भुगतान एक बार में कुल कार्य हो जाने के पश्चात् किया गया । यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

1	ग्रा0 पं0 रहसूपुर में प्रजापति पंचायत घर से बलवीर सिंह राणा तक सी0सी0.कार्य	773662
2	ग्रा0 पं0 भटोला में जादौन नगर से पुलिया तक सी0 सी0 व इण्टरलाकिंग कार्य	980802
3	ग्रा0पं0 भटौला में ग्राम शेखूपुर में सी0सी0रोड से पथवारी माता मन्दिर तक सी0सी0वइण्ट0	875085
4	ग्रा0पं0 याकूतपुर बोरना में प्रा0 वि0 से रामपाल सिंह के खेत तक खडण्जा निर्माण कार्य	507460
5	ग्रा0पं0 दुम्हेरा कल्यानपुर में रामवीर के खेत से डामर रोड तक सी0सी0.निर्माण	854208
6	ग्रा0पं0 भुवनखेडा में बम्बा से पंचायतभवन तक सी0सी0./ खडण्जा कार्य	964821
7	ग्रा0पं0 ग्राम पंचायत मई में गोपाल के मन्दिर से डामर रोड तक सी0सी0/इण्टर कार्य	963208
8	ग्रा0 पं0 निधौला में रवीन्द्र सिंह के घर से पथवारी माता तक सी0सी0/इण्टर कार्य	816854
9	ग्रा0 पं0 आदौन में राजकुमार के टयूबवेल के पास सामुदायिक शौचालय निर्माण	562481
10	ग्रा0 पं0 बलरामपुर में भीमसेन के घर से सरकारी टयूबवेल तक यू टाइप नाली	851308
11	ग्रा0पं0 चंगेरी में पप्पू नाई के घर से धर्मपाल के खेत तक नाली निर्माण	579675
12	ग्रा0पं0 उकरना में रणवीर सिंह के घर से डामर रोड तक नाली निर्माण	899187
13	ग्रा0पं0 कलाई में तालाब से भवनगढी सीमा तक नाली निर्माण कार्य	899393
	योग	10528144

प्रस्तर -61 अ- वित्तीय वर्ष 2020-21 तक राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यो की जांच में प्रकाश मे आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एव शासनादेश संख्या8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 21-01-05 व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या - 4/866/33-2-14-93जी/2004 दिनांक 24-06-2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-33(2) व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडको, अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप् में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है । अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 09 कार्य जिन पर रू0 6514486–00 का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यो के होने डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य की कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः .त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती स्नेहा जादौन एवं खण्ड विकास अधिकारी प्रवीन कुमार दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर काराये गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र0	कार्य का विवरण	धनराशि
1	ग्राम उकावली में चांदगढी से बनवारी सिंह के टयूबवेल तक खडण्जा कार्य	765189
2	ग्राम हरदुआगंज देहात में समेर सिंह के टयूबवेल से राजवीर सिंह के खेत तक मि0ख0कार्य	996887
3	ग्राम पं0 चंगेरी मे दौलतपुर मन्दिर से नगला तक मि0 ख0 कार्य	619210
4	ग्राम पं0 बलरामपुर में अन्त्येष्ठी स्थल की बाउन्ड्ीवाल निर्माण कार्य	829361

5	ग्रा0पं0 इकरी में निसारखान के घर से राकेश के खेत तक ख0 व मि0 कार्य	602975
6	ग्रा0पं0 निधौला में अन्त्येष्ठी स्थल बाउन्ड्ीवाल निमार्ण कार्य	793138
7	ग्रा0पं0 गुरूसिखरन में मानिकचन्द्र दिवाकर के घर से दिनेश के खेत तक ख0 व मि0 कार्य	643485
8	ग्रा0पं0 बरकातपुर में बम्बा पुल से देवेन्द्र प्रधान के खेत तक ख0 व मि0 कार्य	685573
9	ग्रा0पं0 अलहदादपुर में बकील साहब के घर से मधापुर पुलिया तक ख0 व मि0 कार्य	578668
	योग	6514486

ब- वित्तीय वष 2020-21 तक केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यो की जांच में प्रकाश मे आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एव शासनादेश संख्या8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 21-01-05 व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या -4/866/33-2-14-93जी/2004 दिनांक 24-06-2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-33(2) व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडको, अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप् में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है । अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 12 कार्य जिन पर रू0 8725228–00 का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यो के होने डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्या की कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर काराये गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:--

क्र0	कार्य का विवरण	धनराशि
1	ग्रा0 पं0 रहसूपुर में प्रजापति पंचायत घर से बलवीर सिंह राणा तक सी0सी0.कार्य	773662
2	ग्रा0पं0 भटौला में ग्राम शेखूपुर में सी0सी0रोड से पथवारी माता मन्दिर तक सी0सी0वइण्ट0	875085
3	ग्रा0पं0 याकूतपुर बोरना में प्रा0 वि0 से रामपाल सिंह के खेत तक खडण्जा निर्माण कार्य	507460
4	ग्रा0पं0 दुम्हेरा कल्यानपुर में रामवीर के खेत से डामर रोड तक सी0सी0.निर्माण	854208
5	ग्रा0पं0 भुवनखेडा में बम्बा से पंचायत भवन तक सी0सी0./ खडण्जा कार्य	964821
6	ग्रा0पं0 उकावली में ग्राम चादगढी में पीपल से शीला देवी के खेत तक खडण्जा कार्य	77279
7	ग्रा0पं0 ग्राम पंचायत मई में गोपाल के मन्दिर से डामर रोड तक सी0सी0/इण्टर कार्य	963208
8	ग्रा0 पं0 निधौला में रवीन्द्र सिंह के घर से पथवारी माता तक सी0सी0/इण्टर कार्य	816854
9	ग्रा0 पं0 आदौन में राजकुमार के टयूबवेल के पास सामुदायिक शौचालय निर्माण	562481
10	ग्रा0 पं0 बलरामपुर में भीमसेन के घर से सरकारी टयूबवेल तक यू टाइप नाली	851308
11	ग्रा0पं0 चंगेरी में पप्पू नाई के घर से धर्मपाल के खेत तक नाली निर्माण	579675
12	ग्रा0पं0 उकरना में रणवीर सिंह के घर से डामर रोड तक नाली निर्माण	899187
	योग	8725228

प्रस्तर -62- उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2002 में प्राविधानित है कि एक वैध परिवहन पास (एमएम-11 प्रपत्र) के बिना खनिजों का परिवहन अनियमित है। अग्रेतर, फरवरी-2001, अगस्त-2002 और अक्टूबर-2006 में निर्गत शासकीय आदेशों के अनुसार कार्य सम्पादित करने वाली संस्थाओं को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारियों से एमएम-11 प्रपत्रों की वैधता की पुष्टि कराये जाने के बाद ही उनको स्वीकार किया जाना चाहिये। प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी रायल्टी की वसूली के लिए उत्तरदायी है। यदि ठेकेदार द्वारा रायल्टी की रसीद को प्रारूप एमएम-11 के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ठेकेदार के देयक से रायल्टी की कटौती की जानी चाहिये और उसे कोषागार में जमा किया जाना चाहिये। ठेकेदार के बिल भुगतान से पूर्व, उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली-1965 के नियम संख्या-66 के अनुसार लेखाकार द्वारा बिल का परीक्षण कर " जाच कर ली और सही पाया " का उल्लेख करेगा। जबकि लेखाकार द्वारा ऐसा कोई उल्लेख पत्रावली में कहीं भी नही किया गया है।और न ही फार्म द्वारा mm-11 भी प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसके सम्बन्ध में मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या-3385(1)/86-2015-292/2015 दि0 15 अक्टूबर, 2015 के प्रस्तर 3(3) के अनुसार यदि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में कार्यदायी संस्था से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किसी भी उप खनिज का प्रयोग बिना बैध अभिवहन प्रपत्र एम0एम0-11 के किया जाता है, तब प्रयुक्त उप खनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य(सामान्यतः रायल्टी का पाच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए निर्धारित लेखा शीर्षक "0853-अलौह" खनन तथा धातुकर्म उघोग-102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जमा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाय। उक्त का पालन नही हुआ। पत्रावली में उपखनिज की रायल्टी कटौती से सम्बंधित कोई प्रपत्र उपलभ्द नहीं रहा ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों को अवैध परिवहन से मंगाकर प्रयुक्त कर कार्य सम्पादित कराया गया है, जो अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है एवं रायल्टी के रूप में प्राप्त होने वाले राजकीय राजस्व की गम्भीर क्षति का प्रकरण है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकरी तत्कालीन , लेखाकार तत्कालीन एवं अवर अभियन्ता तत्कालीन उत्तरदाई एवं दोषी हैं । कतिपय पत्रावलियों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रं० सं०	कार्य का नाम	काटी गयी रायल्टी	पांच गुना धनराशी
1	2	4	5
1	ग्राम पं० बलरामपुर में अन्त्येष्ठी स्थल की बाउन्ड्ीवाल निर्माण कार्य	4291	21455
2	ग्रा०पं० निधौला में अन्त्येष्ठी स्थल बाउन्ड्ीवाल निमार्ण कार्य	4278	21390
3	ग्रा० पं० रहसूपुर में प्रजापति पंचायत घर से बलवीर सिंह राणा तक सी०सी०कार्य	13434	67170
4	ग्रा० पं० भटोला में जादौन नगर से पुलिया तक सी० सी० व इण्टरलाकिंग कार्य	18232	91160
5	ग्रा०पं० दुम्हेरा कल्यानपुर में रामवीर के खेत से डामर रोड तक सी०सी०ण्निर्माण	15393	76965
6	ग्रा०पं० भटौला में ग्राम शेखूपुर में सी०सी०रोड से पथवारी माता मन्दिर तक सी०सी० व इण्ट०	16614	83070
7	ग्रा०पं० ग्राम पंचायत मई में गोपाल के मन्दिर से डामर रोड तक सी०सी०इण्टर	18822	94110
8	ग्रा० पं० निधौला में रवीन्द्र सिंह के घर से पथवारी माता तक सी०सी०इण्टर	14663	73315
9	ग्रा० पं० आदौन में राजकुमार के टयूबवेल के पास सामुदायिक शौचालय निर्माण	2155	10775
10	ग्रा० पं० बलरामपुर में भीमसेन के घर से सरकारी टयूबवेल तक यू टाइप नाली	6407	32035
11	ग्रा०पं० चंगेरी में पप्पू नाई के घर से धर्मपाल के खेत तक नाली निर्माण	5228	26140
12	ग्रा०पं० उकरना में रणवीर सिंह के घर से डामर रोड तक नाली निर्माण	6326	31630
13	ग्रा०पं० कलाई में तालाब से भवनगढी सीमा तक नाली निर्माण कार्य	7633	38165
	योग		**667380**

उक्त के क्रम में मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या-86-2015-292/2015 दि0 15 अक्टूबर, 2015 के अनुसार उक्त अवैध परिवहन की स्थिति में पत्र के प्रस्तर 3 के भाग-3 के अनुसार प्रयुक्त उप-खनिज की रायल्टी के साथ ही साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करके निर्धारित लेखा शीर्षक "0853-अलौह" खनन तथा धातुकर्म उघोग-102 खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जा करा लिया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जाय।

अत: कुल रायल्टी का पांच गुना रु० 667380-00 की वसूली ढेकेदार से करके लेखा शीर्षक "0853-अलौह" खनन तथा धातुकर्म उघोग-102 खनिज रियारत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जा करा लिया जाय अन्यथा की स्थिति में कुल रु० 667380-00 की वसूली उत्तरदायी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी अवर अभियंता एवं लेखाकर से किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर -63-. 04 वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में पाया गया है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कृत निर्माण कार्यों की कुल लागत के भुगतान(जी०एस०टी० सहित) का 01 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती न कर कुल भुगतान से जी०एस०टी० घटाकर किये गये भुगतान का 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती कर कर्मकार कल्याण बोर्ड को भुगतान किया किया गया है। जबकि शासनादेश संख्या- 392/36.2.2010 दिनांक 26.02.10 के अनुसार प्रत्येक संस्था को समस्त निर्माण कार्य की कुल लागत (जी०एस०टी० सहित) का एक प्रतिशत की दर से उपकर (सेस) का भुगतान कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष देय था। लेकिन क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2020.21 में कराये गये किसी भी निर्माण कार्य में सेस की कटौती जी०एस०टी० घटा कर 1 प्रतिशत ही की गई है। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश की अवहेलना कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाते हुए फर्म/ ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया। वित्तीय वर्ष 2020.21 में कुल 27 निर्माण कार्यो जिनपर मय जी० एस० टी० के कुल व्यय रू० 19506395.00 रहाए जिसके सापेक्ष सेस मद में रू० 195064.00 के स्थान पर बिना जी० एस० टी० के कुल रू० 174167.00 की कटौती कर फर्म/ ठेकेदार को अनियमित लाभ पहुचाया गया एवं राजकीय राजस्व को क्षति पहुचाई गई। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	निर्माण कार्यो पर हुआ कुल व्यय मय जी०एस०टी० के	सेस जो नियमानुसार काटा जाना चाहिए था	सेस जो काटा गया	अन्तर
1	2	3	4	5
	19506395-00	195064-00	174167-00	20897-00

उक्त विवरणानुसार कालम 5 में अंकित धनराशि रू० 20897.00 की कम सेस काटा गया जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी एवं दोषी है। अतः रू० 20897.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -61--आलोच्य वर्ष में 15वें वित्त आयोग की टाइड ग्रान्ट से जो कार्य कराये गये हैं, उनकी सूची निम्नवत है –

क्र0सं0	क्र0सं0	लागत
1	ग्रा० पं० बलरामपुर में भीमसेन के घर से सरकारी टयूबवेल तक यू टाइप नाली	851308
2	ग्रा०पं० चंगेरी में पप्पू नाई के घर से धर्मपाल के खेत तक नाली निर्माण	579675
3	ग्रा०पं० उकरना में रणवीर सिंह के घर से डामर रोड तक नाली निर्माण	899187
4	ग्रा०पं० कलाई में तालाब से भवनगढी सीमा तक नाली निर्माण कार्य	899393
	योग	3229563

उपरोक्त 4 कार्य यू टाइप नाली नाला निर्माण के हैं। 15वें वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुलग्नक-111सी में उल्लिखित (ब्लॉक और जिला स्तर पर स्वच्छता संबंधी कार्यों/गतिविधियों की सांकेतिक सूची) कार्य के शीर्षक तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य: गांवों के एक समूह से एक सामान्य उपचार इकाई तक अपशिष्ट जल के परिवहन के लिए जल निकासी व्यवस्था। जहां गांवों के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं है और सामान्य उपचार सुविधा ही एकमात्र व्यवहार्य समाधान है। के अन्तर्गत मानी जा सकती है। परन्तु लेखा परीक्षा में इन कार्यों में निम्न न्यूनताऐं/आपत्तियाँ पाई गईः-

1.यहाँ गाँवों के समूह की शर्त पूरी नहीं हो रही है।

2-प्राकृतिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट में स्टेबिलाइजेशन/आक्सीजन तालाब माने जाते हैं, जो पाँच प्रकार के होते हैं। इनकी विशिष्ट डिजाइन, लम्बाई, चैड़ाई एवं गहराई, क्षमता आदि अलग-अलग होती है। तालाब की जियो टैगिंग एवं सूची सहित उपरोक्त तथ्य लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से यह ज्ञात न हो सका कि क्या यह तालाब वास्तव में वाटर ट्रीटमेंट यूनिट का कार्य कर रहा है। अतः गाँवों के समूह की शर्त एवं उपरोक्त तथ्यों की अनुपलब्धता के कारण इस अनुदान के नियमानुसार समुचित उपभोग की पुष्टि न हो सकी। गाँव के समूह की शर्त पूरी न होने एवं तालाब के वाटर ट्रीटमेंट यूनिट की तरह कार्य करने के तथ्यों की पुष्टि न होने तक यह कार्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का उल्लंघन था।

इसी प्रकार उक्त सूची के कार्यों में नाली / नाला निर्माण को किसी वाटर ट्रीटमेंट यूनिट तक नहीं बनाया गया है तथा गाँवों के समूह की शर्त यहाँ भी पूरी नहीं की गई है। अतः यह इन पाचों कार्यों की कुल लागत धनराशि रू0 3229563-00 दुरूपयोग की श्रेणी में है।

साथ ही इस अनुदान के मैनुअल (15वें वित्त आयोग) के बिन्दु 5.1 के अनुसार "बंधे हुए अनुदान का उपयोग (क) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण और (ख) स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति का रखरखाव और ..... के लिए किया जा सकता है।

आरएलबी जहां तक संभव हो, इन दो महत्वपूर्ण सेवाओं में से प्रत्येक के लिए बंधे हुए अनुदान का आधा हिस्सा निर्धारित करेंगे। हालांकि, यदि किसी आरएलबी ने एक श्रेणी के तहत आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा कर लिया है और उसे उस उद्देश्य के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, तो वह दूसरी श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकता है, उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थानीय निकाय ने अपने अधिकार क्षेत्र के सभी लोगों को पेयजल आपूर्ति प्रदान की है, तो वह स्वच्छता के लिए धन का उपयोग कर सकता है और इसके विपरीत। संबंधित ग्राम सभा इसे प्रमाणित करेगी, और पंचायत या राज्य सरकार के पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा इसकी विधिवत पुष्टि की जाएगी।परन्तु आलोच्य वर्ष में दोनों प्रकार के कार्य 50-50 प्रतिशत नहीं कराये गये हैं और एक प्रकार के कार्यों की संतृप्तता के लिए उपरोक्त प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया है। समस्त कार्य नाली/नाला निर्माण के ही कराये गये हैं।

अतः उपरोक्त उल्लिखित आपत्तियों के कारण सूची के क्रमांक-4 का कार्य अनियमित एवं पहले 3 कार्य दुरूपयोग की श्रेणी में रहे। इसके लिए संस्था की कार्यवाही में उपस्थित क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

14 - संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत जवां जनपद- अलीगढ मण्डल- अलीगढ

प्रस्तर -64 -वित्तीय वर्ष **2021-22** में राज्य वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- **1984** के नियम **-39** में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू **5** लाख से अधिक किन्तु रू. **10** लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू. **10** लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली **1984** में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यो का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष **2021-22** में राज्य वित्त आयोग के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रू. **5** लाख से अधिक परन्तु रू. **10** लाख से कम लागत के **08** कार्य कराये गये जिन पर रू. **11606725** की लागत रही। इस प्रकार वर्ष **2021-22** में कुल **15** कार्यों पर किये गये व्यय का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है। उक्त कार्यों के अन्तिम भुगतानों की बहुत छोटी धनराशि रही। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता मुशीर अहमद एवं खण्ड विकास अधिकारी कपेश मण्डल दोषी एवं उत्तरदायी है। आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार हैः--

वर्ष 2021-22 में रू. 5 लाख व रू. 10 लाख से अधिक के कार्यः--

क्र.	कार्य का नाम	व्यय
1	विकास खंड कार्यालय में रेनोवेशन	562861
2	ग्राम टमकौली में पदम के खेत से हरेन्द्र के खेत तक मिट्टीखड़ंजा/	954777
3	सॉगरा में जितेंद्र से मंदिर तक सीसी रोड	839117
4	दौड़पुर कोटा में सुनील से मरघट तक मिट्टी खड़ंजा/नाली	801401
5	बंजर लालपुर पोथी संपर्क मार्ग से महेस तक/सीसी मार्ग	925992
6	कनौरा में स्कूल से मरघट तक मिट्टीखड़ंजा/	907961
7	सुधियाल में मरघट बाउंडरी वाल	512985
8	सुमेर दरूयापुर शकील से मावूड के बाग तक मिट्टी खड़ंजा	906293

9	वीरपुर में सराफ़त अली से मरघट तक मिट्टीखड़ंजा/	829294
10	पिपलाउथ मे शिशुपाल से गोकुलपुर संपर्क मार्ग तक सीसी मार्ग	890969
11	मैमड़ी में लोकेश शर्मा से महमूदपुर मार्ग तक सीसी मार्ग	670854
12	जरौठी में अन्त्येष्टि स्थल निर्माण सौदर्यीकरण	989462
13	छलेसर में पीएचसी में इंटेरलोककइंग प्रतीक्षालय	331348
14	परतापुर में शिव मंदिर पर इंटेरलोकिंग	980402
15	ग्राम शिकार गढ़ी में शमशान जीर्णोद्धार	503009
योग धनराशि		11606725

प्रस्तर -65 -वित्तीय वर्ष **2021-22** तक राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यो की जांच में प्रकाश मे आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय-**3** की धारा **33(2)** में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एव शासनादेश संख्या**8307/33-2-2004-93** जी/**2004** दिनांक **21-01-2005** व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या **-4/866/33-2-14-93**जी/**2004** दिनांक **24-06-2014** द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-**33(2)**व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडको, अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप् में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है । अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कडाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष **2021-22** में **14** कार्य जिन पर रू**0 9425128** का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यो के होने डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्यों की कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी हरेन्द्र सिंह दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर काराये गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:--

क्र.	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	रायपुर देहली में पंचायत घर पर निर्माण कार्य	274654
2	ग्राम शिकार गढ़ी में स्मशान जीर्णोद्धार	503009
3	ग्राम ढेंकुरा में रामरतन के खेत से मोंटेसरी स्कूल तक मिट्टीखड़ंजा/	91416
4	ग्राम टमकौली में पदम के खेत से हरेन्द्र के खेत तक मिट्टीखड़ंजा/	954777
5	सॉगरा में जितेंद्र से मंदिर तक सीसी रोड	839117
6	दौड़पुर कोटा में सुनील से मरघट तक मिट्टीखड़ंजा/नाली/	801401
7	कनौरा में स्कूल से मरघट तक मिट्टीखड़ंजा/	907961
8	सुधियाल में मरघट बाउंडरी वाल	512985
9	सुमेर दरूयापुर शकील से मावूड के बाग तक मिट्टी खड़ंजा	906293
10	वीरपुर में सराफ़त अली से मरघट तक मिट्टीखड़ंजा/	829294
11	जरौठी में अन्त्येष्टि स्थल निर्माण सौदर्यीकरण&	989462
12	छलेसर में पीएचसी में इंटरलोकिंग प्रतीक्षालय&	331348
13	परतापुर में शिव मंदिर पर इंटरलोकिंग	980402
14	ग्राम शिकार गढ़ी में स्मशान जीर्णोद्धार	503009
कुल योग		9425128

प्रस्तर -66-आलोच्य वर्ष में ठेकेदारों के बिलों से लेबर सेस की कटौती दर1% की दर से की गई है। किन्तु यह कटौती ठेकेदार को बिना जीएसटी भुगतान यानि जीएसटी के योग से पूर्व की गई है। जबकि यह कटौती दे जीएसटी को जोड़ कर की जानी चाहिए थी। यह धनराशि कुल रुपये 7034.00 की है। यह राजस्व का नुकसान है। उक्त के लिए तत्कालीन लेखाकार श्री चंद्र प्रकाश चंदेल उत्तरदायी हैं। उक्त की वसूली श्री चंदेल से कर क्षेत्र पंचायत कोश में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -67-आलोच्य वर्ष में केवल टेंडर प्राप्तकर्ता ठेकेदार से ही धरोहर राशि टेंडर डालते समय रखवाने का दृष्टांत प्राप्त होता है। लेखाकार ने बताया की सभी ठेकेदारों से धरोहर राशि क्षेत्र पंचायत के पक्ष में एफडीआर के रूप में प्राप्त की गई थी। किन्तु कार्य का टेंडर एक ठेकेदार को प्राप्त हो जाने के बाद केवल विजेता ठेकेदार की राशि रखकर बाकी सब को वापस कर दिया गया। किन्तु नियमतः धरोहर राशि के एफडीआर की फोटोकापी फाइल में संरक्षित नहीं की गई गई है। यह रखा जाना चाहिए था। किसी भी कार्य के सूचित के लिए यह आवश्यक था। अतः क्षेत्र पंचायत के द्वारा कराए गए गए सभी टेंडर जो की कुल रुपये **11606725.00** के हैं, को अनियमित की श्रेणी में रखा जाता है।

15 -**संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत टप्पल जनपद- अलीगढ मण्डल- अलीगढ**

प्रस्तर -68 आलोच्य वर्ष में केवल टेंडर प्राप्तकर्ता ठेकेदार से ही धरोहर राशि टेंडर डालते समय रखवाने का दृष्टांत प्राप्त होता है। लेखाकार ने बताया की सभी ठेकेदारों से धरोहर राशि क्षेत्र पंचायत के पक्ष में एफडीआर के रूप में प्राप्त की गई थी। किन्तु कार्य का टेंडर एक ठेकेदार को प्राप्त हो जाने के बाद केवल विजेता ठेकेदार की राशि रखकर बाकी सब को वापस कर दिया गया। किन्तु नियमतः धरोहर राशि के एफडीआर की फोटोकापी फाइल में संरक्षित नहीं की गई गई है। यह रखा जाना चाहिए था। किसी भी कार्य के सूचित के लिए यह आवश्यक था। अतः क्षेत्र पंचायत के द्वारा कराए गए गए सभी टेंडर जो की कुल रुपये 312,29,476.50 के हैं, को अनियमित की श्रेणी में रखा जाता है।

जनपद:- एटा **मण्डल- अलीगढ़**

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 :- क्षेत्र पंचायतें

1- संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत, शीतलपुर जनपद – एटा मण्डल – अलीगढ़

2- आपत्तियों का विस्तरित विवरण है।

प्रस्तर 1- **कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सैस) की काटौती आपूर्तिकर्ता फर्मों के बिलों से न किया जाना।**

उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियम) नियमवली **2009** के नियम संख्या **4(3)** के अनुसार:- ''ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का **1** प्रतिषत धनराषि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी तथा समस्त समावेषी अनुबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाए। प्रावधानित कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दषा में संस्था द्वारा वहन नही किया जा सकेगा।''

क्षेत्र पंचायत शीतलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष **2021-22** में रू**0 17024274.00** की निर्माण सामग्री क्रय कर **39** कराये गये है। सभी कार्यों में कर्मकार उपकर की **1** प्रतिशत धनराशि की कटौती न कर**,** रू**0 170242.74** का सीधा लाभ आपूर्तिकर्ता फर्मों को पहुचाया है**,** जिससे राजकीय राजस्व को हॉनि हुई है। जिसके लिये क्षेत्र पंचायत प्रमुख**,** खण्ड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। क्योंकि सैस की कटौती कर उसको राजकीय कोष में जमा करने का उत्तर दायित्व उक्त पदाधिकारियों का था। अतः उपरोक्त धनराशि की वसूली तातारीख **12** प्रतिशत ब्याज सहित निम्न विवरण के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम	वर्ष	सन्निहित धनराषि
1	श्री एस0एन0कुशवाह(ख0वि0अ0) श्रीमती शैली गोविल(ख0वि0अ0) ब्रजकुमार (लेखाकार)	2021-22	56747.58 56747.58 56747.58
	योग		170242.74

आपत्ति सं0 01

प्रस्तर 2- **नियमो की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराना**

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय-**3** सेक्शन **33(2)** तथा शासनादेश संख्या **1838/33/-3-2015-03/2015** दिनांक **31.07.2015** का अतिक्रमण कर सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति देकर केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग से संक्रमित धनराशि से निम्न लिखित कार्य कराये गये हैं-

क्रं0 सं0	कार्य का विवरण	वर्ष	व्यय धनराषि
1	2	3	
1	नाली निर्माण कार्य- भीकम के मकान से नेत्रपाल के मकान तक	2021-22	383251
2	नाली निर्माण कार्य- करन सिंह के मकान से छोटेलाल के मकान तक (केन्द्रीय वित्त)	2021-22	152764
3	नाली निर्माण कार्य- ब्लाक परिसर में(केन्द्रीय वित्त)	2021-22	194556
4	नाली निर्माण कार्य- पूरन सिंह के मकान से भीकम के मकान तक	2021-22	592104
5	नाला निर्माण कार्य- सरकारी स्कूल से अखलेश तक(केन्द्रीय वित्त)	2021-22	181634
6	नाला निर्माण कार्य- भगवानदास के मकान से कासगंज रोड तक (केन्द्रीय वित्त)	2021-22	239878
7	नाला निर्माण कार्य- बबलू के मकान से पुष्पेन्द्र कुमार के घर तक (केन्द्रीय वित्त)	2021-22	114331
8	सी0सी0 इण्टरलॉकिंग कार्य- हरी नरायन के मकान से मुन्नालाल के घर तक	2021-22	695879

	(राज्य वित्त)		
9	सी0सी0 कार्य- नगला मदी में रोशन के घर से महीपाल के घर तक (राज्य वित्त)	2021-22	708539
10	सी0सी0 नाली कार्य- अवधेष तोमर के घर से प्रताप के घर तक (राज्य वित्त)	2021-22	491111
11	खडंजा कार्य- नगला सुमेर में नहर से पुल तक (राज्य वित्त)	2021-22	111943
12	सी0सी0 कार्य- सुनहरी के घर से बबलू के घर तक (राज्य वित्त)	2021-22	510444
13	इण्टरलॉकिंग कार्य- शीतलपुर गेट नं0 2 सामने प्रागंढ (राज्य वित्त)	2021-22	810042
14	इण्टरलॉकिंग कार्य- ब्लॉक शीतलपुर गेट के सामने (राज्य वित्त)	2021-22	990605
15	सी0सी0 कार्य- मुकेश के घर से मुख्य सडक तक (राज्य वित्त)	2021-22	821902
16	इण्टरलॉकिंग कार्य- देवराज के घर से अजय के घर तक (राज्य वित्त)	2021-22	502499
17	नाली निर्माण कार्य- शैलेन्द्र उपाध्याय के घर से सरकारी ट्यूबैल तक (राज्य वित्त)	2021-22	274936
18	सी0सी0 इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य- कासगंज रोड से हरी शंकर के घर तक (राज्य वित्त)	2021-22	827196
19	नाली निर्माण कार्य- मनूपुर में (राज्य वित्त)	2021-22	100356
20	सी0सी0 इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य- कासगंज रोड से राजेन्द्र के प्लाट तक (राज्य वित्त)	2021-22	992170
21	इण्टरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य- एटा शिकोहाबाद रोड से अन्दर आबादी में (राज्य वित्त)	2021-22	484513
22	इण्टरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य- कमलेश चौहान के घर के पास (राज्य वित्त)	2021-22	390735
23	इण्टरलॉकिंग कार्य- सहावर रोड से सर्वोदय के गेट तक (राज्य वित्त)	2021-22	982767
24	सी0सी0 खडंजा कार्य- पीतम सिंह के घर से रामसिंह के खेत तक (राज्य वित्त)	2021-22	579590
25	सी0सी0 इण्टरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य- नंदराम के घर से अजय चर्तुवेदी के घर तक (राज्य वित्त)	2021-22	480217
26	सी0सी0 इण्टरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य- रामप्रकाश के घर से ब्रजमोहन के प्लाट तक (राज्य वित्त)	2021-22	774059
27	बाउण्ड्रीबॉल निर्माण कार्य- कार्यालय के अन्दर(राज्य वित्त)	2021-22	185041
28	नाली निर्माण कार्य- ब्लॉक परिसर में आवासीय भवन के पीछे(राज्य वित्त)	2021-22	431250
29	सी0सी0 कार्य- अखिलेश के घर से स्कूल तक (केन्द्रीय वित्त)	2021-22	783553
30	खडंजा कार्य- मिरहची रोड से भगवानपुर निविरिया के रास्ते पर (केन्द्रीय वित्त)	2021-22	239400
31	इण्टरलॉकिंग कार्य- ब्लॉक परिसर में (केन्द्रीय वित्त)	2021-22	845447
32	खडंजा निर्माण कार्य- स्कूल से हरसिंहपुर की आबादी तक (केन्द्रीय वित्त)	2021-22	571822
33	नाला निर्माण कार्य- जगदीश की दुकान से सर्वोदय रास्ता तक (केन्द्रीय वित्त)	2021-22	204107
34	नाला निर्माण कार्य- कैलाश यादव के खेत से एफ0सी0आई0 गोदाम तक(केन्द्रीय वित्त)	2021-22	188512
35	इण्टरलॉकिंग कार्य- सर्वोदय डाकघर के अन्दर तक	2021-22	835794
36	सी0सी0 कार्य- गंजडुन्डवारा रोड से शीतलपुर रोड तक (केन्द्रीय वित्त)	2021-22	231734
37	इण्टरलॉकिंग कार्य- राजीव जैन के घर से तुर्रम के घर तक (केन्द्रीय वित्त)	2021-22	155711
38	खडंजा निर्माण कार्य- नगला पूसा से ककरावली तक	2021-22	575050
39	खडंजा इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य- गौतमबुद्ध नगर में	2021-22	568383
	योग		**20203289.00**

उपरोक्त अधिनियम एवं शासनादेश की व्यवस्थानुसार क्षेत्र पंचायत एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराने हेतु अधिकृत है। उपरोक्त कार्यों के विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय **3** की धारा **33(2)** एंव शासनादेश संख्या **1838/33/-3-2015-03/2015** दिनांक **31.07.2015** की अनदेखी कर ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराये गये हैं जिससे डुप्लीकेसी की संभावनायें बनी रहती हैं। इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत द्वारा बताया गया है कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात निर्धारित प्राधिकारी से कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य कराये गये हैं। उत्तर मान्य नही है। क्योंकि अधिनियम एवं शासनादेशों के अनुसार ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराने का अधिकार क्षेत्र पंचायत को नही है। अतः रू**0 20203289.00** के अनिमियत व्यय के लिये ब्लॉक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति सं0 – 2

प्रस्तर 3- स्त्रोत पर आयकर की कटौती कर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा केन्द्रीय कोष में न जमा कराना।

आयकर अधिनियम **1961** की धारा **194सी0** के अनुसार- ''आहरण वितरण अधिकारी का यह दायित्व है कि वह ठेकेदारों के बिलों से स्त्रोत पर दो प्रतिशत आयकर की कटौती करेगे।'' उक्त धारा के अनुपालन में रू**0 732498.00** की आयकर कटौती की गयी है। जिसके सापेक्ष रू**0 671669.00** सरकारी खजाने में जमा किया गया है। शेष रू**0 60829.00** सरकारी खजाने में जमा नही किया गया है।

आयकर अधिनियम **1961** की धारा **194सी0** के अर्न्तगत काटी गयी आयकर की धनराशि को धारा **200** के अनुसार प्रत्येक कर काटने वाले व्यक्ति को स्त्रोत पर काटी गयी कर की राशि को नियम **30** के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कोष में निर्धारित समय अवधि के अन्दर उस धनराशि जमा कराना होता है। परन्तु यदि कोई कर काटने वाला व्यक्ति स्त्रोत पर कर नही काटता है अथवा काटकर निर्धारित समय के अन्दर-अन्दर सरकारी खजाने में जमा कराने में असमर्थ रहता है तो उस व्यक्ति को चूक में करदाता (ऐसीसी इन डिफॉल्ट) माना जाएगा तथा धारा **201** के अन्तर्गत उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति**,** जो स्त्रोत पर कर काटने के लिये दायी है। कर की पूरी राशि अथवा कोई भाग नही काटता है तो उस पर न काटे गए कर की राशि के बराबर अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। कर काटने वाला व्यक्ति काटी गई कर की राशि को विलम्ब से जमा कराने की दशा में **15** प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज देने का दायी होगा। यह ब्याज कर काटने की तिथि से सरकारी खजाने में जमा कराने की तिथि तक लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्त्रोत पर कर काटकर केन्द्रीय सरकार के कोष में जमा नही कराता है**,** तो उसे कम से कम **3** माह का कठोर कारावास (त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज) जिसे **7** वर्ष की अवधि तक बढाया जा सकता है**,** तथा साथ में जुर्माना भी हो सकता है। अतः उपरोक्त धनराशि को राज्य वित्त के खाता से आहरण करके केन्द्र सरकार के कोष के हैड में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर लेखा परीक्षा से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। साथ ही **15** प्रतिशत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। ब्याज की वसूली निम्नलिखित से की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम	पदनाम	सन्निहित धनराषि
1	श्री एस0एन0 कुशवाह	खण्ड विकास अधिकारी	20276.33
2	श्रीमती शैली गोविल	खण्ड विकास अधिकारी	20276.33
3	श्री बृज कुमार	लेखाकार	20276.34
	योग		60829.00

आपत्ति सं0 – 9

जनपद – एटा मण्डल – अलीगढ़

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत, जलेसर

आपत्तियों का विस्तरित विवरण है।

प्रस्तर 4 - कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सैस) की काटौती आपूर्तिकर्ता फर्मों के बिलों से न किया जाना।

उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियम) नियमवली **2009** के नियम संख्या **4(3)** के अनुसार:- ''ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का **1** प्रतिषत धनराषि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी तथा समस्त समावेषी अनुबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाए। प्रावधानित कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दषा में संस्था द्वारा वहन नही किया जा सकेगा।''

क्षेत्र पंचायत जलेसर द्वारा वित्तीय वर्ष **2021-22** में रू**0 18320156.00** की निर्माण सामग्री क्रय कर 44 कराये गये है। सभी कार्यों में कर्मकार उपकर की **1** प्रतिशत धनराशि की कटौती न कर**,** रू**0 183201.56** का सीधा लाभ आपूर्तिकर्ता फर्मों को पहुँचाया है**,** जिससे राजकीय राजस्व को हॉनि हुई है। जिसके लिये क्षेत्र पंचायत प्रमुख**,** खण्ड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। क्योंकि सैस की कटौती कर उसको राजकीय कोष में जमा करने का उत्तर दायित्व उक्त पदाधिकारियों का था। अतः उपरोक्त धनराशि की वसूली तातारीख **12** प्रतिशत ब्याज सहित निम्न विवरण के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम	वर्ष	सन्निहित धनराषि
1	श्री सौमनाथ मौर्य- खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश चन्द्र- खण्ड विकास अधिकारी श्री महेश चन्द्र- खण्ड विकास अधिकारी	2021-22	61067.19 61067.19 61067.19
	योग		183201.56

आपत्ति सं0 – 1

प्रस्तर 5 - नियमो की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराना (15वॉ वित्त आयोग)

उ**0**प्र**0** क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय-**3** सेक्शन **33(2)** तथा शासनादेश संख्या **1838/33/-3-2015-03/2015** दिनांक **31.07.2015** का अतिक्रमण कर सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति देकर **15वॉ वित्त आयोग** से संक्रमित धनराशि से निम्न लिखित कार्य कराये गये हैं-

क्रं0सं0	कार्य का विवरण	वर्ष	व्यय धनराषि
1	2	3	4
1.	कनिक वाटिका से बृजेस फौजी के घऱ तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	937863
2.	नगला मनसुख राजबहादुर के घर से महेन्द्र सिंह के खेत तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	694327
3.	नगला मनसुख लाखन सिंह के घर से हरकिशन के आम तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	420066
4.	जलेसर देहात विध्या देवी गार्डन से नाहर सिंह के घेर के आगे तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	800141
5.	जलेसर देहात रघुवीर वकील साहब से के0पी0 सिंह के घऱ तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	138938
6.	जलेसर देहात देवेन्द्र के घर से हरिशेकर के घऱ तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	188234
7.	जलेसर देहात में श्यामबाबू के प्लाट से अनूप सिंह क् घऱ तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	237582
8.	जलेसर देहात अनार सिंह के घर से विजेन्द्र सिंह के घऱ तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	280478
9.	जलेसर देहात आर0पी0 सिंह के प्लाट से गिरधर के घऱ तक सी0सी0,	2021-22	759747

	इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य		
10.	भिआऊ ओमप्रकाश के घर से कोरेवाले तक नाली निर्माण कार्य	2021-22	470735
11.	अकबरपुर साथा से रघुवीर सिंह के घर से मुनेश प्रधान के घर तकसी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	50705
12.	नागबई में कुन्जलपुर मार्ग से हरी प्रसाद की घर तक खड़न्जा कार्य	2021-22	740785
13.	रसीदपुर में रामगढ़ी में राजवीर के घर से भीष्मपाल के घर से सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	15187
14.	काजीपुर बदनपुर में सुनील के मकान से अवधेश के मकान तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	307027
	योग		6041819.00

उपरोक्त अधिनियम एवं शासनादेश की व्यवस्थानुसार क्षेत्र पंचायत एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराने हेतु अधिकृत है। उपरोक्त कार्यों के विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय **3** की धारा **33(2)** एंव शासनादेश संख्या **1838/33/-3-2015-03/2015** दिनांक **31.07.2015** की अनदेखी कर ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराये गये हैं जिससे डुप्लीकेसी की संभावनायें बनी रहती हैं। इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत द्वारा बताया गया है कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात निर्धारित प्राधिकारी से कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य कराये गये हैं। उत्तर मान्य नही है। क्योंकि अधिनियम एवं शासनादेशों के अनुसार ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराने का अधिकार क्षेत्र पंचायत को नही है। अतः रू**0** 6041819.00 के अनिमियत व्यय के लिये ब्लॉक प्रमुख, वह सभी बी0डी0सी0 सदस्य जिन्होने उक्त कार्यो के समर्थन में मतदान किया एवं खण्ड विकास अधिकारी सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति सं0 – 2

प्रस्तर 6 नियमो की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराना (5वॉ वित्त आयोग)

उ**0**प्र**0** क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय-**3** सेक्शन **33(2)** तथा शासनादेश संख्या **1838/33/-3-2015-03/2015** दिनांक **31.07.2015** का अतिक्रमण कर सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति देकर **5वॉ वित्त आयोग** से संक्रमित धनराशि से निम्न लिखित कार्य कराये गये हैं-

क्रं0सं0	कार्य का विवरण	वर्ष	व्यय धनराषि
1	2	3	4
1.	शाहनगर टिमरूआ में रक्षपाल के घऱ से नरेन्द्र के घर तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	882926
2.	**जलेसर देहात में सिकन्दाओं बस स्टैन्ड पर कालौनी गैट से अर्जुन के प्लाट तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य**	2021-22	997890
3.	रामवीर के पीपल से मानसिंह के प्लाट तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	698398
4.	हसनालीपुर बसई गुरू दयाल के घर गोविन्द के खेत तकसी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	996015
5.	विकास खण्ड में आर0ओ0 वाटर ओर ए0सी0 इनवरटर हेतु व्यय	2021-22	130500
6.	वदनपुर में गोपाली के यहां से उदयपाल की समर तक खड़न्जा निर्माण	2021-22	175256
	योग		**3880989**

उपरोक्त अधिनियम एवं शासनादेश की व्यवस्थानुसार क्षेत्र पंचायत एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराने हेतु अधिकृत है। उपरोक्त कार्यों के विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय **3** की धारा **33(2)** एंव शासनादेश संख्या **1838/33/-3-2015-03/2015** दिनांक **31.07.2015** की अनदेखी

कर ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराये गये हैं जिससे डुप्लीकेसी की संभावनायें बनी रहती हैं। इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत द्वारा बताया गया है कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात निर्धारित प्राधिकारी से कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य कराये गये हैं। उत्तर मान्य नही है। क्योंकि अधिनियम एवं शासनादेशों के अनुसार ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराने का अधिकार क्षेत्र पंचायत को नही है। अतः रू**0** 3880989.00 के अनिमियत व्यय के लिये ब्लॉक प्रमुख, वह सभी बी0डी0सी0 सदस्य जिन्होने उक्त कार्यो के समर्थन में मतदान किया एवं खण्ड विकास अधिकारी सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति सं0 – 3

प्रस्तर 7 बिना गुणवत्ता परीक्षण के 80 **एम0एम0 इण्टरलॉकिंग टाइल्स का प्रयोग निर्माण कार्यों में किया जाना।(15वॉ वित्त आयोग)**

मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक सी**0**ई**0**सी**0**जेड**0** सा**0/17** दिनांक **31-01-2017** द्वारा ग्रामीण सड़कों में प्रयुक्त होने वाली इण्टरलॉकिंग टाइल्स की गुणवत्ता एवं मोटाई सुनिश्चित करने के लिये व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसके अनुसार इण्टरलॉकिंग टाइल्स का प्रयोग करने के पूर्व प्रत्येक **500** टाइल्स में से एक टाइल्स गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजी जानी चाहिए। गुणवत्ता जॉच की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही सही गुणवत्ता वाली टाइलों का प्रयोग इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण में किया जाना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत जलेसर द्वारा वित्तीय वर्ष **2021-22** तक में केन्द्रीय वित्त आयोग से सक्रमित धनराशि से निम्न कार्य कराये गये।

क्रं0सं0	कार्य का विवरण	वर्ष	व्यय धनराषि
1	कनिक वाटिका से बृजेस फौजी के घऱ तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	937863
2	नगला मनसुख राजबहादुर के घर से महेन्द्र सिंह के खेत तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	694327
3	नगला मनसुख लाखन सिंह के घर से हरकिशन के आम तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	420066
4	जलेसर देहात विध्या देवी गार्डन से नाहर सिंह के घेर के आगे तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	800141
5	जलेसर देहात रघुवीर वकील साहब से के0पी0 सिंह के घऱ तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	138938
6	जलेसर देहात देवेन्द्र के घर से हरिशेकर के घऱ तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	188234
7	जलेसर देहात में श्यामबाबू के प्लाट से अनूप सिंह क् घऱ तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	237582
8	जलेसर देहात अनार सिंह के घर से विजेन्द्र सिंह के घऱ तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	280478
9	जलेसर देहात आर0पी0 सिंह के प्लाट से गिरधर के घऱ तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	759747
10	अकबरपुर साथा से रघुवीर सिंह के घर से मुनेश प्रधान के घर तकसी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	50705
11	शकरौली में बाल गृह में मुनेन्द्र प्रताप के बम्बा पत्री पुल तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	437531
12	रसीदपुर में रामगढ़ी में राजवीर के घर से भीष्मपाल के घर से सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	15187
13	काजीपुर बदनपुर में सुनील के मकान से अवधेश के मकान तक सी0सी0,	2021-22	307027

	इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य		
	योग		**5267826.00**

उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार टाइल्स की गुणवत्ता का परीक्षण नही किया गया था। अग्रेतर जॉच में पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु पी0डव्ल्यू0 द्वारा निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार टायल्स की मोटाई का आगणन में 80 एम0एम0 किया गया था। किन्तु आपूर्ति बिल एवं पुस्तिका में मोटाई का अकंन न होने से यह स्पष्ट नही था कि कार्य में जो टाइल प्रयोग किया गया वह आगणन की विशिष्टयों के अनुसार था अथवा नही । अग्रेतर जॉच में पाया गया कि उनकी गुणवत्ता का परीक्षण नही कराया गया था। बिना टाइल्स की मोटाई सुनिश्चित किए एवं गुणवत्ता परीक्षण किए कार्य रु0 5267826.00 का अनियमित व्यय किया गया तथा आपूर्ति टाइल्स की मोटाई एवं परीक्षण न कराये जाने से कार्य गुणवत्ता न होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है।

लेखा परीक्षण में उपरोक्त अनियमितताओं को इगिंत करने पर क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर में बताया गया कि भविष्य में इसका ध्यान जायेगा। लेखा परीक्षण में उत्तर मान्य नही है क्योंकि आगणन में प्रावधान होने के बावजूद टायल्स 80 एम0एम0 की मोटाई का सुनिश्चित नही किया गया और न ही सी0सी0 टायल्स की गुणवत्ता परीक्षण कराया गया था। अतः रु0 5267826.00 के अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

आपत्ति सं0 – 4

प्रस्तर 8 बिना गुणवत्ता परीक्षण के 80 **एम0एम0 इण्टरलॉकिंग टाइल्स का प्रयोग निर्माण कार्यों में किया जाना।(5वॉ वित्त आयोग)**

मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक सी**0**ई**0**सी**0**जेड**0** सा**0/17** दिनांक **31-01-2017** द्वारा ग्रामीण सड़कों में प्रयुक्त होने वाली इण्टरलॉकिंग टाइल्स की गुणवत्ता एवं मोटाई सुनिश्चित करने के लिये व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसके अनुसार इण्टरलॉकिंग टाइल्स का प्रयोग करने के पूर्व प्रत्येक **500** टाइल्स में से एक टाइल्स गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजी जानी चाहिए। गुणवत्ता जॉच की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही सही गुणवत्ता वाली टाइलों का प्रयोग इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण में किया जाना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत जलेसर द्वारा वित्तीय वर्ष **2021-22** तक में राज्य वित्त आयोग से सक्रमित धनराशि से निम्न कार्य कराये गये।

क्रं0सं0	कार्य का विवरण	वर्ष	व्यय धनराषि
1	शाहनगर टिमरूआ में रक्षपाल के घऱ से नरेन्द्र के घर तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	882926
2	जलेसर देहात में सिकन्दाओं बस स्टैन्ड पर कालौनी गैट से अर्जुन के प्लाट तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	997890
3	रामवीर के पीपल से मानसिंह के प्लाट तक सी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	698398
4	हसनालीपुर बसई गुरू दयाल के घर गोविन्द के खेत तकसी0सी0, इण्टरलोकिंग ,नाली, खडन्जा कार्य	2021-22	996015
	योग	2021-22	3575229.00

उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार टाइल्स की गुणवत्ता का परीक्षण नही किया गया था। अग्रेतर जॉच में पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु पी0डव्ल्यू0 द्वारा निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार टायल्स की मोटाई का आगणन में 80 एम0एम0 किया गया था। किन्तु आपूर्ति बिल एवं पुस्तिका में मोटाई का अकंन न होने से यह स्पष्ट नही था कि कार्य में जो टाइल प्रयोग किया गया वह आगणन की विशिष्टयों के अनुसार था अथवा नही । अग्रेतर जॉच में पाया गया कि उनकी गुणवत्ता का परीक्षण नही कराया गया था। बिना टाइल्स की मोटाई सुनिश्चित किए एवं गुणवत्ता परीक्षण किए कार्य रु0 3575229.00 का अनियमित व्यय किया गया तथा आपूर्ति टाइल्स की मोटाई एवं परीक्षण न कराये जाने से कार्य गुणवत्ता न होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है।

लेखा परीक्षण में उपरोक्त अनियमितताओं को इगिंत करने पर क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर में बताया गया कि भविष्य में इसका ध्यान जायेगा। लेखा परीक्षण में उत्तर मान्य नही है क्योंकि आगणन में प्रावधान होने के बावजूद टायल्स 80 एम0एम0 की मोटाई का सुनिश्चित नही किया गया और न ही सी0सी0 टायल्स की गुणवत्ता परीक्षण कराया गया था। अतः रु0 3575229.00 के अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

आपत्ति सं0 – 5

प्रस्तर 9 निविदा प्रपत्रों की बिक्री न कर क्षेत्र पंचायत को अर्थिक क्षति पहुचाना

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन वित (लेखा)अनुभाग के शासनादेश संख्या -ए-**1-864**/दस-**05-15(1)/86** लखनऊ दिनांक **23** सितम्बर **2008** के अनुसार रुपया **20000.00** से अधिक की सामग्री क्रय करने के लिये कोटेशन व **100000.00** से अधिक सामग्री क्रय करने हेतु निविदायें आमंत्रित की जायेगी। उक्त के अनुपालन में क्षेत्र पंचायत शीतलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष **2021-22** में कुल **39** कार्य के लिये निविदायें आमंत्रित की गयी। जिसमें प्रत्येक कार्य के लिये तीन-तीन निविदायें प्राप्त हुई। प्रत्येक निविदा पत्र का मूल्य रू**0 500.00** निर्धारित था। जिससे क्षेत्र पंचायत शीतलपुर को वर्ष **2021-22** में निविदा प्रपत्रों की बिक्री से रुपया (46***3*500=69000.00)** की आय होनी चाहिए थी। आपूर्तिकर्ता फर्मों को निविदा प्रपत्रों की बिक्री न कर क्षेत्र पंचायत को रू**0 69000.00** राजस्व हानि हुई है। जिसके लिये निम्नलिखित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। अतः रू**0 69000.00** की क्षतिपूर्ति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से निम्न विवरण के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम	पदनाम	सन्निहित धनराषि
1	श्री सौमनाथ मौर्य	खण्ड विकास अधिकारी	17250.00
2	श्री सतीश चन्द्र	खण्ड विकास अधिकारी	17250.00
3	श्री महेश चन्द्र	खण्ड विकास अधिकारी	17250.00
4	श्री राजेश्वर सिंह	लेखाकार	17250.00
		योग	69000.00

आपत्ति सं0 – 8

प्रस्तर 10 रू0 4327804.53 के व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों का लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराया जाना।

उत्तर प्रदेश (जिला पंचायत) तथा (क्षेत्रपंचायत) (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली **1965** के अध्याय सत्रह के नियम **174** के अनुसार- क्षेत्र पंचायत के लेखों की लेखा परीक्षा परीक्षकों द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जायेगी जो राज्य सरकार विशेष अथवा सामान्य आज्ञा द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करें। अध्यक्ष/प्रमुख इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सभी लेखा रजिस्टर तथा पत्रादि मांगे जाने पर बिना किसी बिलम्ब के परीक्षकों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। निम्नलिखित मदों एवं उनके सम्मुख अंकित धनराशि से सम्बन्धित लेखा अभिलेख एवं इनके व्यय से सम्बन्धित शासनादेश, व्यय प्रमाणक बार बार मांगे जाने पर भी उपलब्ध नही कराये हैं, विवरण निम्न प्रकार है-

वित्तीय वर्ष		2021-22			
क्र0सं0	मद का नाम	प्रारम्भिक अवषेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अन्तिम शेष
1	क्षेत्रनिधि(जमानत/टैंडर)	81562.00	00	00	81562.00
2	मुख्य मंत्री सा0वि0योजना	346761.00	2098196.00	1600615.00	844342.00
3	मनरेगा प्रशासनिक व्यय	1549748.53	1185391.00	2727189.53	7950.00
4	विधायक निधि	6672.00	00	00	6672.00
5	ऑगनबाड़ी	451190.81	448000.00	00	899190.00
	योग	2435934.34	3731587	4327804.53	1839716

जो उत्तर प्रदेश (जिला पंचायत) तथा (क्षेत्र पंचायत) (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली **1965** के अध्याय सत्रह के नियम **174** का उल्लघन के साथ-साथ अनियमितता, धन का दुरूपयोग एवं अपहरण को छुपाने का प्रयास प्रतीत होता है। अतः कार्यवाही हेतु प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति सं0 – 10

स्था का नाम – क्षेत्र पंचायत, सकीट जनपद – एटा मण्डल – अलीगढ़

आपत्तियों का विस्तरित विवरण है।

प्रस्तर 11- नियमो की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराना (15वॉ वित्त आयोग)

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय-**3** सेक्शन **33(2)** तथा शासनादेश संख्या **1838/33/-3-2015-03/2015** दिनांक **31.07.2015** का अतिक्रमण कर सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति देकर **15वॉ वित्त आयोग** से संक्रमित धनराशि से निम्न लिखित कार्य कराये गये हैं-

क्रं0सं0	कार्य का विवरण	वर्ष	व्यय धनराषि
1	2	3	4
1.	मनसुखपुर के राजस्व ग्राम बकरावाद में प्रा0वि0 से सार्वजनिक शौचालयतक तक दोनों तरफ नाली निर्माण	2021-22	953632
2.	नगला अगर मेचारन सिंह के घर से तालाव तक नालि निर्माण	2021-22	934263
3.	सेनकला रामसिंह के घऱ से सियाराम के तालाव तक सी0, इण्टरलोकिंग	2021-22	897378
4.	विहारपुरा में तिलक सिंह के घऱ से अमर सिंह के घऱतक सी0, इण्टरलोकिंग	2021-22	330098
5.	पौथ जटवन्त समन्त के घऱ से बदन सिंह के घरतक सी0, इण्टरलोकिंग	2021-22	670824
6.	पौथ जटवन्त में बदन सिंह के घर से राजु के घऱ तक सी0, इण्टरलोकिंग	2021-22	862608
7.	राजपुर सलेमपुर सरमन के घर से दयाशंकर के घऱ तक सी0, इण्टरलोकिंग	2021-22	811975
8.	रिवादी मे कंचन के खेत तक पुलिया का निर्माण	2021-22	754668
9.	राजपुरा में रामसिंह के घर से तालाब तक नाला निर्माण	2021-22	126603
10.	सेनकला में भामाशाह के घर से रामसिंह के घर तक सी0, इण्टरलोकिंग	2021-22	899390
11.	सिंहपुर में अतर सिंह के घर से दयाशंकर के घर तक नालि निर्माण	2021-22	953656
	योग		8195095.00

उपरोक्त अधिनियम एवं शासनादेश की व्यवस्थानुसार क्षेत्र पंचायत एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराने हेतु अधिकृत है। उपरोक्त कार्यों के विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय **3** की धारा **33(2)** एंव शासनादेश संख्या **1838/33/-3-2015-03/2015** दिनांक **31.07.2015** की अनदेखी कर ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराये गये हैं जिससे डुप्लीकेसी की संभावनायें बनी रहती हैं। इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत द्वारा बताया गया है कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात निर्धारित प्राधिकारी से कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य कराये गये हैं। उत्तर मान्य नही है। क्योंकि अधिनियम एवं शासनादेशों के अनुसार ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराने का अधिकार क्षेत्र पंचायत को नही है। अतः रू**0** 8195095.00 के अनिमियत व्यय के लिये ब्लॉक प्रमुख, वह सभी बी0डी0सी0 सदस्य जिन्होने उक्त कार्यो के समर्थन में मतदान किया एवं खण्ड विकास अधिकारी सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति सं0 – 1

प्रस्तर 12 नियमो की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराना (5वॉ वित्त आयोग)

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय-**3** सेक्शन **33(2)** तथा शासनादेश संख्या **1838/33/-3-2015-03/2015** दिनांक **31.07.2015** का अतिक्रमण कर सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति देकर **5वॉ वित्त आयोग** से संक्रमित धनराशि से निम्न लिखित कार्य कराये गये हैं-

क्रं0सं0	कार्य का विवरण	वर्ष	व्यय धनराषि
1	2	3	4

1.	मनसुखपुर के राजस्व ग्राम बकरावाद में प्रा0वि0 से सार्वजनिक शौचालयतक सी0, इण्टरलोकिंग	2021-22	820149
2.	जीशुखपुर सनी में गंगा सिंह के घर से शिशुपाल के घऱ तक सी0, इण्टरलोकिंग	2021-22	945126
3.	कुरीना दौलतपुर मे रोहन के घऱ से राजेन्द्र के घर तक सी0, इण्टरलोकिंग	2021-22	948918
4.	कुरीना दौलतपुर मे जदुवीर के घऱ से स्कुल तक सी0, इण्टरलोकिंग	2021-22	953032
5.	मेगनी सहावजपुर में पंकज के घऱ तक सी0, इण्टरलोकिंग	2021-22	957026
6.	मजरा जाट सकीट मुशीनगर में मैंन रोड़ से माता के थान तक सी0, इण्टरलोकिंग	2021-22	951344
7.	रेवारी सकटपुर से सेपु के घर तक खड़न्जा	2021-22	330291
8.	रिजोर मे इज्जत की दुकान से प्रेमपाल के घऱ तक सी0, इण्टरलोकिंग	2021-22	872411
9.	रिजोर मे रामेन्द्र के घऱ से चन्द्रपाल के घऱ तक सी0, इण्टरलोकिंग	2021-22	301512
10.	रेवारी के मुनेश की समर से कंचन के खेत कर खड़न्जा कार्य	2021-22	413159
11.	जीशुखपुर सनी में सत्यवीर के पिछले गेट से सोनपाल की मढ़ईया तक सी0, इण्टरलोकिंग	2021-22	941057
	योग		8434029.00

उपरोक्त अधिनियम एवं शासनादेश की व्यवस्थानुसार क्षेत्र पंचायत एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराने हेतु अधिकृत है। उपरोक्त कार्यों के विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय **3** की धारा **33(2)** एंव शासनादेश संख्या **1838/33/-3-2015-03/2015** दिनांक **31.07.2015** की अनदेखी कर ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराये गये हैं जिससे डुप्लीकेसी की संभावनायें बनी रहती हैं। इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत द्वारा बताया गया है कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात निर्धारित प्राधिकारी से कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य कराये गये हैं। उत्तर मान्य नही है। क्योंकि अधिनियम एवं शासनादेशों के अनुसार ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराने का अधिकार क्षेत्र पंचायत को नही है। अतः रू**0** 8434029.00 के अनिमियत व्यय के लिये ब्लॉक प्रमुख, वह सभी बी0डी0सी0 सदस्य जिन्होने उक्त कार्यो के समर्थन में मतदान किया एवं खण्ड विकास अधिकारी सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति सं0 – 2

प्रस्तर 13 रू0 7937517**.00 के व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों का लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराया जाना।**

उत्तर प्रदेश (जिला पंचायत) तथा (क्षेत्रपंचायत) (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली **1965** के अध्याय सत्रह के नियम **174** के अनुसार- क्षेत्र पंचायत के लेखों की लेखा परीक्षा परीक्षकों द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जायेगी जो राज्य सरकार विशेष अथवा सामान्य आज्ञा द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करें। अध्यक्ष/प्रमुख इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सभी लेखा रजिस्टर तथा पत्रादि मांगे जाने पर बिना किसी बिलम्ब के परीक्षकों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। निम्नलिखित मदों एवं उनके सम्मुख अंकित धनराशि से सम्बन्धित लेखा अभिलेख एवं इनके व्यय से सम्बन्धित शासनादेश**,** व्यय प्रमाणक बार बार मांगे जाने पर भी उपलब्ध नही कराये हैं**,** विवरण निम्न प्रकार है-

वित्तीय वर्ष		2021-22			
क्र0सं0	मद का नाम	प्रारम्भिक अवषेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	अन्तिम शेष
1	गौवंश भरण-पोषण	531132.00	10248330.00	6832899.00	3946563.00
2	मुख्य मंत्री सा0वि0योजना	1081867.00	2278709.00	1104618.00	2255958.00
	योग	1612999	12527039	7937517	6202521

जो उत्तर प्रदेश (जिला पंचायत) तथा (क्षेत्र पंचायत) (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 **के अध्याय सत्रह के नियम** 174 **का उल्लघन के साथ-साथ अनियमितता, धन का दुरूपयोग एवं अपहरण को छुपाने का प्रयास प्रतीत होता है। अतः कार्यवाही हेतु प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाता है।**

आपत्ति सं0 – 8

प्रस्तर 14 श्रम तथा सामग्री पर निर्धारित मानक के अनुसार व्यय न करने से रू0 15.56 लाख का सामग्री पर अधिक व्यय।

मनरेगा गाइडलाइन के अनुसार कार्य पर व्यय धनराशि का अनुपात श्रम एवं सामग्री के परिप्रेक्ष्य में 60अनुपात40 में होना चाहिए अर्थात अधिक रोजगार उपवलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रमांश पर व्यय, सामग्री की तुलना में अधिक होना चाहिए।

विकास खण्ड सकीट जनपद एटा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विकास खण्ड के अन्तर्गत 10 ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत कराए गए इण्टरलॉकिंग कार्यों की माप पुस्तिका के अनुसार कार्यों में निर्धारित अनुपात के विपरीत सामग्री क्रय पर अधिक तथा श्रमांश कम व्यय किया गया। विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	ग्राम पंचायत/कार्य का नाम	अनुमानित लागत	सामग्री पर व्यय	श्रम पर व्यय
1.	सेनाकला में फौजी के घर से माता के थान तक इण्टरलॉकिंग	3.97	3.08	0.45
2.	सेनाकला में निसार के घर से सईम के घऱ तक इण्टरलॉकिंग	3.92	2.96	0.42
3.	कमालपुर मई में सुग्रीव के घर से रूकमपाल के घर तक इण्टरलॉकिंग	3.48	3.01	0.51
4.	टीकमपुर में योगेश के घऱ से गंगाप्रसाद के घर तक इण्टरलॉकिंग	3.98	3.07	0.57
5.	कमालपुर मई में इमरान शाक्य के घर से राजकुमार शाक्य के घर तक इण्टरलॉकिंग	3.97	3.25	0.60
6.	टीकमपुर में दलवीर के घर से योगेश के घऱ तक इण्टरलॉकिंग	3.99	3.25	0.54
7.	नाजिरपुर में ठाकुरदास के प्लाट से कृपाल के घऱ तक इण्टरलॉकिंग	3.92	3.01	0.55
8.	नाजिरपुर कृपाल के घऱ से मुलायम सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग	3.17	1.16	0.19
9.	नाजिरपुर मे नानक के घर से ठाकुरदास के घऱ तक इण्टरलॉकिंग	3.86	3.12	0.47
10.	नाजिरपुर में इतवारी के घर से नानक कुमार के घऱ तक इण्टरलॉकिंग	3.87	3.21	0.48
		38.13	**29.12**	**4.78**

उपरोक्त विवरण के अनुसार विकास खण्ड द्वारा उपरोक्त कार्यों पर सामग्री में कुल धनराशि रू0 29.12 लाख तथा श्रम पर कुल धनराशि रू0 4.78 लाख व्यय की गयी थी। उपरोक्त कार्यों पर विकास खण्ड द्वारा सामग्री और श्रम पर कुल धनराशि रू0 33.90 लाख व्यय की गयी थी। मनरेगा गाइड लाइन के अनुसार उपरोक्त कार्यों पर व्यय धनराशि में से श्रम पर कुल धनराशि रू020.34 लाख (60प्रतिशत) तथा सामग्री पर कुल धनराशि रू013.56लाख (40प्रतिशत) लाख व्यय किया जाना चाहिए था। इस प्रकार विकास खण्ड द्वारा सामग्री पर कुल धनराशि रू0 15.56लाख अधिक व्यय की गई थी जो कि मनरेगा गाइड लाइन के विपरीत है।

इंगित किए चाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि भविष्य में मनरेगा गाइडलाइन के अनुसार श्रम और सामग्री पर भुगतान की कार्य सुनिश्चित की जाएगी। इकाई के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि विकास खण्ड द्वारा मनरेगा गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया गया है।

अतः श्रम तथा सामग्री पर निर्धारित मानक के अनुसार व्यय न करने से रू0 15.56 लाख का सामग्री पर अधिक व्यय किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। **आपत्ति सं0 – 15**

3- संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत, मारहरा जनपद – एटा मण्डल – अलीगढ़

आपत्तियों का विस्तरित विवरण है।

प्रस्तर 15 निविदा प्रपत्रों की बिक्री न कर क्षेत्र पंचायत को अर्थिक क्षति पहुचाना

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन वित (लेखा)अनुभाग के शासनादेश संख्या -ए-**1-864**/दस-**05-15(1)/86** लखनऊ दिनांक **23** सितम्बर **2008** के अनुसार रुपया **20000.00** से अधिक की सामग्री क्रय करने के लिये कोटेशन व **100000.00** से अधिक सामग्री क्रय करने हेतु निविदायें आमंत्रित की जायेगी। उक्त के अनुपालन में क्षेत्र पंचायत शीतलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष **2021-22** में कुल 21 कार्य के लिये निविदायें आमंत्रित की गयी। जिसमें प्रत्येक कार्य के लिये तीन-तीन निविदायें प्राप्त हुई। प्रत्येक निविदा पत्र का मूल्य रू**0 500.00** निर्धारित था। जिससे क्षेत्र पंचायत शीतलपुर को वर्ष **2021-22** में निविदा प्रपत्रों की बिक्री से रुपया **(21***3*500=**315**00.00) की आय होनी चाहिए थी। आपूर्तिकर्ता फर्मों को निविदा प्रपत्रों की बिक्री न कर क्षेत्र पंचायत को रू**0** 315**00.00** राजस्व हानि हुई है। जिसके लिये निम्नलिखित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। अतः रू**0** 315**00.00** की क्षतिपूर्ति खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से निम्न विवरण के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम	पदनाम	सन्निहित धनराषि
1	श्री मनोज कुमार शर्मा	खण्ड विकास अधिकारी	15750.00
2	श्री एस0 यू0 कादरी	लेखाकार	15750.00
		योग	31500.00

आपत्ति सं0 – 12

प्रस्तर 16 नियमो की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराना (15वॉ वित्त आयोग)

उ**0**प्र**0** क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय-**3** सेक्शन **33(2)** तथा शासनादेश संख्या **1838/33/-3-2015-03/2015** दिनांक **31.07.2015** का अतिक्रमण कर सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति देकर **15वॉ वित्त आयोग** से संक्रमित धनराशि से निम्न लिखित कार्य कराये गये हैं-

क्रं0सं0	कार्य का विवरण	वर्ष	व्यय धनराषि
1	2	3	
1.	अनोखे लाल के घर से छोटे लाल के प्लाट तक नालीइंटरलॉकिंग निर्माण कार्य/	2021-22	218125
2.	रमेश के घर से बुलखी राम के घर तक नालीइंटरलॉकिंग निर्माण / कार्य	2021-22	922774
3.	प्रेमपाल के खेत से नहर की पटरी तक खड़न्जा निर्माण कार्य	2021-22	933500
4.	सामुदायिक शौचालय के सामने चारदीवारी ओर इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	2021-22	101625
5.	राम प्रसाद के घर से लोकी के खेत तक नालीइंटरलॉकिंग निर्माण / कार्य	2021-22	788383
6.	सियाराम के घर से पंचायत घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	2021-22	848359
7.	करन सिंह के खेत से राम प्रकास के खेत तक खड़न्जा निर्माण कार्य	2021-22	522000
	योग		4334766.00

उपरोक्त अधिनियम एवं शासनादेश की व्यवस्थानुसार क्षेत्र पंचायत एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराने हेतु अधिकृत है। उपरोक्त कार्यों के विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय **3** की धारा **33(2)** एंव शासनादेश संख्या **1838/33/-3-2015-03/2015** दिनांक **31.07.2015** की अनदेखी

कर ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराये गये हैं जिससे डुप्लीकेसी की संभावनायें बनी रहती हैं। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है। न ही क्षेत्र पंचायत द्वारा कब ग्राम पंचायत को हैन्ड ओवर किया गया का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है। और न ही कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पाया गया है। इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत द्वारा बताया गया है कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात निर्धारित प्राधिकारी से कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य कराये गये हैं। उत्तर मान्य नही है। क्योंकि अधिनियम एवं शासनादेशों के अनुसार ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराने का अधिकार क्षेत्र पंचायत को नही है। अतः रू**0** 4334766.00 के अनिमियत व्यय के लिये ब्लॉक प्रमुख, वह सभी बी0डी0सी0 सदस्य जिन्होने उक्त कार्यो के समर्थन में मतदान किया एवं खण्ड विकास अधिकारी सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति सं0 – 13

प्रस्तर 17 नियमो की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराना (5वॉ वित्त आयोग)

उ**0**प्र**0** क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय-**3** सेक्शन **33(2)** तथा शासनादेश संख्या **1838/33/-3-2015-03/2015** दिनांक **31.07.2015** का अतिक्रमण कर सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति देकर **5वॉ वित्त आयोग** से संक्रमित धनराशि से निम्न लिखित कार्य कराये गये हैं-

क्रं0सं0	कार्य का विवरण	वर्ष	व्यय धनराषि
1	2	3	
1.	खचेर के घर से महेश के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	2021-22	824205
2.	अनोखे लाल के खेत से दलवीर के खेत तक नाली और इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	2021-22	988460
3.	दलवीर के खेत से लालाराम के घर तक नाली और इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	2021-22	996671
4.	महावीर के खेत से चौराहे तक नाली इंटरलॉकिंग/निर्माण कार्य	2021-22	964522
5.	भूप सिंह के घर जीतेन्द्र के घर तक नालीइण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य/	2021-22	523475
6	बुलाखी राम के खेत से महावीर कश्यप के खेत तक इंटरलॉकिंग नाली निर्माण कार्य	2021-22	922620
7	महेन्द्र सिंह के खेत से मिरथरा मार्ग तक खड़न्जा निर्माण कार्य	2021-22	532875
	योग		5752828.00

उपरोक्त अधिनियम एवं शासनादेश की व्यवस्थानुसार क्षेत्र पंचायत एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराने हेतु अधिकृत है। उपरोक्त कार्यों के विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय **3** की धारा **33(2)** एंव शासनादेश संख्या **1838/33/-3-2015-03/2015** दिनांक **31.07.2015** की अनदेखी कर ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराये गये हैं जिससे डुप्लीकेसी की संभावनायें बनी रहती हैं। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है। न ही क्षेत्र पंचायत द्वारा कब ग्राम पंचायत को हैन्ड ओवर किया गया का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है। और न ही कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पाया गया है। इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत द्वारा बताया गया है कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात निर्धारित प्राधिकारी से कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य कराये गये हैं। उत्तर मान्य नही है। क्योंकि अधिनियम एवं शासनादेशों के अनुसार ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराने का अधिकार क्षेत्र पंचायत को नही है। अतः रू**0** 5752828.00 के अनिमियत व्यय के लिये ब्लॉक प्रमुख, वह सभी बी0डी0सी0 सदस्य जिन्होने उक्त कार्यो के समर्थन में मतदान किया एवं खण्ड विकास अधिकारी सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति सं0 – 14

4- संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत, अलीगंज जनपद – एटा मण्डल – अलीगढ़

आपत्तियों का विस्तरित विवरण है।

प्रस्तर 18 कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सैस) की काटौती आपूर्तिकर्ता फर्मों के बिलों से न किया जाना।

उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियम) नियमवली **2009** के नियम संख्या **4(3)** के अनुसार:-''ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का **1** प्रतिषत धनराषि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी तथा समस्त समावेषी अनुबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाए। प्रावधानित कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दषा में संस्था द्वारा वहन नही किया जा सकेगा।''

क्षेत्र पंचायत अलीगंज द्वारा वित्तीय वर्ष **2021-22** में रू**0 8469119.00** की निर्माण सामग्री क्रय कर **1**7 कराये गये है। सभी कार्यों में कर्मकार उपकर की **1** प्रतिशत धनराशि की कटौती न कर**,** रू**0** 84691.19 का सीधा लाभ आपूर्तिकर्ता फर्मो को पहुचाया है**,** जिससे राजकीय राजस्व को हॉनि हुई है। जिसके लिये क्षेत्र पंचायत प्रमुख**,** खण्ड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। क्योंकि सैस की कटौती कर उसको राजकीय कोष मे जमा करने का उत्तर दायित्व उक्त पदाधिकारियों का था। अतः उपरोक्त धनराशि की वसूली तातारीख **12** प्रतिशत ब्याज सहित निम्न विवरण के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम	वर्ष	सन्निहित धनराषि
1	श्री अशोक कुमार (ख0वि0अ0)	2021-22	21172.80
	श्री कुलदीप कुमार कुशवाह(ख0वि0अ0)		21172.80
	श्री शिशुपाल सिंह (ख0वि0अ0)		21172.80
	शाबिर अली (लेखाकार)		21172.80
		योग	84691.19

आपत्ति सं0 – 1

प्रस्तर 19 **नियमो की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराना**

उ**0**प्र**0** क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय-**3** सेक्शन **33(2)** तथा शासनादेश संख्या **1838/33/-3-2015-03/2015** दिनांक **31.07.2015** का अतिक्रमण कर सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति देकर केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग से संक्रमित धनराशि से निम्न लिखित कार्य कराये गये हैं-

क्रं0सं0	कार्य का विवरण	वर्ष	व्यय धनराषि
1	2	3	4
1.	मुन्नालाल श्रीवास्तव के घर से विनोद राठौर के घर तक इण्टरलॉकिंग	2021-22	575865
2.	हर्षवर्धन के घर से लेकर थान सिंह के घर इण्टरलॉकिंग कार्य	2021-22	455060
3.	रमेश बी0डी0ओ0 के घर से देवी स्थान तक इण्टरलॉकिंग कार्य	2021-22	346204
4.	प्रमोद सिंह के घर से लेकर मैन सडक तक इण्टरलॉकिंग कार्य	2021-22	787882
5.	नवीन चन्द्र के खेत से लेकर मकरन्द की गोदाम तक इण्टरलॉकिंग कार्य	2021-22	849629
6.	बुद्ध विहार से प्रेम सिंह के खेत तक इण्टरलॉकिंग कार्य	2021-22	847543
7.	अनेक सिंह के खेत से बाईपास चौराहे तक इण्टरलॉकिंग कार्य	2021-22	835823
8.	देव सिंह के खेत से बिहारीलाल के खेत तक इण्टरलॉकिंग कार्य	2021-22	377334
9.	ग्राम भगवानपुरा में अवधेष के घर से दफेदार के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	2021-22	766920
10.	ठाकुर देवेन्द्र सिंह के घर से प्राइमरी स्कूल की तक इण्टरलॉकिंग	2021-22	832713
	योग		6674977.00

उपरोक्त अधिनियम एवं शासनादेश की व्यवस्थानुसार क्षेत्र पंचायत एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराने हेतु अधिकृत है। उपरोक्त कार्यों के विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय **3** की धारा **33(2)** एंव शासनादेश संख्या **1838/33/03-2015-03/2015** दिनांक **31.07.2015** की अनदेखी कर ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराये गये हैं जिससे डुप्लीकेसी की संभावनायें बनी रहती हैं। इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत द्वारा बताया गया है कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात निर्धारित प्राधिकारी से कार्य योजना की स्वी कृति प्राप्त कर कार्य कराये गये हैं। उत्तर मान्य नही है। क्योंकि अधिनियम एवं शासनादेशों के

अनुसार ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराने का अधिकार क्षेत्र पंचायत को नही है। अतः रू**0 6674977.00** के अनिमियत व्यय के लिये ब्लॉक प्रमुख, ब्लाक डैवलपमैन्ट कमेटी के वह सभी सदस्य जिन्होने उक्त कार्यो के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है एवं खण्ड विकास अधिकारी सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति सं0-2

प्रस्तर 20 **बिना गुणवत्ता परीक्षण के** 80 **एम0एम0 इण्टरलॉकिंग टाइल्स का प्रयोग निर्माण कार्यों में किया जाना।**

मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक सी**0ई0**सी**0**जेड**0** सा**0/17** दिनांक **31-01-2017** द्वारा ग्रामीण सड़कों में प्रयुक्त होने वाली इण्टरलॉकिंग टाइल्स की गुणवत्ता एवं मोटाई सुनिश्चित करने के लिये व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसके अनुसार इण्टरलॉकिंग टाइल्स का प्रयोग करने के पूर्व प्रत्येक **500** टाइल्स में से एक टाइल्स गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजी जानी चाहिए। गुणवत्ता जॉच की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही सही गुणवत्ता वाली टाइलों का प्रयोग इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण में किया जाना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत अलीगंज द्वारा वित्तीय वर्ष **2021-22** तक में राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से सक्रमित धनराशि से निम्न कार्य कराये गये।

क्रं0सं0	कार्य का विवरण	वर्ष	व्यय धनराषि
1.	मुन्नालाल श्रीवास्तव के घर से विनोद राठौर के घर तक इण्टरलॉकिंग	2021-22	575865
2.	हर्षवर्धन के घर से लेकर थान सिंह के घर इण्टरलॉकिंग कार्य	2021-22	455060
3.	रमेश बी0डी0ओ0 के घर से देवी स्थान तक इण्टरलॉकिंग कार्य	2021-22	346204
4.	प्रमोद सिंह के घर से लेकर मैन सडक तक इण्टरलॉकिंग कार्य	2021-22	787882
5.	नवीन चन्द्र के खेत से लेकर मकरन्द की गोदाम तक इण्टरलॉकिंग कार्य	2021-22	849629
6.	बुद्ध विहार से प्रेम सिंह के खेत तक इण्टरलॉकिंग कार्य	2021-22	847543
7.	अनेक सिंह के खेत से बाईपास चौराहे तक इण्टरलॉकिंग कार्य	2021-22	835823
8.	देव सिंह के खेत से बिहारीलाल के खेत तक इण्टरलॉकिंग कार्य	2021-22	377334
9.	ग्राम भगवानपुरा में अवधेष के घर से दफेदार के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	2021-22	766920
10.	ठाकुर देवेन्द्र सिंह के घर से प्राइमरी स्कूल की तक इण्टरलॉकिंग	2021-22	832713
11.	150 मीटर इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 निर्माण कार्य	2021-22	636005
	योग		**7310978.00**

उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार टाइल्स की गुणवत्ता का परीक्षण नही किया गया था। अग्रेतर जॉच में पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु पी0डव्ल्यू0 द्वारा निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार टायल्स की मोटाई का आगणन में 80 एम0एम0 किया गया था। किन्तु आपूर्ति बिल एवं पुस्तिका में मोटाई का अकंन न होने से यह स्पष्ट नही था कि कार्य में जो टाइल प्रयोग किया गया वह आगणन की विशिष्टयों के अनुसार था अथवा नही । अग्रेतर जॉच में पाया गया कि उनकी गुणवत्ता का परीक्षण नही कराया गया था। बिना टाइल्स की मोटाई सुनिश्चित किए एवं गुणवत्ता परीक्षण किए कार्य रु0 7310978.00 का अनियमित व्यय किया गया तथा आपूर्ति टाइल्स की मोटाई एवं परीक्षण न कराये जाने से कार्य गुणवत्ता न होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है।

लेखा परीक्षण में उपरोक्त अनियमितताओं को इगिंत करने पर क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर में बताया गया कि भविष्य में इसका ध्यान जायेगा। लेखा परीक्षण में उत्तर मान्य नही है क्योंकि आगणन में प्रावधान होने के बावजूद टायल्स 80 एम0एम0 की मोटाई का सुनिश्चित नही किया गया और न ही सी0सी0 टायल्स की गुणवत्ता परीक्षण कराया गया था। अतः रु0 7310978.00 के अनियमित व्यय के लिए निम्न पदाधिकारी उत्तरदायी हैं। प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

क्र0सं0	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम	वर्ष	सन्निहित धनराषि
1	श्री अशोक कुमार (ख0वि0अ0)	2021-22	1827744-50
	श्री कुलदीप कुमार कुशवाह(ख0वि0अ0)		1827744-50
	श्री शिशुपाल सिंह (ख0वि0अ0)		1827744-50

	मुकेश कुमार (अवर अभियंता)		1827744-50
		योग	**7310978-00**

आपत्ति सं0 – 3

प्रस्तर 21 निविदा प्रपत्रों की बिक्री न कर क्षेत्र पंचायत को अर्थिक क्षति पहुचाना

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन वित (लेखा)अनुभाग के शासनादेश संख्या -ए-**1-864**/दस-**05-15(1)/86** लखनऊ दिनांक **23** सितम्बर **2008** के अनुसार रुपया **20000.00** से अधिक की सामग्री क्रय करने के लिये कोटेशन व **100000.00** से अधिक सामग्री क्रय करने हेतु निविदायें आमंत्रित की जायेगी। उक्त के अनुपालन में क्षेत्र पंचायत अलीगंज द्वारा वित्तीय वर्ष **2021-22** में कुल 17 कार्य के लिये निविदायें आमंत्रित की गयी। जिसमें प्रत्येक कार्य के लिये तीन-तीन निविदायें प्राप्त हुई। प्रत्येक निविदा पत्र का मूल्य रू**0 500.00** निर्धारित था। जिससे क्षेत्र पंचायत अलीगंज को वर्ष **2021-22** में निविदा प्रपत्रों की बिक्री से रुपया (17***3*500=25500.00)** की आय होनी चाहिए थी। आपूर्तिकर्ता फर्मों को निविदा प्रपत्रों की बिक्री न कर क्षेत्र पंचायत को रू**0 25500.00** अर्थिक क्षति हुई है। जिसके लिये निम्नलिखित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। अतः रू**0 25500.00** की क्षतिपूर्ति खण्डविकास अधिकारी एवं लेखाकार से निम्न विवरण के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	वर्ष	सन्निहित धनराषि	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम
1	2021-22	5100.00	श्री अशोक कुमार (ख0वि0अ0)
		5100.00	श्री कुलदीप कुमार कुशवाह(ख0वि0अ0)
		5100.00	श्री शिशुपाल सिंह (ख0वि0अ0)
		5100.00	मुकेश कुमार (अवर अभियंता)
		5100.00	शाबिर अली (लेखाकार)
	योग	**25500.00**	

आपत्ति सं0 – 6

प्रस्तर 22 स्त्रोत पर आयकर की कटौती कर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा केन्द्रीय कोष में न जमा कराना।

(आयकर अधिनियम **1961** की धारा **194**सी**0** के अनुसार- ''आहरण वितरण अधिकारी का यह दायित्व है कि वह ठेकेदारों के बिलों से स्त्रोत पर दो प्रतिशत आयकर की कटौती करेगे।'' उक्त धारा के अनुपालन में रू**0 816149.00** की आयकर कटौती की गयी है। जिसके सापेक्ष रू**0 611789.00** सरकारी खजाने में जमा किया गया है। शेष रू**0 204360.00** सरकारी खजाने में जमा नही किया गया है।

आयकर अधिनियम **1961** की धारा **194**सी**0** के अर्न्तगत काटी गयी आयकर की धनराशि को धारा **200** के अनुसार प्रत्येक कर काटने वाले व्यक्ति को स्त्रोत पर काटी गयी कर की राशि को नियम **30** के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कोष में निर्धारित समय अवधि के अन्दर उस धनराशि जमा कराना होता है। परन्तु यदि कोई कर काटने वाला व्यक्ति स्त्रोत पर कर नही काटता है अथवा काटकर निर्धारित समय के अन्दर-अन्दर सरकारी खजाने में जमा कराने में असमर्थ रहता है तो उस व्यक्ति को चूक में करदाता (ऐसीसी इन डिफॉल्ट) माना जाएगा तथा धारा **201** के अन्तर्गत उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति**,** जो स्त्रोत पर कर काटने के लिये दायी है। कर की पूरी राशि अथवा कोई भाग नही काटता है तो उस पर न काटे गए कर की राशि के बराबर अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। कर काटने वाला व्यक्ति काटी गई कर की राशि को विलम्ब से जमा कराने की दशा में **15** प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज देने का दायी होगा। यह ब्याज कर काटने की तिथि से सरकारी खजाने में जमा कराने की तिथि तक लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्त्रोत पर कर काटकर केन्द्रीय सरकार के कोष में जमा नही कराता है**,** तो उसे कम से कम **3** माह का कठोर कारावास (रिगॉरस इमप्रिजनमेन्ट) जिसे **7** वर्ष की अवधि तक बढाया जा सकता है**,** तथा साथ में जुर्माना भी हो सकता है। अतः उपरोक्त धनराशि को राज्य वित्त के खाता से आहरण करके केन्द्र सरकार के कोष के हैड में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर लेखा परीक्षा से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। साथ ही **15** प्रतिशत ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है। ब्याज की वसूली निम्नलिखित से की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम	पदनाम	सन्निहित धनराषि
1	श्री अशोक कुमार सिंह	खण्ड विकास अधिकारी	51090.00
2	श्री कुलदीप कुमार कुशवाह	खण्ड विकास अधिकारी	51090.00

3	श्री शिशुपाल सिंह	खण्ड विकास अधिकारी	51090.00
4	श्री शाबिर अली	लेखाकार	51090.00
	योग		204360.00

आपत्ति सं0 – 9

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत, जैथरा जनपद – एटा मण्डल – अलीगढ़

आपत्तियों का विस्तरित विवरण है।

प्रस्तर 23 श्रमांष के मद में मजदूरों का काल्पनिक मस्टरोल द्वारा भुगतान

वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माण कार्यों पर श्रमांश के मद में रू0 1705860.00 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माण कार्यों पर श्रमांश के मद में रू0 1705860.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को निम्नानुसार किया गया है-

क्रं0सं0	वित्तीय वर्ष	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता/कार्यप्रभारी
1	2	3	4
1	**2021.22**	1137540.00	**श्री आवेन्द्र कुमार ए0डी0ओ0 कॉपरेटिव**
		568320.00	**श्री रामवकील ए0डी0ओ0 एग्रीकल्चर**
		1705860.00	**योग**

उक्त भुगतानों के सम्बन्ध में उ**0**प्र**0**क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 2 नियम संख्या 49 मे निहित व्यवस्थानुसार निम्न कमियॉ पायी गयी हैः-

(क) मस्टररोल के लिये देय धनराशि का भुगतान कार्य का प्रभारी अधिकारी अपने स्थायी अग्रिम से या निर्माण कार्य के लिये विशेष रूप से व्यवस्थित अग्रिम से ही करेगा।

(ख) भुगतान की पूर्ति एक बिल द्वारा करेगा जिसके **समर्थन** में मस्टररोल होगा।

(ग) भुगतान के सम्बन्ध में रूपया पाने वाले का हस्ताक्षर लिया जायेगा तथा कार्यप्रभारी भुगतान का निम्न प्रमाण पत्र उस बिल पर अंकित करेगा। दिखाये गये सभी श्रमिक वस्तुतः सेवायोजित किये गये तथा मस्टररोल में दर्ज सभी मजदूरी मेरी उपस्थिति में दी गयी।

(घ)नियम संख्या 49 प्रपत्र संख्या 12 के अधीन श्रमिक का पूरा पता मस्टररोल पर अंकित नही है।

(ङ) विकास खण्ड कार्यालय से मस्टरारोल कार्यवार निर्गत नही किये गये हैं, और न ही उस पर कोई नम्बर अकिंत है।

(च) श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित है। वह प्रमाणित नही है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टरराल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन रू**0** 1705860.00का वर्ष 2021.22 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये जे**0**ई**0**कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लाक प्रमुख सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। इसलिये रू**0** 1705860.00 की वसूली उत्तरदायी पदाधिकारियों से निम्नविवरण के अनुसार किये जाने हेतु प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

क्र0सं0	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम	वर्ष	सन्निहित धनराषि
1	श्रीमती शीला यादव (प्रमुख क्षे0पं0)	**2021.22**	243694.29
	श्री अशोक कुमार (ख0वि0अ0)		243694.29
	श्री फैजल आलम (ख0वि0अ0)		243694.29
	श्री दयानन्द (अवर अभियन्ता)		243694.29

	श्री शाबिर अली (लेखाकार) श्री आवेन्द्र कुमार ए0डी0ओ0 कॉपरेटिव श्री रामवकील ए0डी0ओ0 एग्रीकल्चर		243694.29 243694.29 243694.29
		योग	1705860.00

आपत्ति सं0 – 1

प्रस्तर 24 कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सैस) की काटौती आपूर्तिकर्ता फर्मों के बिलों से न किया जाना।

उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियम) नियमवली 2009 के नियम संख्या 4(3) के अनुसार:-ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिषत धनराषि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी तथा समस्त समावेषी अनुबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाए। प्रावधानित कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दषा में संस्था द्वारा वहन नही किया जा सकेगा।

क्षेत्र पंचायत जैथरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 **5244280.00** की निर्माण सामग्री क्रय कर 56 कराये गये है। सभी कार्यों में कर्मकार उपकर की 1 प्रतिशत धनराशि की कटौती न कर**,** रू0 52442.80 का सीधा लाभ आपूर्तिकर्ता फर्मों को पहुॅचाया है, जिससे राजकीय राजस्व को हॉनि हुई है। जिसके लिये क्षेत्र पंचायत प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। क्योंकि सैस की कटौती कर उसको राजकीय कोष में जमा करने का उत्तर दायित्व उक्त पदाधिकारियों का था। अतः उपरोक्त धनराशि की वसूली तातारीख 12 प्रतिशत ब्याज सहित निम्न विवरण के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम	वर्ष	सन्निहित धनराषि
1	श्री अशोक कुमार (ख0वि0अ0) श्री फैजल आलम (ख0वि0अ0) श्री शाबिर अली (लेखाकार)	**2021.22**	26221.40 26221.40
		योग	**52442.80**

आपत्ति सं0– 2

प्रस्तर 25 टी0डी0एस0 कटौतियॉ की जमा की पुष्टि न कराया जाना।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत जैथरा द्वारा निर्माण कार्यों पर हुए व्यय से निम्न विवरण के अनुसार कटौतियां की गयी हैं।

क्र0सं0	मद का नाम	वर्ष	धनराषि
1	जी0एस0टी आयकर	**2021.22**	**120414.00**

बार-बार मॉगे जाने के बाद भी चालान प्रस्तुत नही किये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा कटौतियॉ तो कर ली गयी हैं किन्तु इन्हें संगत लेख शीर्षकों/विभागों में जमा न करके अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार से विधिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम	वर्ष	सन्निहित धनराषि
1	श्री अशोक कुमार (ख0वि0अ0) श्री फैजल आलम (ख0वि0अ0) श्री शाबिर अली (लेखाकार)	**2021.22**	60207.00 60207.00 60207.00
		योग	**120414.00**

आपत्ति सं0 – 3

प्रस्तर 26 नियमो की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराना

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 सेक्शन 33(2) तथा शासनादेश संख्या 1838/33/-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 का अतिक्रमण कर सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति देकर केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग से संक्रमित धनराशि से निम्न लिखित कार्य कराये गये हैं-

क्रम	कार्य का विवरण	वर्ष	व्यय धनराशि
1	**2**	**3**	**4**
1	ग्राम पंचायत धरौली में बहगांव मार्ग से शिशुपाल के ट्यूबेल तक मिट्टी/खरंजा निर्माण कार्य	2021.22	962635
2	शिशुपाल के ट्यूबेल से दलवीर पंचबती तक मिट्टीखरंजा निर्माण कार्य/	2021.22	963463
3	नगला ढाकन से मसुलिया तक कच्चा पक्का खरंजा निर्माण कार्य	2021.22	958378
4	डावर रोड से रघुपुरा तिराहा तक मिट्टीखड़ंजा निर्माण कार्य/	2021.22	957597
5	रघुपुरा तिराहा से नगला परसुराम होता हुआ लखुरिया तक खरंजा निर्माण कार्य	2021.22	966034
6	ग्राम पंचायत मसुलिया में राम नरेश के मकान से इंद्र पाल के खेत तक खरंजामिट्टी कार्य/	2021.22	770586
7	विकाश खंड कार्यालय में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य मटैरियल भुगतान	2021.22	325721
8	जसरथपुर में एन हरजू में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य मटैरियल भुगतान	2021.22	325721
9	मसूलिया में पंचायत घर ईवीएम सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य मटैरियल भुगतान	2021.22	325721
10	रघुपुर में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य सामग्री भुगतान	2021.22	325721
	योग		**6881577.00**

उपरोक्त अधिनियम एवं शासनादेश की व्यवस्थानुसार क्षेत्र पंचायत एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराने हेतु अधिकृत है। उपरोक्त कार्यों के विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 33(2) एंव शासनादेश संख्या 1838/33/03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 की अनदेखी कर ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराये गये हैं जिससे डुप्लीकेसी की संभावनायें बनी रहती हैं। इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत द्वारा बताया गया है कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात निर्धारित प्राधिकारी से कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य कराये गये हैं। उत्तर मान्य नही है। क्योंकि अधिनियम एवं शासनादेशों के अनुसार ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराने का अधिकार क्षेत्र पंचायत को नही है। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया न ही उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के खण्ड 16(2) उपनियम के अनुसारउपयोगिता प्रमाण पत्र तथा ग्राम पंचायत को अंतरित करने का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया जिससे निर्माण कार्य की पुष्टि नहीं होती है । अतः रू0 **6881577-00** के अनिमियत व्यय के लिये ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

क्र0सं0	**उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम**	**वर्ष**	**सन्निहित धनराशि**
1	श्रीमती शीला यादव (प्रमुख क्षे0पं0) श्री अशोक कुमार (ख0वि0अ0) श्री फैजल आलम (ख0वि0अ0)	**2021.22**	2293859 2293859 2293859
		योग	**6881577.00**

आपत्ति सं0 – 4

प्रस्तर 27 निविदा प्रपत्रों की बिक्री न कर क्षेत्र पंचायत को अर्थिक क्षति पहुॅचाना

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन वित (लेखा)अनुभाग के शासनादेश संख्या -ए-1-864/दस-05-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रुपया 20000.00 से अधिक की सामग्री क्रय करने के लिये कोटेशन व 100000.00 से अधिक सामग्री क्रय करने हेतु निविदायें आमंत्रित की जायेगी। उक्त के अनुपालन में क्षेत्र पंचायत जैथरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22

में कुल 10 कार्य के लिये निविदायें आमंत्रित की गयी। जिसमें प्रत्येक कार्य के लिये तीन-तीन निविदायें प्राप्त हुई। प्रत्येक निविदा पत्र का मूल्य रू0 500.00 निर्धारित था। जिससे क्षेत्र पंचायत जैथरा को वर्ष 2021-22 में निविदा प्रपत्रों की बिक्री से रुपया (10×3×500= 15000.00) की आय होनी चाहिए थी। आपूर्तिकर्ता फर्मों को निविदा प्रपत्रों की बिक्री न कर क्षेत्र पंचायत को रू0 15000.00 अर्थिक क्षति हुई है। जिसके लिये निम्नलिखित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। अतः रू0 15000.00 की क्षतिपूर्ति खण्डविकास अधिकारी एवं लेखाकार से निम्न विवरण के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	**वर्ष**	**सन्निहित धनराषि**	**उत्तरदायी व्यक्ति का नाम**
1	**2021.22**	2142-85	श्रीमती शीला यादव (प्रमुख क्षे0पं0)
		2142-85	श्री अशोक कुमार (ख0वि0अ0)
		2142-85	श्री फैजल आलम (ख0वि0अ0)
		2142-85	श्री दयानन्द (अवर अभियन्ता)
		2142-85	श्री शाबिर अली (लेखाकार)
		2142-85	श्री आवेन्द्र कुमार ए0डी0ओ0 कॉपरेटिव
		2142-85	श्री रामवकील ए0डी0ओ0 एग्रीकल्चर
	योग	15000.00	

आपत्ति सं0 – 7

जनपद – एटा **मण्डल – अलीगढ़**

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत, अवागढ़

आपत्तियों का विस्तरित विवरण है।

प्रस्तर 28 श्रमांष के मद में मजदूरों का काल्पनिक मस्टरोल द्वारा भुगतान

वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माण कार्यों पर श्रमांश के मद में रू0 3621200.00 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माण कार्यों पर श्रमांश के मद में रू0 3621200.00 मजदूरी/श्रमांश मद में भुगतान किये गये हैं जिनका भुगतान मजदूरों को न कर सम्बन्धित कार्य प्रभारियों को निम्नानुसार किया गया है-

क्रं0 सं0	वित्तीय वर्ष	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता/कार्यप्रभारी
1	2	3	4
1	**2021.22**	1260740.00	**श्री गौरव कुमार ए0डी0ओ0**
		2360460.00	**श्री रिशी कुमार ए0डी0ओ0**
		3621200.00	**योग**

उक्त भुगतानों के सम्बन्ध में उ**0**प्र**0**क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 2 नियम संख्या 49 मे निहित व्यवस्थानुसार निम्न कमियॉ पायी गयी हैः-

(क)मस्टररोल के लिये देय धनराशि का भुगतान कार्य का प्रभारी अधिकारी अपने स्थायी अग्रिम से या निर्माण कार्य के लिये विशेष रूप से व्यवस्थित अग्रिम से ही करेगा।

(ख)भुगतान की पूर्ति एक बिल द्वारा करेगा जिसके समर्थन में मस्टररोल होगा।

(ग)भुगतान के सम्बन्ध में रूपया पाने वाले का हस्ताक्षर लिया जायेगा तथा कार्यप्रभारी भुगतान का निम्न प्रमाण पत्र उस बिल पर अंकित करेगा। दिखाये गये सभी श्रमिक वस्तुतः सेवायोजित किये गये तथा मस्टररोल में दर्ज सभी मजदूरी मेरी उपस्थिति में दी गयी।

(घ)नियम संख्या 49 प्रपत्र संख्या 12 के अधीन श्रमिक का पूरा पता मस्टररोल पर अंकित नही है।

(ङ)विकास खण्ड कार्यालय से मस्टरारोल कार्यवार निर्गत नही किये गये हैं, और न ही उस पर कोई नम्बर अकिंत है।

(च)श्रमिक/मजदूरों के हस्ताक्षर उनके नाम के सम्मुख काल्पनिक हैं क्योंकि वे मस्टररोल निर्माता की ही राइटिंग में किये गये हैं और जो अंगूठा निशानी अंकित है। वह प्रमाणित नही है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त सभी नियमों की अनदेखी कर फर्जी व काल्पनिक मस्टरराल तैयार करके पत्रावली में संलग्न किये गये हैं और मजदूरी मद में अंकन रू**0** 3621200.00 का वर्ष 2021.22 में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया है। जिसके लिये जे**0**ई**0**कार्यप्रभारी/खण्ड विकास अधिकारी/ब्लाक प्रमुख सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। इसलिये रू**0** 3621200.00 की वसूली उत्तरदायी पदाधिकारियों से निम्नविवरण के अनुसार किये जाने हेतु प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

क्र0सं0	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम	वर्ष	सन्निहित धनराषि
1	श्रीमती गंगा श्री (प्रमुख क्षे0पं0)	**2021.22**	452650.00
	श्री शोभनाथ मौर्य (ख0वि0अ0)		452650.00
	श्री उमाकान्त मुदगल(ख0वि0अ0)		452650.00
	श्री निर्मल द्विवेदी (ख0वि0अ0)		452650.00
	श्री अनिल चौहान (लेखाकार)		452650.00
	श्री हाकिम सिंह (अवर अभियन्ता)		452650.00
	श्री गौरव कुमार ए0डी0ओ0		452650.00
	श्री रिषी कुमार ए0डी0ओ0		452650.00
		योग	3621200.00

आपत्ति सं0 – 1

प्रस्तर 29 जी0एस0टी0 न काटकर राजस्व को हानि पहुचाना:-

सी0जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के सैक्शन 51 की अनदेखी कर आपूर्ति कर्ता फर्मो को भुगतान किया गया है। जिससे राजस्व की क्षति हुई है। जिसका विवरण (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रारूप 2 के अनुसार) निम्न प्रकार है।

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	धनराशि	देय जी0एस0टी0/ 2 प्रतिशत	कटौती कर्ता अधिकारी द्वारा काटी गयी धनराशि	अन्तर
1	**2021-22**	26809969.00	536199.38	**निल**	536199.38
			536199.38	**निल**	536199.38

इस सम्वन्ध में इंगित किये जाने पर संस्था द्वारा वताया गया कि उन्हे इस नियम की जानकारी नही थी। आगामी वर्ष से नियमानुसार सी0जी0एस0टी0 की कटौतिया की जायेगी। उत्तर मान्य नही है, क्योकि भारत सरकार ने इस सम्वन्ध में सर्कुलर नम्वर 65/39/2018-डीओआर दिनांक 14 सितम्वर 2018 को ही निर्गत कर दिया था। इस लिए भुगतान कर्ता अधिकारी का यह दायित्व था, कि वह नियमानुसार सी0जी0एस0टी0 की कटौती कर सरकार के सम्वन्धित खातों में जमा करें। अतः रू**0** 536199.38 की वसूली आपूर्तिकर्ता फर्मों से की जानी अपेक्षित है। यदि फर्मों से उक्त धनराशि की वसूली नही हो पाती है। तो उसकी वसूली भुगतान कर्ता पदाधिकारियों से निम्न विवरण अनुसार की जानी अपेक्षित है:-

क्र0सं0	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम	वर्ष	सन्निहित धनराशि
1	श्री शोभनाथ मौर्य (ख0वि0अ0) श्री उमाकान्त मुदगल(ख0वि0अ0) श्री निर्मल द्विवेदी (ख0वि0अ0) श्री अनिल चौहान (लेखाकार)	2021.22	92645.95 92645.95 92645.95 92645.95
	योग		536199.38

आपत्ति सं0 – 2

प्रस्तर 30 कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सैस) की काटौती आपूर्तिकर्ता फर्मों के बिलों से न किया जाना।

उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियम) नियमवली 2009 के नियम संख्या 4(3) के अनुसार:-ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिषत धनराषि कर्मकार उपकर के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी तथा समस्त समावेषी अनुबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाए। प्रावधानित कर्मकार उपकर का व्यय भार किसी भी दषा में संस्था द्वारा वहन नही किया जा सकेगा।

क्षेत्र पंचायत अवागढ द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 **18529189.00** की निर्माण सामग्री क्रय कर 30 कराये गये है। सभी कार्यों में कर्मकार उपकर की 1 प्रतिशत धनराशि की कटौती न कर, रू0 185291.89 का सीधा लाभ आपूर्तिकर्ता फर्मों को पहुॅचाया है, जिससे राजकीय राजस्व को हॉनि हुई है। जिसके लिये क्षेत्र पंचायत प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारियों एवं लेखाकार सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। क्योंकि सैस की कटौती कर उसको राजकीय कोष में जमा करने का उत्तर दायित्व उक्त पदाधिकारियों का था। अतः उपरोक्त धनराशि की वसूली तातारीख 12 प्रतिशत ब्याज सहित निम्न विवरण के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम	वर्ष	सन्निहित धनराषि
1	श्री शोभनाथ मौर्य (ख0वि0अ0) श्री उमाकान्त मुदगल(ख0वि0अ0) श्री निर्मल द्विवेदी (ख0वि0अ0) श्री अनिल चौहान (लेखाकार)	**2021.22**	46322.97 46322.97 46322.97 46322.97
		योग	**185291.89**

आपत्ति सं0 – 3

प्रस्तर 31 टी0डी0एस0 कटौतियॉ की जमा की पुष्टि न कराया जाना।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत जैथरा द्वारा निर्माण कार्यों पर हुए व्यय से निम्न विवरण के अनुसार कटौतियां की गयी हैं।

क्र0सं0	मद का नाम	वर्ष	धनराषि
1	टी0डी0एस0 आयकर	**2021.22**	**388217.00**

बार-बार मॉगे जाने के बाद भी चालान प्रस्तुत नही किये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा कटौतियॉ तो कर ली गयी हैं किन्तु इन्हें संगत लेख शीर्षकों/विभागों में जमा न करके अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी/लेखाकार से विधिक कार्यवाही सहित की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम	वर्ष	सन्निहित धनराषि
1	श्री शोभनाथ मौर्य (ख0वि0अ0)	**2021.22**	97054.25
	श्री उमाकान्त मुदगल(ख0वि0अ0)		97054.25
	श्री निर्मल द्विवेदी (ख0वि0अ0)		97054.25
	श्री अनिल चौहान (लेखाकार)		97054.25
		योग	**388217.00**

आपत्ति सं0 – 4

प्रस्तर 32 नियमो की अनदेखी कर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कराना

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 सेक्शन 33(2) तथा शासनादेश संख्या 1838/33/-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 का अतिक्रमण कर सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति देकर केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग से संक्रमित धनराशि से निम्न लिखित कार्य कराये गये हैं-

क्रं0स0	कार्य का विवरण	वर्ष	व्यय धनराशि
1	2	3	4
1	ग्राम नगला धारू में अम्बेडकर पार्क निर्माण एवं कक्ष निर्माण	2021.22	878102
2	ब्लॉक परिसर में खण्ड विकास अधिकारी कक्ष एवं शौचालय निर्माण	2021.22	695552
3	बहादुर के मकान से सोनू की समर तक नाली निर्माण कार्य	2021.22	983994
4	बहोरनपुर नाले पर पुलिया निर्माण कार्य	2021.22	974648
5	भीलनगर से नाले तक नाली निर्माण कार्य	2021.22	567909
6	राजेश शहीदफौजी के मकान से शेशपाल के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021.22	482591
7	भीलनगर में प्रासे कालीचरन की मठिया तक इण्टरलॉकिंग 0वि0 निर्माण	2021.22	982270
8	टोडरपुर में मंदिर के ट्रान्सफार्मर से रूकमपाल बघेल के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021.22	983953
9	मैन रोड से पेट्रोल पम्प तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021.22	974885
10	मुन्नालाल के प्लाट से भूरे पंडित के खेत तक इण्टरलॉकिंग नाली निर्माण	2021.22	671601
11	कान्हा पडिंत के खेत से मैन सडक तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021.22	853753
12	प्राथ0वि0 से नाले तक नाली निर्माण कार्य	2021.22	540869
13	सत्यवीर के खेत से पक्की सडक तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021.22	734183

14	दिनेश के खेत से पक्की सडक तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021.22	756275
15	बब्लू के प्लाट से वीरेन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021.22	841410
16	डोरीलाल के खेत से गुलाब सिंह की समर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021.22	722536
17	रवेन्द्र के खेत से रम्मू के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021.22	875095
18	पंचायत घर से किशनलाल के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021.22	929009
19	पक्की सडक से मुकेश के खेत तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021.22	701793
20	छोटे के घर से रूकमपाल के खेत तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021.22	850946
21	हनुमान मंदिर से श्री विक्रम सिंह इण्टर कॉलेज तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021.22	957878
22	रोहिनामिर्जापुर में कुँवरपाल के खेत से वीरेन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021.22	731010
23	टिकाथर में उदयवीर के घर से प्रशान्त की दुकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021.22	730811
24	टिकाथर में श्रीचन्द्र के घर से मीरेश ठाकुर के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021.22	745532
25	रेजुआ में निधौली रोड राजबहादुर के मकान से नौबत सिंह के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021.22	761453
26	नगला जमुनिया में मैनरोड से रामनिवास के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	2021.22	750954
27	टिकाथर में रामपाल के घर से सज्जनपाल के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021.22	747397
28	कुँवरपाल के घर से महावीर के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021.22	692576
	योग		**22118985.00**

उपरोक्त अधिनियम एवं शासनादेश की व्यवस्थानुसार क्षेत्र पंचायत एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराने हेतु अधिकृत है। उपरोक्त कार्यों के विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 33(2) एंव शासनादेश संख्या 1838/33/03-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 की अनदेखी कर ग्राम पंचायतों के अन्दर कार्य कराये गये हैं जिससे डुप्लीकेसी की संभावनायें बनी रहती हैं। इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत द्वारा बताया गया है कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात निर्धारित प्राधिकारी से कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य कराये गये हैं। उत्तर मान्य नही है। क्योंकि अधिनियम एवं शासनादेशों के अनुसार ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य कराने का अधिकार क्षेत्र पंचायत को नही है। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र नही पाया गया न ही उ**0**प्र**0** क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली **1984** के खण्ड **16(2)** उपनियम के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा गा्रम पंचायत को अंतरित करने का प्रमाण पत्र नही पाया गया जिससे निर्माण कार्य की पुष्टि नही होती है। अतः रू0 22118985.00 के अनिमियत व्यय के लिये ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

आपत्ति सं0 – 5

प्रस्तर 33 बिना गुणवत्ता परीक्षण के 80 एम0एम0 इण्टरलॉकिंग टाइल्स का प्रयोग निर्माण कार्यों में किया जाना।

मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक सी0ई0सी0जेड0 सा0/17 दिनांक 31-01-2017 द्वारा ग्रामीण सड़कों में प्रयुक्त होने वाली इण्टरलाकिंग टाइल्स की गुणवत्ता एवं मोटाई सुनिश्चित करने के लिये व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसके अनुसार इण्टरलाकिंग टाइल्स का प्रयोग करने के पूर्व प्रत्येक 500 टाइल्स में से एक टाइल्स गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला

में भेजी जानी चाहिए। गुणवत्ता जाच की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही सही गुणवत्ता वाली टाइलों का प्रयोग इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण में किया जाना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत अवागढ द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 तक में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से सक्रमित धनराशि से निम्न कार्य कराये गये।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	वर्ष	व्यय धनराशि
1	राजेश शहीदफौजी के मकान से शेशपाल के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021-22	482591
2	भीलनगर में प्रासे कालीचरन की मठिया तक इण्टरलॉकिंग निर्माण 0वि0	2021-22	982270
3	टोडरपुर में मंदिर के ट्रान्सफार्मर से रूकमपाल बघेल के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021-22	983953
4	मैन रोड से पेट्रोल पम्प तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021-22	974885
5	मुन्नालाल के प्लाट से भूरे पंडित के खेत तक इण्टरलॉकिंग नाली निर्माण	2021-22	671601
6	कान्हा पडिंत के खेत से मैन सडक तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021-22	853753
7	सत्यवीर के खेत से पक्की सडक तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021-22	734183
8	दिनेश के खेत से पक्की सडक तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021-22	756275
9	बब्लू के प्लाट से वीरेन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021-22	841410
10	डोरीलाल के खेत से गुलाब सिंह की समर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021-22	722536
11	रवेन्द्र के खेत से रम्मू के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021-22	875095
12	पंचायत घर से किशनलाल के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021-22	929009
13	पक्की सडक से मुकेश के खेत तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021-22	701793
14	छोटे के घर से रूकमपाल के खेत तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021-22	850946
15	हनुमान मंदिर से श्री विक्रम सिंह इण्टर कॉलेज तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021-22	957878
16	रोहिनामिर्जापुर में कुँवरपाल के खेत से वीरेन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021-22	731010
17	टिकाथर में उदयवीर के घर से प्रशान्त की दुकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021-22	730811
18	टिकाथर में श्रीचन्द्र के घर से मीरेश ठाकुर के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021-22	745532
19	रेजुआ में निधौली रोड राजबहादुर के मकान से नौबत सिंह के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021-22	761453
20	नगला जमुनिया में मैनरोड से रामनिवास के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	2021-22	750954
21	टिकाथर में रामपाल के घर से सज्जनपाल के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021-22	747397
22	कुँवरपाल के घर से महावीर के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण	2021-22	692576
23	इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य- गढी एवरन में अवशेष	2021-22	167724
24	इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य- जसरथपुर में शैयद से माता मंदिर तक	2021-22	646134
25	इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य- गढी बरन में हसंराम गढी मार्ग से तालाब का शेष भाग पर	2021-22	517623
26	इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य- रामनगर में दयावीर के घर से नखलई सम्पर्क मार्ग तक	2021-22	970306
27	इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य- रामपुर में जितेन्द्रपाल के घर से डाबर रोड तालाब	2021-22	405471

	तक		
	योग		**20185169**

उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार टायल्स की गुणवत्ता का परीक्षण नही किया गया था। अग्रेतर जाच में पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु पी0डव्ल्यू0 द्वारा निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार टायल्स की मोटाई का आगणन में 80 एम0एम0 किया गया था। किन्तु आपूर्ति बिल एवं पुस्तिका में मोटाई का अकंन न होने से यह स्पष्ट नही था कि कार्य में जो टायल प्रयोग किया गया वह आगणन की विशिष्टयों के अनुसार था अथवा नही । अग्रेतर जाच में पाया गया कि उनकी गुणवत्ता का परीक्षण नही कराया गया था। बिना टायल्स की मोटाई सुनिश्चित किए एवं गुणवत्ता परीक्षण किए कार्य रु0 20185169.00 का अनियमित व्यय किया गया तथा आपूर्ति टायल्स की मोटाई एवं परीक्षण न कराये जाने से कार्य गुणवत्ता न होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है।

लेखा परीक्षण में उपरोक्त अनियमितताओं को इगिंत करने पर क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर में बताया गया कि भविष्य में इसका ध्यान जायेगा। लेखा परीक्षण में उत्तर मान्य नही है क्योंकि आगणन में प्रावधान होने के बावजूद टायल्स 80 एम0एम0 की मोटाई का सुनिश्चित नही किया गया और न ही सी0सी0 टायल्स की गुणवत्ता परीक्षण कराया गया था। अतः रु0 20185169.00 के अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

आपत्ति सं0 – 6

प्रस्तर 34 निविदा प्रपत्रों की बिक्री न कर क्षेत्र पंचायत को आर्थिक क्षति पहुॅचाना

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन वित (लेखा)अनुभाग के शासनादेश संख्या -ए-1-864/दस-05-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रुपया 20000.00 से अधिक की सामग्री क्रय करने के लिये कोटेशन व 100000.00 से अधिक सामग्री क्रय करने हेतु निविदायें आमंत्रित की जायेगी। उक्त के अनुपालन में क्षेत्र पंचायत जैथरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 28 कार्य के लिये निविदायें आमंत्रित की गयी। जिसमें प्रत्येक कार्य के लिये तीन-तीन निविदायें प्राप्त हुई। प्रत्येक निविदा पत्र का मूल्य रू0 500.00 निर्धारित था। जिससे क्षेत्र पंचायत जैथरा को वर्ष 2021-22 में निविदा प्रपत्रों की बिक्री से रुपया (28×3×500= 42000.00) की आय होनी चाहिए थी। आपूर्तिकर्ता फर्मों को निविदा प्रपत्रों की बिक्री न कर क्षेत्र पंचायत को रू0 42000.00 आर्थिक क्षति हुई है। जिसके लिये निम्नलिखित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। अतः रू0 42000.00 की क्षतिपूर्ति खण्डविकास अधिकारी एवं लेखाकार से निम्न विवरण के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	**वर्ष**	**सन्निहित धनराषि**	**उत्तरदायी व्यक्ति का नाम**
1	**2021-22**	5250.00	श्रीमती गंगा श्री (प्रमुख क्षे0पं0)
		5250.00	श्री शोभनाथ मौर्य (ख0वि0अ0)
		5250.00	श्री उमाकान्त मुदगल(ख0वि0अ0)
		5250.00	श्री निर्मल द्विवेदी (ख0वि0अ0)
		5250.00	श्री हाकिम सिंह (अवर अभियन्ता)
		5250.00	श्री अनिल चौहान (लेखाकार)
		5250.00	श्री गौरव कुमार ए0डी0ओ0
		5250.00	श्री रिषी कुमार ए0डी0ओ0
		5250.00	
	योग	42000.00	

आपत्ति सं0 – 9

5- संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत, निधौली कलां जनपद – एटा मण्डल – अलीगढ़

आपत्तियों का विस्तरित विवरण है।

प्रस्तर 35 वित्तीय वर्ष **2021-22** में राज्य वित्त में निर्माण कार्यों की जाँच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उ**0**प्र**0** क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम **1961** के अध्याय-**3** की धारा-**33**(**2**) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या **8307**/**33**-**2**-**2004**-**93** जी/**2004** दिनांक **12**-**01**-**2005** व पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या **4**/**866**/**33**-**14**-**93** जी/**2004** दिनांक **24**-**06**-**2014** द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर ग्राम के अन्दर निर्माण कर्य कराये गये है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं	कार्य का नाम	व्यय की धनराशि (रोयल्टी काटकर)
1	ग्राम बाकलपुर में रामनाथ के घर से संतोष फौजी के घर तक सी**0**सी**0** निर्माण कार्य	691169.00
2	ग्राम नगला दुबे में देवी सिंह के घर से विजेन्द्र सिंह के घर तक सी**0**सी**0** निर्माण कार्य	650397.00
3	ग्राम नगला दुबे में प्रमोद के घर से कृष्णपाल के घर तक सी**0**सी**0** निर्माण कार्य	532626.00
4	ग्राम दरबपुर में सत्यभान के खेत से कमलेश के खेत तक ईंट खरंजा निर्माण कार्य	712060.00
5	ग्राम नगला दुबे में जयप्रकाश के घर से वीरेन्द्र के घर तक सी**0**सी**0** निर्माण कार्य	965458.00
6	ग्राम सभापुर में कृष्णपाल के घर बृजेष के घर तक सी**0**सी**0** निर्माण कार्य	760094.00
7	ग्राम गदुआ में लोकपाल के डेयरी से कुंवरपाल के घर तक सी**0**सी**0** निर्माण कार्य	823732.00
8	ग्राम मुखरना में नन्दराम के घर से सत्यपाल के घर तक सी**0**सी**0** निर्माण कार्य	794502.00
	योग	5930038.00

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर रू**0** **5930038.00** की अनियमितता की गयी। जिसके दोषी तत्कालीन अभियन्ता, लेखाकार, खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-1

प्रस्तर 36 पंचायत राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-2326/30-3-2017 दिनांक 03.11.2017 के द्वारा उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवम् उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस जेम की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये थे परन्तु क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2021-22 में विकास खण्ड कार्यालय को 55 ऑफिस चेयर दर 6000.00 प्रति चेयर कुल रू0 330000.00 एवं 02 रिवालविंग चेयर दर 15000.00 कुल रू0 30000.00 इनवाइस न0-55 व 56 दिनांक 28.12.2021 द्वारा क्रय की गयी है। जिस पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 रू0 64800.00 कुल फर्नीचर की कीमत रू0 424800 की आपूर्ति निविदा रूप् से आपूर्ति कराकर रू0 424800.00 का अनियमित भुगतान किया गया। जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी एवं दोषी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना आपेक्षित रहा।

आपत्ति सं0-2

प्रस्तर 37 पंचायत राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-2326/30-3-2017 दिनांक 03.11.2017 के द्वारा उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवम् उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस जेम की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये थे परन्तु क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2021-22 में विकास खण्ड कार्यालय को 03 एसी रू0 96483.00 व 03 एसी स्टेबलाइजर रू0 8844.00 कुल कीमत रू0 105327.00 का भुगतान मैसर्स ऊटा मार्ट प्राइवेट लि0 को किया जाना दर्शित है। जो शासनादेश के विपरीत रहा एवं अनियमित रूप से आपूर्ति कराकर रू0 105327.00 का अनियमित भुगतान किया गया जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी एवं दोषी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना आपेक्षित रहा।

आपत्ति सं0-3

जनपद- हाथरस **मण्डल - अलीगढ़**

संस्था का नाम - क्षेत्र पंचायत हाथरस
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

प्रस्तर 01- क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर ग्राम पंचायत के अंदर कराये गए कार्यों पर अनियमित व्यय (राज्य वित्त आयोग) से किया गया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	कार्य विवरण	भुगतान तिथि	व्यय धनराशि
1	नगला कल्लू में नाली इंटरलोकिङ्ग	8-12-2021	574123-00
2	कोका में नाली इंटरलोकिङ्ग	8-12-2021	577866-00
3	जलालपुर में पोखर तक नाली इंटेलोकिंग	13-12-2021	621380-00
4	जलालपुर में नाली इंटरलोकिङ्ग	13-12-2021	164224-00
5	अल्लहपुर में नाली इंटेलोंकिग	16-12-2021	14270-00
6	गढ़ी जैनी में नाली इंटेलॉकिंग	17-12-2021	12355-00
7	पेकवाड़ा में नाली इंटर लोकिङ्ग	27-12-2021	58895-00
8	कोका में नाली इंटरलोकिङ्ग	27-12-2021	142465-00
9	नगला कल्लू में नाली इंटेलॉकिंग	27-12-2021	140010-00
10	जलालपुर में इंटरलोकिङ्ग	29-12-2021	28120-00
11	जलालपुर में इंटेलोंकिंग	29-12-2021	174900-00
12	जहाँगीर पुर में इंटेलोकिंग	8-1-2022	765362-00
13	विधिपूर में नाली इंटेलोंकिंग	8-1-2022	863439-00
14	नगला हीरा सिंह में विक्रम सिंह के घर से स्कूल तक इंटेलोंकिंग	8-1-2022	996782-00
15	नगला हीरा सिंह में नाली निर्माण	8-1-2022	363801-00
16	वैरगांव में नाली इंटेलोकिंग	8-1-2022	62359-00
17	सिकंदर पुर में नाली इंटर लोकिङ्ग	8-1-2022	757174-00
18	नगला अहीर में शिव मंदिर से वसंत काका के घर तक नाली इंटेलोकिंग	8-1-2022	825816-00
19	तिपरस में नाली खरंजा निर्माण	8-1-2022	940334-00

20	चिंतपुर बदन में नाली इंटेलॉकिंग	8-1-2022	615011-00
21	चिंता गढ़ी नाली इंटेलोकिंग	8-1-2022	959991-00
22	कुम्हरई में भोला शर्मा के घर तक नाली इंटर लोकिड्ग	9-1-2022	879849-00
23	अयेगपुर में नाली इंटर लोकिड्ग	9-1-2022	146924-00
24	गढ़ी एनी में नाली इंटर लोकिड्ग	30-1-2022	7740-00
25	मान महाँ में इंटर लोकिड्ग	30-1-2022	61883-00
26	गढ़ी थारु में नाली इंटर लोकिड्ग	30-1-2022	20962-00
27	गढ़ी बलना में इंटरलोकिड्ग	30-1-2022	19540-00
28	पेकबाड़ा में इंटेलॉकिंग	30-1-2022	27630-00
29	केमार में इंटेलॉकिंग	30-1-2022	7144-00
30	लाडपुर में इंटेलॉकिंग	30-1-2022	51141-00
31	केमार में नाली इंटेलॉकिंग	6-2-2022	29500-00
32	नगला मान में इंटेलॉर्निंग	9-2-2022	535683-00
33	ग्राम डरकाई में नाली इंटेलॉकिंग	8-3-2022	784564-00
34	नगला अहीर में नाली इंटेलॉकिंग	24-3-2022	41290-00
35	तिपरस में नाली इंटेलोंकिंग	24-3-2022	47015-00
36	चिंतापुर बदन में नाली इंटेलॉकिंग	24-3-2022	30750-00
37	चिंता गढ़ी चंडी में नाली इंटेलॉकिंग	24-3-2022	48000-00
38	अल्लाहपुर में नाली इंटेलॉकिंग	24-3-2022	7345-00
39	कुम्हरई में नाली इंटेलोंकिंग	24-3-2022	43990-00
40	नगला मान में नाली इंटेलोंकिंग	24-3-2022	26784-00
41	जहाँगीर पुर में नाली इंटेलॉकिंग	24-3-2022	38270-00
42	बेरगांव में नाली इंटेलॉकिंग	24-3-2022	3120-00
43	सिकंदरपुर में नाली इंटेलॉकिंग	24-3-2022	37860-00
44	विधिपुर में नाली ईटलॉकिंग	24-3-2022	43170-00
45	नगला हीरा सिंह में नाली इंटेलॉकिंग	24-3-2022	49840-00
46	नगला डालू में नाली इंटेलॉकिंग	24-3-2022	26119-00
47	अल्लहपुर में नाली इंटेलॉकिंग	24-3-2022	4372-00
48	कोका में नाली इंटेलीकिंग	24-3-2022	26315-00
49	जलालपुर में नाली इंटेलॉकिंग	24-3-2022	28376-00

50	जलालपुर में नाली इंटेलॉकिंग	24-3-2022	7452-00
51	नगला गिरा सिंह एम पी सिंह के घर में इंटेलोंकिंग	24-3-2022	18190-00
	योग	-	12759495-00

विभागीय दिशा निर्देशों के विरुद्ध किए गए उक्त रु० 12759495-00 (50 एक करोड़ सत्ताईस लाख उनसठ हजार चार पिचानवे) के व्यय भुगतान के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य ब्लॉक प्रमुख श्रीमती आरती गंगवार तथा श्रीमती पूनम पाण्डेय तथा तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्रीमती रीता सिंह के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। - (आपत्ति संख्या 10)

प्रस्तर 02- क्षेत्र पंचायत एर्व जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 3 की धारा 33 (2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों थ शक्तियों का अतिक्रमण कर केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायतों के अंदर कराये गए कार्यों पर अनियमित आयात किया गया, विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	कार्य विवरण	भुगतान तिथि	धनराशि
1	बेरगांव में नाली इंटेर्लोकिंग	26-12-2021	76040-00
2	पेकवाड़ा में कार्य	26-12-2021	152595-00
3	पेकवाड़ा में इंटेलॉकिंग	30-1-2022	41260-00
4	बेरगांव में इंटेर्लोकिंग	30-1-2022	33500-00
5	पुरा कलां में नाली इंटेलॉकिंग	1-2-2022	477137-00
6	महों में इंटेलोंकिंग	1-2-2022	482380-00
7	एहन में पानी की टंकी से इंटेलॉकिंग कार्य		881033-00
8	लाखनू में नाली इंटेर्मोकिंग	6-2-2022	58833-00
9	गड़ी बलना में इंटेर्लोकिंग	6-2-2022	59817-00
10	लाड़पुर में इंटेलॉकिंग कार्य	6-2-2022	61000-00
11	सूरजपुर में इंटेलॉकिंग कार्य	6-2-2022	58116-00
12	नगला अहीर में नाली इंटेलोंकिंग कार्य	15-2-2022	426985-00
13	पूराडालोन में नाली इंटेलॉकिंग मार्य	21-2-2022	23855-00
14	मेवली में इंटेलोनिंग	25-2-2023	991683-00
15	कोका में यू-टाइप नाली निर्माण	8-3-2022	979970-00
16	कोशोनपुर में नाली निर्माण	8-3-2022	453102-00
17	नगला अहीर में माली इंटेलीकिंग	24-3-2022	21350-00
	योग	-	5278656-00

वर्ष लेखापरीक्षा 2021-22 में उपरोक्त धनराशि रु० 5278656-00 (बामन लाख अठहट्टर हजार छह सौ छप्पन) के अनियमित भुगतान के लिए कार्य प्रस्ताव पर हस्तक्षार करने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती पूनम पाण्डेय तथा तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती रीता सिंह के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 11)

संस्था का नाम - क्षेत्र पंचायत मुरसान वर्ष 2021-22

प्रस्तर 03- अ -क्षेत्र पंचायत मुरसान के वित्तीय वर्ष 2021.22 में राज्य वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम 30 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि स लाख से अधिक किन्तु रु. 10 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रु.10 लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2021.22 में राज्य वित्त आयोग के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रु. 5 लाख से अधिक परन्तु रु.10 लाख से कम लागत के 08 कार्य कराये गये जिन पर रु.5822023-00 की लागत रही। इस प्रकार वर्ष 2021.22 में कुल 08 कार्यों पर किये गये व्यय का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है। जिसकी कुल लागत रु.5822023-00 है। उक्त कार्यों के अन्तिम भुगतानों की बहुत छोटी धनराशि रही। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती ज्योति शर्मा व श्री नीरज कुमार दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

विवरण निम्न प्रकार है।वर्ष 2021.22 में रु. 5 लाख व रु. 10 लाख से अधिक के कार्य

क्रमांक	कराया गया काम	कुल व्यय धनराशि
1	ग्राम मुथु में जूनियर स्कूल से कमल बघेल की दुकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	872208
2	खरगू में हरस्वरूप के घर से पथवारी संपर्क मार्ग तक नाली इंटरलॉकिंग कार्य	828461
3	कथरिया में राजवीर के घर से गिर्राज पूर्व प्रधान के घर तक नाली इंटरलॉकिंग कार्य	706658
4	नगला टोंटा में पोलिस चौकी से जगदीश चौधरी के घर तक नाली इंटरलॉकिंग कार्य	828461
5	महमूदपुर जाटान में वाल्मीकि बस्ती से संजय शर्मा के घर तक नाली इंटरलॉकिंग कार्य	571790
6	जैतपुर में रघुबीर के घर से रामजी लाल दिवाकर के खेत की और नाली इंटरलॉकिंग कार्य	614596
7	महमूदपुर ब्राह्मण में बोबी पंडित के घर में श्री ओम बोहरे के घर तक नाली इंटरलॉकिंग कार्य	712909
8	झींगुर में मुनेश सविता के घाट तक सी सी टाइल्स कुल योग	686940
	योग	5822023

(आपत्ति संख्या 3)

ब-वितीय वर्ष 2021.22 में केन्द्रीय वित्त से कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावनी- 1904 के नियम 30 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रू लाख से अधिक किन्तु रु. 10 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रु.१० लाख से अधिक लागत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान में पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2021.22 में राज्य वित्त आयोग के अन्तगर्त कराये गये कार्यों में रू. लाख से अधिक परन्तु रु. 10 लाख से कम लागत के 05 कार्य कराये गये जिन पर रु. 3438058-00 की लागत रही। इस प्रकार वर्ष 2021.22 में कुल 05 कार्यों पर किये गये व्यय का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है। जिसकी कुल लागत रु.3438058-00 है। उक्त कार्यों के अन्तिम भुगतानों की बहुत छोटी धनराशि रही। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री सुभाष चन्द्र शर्मा एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती ज्योति शर्मा व श्री नीरज कुमार दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

वर्ष 2021.22 में रु. 5 लाख व रु. 10 लाख से अधिक के कार्य

क्रमांक	कराया गया काम	कुल व्यय धनराशि
1	नगला मोतीराय में प्राथमिक विद्यालय से सत्यप्रकाश शर्मा के घर तक नाली इंटरलॉकिंग कार्य	573178
2	विकास खंड परिसर में मार्ग नाली तथा आवासीय अनावासीय भवनों की छतों की मरम्मत	798138
3	बमौली बायपास पर प्रमोद रावत के घर से सुरेश उपाध्याय के घर तक सी सी मरम्मत	841867
4	खेर परसोली में सत्यबीर के घर से पक्की सड़क तक मार्ग मरम्मत कार्य	572618
5	बमौली में प्रमोद रावत के घर से गोदाइ मार्ग पर मरम्मत कार्य	652257
	योग	3438058

(आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर 04- अ-वित्तीय वर्ष 2021.22 तक राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यों की जांच में प्रकाश में आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33 (2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004/00 जी/2004 दिनंधक 21.01.05 व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या -4/806/33-214-93जी/2004 दिनांक 24.08.2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-33.

(2) व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सड़कोष अनर्तग्रामित सड़कों व जिला सडको के रूप में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हें प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्जन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं दुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है। अतः पंचायतीराज संस्थाओं के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कढाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2021.22 में 16 कार्य जिन पर रु० 8423066-00 का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यों के होने डुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्यर्या की कार्य योजना का प्रस्तावधू उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती मीना देवी एवं श्री रामेशवर उपाध्याय खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती ज्योति शर्मा व श्री नीरज कुमार दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर काराये गये कार्यों का विवरण निश्न प्रकार है:-

क्रमांक	कराया गया काम	कुल व्यय धनराशि
1	ग्राम मुथु में जूनियर स्कूल से कमल बघेल की दुकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	872208
2	खरगू में हरस्वरूप के घर में पथवारी संपर्क मार्ग तक नाली इंटरलॉकिंग कार्य	828461
3	कथरिया में राजवीर के घर से गिर्राज पूर्व प्रधान के घर तक नाली इंटरलॉकिंग कार्य	706658
4	नगला टोंटा में पोलिस चोकी से जगदीश चौधरी के घर तक नाली इंटरलॉकिंग कार्य	828461
5	महमूदपुर जाटान में वाल्मीकि बस्ती से संजय शर्मा के घर तक नाली इंटरलॉकिंग कार्य	571790
6	जैतपुर में रघुवीर के घर से रामजी लाल दिवाकर के खेत की और नाली इंटरलॉकिंग कार्य	614596
7	महमूदपुर ब्राह्मण में बोबी पंडित के घर से श्री ओम बोहरे के घर तक नाली इंटरलॉकिंग कार्य	712909
8	झींगुर में मुनेश सबिता के घाट तक सी सी टाइल्स	686940
9	खजुरिया में जगदीश बोहरे के घर से ब्रजमोहन शर्मा के घर तक नाली इंटरलॉकिंग कार्य	400713
10	पदु में मनीष पंडित के घर से फूल सिंह वाल्मीकि के घर तक माली इंटरलॉकिंग कार्य	246200
11	नगला मलू में पवन कुमार शर्मा के घर से प्राथमिक विद्यालय तक नाली	414000

	इंटरलॉकिंग कार्य	
12	खुटिपुरा जतान में शंकर लाल के घर से पप्पू के घर तक नाली इंटरलॉकिंग कार्य	146282
13	सुरतिया में गंगा सरन बघेल के घर से सुरेश बघेल के घर तक नाली इंटरलॉकिंग कार्य	491093
14	गौजिया कलुआ नगरिया में राम प्रसाद बोहरे के घर से सुरेन्द्र जाटव के घर तक नाली इंटरलॉकिंग कार्य	310310
15	भाटेला में हरनारायण दिवाकर से जय पाल दिवाकर के घर तक नाली इंटरलॉकिंग कार्य	156608
16	नगला मल्लू में ध्रुव शर्मा के घर से कुआ तक नाली इंटरलॉकिंग कार्य	435837
	कुल योग	8423066

(आपत्ति संख्या-05)

ब-वित्तीय वर्ष 2021.22 तक केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यों की जांच में प्रकाश में आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33 (2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 830/33-2-2004-93 जी/2004 दिनंणक 21.01.06 व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या -4/888/33-2-14-93जी/2004 दिनांक 24.08.2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य करावे गये जबकि अधिनियम की धारा-33. (2) व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडकोए अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडकी के रूप में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं दुब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाएं बनी है। अतः पंचायतीराज संस्थाओं के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2021.22 में 21 कार्य जिन पर सब 7753878-00 का व्यय हुआ जो अनियमित रहा। इन कार्यों के होने दुब्लीकेसी होने की सम्भावना है। जतः स्पष्ट है कि उक्त कार्या की कार्य योजना का प्रस्तावए उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती मीना देवी व श्री रामेशवर उपाध्याय एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती ज्योति शर्मा व श्री नीरज कुमार दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर काराये गये कार्यों का विवरण निश्न प्रकार है:-

क्रमांक	कराया गया काम	कुल व्यय धनराशि
1	नगला मोतीराय में प्राथमिक विद्यालय से सत्यप्रकाश शर्मा के घर तक	573178

	नाली इंटरलॉकिंग कार्य	
2	बमौली बायपास पर प्रमोद रावत के घर से सुरेश उपाध्याय के घर तक सी सी मरम्मत	841867
3	खेर परसोली में सत्यवीर के घर से पक्की सड़क तक मार्ग मरम्मत कार्य	572618
4	ककारावली में रामस्वरूप जाटव के घर से शमशान घाट तक नाली निर्माण कार्य	236699
5	नगला मंशा में आंबेडकर पार्क में नाली इंटरलॉकिंग कार्य	365931
6	नगला मोतीराय में आंबेडकर पार्क की चारदीवारी निर्माण कार्य	407624
7	कपूरा में इंटरलॉकिंग एवं सौन्दर्यकरण कार्य	310790
8	ग्राम चितावर में आंबेडकर पार्क चारदीवारी मरम्मत एवं सौंदायकरण कार्य	413493
9	ग्राम कुबरपुर में आंबेडकर पार्क में ईट पहुंजा एवं सोंदाब्करण कार्य	328912
10	मुरसान सादाबाद रोड से बमनई में पूर्व प्रधान पप्पू शर्मा बाली गली में मरम्मत कार्य	126388
11	बमौली में प्रमोद रावत के घर से गोदाइ मार्ग पर मरम्मत कार्य	652257
12	बामनइ में मुरसान सादाबाद रोड से सत्यनारायण दीक्षित वाली गली में मरम्मत कार्य	250480
13	कोटा में रामर्शकर के घर से मनिया खान के घर तक मरम्मत कार्य	374990
14	खुटिपुरा पीथा में डॉ श्याम सुन्दर शर्मा के घर से शिव कुमार कौशिक के घर तक मरम्मत कार्य	232630
15	मोहनपुरा भूतपुर में राधे श्याम प्रधान के घर से बम्ब्बा की और मार्ग मरम्मत कार्य	435000
16	सुरतिया में गंगा सरन भाघेल के घर से सुरेश बघेल के घर तक नाली इंटरलॉकिंग कार्य	491093
17	लुहेटा खुर्द में बद्री चिक के घर से नेत्रपाल शर्मा के घर तक नाली निर्माण कार्य	114176
18	खुटिपुरा जतान में वेद राम बघेल के घर से राजबीर धीमर के घर तक सी सी एवं नाली	490926
19	खेरा परसौली में मेरठिया के घर के पास सी सी एवं नाली कार्य	269500
20	रंगपुर में देवेन्द्र शर्मा के घर से बनवारी लाल के घर तक सी सी कार्य	265326
	योग	7753878

(आपत्ति संख्या-06)

प्रस्तर 05-वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त/केंद्रीय वित्त आयोग से संबंधित अनुदान से कराए गए काटी पे निर्माण कार्य में निर्धारित 02 प्रतिशत जीएसटी नहीं की गई है वितरण निम्न प्रकार है।

क्र0	कराया गया काम	कुल व्यय धनराशि	जीएसटी जो जमा कराई जानी चाहिए थी	जीएसटी जो जमा कराई गयी है	अंतर

1	ककरावली में रामस्वरूप जाटव के घर से शमशान घाट तक की नाली निर्माण कार्य	236699	4733.98	0	4733.98
2.	नगला हेमा में हाथरस इगलास रोड से बीज गोदाम तक नाली निर्माण कार्य	138594	2771.88	0	2771.88
3.	पदु में मनीष पाण्डेय के घर से फूल सिंह वाल्मीकि के घर तक नाली इंटरलॉकिग कार्य	246200	4924	0	4924
4.	खुटिपुरा जतान में शंकर लाल के घर से पप्पू के घर तक नाली निर्माण कार्य	146282	2925.64	0	2925.64
5.	खुटिपुरी ब्राहमण में राजधीर शर्मा के घर से तलब तक नाली निर्माण कार्य	88460	1769.2	0	1769.2
6.	मुरसान सादाबाद रोड में जमना में पूर्व प्रधान पप्पू हमा बाली गली तक मरम्मत कार्य	126388	2527.76	0	2527.76
7.	चरमुजा में राम प्रकार सर्मा के घर से सर्वेश रावत के ट्वेवेल्व तक नाली एवं इंटरलॉकिंग मरम्मत	168115	3362.3	0	3362.3
8.	कोटा में रामकुमार सरभरवत के घर से भारत सारस्वत के घर होते हुए कैलाश भारस्यत के घर तक	131274	2625.48	0	2625.48
9.	खुटीपुरी पिता में वो त्याम सुन्दर शर्मा के घर से भित्र कमार कौनिक के घर तक मार्ग मरम्मत कार्य	232630	4652.6	0	4652.6
10	भाटेला में हरनारायण दिवाकर से जय पाल दिवाकर के घर तक इंटरलॉकिन नाली निर्माण	156608	3132.16	0	3132.16
11.	लुहेटा खुर्द में बद्री चिक के घर से नेत्रपाल शर्मा के घर तक नाली निर्माण कार्य	114176	2283.52	0	2283.52
	योग	1785426	35708.52	0	35708.52

उपरोक्त कराये गये कार्यों के भुगतान पर कुल रु० 1785428 के नापेक्ष जोई जीएसटी के सापेक्ष कोई जीएसटी नहीं करापी है जिससे रु० 35708.52 की बीएमटी काटक राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। जिस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती ज्योति शर्मा व श्री नीरज कुमार एवं लेखाकार श्री सोमेंद्र शर्मा उत्तरदायी एवं दोषी है। बहरून 35708.52 की वसूली करते हुए जी०एस०ठी शीर्षक में जमा करावा जाना अपेक्षित रहा। भी०एस०टी० कितंभ में जमा कराने पर यदि कोई विलभ शुष्क निर्धारित भी तत्कालीन खण्ड विभाग अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-22)

प्रस्तर 06- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त। केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत कुल 18718822 कार्य कराये गचे जिनपर 1 प्रतिशत रु० 187188.2 मेस की कटौती की अनि चाहिए थी परन्तु लेबर

गैस की कोई कटौती न कर फर्म को अनियमित लाभ बैंकर संस्था की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती ज्योति शर्मा व श्री नीरज कुमार एवं लेखाकार श्री सोमेंद्र शर्मा दोषी एवं उत्तरदायी है। अत्तः रु० 187188.2 की वसूली मय ब्याज के किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-23)

संस्था का नाम - क्षेत्र पंचायत सिकन्द्रराऊ वर्ष 2021-22

प्रस्तर 07- वित्तीय वर्ष 2021-22 राज्य वित्त आयोग, पन्द्रहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से जो कार्य कराये गये हैं उनकी जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत सिकन्दराराऊ द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायत के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर व शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12-01-2005 एवं पंचायती राज अनुभाग के पत्रांक संख्या 4/866/33-2-14-93 जी/2004 दिनांक 24 जून 2014 द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराये गये हैं जबकि अधिनियम की धारा 33 (2) व शासनादेशों में दिये गये निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों का कार्य क्षेत्र क्रमशः ग्राम सड़कों, अन्तरग्रामित सड़कों व जिला सड़कों के रूप में वर्गीकृत है। इसी क्रम में शासनादेश संख्या 1838/33-3-15-03/2015 दिनांक 31-07-2015 में क्षेत्र पंचायतों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के लिए दिशा निर्देश भी निर्गत किये गये हैं जिसमें प्राप्त अनुदानों से क्षेत्र पंचायतों को ऐसे कार्य करना था जिसमें एक से अधिक ग्राम पंचायतें लाभान्वित हों। शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारित किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों का भी अतिक्रमण किया जा रहा है जिस कारण अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की सम्भावना बनी रहती है। अतः पंचायती राज संस्थाओं के निर्माण कार्य करने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

शासनादेशों में निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार तीनों स्तर की पंचायतें (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत) सब्सिडियरिटी के सिद्धान्त के आधार पर कार्यों का चयन करें अर्थात् जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरह से किया जा सकता है वह उसी स्तर पर कराया जाय तथा ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाय। क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उसमें एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें।

क्षेत्र पंचायत सिकन्दराराऊ द्वारा वर्ष 2021-22 में कराये गये समस्त निर्माण कार्य ग्राम पंचायत में एक विशिष्ट व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक कराये गये हैं जिससे क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण होने के कारण अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना है। कार्य कराने से पहले ग्राम पंचायतों की अनुमन्यता/अनापत्ति प्रमाण पत्र व प्रस्ताव अवश्य लिया जाना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट हो सके कि कृत कार्य की आवश्यकता ग्राम पंचायत को थी या नहीं तथा किसी भी विवाद की स्थिति न हो। ऐसा न करने पर ये कार्य ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण दिखाकर भुगतान प्राप्त कर लिये जाते हैं। जिससे डुप्लीकेसी की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत सिकन्दराराऊ द्वारा वर्ष 2021-22 में रूपया 11873654-00 के कराये गये निर्माण कार्यों में जान-बूझकर नियमों की अनदेखी की गयी है। अतः उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत सिकन्दराराऊ द्वारा निर्माण कार्यों पर रूपया 11873654-00 के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है। इसके प्रति तत्कालीन खण्ड

विकास अधिकारी श्री महेंद्र सिंह, श्री नीरज कुमार गर्ग व श्री सतीश चन्द्र शर्मा, श्री विकल कुमार तथा पटल प्रभारी श्री अवनीश कुमार उत्तरदायी है। (आपत्ति संख्या 13)

संस्था का नाम - क्षेत्र पंचायत सासनी वर्ष 2021-22

प्रस्तर 08- मिटटी पर रॉयल्टी शासनादेश संख्या-3385/86-2015-292/2015/15.10.2015 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्यो पयुक्त उपखनिजी पर रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार 2 कापवरी 2001 और लाक्रम अनुनादेश में यह निर्देश दिए गए है कि उपखनिज की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित बन लिया जाये कि धाप्पा किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान कर वैध अभियान प्रपत्र एमएम-11 के आधार पर परिवहन किये गए हैं। आगे शासनादेश संख्या 2799/86-2016-292/2015 दिनाक 12.09.2016 के अनुसार वैध पॉर्न सी प्रस्तुत नहीं किया गया है तो ऐसे मामलों जिनमें एमएम 11/ फॉर्म 3 ही प्रस्तुत नहीं किये गए हैं उनके बिलों पर मुनातान के पूर्व निर्धारित दर से संबल्टी की धनराशि बी कटौती कर सागत लेखाशी में जमा कर ली जाये। उक्त के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विकल कुमार लेखाकार श्री दिनेश पाल सिंह व श्री अजय कुमार भारद्वाज उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित करना है।

(आपति संख्या-1)

प्रस्तर 09- ग्रान्ट रजिस्टर तीन के अनुसार वितीय वर्ष में संस्था के दारा विभिन्न मंडी में कुल रुपये 25524555.78 व्यय किया गया जब कि प्राप्त अनुदान रुपये 35654304.00 रहा। इस प्रकार प्रापर अनुदाम का 71.58% ही व्यय किया गया है। यदि इस प्राप्त अनुदान में प्रारंभिक अवशेष को जोड़ा जाये तो कुल रुपये 55559347.77 आय मद में प्राप्त हुए। इस प्रकार वितीय वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि का 45.95% धनराशि ही की गयी। अर्थात वर्षात को कुल उपलब्ध धनराशि का 54.05% अर्थात अवशेष रहा। उल्लेखनीय है कि शासन के द्वारा संस्थाको अनुदान बजट के अनुसार विकास कार्यों पर वितीय वर्ष में उपभोग हेतु दिया जाता है जिसका उपभोग न होने की दशा में बाजार मूल्य के चढ़ाव से हानि होती है। यर्थात में अवशेष धनराशि विकास कार्यों की धीमी गति से संपादन का सूचक है। इस बात से इकार नहीं किया जा सकता कि अनुदान के उपभोग पर विकास खंड के प्रबंधक खंड विकास अधिकारी का नियंत्रण समुचित नहीं रहा एवं विकास कायी के प्रति उदासीनता का द्योतक है। आलोच्य वर्ष में वर्षात धनराशि का उपभोग किन कारणों से नहीं किया जा सका स्पष्ट किया जाना अपेक्षित रहा। उक्त के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विकल कुमार लेखाकार श्री दिनेश पाल सिंह व श्री अजय कुमार भारद्वाज उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित करना है। (आपति संख्या-4)

प्रस्तर 10- उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 में बजट तैयार करने तथा प्रयुक्त करने सम्बन्धी प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया है। नियम 17 में बजट पारित करने सम्बन्धी कैलेंडर के अनुसार क्षेत्र पंचायत के द्वारा आगामी वर्ष के लिए 20 मार्च तक बजट पारित किया जाएगा। नियम 19 के अनुसार कोई भी व्यय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक उसके लिए बजट में व्यवस्था की गयी हो। आलोच्य वर्ष में बजट सम्बन्धी किसी बैठक की जानकारी का सर्वथा अभाव रहा था बजट निर्माण सम्बन्धी पत्रावली जाँच में प्रस्तुत नहीं की गयी। ऐसी स्थिति में इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि सम्पूर्ण आलोय वर्ष में कृतव्यव अनियमित रहे। इस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उक्त के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विकल कुमार लेखाकार श्री दिनेश पाल सिंह व श्री

अजय कुमार भारद्वाज उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित करना है।

(आपत्ति संख्या 6)

प्रस्तर 11- एफएचबी खंड-1 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15 (1386 दिनांक-23.09.2008 के अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय के लिए कोटेशन (रुपये बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक एवं टेंडर (रुपये एक लाख से अधिक की प्रक्रिया कर पालन किया जाना चाहिए। आलीय वर्ष में कोटेशनर की प्रक्रिया को लागू किया गया है लेकिन के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया बर पूर्णतया पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश पोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुरु) 2016 शासनादेश संख्या-5-2016/253/18.02.2016-3(एसपी)2010/01.04.2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किये जाने के लिए विभागीय अधिकारीयों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम अवलोकनीय है

डर प्रपत्र का मूल्य 1 लाख से 10 लाख के अनुमानित मूल्य के टेंडर के लिए अनुमानित मूल्य का 0.2% (न्यूनतम 400.00 और अधिकतम 1500.00) और 10 लाख से ऊपर के लिए 0.15% [अधिकतम 25000.00) एलटी/जीएसटी जोड़कर होना सुनिश्चित किया गया है।

2. कम से कम दो समाचार पत्रों में नोटिस का प्रकाशन किया जाना अनिवार्य है। किन्तु आलोच्य वर्ष में ऐसा नहीं किया गया।

3. टेंडर देने वाले को युक्तियुक्त समय जी नोटिस के प्रकाशन के बाद तीन सप्ताह से कम न होगा (दस लाख की धनराशि के उपा के कार्य के लिए) अल्पकालिक या तात्कालिकता में अल्पकालीन टैडर के लिए यह समय कम से कम 10 दिवस का दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

4. अर्नेस्ट मनी या बयान की धनराशि जो प्रत्येक मुहर बंद टेंडर के साथ दी जानी चाहिए और टेंडर स्वीकार कर लिए जाने की स्थिति में जमा की जाने वाली अपेक्षित धनराशि का उल्लेख किया जाना चाहिए। अपेक्षित बवाने की धनराशि जो कि रूपये एक लाख तक अनुमानित मूल्य वाषी सामग्री के लिए रुपये 1500 तथा इसके ऊपर प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के लिए अतिरिक्त रुपये 1000 होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 24 के अनुसार पंचायत जिनके टैडर स्वीकार नहीं करती है, उनकी अर्नेस्ट मनी यथाशीघ्र वापिस की जाएगी लेकिन उस ठेकेदार की अर्नेस्ट मनी संपड़ित कर ली आएगी जिसका टैडर स्वीकार किया गया हो। यदि चयनित ठेकेदार एक सप्ताह के भीतर प्रतिभूति की धनराशि जमा न करे या बिना उपमुक्त करण के ठेक्का विलेखपत्र निष्पादित न करे। अर्नेस्ट मनीकी धनराशि या तो सरकारी प्रतिभूतियों में दी जाएगी या कोषागार या भारतीय स्टेटबैंक में कोषागार चालान ट्करा नकद जमा की जाएगी या डाकघर बचत बैंक में जमा की जाएगी। किन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन पूर्णतया नहीं किया गया।

5. अमानत की धनराशि या सिक्योरिटी डिपॉजिट जी टेंडर स्वीकृत होने के बाद ली जाएगी। निष्पादन सुरक्षा राशि अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर होनी चाहिए, जिसे सौ के निकटतम गुणज में पूर्णांकित किया जाना चाहिए। निष्पादन सुरक्षा राशि निर्दिष्ट तिथि तक, सामान्यतः स्वीकृति पत्र की अधिसूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा कर दी जानी चाहिए और यह आपूर्तिकर्ता के सभी संविदात्मक दायित्वों, जिनमें वारंटी दायित्व भी शामिल हैं, के पूरा होने की तिथि से 30 दिनों तक वैध रहनी चाहिए।

नियमानुसार किसी भी टैडर के साथ जमानत की धनराशि जमा नहीं करवाई गयी है जबकिउत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 23 के अनुसार जमानत के बिना ठेका न तो वैध होगा और न ही निर्माण कार्य प्रारम्भ ही किया जा सकेगा जब तक कि अपेक्षित प्रतिभूति जमा करके ठेके के विलेख पर ठेकेदार के द्वारा और खंड विकास अधिकारी के

द्वारा हस्ताक्षर न कर दिए जाएँ। किन्तु आलोच्य वर्ष में इस नियम का पालन नहीं किया गया। उक्त के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विकल कुमार लेखाकार श्री दिनेश पाल सिंह व श्री अजय कुमार भारद्वाज उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित करना है।

(आपति संख्या-10)

प्रस्तर 12- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 67 क्षेत्र पंचायत के कार्यों को सुचारु रूप से सञ्चालन हेतु 6 स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान करता है जो कि इस प्रकार है-

1. नियोजन एवं विक्कास समिति
2. शिक्षा समिति
3. निर्माण कार्य समिति
4. प्रशासनिक समिति
5. स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति
6. जल प्रबंधन समिति

इनके गठन के सम्बन्ध में कार्यवाही रजिस्टर में उल्लेख किया गया है किन्तु इनकी कार्य प्रणाली और योजनाओं के सन्देम इनकी भूमिका के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी सम्भावना से इकार यहीं किया जा सकता कि उकाः समितिया मात्र कागजों पर निर्मित की गयी है। इस प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उक्त के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विकल कुमार लेखाकार श्री दिनेश पाल सिंह व श्री अजय कुमार भारद्वाज उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित करना है। (आपति संख्या-14)

प्रस्तर 13- सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 212(5) के अनुसार लेखा परीक्षा में वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग आदि कर बोजनाओं पर व्यग की गयी धनराशि के संदर्भ में उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है इससे यह पुष्टि होती है कि संस्था की वर्ष में प्रदत सम्पूर्ण अनुदान का उपभोग कर नियमानुसार कर लिए गया है। किन्तु राज्य वित एवं कैकेट वित आयोग के वर्ष में प्राप्त अनुदान एवं वर्ष में व्यय धनराशि को देखकर प्रतीत होता है कि वास्तव में उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना अग्रेता किसे अवमुक्त की गयी है, भविष्य में उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उक्त के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विकल कुमार लेखाकार श्री दिनेश पाल सिंह व श्री अजय कुमार भारद्वाज उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित करना है। (आपति संख्या-15)

प्रस्तर 14- उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 153 के अनुसार सभी उपभोग योग्य भंडार वस्तुओं, मृत सकज्य एवं लेखा सामग्री के लिए एक स्कंध बही रखी जाएगी। प्रत्येक प्रकार के भतार वस्तुओं के लिए आलम पृष्ठ खोले जायेंगे। स्कंध बही प्रत्येक महीने बंद की जाएगी। सम्बंधित विभागीय अधिकारियों के दवारा इसका रैनासिक निरिक्षण किया जावेगा। लेखा परीक्षा में मांगीपरात स्कंध बही प्रस्तुत नहीं की गयी जिस कारण सम्बंधित सूचना अजात रही। इस पति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विकास खंड स्तर पर लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी इस कारण वर्ष में क्रय, उपभोग एवं वर्षात में स्टॉक अवशेष बी पुष्ट नहीं की जा सकी।

अधिकरशतया कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रों को सक्षम अधिकारीयों से हस्ताक्षर करवा कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भविष्य में सभी अभिलेखी को पूर्ण करके रखना अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखक) नियमावली, 1965 के नियम 47 में यह प्रावधानित किया गया है कि। "रोकडिया, लेखाकार की रोकड़ बड़ी के अतिरिक्त स्वयं अपनी ही एक रोकड़ बही रखेगा। ये बही दो खण्डों में होगी, प्रथम खंड का सम्बन्ध मुख्य अधिकारी/खंड विकास अधिकारी के द्वारा अपने नाम में काटे गए चेकों या अधीक्षक द्वारा जिला निधि के सम्बन्ध में काटे गए चेकी की दशा में मुख्य अधिकारी के नाम में काटे गए चेकों और उससे किये गये वितरण से होगा। इन चेकों को नकद माना जायेना और रोकड़िया प्राप्त होने पर इन्हें तुरंत रोकड बही में दर्ज करेगा। रोकड़ बही का यह खंड प्रपत्र संख्या 10 में होगा। दवितीय खंड का सम्बन्ध जिला पंचायतक्षत्र पंचायत के बार्यालय में नकदी में भुगतान किये गए करो, शुल्कों, निक्षेपों तथा किन्हीं अन्य विविध मादी से होगा। रोकड़ बही के द्वितीय खंड में उस दिन की प्राप्तियों और विवरणों के गोग की भी, जो रोकड बड़ी के प्रथम खंड में प्रपत्र 10 में दिए गए हो, विशिष्ट मदी के रूप में दिखाया जायेगा। रोकड बही का द्वितीय खंड प्रपत्र संख्या 11 में रहा जायेगा। दद्वितीय खंड में अंतिम शेष रोकडिया के पास इस प्रकार रोकड शेष का योग बताएगा और इसके अंतर्गत प्रपत्र संख्या 10 में रिकॉड बड़ी के प्रथम खंड का शेष भी सम्मिलित होगा। रोकड बही के खंड दो में शेष निकाले जाने के पश्चात् रोकड़ बही के खंड एक में शेष धनराशियां, दैनिक शेष के अंकों के नीचे विशिष्ट रूप से दिखाई जानी चाहिए।"

अंतिम शेष का मिलान प्रतिदिन लेखाकार की रोकड़ बही में दिखाए गए रोकड शेष से किया जायेगा। खंड-1 और खंड 2 में रोकड बहियों में प्रतिदिन रोकडिया द्वारा हस्ताक्षर किये आयेंगे तथा खंड-2 में रोकड बही में लेखाकार द्वारा भी शेष मिला लिए जाने के प्रतीकस्वरूप हस्ताक्षर किये जायेंगे। मुख्य अधिकारी/खंड विकास अधिकारी द्वारा रोकड़ बहियों की प्रतिदिन जांघ की जाएगी और उन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

आलीच्य वर्ष में उक्त नियमों का परिपालन नहीं किया गया जो कि आपतिजनक रहा। उक्त के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विकल कुमार लेखाकार श्री दिनेश पाल सिंह व श्री अजय कुमार भारद्वाज उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित करना है।

(आपति संख्या-16)

प्रस्तर 15- आयकर अधिनियम की धारा 203(1) तथा 31(1) के अनुपालन में लेखा परीक्षा के दौरान कर्मचारियों को प्रदान किये गए फार्म 16 एवं ठेकेदार एवं सप्लायर्स को प्रदान किये गए फार्म 16 की पति अवलोकनार्थ प्रस्तुत नाहिन की गयी जिस कारण ऐसा प्रतीत होता है कि टीडीएस काटे जाने से सम्बंधित प्रमाण पत्र सम्बंधित पक्ष को प्रदान नहीं किया गया है। अतः प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने का साक्ष्य आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उक्त के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विकल कुमार लेखाकार श्री दिनेश पाल सिंह व श्री अजय कुमार भारद्वाज से मय ब्याज सहित वसूली कार्यवाही की जानी अपेक्षित करना है। (आपति संख्या-18)

प्रस्तर 16- आलोच्य वर्ष की जाँच में पाया गया कि निविदा प्रपत्र बिक्री से रु० 153600 नक्ट प्राप्त किया गया किन्तु नियमानुसार उक्त धनराशि का लेखांकन रोकड बही में नहीं किया गया जिस कारण अंकन रुपये 153600 का अस्थायी अपहरण उक्त तिथि तक रहा जब तक उक्त धनराशि को राजकोषागार में जमा नहीं करवा दिया गया। उक्त लापरवाही एवं अस्थायी अपहरण के लिए संस्था के प्रबंधक विकास खंड अधिकारी श्री विकल कुमार एवं लेखाकार श्री अजय कुमार भारद्वाज उत्तरदायी रहे। से मय ब्याज सहित वसूली कार्यवाही की जानी अपेक्षित करना है। (आपति संख्या-21)

प्रस्तर 17 - आलोच्य वर्ष की जांच में पाया गया कि जी एस टी एवं टी डी एस मद में रु० 645384 व्यय दिखाए गए जबकि रु० 123274 वर्षात में अवशेष रहे। स्पष्ट है कि रु० 123274 राजकोषागार में जमा नहीं करके राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाई गयी। उक्त लापरवाही के लिए संस्था के प्रबंधक विकास खंड अधिकारी श्री विकल कुमार एवं लेखाकार श्री अजय कुमार भारद्वाज उत्तरदायी रहे। से मय ब्याज सहित वसूली कार्यवाही की जानी अपेक्षित करना है।

(आपति संख्या-27)

प्रस्तर 18- आलोच्य वर्ष की जाँच में पाया गया कि गैस मद में रुपए 192165 प्राप्त हुए किन्तु राजकोषागार में जमा नहीं करके राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाई गयी। उक्त लापरवाही के लिए संस्था के प्रबंधक विकास खंड अधिकारी श्री विकल कुमार एवं लेखाकार श्री अजय कुमार भारद्वाज उत्तरदायी रहे। से मय ब्याज सहित वसूली कार्यवाही की जानी अपेक्षित करना है।

(आपत्ति संख्या-28)

क्षेत्र पंचायत का नाम हसायन , जनपद का नाम हाथरस

प्रस्तर 19 - वितीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कराये गये कार्यों के अनिम भुगतान से पूर्व विभानीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली- 1984 के नियम 30 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि के 5 लाख से अधिक किन्तु रु 10 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अनिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रु. 10 लाख से अधिक लामत के सभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिचाई) द्वारा भी निक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यों का अन्तिन भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वितीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तगर्त करावे गये कार्यों में रु. 5 लाख से अधिक परन्तु रु. 10 लाख से कम लागत के 10 कार्य कराये गये जिन पर रू. 7821766-00 की लागत रही एवं रु० 10 लाख से अधिक के 2 कार्य जिसकी लागत रू0 2419178-00 रही। इस प्रकार वर्ष 2011-12 से 2012-13 तक कुल 12 कार्यों का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है। जिसकी कुल लागत रू. 10240944-00-00 है। उका कार्यों के अन्तिम भुगतानों की बहुत छोटी धनराशि रही। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन अवर अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री देवराज शुक्ल , श्री मुरारी लाल गौतम , श्री कालीचरन दोषी एवं उत्तरदायी है। इनके प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है

क्रमांक	कार्य का विवरण	कुल लागत	योजना
	वर्ष 2011-12 में पांच लाख से अधिक के कार्य:-		
1	ग्राम महमूदपुर (समदपुर) में बाईपास सन्तोष के घर से चन्द्रपाल के घर तक मिट्टी खडण्जा कार्य	867490	राज्य वित्त
2.	सि० राऊ जालेसर रोड से ग्राम समामई में भूदेव के घर तक	906365	राज्य वित्त

	सी०सी० रोड		
3.	सि० राऊ जालेसर रोड से ग्राम समागाई में भूदेव के घर से प्रा० पा० तक नाली/पुलिया/एगरीटेनिग कार्य	799583	राज्य वित्त
4.	सि० राऊ जालेसर रोड से ग्राम बरसानई में भूदेव जाटव के मकान से प्रा० पा०तक सी०सी० एवं एजिग निमार्ण कार्य	549744	राज्य वित्त
	क-वर्ष 2011-12 का योग	3123182	
2012-13 में पांच लाख से अधिक के कार्य			
1.	ग्राम नगला मधुकर में सतेन्द्र के घर से मुन्ने खां के घर तक होते हुए परिकमा मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	934117	राज्य वित्त
2.	ग्राम चमरौली में दिनेश के घर से दामोदर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य एवं नाली निर्माण ख-वर्ष 2012-13 का योग	1159946	राज्य वित्त
	ख-वर्ष 2012-13 का योग	2094063	
वर्ष 2013-14 में रु. 5 लाख व रु. 10 लाख से अधिक के कार्य			
1.	बरसामई में सिशुपाल के घर से स्कूल तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	1259232	राज्य वित्त
2.	असदपुर में रमेश के घर से बाइपास रोड तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	668347	राज्य वित्त
3.	चन्दनपुर में जूनियर हाई स्कूल से सलीम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	778192	तेरहवा वित्त
	चनदनपुर में पोरा मार्ग से सलीम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	571955	तेरहवा वित्त
	बनवारीपुर में नरसिंह भगवान मन्दिर से राजबाहा तक नाली निर्माण	875578	तेरहवा वित्त
	बरसामई में स्कूल से योगेश के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य	870395	तेरहवा वित्त
	(ग) योग	5023699	
	सम्पूर्ण योग (क+ख+ग)	10240944	

(आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर 20 - वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यों की जांच में प्रमाश में आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एव जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33(2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों

के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 21-01-05 व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या -4/866/33-2-14-93जी/2004 दिनांक 24-06-2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कसये गये जबकि अधिनियम की धारा-33 (2) व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र कमशः ग्राम सडको, अनर्तग्रामित सडकों व जिला सड़को के रूप में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाएं बनी है। अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य वित्त से 4 कार्य, वर्ष 2012-13 में 2 कार्य राज्य वित्त एवं 3 कार्य तेरहवा वित्त से एवं वर्ष 2013-14 में 9 कार्य सज्य वित्त से एवं 2 कार्य तेरहवां वित्त से कुल 20 कार्य कराये गये जिन पर कुल रु० 12567618-00 का व्यय हुआ जो अनियमित रहा ।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्यों की कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती ओमवती एवं खण्ड विकास श्री देवराज शुक्ल, श्री मुरारी लाल गौतम, श्री कालीचरन अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। उक्त के नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	योजना	कराये गये कार्य का विवरण	धनराशि
2011-12	राज्य वित्त	1- ग्राम महमूदपुर (समदपुर) में बाईपास सन्तोष के घर से चन्द्रपाल के घर तक मिट्टी खडण्जा कार्य	867490-00
	राज्य वित्त	2-सि० राऊ जालेसर रोड से ग्राम समामई में भूदेव के घर तक सी०सी० रोड	906365-00
	राज्य वित्त	3-सि० राऊ जालेसर रोड से ग्राम समामई में भूदेव के घर से प्रा० पा० तक नाली/पुलिया/एगरीटेनिग कार्य	799583-00
	राज्य वित्त	4-सि० राऊ जालेसर रोड से ग्राम बरसामई में भूदेव जाटव के मकान से प्रा० पा०तक सी०सी० एवं एजिंग निमार्ण कार्य	549744-00
2012-13	राज्य वित्त	1- ग्राम नगला मधुकर में सतेन्द्र के घर से मुन्ने खां के घर तक होते हुए परिक्रमा मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	934117-00
	राज्य वित्त	2-ग्राम चमरौली में दिनेश के घर से दामोदर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य एवं नाली निर्माण	1159946-00
	तेरहवा वित्त	1-चन्दनपुर में जूनियर हाई स्कूल से सलीम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	778192-00
	तेरहवा वित्त	2-चनदनपुर में पोरा मार्ग से सलीम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	571955-00

	तेरहवा वित्त	3-नगला मधुकर में सतेन्द्र के घर से मुन्ने खा के घर तक नाली निर्माण	188542-00
2013-14	तेरहवा वित्त	1-बनवारीपुर में नरसिंह भगवान मन्दिर से राजबाहा तक नाली निर्माण	875578-00
	तेरहवा वित्त	2-बरसामई में स्कूल से योगेश के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य	870395-00
	राज्य वित्त	1-भुर्रका में नेत्रपाल के घर से भूपसिंह के घर तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	375650-00
	राज्य वित्त	2-बरसामई में शिशुपाल के घर से स्कूल तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	1259232-00
	राज्य वित्त	3-नगला कुटौरा (पोरा) में महावीर के घर से नाले तक नाली निर्माण	249093-00
	राज्य वित्त	4-असदपुर में रमेश के घर से बाईपास रोड तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	668347-00
	राज्य वित्त	5-गूजरपुर में मून के घर से राकेश के घर के घर तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	213889-00
	राज्य वित्त	6-असदपुर में इन्द्रपाल के घर से निवाजी के घर तक नाली/ इण्टरलाकिंग कार्य	367419-00
	राज्य वित्त	7-फुलरई में गणपत के घर से राकेश के घर तक नाली/ इण्टरलाकिंग	398267-00
	राज्य वित्त	8-नगला कटौरा (पोरा) में सुरेश के घर से रामनाथ के घर तक नाली निर्माण	154667-00
	राज्य वित्त	9-बरसामई में इण्टलाकिंग नाली के बीच में ईटो की सोल्डिग कार्य	381177-00
		वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक का योग	12567618-00

(आपत्ति सख्या-04)

प्रस्तर 21-वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त से कुल 2 कार्य कराये गये जिनपर रू0 2094063-00 एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल 17 कार्य कराये गये जिन पर कुल २० 9006358-00 व्यय किया गया इस प्रकार वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक कुल रु० 11100421-00 का व्यय हुआ जिस पर ओत से 2 प्रतिशत की दर से आयकर रूः 222008 00 एवं श्रोत पर व्यापार कर 4 45 की दर से रू0 493969-00 की कटौती की जानी चाहिए जिसे न कर राजकीय राजस्य को हानि पहुंचाते हुए सम्बन्धित ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया जिस हेतु तत्कालीन लेखाकार एक खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। अतः आयकर * 222008-00 व्यापार कर रू0 493969-00 कुल रु० 715977-00 की वसूली मय ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार श्री डालचंद , श्री वी0 के0 सिंह , श्री वीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री देवराज शुक्ल, श्री मुरारी लाल गौतम, श्री कालीचरन से किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर 22 - वित्तीय वर्ष 2011-12 में कराये गये 4 निर्माण कार्यों में कुल व्यय नियमानुसार ओत पर आयकर एवं ब्यापाकर कर की कटौती कम की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

कराये गये कार्य का नाम	कुल व्यय जो हुआ	कटौती जो की जानी चाहिए		कटौती जो की गई		अन्तर	
		आयकर 2 प्रतिशत	व्यापार कर 4-45 प्रतिशत	आयकर 2 प्रतिशत	व्यापार कर 4-45 प्रतिशत	आयकर 2 प्रतिशत	व्यापार कर 4-45 प्रतिशत
ग्राम महमूदपुर (रामदपुर) में 867490-00 बाईपास सन्तोष के घर से चन्द्रपाल के घर तक मिट्टी खडब्जा कार्य	867490	17350	38603	14355	25634	2995	12969
सि० राऊ जालेसर रोड से ग्राम समामई में भूदेव के घर तक सी०सी० रोड	906365	18127	40333	16048	28657	2079	11676
सि० राऊ जालेसर रोड से ग्राम समामई में भूदेव के घर से प्रा० पा0 तक नाली नाली/पुलिया / एगरीटनिग कार्य	799583	15992	35581	15222	27182	770	8399
सि० राऊ जालेसर रोड से ग्राम बरसामई में भूदेव जाटव के मकान से प्रा० पा०तक सी०सी० एवं एजिंग निमार्ण कार्य	549744	10995	24464	11038	19710	-	4754
योग							
						5844	37798

उक्त विवरणानुसार श्रोत पर आयकर कटौती रू0 5844-00 एवं व्यापान कर कटौती रू0 37798-00 कुल रू० 43642-00 की कम कटौती कर सम्बन्धित ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया एवं राजकीय राजस्व की हानि पहुंचाई गई । उक्त कुल धनराशि को सम्बन्धित ठेकेदारो से वसूल कर राजकीय राजस्व के सम्बन्धित हेड में जमा किया जाना अपेक्षित रहा। उक्त कम जमा धनराशि को जमा करने पर यदि सम्बन्धित विभाग द्वारा को दण्ड निर्धारित किया जाना है तो उसकी वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित रहा। यदि उक्त धनराशि ठेकेदारों से वसूल नही हो पाने की स्थिति में उसकी वसूली तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी से करते हुए सम्बन्धित विभाग को जमा कराया जाना चाहिए आयकर / व्यापार कर विभाग यदि विलम्भ से जमा किये जाने के सम्बन्ध मे को अर्थ दण्ड लगाता है तो ऐसी स्थिति में उस धनराशि की वसूली मय ब्याज सहित तत्कालीन लेखाकार श्री डालचंद, श्री वी0 के0 सिंह , श्री वीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री देवराज शुक्ल, श्री मुरारी लाल गौतम, श्री कालीचरन से किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-06)

क्षेत्र पंचायत का नाम हसायन ,जनपद का नाम हाथरस वर्ष 2014-15 2016-17

प्रस्तर 23 - वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-173 तक कराये गये कार्यों के अन्तिम भुगतान से पूर्व विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 39 में दी गई व्यवस्था से स्पष्ट है कि रु 5 लाख से अधिक किन्तु रु. 10 लाख से कम की लागत के सभी कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (विनियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा रू. 10 लाख से अधिक लागत के तभी निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व उक्त परिक्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा निरिक्षण किये जाने के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता (अल्प सिंचाई) द्वारा भी निरक्षण किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नियमावली 1984 में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। व्यवस्था में दिये गये उक्त अभियन्ताओं से निरीक्षण कराये बिना ही निर्माण कार्यों का अन्तिम भुगतान कर दिया गया। जो नियामावली की निर्धारित शर्तों की पूर्णताः उल्लंघन है। उससे कराये गये कार्यों के अधोमानक स्तर का होना संभावित है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में रु. 5 लाख से अधिक परन्तु रु. 10 लाख से कम लागत के 03 कार्य कराये गये जिन पर रू. 2143018-00 की लागत रही एवं रू0 10 लाख से अधिक के 4 कार्य जिसकी लागत रू0 5176509-00 रही। इस प्रकार वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कुल 07 कार्यों का नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन है। जिसकी कुल लागत रू. 7319527-00 है। उक्त कार्यों के अन्तिम भुगतानों की बहुत छोटी धनराशि रही। यह एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री बी०के० सिंह व श्री वीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सन्त सिंह सिरोही, श्री महेश चन्द पचोरी, श्री धर्मजीत सिंह व श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव दोषी एवं उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। विवरण निम्न प्रकार है।

कमांक	कार्य का विवरण	कुल लागत	योजना
	वर्ष 2014-15 में पांच लाख से अधिक व 10 लाख से अधिक के कार्य:-		
1.	भैकुरी में नत्थू के घर से धर्मेन्द्र के घर तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	882981-00	राज्य वित्त
2.	मोहनपुर में मुकेश के घर से भयामल के घर तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	715833-00	राज्य वित्त
3.	ग्राम पोरा में पुलिया से सिब्बू के घर तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	1556536-00	राज्य वित्त
	क-वर्ष 2014-15 का योग	3155350-00	राज्य वित्त
	2016-17 में रु. 5 लाख व रु. 10 लाख से अधिक के कार्य		
1.	बनवारीपुर में अर्जुन प्रधान के घर से रामदास के घर तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	544204-00	चतुर्थ राज्य वित्त
2.	सिकटरा में मेन रोड से सेंगर के घर तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	1050474-00	

3.	नगला बरी पट्टी देवरी में सरकारी स्कूल से मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	1054859-00	चतुर्थ राज्य वित्त
4.	ग्राम नगरिया से रसूलपुर मार्ग के ऊसर तक इण्टरलाकिंग कार्य	1514640-00	चतुर्थ राज्य वित्त
	ख-वर्ष 2016-17 का योगः-	4164177-00	
	सम्पूर्ण योग (क+ख)	7319527-00	

(आपत्ति संख्या- 03)

प्रस्तर 24 - वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यों की जांच में पुकारा प्रमाश में आया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय-3 की धारा 33 (2) में निर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण कर एवं शासनादेश संख्या 8307/33-2-2004-93 जी/2004 दिनांक 21-01-05 व पंचायतीराज के पंत्रांक संख्या 4/866/33-2-14-93जी/2004 दिनांक 24-06-2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत ग्राम पंचायतों के अन्दर निर्माण कार्य कराये गये जबकि अधिनियम की धारा-33 (2) व शासनादेश में दिये गये निर्देशों से स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र क्रमशः ग्राम सडको, अनर्तग्रामित सडकों व जिला सडको के रूप में वर्गीकृत है। वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का प्रयोग उन्ही उददेश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिन उददेश्यों के लिए उन्हे प्रदान किया गया हो। पंचायतीराज संस्था द्वार क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निर्धारण किये गये मार्ग दर्शन सिधान्त का अतिक्रमण किया गया जिस कारण अनियमित भ्रष्टाचार एवं डब्लीकेसी की पूर्ण सम्भावनाए बनी है। अतः पंचायतीराज संस्थाओ के निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त से 11 एवं तेरहवा वित्त से 11 कार्य, वर्ष 2015-16 में 4 कार्य चतुर्थ राज्य वित्त कुल 26 कार्य कराये गये जिन पर कुल रू0 11789048-00 का व्यय हुआ जो अनियमित रहा।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्यों की कार्य योजना का प्रस्ताव, उस पर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्णतः त्रुटिपूर्ण रही। उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती ओमवती व श्रीमती स्वेता सुमंत किशोर एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सन्त सिंह सिरोही , श्री महेश चन्द पचोरी , श्री धर्मजीत सिंह व श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव दोषी एवं उत्तरदायी हैं। उक्त पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। ग्राम पंचायत के अन्दर काराये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	योजना	कार्य का विवरण	धनराशि
2014-15	राज्य वित्त	1- कमालपुर में डाबर रोड से खडण्जा तक इण्टरलाकिंग कार्य	264068
	राज्य वित्त	2-भैकुरी में नत्थू के घर से धर्मेन्द्र के घर तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	882981

	राज्य वित्त	3-मोहनपुर में मुकेश के घर से भयामल के घर तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	715833
	राज्य वित्त	4-नगला कुटैरा में रामदयाल के घर से प्रेमपाल के घर तक नाली निर्माण कार्य	292509
	राज्य वित्त	5-खेडिया कलां में राजबहादुर के घर से मेन रास्ते तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	337930
	राज्य वित्त	6-ग्राम बझेडा में असलमा के घर से मेन रोड तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	221056
	राज्य वित्त	7 बरामई में नत्थू के घर से अजब सिंह के घर तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	162199
		8 बरामई में जगदीश के घर से बिजली के खम्भे तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	168836
		9 भटपुर में होरी लाल के कुआ से कमल सिंह के कुआ तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	446235
		10 नरई में राम सिंह के घर से पुरुषोत्तम पंडित के घर तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	128553
		11-बरामई में विजेन्द्र के घर से देवी राम के घर तक के घर तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	137040
	तेरहवां वित्त	12-खेडा सुल्तानपुर से सुनील के घर से मेन रोड तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	234716
	तेरहवां वित्त	13-खेडा सुल्तानपुर में सुखवीर के घर से सुनील तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	331939
	तेरहवां वित्त	14-ग्राम नगला बिहारी में नाले पर पुलिया निर्माण	303468
	तेरहवां वित्त	15-गिरधरपुर में मंदिर से लाल सिंह तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	288312
	तेरहवां वित्त	16-गोपालपुर में रामवीर के घर से कल्याण सिंह के घर तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	268423
	तेरहवां वित्त	17-फुलरई मन्दिर से मेनरोड तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	94462
	तेरहवां वित्त	18-फुलरई मंन्दिर से रामसिंह के घर तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	85107
	तेरहवां वित्त	19-गिरधरपुर में मनीराम के घर से मन्दिर तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	49032
	तेरहवां वित्त	20 नीजर में हाकिम सिंह फौजी के घर से डाबररोड तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	439512
	तेरहवां वित्त	21-ग्राम पोरा में पुलिया से सिब्बू के घर तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	1556536
	तेरहवां	22-हैथारघुनाथपुर में स्कूल से लाला राम के घर तक नाली /	384401

	वित्त	इण्टरलाकिंग कार्य	
		क-वर्ष 2014-15 का योग	8781312
2016-17	चतुर्थरा० वित्त	1- सिकटरा में मेन रोड से सेंगर के घर तक नाली / इण्टरलाकिग कार्य	1050474
	चतुर्थरा० वित्त	2-नगला डेडा में यतेन्द्र सिंह के घर से बच्चन बाबू के घर तक नाली / इण्टरलाकिग कार्य	358199
	चतुर्थरा० वित्त	3-बनवारीपुर में अर्जुन प्रधार के घर से रामदास के घर के घर तक नाली / इण्टरलाकिंग कार्य	544204
	चतुर्थरा० वित्त	4-नगला बरी पटटी देवरी में सरकारी स्कूल से मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	1054859
		ख- वर्ष 2016-17 का योग	3007736
		वर्ष 2014-15 व 2016-17 तक का योग	11789048

(आपत्ति संख्या - 04)

प्रस्तर 25- वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 11 कार्य राज्य वित्त से एवं 11 कार्य तेरहवा वित्त से व वर्ष 2016-17 में 6 कार्य चतुर्थ राज्य वित्त से कराये गये जिन पर कुल रू0 13345961-00 का भुगतान किया गया। जिस पर श्रोत से 2 प्रतिशत की दर से आयकर रू0 266919-00 एवं श्रोत पर व्यापार कर 4-45 की दर से रू0 593895-00 की कटौती की जानी चाहिए जिसे न कर राजकीय राजस्व को हानि पहुंचाते हुए सम्बन्धित ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया जिस हेतु तत्कालीन लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी है। अतः आयकर रू 266919-00 व्यापार कर रू0 593895-00 कुल रू0 860814-00 की वसूली मय ब्याज के तत्कालीन लेखाकार श्री बी०के० सिंह व श्री वीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सन्त सिंह सिरोही , श्री महेश चन्द पचोरी , श्री धर्मजीत सिंह व श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या - 05)

क्षेत्र पंचायत का नाम सादाबाद , जनपद का नाम हाथरस वर्ष 2021-22

प्रस्तर 26 - शासनादेश संख्या 1381/33-3-2015-00/2005, दिनांक 31 जुलाई 2013. पंचायती राज अनुभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया तीनो स्तर की पंचायतें सब्सीडयरी के सिद्धांत के आधार पर कार्यों का चयन करें अर्थात जो कार्य जीचे स्तर पर पंचाय दवारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है, वह उसी स्तर पर कराया जाये और उपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाए। (**प्रस्तर-**2

इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अधोलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है।

(1)ग्राम पंचायत को जो धनराशि / अनुदान निर्माण कार्यों के लिए दी जाती है, उससे उसी ग्राम पंचायत के अन्दर का सम्पन्न कराये जायें।

क्षेत्र पंचायत को जी धनराशि / अनुदान विभिन्न सदी में प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जाये

(3) जिला पंचायत प्राप्त विभिन्न अनुदानों में से एक से अधिक ग्राम पंचायत को लाभान्वित करने बाले कार्यो को सम्पादित कराएगी।

उपरोक्त पत्र के पैरा 6 में कहा गया है कि क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50% तक व्यय यथा आवश्यकता क्षेत्र पंचायत को स्वयं की एवं उन्हें हस्तांतरित संपत्तियों यथा स्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पशु चिकित्सालय कृषि रक्षा केंद्र बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य किया जाए शेष 50% धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायत को अच्छादित करने व पूर्व में हुए विकास कार्य से अर्जित संपत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नए निर्माण कार्यों पर किया जाना क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने की पश्चात कराई जाने वाले कार्य का प्राक्कलन कर अनुमोदन एवं कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाएगा।

आलोच्य वर्ष में कराये गये समस्त कार्यो में उपरोक्त शासनादेश की अवहेलना की गई है. जो इस प्रकार है।

1-क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि/ अनुदान विभिन्न मदो में प्राप्त हुवी है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य करने के बजाय एक गाव के अंदर ही कार्य कराये गये हैं।

2- क्षेत्र पंचायत को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50% तक व्यय यथा आवश्यकता क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन हस्तांतरित संपत्तियां तथा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पशु चिकित्सालय कृषि रक्षा केंद्र बीच विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रखरखाव हुए अवश्य किया जाए तुरंत इस आशय का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके की 50% व्यय इन कार्यों हेतु किया गया हो।

3- शेष 50% धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों की आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों से अर्जित संपत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नए निर्माण कार्यों पर न करके गांव के अंदर कार्य करने में किया गया है।

उपरोक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए निम्न कार्य कराए गए एवं उसके सापेक्ष निम्न भुगतान किये गये।

क्र0	कार्य का नाम	व्यय (रुपये में)
1.	ग्राम पंचायत बिमावर के नगला क्षति में अमर सिंह के घर से पोखर तक बड़ी नाली निर्माण	433595-00
2.	ग्राम पंचायत बिशावर के नगला छती में बिन्नू के घर से पोखर तक नाली निर्माण	500000-00
3.	ग्राम पंचायत विशाबर के नगला छाती में जल सिंह के प्लांट से ट्रासफार्मर तक नाली निमोण	494486-00
4.	ग्राम पंचायत पुसेनी में भूरेलाल प्रधान के घर से स्कूल तक नाली निर्माण	445007-00
5.	ग्राम पंचायत नसीरपुर में तनु राज के घर से कौशलेन्द्र तक नाली निर्माण	390740-00
6.	ग्राम पंचायत नसीरपुर में बेबी सिंह के घर से पोखर तक नाली निर्माण	151751-00
7.	ग्राम पंचायत जारऊ में आशापुरा माता मार्ग में सुरेश के घर से पोखर तक नाली निर्माण	988138-00
8.	ग्राम पंचायत सुसाइन में देवेन्द्र के घर से डाक्टर केशव के घर तक नाला निर्माण कार्य	992292-00
9.	ग्राम पंचायत छावा में महेश के घर से जयपाल सिंह के घर तक नाली निर्माण कार्य	979577-00
10.	ग्राम पंचायत कजरोठी में राया रोड से पोखर तक नाली निर्माण	964067-00

11.	पंचायत कजरोठी में विजय सिंह के घर से पोखर तक नाली निर्माण	990624-00
12.	ग्राम पंचायत तसिंगा में शिव मंदिर से चिलखोरी पोखर तक नाली निर्माण	919501-00
13.	ग्राम पंचायत विसावर के नगला शेखा में पेयजल हेतु टंकी व् सवमशिबल की स्थापना	164893-00
14.	ग्राम पंचायत विसावर के नगला छाती में टंकी व सबमर्सिबाल की स्थापना	165205-00
15.	ग्राम पंचायत बिसावर के ग्राम विसावर में टंकी व सबमर्सिबल की स्थापना	179946-00
16.	ग्राम पंचायत सिस्ता में टंकी और सबमर्सिबल की स्थापना	179976-00
17.	ग्राम पंचायत बरामई में टंकी व सबमर्सिबल की स्थापना	162382-00
18.	ग्राम पंचायत मई में टंकी व सबमर्सिबल की स्थापना	180366-00
19.	ग्राम पंचायत मिढ़ावली में टंकी व सबमर्सिबल की स्थापना	176165-00
20.	ग्राम पंचायत बरोस के नगला कंचन में टंकी व सवगर्सिबल की स्थापना	169081-00
21.	ग्राम पंचायत बराँस के हरिकेश में पेयजल हेतु टंकी व सबमर्सिबल की स्थापना	174088-00
22.	ग्राम पंचायत नगला कली में टंकी व सबमर्सिबल की स्थापना	173452-00
23	ग्राम पंचायत जारऊ के गढ़ी जेमल में टंकी व सबमर्सिबल की स्थापना	167779-00
24.	ग्राम पंचायत पुसेनी में टंकी व सबमर्सिबल की स्थापना	161623-00
25.	ग्राम पंचायत कन्जोली के नगरिया में पेयजल हेतु टंकी व सबमर्सिबल की स्थापना	एन.ए.
26.	ग्राम पंचायत विलारा में पेयजल हेतु टंकी व सबमर्सिबल की स्थापना	167011-00
27.	विकास खंड परिसर में मंच व टीन शेड का निर्माण कार्य	एन.ए.
28.	विकास खंड परिसर में बलॉक प्रमुख कक्ष के शौचालय का जीर्णी धार	77169-00
29.	ग्राम पंचायत नौगांव के नगला नंदू में में रोड से मनोज के घर तक नाली व इन्तार्लोकिंग कार्य	414280-00
30.	ग्राम पंचायत नौगांव के नगला कला में भूरी सिंह के घर से बनी सिंह के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	750434-00
31.	पंचायत पंचावरी में सोहन सिंह के घर से बाबूलाल के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	936677-00
32.	ग्राम पंचायत मई में पहलाद सिंह के घर से कब्रिस्तान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	977692-00
33.	ग्राम पंचायत जारऊ में बीरेंद्र के घर में दुर्गेश ओझा के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	549894-00
34.	ग्राम पंचायत बिशावर में सतीश के घर से शंकर लाल के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	437103-00
35.	ग्राम पंचायत सुसाइन में सुखराम के घर से रविंद्र के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	724857-00
36.	ग्राम पंचायत भुर्रका में बाबूलाल के घर से पोखर तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	994532-00
37.	ग्राम पंचायत सरोठ में धर्मवीर के घर से शमशान घाट तक नाली इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	985456-00
38.	ग्राम पंचायत बिसावर के नगला छाती में रसाल सिंह के घर से मुरारी लाल के घर	991888-00

	तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	
39.	ग्राम पंचायत बिलारा में राजवीर सिंह के मकान से उन्ना के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	714882-00
40.	ग्राम पंचायत कुरसंडा में रीतराम के मकान से माता मंदिर तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	319887-00
41.	ग्राम पंचायत कंजोली में गौशाला निर्माण	904205-00
42.	ग्राम पंचागत नोगाव से प्रेमपाल के खेत से स्कूल तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	991651-00
43.	ग्राम पंचायत जारऊ में रमेश शर्मा के घर से छोटे लाल रमन के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	994706-00
44.	ग्राम पंचायत जारऊ में कृष्णवीर के खेत से सतपाल के खेत तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	909211-00
45.	ग्राम पंचायत अरोठा में लाखन सिंह फौजदार के मकान से जालिम सिंह के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	n.a.
46.	ग्राम पंचायत करसोरा में विजयपाल के घर से करसोरा मार्ग तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	903404-00
47.	ग्राम पंचायत सरोठ में मास्टर कालीचरण के घर से ओमप्रकाश के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	682175-00
48.	ग्राम पंचायत मडनई में पहलाद के घर में वीरपाल के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	987076-00
49.	ग्राम पंचायत जैतई में मुख्य सड़क से नालादा इंटर कॉलेज तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	535905-00
50.	ग्राम पंचायत सरौठ में विनोद मास्टर के घर से रणवीर के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	468158-00
	योग	26722987-00

अतः आलोच्य वर्ष में शासनादेश का उल्लंघन कर रुपया 26722987.00 व्यय विकल्या गया। उपरोक्त धनराशि का आधा-आधा तारीख मय ब्याज सहित तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख डा० रीना चौधरी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती गरिमा खरे एवं श्री अशोक कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है साथ ही वितीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार करवाई किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या - 01)

प्रस्तर 27- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत पुसैनी में भूरेलाल प्रधान के मकान से स्कूल बबा तक नाली निर्माण में रुपया 4450007.00 व्यय किया गया लेखा परीक्षा में इसकी कोई एमबी प्रस्तुत नहीं की गई बिना एमबी के फर्जी भुगतान कर धन का अपहरण कर लिया गया।

ग्राम पंचायत नगला कली में पट्टी शक्ति सोरई में टंकी व सबमर्सिबल की स्थापना हेतु रुपया 154868.00 भुगतान किया गया इसकी भी कोई एमबी प्रस्तुत नहीं की गई अतः बिना एमबी के फर्जी भुगतान कर धन का अपहरण कर लिया गया।

इसके लिए तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख एवं तत्कालीन खंड विकास अधिकारी उत्तरदाई है। उपरोक्त कुल धनराशि 599875.00 का आधा-आधा मय ब्याज सहित तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख डा० रीना चौधरी तत्कालीन खंत विकास अधिकारी श्रीमती गरिमा खरे एवं श्री अशोक कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या - 02)

प्रस्तर 28- वित्त पथ 2016 आहरण वितरण अधिकारी के कर्तव्य पंचम दायित्व के उपबंध के बिंदु 11 के अनुसार और आयकर अधिनियम 1961 (यथा संसोधित) की धारा 194 C के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों वर्क कॉन्ट्रेक्ट अथवा किसी काम के लिए श्रम की पूर्ति के प्रतिफल में किये गए भुगतानौ के सम्बन्ध में सोत्र पर आयकर की कटौती भुगतान की धनराशि पर 2% की दर से की जाएगी. किसी एक बिल की धनराशि 30 हजार या इससे अधिक होने पर यह कटौती की आएगी किन्तु प्रत्येक बार धनराशि 30 हजार से कम होने पर यह देखना आवश्यक होगा कि किस बिंदु पर उस पार्म को भुगतान की कुल धनराशि 75 हजार से ऊपर हो जाएगी ठीक उसी समय बिल से भुगतान किये गए समस्त धनराशि से 2% की कटौती सुनिश्चित की जाएगी. आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयांतर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखाशीर्ष 21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे. ऐसा किये जाने में विफल रहने पर आहरण वितरण अधिकारी पर न काटे गए आयकर की धनराशि के बराबर अर्थदंड /पेनाल्टी लगाये जाने का प्रावधान है. कर काटने वाला के दद्वारा काटी गयी कर-राशि को विलम्ब से जमा करने की दशा में 15% साधारण ब्याज की दर से धनराशि जमा करने की तिथि तक अर्थदंड लगाया जा सकता है. कर काट कर राजकोष में जमा न करने की दशा में कम से कम तीन माह के कठोर कारावास जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है के साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

आयकर अधिनियम की धारा 200 के अनुसार प्रत्येक कर काटने वाले व्यक्ति को स्रोत पर काटी गई कर की राशि को नियम 30 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कोष में निर्धारित समय अवधि के अन्दर जमा कराना होता है। परन्तु यदि कोई कर काटने वाला व्यक्ति सोल पर कर नहीं काटता है अथवा काटकर निर्धारित समय के अन्दर सरकारी खजाने में जमा कराने में असमर्थ रहता है तो उस व्यक्ति को चूक करदाता (ऐसीसी इन डिफाल्ट) माना जाएगा तथा धारा 201 के अन्तर्गत उस के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति जो स्रोत पर कर काटने के लिए दायी है, कर की पूरी राशि अथवा कोई भाग नहीं काटता है तो उस पर न काटे गए कर की राशि के बराबर अर्थदण्ड (पेनल्टी) लगाई जा सकती है। कर काटने वाला व्यक्ति काटी गई कर की राशि को विलम्ब से जमा कराने की दशा में 15 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज का दायी होगा। यह ब्याज कर काटने की तिथि से सरकारी खजाने में जमा कराने की तिथि तक लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्रोत पर कर काटकर केन्द्रीय सरकार कोष में जमा नहीं कराता है तो उसे कम से कम 3 माह का कठोर कारावास (रिगरअस इमप्रिजनमेन्ट), जिसे 7 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है तथा साथ में जुर्माना भी हो सकता है। निम्नलिखित कार्यों पर आयकर न काटकर राजकोष को क्षति पहुंचाई गई है-

क्रम स०	कार्य का नाम	ए०बी० की धनराशि	आईटी टीडीएस
1.	ग्राम पंचायत बिसावर के नगला शेखा में पेयजल हेतु टकी व	147226.00	2945.00

	सबमर्सिबल की स्थापना		
2.	ग्राम पंचायत बिसावर के नगला छाती में टंकी व सबमर्सिबल की स्थापना	147505.00	2950.00
	ग्राम पंचायत बरामई में टंकी व सबमर्सिबल की स्थापना	144983.00	2900.00
	ग्राम पंचायत मई में टंकी व सबमर्सिबल की स्थापना	161041.00	3221.00
	ग्राम पंचायत बरोस के हरिकेश में पेयजल हेतु टंकी व सबमर्सिबल की स्थापना	155436.00	3109.00
	ग्राम पंचायत जारऊ के गढ़ी जयमल में पेयजल हेतु टंकी व सबमर्सिबल की स्थापना	149803.00	2996.00
	योग		21140.00

आलोच्य वर्ष में उपरोक्त कार्यो पर कुल रुपये 21140.00 की आयकर कटौती सुनिश्चित न कर अनियमिताला की सभी है. जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती गरिमा सी एवं श्री अशोक कुमार और लेखाकार श्री जितेन्द्र वर्मा उत्तरदायी है। (आपत्ति संख्या - 03)

प्रस्तर 29 - आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत जारऊ में आशापुरा माता मार्ग में सुरेश के घर से पोखर तक नाली निर्माण कार्य में प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति में 28.8 ब्रिक ब्लास्ट को एमबी से गायब कर दिया और सीसी वर्क जो की 28.53 अनुमानित था इसकी जगह 37.96 सीशी वर्क का कार्य कराया गया जो की अनुमान से 6.5 (दर 4200.00) अधिक था अतः सीसी वर्क पर 27300.00 से अधिक व्यय करके क्षेत्र पंचायत को वितीय हानि पहुंचाई गई जिसकी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई अतः बिना प्रक्षारानिक एवं तकनीकी स्वीकृति के क्रथ की गई अतिरिक्त सामग्री के मूल्य 27300.00 को तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती गरिमा खरे एवं श्री अशोक कुमार तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर रीना चौधरी से आधा-आधा मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। साथ ही अवर अभियंता श्री श्रीकान्त श्री वास्तव के खिलाफ गलत डाकुमेन्ट भरने के लिए विभागीय जाँच किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या - 04)

प्रस्तर 30 - आलोध्य वर्ष में ग्राम पंचायत सुसाइन में देवेंद्र के घर से डॉक्टर केशव के घर तक नाला निर्माण कार्य में प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति में अर्थवर्क 202.73 पन मीटर अनुमानित था परंतु इसकी जगह 250.65 घन मीटर अर्थवर्क कराया गया अर्थात अनुमान से 27.65 घन मीटर (दर 140) अधिक अर्थ वर्क कराया गया जिससे क्षेत्र पंचायत को 3871.00 रुपए की हानि हुई जिसकी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई

प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति में सीसी वर्क 39.5 घन मीटर अनुमानित था इसकी जगह सीसी वर्क 54.67 जो किया गया जो की अनुमान से 11.22 (दर 4200.00) अधिक था जिसकी कीमत 47124.00 है जिसकी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई जिससे क्षेत्र पंचायत को 47124.00 रुपए की हानि हुई।

प्राक्कानन एवं तकनीकी स्वीकृति में एया 150 कुटे 104.15 अनुमानित था परंतु इसके स्थान पर 134.13 13 घन मीटर प्रयुक्त की गई अर्थात अनुमान से 19.55 इंटे(दर 5100.00) अधिक प्रयुक्त की गई जिसवीर बीमार 90705.00 होती है जिसकी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई जिससे क्षेत्र पंचायत को 99705.00 रुपए की हानि हुई।

पीसीसी वर्क प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति में 13.43 घन मीटर अनुमानित या परंतु इसके स्थान पर 21.99 घन मीटर पौसीसी वर्क कराया गया जो की अनुमान से 7.2 प्रतिशत अधिक

है 6600.00 की दर से इसका मूल्य 47652.00 रूपया होला है जिसकी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई जिससे क्षेत्र पंचायत की 47652.00.00 रूपए की हानि हुई।

प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति में 12 एमएम शिका परास्टर 408.10 वर्ग मीटर अनुमानित था परंतु वास्तव में 528 61 वर्ग मीटर प्लास्टर कराया गया जो की अनुमान से 79.7 (दर 175.00) अधिक था जिसका मूल्य 13947.00 रुपया है है जिसकी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई जिससे क्षेत्र पंचायत को 13947.00.00 सपए की हानि हुई।

अतः बिना प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के कब की गई उपरोक्त अतिरिक्त सामग्री अतिरिक्त कार्य के कुल मूल्य 212229.00 को तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर रीना चौधरी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती गरिमा खरे एवं श्री अशोक कुमार से आधा-आधा मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। साथ ही अवर अभियंता श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव के खिलाफ गलत डाकुमेन्ट भरने के लिए विभागीय जाँच किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या - 05)

प्रस्तर 31 - आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत बिलारा में राजवीर सिंह के मक्चन से उन्ना के मकान तक नानी व इन्टरलॉकिंग कार्य में प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति में 80 एमएम इंटरलॉकिंग टाइल्स 365,19 वर्ग मीटर अनुमानित था इसकी जगह 478.28 इंटरलॉकिंग टाइल्स खरीदी गई जो की अनुमान से 76.5(दर 860.00) अधिक था जिसकी प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई थी जिससे क्षेत्र पंचायत को 65790.00 रु की हानि हुई अतः विना प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के कम की गई अतिरिक्त सामग्री के मूल्य के 65790.00 को तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर रीना चौधरी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती गरिमा खरे एवं श्री अशोक कुमार से आधा-आधा मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। साथ ही अवर अभियंता श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव के खिलाफ गलत अकुमेन्ट भरने के लिए विभागीय जाँच किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या - 06

)

क्षेत्र पंचायत का नाम सहपऊ ,जनपद का नाम हाथरस वर्ष 2021-22

प्रस्तर 32 - शासनादेश संख्या 138553-1-2015-0015 दिनांक 31 जुलाई 2015, पंचायती राज अनुभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया ऐकि

(1) लीनी स्तर की पंधागले सब्सीडयरी के सिद्धांत के आधार पर कार्यों का चयन करे अर्थात ओ कार्य नीचे स्तर पर पंचायत बेहतर तरीके से किया जा सकता है, वह उसी स्तर पर कराया जाय और उपर के स्तर पर वह कार्य नकराया जाए।

(**प्रस्तर-**2) इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अधोलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित किया गया हैः-

20 ग्राम पंचायत को जो धनराशि / अनुदान निर्माण कार्यों के लिए दी जाती है, उससे उसी ग्रामपंचायत के अन्दर कार्य सम्पन्न कराये जायें।

क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों में प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रार्मा लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जायें.

जिला पंचायत प्राप्त विभिन्न अनुदानी में से एक से अधिक ग्राम पंचायत को लाभान्वित करने वाले कार्यों में सम्पादित कराएगी।

उपरोक्त पत्र के पैरा में कहा गया है किः क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 30% तक व्यय यथा आवश्यकता क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तांतरित संपत्तियों यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पशु चिकित्सालय कृषि रक्षा केंद्र बीज विपणन गोदाम आदिन्छौ मरम्मत

और रखरखाव पर अवश्य किया जाए शेष 30% धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायती को आच्छादित करने वातै पूर्व में हुए विकास कार्यों से अर्जित संपत्ति यी के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नए निर्माणकार्यों पर किया आएगा क्षेत्र पंचायतों दवारा कराए जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात कराए जाने वाले कार्य का प्राक्कलन कर अनुमोदन एनसाजना का अनुमोडल जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी से प्राप्त करने के मतही किया आएगा।

आलोच्य वर्ष से कराये गये समस्त कार्यों में उमरीकन शासनादेश की आवहेलना की गई है, जो इस प्रकार है

क्षेत्र पंचायत की जो धनराशि / अनुदान विभिन्न सदी में प्राप्त हुयी है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को मानिक करने के लिए कार्य कराने के बजाए एक गांव के अंदर के ही कार्य कराए गये है।

क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का तक व्यथा आवश्यकता क्षेत्र पंचावती को स्वयं की एवं में हस्तांतरित संपतियों यथास्थितिः प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पशु चिकित्सालय कृषि रक्षा केंद्र बीज विपणन क्षम आदि को मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य किया आप परंतु इस आशय का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे तह तरि हो सके की 30 प्रतिशत व्यय इन कामों हेतु किया गया हो। शेष धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आरछादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कायों में अर्जित संपति यों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नए निर्माण कार्यों पर न करके गांव के अंदर कार्य कराने में किया गया है।

उपरोक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए निम्न कार्य कराये गये एवं उसके सापेक्ष निम्न भुगतान किये गये

क्र०	कार्य का नाम	व्यय (रुपये में)
1.	ग्राम उघेना में गौशाला के अंतर्गत टीन शेड का निर्माण	469748-00
2.	ग्राम उधना में गौशाला प्रांगण में भूसा स्टोर का निर्माण	693998.00
3.	ग्राम नगला मोजी में सोनवीर के घर से सोदान के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	529857.00
4.	ग्राम बढ़ार में जयपाल के घर से अवनीकांत के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	440970.00
5.	ग्राम इसोंदा में पप्पू शाह के घर से सुभाष जैन के घर तक नाली व इंटरलॉकिग कार्य	706614.00
6.	ग्राम हसनपुरबारु में मानिकचंद के घर से अतर सिंह के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग कार्य	481765.00
7.	ग्राम रसगवा में मेन रोड से नेकराम के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	610473.00
8.	ग्राम रसीदपुर में अंगद सिंह के घर से मूलचंद के घर तक नाली एवं इंटरलॉकिंग कार्य	576023.00
9.	ग्राम मडापिधू के मजरा नगला रमजू में डाबर सड़क से विवेक नोहरे के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग कार्य	255892.00
10.	ग्राम धाधऊ के नगला मजरा में शिव कुमार के घर से प्रा० वि० तक नाली व इंटरलॉकिंग कार्य	692567-00

11.	ग्राम धाधऊ में मेन रोड़ से गोदाम तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	357814.00
12.	ग्राम लोधई में मुरारी लाल के घर से तालाब तक यू टाइप नाली निर्माण	328813.00
13.	ग्राम समदपुर से केशवदेव के घर से राधेश्याम के के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग कार्य	762575-00
14.	ग्राम उघई में चंद्रपाल के घर से अतर सिंह के घर तक साली व इंटरलॉकिंग कार्य	350132-00
15.	ग्राम सलेमपुर में कुंवरपाल के घर से नेपाल सिंह के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग कार्य	431270.00
16.	ग्राम बढ़ार में रामबीर सिंह के घर से रामभरोसी के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग कार्य	490098.00
17.	ग्राम सलेमपुर में उदयवीर के प्लांट से पोखर तक यू टाइप नाली कार्य	433961.00
18.	ग्राम बढ़ार में जनक सिंह के घर से तालाब तक यू टाइप नाली निर्माण कार्य	55659.00
19.	सहपऊ ब्लॉक के प्रांगण में शहीद स्थल का कायाकल्प कार्य	212178.00
20.	ग्राम कुकरगवा में अनीश पंडित के प्लांट से मरघट तक तक नाली व इंटरलॉकिंग कार्य	692361.00
21.	ग्राम खाँडा के मजरा नगलाबंजारा डाबर रोड से नगला सोवा तक नाली व इंटरलॉकिंग कार्य	204863.00
	योग	9777631.00

अत: आलोच्य वर्ष में शासनादेश का उल्लंघन कर रुपया 9777631.00 व्यय किया गया। उपरोक्त धनराशि का आधा-आधा तारीख मयब्याज सहित तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख श्री चौधरी रामकिशन सिंह तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अरविंद कुमार दुबे, श्री विपिन कुमार शिवहरे, श्री अवधेश कुमार यादव से वसूल किया जाना अपेक्षित है साथ ही वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार करवाई किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

प्रस्तर 33 - वर्ष 2021-22 में केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप रिबोर का कार्य कराया गया जिस पर कुल रुपया 2667514.00 व्यय किया गया हैंडपंप रिबोर पर निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश में आई। महालेखाकार उत्तर प्रदेश प्रयागराज के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक हैंडपंप रिबोर की पृथक पृथक वर्क आईडी जेनरेट कर भुगतान किया जाएगा परतु एक ही वर्क आईडी से भुगतान किया गया है। हैंडपंप रिबोर की पृथक पृथक एस्टीमेट जल निगम के अभियंता दद्वारा होना चाहिए जबकि एकमात्र मॉडल एस्टीमेट प्रस्तुत किया गया है जो कि पूर्णता अनियमित है। पूर्व में किस हैंडपंप के स्थान पर हैंडपप रिबोर का कार्य कराया गया इसका उल्लेख नहीं किया गया जिससे रिबोर होना स्पष्ट नहीं होता। जिस हैंडपंप के स्थान पर रिवोर का कार्य हुआ उससे से निकली हुई निष्प्रयोज्य अथवा स्क्रैप की सामग्री को स्टॉक पंजिका में दर्ज कर विवरण रखा गया था नहीं, स्पष्ट नहीं रहा। अतः उपरोक्त आपतियों के आलोक में हैंडपंप रिबोर पर अनियमित तरीके से व्यय दर्शाकर अनुदान का पूर्णतया दुरुपयोग किया गया एवं अनियमित तरीके से व्यय

किया गया जिसके लिए तत्कालीन ब्यनॉक प्रमुख श्री चौधरी रामकिशन सिंह, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अरविंद कुमार दुबे, श्री विपिन कुमार शिवहरे, श्री अवधेश कुमार यादव, अवर अभियंता श्री चंद्रपाल सिंह एवं लेखाकार श्री पुरुषोत्तम सिंह दोषी एवं उत्तरदाई है।

उपरोक्त नियमों का उल्लघन करते हुए निम्न हैंडपंप रिबोर के कार्य कराये गये एवं उसके सापेक्ष निम्न भुगतान किये गयेः

क्र० सं०	कार्य का नाम	व्यय (रु०)
1.	ग्राम जरीपुरा में माता मंदिर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54207.00
2.	ग्राम मड़ापिथू के नगला ब्राह्मण में चावड़ मंदिर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	53771.00
3.	ग्राम मड़ापिथू के नगला ब्राह्मण में बाल्मीकि बस्ती में हैंडपंप रिबोर कार्य	53554.00
4.	ग्राम समदपुर के महावतपुर में डम्बर सिंह के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	53346,00
5.	ग्राम रसीदपुर में नत्थीलाल के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54207.00
6.	ग्राम सलेमपुर में लटूरी सिंह के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	53366.00
7.	ग्राम नगला मौजी में चावड़ माता मंदिर के सामने हैंडपंप रिबोर कार्य	55057.00
8.	ग्राम आरती में सौदान सिंह के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54845.00
9.	ग्राम बहरदोई में सलीम के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54632.00
10.	ग्राम नगला बेरु में शनिदेव मंदिर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54119.00
11.	ग्राम चमरपुरा में लाखन सिंह के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54845.00
12.	ग्राम मांगरु में कन्हैयालाल के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54409.00
13.	ग्राम शेरपुर में पप्पू पूर्व प्रधान के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	56015.00
14.	ग्राम नगला रमजू में नवीन के प्लांट के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	55366.00
15.	ग्राम परसौरा में दलबीर सिंह पूर्व बीडीसी के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	55366.00
16.	ग्राम परसौरा में छितो सिंह के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54197.00
17.	ग्राम राजनगर में मुरारी लाल बीडीसी के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54197.00
18.	ग्राम हसनपुरबारू में रविद्र सिंह के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54197.00
19.	ग्राम समदपुर में जग्गू बघेल के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	55366.00
20.	ग्राम धनौली में फौजी साकेत के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	55366.00
21.	ग्राम बढ़ार में हनुमान मंदिर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	55366.00
22.	ग्राम सलेमपुर में सुखबीर सिंह के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	55366.00
23.	ग्राम नारायणपुर में गौतम सिंह बीडीसी के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54197.00
24.	ग्राम फतेहुल्लहपुर के नगला मटरू में शहीद के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54197.00
25.	ग्राम मानिकपुर में सुग्रीव सिंह जाटव के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54197.00
26.	ग्राम बहादुरपुर देवकरण में कमल सिंह प्रधान के घर के पास	56015.00
27.	ग्राम उघई में कब्रिस्तान के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	56911.00
28.	ग्राम समदपुर के नगला मुरली में सुनील के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	51541.00
29.	ग्राम दोहई के नगला बेनी में गोपाल के घर के पास हैडपंप रिबोर कार्य	51136.00
30.	ग्राम धाधऊ में शनि देव के मंदिर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	53346.00

31.	ग्राम धाधऊ में खुशहाली बाबा मंदिर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	53554.00
32.	ग्राम धाधऊ के नगला मनी में नाग बाबा मंदिर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	53771.00
33.	ग्राम नगला दली में चावड माता मंदिर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54207.00
34.	ग्राम नगला दली के नगला भाव सिंह में चौक कुआ के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	55366.00
35.	ग्राम उधई में तेज प्रताप के प्लांट के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	56984.00
36.	ग्राम खोडा में गपूर खान के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54197.00
37.	ग्राम खोडा में विवेक कुमार के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	56984.00
38.	ग्राम खोडा में मनोज कुमार फौजी के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54190.00
39.	ग्राम नगला सलेम में चौराहे के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54197.00
40.	ग्राम राजनगर में सुल्तान सिंह के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	55186.00
41.	ग्राम हसनपुरबारु में खेल मैदान के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54208.00
42.	ग्राम बढ़ार में जेपी सदन इंटर कॉलेज में हैंडपंप रिबोर कार्य	53051.00
43.	ग्राम बावली में सत्यपाल सिंह के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54197.00
44.	ग्राम दोहई में माता मंदिर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54101.00
45.	ग्राम रुदायल में जीतू नंबरदार के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	52740.00
46.	ग्राम सुल्तानपुर में सुखबीर सिंह नेता जी के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54845.00
47.	ग्राम महरारा नगला चमन में सोनवीर के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54197.00
48.	ग्राम इसौंदा में मनोज के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54207.00
49.	ग्राम कुकरगवां में डॉक्टर वीरेश चौहान के घर के पास हैंडपंप रिबोर कार्य	54632.00
	योग	2667514-00

अतः उपरोक्त कुल रुपया 2667514.00 की वसूली मय ब्याज सहित आधा-आधा तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख श्री चौधरी रामकिशन सिंह, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अरविंद कुमार दुबे, श्री विपिन कुमार शिवहरे, श्री अवधेश कुमार यादव, अवर अभियंता श्री चंद्रपाल सिंह एवं लेखाकार श्री पुरुषोतम सिंह से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर 34 - आलोच्य वर्ष में ग्राम उपैना में गौशाला के अंतर्गत टीन शेड का निर्माण कार्य में प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति में अर्थवर्क 7.56 घन मीटर अनुमानित था परंतु इसकी जगह 29.29 घन मीटर अर्थवर्क कराया गया अर्थात अनुनान से 20.97 घन मीटर (दर 140) अधिक अर्थ वर्क कराया गया जिससे क्षेत्र पंचायत को 2936.00 रुपए की हानि हुई जिसकी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। (प्राक्कलन और ए.बी. में 10 प्रतिशत विचलन के बाद यह गणना की गई है)

अतः बिना प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के कय की गई अतिरिक्त सामग्री के मूल्य 2936.00 की तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख श्री चौधरी रामकिशन सिंह तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अरविंद कुमार दुबे, श्री विपिन कुमार शिवहरे, श्री अवधेश कुमार यादव से आधा-आधा मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। साथ ही अवर अभियंता श्री चंद्रपाल सिंह के खिलाफ गलत डाकुमेन्ट भरने के लिए विभागीय जाँच किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर 35 - आलोच्य वर्ष में ग्राम उचैना में गौशाला के प्रांगण में भूसा स्टोर का निर्माण कार्य में प्राक्कानन एवं तकनीकी स्वीकृति में 12 एमएम शिक प्लास्टर 315 वर्ग मीटर अनुमानित था परंतु वास्तव में 422 वर्ग मीटर प्लास्टर कराया गया जो की अनुमान से 75.5 (दर 150.00) अधिक प्लास्टर कराया गया जिससे क्षेत्र पंचायत को 11325.00 रुपए की हानि जिसकी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई। (पाक्कलन और एबी में 10 प्रतिशत विचलन के बाद यह गणना की गई है)।

(ब) प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति में स्नोसेम से दीवार को खत्म करना 315 वर्ग मीटर अनुमानित था परंतु इसकी जगह 422.64 वर्ग मीटर स्नोसेम से दीवार को खत्म करना कराया गया अर्थात अनुमान से 76.14 वर्ग मीटर (दर 85) अधिक कराया गया जिससे क्षेत्र पंचायत को 6472.00 रुपए की हानि हुई जिसकी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई। (प्राक्कलन और ए.बी. में 10 प्रतिशत विचलन के बाद यह गणना की गई है)

अतः बिना प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के उपरोक्त कार्य में क्रय की गई अतिरिक्त सामग्री के कुल मूल्य 17797.00 को तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख श्री चौधरी रामकिशन सिंह, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अरविंद कुमार दुबे, श्री विपिन कुमार शिवहरे, श्री अवधेश कुमार यादव से आधा-आधा मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। साथ ही अवर अभियंता श्री चंद्रपाल सिंह के खिलाफ गलत डाकुमेन्ट भरने के लिए विभागीय जाँच किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर 36 - आलोच्य वर्ष में ग्राम समदपुर में केशवदेव के घर से राधेश्याम के के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग कार्य में प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति में अर्थवर्क 270 घन मीटर अनुमानित था परंतु इसकी जगह 315.77 पन मीटर अर्थवर्क कराया गया अर्थात अनुमान से 18.77 घन मीटर (दर 261) अधिक अर्थ वर्क कराया गया जिससे क्षेत्र पंचायत को 4899.00 रुपए की हानि हुई जिसकी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई। (प्राक्कलन और ए.बी. में 10 प्रतिशत विचलन के बाद यह गणना की गई है) अतः बिना प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के क्रय की गई अतिरिक्त सामग्री के मूल्य 4899.00 को तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख श्री चौधरी रामकिशन सिंह तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अरविंद कुमार दुबे, श्री विपिन कुमार शिवहरे, श्री अवधेश कुमार यादव से आधा-आधा मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। साथ ही अवर अभियंता श्री चंद्रपाल सिंह के खिलाफ गलत डाकुमेन्ट भरने के लिए विभागीय जाँच किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर 37 - आलोच्य वर्ष में ग्राम खोड़ा के मजरा नगलाबंजारा डाबर रोड से नगला सौवा तक नाली व इंटरलॉकिंग कार्य में पाक्कलन में 80 एमएम इंटरलॉकिंग टाइल्स 106.2 वर्ग मीटर अनुमानित था इसकी जगह 123.73 इंटरलॉकिंग टाइल्स खरीदी गई जो की अनुमान से 6.91 (दर 860.00) अधिक था जिसकी प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई थी जिससे क्षेत्र पंचायत को 5943.00 रु की हानि हुई (प्राक्कलन और ए.बी. में 10 प्रतिशत विचलन के बाद यह गणना की गई है) अल बिना प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के क्रथ की गई अतिरिक्त सामग्री के मूल्य रु 5943.00 को तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख श्री चौधरी रामकिशन सिंह तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अरविंद कुमार दुबे, श्री विपिन कुमार शिवहरे, श्री अवधेश कुमार यादव से आधा-आध्या मय ब्याज सहित

वसूल किया जाना अपेक्षित है। साथ ही अवर अभियंता श्री चंद्रपाल सिंह के खिलाफ गलत डाकुमेन्ट भरने के लिए विभागीय जाँच किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-06)

प्रस्तर 38 - आलोच्य वर्ष में ग्राम सलेमपुर में कुंवरपाल के घर से नेपाल सिंह के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग कार्य में प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति में 12 एमएम थिक प्लास्टर 8.5 वर्ग भीटर अनुमानित था परंतु वास्तव में 30.06 वर्ग मीटर प्लास्टर कराया गया जो की अनुमान से 21.31 (दर 175.00) अधिक प्लास्टर कराया गया जिससे क्षेत्र पंचायत को 3729.00 रुपए की हानि जिसकी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई। (प्राक्कलन और ए.बी. में 10 प्रतिशत विचलन के बाद यह गणना की गई है)। अतः बिना प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के क्रय की गई अतिरिक्त सामग्री के मूल्य 3729.00 को तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख श्री चौधरी रामकिशन सिंह तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अरविंद कुमार दुबे, श्री विपिन कुमार शिवहरे, श्री अवधेश कुमार यादव से आधा-आधा मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। साथ ही अवर अभियंता श्री चंद्रपाल सिंह के खिलाफ गलत डाकुमेन्ट भरने के लिए विभागीय जाँच किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर 39 - आलोच्य वर्ष में ग्राम लोधई में मुरारी लाल के घर से तालाब तक यू टाइप नाली निर्माण कार्य में प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति में अर्थवर्क 54 घन मीटर अनुमानित था परंतु इसकी जगह 100 घन मीटर अर्थवर्क कराया गया अर्थात अनुमान से 40.6 घन मीटर (दर 140) अधिक अर्थ वर्क कराया गया जिससे क्षेत्र पंचायत को 5684.00 रुपए की हानि हुई जिसकी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। (प्राक्कलन और ए.बी. में 10 प्रतिशत विचलन के बाद यह गणना की गई है)

अतः बिना प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के क्रय की गई अतिरिक्त सामग्री के मूल्य 5684.00 को तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख श्री चौधरी रामकिशन सिंह तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अरविंद कुमार दुबे, श्री विपिन कुमार शिवहरे, श्री अवधेश कुमार यादव से आधा-आधा मय ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। साथ ही अवर अभियंता श्री चंद्रपाल सिंह के खिलाफ गलत डाकुमेन्ट भरने के लिए विभागीय जाँच किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-08)

जनपद- कासगंज मण्डल- अलीगढ़

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 :- क्षेत्र पंचायतें

01 संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत सहावर जनपद- कासगंज मण्डल- अलीगढ़

प्रस्तर 01- वर्ष 2013-14 की निर्माण पत्रावलियां एवं अन्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। अत: रू0 13149515.00 की अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0एस0 द्विवेदी, श्री राजकुमार लोधी, लेखाकार श्री रघुराज सिंह उत्तरदायी हैं। आपत्ति संख्या- 08

प्रस्तर 02- वर्ष 2014-15 की निर्माण पत्रावलियां एवं अन्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। अत: रू0 10818747.00 की अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राजकुमार लोधी, श्री प्रकाश चन्द्र वार्ष्णेय एवं लेखाकार श्री रघुराज सिंह उत्तरदायी हैं। आपत्ति संख्या- 12

प्रस्तर 03- वर्ष 2015-16 की निर्माण पत्रावलियां एवं अन्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। अत: रू0 7060128.00 की अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र वार्ष्णेय एवं लेखाकार श्री रघुराज सिंह उत्तरदायी हैं। आपत्ति संख्या- 18

प्रस्तर 04- वर्ष 2016-17 की निर्माण पत्रावलियां एवं अन्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। अत: रू0 5766486.75 की अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र वार्ष्णेय, श्री राजकुमार लोधी, श्री सतीश चन्द्र शर्मा, श्री सुनील कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री रघुराज सिंह उत्तरदायी हैं।
आपत्ति संख्या- 04

प्रस्तर 05- वर्ष 2017-18 की निर्माण पत्रावलियां एवं अन्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। अत: रू0 7544484.75 की अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह, विजयपाल सिंह एवं लेखाकार श्री रघुराज सिंह उत्तरदायी हैं। आपत्ति संख्या- 08

प्रस्तर 06- वर्ष 2018-19 की निर्माण पत्रावलियां एवं अन्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। अत: रू0 13367699.66 की अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विजयपाल सिंह एवं लेखाकार श्री रघुराज सिंह उत्तरदायी हैं। आपत्ति संख्या- 13

प्रस्तर 07- वर्ष 2019-20 की निर्माण पत्रावलियां एवं अन्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। अत: रू0 8911195.06 की अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विजयपाल सिंह, श्री सुनील कुमार एवं लेखाकार श्री सोरन सिंह उत्तरदायी हैं। आपत्ति संख्या- 18

प्रस्तर 08- वर्ष 2020-21 की निर्माण पत्रावलियां एवं अन्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। अत: रू0 18544110.50 की अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार, रबीन्द्र कुमार, रामायण सिंह, सरिता द्विवेदी एवं लेखाकार श्री सोरन सिंह उत्तरदायी हैं। आपत्ति संख्या- 22

प्रस्तर 09- लेखा परीक्षा 2021-22 के दौरान क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अन्तर ग्रामीण निर्माण कार्यों के साथ-साथ ग्राम के अन्दर के भी कार्य करवाये गये हैं। जोकि शासकीय निर्देशों के अनुसार उनके कार्यक्षेत्र के बाहर हैं एवं अनियमित हैं। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय के संबंध में शासनादेश संख्या 1838/33-5-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक राजस्व गांव को लाभ पहुंचाने वाला कार्य न कराया जाना अनियमितता है। उक्त शासनादेश अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा केवल गांव के बाहर व दो गांव के बीच ही निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त शासनादेश की अवहेलना की गई है साथ ही लाभार्थी गांव के प्रधान/सचिव से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा लोक निर्माण विभाग, मण्डी समिति से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है जिसे क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये उक्त प्रकार के निर्माण कार्यों के दौहरी करण की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है ऐसे कार्य शासनादेश संख्या 1838/33-5-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के विरूद्ध हैं एवं गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आते हैं। विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि (रूपये में)
1	ग्राम दीपपुर में कमल सिंह के घर से माता मन्दिर तक इंटर लॉकिंग कार्य	973220
2	ग्राम बोदर में मजरा नगला कलुआ में बेदलाल के घर से करन सिंह के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	573392
3	ग्राम मोहम्मदपुर में राजवीर के घर से डा0 विश्वनाथ की दुकान तक इंटर लॉकिंग कार्य	963172
4	ग्राम बस्तरमऊ में सोरन के घर से मन्दिर तक इंटर लॉकिंग कार्य	505053
	कुल व्यय	3014837

उक्त विवरणानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश के विरूद्ध रू0 3014837 के अनियमित कार्य कराये गये हैं। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता द्विवेदी एवं

लेखाकार श्री सोबरन सिंह उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 04

प्रस्तर 10- लेखा परीक्षा वर्ष दौरान निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ठेकेदार के बिल से लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है जबकि ठेकेदार के बिल से टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 की कटौती नियमानुसार की जा रही है। शासकीय निर्देशानुसार ठेकेदारके बिल से अन्य कटौतियों के साथ-साथ लेबल सेस की कटौती नियमानुसार की जानी चाहिये। शासकीय निर्देशानुसार ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती की जानी चाहिये। विवरण निम्नवत् है-

क्रम	कार्य का नाम	बिल धनराशि	लेबर सेस 1 प्रतिशत
1	ग्राम तारापुर में मंदिर से प्रा0पा0 तक इंटर लॉकिंग कार्य	973220	9732
2	ग्राम दीपपुर में कमल सिंह के घर से माता मंदिर तक इंटर लॉकिंग कार्य	419724	4197
3	ग्राम भिलौली के मजरा खालिकपुर में चरन सिंह के खेत के पास पुलिया निर्माण कार्य	162742	1627
4	ग्राम बोदर के मजरा नगला कलुआ में बेदलाल के घर से करन सिंह के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	573392	5734
5	ग्राम चंदवा से मण्डी तक इंटर लॉकिंग कार्य	977364	9773
6	ग्राम लखमीपुर सुंदर सिंह में मंदिर से दुर्वेश की आबादी तक इंटर लॉकिंग कार्य	839980	8400
7	ग्राम ललूपुरा में प्रा0 स्कूल से गवेन्द्र के भट्टा तक इंटर लॉकिंग कार्य	988734	9887
8	ग्राम मोहम्मदपुर में राजवीर के घर से डा0 विश्वनाथ की दुकान तक इंटर लॉकिंग कार्य	963172	9632
9	क्षेत्रीय सहकारी समिति सहावर का गेट निर्माण कार्य	485415	4854
10	ग्राम मीरनपुर के मजरा नगला हंसी में चौराह से प्रेमवीर/महावीर के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	957288	9573
11	ग्राम बस्तरमऊ में सोरन के घर से मंदिर तक इंटर लॉकिंग कार्य	505053	5050
	कुल योग	7846084	78459

उपरोक्त विवरण अनुसार रू0 78459 की लेबर सेस की वसूली संबंधित ठेकेदारों से की जानी अपेक्षित है। जिससे राजकीय राजस्व की प्रतिपूर्ति की जा सके। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सरिता द्विवेदी एवं लेखाकार श्री सोबरन सिंह उत्तरदायी हैं। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 12

02 संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत गंजडुण्डवारा

जनपद- कासगंज मण्डल- अलीगढ़

प्रस्तर 11- लेखा परीक्षा 2021-22 के दौरान क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अन्तर ग्रामीण निर्माण कार्यों के साथ-साथ ग्राम के अन्दर के भी कार्य करवाये गये हैं। जोकि शासकीय निर्देशों के अनुसार उनके कार्य क्षेत्र के बाहर हैं एवं अनियमित हैं। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय के संबंध में शासनादेश संख्या 1838/33-5-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक राजस्व गांव को लाभ पहुंचाने वाला कार्य न कराया जाना अनियमितता है। उक्त शासनादेश अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा केवल गांव के बाहर व दो गांव के बीच ही निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त शासनादेश की अवहेलना की गई है साथ ही लाभार्थी गांव के प्रधान/सचिव से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा लोक निर्माण विभाग, मण्डी समिति से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है जिसे क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये उक्त प्रकार के निर्माण

कार्यों के दौहरी करण की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है ऐसे कार्य शासनादेश संख्या 1838/33-5-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के विरूद्ध हैं एवं गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आते हैं। विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि (रूपये में)
1	ग्राम धर्मपुर में केशव बी0डी0सी0 के घर से दाताराम के मकान तक इंटर लॉकिंग का कार्य	990450
2	ग्राम म्यूनी में घबरा जट्टी में राम प्रकाश के घर से नाथूराम के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	992901
3	ग्राम धनसिंहपुर में महेन्द्र के घर से बृजेश चौहान के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	490082
4	ग्राम धनसिंहपुर में महेन्द्र वेदप्रकाश के घर से कौशल के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	438034
5	ग्राम नवाबगंज नगरिया में नफीस के घर से चरन सिंह के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	529274
6	ग्राम उलाईखेड़ा में राम प्रकाश के घर से रामसेवक के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	890987
7	ग्राम म्यासुर में मोहसन के घर से अकरम के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	258614
8	ग्राम कादरगंज पुख्ता में राजकुमार गुप्ता के घर से जगमोहन बी0डी0सी0 के धर तक खंड़जा कार्य	337961
9	ग्राम सनौड़ी सिंहमन में रमेश गौर के घर से योगेश के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	956253
10	ग्राम म्यासुर में हरोब के घर से रामबालक के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	989279
11	ग्राम कादरगंज पुख्ता में मो0 शफीक के घर से यामीन के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	950740
12	मजरा किला असदगढ़ में अरविन्द के घर से यादराम व रामसेवकके घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	953156
	कुल योग	8777741

उपरोक्त विवरणानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश के विरूद्ध रू0 8777741 के अनियमित कार्य कराये गये हैं। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी डा0 मनीष सिंह वर्मा एवं लेखाकार श्री सोरन सिंह उत्तरदायी हैं। इस हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से स्पष्टीकरण अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

प्रस्तर 12- लेखा परीक्षा वर्ष दौरान निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ठेकेदार के बिल से लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है जबकि ठेकेदार के बिल से टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 की कटौती नियमानुसार की जा रही है। शासकीय निर्देशानुसार ठेकेदारके बिल से अन्य कटौतियों के साथ-साथ लेबल सेस की कटौती नियमानुसार की जानी चाहिये। शासकीय निर्देशानुसार ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती की जानी चाहिये। विवरण निम्नवत् है-

क्रम	कार्य का नाम	बिल धनराशि (रूपये में)	लेबर सेस 1 प्रतिशत
1	ग्राम धर्मपुर में केशव बी0डी0सी0 के घर से दाताराम के मकान तक इंटर लॉकिंग का कार्य	990450	9904
2	ग्राम म्यूनी में घबरा जट्टी में राम प्रकाश के घर से नाथूराम के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	992901	9929
3	ग्राम धनसिंहपुर में महेन्द्र के घर से बृजेश चौहान के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	490082	4901
4	ग्राम धनसिंहपुर में महेन्द्र वेदप्रकाश के घर से कौशल के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	438034	4380

5	ग्राम नवाबगंज नगरिया में नफीस के घर से चरन सिंह के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	529274	5293
6	ग्राम उलाईखेड़ा में राम प्रकाश के घर से रामसेवक के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	890987	8910
7	ग्राम म्यासुर में मोहसन के घर से अकरम के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	258614	2586
8	ग्राम कादरगंज पुख्ता में राजकुमार गुप्ता के घर से जगमोहन बी0डी0सी0 के धर तक खंड़जा कार्य	337961	3380
9	ग्राम सनौड़ी सिंहमन में रमेश गौर के घर से योगेश के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	956253	9562
10	ग्राम म्यासुर में हरोब के घर से रामबालक के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	989279	9892
11	ग्राम कादरगंज पुख्ता में मो0 शफीक के घर से यामीन के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	950740	9507
12	मजरा किला असदगढ़ में अरविन्द के घर से यादराम व रामसेवकके घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	953156	9531
13	ग्राम गनेशपुर में कब्रिस्तान से जीमल के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	995127	9951
14	ग्राम अल्हैपुर में नहर की पुलिया से पंचायत घर तक खड़ंजा कार्य	993506	9935
15	ग्राम बहोटा रोड से मिद्दीलालके घर तक खड़ंजा कार्य	451804	4518
16	ग्राम गनेशपुर भाटान में छोटेलालयादव वाली गली में इंटर लॉकिंग कार्य	209470	2095
17	ग्राम भीखमपुर के सराय हैवतपुर से म्यासुर तक खड़ंजा कार्य	924680	9247
18	ग्राम भीखमपुर में डामर रोड से नरेन्द्र के फाटक तक इंटर लॉकिंग कार्य	928778	9288
19	ग्राम तरसी के नगला खदरी में मेन रोड से राम औतार के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	817422	8174
20	ग्राम सनौड़ी में भोले बाबा के मंदिर से सनौड़ी ग्राम तक इंटर लॉकिंग कार्य	968269	9683
21	ग्राम सनौड़ी में डामर रोड से सोनेलाल के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	464942	4649
22	ग्राम नागर कंचनपुर धर्मशाला से अहमददेव नगर तक खड़ंजा कार्य	742645	7426
23	ग्राम समस्तपुर में शहीद आलम के घर से मेन डामर रोड तक खड़ंजा कार्य	447290	4473
24	ग्राम बनैल पब्लिक स्कूल से गंजडुण्डवारा पटियाली रोड तक इंटर लॉकिंग मरम्मत का कार्य	985580	9856
25	ग्राम राजेपुर कुर्रा के मजरा मुदूखेड़ा में डामर रोड से भारत के घर तक खड़ंजा कार्य	562315	5623
26	ग्राम नरदौलीमें बाजार स्थल सेस सुभाष तोमर के घर तक इंटर लॉकिंग मरम्मत कार्य	831523	8315
27	ग्राम नरदौली में बाजार स्थल पर इंटर लॉकिंग कार्य	266467	2664
28	ग्राम गढ़ी रामपुर में शारदा देवी के घर से सुनगढ़ी रोड तक इंटर लॉकिंग कार्य	878980	8790
29	ग्राम म्यासुर के महरा नगला भरत में मेन रोड से बौद्ध बिहार तक	417501	4175

	इंटर लॉकिंग कार्य		
30	ग्राम सिकन्दरपुर वैश्य में श्रीसतपाल सिंह इंटर कॉलेज के पास सामु0 शौचालय निर्माण कार्य	479831	4798
31	विकास खण्ड कार्यालय के सामने बम्बा की पुलिया से वन विभाग तक नाला निर्माण	982965	9829
32	ग्राम राजेपुर कुर्रा के मजरा नगला पदम से कासगंज सीमा तक खड़ंजा निर्माण कार्य	985379	9854
33	ग्राम बहरोजपुर में कल्लू के घर से चिरौला तक इंटर लॉकिंग कार्य	939281	9393
34	ग्राम बनैल पब्लिक स्कूल से पटियाली गंजडुण्डवारा रोड तक खड़ंजा निर्माण	988015	9881
35	ग्राम नरदौली बाजार वाली पुलिया से लटूरी के घर तक पक्का नाला निर्माण	470971	4710
36	ग्रामशहवाजपुर में मौहर पाल बी0डी0सी0 के घर से होली स्थान तक इंटर लॉकिंग कार्य	763840	7638
37	ग्राम अकबरपुर नगर पलियामें तंजीम की दुकान से डामर रोड तक खड़ंजा कार्य	982913	9829
38	ग्राम समसपुर में गंजडुण्डवारा सुनगढ़ी रोड से समसपुर तक पक्का नाला निर्माण	238749	2387
	कुल योग	27045803	270458

उपरोक्त विवरण अनुसार रू0 270458 की लेबर सेस की कटौती संस्था द्वारा ठेकेदार के बिलों से नहीं की गयी है। उक्त लेबर सेस रू0 270458 की कटौती संबंधित ठेकेदारों से वसूलकर जमा कराया जाना अपेक्षित है। जिससे राजकीय राजस्व को पहंची क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी डा0 मनीष सिंह वर्मा एवं लेखाकार श्री सोरन सिंह उत्तरदायी हैं। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। वसूली अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-02

03 संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत पटियाली जनपद- कासगंज

प्रस्तर 13- लेखा परीक्षा वर्ष दौरान निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ठेकेदार के बिल से लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है जबकि ठेकेदार के बिल से टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 की कटौती नियमानुसार की जा रही है। शासकीय निर्देशानुसार ठेकेदार के बिल से अन्य कटौतियों के साथ-साथ लेबर सेस की कटौती नियमानुसार की जानी चाहिये। शासकीय निर्देशानुसार ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती की जानी चाहिये। विवरण निम्नवत् है-

क0 सं0	**कार्य का नाम**	**व्यय धनराशि (रूपये में)**	**लेबर सेस 1 प्रतिशत**
1	**साहपुर नगरिया के नगला घासी में मेघसिंह के घर से अर्जुन सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग एवं नाला निर्माण कार्य**	424866	4248
2	**हथौडा खेदा में मैन रोड से लाल देवता मन्दिर तक इण्टर लॉकिंग कार्य**	889814	8898
3	**अशोकपुर कुतुबपुर सराय मार्ग से पप्पू मिश्रा के घर से होते हुये राजेन्द्र मिश्रा के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य**	816741	8167
4	**रामपुरा में पटियाली सिढ़पुरा मार्ग से सीटू के खेत तक मिटटी खडंजा कार्य**	957807	9578
5	**रानी दामर में सुरेन्द्र राठौर के घर से पंचायत भवन तक इण्टर लॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य**	966184	9661

6	**कुदा के नगला राकरी में जगदीश के घर से यदराम के घर तक इण्टर लॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य**	951179	9511
7	**पटियाली सिढ़पुरा मार्ग से कम्पा बाबा मंदिर तक इण्टर लॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य**	792818	7928
8	**पटियाली सिढ़पुरा मार्ग से कम्पा ट्रांसफार्मर तक इण्टर लॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य**	668379	6683
9	**श्री नगला में जयप्रकाश के घर से उमेश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य**	955056	9550
10	**बहोला बघराई मार्ग से मन्दिर तक इण्टर लॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य**	335656	3356
11	**रुस्तमपुर के नगला माई से बूढी गंगा घाट तक मिटटी खडंजा कार्य**	952333	9523
12	**ककराला में पप्पू पाल के घर से निहाल सिंह के घर तक नाली खडंजा कार्य**	707472	7074
13	**शाहपुर टहला में रामपाल के घर से पी०पी० तक इण्टर लॉकिंग कार्य**	922157	9221
14	**बघराई में जे०एच०एस० से सूरजपाल के मंदिर तक इण्टर लॉकिंग कार्य**	697899	6978
15	**सीटू के खेत की मेड से सी०सी० तक खडंजा एवं मिटटी मरम्मत कार्य**	362073	3620
16	**रुस्तमपुर के नगलगा बार्डर में गाँव से बूढी गंगा तक इण्टर लॉकिंग कार्य**	681762	6817
	कुल योग	**12082196**	**120813**

उपरोक्त विवरण अनुसार रू0 **120813.00** की लेबर सेस की कटौती संस्था द्वारा ठेकेदार के बिलों से नहीं की गयी है। उक्त लेबर सेस रू0 **120813.00** की कटौती संबंधित तत्कालीन ठेकेदारों से वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। जिससे राजकीय राजस्व को पहुंची क्षति की प्रतिपुर्ति की जा सके। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति संख्या-01

प्रस्तर 14- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के दौरान क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अन्तर ग्रामीण निर्माण कार्यों के साथ- साथ ग्राम के अन्दर के भी कार्य करवाये गये हैं। जोकि शासकीय निर्देशों के अनुसार उनके कार्यक्षेत्र के बाहर है एवं अनियमित हैं। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय के संबंध में शासनादेश संख्या 1838/33-5-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक राजस्व गांव को लाभ पहुंचाने वाला कार्य न कराया जाना अनियमितता है। उक्त शासनादेश अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा केवल गांव के बाहर व दो गांव के बीच ही निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त शासनादेश की अवहेलना की गई है साथ ही लाभार्थी गांव के प्रधान/सचिव से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा लोक निर्माण विभाग, मण्डी समिति से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है जिसे क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये उक्त प्रकार के निर्माण कार्यों के दौहरी करण की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है ऐसे कार्य शासनादेश संख्या 1838/33-5-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के विरूद्ध है एवं गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आते हैं। विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि (रूपये में)
1	**साहपुर नगरिया के नगला घासी में मेघसिंह के घर से अर्जुन सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग एवं नाला निर्माण कार्य**	424866
2	**अशोकपुर कुतुबपुर सराय मार्ग से पप्पू मिश्रा के घर से होते हुये राजेन्द्र मिश्रा के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य**	816741
3	**कुदा के नगला राकरी में जगदीश के घर से यदराम के घर तक इण्टर लॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य**	951179
4	**श्री नगला में जयप्रकाश के घर से उमेश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य**	955056
5	**ककराला में पप्पू पाल के घर से निहाल सिंह के घर तक नाली खडंजा कार्य**	707472

	कुल व्यय	3855314

उपरोक्त विवरणानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश के विरूद्ध रू0 3855314 के अनियमित कार्य कराये गये हैं। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी डा0 मनीष सिंह वर्मा एवं लेखाकार श्री जगदीश चन्द्र व श्री फिरोज अहमद उत्तरदायी हैं नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 02

04 संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत सोरों जनपद- कासगंज

प्रस्तर 15- लेखा परीक्षा वर्ष दौरान निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ठेकेदार के बिल से लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है जबकि ठेकेदार के बिल से टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 की कटौती नियमानुसार की जा रही है। शासकीय निर्देशानुसार ठेकेदार के बिल से अन्य कटौतियों के साथ-साथ लेबर सेस की कटौती नियमानुसार की जानी चाहिये। शासकीय निर्देशानुसार ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती की जानी चाहिये। विवरण निम्नवत् है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि (रूपये में)	लेबर सेस 1 प्रतिशत
1	ग्राम नौरथा में पंचायत घर की जगह से तोताराम के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	987143	9871
2	ग्राम पटकिया में पैसोई मार्ग से विनोद के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	979107	9791
3	फतेहपुर कलां में जसवीर जाटव के घर से अम्बेडकर पार्क तक इण्टर लाकिंग कार्य	998817	9988
4	नगला लाले में शिव मन्दिर से लालराम के घर तक खंडजा कार्य	314394	3144
5	ग्राम टिम्बरपुर में मॉडल स्कूल से प्रा0पा0 तक खंडजा कार्य	720000	7200
6	ग्राम बलदेव में किशनपाल के खेत से मुकेश के खेत से होते हुये सरकारी ट्यूबेल तक खंडजा कार्य	391150	3911
7	ग्राम मल्लाहनगर में राजेश के घर से मोहर सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	982122	9821
8	ग्राम फतेहपुर कलां में पैसोई मार्ग से सड़क के दोनों ओर यू टाईप नाला निर्माण	923070	9230
9	ग्राम चकूपुर में डा0 राजेश शर्मा के घर से पुलिया तक नाली निर्माण कार्य	981344	9813
10	ग्राम उकर्री में बन्ते के घर से केदारी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	379809	3798
11	सलेमपुर बीबी में कुमारपाल के घर से स्कूल के पीछे तक नाली निर्माण कार्य	385576	3855
12	खैरपुर में अशोक के घर से राकेश सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	224152	2241
13	ग्राम गौशपुर भूपालगढ़ी में मनीराम के घर से सर्वेश के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	801067	8010
14	तुमरिया में माता मन्दिर के घर से साहब सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	468632	4686
15	ग्राम रायपुर में होली से भेलबन्दी तक नाला निर्माण	890779	8907
16	ग्राम कम्पुर में विक्रम सिंह के घर से शमशान घाट तक यू टाईप नाली निर्माण कार्य	935055	9350
17	ग्राम मलिकपुर में राधेश्याम के घर से चकूपुर तालाब तक यू टाईप नाला निर्माण कार्य	663239	6632
18	ग्राम महाराजा पुर में सादाब के खेत तक यू टाईप नाली निर्माण	451230	4512
19	ग्राम नगरिया में प्रेमचन्द के घर से दुलारी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	388591	3885
20	ग्राम बड़ागांव में रघुवर दयाल के घर से बनवारी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	656115	6561
21	ग्राम नमैनी में महेन्द्र सिंह के घर से रवेन्द्र सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	989212	9892
22	ग्राम पचलाना में ओमप्रकाश के घर से मेन रोड तक तक इण्टर लाकिंग कार्य	597924	5979
23	विकास खण्ड में स्थित मुख्य कक्ष में फर्नीचर स्थापना कार्य	188065	1880
24	ग्राम दौकेली में उदयपाल के घर से रजवाह की ओर इण्टर लाकिंग कार्य	995479	9954
25	ग्राम नगला डाडा में (गौशपुर भूपालगढ़ी) रतनलाल के घर से निशांत के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	539985	5399
26	ग्राम गंगागढ़ में गंगावासी के घर से रमेश के घर तक नाला निर्माण कार्य	990408	9904
27	ग्राम कुमरौआ में रामनिवास के खेत से निवासी के खेते तक नाला निर्माण कार्य	890127	8901
28	ग्राम गऊपुरा में चन्द्रसहाय के मैथा प्लान्ट से गौरव शर्मा के खेत तक खडंजा कार्य	699745	6997
29	क्षेत्रीय सहकारी समिति चण्डौस में मरम्मत कार्य	397143	3971
30	ग्राम खुशाली में महीपाल के घर से सुधीर के प्लांट तक इण्टर लाकिंग कार्य	172522	1725
31	क्षेत्रीय सहकारी समिति गौरहा में मरम्मत कार्य	398312	3983
32	ग्राम पहाड़पुर में नहर की पटरी पर यात्री शेड निर्माण	308664	3086

33	**ग्राम दतलाना पुख्ता में उठैर बांध मार्ग पर दो पुलिया निर्माण**	**989126**	**9891**
34	**ग्राम अल्लीपुर चौराहे से हजारा मन्दिर तक नाली निर्माण कार्य**	**988069**	**9880**
35	**विकास खण्ड में स्थित खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी आवासों में वाटर सप्लाई कार्य**	**395208**	**3952**
36	**ग्राम भूपालगढ़ी में नरेश के घर से मूरतराम के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य**	**366563**	**3665**
	कुल योग	**23427944**	**232385**

उपरोक्त विवरण अनुसार रू0 **232385** की लेबर सेस की कटौती संस्था द्वारा ठेकेदार के बिलों से नहीं की गयी है। उक्त लेबर सेस रू0 **232385** की कटौती संबंधित तत्कालीन ठेकेदारों से वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। जिससे राजकीय राजस्व को पहुंची क्षति की प्रतिपुर्ति की जा सके। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति संख्या- 01

प्रस्तर 16- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के दौरान क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अन्तर ग्रामीण निर्माण कार्यों के साथ- साथ ग्राम के अन्दर के भी कार्य करवाये गये हैं। जोकि शासकीय निर्देशों के अनुसार उनके कार्यक्षेत्र के बाहर है एवं अनियमित हैं। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय के संबंध में शासनादेश संख्या 1838/33-5-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक राजस्व गांव को लाभ पहुंचाने वाला कार्य न कराया जाना अनियमितता है। उक्त शासनादेश अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा केवल गांव के बाहर व दो गांव के बीच ही निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त शासनादेश की अवहेलना की गई है साथ ही लाभार्थी गांव के प्रधान/सचिव से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा लोक निर्माण विभाग, मण्डी समिति से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है जिसे क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये उक्त प्रकार के निर्माण कार्यों के दौहरी करण की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है ऐसे कार्य शासनादेश संख्या 1838/33-5-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के विरूद्ध है एवं गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आते हैं। विवरण निम्नवत है-

क0 सं0	**कार्य का नाम**	**व्यय धनराशि (रूपये में)**
1	**खैरपुर में अशोक के घर से राकेश सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य**	**224152**
2	**ग्राम नगरिया में प्रेमचन्द के घर से दुलारी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य**	**388591**
3	**ग्राम बड़ागांव में रघुवर दयाल के घर से बनवारी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य**	**656115**
4	**ग्राम नमैनी में महेन्द्र सिंह के घर से रवेन्द्र सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य**	**989212**
5	**ग्राम नगला डाडा में (गौशपुर भूपालगढ़ी) रतनलाल के घर से निशांत के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य**	**539985**
6	**ग्राम खुशाली में महीपाल के घर से सुधीर के प्लांट तक इण्टर लाकिंग कार्य**	**172522**
7	**ग्राम भूपालगढ़ी में नरेश के घर से मूरतराम के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य**	**366563**
	कुल व्यय	**3337140**

परोक्त विवरणानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश के विरूद्ध रू0 **3337140** के अनियमित कार्य कराये गये हैं। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार, श्री रामायण सिंह यादव, श्री उदयवीर दूवे, श्री वेदप्रकाश एवं लेखाकार श्री बृजेश कुमार, श्री तारिक उत्तरदायी हैं नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 02

05 संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत सिढ़पुरा जनपद- कासगंज

प्रस्तर 17- लेखा परीक्षा 2021-22 के दौरान क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अन्तर ग्रामीण निर्माण कार्यों के साथ-साथ ग्राम के अन्दर के भी कार्य करवाये गये हैं। जोकि शासकीय निर्देशों के अनुसार उनके कार्य क्षेत्र के बाहर हैं एवं अनियमित हैं। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय के संबंध में शासनादेश संख्या 1838/33-5-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक राजस्व गांव को लाभ पहुंचाने वाला कार्य न कराया जाना अनियमितता है। उक्त शासनादेश अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा केवल गांव के बाहर व दो गांव के बीच ही निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त शासनादेश की अवहेलना की गई है साथ ही लाभार्थी गांव के प्रधान/सचिव से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा लोक निर्माण विभाग, मण्डी समिति से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है जिसे क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये उक्त प्रकार के निर्माण कार्यों के दौहरी करण की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है ऐसे कार्य शासनादेश संख्या 1838/33-5-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के विरूद्ध हैं एवं गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आते हैं। विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि (रूपये में)
1	ग्राम सरावल में अमरपाल के घर से रामदार के मकान तक इंटर लॉकिंग का कार्य	873576
2	ग्राम सरावल में माता मंदिर से विपिन गुप्ता के खेत तक इंटर लॉकिंग का कार्य	868177
3	ग्राम सरावल में विपिन गुप्ता के खेत से अमरपाल शाक्य के खेत तक इंटर लॉकिंग का कार्य	871954
4	ग्राम सरावल में विपिन गुप्ता के खेत से अमरपाल के खेत तक अवशेष इंटर लॉकिंग का कार्य	366396
5	ग्राम सैलई में अनार सिंह के ट्यूबवेल से रमेश के ट्यूबवेल तक इंटर लॉकिंग का कार्य	438384
6	ग्राम खरगातीपुर में मुन्नालाल की झोपड़ी से रामदीन की झोपड़ी तक इंटर लॉकिंग का कार्य	733100
7	जगदीश के खेत से घनपाल के खेत तक नाला/ इंटर लॉकिंग का कार्य	877045
8	ग्राम मुइउद्दीनपुर में राजीव बाल्मीकि के घर से दूसरा मोड़तक इंटर लॉकिंग का कार्य	870122
	कुल व्यय	5898754

उपरोक्त विवरणानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश के विरूद्ध रू0 5898754 के अनियमित कार्य कराये गये हैं। इस हेतु उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी डा0 अजीत कुमार एवं लेखाकार श्री राजकुमार से स्पष्टीकरण अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

प्रस्तर 18- लेखा परीक्षा वर्ष दौरान निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ठेकेदार के बिल से लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है जबकि ठेकेदार के बिल से टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 की कटौती नियमानुसार की जा रही है। शासकीय निर्देशानुसार ठेकेदारके बिल से अन्य कटौतियों के साथ-साथ लेबल सेस की कटौती नियमानुसार की जानी चाहिये। शासकीय निर्देशानुसार ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती की जानी चाहिये। विवरण निम्नवत है-

क्रम	कार्य का नाम	बिल धनराशि (रूपये में)	लेबर सेस 1 प्रतिशत
1	ग्राम सरावल में अमरपाल के घर से रामदार के मकान तक इंटर	873576	8736

	लॉकिंग का कार्य		
2	ग्राम सरावल में माता मंदिर से विपिन गुप्ता के खेत तक इंटर लॉकिंग का कार्य	868177	8682
3	ग्राम सरावल में विपिन गुप्ता के खेत से अमरपाल शाक्य के खेत तक इंटर लॉकिंग का कार्य	871954	8719
4	ग्राम सरावल में विपिन गुप्ता के खेत से अमरपाल के खेत तक अवशेष इंटर लॉकिंग का कार्य	366396	3664
5	ग्राम सैलई में अनार सिंह के ट्यूबवेल से रमेश के ट्यूबवेल तक इंटर लॉकिंग का कार्य	438384	4384
6	ग्राम खरगातीपुर में मुन्नालाल की झोपड़ी से रामदीन की झोपड़ी तक इंटर लॉकिंग का कार्य	733100	7331
7	जगदीश के खेत से घनपाल के खेत तक नाला/ इंटर लॉकिंग का कार्य	877045	8770
8	ग्राम मुइउद्दीनपुर में राजीव बाल्मीकि के घर से दूसरा मोड़ तक इंटर लॉकिंग का कार्य	870122	8701
9	ग्राम नगला धीमर में रामदास के घर से रोड तक इंटर लॉकिंग का कार्य	844339	8443
10	ग्राम मनौनी से नगला भूरे तक खड़ंजा निर्माण	882707	8827
11	विकास खण्ड कार्यालय में स्थित एन0आर0एल0एम0 कक्ष की मरम्मत कार्य	876681	8767
12	ग्राम रामपुर में रामू के खेत तक इंटर लॉकिंग का कार्य	881097	8811
13	रामू के खेत से असरपुरा तक इंटर लॉकिंग का कार्य	878395	8784
14	गौशाल पिथनपुर में खड़ंजा निर्माण	338163	3382
15	राजेश के घर से पटियाली रोड तक नाला निर्माण	856352	8563
16	अशोक के घर से पटियाली रोड तक नाला निर्माण	860377	8604
17	ग्राम खरगातीपुर में बम्बाकी पुलिया से हरश्चन्द्र के खेत तक इंटर लॉकिंग का कार्य	856417	8564
18	देवी नगला में आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण	496342	4963
19	पिथनपुर गौशाला में अवशेष खड़ंजा कार्य	749800	7498
20	रामू के खेत से असरपुरा तक अवशेष इंटर लॉकिंग का कार्य	412442	4124
	कुल योग	14836866	148369

उपरोक्त विवरण अनुसार रू0 148369 की लेबर सेस की कटौती संस्था द्वारा ठेकेदार के बिलों से नहीं की गयी है। उक्त लेबर सेस रू0 148369 की कटौती संबंधित ठेकेदारों से बसूलकर जमा कराया जाना अपेक्षित है। जिससे राजकीय राजस्व को पहुंची क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी डा0 अजीत कुमार एवं लेखाकार श्री राजकुमार उत्तरदायी हैं। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाना है। आपत्ति संख्या- 02

06 संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत अमांपुर जनपद- कासगंज

प्रस्तर 19- लेखा परीक्षा 2021-22 के दौरान क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अन्तर ग्रामीण निर्माण कार्यों के साथ-साथ ग्राम के अन्दर के भी कार्य करवाये गये हैं। जोकि शासकीय निर्देशों के अनुसार उनके कार्य क्षेत्र के बाहर हैं एवं अनियमित हैं। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय के संबंध में शासनादेश संख्या 1838/33-5-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक राजस्व गांव को

लाभ पहुंचाने वाला कार्य न कराया जाना अनियमितता है। उक्त शासनादेश अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा केवल गांव के बाहर व दो गांव के बीच ही निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त शासनादेश की अवहेलना की गई है साथ ही लाभार्थी गांव के प्रधान/सचिव से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा लोक निर्माण विभाग, मण्डी समिति से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है जिसे क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये उक्त प्रकार के निर्माण कार्यों के दौहरी करण की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है ऐसे कार्य शासनादेश संख्या 1838/33-5-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के विरूद्ध हैं एवं गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आते हैं। विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि (रूपये में)
1	ग्राम अरहरपुर में सुभाष के घर से टी0एस0 के घर तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण	957803
2	ग्राम नगला हाथी में रामपाल के कुंआ से राजेन्द्र के घर तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण	211567
3	ग्राम नगला हाथी में धर्मवीर के मकान से राजवीर के घर तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण	171884
4	ग्राम ऊंचागांव में रामसिंह शाक्य के मकान से सुरेन्द्र के घर तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण	331315
5	ग्राम महदवा में डा0 समद से ओमप्रकाश प्रजापति कि घर तक खड़ंजा निर्माण	983924
6	ग्राम ऊंचागांव में नेमपाल खठेरिया के मकान से राजबहादुर के घर तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण	446826
7	ग्राम हाजीपुर में गीतम के घर से विधायक जी के आवास तक सी0सी0 रोड मरम्मत व नाली निर्माण कार्य	682488
8	ग्राम लखमीपुर में स्कूल से लोकेन्द्र के खेत तक खड़ंजा निर्माण कार्य	984493
9	ग्राम परतापुर में सी0आई0 दीन के घर से भगवान सहाय के खेत तक नाली निर्माण	379372
10	ग्राम वीरपुर में पन्नालाल जाटव के घर से वकील के खेत तक नाली निर्माण कार्य	971378
11	ग्राम खुशकरी लखमीपुर में वालिस्टर के खेत से प्यारे लाल के खेत तक नाली निर्माण	681301
12	ग्राम सरोठी में राम किशोर धोबी के घर से दिवारी लाल जोगी के घर तक नाली निर्माण	179221
	कुल योग	7181572

उपरोक्त विवरणानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश के विरूद्ध रू0 7181572 के अनियमित कार्य कराये गये हैं। इस हेतु उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री रामायण सिंह यादव, श्री हरषेन्द्र कुमार सिंह, श्री विनय कुमार शर्मा एवं लेखाकार श्री अवनीश कुमार से स्पष्टीकरण अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 04

प्रस्तर 20- लेखा परीक्षा वर्ष दौरान निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ठेकेदार के बिल से लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी है जबकि ठेकेदार के बिल से टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 की कटौती नियमानुसार की जा रही है। शासकीय निर्देशानुसार ठेकेदारके बिल से अन्य कटौतियों के साथ-साथ लेबल सेस की कटौती नियमानुसार की जानी चाहिये। शासकीय निर्देशानुसार ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती की जानी चाहिये। विवरण निम्नवत् है-

क्रम	कार्य का नाम	बिल धनराशि (रूपये में)	लेबर सेस 1 प्रतिशत
1	कोडरा रजवाह पुल से नवंशी तक खड़ंजा निर्माण कार्य	983450	9834
2	ग्राम अरहरपुर में सुभाष के घर से टी0एस0 के घर तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण	957803	9578

3	ग्राम नगला हाथी में रामपाल के कुंआ से राजेन्द्र के घर तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण	211567	2115
4	नौगांव से अमृतपुर प्रातक अवशेष खड़ंजा निर्माण कार्य	809728	8097
5	ग्राम नगला हाथी में धर्मवीर के मकान से राजवीर के घर तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण	171884	1718
6	ग्राम ऊंचागांव में रामसिंह शाक्य के मकान से सुरेन्द्र के घर तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण	331315	3313
7	सरसई माइनर पर शेरपुलिया से बुडथरा एवं नहाथी मार्ग पर अवशेष खड़ंजा कार्य	927431	9274
8	ग्राम महदवा में डा0 समद से ओमप्रकाश प्रजापति कि घर तक खड़ंजा निर्माण	983924	9839
9	ग्राम ऊंचागांव में नेमपाल खठेरिया के मकान से राजबहादुर के घर तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण	446826	6478
10	ग्राम हाजीपुर में गीतम के घर से विधायक जी के आवास तक सी0सी0 रोड मरम्मत व नाली निर्माण कार्य	682488	6825
11	अमांपुर मोहनपुर रोड से रिषिपाल के खेत तक खड़ंजा निर्माण कार्य	647618	6476
12	ग्राम लखमीपुर में स्कूल से लोकेन्द्र के खेत तक खड़ंजा निर्माण कार्य	984493	9845
13	विकास खण्ड अमांपुर की बाउड्रीबाल की मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	807096	8071
14	विकास खण्ड अमांपुर में खण्ड विकास अधिकारी आवास की मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	404808	4048
15	ग्राम परतापुर में सीदीन के घर से भगवान सहाय के खेत तक आई0 नाली निर्माण	379372	3794
16	ग्राम किशोरपुर में जूनियर स्कूल से मंदिर तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य	948619	9486
17	ग्राम वीरपुर में पन्नालाल जाटव के घर से वकील के खेत तक नाली निर्माण कार्य	971378	9714
18	ग्राम खुशकरी लखमीपुर में वालिस्टर के खेत से प्यारे लाल के खेत तक नाली निर्माण	681301	6813
19	कछेला शेरपुर पुलिया से समसपुर लोधीपुर मार्ग पर नाला निर्माण कार्य	947340	9473
20	ग्राम सरोठी में राम किशोर धोबी के घर से दिवारी लाल जोगी के घर तक नाली निर्माण	179221	1792
21	ग्राम वनियानी से अमांपुर सिढ़पुरा मार्गतक नाली निर्माण	888783	8888
22	विकास खण्ड में गेट नसे ग्राम विकास अधिकारी आवास तक 10 तक कार्य मरम्मत सी0सी0	836071	8361
23	विकास खण्ड अमांपुर में गेट नसे बाल विकास कार्यालय तक 20 इंटर लॉकिंग कार्य	960273	9603
24	ऊंचागांव में राम औतार के घर से रामचन्द्र के घर तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य	807769	8078
25	नगला गिरधारी में कल्याण सिंह इंटर कॉलेज के पास आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण	564218	5642

26	ग्राम शाहपुर में धर्मेन्द्र के घर से नाले तक नाली निर्माण कार्य	628074	6281
	कुल योग	18342950	183429

उपरोक्त विवरण अनुसार रू0 183429 की लेबर सेस की कटौती संस्था द्वारा ठेकेदार के बिलों से नहीं की गयी है। उक्त लेबर सेस रू0 183429 की कटौती संबंधित ठेकेदारों से वसूलकर जमा कराया जाना अपेक्षित है। जिससे राजकीय राजस्व पहुंची क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामायण सिंह यादव, श्री हरषेन्द्र कुमार सिंह, श्री विनय कुमार शर्मा एवं लेखाकार श्री अवनीश कुमार उत्तरदायी हैं। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाना है। आपत्ति संख्या- 11

07 संस्था का नाम- क्षेत्र पंचायत कासगंज जनपद- कासगंज

प्रस्तर 21- वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत द्वारा जो भी निर्माण कार्य कराये गये उन पर श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तहत 1 प्रतिशत की दर से श्रमिक उपकर काटा जाना चाहिए था जो कि नहीं काटा गया।उक्त वर्ष में कराए गए निर्माण कार्य निम्निलखित है तथा उन पर 1 प्रतिशत की दर से श्रमिक उपकर इस प्रकार है-

क्रम/योजना	कार्य का नाम	धनराशि (रूपये में)	1 प्रतिशत श्रमिक उपकर
1/पंद्रहवा वित्त	नगला थान में महेश के घर से तालाब तक यू टाइप नाली निर्माण कार्य	659640.00	6596
2/पंद्रहवा वित्त	कोटरा में सी0सी0 के दोनों तरु यू टाइप नाली निर्माण	780243.40	7802
3/पंद्रहवा वित्त	नगला ढक में तालाब तक यू टाइप नाली निर्माण कार्य	434463.68	4345
4/पंद्रहवा वित्त	नगला पट्टी में अनार सिंह के घर से माता पथवारी तक नाली व इंटर लॉकिंग कार्य	994817.60	9948
5/पंद्रहवा वित्त	नगला ताल में शेष इंटर लॉकिंग कार्य	237769.80	2378
6/पंद्रहवा वित्त	नगला भंडारी में पशु चिकित्सालय का मरम्मत कार्य	921727.52	9217
7/राज्य वित्त	जखेरा में शेष खड़ंजा कार्य	779733.00	7797
8/राज्य वित्त	नगला छत्ता में राजू के घर से चरन सिंह व फूल सिंह के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	495152.00	4955
	कुल योग	5303547.00	53036

इस प्रकार संस्था द्वारा बिलों से रू0 53036 का श्रमिक उपकर न काटकर सीधे ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया तथा सरकार को राजस्व क्षति पहुंचायी गयी। अत: धनराशि रू0 53036 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार एवं लेखाकार श्री तारिक अहमद, कार्य प्रभारी श्रीराम राजपूत से की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-01

प्रस्तर 22- लेखा परीक्षा 2020-21 के दौरान क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अन्तर ग्रामीण निर्माण कार्यों के साथ-साथ ग्राम के अन्दर के भी कार्य करवाये गये हैं। जोकि शासकीय निर्देशों के अनुसार उनके कार्य क्षेत्र के बाहर हैं एवं अनियमित हैं। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय के संबंध में शासनादेश संख्या 1838/33-5-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक राजस्व गांव को लाभ पहुंचाने वाला कार्य न कराया जाना अनियमितता है। उक्त शासनादेश अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा केवल गांव के बाहर व दो गांव के बीच ही निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त शासनादेश की अवहेलना की गई है साथ ही लाभार्थी गांव के प्रधान/सचिव से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा लोक निर्माण विभाग, मण्डी समिति

से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है जिसे क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये उक्त प्रकार के निर्माण कार्यों के दौहरी करण की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है ऐसे कार्य शासनादेश संख्या 1838/33-5-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के विरूद्ध हैं एवं गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आते हैं। विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि (रूपये में)
1	कमालपुर में कुमार पाल के घर से ओमप्रकाश के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	869978.00
2	छिछोरा में इंटर लॉकिंग कार्य	859097.00
3	सिरौली में राम प्रसाद के घर से माता मंदिर तक इंटर लॉकिंग कार्य	614360.00
4	करसरी में श्रीपाल के घर से जानकी और चन्द्रपाल के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	761110.00
5	हिदायत नगर तरौरा में शाहजहांके घर से लावीम के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	320150.00
6	झाबर में इंटर लॉकिंग कार्य	728444.00
7	कोटरा में सी0सी0 दोनों तरफ इंटर लॉकिंग व यू टाइप नाली निर्माण कार्य	780243.40
8	नगला पट्टी में अनार सिंह के घर से माता पथवारी मंदिर तक नाली व इंटर लॉकिंग कार्य	994817.60
9	जखेरा में शेष खड़ंजा कार्य	779733.00
10	नगला ढक में तालाब तक यू टाइप नाली निर्माण कार्य	434463.68
11	नगला छत्ता में राजू के घर से चरन सिंह व फूल सिंह के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	495152.00
12	नगला शीशम में जगन सिंह, रोशन सिंह के मकान से सुखदेवके मकान से राजपाल के मकान तक इंटर लॉकिंग कार्य	947056.00
13	नरौली में रवेन्द्र के मंदिर से राजाराम के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	702324.00
14	रहमतपुर माफी में नन्द किशोर के घर से ज्ञान सिंह के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य/खड़ंजा कार्य	797730.00
15	ढोलना में महेन्द्र की दुकान से शोरन के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	978922.00
16	भारसौली जंगल में कफील के घर से सुनील के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	966448.00
	कुल धनराशि	12030030.60

उपरोक्त विवरणानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश के विरूद्ध रू0 12030030.60 के अनियमित कार्य कराये गये हैं। इस हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार एवं लेखाकार श्री तारिक अहमद, कार्य प्रभारी श्रीराम राजपूत एवं प्रवीन कुमार से स्पष्टीकरण अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 10

प्रस्तर 23- लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त/केंद्रीय वित्त मद से कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियोंके अवलोकनसे स्पष्ट होता है कि निर्माण कार्यों पर लगे श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान पत्रावली के साथ संलग्न मस्टरोल के अनुसार उनके खते में न करके कार्य में लगे मजदूरों से अलग किसी बाहरी व्यक्ति के खाते में किया गया है, जबकि शासकीय निर्देशानुसार श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान उनके खाते में किया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने कार्य पर कार्य नहीं किया उसके खाते में भुगतान गंभीर आपत्ति का विषय है, जो कि अपहरण की श्रेणी में आता है। वर्ष 2020-21 में उक्त मद से कराए गए कार्यों में मस्टरोलों के अनुसार जो धनराशि मस्टरोल से अलग किसी बाहरी व्यक्ति के खाते में भुगतान की गई है इस प्रकार है-

क्र सं	कार्य का नाम	मस्टरोल की धनराशि	व्यक्ति जिसके खाते में धनराशि भेजी गयी
1	जखेरा बम्बासे बिलराम महेशपुर मार्ग तक खड़ंजा कार्य	359210	पुष्पेन्द्र कुमार
2	नगला छत्ता में खुशीराम के कमरा से व्रज सिंह के खेत तक इंटर	115060	दिनेश कुमार

	लॉकिंग कार्य		
3	नगला बैनी में राधेश्याम के टयूवेल से शमशान घाट तक खड़ंजा कार्य	335925	राधे श्याम
4	अथैया चौराहे पर यू टाइप नाली निर्माण	132085	विनोद कुमार
5	कमालपुर में कुमारपाल के घर से ओमप्रकाश के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	182890	विपिन कुमार
6	छिछोरा में इंटर लॉकिंग कार्य	217125	सोनू कटियार
7	सिरौली में रामप्रसाद के घर से माता मंदिर तक इंटर लॉकिंग कार्य	143965	राजेश कुमार
8	करसरी में श्रीपाल के घर से जानकी और चंद्रपाल के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	174415	मुकेश कुमार
9	प्राथमिक स्कूल नगला ताल में इंटर लॉकिंग कार्य	140370	देवेश कुमार
10	झाबर में इंटर लॉकिंग कार्य	159440	कैलाश कुमार
11	हिदायत नगर तरौरा में शाहजहां के घर से लावीम के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	73780	अमित कुमार
12	नगला शीशम में जगन सिंह, रोशन सिंह के मकान से सुखदेव के मकान से राजपाल के मकान तक इंटर लॉकिंग	240720	सुरेन्द्र सिंह
13	नरौली में रवेन्द्र के मंदिर से राजाराम के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	149750	राजेश कुमार
14	रहमतपुर माफी में नन्द किशोर के घर से ज्ञान सिंह के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य/खड़ंजा कार्य	160060	मुकेश कुमार
15	तैयबपुर सुजातगंज में प्यारे लाल वर्मा जी की समाधी से सुरेश के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य/खड़ंजा कार्य	170225	पुष्पेन्द्र कुमार
16	ढोलना में महेंद्र की दुकान से शोरन के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	228840	सोनू कटियार
17	नगला जोर में यू टाइप नाली निर्माण	233530	सुरेन्द्र सिंह
18	अलियार खां में चिरंजी के घर से मेन रोड हरप्रसाद के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	227600	सुरेन्द्र सिंह
19	भारसौली जंगलमें कफील के घर से सुनील के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	215700	सोनू कटियार
20	नारायणी में छोटे लाल के घर से रजनीके घर तक इंटर लॉकिंग कार्य/खड़ंजा कार्य	155700	अमित कुमार
	कुल धनराशि	3816390	

इस प्रकार उपरोक्त सभी मस्टरोलों के भुगतान मस्टरोलों में उल्लेखित मजदूरों से अलग बाहरी व्यक्तियों को भुगतान गया है जो कि नियमों के विरूद्ध है अत: उक्त समस्त धनराशि रू0 3816390 अपहरण की श्रेणी में आती है, जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार एवं लेखाकार श्री तारिक अहमद, कार्य प्रभारी श्रीराम राजपूत से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या– 17

प्रस्तर 24- वर्षालोच्य में संस्था द्वारा पन्द्रहवें वित्त से कराये गये कार्य करसरी में श्रीपाल के घर से जानकी/पूरन के घर तक इंटर लॉकिंग में पत्रावली में मस्टरोल की धनराशि 174415.00 रूपये पायी गयी। संस्था द्वारा उक्त मस्टरोल का भुगतान 177415.00 रूपये का किया गया जो कि मस्टरोल के शुद्ध भुगतान से 3000.00 रूपये अधिक है। जो कि अपहरण कि श्रेणी में आता है। अत:अंतर धनराशि 3000.00 रूपये की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार एवं लेखाकार श्री तारिक अहमद, कार्य प्रभारी श्रीराम राजपूत से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या– 18

प्रस्तर 25- वर्षालोच्य में संस्था द्वारा पन्द्रहवें वित्त से कराये गये कार्य छिछौरा में इंटर लॉकिंग कार्य में पत्रावली में मस्टरोल की धनराशि 217125.00 रूपये पायी गयी। संस्था द्वारा उक्त मस्टरोल का भुगतान 221081.00 रूपये का किया गया जो कि मस्टरोल के शुद्ध भुगतान से 3956.00 रूपये अधिक है। जो कि अपहरण कि श्रेणी में आता है। अत:अंतर धनराशि 3956.00 रूपये की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार एवं लेखाकार श्री तारिक अहमद, कार्य प्रभारी श्रीराम राजपूत से की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या– 19

प्रस्तर 26- आलोच्य वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 क्षे0पं0 एवं जिला पंचायत(बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए समस्त निर्माण कार्यों की पत्रावलियां एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कराया जाना आवश्यक है। ई ग्राम स्वराज एवं अनुदान रजिस्टर 02 से मिलान करने पर लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित पत्रावलियां उपलब्ध नहीं करायी गईं।

क्रम	कार्य का नाम	धनराशि (रूपये में)
1	फिरोजपुर में गिर्राज सिंह दूधिया के घर से राम सिंह प्रधान जी के घर तक इंटर लॉकिंग	630551
2	विकास खण्ड कार्यालय में रंगाई पुताई	310494
3	बहादुरपुर में महिपाल के घर से अजब सिंह के घर तक खड़ंजा/नाली निर्माण	309287
4	सिरौली में इतवारी की गली में इंटर लॉकिंग	673433
5	मामों में सरस्वती के मकान से रवेन्द्र के मकान तक इंटर लॉकिंग एवं नाली निर्माण	781288
6	नगला सेमरा में चमन के घर के पास खड़ंजा कार्य	164592
7	सिरौली में सुभाष के घर के पास इंटर लॉकिंग	498043
8	विकास खण्ड परिसर में शौचालय निर्माण	859269
	कुल धनराशि	4226957

इस प्रकार उक्त निर्माण कार्योंपर कुल व्यय 4226957 रूपये है। अत: धनराशि 4226957 रूपये की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार एवं लेखाकार श्री तारिक अहमद, कार्य प्रभारी श्रीराम राजपूत से की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या– 20

प्रस्तर 27- दिनांक 31.03.2021 को ग्रांट रजिस्टर 03 में तेरहवा इंदिरा आवास/प्रशासनिक व्यय अंर्तगत रू0 23800 का अंमित अवशेष विगत वर्षसे यथावत दर्शितहै। उक्त मद का अवशेष ग्रांट रजिस्टर में दिखाया जाने का कारण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। उक्त धनराशि का शत प्रतिशत उपभोग न किये जाने से हुई आर्थिक अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। आपत्ति संख्या– 21

प्रस्तर 28- वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत द्वारा जो भी निर्माण कार्य कराये गये उन पर श्रमिक कल्याणउपकर अधिनियम 1996 के तहत 1 प्रतिशत की दर से श्रमिक उपकर काटा जाना चाहिए था जो कि नहीं काटा गया। उक्त वर्ष में कराए गए निर्माण कार्य निम्नलिखित है तथा उनपर 1 प्रतिशत की दर से श्रमिक उपकर इस प्रकार है-

क्रम/योजना	कार्य का नाम	धनराशि (रूपये में)	1 प्रतिशत श्रमिक उपकर
1/राज्यवित्त	ग्राम धनतोरिया में बनवारी के घर से डाबर रोड तक इंटर लॉकिंग कार्य	392910	3929
2/राज्य वित्त	नगला भंडारी में भगवान सिंह के मकान से प्रेम सिंह के	887587	8876

	मकान तक एवं नाथूराम के मकान के पास पप्पू के मकान तक इंटर लॉकिंग		
3/राज्य वित्त	धनतोरिया में दिलीप के घर के पास इंटर लॉकिंग	412417	4124
4/राज्य वित्त	करसरी में नगला अंडुआ में रामप्रकाश के घर से कमलसिंह मास्टर के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	989028	9890
5/पन्द्रहवा वित्त	ग्राम मेमड़ी में नरेश के घर के पास यू टाइप नाली एवं इंटर लॉकिंग कार्य	884002	8840
6/राज्य वित्त	ग्राम बहटा में डाबर रोड से पथवारीमाता तक इंटर लॉकिंग कार्य	989042	9890
7/राज्य वित्त	ग्राम मेंमड़ी में रामसेवक बोहरे के ट्यूबल से प्रा0 स्कूल तक एल टाइप नाली एवं इंटर लॉकिंग कार्य	987850	9878
8/पन्द्रहवा वित्त	ग्राम नगला रमप्रिया में इंटर लॉकिंग कार्य	476851	4769
9/पन्द्रहवा वित्त	नगला बंजारा में कासगंज अतरौली मार्ग से अजब सिंह के घर तक यू टाइप नाली निर्माण	728641	7286
10/पन्द्रहवा वित्त	ग्राम बहटा में चन्द्रपाल के घर से मैन सड़क और आरामसिंह और गया प्रसाद वाली गली में इंटर लॉकिंग कार्य	979521	9795
11/पन्द्रहवा वित्त	नगला भंडारी में राज्यपाल नेताजी वाली गली में सी0सी0 सौंदर्यकरण	991650	9917
12/पन्द्रहवा वित्त	मजराजात कासगंज में डाबर रोड से रामवीर के खेत तक इंटर लॉकिंग	990028	9900
13/पन्द्रहवा वित्त	प्रमुख कक्ष का सौंदर्यकरण	446580	4466
14/पन्द्रहवा वित्त	कासगंज देहात में रामवीर के घर से प्रभात पैलेस वालों के प्लाट तक इंटर लॉकिंग	986784	9868
15/पन्द्रहवा वित्त	नगला नंदे में डाबर रोड से राजेंद्र की झोपड़ी के आगे तिराहे तक इंटर लॉकिंग	986784	9868
16/राज्य वित्त	बी0डी0ओ0 ऑफिस में सौंदर्यकरण	449901	4499
17/पन्द्रहवा वित्त	तबालपुर मोसमपुर में इंटर लॉकिंग कार्य	991589	9916
18/राज्य वित्त	नदरई में डाबर रोड से ब्रहाजीत के मकान तक इंटर लॉकिंग कार्य	993877	9939
19/राज्य वित्त	भड़पुरा से नगला नंदे डाबर रोड तक इंटर लॉकिंग	993807	9938
20/राज्य वित्त	मोहनी में हॉस्पिटल से बदन सिंह के घर तक इंटर लॉकिंग	995029	9950
21/पन्द्रहवा वित्त	नगला पीपल से तालाब तक यू टाइप नाली निर्माण	697268	6973
22/राज्य वित्त	खैरपुर में चंद्रभान के मकान से लटूरी के घर तक इंटर लॉकिंग	588834	5888
23/राज्य वित्त	नगला गोदी में पानी की टंकी के पास इंटर लॉकिंग	884157	8842
	कुल योग	18730415	187304

इस प्रकार संस्था द्वारा बिलों से रू0 187304 का श्रमिक उपकर न काटकर सीधे ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया तथा सरकार को राजस्व क्षति पहुंचायी गयी। अत: धनराशि रू0 187304 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार, श्री अभिनव द्विवेदी, श्रीदिनेश कुमार मिश्र एवं तत्कालीन लेखाकार श्री तारिक अहमद, श्री अमीरचन्द्र दिनकर से की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 11

प्रस्तर 29- लेखा परीक्षा 2021-22 के दौरान क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अन्तर ग्रामीण निर्माण कार्यों के साथ-साथ ग्राम के अन्दर के भी कार्य करवाये गये हैं। जोकि शासकीय निर्देशों के अनुसार उनके कार्य क्षेत्र के बाहर हैं एवं अनियमित हैं। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय के संबंध में शासनादेश संख्या 1838/33-5-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा एक से अधिक राजस्व गांव को लाभ पहुंचाने वाला कार्य न कराया जाना अनियमितता है। उक्त शासनादेश अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा केवल गांव के बाहर व दो गांव के बीच ही निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा उक्त शासनादेश की अवहेलना की गई है साथ ही लाभार्थी गांव के प्रधान/सचिव से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा लोक निर्माण विभाग, मण्डी समिति से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है जिसे क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये उक्त प्रकार के निर्माण कार्यों के दौहरी करण की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है ऐसे कार्य शासनादेश संख्या 1838/33-5-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के विरूद्ध हैं एवं गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आते हैं। विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	व्यय धनराशि (रूपये में)
1	नगला भंडारी में भगवान सिंह के मकान से प्रेम सिंह के मकान तक एवं नाथूराम के मकान के पास पप्पू के मकान तक इंटर लॉकिंग	887587
2	धनतोरिया में दिलीप के घर के पास इंटर लॉकिंग	412417
3	करसरी में नगला अंडुआ में रामप्रकाश के घर से कमलसिंह मास्टर के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य	989028
4	ग्राम मेमड़ी में नरेश के घर के पास यू टाइप नाली एवं इंटर लॉकिंग कार्य	884002
5	ग्राम बहटा में चन्द्रपाल के घर से मैन सड़क और आरामसिंह और गया प्रसाद वाली गली में इंटर लॉकिंग कार्य	979521
6	नगला भंडारी में राज्यपाल नेताजी वाली गली में सी0सी0 सौंदर्यकरण	991650
7	खैरपुर में चंद्रभान के मकान से लटूरी के घर तक इंटर लॉकिंग	588834
8	तबालपुर मोसमपुर में इंटर लॉकिंग कार्य	991589
	कुल योग	6724628

उपरोक्त विवरणानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा शासनादेश के विरूद्ध रू0 6724628 के अनियमित कार्य कराये गये हैं। इस हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी खण्ड विकास अधिकारी श्री अजय कुमार, श्री अभिनव द्विवेदी, श्रीदिनेश कुमार मिश्र एवं तत्कालीन लेखाकार श्री तारिक अहमद, श्री अमीरचन्द्र दिनकर से स्पष्टीकरण अपेक्षित है। आपत्ति संख्या– 12

जनपद अम्बेडकर नगर मण्डल-अयोध्या

<u>क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ</u>

(लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22)

<u>आपत्ति का विस्तृत विवरण</u>

प्रस्तर संख्या-1

क्षेत्र पंचायत का नाम-भीटी विकासखण्ड- भीटी जनपद- अम्बेडकर नगर

क्षेत्र पंचायत क्षेत्र पंचायत भीटी के लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 की पत्रावली जांच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में पंचम राज्य वित्त से मैसर्स निर्मला कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर को वित्तीय वर्ष में निम्न कार्यों पर भुगतान किया गया है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	दिनाँक	कुल धनराशि (मूल्यांकित एवं देय जी०एस०टी०)
1	काही डहरिया गंगाराम के घर के पास तालाब से भीटी महरुआ रोड तक नाला निर्माण	10.02.2022	363446.00
2	भीटी झारखंडी मंदिर में चारों तरफ इंटरलॉकिंग कार्य	11.02.2022	350050.00
3	परवरभारी बुढवा गांव में श्री राम यादव के घर से त्रिभुवन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	11.02.2022	194924.00
4	हीडी पकडिया में शेषमणि सिंह के घर से धर्मेंद्र सिंह के घर होते हुए प्रमोद सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	15.03.2022	661877.00
	योग		**1570297.00**

उक्त सारणी में दर्शित भुगतान जो मैसर्स निर्मला कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर को किया गया है उसकी बिल पर दर्शित जी0 एस0 टी0 आई0 एन0 पर विवान कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर का रजिस्ट्रेशन है जिस पर लीगल नाम रानावीर सिंह है अतः स्पष्ट है कि निर्मला कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर द्वारा गलत जी0 एस0 टी0 आई0 एन0 अपने बिल पर अंकित कर अपने बैंक खाते में भुगतान लिया गया है जो गंभीर प्रकरण है एवं वसूली योग्य है इसके संबंध में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत नियमावली 1965 के नियम 179 के अंतर्गत 60 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण अपेक्षित है ,60 दिनों के अंतर्गत स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक रहने की स्थिति में इसकी वसूली उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत नियमावली 1965 के नियम 179 (2क) के अंतर्गत रुपये 1570297.00 की वसूली जिम्मेदार व्यक्तियों ब्लाक प्रमुख -श्रीमती निर्मला सिंह से रु0 392574.25, खंड विकास अधिकारी -श्री हरिनरायण से रु0 392574.25 ,लेखाकार श्री रामतीर्थ से रु0 392574.25 एवं जे0ई 0श्री राजेन्द्र कुमार रु0 392574.25 अद्यावधि ब्याज सहित अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-25)

प्रस्तर संख्या-2

क्षेत्र पंचायत का नाम- टांडा विकासखण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकर नगर

क्षेत्र पंचायत टाण्डा की वर्ष 2021-22 की पत्रावली जांच में पाया गया कि निम्म प्रकार से इस्टीमेट, एम0बी0 तथा भुगतान में वैरिएशन किया गया है:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	मदका नान	इस्टीमेंट के अनुसार मात्रा/दर (घनमी0/वर्गमी0)	एमबी/भुगतान के अनुसार मात्रा/दर	अंतर मात्रा/दर	अंतर की मात्रा का कुल मूल्य रू0
01	02	03	04	05	06	07
01	देईपुर में जियालाल के घर से मेन रास्ता तक रबरमोल्ड इंण्टरलाकिंग	रबरमोल्ड इंण्टरलाकिंग कार्य	124.10/915	139.75/915	15.65/915	14319.75

	कार्य					
				योग	**कुल धनराशि**	**14319.75**
02	खास पुर द्वीतीय में रामनाथ मास्टर की दुकान से रामनाथ मास्टर के बाग तक रबरमोल्ड इंण्टरलाकिंग कार्य	अर्थ वर्क	5.17/120	19.35/120	14.18/120	1701.60
		ब्रिक वर्क	50.63/1715	52.09/1715	1.56/1715	2675.40
		रबरमोल्ड इंण्टरलाकिंग	675/915	696.82/915	21.82/915	19965.00
				योग	**कुल धनराशि**	**24342.00**
03	त्रिलोकपुर में संदीप वर्मा के खेत से अशोक पण्डित के बाग तक नाली निर्माण	ब्रिक वर्क	95.27/5160	100.26/5160	4.99/100	25748.40
		पीसीसी 20एमएम	8.72/7800	10.74/7800	2.02/7800	15756.00
				योग	**कुल धनराशि**	**41504.40**
04	जगुई नहर से हरिजस बस्ती तक रबरमोल्ड इंण्टरलाकिंग कार्य	अर्थ वर्क	41.40/5038	47.75/5038	6.35/5038	31991.30
		रबरमोल्ड इंण्टरलाकिंग	612/915	622.75/915	10.75/915	9836.25
				योग	**कुल धनराशि**	**42925.00**
05	बहादुर पुर में सीसी रोड से मौर्या बस्ती में सहेन्द्र मौर्या के खेत तक सीसी कार्य	लेइंग आफ सीसी रोड	75.74/8059	80.39/8059	4.65/8059	37474.35
				योग	**कुल धनराशि**	**37474.35**
06	आसूपुर चतुर्थ में बरूआ जलाकी रोड स हृदय राम के खेत तक सीसी कार्य	सीसी निर्माण 1:6:12	36.63/3900	27.31/3900	9.32/3900	9.32 घनमीटर कार्य कम
		लेइंग आफ सीसी	56.93/8059	60.09/8059	3.16/8059	25466.44
				योग	**कुल धनराशि**	**25466.44**
07	खेतापुर मस्जिद से मुख्तार के घर तक नाली निर्माण कार्य	पीसी वर्क	9.31/1715	11.58/1715	2.27/1715	3893.05
		रबरमोल्ड इंण्टरलाकिंग	124.16/915	171.82/915	47.66/915	43608.90
				योग	**कुल धनराशि**	**47501.90**
08	तुलसीपुर में हीरालाल वर्मा के घर से नाला तक नाली निर्माण कार्य	अर्थ वर्क	227.50/110	283.91/120	56.41/120	6769.20
		सीसी वर्क 40एमएम	34.13/3900	35.62/3900	1.49/3900	5811.00
		ब्रिक वर्क	85.05/5038	95.88/5038	10.83/5038	54561.54
		12 एमएन थिक प्लास्टर	315/155	375/155	60/155	9300.00
				योग	**कुल धनराशि**	**76441.74**
09	आलमपुर धनौरा में राम भरोसे वर्मा के खेत से भदई चमार के घर तक रबरमोल्ड इंण्टरलाकिंग कार्य	ब्रिक वर्क	10.12/120	19.65/120	9.53/120	1143.60
		पीसी 40एमएम	41.91/1715	49.46/1715	7.55/1715	12948.25
		रबरमोल्ड इंण्टरलाकिंग	558.80/915	626.74/915	67.94/915	62165.10
		पीसीसी कार्य	2.53/7800	2.81/7800	0.28/7800	2184.00
	महायोग	**कुल धनराशि**	**388416.53**	**योग**	**कुल धनराशि**	**78440.95**
10	मीठेपुर द्वीतीय में राम शंकर के घर से गुरूप्रसाद के घर तक रबरमोल्ड इंण्टरलाकिंग कार्य	रबरमोल्ड इंण्टरलाकिंग	562.80/915	**651.21/915**	**88.41/915**	80895.15
				योग	**कुल धनराशि**	**80895.15**
11	ग्राम केशवपुर में केदारनगर सद्दरपुर सम्पर्क मार्ग से रामफल के घर तक रबरमोल्ड	रबरमोल्ड इंण्टरलाकिंग	448/915	462.82/915	14.82	13560.30

	इण्टरलाकिंग कार्य					
				योग	**कुल धनराशि**	**13560.30**
				महायोग	**कुल धनराशि**	**482871.95**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जे0ई0 आर0ई0एस0 श्री मनीष पटेल द्वारा निर्माण कार्यों के कई मदों में मापी करते समय अधिक मात्रा अथवा कम मात्रा में सारवान परिवर्तन कर दिया गया है जिससे कार्य तकनिकी/वित्तीय स्वीकृति के विपरीत सम्पादित कराया गया है। उपरोक्त विवरण में प्रायः कार्य की अधिक मात्रा में परिवर्तन को लिया गया जबकि कई कार्यों के कई मदों में मापी के समय भारी कमी की गई है जिससे कार्य की गुणवत्ता को प्रभावित किया गया है। उदाहरण के लिए क्रमांक 6 पर 36.63 घनमीटर सीसी निर्माण में 9.32 घनमीटर से कम करके कार्य को संदिग्ध कर दिया गया है। उक्त सम्बन्ध में तथा आडिट के समय अन्य जानकारी हतु कई बार प्रस्तुत रहने की सूचना लेखाकार एवं स्वयं से देने पर भी समयाभाव बताते हुए आने से मना किया गया। तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के विपरीत उक्त अधिक भुगतानित धनराशि के सम्बन्ध में जे0ई0 आर0ई0एस0 श्री मनीष पटेल से उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत स्पष्टीकरण संसुचित किए जाने के दिनांक से 2 महीने के भीतर द्वारा उचित माध्यम आडिट विभाग को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण की स्थिति में उक्त कुल रू0 482872.00 की वसूली श्री मनीष पटेल, जे0ई0 आर0इ0एस0 से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-24)

प्रस्तर संख्या-3

क्षेत्र पंचायत का नाम- टांडा विकासखण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकर नगर

क्षेत्र पंचायत की आडिट वर्ष 2021-22 में पाया गया कि निम्न कार्यों के वेंडर रमेश चन्द्र वर्मा द्वारा जीएसटी कैंसिल वाली एवं जीएसटी वसूली हेतु अनर्ह फर्म की बिल के आधार पर माल एवं सेवा की आपूर्ति दर्शाई गई जिसके आधार पर बिना जांच पडंताल जे0ई0 आर0ई0डी0 श्री मनीष पटेल द्वारा एम0बी0 करके तथा जीएसटी की लम्बी रकम का भुगतान कर राजकीय कोष को क्षति पहुंचाई गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0	**कार्य का नाम**	**बिल नं0/दिनांक**	**बिल की धनराशि रू0**	**जीएसटी की धनराशि रू0**	**कुल भुगतानित धनराशि रू0**
01	आसोपुर चतुर्थ में बरूआ जलाकि रोड से हृदय राम के खेत तक सीसी कार्य		803539	96425	899964
02	ग्राम ब्राहिमपुर में एजाज के घर से हजारी गुप्ता के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य	05/10.01.22	492782	59134	551916
03	खेतापुर मस्जिद से मुख्तार के घर तक नाली निर्माण कार्य	06/15.03.22	389841	46781	436622
04	ग्राम टड़वा मुजाहिदपुर में इंदर के घर से रोहित के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य	07/13.01.22	361106	43333	404439
			2047268	**245673**	**2292941**

क्षेत्र पंचायत में तैनात जे0ई0 आर0ई0डी0 श्री मनीष पटेल द्वारा बिना बिल एवं सामग्री की जांच किए एक मापी एम0बी0 में दर्ज की गई है जिसके आधार पर भुगतान किया गया है। इस प्रकार रू. 245673 की क्षति पहुंचाई गई है। अतः उक्त के सम्बन्ध उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत स्पष्टीकरण संसुचित किए जाने के दिनांक से 2 महीने के भीतर द्वारा उचित माध्यम आडिट विभाग को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण की स्थिति में उक्त कुल रू0 245673.00 अनियमित ठेकेदार को भुगतान की वसूली श्री मनीष पटेल, जे0ई0 आर0इ0एस0 से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-25/1)

प्रस्तर संख्या-4

क्षेत्र पंचायत का नाम- टांडा विकासखण्ड- टांडा जनपद- अम्बेडकर नगर

जीएसटी रजिस्ट्रेशन नियमों के विपरीत रद्द पंजीयन वाले ठेकेदार के टैक्स इनवायस के आधार एम0बी0 करके भुगतान कराया जाना भारी वित्तीय अनियमितता के द्योतक है। ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे कार्य की निगरानी एवं सामग्री की गुणवत्ता की जांच तथा एम0बी0 में उसका विवरण, उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984, के नियम 35 एवं 36 के अनुरूप, श्री मनीष पटेल द्वारा दर्ज नहीं किया गया है जिससे सामग्री गुणवत्ता की भी पुष्टि नही होती है। उक्त अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में श्री मनीष जे0ई0 आर0इ0डी0 से उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 179 के अंतर्गत स्पष्टीकरण संसुचित किए जाने के दिनांक से 2 महीने के भीतर द्वारा उचित माध्यम आडिट विभाग को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण की स्थिति में उक्त कुल रू0 2047268 की वसूली श्री मनीष पटेल, जे0ई0 आर0इ0एस0 से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-25/2)

जनपद-अमेठी मण्डल का नामः- अयोध्या

प्रारूप-3

वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22

क्षेत्र पंचायत का नाम- बाजार शुकुल वर्ष 2021-22 जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या - 01

वित्त वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त योजनान्तर्गत ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार रू. 10138033.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्यय के सापेक्ष रू. 8644731.00 के व्यय प्रमाणक/पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत की गयी किन्तु शेष व्यय धनराशि रू. 1493302.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावलियां लेखापरीक्षा के समय पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त सम्पूर्ण व्यय अपुष्ट, अप्रमाणित एवं विवरणहीन तथा नियम विरूद्ध है जो अधिभार योग्य है जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव गुप्ता, श्री शशि कुमार तिवारी, सुश्री प्रीति वर्मा, श्री सत्य नारायण सिंह, श्री विजय कुमार आस्थाना तथा लेखाकार श्री अजय कुमार से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 02

वित्त वर्ष 2021-22 में पंचम राज्य वित्त योजनान्तर्गत ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार रू. 2184352.00 व्यय दर्शित किया गया है उक्त व्यय के सापेक्ष रू. 1867183.00 धनराशि के व्यय प्रमाणक/पत्रावलियां लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत की गयी किन्तु शेष व्यय धनराशि 317169.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जिसे उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त सम्पूर्ण व्यय अपुष्ट, अप्रमाणित विवरणहीन तथा अनियमित है जो अधिभार के योग्य है जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव गुप्ता, श्री शशि कुमार तिवारी, सुश्री प्रीति वर्मा, श्री सत्य नारायण सिंह, श्री विजय कुमार आस्थाना तथा लेखाकार श्री अजय कुमार से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या - 03

वित्त वर्ष 2021-22 में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के अन्तर्गत ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार रू. 71520.00 व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त मद में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त सम्पूर्ण व्यय, अपुष्ट अप्रमाणित विवरणहीन तथा अनियमित है जो अधिभार के योग्य है जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव गुप्ता, श्री शशि कुमार तिवारी, सुश्री प्रीति वर्मा, श्री सत्य नारायण सिंह, श्री विजय कुमार आस्थाना तथा लेखाकार श्री अजय कुमार से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 04

वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त योजना अंतर्गत कराये गये कार्यों का विवरण निम्नलिखित है-

क्रम	कार्य का नाम	व्यय धनराशि (रूपयों में)
1	उरेरमऊ में पूरे पितई सम्पर्क मार्ग दुर्गामंदिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	31059.00
2.	सेवरा में इन्हौना शुकुल बाजार रोड से श्री रमाशंकर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	11727.00
3.	मवैया रहमतगढ़ में कंचनगढ़ इण्टरलाकिंग से रामभवन के दरवाजे तक होते हुये जगदीशपुर पिच रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य	29085.00
4.	बहरपुर में पूरे वना पिच रोड से पुराने खड़न्जा तक खड़न्जा कार्य	13405.00
5	पाली में अनुसूचित बस्ती में बब्लू गौतम के दरवाजे से मोती के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	136046.00
6.	माझगांव में शिवली मनकापुर रोड से महेन्द्र प्रताप के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	54048.00
7.	बाहरपुर में नईम के दरवाजे से तुफैल के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	31616.00
8.	सौना में रामफेर चौधरी के घर से जीतू पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	30178.00
9.	सेवरा में पूरे गनेशी में इस्माइल के घर से दुददुश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	7665.00
10.	विश्म्भर पट्टी में रामजमनकी मंदिर से विनय सिंह के दरवाजे तक इण्अरलांकिग कार्य	11621.00
11.	सिंघनामऊ में पुलिया निर्माण कार्य	182237.00
12.	हरखूमऊ में पूरे पासिन में पक्की सड़क से काली जी के स्थान से खुशीराम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	185706.00
13.	तेन्दुआ में इन्होन रूदौली मार्ग से आरा मशीन तक खड़न्जा निर्माण कार्य	7665.00
14.	खालिस बाहरपुर में पिच रोड से अवधेश यादव के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	27061.00
15.	खेममऊ दुधोरन गंगादीन पासी के दरवाजे से हरिश्चन्द्र के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	23751.00
16.	मोहिद्दीन पुर में समीम के चक सोनू बी0डी0.सी0 के घर तक इण्अरलाकिग कार्य	506331.00
17.	बरसन्डा में जीमल उसरहा के दरवाजे से स्कूल व पंचायत भवन तक खड़न्जा कार्य	240648.00
18.	ऊँचगांव इन्हौना शुकुलबाजार मार्ग से श्री संतप्रसाद सूरजदीन महाविद्यालय तक इण्टरलाकिंग कार्य	144512.00

19.	खेममऊ में पूरे शिवरतन खड़न्जा से रामरूप दरवाजे होते हुये राजेन्द्र के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	250836.00
20.	शाहजहाँ के दरवाजे से शबहू के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	163466.00
21.	धनेशा में लतीफ के दरवाजे से मदरसा तक इण्टरलाकिंग कार्य	463787.00
22.	पाली में उरेरमउ सम्पर्क मार्ग से पाली घाट तक इण्टरलाकिंग कार्य	250381.00
23.	बरसण्डा सम्पर्क मार्ग से मथुरा के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	445090.00
24.	व्योरेमऊ में सादीपुर पुल से गया प्रसाद यादव के दरवाजे खड़न्जा निर्माण कार्य	282056.00
25.	बरसण्डा में मुस्ताक के दरवाजे से साजिद के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	571541.00
26.	तेन्दुआ में रूदौली सम्पर्क मार्ग से पूरे मौजा तिवारी सम्पर्क मार्ग तक खड़न्जा निर्माण कार्य	352307.00
27.	बरसन्डा में तेतारपुर पिच रोड से सरकारी ट्यूबेल तक इण्टरलाकिंग कार्य	308089.00
28.	नोहरेपुर में फूलमती के स्थान से प्राथमिक पाठशाला तक इण्टरलाकिंग कार्य	302246.00
29.	काजीपुर में राम सेवक मौर्य के दरवाजे से मोबीन के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	146696.00
30.	सरैया पीरजादा में महराजदीन के दरवाजे से देवता के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	258758.00
31.	फुन्दनपुर में दल बहादुर के दरवाजे से मंदिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	368451.00
32.	बरसन्डा में सम्पर्क मार्ग से हरिजन बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	347403.00
33.	बाहरपुर से नहर पुल से पिच रोड तक खड़न्जा निर्माण कार्य	158694.00
34.	सत्थिन में मकदूमपुर मार्ग से भानू पाण्डेय के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	445030.00
35.	मरदानपुर में पूरे परवेज पिच रोड से राम नारायन के दरवाजे तक खड़न्जा निर्माण कार्य	332316.00
36.	गयासपुर में रानीगंज, बाजारशुकुल पिच रोड से हनुमान के चक तक खड़न्जा निर्माण कार्य	808385.00
37.	जमुवारी में जयनारायण के दरवाजे से तेग बहादुर के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	350016.00
38.	बरसन्डा में पूरे समसी सादिक अली के दरवाजे से चौक तक इण्टरलाकिंग कार्य	336481.00
39	बदलगढ़ पूरे मेढ़ीलाल में देव स्थान से मस्जिद तक इण्टरलाकिंग कार्य	13193.00
40	दक्खिनगांव क्यार में पूरे लोहंगी शीतला प्रसाद के खेत से पूरे झाउ पिच रोड तक खड़न्जा निर्माण कार्य	15148.00
41	मरदानपुर में पिचरोड से पूरे ओरी सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य	33852.00
42	पाली में पिचरोड से वनपुरवा हरिहर के घर तक इण्टलांकिग कार्य	382146.00
43	मरदानपुर में पुरे निद्धा में पिचरोड से आबादी तक इण्टरलाकिंग कार्य	40445.00
44	नादी मे पूर जालिम खड़न्जा से नूरजहां की बाग तक सोलिंग कार्य	7171.00
45	उंचगांव पिचरोड से बेंचू के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	7665.00
46	बदलगढ पिचरोडसे जंगी के घर तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग कार्य	617507.00
47	रसूलपुर में बादल साविर के घर से इश्तियाक के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	7665.00
48	मवैया रहमतगढ़ इन्हौना शुकुलबाजार पिचरोड से बिनोद सोनी के राईसमिल तक इण्टरलाकिंग कार्य	448135.00 44555.00
49	मकदूमपुर कला में लालगंज, थिर्राउ, फत्ते, मोबीन, हबीब उल्ल व आरिफ के दरवाजे नाली व इण्टरलाकिंग कार्य	7665.00
50	नांदी में लबिहामऊ पिच रोड से बदलगढ़ पिचरोड तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	75539.00

51	बदलगढ़ पिचरोड से रियाज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	147212.00
52	बाहरपुर में पिचरोड से कुर्दोपुर आबादी तक इण्टरलाकिंग कार्य	47626.00
	योग	10511914.00

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त योजना अन्तर्गत संलग्न प्रारूप में 01 से 40 व 01 से 12 कुल 52 कार्यों का उल्लेख है जिस पर कुल रू 10511914.00 का व्यय दर्शित है। पत्रावलियों के अवलोकन व लेखाकार से प्रापत जानकारी में गम्भीर आपत्तिजनक तथ्य प्रकाश में आये विवरण निम्नलिखित है।

1. सम्पूर्ण कार्यों राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त योजना अंतर्गत क्रमांक 01 से 52 तक में तीन फर्मों के ठेकेदारों द्वारा निविदा डाली गयी है किन्तु निविदा फार्म की बिक्री की धनराशि नक्शा आय में प्रदर्शित नहीं है तथा पत्रावली में उपलब्ध निविदा फार्म पर खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है इससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत कार्यालय द्वारा जारी नियम प्रारूप पर निविदा नहीं डाली गयी तथा अन्य प्रारूप पर डाली गयी निविदा विचार योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 02 के क्रमांक 307 में उक्त आशय का उल्लेख है।

2. सभी टेण्डर के साथ अर्नेस्ट मनी नहीं जमा की गयी जिससे प्राप्त टेण्डर विचार योग्य नहीं है।

3. टेण्डर पर विचार करने व टेण्डर लिफाफा खोलने के लिये समिति का गठन ही नहीं हुआ। टेण्डर के लिफाफे व टेण्डर प्रपत्र पर समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

4. निविदा स्वीकृति के पश्चात 10 प्रतिशत (निविदा मूल्य का) जमानत धनराशि जमा कर अनुबन्ध नहीं कराया गया है। 10 प्रतिशत जमानत धनराशि में 2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी सम्मिलित रहती है।

5. ठेकेदारों को भुगतान के समय 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 रू. 159415.00 तथा 01 प्रतिशत लेबर सेस रू. 103791.00 कटौती की गयी है परन्तु उक्त धनराशि को सम्बन्धित खातों में जमा सम्बन्धी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई।

6. नियमानुसार रायल्टी की कटौती नहीं हुई है।

7. किसी भी टेण्डर के साथ ठेकेदार के चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होता है एवं हैसियत प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी होता है निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं रहा।

8. निर्माण पत्रावलियों में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा।

9. शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के प्रस्तर में दी गयी व्यवस्थानुसार चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत संग्रहित धनराशि (धन का उपयोग) एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये किन्तु क्रमांक 01 से 52 तक के अधिकतर कार्य एक ही राजस्व गांव के है जो कि उक्त शासनादेश के अनुसार अनुमन्य नहीं है। फलस्वरूप अनियमित है।

10. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (चल/अचल सम्पत्ति) नियमावली 1965 के नियम संख्या 3(1) के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत मार्गों के साथ-साथ अन्य सृजित परिसम्पत्तियों के विवरण को अभिलेखकृत करने के लिये परिसम्पत्ति पंजिका रख-रखाव अपेक्षित है तथा उक्त नियमावली के नियम संख्या-04 के अनुसार क्षेत्र पंचायत में निर्मित सड़कों का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु मार्ग पंजिका का रख-रखाव अपेक्षित है। किन्तु आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुरक्षित व नवनिर्मित कार्यों का क्षेत्र पंचायत के परिसम्पत्ति पंजिका में संलग्न नहीं पाये गये और न ही क्षेत्र पंचायत द्वारा अलग से कोई मार्ग पंजिका तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। लेखाकार द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों अभिलेख बनाये ही नहीं गये है।

11. केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त योजना अंतर्गत 2.27 प्रतिशत की दर से आयकर रू. 237360.00 की कटौती ठेकेदार के बिलों से की गयी किन्तु उक्त धनराशि को सुसंगत शीर्ष खाते में जमा होने का प्रमाण नहीं दिखाया गया जो नियम विरूद्ध है।

12. स्टाक रजिस्टर तथा निर्माण कार्य रजिस्टर अप्रस्तुत रहा। लेखाकार द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य रजिस्टर बना ही नहीं है।

13. निर्माण कार्यों के निरीक्षण/कराने हेतु कार्य प्रभारी की नियुक्ति ही नहीं की गयी जो कि अनियमित है।

इस प्रकार क्रमांक 01 से 13 तक की आपत्तियों से सुस्पष्ट होता है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रारूप 01 पर अंकित क्रमांक 01 से 40 तक (केन्द्रीय वित्त योजनान्तर्गत) तथा क्रमांक 01 से 12 तक (राज्य वित्त योजनान्तर्गत) कराये गये कुल 52 कार्य पूर्णतः मनमानी एवं अनियमित तरीके से कराया गया है। उक्त सम्पूर्ण कार्यों पर व्यय धनराशि रू. 10511914.00 अनियमित रहा। जो अधिभार के योग्य है। जिसके उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारियों श्री राजीव गुप्ता, श्री शशि कुमार तिवारी, सुश्री प्रीति वर्मा, श्री सत्य नारायण सिंह, श्री विजय कुमार आस्थाना तथा लेखाकार श्री अजय कुमार रहे। उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि रू. 10511914.00 की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम- संग्रामपुर **वर्ष 2021-22**

जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या 05

आलोच्य वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत में अनुदान पंजिका के अनुसार कुल रू0 7691733.20 व्यय किया गया है। उक्त व्यय से संबंधित व्यय विवरण/कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा के समय अप्राप्त रहीं और दिनांक 04.01.2023, 07.02.2023, 02.03.2023 एवं 22.03.2023 के पत्रों (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बार-बार मांग किये जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराई गयीं। मदवार विवरण निम्नवत है-

क्र.	मद का नाम	अनुदान पंजिका के अनुसार व्यय धनराशि	व्यय धनराशि, जिसकी पत्रावलियां उपलब्ध रही	व्यय धनराशि, जिसकी पत्रावलियां उपलब्ध नहीं रही	अधिभार योग्य धनराशि
1	राज्य वित्त/14वां वित्त	924658.00	0.00	924658.00	924658.00
2	विधायक निधि	1386771.20	0.00	1386771.20	1386771.20
3	मनरेगा कन्टीजेन्सी	1320961.00	0.00	1320961.00	1320961.00
4	प्र0 मं0/इ0 आ0 कन्टीजेन्सी	48.00	0.00	48.00	48.00
5	प्रासंगिक मद	5202.00	0.00	5202.00	5202.00
6	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण कार्य	1423593.00	0.00	1423593.00	1423593.00
7	शादी अनुदान मु0मं0सा0वि0	2630500.00	0.00	2630500.00	2630500.00
	महायोग	7691733.20	0.00	7691733.20	7691733.20

इस प्रकार का विवरणहीन व्यय लेखा नियमों के प्रतिकूल है एवं अधिभार के योग्य है। अतः रू0 7691733.20 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव गुप्ता, श्री अखिलेश पाण्डेय एवं श्री राकेश कुमार पाण्डेय तथा लेखाकार श्री हृदय पाल सरोज से समान रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 06

आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत में अनुदान पंजिका के अनुसार कुल रू0 13427776.40 व्यय किया गया है। उक्त व्यय से संबंधित व्यय विवरण/कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा के समय अप्राप्त रहीं और दिनांक 04.01.2023, 07.02.2023, 02.03.2023 एवं 22.03.2023 के पत्रों (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बार-बार मांग किये जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराई गयीं। मदवार विवरण निम्नवत है-

क्र.	मद का नाम	अनुदान पंजिका के अनुसार व्यय	व्यय धनराशि, जिसकी	व्यय धनराशि, जिसकी	अधिभार योग्य धनराशि

		धनराशि	पत्रावलियां उपलब्ध रही	पत्रावलियां उपलब्ध नहीं रही	
1	राज्य वित्त/14वां वित्त	5051513.00	0.00	5051513.00	5051513.00
2	विधायक निधि	1729244.50	0.00	1729244.50	1729244.50
3	मनरेगा कन्टीजेन्सी	415205.90	0.00	415205.90	415205.90
4	शादी अनुदान मु0मं0सा0वि0	297576.00	0.00	297576.00	297576.00
5	अस्थाई गोवंश आश्रय	562780.00	0.00	562780.00	562780.00
6	केन्द्रीय 15वां वित्त	4707032.00	0.00	4707032.00	4707032.00
7	सांसद निधि	664425.00	0.00	664425.00	664425.00
	महायोग	13427776.40	0.00	13427776.40	13427776.40

इस प्रकार का विवरणहीन व्यय लेखा नियमों के प्रतिकूल है एवं अधिभार के योग्य है। अतः रू0 13427776.40 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार पाण्डेय, शशि कुमार तिवारी तथा लेखाकार श्री हृदय पाल सरोज से समान रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 07

आलोच्य वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत में अनुदान पंजिका के अनुसार कुल रू0 16369193.20 व्यय किया गया है। उक्त व्यय से संबंधित व्यय विवरण/कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा के समय अप्राप्त रहीं और दिनांक 04.01.2023, 07.02.2023, 02.03.2023 एवं 22.03.2023 के पत्रों (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बार-बार मांग किये जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराई गयीं। मदवार विवरण निम्नवत है-

क्र.	मद का नाम	अनुदान पंजिका के अनुसार व्यय धनराशि	व्यय धनराशि, जिसकी पत्रावलियां उपलब्ध रही	व्यय धनराशि, जिसकी पत्रावलियां उपलब्ध नहीं रही	अधिभार योग्य धनराशि
1	राज्य वित्त/14वां वित्त	4274689.00	0.00	4274689.00	4274689.00
2	विधायक निधि	5450407.00	0.00	5450407.00	5450407.00
3	मनरेगा कन्टीजेन्सी	91362.20	0.00	91362.20	91362.20
4	शादी अनुदान मु0मं0सा0वि0	3100639.00	0.00	3100639.00	3100639.00
5	अस्थाई गोवंश आश्रय	2600793.00	0.00	2600793.00	2600793.00
6	केन्द्रीय 15वां वित्त	851303.00	0.00	851303.00	851303.00
	महायोग	16369193.20	0.00	16369193.20	16369193.20

इस प्रकार का विवरणहीन व्यय लेखा नियमों के प्रतिकूल है एवं अधिभार के योग्य है। अतः रू0 16369193.20 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री शशि कुमार तिवारी, श्री विजय कुमार अस्थाना, श्री राकेश कुमार पाण्डेय एवं श्री अरुण कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री हृदय पाल सरोज से समान रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम- गौरीगंज **वर्ष 2021-22**

जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या-08

राज्य वित्त मद से श्री गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव कैशियर को द्वारा चेक संख्या 015845/दिनांक 27.08.2021 रू. 60000.00 का भुगतान किया गया है। दर्शित सन्दर्भ के अनुसार बी0डी0सी0 सदस्यों की बैठक से सम्बन्धित मानेदय भुगतान बाबत माह यह धनराशि रही है। इस सम्बन्ध में निम्न गम्भीर तथ्य लेखा परीक्षान्तर्गत पाये गये-

1. बैठक कार्यवाही पंजिका उपलब्ध नहीं पायी गयी तथा बैठक की तिथि तथा कार्यवृत्तियों का संज्ञान नहीं कराया गया।

2. निकासी की धनराशि कैशियर द्वारा कैशबुक में लेखा रख-रखाव अन्तर्गत रखे जाने की पुष्टि नहीं रही है। इसमें अतिरिक्त वितरण से सम्बन्धित विवरण पंजी भी उपलब्ध नहीं पायी गयी। इस प्रकार उक्त दर्शित व्यय रू. 60000.00 के सदुपयोगिता की पुष्टि नहीं हुई।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कैशियर द्वारा निजी हित में धनराशि प्राप्त कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः रू. 60000.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री शशिकुमार तिवारी, श्री उमाशंकर वर्मा एवं लेखाकार श्री इंदु कुमार सिंह से बराबर-बराबर अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। विभागीय उच्चअधिकारियों का ध्यान इस सम्बन्ध में आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-09

मनरेगा प्रशासनिक मद में विवरण के अनुसार दर्शित व्यय जो वर्ष दौरान किये गये है; से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/अनुमोदन व्यय धनराशि लेखा परीक्षा में अप्राप्त/अपुष्ट पाये गये। अतः व्यय की धनराशि आधारहीन/फर्जी तौर पर दर्शाकर अप्रत्यक्ष रूप से धनराशि कुल रू. 122595.00 का अपहरण किया गया है। इस हेतु लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं।

अतः रू. 122595.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री शशिकुमार तिवारी , श्री उमाशंकर वर्मा एवं लेखाकार श्री इंदु कुमार सिंह से बराबर-बराबर अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान इस सम्बन्ध में आकृष्ट किया जाता है- मनरेगा प्रशासनिक मद में निम्न विवरणानुसार व्यय किया ग्राण्ट रजिस्टर ग्राण्ट में प्रदर्शित है-

क्रमांक	चेक संख्या/दिनांक	धनराशि	अन्य विवरण
01	020877/07.05.2021	7431.00	डीजल व्यय
02	020879/08.09.2021	70164.00	वाहन किराया/डीजल व्यय
03	020880/05.10.2021	27000.00	मनरेगा सम्मेलन पर व्यय
04	020882/27.12.2021	18000.00	ब्राडबैण्ड कनेक्शन पर व्यय
	योग	122595.00	

प्रस्तर संख्या-10

1. क्षेत्र पंचायत गौरीगंज में आलोच्य वर्ष 2021-22 में कराये गये निर्माण कार्य निम्नवत् है-

क्रम	कार्य का नाम	धनराशि रू.
1	धारूपुर में सारनाथ सिंह के मेड खड़न्जा से संदीप सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	499976.00
2	लुगरी में सी0सी0 रोड से वोरालाल तक पारिया सहित नाली निर्माण कार्य	628112.00
3	टिकरिया में शिवशंकर सिंह के घर से नरेश पाण्डे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	683875.00
4	गूजरटोला के साथापुरवां सी.सी.रोड से मंसापुरवा के गांव के आगे तक	668931.00

	इण्टरलाकिंग कार्य	
5	राघीपुर में पक्की सड़क से अजय वैश्व के घर तक इंटरलांकिग कार्य	685984.00
6	गौरीपुर में इण्टरलाकिंग से के0डी0 दुबे के घर से इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य	5600.00
7	ग्राम सभा रौजा में मनीष के घर से तिराहे तक इण्टरलाकिंग कार्य	5600.00
8	सुलतानपुर-रायबरेली मार्ग से नूर मो0 कोटेदार पूरे मेड़ई गूजरटोला इण्टरलाकिंग कार्य	681483.00
9	अन्नीबैजल में मेन रोड इण्टरलाकिंग से दर्शन यादव के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य	512121.00
10	ग्राम सभा सोगरा में इण्टरलाकिंग से पप्पू के घर तक इण्टरलाकिंग काय्र	5600.00
11	वेहटा में राम प्रताप कोरी के घर से विक्रम के तालाब तक पटिया सहित नाली निर्माण	905550.00
12	ग्राम पंचायत बाबूपुर में शीतला प्रसाद के घर से जगजीवन के घर तक पटिया सहित नाली निर्माण	580437.00
13	रामपुर कुड़वा में रामकुमार सिंह के घर से कप्तान सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग	376146.00
14	तुलसीपुर में इण्टरलाकिंग का अवशेष भाग का कार्य	187396.00
15	बाबूपुर राजापट्टी में गुड्डूरपुल तक इण्टरलाकिंग कार्य	180266.00
	योग रू	**6607077.00**
16	ग्राम पंचायत अनापुर में मुसाफिरखाना रोड से हल्कहा इण्टरलाकिंग तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	622465.00
17	ग्राम पंचायत अनापुर में मुसाफिरखाना रेाड हलकहा रोड तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	661744.00
18	छिटेपुर में बिन्दु मिश्र के घर से हनुमत मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	345193.00
19	ग्राम सभा राघीपुर में पक्की सड़क से पाण्डेयपुर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	340731.00
20	ग्राम पंचायत लुगरी में पक्की सड़क से संजय सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	253742.00
21	सम्भावां में सी0सी0 रोड से नन्दलाल मौर्या के घर से दुर्गा मन्दिर तक सी0सी0 निर्माण कार्य	117509.00
22	खजुरी ग्राम पंचायत में इण्टरलाकिंग से राम दूबे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	147374.00
23	रोहसीबुजुर्ग लक्ष्मनपुर के शिवराज के घर से माताफेर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	5600.00
24	घाटमपुर में पक्की सड़क से पूरे हरगांव होते हुये सी0सी0 रोड तक सी0सी0 निर्माण	883542.00
25	विकास खण्ड परिसर में प्रधान मीटिग हाल की इण्टरलाकिंग का अवशेष कार्य	5600.00
26	ग्राम पंचायत रौजा में राजेश के घर से मोतीलाल के घर तक होते हुये इण्टरलाकिंग कार्य	5600.00
27	राघीपुर में जगदीश के घर से लुगरी पक्की सड़क तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	682730.00

28	ऐंठा पूरेटेकिन में इण्टरलाकिंग कार्य राम कृपाल तेली के घर से रामखुख के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	206139.00
29	जामों गौरीगंज मार्ग से सुरेन्द्र के घर तक सदीकपुर में इण्टरलाकिंग कार्य	5600.00
30	ग्राम सभा रोहसीबुजुर्ग में रामनाथ शर्मा के घर से हीरालाल पासी के घर होते हुये विश्वनाथ सिंह के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग कार्य	681309.00
31	जमों गौरीगंज मार्ग से पूरे कालिका मिश्र तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	264575.00
	योग रू	**5229453.00**
	महायोग रू	**11836530.00**

उक्त प्रकार क्षेत्र पंचायत गौरीगंज में केन्द्र वित्त पन्द्रहवां के अन्तर्गत व्यय रू. 6607077.00 तथा पंचम राज्य वित्त अन्तर्गत व्यय रू. 5229453.00 कुल योग रू. 11836530.00 उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में निम्न गम्भीर आपत्तिजनक तथ्य पाये गये विवरण निम्नवत् है-

1. निविदा फर्म के ठेकेदारों द्वारा निजी पैड पर तैयार करके निविदा डाली गयी है स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत स्तर से निविदा फार्म ही बिक्री ही नहीं किये गये हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के अध्याय 2क के क्रमांक 30 पर उल्लिखित है कि यदि निविदा नियत प्रारूप पर प्रस्तुत किया गया तो निविदा विचार योग्य नहीं है।

2. ठेकेदार/फर्म से 2% अर्नेस्ट मनी जमा बिना कराये ही निविदा किया गया; जबकि यह प्रक्रिया ही नियम विरूद्ध रही है। इसके अतिरिक्त निविदा आमंत्रण एवं निविदा खोले जाने के सम्बन्ध में निविदा समिति का गठन भी नहीं किया गया है। मात्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वयं ही हस्ताक्षर कर दिये गये हैं; जो अनियमित तथा मनमाने ढंग की कार्यशैली रही है। नियमानुसार 02 प्रतिशत अर्नेस्ट जमा न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उपरोक्त दर्शित कार्य (क्रमांक 01 से 31 तक) से सम्बन्धित निविदा विचार योग्य ही नहीं रही।

3. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार/फर्म से 10% जमानत राशि तथा अर्नेस्ट मनी को भी न जमा कराकर गम्भीर अनियमितता की गयी है। कार्य पत्रावलियों में स्टाम्प पेपर सादे ही संलग्न कर रखे गये हैं।

4. ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत बिलो सं 2% आयकर की कटौती न करके केन्द्रीय राजस्व मद में जमा न किया जाना पाया गया, इसके अतिरिक्त कतिपय बिलों पर 2.27% की आयकर कटौती करके धनराशि नियत मद में जमा ही नहीं किया गया है। मात्र औपचारिकता ही आयकर कटौती की दर्शायी गयी है। तथा जमा न करके राजस्व की क्षति की गयी है।

5. जी0एस0टी0 कटौती संस्था स्तर पर 2% तथा लेबर सेस कुल परियोजना लागत का 1% बिलों के भुगतान के समय कर लिया जाना चाहिये। जी0एस0टी0 शेष 10% के लिये परियोजनाओं की सूची माल व सेवाकर कार्यालय में जमा कर पुष्टि कराया जाना चाहिये; जो ठेकेदारों का दायित्व है। इस प्रकार राजस्व की क्षति को गम्भीरता से लिये जाने हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट है।

6. निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न ही नहीं किये गये हैं जो आपत्तिजनक रहा है।

7. नियमानुसार रायल्टी की कटौती नही की गयी है। प्रारूप एम0एम0 11 की प्रति भी कार्य पत्रावलियों में संलग्न नहीं है अतः आवश्यक कार्यवाही वांछित है।

8. किसी भी टेण्डर के साथ ठेकेदार के चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होता है। एवं हैसियत प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी होता है। निविदा प्रपत्र के सथ संलग्न नहीं रहा।

9. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत नियमावली 1965 के नियम संख्या 03(6) के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न स्त्रोतों के अन्तर्गत कार्यों के साथ-साथ अन्य सृजित परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में परिसम्पत्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। उक्त नियमावली के नियम संख्या 04 के अनुसार क्षेत्र पंचायत में निर्मित सड़कों का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु मार्ग पंजिका का रख रखाव शून्य पाया गया।

10. शासनादेश संख्या 1838/33-2615-03-2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा प्रस्तर (2) के क्रमंाक 2 में दी गयी व्यवस्थानुसार पंचम राज्य वित्त के अन्तर्गत संकलित धनराशि से (धन का उपयोग) एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये किन्तु उल्लिखित समस्त कार्य एक ही राजस्व ग्राम के अन्तर्गत कराये गये है। जो कि उक्त शासनादेश के अनुसार अनुमन्य नहीं है। तथा फलस्वरूप विधि विरूद्ध है।

11. निर्माण कार्य में जिन कार्यों से सम्बन्धित निविदाओ की स्वीकृति रू. 2.50 लाख से अधिक है उनसे सी0जी0एस0टी0 एक्त 2017 की धारा 51 के अनुसार आपूर्तिकर्ता (अर्थात विक्रेता/सेवा प्रदाताओं/ठेकेदारों) को दिनांक 01.10.2018 से किये गये प्रत्येक भुगतान अथवा लेखों में प्रविष्ट (जो पहले से) पर 02 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 (टी0डी0एस) अनिवार्य रूप से काटा जायेगा। इस नियम का भी पालन न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार निविदा प्रक्रिया का पालन न करने व विभिन्न शासनादेशों का उल्लंघन कर मनमानी पूर्ण कार्य कराकर रू. 11836530.00 का अनियमति व्यय किया गया है। राजकीय अनुदान के व्यय से सम्बन्धित निर्धारित नियम व्यवस्था व शासनादेश से सम्बन्धित निर्धारित नियम व्यवस्था व शासनादेश का खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार के लिये कोई महत्व नहीं रहा। अतः उपरोक्त कुल अनियमित व्यय की सम्पूर्ण धनराशि रू. 11836530.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री शशिकुमार तिवारी, श्री उमा शंकर वर्मा एवं लेखाकार श्री इंदु कुमार सिंह से बराबर-बराबर से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ नियमानुसार अन्य विभागीय व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम- शाहगढ़ **वर्ष 2021-22**

जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या-11

क्षेत्र पंचायत शाहगढ़ में आलोच्य वर्ष 2021-22 में कराये गये निर्माण कार्य निम्नवत् है-

क्रम	कार्य का नाम	व्यय धनराशि (रूपयों में)
1	पिच रोड से पूरे शिवबक्श तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	170931.00 327668.00
2	ग्ंगा प्रसाद के घर से गया प्रसाद पाठक के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	272095.00
3	राम सिंह के घर से मथुरा के घर एवं मांदिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	945446.00
4	पूरे रामदीन में पक्की नाली निर्माण कार्य	436859.00
5	रामजस के घर से सडक तक पटिया सहित नाली निर्माण कार्य	391076.00
6	हैण्डपम्प स्थापना सहित पक्की सड़क से जिमुगी नारायण के घर से होते हुये शम्भूनाथ के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	990954.00
	योग	**3535029.00**
7	पिच रोड से राम अवध के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	297772.00
8	पक्की सड़क से विजय शुक्ला के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	528881.00
9	सभागार की मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	355010.00
10	गंगा प्रसाद के घर से नैमिष पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	967083.00
11	कली माई चहवेर के पास से गप्पू तिवारी के मशीन तक इण्टरलाकिंग कार्य	725064.00
12	सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना का कार्य	775500.00
13	हौसिंला सिंह के घर से विष्णु सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	158430.00

	योग रू0	**3807740.00**
	महायोग रू0	**7342769.00**

उक्त प्रकार क्षेत्र पंचायत शाहगढ़ में केन्द्र वित्त पन्द्रहवां के अन्तर्गत व्यय रू. 3535029.00 तथा पंचम राज्य वित्त अन्तर्गत व्यय रू. 3807740.00 कुल योग रू. 7342769.00 उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में निम्न गम्भीर आपत्तिजनक तथ्य पाये गये विवरण निम्नवत् है-

1. निविदा फर्म के ठेकेदारों द्वारा निजी पैड पर तैयार करके निविदा डाली गयी है स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत स्तर से निविदा फार्म ही बिक्री ही नहीं किये गये हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के अध्याय 2क के क्रमांक 30 पर उल्लिखित है कि यदि निविदा नियत प्रारूप पर नहीं प्रस्तुत किया गया तो निविदा विचार योग्य नहीं है।

2. ठेकेदार/फर्म से 2प्रतिशत अर्नेस्ट मनी जमा बिना कराये ही निविदा किया गया; जबकि यह प्रक्रिया ही नियम विरूद्ध रही है। इसके अतिरिक्त निविदा आमंत्रण एवं निविदा खोले जाने के सम्बन्ध में निविदा समिति का गठन भी नहीं किया गया है। मात्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वयं ही हस्ताक्षर कर दिये गये हैं; जो अनियमित तथा मनमाने ढंग की कार्यशैली रही है। नियमानुसार 02 प्रतिशत अर्नेस्ट जमा न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उपरोक्त दर्शित कार्य (क्रमांक 01 से 13 तक) से सम्बन्धित निविदा विचार योग्य ही नहीं रही।

3. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार/फर्म से 10 प्रतिशत जमानत राशि तथा अर्नेस्ट मनी को भी न जमा कराकर गम्भीर अनियमितता की गयी है। कार्य पत्रावलियों में स्टाम्प पेपर सादे ही संलग्न कर रखे गये हैं।

4. ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत बिलो से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती न करके केन्द्रीय राजस्व मद में जमा न किया जाना पाया गया, इसके अतिरिक्त कतिपय बिलों पर 2.27 प्रतिशत की आयकर कटौती करके धनराशि नियत मद में जमा ही नहीं किया गया है। मात्र औपचारिकता ही आयकर कटौती की दर्शायी गयी है। तथा जमा न करके राजस्व की क्षति की गयी है।

5. जी0एस0टी0 कटौती संस्था स्तर पर 2 प्रतिशत तथा लेबर सेस कुल परियोजना लागत का 1 प्रतिशत बिलों के भुगतान के समय कर लिया जाना चाहिये। जी0एस0टी0 शेष 10 प्रतिशत के लिये परियोजनाओं की सूची माल व सेवाकर कार्यालय में जमा कर पुष्टि कराया जाना चाहिये; जो ठेकेदारों का दायित्व है। इस प्रकार राजस्व की क्षति को गम्भीरता से लिये जाने हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट है।

6. निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न ही नहीं किये गये हैं जो आपत्तिजनक रहा है।

7. नियमानुसार रायल्टी की कटौती नही की गयी है। प्रारूप एम0एम0 11 की प्रति भी कार्य पत्रावलियों में संलग्न नहीं है अतः आवश्यक कार्यवाही वांछित है।

8. किसी भी टेण्डर के साथ ठेकेदार के चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होता है। एवं हैसियत प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी होता है। निविदा प्रपत्र के सथ संलग्न नहीं रहा।

9. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत नियमावली 1965 के नियम संख्या 03(6) के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न स्त्रोतों के अन्तर्गत कार्यों के साथ-साथ अन्य सृजित परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में परिसम्पत्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। उक्त नियमावली के नियम संख्या 04 के अनुसार क्षेत्र पंचायत में निर्मित सड़कों का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु मार्ग पंजिका का रख रखाव शून्य पाया गया।

10. शासनादेश संख्या 1838/33-2615-03-2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा प्रस्तर (2) के क्रमांक 2 में दी गयी व्यवस्थानुसार पंचम राज्य वित्त के अन्तर्गत संकलित धनराशि से (धन का उपयोग) एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये किन्तु उल्लिखित समस्त कार्य एक ही राजस्व ग्राम के अन्तर्गत कराये गये है। जो कि उक्त शासनादेश के अनुसार अनुमन्य नहीं है। तथा फलस्वरूप विधि विरूद्ध है।

11. निर्माण कार्य में जिन कार्यों से सम्बन्धित निविदाओ की स्वीकृति रू. 2.50 लाख से अधिक है उनसे सी0जी0एस0टी0 एक्त 2017 की धारा 51 के अनुसार आपूर्तिकर्ता (अर्थात विक्रेता/सेवा प्रदाताओं/ठेकेदारों) को

दिनांक 01.10.2018 से किये गये प्रत्येक भुगतान अथवा लेखों में प्रविष्ट (जो पहले से) पर 02 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 (टी0डी0एस) अनिवार्य रूप से काटा जायेगा। इस नियम का भी पालन न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार निविदा प्रक्रिया का पालन न करने व विभिन्न शासनादेशों का उल्लंघन कर मनमानी पूर्ण कार्य कराकर रू. 7342769.00 का अनियमित व्यय किया गया है। राजकीय अनुदान के व्यय से सम्बन्धित निर्धारित नियम व्यवस्था व शासनादेश से सम्बन्धित निर्धारित नियम व्यवस्था व शासनादेश का खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार के लिये कोई महत्व नहीं रहा। अतः उपरोक्त कुल अनियमित व्यय की सम्पूर्ण धनराशि रू. 7342769.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री अभिषेक पटेल श्री वीरेन्द्र प्रताप वर्मा एवं लेखाकार श्री इंदु कुमार सिंह से बराबर-बराबर से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ नियमानुसार अन्य विभागीय व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम- भेंटुआ **वर्ष 2021-22**

जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या-12

क्षेत्र पंचायत भेंटुआ में आलोच्य वर्ष 2021-22 कराये गये निर्माण कार्य निम्नवत् है-

क्रम	कार्य का नाम	धनराशि रू.
1	ग्राम सभा बैसड़ी में सतीश शुक्ला के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	रू.437000.00
2	अजय मिश्र की दुकान से लाला मिश्र के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	रू.400000.00
3	राम बोध के घर से जय प्रकाश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	रू.640000.00
4	कलिका मौर्या के घर से श्रीराम शुक्ला के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	रू.371080.00
5	कोदई का पुरवा कर्मराज के घर से अभय राज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	रू.323179.00
6	मंगापुर भीमी पिच रोड से गोलू उपाध्याय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	रू.742594.00
7	बन्दोइया पिचरोड से सुरेश मिश्र के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	रू.579657.00
8	जगराम यादव के घर के सामने से कपिल यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	रू.615239.00
	योग रू0	4108749.00
9	ग्राम पंचायत बैसड़ा में मुरारी यादव के घर से गुगंवाछ पिचरोड तक इण्टरलाकिंग कार्य	रू.713417.00
	कुल योग रू0	4822166.00

उक्त प्रकार क्षेत्र पंचायत भेंटुआ में क्षेत्र निधि केन्द्र वित्त पन्द्रहवां के अन्तर्गत व्यय रू. 4108749.00 तथा विधायक निधि अन्तर्गत व्यय रू. 713417.00 कुल योग रू. 4822166.00 उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में निम्न गम्भीर आपत्तिजनक तथ्य पाये गये है कि विवरण निम्नवत् है-

1. निविदा फर्म के ठेकेदारों द्वारा निजी टेण्डर पैड पर तैयार करके निविदा डाली गयी है स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत स्तर से निविदा फार्म बिक्री ही नहीं किये गये। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के अध्याय 2क के क्रमांक 30 पर उल्लिखित है कि यदि निविदा नियत प्रारूप पर नहीं प्रस्तुत किया गया तो निविदा विचार योग्य नहीं है।

2. ठेकेदार/फर्म से 2प्रतिशत अर्नेस्ट मनी जमा बिना कराये ही निविदा किया गया; जबकि यह प्रक्रिया ही नियम विरूद्ध रही है। इसके अतिरिक्त निविदा आमंत्रण एवं निविदा खोले जाने के सम्बन्ध में निविदा समिति का गठन भी नहीं किया गया है। मात्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वयं ही हस्ताक्षर कर दिये गये हैं; जो अनियमित तथा मनमाने ढंग की कार्यशैली रही है।

3. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार/फर्म से 10 प्रतिशत जमानत राशि तथा अर्नेस्ट मनी को भी न जमा कराकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। कार्य पत्रावलियों में स्टाम्प पेपर सादे ही संलग्न कर रखे गये हैं।

4. ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत बिलो सं 2 प्रतिशत आयकर कटौती न करके केन्द्रीय राजस्व मद में जमा न किया जाना पाया गया, इसके अतिरिक्त कतिपय बिलों पर 2 प्रतिशत की आयकर कटौती करके धनराशि नियत मद में जमा ही नहीं किया गया है। मात्र औपचारिकता ही आयकर कटौती की दर्शायी गयी है। तथा आयकर जमा न करके राजस्व की क्षति की गयी है।

5. जी0एस0टी0 कटौती संस्था स्तर पर 2प्रतिशत तथा लेबर सेस कुल परियोजना लागत का 1प्रतिशत बिलों के भुगतान के समय कर लिया जाना चाहिये। जी0एस0टी0 शेष 10प्रतिशत के लिये परियोजनाओं की सूची माल व सेवाकर कार्यालय में जमा कर पुष्टि कराया जाना चाहिये; जो ठेकेदारों का दायित्व है। इस प्रकार राजस्व की क्षति को गम्भीरता से लिये जाने हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट है।

6. निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न ही नहीं किये गये हैं जो आपत्तिजनक रहा।

7. नियमानुसार रायल्टी की कटौती नही की गयी है।

8. निर्माण कार्य से सम्बन्धित सृजित परिसम्पतियों का परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

9. कार्य प्रभारी की नियुक्ति का कार्यादेश (नियुक्ति का पत्र व दिनांक) प्रपत्र नहीं बनाया गया; जो कि नियम विरूद्ध है जबकि कार्य प्रभारी कम से कम ए0डी0ओ0 स्तर का होना चाहिये यदि ए0डी0ओ0 स्तर के अधिकारी उपलब्ध न हो तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृतोपरान्त ही किसी अन्य को कार्य प्रभारी बनाया जा सकता है। जिसका अभाव रहा है एवं परिणाम स्वरूप अनियमित है।

10. ठेकेदारों के बिलो से 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 को जोड़कर भुगतान किया गया है जो कि नियम विरूद्ध रहा है। इसके सम्बन्ध में शासनादेश व अन्य कोई आदेश न ही रहा है और न ही दिखाया गया।

11. किसी भी टेण्डर के साथ ठेकेदार के चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होता है। एवं हैसियत प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी होता है निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं रहा।

12. शासनादेश संख्या 1838/33-2915-03-2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा प्रस्तर में दी गयी व्यवस्थानुसार संकलित धनराशि से (धन का उपयोग) एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये किन्तु उल्लिखित समाप्त कार्य एक ही राजस्व गांव के अन्तर्गत कराये गये है। जो कि उक्त शासनादेश के अनुसार अनुमन्य नहीं है। तथा फलस्वरूप अनियमित है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार निविदा प्रक्रिया का पालन न करने व विभिन्न शासनादेशों का उल्लंघन कर मनमानी पूर्ण कार्य कराकर रू. 4822166.00 का अनियमति व्यय किया गया है। राजकीय अनुदान के व्यय से सम्बन्धित निर्धारित नियम व्यवस्था व शासनादेश से सम्बन्धित निर्धारित नियम व्यवस्था व शासनादेश का खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार के लिये कोई महत्व नहीं रहा। अतः उपरोक्त कुल अनियमित व्यय की सम्पूर्ण धनराशि रू. 4822166.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह, श्री संजय कुमार गुप्ता एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार यादव से समान रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ नियमानुसार अन्य विभागीय व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13

आलोच्य वर्ष 2021-22 पंचम वित्त आयोग अन्तर्गत कुल व्यय रू .6125343.00 किया जाना दर्शाया गया है। परन्तु व्यय से सम्बन्धित व्यय विवरण/कार्य पत्रावलियाँ/पुष्टि

प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय अप्राप्त/अप्रस्तुत रही है। अतः राज्य वित्त में वर्ष में रू .6125343.00 की व्यय की पुष्टि अप्रमाणित रही है। इस प्रकार विवरणहीन अपुष्ट व्यय लेखा नियमों के प्रतिकूल है एवं प्रकरण अधिभार योग्य है। जिसके लिये उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार रहे हैं। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू . 6125343.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह, श्री संजय कुमार गुप्ता एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार यादव से अद्यावधि ब्याज सहित समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम- भादर **वर्ष 2021-22**

जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या-14

वित्त वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवां वित्त तथा पंचम वित्त योजनान्तर्गत ग्रारण्ट रजिसटर तृतीय के अनुसार रू .15117334.00 व्यय दर्शित किया गया है उक्त व्यय के सापेक्ष रू .9277719.00 के व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत की गयी किन्तु शेष व्यय धनराशि रू .5839615.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त व्यय की धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त सम्पूर्ण व्यय अपुष्ट, अप्रमाणित एवं विवरणहीन है जो अधिभार योग्य है जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह तथा लेखाकार श्री अशोक कुमार सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित बराबर-बराबर संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-15

वित्त वर्ष 2021-22 में विधायक निधि योजना अन्तर्गत ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार रू .1323880.00 व्यय दर्शित किया गया है। उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त् सम्पूर्ण व्यय अपुष्ट, अप्रमाणित विवरणहीन नियमविरूद्ध होने के कारण अपहरण है जो अधिभार के योग्य है जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह व लेखाकार श्री अशोक कुमार सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित बराबर-बराबर संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-16

आलोच्य वर्ष में पशु आश्रय योजनान्तर्गत रू .1566762.00 ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है किन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावली, मानदेय रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के समय पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे उक्त व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त सम्पूर्ण व्यय अपुष्ट, अप्रमाणित, विवरणहीन तथा नियमविरूद्ध होने के कारण अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू .1566762.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह व लेखाकार श्री अशोक कुमार सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित बराबर-बराबर संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17

वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त योजना अंतर्गत कराये गये कार्यों का विवरण निम्नलिखित है-

क्रम	कार्य का नाम	व्यय धनराशि)रूपयों में(
1	त्रिभुवन सिंह महाविद्यालय से छीड़ा बार्डर तक खडण्ज निर्माण कार्य	647314.00
2.	विदेशी के खेत से घोरहा ठेगहा मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य	294466.00
3.	श्यामलाल के घर से कासिम अली के घर तक इण्टरलांिकग कार्य	188598.00
4.	पिचरोड विक्रम सिंह के घर से भगवान बक्श सिंह के घर तक इ0ला0 कार्य	353469.00
5	इण्टरलाकिंग से त्रिभुवन सिंह महाविद्यालय के गेट तक खड़ण्जा निर्माण	878996.00

	कार्य	
6.	मुख्य खड़ण्जा से राजेश राय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	192914.00
7.	लालजी मौर्या के घर से राम संजीवन मौर्य के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	224004.00
8.	राम प्रताप यादव के घर से श्रीपाल के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य	202564.00
9.	सी0सी0 रोड से छेदी मौर्या के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	132106.00
10.	मेन रोड से छीड़ा गाव तक इण्टरलांिकग कार्य	850233.00
11.	विनय ंिसह के घर से स्वामीसहाय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	249825.00
12.	पंचायत घर से बिल्लू के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	158706.00
13.	नहर की पटरी से अमर बहादुर के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य	194704.00
14.	नन्हकू यादव के घर से रामसुमेर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	202604.00
15.	घोरहा रोड से राजू के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य	206041.00
16.	रामचन्द्र मिश्रा के घर से प्रमोद यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	200333.00
17.	नहर की पटरी से राम जतन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	206995.00
18.	पक्की सडक से अमर बहादुर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	256115.00
19.	शशिभूषण के घर से सतीश पाण्डेय के घर तक नाली निर्माण कार्य	97352.00
20.	सियाराम वर्मा के घर से बबलू हरिजन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	194114.00
21.	शिव मन्दिर से सरस हाट पवन यादव की तरफ इण्टरलाकिंग कार्य	202040.00
22.	आंगनबाडी से रामकलप के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	206696.00
23.	डा0 आर0एस0 मौर्या के घर से राजकुमार मौर्या के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	214832.00
24.	पक्की सड़क से सुखराम यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	439141.00
25.	दूधनाथ सरोज के खेत से रामबरन हरिजन के खेत तक खड़न्जा निर्माण कार्य	906660.00
26.	पवन यादव के घर से रामलाल की मशीन तक खड़न्जा निर्माण कार्य	144901.00
	योग	8045723.00

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त योजना अन्तर्गत संलग्न प्रारूप 01 में कुल 26 कार्यों का उल्लेख है जिस पर कुल व्यय रू 8045723.00 का व्यय दर्शित है। पत्रावलियों के अवलोकन व लेखाकार से प्रापत जानकारी में गम्भीर आपत्तिजनक तथ्य प्रकाश में आये विवरण निम्नवत् है-

1. सम्पूर्ण कार्यों राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त योजना अंतर्गत क्रमांक 01 से 26 तक में तीन फर्मों के ठेकेदारों द्वारा निविदा डाली गयी है किन्तु निविदा फार्म की बिक्री की धनराशि नक्शा आय में प्रदर्शित नहीं है तथा पत्रावली में उपलब्ध निविदा फार्म पर खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है इससे स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत कार्यालय द्वारा जारी नियम प्रारूप पर निविदा नहीं डाली गयी तथा अन्य प्रारूप पर डाली गयी निविदा विचार योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के अध्याय 02 के क्रमांक 307 में उक्त आशय का उल्लेख है।

2. सभी टेण्डर के साथ अर्नेस्ट मनी नहीं जमा की गयी जिससे प्राप्त टेण्डर विचार योग्य नहीं है।

3. निविदा स्वीकृति के पश्चात 10 प्रतिशत (निविदा मूल्य का) जमानत धनराशि जमा कर अनुबन्ध नहीं कराया गया है। 10 प्रतिशत जमानत धनराशि में 2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी सम्मिलित रहती है।

4. ठेकेदारों को भुगतान के समय 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 तथा 01 प्रतिशत लेबर सेस अनिवार्य रूप से उनके बिलों से काटनी चाहिये किन्तु इसे नहीं काटा गया जिससे कराकीय राजस्व की क्षति हुई है इसके विपरीत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 ठेकेदार के बिलों में जोड़कर भुगतान किया जा रहा है जो कि नियम विरूद्ध तथा राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त के अनुदान का दुरूपयोग है।

5. नियमानुसार रायल्टी की कटौती नहीं हुई है।
6. निर्माण पत्रावलियों में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा।
7. किसी भी टेण्डर के साथ ठेकेदार के चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होता है एवं हैसियत प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी होता है निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं रहा।
8. शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के प्रस्तर में दी गयी व्यवस्थानुसार चतुर्थ राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत संग्रहित धनराशि (धन का उपयोग) एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये किन्तु क्रमांक 01 से 26 तक के अधिकतर कार्य एक ही राजस्व गांव के है जो कि उक्त शासनादेश के अनुसार अनुमन्य नहीं है। फलस्वरूप अनियमित है।
9. उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (चल/अचल सम्पत्ति) नियमावली 1965 के नियम संख्या 3(1) के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत मार्गों के साथ-साथ अन्य सृजित परिसम्पत्तियों के विवरण को अभिलेखकृत करने के लिये परिसम्पत्ति पंजिका रख-रखाव अपेक्षित है तथा उक्त नियमावली के नियम संख्या-04 के अनुसार क्षेत्र पंचायत में निर्मित सड़कों का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु मार्ग पंजिका का रख-रखाव अपेक्षित है। किन्तु आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुरक्षित व नवनिर्मित कार्यों का क्षेत्र पंचायत के परिसम्पत्ति पंजिका में संलग्न नहीं पाये गये और न ही क्षेत्र पंचायत द्वारा अलग से कोई मार्ग पंजिका तैयार कर प्रस्तुत किया गया।
10. पत्रावली के जांच में पाया गया कि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ठेकेदारों को कार्यादेश जारी नहीं किया गया है जिस पर कार्य प्रारम्भ की तिथि समाप्त तिथि के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने की अवधि दर्शित होती है उक्त सूचना के अभाव में कार्य करने सम्बन्धी वैधता शून्य हो जाती है।
11. स्टाक रजिस्टर तथा निर्माण कार्य रजिस्टर अप्रस्तुत रहा। लेखाकार द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य रजिस्टर बना ही नहीं है।
12. पत्रावली के जांच में पाया गया कि भुगतान बिलो/वाउचरों पर पेड एण्ड कैंिसल की मुहर तो लगी है परन्तु उन वाउचरों पर भुगतान की धनराशि अंकित कर खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षरी नहीं पाये गये हैं
13. निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर मस्टर रोल क्रमांक व दिनांक अंकित नहीं है जिससे मस्टर रोल संदिग्ध प्रतीत होता है। मस्टर रोल जारी करने का रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
14. निर्माण कार्यों के निरीक्षण/कराने हेतु कार्य प्रभारी की नियुक्ति ही नहीं की गयी जो कि अनियमित है।
15. पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त क्रमंाक 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 पर उल्लिखित कार्यों पर भुगतान की तिथि माप के तिथि के पूर्व की है। इस प्रकार कार्य समाप्ति से पूर्व किया गया भुगतान काल्पनिक व नियम विरूद्ध है।

इस प्रकार क्रमांक 01 से 15 तक की आपत्तियों से सुस्पष्ट होता है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा क्रमांक 01 से 26 तक राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त योजनान्तर्गत उल्लिखित सम्पूर्ण कार्य पूर्णतः मनमानी एवं अनियमित तरीके से कराया गया है उक्त कार्यों पर व्यय धनराशि रू. 8045723.00 अनियमित रहा जो कि अधिभार के योग्य है। जिसके लिये उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह तथा लेखाकार श्री अशोक कुमार सिंह से उक्त व्यय की गयी धनराशि रू 8045723.00 की वसूली संयुक्त रूप से बराबर-बराबर अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर संख्या-18

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत हैण्डपम्प रिवोर से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि हैण्डपम्प रिवोर पर व्यय रू .1231996.00 (रू 711996.00 सामग्री रू .520000.00 मजदूरी (शासनादेश के अनुसार अनुमन्य नहीं है। किसी भी हैण्डपम्प मरम्मत के लिये जल निगम विभाग की संस्तुति नहीं ली गयी है जबकि सार्वजनिक हैण्डपम्प रिवोर के लिये रू .600.00 प्रति हैण्डपम्प की दर से जल निगम को शुलक की प्रतिपूर्ति करते हुये जल निगम से संस्तुति ली जानी अपेक्षित है। पत्रावलियों की जांच में यह भी प्रमाणिक रूप से स्पष्ट नहीं हो सका कि रिवोर हैण्डपम्प राजकीय अनुदान से सार्वजनिक स्थल पर लगे है अथवा नहीं। इस प्रकार यह व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये राजकीय

अनुदान का दुरूपयोग किया गया है। अतः उक्त व्यय धनराशि की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह व लेखाकार श्री अशोक कुमार सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित बराबर-बराबर संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम- अमेठी **वर्ष 2021-22**

जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या-19

लेखा परीक्षा के दौरान (वर्ष 2021-22) क्षेत्र पंचायत द्वारा विधायक निधि में व्यय रू 5343700.00 दर्शाया गया है। उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष अभिलेख/पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8(1) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक अप्रस्तुत रहने की स्थिति में समस्त व्यय को अपहरण माना जायेगा। फलतः विधायक निधि में दर्शित व्यय अपुष्ट एवं काल्पनिक सिद्ध होती है। अतः विधायक निधि में दर्शित व्यय रू. 5343700.00 की आधी धनराशि रू. 2671850.00 खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह तथा आधी धनराशि रू. 2671850.00 श्री अशोक कुमार सहायक लेखाकार से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-20

पंचम वित्त आयोग के अन्तर्गत दर्शायी गयी व्यय की धनराशि वांछित अभिलेखों को अप्रस्तुत करने के कारण अपुष्ट रही।वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8(1) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक अप्रस्तुत रहने की स्थिति में समस्त व्यय को अपहरण माना जायेगा। अतः व्यय की गयी धनराशि रू. 3544598.00 की आधी धनराशि 1772299.00 खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह एवं आधी धनराशि रू. 1772299.00 लेखाकार श्री अशोक कुमार सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-21

क्षेत्र पंचायत के ग्रांट रजिस्टर द्वितीय की निर्माण कार्य पत्रावलियों में कराये गये कार्य के सापेक्ष (सामग्री) आयकर जी0एस0टी0 की कटौतियां दर्शायी गयी है जिसका विस्तृत विवरण प्रारूप 1,2,3 व 4 में दर्शित है। उक्त कटौतियां की धनराशि के जमा कराये जाने सम्बन्धी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण साक्ष्य के अभाव में अपुष्ट सिद्ध होती है वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8(1) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक अप्रस्तुत रहने की स्थिति में समस्त व्यय को अपहरण माना जायेगा। जो कि राजकीय धनराशि का अपहरण है। अतः उक्त अपहरित धनराशि रू. 5230353.51 की आधी धनराशि रू 2615176.75 अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22

पशु आश्रय स्थल में पशुओं की संख्या उनकी देखरेख हेतु कर्मचारियों की संख्या चिकित्सा की स्थिति आदि से सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं करके उक्त मद में दर्शित व्यय की धनराशि रू 4911977.00 अपुष्ट रही।वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8(1) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक अप्रस्तुत रहने की स्थिति में समस्त व्यय को अपहरण माना जायेगा। उक्त अपुष्ट धनराशि काल्पनिक व्यय किया गया प्रतीत होता है। अतः उक्त धनराशि की आधी धनराशि रू. 2455988.50 खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह तथा सहायक लेखाकार श्री अशोक कुमार सिंह से रू. 2455988.50 कुल 4911977.00 अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-23

केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि रू. 2566823.00 अभिलेखों को अप्रस्तुत करने के कारण उक्त व्यय की गयी धनराशि अपुष्ट रही।वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8(1) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष प्रमाणक अप्रस्तुत रहने की स्थिति में समस्त व्यय को अपहरण माना जायेगा। जो कि अधिभार योग्य है। अतः व्यय की गयी धनराशि रू. 2566823.00 की आधी धनराशि रू. 1283411.50 की धनराशि खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह तथा आधी धनराशि रू. 1283411.50 लेखाकार श्री अशोक कुमार सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम- जगदीशपुर वर्ष 2018-19 से 2020-21 जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या-24

वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में क्षेत्र पंचायत के द्वारा व्यय की गयी धनराशि रू. 415736.00 (2018-19) के सापेक्ष अनेक बार मांगे जाने के बावजूद (लेखा परीक्षा अवधि में) पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त अवधि में विधायक निधि में व्यय की समस्त धनराशि अपुष्ट एवं अप्रमाणित सिद्ध होता है। उक्त दर्शायी गयी राशि रू. 415736.00 से सम्बन्धित समस्त व्यय प्रमाणिक विहीन एवं काल्पनिक प्रतीत होती है जो कि अधिभार योग्य है। अतः 415736.00 की आधी राशि रू. 207868.00 खण्ड विकास अधिकारी श्री शरत कुमार सिंह तथा आधी राशि रू. 207868.00 लेखाकार श्री इंदु कुमार सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-25

राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पूरे सुब्बा सिंह के पुरवा में खड़न्जा मरम्मत हेतु किये गये मजदूरी भुगतान रू. 201250.00 कार्यप्रभारी श्री कृष्णकान्त शुक्ला के नाम चेक सं0 0006689 दिनांक 03.07.2019 को किया गया है। उक्त मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित तीन मस्टर रोल क्रमशः रू. 91875.00, रू. 98000.00 तथा रू. 11375.00 अवास्तविक रूप से मजदूरों के फर्जी हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान मनमाने तरीके से लगाकर तैयार किया गया है। रू. 11375.00 से सम्बन्धित मस्टर रोल पर 07 श्रमिकों के सापेक्ष 25 श्रमिकों के अंगूठे एक दूसरे के ऊपर पूर्ण अस्पष्टता के साथ लगाये गये हैं। उक्त किसी भी मस्टर रोल पर कार्य व कार्यावधि तिथि का उल्लेख नहीं है। अतः उक्त मजदूरी भुगतान की समस्त धनराशि रू. 201250.00 अपुष्ट अप्रमाणित काल्पनिक प्रतीत होती है जो कि अधिभार योग्य है। अतः रू. 201250.00 की आधी राशि रू. 100625.00 खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रभात द्विवेदी, श्री शरद कुमार सिंह, श्री विनय कुमार द्विवेदी, प्रीती वर्मा तथा आधी राशि रू 100625.00 लेखाकार श्री किसनलाल एवं इंदु कुमार सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-26

रामपुर टिन शेड से विजय पासी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य की निविदा अनियमित रूप से मे0 राजेन्द्र कुमार गुप्ता को स्वीकृत की गयी है क्यांकि निविदा के साथ 02 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी नहीं जमा है तथा निविदा प्रपत्र में राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता के हस्ताक्षर नहीं है। अतः निविदा विचारयोग्य नहीं है। अतः दिनांक 30.07.2019 को चेक सं0 006691 द्वारा मे0 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता को रू. 709132.00 का किया गया भुगतान अनियमित है। उक्त धनराशि से 02 प्रतिशत की कटौती जी0एस0टी0 तथा टी0डी0एस0 की कटौती की धनराशि सम्बन्धित खाते में जमाकर आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय। अतः व्यय की गयी धनराशि रू. 709132.00 की आधी राशि रू. 354566.00 खण्ड विकास अधिकारी श्री शरद कुमार सिंह तथा आधी राशि रू. 354566.00 लेखाकार श्री किसनलाल एवं इंदु कुमार सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-27

आलोच्य वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में किसी निविदा फार्म के साथ 2 प्रतिशत जमानत राशि जमा नहीं की गयी है अतः उपरोक्त वर्षों के समस्त टेण्डर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निविदा फार्म में उल्लिखित क्रमांक 04 का उल्लंघन करते हुये अनियमित रूप से स्वीकृत किये गये हैं इस प्रकार अनियमित रूप से स्वीकृत किये गये टेण्डरों के सापेक्ष भुगतान की गयी समस्त धनराशि क्रमशः वर्ष 2018-19 में रू. 8224518.00, वर्ष 2019-20 में रू. 6920556.00 तथा वर्ष 2020-21 में रू. 21469733.00 अनियमित रहे। उपरोक्त कुल किये गये अनियमित व्यय रू. 36614807.00 (तीन करोड़ छियासठ लाख चौदह हजार आठ सौ सात रू) के सापेक्ष व्यय अनियमित सिद्ध होता है। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि उक्त व्यय के सापेक्ष दर्शित अधिकांश कार्य ग्राम पंचायत के अन्दर कराये गये हैं जो कि अनुमन्य नहीं है साथ ही टी0डी0एस0 कटौती जी0एस0टी0 कटौती के धनराशि सम्बन्धित खाते में जमा न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी जो कि दण्डनीय है।इस पर सम्बन्धित उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। चूंकि आपत्ति संख्या 25 में उल्लिखित धनराशि रू. 36614807.00 में आपत्ति संख्या 23 तथा 24 की धनराशि

क्रमशः रू. 201250.00 व रू. 709132.00 अर्थात कुल धनराशि रू. 910382.00 भी समाहित है अतः आपत्ति संख्या 25 की कुल धनराशि (रू.36614807.00 - रू. 910382.00 = रू. 35704425 होगी) अतः अधिभार की धनराशि 35704425.00 में से आधी धनराशि रू. 17852212.50 खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रभात द्विवेदी, श्री शरद कुमार सिंह, श्री विनय कुमार द्विवेदी व प्रीति वर्मा से तथा आधी रू. 17852212.50 ज्ये0 लेखाकार श्री इंदु कुमार सिंह व किसन लाल से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। चूंकि टेण्डर प्रक्रिया सक्षम अधिकारी द्वारा जानबूक्षकर लगातार उनकी निगरानी में अनियमति तरीके द्वारा संचालित किया एवं कराय गया है अतः इस अनियमित कार्य हेतु नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-28

वर्ष 2020-21 में 15 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि रू. 16808686.00 की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उपरोक्त व्यय अपुष्ट रही। इस बात की प्रबल सम्भावना है कि उक्त पत्रावलियां तैयार ही न की गयी हो अथवा निविदा अनियमित रूप से स्वीकृत की गयी है। अतः व्यय की गयी धनराशि रू 16808686.00 अधिभार योग्य है। अतः रू 16808686.00 की आधी धनराशि रू. 8404343.00 खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रभात कुमार द्विवेदी, श्री शरद कुमार सिंह, श्री विनय कुमार द्विवेदी तथा सुश्री प्रीति वर्मा से तथा आधी धनराशि रू. 8404343.00 ज्ये0 लेखाकार श्री इंदु कुमार सिंह एवं किसनलाल से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम- मुसाफिरखाना वर्ष 2020-21 जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या-29

अनुदान जो विभिन्न मदों में प्राप्त रहे तथा पूर्व वर्षों क अवशेष रहे, कुल रू. 9791421.00

क्र	मद का नाम			अन्तिम अवशेष
1	चतुर्थ राज्य वित्त			3182819.00
2	अर्जित व्याज राशि			33888.00
3	पूर्वांचल विकास निधि			97406.00
4	विधानमण्डल क्षेत्र विकास निधि			203347.00
5	मुख्यमंत्री शादी अनुदान			721032.00
6	मनरेगा प्रासगिंक			16658.00
7	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण			279662.00
8	पन्द्रहवां वित्त			4801809.00
9	मनरेगा कार्मिक			454800.00
	कुल योग			9791421.00

इस प्रकार अनुदान का समयबद्ध तरीके से विकासगत योजनाओं में आलोच्य वर्ष में उपभोग नहीं किया गया एवं न ही सम्बन्धित विभाग/जिला योजना को वापस ही किया गया। लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी की संयुक्त भूमिका में इस गम्भीर अनियमितता के प्रति उत्तरदायी रहे हैं। ज्ञातव्य है; खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रति सप्ताह कर्मचारियों की मीटिंग आहूत की जाती है; परन्तु अनुदान उपभोग का अनुश्रवण नहीं किया जाता है। अतः विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान स्पष्ट कार्यवाही के संदर्भ में आकृष्ट है प्रकरण अधिभार अन्तर्गत लाया जाता है।

प्रस्तर संख्या-30

वर्ष आलोच्य में रू. 264955.00 एक मुश्त अन्तर्गत दर्शाया गया है। पूर्व वर्ष में व्याज का उपभोग निर्माण कार्य में रू. 220000.00 दर्शाया गया था जो विकास खण्ड कार्यालय पर माडल आवास निर्माण के सम्बन्ध में रहा है। परन्तु वर्ष आलोच्य में व्याज शीर्ष की धनराशि का अन्तरण कहां किया गया स्पष्ट नहीं कराया गया है। दिनांक 01.07.2020 को रू. 264955.00 पृष्ठ संख्या 10 पर अंतरित किया जाना मात्र अनुदान पंजी द्वितीय में दर्शित है तथा रू. 33888.00 व्याज मद में 31.03.2021 को अवशेष रहा है। आहरित धनराशि किसके अनुमति से किस मद में समाहित करने तथा व्यय हेतु उपभोग में रही स्पष्ट किया जाना चाहिये। मनमाने ढंग से कार्य शैली का परिणाम इस प्रकार से रहा है। विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस गम्भीर अनियमितता/अपुष्ट अन्तरण के समाधान हेतु आकृष्ट है।

प्रस्तर संख्या-31

वर्ष 2020-21 में निम्न प्रकार टेण्डर नोटिस विज्ञापन व्यय चतुर्थ राज्य वित्त/पंचम राज्य वित्त मद से दर्शाया गया है; जबकि व्याज प्राप्ति राशि से किया जाना चाहिये। इस प्रकार राज्य वित्त की धनराशि का दुरूपयोग किया गया। उल्लेखनीय है कि टेण्डर फार्म बिक्री की आय भी नहीं रही है; जो आपत्ति संख्या 21 में अंकित है। अतः आय के स्त्रोत के प्रति उदासीनता तथा विज्ञापन व्यय राज्य वित्त मद से किया जाना एक गम्भीर तथा विरोधाभाषी तथ्य है। विज्ञापन व्यय का विवरण निम्नवत् है-

टेण्डर फार्म बिक्री मद-शून्य (मद ही नहीं)

टेण्डर नोटिस विज्ञापन व्यय (चतुर्थ राज्य वित्त में)

क्र	विवरण	चेक संख्या/दिनांक	धनराशि
1	जनसंदेश	000190/29.04.2020	13225.00
2	आज प्रकाशन	000192/29.04.2020	12783.00
3	आज प्रकाशन	1721593/26.02.2021	29315.00
4	दहकती खबरें	000193/29.04.2020	7000.00
5	दहकती खबरें	1799274/26.02.2021	14474.00
6	एच0एम0जे0 संचार	000194/29.04.2020	11194.00
7	वीक भारती	1748707/26.02.2021	7823.00
योग-			95814.00

उक्त के सम्बन्ध में बिल/प्रमाणक व अखबार पृष्ठ लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही रहे है। अतः रू. 95814.00 का भुगतान अप्रमाणित रहा है। लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी इस अनियमित ढंग से अपव्यय हेतु उत्तरदायी रहे है। इस प्रकार आधारहीन/अप्रमाणित धनराशि अधिभार अन्तर्गत अपहरण की श्रेणी में दर्शायी जाती है। अतः रू. 95814.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री संतलाल श्री हरिकृष्ण मिश्र व लेखाकार श्री अजय कुमार से बराबर-बराबर अद्यावधि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-32

क्षेत्र पंचायत मुसाफिरखाना में आलोच्य वर्ष 2020-21 में कराये गये निर्माण कार्य निम्नवत् हैः-

क्र	कार्य का नाम	धनराशि
1	दादरा में इंटरलांकिग सड़क से सूर्यभान के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	529245.88
2.	मेहिद्दीनपुर पूरे जोरई में कोरिया पिच रोड से अकबाल मास्टर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	329122.56
3.	क्रपिया में नाला से नहीर की पटरी के आगे तक पक्का नाला निर्माण कार्य	376932.62
4.	कस्थुनी पश्चिम में समर यादव के घर के पीछे से अमरनाथ के दरवाजे तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग कार्य योग 1711604.88	311922.82
5.	गजनपुर में इंटरलांकिग रोड से शोभित राम के घर सी0सी0 रोड निर्माण	672023.51

6. सैदपुर में पक्की सड़क से दिगपाल सिंह के दरवाजे तक इंटरलांकिग कार्य	590140.00
	338066.00
7. नारा अढ़नपुर थौरी पक्की सड़क से जगदीशपुर विकास खण्ड वार्डर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य	925240.82
8. भद्दौर पक्की सड़क से साईं की कुटी (अरबिन्द के ट्यूबेल) तक मिट्टी व खड़न्जा कार्य	620397.90
योग-	3145868.23
कुल योग -	4857473.11

उक्त प्रकार क्षेत्र पंचायत मुसाफिरखाना में क्षेत्र निधि केन्द्र वित्त पन्द्रहवां के अन्तर्गत व्यय रू. 1711604.88 तथा चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त अंतर्गत व्यय रू.3145868.23 कुल योग रू. 4857473.11 उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां की जांच में निम्न गम्भीर आपत्ति जनक तथ्य पाये गये है विवरण निम्नवत् है-

1.निविदा फर्म के ठेकेदारों द्वारा निजी पैड पर तैयार करके निविदा डाली गयी है। स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत स्तर से निविदा फार्म बिक्रकी ही नहीं किये गये। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के अध्याय 2क के क्रमांक 30 पर उल्लिखित है कि यदि निविदा नियत प्रारूप पर नहीं प्रस्तुत किया गया तो निविदा विचार योग्य नहीं है।

2.ठेकेदार/फर्म से 2प्रतिशत अर्नेस्ट मनी जमा बिना कराये ही निविदा किया गया; जबकि यह प्रक्रिया ही नियम विरूद्ध रही है। इसके अतिरिक्त निविदा आमंत्रण एवं निविदा खोले जाने के सम्बन्ध में निविदा समिति का गठन भी नहीं किया गया है। मात्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वयं ही हस्ताक्षर कर दिये गये हैं; जो अनियमित तथा मनमाने ढंग की कार्यशैली रही है।

3.निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार/फर्म से 10 प्रतिशत जमानत राशि तथा 2प्रतिशत अर्नेस्ट मनी को भी न जमा कराकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। कार्य पत्रावलियों में स्टाम्प पेपर सादे ही संलग्न कर रखे गये हैं।

4. ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत बिलो सं 2 प्रतिशत आयकर की कटौती न करके केन्द्रीय राजस्व मद में जमा न किया जाना पाया गया, इसके अतिरिक्त कतिपय बिलों पर 2.27 प्रतिशत की आयकर कटौती करके धनराशि नियत मद में जमा ही नहीं किया गया है। मात्र औपचारिकता ही आयकर कटौती की दर्शायी गयी है। तथा जमा न करके राजस्व की क्षति की गयी है।

5.जी0एस0टी0 कटौती संस्था स्तर पर 2प्रतिशत तथा लेबर सेस कुल परियोजना लागत का 1प्रतिशत बिलों के भुगतान के समय कर लिया जाना चाहिये। जी0एस0टी0 शेष 10 प्रतिशत के लिये परियोजनाओं की सूची माल व सेवाकर कार्यालय में जमा कर पुष्टि कराया जाना चाहिये; जो ठेकेदारों का दायित्व है। इस प्रकार राजस्व की क्षति को गम्भीरता से लिये जाने हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट है।

6. निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न ही नहीं किये गये हैं जो आपत्तिजनक रहा।

7.नियमानुसार रायल्टी की कटौती नही की गयी है।

8.किसी भी टेण्डर के साथ ठेकेदार के चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होता है। एवं हैसियत प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी होता है निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं रहा।

9.उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत नियमावली 1965 के नियम संख्या 03(6) के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न स्त्रोतों के अन्तर्गत कार्यों में समय-समय अन्य सृजित परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में परिसम्पत्ति पंजी तैयार नहीं की गयी है। उक्त नियमावली के नियम संख्या 04 के अनुसार क्षेत्र पंचायत में निर्मित सड़कों का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु मार्ग पंजिका का रख-रखाव शून्य पाया गया।

10.शासनादेश संख्या 1838/33-2615-03-2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा प्रस्तर में दी गयी व्यवस्थानुसार चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत संकलित धनराशि से (धन का उपयोग) एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये किन्तु उल्लिखित समाप्त कार्य एक ही राजस्व गांव के अन्तर्गत कराये गये है। जो कि उक्त शासनादेश के अनुसार अनुमन्य नहीं है। तथा फलस्वरूप अनियमित है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार निविदा प्रक्रिया का पालन न करने व विभिन्न शासनादेशों का उल्लंघन कर मनमानी पूर्ण कार्य कराकर रू. 4857473.11 का अनियमित व्यय किया गया है। राजकीय अनुदान के व्यय से सम्बन्धित निर्धारित नियम व्यवस्था व शासनादेश से सम्बन्धित निर्धारित नियम व्यवस्था व शासनादेश का खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार के लिये कोई महत्व नही रहा। अतः उपरोक्त कुल अनियमित व्यय धनराशि रू. 4857473.11 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री संतलाल, श्री हरिकृष्ण मिश्र व लेखाकार श्री अजय कुमार से बराबर-बराबर अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ नियमानुसार अन्य विभागीय व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-33

आलोच्य वर्ष 2020-21 चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त के अन्तर्गत कुल व्यय रू. 9549189.00 जिसमें आपत्ति संख्या 22 एवं 23 के अन्तर्गत क्रमशः रू. 95814.00 एवं 3145868.23 इस प्रकार कुल रू. 95814.00 $ 3145868.23 = रू. 3241682.23 की धनराशि सम्मिलित रही है। इसलिये चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त की अवशेष धनराशि (घटाया) रू. 9549189.00 - 3241682.23 = रू. 6307506.77 का व्यय विवरण/कार्य पत्रावलियों लेखा परीक्षा के समय अप्राप्त/अप्रस्तुत रही है। इस प्रकार विवरणहीन/अपुष्ट वयय लेखा नियमों के प्रतिकूल है एवं प्रकरण
अधिभार अन्तर्गत लाया जाता है। जिसके लिये उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार रहे हैं।

अतः रू. 6307506.77 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री संतलाल, श्री हरिकृष्ण एवं लेखाकार श्री अजय कुमार से अद्यावधि ब्याज सहित समान रूप से किया जाना अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ नियमानुसार अन्य विभागीय व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-34

आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत मुसाफिरखाना में क्षेत्र निधि केन्द्र वित्त पन्द्रहवां के अन्तर्गत कुल व्यय रू. 8045627.00 जिसमें आपत्ति संख्या 23 के अन्तर्गत रू. 1711604.88 की धनराशि सम्मिलित है इसलिये क्षेत्र निधि के अन्तर्गत पन्द्रहवां भी अवशेष धनराशि (घटाया) 8045627.00 - 1711604.88 = रू. 6334022.12 का सम्बन्धित व्यय विवरण/कार्य पत्रावलियों लेखा परीक्षा के समय अप्राप्त/अप्रस्तुत रही है।
इस प्रकार विवरणहीन/अपुष्ट व्यय लेखा नियमों के प्रतिकूल है एवं अधिभार के योग्य है। जिसके लिये उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार रहे है।

अतः रू. 6334022.12 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री संतलाल, श्री हरिकृष्ण मिश्र, एवं लेखाकार श्री अजय कुमार से अद्यावधि ब्याज सहित समान रूप से किया जाना अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ नियमानुसार अन्य विभागीय व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-35

आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत मुसाफिरखाना चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त एवं क्षेत्र निधि केन्द्र वित्त पन्द्रहवां मद से ठेकेदारों के बिलों (सामग्री पर) में भुगतान में नियमानुसार जी0एस0टी0, आयकर, लेबर सेस एवं रायल्टी का आकलन अन्तर्गत व्यय/भुगतान की नीतिगत अवधारणा अन्तर्गत व्यय/भुगतान की नीतिगत अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुये निम्न प्रकार राज्य/केन्द्रीय राजस्व की कटौती करके नियम शासकीय मद में जमा कराया जाना था परन्तु गम्भीर उदासीनता अपनायी गयी है। राजकीय राजस्व की सम्यक कटौती न करना, जमा न करना, अनुदान खातें/पंजी में धनराशि जमा रहना आदि गम्भीर तथ्य लेखा परीक्षा में पाये गये। अतः प्रकरण अपहरण की श्रेणी में अधिभार अन्तर्गत लाया जाता है विवरण निम्नवत् है-

क्र	मद	समग्री मूल्य व्यय धनराशि	आयकर2प्रतिशत	जी0एस0टी0 2प्रतिशत	लेबरसेस 1प्रतिशत	योग
1.	चतुर्थ राज्य वित्त	7929269.00	158585.00	158585.00	79293.00	396463.00
2.	क्षेत्र निधि केन्द्र वित्त पन्द्रहवां	8045627.00	160913.00	160913.00	80456.00	402282.00
	योग	15974896.00	319498.00	319498.00	159749.00	798745.00

अतः उक्त प्रकार कुल रू. 798745.00 शासकीय करों की कटौती व नियत शासकीय मद में जमा न करके गम्भीर आर्थिक अपराध खण्ड विकास अधिकारी गण श्री शरद कुमार श्रीवास्तव, श्री राजीव गुप्ता व श्री हरि कृष्ण मिश्र एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दुरूभिसंधि करके राजस्व का अपहरण किया गया है।

अतः कुल रू. 798745.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों खण्ड विकास अधिकारी श्री संतलाल, श्री हरिकृष्ण मिश्र एवं लेखाकार श्री अजय कुमार से समान रूप से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ नियमानुसार अन्य विभागीय व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम- शाहगढ़ वर्ष 2020-21 जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या-36

क्षेत्र पंचायत शाहगढ़ में आलोच्य वर्ष 2020-21 में पन्द्रहवा वित्त योजना अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य निम्नवत् है-

क्रम	**कार्य का नाम**	**व्यय धनराशि (रूपयों में)**
1	सोलर लाइट स्थापना-I	446000.00
2	सोलर लाइट स्थापना-II	446000.00
3	ग्रामसभा किटियावां में पक्की सड़क से वीके सिंह के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग	150879.00
4	ग्राम सभा शाहगढ़ में छोटकोट में मनोज के घर से बंजरगी हरि0 के दरवाजे से होते हुये इण्टरलाकिंग तक इण्टरलाकिंग कार्य	139553.00 162704.00 130248.00
5	ग्राम सभा पूरबगांव में शाहगढ़ प्रा0 पा0 के सामने से नाथूराम के घर तक मिट्टी व खड़न्जा मरम्मत कार्य	657825.00
6	ग्राम सभा शाहगढ़ में रामगंज भुसियावां मार्ग से पूरे राम सरन उपाध्याय में गोशाई बाबा के स्थान से हरिजन बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	198162.00 295988.00
7	ग्राम सभा दुलापुर कला में पीताम्बरपुर में शीतला मिश्र के घर से नहर की नाली तक निर्माण कार्य पटिया सहित	162383.00
8	ग्राम सभा किटियावां में शोभनाथ के दरवाजे से तुलसी राम प्रजापति के घर तक नाली मरम्मत कार्य	94614.00
9	सेवई हेमगढ़ में अमरेश सिंह के घर से गुडडू सिंह के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	332836.00
10	ग्राम सभा अकोइया में सी0सी0 रोड से शिवपूजन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	353664.00

11	पनियार में पण्डरी में नहर पटरी से पप्पू यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	**124686.00**
12	ग्राम सभा उलरा में सरैया विनोद हरिजन के घर से बनारसी हरिजन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	308873.00
13	ग्राम सभा हरदोइया में नन्दकुमार के घर से तालाब तक पक्की नाली निर्माण कार्य	74933.00
14	ग्राम सभा राजापुर कौहार लोदी का पुरवा से देवार तक मिट्टी भराई एवं खड़न्जा मरम्मत कार्य	264930.00
15	ग्राम सभा किटियावां में पक्की सड़क से जीत सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	254326.00
16	नेतानगर गौरीगंज मुसाफिरखाना मार्ग से नेवादा किशुनगढ़ में सुरेश सिंह के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य	196472.00
17	ग्राम सभा पनियार में पूरे कलन्दर में जंगबहादुर यादव बी0डी0सी0 के घर तक इण्टरलाकिंग तक अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य	197037.00
	योग रू0	**4992113.00**

उक्त प्रकार क्षेत्र पंचायत शाहगढ़ में केन्द्र वित्त पन्द्रहवा के अन्तर्गत व्यय धनराशि रू. 4992113.00 किया गया है। उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में निम्न गम्भीर आपत्तिजनक तथ्य पाये गये विवरण निम्नवत् है.

1. निविदा फर्म के ठेकेदारों द्वारा टेण्डर निजी पैड पर तैयार करके निविदा डाली गयी है स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत स्तर से निविदा फार्म बिक्री ही नहीं किये गये । उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के अध्याय 2क के क्रमांक 30 पर उल्लिखित है कि यदि निविदा नियत प्रारूप पर नहीं प्रस्तुत किया गया तो निविदा विचार योग्य नहीं है।

2. ठेकेदार/फर्म से 2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी जमा बिना कराये ही निविदा किया गया; जबकि यह प्रक्रिया ही नियम विरूद्ध रही है। इसके अतिरिक्त निविदा आमंत्रण एवं निविदा खोले जाने के सम्बन्ध में निविदा समिति का गठन भी नहीं किया गया है। मात्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वयं ही हस्ताक्षर कर दिये गये हैं; जो अनियमित तथा मनमाने ढंग की कार्यशैली रही है।

3. ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत बिलो से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती न करके केन्द्रीय राजस्व मद में जमा न किया जाना पाया गया, इसके अतिरिक्त कतिपय बिलों पर 2 प्रतिशत की आयकर कटौती करके धनराशि नियत मद में जमा ही नहीं किया गया है। मात्र औपचारिकता ही आयकर कटौती की दर्शायी गयी है। तथा आयकर जमा न करके राजस्व की क्षति की गयी है।

4. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार/फर्म से 10 प्रतिशत जमानत राशि तथा अर्नेस्ट मनी को भी न जमा कराकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। कार्य पत्रावलियों में स्टाम्प पेपर सादे ही संलग्न कर रखे गये हैं।

5. जी0एस0टी0 कटौती संस्था स्तर पर 2 प्रतिशत तथा लेबर सेस कुल परियोजना लागत का 1 प्रतिशत बिलों के भुगतान के समय कर लिया जाना चाहिये। जी0एस0टी0 शेष 10 प्रतिशत के लिये परियोजनाओं की सूची माल व सेवाकर कार्यालय में जमा कर पुष्टि कराया जाना चाहिये; जो ठेकेदारों का दायित्व है। इस प्रकार राजस्व की क्षति को गम्भीरता से लिये जाने हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट है।

6. निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न ही नहीं किये गये हैं जो आपत्तिजनक रहा है।

7. नियमानुसार रायल्टी की कटौती नही की गयी है।

8. निर्माण कार्य से सम्बन्धित सृजित परिसम्पति का परिसम्पति रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

9. कार्यप्रभारी का नियुक्ति का कार्यादेश (नियुक्ति का पत्र व दिनांक) प्रपत्र नहीं बनाया गया; जो कि नियम विरूद्ध है। जबकि कार्य प्रभारी कम से कम ए0डी0ओ0 स्तर का होना चाहिये यदि ए0डी0ओ0 स्तर के अधिकारी उपलब्ध न हो तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृतोपरान्त ही किसी अन्य को कार्य प्रभारी बनाया जा सकता है। जिसका अभाव रहा है एवं परिणाम स्वरूप अनियमित है।

10. किसी भी टेण्डर के साथ ठेकेदार के चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होता है एवं हैसियत प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी होता है। निविदा प्रपत्र के सथ संलग्न नहीं रहा।

11. शासनादेश संख्या 1838/33.2615.03.2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा प्रस्तर (2) के क्रमांक 2 में दी गयी व्यवस्थानुसार पंचम राज्य वित्त के अन्तर्गत संकलित धनराशि से (धन का उपयोग) एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये किन्तु उल्लिखित समस्त कार्य एक ही राजस्व ग्राम के अन्तर्गत कराये गये है। जो कि उक्त शासनादेश के अनुसार अनुमन्य नहीं है। तथा फलस्वरूप विधि विरूद्ध है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार निविदा प्रक्रिया का पालन न करने व विभिन्न शासनादेशों का उल्लंघन कर मनमानी पूर्ण कार्य कराकर रू. 4992113.00 का अनियमति व्यय किया गया है। राजकीय अनुदान के व्यय से सम्बन्धित निर्धारित नियम व्यवस्था व शासनादेश से सम्बन्धित निर्धारित नियम व्यवस्था व शासनादेश का खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार के लिये कोई महत्व नहीं रहा। अतः उपरोक्त कुल अनियमित व्यय की सम्पूर्ण धनराशि रू. 4992113.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री कुसुमलता, श्रीमती उर्मिला देवी, श्री अभिषेक पटेल एवं लेखाकार श्री इंदु कुमार सिंह से समान रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। वसूली के साथ.साथ नियमानुसार अन्य विभागीय व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-37

आलोच्य वर्ष 2020-21 राज्य वित्त योजना अन्तर्गत कुल व्यय धनराशि रू. 3988749.38 किया जाना दर्शाया गया है; परन्तु व्यय से सम्बन्धित व्यय विवरण/कार्य पत्रावलियों/पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय अप्राप्त/अप्रस्तत रही है। अतः राज्य वित्त योजना अन्तर्गत वर्ष में धनराशि रू. 3988749.38 की व्यय की पुष्टि अप्रमाणित रही है। इस प्रकार विवरण हीन अपुष्ट व्यय लेखा नियमों के प्रतिकूल है एवं प्रकरण अधिभार योग्य है। जिसके लिये उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार रहे हैं।

अतः उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू. 3988749.38 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती कुसुमलता, श्रीमती उर्मिला देवी, श्री अभिषेक पटेल एवं लेखाकार श्री इंदु कुमार सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित समान रूप से किया जाना अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ नियमानुसार अन्य विभागीय व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम- गौरीगंज वर्ष 2020-21 जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या-38

आलोच्य वर्ष में दुकान किराया मद में रू. 50389.00 की आय दर्शित है जो कि बहुत ही कम है। दुकानें व्यावसायिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान पर है। इनका किराया कम से कम रू. 3000.00 प्रतिमाह भी आकलित किया जाय तो कुल 18 दुकानों का वर्षभर का किराया 648000.00 होता है। (3000×18×12 = 648000.00)। इस प्रकार (648000.00 - 50389.00) = 597611.00 की राजस्व क्षति हुई है।

यह सम्बन्धित अधिकारियों एवं दुकान आवंटियों की बीच दुरभिसंधि के कारण सम्भव हुआ। अतः सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री आशुतोष दुबे , श्री शशिकान्त तिवारी से रू. 597611.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-39

आलोच्य वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत में निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में निम्न गम्भीर आपत्तिजनक तथ्य पाये गये-

1. निविदा फर्म के ठेकेदारों द्वारा निजी टेण्डर पैड पर तैयार करके निविदा डाली गयी है स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत स्तर से निविदा फार्म बिक्री ही नहीं की गयी। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के अध्याय 2क के क्रमांक 30 पर उल्लिखित है कि यदि निविदा नियत प्रारूप पर प्रस्तुत नहीं की गयी है तो निविदा विचार योग्य नहीं है। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्य की मान्यता शून्य हो जाती है।

2. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार/फर्म से 10% जमानत राशि तथा अर्नेस्ट मनी को भी न जमा कराकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

3. निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न ही नहीं किये गये हैं जो आपत्तिजनक रहा।

4. नियमानुसार रायल्टी की कटौती नही की गयी है।

5. कार्यप्रभारी कम से कम ए0डी0ओ0 स्तर का होना चाहिये जबकि ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों का कार्य प्रभारी बनाया गया है।

6. किसी भी निविदा के साथ ठेकेदारों के चरित्र प्रमाण पत्र जो कि पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किया जाता है तथा हैसियत प्रमाण पत्र जो कि जिलाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं है।

7. शासनादेश संख्या 1838/33-2915-03-2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा प्रस्तर में दी गयी व्यवस्थानुसार संकलित धनराशि से (धन का उपयोग) एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये किन्तु उल्लिखित समाप्त कार्य एक ही राजस्व गांव के अन्तर्गत कराये गये है। जो कि उक्त शासनादेश के अनुसार अनुमन्य नहीं है तथा फलस्वरूप अनियमित है। जो कि अधिभार योग्य है।

अतः उक्त सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 8419849.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आशुतोष दुबे तथा श्री शशिकुमार तिवारी एवं लेखाकार श्री इन्दु कुमार सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम- भेंटुआ वर्ष 2019-20 से 2020-21 जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या-40

वित्त वर्ष 2019-20 में चतुर्थ राज्य वित्त योजनान्तर्गत ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार रू. 7667208.00 व्यय दर्शित किया गया है, उक्त व्यय के सापेक्ष रू. 3170046.00 के व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत की गयी किन्तु शेष व्यय धनराशि रू. 4497162.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त सम्पूर्ण व्यय अपुष्ट/अप्रमाणित एवं विवरणहीन है तथा नियम विरूद्ध है, जो कि अधिभार के योग्य है जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव गुप्ता, श्रीमती कुसुमलता तथा लेखाकार श्री त्रिभुवन सिंह व श्री सुरेन्द्र कुमार यादव लेखाकार से अद्यावधि ब्याज सहित बराबर-बराबर संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-41

वित्त वर्ष 2019-20 में विधायक निधि योजनान्तर्गत ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार रू. 3838041.00 व्यय दर्शित किया गया उक्त व्यय के सापेक्ष रू. 5258336.00 के व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत की गयी किन्तु शेष व्यय धनराशि रू. 1390295.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त सम्पूर्ण व्यय अपुष्ट, अप्रमाणित विवरणहीन एवं नियम विरूद्ध है जो कि अधिभार के योग्य है। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजीव

गुप्ता, श्रीमती कुसुमलता तथा लेखाकार श्री त्रिभुवन सिंह व सुरेन्द्र कुमार यादव से अद्यावधि ब्याज सहित बराबर-बराबर संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-42

वित्त वर्ष 2020-21 में चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त योजनात्नर्गत ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार रू. 6748432.00 एवं पन्द्रहवा वित्त योजनान्तर्गत रू. 7380246.00 व्यय दर्शित किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त योजनान्तर्गत रू. 2956783.00, पन्द्रहवां वित्त योजनान्तर्गत रू. 8158072.89 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत की गयी। किन्तु चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त की रू. 3791649.00 व पन्द्रहवां वित्त योजनान्तर्गत रू. 777826.89 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त सम्पूर्ण व्यय अपुष्ट, अप्रमाणित विवरणहीन व नियम विरूद्ध है जो कि अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली उत्तरादायी व्यक्तियों तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार यादव से अद्यावधि ब्याज सहित बराबर-बराबर संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-43

वित्त वर्ष 2020-21 में विधायक निधि योजनान्तर्गत ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार रू. 3330604.00 व्यय दर्शित किया गया किन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा के समय पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः उक्त सम्पूर्ण व्यय अपुष्ट, अप्रमाणित, विवरणहीन एवं नियमविरूद्ध है जो कि अधिभार के योग्य है। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार यादव से अद्यावधि ब्याज सहित बराबर-बराबर संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-44

क्षेत्र पंचायत भैंटुआ में वर्ष 2019-20 में कराये गये निर्माण कार्य निम्नवत् है-

क्रम	कार्य का नाम	धनराशि रू.
1	शिवगढ़ में लिंकरोड से शिवराम पाण्डेय के घर इण्टरलाकिंग कार्य	रू. 492330.00
2	कोरारीहीरशाह में पक्की सड़क से प्रदीप सिंह के घर इण्टरलाकिंग कार्य	रू. 273005.00
3	टिकरी में खड़न्जा से गोली सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग काय्र	रू. 329288.00
4	शिवगढ़ में घाटमपुर लिंक रोड से राजकुमार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	रू. 579911.00
5	टिकरी में शिवकुटी से लकी के घर होते हुये फूल सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	रू. 543272.00
6	पीपरपुर में पक्की सड़क से साधु सिंह के स्कूल तक इण्टरलाकिंग काय्र	रू. 438948.00
7	भैंटुआ मेनरोड से जे0पी0एस0 स्कूल तक इण्टरलाकिंग कार्य	रू. 513292.00
	योग	3170046.00
8	मुंशीगंज मुसाफिरखाना मार्ग से दशरथ यादव के घर तक इ0ला0 कार्य	रू. 9620942.00
9	स्वामी दशरथ बालिका इण्टरकालेज में 02 शिक्षण कक्ष निर्माण कार्य	रू. 974209.00
10	नरसिंहभानपुर में प्रधानमंत्री सड़क से विनोद कश्यप् के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	रू. 595000.00
11	नरसिंहभानपुर सम्पर्क मार्ग से अद्यातिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	रू. 595000.00
12	अर्जुनदेव उत्कर्ष विद्या निकेतन भरेथा में शिक्षण कक्ष निर्माण	रू. 490664.00
13	जे0पी0 सिंह के घर से चन्द्रभान के घर तक इ0ला0 कार्य	रू. 743702.00
14	भीमी पश्चिम रोड से चन्द्रशेखर आजाद तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	रू. 272667.00
15	भुसियावां में अशोक अग्रहरित के घर से देवराज कनौजिया के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	रू. 595000.00
	योग	5228336.00
	कुल योग	8398382.00

उक्त प्रकार क्षेत्र पंचायत भैंटुआ में क्षेत्र निधि चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत व्यय रू. 3170046.00 तथा विधायक निधि अन्तर्गत व्यय रू. 5228336.00 कुल योग रू. 8398382.00 उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में निम्न गम्भीर आपत्तिजनक तथ्य पाये गये है कि विवरण निम्नवत् है-

1. निविदा फर्म के ठेकेदारों द्वारा निजी टेण्डर पैड पर तैयार करके निविदा डाली गयी है स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत स्तर से निविदा फार्म बिक्री ही नहीं किये गये। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के अध्याय 2क के क्रमांक 30 पर उल्लिखित है कि यदि निविदा नियत प्रारूप पर प्रस्तुत नहीं किया गया तो निविदा विचार योग्य नहीं है।

2. ठेकेदार/फर्म से 2% अर्नेस्ट मनी जमा बिना कराये ही निविदा स्वीकृत किया गया; जबकि यह प्रक्रिया ही नियम विरूद्ध रही है। इसके अतिरिक्त निविदा आमंत्रण एवं निविदा खोले जाने के सम्बन्ध में निविदा समिति का गठन भी नहीं किया गया है। मात्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वयं ही हस्ताक्षर कर दिये गये हैं; जो अनियमित तथा मनमाने ढंग की कार्यशैली रही है।

3. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार/फर्म से 10% जमानत राशि तथा 2% अर्नेस्ट मनी को भी न जमा कराकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। कार्य पत्रावलियों में स्टाम्प पेपर सादे ही संलग्न कर रखे गये हैं।

4. ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत बिलो से 2% आयकर की कटौती न करके केन्द्रीय राजस्व मद में जमा न किया जाना पाया गया, इसके अतिरिक्त कतिपय बिलों पर 2.27% की आयकर कटौती करके धनराशि नियत मद में जमा ही नहीं किया गया है। मात्र औपचारिकता ही आयकर कटौती की दर्शायी गयी है। तथा जमा न करके राजस्व की क्षति की गयी है।

5. जी0एस0टी0 कटौती संस्था स्तर पर 2% तथा लेबर सेस कुल परियोजना लागत का 1% बिलों के भुगतान के समय कर लिया जाना चाहिये। जी0एस0टी0 शेष 10% के लिये परियोजनाओं की सूची माल व सेवाकर कार्यालय में जमा कर पुष्टि कराया जाना चाहिये; जो ठेकेदारों का दायित्व है। इस प्रकार राजस्व की क्षति को गम्भीरता से लिये जाने हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट है।

6. निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न ही नहीं किये गये हैं जो आपत्तिजनक रहा।

7. नियमानुसार रायल्टी की कटौती नही की गयी है।

8. निर्माण कार्य से सम्बन्धित सृजित परिसम्पत्तियों का परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

9. कार्य प्रभारी की नियुक्ति का कार्यादेश (नियुक्ति का पत्र व दिनांक) प्रपत्र नहीं बनाया गया; जो कि नियम विरूद्ध है जबकि कार्य प्रभारी कम से कम ए0डी0ओ0 स्तर का होना चाहिये यदि ए0डी0ओ0 स्तर के अधिकारी उपलब्ध न हो तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृतोपरान्त ही किसी अन्य को कार्य प्रभारी बनाया जा सकता है। जिसका अभाव रहा है एवं परिणाम स्वरूप अनियमित है।

10. ठेकेदारों के बिलो से 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 को जोड़कर भुगतान किया गया है जो कि नियम विरूद्ध रहा है। इसमें सम्बन्ध में शासनादेश व अन्य कोई आदेश न ही रहा है और न ही दिखाया गया।

11. किसी भी टेण्डर के साथ ठेकेदार के चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होता है। एवं हैसियत प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी होता है निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं रहा।

12. शासनादेश संख्या 1838/33-2015-03-2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा प्रस्तर में दी गयी व्यवस्थानुसार चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत संकलित धनराशि से (धन का उपयोग) एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये किन्तु उल्लिखित समाप्त कार्य एक ही राजस्व गांव के अन्तर्गत कराये गये है। जो कि उक्त शासनादेश के अनुसार अनुमन्य नहीं है। तथा फलस्वरूप अनियमित है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार निविदा प्रक्रिया का पालन न करने व विभिन्न शासनादेशों का उल्लंघन कर मनमानी पूर्ण कार्य कराकर रू. 8398382.00 का अनियमति व्यय किया गया है। राजकीय अनुदान के व्यय से सम्बन्धित निर्धारित नियम व्यवस्था व शासनादेश का खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार के लिये कोई महत्व नहीं रहा। अतः उपरोक्त कुल अनियमित व्यय की सम्पूर्ण धनराशि

रू. 8398382.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारियों श्री राजीव गुप्ता, श्रीमती कुसुमलता, श्री हरिश्चन्द्र सिंह एवं लेखाकार श्री त्रिभुवन सिंह एवं श्री सुरेन्द्र कुमार यादव से समान रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ नियमानुसार अन्य विभागीय व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-45

क्षेत्र पंचायत भेंटुआ में वर्ष 2020-21 में कराये गये निर्माण कार्य निम्नवत् है-

क्रम	कार्य का नाम	धनराशि रू.
1	मिलन के घर से शिवकुमार के घर होते हुये खड़न्जा तक इ0ला0 कार्य	438902.00
2	पिचरोड से नित्यानन्द यादव के घर तक इ0लाकार्य	514114.00
3	सी0सी0रोड से मुरली के घर होते हुये नन्दू के घर तक इ0ला0 कार्य	468240.00
4	इ0ला0 से बिसुन के घर होते हुये मेन रोड तक इ0ला0	419434.00
5	पिचरोड से ओंकार सिंह के घर तक इ0ला0 कार्य	278635.00
6	सी0सी0 रोड से गोली सिंह के घर तक इ0ला0 कार्य	328842.00
7	सोनू यादव के घर से शोभनाथ यादव के घर तक इ.ला.कार्य	167423.00
8	सी.सी0 रोड से संजय सिंह के घर तक इ0ला0 कार्य	341193.00
	योग	2956783.00
9	भेंटुआ में बेनीपुर खड़न्जा मार्ग से छोटे तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	550044.00
10	राजीव गांधी सेवा केन्द्र की रंगाई-पुताई तथा मरम्मतीकरण	389118.00
11	विकास खण्ड कार्यालय के सभागार की रंगाई/पुताई/मरम्मतीरकण	917990.26
12	भेंटुआ में संजय तिवारी के घर से मलहना स्कूल तक इण्टरलाकिंग कार्य	550044.00
13	नौगिरवां में सम्पर्क मार्ग से मीरा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	251433.00
14	खण्डहर में रामजीत विश्वकर्मा के घर कमला प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	219916.00
15	पिचरोड से कुलदीप सिंह के घर तक इ0ला0 कार्य	197650.00
16.	बसहू में पिचरोड से बी0डी0सी0 के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	339976.00
17	कडेरगांव में बेनीपुर माइनर से बुढवा तालाब पुल तक इण्टरलाकिंग कार्य	733854.00
18	इ0ला0 से पप्पू सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	276769.00
19	भंेटुआ में बोधन सिंह के चक से पाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	733854.00
20	पीपरपुर में जामों भादर रोड से सियाराम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	250808.00
21	इ0ला. से यदुनन्दन यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	276769.00
22	प्रा0पा0 कटरामहारानी से कमल यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	276769.00
23	विकास खण्ड कार्यालय हेतु सामग्री क्रय	813848.00
24	पिण्डोरिया में इण्टरलाकिंग कार्य से पाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	679964.33
25	स्ुलतानपुर पक्की सड़क से राम अवध पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	250808.00
26	थौरा में पिच रोड से गुडडू सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	197650.00
27	नौगिरवां में कल्लू गुप्ता के घर से राम उजागीर यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	250808.00
	योग	8158072.89
	कुल योग	11114855.89

उक्त प्रकार क्षेत्र पंचायत भेंटुआ में क्षेत्र निधि केन्द्र वित्त पन्द्रहवां के अन्तर्गत व्यय रू. 8158072.89 तथा पंचम राज्य के अन्तर्गत व्यय रू. 2956783.00 कुल योग रू. 11114855.89 उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में निम्न गम्भीर आपत्तिजनक तथ्य पाये गये है कि विवरण निम्नवत् है-

1. निविदा फर्म के ठेकेदारों द्वारा निजी टेण्डर पैड पर तैयार करके निविदा डाली गयी है स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत स्तर से निविदा फार्म बिक्री ही नहीं किये गये। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के अध्याय 2क के क्रमांक 30 पर उल्लिखित है कि यदि निविदा नियत प्रारूप पर प्रस्तुत नहीं किया गया तो निविदा विचार योग्य नहीं है।

2. ठेकेदार/फर्म से 2% अर्नेस्ट मनी जमा बिना कराये ही निविदा किया गया; जबकि यह प्रक्रिया ही नियम विरूद्ध रही है। इसके अतिरिक्त निविदा आमंत्रण एवं निविदा खोले जाने के सम्बन्ध में निविदा समिति का गठन भी नहीं किया गया है। मात्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वयं ही हस्ताक्षर कर दिये गये हैं; जो अनियमित तथा मनमाने ढंग की कार्यशैली रही है।

3. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार/फर्म से 10% जमानत राशि तथा 2% अर्नेस्ट मनी को भी न जमा कराकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। कार्य पत्रावलियों में स्टाम्प पेपर सादे ही संलग्न कर रखे गये हैं।

4. ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत बिलो से 2% आयकर की कटौती न करके केन्द्रीय राजस्व मद में जमा न किया जाना पाया गया, इसके अतिरिक्त कतिपय बिलों पर 2.27% की आयकर कटौती करके धनराशि नियत मद में जमा ही नहीं किया गया है। मात्र औपचारिकता ही आयकर कटौती की दर्शायी गयी है। तथा जमा न करके राजस्व की क्षति की गयी है।

5. जी0एस0टी0 कटौती संस्था स्तर पर 2% तथा लेबर सेस कुल परियोजना लागत का 1% बिलों के भुगतान के समय कर लिया जाना चाहिये। जी0एस0टी0 शेष 10% के लिये परियोजनाओं की सूची माल व सेवाकर कार्यालय में जमा कर पुष्टि कराया जाना चाहिये; जो ठेकेदारों का दायित्व है। इस प्रकार राजस्व की क्षति को गम्भीरता से लिये जाने हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट है।

6. निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न ही नहीं किये गये हैं जो आपत्तिजनक रहा।

7. नियमानुसार रायल्टी की कटौती नही की गयी है।

8. निर्माण कार्य से सम्बन्धित सृजित परिसम्पत्तियों का परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

9. कार्य प्रभारी की नियुक्ति का कार्यादेश (नियुक्ति का पत्र व दिनांक) प्रपत्र नहीं बनाया गया; जो कि नियम विरूद्ध है जबकि कार्य प्रभारी कम से कम ए0डी0ओ0 स्तर का होना चाहिये यदि ए0डी0ओ0 स्तर के अधिकारी उपलब्ध न हो तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृतोपरान्त ही किसी अन्य को कार्य प्रभारी बनाया जा सकता है। जिसका अभाव रहा है एवं परिणाम स्वरूप अनियमित है।

10. ठेकेदारों के बिलो से 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 को जोड़कर भुगतान किया गया है जो कि नियम विरूद्ध रहा है। इसमें सम्बन्ध में शासनादेश व अन्य कोई आदेश न ही रहा है और न ही दिखाया गया।

11. किसी भी टेण्डर के साथ ठेकेदार के चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होता है। एवं हैसियत प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी होता है निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं रहा।

12. शासनादेश संख्या 1838/33-2015-03-2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा प्रस्तर में दी गयी व्यवस्थानुसार चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत संकलित धनराशि से (धन का उपयोग) एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये किन्तु उल्लिखित समाप्त कार्य एक ही राजस्व गांव के अन्तर्गत कराये गये है। जो कि उक्त शासनादेश के अनुसार अनुमन्य नहीं है। तथा फलस्वरूप अनियमित है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार निविदा प्रक्रिया का पालन न करने व विभिन्न शासनादेशों का उल्लंघन कर मनमानी पूर्ण कार्य कराकर रू. 11114855.89 का अनियमति व्यय किया गया है। राजकीय अनुदान के व्यय से सम्बन्धित निर्धारित नियम व्यवस्था व शासनादेश का खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार के लिये कोई महत्व नहीं रहा। अतः उपरोक्त कुल अनियमित व्यय की सम्पूर्ण धनराशि रू. 11114855.89 की वसूली खण्ड विकास अधिकारियों श्री हरिश्चन्द्र सिंह एवं लेखाकार श्री सुरेन्द्र कुमार यादव से समान रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। वसूली के साथ-साथ नियमानुसार अन्य विभागीय व प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत का नाम- संग्रामपुर **वर्ष 2016-17 से 2018-19** **जनपद - अमेठी**

प्रस्तर संख्या-46

आलोच्य वर्ष 2016-17 में क्षेत्र पंचायत में अनुदान पंजिका के अनुसार कुल रू0 5094490.50 व्यय किया गया है। उक्त व्यय से संबंधित व्यय विवरण/कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा के समय अप्राप्त रहीं और दिनांक 04.01.2023, 07.02.2023, 02.03.2023 एवं 22.03.2023 के पत्रों

(छायाप्रति संलग्न) द्वारा बार-बार मांग किये जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराई गयीं। मदवार विवरण निम्नवत है-

क्र.	मद का नाम	अनुदान पंजिका के अनुसार व्यय धनराशि	व्यय धनराशि, जिसकी पत्रावलियां उपलब्ध रही	व्यय धनराशि, जिसकी पत्रावलियां उपलब्ध नहीं रही	अधिभार योग्य धनराशि
1	राज्य वित्त/14वां वित्त	4228885.00	0.00	4228885.00	4228885.00
2	विधायक निधि	749116.50	0.00	749116.50	749116.50
3	आवास कन्टीजेन्सी	116489.00	0.00	116489.00	116489.00
	महायोग	5094490.50	0.00	5094490.50	5094490.50

इस प्रकार का विवरणहीन व्यय लेखा नियमों के प्रतिकूल है एवं अधिभार के योग्य है। अतः रू0 5094490.50 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विनय कुमार द्विवेदी तथा लेखाकार श्री हृदय पाल सरोज से समान रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-47

आलोच्य वर्ष 2017-18 में क्षेत्र पंचायत में अनुदान पंजिका के अनुसार कुल रू0 2540504.35 व्यय किया गया है। उक्त व्यय से संबंधित व्यय विवरण/कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा के समय अप्राप्त रहीं और दिनांक 04.01.2023, 07.02.2023, 02.03.2023 एवं 22.03.2023 के पत्रों (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बार-बार मांग किये जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराई गयीं। मदवार विवरण निम्नवत है-

क्र.	मद का नाम	अनुदान पंजिका के अनुसार व्यय धनराशि	व्यय धनराशि, जिसकी पत्रावलियां उपलब्ध रही	व्यय धनराशि, जिसकी पत्रावलियां उपलब्ध नहीं रही	अधिभार योग्य धनराशि
1	राज्य वित्त/14वां वित्त	2051630.00	0.00	2051630.00	2051630.00
2	प्रासंगिक मद	5875.00	0.00	5875.00	5875.00
3	विधायक निधि	402088.35	0.00	402088.35	402088.35
4	आवास कन्टीजेन्सी	80911.00	0.00	80911.00	80911.00
	महायोग	2540504.35	0.00	2540504.35	2540504.35

इस प्रकार का विवरणहीन व्यय लेखा नियमों के प्रतिकूल है एवं अधिभार के योग्य है। अतः रू0 2540504.35 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विनय कुमार द्विवेदी, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री शरद कुमार श्रीवास्तव, एवं श्री रामकृष्ण पाण्डेय तथा लेखाकार श्री हृदय पाल सरोज से समान रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-48

आलोच्य वर्ष 2018-19 में क्षेत्र पंचायत में अनुदान पंजिका के अनुसार कुल रू0 8555211.80 व्यय किया गया है। उक्त व्यय से संबंधित व्यय विवरण/कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा के समय अप्राप्त रहीं और दिनांक 04.01.2023, 07.02.2023, 02.03.2023 एवं 22.03.2023 के पत्रों (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बार-बार मांग किये जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराई गयीं। मदवार विवरण निम्नवत है-

क्र.	मद का नाम	अनुदान पंजिका के अनुसार व्यय धनराशि	व्यय धनराशि, जिसकी पत्रावलियां उपलब्ध रही	व्यय धनराशि, जिसकी पत्रावलियां उपलब्ध नहीं रही	अधिभार योग्य धनराशि
1	राज्य वित्त/14वां वित्त	4918124.00	0.00	4918124.00	4918124.00

2	बायो गैस	59256.00	0.00	59256.00	59256.00
3	विधायक निधि	2246542.80	0.00	2246542.80	2246542.80
4	इं0 आ0 कन्टीजेन्सी	340261.00	0.00	340261.00	340261.00
5	व्याज	2301.00	0.00	2301.00	2301.00
6	मनरेगा कन्टीजेन्सी	988727.00	0.00	988727.00	988727.00
	महायोग	8555211.80	0.00	8555211.80	8555211.80

इस प्रकार का विवरणहीन व्यय लेखा नियमों के प्रतिकूल है एवं अधिभार के योग्य है। अतः रू0 8555211.80 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामकृष्ण पाण्डेय, श्री एम0पी0 लाल श्रीवास्तव तथा लेखाकार श्री हृदय पाल सरोज से समान रूप से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

जनपद- बाराबंकी

प्रारूप-03 क्षेत्र पंचायत जनपद बाराबंकी

1-क्षेत्र पंचायत का नाम- सिद्धौर वर्ष 2019-20 से 2021-22

प्रस्तर-1- वित्तीय वर्ष- 2019-20 में राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त योजना के अंतर्गत कराये गये निम्नलिखित कार्यों में अग्रलिखित आपत्तियां पायी गयीं हैं |

क्र.सं.	कार्य का नाम	मद	धनराशि
1	जरगावा में डामर रोड पुलिया से काली माता मन्दिर तक नाला निर्माण	चतुर्थ रा0वि0	701028.00
2	गोवंश हेतु बारवेट वायर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	चतुर्थ रा0वि0	545552.00
3	खण्ड विकास अधिकारी कक्ष के नवीनीकरण का कार्य	चतुर्थ रा0वि0	152869.00
4	क्षे0पं0 कार्यालय कक्ष ने केबिन निर्माण	चतुर्थ रा0वि0	135476.00
5	प्रमुख कक्ष के नवीनीकरण का कार्य	चतुर्थ रा0वि0	205969.00
6	मीटिंग हाल में केबिन निर्माण नवीनीकरण	चतुर्थ रा0वि0	526457.00
7	ग्राम टेडवा संगौरा सैदखान बार्डर के नाला पर पुलिया निर्माण कार्य	चतुर्थ रा0वि0	996950.00
8	कार्यालय एवं माननीय प्रमुख कक्ष की मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	चतुर्थ रा0वि0	801492.00
9	मा0 प्रमुख कक्ष एवं मीटिंग हाल इत्यादि हेतु कुर्सी मेज तथा साज सज्जा का कार्य	चतुर्थ रा0वि0	392000.00
10	ग्राम अलुआमऊ में डामररोड से रामबरन वर्मा के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	चतुर्थ रा0वि0	954618.00
11	कोठी में धर्मकांटा के पास पुलिया निर्माण कार्य	चतुर्थ रा0वि0	564000.00
12	सरायमीर में पप्पू वर्मा के खेत से खेल मैदान तक नाला निर्माण कार्य	चतुर्थ रा0वि0	506534.00
13	वि0ख0 कैम्पस में शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण कार्य	चतुर्थ रा0वि0	95735.00
14	कोठी में पप्पू वर्मा के घर के पास पुलिया निर्माण कार्य	चतुर्थ रा0वि0	519807.00
15	प्रधानमंत्री माडल आवास में टाइल्स, जलापूर्ति एवं विद्युतकरण कार्य	चतुर्थ रा0वि0	148644.00
16	असन्द्रा में प्रा0वि0 से ज्वाला प्रसाद के घर तक इण्टर लाकिंग मार्ग निर्माण कार्य	चतुर्थ रा0वि0	820486.00
17	अलुआमऊ में कोलापुर मेनखड़न्जा से झागूबाबा देवस्थान तक सी0सी0मार्ग कार्य	चतुर्थ रा0वि0	925056.00
18	मुरलीगंज बबुरिहा में पक्कीसड़क से लाला कनौजिया के घर तक सी0सी0 कार्य	चतुर्थ रा0वि0	911277.00
19	ग्राम कोटवा में पिच रोड से दुर्गापूजा स्थल तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	चतुर्थ रा0वि0	994552.00
20	वि0ख0 में कार्यालय एंव आवासीय भवन टाईप-2 में जलापूर्ति कार्य	चतुर्थ रा0वि0	80000.00
21	कोठी में रामदीन पुरवा मार्ग से पप्पू वर्मा की दुकान तक नाला निर्माण	चतुर्थ रा0वि0	973000.00
22	पूरब वेलाव में सी0सी0 रोड से मो0 हक के दरवाजे तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	चतुर्थ रा0वि0	525233.00
23	कोठी में टेलीफोनइक्सचेंज के पहले पुलिया से डा0 अनिल के घर तक नाला निर्माण	चतुर्थ रा0वि0	915898.00

24	सरायमीर में चैहान पुरवा मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य	चतुर्थ रा0वि0	14278824.00

उपर्युक्त कार्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

1-टेण्डर के नियमों एवं शर्तों के अनुसार धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में खण्ड विकास अधिकारी सिद्धौर के पक्ष में बंधक कराते हुए निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा शेष धनराशि कार्यादेश के समय एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में खण्ड विकास अधिकारी सिद्धौर के पक्ष में बंधक के रूप में देना अनिवार्य होगा।उक्त टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्टआफिस द्वारा निर्गत होना चाहिए। निविदा फार्मों के साथ किसी भी पत्रावली में टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 की छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी। टेण्डर के नियम एवं शर्तों का उल्लघंन कर ठेका आवंटित करना, ठेका प्रक्रिया में गम्भीर अनियमिता का द्योतक है।

2-टेण्डर प्रक्रिया में जितने भी ठेकेदार टेण्डर फार्म आवेदन करेंगे उन सभी से टेण्डर फार्म के साथ धरोहर धनराशि टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक स्वरूप जमा करायी जायेगी, चाहे उन ठेकेदारों का टेण्डर स्वीकृत किया गया हो या अस्वीकृत किया गया हो, किन्तु ऐसा नहीं किया गया एवं ठेका आवंटन प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितता की गयी है।

3-निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में गम्भीर तथ्य प्रकाश में आया कि निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निविदा प्रकाशन प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र में कराये जाने की पुष्टि किसी की निर्माण कार्य पत्रावली में नहीं हुई क्योंकि निविदा प्रकाशन की पेपर कटिंग की मूल/छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी जो यह दर्शित करती है कि निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निविदा का प्रकाशन हुआ ही नहीं। स्पष्ट है कि निविदा प्रकाशन का उल्लेख अवास्तविक है। निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निविदा प्रकाशन की पुष्टि नहीं होना, टेण्डर प्रक्रिया नहीं होना, टेण्डर प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितता होना दर्शित करता है।

4-कतिपय टेण्डर फार्मों पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये जोकि टेण्डर प्रक्रिया के नियमों एवं शर्तों का उल्लघंन है। नियमों की अनदेखा कर टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण किया जाना गम्भीर अनियमितता है।

5-निविदा के साथ (निविदा फार्म के साथ) हैसियत प्रमाण पत्र पी डब्ल्यू डी टी -5 चरित्र प्रमाणपत्र पी डब्ल्यू डी टी -4 एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित रु0 100.00 के स्टैम्प पर निविदादाता का शपथपत्र भी संलग्न होना चाहिए था जोकि संलग्न नहीं पाया गया। केवल जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत की गयी उससे स्वीकृति के बाद एक एग्रीमेन्ट रु0 100.00 के स्टाम्प पर करा लिया गया।

6-प्रस्तुत निर्माण कार्य की पत्रावली के साथ निर्माण कार्य के प्रारम्भ के पूर्व की स्थिति, कार्य होने के दौरान की स्थिति एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति, इन तीनों स्थितियों की प्रमाणित फोटोग्राफ (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित) निर्माण पत्रावली के साथ संलग्न होने चाहिए थे किन्तु तीनों स्थितियों की प्रमाणित फोटोग्राफ निर्माण कार्य की पत्रावली के साथ संलग्न नहीं पाया गया।

7-प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों में ठेकेदारों का सरकारी विभागों में कराये गये निर्माण कार्यों का अनुभव प्रमाण-पत्र, आयकर क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र एवं पैनकार्ड, जी एस टी नं0 पंजीकरण, 2019-20 हेतु श्रम विभाग का प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र संलग्न नहीं पाये गये।

8-टेण्डर लिफाफे सीलयुक्त नहीं पाये गये। निविदा फार्म के लिफाफे सीलबन्द होने चाहिए तथा टेण्डर कमेटी एवं निविदाकर्ताओं के समक्ष निश्चित तिथि को खोले जाने चाहिए तभी टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी एवं नियमानुसार मानी जाती है।

9-प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि प्रपत्र संलग्न नहीं पाये गये।

अतः उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में निर्माण सम्बन्धी टेण्डर प्रक्रिया के नियमों का पूर्णतया उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से ठेकेदारों को टेण्डर आवंटित कर रु0 14278824.00 का अनियमित भुगतान ठेकेदारों को किया गया। इस अनियमितता के लिए ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार पूर्णतया उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या-22 धनराशि रू॰ 14278824.00)**

प्रस्तर-2- वित्तीय वर्ष- 2020-21 में राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त योजना के अंतर्गत कराये गये निम्नलिखित कार्यों में अग्रलिखित आपत्तियां पायी गयीं हैं:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	मद	धनराशि
1	बेलहरी में मेन रोड से गुरू यादव के घर तक इण्टरलाकिंग	5वां रा0वि0	455710.00
2	वि0ख0 परिसर में इण्टरलाकिंग कार्य	5वां रा0वि0	655768.00
3	जल निकासी हेतु वाटर हारवेटिंग र्का (वि0ख0 परिसर)	15वां वित्त	533516.00
4	ग्रा0पं0 छतौनी के ग्राम गंगोई ब्रम्हनान में महादेव के घर से हनुमान मन्दिर तक इ.लाकिंग	5वां रा0वि0	570644.00
5	वि0ख0 के मुख्य प्रवेश द्वारा का निर्माण	5वां रा0वि0	229645.00
6	नरायणपुर मजरे टेण्डवा में पक्की सड़क से राम नरायन के घर तक सी0सी0/इ.लाकिंग	5वां रा0वि0	571771.00
7	ग्राम पंचायत गंजरिया में अतरौली मेन रोड से स्कूल के पीछे होते हुए सर्वजीत के दरवाजे तक सी0सी0/इण्टर लाकिंग कार्य	5वां रा0वि0	986112.00
8	वि0ख0 परिसर की पूर्व एवं दक्षिण दिशा की बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत एवं उच्चीकरण	5वां रा0वि0	267518.00
9	वि0ख0 परिसर की पश्चिम एंव उत्तर दिशा की बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत एवं उच्चीकरण	5वां रा0वि0	267518.00
10	वि0ख0 परिसर में मुख्य प्रवेश द्वार से कार्यालय भवन तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण	5वां रा0वि0	994564.00
11	वि0ख0 में स्थापित स्वतंत्रता संग्राम शहीद स्मारक एवं परिसर की मरम्मत सुन्दरीकरण	5वां रा0वि0	113865.00
12	साधन सहकारी समिति विवियापुर का भवन मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	5वां रा0वि0	791919.00
13	कोठी में बाल विकास के पीछे शवदाह ग्रह में टीन शेड का निर्माण कार्य	5वां रा0वि0	167898.00
14	ग्राम कोटवा में सी0सी0 मार्ग से गुड्डू रावत के घर तक सी0सी0/इ.लाकिंग मार्ग निर्माण	5वां रा0वि0	998822.00
15	कोठी थाना के प्रांगण में इण्टरलाकिंग मार्ग के दाहिने इण्टरलाकिंग कार्य	5वां रा0वि0	707673.00
16	न्योछना के मनोरथपुर में गुड्डू प्रधान के घर से गंगाराम वर्मा के घर तक सी0सी0/इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य	5वां रा0वि0	628064.00
17	खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कैसरगंज में मरम्मत एवं टाइल्स निर्माण कार्य5वां रा0वि0	5वां रा0वि0	270516.00
18	खण्ड विकास अधिकारी आवास की बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य	5वां रा0वि0	453293.00
19	अजौवा में पक्की रोड से दिनेश के घर तक सी0सी0/इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य	15वां वित्त	888398.00
20	कुम्हरावा में पक्की सड़क से प्रदीप वर्मा के घर तक इण्टर लाकिंग मार्ग निर्माण कार्य	15वां वित्त	889115.00

21	कोठी थाना परिसर में वाटर कूलर लगाने का कार्य	15वां वित्त	127942.00
22	नकता सेहरिया में सोनू के घर से तालाब तक नाला निर्माण कार्य	15वां वित्त	287636.00
23	बेड़हरी में मंशाराम के घर से सरन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	15वां वित्त	875533.00
24	नई सड़क चैराहे हैदरगढ़ मोड़ से नाले तक नाला निर्माण कार्य	15वां वित्त	826811.00
25	मदारपुर बहादुरसिंह में ओमप्रकाश के घरसे सूर्यलाल के घरतक इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण	15वां वित्त	702710.00
26	शेषपुर हकीम में विरेन्द्र के घर से दिनेश के घर तक सी0सी0/इण्टरलाकिंग कार्य	15वां वित्त	554550.00
27	कोटवा में मेन खड़न्जा से रेवतीपुरवा तक सी0सी0/इण्टर लाकिंग निर्माण/मरम्मत कार्य	15वां वित्त	905972.00
28	कोठी में अंकित के दरवाजे से मेन नाला तक नाला निर्माण कार्य	15वां वित्त	228836.00
29	जरगवा में जगदीश के खेत के पास पुलिया से रामेश्वर प्रसाद के घर होते हुए फकीरे गुप्ता के घर तक नाला निर्माण	15वां वित्त	509801.00
30	मिर्जापुर में मेनरोड से राकेश वर्मा के घर तक सी0सी0/इण्टरलाकिंग कार्य	15वां वित्त	288529.00
31	मोतिकपुर से सरवनपुर में सतेन्द्र के घर से भुई ढेर बाबा तक इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण	15वां वित्त	647907.00
32	इनायतपुर ने पक्की सड़क से अखिलेश वर्मा के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण	15वां वित्त	708152.00
33	नसीरपुर में फौजी के बंगला से राम सुमिरन के पालेसार तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	15वां वित्त	909330.00
34	मझपुरा में मेनरोड से राजेश के घर तक सी0सी0/इण्टरलाकिंग कार्य	15वां वित्त	946654.00
35	पश्चिम बेलाव में रसूलपुर चैराहे पर नाला निर्माण	15वां वित्त	998695.00
36	सादुल्लापुर में मेन रोड से उमाशंकर वर्मा के घर तक सी0सी0/इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण	15वां वित्त	659113.00
37	ग्राम पंचायत कोटवा में नौशाद के घर से सियाराम वर्मा के घर तक सी0सी0/इ.लांकिंर्ग	15वां वित्त	712219.00
38	मुरलीगंजमें इटहुआडामररोड से विजयसिंह के घरतक सी0सी0/इ.लाकिंग मरम्मत/निर्माण	15वां वित्त	139062.00

39	कोठी में रामदीन पुरवा मोड पर नाले से नाला तक नाला निर्माण कार्य	15वां वित्त	677847.00
40	आदर्श इण्टर कालेज में वाटर कूलर लगवाना	15वां वित्त	127942.00
41	विकास खण्ड कार्यालय में वाटर कूलर का काार्य	15वां वित्त	127942.00
42	कोठी में मेनरोड से कृष्णा वर्मा के घर तक सी0सी0/इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य	15वां वित्त	956438.00
43	वि0ख0 परिसर में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	15वां वित्त	500425.00
44	सिद्धेश्वर मन्दिर परिसर में वाटर कूलर लगाने का कार्य	15वां वित्त	127942.00
45	बीबीपुर मे0 दुर्गा मन्दिर परिसर में वाटर कूलर लगाने का कार्य	15वां वित्त	127942.00
46	असन्द्रा थाना परिसर में वाटर कूलर लगाने का कार्य	15वां वित्त	127942.00
47	सेमरावा सतगुरू इण्टर कालेज परिसर में वाटरकुलर लगने	15वां वित्त	127942.00
48	बाल विकास विद्या मन्दिर इण्टरकालेज परिसर में वाटर कूलर लगाने का कार्य	15वां वित्त	127942.00
49	कोठी थाना के सामने इण्टरलाकिंग मार्ग के बांयी तरफ इण्टरलाकिंग कार्य	15वां वित्त	943127.00
	योग		26445212.00

उपर्युक्त कार्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

1-टेण्डर के नियमों एवं शर्तों के अनुसार धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में खण्ड विकास अधिकारी सिद्धौर के पक्ष में बंधक कराते हुए निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा शेष धनराशि कार्यादेश के समय एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में खण्ड विकास अधिकारी सिद्धौर के पक्ष में बंधक के रूप में देना अनिवार्य होगा।उक्त टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्टआफिस द्वारा निर्गत होना चाहिए। निविदा फार्मों के साथ किसी भी पत्रावली में टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 की छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी। टेण्डर के नियम एवं शर्तों का उल्लघंन कर ठेका आवंटित करना, ठेका प्रक्रिया में गम्भीर अनियमिता का द्योतक है।

2-टेण्डर प्रक्रिया में जितने भी ठेकेदार टेण्डर फार्म आवेदन करेंगे उन सभी से टेण्डर फार्म के साथ धरोहर धनराशि टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक स्वरूप जमा करायी जायेगी, चाहे उन ठेकेदारों का टेण्डर स्वीकृत किया गया हो या अस्वीकृत किया गया हो, किन्तु ऐसा नहीं किया गया एवं ठेका आवंटन प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितता की गयी है।

3-निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में गम्भीर तथ्य प्रकाश में आया कि निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निविदा प्रकाशन प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र में कराये जाने की पुष्टि किसी की निर्माण कार्य पत्रावली में नहीं हुई क्योंकि निविदा प्रकाशन की पेपर कटिंग की मूल/छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी जो

यह दर्शित करती है कि निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निविदा का प्रकाशन हुआ ही नहीं। स्पष्ट है कि निविदा प्रकाशन का उल्लेख अवास्तविक है। निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निविदा प्रकाशन की पुष्टि नहीं होना, टेण्डर प्रक्रिया नहीं होना, टेण्डर प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितता होना दर्शित करता है।

4-कतिपय टेण्डर फार्मों पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये जोकि टेण्डर प्रक्रिया के नियमों एवं शर्तों का उल्लघंन है। नियमों की अनदेखा कर टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण किया जाना गम्भीर अनियमितता है।

5-निविदा के साथ (निविदा फार्म के साथ) हैसियत प्रमाण पत्र पी डब्ल्यू डी टी -5 चरित्र प्रमाणपत्र पी डब्ल्यू डी टी -4 एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित रु0 100.00 के स्टैम्प पर निविदादाता का शपथपत्र भी संलग्न होना चाहिए था जोकि संलग्न नहीं पाया गया। केवल जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत की गयी उससे स्वीकृति के बाद एक एग्रीमेन्ट रु0 100.00 के स्टाम्प पर करा लिया गया।

6-प्रस्तुत निर्माण कार्य की पत्रावली के साथ निर्माण कार्य के प्रारम्भ के पूर्व की स्थिति, कार्य होने के दौरान की स्थिति एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति, इन तीनों स्थितियों की प्रमाणित फोटोग्राफ (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित) निर्माण पत्रावली के साथ संलग्न होने चाहिए थे किन्तु तीनों स्थितियों की प्रमाणित फोटोग्राफ निर्माण कार्य की पत्रावली के साथ संलग्न नहीं पाया गया।

7-उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-39 के अनुसार रु0 500000.00 से रु0 1000000.00 तक निर्माण कार्य का अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। परन्तु उक्त नियम का पालन नहीं किया गया जो कि गम्भीर अनियमितता है।

8-प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों में ठेकेदारों का सरकारी विभागों में कराये गये निर्माण कार्यों का अनुभव प्रमाण-पत्र, आयकर क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र एवं पैनकार्ड, जी एस टी नं0 पंजीकरण, 2020-21 हेतु श्रम विभाग का प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र संलग्न नहीं पाये गये।

9-टेण्डर लिफाफे सीलयुक्त नहीं पाये गये। निविदा फार्म के लिफाफे सीलबन्द होने चाहिए तथा टेण्डर कमेटी एवं निविदाकर्ताओं के समक्ष निश्चित तिथि को खोले जाने चाहिए तभी टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी एवं नियमानुसार मानी जाती है।

10-प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि प्रपत्र संलग्न नहीं पाये गये।

11-कतिपय टेण्डर फार्मों पर टेण्डर खुलने का दिनांक नहीं डाला गया, जो कि वांछित है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में निर्माण सम्बन्धी टेण्डर प्रक्रिया के नियमों का पूर्णतया उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से ठेकेदारों को टेण्डर आवंटित कर रु0 26445212.00 का अनियमित भुगतान ठेकेदारों को किया गया। इस अनियमितता के लिए ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार पूर्णतया उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-23 धनराशि रू० 26445212.00)

प्रस्तर-3- वित्तीय वर्ष- 2021-22 में राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त योजना के अंतर्गत कराये गये निम्नलिखित कार्यों में अग्रलिखित आपत्तियां पायी गयीं हैं:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	मद	धनराशि
1	ख्वाजा नगर प्रा0वि0 से पूर्वी मैयथातक नाला निर्माण	15वां वित्त	990639.00
2	कोठी में नन्हा के घर से राम प्रकाश रावत के घर तक सी0सी0/इ.लाकिंग मार्ग निर्माण	15वां वित्त	524536.00
3	कुतुवापुर के दरियापुर गांव में हरिनाम के घर से विविया तालाब तक नाली निर्माण	15वां वित्त	359477.00
4	बहादुरपुर से बेलहरी तक सी0सी0/इण्टर लाकिंग मार्ग निर्माण	15वां वित्त	993633.00
5	मीरापुर में सी0सी0 रोड से शन्नू के घर तक सी0सी0/इण्टरलाकिंग निर्माण	15वां वित्त	790781.00
6	मो0पुरहुसैनबक्श में चन्द्रिका के दरवाजे से विद्याप्रसाद के दरवाजे तक	15वां वित्त	986008.00

	सी0सी0/इ.लाकिं		
7	डेडिया मदरसा से राजू रावत के घर तक सी0सी0/इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण	15वां वित्त	381255.00
8	पंडरावा में रमेश के घर से ननकू के घर तक सी0सी0/इण्टर लाकिंग मार्ग निर्माण	15वां वित्त	159059.00
9	मेन्हुआ में शीतला तालाब से दीपक सिंह के दरवाजे तक सी0सी0/इण्टर लाकिंग निर्माण	15वां वित्त	988792.00
10	प्रमुख कक्ष का नवीनी करण	5वां रा0वि0	752465.00
11	वि0ख0 कार्यालय हेतु फर्नीचर का कार्य	5वां रा0वि0	488107.00
12	कुम्हरावा में अतीक के घर से गड़ही तक नाली निर्माण	5वां रा0वि0	93695.00
13	पूरवे बेलाव डामर रोड से जितेन्द्र सिंह के दरवाजे तक सी0सी0/इण्टर लाकिंग निर्माण	5वां रा0वि0	224649.00
14	ख0वि0 अधिकारी कार्यालय विस्तारीकरण	5वां रा0वि0	883419.00
15	सरवनपुर में गुड्डू के घर से मुकीम के घर तक सी0सी0/इण्टरलाकिंग कार्य	5वां रा0वि0	5689722.00
16	पकरिहा में सहज राम राव के घर से राजन तिवारी के घर तक सी0सी0/इण्टर लाकिंग	15वां वित्त	923126.00
17	कुम्हरवां में मुफीस के घर से रतीपाल के घर तक सी0सी0/इण्टर लाकिंग निर्माण	15वां वित्त	965179.00
18	पूरब बेलाव मेन रोड से सोनू पण्डित के घर तक सी0सी0/इण्टर लाकिंग निर्माण	15वां वित्त	360477.00
19	पश्चिमबेलाव में रसूलपुर औशानेश्वर सम्पर्कमार्ग से महादेवमंदिर तक सी0सी0/इ.लाकिंग	15वां वित्त	993721.00
20	जरगवा में बंशीलाल यादव के मन्दिर से राधे रावत के घर तक सी0सी0/इण्टर लाकिंग	15वां वित्त	986507.00
21	लाखूपुर में मेन रोड से राकेश पाठक के घर तक सी0सी0/इण्टर लाकिंग निर्माण	5वां रा0वि0	348988.00
22	पूरे टिकैत पीपल पेड़ से विनोद के घर तक सी0सी0/इण्टर लाकिंग निर्माण	5वां रा0वि0	315654.00
23	बरईबेड़ा टेण्डवा सम्पर्कमार्ग पर लल्लन के घर से बराती के घरतक सी0सी0/इ.लाकिंग	15वां वित्त	664042.00
24	डिघावां में मेन इण्टरलाकिंग से राकेश के घर तक सी0सी0/इण्टरलाकिंग निर्माण	15वां वित्त	257384.00
25	पूरी कारिक में रामसरन वर्मा के घर से मन्दिर तक सी0सी0/इण्टरलाकिंग निर्माण	15वां वित्त	235662.00
26	पूरे भारिक में रामेश्वर गौतम के घर से सत्यनारायण वर्मा के घर तक सी0सी0/इ.लाकिंग	15वां वित्त	751225.00
	योग		15987452.00

उपर्युक्त कार्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

1-टेण्डर के नियमों एवं शर्तों के अनुसार धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में खण्ड विकास अधिकारी सिद्धौर के पक्ष में बंधक कराते हुए निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा शेष धनराशि कार्यादेश के समय एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में खण्ड विकास अधिकारी सिद्धौर के पक्ष में

बंधक के रूप में देना अनिवार्य होगा।उक्त टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्टआफिस द्वारा निर्गत होना चाहिए। निविदा फार्मों के साथ किसी भी पत्रावली में टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 की छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी। टेण्डर के नियम एवं शर्तों का उल्लघंन कर ठेका आवंटित करना, ठेका प्रक्रिया में गम्भीर अनियमिता का द्योतक है।

2-टेण्डर प्रक्रिया में जितने भी ठेकेदार टेण्डर फार्म आवेदन करेंगे उन सभी से टेण्डर फार्म के साथ धरोहर धनराशि टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक स्वरूप जमा करायी जायेगी, चाहे उन ठेकेदारों का टेण्डर स्वीकृत किया गया हो या अस्वीकृत किया गया हो, किन्तु ऐसा नहीं किया गया एवं ठेका आवंटन प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितता की गयी है।

3-निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में गम्भीर तथ्य प्रकाश में आया कि निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निविदा प्रकाशन प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र में कराये जाने की पुष्टि किसी की निर्माण कार्य पत्रावली में नहीं हुई क्योंकि निविदा प्रकाशन की पेपर कटिंग की मूल/छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी जो यह दर्शित करती है कि निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निविदा का प्रकाशन हुआ ही नहीं। स्पष्ट है कि निविदा प्रकाशन का उल्लेख अवास्तविक है। निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निविदा प्रकाशन की पुष्टि नहीं होना, टेण्डर प्रक्रिया नहीं होना, टेण्डर प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितता होना दर्शित करता है।

4- कतिपय टेण्डर फार्मों पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये जोकि टेण्डर प्रक्रिया के नियमों एवं शर्तों का उल्लघंन है। नियमों की अनदेखा कर टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण किया जाना गम्भीर अनियमितता है।

5-निविदा के साथ (निविदा फार्म के साथ) हैसियत प्रमाण पत्र पी डब्ल्यू डी टी -5 चरित्र प्रमाणपत्र पी डब्ल्यू डी टी -4 एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित रु0 100.00 के स्टैम्प पर निविदादाता का शपथपत्र भी संलग्न होना चाहिए था जोकि संलग्न नहीं पाया गया। केवल जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत की गयी उससे स्वीकृति के बाद एक एग्रीमेन्ट रु0 100.00 के स्टाम्प पर करा लिया गया।

6-प्रस्तुत निर्माण कार्य की पत्रावली के साथ निर्माण कार्य के प्रारम्भ के पूर्व की स्थिति, कार्य होने के दौरान की स्थिति एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति, इन तीनों स्थितियों की प्रमाणित फोटोग्राफ (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित) निर्माण पत्रावली के साथ संलग्न होने चाहिए थे किन्तु तीनों स्थितियों की प्रमाणित फोटोग्राफ निर्माण कार्य की पत्रावली के साथ संलग्न नहीं पाया गया।

7-उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-39 के अनुसार रु0 500000.00 से रु0 1000000.00 तक निर्माण कार्य का अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। परन्तु उक्त नियम का पालन नहीं किया गया जो कि गम्भीर अनियमितता है।

8-प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों में ठेकेदारों का सरकारी विभागों में कराये गये निर्माण कार्यों का अनुभव प्रमाण-पत्र, आयकर क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र एवं पैनकार्ड जी एस टी नं0 पंजीकरण, 2021-22 हेतु श्रम विभाग का प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र संलग्न नहीं पाये गये।

9-टेण्डर लिफाफे सीलयुक्त नहीं पाये गये। निविदा फार्म के लिफाफे सीलबन्द होने चाहिए तथा टेण्डर कमेटी एवं निविदाकर्ताओं के समक्ष निश्चित तिथि को खोले जाने चाहिए तभी टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी एवं नियमानुसार मानी जाती है।

10-प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि प्रपत्र संलग्न नहीं पाये गये।

11-कतिपय टेण्डर फार्मों पर टेण्डर खुलने का दिनांक नहीं डाला गया, जो कि वांछित है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में निर्माण सम्बन्धी टेण्डर प्रक्रिया के नियमों का पूर्णतया उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से ठेकेदारों को टेण्डर आवंटित कर रु0 15987452.00 का अनियमित भुगतान ठेकेदारों को किया गया। इस अनियमितता के लिए ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार पूर्णतया उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या-24 धनराशि रू० 15987452.00)**

2-क्षेत्र पंचायत का नाम- पूरेडलई वर्ष 2021-22

प्रस्तर-4- वित्तीय वर्ष- 2021-22 में मनरेगा प्रशासनिक मद से विभिन्न कार्यों हेतु एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान/व्यय किया गया दर्शित है। विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	चेक/**एफ टी ओ** सं.	दिनांक	मद का नाम	फर्म/भुगतान प्राप्तकर्ता	कार्य का विवरण	धनराशि
1	64296	15-06-2021	मनरेगा कंटीजेन्सी	चौधरी फिलिंग स्टेशन	डीजल क्रय	43897.00
2	64297	15-06-2021	मनरेगा कंटीजेन्सी	दीपक इलेक्ट्रिकल्स,लखनऊ	जनरेटर सर्विसिंग	5080.00
3	64323	28-03-2022	मनरेगा कंटीजेन्सी	श्री राहुल श्रीवास्तव	मनरेगा सम्मेलन	17500.00
योग						66477.00

उपर्युक्त दर्शित व्ययों/भुगतान से सम्बन्धित कार्यादेश, बिल (प्रमाणक), भुगतान आदेश/स्वीकृति आदेश, स्टाक/डेडस्टाक रजिस्टर, लागबुक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये अतः उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। रुपया 66477.00 अनियमित व्यय/प्रमाणक विहीन व्यय मान्य नहीं। पुष्टि न कराये जाने की स्थिति में ब्लाक प्रमुख श्री रत्नेश कुमार सिंह, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारियों श्री विजय कुमार यादव/श्री विनोद कुमार सिंह व लेखाकार श्री अजीजुल्ला से वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-14 धनराशि रू० 66477.00)

प्रस्तर-5- वित्तीय वर्ष-2021-22 में केन्द्रीय वित्त योजना (आंगनबाड़ी) के अंतर्गत कराये गये निर्माण कार्य हेतु भुगतान/व्यय किया गया दर्शित है। विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	**प्रारूप-1,2,3,का क्रमांक**	**कार्य का नाम /विवरण**	**मद**	**दिनांक**	**भुगतान प्राप्तकर्ता**	**धनराशि**
1	22	बांसगांव आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण भुगतान	केन्द्रीय वित्त	23-11-2021	मेसर्स ओमप्रकाश	122371.00
2	23	सराही आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण भुगतान	केन्द्रीय वित्त	07-12-2021	मे.स्वास्तिक ट्रेडर्स	106000.00
3	24	असवा आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण भुगतान	केन्द्रीय वित्त	27-12-2021	मेसर्स ओमप्रकाश	125430.00
		योग				**353801.00**

उपर्युक्त निर्माण कार्य प्रारूप-1,2,3 का क्रमांक- 22,23 एवं 24 से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही। लेखा परीक्षा में पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त निर्माण कार्यों से संबंधित निविदा प्रकाशन, टेण्डर प्रक्रिया, कार्यादेश एवं भुगतान की पुष्टि/समीक्षा नहीं की जा सकी। अतः उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली प्रस्तुत कर इस बात की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है कि उक्त कार्यों की निविदा प्रकाशन, टेण्डर प्रक्रिया, कार्यादेश एवं भुगतान नियम विरुद्ध तो नहीं थे। पुष्टि न कराये जाने की स्थिति में रुपया 353801.00_ब्लाक प्रमुख श्री रत्नेश कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार त्रिपाठी व लेखाकार श्री अजीजुल्ला से वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-15 धनराशि रू० 353801.00)

3-क्षेत्र पंचायत का नाम- फतेहपुर वर्ष 2019-20 से 2021-22

प्रस्तर-6-वित्तीय वर्ष- 2019-20 में राज्य वित्त एवं क्रिटिकल गैप योजना के अंतर्गत कराये गये निम्नलिखित कार्यों में अग्रलिखित आपत्तियां पायी गयीं हैं-

क्र0 सए 0	प्रारूप-1,2,3 का क्रमाए क	कार्य का नाम/विवरण	मद	व्यय धनराशि
1	**1**	शेषपुर रेलवे क्रॉसिंग से बाबा कुटी तक सीसी रोड निर्माण	राज्य वित्त	990703.00

2	**2**	विकासखंड परिसर में नाली निर्माण कार्य	^^	236151.00
3	**3**	विकासखंड परिसर में टाइप-2 अवर अभियंता के आवास का मरम्मत कार्य	^^	122874.00
4	**4**	विकासखंड परिसर में ब्लॉकप्रमुख कक्ष एवं सभागार का मरम्मत कार्य	^^	629108.00
5	**5**	जगसेंड़ा संपर्क मार्ग से परमहंस कुटी तक इंटरलॉकिंग कार्य	^^	271950.00
6	**6**	विकासखंड परिसर में बाउंड्रीबाल निर्माण कार्य	^^	350803.00
7	**7**	फतेहपुर संपर्क मार्ग से कदिराबाद संपर्क मार्ग तकखड़ंजा निर्माण	^^	868062.00
8	**8**	विकासखंड परिसर में एसजीएसवाई कक्ष का मरम्मत कार्य	^^	164087.00
9	**9**	विकासखंड परिसर में कार्यालय मरम्मत व सौंदर्यीकरण कार्य	^^	537697.00
10	**10**	मीरनगर मेनरोड से रामसेवले के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य	^^	977259.00
11	**11**	विकासखंड परिसर में टाइप-3 एवं वि.अधि.के आवास मरम्मत कार्य	^^	231920.00
12	**12**	गोवंश आश्रय स्थल टेडवागदमानपुर में भूसाघर निर्माण कार्य	क्रिटिकल गैप योजना	414986.00
13	**13**	गोवंश आश्रय स्थल बिलौलीहजरतपुर में टीन शेड का निर्माण	क्रिटिकल गैप योजना	453631.00
14	**14**	गोवंश आश्रय स्थल मवैया में भूसाघर का निर्माण कार्य	क्रिटिकल गैप योजना	408825.00
योग				**6658056.00**

उपर्युक्त कार्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं-

1-टेण्डर के नियमों एवं शर्तों के अनुसार धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में खण्ड विकास अधिकारी फतेहपुर के पक्ष में बंधक कराते हुए निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा शेष धनराशि कार्यादेश के समय एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में खण्ड विकास अधिकारी फतेहपुर के पक्ष में बंधक के रूप में देना अनिवार्य होगा।उक्त टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्टआफिस द्वारा निर्गत होना चाहिए। निविदा फार्मों के साथ किसी भी पत्रावली में टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 की छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी। टेण्डर के नियम एवं शर्तों का उल्लघंन कर ठेका आवंटित करना, ठेका प्रक्रिया में गम्भीर अनियमिता का द्योतक है।

2-टेण्डर प्रक्रिया में जितने भी ठेकेदार टेण्डर फार्म आवेदन करेंगे उन सभी से टेण्डर फार्म के साथ धरोहर धनराशि टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक स्वरूप जमा करायी जायेगी, चाहे उन ठेकेदारों का टेण्डर स्वीकृत किया गया हो या अस्वीकृत किया गया हो, किन्तु ऐसा नहीं किया गया एवं ठेका आवंटन प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितता की गयी है।

3-निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में गम्भीर तथ्य प्रकाश में आया कि निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निविदा प्रकाशन प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र में कराये जाने की पुष्टि किसी की निर्माण कार्य पत्रावली में नहीं हुई क्योंकि निविदा प्रकाशन की पेपर कटिंग की मूल/छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी जो यह दर्शित करती है कि निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निविदा का प्रकाशन हुआ ही नहीं। स्पष्ट है कि निविदा प्रकाशन का उल्लेख अवास्तविक है। निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निविदा प्रकाशन की पुष्टि नहीं होना, टेण्डर प्रक्रिया नहीं होना, टेण्डर प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितता होना दर्शित करता है।

4-कतिपय टेण्डर फार्मों पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये जोकि टेण्डर प्रक्रिया के नियमों एवं शर्तों का उल्लघंन है। नियमों की अनदेखा कर टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण किया जाना गम्भीर अनियमितता है।

5-कतिपय टेण्डर फार्म एक ही हस्तलेख में पाये गये हैं, इससे टेण्डर प्रक्रिया की गोपनियता का भंग होना दर्शाता है। गोपनीयता टेण्डर प्रक्रिया का एक भाग है। स्पष्ट है कि टेण्डर प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितता की गयी है।

6-निविदा के साथ (निविदा फार्म के साथ) हैसियत प्रमाण पत्र पी डब्ल्यू डी टी -5 चरित्र प्रमाणपत्र पी डब्ल्यू डी टी -4 एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित रु0 100.00 के स्टैम्प पर निविदादाता का शपथपत्र भी संलग्न होना चाहिए था जोकि संलग्न नहीं पाया गया। केवल जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत की गयी उससे स्वीकृति के बाद एक एग्रीमेन्ट रु0 100.00 के स्टाम्प पर करा लिया गया।

7-प्रस्तुत निर्माण कार्य की पत्रावली के साथ निर्माण कार्य के प्रारम्भ के पूर्व की स्थिति, कार्य होने के दौरान की स्थिति एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति, इन तीनों स्थितियों की प्रमाणित फोटोग्राफ (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित) निर्माण पत्रावली के साथ संलग्न होने चाहिए थे किन्तु तीनों स्थितियों की प्रमाणित फोटोग्राफ निर्माण कार्य की पत्रावली के साथ संलग्न नहीं पाया गया।

8-उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-39 के अनुसार रु0 500000.00 से रु0 1000000.00 तक निर्माण कार्य का अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। परन्तु उक्त नियम का पालन नहीं किया गया जो कि गम्भीर अनियमितता है।

9-प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों में ठेकेदारों का सरकारी विभागों में कराये गये निर्माण कार्यों का अनुभव प्रमाण-पत्र, आयकर क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र एवं पैनकार्ड, जी एस टी नं0 पंजीकरण, 2019-20 हेतु श्रम विभाग का प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र संलग्न नहीं पाये गये।

10-टेण्डर लिफाफे सीलयुक्त नहीं पाये गये। निविदा फार्म के लिफाफे सीलबन्द होने चाहिए तथा टेण्डर कमेटी एवं निविदाकर्ताओं के समक्ष निश्चित तिथि को खोले जाने चाहिए तभी टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी एवं नियमानुसार मानी जाती है।

11-एम0बी0 (मेजरमेन्ट बुक) पर जे0ई0 द्वारा अपने नाम सहित मुहर नहीं लगायी गयी है।

12-कतिपय टेण्डर फार्मों पर टेण्डर खुलने का दिनांक नहीं डाला गया, जो कि वांछित है।

13-निर्माण कार्य क्रमांक-1 से 12 तक निर्माण कार्यों में टेण्डर आमंत्रण की तिथि अज्ञात रहीं।

अतः उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में निर्माण सम्बन्धी टेण्डर प्रक्रिया के नियमों का पूर्णतया उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से ठेकेदारों को टेण्डर आवंटित कर रु0 6658056.00 का अनियमित भुगतान ठेकेदारों को किया गया। इस अनियमितता के लिए ब्लाक प्रमुख श्री अनिल कुमार वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी श्री हेमंत कुमार यादव व लेखाकार श्री उमेश चन्द्र वर्मा पूर्णतया उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या- 24 धनराशि रू0 6658056.00)

प्रस्तर.7. वित्तीय वर्ष. 2019-20 में प्रशासनिक मद से विभिन्न कार्यों हेतु एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान/व्यय किया गया। विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	चेक/संख्या	दिनांक	फर्मभुगतान प्राप्तकर्ता/	कार्य का विवरण	धनराशि
1	34561	06.12.2019	वर्मा बैट्री क्रय	वाहन बैट्री क्रय	4290.00
2	34564	07-12-2019	सुरेन्द्र स्टेशनर्स	प्रिन्टर कार्टेज क्रय	10350.00
3	00256	05-08-2019	नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी	डीजल क्रय	13653.00
4	00268	11-09-2019	उमेश चन्द्र वर्मा	विविध सामग्री क्रय	5764.00
5	00281	28-10-2019	सुरेन्द्र स्टेशनर्स	स्टेशनरी क्रय	12236.00

6	00282	28-10-2019	खुशी बिजनेश प्वाइंट	कम्प्यूटर मरम्मत	11380.00
योग					**57673.00**

उपर्युक्त दर्शित व्ययों/भुगतान से सम्बन्धित कार्यादेश, बिल (प्रमाणक),भुगतान आदेश/स्वीकृतिआदेश, स्टाक/डेडस्टाक रजिस्टर, लागबुक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये अतः उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। रु0 57673.00 अनियमित व्यय/प्रमाणक विहीन व्यय मान्य नहीं। श्री अनिल कुमार वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी श्री हेमंत कुमार यादव व लेखाकार श्री उमेश चन्द्र वर्मा से वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या- 25 धनराशि रू0 57673.00)

प्रस्तर.8. वित्तीय वर्ष. 2020-21 में प्रशासनिक मद से विभिन्न कार्यों हेतु एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान/व्यय किया गया। विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	चेक/संख्या	दिनांक	फर्म/भुगतान प्राप्तकर्ता	कार्य का विवरण	धनराशि
1	53965	30.07.2020	नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी	डीजल क्रय	9130.00
2	53970	14.08.2020	सुरेन्द्र स्टेशनर्स	स्टेशनरी क्रय	24554.00
3	53971	28.09.2020	पी0के0 टे^{a}डर्स	फोटोमशीन/प्रिन्टर मरम्मत	22700.00
4	53972	05-10-2020	मोहम्मद कामिल	वाहन मरम्मत	8500-00
5	53973	05.10.2020	नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी	डीजल क्रय	51793.00
6	70900	19.03.2021	नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी	डीजल क्रय	41457.00
योग					**158134.00**

उपर्युक्त दर्शित व्ययों/भुगतान से सम्बन्धित कार्यादेश, बिल (प्रमाणक),भुगतान आदेश/स्वीकृतिआदेश, स्टाक/डेडस्टाक रजिस्टर, लागबुक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये अतः उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। रु0 158134.00 अनियमित व्यय/प्रमाणक विहीन व्यय मान्य नहीं। श्री अनिल कुमार वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी श्री हेमंत कुमार यादव / श्री आलोक कुमार वर्मा तथा लेखाकार श्री उमेश चन्द्र वर्मा से वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या- 26 धनराशि रू॰ 158134.00)

प्रस्तर.9.वित्तीय वर्ष. 2021-22 में प्रशासनिक मद से विभिन्न कार्यों हेतु एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान/व्यय किया गया। विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	चेक/संख्या	दिनांक	फर्म/भुगतान प्राप्तकर्ता	कार्य का विवरण	धनराशि
1	70902	21.05.2021	एच आर प्रिंटर्स	कम्प्यूटर सामग्री	7788.00
2	70903	17.06.2021	नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी	डीजल क्रय	36660.00
3	70905	24.07.2021	उमेश चन्द्र वर्मा	जनरेटर मरम्मत	10530.00
4	70908	21.10.2021	मोहम्मद कामिल	सर्विसध्मरम्मत	15107.00
5	70910	02.12.2021	पूजा टायर कण्	वाहन टायर क्रय	13000.00

6	70912	16.12.2021	मोहम्मद कामिल	वाहन मरम्मत	7000.00
				योग	90085.00

उपर्युक्त दर्शित व्ययों/भुगतान से सम्बन्धित कार्यादेश, बिल (प्रमाणक),भुगतान आदेश/स्वीकृतिआदेश, स्टाक/डेडस्टाक रजिस्टर, लागबुक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये अतः उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। रु0 90085.00 अनियमित व्यय/प्रमाणक विहीन व्यय मान्य नहीं। श्री अनिल कुमार वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार वर्मा तथा लेखाकार श्री उमेश चन्द्र वर्मा से वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या- 27 धनराशि रू० 90085.00)

4-क्षेत्र पंचायत का नाम- सिरौलीगौसपुर वर्ष - 2020-21 से 21-22

प्रस्तर-10- 2021-22 क्षेत्र पंचायत के निम्नलिखित निर्माण कार्यों मे गंभीर कमियाँ / अनियमिततायें पाई गई .

1. 15 वें केन्द्रीय वित्त से ग्राम हज़रतपुर में बबलू कन्नौजिया के घर से किले के किनारे गढ़ही तक नाला निर्माण कार्य पर रु0 948795.00 व्यय दर्शित किया गया है।

2. 15 वें केन्द्रीय वित्त से ग्राम हज़रतपुर में रामपाल वर्माए कटोरवा के घर से पुरविन तालाब तक नाला निर्माण कार्य पर रु0 144097.00 व्यय दर्शित किया गया है।

3. पंचम राज्य वित्त से ग्राम बिरौली में अमरेश निगम के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य पर रु0 287281.00 व्यय दर्शित किया गया है।

उक्त तीनों निर्माण कार्य की पत्रावलियों की जांच के निम्नलिखित गंभीर कमियां/अनियमिततायें पायी गयी।

ए) . उक्त तीनों कार्यों हेतु मात्र 2 टेण्डर ही प्राप्त किये गये जबकि नियमानुसार न्युनतम 3 टेण्डर आवश्यक हैं अतः न्यूनतम 03 टेण्डर के नियम का पालन नही किया गया। यदि सफल निविदाएं 03 से कम हो और अधिप्राप्ति अधिकारी, अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को जारी रखना आवश्यक समझता हो तो उसे अधिप्राप्ति प्रक्रिया जारी रखने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अग्रिम कार्यवाही करना चाहिए। किन्तु उक्त तीनों कार्यों की पत्रावली की जांच में पाया गया कि इस प्रक्रिया की अवहेलना की गई है।

बी) . साथ ही उत्तर प्रदेश (क्षेत्र पंचायत) एवं (जिला पंचायत अधिनियम) निर्माण नियमावली 1984 के नियम 21 के अनुसार टेन्डर देने वाले को युक्ति युक्त समय जो नोटिस के प्रकाशन से तीन सप्ताह से कम न होगा दिया जाएगा। के नियम की अनदेखी की गई है।

नियमतः कम से कम दो समाचार पत्र में टेण्डर नोटिस का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उक्त तीनों पत्रावलियों में एक ही समाचार पत्र को प्रकाषन हेतु आदेशित करके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एंव लेखाकार द्वारा वित्तीय अनियमिततायें की गयी हैं।

सी) - उपरोक्त तीनों कार्यों की पत्रावली में सत्यापनकर्ता अधिकारी के साथ कार्य से पूर्व, कार्य के दौरान तथा कार्य समापन की त्रिस्तरीय फोटों नहीं लगाई गई है।

डी) - 15 वें केन्द्रीय वित्त के अन्र्तगत रामपाल वर्मा, कटोरवा के घर से पुरविन तालाब तक नाला निर्माण कार्य (व्यय रू0 144097) की पत्रावली की जांच में यह पाया गया कि टेण्डर के तुलनात्मक विवरण पर टेण्डर कमेटी के सदस्य सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के हस्ताक्षर नहीं हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वास्तविक टेण्डर प्रक्रिया की औपचारिकता मात्र की गई है।

ई) - 15वें केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत रामपाल वर्मा, कटोरवा के घर से पुरविन तालाब तक नाला निर्माण के पहले एंव कार्य समाप्ति के पश्चात की फोटो अस्पष्ट है, साथ ही कार्य किए जाने के समय की फोटो पत्रावली में चस्पा नहीं पाई गई जिसके कारण कार्य नहीं कराये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। टेण्डर कर्ता के आधार एंव पैनकार्ड स्वप्रमाणित नहीं हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मोबाइल से इसे प्राप्त कर प्रिन्ट निकाला गया है और टेण्डर प्रक्रिया की औपचारिकता मात्र की गई है।

एफ) - उपरोक्त तीनों कार्य मानक के अनुसार पूर्ण हुए से सम्बंधित सक्षम अधिकारी की भौतिक सत्यापान रिपोर्ट पत्रावली में नहीं पायी गयी।

जी) - शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.06.2015 में पंचायत राज संस्थाओं को विभिन्न श्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के सम्बंध में मार्गदर्शक सिद्धांन्तों को निर्धारित किये गये हैं

जिसके प्रस्तर 2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है। उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभन्वित करने के लिए कार्य कराये जाने हैं किन्तु उपरोक्त तीनों कार्यों की फाइलों/पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट दर्शित है कि एक ग्राम तक ही सीमित कार्य कराये गये हैं।
उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एंव लेखाकार द्वारा उक्त तीनों निर्माण कार्यों पर कुल रू0 1380173 का व्यय मनमाने ढंग से अनियमित रूप से किया गया है। इससे टेण्डर प्राप्तकर्ता एंव खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार के बीच दुरभिसन्धि प्रकट होती है जिसके लिये उनके प्रति प्रशासनिक विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाये जिससे इस प्रथा पर भविष्य में रोक लग सके। इस प्रकार कुल व्यय रू0 1380173.00 अनियमित रहा। जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री कमलेश कुमार एंव लेखाकार श्री उमेश कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं जिनके प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-2 धनराशि रू० 1380173.00)

प्रस्तर-11- मनरेगा प्रशासनिक मद से वर्ष 2021-2022 में किये गये भुगतान रू0 142227.00 के सापेक्ष क्रय प्रमाणक (कैशमेमो/बिल/रसीद) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः व्यय उचित प्रकार से हुए हैं या नहीं इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी साथ ही व्यय प्रमाणक विहीन है जो कि मान्य नहीं है। बिना प्रमाणक व्यय दर्शित करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः इसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एंव लेखाकार श्री उमेश कुमार वर्मा से करायी जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या- 4 धनराशि रू० 142227.00)

5-क्षेत्र पंचायत:- पूरेडलई जनपद:-बाराबंकी वर्ष- 2019-2020 से 20-21

प्रस्तर-12- क्षेत्र पंचायत पूरेडलई वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों में चतुर्थ राज्य वित्त के 09 निर्माण कार्यों पर ग ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय व तृतीय के अनुसार रू0 8149698.00 (सूची संलग्न है) व्यय किया गया। उक्त समस्त 09 कार्यों की पत्रावलियां भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी उनके सम्बंध में निम्नवत आपत्तियां हैं-
(क) समस्त कार्यों में 02 निविदाकर्ताओं द्वारा ही निविदायें प्रस्तुत की गई जिनके आधार पर किसी 01 निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत की गई जबकि नियमतः कम से कम 03 निविदायें प्रस्तुत होने पर ही प्रक्रिया को आगे बढाते हुए निविदा स्वीकृत की जानी चाहिए। किन्तु उपरोक्त किसी भी कार्य के सापेक्ष यह प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी। अतः अनियमित प्रक्रिया अपनाये जाने के कारण उपरोक्त सभी कार्यों के सापेक्ष किये गये भुगतान भी अनियमित रहे।
(ख) उपरोक्त किसी भी कार्य के सम्बंध में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/उपभोग प्रमाण पत्र किसी भी पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया जिससे कार्य की पूर्णता ही संदिग्ध हो जाती है यह एक गम्भीर अनियमितता है।
अतः उपरोक्त विवेचना के अधार पर स्पष्ट है कि उपरोक्त सन्दर्भित समस्त कार्य निविदा प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण होने एंव कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न न होने के कारण अनियमित रहे। जिस हेतु तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी एंव लेखाकार पूर्णतया उत्तरदायी है अतः तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्री दीपक सिंह, खण्ड विकास अधिकारी डॉ आदित्य कुमार तिवारी / श्री सर्वेश कुमार तिवारी एंव लेखाकार श्री लल्लूराम व श्री अजीजुल्ला पर सम्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या- 29 धनराशि रू० 8149698.00)

प्रस्तर-13- - क्षेत्र पंचायत पूरेडलई वर्ष 2019-'2020 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों में से आंगनबाडी के 08 निर्माण कार्यों पर ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय एंव तृतीय के अनुसार रू0 2981747.00 व्यय किया गया। उक्त समस्त 08 कार्यो की पत्रावलियां भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी उनके सम्बंध में निम्नवत आपत्तियां है-
(क) समस्त कार्यों में 02 निविदाकर्ताओं द्वारा ही निविदायें प्रस्तुत की गयी जिनके आधार पर किसी 01 निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत की गयी जबकि नियमतः कम से कम 03 निविदायें प्रस्तुत होने पर ही प्रक्रिया को आगे बढाते हुए निविदा स्वीकृत की जानी चाहिये अन्यथा की स्थिति में पुनः निविदा करायी जानी चाहिए। किन्तु उपरोक्त किसी भी कार्य के सापेक्ष यह प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी। अतः अनियमित प्रक्रिया अपनाये जाने के कारण उपरोक्त सभी कार्यों के सापेक्ष किये गये भुगतान भी अनियमित रहे।

(ख) उपरोक्त कार्यों के सम्बंध में कतिपय भुगतान ऐसे रहे जो वित्तीय वर्ष 2019-2020 में नहीं किये गये। वर्ष दौरान भुगतान न किये जाने के कारण ऐसे भुगतानों को लेखा परीक्षा प्रतिवेन से संलग्न सूची में संलग्न नहीं किया गया है। किन्तु निविदा प्रक्रिया अनियमित होने के कारण वर्ष 2019-2020 के इतर वर्ष में भी भुगतान होना अनियमित ही है। इतः आलोच्य वर्ष से इतर वर्ष में भुगतानित धनराशि एंव उससे सम्बंधित कार्य निम्नवत रहे-

01.ग्राम पंचायत नियामतपुर में प्रा0वि0 परिसर में आंगनबाडी केन्द्र निर्माण- रू0 16870.00
02.प्रा0वि0 सराही में आंगनबाडी केन्द्र निर्माण- रू0 510505.00
03.ग्रा0पं0 विद्यानगर प्रा0वि0 आंगनबाडी केन्द्र निर्माण- रू0 483159.00
04.प्रा0वि0 बंधौली में आ0बा0 केन्द्र भवन निर्माण- रू0 409352.00
कुल योग- रू0 1419886.00

जांचोपरान्त उक्त धनराशियों को भी अनियमित भुगतान की श्रेणी में रखा जाना चाहिये एंव सम्बंधित कार्यों के प्रति जिम्मेदार व्यक्तियों पर भी अधिभार आपत्ति सं0 30 (क) के तहत की गयी कार्यवाही ही की जानी अपेक्षित है।

(ग) उपरोक्त किसी भी कार्य के सम्बंध में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/उपभोग प्रमाण पत्र किसी भी पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया जिससे कार्य की पूर्णतः ही संदिग्ध हो जाती है यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि उपरोक्त संदर्भित समस्त कार्य निविदा प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण होने एंव कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न न होने के कारण अनियमित रहे। जिस हेतु ब्लॉक प्रमुख श्री दीपक सिंह, खण्ड विकास अधिकारी डॉ आदित्य कुमार तिवारी / श्री सर्वेश कुमार तिवारी एंव लेखाकार श्री लल्लूराम व श्री अजीजुल्ला पर सम्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या- 30 धनराशि रू० 2981747+1419886.00=रू० 4401633.00)

6-क्षेत्र पंचायत:-देवा जनपद:-बाराबंकी वर्ष- 2019-2020 से 21-22

प्रस्तर-14- (1)- वित्तीय वर्ष वर्ष 2019-2020, 2020-2021 व 2021-2022 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर द्वितीय, ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय व क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये विकास कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियों की जांच करने पर संज्ञान में आया कि कुछ निविदा फार्म की विक्री से प्राप्त धनराशि को तत्कालीन लेखाकार द्वारा राजकीय कोष में जमा न कराकर अपहरण कर लिया गया है। (प्रमाणक अप्राप्त) जो निम्नवत हैं-

वर्ष 2019-2020

क्र०सं०	निविदा का प्रकार	फार्म की संख्या	धनराशि
01	ग्राम मड़वा में इन्द्रीश के घर से खिजिरपुर वार्डर तक एंव शत्रोहन के खेत तक खडण्जा निर्माण कार्य	तीन	3000.00
02	तिन्दोला मजरे बडाताल में गफ्फार के घर पिच रोड से तिन्दोला जरूवा सम्पर्क मार्ग की ओर तक खडण्जा निर्माण कार्य	तीन	3000.00
03	देवां कुर्सी मार्ग से प्रा0वि0 टीपहार को जाने वाला अवशेष खडण्जा निर्माण एंव मरम्मत कार्य।	तीन	3000.00
04	विकास खण्ड के ग्राम कासिम गंज में रामगुलाम के घर से नाला निर्माण कार्य।	तीन	3000.00
05	विकास खण्ड के ग्राम मऊ मजरे मऊजानीपुर में सुनील के घर से रामलाल के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	तीन	3000.00
06	विकास खण्ड में ग्राम बबुरिहा मजरे धौरमऊ में संजय की दुकान से सुशील के घर होते हुए रामू रावत एंव सुशीला के घर से प्रेम के घर के पास तक इण्टरलाकिंग	तीन	3000.00
07	ग्राम लालपुर मजरे इस्माईलपुर में डामर रोड से मखन्चू के घर तक	तीन	1500.00

	इण्टरलाकिंग		
08	ग्राम ढर्रेपुर मजरे कुरखिला में डामर रोड से रामू के घर तक खडण्जा निर्माण	तीन	1500.00
09	ग्राम मलका सांड मजरे देवां गाव में हंसराज के घर से हनुमान के घर पास मंदिर तक इण्टर लाकिंग कार्य	तीन	3000.00
10	ग्राम इजरिया मजरे मलूकपुर में नौमीलाल के घर से कमलेश के घर तक इण्टर लाकिंग	तीन	1500.00
	योग-		25500.00

इस हेतु उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री अनूप कुमार सिंह / श्री मुनेश चंद्र एंव लेखाकार मो० आलम से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-17 (1) धनराशि रू० 25500.00)

प्रस्तर-15- वर्ष 2021-2022

क्रम सं0	निविदा का प्रकार	फार्म की संख्या	धनराशि
11	ब्लाक परिसर में प्रमुख कक्ष के अतिरिक्त पी0वी0सी0 पैनल एंव फाल सीलर का निर्माण	तीन	1500.00
12	ब्लाक परिसर में खण्ड विकास अधिकारी हेतु अतिरिक्त कक्ष में पी0वी0सी0 पैनल एंव फाल सीलर का निर्माण कार्य तीन	तीन	1500.00
13	ग्राम पंचायत भिटौली खुर्द में कुर्सी रोड से तीरथ के पुराने घर तक एंव पूर्व इण्टरलाकिंग मनोज के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	तीन	3000.00
14	ग्राम पंचायत अटवटमऊ में रघुनाथ के घर से मंदिर तक इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य	तीन	3000.00
15	ग्राम पंचायत भटेहटा के मजरा लोकई पुरवा में डामर रोड से महावीर के घर के पास सी0सी0 रोड तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	तीन	3000.00
16	ग्राम पंचायत जमुवासी के ग्राम पंखाभारी मे रामअधार के घर से चक मार्ग की ओर तक इण्टरलाकिंग कार्य का निर्माण कार्य	तीन	3000.00
17	ग्राम पंचायत जमुवासी में रामवचन के खेत के पहले से महाशय नगर की ओर इण्टर लाकिंग मार्ग	तीन	3000.00
18	ग्राम पंचायत इसरहना में दीपक के घर से अंशू के घर तक इण्टर लाकिंग निर्माण	तीन	1500.00
19	विकास खण्ड परिसर में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में विद्युत उपकरणों की मरम्मत	तीन	1500.00
20	ग्राम पंचायत भिटौली खुर्द में सर्वजीत के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य	तीन	1500.00
21	ग्रा0पं0 टिकरिया में राम प्रकाश के खेत से हाइवे तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण	तीन	3000.00
22	ग्राम पंचायत जमुवासी के महाशय नगर में इण्टरलकिग कार्य के पास से सी0सी0रोड तक इण्टरलाकिंग मार्ग	तीन	1500.00
23	ग्राम पंचायत कुसुम्भा के ग्राम सुलेमाबाद में सुमेरीलाल के घर से बालक राम के घर तक आगे रामचन्द्र के खेत तक सी0सी0मार्ग का निर्माण कार्य	तीन	1500.00

24	ग्राम पंचायत टाईकला के ग्राम मीरपुर में मेन खडण्जा से रामपाल व नीलेश के घर होते हुए नगर तक इण्टर लाकिंग निर्माण कार्य	तीन	3000.00
25	ग्राम पंचायत महोलिया में डामर रोड से कल्लू के घर होते हुए सामु0 शौचालय तक एंव डामर रोड से प्रकाश के घर होते हुए इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	तीन	3000.00
26	तिन्दोला में कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते में पुलिया निर्माण व इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य	तीन	3000.00
27	पं0 दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय सभा कक्ष में तथा कार्यालय में फर्नीचर आदि कार्य	तीन	3000.00
28	बी0आर0सी0भवन सिपहिया में फर्स में टाइलिंग कार्य	तीन	3000.00
29	ग्राम पंचायत केसरूवा में पूर्व प्रधान राम सुमिरन के घर से मो0 रईस के घर तक इण्टरलांिकंग मार्ग का निर्माण कार्य	तीन	3000.00
30	ग्राम पंचायत टाईकला में मुलायम के घर की सी0सी0रोड से केशन रावत के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य	तीन	3000.00
31	ग्राम पंचायत जोलिया बनारसपुर में डां0 भीमराम अम्बेडकर परिसर की वाउण्ड्रीवाल का निर्माण	तीन	3000.00
32	तिन्दोला सामूहिक मार्ग से सरस्वती पब्लिक स्कूल तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	तीन	3000.00
33	ग्राम पंचायत मित्ताई में छोटेलाल गौतम के घर से मुकेश मौर्या के घर की ओर इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य	तीन	3000.00
34	ग्राम पंचायत शाहपुर के चकला गांव के अम्बरकेश के घर तक खंता गांव की ओर इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य	तीन	3000.00
35	ग्राम पंचायत हर्रई में तब्बू की मार्केट डामर रोड से मन्टू वर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण	तीन	3000.00
36	ग्राम पंचायत भटेहटा में साई मण्डप के बाहर-बाहर इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	तीन	3000.00
37	ग्राम बरेठी में पवन रावत के घर से बाग तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	तीन	3000.00
38	ग्राम पंचायत मित्ताई के चकपुरवा में मेनरोड सी0सी0 रोड से भुईहारे बाबा तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	तीन	3000.00
39	ग्राम पंचायत इसरहना में राम कुमार के घर से पेनी तालाब तक दोनों तरफ नाला निर्माण कार्य।	तीन	3000.00
40	ग्राम पंचायत टिकरिया में संजय गौतम के घर से हाइवे रिंग रोड तक नाला निर्माण कार्य।	तीन	1500.00
41	ग्राम पंचायत गढी छतेना के ग्राम छतेना में अनिल कुमार सिंह के घर से सरकारी नाले तक नाली निर्माण कार्य।	तीन	1500.00
42	ग्राम पंचायत जसनवारा में पवन के घर से दीनानाथ के घर होते हुए डामर रोड के पास तक नाला निर्माण कार्य।	तीन	1500.00
43	ग्राम मोहनपुर मजरे लोसाटी में सुरेश रावत के घर से कल्याणी नदी तक नाला निर्माण कार्य।	तीन	3000.00
44	ग्राम देवगाव में इण्टरलाकिंग एंव नाली निर्माण कार्य।	तीन	3000.00
45	ग्राम पंचायत देवकलिया में हरिनाम के घर से खारजा तक पक्का नाला	तीन	3000.00

	निर्माण कार्य।		
46	ग्राम पंचायत हर्रई में मायाराम रावत के घर से पुलिया तक नाला निर्माण कार्य	तीन	1500.00
47	ग्राम पंचायत मुरादाबाद में अमजर अली के घर से एंव जवाहिर के घर से भुईयन तालाब तक नाली निर्माण कार्य।	तीन	3000.00
48	48 ग्राम पंचायत सिपहिया प्रा0वि0 परिसर गुरमुज में आंगनबाडी भवन का निर्माण कार्य।	तीन	3000.00
49	ग्राम पंचायत धौरमऊ के मजरे गोरखपुर बंगला गांव में पुलिया से अब्दुल के घर की ओर सी0सी0मार्ग का निर्माण कार्य।	तीन	3000.00
50	ग्राम पंचायत जमुवासी किसान पथ हाईवे से शैलेन्द्र यादव के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	तीन	3000.00
	योग-		103500.00
	सम्पूर्ण योग-		129000.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 में सम्बंधित लेखाकार द्वारा 30 टेण्डर फार्मों की विक्री से प्राप्त 25500.00 (रूपये पच्चीस हजार पांच सौ) राजकीय कोष में जमा न करके अपहरण कर लिया गया है (प्रमाणक अप्राप्त) तथा वित्तीय वर्ष 2021-2022 में क्षेत्र पंचायत देवां के तत्कालीन लेखाकार द्वारा 120 टेण्डर फार्मों का विक्री से प्राप्त रू0 103500.00 (एक लाख तीन हजार पांच सौ रू0) का अपहरण कर लिया (प्रमाणक अप्राप्त)

अतः वर्ष 2021-2022 से सम्बंधित लेखाकार से रू0 103500.00 सक्षम अधिकारियों द्वारा जांच कराकर उक्त धनराशि को तत्कालीन खंड विकास अधिकारियों श्री मुनेश चंद्र / श्री राम आसरे वर्मा एंव तत्कालीन लेखाकार श्री राम पाल / श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करते हुए वसूल धनराशि राजकीय कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-17(2) धनराशि रू॰ 103500.00)

प्रस्तर-16- वर्ष 2019-2020

क्रमांक	कार्य/योजना का नाम	भुगतान की गयी धनराशि	टेण्डर कर्ता 1	टेण्डर कर्ता 2	टेण्डर कर्ता 3	स्वीकृत टेण्डर
1	2	3	4	5	6	7
01	देवां कुर्सी मार्ग से प्रा0वि0 टीपहार से जाने वाले अवशेष खडण्जा निर्माण एंव मरम्मत कार्य	937748	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	रामचन्दर
02	तिन्दोला मजरे बडाताल में गफ्फार के घर से पिच रोड से तिन्दोला-जरूवा सम्पर्क मार्ग पर खडण्जा निर्माण कार्य	734831	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	रामचन्दर
03	भिटौली खुर्द में डामर रोड से लालजी के घर से	873588	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	रामचन्दर

	देशराज के घर होते हुए राजेन्द्र के घर एंव प्रेम मौर्या के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।					
04	कासिमगंज में डाकघर एंव राधेलाल के घर से अशोक के घर के मार्ग के आगे तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण	934839	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	रामचन्दर
05	अडौरा मजरे नारायनभारी में ओमकार गौतम के घर के सामने से लवकुश यादव के घर के पास तक नाला निर्माण	553934	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	रामचन्दर
06	गोरखपुरिया मजरे धौरमऊ में राम प्रसाद के घर से सड़क तक इण्टर लाकिंग एंव नाली निर्माण तथा हिसामुद्दीन के घर से राज कुमार के घर तक नाली निर्माण	434974	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	रामचन्दर
07	उजेरिया मजरे मलूकपुर राजेश रावत के घर के पीछे से केशवराम के घर तक तथा राकेश रावत के सामने पृथ्वीपाल के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण	757919	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	रामचन्दर
08	ढर्रेपुर मजरे सालेहनगर में मेन खडण्जा कमलेश के घर से प्रमोद के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	306168	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	विजय सिंह
09	मामापुर में बारात घर की वाउण्ड्री का निर्माण	770257	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	विजय सिंह
10	जबरी खुर्द में कमालुद्दीन के मकान से आगे तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	584908	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	रामचन्दर
	योग-	6889166.00				

उपरोक्त लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2019-2020 से सम्बंधित कार्यों को टेण्डर प्रकिया द्वारा कराया गया। जिससे सम्बंधित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि-

(क) प्रत्येक पत्रावली में निविदा का प्रकाशन निम्न स्तरीय समाचार पत्रों में किया गया है जबकि निविदा का प्रकाशन राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में होना चाहिए। जो शासनादेश सं0 6738/23.07.2008 (सा)/06 दि0 28.12.2006 का उल्लंघन है।

(ख) प्रत्येक कार्य से सम्बंधित पत्रावलियों में टेण्डर प्रक्रिया में मात्र तीन ही फर्मों ने भाग लिया 1 टेण्डर प्रकिया में भाग लेने वाले प्रत्येक फर्म से 2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी जो एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में होनी चाहिए और खण्ड विकास अधिकारी के पक्ष में बंधक भी होनी चाहिए। सभी टेण्डर कर्ताओं से जमा नहीं कराया जा रहा। मात्र दो टेण्डरकर्ता ही 2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी जमा करते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मात्र दो फर्मों द्वारा ही टेण्डर प्रक्रिया की शर्तों को पूरा किया जाता है। निविदा प्रक्रिया में कम से कम तीन फर्मों द्वारा टेण्डर की शर्तों को पूरा करना होता है। अन्यथा टेण्डर प्रकिया स्वतः निरस्त मान लिया जाता है और नये सिरे से टेण्डर आमंत्रित किया जाता है। परन्तु उपरोक्त कार्यों में ऐसा नहीं किया गया है।

उपरोक्त दर्शित कारण वित्तीय अनियमितता का सूचक है जिससे प्रतीत होता है कि टेण्डर प्रक्रिया में सम्बंधित नियमों एंव शर्तों का पालन नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से निविदा प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐच्छिक ठेकेदारों को निविदा दे दी गयी है। जिससे रू0 6889166.00 का अनियमित कार्य कराया गया। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी श्री अनूप कुमार सिंह / श्री मुनेश चंद्र एंव लेखाकार मो० आलम संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-23 धनराशि रू० 6889166.00)

प्रस्तर-17- वर्ष 2020-2021

क्रमांक	कार्य/योजना का नाम	भुगतान की गयी धनराशि	टेण्डर कर्ता 1	टेण्डर कर्ता 2	टेण्डर कर्ता 3	स्वीकृत टेण्डर
1	2	3	4	5	6	7
01	विकास खण्ड परिसर में वाटर ए0टी0एम0 की स्थापना 590906.00	590906.00	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	रामचन्दर
02	सिदवाही बरेठी सम्पर्क मार्ग से प्रा0वि0 माधवपुर होते हुए तिन्दोला सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य।	986967.00	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	रामचन्दर
03	रिंग रोड हाईवे पर ग्राम टिकरिया में जगदीश प्रसाद के घर तक राम खेलावन के घर होते हुए सी0सी0मार्ग तक निर्माण	999380.00	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	विजय सिंह
04	विकास खण्ड कार्यालय परिसर में दिव्यांगों हेतु शौचालय का निर्माण कार्य।	353167.00	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	विजय सिंह
05	प्रा0वि0 मामापुर से ककरहा वार्डर तक खडण्जा निर्माण कार्य	258107.00	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	विनय कुमार
06	रसूलपुर किदवाई में राम कुमार के घर से जगदीश के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग	843700.00	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	विनय कुमार
07	ग्राम पंचायत पीड़ में अजय मौर्या के घर शिव कैलाश वाजपेई के घर तक सी0सी0 मार्ग का	744078.00	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	रामचन्दर

	निर्माण कार्य					
08	ग्राम जमुवासी में डामर रोड से कामता प्रसाद के घर होते हुए दुर्गेश के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	732212.00	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	विजय सिंह
09	शरीफाबाद मजरे कोनागांव में राधेलाल पाल के घर से श्यामलाल के घर होते हुए किशोर के घर के सामने इण्टरलाकिंग	674897.00	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	विजय सिंह
10	राघवपुर मजरे सिदवाही में दयाराम के मकान के पास डामर रोड से कुए के पास रामगोपाल व महेश के घर के सामने इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य	817202.00	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	रामचन्दर
11	11 ग्राम पहाडपुर मजरे खजूरगांव में राजेन्द्र के मकान से रामलखन, सहजराम के घर विजय व शिव प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	725540.00	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	विनय कुमार
12	बीकर में अखिलेश के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग कार्य।	973715.00	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	विनय कुमार
13	ग्राम वैरागीपुर मजरे पहाडपुर कुतलूपुर में डामर रोड से छोटेलाल रावत के घर तक खडण्जा कार्य।	298668	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	रामचन्दर
14	ग्राम इहरा मजरे महरौड में राम नरेश व भारत के मकान के बीच से गजराज के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य	580672.00	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	रामचन्दर
15	पासिनपुर मजरे सलारपुर में कल्लूरावत व राजाराम के घर से सोहन लाल के घर के पीछे तक इण्टरलाकिंग कार्य	612799.00	रामचन्दर	विजय सिंह	विनय कुमार	रामचन्दर
	योग	**10192010.00**				

उपरोक्त लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2020-2021 से सम्बंधित कार्यों को निविदा प्रक्रिया द्वारा कराया गया। जिसमें सम्बंधित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि-

(क) पत्रावली में (टेण्डर सम्बंधी) निविदा का प्रकाशन निम्न स्तरीय समाचार पत्रों में किया गया है जबकि निविदा का प्रकाशन राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में होना चाहिए। जो शासनादेश सं0 6738/23.07.2008 (सा)/06 दि0 28.12.2006 का उल्लंघन है।

(ख) प्रत्येक कार्य से सम्बंधित पत्रावलियों में टेण्डर प्रक्रिया में मात्र तीन ही फर्मों ने भाग लिया 1 टेण्डर प्रकिया में भाग लेने वाले प्रत्येक फर्म से 2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी जो एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में होनी चाहिए और खण्ड विकास अधिकारी के पक्ष में बंधक भी होनी चाहिए। सभी टेण्डर कर्ताओं से जमा नहीं कराया जा रहा है जो वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 पैरा 366 तथा खण्ड-5 भाग-1 परिशिष्ट 19 का उल्लंघन है। मात्र दो ही फर्मों द्वारा टेण्डर प्रक्रिया की शर्तों को पूरा किया जा रहा है। जबकि निविदा प्रक्रिया में कम से कम तीन फर्मों द्वारा निविदा प्रक्रिया की शर्तों को पूरा करना होता है। अन्यथा टेण्डर स्वतः निरस्त मानकर निविदा फिर से जारी की जाती है। परन्तु उपरोक्त टेण्डर प्रक्रिया में ऐसा नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त दर्शित कारण वित्तीय अनियमितता का सूचक है जिससे प्रतीत होता है कि टेण्डर प्रक्रिया में सम्बंधित नियमों एंव शर्तों का पालन नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से निविदा प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐच्छिक ठेकेदारों को निविदा दे दी गयी है। जिससे रू0 10192010.00 का अनियमित कार्य कराया गया। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनेश चन्द्र एंव लेखाकार श्री मो० आलम / श्री राम पाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-17(क) धनराशि रू० 10192010.00)

प्रस्तर-18- वर्ष 2021-2022

क्रमांक	कार्य/योजना का नाम	भुगतान की गयी धनराशि	टेण्डरकर्ता 1	टेण्डरकर्ता 2	टेण्डरकर्ता 3	स्वीकृत टेण्डर
1	2	3	4	5	6	7
01	ग्राम पंचायत देवकलिया में हरिनाम के घर से खारजा तक का नाला निर्माण कार्य	971861.00	विजय सिंह	विनय श्रीवास्तव	कैलाश कुमार यादव	विजय सिंह
02	मित्ताई मजरे चकपुरवा में मेन सी0सी0 रोड से भुइहारे बाबा तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्	127729.00	विजय सिंह	विनय श्रीवास्तव	कृष्ण कुमार सिंह	विनय श्रीवास्तव
03	भिटौली खुर्द में कुर्सी रोड से तीरथ के पुराने घ तक पूर्वी इण्टरलाकिंग से मनोज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	981493.00	सुमन सिंह	विनय श्रीवास्तव	कृष्ण कुमार सिंह	विनय श्रीवास्तव
04	ग्राम टाईकला में श्री मुलायम के घर की सी0सी0 रोड से केशन रावत के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	508072.00	सुमन सिंह	विनय श्रीवास्तव	कैलाश कुमार	विनय श्रीवास्तव
05	ग्राम पंचायत जमुवासी के ग्राम महाशय नगर में	380035.00	सुमन सिंह	कृष्ण कुमार सिंह	रामगोपाल	सुमन सिंह

	इण्टरलाकिंग के पास से सी0सी0रोड तक इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण					
06	ग्राम पंचायत बरेठी में पवन रावत के घर से बाग तक इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण	659708.00	सुमन सिंह	कृष्ण कुमार सिंह	विनय श्रीवास्तव	सुमन सिंह
07	बी0आर0सी0भवन सिपहिया में फर्श से टाइलिंग का कार्य	220959.00	सुमन सिंह	रामगोपाल	विनय श्रीवास्तव	सुमन सिंह
08	ग्राम पंचायत कुसुम्भा के ग्रा0पं0 सुलेमाबाद में सुमेरी लाल के घर से बालक राम के घर के आगे रामचन्दर के खेत तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य	485155.00	विजय सिंह	विनय श्रीवास्तव	कैलाश कुमार यादव	विजय सिंह
09	ग्राम हर्रई में लल्लू की मार्केट डामर रोड से मन्टू वर्मा के घर तक इण्टर लाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य	894191.00	विजय सिंह	विनय श्रीवास्तव	कैलाश कुमार यादव	कैलाश कुमार यादव
10	ग्राम पंचायत टिकरिया में संजय गौतम के घर से हाइवे रिंग रोड तक नाला निर्माण	290512.00	विजय सिंह	विनय श्रीवास्तव	कैलाश कुमार यादव	कैलाश कुमार यादव
11	ग्राम पंचायत टिकरिया में राम प्रसाद के खेत से हाइवे रिंगरोड तक	588724.00	विजय सिंह	विनय श्रीवास्तव	कैलाश कुमार यादव	कैलाश कुमार यादव

	सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य					
12	ग्राम केसरूवा में पूर्व प्रधान रामसुमिरन के घर से मो0 इलियास के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य	407266.00	सुमन सिंह	विनय श्रीवास्तव	कृष्ण कुमार सिंह	सुमन सिंह
	योग-	6515705.00				

उपरोक्त लेखा परीक्षा में आलोच्य वर्ष 2021-2022 से सम्बंधित कार्यों को निविदा प्रक्रिया द्वारा कराया गया। जिसमें सम्बंधित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि-

(क) अल्पकालीन निविदा का प्रकाशन कम विक्री वाले समाचार पत्रों में किया गया है। जबकि निविदा का प्रकाशन राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में होना चाहिए ऐसा न होने पर शासनादेश संख्या 6738/23.07.2008 (सा)/06 दि0 28.12.2006 का उल्लंघन है।

(ख) उपरोक्त कार्य से सम्बंधित पत्रावलियों में टेण्डर प्रक्रिया में मात्र तीन ही फर्मों ने भाग लिया। टेण्डर प्रकिया में भाग लेने वाले प्रत्येक फर्म से 2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी जो एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में होनी चाहिए और खण्ड विकास अधिकारी के पक्ष में बंधक भी होनी चाहिए। सभी टेण्डर कर्ताओं से जमा कराया जाना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है, जो वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 पैरा 366 तथा खण्ड-5 भाग-1 परिशिष्ट 19 का उल्लंघन है। मात्र दो ही फर्मों द्वारा टेण्डर प्रक्रिया की शर्तों को पूरा किया जा रहा है। जबकि निविदा प्रक्रिया में कम से कम तीन फर्मों द्वारा निविदा प्रक्रिया की शर्तों को पूरा करना होता है। अन्यथा टेण्डर स्वतः निरस्त मानकर निविदा फिर से जारी की जाती है। परन्तु उपरोक्त टेण्डर प्रक्रिया में ऐसा नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त दर्शित कारण वित्तीय अनियमितता का सूचक है जिससे प्रतीत होता है कि टेण्डर प्रक्रिया से सम्बंधित नियमों एंव शर्तों का पालन नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से निविदा प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐच्छिक ठेकेदारों को निविदा दे दी गयी है। जिससे रू0 6515705.00 का अनियमित कार्य कराया गया। उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एंव लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-24 (ख) धनराशि रू० 6515705.00)

7-क्षेत्र पंचायत:- दरियाबाद जनपद:-बाराबंकी वर्ष- 2021-2022

प्रस्तर-19- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावली की जांच में यह प्रकाश में आया कि स्वीकृत टेन्डर से सम्बन्धित ठेकेदारों से अनुबन्ध के पूर्व मात्र 2 प्रतिशत बयाने की धनराशि ही ली जाती है जब कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या- 23 के अनुसार ठेकेदार को प्रारम्भ में उतनी धनराशि प्रतिभूति के रूप् में जमा करने की अनुज्ञा दे सकता है। जो बयाने की धनराशि सहित ठेके के धनराशि के 5 प्रतिशत के बराबर हो। कोई भी ठेका जब तक न वैद्य होगा और न कोई निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ किया जाएगा जब तक कि 5 प्रतिशत अपेक्षित प्रतिभूति जमा न कर दी जाए और ठेके के विलेख पर ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षर न कर दिया जाय। अतः उक्त नियम के अनुसार ठेके की धनराशि का न्युनतम 5 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति के रूप् में ठेका स्वीकृत करने के पूर्व ठेका स्वीकृत करने के पूर्व ठेकेदारों से ले लिया जाना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा वर्ष में विभिन्न योजनाओं के अन्तगत कुल रू0 13790199.00 का निर्माण कार्य कराया गया है। जिस पर 5 प्रतिशत प्रतिभूति 689509.00 के स्थान पर स्वीकृत टेण्डरों से सम्बंधित ठेकेदारों से मात्र 2 प्रतिशत की प्रतिभूति रू0 275803.00 ही लिया गया है। इस प्रकार समस्त ठेकों

से रू0 413706.00 की प्रतिभूति कम लेकर अनियमितता की गयी है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-08 धनराशि रू० 413706.00)

प्रस्तर-20- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय व्यय की समीक्षा में पाया गया कि मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना में लेखा परीक्षा वर्ष में रू0 557870.00 का उपभोग किया गया है। परन्तु मांगोपरान्त लेखाकार द्वारा उक्त धनराशि से लाभान्वित पात्रों की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर धनराशि की वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसे सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी तथा सम्बंधित लेखाकार श्री अजीजुल्ला से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-09 धनराशि रू० 557870.00)

प्रस्तर-21- जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के अध्याय 10 के नियम 66 धारा-51 (1) डी0 51 (2) 51(6) के अंतर्गत एस0जी0एस0टी0 1 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0 1 प्रतिशत कुल 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 की काटौती ठेकेदारों के बिलों से किया जाना चाहिए था परन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों के बिलों में देयकों में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 जोडकर भुगतान किया जा रहा है। जो कि नियम के विरूद्ध है। नियमानुसार 10 प्रतिशत जी0एस0टी0 ठेकेदारों के बिलों में जोडकर भुगतान होना चाहिए एंव 2 प्रतिशत जी0एस0टी0 लेखा द्वारा स्वयं ठेकेदारों के बिलों से कटौती कर भुगतान किया जाना चाहिए। संलग्न आय-व्यय के अनुसार पंचम राज्य वित्त में रू0 7561575.00 15वां वित्त योजना में रू0 5314878.00 आॅगनबाडी केन्द्र निर्माण में रू0 336422.00 एंव विधायक निधि में रू0 577324.00 व्यय किया गया है। इस प्रकार निर्माण कार्यों पर रू013790199.00 भुगतान (12 प्रतिशत जी0एस0टी0 छोडकर) किया गया है। जिसका 2 प्रतिशत धनराशि रू0 275803.00 टी0डी0एस0 कटौती न कर खण्ड विकास अधिकारियों श्री सर्वेश कुमार तिवारी/श्री वी0 के0 मोहन/श्री शिव बहादुर सिंह तथा लेखाकार श्री अजीजुल्ला द्वारा अनियमितता की गयी है। जिस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-10 धनराशि रू० 275803.00)

प्रस्तर-22- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत आय-व्यय की समीक्षा में यह संज्ञान में आया कि दिनांक 31.03.2022 को आयकर मद में रू0 22780.00 आयकर जमा करना शेष रहा जो नियमानुसार वर्षान्त तक अवश्य जमा कर दिया जाना चाहिए। अतः उक्त रू0 22780.00 को अविलम्ब जमा किया जाना अपेक्षित है। उक्त आयकर की धनराशि वर्षान्त तक जमा न कर अनियमितता की गयी जिसकेलिए उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारियों श्री सर्वेश कुमार तिवारी/श्री वी0 के0 मोहन/श्री शिव बहादुर सिंह तथा लेखाकार श्री अजीजुल्ला पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-05 धनराशि रू० 22780.00)

प्रस्तर-23- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत आय-व्यय की समीक्षा में यह संज्ञान में आया कि दिनांक 31.03.2022 को जी0एस0टी0 की अत्यधिक धनराशि रू0 199076.00 जमा करना शेष रहा जो नियमानुसार वर्षान्त तक अवश्य जमा कर दिया जाना चाहिए परन्तु नहीं किया गया उक्त अत्यधिक जी0एस0टी0 अवशेष रू0 199076.00 समयान्तर्गत जमा न कर अनियमितता की गयी है। इस हेतु उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री शिव बहादुर सिंह तथा लेखाकार श्री अजीजुल्ला नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त शेष धनराशि रू0 199076.00 अविलम्ब बैंक में जमा कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-06 धनराशि रू0 199076.00)

प्रस्तर-24- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष (2021-2022) के आय-व्यय तथा ग्राण्ट द्वितीय एंव तृतीय की समीक्षा में यह प्रकाश में आया कि पंचायत निर्वाचन में रू0 26140.00 तथा निर्धन चूल्हा में रू0 21300.00 ऋणात्मक धनराशि दर्शित है। उक्त ऋणात्मक धनराशि के सम्बंध में लेखाकार द्वारा यह अवगत कराया गया कि आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग के वर्ष 2009-20210 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित किया गया था कि उक्त मदों में धन न होने पर भी तत्कालीन आंकिक श्री कमलेन्द्र प्रताप सिंह तथा खण्ड विकास अधिकारी

श्री एच0आर0खान तथा श्री पी0के यादव ने अन्य मदों में उपलब्ध धन से विचलन कर अनियमित भुगतान किया। अतः उक्त कुल रू0 47440.00 का अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया जिसे उत्तरदायी आंकिक श्री कमलेन्द्र प्रताप सिंह तथा खण्ड विकास अधिकारी श्री एच0आर0खान तथा श्री पी0के0यादव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-20 धनराशि रू0 47440.00)

8-क्षेत्र पंचायत:- बनीकोडर वर्ष-2021-2022

प्रस्तर-25-वर्ष 2021-2022 में जी0एस0टी0 मद में कराये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के आंकलन के अनुसार रू0 618700.00 की कटौती पत्रावलियों से की गयी किन्तु ग्राण्ट रजिस्टत तृतीय में बनाये गये विवरण में जी0एस0टी0 मद दर्शाया ही नहीं गया है। पूछे जाने पर बताया गया कि अधिकांश कटौतियां मात्र पत्रावली में दर्शित हैं वास्तव में उन्हें काटा ही नहीं गया है। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त राजस्व् का भुगतान भी नहीं किया गया है यह गम्भीर अनियमितता है। अतः उक्त कटौतियां की जानी चाहिये एवं उनका भुगतान सरकार को किया जाना चाहिये।

इस हेतु उत्तरदायी लेखाकर श्री अजय कुमार श्रीवास्तव से नियमानुसार वसूली / विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

(सामान्य आपत्ति संख्या-5 धनराशि रू0 618700.00)

प्रस्तर-26-वर्ष 2021-2022 में लेबर सेस मद में कराये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के आंकलन के अनुसार रू0 309350.00 कटौतियां पत्रावलियों में की गयी किन्तु उक्त मद में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय में वर्ष भर में प्राप्तियां मात्र रू0 59420.00 दर्शित है। पूछे जाने पर बताया गया कि उक्त 59420.00 के अलावा अवशेष धनराशि के सापेक्ष कटौती मात्र पत्रावलियों पर दर्शित की गई है एंव वास्तव में कटौती नहीं की गई एंव सरकार को भुगतान भी नहीं किया गया। यह गम्भीर अनियमितता है। अतः रू0 249930.00 की कटौती कर सरकार को भुगतान किया जाना चाहिये।

उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं अतः अनियमितता की दोषी तत्कालीन लेखाकार पर सम्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-6 धनराशि रू0 249930.00)

प्रस्तर-27-वर्ष 2021-2022 में आयकर मद में कराये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के आॅकलन के अनुसार रू0 618700.00 की कटौती (पत्रावलियों) से की गयी किन्तु उक्त मद में ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय में वर्ष भर में प्राप्तियां मात्र रू0 163543.00 दर्शित हैं। पूछे जाने पर बताया गया कि उक्त रू0 163543.00 के अलावा अवशेष धनराशि के सापेक्ष कटौती मात्र पत्रावली पर दर्शित की गई एंव वास्तव में कटौती नहीं की गई। इस प्रकार रू0 455157.00 की कटौती नहीं की गई और सरकार को भुगतान भी नहीं किया गया। यह गम्भीर अनियमितता है। अतः रू0 455157.00 की कटौती कर सरकार को भुगतान किया जाना चाहिये।

उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। अतः अनियमितता की दोषी तत्कालीन लेखाकार पर सम्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-7 धनराशि रू0 455157.00)

प्रस्तर-28-क्षेत्र पंचायत बनीकोडर वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों में से पंचम राज्य वित्त के 15 निर्माण कार्यों पर ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार रू0 10409460.00 (सूची संलग्न) व्यय किया गया। उक्त समस्त 15 निर्माण कार्यों की पत्रावलियां भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गई। अधिकांश पत्रावलियां निम्नवत कारणों से अपूर्ण रही-

01. किसी भी पत्रावली में एम0बी0 संलग्न नहीं पाई गई।
02. किसी भी पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र /उपभोग प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया।
03. सभी पत्रावलियों में मात्र एक बिल (अधिकांशतः तिथि रहित) संलग्न पाया गया जिन पर द्वितीय एंव अंतिम बिल अंकित पाया गया। जबकि ठेकेदारों को अधिकांशतः दो अथवा अधिक किश्तों में भुगतान किया गया।

उक्त के संदर्भ में लेखाकार द्वारा बताया गया कि उपरोक्त दर्शित प्रपत्र (1) व (2) पत्रावली से इतर संग्रहीत कर रखे गये हैं किन्तु लेखा परीक्षा की समाप्ति के दिवस तक भी उपरोक्त प्रपत्र संलग्न कर पत्रावलियां पूर्ण कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त तथ्यों के आधार पर निम्नवत निष्कर्ष निकाले गये-

(क) चूंकि एम0बी0 किसी निर्माण कार्य के मापन एंव उस पर व्यय सामग्री का विस्तृत लेखा जोखा होता है। एंव उक्त के आधार पर ही कराये गये कार्य की चरणवार प्रगति एंव कार्य की पूर्णता की स्थिति में प्रस्तुत बिलों को क्रास करके उनका विवरण एंव धनराशि एम0बी0 पर दर्ज किये जाने के उपरांत बिलों का भुगतान किया जाता है। वर्ष की कार्य पत्रावलियों से इतर एम0बी0 संग्रहीत किये जाने के कारण भुगतान की यह प्रक्रिया किसी भी कार्य के सापेक्ष नियमतः अपनाये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अनियमित तरीके से भुगतान किया गया।

(ख) कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र/उपभोग प्रमाण पत्र पत्रावलियों में संलग्न न करके इससे इतर संग्रहीत किये गये जो नियमानुसार गलत है। प्रपत्रों को नियमानुसार पत्रावली में ही संलग्न किया जाना चाहिये।

(ग) समस्त पत्रावलियों में प्रत्येक में एक मात्र बिल संलग्न पाया गया जिस पर द्वितीय अंतिम बिल अंकित किया गया। कोई भी रनिंग बिल नहीं लगाया गया जबकि अधिकांशतः कार्यों का भुगतान दो अथवा तीन किस्तों में किया गया। अतः बिना किसी रनिंग बिल के सीधे अंतिम बिल (तिथि रहित) के आधार पर भुगतान किया जाना अनियमित रहा।

(घ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1994 के नियम 39 के अनुसार रू0 500000.00 से 1000000.00 तक निर्माण कार्यों का अंतिम रूप से भुगतान किये जाने के पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। परन्तु उक्त नियम का पालन नहीं किया गया जो कि गम्भीर अनियमितता है।

बिन्दु क,ख,ग के अंतर्गत की गयी विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि कृत कार्यों हेतु एम0बी0, कार्यपूर्ति /उपभोग प्रमाण पत्र एंव बिल सम्बंधी नियमों की अनदेखी की गयी। साथ ही बिन्दु घ के अधीन रू0 5 लाख से 10 लाख तक के कार्यों हेतु अंतिम भुगतान से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (नियोजन) के निरीक्षण की प्रक्रिया भी नहीं अपनायी गयी जबकि अधिकांश कार्य अधिकांश कार्य 5 लाख से 10 लाख की सीमा के अधीन रहे। जो पुनः एक अनियमितता है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं हेतु तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी एंव लेखाकार उत्तरदायी हैं। तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती उर्मिला वर्मा, खण्ड विकास अधिकारियों डॉ आदित्य तिवारी/श्रीमती सरिता गुप्ता/श्री रविशंकर पाण्डेय एंव लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव पर सम्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अधिभार सूची -1 (15 कार्य)

क्रमांक	कार्य का नाम	मद	धनराशि
1	रामपुर सम्पर्क रोड से पूरे लोध में नान्हू के घर के पास से राम प्रकाश के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त	305143.00 250000.00
2	जेठबनी मालिनपुर संपर्क रोड से सधवापुर तक खडण्जा मरम्मत कार्य एंव 100 मी0 खडण्जा निर्माण कार्य	पंचम राज्य वित्त	300000.00
3	किठूरी नहर पुलिया से पूरे बुधई शाह नहर पुलिया तक खडण्जा मरम्मत कार्य	पंचम राज्य वित्त	300000.00 571063.00
4	अवस्थी का पुरवा सम्पर्क मार्ग से रामदीन के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	पंचम राज्य वित्त	200000.00 672895.00
5	भिटरिया हैदरगढ सम्पर्क रोड से देवीगंज नहर पुलिया से हनुमान मंदिर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण	पंचम राज्य वित्त	300000.00 359351.00
6	पूरे लोहार नहर पुलिया से पूरे बाबा नहर तक खडण्जा मरम्मत कार्य	पंचम राज्य वित्त	300000.00 569684.00
7	कोटवा रजबहा से राकेश महराज एंव सुशील कोटेदार के घर तक खडण्जा मरम्मत कार्य।	पंचम राज्य वित्त	250000.00 592778.00

8	ग्राम पंचायत रसूलपुर में जीनत ब्रिक फील्ड से राम प्रकाश के घर के पास तक खडण्जा मरम्मत कार्य।	पंचम राज्य वित्त	240000.00 627460.00
9	पूरे चुराई मजरे कोटवा सडक प्राथमिक विद्यालय से जगदीश प्रसाद के चक तक खडण्जा मरम्मत कार्य।	पंचम राज्य वित्त	240000.00 613319.00
10	विकास खण्ड बनीकोडर में स्थित विभिन्न आवासीय भवनों की मरम्मत एंव रंगाई पुताई कार्य।	पंचम राज्य वित्त	390000.00
11	विकास खण्ड बनीकोडर की वाउण्ड्रीवाल निर्माण , मरम्मत व रंगाई पुताई कार्य	पंचम राज्य वित्त	480000.00
12	जरौली सम्पर्क रोड से हनुमान मंदिर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	पंचम राज्य वित्त	200000.00 182008.00
13	पूरे लोहार नहर पुलिया के पहले से देवकली रजबहा पर खडण्जा मरम्मत।	पंचम राज्य वित्त	300000.00 575879.00
14	देवकली नहर पुलिया से देवकली सीमा तक नहर पर खडण्जा कार्य।	पंचम राज्य वित्त	280000.00 590163.00
15	विकास खण्ड बनीकोडर में सभागार से सटे हुए प्रमुख कक्ष का सौन्दर्यीकरण एंव दाहिनी तरफ सटे हुए बरामदे को प्रमुख कक्ष में मिलाना, फर्नीचर आदि सौन्दर्यीकरण कार्य।	पंचम राज्य वित्त	150000.00
		योग-	10409460.00

(सामान्य आपत्ति संख्या-23 धनराशि रू॰ 10409460.00)

प्रस्तर-29-क्षेत्र पंचायत बनीकोडर वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों में से प्रन्द्रवां केन्द्रीय वित्त के कुल 34 निर्माण कार्यों पर ग्राण्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार रू0 18464883.00 (सूची संलग्न) व्यय किया गया। उक्त समस्त 34 निर्माण कार्योंकी पत्रावलियां भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गई। अधिकांशतः पत्रावलियां निम्नवत कारणों से अपूर्ण रही।

01. किसी भी पत्रावली में एम0बी0 संलग्न नहीं पाई गई।

02. किसी भी पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र /उपभोग प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

03. सभी पत्रावलियों में मात्र एक बिल (अधिकांशतः तिथि रहित) संलग्न पाया गया जिन पर द्वितीय एंव अंतिम बिल अंकित पाया गया। जबकि ठेकेदारों को अधिकांशतः दो अथवा अधिक किश्तों में भुगतान किया गया।

उक्त के संदर्भ में लेखाकार द्वारा बताया गया कि उपरोक्त दर्शित प्रपत्र (1) व (2) पत्रावली से इतर संग्रहीत कर रखे गये हैं किन्तु लेखा परीक्षा की समाप्ति के दिवस तक भी उपरोक्त प्रपत्र संलग्न कर पत्रावलियां पूर्ण कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त तथ्यों के आधार पर निम्नवत निष्कर्ष निकाले गये-

(क) चूंकि एम0बी0 किसी निर्माण कार्य के मापन एंव उस पर व्यय सामग्री का विस्तृत लेखा जोखा होता है। एंव उक्त के आधार पर ही कराये गये कार्य की चरणवार प्रगति एंव कार्य की पूर्णता की स्थिति में प्रस्तुत बिलों को क्रास करके उनका विवरण एंव धनराशि एम0बी0 पर दर्ज किये जाने के उपरांत बिलों का भुगतान किया जाता है। वर्ष की कार्य पत्रावलियों से इतर एम0बी0 संग्रहीत किये जाने के कारण भुगतान की यह प्रक्रिया किसी भी कार्य के सापेक्ष नियमतः अपनाये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अनियमित तरीके से भुगतान किया गया।

(ख) कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र/उपभोग प्रमाण पत्र पत्रावलियों में संलग्न न करके इससे इतर संग्रहीत किये गये जो नियमानुसार गलत है। प्रपत्रों को नियमानुसार पत्रावली में ही संलग्न किया जाना चाहिये।

(ग) समस्त पत्रावलियों में प्रत्येक में एक मात्र बिल संलग्न पाया गया जिस पर द्वितीय अंतिम बिल अंकित किया गया। कोई भी रनिंग बिल नहीं लगाया गया जबकि अधिकांशतः कार्यों का भुगतान दो अथवा तीन

किस्तों में किया गया। अतः बिना किसी रनिंग बिल के सीधे अंतिम बिल (तिथि रहित) के आधार पर भुगतान किया जाना अनियमित रहा।

(घ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1994 के नियम 39 के अनुसार रू0 500000.00 से 1000000.00 तक निर्माण कार्यों का अंतिम रूप से भुगतान किये जाने के पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। परन्तु उक्त नियम का पालन नहीं किया गया जो कि गम्भीर अनियमितता है।

बिन्दु क,ख,ग के अंतर्गत की गयी विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि कृत कार्यों हेतु एम0बी0, कार्यपूर्ति /उपभोग प्रमाण पत्र एंव बिल सम्बंधी नियमों की अनदेखी की गयी। साथ ही बिन्दु घ के अधीन रू0 5 लाख से 10 लाख तक के कार्यों हेतु अंतिम भुगतान से पूर्व परिक्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (नियोजन) के निरीक्षण की प्रक्रिया भी नहीं अपनायी गयी जबकि अधिकांश कार्य अधिकांश कार्य 5 लाख से 10 लाख की सीमा के अधीन रहे। जो पुनः एक अनियमितता है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं हेतु तत्कालीन ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी एंव लेखाकार उत्तरदायी हैं। तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती उर्मिला वर्मा, खण्ड विकास अधिकारियों डॉ आदित्य तिवारी/श्रीमती सरिता गुप्ता/श्री रविशंकर पाण्डेय एंव लेखाकार श्री अजय कुमार श्रीवास्तव पर सम्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अधिभार सूची -2 (34 कार्य)

क्रमांक	कार्य का नाम	मद	धनराशि
1	महुवामऊ संपर्क रोड से दुर्गामाता मंदिर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण।	15वाँ वित्त	150000.00 242982.00
2	बहरेला डीह में चैरी सम्पर्क रोड पर बहरेला डीह में राम सजीवन के घर से अमित यादव के घर के पास तक इण्टरलाकिंग एंव नाली निर्माण कार्य।	15वाँ वित्त	290000.00 322957.00
3	धनौली ठकुरान सुखीपुर संपर्क रोड से पंचायत घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण।	15वाँ वित्त	210000.00 419541.00
4	सरसा सम्पर्क रोड से आशाराम एंव मोनू सिंह सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग रोड निर्माण	15वाँ वित्त	250000.00 385519.00
5	भीखरपुर सम्पर्क रोड से संतोष सिंह के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण	15वाँ वित्त	299980.00
6	सरैया से जमोली सम्पर्क मार्ग पर खडण्जा एंव पुलिया निर्माण।	15वाँ वित्त	240000.00 369668.00
7	कोटवा सडक में सत्यनारायण वर्मा के घर के पास से संजय वर्मा के घर के पास तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण	15वाँ वित्त	300000.00 382869.00
8	मेडुवा में तुलसीदास सिंह के दरवाजे से देवनाथ यादव के दरवाजे तके इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	15वाँ वित्त	295000.00 365194.00
9	किठूरी से लोहारपुर सम्पर्क मार्ग से पूरे निहाल में केशवचन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण।	15वाँ वित्त	300000.00 450827.00
10	भीखरपुर में दुर्गामाता मंदिर से आलोक सिंह के गेट तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण	15वाँ वित्त	300000.00 380111.00
11	शुक्लनपुरवा में बालकराम के घर से नहर तक नाला निर्माण।	15वाँ वित्त	290000.00 194030.00 83394.00
12	लकडिया सम्पर्क मार्ग से शिवकुमार की दुकान के पास से कालीमाता के मंदिर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	15वाँ वित्त	250000.00 557348.00
13	भीखरपुर सकतपुर सम्पर्क मार्ग से हीरालाल के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग रोड	15वाँ वित्त	290000.00

	निर्माण		365808.00
14	धारूपुर में राम अचल के घर के पास तालाब से गोभडहा तालाब तक नाला निर्माण।	15वाँ वित्त	250000.00 162448.00
15	देवीगंज सुबेहा सम्पर्क मार्ग से राजू के काम्पलेक्स तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण।	15वाँ वित्त	200000.00 173411.00
16	हाजीपुर से सुबेहा सम्पर्क मार्ग पर लल्लन यादव के घर के पास से हरिदेव बाबा के स्थान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण।	15वाँ वित्त	200000.00 353003.00
17	ग्राम पंचायत भोजपुर में पूरब दिशा में गाॅंव के बाहर शिवबरन शर्मा के घर के पीछे नाला तक नाला निर्माण।	15वाँ वित्त	1500000.00 220620.00
18	बाबा का पुरवा मजरे किठूरी में ओमकार के दरवाजे से नफीस के बाग तक नाला निर्माण।	15वाँ वित्त	300000.00 364358.00
19	अहमदपुर बाजार में मोबीन कपडे वाले की दुकान से पंचायत भवन तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण।	15वाँ वित्त	200000.00 474439.00
20	खेवराजपुर पूरे समाधान पुरवा सम्पर्क मार्ग से खेवराज पुर में पाठक के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण।	15वाँ वित्त	150000.00 203997.00
21	परसोला डामर रोड से उमाचरन के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण।	15वाँ वित्त	200000.00 481679.00
22	अहमदपुर में छोटी मस्जिद खोनई के घर के पास से साबिर के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण।	15वाँ वित्त	200000.00 475414.00
23	ग्राम सभा भवनियापुर में प्रा0वि0 से कमलेश कुमार यादव के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण।	15वाँ वित्त	200000.00 515198.00
24	मवई सुबेहा रोड पर दिलावलपुर में जगतपाल के घर के पास से रामदास के घर वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग रोड निर्माण।	15वाँ वित्त	150000.00 536209.00
25	खेवराजपुर सम्पर्क रोड से शिवजी मंदिर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण।	15वाँ वित्त	250000.00 425457.00
26	सिल्लौर में लालेश्वर मंदिर से गोमती नदीघाट तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण।	15वाँ वित्त	150000.00 352755.00
27	पूरे हरीलाल पुरवा में नीरज ब्रिक फील्ड से पंचायत भवन तक खडण्जा मार्ग निर्माण।	15वाँ वित्त	309060.00
28	दुलहदेपुर प्रा0वि0 गेट से आर0सी0सी0 रोड तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण।	15वाँ वित्त	150000.00 146348.00
29	कुम्हारनपुरवचा में जानकी के दरवाजे से गाॅंव के बाहर देव स्थान तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण।	15वाँ वित्त	536631.00
30	जयचन्दपुर डामर रोड से जोगापुरवा में मंशाराम के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण।	15वाँ वित्त	200000.00
31	पूरे मकरन सी0सी0रोड से भवानी प्रसाद के घर के पास से पाल के घर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण।	15वाँ वित्त	200000.00 431397.00
32	मुरारपुर सम्पर्क मार्ग से अशोक तिवारी मार्ग पर इण्टरलाकिंग रोड निर्माण।	15वाँ वित्त	190000.00 377231.00
33	ओहरपुर में रामफेर के दरवाजे से काली माता मंदिर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण।	15वाँ वित्त	300000.00
34	सुखीपुर सम्पर्क रोड से नन्देश्वर बाबा स्थान मंदिर तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण।	15वाँ वित्त	300000.00

		योग	18464883.00

(सामान्य आपत्ति संख्या-24 धनराशि रू0 18464883.00)

9- क्षेत्र पंचायत -फतेहपुर वर्ष-2021-2022

प्रस्तर-30-वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य वित के अन्तर्गत कराये गये निम्नलिखित कार्यो में अग्रलिखित आपत्तिया पायी गयी है-

क्र0सं	कार्य का नाम	मद	धनराशि (रू० में)
1	फतेहपुर महमूदाबाद रोड से बीबीपुर तक खडंजा मरम्मत राज्य वित्त चतुर्थ	राज्य वित्त चतुर्थ	194529.00
2	खैर स्कूल से मीरनगर रोड तक खडंजा निर्माण कार्य राज्य वित्त चतुर्थ	राज्य वित्त चतुर्थ	1171316.00
3	पशु चिकित्सालय का अनुरक्षरण राज्य वित्त चतुर्थ	राज्य वित्त चतुर्थ	396117.00
4	कृषि रक्षा सेवा केन्द्र का अनुरक्षण कार्य	राज्य वित्त चतुर्थ	364699.00
5	ग्राम गौरगजनी नरैनापुर डामर रोड से फतेहपुर महमूदाबाद रोड तक खडंजा निर्माण	राज्य वित्त चतुर्थ	1557057.00
6	मदनपुर-मदारपुर में रोड से पंचायत भवन तक सीसी रोड	राज्य वित्त चतुर्थ	836164.00
7	बीज वितरण गोदाम का अनुराक्षण	राज्य वित्त चतुर्थ	424554.00
8	ग्राम बनियानी में महमूदाबाद मार्ग से प्रमोद के घर तक खडंजा निर्माण	राज्य वित्त चतुर्थ	310569.00
	योग		5255005.00

उपर्युक्त कार्यो के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियाॅ-

1-टेण्डर के नियमों एवं शर्तो के अनुसार 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि एफ0 डी0 आर0/टी0 डी0 आर0 के रूप में खण्ड विकास अधिकारी फतेहपुर के पक्ष में बंधक कराते हुए निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा शेष 8 प्रतिशत कार्यादेश के समय एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में खण्ड विकास अधिकारी फतेहपुर के पक्ष में बंधक के रूप में देना अनिवार्य होगा। उक्त एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस द्वारा निर्गत होना चाहिए। निविदा फार्मो के साथ किसी भी पत्रावली में टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 की छाया प्रति संलग्न नही पायी गयी ।टेण्डर के नियम एवं शर्तो का उल्लघंन कर ठेका आवंटित करना, ठेका प्रक्रिया में गम्भीर अनियमिता का द्योतक है।

2-टेण्डर प्रक्रिया में जितने भी ठेकेदार फार्म आवेदन करेगें उन सभी से टेण्डर फार्म के साथ 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक स्वरूप जमा करायी जायेगी चाहें उन ठेकेदारो का टेण्डर स्वीकृत किया गया हो या अस्वीकृत किया गया हो किन्तु ऐसा नही किया गया एवं ठेका आवंटन प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितता की गयी है।

3-निर्माण कार्यो से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावलियो की जाॅच में गम्भीर तथ्य प्रकाश में आया कि निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निविदा प्रकाशन प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र में कराये जाने की पुष्टि किसी की निर्माण कार्य की पत्रावली में नही हुई क्योकि निविदा प्रकाशन की पेपर कटिंग की मूल/छायाप्रति संलग्न नही पायी गयी जो यह दर्शित करती है कि निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निविदा का प्रकाशन हुआ ही नही । स्पष्ट है कि

निविदा प्रकाशन का उल्लेख अवास्तविक है। निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निविदा प्रकाशन की पुष्टि नही होना,टेण्डर प्रक्रिया नही होना,टेण्डर प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितता होना दर्शित करता है।

4-कतिपय टेण्डर फार्मो पर गवाहो के हस्ताक्षर नही कराये गये जोकि टेण्डर प्रक्रिया के नियमो एवं शर्तो का उल्लघंन है। नियमो की अनदेखी कर टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण किया जाना गम्भीर अनियमितता है।

5-कतिपय टेण्डर फार्म एक ही हस्तलेख में पाये गये है, इससे टेंडर प्रक्रिया की गोपनीयता का भंग होना दर्शाता है। गोपनीयता टेण्डर प्रक्रिया का एक भाग है। स्पष्ट है कि टेण्डर प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितता की गयी है।

6-निविदा के साथ (निविदा फार्म के साथ) हैसियत प्रमाण-पत्र पी डब्ल्यू डी टी -5 चरित्र पमाण-पत्र पी डब्ल्यू डी टी -4 नोटरी द्वारा प्रमाणित रू0 100.00 के स्टैम्प पर निविदा दाता का शपथपत्र भी संलग्न होना चाहिए था, जोकि संलग्न नही पाया गया। केवल जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत की गयी उससे स्वीकृति के बाद एक एग्रीमेन्ट रू0 100.00 के स्टाम्प पर करा लिया गया।

7-प्रस्तुत निर्माण कार्य की पत्रावली के साथ निर्माण कार्य के प्रारम्भ के पूर्व की स्थिति, कार्य होने के दौरान क स्थिति एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति इन तीनो स्थितियो की प्रमाणित फोटोग्राफ (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित) निर्माण पत्रावली के साथ संलग्न होने चाहिए थे किन्तु तीनो स्थितियो की प्रमाणित फोटोग्राफ निर्माण कार्य की पत्रावली के साथ संलग्न नही पाया गया।

8-प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियो में ठेकेदारो का सरकारी विभागो में कराये गये निर्माण कार्यो का अनुभव प्रमाण-पत्र, आयकर क्लीयरेन्स प्रमाण-पत्र एवं पैन कार्ड जी0एस0टी0यन0 नं0 पंजीकरण, 2017-18 हेतु श्रम विभाग का प्रमाण-पत्र आदि प्रपत्र संलग्न नही पाये गये।

9-टेण्डर लिफाफे सीलयुक्त नही पाये गये। निविदा फार्म के लिफाफे सीलबन्द होने चाहिए तथा टेण्डर कमेटी एवं निविदाकर्ताओ के समक्ष निश्चित तिथि को खोले जाने चाहिए, तथी टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी एवं नियमानुसार मानी जाती है।

10-एम0 बी0 (मेजरमेन्ट बुक) पर जे0ई0 द्वारा अपने नाम सहित मुहर लगायी गयी है।

11-कतिपय टेण्डर फार्मो पर टेण्डर खुलने का दिनांक नही डाला गया , जोकि वांछित है।

12-उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 39 के अनुसार रू0 500000.00 से रू0 1000000.00 तक निर्माण कार्य का अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रिय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। परन्तु उक्त नियम का पालन नही किया गया जोकि गम्भीर अनियमितता है।

अतः उपरोक्त आपतियो के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में निर्माण सम्बन्धी टेण्डरी प्रक्रिया के नियमों का पूर्णतया उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से ठेकेदारों को टेण्डर आंवटित कर रू0 5255005.00 का अनियमित भुगतान ठेकेदारों को किया गया । इस अनियमितता के लिए ब्लाक प्रमुख श्री अनिल कुमार वर्मा, खण्ड विकस अधिकारी श्री सोमनाथ चौरसिया/श्री विजयंत कुमार सिंह व लेखाकार श्री प्रेमचंद्र / श्री उमेश चन्द्र पूर्णतया उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति सख्या-24 धनराशि रू० 5255005.00)

प्रस्तर-31-वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित के अन्तर्गत कराये गये निम्नलिखित कार्यो में अग्रलिखित आपत्ति पायी गयी है-

क्र0सं0	कार्य का नाम	मद	धनराशि (रूपये में)
1	मोहम्मदपुर सीसी रोडसे भोलानाथ के हाता तक सीसी रोड निर्माण कार्य	राज्य वित्त	332946 572705
2	रहिलामऊ नहरपुल से गेंदपुरवा संपर्क मार्ग तक खण्डजा निर्माण	राज्य वित्त	948573
3	औरंगाबाद दादनपुर सम्पर्क मार्ग से सरवा सम्पर्क मार्ग तक खण्डजा निर्माण	राज्य वित्त	760887
4	तालगांव से रहिलामऊ रोड तक खण्डजा निर्माण कार्य	राज्य वित्त	748455

			727746
5	नहर पिच रोड से लोहानिया पुरवा डामर रोड सम्पर्क मार्ग पुलिया तक खण्डजा निर्माण कार्य	राज्य वित्त	214162 36841
6	फतेहपुर बद्दुपुर सम्पर्क मार्ग से लालपुर तक खण्डजा निर्माण कार्य	राज्य वित्त	587080 421631
7	बन्नी उसेमाबाद से भारत के बाग तक खण्डजा निर्माण कार्य	राज्य वित्त	206791 205712
8	ग्राम मंे झासापुरवा सीसी रोड सम्पर्क मार्ग से तक तक खण्डजा निर्माण कार्य	राज्य वित्त	587785 510295
9	काजीबेहटा स्कूल से अलीनगर तक खण्डजा निर्माण कार्य रा	राज्य वित्त	759207
10	पैगुवा सम्पर्क मार्ग से बाबाकुट्टी सम्पर्क मार्ग तक खण्डजा निर्माण कार्य	राज्य वित्त	639568 201952
11	मदारपुर संपर्क मार्ग से भरसभाती तक खण्डजा निर्माण कार्य	राज्य वित्त	924392
12	कुतलूपुर रोड से खटाकूटी तक खण्डजा निर्माण कार्य	राज्य वित्त	682119
13	भैंसुरिया मुजाहिदपुरमें सिहाली त्रिलोकपुर संपर्क मार्ग से भागूलाल के घर तक खण्डजा निर्माण कार्य	राज्य वित्त	760670
14	शाहपुर भगौली रोड से सरीवा सीवाॅ ग्राम तक खण्डजा निर्माण कार्य	राज्य वित्त	276849 517497
	योग		11885481.00

उपर्युक्त कार्यो के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्ति है-

1-टेण्डर के नियमों एवं शर्तो के अनुसार 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में खण्ड विकास अधिकारी फतेहपुर के पक्ष में बंधक कराते हुए निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा शेष 8 प्रतिशत धनराशि कार्यादेश के समय एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में खण्ड विकास अधिकारी फतेहपुर के पक्ष में बंधक के रूप में देना अनिवार्य होगा। उक्त टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस द्वारा निर्गत होना चाहिये। निविदा फार्मो के साथ किसी भी पत्रावली में टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 की छाया प्रति संलग्न नही पायी गयी।टेण्डर के नियम व शर्तो का उल्लंघन कर ठेका आवंटित करना, ठेका प्रक्रिया में गम्भीर अनियमिता का द्योतक है।

2-टेण्डर प्रक्रिया में जितने भी ठेकेदार टेण्डर फार्म आवेदन करेगें उन सभी से टेण्डर फार्म के साथ 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक स्वरूप जमा करायी जायेगी , चाहे उन ठेकेदारो का टेण्डर स्वीकृत किया गया हो या अस्वीकृत किया गया हो, किन्तु ऐसा नही किया गया एवं ठेका आवंटन प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितता की गयी है।

3-निर्माण कार्यो से सम्बधित निर्माण कार्य पत्रावलियो की जाॅच में गम्भीर तथ्य प्रकाश में आया कि निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निविदा प्रकाशन प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र में कराये जाने की पुष्टि किसी की निर्माण कार्य पत्रावली में नही हुई क्योकि निविदा प्रकाशन की पेपर कटिंग की मूल/छाया प्रति संलग्न नही करायी गयी जो यह दर्शित करती है कि निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निविदा का प्रकाशन हुआ ही नही। स्पष्ट है कि निविदा प्रकाशन का उल्लेख अवास्तविक है। निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निविदा प्रकाशन की पुष्टि नही होना, टेण्डर प्रक्रिया नही होना, टेण्डर प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितता होना दर्शित करता है।

4-कतिपय टेण्डर फार्मो पर गवाहो के हस्ताक्षर नही पाये गये जोकि टेण्डर प्रक्रिया के नियमों एवं शर्तो का उल्लघन है। नियमों की अनदेखी कर टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण किया जाना गम्भीर अनियमितता है।

5-कतिपय टेण्डर फार्म एक ही हस्त लेख में पाये गये है, इससे टेण्डर प्रक्रिया की गोपनीयता का भंग होना दर्शाता है। गोपनीयता टेण्डर प्रक्रिया का एक भाग है। स्पष्ट है कि टेण्डर प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितता की गयी है।

6- निविदा के साथ (निविदा फार्म के साथ) हैसियत प्रमाण-पत्र पी डब्ल्यू डी टी -5 चरित्र पमाण-पत्र पी डब्ल्यू डी टी -4 नोटरी द्वारा प्रमाणित रू0 100.00 के स्टैम्प पर निविदा दाता का शपथपत्र भी संलग्न होना चाहिए था, जोकि संलग्न नही पाया गया। केवल जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत की गयी उससे स्वीकृति के बाद एक एग्रीमेन्ट रू0 100.00 के स्टाम्प पर करा लिया गया।

7-प्रस्तुत निर्माण कार्य की पत्रावली के साथ निर्माण कार्य के प्रारम्भ के पूर्व की स्थिति, कार्य होने के दौरान क स्थिति एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति इन तीनो स्थितियो की प्रमाणित फोटोग्राफ (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित) निर्माण पत्रावली के साथ संलग्न होने चाहिए थे किन्तु तीनो स्थितियो की प्रमाणित फोटोग्राफ निर्माण कार्य की पत्रावली के साथ संलग्न नही पाया गया।

8-उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 39 के अनुसार रू0 500000.00 से रू0 1000000.00 तक निर्माण कार्य का अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने से पूर्व परिक्षेत्रिय अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। परन्तु उक्त नियम का पालन नही किया गया जोकि गम्भीर अनियमितता है।

9-प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियो में ठेकेदारो का सरकारी विभागो में कराये गये निर्माण कार्यो का अनुभव प्रमाण-पत्र, आयकर क्लीयरेन्स प्रमाण-पत्र एवं पैन कार्ड जी0एस0टी0यन0 नं0 पंजीकरण, 2018-19 हेतु श्रम विभाग का प्रमाण-पत्र आदि प्रपत्र संलग्न नही पाये गये।

10- टेण्डर लिफाफे सीलयुक्त नही पाये गये। निविदा फार्म के लिफाफे सीलबन्द होने चाहिए तथा टेण्डर कमेटी एवं निविदाकर्ताओ के समक्ष निश्चित तिथि को खोले जाने चाहिए, तथी टेण्डर प्रक्रिया पारदर्शी एवं नियमानुसार मानी जाती है।

11-एम0 बी0 (मेजरमेन्ट बुक) पर जे0ई0 द्वारा अपने नाम सहित मुहर लगायी गयी है।

12- कतिपय टेण्डर फार्मो पर टेण्डर खुलने का दिनांक नही डाला गया , जोकि वांछित है।

अतः उपरोक्त आपत्तियो के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में निर्माण सम्बन्धी टेण्डर प्रक्रिया के नियमों का पूर्णतया उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से ठेकेदारो को टेण्डर आंवटित कर रू0 11885481.00 का अनियमित भुगतान ठेकेदारो को किया गया । इस अनियमितता के लिए ब्लाक प्रमुख श्री अनिल कुमार वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी श्री विजयंत कुमार सिंह/श्री हेमंत कुमार यादव व लेखाकार श्री प्रेमचंद्र / श्री उमेश चन्द्र पूर्णतया उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या-25 धनराशि रू॰ 11885481.00)

जनपद- सुलतानपुर

प्रारूप-3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष- 2021-22 आवंटन वर्ष- 2022-23

मण्डल का नाम- अयोध्या जनपद- सुलतानपुर

क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियां-

प्रस्तर-1 :

क्षेत्र पंचायत -अखंडनगर , जनपद सुल्तानपुर - क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों पर उक्तानुसार ठेकेदार को भुगतान के पूर्व नियमानुसार कर्मकार कल्याण श्रम उपकर की कटौतियां करके उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को भुगतान किया जाना चाहिये था परन्तु क्षेत्र पंचायत अखण्डनगर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-2022 में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों पर ठेकेदार को भुगतान के पूर्व नियमानुसार उनके बिलों से उपकर की कटौतियां नहीं की गई हैं जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	योजना का नाम	निर्माण कार्य का नाम	बिल/लागत धनराशि	लेबर सेस कटौती जो की जानी थी	उत्तरदाई व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6
1	राज्य वित्त योजना	ग्राम फरीदपुर पुरवा मोकलपुर में बरसातू यादव के घर से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तक मिट्टी खड़न्जा कार्य	1600000.00	1600000.	खण्ड विकास अधिकारी श्री रविशंकर पाण्डेय एवं लेखाकार श्री वीर सिंह भारती
2	15वां वित्त आयोग	ग्राम रतनपुर में सार्वजनिक शौचालय से राजमणि के चक तक इण्टरलाकिंग कार्य	956457.00	9565.00	खण्ड विकास अधिकारी श्री रविशंकर पाण्डेय एवं लेखाकार श्री वीर सिंह भारती
		ग्रामसभा नरायनपुरकला पुरवा दादूपुर पिचरोड से उमाशंकर दूबे के घर से होते हुये सुशील दूबे एवं भानुप्रताप के घर तक इण्टरलाकिंग नाली निर्माण कार्य	522623.00	5226.00	,, ,,
		दादूपुर विन्दराज दूबे के घर से नरायनपुर सरहद तक मिट्टी खड़न्जा कार्य का अवशेष भाग	160882.00	1609.00	,, ,,
		अहिरीफिरोजपुर अनिल तिवारी के घर से हौसिला प्रसाद के घर होते हुये रामनगर सोठिया तक मिट्टी खड़न्जा कार्य	292785.00	2928.00	,, ,,

		शाहगंज मालीपुर मार्ग से दायें ग्राम कलान महेन्द्र यादव के चक तक मिट्टी खड़न्जा कार्य	507848.00	5078.00	,, ,,
		ग्रामसभा बरामदपुर पिचरोड से शेषमणि के चक से रामलवट के चक तक मिट्टी खड़न्जा कार्य	379396.00	3794.00	,, ,,
		विकासखण्ड परिसर में अभिलेखागार कक्ष का निर्माण कार्य	828184.00	8282.00	,, ,,
		ग्राम बड़ौरा अखण्डनगर कादीपुर पिचरोड से रवीन्द्र मिश्रा के ट्यूबवेल होते हुये फतेह बहादुर के चक तक मिट्टी खड़न्जा कार्य	243417.00	2434.00	,, ,,
		मरूई सुबरन के घर से रामचन्दर के घर होते हुये रमेश अनुसूचित जाति बीरी हाजीपुर सरहद तक मिट्टी खड़न्जा कार्य	159921.00	1599.00	,, ,,
		ग्रामसभा नरायनपुरकला पुरवा दादूपुर पिचरोड से उमाशंकर दूबे के घर से होते हुये सुशील दूबे एवं भानुप्रताप के घर तक इण्टरलाकिंग नाली निर्माण कार्य	326556.00	3266.00	खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती इन्द्रावती वर्मा एवं लेखाकार श्री राजकुमार
3	पूर्वांचल विकास निधि	ग्राम बारी सहिजन में ब्रह्मवीर बाबा के स्थान से रामबली निषाद के घर तक पक्की नाली निर्माण कवर सहित एवं इण्टरलाकिंग कार्य	1330306.00	13303.00	खण्ड विकास अधिकारी श्री रविशंकर पाण्डेय एवं लेखाकार श्री वीर सिंह भारती
		ग्राम बारी सहिजन में जफरपुर ड्रेन से ग्रामीण बैंक के सामने होते हुये हरखाली हरिजन के घर तक इण्टरलाकिंग नाली निर्माण कार्य	898029.00	8980.00	,, ,,
			योग	**82064.00**	

इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिनियम, नियमावली के प्रावधानों तथा शासनादेश द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों पर श्रम उपकर कटौतियां न करके गम्भीर असावधानी बरती गई है जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को धनराशि रु 82064.00 की हानि हुई है । उक्त धनराशि रु 82064.00 को उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा **(**खण्ड विकास अधिकारी श्री रविशंकर पाण्डेय द्वारा धनराशि रू 39399.00, खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती इन्द्रावती वर्मा द्वारा धनराशि रू 1633.00, लेखाकार श्री वीर सिंह भारती द्वारा धनराशि रू 39399.00 तथा लेखाकार श्री राजकुमार द्वारा धनराशि रू 1633.00**)** अद्यावधि ब्याज सहित उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 :

क्षेत्र पंचायत -अखंडनगर , जनपद सुल्तानपुर -लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अनुरक्षित क्षेत्र पंचायत अखण्डनगर की वर्ष 2021-22 की कैश बुक/बाउचरवार समरी रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 27.09.2021 को पंचम राज्य वित्त खाते से कराये गये कार्य रामपुर जरिया पिचरोड के आगे जिला पंचायत खड़न्जा से मिश्रपुर ढेकहा प्रधानमंत्री सड़क तक मिट्टी खड़न्जा कार्य (आई.डी.-52042240) हेतु ठेकेदार घनश्याम त्रिपाठी को धनराशि रू 52650.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त खाता सं0-11523608821 के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार भी दिनांक 28.09.2021 को उक्त खाते से धनराशि रू 52650.00 का भुगतान किया गया है। परन्तु ग्रांट रजिस्टर-2 में राज्य वित्त खाते के अन्तर्गत उक्त कार्य पर धनराशि रू 52650.00 का कोई भुगतान दर्शित नहीं है। प्रस्तुत कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु ठेकेदार दिनेश कुमार मिश्रा का टेण्डर स्वीकृत किया गया था तथा उनके द्वारा कार्य से सम्बन्धित समस्त भुगतान प्राप्त किये गये हैं। उक्त कार्य में धनराशि रू 52650.00 का कोई भुगतान अपेक्षित नहीं था। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु ठेकेदर घनश्याम त्रिपाठी को धनराशि रु 52650.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिससे क्षेत्र पंचायत को हानि हुई है;जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179-(1) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है,जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती इन्द्रावती वर्मा तथा लेखाकार श्री राजकुमार उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि रु 52650.00 का उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती इन्द्रावती वर्मा द्वारा धनराशि रू 26325.00 तथा लेखाकार श्री राजकुमार द्वारा धनराशि रू 26325.00 अद्यावधि ब्याज सहित भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 :

क्षेत्र पंचायत -अखंडनगर , जनपद सुल्तानपुर -लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अनुरक्षित क्षेत्र पंचायत अखण्डनगर की वर्ष 2021-22 की कैश बुक/बाउचरवार समरी रिपोर्ट के अनुसार पंचम राज्य वित्त खाते से कराये गये उनुरखा में कृष्णकान्त तिवारी के घर के सामने पुलिया एवं खड़न्जा निर्माण कार्य (आई.डी.-54442519) हेतु दिनांक 27.09.2021 को पवन इन्टरप्राइजेज को धनराशि रु 50063.00 एवं दिनांक 28.09.2021 को खण्ड विकास अधिकारी को धनराशि रू 7572.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त खाता सं0-11523608821 के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार भी दिनांक 28.09.2021 को उक्त धनराशियों का भुगतान किया गया है। परन्तु ग्रांट रजिस्टर-2 में राज्य वित्त खाते के अन्तर्गत उक्त कार्य पर धनराशि रू 50063.00 का भुगतान किसी अन्य कार्य पर तथा धनराशि रू 7572.00 का भुगतान लेबर सेस मद में दर्शित है जिससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही। उनुरखा में कृष्णकान्त तिवारी के घर के सामने पुलिया एवं खड़न्जा निर्माण कार्य की प्रस्तुत पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु ठेकेदार सचिन कांस्ट्रक्शन का टेण्डर स्वीकृत किया गया था तथा उनके द्वारा कार्य से सम्बन्धित समस्त भुगतान प्राप्त किये गये हैं। उक्त कार्य में धनराशि रू 50063.00 एवं रू 7572.00 का कोई भुगतान अपेक्षित नहीं था। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु धनराशि रु 57635.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिससे क्षेत्र पंचायत को हानि हुई है;जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179-(1) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है,जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती इन्द्रावती वर्मा तथा लेखाकार श्री राजकुमार उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि रु 57635.00 का उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती इन्द्रावती वर्मा द्वारा धनराशि रू 28817.50 तथा लेखाकार श्री राजकुमार द्वारा धनराशि रू 28817.50 अद्यावधि ब्याज सहित भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 :

क्षेत्र पंचायत -अखंडनगर , जनपद सुल्तानपुर -लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अनुरक्षित क्षेत्र पंचायत अखण्डनगर की वर्ष 2021-22 की कैश बुक/बाउचरवार समरी रिपोर्ट के अनुसार पंचम राज्य वित्त खाते से कराये गये रतनपुर से सेल्हूपारा गोपुआ पिचरोड से राघवराम पाण्डेय के घर तक मिट्टी खड़न्जा कार्य (आई.डी.-54442538) हेतु दिनांक 27.09.2021 को ठेकेदार दिनेश कुमार मिश्रा को धनराशि रू 32991.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त खाता सं0-

11523608821 के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार भी दिनांक 28.09.2021 को उक्त धनराशि का भुगतान किया गया है। ग्रांट रजिस्टर-2 में राज्य वित्त खाते के अन्तर्गत उक्त कार्य पर धनराशि रू 32991.00 का भुगतान जमानत सहित किसी अन्य व्यय पर दर्शित है जो अस्पष्ट रहा। लेखा परीक्षा में रतनपुर से सेल्हूपारा गोपुआ पिचरोड से राघवराम पाण्डेय के घर तक मिट्टी खड़न्जा कार्य की प्रस्तुत पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु ठेकेदार दिनेश कुमार मिश्रा का टेण्डर स्वीकृत किया गया था तथा उनके द्वारा कार्य से सम्बन्धित धनराशि रू 101887.00 का भुगतान विगत वर्ष में ही प्राप्त किया जा चुका है केवल बिल से काटी गई जमानत की धनराशि रू 7991.00 का भुगतान किया जाना शेष था। जिसके सापेक्ष उन्हें दिनांक 27.09.2021 को धनराशि रू 32991.00 का भुगतान किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि ठेकेदार दिनेश कुमार मिश्रा को जमानत वापसी के रूप में धनराशि रू 25000.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिससे क्षेत्र पंचायत को हानि हुई है; जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179-(1) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती इन्द्रावती वर्मा तथा लेखाकार श्री राजकुमार उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि रु 25000.00 का उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती इन्द्रावती वर्मा द्वारा धनराश रू 12500.00 तथा लेखाकार श्री राजकुमार द्वारा धनराशि रू 12500.00 अद्यावधि ब्याज सहित भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 :

क्षेत्र पंचायत -अखंडनगर , जनपद सुल्तानपुर -लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अनुरक्षित क्षेत्र पंचायत अखण्डनगर की वर्ष 2021-22 की कैश बुक/बाउचरवार समरी रिपोर्ट के अनुसार पंचम राज्य वित्त खाते से कराये गये उनुरखा डिहवा में हौसिला प्रसाद तिवारी के घर के सामने पुलिया निर्माण एवं मिट्टी खड़न्जा कार्य (आई.डी.-54442524) हेतु दिनांक 27.09.2021 को सचिन कांस्ट्रक्शन को धनराशि रू 16396.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त खाता सं0-11523608821 के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार भी दिनांक 28.09.2021 को उक्त धनराशि का भुगतान किया गया है। ग्रांट रजिस्टर-2 में राज्य वित्त खाते के अन्तर्गत उक्त भुगतान फरीदपुर डौडीपुर प्रधानमंत्री सड़क से राम अहंकार मिश्रा के घर होते हुये नगरी सरहद तक मिट्टी खड़न्जा कार्य हेतु दर्शित है।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत उक्त दोनों कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उक्त व्यय किसी भी कार्य से सम्बन्धित नहीं थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सचिन कान्स्ट्रक्शन को धनराशि रू 16396.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिससे क्षेत्र पंचायत को हानि हुई है; जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179-(1) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती इन्द्रावती वर्मा तथा लेखाकार श्री राजकुमार उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि रु 16396.00 का उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती इन्द्रावती वर्मा द्वारा धनराश रू 8198.00 तथा लेखाकार श्री राजकुमार द्वारा धनराशि रू 8198.00 अद्यावधि ब्याज सहित भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 :

क्षेत्र पंचायत -अखंडनगर , जनपद सुल्तानपुर -लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अनुरक्षित क्षेत्र पंचायत अखण्डनगर की वर्ष 2021-22 की कैश बुक/बाउचरवार समरी रिपोर्ट के अनुसार 15वें वित्त आयोग खाते से कराये गये ग्रामसभा नरायनपुरकला पुरवा दादूपुर पिचरोड से उमाशंकर दूबे के घर से होते हुये सुशील दूबे एवं भानु प्रताप के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य (आई.डी.-50270058) हेतु दिनांक 18.09.2021 को आयकर व जी.एस.टी. कटौती की कुल धनराशि रू 13063.00 को खण्ड विकास अधिकारी के खाते में ट्रांसफर किया गया है तथा दिनांक 27.09.2021 को ठेकेदार घनश्याम त्रिपाठी को भी धनराशि रू 13063.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत केन्द्रीय वित्त खाता सं0-39529955566 के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार 15 वें वित्त खाते से धनराशि रू 13063.00 का भुगतान दिनांक 20.09.2021 एवं दिनांक 28.09.2021 को दो बार किया गया है। ग्रांट रजिस्टर-2 में केन्द्रीय वित्त खाते के अन्तर्गत धनराशि रू 13063.00 का भुगतान दिनांक 18.09.2021 को केवल एक बार ही भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य के द्वितीय बिल से आयकर व जी.एस.टी.कटौती की कुल धनराशि रू 13063.00 थी जिसे खण्ड विकास अधिकारी के खाते में ट्रांसफर किया गया है। ठेकेदार घनश्याम

त्रिपाठी को धनराशि रू 13063.00 का भुगतान त्रुटिपूर्ण रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि ठेकेदार घनश्याम त्रिपाठी को धनराशि रू 13063.00 का अधिक भुगतान किया गया है जिससे क्षेत्र पंचायत को हानि हुई है; जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179-(1) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती इन्द्रावती वर्मा तथा लेखाकार श्री राजकुमार उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि रु 13063.00 का उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती इन्द्रावती वर्मा द्वारा धनराशि रू 6531.50 तथा लेखाकार श्री राजकुमार द्वारा धनराशि रू 6531.50 अद्यावधि ब्याज सहित भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तरः7

क्षेत्र पंचायत -अखंडनगर , जनपद सुल्तानपुर -लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत द्वारा 15वें वित्त आयोग योजना से विकासखण्ड परिसर में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग हाल का निर्माण कार्य (आई.डी.-58507746) कराया गया है। प्रस्तुत कार्य पत्रावली में संलग्न द्वितीय रनिंग जे.ई.बिल दिनांक 09.03.2022 के अनुसार बिल लागत धनराशि रू 452508.00 निर्धारित की गई थी जिसमें से आयकर, जी.एस.टी., लेबर सेस एवं जमानत कटौतियों की कुल धनराशि रू 59821.00 घटाकर धनराशि रू 392687.00 का भुगतान दिनांक 21.03.2022 को किया गया है। जांच में पाया गया कि उक्त द्वितीय रनिंग जे.ई.बिल दिनांक 09.03.2022 में बिल से सम्बन्धित कार्य की माप जे.ई. श्री प्रदीप कुमार द्वारा मापी संख्या-58 के पृष्ठ संख्या 53 पर अंकित किया जाना दर्शित रहा। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मापी संख्या-58 के पृष्ठ संख्या 52-53 पर जे.ई. श्री प्रदीप कुमार द्वारा दिनांक 05.02.2022 को अंकित मापी के अनुसार अब तक कराये गये कार्य की कुल लागत (जी.एस.टी.की धनराशि जोड़कर)453110.45 निर्धारित की गई थी। मापी के अनुसार उक्त धनराशि में से पृष्ठ संख्या 34 पर अंकित प्रथम मापी लागत धनराशि रु 253595.90 को घटाकर धनराशि रू 199514.55 का ही भुगतान बिल प्रस्तुत किया जाना था, परन्तु धनराशि रू 452508.00 का बिल प्रस्तुत कर भुगतान की कार्यवाही की गई। आनलाइन ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अनुरक्षित क्षेत्र पंचायत अखण्डनगर की वर्ष 2021-22 की कैश बुक/बाउचर वार समरी रिपोर्ट के अनुसार मापी संख्या-58 के पृष्ठ संख्या 34 पर अंकित प्रथम मापी एवं पत्रावली में संलग्न प्रथम रनिंग बिल के सापेक्ष 15वें वित्त आयोग खाते से दिनांक 02.02.2022 को ही गायत्री कान्स्ट्रक्शन को धनराशि रू 220594.00 एवं खण्ड विकास अधिकारी खाते में कटौतियों की धनराशि रू 32965.00 का भुगतान किया जा चुका था। इस प्रकार मापी लागत से धनराशि रू 252993.45 का अधिक बिल प्रस्तुत कर अनियमित भुगतान किया गया जिसके लिये जिसके लिए जे.ई. श्री प्रदीप कुमार**,** लेखाकार श्री जीतूराम एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री राम प्रताप पाण्डेय उत्तरदायी हैं।उक्त अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत(बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179-2(क) के अन्तर्गत उत्तरदाई व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-8

क्षेत्र पंचायत - कुरेभार , जनपद सुल्तानपुर - वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि निम्न कार्यो पर दोषपूर्ण टेण्डर प्रक्रिया अपनायी गयी है-

क्रम सं0	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि (रु)	टेण्डर आमंत्रण तिथि	टेण्डर खोलने की तिथि
1	देवकली गांव से भगवानपुर पिच रोड तक खडंजा मरम्म्त कार्य	421158.00 (सामग्री) 448848.00 (मजदूरी)	22.02.21	24.02.21
2	सुदनापुर इनायतपुर पिच रोड से शैलेंद्र के घर होते हुए तालाब तक नाली निर्माण कार्य	111853.00	22.02.21	24.02.21
3	मुन्नीलाल के घर से मुनाऊ के चक तक खडंजा निर्माण	207706.00 (सामग्री) 88104.00 (मजदूरी)	22.02.21	24.02.21
4	डब्ल्यू सिंह की राइस मिल से	373299.00 (सामग्री)	22.02.21	24.02.21

	प्राइमरी तक खडंजा मरम्मत	406946.00 (मजदूरी)		
5	बरमदेव के घर से श्रीपति यादव के घर तक खडंजा निर्माण	335013.00 (सामग्री) 254260.00 (मजदूरी)	22.02.21	24.02.21
	कुल धनराशि	**2647187.00**		

उपरोक्त समस्त कार्यो की निर्माण पत्रावली की जांच मे पाया गया कि किसी भी कार्य पत्रावली मे समाचार पत्र मे टेण्डर आमंत्रण की छायाप्रति संलग्न नही रही , जिससे यह पुष्टि नही हो सकी कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 19 का पालन किया गया है या नही। पत्रावली मे टेण्डर आमत्रण हेतु खण्ड विकास अधिकारी का आदेश (छायाप्रति संलग्न) संलग्न रहा। आदेश के अनुसार टेण्डर आमंत्रण दिनांक 22.02.21 व टेण्डर खोलने का दिनांक 24.02.21 है। मात्र तीन दिवस मे टेण्डर खोलकर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 का उल्लंघन कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। दोषपूर्ण टेण्डर प्रक्रिया अपनाकर खण्ड विकास अधिकारी श्री संदीप सिंह व लेखाकार श्री काली प्रसाद द्वारा रु 2647187.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1965 के अधिभार नियम 179(2क) के अन्तर्गत उचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जनपद -आजमगढ़ मण्डल - आजमगढ़

प्रारूप -3

क्षेत्र पंचायत -जहानागंज

लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21 से 2021-22

प्रस्तर -1 आलोच्य वर्ष 2020-21 और 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ योजनाओं में 01-04-2020 को अवशेष धनराशि यथावत 31-01-2022 तक संस्था पर अवरुद्ध रही है | फरवरी 2022 में इन मदों में अवरुद्ध धनराशियाँ समाप्त कर दी गयी है | इस प्रकार अवरुद्ध धनराशियों का विवरण निम्नवत है -

क्र०स०	योजना का नाम	01-04-2020से31-01-2022 तक अवरुद्ध की गई धनराशि (रु०)
1-	आवास कांटीजेंसी	3820.00
2-	मंरेगा योजना	2599.00
3-	आंगनवाडी केंद्र निर्माण	200000.00
	योग	206419.00

इसप्रकार कुल धनराशि रु०206419.00दो वर्षो तक संस्था पर रोककर वित्तीय अनियमितता की गयी है |जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री बाबुराम पाल एवं श्री विकास शुक्ल तथा तत्कालीन लेखाकार श्री पंकज सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे है |

प्रस्तर -2 आलोच्य वर्ष 2020-21और 2021-22 की लेखा परीक्षा में देखा गया है कि आयकर मद में 01-04-2020 से 31-03-2022 तक प्रायः प्रत्येक माह में प्राप्तियां हुई है |इसप्रकार आयकर मद में 31-01-2022 तक कुल रु० 413053.00 कुल प्राप्ति हुई है |01-04-2020 से 31-01-2022 आयकर विभाग के मद में वापस धनराशि शून्य रही है |फरवरी 2022 को सम्पूर्ण धनराशि वापस करके 31-03-2022 को आयकर मद में शून्य धर्षित किया गया है | इसप्रकार दो वर्षो तक आयकर की धनराशियाँ संस्था पर अवरुद्ध करके वित्तीय अनियमितता की गयी है |उक्त अवरुद्ध धनराशि पर 12% दण्डात्मक ब्याज के साथ आयकर विभाग में वापस करना चाहिए था ,किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। संस्था द्वारा अवरुद्ध आयकर धनराशि पर 12%की दर से आगणित आयकर पर ब्याज निमन्वत है

क्रम सं	रोकी गयी धनराशि	अवधि जितने समय तक धनराशि संस्था पर रोकी गयी(माह)	वार्षिक ब्याज की दर	आगणित ब्याज की धनराशि
1.	5558.00	20 माह	12%	1111.60
2.	18326.00	19 माह	12%	3481.00
3.	14983.00	18 माह	12%	2696.94
4.	19060.00	20 माह	12%	3240.00
5.	19403.00	19 माह	12%	3104.48
6.	12422.00	18 माह	12%	1863.30
7.	19380.00	20 माह	12%	2713.20
8.	54924.00	19 माह	12%	6590.88
9.	10483.00	18 माह	12%	1257.96
10.	69502.00	20 माह	12%	1257.22
11.	3950.00	19 माह	12%	316.00
12.	3062.00	18 माह	12%	214.00
13.	14406.00	20 माह	12%	864.36
14.	6712.00	19 माह	12%	335.00
15.	34997.00	18 माह	12%	1399.00
16.	53624.00	20 माह	12%	1608.72
17.	48156.00	19 माह	12%	963.12
18.	52261.00	18 माह	12%	522.61
			योग	39929.41

अतः आयकर पर कुल आगणित ब्याज की धनराशि रू0 39929.00 है । जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबुराम पाल (01.04-2020 से 04.11.2021) एवं श्री विकास शुक्ल (04.11.2021 से 31.03.2022)तथा तत्कालीन लेखाकार श्री पंकज सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे है । जिसकी वसूली क्रमशः खण्ड विकास अधिकारी श्री बाबुराम पाल (01.04-2020 से 04.11.2021) एवं श्री विकास शुक्ल (04.11.2021 से 31.03.2022) तथा तत्कालीन लेखाकार श्री पंकज सिंह से 50%-50%किया जाये ।

प्रस्तर-3 आलोच्य वर्ष 2020-21और 2021-22 की लेखा परीक्षा में देखा गया है कि मनरेगा कंटीजेंसी मद में 31-03-2021 से 31-01-2022 तक रु० 801630.00 अवरुद्ध रहा है | जनवरी 2022 तक रु० 50000.00 और प्राप्त हुए है परन्तु रु० 46200.00 ही व्यय हुए है |एक वर्ष तक रु० 801630.00 संस्था पर रोक कर अनियमितता की गयी है | जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री बाबुराम पाल एवं श्री विकास शुक्ल तथा तत्कालीन लेखाकार श्री पंकज सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे है |

प्रस्तर -4 आलोच्य वर्ष 2020-21 से 2021-22 में गोवंश आश्रय स्थल मद पर क्रमशः रु० 1797700.00 एवं 3659000.00 (जो कुल रु० 5456700.00) व्यय किया गया है, अनुदान रजिस्टर-III में दर्शित है | परन्तु बार-2मांगने के बावजूद इस व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये |जिससे उनकी लेखा परीक्षा नहीं की जा सकी |व्यय प्रमाणको के आभाव में व्यय की गयी समस्त धनराशि रु० 5456700.00 अपहरण की श्रेणी में आती है | उक्त धनराशियो की वसूली हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री बाबुराम पाल एवं श्री विकास शुक्ल तथा तत्कालीन लेखाकार श्री पंकज सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे है |

2-क्षेत्र पंचायत -तहबरपुर

लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21 से 2021-22

प्रस्तर -5 आलोच्य वर्ष 2020-21और 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 2020-21 में आयकर और जी0 एस0 टी0 की वर्ष पर्यन्त कटौती न करके माह मार्च-2021में एक साथ आयकर में रु०241502.00एवं जी0 एस0 टी0 में रु० 303744.00कटौती से आय दर्शित है | कटौतियों से प्राप्त आय 9 माह बाद दिसंबर -2021 में संबंधित मदों में जमा किया गया है |इस प्रकार समय से कटौती न करके तथा काफी विलम्ब से कटौती की कुल अनियमित धनराशि रु० 545246.00 साथ अनियमित ढंग से जमा किया गया है |उक्त अनियमित जमा धनराशि रु० 545246.00 बिलम्ब से जमा कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है | जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती नीलिमा गुप्ता एवं तत्कालीन लेखाकार श्री राजेश यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे है |

प्रस्तर -6 आलोच्य वर्ष 2020-21और 2021-22 की लेखा परीक्षा में देखा गया है कि मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत माह मार्च-2021 रु० 150160.00 प्राप्त हुआ | वर्ष 2021-22 में उक्त योजना अंतर्गत 411232.00 प्राप्त हुआ | मार्च-2022 तक इस मद में कुल रु०203970.00 व्यय किया गया है | इस प्रकार से वर्षान्त में रु० 357422.00 अवशेष रहा | उक्त से स्पष्ट है कि 31-03-2021 को प्राप्त धनराशि को 31-03-2022 तक उपयोग नहीं किया गया है |साथ ही यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2021-22 में प्राप्त अनुदान की आधी धनराशि ही व्यय की गई है |प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग न किये जाने के फलस्वरूप जनता को इससे मिलाने वाले लाभ से बंचित होना पड़ा |उक्त अनियमित धनराशि के प्रति तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती नीलिमा गुप्ता एवं तत्कालीन लेखाकार श्री राजेश यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है |

प्रस्तर -7 आलोच्य वर्ष 2020-21 से 2021-22 में गोवंश आशय स्थल मद पर क्रमशः रु० 188533.00 एवं 1032095.00 (जो कुल रु० 1220628.00) व्यय किया गया है, अनुदान रजिस्टर-III में दर्शित है | परन्तु बार-2मांगने के बावजूद अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये | जिससे उनकी लेखा परीक्षा नहीं की जा सकी |व्यय प्रमाणको के आभाव में व्यय की गयी धनराशी अपहरण की श्रेणी में आती है | उक्त धनराशियो की वसूली हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती नीलिमा गुप्ता एवं तत्कालीन लेखाकार श्री राजेश यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है |

3-क्षेत्र पंचायत -पवई

लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर -8 आयकर-कटौती' शीर्ष के अंतर्गत रु० **20464.00** की धनराशि 'ग्रान्ट रजिस्टर-तृतीय' में पिछले वित्तीय वर्ष से अवशेष के रूप में दर्शित है, जिसे निर्धारित समयान्तर्गत राजकोष में जमा न करके गंभीर अनियमितता की गयी है | नियमतः आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि को लेखाशीर्ष-21 में जमा किये जाने के लिए संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे | यदि काटी गयी आयकर की धनराशि को निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कराने में असमर्थ रहते हैं या विलम्ब से जमा कराया जाता है, तो 15 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज के दायी होंगे | यह ब्याज आयकर काटने की तिथि से सरकारी खजाने में जमा कराये जाने की तिथि तक लगाया जायेगा | अतः 'आयकर-कटौती' शीर्ष के अंतर्गत रु० 20464.00 की धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत राजकोष में जमा न करके और पिछले वित्तीय वर्ष से संस्था पर रोक कर रखने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार उत्तरदायी हैं |

प्रस्तर-9 'जी0एस0टी0' कटौती शीर्ष के अंतर्गत रु० **13805.00** 'ग्रान्ट रजिस्टर-तृतीय' में अंतिम अवशेष के रूप में दर्शित है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से यथावत चला आ रहा है | उपरोक्त जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि रु० **13805.00** को समयान्तर्गत राजकीय कोष में जमा न कर गंभीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी और लेखाकार उत्तरदायी हैं | उक्त धनराशि पर दंडात्मक ब्याज का आगणन करते हुए 'जी0एस0टी0' की धनराशि दंडात्मक ब्याज सहित सम्बंधित शीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित है |

4-क्षेत्र पंचायत - ठेकमा

लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21 से 2021-22

प्रस्तर -10 जी एस टी एक्ट 2017 की धारा 51 के अनुसार 2% की दर से सोत्र पर कटौती व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दिनांक 01.10.2018 से प्रभावी है दिनांक 31.03.2020 से 31.03.2022 तक जी0एस0टी0 मद मे रू0 15112.00 अपने पास रोक कर रखा गया है। जोकि गम्भीर आपत्तिजनक रहा। इस धनराशि रू0 15112.00 पर दंडात्मक व्याज सहित तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी- श्री प्रेम चन्द्र राम , श्री आजम अली ,श्री अखिलेश कुमार मिश्र एवं लेखाकार- श्री सुनील अग्रवाल उत्तरदायी रहे।

5-क्षेत्र पंचायत - तरवाँ

लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21 से 2021-22

प्रस्तर -11 दिनांक 31.03.2022 को विभिन्न मदों में रू0 423838.00 को अवशेष रखा गया है। अनुदान को रोके जाने का कोई कारण भी लेखा परीक्षा में स्पष्ट नही किया गया है। जो सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 212(5) के विरूद्ध रहा। प्राप्त अनुदानों क समय से उपभोग न किये जाने के कारण जनता को इससे मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा | साथ ही साथ निर्माण की लागत बढ़ जाने के कारण जनता को मिलने वाले लाभ में आगे भी कमी आयेगी जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी- श्री राजीव वर्मा , श्री भीमराव प्रसाद एवं लेखाकार- श्री निखिल अग्रवाल उत्तरदायी रहे |

क्र0सं0	योजना का नाम	वर्षान्त में शेष
1.	प्रधान मन्त्री आवास	106323.00
2..	आंगनबाडी	266722.00
3-	विधायक निधि	50793 -00
	योग	423838-00

6-क्षेत्र पंचायत - रानी की सराय

लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21 से 2021-22

प्रस्तर -12 जी०एस०टी० एवं आयकर की कटौती की धनराशि को समयान्तर्गत जमा किया जाना था लेकिन ऐसा नही किया गया है। दिनांक 31.03.2022 को आयकर कटौती की धनराशि रू0 256421.00 तथा जी०एस०टी० कटौती की धनराशि रू0 256338.00 अवशेष रहा | धनराशि 01.04.21 से यथावत चली आ रही है। उक्त को संबंधित शीर्ष में जमा नहीं कर गंभीर अनियमितता की गई जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्रीमती कल्पना मिश्र, श्री विजय कुमार पाण्डेय तथा लेखाकार श्री राजेश श्रीवास्तव उत्तरदाई है। उक्त धनराशि पर दंडात्मक व्याज का आगणन करते हुए व्याज की वसूली खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से करते हुए जीएसटी तथा आयकर की धनराशि मय दंडात्मक व्याज संबंधित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर -13 ग्रांट रजिस्टर अनुसार आंगनवाड़ी निर्माण केंद्र की धनराशि रु 28282.00 विगत वर्षों से यथावत चली आ रही है। अनुदान का उपभोग नही हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में अनुदान की धनराशि अनुदान दाता को वापस किया जाना था जो नहीं कर गंभीर अनियमितता की गई जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्रीमती कल्पना मिश्र, श्री विजय कुमार पाण्डेय तथा लेखाकार श्री राजेश श्रीवास्तव उत्तरदाई है। अप्रयुक्त अनुदान रु 28282.00 वापस किया जाना अपेक्षित है ।

7-क्षेत्र पंचायत - मेंहनगर

लेखा परीक्षा वर्ष -2019-20 से 2021-22

प्रस्तर -14 शासनादेश संख्या 1857/33-3-2020-03/2019, निदेशक पंचायती राज को संबोधित के अनुसार व्याज जिस योजना की धनराशि पर अर्जित है उस योजना के अन्तर्गत अनुमान्य कार्यों पर व्यय किया जा सकता है।

क्षेत्र पंचायत मेहनगर की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया की किस योजना के सापेक्ष किस खाते से व्याज अर्जित है इसका कोई विवरण नहीं रखा गया है। अतः यह भी स्पष्ट नहीं हो सका की समस्त अर्जित

व्याज की धनराशियां दर्शित की गई है या नहीं। मात्र अर्जित व्याज मद क शीर्ष दर्शा कर समकित विवरण रखा जाना अनुचित है।

विवरण निम्नलिखित है -

वर्ष	प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में व्यय	वर्षात में शेष
2019-20	517539.37	711819.00	922088.46	307269.91
2020-21	307269.90	657103.00	174.17	964198.74
2021-22	964197.74	670201.00	402287.41	1232111.33
योग	1789008.02	2039123.00	1324550.04	2503580.98

उक्त वर्षों में अर्जित व्याज के सापेक्ष रुपया 1324550-04 अनियमित रूप से व्यय दर्शा कर राजकीय राजस्व की क्षति की गई है। धनराशि रूपया 2503580-98 वास्तविक है की नहीं यह स्थति अस्पष्ट है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री श्री सन्तोष नारायण गुप्ता, श्रीमती कविता तिवारी श्री राजन शुक्ला एवं लेखाकार- श्री शमसुलेन खान जिम्मेदार है।

प्रस्तर -15 क्षेत्र पंचायत मेहनगर में वर्ष 2019-20 में 13 वित्त योजना के अन्तर्गत रु0 1052411.00 व्यय किया गया है जिसकी निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न कर गम्भीर वित्तीय अनियमिता की गई, जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधि० व लेखाकार से कि जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -16 क्षेत्र पंचायत मेहनगर में वर्ष 2020-21 मे चतुर्थ राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत रु0 18765945.00 व्यय किया गया है जिसकी निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न कर गम्भीर वित्तीय अनियमिता की गई, जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधि० व लेखाकार से कि जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -17 क्षेत्र पंचायत मेहनगर में वर्ष 2020-21 मे 5 वें राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत रु0 668069.00 व्यय किया गया है जिसकी निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न कर गम्भीर वित्तीय अनियमिता की गई, जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधि० व लेखाकार से कि जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -18 क्षेत्र पंचायत मेहनगर मे वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त योजना के अन्तर्गत रु0 4358106.00 व्यय किया गया है जिसकी निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न कर गम्भीर वित्तीय अनियमिता की गई, जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधि० व लेखाकार से कि जानी अपेक्षित है।

8-क्षेत्र पंचायत - सठियांव

लेखा परीक्षा वर्ष -2020-21 से 2021-22

प्रस्तर -19 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह मद में दिनांक 01-04-2020 को अनुदान की धनराशि रुपया 66816:00 अवशेष था। वर्ष 2020-21 में रुपया 153000.00 अनुदान प्राप्त हुआ तथा रुपया 153000.00 उपभोग करने के पश्चात् वर्षात रूपया 66816.00 अवशेष रहा। इसीप्रकार वर्ष 2021-22 में उक्त मद में रुपया 510960.00 प्राप्त हुआ तथा रुपया 510960.00 उपभोग करने के पश्चात् दिनांक 31-03-2022 को रुपया 66816.00 अवशेष रहा।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूर्व वर्ष का अवशेष अनुदान रुपया 66816.00 आलोच्य वर्ष 2020-21एवं 2021-22 में उपभोग न करके या वापस / समर्पित न करके अनियमितता की गयी है। पाप्त अनुदान का समय से उपभोग न किये जाने के फलस्वरूप जनता को इससे मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनियमित ढंग से रोकी गयी धनराशि रुपया 66816.00 के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार यादव, सुश्री नीलिमा गुप्ता एवं श्री बाबूराम पाल तथा तत्कालीन लेखाकर श्री जफर मसूद अब्बासी, श्री अनिरुद्ध सिंह और श्री उत्पल कुमार दत्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -20 आलोच्य वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्नलिखित मदों में विगत वर्षों से प्राप्त अनुदान की धनराशियों वर्ष आलोच्य में विना उपभोग के या सम्बन्धित विभाग को समर्पित वापस किये विना यथावत निष्क्रिय पड़ी हुई है। विवरण निम्नवत है-

क्रम सं	मद का नाम	01-04-2020 को अवशेष धनराशि	वर्ष 2020-21 में प्राप्त एवं उपभोग धनराशि	वर्ष 2021-22 में प्राप्त एवं उपभोग धनराशि	31.03.2022 को अवशेष धनराशि
1.	आंगनवाड़ी केंद्र	462090.00	0.00	0.00	462090.00
2.	नि०प० पर्यवेक्षक मानदेय	18750.00	0.00	0.00	18750.00
	योग -	480840.00	0.00	0.00	480840.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 01-04-2020 से आंगनबाड़ी केन्द्र एवं नि० पं० पर्यवेक्षक मानदेय मद की कुल धनराशि रूपया 480840.00 बिना उपभोग किये निष्क्रिय पड़ी हुई है। अनियमित ढंग से रोककर रखी गयी कुल धनराशि रूपया 480840.00 के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार यादव, सुश्री नीलिमा गुप्ता एवं श्री बाबूराम पाल तथा तत्कालीन लेखाकार श्री जफर मसूद अब्बासी, श्री अनिरुद्ध सिंह और श्री उत्पल कुमार दत्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

9-क्षेत्र पंचायत - मिर्जापुर

लेखा परीक्षा वर्ष - 2021-22

प्रस्तर -21 आलोच्य वर्ष में विधायक निधि में व्यय धनराशि रु0 360276/- रु० है। जिससे संबंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय अनियमित रहा । उक्त अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कल्पना मिश्रा, श्रीमती नीलिमा गुप्ता, श्री राम बेलास एवं लेखाकार श्री बृजेश कुमार चौरसिया उत्तरदायी है।

10-क्षेत्र पंचायत - अहिरौला

लेखा परीक्षा वर्ष - 2021-22

प्रस्तर -22 जी ० एस० टी० एक्ट 2017 की धारा 51 के अनुसार 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौती व्यवस्था उत्तर प्रदेश में प्रभावी है दिनांक 31-03-2022 को जी० एस० टी०मद में रुपया 391171.00 अपने पास रोककर रखा गया जबकि उक्त धनराशि राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार गंभीर अनियमितता की गयी जिसकी वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार विन्द व लेखाकार श्री महेंद्र सिंह व राजकुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -23 आलोच्य वर्ष 2021-22 में पंचम राज्य वित्त योजना के अंतर्गत रुपया 1643776.00 व्यय किया गया है जबकि लेखा परीक्षा में रुपया 1343776.00की निर्माण पत्रावली प्रस्तुत की गयी इस प्रकार रुपया 300000.00 की निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसकी वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार विन्द व लेखाकार श्री महेंद्र सिंह व राजकुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -24 आलोच्य वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवां वित्त योजना के अंतर्गत रुपया 1087520.00 व्यय किया गया जबकि लेखा परीक्षा में रुपया 887520.00 निर्माण पत्रावली प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार रुपया 200000.00 की निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसकी वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार विन्द व लेखाकार श्री महेंद्र सिंह व राजकुमार से किया जाना अपेक्षित है।

11-क्षेत्र पंचायत - हरैया

लेखा परीक्षा वर्ष - 2021-22

प्रस्तर -25 आलोच्य वर्ष में जी० एस० टी० ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार वर्ष में 01-04-2021-22 में प्राप्त रु0 361551.00 रहा | तथा व्यय रु0 170784.00 रहा इस प्रकार अन्तिम अवशेष रु० 190767.00 लेखा परीक्षा के अनुसार होना चाहिए । जब कि लेखाकार द्वारा प्रस्तुत ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय के अनुसार अन्तिम अवशेष शून्य दर्शित किया गया है। अतः रु0 190767.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली लेखाकार - श्री राजेश्वर प्रसाद, खण्ड विकास अधिकारी इरसाद अहमद, श्री ओम प्रकाश सिंह से जांचोपरांत की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -26 आगनबाड़ी का प्रारम्भिक अवशेष रु0 529755.00 तथा वी० आर० जी० एफ० का अवशेष प्रारम्भिक रु0 107400.00 दर्शित है । तथा अन्तिम अवशेष यथावत ग्रान्ट रजिस्टर तृतीय में दर्शित है। जिसे संबन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है ।

क्रम सं	योजना का नाम	धनराशि
1.	आंगनवाड़ी	529755.00
2.	वी० आर० जी० एफ०	107400.00
	योग	637155.00

12-क्षेत्र पंचायत - महराजगंज

लेखा परीक्षा वर्ष - 2021-22

प्रस्तर -27 आलोच्य वर्ष में आयकर / जी० एस० टी० मद में रुपया 416077.00 की प्राप्ति हुई। पूर्व वर्षों का अवशेष रुपया 398212.00 था। वर्ष आलोच्य में आयकर जी एस टी की धनराशि सम्बंधित विभाग में जमा नहीं किया गया। इसप्रकार वर्षात रुपया 814289.00 जमा हेतु अवशेष रहा। आयकर / जी० एस टी० का अलग-अलग विवरण भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त से स्पष्ट है, कि अलग अलग विवरण प्रस्तुत न करके तथा आयकर / जी० एस० टी० की धनराशि सम्बंधित विभाग । हेड में जमा न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। जो कि अनियमितता का द्योतक है। इसप्रकार उक्त धनराशि रुपया 814289.00 को अनियमित ढंग से रोककर संस्था में रखे जाने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार मिश्र एवं श्रीमती विमला चौधरी तथा लेखाकार श्री पवन कुमार श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -28 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया की शादी अनुदान मद में दिनांक 01-04-2021 को रुपया 148769.60 अवशेष था। वर्ष 2021-22 में रुपया 5186000.00 प्राप्त हुआ। तथा रुपया 5151000.00 उपभोग करने के पश्चात् रुपया 183769.60 अवशेष रहा। जिससे प्रतीत होता है, की पूर्व वर्ष का शेष अनुदान 148769.60 एवं वर्ष आलोच्य में प्राप्त अनुदान में से रुपया 35000.00 का उपभोग नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि पूर्व वर्षों की अवशेष धनराशि रुपया 148769.60 का उपभोग न करके या समर्पित न करके अनियमितता की गयी है। प्राप्त अनुदान का समय से उपभोग न किये जाने के फलस्वरूप जनता को इससे मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा ।

अतः गत वर्ष से उक्त अनियमित ढंग से रोकी गयी धनराशि रुपया 148769.60 के प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार मिश्र एवं श्रीमती विमला चौधरी तथा लेखाकार श्री पवन कुमार श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -29 आलोच्य वर्ष में जीप अनुरक्षण मद में रुपया 19700.00 विगत वर्ष से यथावत अवशेष दर्शित है। उक्त अवशेष धनराशि को समय से समर्पित न करके अनियमितता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार मिश्र एवं श्रीमती विमला चौधरी तथा लेखाकार श्री पवन कुमार श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

13-क्षेत्र पंचायत - मार्टिनगंज

लेखा परीक्षा वर्ष - 2021-22

प्रस्तर -30 क्षेत्र पंचायत मार्टिनगंज की वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि आगंनवाडी केन्द निर्माण योजना के अन्तगर्त लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत निर्माण कार्य पत्रावलियों के अनुसार समस्त मस्टर रोल का भुगतान कार्य प्रभारी को किया गया है । कार्य प्रभारी ने श्रमिकों को मजदूरी नकद वितरित किया है जो कि पंचायत राज अनुभाग 7 के शासनादेश संख्या 2686/37/07/2011-752 पं०रा०जी०ए०/2011/लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 का उल्लंघन है जिस के अनुसार कोई भी भुगतान बियरर चेक से न किया जाये साथ ही किसी भी दशा में श्रमिको को नकद भुगतान न किया जाये सिर्फ राष्ट्रीकृत बैंक में खाता का सञ्चालन कर ही भुगतान चेक द्वारा उनके खाता में किया जाये।

क्रमांक	कार्य का विवरण	दी गयी मजदूरी चेक नं व दिनांक	दी गयी मजदूरी धनराशि	कार्य प्रभारी के पक्ष में मजदूरी का चेक निर्गत
1.	आंगनवाड़ी केंद्र ,आमगांव में हैंडपम्प स्थापना	10024526 दि.17.01.22	24248.00	राधेश्याम यादव ,ग्राम पंचायत अधिकारी
2.	आंगनवाड़ी केंद्र देहदुआर में शौचालय व हैण्डपम्प निर्माण	चेक नं 24530 दि.16.03.22	57229.00	ओमेन्द्र मोहन सिंह ,ग्राम पंचायत अधिकारी
	योग		81477.00	

इस प्रकार श्रमिकों को रु.81477.00 मजदूरी नकद वितरित कर गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता की गयी है जिसका पूर्ण उत्तरदायित्वक-खण्डविकास अधिकारी सर्वश्री आलोक कुमार सिंह एव लेखाकार शम्भू प्रसाद की रही।

14-क्षेत्र पंचायत - फूलपुर

लेखा परीक्षा वर्ष - 2021-22

प्रस्तर -31 निम्न विवरण अनुसार दर्शित निर्माण कार्यों के मस्टर रोल पर श्रमिकों की उपस्थिति तिथि अंकित नही है:-

कार्य का नाम **भुगतान दर्शित मजदूरी**

(1)नौहरा रम्मोपुर सरहद से चन्द्रकेश के घर तक आरसीसी रोड निर्माण 88020.00

(2) खानजहांपुर में हैदरीपुर मार्ग से राम सूरत यादव के घर तक इण्टरलाकिंग 87190.00

(3) मीरअहमदपुर सरहद से डीह स्थान होते हुये डीहपुर पुलिया तक खडन्जा निर्माण 126167.00

(4)) शेखपुर पिपरी में परमल बिन्द के घर से बाहा तक पक्की नाली व आरसीसी पटिया 93549.00

योग - 394926.00

मस्टर रोल पर श्रमिकों की उपस्थिति तिथि अंकित नहीं होने से कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि अस्पष्ट रहा। उपरोक्त कार्यों पर सामग्री मूल्य का श्रश्रुगतान गत वर्ष ही किया जा चुका है। मस्टर रोल मस्टररोल कमांक अंकित नही है। अतः मस्टर रोल निर्गमन की तिथि भी अस्पष्ट रहा। स्पष्ट है कि मजदूरी भुगतान में गंभीर अनियमितता की गई जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी मो० आजम अली, लेखाकार श्री अरविन्द अस्थाना, तथा कार्य प्रभारी श्री प्रमोद कुमार यादव, ए0 डी0 ओ0 आई0 एस0 बी0, तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा ए0 डी0 ओ0 (सहकारिता)उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर -32 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मद में रू0 771505.00 भुगतान ग्रान्ट रजिस्टर में दर्शित है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त मद में दर्शित भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। सम्पूर्ण व्यय, सहायक विकास अधिकारी द्वारा किया जाना एवं पत्रावली सहायक विकास अधिकारी पंचायत के पास संरक्षित होना बताया गया। लेखा परीक्षा में अपुष्ट व्यय रू0

771505.00 के लिये खण्ड विकास अधिकारी श्री राम विलास राम, मो० आजम अली, लेखाकार श्री अरविन्द अस्थाना, तथा कार्य प्रभारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री संजय कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी हैं।

15-क्षेत्र पंचायत - मुहम्मदपुर
लेखा परीक्षा वर्ष - 2021-22

प्रस्तर -33 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से क्र. 605786.00 वी आयकर की कटौती की गयी है। किंतु उक्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा न कर बैंक खाते में रोककर रखा गया है, जो अनियमित है, जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति अराधना त्रिपाठी और लेखाकार श्री विजय कुमार का है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

प्रस्तर -34 क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से रू. 163604.00 की जी0 एस0 टी0 कटौती की गयी है, किंतु उक्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा न कर बैंक खाते में रोककर रखा गया है जो अनियमित है। इसके लिये खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति अराधना त्रिपाठी और लेखाकार श्री विजय कुमार जिम्मेदार हैं। इस सम्बंध में समुचित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर -35 शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03-2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशी का व्यय एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले नये निर्माण कार्यों पर किया जाना चाहिये । क्षेत्र पंचायत की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित रू. 1673739.00 का कृत कार्य एक ही ग्राम पंचायत से सम्बंधित है, जो उपर्युक्त शासनादेश का उल्लंघन है । उक्त अनियमितता हेतु श्रीमति अराधना त्रिपाठी (खः वि.अ.) और श्री विजय कुमार (लेखाकार) उत्तरदायी रहे। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

क्रम सं.	**कृत कार्य**	**धनराशि**
1.	अबूसईदपुर मे अशोक के चक से मुखराम के चक तक खडंजा कार्य 328303.00	
2.	जगजीवनपुर मे सुग्रीव के घर से राजेंद्र के घर तक नाली नर्माण	376495.00
3.	गोसडी मे सुरेंद्र के घर से महेंद्र के घर तक इण्टरलाकिंग	454966.00
4.	कलंदरपुर मे सुबाष के घर से अम्बेडकर मूर्ति तक सी.सी. रोड	513975.00
	योग -	**1673739.00**

16-क्षेत्र पंचायत - अतरौलिया
लेखा परीक्षा वर्ष - 2021-22

प्रस्तर -36 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से रू. 210114.00 की आयकर की कटौती की गयी है। किंतु उक्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा न कर बैंक खाते में रोककर रखा गया है, जो अनियमित है, जिसका दायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री हेमन्त कुमार सिंह और लेखाकार श्री जगदम्बा प्रसाद दूबे का है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

प्रस्तर -37 शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03-2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशी का व्यय एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले नये निर्माण कार्यों पर किया जाना चाहिये । क्षेत्र पंचायत की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित रु.1669764.00 का कृत कार्य एक ही ग्राम पंचायत से सम्बंधित है. जो उपर्युक्त शासनादेश का उल्लंघन है । उक्त अनियमितता हेतु हेमन्त कुमार सिंह (ख. वि.अ.) और जगदम्बा प्रसाद दूबे (लेखाकार) उत्तरदायी रहे। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

क्रम सं.	कृत कार्य	धनराशि
1.	छितौनी खास मे एन. एच.233 से मौर्या के बाग तक खडंजा निर्माण	628314.00
2.	शेखपुरा मे हरिबंश के घर से पोखरी तक नाली निर्माण	180266.00
3.	पकरडीहा मे खडंजा से वर्मा वस्ती तक खडंजा निर्माण	304964.00
4.	हैदरपुरखास मे सी.सी. रोड से अतरैठ मार्ग तक खडंजा निर्माण	556200.00
	योग -	**1669764.00**

जपनद- बलिया सम्भाग- आजमगढ़।

क्षेत्र पंचायत

त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का

क्षेत्र पंचायत- हनुमानगंज, लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर- 1 उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार नियमावली 2009 एवम् शासनादेश संख्या 1312/3.2.11.10जी/2011 दिनांक 04.08.2011 के द्वारा कर्मकारो के हितो को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर सेस अपरोपित किया जायेगा जिसकी वसूली प्रत्येक कार्य की लागत पर भुगतान के समय स्रोत पर किया जायेगा किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में कराये गये कार्यों पर 1 प्रतिशत लेबर सेस की न तो कटौती की गयी और प जमाकी गयी है।

विवरण निम्नलिखित है-

क्रम0 सं0	निर्माण मद का नाम	कार्यो पर व्यय
1	पंचम राज्य वित्त	5207443.00
2	केन्द्रीय वित्त	5493301.00
	योग-	107007.00

इस प्रकार वर्ष 2021-22 कार्यों पर व्यय धनराशि रू0 107007.44 पर/लेबर रू० 107007.44 की कटौती न करके अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री माजिद अली एवम् खण्ड विकास अधिकारी श्री धनप्राप्त. श्री राम अशीष, श्री राजकुमार, श्री जितेन्द्र सिंह, श्री नीरज कुमार एवम् श्री शैलेश कुमार मुरारी आदि अपने कार्यवधि के समय उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

1. क्षेत्र पंचायत- सीयर, लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21 एवं 2021-22

प्रस्तर- 2 क्षेत्र पंचायत सीयर में आलोच्य वर्ष 2020-21/2021-22 में लेखा परीक्षा में पाया गया कि तीन कार्य ऐसे है जिसके मस्टर रोल पर 9 मजदूरों को समान कार्य अवधि में कार्य करते हुए दिखाया गया है। उभाव में सडक के किनारे ऩाली निर्माण में मस्टर रोल पर अंकित दिनांक 1-5-2021 से 29-5-2021 तक में कुल 12 मजदूरों को रू0 80845.00 भुगतान किया गया है कार्य खूटा बहोरवा में किशुन राजभर के घर से चन्द्रयान के घर तक खडंजा कार्य में मस्टर रोल पर अंकित दिनांक 01-05-2021 से 29-05-2021 को 9 मजदूरो को कुल 52350.00 भुगतान किया गया है। इसी प्रकार जमीन सिसयण्ड में जवाहर के ट्यूवेल से राम अवध के खेत तक खडंजा कार्य में मस्टर रोल पर अंकित दिनांक 01-05-2021 से 31-05-2021 में 10 मजदूरो को 58055.00 भुगतान किया गया है। उपयुक्त तीनों कार्यो में इस प्रकार है-

1. कार्य- खूंटा बहोरवा में किशुन राजभर के घर से चण्द्रभान के घर तक खडंजा,मस्टर रोल 01-05-2021 से 29-05-2021 तक

क्र0 सं0	मजदूर का नाम/पिता का नाम	पता	कार्य दिवस	मजदूरी दर	धनराशि
1	चन्द्रदीप/पन्डूक	सोनाडीह	25 दिन	320.00	8000.00
2	चन्दन प्रसाद/गौरी शंकर	सोनाडीह	25 दिन	320.00	8000.00
3	रामसरीख/अलगू	सोनाडीह	24 दिन	320.00	7680.00
4	राहुल कुमार/ब्रह्मशंकर	सोनाडीह	25 दिन	235.00	5875.00
5	दिनेश/राम अवध	सोनाडीह	25 दिन	235.00	5875.00
6	जयप्रकाश/फौजदार	सोनाडीह	25 दिन	235.00	5875.00
7	प्रेम ज्योति/नगेन्द्र	सोनाडीह	25 दिन	235.00	5875.00
8	राधिका/शिवनाथ	सोनाडीह	12 दिन	235.00	2820.00
9	शशिकला/दयाशंकर	सोनाडीह	10 दिन	235.00	2350.00
				योग-	52350.00

2.कार्य-उभाव में सड़क के किनारे नाली निर्माण

मस्टर रोल पर अंकित दिनांक 01-05-2021 से 29-05-2021 तक

क्र0 सं0	मजदूर का नाम/पिता का नाम	पता	कार्य दिवस	मजदूरी दर	धनराशि
1	चन्द्रदीप/पन्डूक	सोनाडीह	28 दिन	320.00	8960.00
2	चन्दन प्रसाद/गौरी शंकर	सोनाडीह	28 दिन	320.00	8960.00
3	रामसरीख/अलगू	सोनाडीह	27 दिन	320.00	8640.00
4	राहुल कुमार/ब्रह्मशंकर	सोनाडीह	28 दिन	235.00	6580.00
5	दिनेश/राम अवध	सोनाडीह	28 दिन	235.00	6580.00
6	जयप्रकाश/फौजदार	सोनाडीह	28 दिन	235.00	6580.00
7	प्रेम ज्योति/नगेन्द्र	सोनाडीह	28 दिन	235.00	6580.00
8	राधिका/शिवनाथ	सोनाडीह	28 दिन	235.00	6580.00
9	शशिकला/दयाशंकर	सोनाडीह	28 दिन	235.00	6580.00
				योग-	66040.00

2. कार्य - जमीन सिसयण्ड में जवाहर के ट्यूवेल से रामअवध के खेत तक खंडजा।

मस्टर रोल पर अंकित दिनांक 01-05-2021 से 31-05-2021 तक

क्र0 सं0	मजदूर का नाम/पिता का नाम	पता	कार्य दिवस	मजदूरी दर	धनराशि
1	चन्द्रदीप/पन्डूक	सोनाडीह	24 दिन	320.00	7680.00
2	चन्दन प्रसाद/गौरी शंकर	सोनाडीह	24 दिन	320.00	7680.00
3	रामसरीख/अलगू	सोनाडीह	24 दिन	320.00	7680.00
4	राहुल कुमार/ब्रह्मशंकर	सोनाडीह	24 दिन	235.00	5640.00
5	दिनेश/राम अवध	सोनाडीह	24 दिन	235.00	5640.00
6	जयप्रकाश/फौजदार	सोनाडीह	24 दिन	235.00	5640.00
7	प्रेम ज्योति/नगेन्द्र	सोनाडीह	24 दिन	235.00	5640.00
8	राधिका/शिवनाथ	सोनाडीह	24 दिन	235.00	5640.00

9	शशिकला/दयाशंकर	सोनाडीह	05 दिन	235.00	1175.00
				योग-	52415.00

उपयुक्त तीनों कार्यों के मस्टर रोलो में समान कार्यअवधि में समान मजदूरों को कार्य करते हुए दिखाया गया है जो कि सम्भव नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उक्त तीनों कार्यों में दो कार्य का भुगतान फर्जी तरीके से किया गया। लेखा परीक्षा के दृष्टि कोण से कार्य सं0-1 एवं कार्य नं०-3 में मजदूरी के भुगतान को अपुष्ट मानकर फर्जी घोषित किया जाता है तथा उपयुक्त दोनो कार्यों में कुल भुगतान की गयी धनराशि 104765.00 को अपहरण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। रू0 104765.00 की व्याज सहित वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री रामआशीष, लेखाकार श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव एवं कार्यप्रभारी श्री चन्द्रभान गुप्ता में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 3 जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा 51 में स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रक्रिया एवं प्राधिकार निर्धारित किए गए है। उत्तर प्रदेश में यह अधि0 1-10-2018 से प्रभावी है। इस कटौती हेतु टेन/पैन आधारित जी०एस०टी० नम्बर लेना अनिवार्य है। इस अधिनियम के द्वारा 2% की दर (1 प्रतिशत सी. जी. एस. टी.+ 1% एस. जी. एस. टी.) से स्रोत पर कटौती आहरण-वितरण अधिकारी व लेखाकारो के द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। टी०डी०एस० की कटौती न करने अपेक्षित राशि से कम कटौती करने अथवा टी०डी०एस० के रूप में कटौती की गयी राशि का भुगतान सरकार को न करने की स्थिति में केन्द्रीय जी0एस0टी0 अधिनियम प्रान्तीय अधिनियम की धारा 122 के तहत अलग-2 रू0 25000.00 (कुल 50000.00) अर्थदण्ड आरोपित किए जाने की व्यवस्था है।

इसी प्रकार आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराए जाने वाले कार्यों में स्रोत पर 2 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती किया जाना सुनिश्चित किया गया है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही के अन्तिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किए जाने के लिए संस्था के आहरण-वितरण अधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है। यदि स्रोत पर कटौती नहीं की जाती है तो काटे गए राशि के बराबर अर्थदण्ड आरोपित किए जाने की व्यवस्था है।

क्षेत्र पंचायत सीयर के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध निर्माण कार्य पत्रावलियो में निम्नलिखित निर्माण कार्यों के व्यय प्रमाणको पर जी०एस०टी० एवं आयकर की कटौती से सम्बन्धित प्रमाण अनुपलब्ध रहा, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लागत मूल्य	अपेक्षित जी०एम०टी० कटौती	अपेक्षित आयकर कटौती (2%)
1	पुरा चट्टी में आर. ओ. प्लांट स्थापना	482376.12	9648.00	9648.00
2	पशुहारी में आर. ओ. प्लांट स्थापना	482376.12	9648.00	9648.00
3	भिण्डलखन सिंहा में आर. ओ. स्थापना	482376.12	9648.00	9648.00
4	चन्दाडीह माता माँ के स्थान के स्थान पर आर. ओ. प्लांट स्थापना	482376.12	9648.00	9648.00
5	फरसाटार में आर. ओ. प्लांट स्थापना	482376.12	9648.00	9648.00
6	सोनाडीह में भगवती के स्थान पर आर.ओ. प्लांट स्थापना	482376.12	9648.00	9648.00
7	बनकटा चट्टी में आर.ओ. स्थापना	482376.12	9648.00	9648.00
8	उधरन चट्टी में आर. ओ. प्लांट	482376.12	9648.00	9648.00

	स्थापना			
9	ग्राम पंचायत छिटिकिया में आर. ओ. स्थापना	482376.12	9648.00	9648.00
10	हल्दीरामपुर में आर. ओ. स्थापना	482376.12	9648.00	9648.00
11	चन्दाडीह में नगीना सेठ के दरवाजे से करनी माइनर तक नाला निर्माण	208126.00	4163.00	4163.00
12	तहसील बेल्थरा रोड के प्रांगण में जिग-जैग इंटर लार्किंग कार्य	536745.60	10735.00	10735.00
13	पशुहारी में बेचू यादव के घर से राम आधार के घर तक इंटरलार्किंग नाली कार्य	82288.82 165148.62	1646.00 3303.00	1646.00 3303.00
14	तेलमा जमालद्दीन पुर में दसनाथ धोबी के डेरा से भोला धोबी के डेरा तक खडंजा कार्य	79380.00 48621.30	1588.00 972.00	1588.00 972.00
15	कन्धरा पुर में राजीय राय के मोड से गोबर्धन के खेत तक खडंजा कार्य	264600.00 44367.00	5292.00	5292.00
16	कुण्डैल नियामत अली में मुहम्मद अली के खेत से पश्चिमी बह तक खडंजा कार्य	264600.00 115977.00	5292.00 2320.00	5292.00 2320.00
17	बेल्थरा बाजार में रामलीला मैदान से राम किशोर गुप्ता के घर तक इंटर लार्किंग कार्य	145790.60 123988.40	2916.00 2480.00	2916.00 2480.00
18	बांसपार बहोरवा में मेन पिच से रमेश यादव के घर तक पेवर्स कार्य	307741.00 393255.00	6155.00 7865.00	6155.00 7865.00
19	विकास खंड परिसर में सामुदायिक शौचालय निर्माण	354904.00	7098.00	7098.00
20	ससना बहादुर पुर में दुर्ग विजय के खेत से शिव मन्दिर तक खंडजा कार्य	238140.00 67214.00	4763.00 1344.00	4763.00 1344.00
21	अखोप में दुर्ग विजय के घर से पतिराम के घर तक सी.सी. मरम्मत कार्य	167278.00 110020.00	3346.00 2200.00	3346.00 2200.00
22	खूंटा बहोरवा में किशुन राजभर के घर से चन्द्रमान के घर तक खंडजा	105840.00 48621.00	2117.00 972.00	2117.00 972.00
23	उभांव में सडक के किनारे नाली निर्माण कार्य	227326.90 205716.65	4547.00 4114.00	4547.00 4114.00
24	पडरी में मेन रोड से मन्दिर तक इंटर लांकिग कार्य	155870.95	3118.00	3118.00
25	पतोई में धर्मेन्द्र के खेत से मोतीचन्द्र के दरवाजे तक खडंजा कार्य	185220.00 197925.00	3704.00 3959.00	3704.00 3959.00
26	समसुद्दीन पुर में लाल बहादुर राजभर के घर से बडाई राजभर के डेरा तक नाली निर्माण	110636.19 71429.97	2212.00 1429.00	2212.00 1429.00
27	अवाया में पन्ना लाल गुप्ता के	79380.00	1588.00	1588.00

	दरवाज होते हुए रिखदेव यादव के घर तक खंडजा कार्य	33432.00	669.00	669.00
28	जमीन सिसयण्ड काल में जवाहर के ट्यूवेल से राम अवध के खेत तक खंडजा कार्य	224910.00 93181.00	4498.00 1864.00	4498.00 1864.00
29	कुण्डैल नियामत अली में नहर से कमला देवी के घर तक खंडजा कार्य	52900.00 32219.00	1058.00 644.00	1058.00 644.00
30	लोहटा पंचदौरा में सेमरी गोविन्दपुर मार्ग से श्री देव के घर तक नाली निर्माण	516060.00 55314.00	10321.00 1106.00	10321.00 1106.00
31	विकास खंड सीयर परिसर की रंगाई-पुताई एवं मरम्मत/साज-सज्जा कार्य	245319.00 370997.77	4906.00 7420.00	4906.00 7420.00
	योग-	11554247.26	231091.00	231091.00

इस प्रकार क्षेत्र पंचायत सीयर में वर्ष 2020-21 में रू0 231091.00 की जी०एम०टी० एवं रू0 231091.00 की आयकर कटौती न काटकर राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचाई है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राम आशीष एवं श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह एवं लेखाकार श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। उक्त धनराशि को **पेनल्टी सहित अर्थदण्ड18** राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 4 जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा 51 में स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रक्रिया एवं प्रावधान निर्धारित है उत्तर प्रदेश में यह अधिनियम 1-10-2018 से प्रभावी है। इस कटौती हेतु टैन/पैन आधारित जी०एस०टी० नं० लेना अनिवार्य है। इस अधिनियम के द्वारा 2 प्रतिशत की दर (1% सी०जी०एस०टी०+1% एस०जी०एस०टी०)से स्रोतः पर कटौती आहरण वितरण अधिकारी व लेखाकारों के द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। टी०डी०एस० की राशि की कटौती न करने अपेक्षित राशि से कम कटौती करने अथवा टी०डी०एस० के रूप में कटौती की गयी राशि का भुगतान सरकार को न करने की स्थित में केन्द्रीय जी०एस०टी० अधिनियम तथा प्रान्तीय अधिनियम की धारा 122 के तहत अलग-अलग रू0 25000.00 (कुल 50000.00) अर्थदण्ड आरोपित किए जाने की व्यवस्था है।

इसी प्रकार आयकर अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 194 सी के अनुमार शासकीय अनुदान से कराए जाने वाले निर्माण कार्यों में स्रोत पर 2% की दर से आयकर की कटौती किया जाना सुनिश्चित किया गया है। आयकर की कटौती एवं काटी गयी धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही के अन्तिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किए जाने के लिए आहरण वितरण अधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है। यदि स्रोत पर कटौती नहीं की जाती है तो काटे गए राशि के बराबर अर्थदण्ड आरोपित किए जाने की व्यवस्था है।

क्षेत्र पंचायत सीयर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध निर्माण कार्य पत्रावलियों में निम्नलिखित निर्माण कार्यों के व्यय प्रमाणकों पर जी0एस0टी0 एवं आयकर की कटौती नहीं की गयी है विवरण इस प्रकार है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लागत मूल्य	अपेक्षित जी०एम०टी० कटौती	अपेक्षित आयकर कटौती (2%)
1	ब्लाक परिसर में 10 अदद सोलर लाइट स्थापना	225000.00	4500.00	4500.00
2	ड्वाकरा हाल में ए.सी. स्थापना	485000.00	9700.00	9700.00

3	सीयर कार्यालय हेतु 7 अदद कम्प्यूटर क्रय आर0ओ0 प्लांट स्थापना	686406.00	13728.00	13728.00
4	अखोप में आर.ओ. प्लांट स्थापना	481978.00	9640.00	9640.00
5	ससना बहादुरपुर के मुस्लिम बस्ती में आर0ओ0 लांट स्थापना	292378.00	5848.00	5848.00
6	खैरा मठ में आर0ओ0 प्लांट स्थापना	4819780.00	9640.00	9640.00
7	शाहपुर अफगा में दुर्गा मन्दिर के प्रांगण में आर0ओ0 स्थापना	292378.00	5848.00	5848.00
8	तुर्तीपार चट्टी पर आर0ओ0 प्लांट स्थापना	481978.00	9640.00	9640.00
9	श्याम सुन्दरी बालिका इंटर कालेज में आर0ओ0 प्लांट स्थापना	292378.00	5848.00	5848.00
10	जी0एम0 इंटर कालेज में ओ0आर0 स्थापना	482376.00	9648.00	9648.00
11	क्षेत्र पंचायत के वार्ड न0 27 में 249 अदद स्ट्रीट लाइट स्थापना	961140.00	19223.00	19223.00
12	क्षेत्र पंचायत के वार्ड न0 26 में 250 अदद स्ट्रीट लाइट स्थापना	960000.00	19200.00	19200.00
13	क्षेत्र पंचायत के वार्ड न0 25 में 250 अदद स्ट्रीट लाइट स्थापना	965000.00	19300.00	19300.00
14	प्रा0 वि0 अहिरौली में आर0ओ0 स्थापना	249000.00	4980.00	4980.00
15	साहुनपुर पिच रोड पर हाई मास्ट लाइट स्थापना	89766.00	1795.00	1795.00
16	क्षेत्र पंचायत के विभिन्न स्थानों पर 11 अदद हाई मास्ट लाइट स्थापना	987435.00	19749.00	19749.00
17	ब्लाक प्रमुख कार्यालय में ए0सी0 एवं फर्नीचर स्थापना	408836.00	8177.00	8177.00
18	ब्लाक प्रमुख कार्यालय में सोलर पैनल, इनवर्टर की स्थापना	135500.00	2710.00	2710.00
19	ब्लाक कार्यालय हेतु 2अदद पानी टैंकर क्रय	320000.00	6400.00	6400.00
20	प्रमुख कार्यालय के सामने पोर्च निर्माण	276931.00	5539.00	5539.00
21	हल्दीराम पुर में जयगोविन्द सिंह के खेत के पास पुलिया निर्माण	221432.00	4429.00	4429.00
22	फरसाटार में गिरिजा चौहान के घर से रामू चौहान के घर तक भूमिगत नाली निर्माण	442890.00	8858.00	8858.00
23	ब्लाक प्रमुख कार्यालय सीयर का	666242.00	13325.00	13325.00

	मरम्मत एवं सुन्दरी करण कार्य	59222.00 113518.00	1184.00 2270.00	1184.00 2270.00
24	तुर्तीपार में अमर जीत यादव के स्कूल के पास नहर पर पुलिया निर्माण	221432.00 290779.00	4429.00 5816.00	4429.00 5816.00
25	ब्लाक परिसर के डवाकरा हाल एवं प्रमुख कार्यालय के चारों ओर जिंग-जैग इंटर लांकिग	573283.00 265223.00	11466.00 5304.00	11466.00 5304.00
26	अखोप में काली मन्दिर के बगल में पुलिया निर्माण	221432.00 262122.00	4429.00 5242.00	4429.00 5242.00
27	राजपुर में बेल्थरा पिच मार्ग से लालजी के दरवाजे तक सी0सी0 रोड निर्माण	212559.00 158057.00	4251.00 3161.00	4251.00 3161.00
28	मोलनापुर में सुरेश सिंह के दरवाजे से डीह बाबा के स्थान तक इंटरलांकिग कार्य	211458.00 218084.00	4229.00 4362.00	4229.00 4362.00
29	पिपरौली के असेरपुर में मुख्य मार्ग से जंगबहादुर के दरवाजे तक इंटर लांकिग कार्य	206665.00	4133.00	4133.00
30	कुण्डैल नियामत अली में यशोदिया देवी के जमीन से महफूज मास्टर के खेत तक इंटरलांकिग कार्य	368570.00	7371.00	7371.00
31	पतोई में ओमकार सिंह के दरवाजे से सदानन्द मिश्र के दरवाजे तक सी0सी0 रोड	309425.00	6188.00	6188.00
32	डी0ए0बी0 इंटर कालेज में आर0ओ0 प्लांट स्थापना	482076.00	9642.00	9642.00
33	पडसरा नदौली ताजपुर में आर0ओ0 प्लांट स्थापना	482076.00	9642.00	9642.00
34	किडिहरापुर में विजय प्रताप सिंह के खेत से विजय बहादुर के खेत तक इंटर लांकिग	502469.00	10049.00	10049.00
35	वार्ड न0 25 के विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना	961140.00	19223.00	19223.00
36	विभिन्न स्थानों हैडपंप रिबोर कार्य	452654.99	9053.00	9053.00
37	विभिन्न स्थानों पर हाई मास्ट सोलर लाइट स्थापना	990000.00	19800.00	19800.00
38	विभिन्न स्थानों हाई मास्ट सोलर लाइट स्थापना	998000.00	19960.00	19960.00
39	देवेन्द्र डिग्री कालेज में सामुदायिक शौचालय निर्माण	603664.00	12073.00	12073.00
40	ब्लाक परिसर में 25 के0बी0 डी0जी0 सेट स्थापना	670000.00	13400.00	13400.00
	योग-	21093927.00	421882.00	421882.00

इस प्रकार वर्ष 2021-22 में लेखा परीक्षा में उपलब्ध निर्माण कार्य पत्रावलियों में रू0 421882.00 की जी०एस०टी० कटौती एवं रू0 421882.00 की आयकर कटौती न काटकर राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है. जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह एवं लेखाकार श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है। उक्त धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ राजकीय राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 5 क्षेत्र पंचायत सीयर में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त की निम्मलिखित निर्माण कार्य पत्रावलियों में सामग्री कय पर विभिन्न फर्मों को भुगतान किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में उपलब्ध पत्रावलियों में मजदूरी का विवरण एवं मस्टर रोल संलग्न नहीं है। मजदूरी के अभाव में किसी कार्य का होना सम्भव नहीं है। साथ ही उपलब्ध फाइलों में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहने से इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि कार्य हुआ है या नहीं।

विवरण इस प्रकार हैः-

क्र0सं0	कार्य का नाम	प्रमाणक सं0/दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1	चन्दाडीह में नगीना सेठ के दरवाजे से करनी माइनर तक नाला निर्माण	59/13-01-2021	208127.00	अंकित कं0
2	तहसील बेल्थरा रोड के प्रांगण में जिंग-जैगं इंटर लार्किंग कार्य	69/13-01-2021	536745.00	शिवागी ट्रेडर्स
3	विकास खंड सीयर में सामुदायिक शौचालय निर्माण	44/13-01-2021	354904.00	अंकित कं0
4	हल्दीराम पुर के मठिया में सुभाष के दरवाजे से शिव के दरवाजे तक खडंजा निर्माण	75/25-07-2020	94918.00	अंकित कं0
5	राजपुर में बेल्थरा पिच मार्ग से लाल जी के दरवाजे तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य	08/28-08-2021 18/05-10-2021	212559.00 158057.00	आशीवार्द एसोसिएट
6	मोलनापुर में सुरेश सिंह के दरवाजे से डीह बाबा के स्थान तक इंटर लार्किंग कार्य	07/31-08-2021 19/15-10-2021	221458.00 218084.00	आशीवार्द एसोसिएट
7	अखोप में काली मन्दिर के बगल में पुलिया निर्माण कार्य	04/28-08-2021 27/3-1-2022	221432.00 262122.00	विसेन एसोसिएट
8	पतोई में ओमकार सिंह के दरवाजे से सदानन्द मिश्र के दरवाजे तक सी.सी. रोड़ कार्य	36/11-1-2022	309425.00	विसेन एसोसिएट
9	फरसाटार में बावल्डी गांव में गिरिजा चौहान के घर तक नाला मरम्मत कार्य	13-11-2021	442890.00	विसेन एसोसिएट
		योग-	3240721.00	

इस प्रकार कार्य में केवल सामग्री पर भुगतान दर्शाकर एवं मजदूरी का भुगतान न करके रू0 3240721.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राम अशीष एवं श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह तथा लेखाकार श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव समान रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 6

शासनादेश सं0 23/2020/279/18-2-2020-97(30)/2016 दिनांक 19-6-2020 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों में स्ट्रीट लाइट का क्रय अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल से किया जाएगा। यदि वस्तु या सेवा जेम पार्टल

पर उपलब्ध नहीं है तो विभागध्यक्ष एवं कार्यालय अध्यक्ष इसे स्वंय प्रमाणित करेगे वस्तु या सेवा जेम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रमाणीकरण के पश्चात् ही स्ट्रीट लाइट ई टेण्डर के माध्यम से करा कर की जा सकती है।
क्षेत्र पंचायत सीयर में वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत अलग अलग वार्डो में स्ट्रीट लाइट की स्थापना की गयी है किन्तु स्ट्रीट लाइट का क्रय जेम पोर्टल से न करके प्राइवेट फर्म से किया गया है।
विवरण इस प्रकार है-

स्ट्रीट लाइट कार्य	धनराशि	फर्म का नाम
क्षेत्र पंचायत सीयर वार्ड नं0 25 में 250 अदद स्ट्रीट लाइट स्थापना	965000.00	विसेन एसोसिएट
क्षेत्र पंचायत सीयर वार्ड नं0 26 में 250 अदद स्ट्रीट लाइट स्थापना	960000.00	आशीवार्द एसोसिएट
क्षेत्र पंचायत सीयर वार्ड नं0 27 में 249 अदद स्ट्रीट लाइट स्थापना	961140.00	विसेन एसोसिएट
योग-	2886140.00	

इस प्रकार स्ट्रीट लाइट स्थापना में उक्त शासनादेश का उलघंन कर रू0 2886140.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह, अवर अभियनता श्री विजय कुमार यादव एवं लेखाकार श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव समान रूप से उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 7 क्षेत्र पंचायत सीयर में 15वाँ वित्त वर्ष 2021-22 में विभिन्न स्थानों पर हैण्ड पंप रिबोर पर कुल सामग्री एवं मजदूरी सहित रू0 997949.00 व्यय किया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी-

(क) पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश सं0 51-2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19-06-2017 के इण्डिया मार्का हेण्ड पंप रिबोर की गाइड लाइन के अनुसार हैंडपंप रिबोर के सम्बन्ध में प्रतीक्षा सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

(ख) हेंड पंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत/रिबोर की मांग सम्बन्धी कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध फाईल में इनही पाया गया जिससे यह जानकारी नहीं हो सकी कि जिन स्थलों के हैंडपंप खराब थे वे कब खराब हुए, और पिछली बार इनका रिबोर कब कराया गया था

(ग) मरम्मत/रिबोर के उपरान्त निकली खराब सामग्री का विवरण एवं उसके निलामी के सम्बन्ध में कोई विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

(घ) सभी रिबोर का त्रियामी फोटोग्राफ फाइल के साथ सलग्न नहीं है।

इस प्रकार हैंडपंप रिबोर में उक्त नियमों का पालन न करके रू0 997949.00 की गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी गजेन्द्र प्रताप सिंह, लेखाकार श्री सुजीत श्रीवास्तव एवं कार्य प्रभारी श्री जवाहर चन्द्र राम जे0ई0एम0आइ0 उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 8 क्षेत्र पंचायत सीयर में वर्ष 2020-21 में निविदा सूचना सं0 366 दिनांक 3-10-2020 के क्रम में तीन फर्मो से मेसर्स चन्द्रकांता ईट भट्टा, पंचमा मेसर्स फूलबदन ईट भट्टा, मऊ एवं अंकित कस्ट्रक्शन,बेल्थरा रोड से निविदाए प्राप्त हुई। निविदा प्रकाशन में टेण्डर फार्म का मूल्य रू0 500.00 निर्धारित किया गया था। इस प्रकार टेण्डर फार्म की विक्री से वर्ष 2020-21 में क्षेत्र निधि से कराए गए कार्यो में उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार आय 44×3×500=66000.00 होना चाहिए, जिससे ग्रांट रजिस्टर -iii में आय के रूप में दर्शाना चाहिए था किन्तु ऐसा नही किया गया।

इसी प्रकार वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 20 कार्यो के लिए तीन फर्मो मेसर्स आशीर्वाद, मोलनापुर, मेसर्स सुषमा ईट उद्योग, मेसर्स विसेन एसोसिएट से निविदाएं प्राप्त हुई। इस प्रकार वर्ष 2021-22 में टेण्डर फार्म की विक्री से कुल आय 20×3×500=30000.00 होनी चाहिए जिसे वर्ष 2021-22 में ग्रांट रजिस्टर-iii में आय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि वित्त वर्ष 2020-21 मे टेण्डर फार्म की विक्री

से प्राप्त आय रू0 66000.00 एवं वर्ष 2021-22 में टेण्डर फार्म की विक्री से प्राप्त आय रू030000.00 को क्षेत्र निधि की आय में न दर्शाकर अपहरण कर लिया गया। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री राम अशीष एवं श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह एवं लेखाकार श्री सुजीत श्रीवास्तव उत्तरदायी है। वसूली अपेक्षित है।

3. क्षेत्र पंचायत- दुबहड लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर- 9 आलोच्य वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त मद से विभिन्न ग्राम सभा में पेय जल सुविधा हेतु आर0ओ0 प्लांट की स्थापना की गयी है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत आन लाईन कैशबुक, बैक स्टेटमेंट एवं पत्रावली से होती है विवरण निम्न रहा-

क्र0	कार्य का नाम	विल संख्या/ दिनांक	शुद्व भुगतान की धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म
1	ग्राम सभा हरिपुर में आर0ओ0 प्लांट स्थापना	26 से 29	442342.00	नेहा एसोसिएट बन्धुचक बलिया
2	ग्राम सभा माधोपुर में आर0ओ0 प्लांट स्थापना	अंकित नहीं	463321.00	नेहा एसोसिएट बन्धुचक बलिया
3	ग्राम सभा दुबहड में आर0ओ0 प्लांट स्थापना	31 से 33	442342.00	नेहा एसोसिएट बन्धुचक बलिया
4	ग्राम सभा छाता में आर0ओ0 प्लांट स्थापना	एक पर अंकित नहीं 22 से 25	442342.00	नेहा एसोसिएट बन्धुचक बलिया
		योग	1790347.00	

(अ). उक्त चारों कार्यो की पत्रावली जाँच में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी-

1. उक्त कार्यो हेतु दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के दिनांक 16-11-21 संस्करण में कार्यवार अनुमानित लागत का विवरण नहीं
2. निविदा फार्म विक्री का मूल्य नही लिया गया।
3. तीनों फर्म वृद्विका ट्रेडर्स जमुआँ गोपालपुर, माँ महेश्वरी इन्टरप्राइजेज नेहा एसोसिएट बन्धुचक जो टेडर प्रक्रिया में सम्मिलित हुए उनका शपथ पत्र, फर्म का लाइसेन्स, है स्थित प्रमाण पत्र, आपूर्ति करने वाले सामग्री का विवरण इत्यादि पत्रावली संलग्न नहीं रहा।
4. टेडर से सम्बन्धित समिति के गठन सदस्यों की सूची, एवं टेडर खुलने की प्रक्रिया, समय एवं दिनांक से सम्बन्धित पत्रावली संलग्न नहीं रही।
5. तीनों फर्मोद्वारा सामग्री आपूर्ति का लागत एवं कर सहित विवरण फर्म के विल पर प्रस्तुत न कर निविदा फार्म भाग-बी (फाइनेन्सियल वीड) पर प्रस्तुत रहा।
6. बयाने की धनराशि अग्रिम में नहीं ली गयी जबकि खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी फर्म के नाम प्रपत्र में बयाने की धनराशि लिया जाना अंकित है।
7. निविदा स्वीकृति नेहा एसोसिएट बन्धुचक बलिया को स्वीकृति के उपरान्त जमानत की धनराशि निर्माण खण्ड के **प्रस्तर-**2,3 के अनुसार न जमा कर सभी फाइलों में फर्म का एक फिक्स डिपोजिट 1-11-2021 को बन्धन बैंक ए0/सी- 0210009651391 में रू0 120000.00 का लगाया गया है जो गलत रहा मानक के अनुसार नहीं रहा।
8. चारो प्लांटो पर विजली कनेक्शन लिया गया है कि नहीं अज्ञात रहा विना विजली कनेक्शन के स्थापना केसे की गयी है
9. कम से कम दो राजस्व ग्राम/ग्राम सभा को कार्य से जोड़ने का प्रमाण पत्र।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त कार्यो पर कुल भुगतान की गयी धनराशि रू0 1790347.00 के सापेक्ष नियम, प्रक्रिया का पालन न कर धोर अनियमितता की गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री गिरीश चन्द भास्कार ब्लाक प्रमुख श्रीमती रीता सिंह, लेखाकार श्री अखिलेश सिंह, कार्य प्रभारी श्री रविशंकर यादव, सम्बन्धित जे0ई0 श्री वीरेन्द्र कुशवहा जिममेदार है। जाँचोपरान्त सम्बन्धित पर विभागीय एवं प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 10

(b) माधोपुर में पेय जल व्यवस्था हेतु जैसा कि उक्त में विवरण अंकित है दिनांक 18-02- 2022 को कैशबुक केन्द्रीय वित्त से वाउचर 13 से रू0 46332.51 का भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि बैंक खाता ए0/सी0 3203101016498 एवं फर्म का विल नं0 अंकित नहीं दिनांक 23-11-2021 से हुई जिसके भुगतान हेतु खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय दुबहड द्वारा जारी का पत्रांक अंकित नहीं दिनांक अंकित नहीं में स्पष्ट उल्लेख रहा कि विल की समग्र धनराशि से आयकर रू0 9268.00 एवं जी0एस0टी0 रू0 9268.00 कुल रू0 18536.00 की कटौती के उपरान्त रू0 444785.00 का भुगतान किया जाना आवश्यक था। परन्तु कटौती न कर कुल विल की धनराशि का भुगतान कर दिया गया जो गलत रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री गिरीशचन्द्र भास्कर एवं लेखा

श्री अखिलेश सिंह जिम्मेदार रहे अतः रू0 18536.00 की वसूली सब्याज सहित वूसल कर एवं कोषागार में चालान सहित जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 11 आलोच्य वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न स्थानों पर यात्री शेड का निर्माण कराया गया है सम्बन्धित कार्य का स्थान एवं शुद्व भुगतान की स्थिति निम्न रही-

क्र0	कार्य का नाम	विल संख्या	दिनांक	विल की धनराशि	शुद्व भुगतान	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	छाता में यात्री शेड निर्माण	अंकित नहीं	24.12.2021	351793.00	337721.00	नेहा एसोसिएट बन्धुचक
2	मझौली में यात्री शेड निर्माण	अंकित नहीं	24.12.2021	351793.00	337721.00	नेहा एसोसिएट बन्धुचक
3	हरिपुर में यात्री शेड निर्माण	अंकित नहीं	24.12.2021	351793.00	337721.00	नेहा एसोसिएट बन्धुचक
4	फुलवरिया यात्री शेड निर्माण	37]38	24.12.2021	351793.00	337721.00	नेहा एसोसिएट बन्धुचक
				कुल भुगतान	1350884.00	

उपरोक्त कार्यो की प्रस्तुत पत्रावली जा ँच में निम्न कमियाँ उजागर हुई-

1. किसी भी विल पर पेड एवं कैन्सिल की मुहर नहीं।
2. उक्त विवरण में विल पर बुक नं0 एवं सीरियल नं0 अंकित नहीं रहा
3. फर्म का लाइसेन्स, सामग्री आपूर्ति आदेश, संलग्न नहीं रहा।
4. सामग्री विल का अवलोकन करने पर स्पष्ट हुआ कि जी0एस0टी0 की दर सभी सामग्रीवार नहीं लगायी गयी है जैसै-स्टील चेयर, शाईन बोर्ड, एस0एस0 पाईप पर जी0एस0टी0 दर नहीं अंकित है जबकि सीमेंट,बालू, डाला गिट्टी इत्यादि पर सामग्रीवार अंकित रहा।
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा।
6. मस्टर रोल विकास खण्ड से जारी न होकर ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव का नाम वाला प्रिन्टेड अंकित वाला प्रोफार्मा लगाया गया है जिस पर भुगतान किया गया है।
7. कार्य क्षेत्र का आपत्ति प्रमाण पत्र।
8. निविदा में तीनों फर्मो का तुलनात्मक चार्ट नहीं रहा।

निविदा कमेटी के गठन से समबन्धित कोई आदेश/पत्रावली/कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत उक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि कार्य मानक के अनुसार न कराकर मनमाने तरीके से कराये गये जो अनियमित रहा जिसके जिसके लिए ब्लाक प्रमुख श्रीमती रीता सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री गिरीशचन्द्र भास्कर, लेखाकार श्री अखिलेश सिंह, कार्यप्रभारी श्री रविशंकर यादव, अवर अभियंता श्री वीरेन्द्र कुशवाहा उत्तरदायी है। विभागीय एवं प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 12 आलोच्य वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत द्वारा पंचायत द्वारा राज्य वित्त राज्य वित्त मद से हरिपुर में सहतवार मार्ग से बच्चा लाल सिंह के दरवाजे तक इन्टर लार्किंग रोड का निर्माण कार्य में भुगतान की स्थिति रही-

	विल सं0	दिनांक	विल की धनराशि	कटौती	शुद्व भुगतान	भुगतान प्र0 प्राप्त
सामग्री	35	23-11-2021	901973.39	36080.00	865892.00	नेहा एसोसिएर
मजदूरी	मस्टर रो मजदूरो का भुगतान	1-1-2022 से 21-1-2022	द्वारा		91020.00	
				योग-	956912.00	

उपरोक्त कार्य एवं भुगतान पत्रावली की जाँच में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये-

1. टेण्डर फार्म का मूल्य प्रपत्र संख्या नि0 का-03 (नियम 23) के अनुसार हस्तलिखित रू0 9.938 अंकित है इससे स्पष्ट नहीं हुआ कि मूल्य क्या रहा स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है (एवं तीनों फर्मो से निविदा फार्म का मूल्य वसूली से सम्बन्धित धनराशि का विवरण नहीं मिला)
2. प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति आदेश संलग्न नहीं रहा।
3. निविदा फार्म भाग-ए (टेक्निकल बीड) निविदा फार्म भाग-वी (फाइनोन्सियनल वीड) पर ही क्रमशः जी0एस0टी0 नं0 एवं सामग्री की दर का हस्तलिखित विवरण रहा पुष्टि में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा।
4. कार्य प्रभारी के नियुक्ति का आदेश प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहा।
5. निविदा में धरोहर धनराशि नेहा एसोसिएट द्वारा नही लिया गया है।
6. निविदा कमेटी के गठन से सम्बन्धित आदेश पत्रावली संलग्न नहीं रही।
7. मस्टर रोल पर कार्य प्रभारी, निरीक्षण कर्ता के हस्ताक्षर नहीं रहे। प्रारूप पर प्रधान एवं सेकटरी ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर वाला रहा जिसपर एम0बी0 बुक नं0 पृष्ट संख्या अंकित नहीं रहा।
8. कार्य/रोड का अनापत्ति प्रमाण पत्र
9. दो राजस्व ग्राम/ ग्राम सभा को जोड़ने वाला प्रमाण पत्र/नक्शा संलग्न नहीं रहा।
10. सादे पन्ने पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जिसपर सम्बन्धित जे0ई0 श्री वीरेन्द्र कुशवाहा ब्लाक प्रमुख श्रीमती रीता सिंह के हस्ताक्षर, कार्य की लम्वाई,चैउाई कार्य प्रारम्भ, समाप्ति तिथि अंकित नहीं जबकि निर्धारित प्रारूप-फार्म-रूपपत्र-4 (नियम-209) पर सामग्री वार विवरण मस्टर रोल में मानव दिवस सृजन एवं उपरोक्त वर्णित जानकारी अंकित किया जाना अपेक्षित रहा।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कार्य विना मानक प्रक्रिया अपनाये मनमाने तरीके से कराया गया जिससे स्पष्ट है कि घोर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ब्लाक प्रमुख श्रीमती रीता सिंह, खण्ड विकास अधिकारी श्री गिरीशचन्द्र भास्कर,लेखाकार श्री अखिलेश सिंह, कार्य प्रभारी श्री रविशंकर यादव (ग्राम वि0 अ0) सम्बन्धित जे0ई0 श्री वीरेन्द्र कुशवाहा संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। विभागीय एवं प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

4. क्षेत्र पंचायत- रेवती लेखा परीक्षा वर्ष- 2017-18 से 2021-22

प्रस्तर- 13 क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत ग्राण्ट-III रजि० राज्यवित्त योजना के मद में माह अक्टूबर 2020 में अन्तिम अवशेष रू० 6283401/- दर्शित है। ग्राण्ट-III रजि० में राज्य वित्त योजना के माह नम्बर एवं दिसम्बर का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया और इससे संबंधित कोई पत्रावली भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जनवरी 2021 के ग्राण्ट-III रजि० में जनवरी माह का राज्य वित्त मद का प्रा० अवशेष रू० 494901/- दर्शित है। इस प्रकार रू0 1334387.00 का अन्तर है। इस अन्तर का बार-बार ग्राण्ट रजि० के नवम्बर एवं दिसम्बर माह का विवरण एवं पत्रावली मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया जिससे उक्त व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। बगैर व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी श्रीधन प्राप्त यादव एवं लेखाकार श्री शिवजी राम द्वारा मिलीभगत कर विवृत धनराशि 1334387/- का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ता तारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर- 14 क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2017-18 में कराये गये कार्यों का निर्माण पत्रावली (तालिका नं 1) की लेखा परीक्षा में यह पाया गया है कि वैट की रू0 22918/- की कटौती की गयी है। लेकिन इस कटौती की धनराशि को सम्बन्धित विभाग का जमा प्रमाण पत्र / चालान बार-बार मांगने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया। वैट कटौती की धनराशि को खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा अपहरित
जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री नन्दलाल कुमार एवं श्री वीरभानु सिंह और लेखाकार श्री कैलाश ओझा से किया जाना अपेक्षित है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर- 15 क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2017-18 में कराये गये कार्यों का निर्माण पत्रावली (तालिका नं0 1) की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि आयकर की रू0 12890/- की कटौती की गयी है। लेकिन इस कटौती की धनराशि को सम्बन्धित विभाग का जमा प्रमाण पत्र / चालान बार-बार मांगने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। आयकर की धनराशि को खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार द्वारा अपहरित कर लिया गया है। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री नन्दलाल कुमार एवं श्री वीरभानु सिंह और लेखाकार श्री कैलाश ओझा से वसूल किया जाना अपेक्षित है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

5. क्षेत्र पंचायत- रसड़ लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर- 16 उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण (उपकर) अधिनियम-2009 नियम 4 (3) के द्वारा प्रमुख सचिव श्रम एंव रोजगार ने कर्मकारों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों पर 1 प्रतिशत की दर से लेबर शेष (कर्मकार उपकर) आरोपित (कटौती) करने का आदेश 04 फरवरी 2009 को दिया था जिसकी वसूली आयकर की तरह प्रत्येक कार्य की लागत पर भुगतान के समस्त स्रोत पर किया जाना अपेक्षित है। क्षेत्र पंचायत रसडा द्वारा वित्तिय वर्ष 2020-21 के राज्य वित्त एवं केन्द्रिय वित्त के अन्तर्गत तालिका नं० 1 एवं तालिका नं0 2से निर्माण कार्यों पर कुल रू0-19893502.00 व्यय किया जाता है। उक्त कराये गये कार्यों में निर्धारित 1 प्रतिशत की दर से लेबर शेष की कटौती रू0 198935.00 नहीं की गयी है। यह लेबर सेस की कटौती नहीं करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। इस लेबर सेस रू0-198935.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री पी०के० सिंह एवं श्री एस०के० सिंह और लेखाकार श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता से ब्याज सहित वसूल कर जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त एवं कन्द्रिय वित्त से कराये गये कार्य (तालिका नं० 1 एवं तालिका नं0 2) हेतु कय सामाग्री रू0-18367779.00 फर्मों से की गयी है, लेकिन संस्था द्वारा जी०एस०टी० की कटौती नहीं की गयी है। संस्था द्वारा रू0-367356.00 की कटौती नहीं करके वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री पी०के० सिंह एवं श्री एस०के सिंह और लेखाकार श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता से ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है

6. क्षेत्र पंचायत- गड़वार लेखा परीक्षा वर्ष- 2020-21

प्रस्तर- 18 ग्राम पंचायत आसन में मन्दिर पर आर0ओ0 प्लाण्ट स्थापना कार्य की पत्रावली की जॉच में निम्न आपत्तियॉ पाई गयीं। स्टीमेट,

1- स्टीमेट,सामग्री आपर्ति आदेश,त्रिस्तरीय फोटो,कार्यप्रभारी नियुक्ति आदेश आदि पत्रावली में अनुपलब्ध है।

2- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्रकि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है",इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलबध नहीं है।

3- फर्म सरिता इलेक्ट्रिकल्स सहादतपुरा मऊ के साथ किये गये अनुबंध पत्र की पति पत्रावली में उपलव्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।

4- कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5- इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम बी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

6- बिल फर्म विलेज साल्यूशन डुमरी रसड़ा बलिया के प्रथम बिल रू0 16902.00 जिसपर दिनांक अंकित नहीं है एवं टैक्स नहीं जोड़ा गया है। नोटशीट पर रू0 2028.00 टैक्स जोड़कर रू0 18930.00 किया गया है। नोटशीट के अनुसार द्वितीय बिल रू0 219968.00 पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। बिल अथवा अन्य अभिलेखों पर कहीं आर0ओ0 कम्पनी का मार्का,पावर क्षमता,साइज आदि का उल्लेख नहीं है। बिल पर काग्रप्रभारी अथवा अन्य कोई जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा स्टाक प्राप्ति का उल्लेख नहीं है और न ही सामग्री आपूर्ति चालान ही उपलब्ध है। इससे समबन्धित गारण्टी कार्ड एवं फ्री मेन्टीनेन्श सम्बन्धी अनुबन्ध पत्र भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। आर0ओ0 प्लाण्ट चलाने हेतु विजली विभाग से कनेक्शन भी नहीं लिया गया है।

7- भुगतान नोटशीट पर कार्यप्रभारी एवं अवर अभियन्ता की संस्तुति का उल्लेख है परन्तु कौन कार्य प्रभारी है और कौन अवर अभियन्ता है इसका कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नोटशीट पर भी इनके हस्ताक्षर एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है।

इस प्रकार क्रय स्टाक के आमद एवं स्थापना तथा उपभोग सम्बन्धी कोई साक्ष्य आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि फर्म से मिलीभगत कर कटौती उपरान्त कुल व्यय रू0 471556.00 का अपहरण किया गया है, जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री रामाशीष/हरिश्चन्द्र प्रजापति खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली/आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 19 ग्राम पंचायत पचखोरा में पचखोरा बाजार में आर० ओ० प्लाण्ट स्थापना कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपतियां पाई गयी:

1- स्टीमेट,सामग्री आपर्ति आदेश,त्रिस्तरीय फोटो,कार्यप्रभारी नियुक्ति आदेश आदि पत्रावली में अनुपलब्ध है।

2- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्रकि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है",इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलबध नहीं है।

3- फर्म सरिता इलेक्ट्रिकल्स सहादतपुरा मऊ के साथ किये गये अनुबंध पत्र की पति पत्रावली में उपलव्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।

4- कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई सादय लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5- इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम बी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

6- बिल फर्म सरिता इलेक्ट्रिकल्स सहादतपुरा मऊ के फोटो स्टेट बिल पर तैयार किया गया है जिसपर बुक संख्या एवं क्रमांक अंकित नहीं है। बिल अथवा अन्य अभिलेखों पर कहीं भी आर० ओ० कम्पनी का माको, पावर क्षमता, साइज आदि का उल्लेख नहीं है। बिल पर कार्यप्रभारी अथवा अन्य कोई जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा स्टाक प्राप्ति का उल्लेख नहीं है और न ही सामग्री आपूर्ति चालान ही उपलब्ध है। इससे सम्बन्धित गारण्टी कार्ड एवं फ्री मेन्टीनेन्श सम्बन्धी अनुबन्ध पत्र भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। आर० ओ० प्लाण्ट चलाने हेतु विजली विभाग से कनेक्शन भी नहीं लिया गया है।

7- भुगतान नोटशीट पर कार्यप्रभारी एवं अवर अभियन्ता की संस्तुति का उल्लेख है परन्तु कौन कार्य प्रभारी है और कौन अवर अभियन्ता है इसका कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नोटशीट पर भी इनके हस्ताक्षर एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है।

इस प्रकार क्रय स्टाक के आमद एवं स्थापना तथा उपभोग सम्बन्धी कोई साक्ष्य आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि फर्म से मिलीभगत कर कटौती उपरान्त कुल व्यय रू0 471556.00 का अपहरण किया गया है, जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री रामाशीष/हरिश्चन्द्र प्रजापति खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली/आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 20 ग्राम पंचायत धनौती धूरा में शिव मन्दिर में आर० ओ० प्लाण्ट स्थापना कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपतियां पाई गयी:

1- स्टीमेट,सामग्री आपर्ति आदेश,त्रिस्तरीय फोटो,कार्यप्रभारी नियुक्ति आदेश आदि पत्रावली में अनुपलब्ध है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारमभ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलबध नहीं है।

2- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है",इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलबध नहीं है।

3- फर्म सरिता इलेक्ट्रिकल्स सहादतपुरा मऊ के साथ किये गये अनुबंध पत्र की पति पत्रावली में उपलव्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।

4- कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5- इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम बी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

6- बिल फर्म सरिता इलेक्ट्रिकल्स सहादतपुरा मऊ के फोटो स्टेट बिल पर तैयार किया गया है जिसपर बुक संख्या एवं क्रमांक अंकित नहीं है। बिल अथवा अन्य अभिलेखों पर कहीं भी आर० ओ० कम्पनी का माको, पावर क्षमता, साइज आदि का उल्लेख नहीं है। बिल पर कार्यप्रभारी अथवा अन्य कोई जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा स्टाक प्राप्ति का उल्लेख नहीं है और न ही सामग्री आपूर्ति चालान ही उपलब्ध है। इससे सम्बन्धित गारण्टी कार्ड एवं फ्री मेन्टीनेन्श सम्बन्धी अनुबन्ध पत्र भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। आर० ओ० प्लाण्ट चलाने हेतु विजली विभाग से कनेक्शन भी नहीं लिया गया है।

7- भुगतान नोटशीट पर कार्यप्रभारी एवं अवर अभियन्ता की संस्तुति का उल्लेख है परन्तु कौन कार्य प्रभारी है और कौन अवर अभियन्ता है इसका कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नोटशीट पर भी इनके हस्ताक्षर एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है।

इस प्रकार क्रय स्टाक के आमद एवं स्थापना तथा उपभोग सम्बन्धी कोई साक्ष्य आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि फर्म से मिलीभगत कर कटौती उपरान्त कुल व्यय रू0 471556.00 का अपहरण किया गया है, जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री रामाशीष/हरिश्चन्द्र प्रजापति खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली/आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 21 ग्राम पंचायत नरायनपुर की में हनुमान मन्दिर पर आर० ओ० प्लाण्ट स्थापना कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपतियां पाई गयी

1- स्टीमेट,सामग्री आपर्ति आदेश,त्रिस्तरीय फोटो,कार्यप्रभारी नियुक्ति आदेश आदि पत्रावली में अनुपलब्ध है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारमभ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलबध नहीं है।

2- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है",इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलबध नहीं है।

3- फर्म सरिता इलेक्ट्रिकल्स सहादतपुरा मऊ के साथ किये गये अनुबंध पत्र की पति पत्रावली में उपलव्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।

4- कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5- इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम बी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

6- बिल फर्म सरिता इलेक्ट्रिकल्स सहादतपुरा मऊ के फोटो स्टेट बिल पर तैयार किया गया है जिसपर बुक संख्या एवं क्रमांक अंकित नहीं है। बिल अथवा अन्य अभिलेखों पर कहीं भी आर० ओ० कम्पनी का माको, पावर क्षमता, साइज आदि का उल्लेख नहीं है। बिल पर कार्यप्रभारी अथवा अन्य कोई जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा स्टाक प्राप्ति का उल्लेख नहीं है और न ही सामग्री आपूर्ति चालान ही उपलब्ध है। इससे सम्बन्धित गारण्टी कार्ड एवं फ्री मेन्टीनेन्श सम्बन्धी अनुबन्ध पत्र भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। आर० ओ० प्लाण्ट चलाने हेतु विजली विभाग से कनेक्शन भी नहीं लिया गया है।

7- भुगतान नोटशीट पर कार्यप्रभारी एवं अवर अभियन्ता की संस्तुति का उल्लेख है परन्तु कौन कार्य प्रभारी है और कौन अवर अभियन्ता है इसका कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नोटशीट पर भी इनके हस्ताक्षर एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है।

इस प्रकार क्रय स्टाक के आमद एवं स्थापना तथा उपभोग सम्बन्धी कोई साक्ष्य आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि फर्म से मिलीभगत कर कटौती उपरान्त कुल व्यय रू0 471556.00 का अपहरण किया गया है, जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री रामाशीष/हरिश्चन्द्र प्रजापति खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली/आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर-22 ग्राम पंचायत बभनौली में जगली बाबा मन्दिर पर आर० ओ० प्लाण्ट स्थापना कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपतियां पाई गयी

1- स्टीमेट,सामग्री आपर्ति आदेश,त्रिस्तरीय फोटो,कार्यप्रभारी नियुक्ति आदेश आदि पत्रावली में अनुपलब्ध है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारमभ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलबध नहीं है।

2- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है",इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलबध नहीं है।

3- फर्म सरिता इलेक्ट्रिकल्स सहादतपुरा मऊ के साथ किये गये अनुबंध पत्र की पति पत्रावली में उपलव्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।

4- कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5- इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम बी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

6- बिल फर्म सरिता इलेक्ट्रिकल्स सहादतपुरा मऊ के फोटो स्टेट बिल पर तैयार किया गया है जिसपर बुक संख्या एवं क्रमांक अंकित नहीं है। बिल अथवा अन्य अभिलेखों पर कहीं भी आर० ओ० कम्पनी का माको, पावर क्षमता, साइज आदि का उल्लेख नहीं है। बिल पर कार्यप्रभारी अथवा अन्य कोई जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा स्टाक प्राप्ति का उल्लेख नहीं है और न ही सामग्री आपूर्ति चालान ही उपलब्ध है। इससे सम्बन्धित गारण्टी कार्ड एवं फ्री मेन्टीनेन्श सम्बन्धी अनुबन्ध पत्र भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। आर० ओ० प्लाण्ट चलाने हेतु विजली विभाग से कनेक्शन भी नहीं लिया गया है।

प्रस्तुत प्रथम बिल दिनांक 27.10.21 रु. 251104.00 पर आर०ओ० प्लाण्ट का मूल्य रु 142200.00 अंकित है जबकि बाद में पूर्ण बिल दिए 10.12.21 रु. 481178.00 पर आर०ओ० मूल्य रु. 14200.00 अंकित है। संलग्न एम०बी० के फोटो स्टेट पर कार्य प्रारम्भ एवं समाप्त तिथि एवं आर० ओ० कम्पनी का माको पावर क्षमता, साइज आदि का उल्लेख नहीं है।

7. भुगतान नोटशीट पर कार्यप्रभारी की संस्तुति का उल्लेख है परन्तु इसका कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नोटशीट पर भी इनके हस्ताक्षर नहीं अंकित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्टतः कार्य सम्पादन में दर्शित कटौटी उपरान्त कुल व्यय धनराशि रू0 471556.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी श्री रामाशीष हरिश्चन्द्र प्रजापति एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 23

ग्राम पंचायत बलेजी में आर० ओ० प्लाण्ट स्थापना कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीः-

1. सामग्री आपूर्ति आदेश,त्रिस्तारीय फोटो,कार्यप्रभारी नियुक्ति आदेश आदि पत्रावली में अनुपलब्ध है। स्टीमेट आधा धूरा तैयार किया गया है तथा इस पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है",इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलबध नहीं है।
3. फर्म सरिता इलेक्ट्रिकल्स सहादतपुरा मऊ के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम बी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. फर्म बिलेज सरिता इलेक्ट्रिकल्स सहादतपुरा मऊ के फोटो स्टेट बिल पर तैयार किया गया है जिसपर बुक संख्या एवं क्रमांक अंकित नहीं है। बिल अथवा अन्य अभिलेखों पर कहीं भी आर० ओ० कम्पनी का माको, पावर क्षमता, साइज आदि का उल्लेख नहीं है। बिल पर कार्यप्रभारी अथवा अन्य कोई जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा स्टाक प्राप्ति का उल्लेख नहीं है और न ही सामग्री आपूर्ति चालान ही उपलब्ध है। इससे सम्बन्धित गारण्टी कार्ड एवं फ्री मेन्टीनेन्श सम्बन्धी अनुबन्ध पत्र भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। आर० ओ० प्लाण्ट चलाने हेतु विजली विभाग से कनेक्शन भी नहीं लिया गया है।
7. भुगतान नोटशीट पर कार्यप्रभारी एवं अवर अभियन्ता की संस्तुति का उल्लेख है परन्तु कौन कार्य प्रभारी है इसका कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नोटशीट पर भी इनके हस्ताक्षर एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है। दवित्तीय बिल भुगतान नोटशीटपर उच्च प्राथमिक विद्यालय पचखोरा कला का नाम अंकित है जबकि पत्रावली बलेजी ग्राम सभा की है।

इस प्रकार क्रय स्टाक के आमद एवं स्थापना तथा उपभोग सम्बन्धी कोई साक्ष्य आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि फर्म से मिलीभगत कर कटौती उपरान्त कुल व्यय रू0 234122.00 का अपहरण किया गया है, जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, श्री अभय बहादंर सिंह/हरिश्चन्द्र प्रजापति खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली/आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर-24 ग्राम पंचायत बाराबाध में आर० ओ० प्लाण्ट स्थापना कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपतिया पाई गयी

1. सामग्री आपूर्ति आदेश, त्रिस्तरीय फोटो, कार्यप्रभारी नियुक्ति आदेश आदि पावली में अनुपलब्ध है। स्टीमेट आधा धूरा तैयार किया गया है तथा इस पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनाक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनाक अंकित नहीं है। खण्ड विकास धिकारी एवं ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि 'सदमित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है. इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
3. फर्म विलेज साल्यूशन डुमरी रसडा बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की पति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य के जियो टंग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एस बी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. -फर्म विलेज साल्यूशन डुमरी रसड़ा बलिया के प्रथम बिल रू0 16902.00 दिनाक 5.1.22 जिसपर टैक्स नहीं जोड़ा गया है। नोटशीट पर रू- 2028.00 टैक्स जोडकर रु- 18930.00 किया गया है। नोटशीट के अनुसार द्वितीय बिल/प्रमाणक रु-219968.00 पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। बिल अथवा अन्य अभिलेखों पर कही भी आर० ओ० कम्पनी का माको, पावर क्षमता, साइज आदि का उल्लेख नहीं है। बिल पर कार्यप्रभारी अथवा अन्य कोई जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा स्टाक प्राप्ति का उल्लेख नहीं है और न ही सामग्री आपूर्ति चालान ही उपलब्ध है। इससे सम्बन्धित गारण्टी कार्ड एवं फ्री मेन्टीनेन्स सम्बन्धी अनुबन्ध पत्र भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। आर० ओ० प्लाण्ट चलाने हेतु विजली विभाग से कनेक्शन भी नहीं लिया गया है।
7. भुगतान नोटशीट पर कार्यप्रभारी एवं अवर अभियन्ता की संस्तुति का उल्लेख है परन्तु कौन कार्य प्रभारी है इसका कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नोटशीट पर भी इनके हस्ताक्षर एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार क्रय स्टाक के आमद एवं स्थापना तथा उपभोग सम्बन्धी कोई साक्ष्य आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि फर्म से मिलीभगत कर कटौती उपरान्त कुल व्यय रू0 223344.00 का अपहरण किया गया है, जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, श्री अभय बहादंर सिंह/हरिश्चन्द्र प्रजापति खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली/आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायत कोपवा में आर० ओ० प्लाण्ट स्थापना कार्य की पावली की जांच में निम्न आपतिया धाई समी

1. सामग्री आपूर्ति आदेश, त्रिस्तरीय फोटो, कार्यपभारी नियुक्ति आदेश आदि पत्रावली में अनुपलब्ध है। स्टीमेट आधा अधूरा तैयार किया गया है तथा इस पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि 'संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है. इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। पूरी पत्रावली में कही भी कार्य पारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलक्षा नहीं है।
3. फर्म विलेज साल्यूशन डुमरी रसडा बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम बी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. फर्म विलेज साल्यूशन हुमरी रसड़ा बलिया के प्रथम बिल रू0 16902.00 दिनांक 3.1.22 जिसपर टैक्स नहीं जोड़ा गया है। नोटशीट पर रु- 2028.00 टैक्स जोड़कर रू. 18930.00 किया गया है। नोटशीट के

अनुसार द्वितीय बिल / प्रमाणक रु-219968.00 पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। बिल अथवा अन्य अभिलेखों पर कहीं भी आर० ओ० कम्पनी का माको पावर क्षमता, साइज आदि का उल्लेख नहीं है। बिल पर कार्यप्रभारी अथवा अन्य कोई जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा स्टाक प्राप्ति का उल्लेख नहीं है और न ही सामग्री आपूर्ति चालान ही उपलब्ध है। इससे सम्बन्धित गारण्टी कार्ड एवं फ्री मेन्टीनेन्स सम्बन्धी अनुबन्ध पत्र भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। आर० ओ० प्लाण्ट चलाने हेतु विजली विभाग से कनेक्शन भी नहीं लिया गया है।

7. भुगतान नोटशीट पर कार्यप्रभारी एवं अवर अभियन्ता की संस्तुति का उल्लेख है परन्तु कौन कार्य प्रभारी है इसका कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नोटशीट पर भी इनके हस्ताक्षर एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है।

इस प्रकार क्रय स्टाक के आमद एवं स्थापना तथा उपभोग सम्बन्धी कोई साक्ष्य आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है। कि फर्म से मिलीभगत कर कटौती उपरान्त कुल व्यय रू0 223344.00 का अपहरण किया गया है, जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, श्री अभय बहादुर सिंह। हरिश्चन्द्र प्रजापति खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली / आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 26 ग्राम पंचायत पियरिया में आर० ओ० प्लाण्ट स्थापना कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपतियां पाई गयीः-

1. सामग्री आपूर्ति आदेश, त्रिस्तरीय फोटो, कार्यप्रभारी नियुक्ति आदेश आदि पत्रावली में अनुपलब्ध है। स्टीमेट आधा अधूरा तैयार किया गया है तथा इस पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि 'संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है, इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
3. फर्म विलेज साल्यूशन डुमरी रसड़ा बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपत्तिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम बी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. फर्म विलेज साल्यूशन हुमरी रसड़ा बलिया के प्रथम बिल रू0 16902.00 दिनांक 3.1.22 जिसपर टैक्स नहीं जोड़ा गया है। नोटशीट पर रु- 2028.00 टैक्स जोड़कर रू. 18930.00 किया गया है। नोटशीट के अनुसार द्वितीय बिल / प्रमाणक रु-219968.00 पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। बिल अथवा अन्य अभिलेखों पर कहीं भी आर० ओ० कम्पनी का माको पावर क्षमता, साइज आदि का उल्लेख नहीं है। बिल पर कार्यप्रभारी अथवा अन्य कोई जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा स्टाक प्राप्ति का उल्लेख नहीं है और न ही सामग्री आपूर्ति चालान ही उपलब्ध है। इससे सम्बन्धित गारण्टी कार्ड एवं फ्री मेन्टीनेन्स सम्बन्धी अनुबन्ध पत्र भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। आर० ओ० प्लाण्ट चलाने हेतु विजली विभाग से कनेक्शन भी नहीं लिया गया है।
7. भुगतान नोटशीट पर कार्यप्रभारी एवं अवर अभियन्ता की संस्तुति का उल्लेख है परन्तु कौन कार्य प्रभारी है इसका कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नोटशीट पर भी इनके हस्ताक्षर एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है।

इस प्रकार क्रय स्टाक के आमद एवं स्थापना तथा उपभोग सम्बन्धी कोई साक्ष्य आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि फर्म से मिलीभगत कर कटौती उपरान्त कुल व्यय रू0 223344.00 का अपहरण किया गया है, जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, श्री अभय बहादुर सिंह। हरिश्चन्द्र प्रजापति खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का

स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली / आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 27 धनौती सलेम में महावीर मन्दिर से नेमा चौहान के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य की पत्रावनी की जाय में निम्न आपतियां पाई गयी-

1. सामग्री आपूर्ति आदेश, त्रिस्तरीय फोटो, कार्यप्रभारी नियुक्ति आदेश आदि पत्रावली में अनुपलब्ध है। स्टीमेट आधा अधूरा तैयार किया गया है तथा इस पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है. इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
3. फर्म शिवानन्द यादव खेजुरी बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम बी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. नोटशीट के अनुसार बिल / प्रमाणक रू-384525.00 पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।
7. भुगतान नोटशीट पर कार्यप्रभारी एवं अवर अभियन्ता की संस्तुति का उल्लेख है परन्तु कौन कार्य प्रभारी है तथा किसके द्वारा एम0बी0 किया गया है। इसका कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नोटशीट पर भी इनके हस्ताक्षर एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है।

इस प्रकार क्रय स्टाक के आमद तथा कार्य पूर्ण होने एवं सृजित संपति का क्षेत्र पंचायत को हस्तानन्तरण सम्बन्धी कोई साक्ष्य आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि फर्म से मिलीभगत कर कटौती उपरान्त प्रमाणक विहीन कुल व्यय रु0 377659.00 का अपहरण किया गया है, जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार,श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता,श्री अभय बहादुर सिंह। हरिश्चन्द्र प्रजापति खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली / आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर-28 ग्राम सभा पिपराकला के पटपर में मदन गोड़ के दरवाजे से शंकर यादव के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयी:-

1. स्टीमेट आधा अधूरा तैयार किया गया है तथा इस पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है. इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
3. फर्म शिवानन्द यादव खेजुरी बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। सृजित संपति का क्षेत्र पंचायत को हस्तानन्तरण संबंधी कोई साक्ष्य ऑडिट में प्रस्तुत नहीं रहा।
6. नोटशीट के प्रथम के अनुसार बिल रु- 190917:00 में कटौती उपरान्त 187509.00 भुगतान आदेश के बाद मात्र रु.20970.00 का भुगतान किया गया। बाद में सम्पूर्ण बिल रु- 592319.00 में पूर्व भुगतातिन

रु.20970.00 घटाकर शेष रु 571349.99 पर कटौती उपरान्त रु- 565053.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार पूर्व भुगतानित रु- 20970.00 पर जी०एसण्टी की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति की गई है। प्रमाणक रु-592319.00 अथवा ठेकेदार का भुगतान प्राप्त करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

7. भुगतान नोटशीट पर अवर अभियन्ता की संस्तुति का उल्लेख है. नोटशीट पर भी इनके हस्ताक्षर नहीं अंकित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट कार्य सम्पादन में दर्शित कटौटी उपरान्त कुल व्यय धनराशि रु0 586023.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार,श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी श्री अभय बहादुर सिंह। हरिश्चन्द्र प्रजापति एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 29

ग्राम सभा पचखोरा कला में रघुनाथ खरवार के घर से नहर के पुल तक पेवर्स ब्लाक कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीः-

1. स्टीमेट आधा अधूरा तैयार किया गया है तथा इस पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है। ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. फर्म शिवानन्द यादव खेजुरी बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्भ, मध्य का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। सृजित संपत्ति का क्षेत्र पंचायत को हस्तानन्तरण संबंधी कोई साक्ष्य ऑडिट में प्रस्तुत नहीं रहा।
6. प्रमाणक रू-830587.00 अथवा ठेकेदार का भुगतान प्राप्त करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।
7. भुगतान नोटशीट पर अवर अभियन्ता की संस्तुति का उल्लेख है नोटशीट पर भी इनके हस्ताक्षर नहीं अंकित है। प्रथम भुगतान रू-101724.00 दिए 8.1.22 के समय कोई एम०बी० नहीं किया गया है। अन्तिम भुगतान के पूर्व ही पूरी एम०बी० एक साथ की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्टतः कार्य सम्पादन में दर्शित कटौटी उपरान्त कुल व्यय धनराशि रू0 812389.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी श्री अभय बहादुर सिंह। हरिश्चन्द्र प्रजापति एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर-30 विकास खण्ड गड़वार के विभिन्न सार्वजनिक स्थानो पर 44 अदद सोलर लाइट स्थापना कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीः-

1. स्टीमेट पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनांक तथा स्थानो की सूची आदि अंकित नहीं है।

2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
3. फर्म मे0 श्री निवास सिंह खैरातपुर सिंधारी आजमगढ़ के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपत्तिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्म, मध्य का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा किन-किन स्थानों पर सोलर लाइट लगवाया गया है, इसकी सूची पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नियमानुसार नेडा से क्रय न करके प्राइवेट फर्म से क्रय किया गया है।
5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम बी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुश्टि नहीं की जा सकी।
6. बिल अथवा अन्य अभिलेखों पर कहीं भी बल्व एवं बैटरी के कम्पनी का मार्का,पावर मार्गावर समापन की साइज आदि का उत्सल्य नहीं है। बिल पर कार्य प्रभारी अथवा अन्य कोई जिम्मेदार पदाधिकारी दवारा स्टाक प्राप्ति का उल्लेख नहीं है और न ही सामग्री आपूति चालान ही उपलब्ध है। इससे सम्बन्धित गारण्टी काहे एवं फ्री मेन्टीनेन्ना सम्बन्धी अनुबन्ध पर भी पावली में उपलब्ध रही है। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
7. भुगतान नोटशीट पर कार्यप्रभारी एवं अवर अभियन्ता की संस्तुति का उल्लेख है परन्तु लोडशीट पर भी इनके हस्ताक्षर एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है।

इस प्रकार क्रय स्टाक के आमद एवं स्थापना तथा उपभोग सम्बन्धी कोई साक्ष्य आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि फर्म से मिलीभगत कर कटौती उपरान्त कुल व्यय रु० 970200.00 का अपहरण किया गया है, जिस हेतु श्री जय प्रकाश सिंह सहायक विकास अधिकारी कार्यप्रभारी, श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री रामाशीष/हरिश्चन्द्र प्रजापति खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली / आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 31 ग्राम पंचायत आसन में यात्री शेड का निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपतियां पाई गयीः-

1. स्टीमेट आधा अधूरा तैयार किया गया है तथा इस पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है, इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
3. फर्म खुशी इन्टरप्राइजेज बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्भ, मध्य का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम बी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। सृजित संपत्ति का क्षेत्र पंचायत को हस्तानन्तरण संबंधी कोई साक्ष्य ऑडिट में प्रस्तुत नहीं रहा।
6. प्रमाणक रु-347374.00 पर फर्म के किसी जिम्मेदार पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं हैं। नोटशीट के अनुसार कटौती उपरान्त रु 340426.00 के भुगतान का आदेश पारित है जिसके सापेक्ष रु- 50.00 बढ़ाकर रु- 240476.00 का भुगतान किया गया है जो वसूली योग्य है।
7. भुगतान नोटशीट पर अवर अभियन्ता की संस्तुति का उल्लेख है परन्तु किसके द्वारा एम०बी० किया गया है। इसका कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नोटशीट पर भी इनके हस्ताक्षर एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्टतः कार्य सम्पादन में दर्शित कटौती उपरान्त कुल व्यय धनराशि रू0 340476.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र प्रजापति एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 32 ग्राम पंचायत सिंहाचवर में यात्री शेड का निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपतियां पाई गयीः-

1. स्टीमेट आधा अधूरा तैयार किया गया है तथा इस पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है, इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
3. फर्म खुशी इन्टरप्राइजेज बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्भ, मध्य का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम बी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। सृजित संपत्ति का क्षेत्र पंचायत को हस्तानन्तरण संबंधी कोई साक्ष्य ऑडिट में प्रस्तुत नहीं रहा।
6. प्रमाणक रु-347374.00 पर फर्म के किसी जिम्मेदार पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं हैं। नोटशीट के अनुसार कटौती उपरान्त रु 340426.00 के भुगतान का आदेश पारित है जिसके सापेक्ष रु- 50.00 बढ़ाकर रु- 240476.00 का भुगतान किया गया है जो वसूली योग्य है।
7. भुगतान नोटशीट पर अवर अभियन्ता की संस्तुति का उल्लेख है परन्तु किसके द्वारा एम०बी० किया गया है। इसका कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नोटशीट पर भी इनके हस्ताक्षर एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्टतः कार्य सम्पादन में दर्शित कटौती उपरान्त कुल व्यय धनराशि रू0 340476.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र प्रजापति एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर-33 ग्राम पंचायत पियरिया में यात्री शेड का निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपतियां पाई गयीः-

1. स्टीमेट आधा अधूरा तैयार किया गया है तथा इस पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है, इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
3. फर्म खुशी इन्टरप्राइजेज बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्भ, मध्य का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम बी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। सृजित संपत्ति का क्षेत्र पंचायत को हस्तानन्तरण संबंधी कोई साक्ष्य ऑडिट में प्रस्तुत नहीं रहा।

6. प्रमाणक रु-347374.00 पर फर्म के किसी जिम्मेदार पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं हैं। नोटशीट के अनुसार कटौती उपरान्त रु 340426.00 के भुगतान का आदेश पारित है जिसके सापेक्ष रु- 50.00 बढ़ाकर रु- 240476.00 का भुगतान किया गया है जो वसूली योग्य है।
7. भुगतान नोटशीट पर अवर अभियन्ता की संस्तुति का उल्लेख है परन्तु किसके द्वारा एम०बी० किया गया है। इसका कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नोटशीट पर भी इनके हस्ताक्षर एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्टतः कार्य सम्पादन में दर्शित कटौती उपरान्त कुल व्यय धनराशि रू0 340476.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र प्रजापति एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर-34

ग्राम पंचायत नरायनपुर कर्ची में यात्री शेड का निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपतियां पाई गयीः-

1. स्टीमेट आधा अधूरा तैयार किया गया है तथा इस पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है, इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
3. फर्म खुशी इन्टरप्राइजेज बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्भ, मध्य का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/एम बी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। सृजित संपत्ति का क्षेत्र पंचायत को हस्तानन्तरण संबंधी कोई साक्ष्य ऑडिट में प्रस्तुत नहीं रहा।
6. प्रमाणक रु-347374.00 पर फर्म के किसी जिम्मेदार पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं हैं। नोटशीट के अनुसार कटौती उपरान्त रु 340426.00 के भुगतान का आदेश पारित है जिसके सापेक्ष रु- 50.00 बढ़ाकर रु- 240476.00 का भुगतान किया गया है जो वसूली योग्य है।
7. भुगतान नोटशीट पर अवर अभियन्ता की संस्तुति का उल्लेख है परन्तु किसके द्वारा एम०बी० किया गया है। इसका कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नोटशीट पर भी इनके हस्ताक्षर एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है।
8. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्टतः कार्य सम्पादन में दर्शित कटौती उपरान्त कुल व्यय धनराशि रू0 340476.00 में प्रक्रियात्मक विचलन एवं नियमों व निर्देशों में गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र प्रजापति एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 35 ग्राम सभा अमडरिया में पी०डब्ल्यू0डी0 से उमेश राम के घर होते हुए जमाल अख्तर के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य की पावली की जांच में निस्न आपत्तिन्तं पाई गयीः-

1. स्टीमेट आधा अधूरा तैयार किया गया है तथा इस पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनाक अंकित नहीं है। खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. फर्म शिवानन्द यादव खेजुरी बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। पूरी पत्रावली में कही भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। सृजित संपति का क्षेत्र पंचायत को हस्तानन्तरण संबंधी कोई साक्ष्य ऑडिट में प्रस्तुत नहीं रहा।
6. प्रमाणक रु-842864.00 अथवा ठेकेदार का भुगतान प्राप्त करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। प्रथम बिल रू 102002.00 पर दिनांक एवं फर्म के किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। प्रथम बिल का भुगतान दि0 8.1.22 को किया गया है जबकि द्वितीय बिल का भुगतान एक वर्ष से अधिक समय बाद दि० 25.1.23 को किया गया है। कार्य विलम्ब से हुआ अथवा भुगतान विलम्ब से हुआ या अन्य कोई कारण रहा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया ।
7. भुगतान नोटशीट पर अवर अभियन्ता की संस्तुति का उल्लेख है नोटशीट पर भी इनके एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है।

इस प्रकार क्रय स्टाक के आमद एवं निर्माण का होना तथा कार्य पूर्ण होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि फर्म ने मिलीभगत कर कटौती उपरान्त कुल व्यय रू0 100182.00 का अपहरण सिद्ध होता है, जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, हरिश्चन्द्र प्रजापति खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली / आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर-36 ग्राम सभा धनौती सलेम में आसन रतसड़ मार्ग से मस्जिद तक पेवर्स ब्लाक कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयी:-

1. स्टीमेट आधा अधूरा तैयार किया गया है तथा इस पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनाक अंकित नहीं है। खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. फर्म शिवानन्द यादव खेजुरी बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।

4. कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। पूरी पत्रावली में कही भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। सृजित संपति का क्षेत्र पंचायत को हस्तानन्तरण संबंधी कोई साक्ष्य ऑडिट में प्रस्तुत नहीं रहा।
6. नोट शीट के अनुसार प्रथम बिल रू0 147386.00 पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।
7. भुगतान नोटशीट पर अवर अभियन्त की संस्तुति का उललेख है नोटशीट पर भी इनके एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है। लेखा परीक्षा तिथि को पत्रावली के अनुसार कार्य अभी अधूरा है।

इस प्रकार क्रय स्टाक के आमद एवं निर्माण का होना तथा कार्य पूर्ण होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि फर्म ने मिलीभगत कर कटौती उपरान्त कुल व्यय रू0 144440.00 का अपहरण सिद्ध होता है, जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, हरिश्चन्द्र प्रजापति खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली / आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 37 ग्राम सभा कचबचिया कला में गोंड के घर से त्रिलोकी के घर तक पेवर्स ब्लाक कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयी:-

1. स्टीमेट आधा अधूरा तैयार किया गया है तथा इस पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनाक अंकित नहीं है। खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. फर्म शिवानन्द यादव खेजुरी बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। पूरी पत्रावली में कही भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. बिल रू0 54748.00 पर दिनांक एवं फर्म के किसी पदाधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी सहित किसी जिम्मेदार कर्मचारी का हस्ताक्षर नहीं हैं।
7. भुगतान नोटशीट पर अवर अभियन्त की संस्तुति का उललेख है नोटशीट पर भी इनके एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है। लेखा परीक्षा तिथि को पत्रावली के अनुसार कार्य अभी अधूरा है।

इस प्रकार क्रय स्टाक के आमद एवं निर्माण का होना तथा कार्य पूर्ण होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि फर्म से मिलीभगत कर कटौती उपरान्त कुल व्यय रू0 53772.00 का अपहरण सिद्ध होता है, जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, हरिश्चन्द्र प्रजापति खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली / आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर-38 क्षेत्र पंचायत गड़वार के अन्तर्गत विभिन्न प्राथमिकता विद्यालय पर स्मार्ट श्यामपट की स्थापना कार्य 10 अदद की पत्रावली की जॉच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं-

1. स्टीमेट आधा अधूरा तैयार किया गया है तथा इस पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनाक अंकित नहीं है। खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख का

हस्ताक्षर नहीं है। स्टीमेट 100 श्यामपट का दर 9900.00 से है जबकि मात्र 10 श्यामपट का कार्य दर्शित है।

2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. फर्म विलेज साल्यूशन डुमरी रसड़ा बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। पूरी पत्रावली में कही भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। स्थानों की सूची भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।
5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. बिल रू0 99000.00 पर खण्ड विकास अधिकारी सहित किसी जिम्मेदार कर्मचारी का हस्ताक्षर नहीं हैं।
7. भुगतान नोटशीट पर अवर अभियन्त की संस्तुति का उललेख है नोटशीट पर भी इनके एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है।

इस प्रकार क्रय स्टाक के आमद एवं निर्माण का होना तथा कार्य पूर्ण होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि फर्म से मिलीभगत कर कटौती उपरान्त कुल व्यय रू0 97020.00 का अपहरण सिद्ध होता है, जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, हरिश्चन्द्र प्रजापति खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली / आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 39 क्षेत्र पंचायत गड़वार के अन्तर्गत विभिन्न प्राथमिकता विद्यालय पर स्मार्ट श्यामपट की स्थापना कार्य 100 अदद की पत्रावली की जॉच में निम्न आपत्तियां पाई गयीं-

1. स्टीमेट आधा अधूरा तैयार किया गया है तथा इस पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनाक अंकित नहीं है। खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है। स्टीमेट 100 श्यामपट का दर 9900.00 से है जबकि मात्र 10 श्यामपट का कार्य दर्शित है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. फर्म विलेज साल्यूशन डुमरी रसड़ा बलिया के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। पूरी पत्रावली में कही भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। स्थानों की सूची भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।
5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. बिल रू0 99000.00 पर खण्ड विकास अधिकारी सहित किसी जिम्मेदार कर्मचारी का हस्ताक्षर नहीं हैं।

7. भुगतान नोटशीट पर अवर अभियन्त की संस्तुति का उललेख है नोटशीट पर भी इनके एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है।

इस प्रकार क्रय स्टाक के आमद एवं स्थापना तथा कार्य पूर्ण होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि फर्म से मिलीभगत कर कटौती उपरान्त कुल व्यय रू0 970200.00 का अपहरण सिद्ध होता है, जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, हरिश्चन्द्र प्रजापति खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली / आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 40

विकास खंड गड़वार के परिसर में ए0डी0ओ0 आवास का मरम्मत कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीः-

1. स्टीमेट आधा अधूरा तैयार किया गया है तथा इस पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनाक अंकित नहीं है। खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. फर्म जानकी इन्टरप्राइजेज के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। पूरी पत्रावली में कही भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. बिल रू0 71599.00 पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।
7. भुगतान नोटशीट पर अवर अभियन्त की संस्तुति का उललेख है नोटशीट पर भी इनके एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है।

इस प्रकार क्रय स्टाक के आमद एवं निर्माण का होना तथा कार्य पूर्ण होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि फर्म से मिलीभगत कर कटौती उपरान्त कुल व्यय रू0 70321.00 का अपहरण सिद्ध होता है, जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, हरिश्चन्द्र प्रजापति खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली / आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 41

विकास खंड गड़वार के डवाकराहाल में खिड़की दरवाज के अवशेष भाग,छत मरम्मत सुन्दरीकरण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीः-

1. स्टीमेट पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनाक अंकित नहीं है। ब्लाक प्रमुख का हस्ताक्षर नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. फर्म जानकी इन्टरप्राइजेज के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। पूरी पत्रावली में कही भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. बिल रू0 87796.00 पर दिनांक अंकित नहीं है। खण्ड विकास अधिकारी सहित किसी जिम्मेदार कर्मचारी का हस्ताक्षर नहीं हैं।
7. भुगतान नोटशीट पर अवर अभियन्त की संस्तुति का उललेख है नोटशीट पर भी इनके एवं प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है।

इस प्रकार क्रय स्टाक के आमद एवं निर्माण का होना तथा कार्य पूर्ण होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि फर्म से मिलीभगत कर कटौती उपरान्त कुल व्यय रू0 76230.00 का अपहरण सिद्ध होता है, जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, हरिश्चन्द्र प्रजापति खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली / आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 42

विकास खंड गड़वार के डवाकराहाल के मरम्मत एवं सुन्दरीकरण कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीः-

1. स्टीमेट पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनाक अंकित नहीं है।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. फर्म जानकी इन्टरप्राइजेज के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपतिजनक है।
4. कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं अन्त का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। पत्रावली में कही भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. फर्म के बिल रू0 495972.00 पर फर्म के किसी जिम्मेदार कर्मचारी का हस्ताक्षर नहीं हैं।
7. भुगतान नोटशीट पर अवर अभियन्त की संस्तुति का उललेख है नोटशीट पर प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है।

इस प्रकार क्रय स्टाक के आमद एवं निर्माण का होना तथा कार्य पूर्ण होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि फर्म से मिलीभगत कर कटौती उपरान्त कुल व्यय रू0 486052.00 का अपहरण सिद्ध होता है, जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, हरिश्चन्द्र प्रजापति खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली/आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 43

क्षेत्र पंचायत गड़वार के विभिन्न स्थानों पर सोलर हाईमास्टर लाइट स्थापना कार्य की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गयीः-

1. स्टीमेट पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राकलन संख्या एवं दिनाक अंकित नहीं है। स्टीमेट के अनुसार कुल 7 सोलर लाइट दर 124800.00 से लगवाने का प्रस्ताव है जबकि बिल 8 लाइट दर 89900.00 का संलग्न है। बिचलन का कारण स्पष्ट नहीं रहा।
2. पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. फर्म खुशी इन्टरप्राइजेज के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जो आपतिजनक है। कार्यादेश पर पत्रांक अंकित नहीं है।
4. कार्य के प्रारम्भ, मध्य का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। पत्रावली में कही भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। स्थानों की सूची भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।
5. इस कार्य से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं एम०बी० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. फर्म के बिल रू0 719200.00 पर खण्ड विकास अधिकारी सहित किसी जिम्मेदार कर्मचारी का हस्ताक्षर नहीं हैं। नियमानुसार नेडा से क्रय न करके प्राइवेट फर्म से क्रय किया गया है।
7. भुगतान नोटशीट पर अवर अभियन्त की संस्तुति का उललेख है नोटशीट पर प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं अंकित है।

इस प्रकार क्रय स्टाक के आमद एवं स्थापना तथा कार्य पूर्ण होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि फर्म से मिलीभगत कर कटौती उपरान्त कुल व्यय रू0 669576.00 का अपहरण सिद्ध होता है, जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, रामाशीष/ हरिश्चन्द्र प्रजापति/ अभय बहादुर सिंह खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली/आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर-44

ग्राण्ट पंजी भाग-2एवं बैंक स्टेटमेन्ट की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार खाते से धन आहरित है परन्तु इसका लेखा ग्राण्ट पंजी भाग-2 में नहीं किया गया हैः-

दिनांक	धनराशि	खाता संख्या
22.3.2022	710665.00	यू0बी0आई0 राज्य वित्त
28.3.2022	10000.00	यू0बी0आई0 राज्य वित्त
22.3.2022	204792.00	यू0बी0आई0 केन्द्रिय वित्त
22.3.2022	368578.00	यू0बी0आई0 केन्द्रिय वित्त
223.2022	565053.00	यू0बी0आई0 केन्द्रिय वित्त
योग-	1859088.00	

उपरोक्त आहरण के सापेक्ष कोई प्रमाणक या पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त आहरित धन का अंकन ग्राण्ट पंजी भाग-2 में न किये जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार इस आहरित धन का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार,श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता,अभय बहादुर सिंह खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली/आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रस्तर- 45

वर्ष आलोच्य 2021-22 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य,निविदा प्रकिक्रया का नियमानुसार पालन करते हुए समपादित की जानी थी। परन्तु निविदा आमंत्रण हेतु बिक्री टेण्डर फार्म के सापेक्ष रूप पत्र 385 निर्गत नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत को कुल 39 प्राजेक्ट का कम से कम 3 निविदा फार्म का प्रति निविदा फार्म रू0 300.00 के आधार पर कुल रू0 35100.00 की राजस्व की क्षति आंकलित की गयी। जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार,श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता,श्री रामाशीष/हरिश्चप्द्र प्रजापति/अभय बहादुर सिंह खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल ्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति विभागीय जांचोपरांत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 46

निम्न विवरण के अनुसार ग्राण्ट रजिस्टर भाग-2 में व्यय अक़ित किया गया है

क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण

सं0			
1	28.10.2021	970200.00	विभिन्न स्थानों पर सोलर लाइट (राज्य वित्त)
2	28.10.2021	488927.00	फेफना में आक्सीजन प्लान्ट (राज्य वित्त)
3	08.01.2022	270868.00	पचखोरा कला में हरेराम के घर से सुरेन्द्र राम के घर तक इन्टरलाकिंग (राज्य वित)
4	08.01.2022	151900.00	विभिन्न स्थानो पर सोलर लाइट (राज्य वित्त)
5	08.01.2022	97521.00	प्रमुख कक्ष का सुन्दरीकरण (राज्य वित्त)
6	14.03.2022	353627.00	विकास खण्ड गड़वार में अज्ञात यात्री शेड निर्माण (राज्य वित्त)
7	14.03.2022	353627.00	विकास खण्ड गड़वार में अज्ञात यात्री शेड निर्माण (राज्य वित्त)
8	14.03.2022	342100.00	विभिन्न स्थानो पर सोलर लाइट (राज्य वित्त)
9	14.03.2022	500.00	स्टेशनरी व्यय (राज्य वित्त)
10	14.03.2022	10000.00	स्टेशनरी व्यय (राज्य वित्त)
11	10.09.2021	978432.00	हाई मास्ट सोलर लाइट (केन्द्रिय वित्त)
12	29.12.2021	856128.00	हाई मास्ट सोलर लाइट (केन्द्रिय वित्त)
13	08.01.2022	381984.00	जिगनी चौहान बस्ती से मुखिया सिंह के खेत तक खड़न्जा मरम्मत कार्य (केन्द्रिय वित)
14	18.02.2022	577478.00	जिगनी चौहान बस्ती से मुखिया सिंह के खेत तक खड़न्जा मरम्मत कार्य (केन्द्रिय वित)
15	08.01.2022	7234.00	धनौती सलेम मनोज चैहान के घर से सामु० शौचालय तक इन्टरलाकिंग (केन्द्रिय वित्त)
16	14.03.2022	353627.00	बहादुरपुर कारी में यात्री शेड निर्माण (केन्द्रिय वित्त)
17	14.03.2022	353627.00	नरायनपुर में यात्री शेड निर्माण (केन्द्रिय वित)
18	20.04.2021	10000.00	पंचायत चुनाव में हल्का नाश्ता (पंचायत चुनाव मद)
19	01.05.2021	60500.00	मतगणना कर्मी नाश्ता (पंचायत चुनाव मद)
20	18.05.2021	32900.00	मतदेय स्थल पर व्यय (पंचायत चुनाव मद)
	योग-	6655680.00	

उक्त व्यय रु- 6655680.00 के सापेक्ष प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा। लेखा परीक्षा अनुसार व्यय के सापेक्ष प्रमाण एवं पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना उक्त व्यय धन रु- 6655680.00 का अपहरण सिद्ध होता है, जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विजय कुमार यादव अवर अभियन्ता, श्री विनोद मणि त्रिपाठी । रामाशीष / हरिश्चन्द्र प्रजापति / अभय बहादुर सिंह खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण रहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर कार्य अवधि के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए वसूली । आवश्यक विधिक कार्यवाही जानी चाहिये।

प्रस्तर-47

पूर्वांचल बैंक गड़वार खाता सख्या 331399816 के सम्बन्ध में बताया गया कि यह पंचायत चुनाव एवं अन्य विविध खाता है। इस खाते के आय व्यय का अंकल ग्राण्ट पंजी भाग-2 में नहीं किया गया है। दि0 08.07.2021 को रू0 50854.00 एवं रू0 20305.00 कुल रू0 71159.00 आहरित है। इस आहरण के सापेक्ष कोई प्रमाण या पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त आहरित धन का अंकन ग्राण्ट पंजी भाग-2 में न किये जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया इस प्रकार इस आहरित धन का अपहरण सिद्ध होता है जिस हेतु श्री विनोद कुमार सिंह लेखाकार, श्री विनोद मणि त्रिपाठी खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री अतुल प्रताप सिंह ब्लाक प्रमुख संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा का स्पष्ट मत है कि प्रकरण की गहन एवं गम्भीर विभागीय जांच कर वसूली । आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

7.क्षेत्र पंचायत- बेरुआरवारी, लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर- 48

शासनादेश सं0-04/866/33-2-14-93जी0/2004 टी०सी० पंचायती राज अनुभाग-2 दिनांक 24-6-2021 तथा शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-7-2015 जसके अनुसार क्षेत्र पंचायत को प्राप्त विभिन्न अनुदानों से दो अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्य सम्पादित करने का पालन नहीं किया गया है। अधिकांश कार्य या तो एक ग्राम पंचायत दूसरे ग्राम पंचायत का एक ही ग्राम पंचायत भीतर स्थिति है। जो अनियमितता है।

ग्राम पं0 सूर्यपुरा में रामपति के दरवाजे से गंगाधर पाण्डेय के खेत तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य -	रू0 411735.00
ग्रा0 पं0 सूर्यपुरा में गांधी चबुतरा से जय प्रकाश सिंह के घर तक इंटर लाकिंग कार्य वा व्यय-	रू0 438100.00
ग्रा0पं0 जानपुर भुडियाटी में आदित्य नाथ के घर से राजेन्द्र वर्मा के घर तक हयुम पाईप द्वारा नाली निर्माण कार्य-	रू0 157598.00
	योग-1007433.00

8. क्षेत्र पंचायत- नगरा, लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर- 49

शासनादेश सं0 4/866/33-2-14जी/2004टी0सी0 दिनांक 24.06.2014 में स्पष्ट उल्लेख है कि " क्षेत्र पंचायत को जो भी धनराशि /अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है इससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभन्वित करने के लिए कार्य कराया" इसका स्पष्ट उल्लंघन करते हुएनिमनलिखित कायै ग्राम पंचायतों के अन्दर कराकर अनुदान राशि का अनियमित भुगतान किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कार्यकराये जाने के समबन्ध में प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः उकत निर्माण कार्य नियमों का पालन न कर गंभीर वित्तीय अनियमितताकी गई है जिसकी जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी श्री विनय कुमार वर्मा व कार्य प्रभारी श्री रमाकांत राम ए0डी0ओ0 (ए0जी0) एवं लेखाकार श्री कृष्ण कुमार गुप्ता की है।विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

कार्य का नाम	व्यय विवरण		योग	प्रभारी का नाम
	सामग्री	मजदूरी		
ग्राम पंचायत ननौरा में प्रमोद सिंह के घर से अरमान के घर तक इंटर लांकिग व नाली कार्य	831795.19	101530.00	933325.19	रमाकांतराम ए0डी0ओ0 (ए0जी0)

प्रस्तर- 50 पंचायतीराज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 1838/33-3-2015-3 दिनांक 31जुलाई 2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न चट्टी चौराहों पर 225 स्ट्रीट लाइट रू0 2302271.44 में क्रय कर स्थापना का कार्य कराया गया है। लेकिन दिनांक 19-6-2020 के शासनादेश के क्रय नियमों का पालन न कर स्ट्रीट लाइट जेम पोर्टल से क्रय न कर बैजनाथ एसोसिएट खंदवा बलिया से क्रय कर गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं रहा की इनकी स्थापना के स्थान चयन की प्रक्रिया क्या रही यदि इसकी स्थापना पुराने लाइट के स्थान पर की गई है तो पुराने निस्तारण की प्रक्रिया क्या रही स्पष्ट नहीं किया गया साथ ही उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन विद्युत कनेक्शन तथा बिल भुगतान से सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने से सम्बन्धि पत्रावली अप्रस्तुत रही और फाइल में फोटो और स्थापना प्रमाण पत्र भी सलंग्न नहीं रहे।

अतः उक्त स्ट्रीट लाइट क्रय में क्रय नियमों का पालन न कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी जिसकी जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी श्री विनय कुमार वर्मा व कार्य प्रभारी श्री रमाकांत ए0डी0ओ0 (ए0जी0) एवं लेखाकार श्री कृष्ण कुमार गुप्ता की है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0 सं0	विवरण	चेक संख्या / दिनाक	कुल धन राशि	जी.एस.टी एवम टी.डी.एस	शुद्ध धनराशि
1	बैजनाथ एसोसिएट खंदवा बलिया	018720/ 23.11.2021	967232	41009	926223
2	बैजनाथ एसोसिएट खंदवा बलिया	020441/ 13.12.2022	406237.44	18345	387892
3	बैजनाथ एसोसिएट खंदवा बलिया	020457/ 10.01.2022	928802	38800	890000
			2302271.44	98154	2204115

जनपद – मऊ संभाग – आजमगढ़

नाम संस्था – क्षेत्र पंचायत

1- क्षेत्र पंचायत – रानीपुर ले0प0 वर्ष – 2021-22

प्रस्तर – 1

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मेँ राज्य वित्त मद से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में निम्न लिखित कमियाँ प्रकाश में आयी जिससे पूरा निर्माण कार्य संदिग्ध एवं तत्सम्बन्धित सामग्री व मजदूरी पर समस्त भुगतान फर्जी सिद्ध होता है ,अर्थात फर्जी पत्रावलियों के आधार पर कार्य दर्शाकर कुल रु0 3662586- धनराशि का अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जयेश सिंह व लेखाकार कैशियर श्री इरसाद अहमद उत्तरदायी है ।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	टेंडर का दिनांक	टेण्डर खुलने का दिनांक	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	धनराशि
1	खीरखण्ड में प्रधानमंत्री रोड से रमारमन सिंह के घर तक इन्टर लॉकिंग कार्य	10.12.2021 से 12.12.2021	23.12.2021	01.12.2021	13.12.2021	381011
2	अल्देमऊ के साहबपुर में राकेश के घर से पोखरे तक दक्कन सहित नाली निर्माण	10.12.2021 से 12.12.2021	23.12.2021	16.12.2021	16.01.2022	794318
3	सरसेना में बृजनाथ मौर्य के खेत से रामाश्रय सिंह के घर तक इन्टर लॉकिंग कार्य	10.12.2021 से 12.12.2021	23.12.2021	09.10.2021	02.11.2021	328046
4	सिरसा में आजमगढ़ गाजीपुर रोड़ से नामवर महाविद्यालय तक इन्टर लॉकिंग कार्य	10.12.2021 से 12.12.2021	23.12.2021	09.10.2021	01.11.2021	436656
5	सरसेना में अम्बेडकर मूर्ति से प्रकाश के खेत तक इन्टर लॉकिंग कार्य	10.12.2021 से 12.12.2021	23.12.2021	01.11.2021	25.11.2021	754861
6	अल्देमऊ साहबपुर में परदेशी के घर से बाढ़ू के घर तक इन्टर लॉकिंग कार्य	10.12.2021 से 12.12.2021	23.12.2021	01.11.2021	04.11.2021	967694
		योग-				3662586

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्रमांक 1 से 6 तक के कार्य के टेण्डर दिनांक 10.12.21 से 12.12.21 तक को आमंत्रित की गयी हैं जिसकी पुष्टि संलग्न समाचार पत्र की कटिंग से की गयी, तथा पत्रावलियों की जांच में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित टेण्डर खुलने सम्बन्धित पत्रावली में टेण्डर खुलने का दिनांक 23.12.21 अंकित की गयी है। जबकि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि टेण्डर खुलने की तिथि से पूर्व ही कार्य प्रारम्भ व समाप्त कर दिए गए हैं स्पष्ट है कि कार्य पूर्णतया संदिग्ध है, इसके साथ ही कार्य के प्रारम्भ ,मध्य व समाप्ति के दौरान के फोटोग्राफ भी पत्रावलियों में संलग्न नहीं हैं। टेण्डर आमंत्रण से समबन्धित बंद लिफाफे भी पत्रावली में संलग्न नहीं रहे, साथ ही निविदा खुलने का प्रमाण पत्र अर्थात किन किन लोगो के सामने निविदा खोली गयी संलग्न नहीं है,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र

,कार्यस्थल पुस्तिका, सामग्री क्रय से सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर व परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा। अतः उपरोक्त कमियों के आलोक में उपरोक्त समस्त कार्यों में व्यय की गयी धनराशि रु0 3662586 संदिग्ध है , जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी श्री जयेश सिंह एवं लेखाकार श्री इरसाद अहमद से अपेक्षित है , इसके साथ ही उपरोक्त कार्यों की व उनमें संलिप्त समस्त अधिकारियों /कर्मचारियों उच्चस्तरीय जांच भी अपेक्षित है।

जनपद – मऊ **नाम संस्था –** क्षेत्र पंचायत-कोपागंज

2-क्षेत्र पंचायत – कोपागंज ले0प0 वर्ष – 2021-22

प्रस्तर **–2**

शासनदेश से 4/8 6 6 /33-2-14 जी /20 14 मे स्पष्ट उल्लेख है कि क्षेत्र पंचायत को जो भी धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है इससे दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभन्वित करने के लिए कार्य कराया जाना है । किन्तु निम्न कार्यों पर एक ही ग्राम पंचायत मे कार्य कराकर अनियमित भुगतान किया गया है । यह यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कार्य कराए जाने के संबंध मे प्राप्त नहीं किया गया है |

विवरण निमन्वत है

क्रम	कार्य का नाम	व्यय	कार्य प्रभारी का नाम
1-	सहरोज मे दिनेश राय के घर से सुदीप के घर तक नाली एवं पटिया कार्य	208006.00	श्री दुर्गविजय सिंह ए0डी0ओ0(ए0जी0)
2-	शेखवालिया मे राजू के घर से विशाल के घर तक इंटरलोकिग कार्य	245886.00	श्री दुर्गविजय सिंह ए0डी0ओ0(ए0जी0)
3-	चिसतीपुर मे इसरार अहमद के दरवाजे से जलालूद्दीन के दरवाजे तक मिट्टी कार्य	82403.00	श्री दुर्गविजय सिंह ए0डी0ओ0(ए0जी0)
4-	चिरतीपुर मे महेंद्र के घर से रवींद्र के घर तक मिट्टी/सोलिङ्ग कार्य	91204.00	श्री दुर्गविजय सिंह ए0डी0ओ0(ए0जी0)
5-	एकौना मे रामविलाश के घर से मिस्टर के घर होते हुए जफर के घर तक इंटरलोकिग कार्य	227478.00	श्री दुर्गविजय सिंह ए0डी0ओ0(ए0जी0)
	योग	854977.00	

इस प्रकार धनराशि रु0 854977.00 की अनियमितता हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री देवेश कुमार चतुर्वेदी ,श्रीमती शिप्रा पाल लेखाकार श्री प्रसिद्ध नारायण यादव एवं कार्य प्रभारी उत्तरदायी है । इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

जनपद-बरेली मण्डल - बरेली

प्रारूप-03 (क्षेत्र पंचायत)

प्रस्तर-01

वर्ष-2017-18 एवं 2018-19 में क्षेत्र पंचायत भदपुरा के बैंक खाता सं0-12710100010779 के स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान क्रमश: कुल रू0 447356.00 एवं रू0 3291627.00 का आहरण किया गया है जिसके व्यय आदि की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में विभन्न पतों के द्वारा (जिनका विवरण प्रतिवेदन के अधिनियम/नियमों/सी0ए0जी0 द्वारा

निर्धारित प्रारूप पर अभिलेख रखे जाने के सम्बंध में टिप्पणी शीर्ष अंतर्गत किया गया है) बार-बार मांग किए जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किया गया। यह स्थिति उ0प्र0 जिला तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम-179(2) के (क) से (ड.) के विपरीत रहा। अत: आहरित कुल धनराशि रू0 447356.00 (2017-18) व रू0 3291627.00 (2018-19) के दुरूपयोग/अनियमित व्यय/अपहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अत: तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष-2017-18 में आहरित धनराशि रू0 447356.00 का विवरण-

क्र0 सं0	चेक सं0	दिनांक	आहरित धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	अभ्युक्ति
01	531279	07.04.2017	22372.00	आकाश इंटरप्राइजेज	
02	538702	24.04.2017	65650.00	शंकरलाल	
03	531280	26.04.2017	12501.00	मां वैष्णो ब्रिकफील्ड	
04	538701	26.04.2017	148957.00	आकाश इंटरप्राइजेज	
05	538703	28.04.2017	80000.00	सियाराम	
06	538704	02.06.2017	10369.00	डी.डी.	
07	-	01.08.2017	207.00	बैंक चार्ज	
08	538705	16.10.2017	3900.00	सेरलक लखनऊ, जनमण्डल लि0	
09	538708	27.10.2017	73300.00	पुरूषोत्त्म नारायण	
10	538709	29.01.2017	29100.00	पुरूषोत्त्म नारायण	
		योग	**447356.00**		

वर्ष-2018-19 में आहरित धनराशि रू0 3291627.00 का विवरण-

क्र0 सं0	चेक सं0	दिनांक	आहरित धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	अभ्युक्ति
01	538710	30.04.2018	29100.00	पुरूषोत्त्म नारायण	
02	538711	17.05.2018	80000.00	सेल्फ	
03	538712	19.07.2018	29100.00	पुरूषोत्त्म नारायण	
04	538713	15.09.2018	19600.00	पुरूषोत्त्म नारायण	
05	538714	15.09.2018	1900.00	पुरूषोत्त्म नारायण	
06	538715	15.11.2018	19600.00	पुरूषोत्त्म नारायण	
07	538717	14.01.2019	19600.00	क्लीयरिंग	
08	538718	22.01.2019	256436.00	शुभ राहें इंटरप्राइजेज	
09	538719	22.01.2019	213292.00	राम रहीम ब्रिकफील्ड	
10	538720	22.01.2019	213494.00	राम रहीम ब्रिकफील्ड	
11	616	28.01.2019	2500.00	मेहरोत्रा एकाउंटिंग	

12	620	16.02.2019	124737.00	डी.डी.	
13	618	16.02.2019	35876.00	राम रहीम ब्रिकफील्ड	
14	619	18.02.2019	129435.00	राम रहीम ब्रिकफील्ड	
15	617	20.02.2019	76481.00	शुभ राहें इंटरप्राइजेज	
16	-	26.02.2019	89.00	बैंक चार्ज	
17	623	05.03.2019	146870.00	गिरीश पंत	
18	621	05.03.2019	142070.00	गिरीश पंत	
19	622	05.03.2019	110760.00	गिरीश पंत	
20	625	12.03.2019	363371.00	राम रहीम ब्रिकफील्ड	
21	626	13.03.2019	415280.00	सौरभ ब्रिकफील्ड	
22	624	13.03.2019	352523.00	सौरभ ब्रिकफील्ड	
23	629	19.03.2019	168265.00	गिरीश पंत	
24	627	19.03.2019	132965.00	गिरीश पंत	
25	628	19.03.2019	164830.00	गिरीश पंत	
26	631	28.03.2019	23390.00	जी0एस0टी0	
27	630	28.03.2019	20063.00	डी.डी.	
		योग	**3291627.00**		

जनपद - पीलीभीत

प्रारूप- 03

जनपद- पीलीभीत, **मण्डल- बरेली।**

क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ-

प्रस्तर सं0 - 01- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह गम्भीर तथ्य प्रकाश में आया कि अधिकांश निर्माण कार्यों में आइटम वाइज विचलन रहा अर्थात विभिन्न आइटम में स्टीमेट / स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया गया । यद्यपि इसकी पूर्ति अन्य आइटमों के वचत धनराशि से किया गया।

आइटम वाइज स्टीमेट / स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया जाना उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिसका पंचायत नियमावली 1984 के नियम संख्या - 15 तथा वित्तीय हस्तपुस्तिक खण्ड - 6 के नियम संख्या - 379 एवं एवं नियम संख्या - 318 के विरूद्ध कार्य किया जाना है। कार्य समाप्ति के पूर्व जब ऐसी स्थिति का आभास हो तो संशोधित प्राक्कलन तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जानी थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है । विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं0	कार्य का नाम	आइटम	स्वीकृत प्राक्कलन	एम0 बी0 में दर्ज	एम0बी0 में अधिक दर्ज	दर	अन्तर की धनराशि	अधिक भुगतान की गई धनराशि
1	वि०ख० सभागार	सीमेन्ट कंक्रीट	5.93घन	9.08घन	3.15घन	3230.00 830.00	10714.50 1892.40	10159.00 1890.00

	में बिजली फिटिंग मरम्मत एवं रंगाई	1:6:12 80 मी0मी0 थिक्स टाइल्स	मी0 118.63घन मी0	मी0 120.9घन मी0	मी0 2.28घन मी0			
2	ख०वि०अधि० के कार्यालय के सामने पार्किंग हेतु टीन - सेड	ब्रिक वर्क 1:6 सीमेन्ट, कोर्स, सैण्ड आर सी0सी0 1:2:4	13.45घन मी0 4.04घन मी0	15.03घन मी0 4.38घन मी0	1.58 घन मी0 0.34 घन मी0	5705.00 8140.00	9013.90 2767.60	9000.00 2763.00
3	ख०वि०अधि० के कार्यालय के सामने वाउन्ड्रीवाल मरम्मत व रंगाई पुताई	ब्रिक वर्क 1:5, 12 मी0 मी0 थिक प्लास्टर 1:5 Acrylic Spoon Exterior Paints	16.72घन मी0 656.00वर्ग मी0 626.40वर्ग मी0	16.98घन मी0 659.00वर्ग मी0 692.30वर्ग मी0	0.26घन मी0 3.Q0वर्ग मी0 65.9वर्ग मी0	5010.00 175.00 92.00	1302.60 525.00 6062.80	1307.00 524.00 6054.00
4	ग्राम गजरौला में नागेश पाठक के खेत के पास ग्राम वन्नाई जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर कन्हाई लाल के खेत तक खड़न्जा निर्माण	ब्रिक रोलिंग	1552.50वर्ग मी0	1606.00वर्ग मी0	53.50वर्ग मी0	430.00	23005.00	22970.00
5	ग्राम सोरहा में राम बहादुर की जगह से ग्राम गुजरानपुर जाने वाले चिलका सम्पर्क मार्ग पर खड़ण्जा	अर्थ वर्क	766.50घन मी0	779.68घन मी0	13.18 घन मी0	115.00	1515.70	1513.00
6	निर्माण ग्राम खाण्डेपुर में मजरा गौटियां सम्पर्क मार्ग पर खड़ण्जा निर्माण	अर्थ वर्क	630.00घन मी0	645.23घन मी0	15.23 घन मी0	115.00	1751.45	1751.20
7	ग्राम तिहुलिया में ग्राम गुजरानपुर की ओर जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर खड़ण्जा निर्माण	अर्थ वर्क	630.00घन मी0	1जे01.20 घन मी0	471.20घन मी0	115.00	54188.00	54161.00
8	ग्राम ढकिया महक में ग्राउडं के दक्षिण में पकड़िया डामर रोड से गंगापुर जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर	ब्रिक रोलिंग	1380.00वर्ग मी0	1398.85वर्ग मी0	18.85वर्ग मी0	430.00	8105.00	8101.00 -

	खड़ण्जा निर्माण							
9	ख०वि०अधि० कार्यालय में मुख्य दोनों गेट मरम्मत एवं सौन्दर्यकरण तथा दोनों गेट के किनारे रेडियम साइन बोर्ड, वि०ख कार्यालय में फर्श एवं दीवारों पर टाइल्स तथा रंगाई पुताई	अर्थ वर्क लेंइग, सीमेन्ट कंक्रीट 1:6:12 प्रथम श्रेणी ईंट कार्य 1:6 आर0सी0सी0 वर्क सीमेन्ट बालू तथा 2 सी0एम0सी0/ ब्रिट	12.10 7.66 5.91 5.01	14.20 10.05 6.55 6.93	2.10 2.39 0.64 1.92	135.00 3230.00 4830.00 8140.00	283.50 7719.70 3091.20 15268.80	283.00 7716.00 3090.00 15621.00
							योग-	146897.00

नोट:- क्रम०सं० 1 से 5 तक के कार्य पर निर्धारित रेट से 0.15% तथा 6 से 9 मक के कार्य पर 0.05 प्रतिशत टेन्डर के शर्त अनुसार कम भुगतान किया गया है।

अन्तर की धनराशि 146897.00 पर 12 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० सहित कुल रू0 164525.00 अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार संशोधित प्राक्कलन तैयार किए बिना रू0 164525.00 के अधिक भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गई, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री जे० सी० जोशी तथा श्री सुनील कुमार वर्मा, अवर अभियन्ता श्री राजीव कुमार वर्मा तथा लेखाकार श्री अजय कुमार उत्तरदायी हैं । अतः रू 164525.00 की वसूली तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(क्षेत्र पंचायत- बीसलपुर, वर्ष- 2020-21 जनपद- पीलीभीत, सा0आ0सं0-02)

प्रस्तर सं 0- 02 - आलोच्य वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त से कराये गए 16 निर्माण कार्यों में साइन बोर्ड हेतु 4490 की दर से कुल रु० 71840.00 का भुगतान किया गया है जिसका मापांकन एम.बी. 22 एल के पेज संख्या 133 पर किया गया है । परन्तु कई कार्यों के प्राक्कलन में साइन बोर्ड का प्रबधान नहीं होने के वावजूद भुगतान किया जाना दर्शित है । विवरण निम्नवत है

- विकास खंड के मीटिंग हाल की मरम्मत का अवशेष कार्य
- कुर्रैया कलां में कुलविंदर सिंह के झाले से ईसापुर रोड तक इंटरलॉकिंग कार्य
- रामपुर बसंत में तालाब के पास पुलिया निर्माण
- विकास खंड परिसर में स्थित आवासों का मरम्मत कार्य

उपरोक्त कार्यों में साइन बोर्ड पर अनियमित तरीके से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार एवंखंड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं अतः श्री खालिद हुसैन एवं तत्कालीन खंड विकासअधिकारी श्री नीरज दुवे से रू. 17960.00 की वसूली तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सामान्य आपत्ति संख्या -21 क्षेत्र पंचायत- बिलसण्डा, वर्ष- 2020-21, जनपद- पीलीभीत।)

प्रस्तर सं 03- आलोच्य वर्ष में विकासखंड परिसर में सार्वजानिक शौचालय निर्माण कार्य की पत्रावली में संलग्न फोटोग्राफ के अनुसार कार्य अपूर्ण है साथ ही इस कार्य का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है।

प्राक्कलन में तकनिकी स्वीकृति के बिंदु 02 में कहा गया है कि शासनादेश में जारी व्यवस्था के अनुसार 80 प्रतिशत धनराशि का भुगतान खंड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरांत दिया जायेगा जबकि शेष 20 प्रतिशत का भुगतान अनिवार्य रूप से सहायक अभियंता की संस्तुति के उपरांत किया जायेगा। उक्त कार्य में अपूर्ण कार्य एवं बिना निरीक्षण के ही सम्पूर्ण धनराशि रु० 499972.00 का भुगतान कर दिया गया है जो पूर्णतया अनियमित है । इसी कार्य में जय बजरंग आयरन स्टोर बिलसंडा से बिल संख्या 14 दिनांक 03 जुलाई 2020 मोटर फिटिंग मय बोरिंग हेतु 42700.00, बिल संख्या 17 दिनांक 03 जुलाई 2020 द्वारा सामग्री क्रय हेतु 40545.00 एवं बिल संख्या 18 द्वारा 1521.00 रु० व्यय दर्शित है इसी प्रकार खालसा इलेक्ट्रीकल्स बिल संख्या 163 दिनांक 10.08.2020 द्वारा सामग्री क्रय हेतु 6571.00 रु० व्यय दर्शित है इस प्रकार उक्त फर्मो को कुल 91337.00 रु० व्यय दर्शित है जवकि इसका भुगतान कार्यप्रभारी श्री बी.के.शर्मा को किया गया है। उपरोक्त कार्य से सम्बंधित आपतियां निम्नवत है -

-फोटोग्राफ में कार्य अपूर्ण होना

-कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र संल्लग्न ना होना और बिना निरिक्षण के सम्पूर्ण भुगतान किया जाना

-रु० 91337.00 का भुगतान फर्म के स्थान पर कार्यप्रभारी को किया जाना

-रु० 91337.00 के बिलों से जी.एस.टी. की कटौती ना किया जाना।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है की उक्त कार्य का पूर्ण होना संदिग्ध है तथा धन का अपहरण किया गया है इसके लिए कार्य प्रभारी श्री बी.के.शर्मा ,तत्कालीन लेखाकार श्री खालिद हुसैन एवं तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री प्रधयुम्न नारायन द्विवेदी उत्तरदायी हैं। अतः रू 499972.00 की वसूली तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सामान्य आपत्ति संख्या -22 क्षेत्र पंचायत- बिलसण्डा, वर्ष- 2020-21, जनपद- पीलीभीत।)

प्रस्तर सं0 04 - वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्राम ढेरम मंडरिया में ईश्वरी प्रसाद के घर से प्राइमरी स्कूल तक खडंजा कार्य के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में निरीक्षण की तिथि 15.04.2018 है जबकि इसकी मापांकन पुस्तिका 10 एल0 पेज-25 पर इसके मापांकन की तिथि 22.04.18 दर्ज है। अतः मापांकन से पूर्व ही कार्यपूर्ति पर व्यय की धरनाशि का अंकन कर दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि फर्जी तरीके से कार्य दर्शाकर रू. 636655.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी जांचोपरान्त वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे0ई0आर0ई0एस0 एवं लेखाकार से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित रही।

(क्षेत्र पंचायत- मरौरी, वर्ष- 2017-18, जनपद- पीलीभीत, सामान्य आपत्ति संख्या -18)

प्रस्तर सं0 - 05 - आलोच्य वर्ष में पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से रामनगरिया में खडंजा कार्य की मापांकन पुस्तिका 10 एल0 पेज 29 पर अंतिम मापांकन 25.04.18 का है जबकि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में 15.04.18 को निरीक्षण कर कुल व्यय धनराशि अंकित करके एम0बी0 को कार्यालय में सुरक्षित होना दर्शाया गया है। अतः स्पष्ट है कि फर्जी तरीके से कार्य पूर्ण दर्शाकर रू. 635035.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी जांचोपरान्त वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी,

जे0ई0आर0ई0एस0 एवं लेखाकार से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सामान्य आपत्ति संख्या -19 क्षेत्र पंचायत- मरौरी, वर्ष- 2017-18, जनपद- पीलीभीत।)

प्रस्तर सं0 - 06 - आलोच्य वर्ष में बीसलपुर ब्रांच नहर रोड से मैथी सैदुल्लागंज मार्ग पर खडंजा व मिट्टी कार्य में पत्रावली के साथ संलग्न फोटोग्राफ्स में कार्य प्रारम्भ के पूर्व के फोटोग्राफ में खडंजे की ईंटे दिखी दे रही हैं जबकि इस कार्य के प्राक्कलन एम0बी0 के अनुसार नया खडंजा डाला गया है तथा एम0बी0 में पुरानी ईटों का की उल्लेख नहीं किया गया है। फोटोग्राफ्स के अनुसार इस कार्य में मरम्मत का प्राक्कलन तैयार कर पुरानी ईटों को समायोजित कर कार्य कराया जाना चाहिए था। अतः स्पष्ट है कि अनियमित तरीके से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए तत्कालीन जेई, कार्यप्रभारी श्री प्रेमप्रताप सिंह, लेखाकार श्री ओमप्रकाश एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। अतः कार्य पर दर्शित व्यय रू 432871.00 की वसूली तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सामान्य आपत्ति संख्या -21 क्षेत्र पंचायत- मरौरी, वर्ष- 2017-18, जनपद- पीलीभीत।)

प्रस्तर सं0 - 07 -आलोच्य वर्ष के अनुदान रजिस्टर- 2 के अनुसार प्रधानमंत्रीआवास प्रशासनिक मद से कंप्यूटर टीएफटी क्रय हेतु दिनांक 31.03.2018 चेक सं0- 166789 द्वारा रू 13296.00 एवं बैटरी क्रय हेतु दिनांक- 28.03.2018 चेक सं0- 166780 द्वारा रू. 15000.00 का व्यय दर्शित है, जबकि इस व्यय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा। अतः उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू. 28296.00 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 अधिभार के संबंध में नियम 179 (2) के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के तहत अपेक्षित स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण की स्थिति में रू. 28296.00 की वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री ओमप्रकाश एवं तत्कालीन खंडविकास अधिकारी से तातारीख एवं प्रचलित दण्ड ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या -22 क्षेत्र पंचायत- मरौरी, वर्ष- 2017-18, जनपद- पीलीभीत।)

प्रस्तर सं0 - 08 - आलोच्य वर्ष में ग्राम मैदना में टनकपुर रोड से द्वारिका प्रसाद के घर तक नाला निर्माण कार्य में पत्रावली में संलग्न कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में निरीक्षण की तिथि 29.12.18 दर्ज है जबकि इस कार्य की समाप्ति तिथि 31.12.18 है। अतः कार्य समाप्ति के पूर्व ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। अतः स्पष्ट है कि फर्जी तरीके से कार्य पूर्ण दर्शाकर रू. 705747.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी जांचोपरान्त वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे0ई0आर0ई0एस0 एवं लेखाकार से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित रही।

(सामान्य आपत्ति संख्या -19 क्षेत्र पंचायत- मरौरी, वर्ष- 2018-19, जनपद- पीलीभीत।)

प्रस्तर सं0 - 09 - आलोच्य वर्ष में कृत कार्य ग्राम सैजना में डामर रोड से पुलिया तक खडंजा व मिट्टी कार्य की पत्रावली में संलग्न कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य निरीक्षण तिथि 30.12.18 है जबकि

कार्य समापत्ति की तिथि 31.12.18 है अतः कार्य समाप्ति के पूर्व ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्गतकर दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि फर्जी तरीके से कार्य पूर्ण दर्शाकर रू. 783718.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी जांचोपरान्त वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, जे0ई0आर0ई0एस0 एवं लेखाकार से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सामान्य आपत्ति संख्या -20 क्षेत्र पंचायत- मरौरी, वर्ष- 2018-19, जनपद- पीलीभीत)

प्रस्तर सं0 - 10 - आलोच्य वर्ष में कृत कार्य ग्राम न्यूरिया हुसैनपुर में तपन के खेत से मोनू के खेत तक खडण्जा व मिट्टी कार्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां प्रकाश में आयी।-

- उक्त कार्य की समाप्ति तिथि 24.12.18 है जबकि कार्य पूर्ति प्रमाम पत्र में स्थलीय निरीक्षण की तिथि 22.12.18 है। अतः कार्य समाप्ति के पूर्व ही निरीक्षण कर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है। जो कि पूर्णतः अनियमित है।
- उक्त कार्य का माप 400 मी0 X 3.3 मी0 अर्थात 1320 घन मी0 है तथा 1320 X 59 = 77880 ईटों का उपभोग किया गया है, तथा कार्यपूर्ति में कार्य की माप 400 मी0 X 3.3 मी0 ही दर्शित है। अतः इतनी कम ईटों का इस्तेमाल क्यों किया गया है। यह अस्पष्ट रहा। अतः कार्य की गुणवत्ता अद्योमानक है।
- उक्त कार्य हेतु मो0 सलीम कॉन्ट्रेक्टर न्यूरिया बिल सं0- 16 दिनांक 26.12.18 द्वारा 31403.00 रू. की सामग्री क्रय दर्शाकर चेक सं0- 30630 दिनांक- 18.01.19 द्वारा भुगतान किया गया है जबकि उक्त कार्य 24.12.18 को पूर्ण हो चुका था, अतः कार्य समाप्ति के पश्चात् सामग्री क्रय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि फर्जी तरीके से व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, अतः रू. 390596.00 की वसूली तत्कालीन कार्यप्रभारी श्री प्रेमप्रताप सिंह सहायक विकास अधिकारी(पंचायत), लेखाकार श्री ओमप्रकाश, तत्कालीन जेई एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सामान्य आपत्ति संख्या -23 क्षेत्र पंचायत- मरौरी, वर्ष- 2018-19, जनपद- पीलीभीत)

<u>प्रस्तर सं0 - 11 -</u> आलोच्य वर्ष - 2018-19 के अनुदान रजिस्टर 2 के अनुसार दिनांक- 08.06.2018 चेक सं0- 000021 द्वारा खंड विकास अधिकारी कक्ष में वीसी टीवी क्रय हेतु भुगतान रू 86530.00 दर्शित है परंतु व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख कुटेशन, क्रय आदेश, फर्म का बिल/वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः उक्त प्रमाणकविहीन व्यय रू. 86530.00 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली के अध्याय- 18 अधिभार के संबंध में नियमावली के नियम 179(2) के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिलापंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के तहत अपेक्षित स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में उक्त धनराशि रू. 86530.00 की वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री ओमप्रकाश एवं तत्कालीन खंड विकास अधिकारी से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सामान्य आपत्ति संख्या -24 क्षेत्र पंचायत- मरौरी, वर्ष- 2018-19, जनपद- पीलीभीत)

<u>प्रस्तर सं0 - 12 -</u> आलोच्य वर्ष के अनुदान रजिस्टर -2 के अनुसार निम्नलिखित दर्शित व्ययों की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जी सकी-

नुक्कड नाटक का भुगतान- 40000

वेसलाइन सर्वे का भुगतान- 49780

20.01.2018 के पंचसम्मेलन में लेखन सामग्री का भुगतान- 46596

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत खुले में शोचमुक्त प्रचार प्रसार के विज्ञापन पर व्यय- 38495

परंतु व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये । अतः उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू.174871.00 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली के अध्याय- 18 अधिभार के संबंध में नियमावली के नियम 179(2) के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के तहत अपेक्षित स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में उक्त धनराशि रू. 174871.00 की वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री ओमप्रकाश एवं तत्कालीन खंडविकास अधिकारी से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सामान्य आपत्ति संख्या -25 क्षेत्र पंचायत- मरौरी, वर्ष- 2018-19, जनपद- पीलीभीत)

<u>प्रस्तर सं0 - 13 -</u> आलोच्य वर्ष के अनुदान रजिस्टर 2 के अनुसार दिनांक- 25.09.2019 को एडवांस कम्प्यूटर वर्ल्ड पीलीभीत को नया कम्पयूटर क्रय हेतु भुगतान रू. 59531.00 दर्शित है परन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में क्रय पत्रावली/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे किया गया व्यय अपुष्ट रहा।अतःउक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू.59531.00 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली के अध्याय- 18 अधिभार के संबंध में नियमावली के नियम 179(2) के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के तहत अपेक्षित स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में उक्त धनराशि रू. 59531.00 की वसूलीतत्कालीन लेखाकार श्री ओमप्रकाश एवं तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सर्वेश कुमार से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सामान्य आपत्ति संख्या - 22 क्षेत्र पंचायत- मरौरी, वर्ष- 2019-20, जनपद- पीलीभीत)

<u>प्रस्तर सं0 - 14 -</u> आलोच्य वर्ष के अनुदान रजिस्टर- 2 केअनुसार दिनांक- 30.05.19 को मित्तल एग्रो इंजीनियर्स पीलीभीत से एक नया इरक्यूलस जेनरेटर क्रय हेतु रू. 58000 का व्यय दर्शित है, परन्तु व्यय की पुष्टि में पर्म का बिल, कुटेशन पत्रावली, क्रय आदेश, स्टाक पंजिका आदि की भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उक्त प्रमाणक विहीन व्यय रू . 58000.00 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के अध्याय 18 अधिभार के संबंध में नियम 179(2) के अंतर्गत अधिभार योग्य है ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के तहत अपेक्षित स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने की स्थिति में उक्त धनराशि रू. 58000.00 की वसूली तत्कालीन लेखाकार श्री ओमप्रकाश एवं तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री मृणाल सिंह से तातारीख प्रचलित दण्ड ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सामान्य आपत्ति संख्या -23 क्षेत्र पंचायत- मरौरी वर्ष- 2019-20 जनपद- पीलीभीत)

<u>प्रस्तर स 0- 15</u> - लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में विकास खंड पूरनपुर के क्षेत्र निधि के खाता संख्या 06970100009509 बैंक ऑफ बरोदा शाखा पूरनपुर से रु 22283741.00 का आहरण किया गया है । लेखा परीक्षा में कुल रु 5762274.00 की निर्माण पत्रावलियां प्रस्तुत की गई । शेष आहरित धनराशि रु 16521467.00 के व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा ।

वित्त लेखा मैनुयल के अध्याय 8 के पारा 8 (क) के अनुसार व्यय/आहरित की गई धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाने पर व्यय /आहरित की गई धन राशि को गवन मानते हुये वसूली की कार्य वाही किए जाने का प्रावधान है ।

अतः उक्त प्राबधान के आलोक में रु 16521467.00 के व्यय की पुष्टि नहीं होने के कारण , रु 16521467.00 गवन/ अपरहण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली तत्समय कार्यरत खंड विकास अधिकारी श्री ऋषि पाल सिंह , लेखाकार श्री नावेद अख्तर एवं अवर अभियंता श्री आरo केo ओझा एवं श्री सालिग राम से किया जाना अपेक्षित रहा।

(क्षेत्र पंचायत- पूरनपुर, वर्ष- 2017-18 से 2020-21, जनपद- पीलीभीत, सा0आ0सं0-02)

<u>प्रस्तर सं - 16</u> - लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में निम्न विवरण अनुसार राज्य एवं केन्द्रीय वित्त से प्राप्त अनुदान से निर्माण कार्य कराये गए है - विवरण निम्न प्रकार से है ,

क्रम संख्या	कार्य का नाम	व्यय की गई धनराशि	माप पुस्ति संख्या	पेज संख्या
1	मल्लपुर खजुरिया व् मुस्तफाबाद संपर्क मार्ग से कुलवीर सिंह व पर्सन सिंह के घर तक इंटर लकिंग कार्य	807878.00	32 एल. 34 एल.	192-193 65-66
2	सिरसा मार्ग से सिद्ध बाबा मार्ग पर खरंजा कार्य	697833.00	32 एल. 34 एल.	169,193 83-85
3	ग्राम पंचायत सेल्हा में संगम कालोनी में पुलिया निर्माण	323484.00	32 एल. 34 एल.	192-193 100-101
	योग	1829195.00		

उपरोक्त निर्माण कार्यों की पत्रावलियो की जाँच उपरांत निम्न आपत्तियां अंकित की जाती है -

(अ) उपरोक्त तालिका में अंकित कार्यो की माप, माप पुस्तिका संख्या 32 एल. पृष्ट संख्या 192,193 पर किया जाना अंकित किया गया है , जो संभव ही नहीं है । जबकि नियमानुसार प्रत्येक

कार्य हेतु प्रथक प्रथक पृष्ट आबंटित किये जाने चाहिए थे । उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त कार्यों की माप किये बिना ही अनियमित तरीके से धनराशि का भुगतान किया गया है , जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है ।

(ब) क्रम संख्या 2 पर अंकित कार्य दिनांक 16.03.2019 में समाप्त होना दर्शाया गया है जबकि सामग्री क्रय दिनांक 25-04-2019 में अंकित है ।

(स)क्रम संख्या 3 पर अंकित कार्य में दो दर की पुलिया का प्रक्ल्लन स्वीकृत था परन्तु कार्य प्रभारी के प्रार्थना पत्र पर खंड विकास अधिकारी ने एक दर की पुलिया निर्माण की स्वीकृत दे दी , जिसके सापेक्ष प्राक्ल्ल्न रीवाइज नहीं किया गया ओर इस पुरी प्रक्रिया में किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा तिथि का उल्लेख भी नहीं किया गया है ।

उपरोक्त बिदुओ से स्पष्ट है कि रु 1829195.00 संस्था द्वारा मन माने ढंग से , नियमो के बिरुद्ध कार्य किया गया है, जो गंभीर वित्तीय अनियमित्ता है । उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 35(1) एवं 36(1) का स्पष्ट उलघन है, जिसकी वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री ऋषि पाल सिंह, लेखाकार श्री नावेद अख्तर, तथा अवर अभियन्त श्री आर. के. ओझा एवं श्री सालिग राम से की जानी अपेक्षित है

(क्षेत्र पंचायत- पूरनपुर, वर्ष- 2017-18 से 2020-21 जनपद- पीलीभीत सा0आ0सं0- 04)

<u>प्रस्तर सं- 17</u> - लेखा परीक्षा वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत पिपरिया दुलई में सिरसा रोड से राम किशोर के खेत से पिपरिया दुलई को जाने बाले रास्ते पर खरंजा कार्य 550 मीटर में रु 986072.00 में मैसर्स अजय सिंह से आइटम रेट पर कराया गया है । जिसकी माप, माप पुस्तिका संख्या 41/एल. के पृष्ट संख्या 27-28 पर की गई है , माप पुस्तिका पर कार्य प्रारम्भ, समाप्त एवं मापांकन की तिथि अंकित नहीं की गई है । एस्टीमेट 550 मीटर लम्बाई 5.25 मीटर एवं 0.30 मीटर ऊचाई हेतु तैयार किया गया है ।

एस्टीमेट अनुसार मिटटी 1 ×11 × 50 ×5.25 ×0.30 = 866.25 घन मीटर

धनराशि 866.25 × 115.00 प्रति घन मीटर = रु 99618.75

एम.बी. के अनुसार मिटटी 1× 4 ×50 × 3.75 × 0.40 = 300.00

1 × 8 × 50 × 3.75 ×0.42 = 630.00

1 × 35 ×3.75 × 0.40 = 52.50

योग 635 मीटर = 982.50 जबकि एस्टीमेट 550 मीटर

इस प्रकार कुल 85 मीटर अधिक लम्बाई में मिटटी कार्य कराया गया है । जिस हेतु एस्टीमेट रिबाइज कराया जाना चाहिय था जो नहीं किया गया है । इस प्रकार 85 मीटर अधिक लम्बाई में कराये कार्य हेतु मिटटी की मात्र

1 × 50 × 3.75 ×0.42 = 78.75

1 × 35 ×3.75 × 0.40 = 52.50

योग = 131.25 घन मीटर

घटाया 12.50 प्रतिशत सेत्तेल्मेंट = 16.40 अबशेष मिटटी की मात्र = 114.85 घन मीटर

इसी प्रकार 550 मीटर में खरंजा लगाया जाना प्रस्तावित था परन्तु लगाया 621 मीटर में , इस प्रकार 71 मीटर में अधिक खरंजा लगाया गया है ।

अतः अधिक लगाये गय खरंजा में ईट का मूल्य 71×3 ×430 = रु 91590.00

अधिक मिटटी का मूल्य 114.85 × 115 = रु 13207.75

इस प्रकार रु 104797.75 का भुगतान अधिक किया गया है , जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 35(1) एवं 36(1) का स्पष्ट उलघन है, जिसकी वसूली खंड विकास अधिकारी श्री नीरज दुबे , लेखाकार श्री रोहिताश कुमार तथा अवर अभियन्त श्री सालिग राम से की जानी अपेक्षित रही ।

(क्षेत्र पंचायत- पूरनपुर, वर्ष- 2017-18 से 2020-21, जनपद- पीलीभीत, सा0आ0सं0-05)

<u>प्रस्तर सं- 18</u> आलोच्य वर्ष में कृत कार्य बिलसंडा मार मेनरोड नहर की पुलिया से नहर पटरी पर नाली की ओर खडंजा कार्य हेतु संतोष ट्रेडर्स को प्रथम बिल के सापेक्ष किये गए भुगतान रु० 144690.00 से जी.एस.टी. एवं टी.डी.एस. की कटौती की गयी है परन्तु इसी कार्य हेतु संतोष ट्रेडर्स को बिल संख्या 20 दिनांक 24.05.2020 द्वारा खंजर ईंट क्रय हेतु रु. 17800.00 का भुगतान किया गया है जिससे 2% जीएसटी एवं 2% आयकर की कटौती नहीं की गई है जिससे 678.40 की क्षति हुई है इसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री खालिद हुसैन एवं तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री प्रधयुम्न नारायन द्विवेदी उत्तरदायी हैं। अतः जांचोपरान्त उक्त धनराशि की वसूली करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सामान्य आपत्ति संख्या -23 क्षेत्र पंचायत- बिलसण्डा, जनपद- पीलीभीत।)

<u>प्रस्तर सं0- 19</u> आलोच्य वर्ष में ग्रांट रजिस्टर 3 के अनुसार चतुर्थ राज्य वित्त नवीन कार्य एवं अनुरक्षण कार्य, पंद्रहवां केन्द्रीय वित्त एवं विधायक निधि निर्माण कार्यों पर जीएसटी सहित कुल व्यय रु. 12508431.00 दर्शित है जिस पर नियमानुसार 1% की दर से लेबर सैस रु . 125084.00 की कटौती की जानी चाहिए थी परंतु केवल रु 34102.00 की कटौती की गई है इस प्रकार रु. 90982.00 कम कटौती कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गई जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री प्रधूमन नरायण द्विवेदी , श्री नीरज दुवे एवं तत्कालीन लेखाकार श्री खालिद हुसैन उत्तरदायी हैं । अतः जांचोपरान्त उक्त धनराशि की वसूली करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सामान्य आपत्ति संख्या -27 क्षेत्र पंचायत- बिलसण्डा, वर्ष- 2020-21, जनपद- पीलीभीत।)

<u>प्रस्तर सं0 - 20 -</u> आलोच्य वर्ष में में संतोषपुरा से लघपुरा मार्ग पर खडंजा व दो पुलिया निर्माण कार्य का 22.56 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया परन्तु इसमें पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया एवं खडंजा भी पूरा नहीं डाला गया तथा केवल 625855.00 का व्यय किया गया कार्य अपूर्ण रहने का कोई भी कारण उल्लिखित नहीं किया गया है। और न ही संशोधन प्राक्कलन तैयार किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में कार्य का नाम खडंजा एवं पुलिया निर्माण दर्ज कर कार्य योजना के अनुसार पूर्ण होना दर्शाया गया है जो कि गलत है। कार्य अपूर्ण रहने के कारण उसके उद्देश्य को पूर्ण नहीं किया जा सका एवं व्यय करके धन का दुरूपयोग किया गया है। अतः जांचोपरान्त उक्त धनराशि की वसूली करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सामान्य आपत्ति संख्या -20 क्षेत्र पंचायत- मरौरी, वर्ष- 2017-18, जनपद- पीलीभीत।)

<u>प्रस्तर सं0 - 21 -</u> आलोच्य वर्ष में कृत कार्य वि0ख0 मरौरी के मेनगेट से रामपाल पत्रवाहक के शासकीय आवास तक वाउण्ड्री वाल की ऊचाई एवं मरम्मत कार्य/वाटर टैक की पत्रावली में संलग्न कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इस कार्य हेतु मो0 सलीम कान्ट्रेक्टर न्यूरिया को बिल सं0- 01 दिनांक- 17.05.19 हेतु रू. 29848.00 का भुगतान चेक सं0- 044455 दिनांक- 07.06.19 द्वारा किया गया है, परन्तु इससे 2% टी.डी.एस. एवं 2% जी.एस.टी. कुल 4 % की कटौती नहीं की गई है। जिससे रू. 1194.00 की राजकीय क्षति हुई है। जिसकी लिए तत्कालीन लेखाकार श्री ओमप्रकाश एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मृणाल

सिहं उत्तरदायी हैं। अतः जांचोपरान्त उक्त धनराशि की वसूली करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सामान्य आपत्ति संख्या -21 क्षेत्र पंचायत- मरौरी, वर्ष- 2018-19, जनपद- पीलीभीत)

<u>प्रस्तर सं0 - 22 -</u> आलोच्य वर्ष में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों के अनुसार कुल रू. 6426140.00 का व्यय किया गया है, इस पर 1% की दर से लेवर सेस की कटौती नहीं की गयी है, जो ठेकेदार से कार्य कराने की दशा में अनिवार्य है। इसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री ओमप्रकाश एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सर्वेश कुमार उत्तरदायी हैं। अतः रू. 64261.40 की अनियमित्ता के लिए लेखाकार श्री ओमप्रकाश एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री सर्वेश कुमार उत्तरदायी हैं। अतः जांचोपरान्त उक्त धनराशि की वसूली करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(सामान्य आपत्ति संख्या -21 क्षेत्र पंचायत- मरौरी, वर्ष- 2019-20, जनपद- पीलीभीत)

<u>प्रस्तर सं- 23</u> लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 में निम्न विवरण अनुसार राज्य एवं केन्द्रीय वित्त से प्राप्त अनुदान से निर्माण कार्य कराये गए है , विवरण निम्न प्रकार से है -

क्रम संख्या	कार्य का नाम	व्यय की गई धनराशि	माप पुस्ति संख्या	पेज संख्या
1	ग्राम नदहा के जरा से ग्राम सिसैया जाने बाले रास्ता (तेज बहादुर स्कुल की ओर पुलिया निर्माण कार्य)	94072.00	एल 33 एल 32	118-119 100-101
2	विधिपूर में नदहा की तरफ जंगल जाने बाली रास्ता पर पुलिया निर्माण कार्य	93277.00	एल32	89-91
3	विधिपूरसेग्राम लालपुर जानेबाली रास्ता पर पुलिया निर्माण	92626.00	एल32 एल 33	100 87-89
4	ग्राम विधिपुरसे उत्तर जंगल जाने बाली रास्ता पर नाहर के पास पुलिया निर्माण	93999.00	एल 33 एल 32	102 91-93
5	ग्राम प्रसादपुर से ग्राम महादिया रेलबे लाइन के दक्षिण सुखविंदर कोर एवं वाणी पुलिया के पास पुलिया निर्माण	93999=00	एल 33 एल 32	103 94-95
6	ग्राम वन्जरिया से दुधिया खुर्द स्टेशन पर जाने वाली रास्ता पर पुलिया निर्माण	294016.00	एल 33	25,107-109
7	विकास खंड प्रंगाड में इंटर लकिंग कार्य	622296.00	एल 30	26,27, 1-2
8	ग्राम सुन्दरपुर से ग्राम हरीपुर फुल्ल्हर जाने बाली प्रसादपुर नहर क्रासिंग पर पुलिया निर्माण	321136.00	एल 32 एल 33	34-35 अंकित नहीं
9	ग्राम पंचायत कडेल चौराहा के ग्राम तुलापुर से ग्राम गहलुइया जाने बाली रास्ता पर पुलिया निर्माण	93613.00	एल 33 एल 32	117-118 98-99
10	ग्राम नदहा से गडा रेंज जंगल की ओर जाने बाले रस्ते पर पुलिया निर्माण	93963.00	एल 33 एल 32	120-121 162-163
11	ग्राम लालपुर से विधिपुर जाने बाले रस्ते पर रामकिशन के खेत के पास पुलिया निर्माण	91738.00	एल 33	63-, 14-15 65

12	विकास खंड चाहर दीवारी का निर्माण	318628.00	एल 31 एल 31	89-90 अंकित नहीं
13	वैजुनगर के लोहिया पुल से ग्राम पिंडारा जाने वाली रस्ते पर पुलिया निर्माण	92646.00		अंकित नहीं
14	ग्राम भवानी गंज से ग्राम कंजा खेरा जाने बाली रास्ता पर पुलिया निर्माण	94446.00		अंकित नहीं
15	ग्राम लालपुर से विधिपुर जाने वाली रस्ते पर जगदीश के खेत के पास पुलिया निर्माण	91216.00		अंकित नहीं
16	ग्राम सबलपुर से कडैया जाने वाली रस्ते पर पुलिया निर्माण कार्य	92819.00		अंकित नहीं
17	ग्राम भोपतपुर शाहगढ़ मार्ग पर सरकारी फार्म से चतुर्भुज जाने बाले रास्ते पर खरंजा निर्माण	901605.00		अंकित नहीं
18	ग्राम तकिया दीनारपुर के ग्राम सुखदासपुर से ग्राम खाता शमशान तालाब पर नाला निर्माण	647708.00		अंकित नहीं
19	ग्राम पुरैना तालुके महाराजपुर में रानिय रोड से स्कुल के पास नाला निर्माण	254376.00		अंकित नहीं
20	कसगंजा गैस एजंसी से बलरामपुर रोड तक मिटटी खरंजा कार्य	552393.00		अंकित नहीं
21	विकास खंड कार्यालय भवन सभागार तथा अवर , अभियंता कक्ष के बाहर डिस्टेम्पर कार्य	57023.00		अंकित नहीं
22	ग्राम बुडिया ज० इटोरिया से ग्राम बुडिया नोगवा के रस्ते पर पुलिया निर्माण	92565.00		अंकित नहीं
23	ग्राम माधोटांडा से ग्राम ग्राम केसरपुर जाने बाली रास्ते पर पुलिया निर्माण	88286.00		अंकित नहीं
24	ग्राम भवानी गंज मुझा रोड से ग्राम गुलडिया जाने बाले रस्ते पर पुलिया निर्माण	93515.00		अंकित नहीं
25	रुरिया से ग्राम जरा बुजर्ग के रास्ता पर पुलिया निर्माण	94459.00		अंकित नहीं
26	ग्राम महदिया से ग्राम हरसिंगपुर नहर तक जाने वाले रास्तेपर श्री राम एवं नंदराम के खेत के पास पुलिया निर्माण	93663.00		अंकित नहीं
27	बी0डी0ओ0 आवास में गेट लगवाई	30270.00		अंकित नहीं
28	ग्राम हाल्ट से ग्राम बंगला उर्फ मित्रसैन सन्डई जाने वाले रास्ते पर पुलिया निर्माण	89317.00		अंकित नहीं
29	ग्राम शाहगढ़ से सिसैया मोड़ सरकारी नल से गजरौला जाने बाले रस्ते पर पुलिया निर्माण	92594.00		अंकित नहीं
	योग	5762274.00		

उपरोक्त तालिका में दर्शित निर्माण कार्यों की पत्रावली में संलग्न फॉर्म न0 27 पर माप पुस्तिका एवं पेज संख्या अंकित है , परन्तु बार बार मोखिक एवं दिनांक 07-12-2021 , मेमो -43/आडिट/2021-22 दिनांक 07-01-2022 के द्वारा लिखित रूप से माप पुस्तिका की मांग की गई परन्तु माप पुस्तिका मूल रूप में उपलब्ध नहीं कराई

गई, जिस कारण प्राक्क्लन एवं माप के आधार पर कार्य की समीक्षा नहीं की जा सकी । जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 35(1) एवं 36(1) का स्पष्ट उलंघन है । जिस कारण मन माने तरीके से माप अंकित कर भुगतान कराये जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता । इस प्रकार रु 5762274.00का कुल 29 निर्माण पत्रावलियों पर किया गया भुगतान अपुष्ट रहा । उच्च अधिकारीयों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है ।

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 13 से 29 पर अंकित कार्यो की माप , माप पुस्तिका संख्या एवं पृष्ट संख्या अंकित नहीं किया गया है

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 49(1) की व्यवस्था के अनुसार मजदूरों से कराये गय निर्माण कार्यों के लिए मास्टर रोल का निर्माण किया जायेगा , एवं खंड विकास स्तर पर मास्टर रोल निर्गमन पंजिका राखी जायेगी जोलेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई । किसी भी मस्टर रोल पर क्रमांक अंकित नहीं पाया गया । अधिकांश मास्टर रोलों पर तिथि का उल्लेख नहीं ।

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 16 से 20 तक निर्माण पत्रावलियों में निविदा हेतु कम्पेरिजन चार्ट, कार्य प्रभारी नियुक्त पत्र , मास्टर रोल पर कार्य प्रा० तिथि अंकित नहीं , सम्पूर्ण पत्रावली में तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है ।

क्रमांक 16 पर अंकित कार्य की पत्रावली में बिल नों 442 से नव दुर्गा ब्रिक्स फील्ड को भुगतान किया गया है जिस पर बिल का दिनांक अंकित ही नहीं है ।

उपरोक्त बिदुओ से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मन माने ढंग से , नियमो के बिरुद्ध कार्य किया गया है,जिस कारण किया गया व्यय अपुष्ट रहा । जो गंभीर वित्तीय अनिमित्ता है । जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री ऋषि पाल सिंह , लेखाकार श्री नावेद अख्तर तथा अवर अभियन्त श्री आर० के० ओझा एवं सालिग राम है । अतः उत्तरदायी कर्मचारियों / अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

(क्षेत्र पंचायत- पूरनपुर, वर्ष- 2017-18 से 2020-21, जनपद- पीलीभीत, सा0आ0सं0-03)

प्रारूप-3

जनपद-शाहजहाँपुर मण्डल का नाम-बरेली

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2021-22 आवंटन वर्ष-2022-23

क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ-

क्षेत्र पंचायत- कांट

प्रस्तर-01- क्षेत्र पंचायत कांट-आलोच्य वर्ष 2021-22 में सम्पादित कार्यों की सूची से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अनेक निर्माण कार्य ग्राम स्तर पर कराया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अनुभाग-2 से जारी शासनादेश सं0 8307/33-2-204-93जी0/2004,दि0 12-01-2005 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कम से कम दो ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य ही कराए जाने अपेक्षित थे तथा शासनादेश सं.-1838/33-03-2015 -03 /2015 दिनांक-31-07-2017 के प्रस्तर तीन में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराये जाने में किया जाना अपेक्षित था, किन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऐसे कार्य कराये गये हैं, जो कि एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित हैं|

शासन के दिशा-निर्देशों के तहत कार्यों की जियो टैगिंग भी नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में कौन सा निर्मित कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा, अथवा ग्राम पंचायत/अन्य इकाई द्वारा कराया गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी लेखा परीक्षा के दौरान नही दी गयी | पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्षवार निर्मित कार्य का अंकन सड़क रजिस्टर में दर्ज कर सड़क रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा है।

इस प्रकार पंचायती राज अनुभाग-3,दि0 24 अगस्त-2021 को जारी शासनादेश के **प्रस्तर-**2 में उल्लिखित 15वां वित्त आयोग के टाइड ग्रांट के सम्बंध में निर्गत शासनादेश सं0 34/2020/1817/33-3-2020-33/2020 दि0 24..07..2020 एवं अनटाइड ग्रांट के सम्बंध में शासनादेश सं0 30/2020/1594/33-3-2020-33/2020, दि0 29..06..2020 तथा राज्य वित्त आयोग के सम्बंध में शासनादेश सं0 38/2020/1751/33-3-2020-38/2020, दि0 18..08..2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के तहत भी निम्नलिखित वर्णित निर्माण कार्य आच्छादित नहीं है:-

क्र0	**कार्य का नाम / विवरण**	**व्यय धनराशि (रू)**
1	ग्राम कुर्रिया कला में कैलाश बाजपेयी के मकान से रोड तक इंटरलॉकिंग	188463.00
2	ग्राम भुडिया में राधेश्याम के मकान से स्कूल तक इंटरलॉकिंग कार्य	330373.00
3	ग्राम उमराह नेकराम के घर से बड़े के खेत तक इंटरलॉकिंग	310210.00
4	ग्राम कुर्रिया कला में संतोष मिश्रा के मकान से कृष्णबिहारी के मकान तक इंटरलॉकिंग	147445.00
5	मल्हपुर में द्वारिका लोहार के मकान से संतकुमार के मकान तक इंटरलॉकिंग	745832.00
6	नानकपुर में प्रकाश की चौपाल से रामसरन शर्मा के मकान तक इंटरलॉकिंग	309904.00
7	ग्राम मल्हपुर में संतकुमार के मकान से बलवीर के मकान तक इंटरलॉकिंग	917749.73
8	ग्राम जरावन में हरिपाल के मकान से दीन मोहम्मद के मकान तक इंटरलॉकिंग	396841.00
9	मल्हपुर में मेन रोड से जे०पी०मिश्रा के मकान तक इंटरलॉकिंग	268367.00
	योग-	3615184.73

स्पष्टतः उपरोक्त व्यय विभागीय दिशा-निर्देशों एवं निर्गत शासनादेशों का उल्लंघन है, जिसके लिये **लेखाकार**-श्री अनूप कुमार दिवेदी **अवर अभियंता-** श्री जितेन्द्र कुमार भारती **ख०वि०अधिकारी-** श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह(पी०डी०), श्री विशाल कुमार (आई०ए०एस०),अवधेश राम (पी०डी०) तथा राजीव कुमार मिश्रा **ब्लाकप्रमुख**- श्री श्रीदत्त शुक्ला संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं| अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही **की जानी अपेक्षित है।**

प्रस्तर-02- क्षेत्र पंचायत कांट-आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के अनुदान पंजिका-3 के अनुसार निर्माण कार्य के लागत का 1% कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) के मद में जमा दर्शित है | इस धनराशि को उ0प्र0 भवन एवं सन्निकार एवं कल्याण बोर्ड के सुसंगत राष्ट्रीयकृत बैंक खाते (जो जनपद शाहजहाँपुर के केनरा बैंक,सदर बाजार में संचालित है) में जमा किया जाना अपेक्षित है, ताकि लेबर सेस के रूप में प्राप्त धनराशि का उपयोग श्रमिकों के कल्याणकारी कार्यों में किया जा सके -----

लेबर सेस का विवरण निम्नवत रहा – (ग्रांट-3 के अनुसार)

क्र0	माह जमा	धनराशि
1-गत वर्ष (31 मार्च-21 की अवशेष धनराशि)-		₹ 00.00
2-फरवरी-22		30820.00

3-मार्च-22	16473.00
योग-	49293.00

उक्त अनियमितता हेतु **लेखाकार**-श्री अनूप कुमार दिवेदी, **ख०वि०अधिकारी-** श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह(पी०डी०), श्री विशाल कुमार (आई०ए०एस०),अवधेश राम (पी०डी०) तथा राजीव कुमार मिश्रा संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं| अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही **की जानी अपेक्षित है।**

प्रस्तर-03- क्षेत्र पंचायत कांट-की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र की जनता के विकास कार्यों में न करके क्षेत्र निधि से कराए जाने वाले मदों में किया गया है-

क्र0	**कार्य का विवरण**	**धनराशि (रु०)**
1	खण्ड विकास की बावन्डरीवाल मरम्मत	276360.00
2	विकास खण्ड परिसर में महिला शौचालय की मरम्मत कार्य	129069.00
	योग-	405429.**00**

उपरोक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गयीं :-

(1)कार्य क्षेत्र पंचायत की बैठक में किस क्रम संख्या पर दर्शित है, इस्टीमेट में अंकित नहीं है।
(2)पत्रावली में इस आशय का प्रमाण-पत्र कि "संदर्भित साज-सज्जा एवं मरम्मत कार्य विगत पांच वर्ष में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
(4) मे0 श्री बाला जी कांट्रेक्टर, काँट शाहजहाँपुर और क्षेत्र पंचायत के मध्य हुए कार्य अनुबंध कुल के 0.70 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पर किया जाना अपेक्षित रहा, जो मात्र रु० 100-00 के स्टाम्प पर किये गए हैं, जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई, जो आपत्तिजनक है।
(5) कार्यों की पत्रावली/गार्ड फाइल में अनुरक्षण कार्यों में हुई सामग्री क्रय की सूची एम्०बी० में अंकित कर उसी के आधार पर बिल का पेमेंट कर दिया गया है, जिससे क्रय की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं होती है।
(6) कार्य संपादन की पूरी प्रक्रिया में अधिकतर स्थान पर सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर दिनांक रहित है, जो अभिलेखीय रखरखाव एवं प्रक्रिया को संदिग्ध एवं असंतोषप्रद बनाती है।
(7) नियमानुसार रायल्टी नही काटा गया है और न ही ग्रांट पंजिका-3 में उक्त मद का कोई विवरण है |
(8) कार्य के प्रारम्भ, मध्य का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
(9) कार्यों से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न है, किन्तु खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर व तिथि अंकित नही पायी गयी, जिससे उक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संदिग्ध रहा ।
(10) उपरोक्त कार्यों पर व्यय की जाने वाली धनराशि रू0 **405429.00** का उपभोग क्षेत्र निधि से किया जाना अपेक्षित रहा, परन्तु क्षेत्र निधि में अपने निजी श्रोतों एवं कर आरोपण/अन्य नये प्रयासों द्वारा धनराशि जुटाने हेतु क्षेत्र पंचायत द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। उक्त व्यय राज्य वित्त अनुदान, जो कि क्षेत्र की जनता के विकास के लिए आवंटित धन है, से करने की जगह पूर्ण या आंशिक रूप से क्षेत्र निधि में धन संग्रहण के माध्यम से किया जाना अपेक्षित रहा ।

स्पष्टतः उपरोक्त कार्यों के संपादन में विभिन्न स्तरों पर विभागीय एवं शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितता बरती गयी है, जिसके लिए **लेखाकार**-श्री अनूप कुमार दिवेदी **अवर अभियंता-** श्री जितेन्द्र कुमार भारती **ख०वि०अधिकारी-** श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह(पी०डी०), श्री विशाल कुमार (आई०ए०एस०),अवधेश राम (पी०डी०) तथा राजीव कुमार मिश्रा **ब्लाकप्रमुख**- श्री श्रीदत्त शुक्ला संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं | अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही **की जानी अपेक्षित है।**

प्रस्तर-04- क्षेत्र पंचायत कांट-आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के अनुदान पंजिका द्वितीय के अनुसार आयकर निम्नलिखित विवरण अनुसार प्रारम्भिक शेष,प्राप्त, जमा और वर्षांत में शेष दर्शित है :-

क्र0 सं0	विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में जमा	वर्षांत में शेष
1	आयकर / टी०डी०एस०	109130.00	98955.00	198058.00	10027.00

इस प्रकार वर्षांत में 31 मार्च-22 को उपरोक्त शीर्षो में कटौती की कुल ₹ 10027.00 की धनराशि अवशेष रही, जिन्हे विभाग-वार सुसंगत लेखा शीर्षो में यथानिर्देश समयांतर्गत किया जमा जाना अपेक्षित रहा। उक्त धनराशि का इकाई स्तर पर रोक कर रखा जाना अनियमितता का द्योतक है, जिसके लिये **सहायक लेखाकार**- श्री अनूप कुमार दिवेदी, **ख०वि०अधिकारी-** श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह(पी०डी०), श्री विशाल कुमार (आई०ए०एस०),अवधेश राम (पी०डी०) तथा राजीव कुमार मिश्रा संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं| अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही **की जानी अपेक्षित है। तथा** उक्त कटौती की धनराशि को यथाशीघ्र संबन्धित विभाग के सुसंगत लेखा शीर्षो में जमा कराये जाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत- तिलहर

प्रस्तर-05- क्षेत्र पंचायत तिलहर- क्षेत्र पंचायत के क्षेत्राधिकार से संबंधित शासनादेश सं0 1838/23-3-2015-07/2015 दि0 31-07-2015 व शासनादेश सं01639/33-3-2015-3/2015 दि0 19-05-2015 में निहित मार्गदर्शक सिद्वांतों के अनुसार क्षेत्र पंचायत का कार्यक्षेत्र एक राजस्व गॉव से दो या दो से अधिक राजस्व गॉव के मध्य निर्माण कार्य को कराना है। पर वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार से इतर वर्ष में राज्य वित्त मद से रू0 4357614.00 रूपये का आहरण कर ग्राम पंचायत की सीमा में निर्माण कार्य कराया, जिसका विवरण निम्न है-

विवरण	व्यय धनराशि
1-ग्राम रैना में लगोटी बाबा मंदिर से पंचायत भवन की ओर खडंजा निर्माण कार्य	रू0 967320.00
2-ग्राम बरखेडा हवेली में रामचंद्र कोरी के घर से ग्राम समाधान की ओर खडंजा कार्य-	रू0 935409.00
3-ग्राम फीलनगर में ब्रज विद्या अकाडमी से इंदेपुर संपर्क मार्ग तक सीसी रोड कार्य-	रू0 913980.00
4-ग्राम मोहम्मदपुर हरा में छेदालाल के खेत से रामचंद्र के खेत तक खडंजा निर्माण कार्य-	रू0 900829.00
5-ग्राम फीलनगर के देवनगर गोरिया में खडंजा मरम्मत कार्य-	रू0 640076.00
कुल	रू0 4357614..00

उपरोक्त निर्माण कार्य पर कुल व्यय रू0 4357614.00 अनियमित है।क्षेत्र पंवायत का क्षेत्राधिकार क्षेत्र पंचायत स्तर पर दो या दो से अधिक राजस्व गॉवों के मध्य संपर्क मार्गो से संबंधित निर्माण कार्य कराना है न कि ग्रामपंचायत की सीमा के अंदर।यहॉ क्षेत्र पंवायत ने जो 05 कार्य कराये उन पर ग्राम पंचायतों का क्षेत्राधिकार था।जबकि क्षेत्र पंचायत के क्षेत्राधिकार में कराने वाले निर्माण कार्य बहृतायत में थे व असंतृप्त थे।इस प्रकार क्षेत्र पंचायत अपने उद्देश्य में पूरी तरह से असफल रही।

ऐसी स्थिति में क्षेत्र पंचायत द्वारा कृत निर्माण कार्य अनियमित है, ब्लाक प्रमुख श्रीमती कविता यादव व खंड विकास अधिकारी श्री बाबू लाल, अवर अभियंता श्री राम भवन व लेखाकार श्री दीपक चंद्र भट्ट के विरुद्ध आवश्यक कर्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- खुदागंज

प्रस्तर-06- क्षेत्र पंचायत खुदागंज- आलोच्य वर्ष 2021-22 में सम्पादित कार्यों की सूची से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अनेक निर्माण कार्य ग्राम स्तर पर कराया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अनुभाग-2 से जारी शासनादेश सं0 8307/33-2-204-93जी0/2004,दि0 12.01.2005 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कम से कम दो ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य ही कराए जाने अपेक्षित रहे तथा शासनादेश सं0 1838/33-03.2015-03/2015 दिनांक 31.07.2017 के प्रस्तर तीन में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराये जाने में किया जाना अपेक्षित था, किन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऐसे कार्य कराये गये हैं, जोकि एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित हैं।

शासन के दिशा निर्देशों के तहत कार्यों की जियोटैगिंग भी नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में कौन सा निर्मित कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा अथवा ग्राम पंचायत/अन्य इकाई द्वारा कराया गया है। इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्षवार निर्मित कार्य का अंकन सड़क रजिस्टर में दर्ज कर सड़क रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा है।

इस प्रकार पंचायती राज अनुभाग-3,दि0 24 अगस्त 2021 को जारी शासनादेश के **प्रस्तर-**2 में उल्लिखित 15वां वित्त आयोग के टाइड ग्रांट के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0 34/2020/1817/33-3-2020-33/2020 दि0 24.07.2020 एवं अनटाइड ग्रांट के संबंध में शासनादेश सं0 30/2020/1594/33-3-2020-33/2020, दि0 29.06.2020, तथा राज्य वित्त आयोग के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 38/2020/1751/33-3-2020-38/2020, दि0 18.08.2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के तहत भी निम्नलिखित वर्णित निर्माण कार्य आच्छादित नहीं है:-

क्र०सं०	कार्य का नाम / विवरण	व्यय की धनराशी रु०
1	ग्राम पहाड़ीपुरभोपत में गिरीश के खेत से ब्रहम्म स्थान की ओर खडंजा निर्माण	360958.00
2	ग्राम अकबरी में सुखविंदर के झाले से अतहर अली के खेत तक खडंजा निर्माण	438613.00
3-	ग्राम अलियापुर में राकेश के खेत से राजवीर के खेत तक खडंजा निर्माण	552832.00
4-	ग्राम दीपपुर में नफासत के घर से मोहम्मदनबी के घर तक इन्टरलॉकिंग निर्माण	222685.00
5	ग्राम पौकी में बड़ी नहर की पुलिया से ग्राम पौकी की ओर खडंजा निर्माण	127661.00
6-	ग्राम पौकी में अमरपाल के मकान से ब्रहम्मदेव स्थान तक खडंजा निर्माण	713289.00
7-	ग्राम सारीनगला में दीनदयाल के घर से मेन खडंजे तक इन्टरलॉकिंग निर्माण	96772-00
8-	ग्राम सारीनगला में मेन रोड से रमेश के घर तक इन्टरलॉकिंग निर्माण	162445.00
9-	ग्राम उखरी में यज्ञशाला से गोपाल मास्टर के घर तक इन्टरलॉकिंग निर्माण	610143.00
10-	ग्राम सालपुर में हरप्रसाद के घर से राम मुरारी स्कूल की ओर खडंजा निर्माण	432671.00
11-	ग्राम पोसिल में अवधेश सक्सेना के घर से पोसिल तक इन्टरलॉकिंग निर्माण	379536.00
12-	ग्राम पोसिल में रामबहादुर के घर से मैसूम के घर तक इन्टरलॉकिंग निर्माण	488795.00
	योग	4586400.00

स्पष्टतः उपरोक्त व्यय विभागीय दिशा निर्देशों एवं निर्गत शासनादेशों का उल्लंघन है तथा एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसके लिए तत्कालीन विभागीय अधिकारी अवर अभियंता श्री प्रदीप कुमार, खण्ड विकास अधिकारी श्री गोपाल प्रसाद,श्री गणेश गुप्ता ,श्री अजय कुमार शर्मा, लेखाकार श्री अनिल कुमार गुप्ता जिम्मेदार हैं। अतः उक्त उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही **की जानी अपेक्षित है।**

प्रस्तर-07- क्षेत्र पंचायत खुदागंज- गत वर्ष का काटा गया लेवर सेस जमा न करना एवं आलोच्य वर्ष में लेवर सेस कटौती न करनाः-

शासनादेश सं० **362/9-9-2016-165**ज/**13** दि० **3** मार्च **2016** के अनुसार एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माणकर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम **1996** के अन्तर्गत सभी निर्माण कार्यों पर निर्माण लागत का **1%** लेवर सेस की कटौती कर प्राप्त उपकर को उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माणकर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में जमा किया जाना अपेक्षित रहा। लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक **9755**/एम०टी०/सामान्य वर्ग/**40** एम०टी०-**45/2017** दिनांक **19.12.2017** के अनुसार कर्मकारउपकर/लेवर सेस की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जायेगी एवं समस्त समावेशी अनुबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदारों द्वारा वहन किया जायेगा।

क्षेत्र पंचायत खुदागंज कटरा के ग्रांट रजिस्टर 3 एवं ग्रांट रजिस्टर 2 तथा पत्रावलियों की जांच से स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2021-22 में लेवर सेस की कटौती ठेकेदार के बिलों से नहीं की गई है। ग्रांट रजिस्टर 2 के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त से कराये गये 25 निर्माण कार्यों की कुल लागत रू० 11357607.00 है, जिस पर 1% की दर से लेवर सेस रू० 113576.00 की कटौती की जानी अपेक्षित थी, जो नहीं काटा गया है तथा गत वर्ष का अवशेष लेवर सेस 42196.00 को संगत खाते में जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार कुल रू० 155772.00 लेवर सेस की धनराशि को उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माणकर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में जमा नहीं कर वित्तीय अनियमितता की गई है, जिसके लिए लेखाकार श्री अनिल कुमार गुप्ता, खण्ड विकास अधिकारी श्री गोपाल प्रसाद, श्री गणेश गुप्ता, श्री अजय कुमार शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे। कटौती नहीं की गई लेवर सेस की धनराशि रूपया 113576.00 की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों से करके संगत खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। ठेकेदारों से वसूली न हो पाने की स्थिति में सम्बन्धित लेखाकार श्री अनिल गुप्ता ,खण्ड विकास अधिकारी श्री गोपाल प्रसाद से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-08- क्षेत्र पंचायत खुदागंज- ग्रान्ट रजिस्टर 3 के अनुसार गत वर्ष की वैट कटौती की धनराशि रू० 99323.00 वर्ष पर्यन्त यथावत पडी रही, जबकि इसे राज्य कोष में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत जमा किया जाना अपेक्षित था अर्थात आलोच्य वर्ष 2021-22 में वैट की धनराशि को जमा न कर पूरे वर्ष रोक कर रखा जाना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री अनिल कुमार गुप्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री गोपाल प्रसाद ,श्री गणेश गुप्ता ,श्री अजय कुमार शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उक्त उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही **की जानी अपेक्षित है।**

क्षेत्र पंचायत -बंडा

प्रस्तर-09- क्षेत्र पंचायत बंडा -आलोच्य वर्ष 2021-22 में सम्पादित कार्यों की सूची से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अनेक निर्माण कार्य ग्राम स्तर पर कराया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अनुभाग-2 से जारी शासनादेश सं0 8307/33-2-204-93जी0/2004,दि0 12-01-2005 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कम से कम दो ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य ही कराए जाने अपेक्षित रहे तथा शासनादेश सं.-1838/33-03-2015 -03 /2015 दिनांक-31-07-2017 के प्रस्तर तीन में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराये जाने में किया जाना अपेक्षित था, किन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न लिखित विवरण के अनुसार ऐसे कार्य कराये गये हैं जो कि एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित हैं|

शासन के दिशा-निर्देशों के तहत कार्यों की जियो टैगिंग भी नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में कौन सा निर्मित कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा अथवा ग्राम पंचायत/अन्य इकाई द्वारा कराया गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी लेखा परीक्षा के दौरान नही दी गयी | पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्षवार निर्मित कार्य का अंकन सड़क रजिस्टर में दर्ज कर सड़क रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा है।

इस प्रकार पंचायती राज अनुभाग-3,दि0 24 अगस्त-2021 को जारी शासनादेश के **प्रस्तर-**2 में उल्लिखित 15वां वित्त आयोग के टाइड ग्रांट के सम्बंध में निर्गत शासनादेश सं0 34/2020/1817/33-3-2020-33/2020 दि0 24..07..2020 एवं अनटाइड ग्रांट के सम्बंध में शासनादेश सं0 30/2020/1594/33-3-2020-33/2020, दि0 29..06..2020 तथा राज्य वित्त आयोग के सम्बंध में शासनादेश सं0 38/2020/1751/33-3-2020-38/2020, दि0 18..08..2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के तहत भी निम्नलिखित वर्णित निर्माण कार्य आच्छादित नहीं है:-

क्र0	कार्य का नाम / विवरण	व्यय धनराशि (रू)
1	पटना में राजेन्द्र के घर से मंदिर तक इंटरलॉकिंग-नाली कार्य	253472.00
2	टोनेराम के मकान से निरंजन लाल के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	632444.00

3	ग्राम पटनी में नरेश के घर से रोड तक इंटरलॉकिंग-नाली कार्य	148397.00
4	डामर रोड से अजमतुल्ला के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	883328.00
5	पटना में अस्तीयाक के घर से कब्रिस्तान तक इंटरलॉकिंग कार्य	125322.00
6	सैदापुर के पश्चिम संपर्क मार्ग से वीर प्रताप के घर तक इंटरलॉकिंग	168567.00
7	सुरेश के मकान से होली स्थल तक इंटरलॉकिंग-नाली कार्य	441846.00
	योग-	**26,53,376.00**

स्पष्टतः उपरोक्त व्यय विभागीय दिशा-निर्देशों एवं निर्गत शासनादेशों का उल्लंघन है, जिसके लिये **सहायक लेखाकार**-श्री मनीष कुमार राठौर, **अवर अभियंता-** श्री राकेश कौशिक,**ख०वि०अधिकारी-** श्री शिवशंकर, श्री हिमांशु उपाध्याय, श्रीमती ज्योति चौधरी, श्री खुशीराम तथा श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल एवं **ब्लाकप्रमुख**- श्री ओमप्रकाश संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं | अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही **की जानी अपेक्षित है।**

प्रस्तर-10- क्षेत्र पंचायत बंडा -आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के अनुदान पंजिका-3 के अनुसार निर्माण कार्य के लागत का 1% कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) के मद में जमा दर्शित है | इस धनराशि को उ0प्र0 भवन एवं सन्निकार एवं कल्याण बोर्ड के सुसंगत राष्ट्रीयकृत बैंक खाते (जो जनपद शाहजहाँपुर के केनरा बैंक,सदर बाजार में संचालित है) में जमा किया जाना अपेक्षित है,ताकि लेबर सेस के रूप में प्राप्त धनराशि का उपयोग श्रमिकों के कल्याणकारी कार्यों में किया जा सके |

लेबर का विवरण निम्नवत रहा – (ग्रांट-3 के अनुसार)

क्र0	माह जमा	धनराशि
1	गत वर्ष (31 मार्च-21 की अवशेष धनराशि)-	₹ 00.00
2	अगस्त-21	₹ 38861.00
3	दिसम्बर-21	₹ 9457.00
4	जनवरी-22	₹ 92817.00
5	फरवरी-22	₹ 4022.00
6	मार्च-22	₹ 9285.00
	योग-	**₹ 154422.00**

उक्त अनियमितता हेतु **सहायक लेखाकार**-श्री मनीष कुमार राठौर,**ख०वि०अधिकारी-** श्री शिवशंकर, श्री हिमांशु उपाध्याय, श्रीमती ज्योति चौधरी, श्री खुशीराम तथा श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं | अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही **की जानी अपेक्षित है।**

प्रस्तर-11 क्षेत्र पंचायत बंडा -क्षेत्र पंचायत बंडा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया, कि क्षेत्र पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र की जनता के विकास कार्यों में न करके क्षेत्र निधि से कराए जाने वाले मदों में किया गया है-

क्र0	**कार्य का विवरण**	**धनराशि (रु०)**
1	खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय की मरम्मत पुनःनिर्माण /साज सज्जा कार्य	505702.00
	योग-	505702.00

उपरोक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गयीं :-

(1)कार्य क्षेत्र पंचायत की बैठक में किस क्रम संख्या पर दर्शित है, इस्टीमेट में अंकित नहीं है।
(2)पत्रावली में इस आशय का प्रमाण-पत्र कि "संदर्भित साज-सज्जा एवं मरम्मत कार्य विगत पांच वर्ष में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
(4)ठेकेदार मे0 सिंह कांट्रेक्टर, बंडा शाहजहाँपुर और क्षेत्र पंचायत के मध्य हुए कार्य अनुबंध कुल के 0.70 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पर किया जाना अपेक्षित रहा, जो मात्र रु० 100-00 के स्टाम्प पर किये गए हैं, जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई, जो आपत्तिजनक है।
(5) मे0 सिंह कांट्रेक्टर, बंडा, शाहजहाँपुर से कार्य प्रारंभ के पूर्व उक्त कार्य में कार्य की जमानत राशि रु० 44800-00 दर्शित है, जो कि 8% है जबकि जमानत राशि 10% जमा कराया जाना अपेक्षित रहा, परन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में जमानत पंजिका प्रस्तुत नहीं रही, जिससे उक्त की पुष्टि हो सके।
(6) कार्यों की पत्रावली/गार्ड फाइल में अनुरक्षण कार्यों में हुई सामग्री क्रय की सूची एम्०बी० में अंकित कर उसी के आधार पर बिल का पेमेंट कर दिया गया है, जिससे क्रय की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं होती है।
(7) कार्य संपादन की पूरी प्रक्रिया में अधिकतर स्थान पर सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर दिनांक रहित है, जो अभिलेखीय रखरखाव एवं प्रक्रिया को संदिग्ध एवं असंतोषप्रद बनाती है।
(8) नियमानुसार रायल्टी नही काटा गया है और न ही ग्रांट पंजिका-3 में उक्त मद का कोई विवरण है |
(9) कार्य के प्रारम्भ, मध्य का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
(10) कार्यों से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न है, किन्तु खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर व तिथि अंकित नही पायी गयी, जिससे उक्त कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र संदिग्ध रहा ।
(11) उपरोक्त कार्यों पर व्यय की जाने वाली धनराशि रू0 **505702.00** का उपभोग क्षेत्र निधि से किया जाना अपेक्षित रहा, परन्तु क्षेत्र निधि में अपने निजी श्रोतों एवं कर आरोपण/अन्य नये प्रयासों द्वारा धनराशि जुटाने हेतु क्षेत्र पंचायत द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। उक्त व्यय राज्य वित्त अनुदान, जो कि क्षेत्र की जनता के विकास के लिए आवंटित धन है, से करने की जगह पूर्ण या आंशिक रूप से क्षेत्र निधि में धन संग्रहण के माध्यम से किया जाना अपेक्षित रहा।

स्पष्टतः उपरोक्त कार्यों के संपादन में विभिन्न स्तरों पर विभागीय एवं शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितता बरती गयी है, जिसके लिए **सहायक लेखाकार**-श्री मनीष कुमार राठौर, **अवर अभियंता-** श्री राकेश कौशिक,**ख०वि०अधिकारी-** श्री शिवशंकर, श्री हिमांशु उपाध्याय, श्रीमती ज्योति चौधरी, श्री खुशीराम तथा श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल एवं **ब्लाकप्रमुख**- श्री ओमप्रकाश संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही **की जानी अपेक्षित है।**

प्रस्तर-12- क्षेत्र पंचायत बंडा -आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के अनुदान पंजिका द्वितीय के अनुसार आयकर निम्नलिखित विवरण अनुसार प्रारम्भिक शेष,प्राप्त, जमा और वर्षांत में शेष दर्शित है :-

क्र0 सं0	विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में जमा	वर्षांत में शेष
1	आयकर / टी०डी०एस०	102341.00	383239.00	180062.00	305518.00

इस प्रकार वर्षांत में 31 मार्च-2022 को उपरोक्त शीर्षों में कटौती की कुल ₹ 305518.00 की धनराशि अवशेष रही,जिन्हे विभाग-वार सुसंगत लेखा शीर्षों में यथानिर्देश समयांतर्गत जमा किया जाना अपेक्षित रहा। उक्त धनराशि का इकाई स्तर पर रोक कर रखा जाना अनियमितता का द्योतक है, जिसके लिए **सहायक लेखाकार**-श्री मनीष कुमार राठौर,**ख०वि०अधिकारी-** श्री शिवशंकर, श्री हिमांशु उपाध्याय, श्रीमती ज्योति चौधरी, श्री खुशीराम तथा श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं | अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही **की जानी अपेक्षित है।**

क्षेत्र पंचायत जलालाबाद

प्रस्तर-13- क्षेत्र पंचायत जलालाबाद - आलोच्य वर्ष 2021-22 में सम्पादित कार्यों की सूची से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अनेक निर्माण कार्य ग्राम स्तर पर कराया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अनुभाग-2 से जारी शासनादेश सं0 8307/33-2-204-93जी0/2004,दि0 12-01-2005 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कम से कम दो ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य ही कराए जाना अपेक्षित था तथा शासनादेश सं.-1838/33-03-2015 -03 /2015 दिनांक-31-07-2017 के प्रस्तर तीन में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराये जाने में किया जाना अपेक्षित था, किन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न लिखित विवरण के अनुसार ऐसे कार्य कराये गये हैं, जो कि एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित हैं|

शासन के दिशा निर्देशों के तहत कार्यों की जियो टैगिंग भी नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में कौन सा निर्मित कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा, अथवा ग्राम पंचायत/अन्य इकाई द्वारा कराया गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्षवार निर्मित कार्य का अंकन सड़क रजिस्टर में दर्ज कर सड़क रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा है।

इस प्रकार पंचायती राज अनुभाग-3,दि0 24 अगस्त-2021 को जारी शासनादेश के **प्रस्तर-**2 में उल्लिखित 15वां वित्त आयोग के टाइड ग्रांट के सम्बंध में निर्गत शासनादेश सं0 34/2020/1817/33-3-2020-33/2020 दि0 24..07..2020 एवं अनटाइड ग्रांट के सम्बंध में शासनादेश सं0 30/2020/1594/33-3-2020-33/2020, दि0 29..06..2020 तथा राज्य वित्त आयोग के सम्बंध में शासनादेश सं0 38/2020/1751/33-3-2020-38/2020, दि0 18..08..2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के तहत भी निम्नलिखित वर्णित निर्माण कार्य आच्छादित नहीं है:-

क्र0	कार्य का नाम / विवरण	व्यय धनराशि (रू)
1	हुल्लापुर मेन हाईवे से अरविंद वर्मा के मकान तक इं० ला० एवं नाली निर्माण कार्य	986014=00
2	ग्राम धसौरा के क्षेत्र पं० सदस्य के मकान से राम विलास के मकान तक इं० ला० कार्य	905229=00
3	ग्राम पल्हरई में मेन रोड से नन्ही के घर तक इं० ला० व नाली निर्माण कार्य	985806=00
	योग-	2877049=00

स्पष्टतः उपरोक्त व्यय में विभागीय दिशा निर्देशों एवं निर्गत शासनादेशों का उल्लंघन है, जिसके लिये खण्ड विकास अधिकारी- मो० हसीब अंसारी, लेखाकार- श्री वेद प्रकाश शुक्ला, अवर अभियन्ता- श्री आफताब अहमद जिम्मेदार हैं। अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-14- क्षेत्र पंचायत जलालाबाद - क्षेत्र पंचायत जलालाबाद की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र की जनता के विकास कार्यों में न कर के क्षेत्र निधि से कराए जाने वाले निम्नलिखित मदों में किया गया है।

क्र0	कार्य का विवरण	धनराशि (रु०)
1	विकास खंड परिसर की बाउंड्री वाल की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण	682240=00
2	विकास खण्ड कार्यालय की मरम्मत एवं रंगाई पुताई	246811=00
3	विकास खंड परिसर के 8 टाइप-2 आवासों एवं खण्ड विकास अधिकारी के आवास की मरम्मत एवं रंगाई पुताई	792716=00
4	विकास खंड परिसर में टाइप-2 के तीन आवासों की मरम्मत	643437=00
	योग-	2365204=00

उपरोक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गयीं :-

1- कार्य क्षेत्र पंचायत की बैठक में किस क्रम संख्या पर दर्शित है, इस्टीमेट में अंकित नहीं है।
2- विकास खंड में कराये गए उपरोक्त अनुरक्षण कार्य को कई भाग में बाँटने का औचित्य स्पष्ट नहीं रहा। एक ही कार्य को कई हिस्सों में विभाजित करना कार्य का उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने से बचना है, जो निर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन है।
3- पत्रावली में इस आशय का प्रमाण-पत्र कि "संदर्भित अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य विगत पांच वर्ष में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
4- ठेकेदार श्री राम वीर सिंह मो० प्रताप नगर, जलालाबाद, शाहजहाँपुर और क्षेत्र पंचायत के मध्य हुए कार्य अनुबंध कुल के 0.70 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पर किये जाने चाहिए थे, जो मात्र रु० 100-00 के स्टाम्प पर किये गए हैं, जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई, जो आपत्तिजनक है।
5- कार्य आदेश पर पत्रांक/ दिनांक अंकित नहीं है।
6- कार्यों की पत्रावली/गार्ड फाइल में अनुरक्षण कार्यों में हुई सामग्री क्रय की सूची एम्०बी० में अंकित कर उसी के आधार पर बिल का पेमेंट कर दिया गया है, जिससे क्रय की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं होती है।
7- मरम्मत कार्यों में प्रयुक्त हुए सामग्री पर उक्त कार्यों में से क्रम संख्या (2) पर दर्शित कार्य को छोड़कर रॉयल्टी नहीं काटी गयी है, जो आपत्तिजनक है।
8- कार्य संपादन की पूरी प्रक्रिया में अधिकतर स्थान पर सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर दिनांक रहित है, जो अभिलेखीय रखरखाव एवं प्रक्रिया को संदिग्ध एवं असंतोषप्रद बनाती है।
9- कार्य के प्रारम्भ, मध्य का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
10- उपरोक्त कार्यों पर व्यय की जाने वाली धनराशि रू0 2365204=00 का उपभोग क्षेत्र निधि से किया जाना अपेक्षित था परन्तु क्षेत्र निधि में अपने निजी श्रोतों एवं कर आरोपण/अन्य नये प्रयासों द्वारा धनराशि जुटाने हेतु क्षेत्र पंचायत द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। उक्त व्यय राज्य वित्त अनुदान, जो कि क्षेत्र की जनता के विकास के लिए आवंटित धन है, से करने की जगह पूर्ण या आंशिक रूप से क्षेत्र निधि में धन संग्रहण के माध्यम से किया जाना अपेक्षित रहा।

स्पष्टतः उपरोक्त कार्यों के संपादन में विभिन्न स्तरों पर विभागीय एवं शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितता बरती गयी है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी- मो० हसीब अंसारी, लेखाकार- श्री वेद प्रकाश शुक्ला, अवर अभियन्ता- श्री आफताब अहमद प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत -सिंधौली

प्रस्तर-15 क्षेत्र पंचायत सिंधौली-आलोच्य वर्ष 2021-22 में सम्पादित कार्यों की सूची से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अनेक निर्माण कार्य ग्राम स्तर पर कराया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अनुभाग-2 से जारी शासनादेश सं0 8307/33-2-204-93जी0/2004,दि0 12-01-2005 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कम से कम दो ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य ही कराया जाना अपेक्षित था तथा शासनादेश सं.-1838/33-03-2015 -03 /2015 दिनांक-31-07-2017 के प्रस्तर तीन में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराये जाने में किया जाना अपेक्षित था, किन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऐसे कार्य कराये गये हैं, जो कि एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित हैं|

शासन के दिशा निर्देशों के तहत कार्यों की जियो टैगिंग भी नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में कौन सा निर्मित कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा अथवा ग्राम पंचायत/अन्य इकाई द्वारा कराया गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पत्रावली में इस आशय का प्रमाण-पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्षवार निर्मित कार्य का अंकन सड़क रजिस्टर में दर्ज कर सड़क रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा है।

इस प्रकार पंचायती राज अनुभाग-3,दि0 24 अगस्त-2021 को जारी शासनादेश के **प्रस्तर-**2 में उल्लिखित 15वां वित्त आयोग के टाइड ग्रांट के सम्बंध में निर्गत शासनादेश सं0 34/2020/1817/33-3-2020-33/2020 दि0 24..07..2020 एवं अनटाइड ग्रांट के सम्बंध में शासनादेश सं0 30/2020/1594/33-3-2020-33/2020, दि0 29..06..2020 तथा राज्य वित्त आयोग के सम्बंध में शासनादेश सं0 38/2020/1751/33-3-2020-38/2020, दि0 18..08..2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के तहत भी उदहारण स्वरूप निम्नलिखित वर्णित निर्माण कार्य आच्छादित नहीं है:-

क्र0	**कार्य का नाम / विवरण**	**व्यय धनराशि (रू)**
1	ग्राम पंचा० मुढिया मिश्र में झाला रोड से मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य	245044.00
2	ग्राम पंचा० मुढिया मिश्र में बब्बन के मकान से शिव कुमार के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	204413.00
3	ग्राम भंडेरी में रफिउल्ला के दुकान से देवी मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य	869486.00
4	ग्राम सुहेली में वीरभान के मकान के पास इंटरलॉकिंग कार्य	556962.00
5	ग्राम सिन्धौली में आशीष के मकान के पास इंटरलॉकिंग कार्य	522337.00
6	ग्राम मिश्रीपुर में मंदिर के पास से ठाकुर के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य	335345.00
7	ग्राम भुडिया पमार में अशोक गुप्ता के मकान से बाल्मीकि के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	991847.00
8	ग्राम नगरिया प्रयागपुर में राम प्रसाद के मकान से मीरा देवी के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	227464.00
9	ग्राम भंडेरी में रफिउल्ला के दुकान से देवी मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य	124812.00
10	ग्राम नगरिया प्रयागपुर में विश्राम सिंह के खेत से सुनील सिंह के टाइल्स मिल तक इंटरलॉकिंग कार्य	980361.00
11	ग्राम नगला शाहजहाँ में नन्हेलाल के मकान से भारत सिंह के खेत से तक खडंजा कार्य	908439.00
12	ग्राम कठपुरा में नन्हे के मकान से लश्करी बाबा मेन रोड तक खडंजा कार्य	886043.00
13	ग्राम सुहेली में सेक्रेटरी के मकान से होली के पास तक भजनलाल के मकान की ओर इंटरलॉकिंग कार्य	309710.00
	योग-	**7162263.00**

स्पष्टतः उपरोक्त व्यय विभागीय दिशा निर्देशों एवं निर्गत शासनादेशों का उल्लंघन है, जिसके लिये तत्कालीन विभागीय अधिकारी अवर अभियंता श्रीशिव कुमार वर्मा एवं खंड विकास अधिकारी श्रीमती ज्योति चौधरी व श्री संजीव कुमार जिम्मेदार हैं। अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 क्षेत्र पंचायत सिंधौली-आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के निर्माण कार्य के लागत का 1प्रतिशत कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) के रूप में भुगतान किये गए बिलों से कटौती कर उ0प्र0 भवन एवं सन्निकार एवं कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा किया जाना अपेक्षित था, किन्तु किसी भी बिलों से कटौती न कर क्षेत्र पंचायत प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राजस्व की हानि पहुंचाई गई है। उक्त लापरवाही हेतु प्रत्यक्ष रूप से लेखाकार श्री हरी किशोर अग्निहोत्री व खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती ज्योति चौधरी व श्री संजीव कुमार उत्तरदायी हैं| अत: आलोच्य वर्ष में कुल निर्माण कार्य सम्बन्धित भुगतान किये धनराशि(राज्य वित्त से रु० 9325710.00 + के०वित्त टाईड फण्ड से रु० 4168599.00 + के०वित्त अन टाईड फण्ड से रु० 5998433.00) कुल रू० 10492742.00 पर 1 प्रतिशत का आगणन रू०104927.00 सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार से वसूली/बिलों से कटौती कर सुसंगत बैंक खातों में जमा किया जाना अपेक्षित है | अन्यथा उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 क्षेत्र पंचायत सिंधौली-क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र की जनता के विकास कार्यों में न करके क्षेत्र निधि से कराए जाने वाले निम्नलिखित मदों में किया गया है -

क्र0	कार्य का विवरण	धनराशि (रु०)
1	विकास खंड कार्यालय की रंगाई पुताई एवं टाईल्स कार्य	845116.00
2	विकास खंड परिसर की बाऊन्ड्री वाल की रंगाई पुताई एवं मरम्मत	224787.00
3	विकास खंड कार्यालय भवन की रंगाई पुताई एवं फर्नीचर कार्य	332460.00
4	विकास खंड परिसर में स्थित प्रमुख कक्ष की भवन की रंगाई पुताई एवं फर्नीचर कार्य	144474.00
5	विकास खंड परिसर में बी.डी.ओ.आवासीय भवन में टाइल्स,बिजली, बाऊन्ड्री वाल मरम्मत आदि कार्य	124963.00
6	विकास खंड परिसर में स्थित प्रमुख कक्ष की भवन की रंगाई पुताई एवं फर्नीचर कार्य	80304.00
7	विकास खंड कार्यालय भवन की रंगाई पुताई एवं फर्नीचर कार्य	43792.00
	योग-	1795896.00

उपरोक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गयीं :-

1-कार्य क्षेत्र पंचायत की बैठक में किस क्रम संख्या पर दर्शित है, इस्टीमेट में अंकित नहीं है।
2-विकास खंड में कराये गए उपरोक्त अनुरक्षण कार्य को कई भाग में बाँटने का औचित्य स्पष्ट नहीं रहा। एक ही कार्य को कई हिस्सों में विभाजित करना कार्य का उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने से बचना है, जो निर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन है।
3-इस आशय का प्रमाण-पत्र कि "संदर्भित अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य विगत पांच वर्ष में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
4-ठेकेदार मै0आरोही डेवलेपर्स, शाहजहाँपुर और क्षेत्र पंचायत के मध्य हुए कार्य अनुबंध कुल के 0.70 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पर किये जाने चाहिए थे, जो मात्र रु०एक सौ-एक सौ के स्टाम्प पर किये गए हैं, जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई, जो आपत्तिजनक है।
5- कार्य आदेश पर पत्रांक/ दिनांक अंकित नहीं है।
6- मै0आरोही डेवलेपर्स, शाहजहाँपुर से कार्य प्रारंभ के पूर्व उक्त कार्यों में से क्रम संख्या 2,3,4,6 व 7 पर दर्शित कार्य के भुगतान से जमानत राशि की कुल कटौती मात्र रु०58987-00 दर्शित है, शेष कार्यों पर जमानत राशि जमा नहीं करायी गयी है, जो की लागत पर जमानत की धनराशि जमा कराया जाना चाहिए था। परन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में जमानत पंजिका प्रस्तुत नहीं रही, जिससे उक्त की पुष्टि हो सके।
7- कार्यों की पत्रावली/गार्ड फाइल में अनुरक्षण कार्यों में हुई सामग्री क्रय की सूची एम्०बी० में अंकित कर उसी के आधार पर बिल का पेमेंट कर दिया गया है, जिससे क्रय की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं होती है।
8- उक्त मरम्मत कार्यों में प्रयुक्त हुए सामग्री पर रॉयल्टी नहीं काटी गयी है, जो आपत्तिजनक है।
9-कार्य संपादन की पूरी प्रक्रिया में अधिकतर स्थान पर सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर दिनांक रहित है, जो अभिलेखीय रखरखाव एवं प्रक्रिया को संदिग्ध एवं असंतोषप्रद बनाती है।
10-कार्य के प्रारम्भ, मध्य का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
11-कार्यों से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है, जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
12- उपरोक्त कार्यों पर व्यय की जाने वाली धनराशि रू0 1795896.00 का उपभोग क्षेत्र निधि से किया जाना चाहिये। परन्तु क्षेत्र निधि में अपने निजी श्रोतों एवं कर आरोपण/अन्य नये प्रयासों द्वारा धनराशि जुटाने हेतु क्षेत्र पंचायत द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। उक्त व्यय राज्य वित्त अनुदान, जो कि क्षेत्र की जनता के

विकास के लिए आवंटित धन है, से करने की जगह पूर्ण या आंशिक रूप से क्षेत्र निधि में धन संग्रहण के माध्यम से किया जाना चाहिए था।

स्पष्टतः उपरोक्त कार्यों के संपादन में विभिन्न स्तरों पर विभागीय एवं शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितता बरती गयी है, जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री हरी किशोर अग्निहोत्री, अवर अभियंता श्री शिव कुमार वर्मा एवं खंड विकास अधिकारी श्रीमती ज्योति चौधरी व श्री संजीव कुमार प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत -जैतीपुर

प्रस्तर-18 क्षेत्र पंचायत जैतीपुर- आलोच्य वर्ष 2021-22 में सम्पादित कार्यों की सूची से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अनेक निर्माण कार्य ग्राम स्तर पर कराया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अनुभाग-2 से जारी शासनादेश सं0 8307/33-2-204-93जी0/2004,दि0 12-01-2005 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कम से कम दो ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य ही कराया जाना अपेक्षित था तथा शासनादेश सं.-1838/33-03-2015 -03 /2015 दिनांक-31-07-2017 के प्रस्तर तीन में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराये जाने में किया जाना अपेक्षित था, किन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऐसे कार्य कराये गये हैं, जो कि एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित हैं|

शासन के दिशा निर्देशों के तहत कार्यों की जियो टैगिंग भी नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में कौन सा निर्मित कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा अथवा ग्राम पंचायत/अन्य इकाई द्वारा कराया गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पत्रावली में इस आशय का प्रमाण-पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्षवार निर्मित कार्य से सम्बन्धित विवरण पंजिका में दर्शित नहीं किया गया है|

इस प्रकार पंचायती राज अनुभाग-3,दि0 24 अगस्त-2021 को जारी शासनादेश के **प्रस्तर-**2 में उल्लिखित 15वां वित्त आयोग के टाइड ग्रांट के सम्बंध में निर्गत शासनादेश सं0 34/2020/1817/33-3-2020-33/2020 दि0 24.07.2020 एवं अनटाइड ग्रांट के सम्बंध में शासनादेश सं0 30/2020/1594/33-3-2020-33/2020, दि0 29.06.2020 तथा राज्य वित्त आयोग के सम्बंध में शासनादेश सं0 38/2020/1751/33-3-2020-38/2020, दि0 18.08.2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के तहत भी उदहारण स्वरूप निम्नलिखित वर्णित निर्माण कार्य आच्छादित नहीं है:-

क्र0	**कार्य का नाम / विवरण**	**व्यय धनराशि (रू)**
1	ग्राम सूरजुपुर में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य -अनटाइड ग्रांट	348557.00
2	ग्राम गोरा बकैनियां में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य -अनटाइड ग्रांट	735245.00
3	ग्राम जैतीपुर में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य -अनटाइड ग्रांट	381035.00
4	ग्राम गोरा बकैनियां में अजयपाल के खेत से कल्लू के खेत तक खडंजा निर्माण कार्य -अनटाइड ग्रांट	862230.00
5	ग्राम गोरा रपड़ीया में राजपाल के मकान से भंवरपाल के मकान तक खडंजा निर्माण कार्य -अनटाइड ग्रांट	939290.00
6	गढ़िया रंगीन में दूध डेयरी तक खडंजा -राज्य वित्त	456439.00
7	ग्राम सिमरा में पुष्पेन्द्र के घर से कुंवरपाल के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य -राज्य वित्त	352320.00
8	ग्राम परिउना में प्रा०पाठ०से ओमवीर के घर तक खडंजा निर्माण कार्य -राज्य वित्त	648153.00

9	ग्राम जौरा में स्वास्थ्य केंद्र से लटूरी के घर तक खडंजा निर्माण कार्य -राज्य वित्त	265428.00
10	ग्राम खमरिया में शिव मंदिर से राजाराम के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माणकार्य -राज्य वित्त	490318.00
	योग-	**5479015.00**

स्पष्टतः उपरोक्त व्यय विभागीय दिशा निर्देशों एवं निर्गत शासनादेशों का उल्लंघन है, जिसके लिये तत्कालीन विभागीय अधिकारी अवर अभियंता श्री प्रदीप सिंह, एवं खंड विकास अधिकारी डॉ० विजय प्रताप यादव व श्री सुरेन्द्र सिंह जिम्मेदार हैं। अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही **की जानी अपेक्षित है।**

प्रस्तर-19 क्षेत्र पंचायत जैतीपुर- आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के निर्माण कार्य के लागत का 1प्रतिशत कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) के रूप में भुगतान किये गए बिलों से कटौती कर उ0प्र0 भवन एवं सन्निकार एवं कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा किया जाना अपेक्षित था, किन्तु आलोच्य वर्ष में बिलों से कटौती की गई कुल धनराशि रू113537.00 क्षेत्र पंचायत प्रबंधन सम्बन्धित बैंक खाता में दिनांक 31-03-2022 जमा नहीं किया गया। उक्त लापरवाही हेतु प्रत्यक्ष रूप से लेखाकार श्री मो०दानिश अन्सारी एवं खण्ड विकास अधिकारी डॉ० विजय प्रताप यादव व श्री सुरेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं| अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही **की जानी अपेक्षित है।**

प्रस्तर-20 क्षेत्र पंचायत जैतीपुर- क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनटाईड अनुदान का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र की जनता के विकास कार्यों में न करके क्षेत्र निधि से कराए जाने वाले निम्नलिखित मदों में किया गया है।

क्र0	**कार्य का विवरण**	**धनराशि (रु०)**
1	विकास खंड परिसर में मीटिंग हॉल के सामने इंटरलॉकिंग कार्य	936574.00
2	विकास खंड परिसर में शहीद स्मारक की स्थापना व इंटरलॉकिंग कार्य	476212.00
	योग-	**1412786.00**

उपरोक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गयीं :-

1-कार्य क्षेत्र पंचायत की बैठक में किस क्रम संख्या पर दर्शित है, इस्टीमेट में अंकित नहीं है।
2-विकास खंड परिसर में कराये गए उपरोक्त अनुरक्षण कार्य को दो भाग में बाँटने का औचित्य स्पष्ट नहीं रहा। एक ही कार्य को दो हिस्सों में विभाजित करना कार्य का उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने से बचना है, जो निर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन है।
3-इस आशय का प्रमाण-पत्र कि "संदर्भित अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य विगत पांच वर्ष में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
4-ठेकेदार मै0श्री विष्णु इन्फ्रा इंजी०प्रा०लि० और क्षेत्र पंचायत के मध्य हुए कार्य अनुबंध कुल के 0.70 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पर किये जाने चाहिए थे, जो मात्र रु० एक सौ-एक सौ के स्टाम्प पर किये गए हैं, जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई, जो आपत्तिजनक है।
5- कार्य आदेश पर पत्रांक/ दिनांक अंकित नहीं है।
6- मै0श्री विष्णु इन्फ्रा इंजी०प्रा०लि० से कार्य प्रारंभ के पूर्व उक्त कार्यों में से दर्शित कार्य के भुगतान से जमानत राशि की कुल कटौती शून्य दर्शित है| कार्यों पर जमानत राशि जमा कराये जाने की पुष्टि नहीं करायी गयी, जो की लागत पर जमानत की धनराशि जमा कराया जाना अपेक्षित रहा। परन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में जमानत पंजिका प्रस्तुत नहीं रही, जिससे उक्त की पुष्टि हो सके।
7- कार्यों की पत्रावली/गार्ड फाइल में अनुरक्षण कार्यों में हुई सामग्री क्रय की सूची एम्०बी० में अंकित कर उसी के आधार पर बिल का पेमेंट कर दिया गया है, जिससे क्रय की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं होती है।
8- उक्त मरम्मत कार्यों में प्रयुक्त हुए सामग्री पर रॉयल्टी नहीं काटी गयी है, जो आपत्तिजनक है।

9-कार्य संपादन की पूरी प्रक्रिया में अधिकतर स्थान पर सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर दिनांक रहित है, जो अभिलेखीय रखरखाव एवं प्रक्रिया को संदिग्ध एवं असंतोषप्रद बनाती है।
10-कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
11-कार्यों से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है, जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
12- उपरोक्त कार्यों पर व्यय की जाने वाली धनराशि रू.**1412786.00** का उपभोग क्षेत्र निधि से किया जाना चाहिये। परन्तु क्षेत्र निधि में अपने निजी श्रोतों एवं कर आरोपण/अन्य नये प्रयासों द्वारा धनराशि जुटाने हेतु क्षेत्र पंचायत द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। उक्त व्यय राज्य वित्त अनुदान, जो कि क्षेत्र की जनता के विकास के लिए आवंटित धन है, से करने की जगह पूर्ण या आंशिक रूप से क्षेत्र निधि में धन संग्रहण के माध्यम से किया अपेक्षित रहा।

स्पष्टतः उपरोक्त कार्यों के संपादन में विभिन्न स्तरों पर विभागीय एवं शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितता बरती गयी है, जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री मो०दानिश अन्सारी, अवर अभियंता श्री प्रदीप सिंह एवं खण्ड विकास अधिकारी डॉ० विजय प्रताप यादव व श्री सुरेन्द्र सिंह प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, नियमानुसार कार्यवाही **की जानी अपेक्षित है।**

क्षेत्र पंचायत- खुटार

प्रस्तर-21 क्षेत्र पंचायत खुटार - आलोच्य वर्ष 2021-22 में सम्पादित कार्यों के पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत ने निम्नानुसार कार्य हेतु साईं ट्रेडर्स की निविदा स्वीकृत किया हैः-

क्र0	कार्य का नाम	फर्म जिसकी निविदा स्वीकृत हुई	प्राक्कलन की धनराशि
1	ख0नि0कार्य लुकताह में सेहरामऊ रोड जंगल के पास से अमरीक सिंह के घर तक	ओम साईं ट्रेडर्स	8.97 लाख
2	ख0नि0कार्य खमरिया गदियाना में दिलसाद सिंह के खेत से गुरुचरन के खेत तक	ओम साईं ट्रेडर्स	9-96 लाख
3	ख0नि0कार्य लक्ष्मीपुर में राम कुमार के घर से सोबरन सिंह के घर तक	ओम साईं ट्रेडर्स	8.34 लाख

उपर्युक्त पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि ओम साईं ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर श्री मुन्ना लाल पुत्र श्री बाबूराम का हैसियत प्रमाण पत्र सं0222010000136/01-06-2020 जिसकी वैधता 31-05-2022 तक है संलग्न पाया गया व कुल रू690000.00 की हैसियत दर्शित है। इस प्रकार हैसियत प्रमाण पत्र से अधिक के प्राक्कलन की धनराशि हेतु ओम साईं ट्रेडर्स का टेंडर प्रक्रिया में शामिल होना और उसी फर्म का ही टेण्डर स्वीकृत होना फेक या बायस हो जाता है। अनियमितता के गम्भीर प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही **की जानी अपेक्षित है।**

प्रस्तर-22 क्षेत्र पंचायत खुटार - आलोच्य वर्ष 2021-22 में सम्पादित कार्यों की सूची से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अनेक निर्माण कार्य ग्राम स्तर पर कराया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अनुभाग-2 से जारी शासनादेश सं0 8307/33-2-204-93जी0/2004,दि0 12-01-2005 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कम से कम दो ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य ही कराए जाने चाहिये तथा शासनादेश सं.-1838/33-03-2015 -03 /2015 दिनांक-31-07-2017 के प्रस्तर तीन में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराये जाने में किया जाना अपेक्षित था। किन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न लिखित विवरण के अनुसार ऐसे कार्य कराये गये हैं, जो कि एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित हैं|

शासन के दिशा निर्देशों के तहत कार्यों की जियो टैगिंग भी नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में कौन सा निर्मित कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा, अथवा ग्राम पंचायत/अन्य इकाई द्वारा कराया गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी लेखा परीक्षा दौरान नही दी गई।पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है",इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष वार निर्मित कार्य का अंकन सड़क रजिस्टर में दर्ज कर सड़क रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा है।

इस प्रकार पंचायती राज अनुभाग-3,दि0 24 अगस्त-2021 को जारी शासनादेश के **प्रस्तर-**2 में उल्लिखित 15वां वित्त आयोग के टाइड ग्रांट के सम्बंध में निर्गत शासनादेश सं0 34/2020/1817/33-3-2020-33/2020 दि0 24..07..2020 एवं अनटाइड ग्रांट के सम्बंध में शासनादेश सं0 30/2020/1594/33-3-2020-33/2020, दि0 29..06..2020 तथा राज्य वित्त आयोग के सम्बंध में शासनादेश सं0 38/2020/1751/33-3-2020-38/2020, दि0 18.08.2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के तहत भी निम्नलिखित वर्णित निर्माण कार्य आच्छादित नहीं है:-

क्र0	**कार्य का नाम / विवरण**	**व्यय धनराशि (रू)**
1	ख0नि0कार्य लुकताह में सेहरामऊ रोड जंगल के पास से अमरीक सिंह के घर तक	783425.00
2	ख0नि0कार्य खमरिया गदियाना में दिलसाद सिंह के खेत से गुरुचरन के खेत तक	898406.00
3	ख0नि0कार्य लक्ष्मीपुर में राम कुमार के घर से सोबरन सिंह के घर तक	729639.00
4	ख0नि0 व मिट्टी कार्य लक्ष्मीपुर में खुटार-पुवायां दूध डेयरी से बलदेव सिंह के घर तक	436840.00
5	ख0मरम्मत कार्य कैमहरिया में दिलसाद सिंह के घर से नई मस्जिद तक	547101.00
6	ग्राम पंचा० नरौठा हंसराम में ब्रजकिशोर गुप्ता के खेत तक इंटरलॉकिंग कार्य	575872.00
7	ख0मरम्मत कार्य लडती में तोडरपुर डामररोड से बाबूराम के खेत तक	497884.00
8	ग्राम पंचा० चांदपुर में सुधाकर बाजपेई के घर से क्रष्ण दयाल मिश्रा के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	683254.00
	योग-	5152421.00

स्पष्टतः उपरोक्त व्यय विभागीय दिशा निर्देशों एवं निर्गत शासनादेशों का उल्लंघन है,जिसके लिये तत्कालीन विभागीय अधिकारी श्री देवेन्द्र कुंमार अवर अभियन्ता एवं श्री शिव शंकर खंड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-23 क्षेत्र पंचायत खुटार - आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के अनुदान पंजिका द्वितीय के अनुसार आयकर, सेस एवं जी०एस०टी० से निम्न विवरण अनुसार प्राप्त,जमा और वर्षांत में शेष दर्शित है :-

क्र0 सं0	विवरण	वर्ष में प्राप्त	गत वर्ष का शेष	वर्ष में जमा	वर्षांत में शेष
1	आयकर/टी०डी०एस०	122863.00	157784.00	शून्य	280647.00
2	जी०एस०टी०	122863.00	147674.00	शून्य	270537.00
3	सेस	61431.00	78892.00	शून्य	140323.00
	योग-	307157.00	384350.00	शून्य	691507.00

इस प्रकार वर्षांत में 31 मार्च 2022 को उपरोक्त शीर्षों में कटौती की कुल ₹ 691507.00 की धनराशि अवशेष रही। जिन्हे विभाग-वार सुसंगत लेखा शीर्षों में यथानिर्देश समयान्तर्गत जमा किया जाना अपेक्षित था। उक्त धनराशि का इकाई स्तर पर रोक कर रखा जाना अनियमितता का द्योतक है। जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री मनीष राठौर एवं खंड विकास अधिकारी श्री शिव शंकर उत्तरदायी हैं।उक्त कटौती की धनराशि यथाशीघ्र

संबन्धित विभाग के सुसंगत लेखा शीर्षों में जमा कराये जाने एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति वान्छित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

क्षेत्र पंचायत - पुवायां

प्रस्तर-24 क्षेत्र पंचायत पुवायां - आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के अनुदान पंजिका द्वितीय के अनुसार आयकरनिम्न विवरण अनुसार प्रारम्भिक शेष,प्राप्त, जमा और वर्षांत में शेष दर्शित है :-

क्र0 सं0	विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में जमा	वर्षांत में शेष
1	आयकर /	336076.00	376603.00	621087.00	91592.00
2	टी०डी०एस०	----------	377603-00	285011-00	92592-00
3	रायल्टी	----------	86078-00	----------	86078-00
		योग-336076-00	840284-00	906098-00	270262-00

इस प्रकार वर्षांत में 31 मार्च-22को उपरोक्त शीर्षों में कटौती की कुल ₹ 270262.00 की धनराशि अवशेष रही। जिन्हे विभाग-वार सुसंगत लेखा शीर्षों में यथा निर्देश समयांतर्गत जमा किया जाना अपेक्षित रहा । उक्त धनराशि का इकाई स्तर पर रोक कर रखा जाना अनियमितता का द्योतक है। उक्त कटौती की धनराशि यथाशीघ्र संबन्धित विभाग के सुसंगत लेखा शीर्षों में जमा कराये जाने की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है व अनियमितता के लिए उत्तरदायी लेखाकार श्री अरुण कुमार एवं खंड विकास अधिकारी श्री सुशांत श्रीवास्तव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 क्षेत्र पंचायत पुवायां - आलोच्य वर्ष 2021-22 में सम्पादित कार्यों की सूची से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अनेक निर्माण कार्य ग्राम स्तर पर कराया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अनुभाग-2 से जारी शासनादेश सं0 8307/33-2-204-93जी0/2004,दि0 12-01-2005 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कम से कम दो ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य ही कराए जाने अपेक्षित हैं तथा शासनादेश सं.-1838/33-03-2015 -03 /2015 दिनांक-31-07-2017 के प्रस्तर तीनमें दी गयी व्यवस्था के अनुसारराज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराये जाने में किया जाना अपेक्षि था, किन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न लिखित विवरण के अनुसार ऐसे कार्य कराये गये हैं, जो कि एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित हैं|

शासन के दिशा निर्देशों के तहत कार्यों की जियो टैगिंग भी नहीं करायी गयी है।ऐसी स्थिति में कौन सा निर्मित कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा, अथवा ग्राम पंचायत/अन्य इकाई द्वारा कराया गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्षवार निर्मित कार्य का अंकन सड़क रजिस्टर में दर्ज कर सड़क रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा है।

इस प्रकार पंचायती राज अनुभाग-3,दि0 24 अगस्त-2021 को जारी शासनादेश के **प्रस्तर-**2 में उल्लिखित 15वां वित्त आयोग के टाइड ग्रांट के सम्बंध में निर्गत शासनादेश सं0 34/2020/1817/33-3-2020-33/2020 दि0 24..07..2020 एवं अनटाइड ग्रांट के सम्बंध में शासनादेश सं0 30/2020/1594/33-3-2020-33/2020, दि0 29..06..2020 तथा राज्य वित्त आयोग के सम्बंध में शासनादेश सं0 38/2020/1751/33-3-2020-38/2020, दि0 18..08..2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के तहत भी निम्नलिखित वर्णित निर्माण कार्य आच्छादित नहीं है:-

क्र0	**कार्य का नाम / विवरण**	**व्यय धनराशि)रू(**
1	ग्राम महुआ पाठक योगेन्द्र के मकान से अनावा रोड तक खडंजा कार्य	166591-00
2	ग्राम महुआ पाठक में सुरजीत के घर से लालाराम के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	608240.00

3	ग्राम महुआ पाठक में शाहजहाँपुर रोड से बलरामपुर तक खडंजा मरम्मत कार्य	895161-.00
4	ग्राम महुआ पाठक में सुरेश जाटव के मकान से रामवीर जाटव के मकान तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	484816-.00
5	नाहिल में रघुनाथपूरी मन्दिर तक खडंजा निर्माण कार्य	346787-.00
6	नाहिल में मेन रोड से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक सी ० सी ० रोड मरम्मत कार्य	118747-.00
7	ग्राम मजीदपुर में शेर सिंह के घर से कुलबंत के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	473422-00
8	ग्राम मजीदपुर गावं में राम औतार के खेत से छोटे लाल के खेत तक खडंजा निर्माण कार्य	350651-.00
9	नवलपुर के पश्चिम मजीदपुर तक खडंजा निर्माण कार्य	792890-.00
10	कोप नवलपुर में जीशान के घर तक खडंजा निर्माण कार्य	356390-00
	योग-	4593695-00

स्पष्टतः उपरोक्त व्यय विभागीय दिशा-निर्देशों एवं निर्गत शासनादेशों का उल्लंघन है, जिसके लिये **लेखाकार**-श्री अरुण कुमार शर्मा **अवर अभियंता**- श्री शंकर लाल खंड विकास अधिकारी- श्री ऋषिकान्त अहिरवार श्री सुशान्त श्रीवास्तव डिप्टी कलेक्टर/खंड विकास अधिकारी **ब्लाकप्रमुख**- श्रीमती नीलम देवी जिम्मेदार हैं। अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 क्षेत्र पंचायत पुवायां - आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के अनुदान पंजिका-3 के अनुसार निर्माण कार्य के लागत का 1% कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) के मद में जमा दर्शित है |

क्र0	माह जमा	धनराशि
	गत वर्ष (31 मार्च-21 की अवशेष धनराशि)-	00-00
	अगस्त 2021	14480-00
	सितम्बर 2021	17671-00
	अक्टूबर2021	91104-00
	नवम्बर 2021	40063-00
	दिसम्बर2021	66257-00
	जनवरी 2022	40534-00
	फरवरी-22	14634-00
	मार्च-22	43311-00
	योग-	328054-00

आलोच्य वर्ष में सम्पादित निर्माण कार्यो का भुगतान करते समय ठेकेदारों के बिलों से कुल रु ० 328054-00का कटोंती दर्शित हैं | इस प्रकार गत वर्ष 31 मार्च 2021 की अवशेष धनराशि रु ०० थी कुल लेबर सेस कटोती रु 0328054-00सुसंगत बैंक खाते में जमा नही किया गया , जिसका प्रयोग श्रमिको के हितार्थ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता है |उक्त धनराशि का इकाई स्तर पर अनियमित रूप से रोककर उसका दुरुपयोग किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता , जिसके लिये **लेखाकार**-श्री अरुण कुमार शर्मा **अवर अभियंता**- श्री शंकर लाल खंड विकास अधिकारी- श्री ऋषिकान्त अहिरवार ,श्री सुशान्त श्रीवास्तव डिप्टी कलेक्टर/खंड विकास अधिकारी **ब्लाकप्रमुख**- श्रीमती नीलम देवी जिम्मेदार हैं। अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत - निगोही

प्रस्तर-27 क्षेत्र पंचायत निगोही -आलोच्य वर्ष 2021-22 में सम्पादित कार्यों की सूची से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अनेक निर्माण कार्य ग्राम स्तर पर कराया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अनुभाग-2 से जारी शासनादेश सं0 8307/33-2-204-93जी0/2004,दि0 12-01-2005 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कम से कम दो ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य ही कराए जाने अपेक्षित थे तथा शासनादेश सं.-1838/33-03-2015 -03 /2015 दिनांक-31-07-2017 के प्रस्तर तीन में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराये जाने में किया जाना अपेक्षित था, किन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऐसे कार्य कराये गये हैं, जो कि एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित हैं|

शासन के दिशा-निर्देशों के तहत कार्यों की जियो टैगिंग भी नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में कौन सा निर्मित कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा, अथवा ग्राम पंचायत/अन्य इकाई द्वारा कराया गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी लेखा परीक्षा के दौरान नही दी गयी | पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्षवार निर्मित कार्य का अंकन सड़क रजिस्टर में दर्ज कर सड़क रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा है।

इस प्रकार पंचायती राज अनुभाग-3,दि0 24 अगस्त-2021 को जारी शासनादेश के **प्रस्तर-**2 में उल्लिखित 15वां वित्त आयोग के टाइड ग्रांट के सम्बंध में निर्गत शासनादेश सं0 34/2020/1817/33-3-2020-33/2020 दि0 24..07..2020 एवं अनटाइड ग्रांट के सम्बंध में शासनादेश सं0 30/2020/1594/33-3-2020-33/2020, दि0 29..06..2020 तथा राज्य वित्त आयोग के सम्बंध में शासनादेश सं0 38/2020/1751/33-3-2020-38/2020, दि0 18..08..2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के तहत भी निम्नलिखित वर्णित निर्माण कार्य आच्छादित नहीं है:-

क्र0	**कार्य का नाम / विवरण**	**व्यय धनराशि (रू)**
1	पतराजपुर में राजेन्द्र के प्लाट से पुलिया तक इंटरलॉकिंग	508139.00
2	भटपुरा मिश्र में लालजीत के मकान से संतोष वर्मा के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	993083.00
3	डेलखेड़ा में अहमद अली के मकान से अलातुल्ला के मकान तक इंटरलॉकिंग	995000.00
4	ग्राम परसोना खलीलपुर में मनोज के मकान से शिव मंदिर तक इंटरलॉकिंग कार्य	692890.00
5	संडा खास में राजेश मिश्रा के प्लाट से ऋषिपाल के मकान तक इंटरलॉकिंग	457000.00
	योग-	**3646112.00**

स्पष्टतः उपरोक्त व्यय विभागीय दिशा-निर्देशों एवं निर्गत शासनादेशों का उल्लंघन है, जिसके लिये **सहायक लेखाकार**- श्री बृजेश कुमार दीक्षित, श्री दीपक चंद भट्ट, **अवर अभियंता-** श्री राकेश कौशिक, **ख०वि०अधिकारी-** श्री गोविन्द वल्लभ पाठक, श्री ऋषिकांत अहिरवार एवं **ब्लाकप्रमुख**- श्री सचिन वर्मा संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं| अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-28 क्षेत्र पंचायत निगोही आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के अनुदान पंजिका-3 के अनुसार निर्माण कार्य के लागत का 1% कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) के मद में जमा दर्शित है | इस धनराशि को उ0प्र0 भवन एवं सन्निकार एवं कल्याण बोर्ड के सुसंगत राष्ट्रीयकृत बैंक खाते (जो जनपद शाहजहाँपुर के केनरा बैंक,सदर बाजार में संचालित है) में जमा किया जाना अपेक्षित है, ताकि लेबर सेस के रूप में प्राप्त धनराशि का उपयोग श्रमिकों के कल्याणकारी कार्यों में किया जा सके |

लेबर सेस का विवरण निम्नवत रहा – (ग्रांट-3 के अनुसार)

क्र0	माह जमा	धनराशि
1	गत वर्ष (31 मार्च-21 की अवशेष धनराशि)-	₹ 2450.00
2	सितम्बर-21	₹ 34341.00
3	नवम्बर-21	₹ 32799.00
4	जनवरी-22	₹ 53498.00
5	फरवरी-22	₹ 30892.00
6	मार्च-22	₹ 15160.00
	योग-	**₹ 169140.00**

उक्त अनियमितता हेतु **सहायक लेखाकार**- श्री बृजेश कुमार दीक्षित, श्री दीपक चंद भट्ट व **ख०वि०अधिकारी-** श्री गोविन्द वल्लभ पाठक, श्री ऋषिकांत अहिरवार संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 क्षेत्र पंचायत निगोही - क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया, कि क्षेत्र पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र की जनता के विकास कार्यों में न करके क्षेत्र निधि से कराए जाने वाले मदों में किया गया है-

क्र0	**कार्य का विवरण**	**धनराशि (रु०)**
1	खण्ड विकास अधिकारी के आवास की मरम्मत कार्य	758344.00
	खण्ड विकास परिसर में वाल पेंटिंग	144668.00
	निगोही ब्लाक कार्यालय में डवाकरा भवन की विशेष मरम्मत कार्य	773665.00
	खण्ड विकास परिसर में डवाकरा भवन की साज-सज्जा सौंदर्यीकरण	710036.00
	योग-	**2386713.00**

उपरोक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गयीं :-

(1)कार्य क्षेत्र पंचायत की बैठक में किस क्रम संख्या पर दर्शित है, इस्टीमेट में अंकित नहीं है।
(2)पत्रावली में इस आशय का प्रमाण-पत्र कि "संदर्भित साज-सज्जा एवं मरम्मत कार्य विगत पांच वर्ष में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
(4)ठेकेदार मे0 गुरुनानक कांट्रेक्टर, निगोही शाहजहाँपुर और क्षेत्र पंचायत के मध्य हुए कार्य अनुबंध कुल के 0.70 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पर किया जाना अपेक्षित रहा, जो मात्र रु० 100-00 के स्टाम्प पर किये गए हैं, जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई, जो आपत्तिजनक है।
(5) कार्यों की पत्रावली/गार्ड फाइल में अनुरक्षण कार्यों में हुई सामग्री क्रय की सूची एम्०बी० में अंकित कर उसी के आधार पर बिल का पेमेंट कर दिया गया है, जिससे क्रय की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं होती है।
(6) कार्य संपादन की पूरी प्रक्रिया में अधिकतर स्थान पर सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर दिनांक रहित है, जो अभिलेखीय रख-रखाव एवं प्रक्रिया को संदिग्ध एवं असंतोषप्रद बनाती है।
(7) नियमानुसार रायल्टी नही काटा गया है और न ही ग्रांट पंजिका-3 में उक्त मद का कोई विवरण है |
(8) कार्य के प्रारम्भ, मध्य का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
(9) कार्यों से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न है, किन्तु खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर व तिथि अंकित नही पायी गयी, जिससे उक्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संदिग्ध रहा ।
(10) उपरोक्त कार्यों पर व्यय की जाने वाली धनराशि रू0 **2386713.00** का उपभोग क्षेत्र निधि से किया जाना अपेक्षित रहा, परन्तु क्षेत्र निधि में अपने निजी श्रोतों एवं कर आरोपण/अन्य नये प्रयासों द्वारा धनराशि जुटाने हेतु क्षेत्र पंचायत द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। उक्त व्यय राज्य वित्त अनुदान, जो कि क्षेत्र की जनता

के विकास के लिए आवंटित धन है, से करने की जगह पूर्ण या आंशिक रूप से क्षेत्र निधि में धन संग्रहण के माध्यम से किया जाना अपेक्षित रहा।

स्पष्टतः उपरोक्त कार्यों के संपादन में विभिन्न स्तरों पर विभागीय एवं शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितता बरती गयी है, जिसके लिए **सहायक लेखाकार**- श्री बृजेश कुमार दीक्षित, श्री दीपक चंद भट्ट, **अवर अभियंता-** श्री राकेश कौशिक, **ख०वि०अधिकारी-** श्री गोविन्द वल्लभ पाठक, श्री ऋषिकांत अहिरवार **ब्लाकप्रमुख**- श्री सचिन वर्मा संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं | अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 क्षेत्र पंचायत निगोही - आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के अनुदान पंजिका द्वितीय के अनुसार आयकर निम्नलिखित विवरण अनुसार प्रारम्भिक शेष,प्राप्त, जमा और वर्षांत में शेष दर्शित है :-

क्र0 सं0	विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में जमा	वर्षांत में शेष
1	आयकर / टी०डी०एस०	4900.00	333384.00	307964.00	30320.00

इस प्रकार वर्षांत में 31 मार्च-2022 को उपरोक्त शीर्षों में कटौती की कुल ₹ 30320.00 की धनराशि अवशेष रही, जिन्हे विभाग-वार सुसंगत लेखा शीर्षों में यथानिर्देश समयांतर्गत जमा किया जाना अपेक्षित रहा। उक्त धनराशि का इकाई स्तर पर रोक कर रखा जाना अनियमितता का द्योतक है, जिसके लिये **सहायक लेखाकार**- श्री बृजेश कुमार दीक्षित, श्री दीपक चंद भट्ट व **ख०वि०अधिकारी-** श्री गोविन्द वल्लभ पाठक, श्री ऋषिकांत अहिरवार संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं | अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत मिर्ज़ापुर

प्रस्तर-31 क्षेत्र पंचायत मिर्ज़ापुर -आलोच्य वर्ष 2021-22 में सम्पादित कार्यों की सूची से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अनेक निर्माण कार्य ग्राम स्तर पर कराया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अनुभाग-2 से जारी शासनादेश सं0 8307/33-2-204-93जी0/2004,दि0 12-01-2005 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कम से कम दो ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य ही कराए जाने चाहिये तथा शासनादेश सं.-1838/33-03-2015 -03 /2015 दिनांक-31-07-2017 के प्रस्तर तीनमें दी गयी व्यवस्था के अनुसारराज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराये जाने में किया जाना अपेक्षित है किन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न लिखित विवरण के अनुसार ऐसे कार्य कराये गये हैं, जो कि एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित हैं| शासन के दिशा निर्देशों के तहत कार्यों की जियो टैगिंग भी नहीं करायी गयी है।ऐसी स्थिति में कौन सा निर्मित कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा, अथवा ग्राम पंचायत/अन्य इकाई द्वारा कराया गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्षवार निर्मित कार्य के अंकन की पुष्टि रजिस्टर तैयार नहीं गया है।

इस प्रकार पंचायती राज अनुभाग-3,दि0 24 अगस्त-2021 को जारी शासनादेश के **प्रस्तर-**2 में उल्लिखित 15वां वित्त आयोग के टाइड ग्रांट के सम्बंध में निर्गत शासनादेश सं0 34/2020/1817/33-3-2020-33/2020 दि0 24..07..2020 एवं अनटाइड ग्रांट के सम्बंध में शासनादेश सं0 30/2020/1594/33-3-2020-33/2020, दि0 29..06..2020 तथा राज्य वित्त आयोग के सम्बंध में शासनादेश सं0 38/2020/1751/33-3-2020-38/2020, दि0 18..08..2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के तहत भी निम्नलिखित वर्णित निर्माण कार्य आच्छादित नहीं है:-

क्र0	कार्य का नाम / विवरण	व्यय धनराशि (रू)
1	ग्राम पंचायत हबीबपुर में महेश के मकान से विश्वनाथ के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	475245.00
2	ग्राम पंचायत हबीबपुर में वेदराम के मकान से विश्राम के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	494585.00
3	ग्राम नरोरा में खेड़े से मानसिंह के मकान तक खड़ंजा कार्य	140197.00
4	ग्राम नरोरा में खेड़े से महेश के मकान तक खड़ंजा कार्य	229226.00
	योग	1339253.00

स्पष्टतः उपरोक्त व्यय विभागीय दिशा निर्देशों एवं निर्गत शासनादेशों का उल्लंघन है, जिसके लिये लेखाकार मो० शाहबाज़ खान,अवर अभियंता श्री प्रदीप कुमार एवं खंड विकास अधिकारी श्री रमा शंकर तथा श्री राम किशोर ब्लॉक प्रमुख श्री प्रियांशु रघुवंशी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 क्षेत्र पंचायत मिर्ज़ापुर -आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के अनुदान पंजिका-3 के अनुसार निर्माण कार्य के लागत का 1% कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) के मद में जमा दर्शित है |

क्र0	माह जमा	धनराशि
1	गत वर्ष (31 मार्च-21 की अवशेष धनराशि)-	₹ 00.00
2	जनवरी 22	33479.00
3	मार्च-22	23211.00
	योग-	56690.00

आलोच्य वर्ष में सम्पादित निर्माण कार्यों का भुगतान करते समय ठेकेदारों के बिलों में कुल रुपया 56690.00 दर्शित है! इस प्रकार वर्ष 31 मार्च 2021 की अवशेष धनराशी रुपया शून्य थी कुल लेबर शेष कटौती रुपया 56690.00 सुसंगत बैंक खातों में जमा नही किया, जिसका प्रयोग श्रमिको के हितार्थ विभन्न कल्याण कारी योजनाओ में किया जाता है ! उक्त धनराशी का इकाई स्तर पर अनियमित रूप से रोक कर उसका दुरूपयोग किये जाने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता, जिसके लिए लेखाकार- मो० शाहवाज़ खान अवर अभियंता- श्री प्रदीप कुमार ख०वि०अधिकारी-श्री रमा शंकर तथा श्री राम किशोर ब्लाकप्रमुख- प्रियांशु रघुवंशी ज़िम्मेदार है! अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-33 क्षेत्र पंचायत मिर्ज़ापुर -आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के अनुदान पंजिका द्वितीय के अनुसार आयकर निम्न विधिवत विवरण अनुसार प्रारम्भिक शेष,प्राप्त, जमा और वर्षांत में शेष दर्शित है :-

क्र0 सं0	विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में जमा	वर्षांत में शेष
1	टी०डी०एस०	898338.00	115380.00	2000.00	1011718.00
3	जी० एस० टी०	277981.00	96247.00	----------	374238.00
4	रायल्टी	----------	21956.00	----------	21956.00
	योग	1176319.00	233583.00	2000 . 00	1464602.00

इस प्रकार वर्षांत में 31 मार्च-22को उपरोक्त शीर्षों में कटौती की कुल ₹ 1464602.00 की धनराशि अवशेष रही, जिन्हे विभाग-वार सुसंगत लेखा शीर्षों में यथानिर्देश समयांतर्गत जमा किया जाना अपेक्षित है ! उक्त धनराशि का इकाई स्तर पर रोक कर रखा जाना अनियमितता का द्योतक है। अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत - भावलखेड़ा

प्रस्तर-34 क्षेत्र पंचायत भावलखेड़ा- क्षेत्र पंचायत की आडिट वर्ष 2021-22 में कुल रू0 7861883.00 निर्माण कार्यों पर अभिलेखों के अनुसार व्यय दर्शित है,जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	बिल की धनराशि (रु0)
1	कनेंग द्वार के निर्माण का अवशेष भुगतान	207953.00
2	ग्राम सतवां में बाबूराम के मकान से श्री केशन के मकान तक इंटरलाकिंग/सी सी निर्माण	283274.00
3	ग्राम पंचायत तिउलक के ग्राम महोलिया मुण्डी में मुख्य मार्ग से धर्मेन्द्र के मकान तक इंटरलाकिंग/सी सी निर्माण	399186+94191= 493377.00
4	ग्राम रहीमपुर अहिवरन के मकान से कर्णवीर के मकान तक इंटरलाकिंग/सी सी निर्माण	253690.00
5	ग्राम कुरसण्डा में ख्याली तेली के मकान से राकेश के बाग तक इंटरलाकिंग/सी सी निर्माण	219752.00
6	ग्राम सेहरामऊ में रैन बसेरा की फर्श का निर्माण	741775.00
7	जमुका अड्डा पर मेन रोड से सखावत के मकान तक इण्टरलाकिंग/सी सी निर्माण कार्य	598450.00
8	ग्राम पंचायत हथौडा के ग्राम अठसलिया में श्री केशन के मकान से शिवदयाल के मकान तक इंटरलाकिंग/सी सी निर्माण	179717.00
9	ग्राम भावलखेड़ा में मोहम्मदी रोड से गांव तक जाने वाले मार्ग के अवशेष भाग पर इंटरलाकिंग /सीसी कार्य	420189.00
10	ग्राम पंचायत सुतनेरा के ग्राम भुडिया में खुशीराम व सूरजपाल के मकान तक इंटरलाकिंग/सी सी निर्माण कार्य	418677.00
11	ग्राम पंचायत उदियापुर में मेन रोड से सत्यपाल व राकेश के मकान तक इंटरलाकिंग/सी सी निर्माण कार्य	666098.00
12	ग्राम त्यूलक में सुशील के मकान से सुरजीत के मकान तक इंटरलाकिंग/सी सी निर्माण कार्य	430681+224791= 655472.00
13	ग्राम पैना बुजुर्ग के मजरा आदमपुर में किशन कुमार के घर से शोभारम के घर तक इण्टरलाकिंग/सी सी निर्माण कार्य	381117.00
14	ग्राम मिश्रीपुर में सत्यदेव के मकान से प्रवीन के मकान होते हुए होली स्थान की ओर इण्टरलाकिंग	871941.00
15	सूरत में हरदोई मेन रोड से सर्वेश बी डी सी के घर की ओर इण्टरलाकिंग/सी सी कार्य	908830.00
16	ग्राम दौलतपुर में महेन्द्र के मकान से रनवीर के मकान तक इण्टरलाकिंग/सी सी निर्माण कार्य	561571.00
17	योग	7861883.00

निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में निम्न आपत्तियां पाई गईः-

1. निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निर्माण कार्यों पर कुल व्यय रू0 7861883.00 की पुष्टि में ठेकेदारों/फर्म के बिल/ वाउचर संलग्न नहीं हैं। इस हेतु जी0एस0टी0 नियम के अंतर्गत निर्धारित टैक्स इनवायस प्राप्त किया जाना चाहिए था जो प्राप्त नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि भुगतान राजकीय नियमों के विपरीत किया गया है।
2. मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टररोल आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त/केन्द्र वित्त से कराए

जाने वाले कार्यों का उद्देश्य भी सम्बन्धित ग्राम पंचायत के मजदूरों/श्रमिकों को इनका लाभ पहुंचाया जाना है।

3. क्षेत्र पंचायत के कार्यों की पत्रावली जांच में पाया गया कि कार्यों के प्रारंभिक एवं अंतिम बिन्दु जो दिए गए हैं उनके आधार पर प्रायः कार्य की सही लोकेशन का निर्धारण नहीं हो सकता है। दोनों बिन्दुओं के सुस्पष्ट लैण्डमार्क अंकित नहीं किए गये है जिससे कार्यों की पहचान ठीक से किया जाना संभव नहीं। कार्य योजना में कार्यों के प्रारंभिक एवं अंतिम बिन्दू की सूचना सूस्पष्ट एवं पारदर्शी होनी अपेक्षित है।
4. उक्त पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जि0पं0 निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के अध्याय 3 के नियम 38 के अनुपालन में कार्य समाप्ति का प्रमाण-पत्र उपरोक्त कार्यो की पत्रावलीयों में संलग्न नहीं रहा। क्षेत्र पंचायत की निर्माण समिति एवं नियोजन विकास समिति से भुगतान से पूर्व उपरोक्त कार्यो पर भुगतान की सहमति लेने से सम्बन्धित कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कार्य के संतोषजनक होने का प्रमाण-पत्र ही लिखा गया है।
5. उपरोक्त तालिका में दर्षित कार्यो मिट्टी पटाई, इण्टरलाकिंग, आर0सी0सी0 निर्माण, सोलिंग निर्माण आदि के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1539 पंचायतीराज अनुभाग-3 दिनांक-16-09-2015 के प्रस्तर 2 से 5 के विपरीत इस आशय का कोई प्रमाण-पत्र पत्रावली में प्राप्त नहीं रहा कि कराये गये कार्य से एक से अधिक राजस्व ग्राम लाभान्वित होंगे। पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि प्रायः सभी कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कराये गये है किन्तु लाभान्वित राजस्व ग्रामों का उल्लेख नहीं है जो उक्त शासनादेश का उलंघन है| स्पष्टतः उपरोक्त व्यय विभगीय दिशा-निर्देशों एवं निर्गत शासनादेशों का उल्लंघन है ,जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं अवर अभियंता आर ई डी उत्तरदायी हैं|
6. पत्रावली की जाँच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत भावलखेड़ा द्वारा कराये गये कार्यो हेतु आमंत्रित टेण्डर प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी।

(I)-सभी निविदाएं निर्धारित निविदा फार्म पर प्राप्त नहीं की गईं है जब कि निविदायें विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप् पर ही आमंत्रित की जानी अपेक्षितहै|

(II)-राजकीय नियमों के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत एवं सम्बन्धित विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा ही डाली गयी निविदा मान्य है,जबकि ठेकेदारों के पंजीकरण से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण आदि पत्रावली में प्राप्त नहीं रहे।

- III) पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि टेण्डर प्रपत्र में सार्वजनिक नोटिस की प्रतिलिपिया,टेण्डर देने वाले के लिये नियम निर्देश अनुबन्ध या करार का प्रपत्र,ठेका की शर्ते,निर्माण कार्य की विस्तृत विशिष्टियाँ एवं अन्य आवश्यक अनुसूचियाँ अनुपलब्ध रही जो (उत्तर प्रदेश क्षेत्रपंचायत तथा जिला पंचायत) निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 21 उप नियम 2 क से छ के अन्तर्गत अपेक्षित है।
- IV).लेखा परीक्षा के समय अनुमोदित ठेकोदारों का रजिस्टर तथा क्षेत्र पंचायत की कार्यकारिणी के अनुमोदन का प्रमाणपत्र अप्राप्त रहा,ठेकेदारों का नाम जो अनुमोदित है,रजिस्टर में लिखे जाने के पूर्व पंजीकरण शुल्क के रूप् में 100.00 रू0 प्राप्त किये जाने होते है इसके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जा सका जोकि निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 18 के अनुसार अपेक्षित है।
- V)-लेखा परीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्य पत्रावलियों में नियमानुसार तीन स्टेप के कार्य फोटो संलग्न नहीं है उक्त का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।
- VI)-कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि राज्य वित्त की संक्रमण की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत पूर्व में सृजित सम्पत्तियों के रख-रखाव पर खर्च न कर शासनादेश संख्या चतुर्थ राज्य वित्त 1639/33-3-2015-03/2015 के खण्ड 2.5 दिनांक-19 जून 2015 लखनऊ का उलंघन किया गया है।
- VII)-कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि किसी भी कार्य के लिए कार्य प्रभारी नियुक्त नहीं किया गया है,जबकि किसी भी कार्य के लिए कार्य प्रभारी अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जाना अपेक्षित है।

उक्त आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्यों के सम्पादन में विभिन्न स्तरों पर विभागीय एवं शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितता की गयी है, जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं अवर अभियंता आर ई डी उत्तरदायी हैं,नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है|

क्षेत्र पंचायत - मदनापुर

प्रस्तर-35 क्षेत्र पंचायत मदनापुर -आलोच्य वर्ष 2021-22 में सम्पादित कार्यों की सूची से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अनेक निर्माण कार्य ग्राम स्तर पर कराया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अनुभाग-2 से जारी शासनादेश सं0 8307/33-2-204-93जी0/2004,दि0 12-01-2005 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कम से कम दो ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य ही कराया जाना अपेक्षित था तथा शासनादेश सं.-1838/33-03-2015 -03 /2015 दिनांक-31-07-2017 के प्रस्तर तीन में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराये जाने में किया जाना अपेक्षित था। किन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न लिखित विवरण के अनुसार ऐसे कार्य कराये गये हैं, जो कि एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित हैं|

शासन के दिशा निर्देशों के तहत कार्यों की जियो टैगिंग भी नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में कौन सा निर्मित कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा अथवा ग्राम पंचायत/अन्य इकाई द्वारा कराया गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्षवार निर्मित कार्य का अंकन सड़क रजिस्टर में दर्ज कर सड़क रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा है।

इस प्रकार पंचायती राज अनुभाग-3,दि0 24 अगस्त-2021 को जारी शासनादेश के **प्रस्तर-**2 में उल्लिखित 15वां वित्त आयोग के टाइड ग्रांट के सम्बंध में निर्गत शासनादेश सं0 34/2020/1817/33-3-2020-33/2020 दि0 24..07..2020 एवं अनटाइड ग्रांट के सम्बंध में शासनादेश सं0 30/2020/1594/33-3-2020-33/2020, दि0 29..06..2020 तथा राज्य वित्त आयोग के सम्बंध में शासनादेश सं0 38/2020/1751/33-3-2020-38/2020, दि0 18..08..2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के तहत भी निम्नलिखित वर्णित निर्माण कार्य आच्छादित नहीं है:-

क्र0	कार्य का नाम / विवरण	व्यय धनराशि (रू)
1	ग्राम पंचा० चाहरपुर में मेन रोड से पप्पू सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	924768.00
2	ग्राम पंचा० फाजिलपुर में जानकी महाराज मंदिर के पास इंटरलॉकिंग कार्य	895044.00
3	ग्राम पंचा० लश्करपुर में विजेश के घर से रामलाल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	764370.00
4	ग्राम पंचा० सिकंदरपुरकलां में अनिल सिंह के दरवाजे से नरेन्द्र के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	393400.00
5	ग्राम पंचा० मदनापुर में नंदू के मकान से संजू देवी के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	285240.00
6	ग्राम पंचा० फाजिलपुर में माधुरी के घर से सालिकराम के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	397164.00
7	ग्राम पंचा० ढुकरीखुर्द में भूलेंद्र के घर से रामकृष्ण के घर के आगे रमनपाल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	335329.00
8	ग्राम पंचा० लश्करपुर में बीजगोदाम से महेशपाल के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	464366.00
9	ग्राम पंचा० बरुआपट्टीसनाय में ऋषिपाल के दरवाजे से ओमपाल के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग कार्य	422391.00
10	ग्राम पंचायत सैजना ता० आमखेडा में लाल सहाय के मकान से जौहरी लाल के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	133141.00

	योग-	**5015213.00**

स्पष्टतः उपरोक्त व्यय विभागीय दिशा निर्देशों एवं निर्गत शासनादेशों का उल्लंघन है, जिसके लिये तत्कालीन सहा0 लेखाकार मो0 नौशाद, श्री जितेन्द्र कुमार भारती, अवर अभियंता एवं श्री प्रहलाद सिंह, खंड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 क्षेत्र पंचायत मदनापुर- आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के कैश बुक के अनुसार निर्माण कार्य के लागत का 1प्रतिशत कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) के रूप में उ0प्र0 भवन एवं सन्निकार एवं कल्याण बोर्ड के सुसंगत राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में निम्नानुसार जमा किया गया है:-

क्र0	माह जमा	धनराशि
1	गत वर्ष (31 मार्च-21 की अवशेष धनराशि)-	₹ 67086.00
2	अक्तूबर-21	₹ 24466.00
3	नवम्बर-21	₹ 91726.00
4	दिसम्बर-21	₹ 55454.00
5	जनवरी-22	₹ 12046.00
6	फरवरी-22	₹ 24281.00
7	मार्च-22	₹ 49445.00
	योग-	**₹ 324504.00**

आलोच्य वर्ष में सम्पादित निर्माण कार्यों का भुगतान करते समय ठेकेदारों के बिलों से कुल रु० **257418-00** का कटौती दर्शित है| इस प्रकार गत वर्ष : 31 मार्च-21 की अवशेष धनराशि ₹ 67086.00 सहित कुल लेबर सेस कटौती **रु० 324504-00** सुसंगत बैंक खाते में जमा नहीं किया गया, जिसका प्रयोग श्रमिकों के हितार्थ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता है। उक्त धनराशि का इकाई स्तर पर अनियमित रूप से रोककर उसका दुरुपयोग किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिसके लिए संस्था के तत्कालीन सहा0 लेखाकार मो0 नौशाद एवं खंड विकास अधिकारी द्वय श्री प्रहलाद सिंह व श्री जितेन्द्र प्रकाश शर्मा जिम्मेदार रहे| अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 क्षेत्र पंचायत मदनापुर- क्षेत्र पंचायत मदनापुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र की जनता के विकास कार्यों में न करके क्षेत्र निधि से कराए जाने वाले निम्नलिखित मदों में किया गया है :-

क्र0	**कार्य का विवरण**	**धनराशि (रु०)**
1	विकास खंड परिसर की बाउंड्री वाल एवं गेट न0-2 की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण	641625.00
2	ब्लॉक परिसर में मेन गेट से शौचालय एवं मीटिंग हाल के पीछे तक इंटरलाकिंग कार्य	854901.00
3	विकास खंड की मीटिंग हाल का उच्चीकरण एवं रखरखाव	561399.00
4	विकास खंड परिसर में ख0वि0अधिकारी के आवास के सामने इंटरलाकिंग कार्य	128650.00
	योग-	**2186575.00**

उपरोक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गयीं :-

1-कार्य क्षेत्र पंचायत की बैठक में किस क्रम संख्या पर दर्शित है, इस्टीमेट में अंकित नहीं है।
2-विकास खंड में कराये गए उपरोक्त अनुरक्षण कार्य को कई भाग में बाँटने का औचित्य स्पष्ट नहीं रहा। एक ही कार्य को कई हिस्सों में विभाजित करना कार्य का उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने से बचना है, जो निर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन है।

3-पत्रावली में इस आशय का प्रमाण-पत्र कि "संदर्भित अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य विगत पांच वर्ष में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है।

4-ठेकेदार मे0 विनायक इन्फ्रा, काँट शाहजहाँपुर और क्षेत्र पंचायत के मध्य हुए कार्य अनुबंध कुल के 0.70 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पर किये जाने चाहिए थे, जो मात्र रु० 100-00 के स्टाम्प पर किये गए हैं, जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई, जो आपत्तिजनक है।

5- कार्य आदेश पर पत्रांक/ दिनांक अंकित नहीं है।

6- मे0 विनायक इन्फ्रा, काँट शाहजहाँपुर से कार्य प्रारंभ के पूर्व उक्त कार्यों में से क्रम संख्या (2) पर दर्शित कार्य की जमानत राशि रु० 76725-00 दर्शित है, शेष कार्यों पर जमानत राशि जमा नहीं करायी गयी है, जो की लागत पर जमानत की धनराशि जमा कराया जाना चाहिए था। परन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में जमानत पंजिका प्रस्तुत नहीं रही, जिससे उक्त की पुष्टि हो सके।

7- कार्यों की पत्रावली/गार्ड फाइल में अनुरक्षण कार्यों में हुई सामग्री क्रय की सूची एम्०बी० में अंकित कर उसी के आधार पर बिल का पेमेंट कर दिया गया है, जिससे क्रय की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं होती है।

8-मरम्मत कार्यों में प्रयुक्त हुए सामग्री पर उक्त कार्यों में से क्रम संख्या (2) पर दर्शित कार्य को छोड़कर रॉयल्टी नहीं काटी गयी है, जो आपत्तिजनक है।

9-कार्य संपादन की पूरी प्रक्रिया में अधिकतर स्थान पर सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर दिनांक रहित है, जो अभिलेखीय रखरखाव एवं प्रक्रिया को संदिग्ध एवं असंतोषप्रद बनाती है।

10-कार्य के प्रारम्भ, मध्य का फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

11-कार्यों से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

12- उपरोक्त कार्यों पर व्यय की जाने वाली धनराशि रू0 **2186575.00** का उपभोग क्षेत्र निधि से किया जाना चाहिये। परन्तु क्षेत्र निधि में अपने निजी श्रोतों एवं कर आरोपण/अन्य नये प्रयासों द्वारा धनराशि जुटाने हेतु क्षेत्र पंचायत द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। उक्त व्यय राज्य वित्त अनुदान, जो कि क्षेत्र की जनता के विकास के लिए आवंटित धन है, से करने की जगह पूर्ण या आंशिक रूप से क्षेत्र निधि में धन संग्रहण के माध्यम से किया जाना चाहिए था।

स्पष्टतः उपरोक्त कार्यों के संपादन में विभिन्न स्तरों पर विभागीय एवं शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितता बरती गयी है, जिसके लिए तत्कालीन सहा0 लेखाकार मो0 नौशाद, अवर अभियन्ता श्री जितेन्द्र कुमार भारती एवं खंड विकास अधिकारी श्री प्रहलाद सिंह प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 क्षेत्र पंचायत मदनापुर- आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के अनुदान पंजिका द्वितीय के अनुसार आयकर, जी०एस०टी० एवं रायल्टी से निम्नलिखित विवरणानुसार प्राप्त, जमा और वर्षांत में शेष दर्शित है :-

क्र0 सं0	विवरण	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में जमा	वर्षांत में शेष
1	आयकर / टी०डी०एस०	512502.00	413613.00	98889.00
2	जी०एस०टी०	410174.00	311285.00	98889.00
3	रायल्टी	37222.00	0.00	37222.00
	योग-	**959898.00**	**724898.00**	**235000.00**

इस प्रकार वर्षांत में 31 मार्च-22 को उपरोक्त शीर्षों में कटौती की कुल ₹ 23500.00 की धनराशि अवशेष रही, जिन्हे विभाग-वार सुसंगत लेखा शीर्षों में यथानिर्देश समयांतर्गत जमा किया जाना अपेक्षित था। उक्त धनराशि का इकाई स्तर पर रोक कर रखा जाना वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। इस हेतु तत्कालीन सहा० लेखाकार मो0 नौशाद एवं ख०वि०अधि0 द्वय श्री प्रहलाद सिंह व श्री जितेन्द्र प्रकाश शर्मा जिम्मेदार रहे, जिनके प्रति वांछित कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- ददरौल

प्रस्तर-39 क्षेत्र पंचायत ददरौल - आलोच्य वर्ष 2021-22 में सम्पादित कार्यों की सूची से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा अनेक निर्माण कार्य ग्राम स्तर पर कराया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अनुभाग-2 से जारी शासनादेश सं0 8307/33-2-204-93जी0/2004,दि0 12-01-2005 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कम से कम दो ग्राम पंचायतों के बीच का कार्य ही कराए जाने अपेक्षित थे, तथा शासनादेश सं.-1838/33-03-2015 -03 /2015 दिनांक-31-07-2017 के प्रस्तर तीन में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि का उपभोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को संपादित कराये जाने में किया जाना अपेक्षित था। किन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न लिखित विवरण के अनुसार ऐसे कार्य कराये गये हैं, जो कि एक ही ग्राम पंचायत तक सीमित हैं|

शासन के दिशा निर्देशों के तहत कार्यों की जियो टैगिंग भी नहीं करायी गयी है। ऐसी स्थिति में कौन सा निर्मित कार्य क्षेत्र पंचायत द्वारा, अथवा ग्राम पंचायत/अन्य इकाई द्वारा कराया गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्षवार निर्मित कार्य का अंकन सड़क पंजिका में अंकित नहीं किया गया है, जो अपेक्षित रहा।

इस प्रकार पंचायती राज अनुभाग-3,दि0 24 अगस्त-2021 को जारी शासनादेश के **प्रस्तर-**2 में उल्लिखित 15वां वित्त आयोग के टाइड ग्रांट के सम्बंध में निर्गत शासनादेश सं0 34/2020/1817/33-3-2020-33/2020 दि0 24..07..2020 एवं अनटाइड ग्रांट के सम्बंध में शासनादेश सं0 30/2020/1594/33-3-2020-33/2020, दि0 29..06..2020 तथा राज्य वित्त आयोग के सम्बंध में शासनादेश सं0 38/2020/1751/33-3-2020-38/2020, दि0 18..08..2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के तहत भी निम्नलिखित वर्णित निर्माण कार्य आच्छादित नहीं है:-

क्र0	कार्य का नाम / विवरण	व्यय धनराशि (रू)
1	राईखेडा में मेन रोड से राम भरोसे के मकान से रामौतार के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	697952.00
2	ग्राम पंचायत उदयपुर कटैया में सतीश के घर से नूरी मस्जिद तक इंटरलॉकिंग कार्य	891035.00
3	ढका उधरनपुर में महेंद्र के खेत के पास नहर पटरी पर ज्ञानेंद्र के खेत तक खडंजा कार्य	756605.00
4	परवेजपुर में नेमसिंह के मकान से अमर सिंह के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	401935.00
5	खानपुर हकीमपुर में इंटरलॉकिंग कार्य	693364.00
6	गुलामखेडा में रोड से पूर्व प्रधान रघुनाथ के ट्यूबवेल तक खडंजा निर्माण कार्य	905606.00
	योग-	**4346497.00**

स्पष्टतः उपरोक्त व्यय विभागीय दिशा निर्देशों एवं निर्गत शासनादेशों का उल्लंघन है, जिसके लिये तत्कालीन लेखाकार श्री अनूप चन्द्र शुक्ला, श्रीमती अनीता वर्मा, अवर अभियंता एवं खंड विकास अधिकारी द्वय श्री पवन कुमार सिंह व श्री राघवेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 क्षेत्र पंचायत ददरौल - आलोच्य वर्ष में सम्पादित क्षेत्र पंचायत के निर्माण कार्यों के लागत का 1प्रतिशत कर्मकार कल्याण उपकर (लेबर सेस) के रूप में उ0प्र0 भवन एवं सन्निकार एवं कल्याण बोर्ड के सुसंगत राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा किया जाना था। ग्रांट रजिस्टर तृतीय के अनुसार आलोच्य वर्ष में सम्पादित निर्माण कार्यों का भुगतान करते समय ठेकेदारों के बिलों से कुल रु० **124251-00** की कटौती दर्शित है, परन्तु उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार(रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियम) नियम-2009 द्वारा निर्गत

दिशा निर्देशानुसार एवं विभागीय आदेशों के अनुपालन में कटौती की उक्त लेबर सेस कटौती सुसंगत बैंक खाते में जमा नहीं किया गया, जिसका प्रयोग श्रमिकों के हितार्थ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता है। उक्त धनराशि का इकाई स्तर पर अनियमित रूप से रोककर उसका दुरुपयोग किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिसके लिए संस्था के तत्कालीन लेखाकार श्री अनूप चन्द्र शुक्ला एवं खंड विकास अधिकारी द्वय श्री पवन कुमार सिंह व श्री राघवेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-41 क्षेत्र पंचायत ददरौल - क्षेत्र पंचायत ददरौल की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र की जनता के विकास कार्यों में न करके क्षेत्र निधि से कराए जाने वाले निम्नलिखित मदों में किया गया है :-

क्र0	कार्य का विवरण	धनराशि (रु०)
1	न्याय पंचायत ददरौल के विभिन्न ग्रामों में 120 एल०ई०डी० लाइटों की स्थापना	464520.00
2	न्याय पंचायत बमनुआ के विभिन्न ग्रामों में 120 एल०ई०डी० लाइटों की स्थापना	464520.00
3	न्याय पंचायत रहमान नगर उर्फ़ राईखेडा के विभिन्न ग्रामों में 120 एल०ई०डी० लाइटों की स्थापना	464520.00
4	न्याय पंचायत पिपरौली के विभिन्न ग्रामों में 120 एल०ई०डी० लाइटों की स्थापना	464520.00
	योग-	**1858080.00**

उपरोक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गयीं :-1-कार्य क्षेत्र पंचायत की बैठक में किस क्रम संख्या पर दर्शित है, इस्टीमेट में अंकित नहीं है। इस्टीमेट पर प्रस्ताव संख्या एवं दिनांक अथवा प्राक्कलन संख्या एवं दिनांक तथा स्थानों की सूची आदि अंकित नहीं है। 2-पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र कि "संदर्भित कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत द्वारा पूर्व में सम्पादित नहीं है", इस्टीमेट के साथ पत्रावली में संलग्न नहीं है। पूरी पत्रावली में कहीं भी कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।3-सम्बंधित फर्म मे0 वी०पी०इंटरप्राइजेज एवं मे0 सुफियान इंटरप्राइजेज के साथ किये गये अनुबंध पत्र की प्रति, पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

4-पत्रावली में एल०ई०डी० लाइटों के क्रय सम्बंधित कम्पनी का मार्का, पावर क्षमता, गारण्टी कार्ड एवं फ्री मेन्टीनेन्श सम्बन्धी अनुबन्ध पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। कार्य के जियो टैग से सम्बन्धित कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5-जिन क्षेत्रों में लाइट स्थापना की गयी है, उन ग्राम पंचायतों और उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के मध्य विद्युत कनेक्शन तथा बिल भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने सम्बन्धी विवरण पत्रावली में संलग्न नहीं रहा।

7-एल०ई०डी० लाइट के सन्दर्भ वाट और उसके सापेक्ष क्रय दर का निर्धारण में डी०एम० की समिति द्वारा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत नहीं रहा।

8-विकास खंड में कराये गए उपरोक्त कार्य (जो एक ही प्रकृति के है) को कई भाग में बाँटने का औचित्य स्पष्ट नहीं रहा। एक ही कार्य को कई हिस्सों में विभाजित करना कार्य का उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने से बचना है, जो निर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन है।

9-जिन स्थानों पर उपरोक्त एल०ई०डी० लाइट्स लगायी गयीं है, कार्य योजना में उनके चयन का आधार स्पष्ट नहीं रहा।

10-कार्य आदेश (पत्रांक/ दिनांक सहित) पत्रावली में संलग्न नहीं है।

11-ठेकेदार और क्षेत्र पंचायत के मध्य हुए कार्य अनुबंध कुल के 0.70 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पर किये जाने चाहिए थे, जिसका पालन नहीं कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है, जो आपत्तिजनक है।

12- कार्य प्रारंभ के पूर्व उक्त कार्यों की जमानत राशि जमा नहीं करायी गयी है, जबकि लागत पर जमानत की धनराशि जमा कराया जाना अपेक्षित था। परन्तु उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में जमानत पंजिका प्रस्तुत नहीं रही।

13-कार्य संपादन की पूरी प्रक्रिया में अधिकतर स्थान पर सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर दिनांक रहित है, जो अभिलेखीय रखरखाव एवं प्रक्रिया को संदिग्ध एवं असंतोषप्रद बनाती है।

14-उपरोक्त क्रय स्टाक के आमद, स्थापना तथा उपभोग सम्बन्धी कोई साक्ष्य ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया

15-कार्यों से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिससे कार्य पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

स्पष्टतः उपरोक्त कार्यों के संपादन में विभिन्न स्तरों पर विभागीय एवं शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितता बरती गयी है, जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री अनूप चन्द्र शुक्ला, अवर अभियंता श्रीमती अनीता वर्मा एवं खंड विकास अधिकारी द्वय श्री पवन कुमार सिंह व श्री राघवेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त के प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 क्षेत्र पंचायत ददरौल - आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के अनुदान पंजिका तृतीय के अनुसार आयकर, जी०एस०टी० निम्न विवरण अनुसार प्राप्त, जमा और वर्षांत में शेष दर्शित है :-

क्र0 सं0	विवरण	प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में जमा	वर्षांत में शेष
1	आयकर / टी०डी०एस०	498943.00	248975.00	659046.00	88872.00
2	जी०एस०टी०	494769.00	248975.00	654871.00	88873.00
	योग-	**993712.00**	**497950.00**	**1313917.00**	**177745.00**

इस प्रकार वर्षांत में 31 मार्च-2022 को उपरोक्त शीर्षों में कटौती की कुल ₹ **177745.00** की धनराशि अवशेष रही। जिन्हे विभाग-वार सुसंगत लेखा शीर्षों में यथानिर्देश समयांतर्गत जमा किया जाना अपेक्षित रहा। उक्त धनराशि का इकाई स्तर पर रोक कर रखा जाना अनियमितता का द्योतक है। इस हेतु तत्कालीन लेखाकार श्री अनूप चन्द्र शुक्ला एवं ख०वि०अधि0 द्वय श्री पवन कुमार सिंह व श्री राघवेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं, जिनके प्रति वांछित कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- कलान

प्रस्तर-43 क्षेत्र पंचायत कलान - आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के अनुदान पंजिका द्वितीय के अनुसार आयकरनिम्न विवरण अनुसार प्रारम्भिक शेष,प्राप्त, जमा और वर्षांत में शेष दर्शित है :-

क्र0 सं0	विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में जमा	वर्षांत में शेष
1	आयकर	397203.00	126986.00	126986.00	397203.00
2	जी0एस0टी0	375997.00	126986.00	126986.00	375997.00
3	व्यापर कर	202508.00	----------	----------	202508.00
4	योग-	975708.00	253972.00	253972.00	975708.00

इस प्रकार वर्षांत में 31 मार्च-22को उपरोक्त शीर्षों में कटौती की कुल ₹ 975708.00 की धनराशि अवशेष रही। जिन्हे विभाग-वार सुसंगत लेखा शीर्षों में यथानिर्देश समयांतर्गत जमा किया जाना चाहिए। उक्त धनराशि का इकाई स्तर पर रोक कर रखा जाना अनियमितता का द्योतक है, उक्त अनियमितता के प्रति तत्कालीन खंड विकास अधिकारी व लेखाकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

<u>जनपद- बस्ती</u>

<u>प्रारूप -3</u>

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

(क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ)

प्रस्तर संख्या -01 - क्षेत्र पंचायत रामनगर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर ।। एवं ।।। की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित योजनाओं के दिनांक 31-03-2022 के अवशेष अनुदान के धनराशियों को प्रदाता विभाग को वापस नहीं किया गया है :-

क्र.सं.	योजना का नाम / मद	31-03-2022 को अवशेष अनुदानकी धनराशि
1	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	116510-00
2	क्रिटिकल गैप	10511-00
3	अनुरक्षण	310964-00
	योग-	**437985-00**

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त धनराशियाँ विगत कई वर्षों से यथावत चली आ रही है। उक्त प्रकार कुल रू0 **437985.00** की धनराशि को वर्षान्त में प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए श्री सुनील कुमार कौशल एवं श्री सईद अहमद खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री सुनील कुमार शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर संख्या -02 - क्षेत्र पंचायत रामनगर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट राजि0।। एवं ।।। में दर्शित एवं आलोच्य वर्ष में संचालित योजनाओं के बैंक खातों कास्टेटमेण्ट ऑफ एकाउण्ट मांगोपरान्त पूर्ण रूप से उपलब्ध न होने के कारण ग्राण्ट राजि0।। में विभिन्न योजनाओं में दर्शित व्यय की धनराशियों का मिलान नहीं किया जा सका। साथ ही दिनांक 31-03-2022 को ग्राण्ट राजि0।।। में समस्त योजनाओं का अन्तिम अवशेष अनुदान रू0 16712259.00 के सापेक्ष उक्त पंजिका में दर्शित बैंक पास बुको का विवरण कुल रू 16712917.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार दोनों अभिलेखों में अन्तर रू0 658.00 का पाया गया जिसका समाधान विवरण न तैयार कर अनियमितता की गयी है जिसके लिए श्री सईद अहमद खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री सुनील कुमार शर्मा लेखाकार उत्तरदायी हैं। इनके प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -03 - क्षेत्र पंचायत साऊघाट के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर।। एवं ।।। की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित योजनाओं के दिनांक 31-03-2022 के अवशेष अनुदान के धनराशियों को प्रदाता विभाग को वापस नहीं किया गया है :-

क्र.सं.	योजना का नाम / मद	31-03-2022 को अवशेष अनुदान की धनराशि
1	विधायक निधि	178267.00
2	राष्ट्रीय बायो गैस	29500.00
3	राष्ट्रीयपेय जल	26772.00
4	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	10400.00

	योग	**244939.00**

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त धनराशियाँ विगत कई वर्षों से यथावत चली आ रही है। उक्त प्रकार कुल रू0 **244939.00**की धनराशि को वर्षान्त में प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए श्री रमेश दत्त मिश्र, श्री राम दुलार एवं श्री राजेश कुमार खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री गुलाबचन्द लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इस प्रति विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -04 - क्षेत्र पंचायत साऊघाट के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट राजि0।। एवं ।।। में दर्शित एवं आलोच्य वर्ष में संचालित योजनाओं के बैंक खातोंका स्टेटमेण्ट ऑफ एकाउण्ट मांगोपरान्त पूर्ण रूप से उपलब्ध न होने के कारण ग्राण्ट राजि0।। में विभिन्न योजनाओं में दर्शित व्यय की धनराशियों का मिलान नहीं किया जा सका। साथ ही दिनांक 31-03-2022 को ग्राण्ट राजि0।।। में समस्त योजनाओं का अन्तिम अवशेष अनुदान रू0 21209956.01 के सापेक्ष उक्त पंजिका में दर्शित बैंक पास बुको का विवरण कुल रू0 21255607.63 दर्शाया गया है। इस प्रकार दोनों अभिलेखों में अन्तर रू0 45651.62 का पाया गया जिसका समाधान विवरण न तैयार कर अनियमितता की गयी है जिसके लिए श्रीरमेश दत्त मिश्र खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री गुलाबचन्द लेखाकार उत्तरदायी हैं।

प्रस्तर संख्या -05 - क्षेत्र पंचायत साऊघाट के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण कार्य सामग्रियों के विलों से आयकर कुलरू0 384414.00 एवं जीएसटी कुल रू0 343291.00 की कटौती की गयी है, लेकिन उक्त धनराशियों को सम्बंधित लेखा शीर्ष में जमा न कर अनियमितता की गयी है । जिसके लिए श्री रमेश दत्त मिश्र खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री गुलाबचन्द लेखाकार उत्तरदायी हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -06 - क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण की सामग्रियों के बिलो से आयकर कुल रूपया' 258172.00 एवं जी0एस0टी0 कुल रूपया 229945.00 की कटौती की गयी है, लेकिन उक्त धनराशियों को राजकीय कोष में जमा किये जाने के प्रमाणक मांगोपरान्त अप्रस्तुत रहे, जिनके अभाव मे जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी ! प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैा

प्रस्तर संख्या -07 - क्षेत्र पंचायत कप्तानगंज के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट रिजस्टर 02 एवं 03 की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित योजनाओं के दिनांक-31.03.2022 के अवशेष अनुदान की धनराशियों को प्रदाता विभाग को वापस नहीं किया गया है-

क्र0 सं0	योजना का नाम	31.03.2022 के अवशेष अनुदान की धनराशि
1	तरहवां वित्त आयोग	547412.00
2	पंचायत सामान्य निर्वाचन	1700.00
3	स्वच्छ भारत मिशन	18722.00
4	अस्थायी गौ आवास स्थल की धनराशि	9500.00
	योग-	577334.00

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त धनराशियां विगत कई वर्षो से यथावत चली आ रही है इस प्रकार कुल रू0-577334.00 की धनराशि को वर्षान्त में प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिए श्री सुशील कुमार पाण्डेय, खण्ड विकास अधिकारी तथा मनोज श्रीवास्तव, लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैा

प्रस्तर संख्या -08 - क्षेत्र पंचायत दुबैलिया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत सामग्री क्रय पर कुल रु० 20054.00 की टी०डी०एस० आयकर की कटौती की गयी है उक्त काटी गयी धनराशि को समय आयकर के निर्धारित शीर्षक में जमा नही किया गया है इस प्रकार समस्त कटौती की गई धनराशि को जमा न कर गंभीर अनियमितता की गई है इस अनियमितता हेतु सुश्री वर्षा वंग खंड विकास अधिकारी एवं श्री मो० सलीम लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है साथ

ही आयकर टी० डी० एस० आयकर मद में कटौती की गई धनराशि रु० 20054.00 को आयकर के निर्धारित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है यदि विलम्ब से जमा करते समय ब्याज एवं अर्थ दंड की वसूली आयकर विभाग द्वारा की जाती है तो वसूली की दण्डात्मक धनराशि 20054.00 सुश्री वर्षा वंग विकास खण्ड अधिकारी एवं श्री मो० सलीम लेखाकार से संयुक्त रूप से वसूल कर जमा किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या -09 - क्षेत्र पंचायत दुबैलिया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सप्लायर को भुगतान करते समय कुल धनराशि रु० 17906.00 पर निर्धारित 2% जी० एस०टी० की कटौती की गई धनराशि को समय से जी० एस० टी० के शीर्ष में जमा नही किया गया है इस प्रकार कटौती की गयी धनराशि को जमा न कर गंभीर अनियमितता की गई है इस अनियमितता हेतु सुश्री वर्षा वंग ख० वि० अधिकारी एवं श्री सलीम लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है|

साथ ही जी०एस०टी० मद में कटौती की गयी धनराशि रु० 17906.00 को जी०एस०टी० आयकर के निर्धारित शीर्ष मे जमा किया जाना अपेक्षित है यदि जमा करते समय करते समय आयकर विभाग द्वारा विलम्ब से जमा करने का ब्याज एवं अर्थदंड की वसूली करना है तो वसूली की गयी दण्डात्मक धनराशि ब्याज सहित आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी सुश्री वर्षा वंग एवं श्री मो० सलीम लेखाकार से संयुक्त रूप से वसूल कर जमा किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या -10 - क्षेत्र पंचायत दुबैलिया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजना के पत्रावली जांच में पाया गया कि फर्म को भुगतान करते समय नियमानुसार टी० डी० एस० आयकर की धनराशि की कटौती नही किया गया है जिसका विवरण निन्म्वत है :-

क्रम सं	फर्म का नाम	वि० सं०/ दिनांक	बिल की धनराशि	कटौती की जानी चाहिए
01	उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	11-12-2021	530000.00	10600.00
02	आनद ट्रेडर्स	11-12-2021	80030.00	1600.00
03	भाग्य श्री ट्रेडर्स	11-12-2021	79712.00	1594.00
04	भार्गवी ट्रेडर्स	11-12-2021	79500.00	1590.00
05	में० राजकुमार मालवीय	11-12-2021	78758.00	1575.00
	योग -		848000.00	16959.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की फर्म को भुगतान करते समय नियमानुसार टी० डी० एस० आयकर की धनराशि कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाकर अनियमितता की गई है इस अनियमितता के प्रति खण्ड विकास अधिकारी सुश्री वर्षा वंग एवं लेखाकार श्री मो० सलीम संयुक्त रूप से उत्तरदायी है अतः कटौती नही की गयी टी० डी० एस०- आयकर की धनराशि रु० 16959.00 फर्म से वसूल नही होने के दशा में आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी सुश्री वर्षा वंग एवं श्री मो० सलीम लेखाकार से संयुक्त रूप से वसूलकर जमा कराया जाय| इस प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर संख्या -11- क्षेत्र पंचायत दुबैलिया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के पत्रावली जांच में पाया गया कि फर्म को भुगतान करते समय नियमानुसार जी० एस०टी० की धनराशि की कटौती नही किया गया है जिसका विवरण निन्म्वत है :-

क्र० सं०	फर्म का नाम	बिल सं०/ दिनांक	बिल की धनराशि	कटौती जो की जानी चाहिए आयकर जी०एस०टी० 2%
01	उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	11-12-2021	530000.00	10600.00
02	आनद ट्रेडर्स	11-12-2021	80030.00	1600.00
03	भाग्य श्री ट्रेडर्स	11-12-2021	79712.00	1594.00
04	भार्गवी ट्रेडर्स	11-12-2021	79500.00	1590.00
05	में० राजकुमार मालवीय	11-12-2021	78758.00	1575.00
		योग	848000.00	16959.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्म को भुगतान करते समय नियमानुसार जी.एस.टी. धनराशि की कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाकर अनियमितता की गई है इस अनियमितता के प्रति खण्ड

विकास अधिकारी सुश्री वर्षा वंग एंव लेखाकार मो0 सलीम संयुक्त क्षय से उत्तरदायी है कटौती नहीं की गयी जी.एस.टी. की धनराशि 16959.00 फर्म से वसूल न होने की दशा में आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी सुश्री वर्षा बंग व मो0 सलीम लेखाकार से संयुक्त रूप से वसूल कर जमा कराया जाय। इस प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर संख्या -12 - क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निर्माण पत्रावलियों का अवलोकन/ परिक्षण से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2021-22 में रुपया 1054823.00 का मजदूरी/ श्रमांश का भुगतान मजदूरों को न करके फर्म शीतला इन्टर प्राइजेज एवं वासुदेव ट्रेडर्स को किया गया है पत्रावालियों में जो मस्टर रोल संलग्न पाए गये है उनपर मस्टर रोल नंबर अंकित नहीं है कि जिससे कार्यालय विकास खंड से निर्गत नही है और जो अंगूठा निशान अंकित है जो प्रमाणित नही है| कार्य पर लगे मजदूर किस गाँव के हैं इसका भी उल्लेख नही है उपरोक्त स्पष्ट है की अनियमित व अप्रमाणित मस्टर रोल पत्रावली में संलग्न किया गया है मजदूरों का पैसा फर्म को भुगतान कर अनियमिता की गयी है इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है|

क्र० सं०	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
01	92968.00	श्री संजय नायक (खण्ड विकास अधिकारी)श्री राम सुरेश लेखाकार
02	152725.00	श्री संजय नायक (खण्ड विकास अधिकारी)श्री राम सुरेश लेखाकार
03	152725.00	श्री संजय नायक (खण्ड विकास अधिकारी)श्री राम सुरेश लेखाकार
04	108452.00	श्री संजय नायक (खण्ड विकास अधिकारी)श्री राम सुरेश लेखाकार
05	116570.00	श्री संजय नायक (खण्ड विकास अधिकारी)श्री राम सुरेश लेखाकार
06	152725.00	श्री संजय नायक (खण्ड विकास अधिकारी)श्री राम सुरेश लेखाकार
07	175283.00	श्री संजय नायक (खण्ड विकास अधिकारी)श्री राम सुरेश लेखाकार
08	103375.00	श्री संजय नायक (खण्ड विकास अधिकारी)श्री राम सुरेश लेखाकार
योग-	1054823.00	

प्रस्तर संख्या -13 - क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत सामग्री क्रय पर कुल रु० 149539.00 की टी०डी०एस० आयकर की कटौती की गयी है उक्त काटी गयी धनराशि को समय आयकर के निर्धारित शीर्षक में जमा नही किया गया है इस प्रकार समस्त कटौती की गई धनराशि को जमा न कर गंभीर अनियमितता की गई है इस अनियमितता हेतु श्री अनिल कुमार यादव खंड विकास अधिकारी एवं श्री रवि शंकर लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है साथ ही आयकर टी० डी० एस० आयकर मद में कटौती की गई धनराशि रु० 149539.00 को आयकर के निर्धारित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है यदि विलम्ब से जमा करते समय ब्याज एवं अर्थ दंड की वसूली आयकर विभाग द्वारा की जाती है तो वसूली की दण्डात्मक धनराशि 149539.00 श्री अनिल कुमार यादव खंड विकास अधिकारी एवं श्री रवि शंकर लेखाकार से संयुक्त रूप से वसूल कर जमा किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या -14 - क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2021-22 में सप्लायर को भुगतान करते समय कुल धनराशि रु० 133516.00 पर निर्धारित 2% जी० एस०टी० की कटौती की गई धनराशि को समय से जी० एस० टी० के शीर्ष में जमा नही किया गया है इस प्रकार कटौती की गयी धनराशि को जमा न कर गंभीर अनियमितता की गई है इस अनियमितता हेतु श्री अनिल कुमार यादव खंड विकास अधिकारी एवं श्री रवि शंकर लेखाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी है| साथ ही जी०एस०टी० मद में कटौती की गयी धनराशि रु० 133516.00 को जी०एस०टी० आयकर के निर्धारित शीर्ष मे जमा किया जाना अपेक्षित है यदि जमा करते समय करते समय आयकर विभाग द्वारा विलम्ब से जमा करने का ब्याज एवं अर्थदंड की वसूली करना है तो वसूली की गयी दण्डात्मक धनराशि ब्याज सहित आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार यादव एवं श्री रवि शंकर लेखाकार से संयुक्त रूप से वसूल कर जमा किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या -15 - क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत लेखा परीक्षा में अनुदान रजि० 02 के अनुसार आलोच्य वर्ष में कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यो के बिलों का विवरण निम्नलिखित है –

क्र०	कार्य का नाम	निविदा कर्ताओं के	स्वीकृति निविदा	टेंडर आमंत्रण का दिनांक	टेंडर खुलने का दिनांक	सम्पूर्ण बिल की धनराशि जी.एस.	बिल की धनराशि जी.एस.टी. रहित	आयकर	जी.एस.टी. २%	जमानत धनराशि	सेस कर 1 %	शुद्ध भुगतान 12 % जी.एस.टी. सहित

सं०		नाम				टी. सहित						
1	पचवास ताल से शंकर जी के मंदिर तक इंटर लाकिंग का निर्माण	मेसर्स महेंद्र प्रताप सिंह , मेसर्स अर्पिता, में० प्रगति कंस्ट्रक्शन	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	483225	424652.40	9762.12	9762.12	39048.50	4881.06	483225.19
2	ग्राम पंचायत नतौवा में मनोज चौहान के घर तक अवशेष रोड निर्माण कार्य	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	444055	3900944.89	8885.11	8885.11	31097.89	4442.56	444025.00
3	शैलेन्द्र सिंह मास्टर के घर से स्वर्गीय पेशकर सिंह के घर तक इंटर लॉकिंग	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	290396	255549	5807.93	5807.93	20327.77	2903.97	290396.00
4	इंटर लाकिंग से दीप नारायण शुक्ल के घर तक सी० सी० रोड निर्माण	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	240811	211914.46	4816.24	4816.24	16856.83	2408.12	240811.00
5	कोहल मिश्र, राजू मिश्र के घर घर से अंतिम छोर धनवीर मिश्र के घर तक सी० सी० निर्माण	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	674139	593242	13482.79	13482.79	47189.76	6741.396	674118.00
6	राजन सिंह के घर से राजन सिंह के चक तक सी० सी० रोड निर्माण	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	866712	762706	17334.23	17334.23	104005.37	8667.11	866711.00
7	टूटी भीटी मार्ग से काली माता मंदिर तक सी० सी० रोड निर्माण कार्य	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	602103	52252.30	12042.86	12042.86	42147.21	6021.03	602103.00
8	ग्राम पंचायत खम्हरिया एनएच28 डॉ बंगाली के घर से काली जी के स्थान तक सी० सी० रोड निर्माण	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	715073	628397	14445.93	14445.93	57783.71	7222.96	715073.00
9	रामकुमार हरिजन के घर से भारत सिंह मुर्गी फार्म तक 100 मी० सीसी रोड निर्माण	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	484795	426032	9792.24	9792.24	39175.38	4896.92	484795.31
10	इमिलिया टीका जोत खडंजा मार्ग से पवन के घर तक सी० सी ० रोड निर्माण	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	674139	593242.64	13482.79	13482.79	57783.71	6741.39	674141.00
11	पूरे हेमराज में फूल चन्द के घर से आगंनवाडी केंद्र तक सी० सी० रोड निर्माण	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	440673	387792	8813.47	8813.47	39175.38	4406.73	440673.00

12	चरथी कथित में सी० सी० रोड निर्माण	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	440673	432180.32	8813.47	8813.47	47189.76	4406.74	440673.00
13	वि० ख० परिसर के पीछे मिटटी पटाई एवं सेप्टिक टैंक निर्माण कार्य	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	491114	387992	9822.28	9822.28	30847.14	4911.14	491114.00
14	धिरौली बाबू राजेश सिंह के घर से लफोदी सिंह के घर तक सी० सी० रोड निर्माण	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	440873	211914	8813.47	8813.47	30847.15	4406.23	440673.00
15	सर्विस रोड से करुणा सिंह के घर तक सी० सी० रोड निर्माण	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	240811	211914	4816	4816	16856.83	2408.00	240811.00
16	ग्राम सादपुर पंडित पुरवा से अमरनाथ शर्मा के चक तक सी० सी० रोड निर्माण	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	577815	768560	11556.31	11556.31	40447	5778.15	577815.00
17	सिरौली वैश्यबाबू लाल के घर से राम प्रसाद यादव के घर तक इंटर लार्किंग	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	873364	383386	17467.28	17467.28	61135.50 .	8733.64	873349.00
18	ग्राम पहियामाफी में शेषनाथ के घर से हरिनाथ के घर तक सी० सी० रोड तक निर्माण	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	436266	383386	8813.47	8813.47	35253.88	4406.74	436266.00
19	काली जी मंदिर से हजारी पंडित के खेत तक सी० सी० रोड निर्माण	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	610590	537319	12211.80	12211.80	73270.80	6105.90	610590.00
20	इमिलिया ग्राम पंचायत में इमिलिया पिच रोड से वसुधा सिंह के चक तक सी० सी० रोड निर्माण	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	702748	618418	14054.96	14054.96	49192.36	7027.48	702748.00
21	वि० ख़० परिसर के पीछे मिटटी पटाई एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	491114	432180.32	9822.28	9822.28	34377.98	4911.14	491114.00
21	ग्राम बभरौली चौधरी पुरवा में इंटर लार्किंग निर्माण कार्य	"	में० महेंद्र प्रताप सिंह	04.10.2021	09.10.2021	444665	391305	8893.30	8893.30	391305	4446.65	444665.00
	योग					116661 54.00		233749.5 3	233749.5 3		116874.6 5	

उपरोक्त दर्शित व्यय भुगतानों से शासनादेश संख्या 362/09.09.2016-165- ज 13, दिनांक 3 मार्च 2016 के अनुसार 1% प्रतिशत लेबर सेस कुल रुपया 1,16,874.00 के सापेक्ष कटौती कि गई है परन्तु कटौती से सम्बंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच व् समीक्षा हेतु प्रस्तुत नही रही यहाँ भी विदित है कि शासनादेश संख्या 37/2016/1448/ छत्तीश -2-2015-170/2009 के अनुसार निर्माण कार्यो से अर्जित लेबर सेस को किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक में जमा न कर अनियमितता की गई है जिसके उत्तरदायी श्री अनिल कुमार यादव खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री रविशंकर लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है |

प्रस्तर संख्या -16 - क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजना के पत्रावली जांच में पाया गया कि फर्म को भुगतान करते समय नियमानुसार टी० डी० एस० आयकर की धनराशि की कटौती नही किया गया है जिसका विवरण निन्म्वत है :-

क्रम सं	फर्म का नाम	वि० सं०/ दिनांक	बिल की धनराशि	कटौती की जानी चाहिए

01	उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	06/11-12-2021	250000.00	5000.00
02	आनद ट्रेडर्स	07/15-04-2022	37750.00	755.00
03	भाग्य श्री ट्रेडर्स	09/15-04-2022	37500.00	750.00
04	भार्गवी ट्रेडर्स	09/15-04-2022	37600.00	752.00
05	में० राजकुमार मालवीय	12/15-04-2022	37150.00	743.00
	योग -	योग-	400000.00	8000.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से से स्पष्ट है की फर्म को भुगतान करते समय नियमानुसार टी० डी० एस० आयकर की धनराशि कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाकर अनियमितता की गई है इस अनियमितता के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार यादव एवं श्री रवि शंकर लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है अतः एवं कटौती नही की गयी टी० डी० एस०- आयकर की धनराशि रु० 8000.00 फर्म से वसूल नही होने के दशा में आहरण वितरण अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार यादव एवं श्री रवि शंकर लेखाकार से संयुक्त रूप से वसूलकर जमा कराया जाय| इस प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है|

प्रस्तर संख्या -17 - क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के पत्रावली जांच में पाया गया कि फर्म को भुगतान करते समय नियमानुसार जी० एस०टी० की धनराशि की कटौती नही किया गया है जिसका विवरण निन्म्वत है :-

क्र० सं०	फर्म का नाम	बिल सं०/ दिनांक	बिल की धनराशि	कटौती जो की जानी चाहिए आयकर जी०एस०टी० 2%
01	उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	06/11-12-2021	250000.00	5000.00
02	आनद ट्रेडर्स	07/15-04-2022	37750.00	755.00
03	भाग्य श्री ट्रेडर्स	09/15-04-2022	37500.00	750.00
04	भार्गवी ट्रेडर्स	09/15-04-2022	37600.00	752.00
05	में० राजकुमार मालवीय	12/15-04-2022	37150.00	743.00
		योग-	400000.00	8000.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्म को भुगतान करते समय नियमानुसार जी.एस.टी. की धनराशि कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाकर अनियमितता की गयी है इस अनियमितता के प्रति खण्ड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार यादव व श्री रवि शंकर लेखाकार संयुक्त एवं से उत्तरदायी है अतः कटौती नही की गयी जी.एस.टी. की धनराशि रू0 8000.00 फर्म से वसूल नही की दशा में आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड वितरण अधिकारी श्री अनिल कुमार यादव व श्री रविशंकर लेखाकार से संयुक्त व्यय वसूल कर जमा कराया जाय इस प्रकरण का उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर संख्या -18 - क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर-III के अनुसार दिनांक 31-03-2022 को रु० 73793.50 अप्रयुक्त अनुदान रोके रखा गया था जबकि इसको विकास कार्यों पर वित्तीय वर्ष के अंतर्गत खर्च का लिया जाना चाहिए था| वित्तीय वर्ष में खर्च न कर पाना खंड विकास अधिकारियों की अक्षमता तथा अवशेष अनुदान को समय से वापस न करना उनकी लापरवाही का द्योतक है| इस सम्बन्ध में विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है| अवशेष का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	अनुदान	धनराशि
01	राष्ट्रीय बायोगैस	648.50
02	डॉ० भीमराव अम्बेडकर	4500.00
03	पिछड़ावर्ग अनुदान की धनराशि	13645.00
04	जेईएस/एईएस रोकथाम हेतु प्रशिक्षण	55000.00
योग-		73793.50

अवशेष अनुदान वित्तीय वर्ष 2021-22 किस माह से अवशेष है अस्तु से सम्बंधित अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रही जिससे अवशेष अनुदान सही जानकारी प्राप्त नही हो सकी| आगामी लेखा परीक्षा में अवशेष अनुदान से सम्बंधित अभिलेख

अवश्य उपलब्ध कराये जाये| उपरोक्त विवरण में क्रम सं० 1 से 4 तक अनुदान हेतु जो कुल रु० 73793.50 है इसमें से कई योजना बन्द हो गयी है परन्तु अनुदान को प्रदायदाता को वापस न कर अनियमितता की गयी है जिस प्रति श्री अनिल कुमार यादव खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री रवि शंकर लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है|

प्रस्तर संख्या -19 - क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विज्ञापन में दर्शित निविदा पत्र पत्र मूल्य रु० 31500.00 रहा जिसके सापेक्ष हर कार्य के लिए तीन तीन फर्मो के नियमोनुसार तुलनात्मक सारणी में जगह दी गयी है| इस प्रकार निविदा प्रपत्रों से अर्जित आय से सम्बंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे एवं जमा प्रमाण पत्र के आभाव में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके उत्तरदायी श्री अनिल कुमार यादव खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री रवि शंकर लेखाकार संयुक्त रूप से है|

प्रस्तर संख्या -20- क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर ।। के जाँच में पाया गया कि श्री विनित श्रीवास्तव को निम्न विवरणानुसार जी०एस०टी० एवं आयकर टी०डी०एस० को जमा करने हेतु भुगतान किया गया है:-

क्र०स०	योजना	दिनांक	धनराशि
01	राज्य वित्त	21.03.2022	127176.00
02	राज्य वित्त	21.03.2022	7683.00
03	15 वां वित्त	21.03.2022	471014.00
04	15 वां वित्त	21.03.2022	87800.00
		योग-	693673.00

उपरोक्त तलिकानुसार कुल भुगतानिक धनराशि रु० 693673.00 के सापेक्ष जी०एस०टी० जमा चालान व रिटर्न फाइल की कापी एवं आयकर जमा के चालान 26 क्यू की कापी एवं उन फर्मो को निर्गत फार्म 16 जिनसे कटौती की गयी है कि कापी आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया जिससे कि स्थिति संदिग्ध एवं भुगतानिक धनराशि रु० 693673.00 अपहरण किया जाना प्रतीत होता है|

अतएव अपहरित धनराशि रु० 693673.00 की वसूली श्री धनेश यादव खण्ड विकास अधिकारी व श्री शाहिद अली लेखाकार से की जानी चाहिए |

प्रस्तर संख्या -21- क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मुख्यमंत्री विवाह योजनान्तगर्त लाभार्थी को दिए गए उपहार के क्रय में वर्ष में कुल भुगतानिक धनराशि रु० 896000.00 के सापेक्ष नियमानुसार 2 प्रतिशत टी०डी०एस० जी०एस०टी० की कटौती नही करने से रु० 17920.00 की राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है|इस हेतु कार्यावधि अनुसार श्रीमती मंजू त्रिवेदी खण्ड विकास अधिकारी, डॉ विवेक कुमार खण्ड विकास अधिकारी, श्री धनेश यादव खण्ड विकास अधिकारी, व श्री शाहिद अली लेखाकार उत्तरदायी है|आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या -22- क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मुख्यमंत्री विवाह योजनान्तगर्त लाभार्थी को दिए गए उपहार के क्रय में वर्ष में कुल भुगतानिक धनराशि रु० 896000.00 के सापेक्ष नियमानुसार 2 प्रतिशत टी०डी०एस० आयकर की कटौती नही करने से रु० 17920.00 की राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है|इस हेतु कार्यावधि अनुसार श्रीमती मंजू त्रिवेदी खण्ड विकास अधिकारी, डॉ विवेक कुमार खण्ड विकास अधिकारी, श्री धनेश यादव खण्ड विकास अधिकारी, व श्री शाहिद अली लेखाकार उत्तरदायी है|आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या -23- क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर ।। की जाँच में पाया गया कि दिनांक 12.12.2021 को गन्गौरी में रमेश शुक्ला के चक के पास मिटटी/खडंजा कार्य हेतु रु० 2010.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है परन्तु कार्य पत्रावली की जाँच में उक्त भुगतान के मस्टररोल नही पाया गया |

अतएव रु० 2010.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए डॉ विवेक कुमार खण्ड विकास अधिकारी व श्री शाहिद अली लेखाकार उत्तरदायी है |

प्रस्तर संख्या -24- क्षेत्र पंचायत बनकटी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर ।। की जाँच में पाया गया कि दिनांक 12.12.2021 को पडरी पिच रोड से अमरनाथ के घर तक सी०सी० रोड निर्माण

हेतु रु० 1407.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है परन्तु कार्य पत्रावली की जाँच में उक्त भुगतान के मस्टररोल नही पाया गया |

अतएव रु० 1407.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए डॉ विवेक कुमार खण्ड विकास अधिकारी व श्री शाहिद अली लेखाकार उत्तरदायी है | रु० 1407.00 की वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या -25- क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निष्प्रयोज्य पड़ी धनराशि वापस न कर अनियमितता दिनांक 31.03.2022 को ग्राण्ट रजिस्टर ।। अनुसार निष्प्रयोज्य पड़ी धनराशि प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है,विवरण निम्न प्रकार

क्र० स०	मद	धनराशि
01	ब्लाक स्वच्छता समिति	10442.00
02	रास्ट्रीय पेयजल गुणवता	20.00
03	टेंडर जमानत राशि	2370391.00
04	एन०आर०एल०एम०	63164.00
	योग-	2444017.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार धनराशि रु० 2444017.00 प्रदाता को वापस न कर अनियमितता की गयी है| जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक दत्त उपाध्याय तथा श्री सत्यनारायन जिम्मेदार है | आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या -26- क्षेत्र पंचायत बहादुरपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत गत वर्ष का अवशेष अनुदान (राज्य वित्त एवं 15 वां वित्त) रु० 20344089.00 था जब कि आलोच्य वर्ष में कुल अनुदान/आय (राज्य वित्त एवं 15 वां वित्त) रु० 115273823.00 प्राप्त हुआ| इस प्रकार क्षेत्र पंचायत के पास वर्ष में उपलब्ध कुल धनराशि रु० 135617912.00 रहा क्षेत्र पंचायत के द्वारा उपलब्ध इस धनराशि का वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व उपभोग न कर विकास कार्यों को प्रभावित किया गया है,जो अनियमितता का विषय है| जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक दत्त उपाध्याय जिम्मेदार है| वर्ष में उपलब्ध सम्पूर्ण अनुदान रु० 135617912.00 के उपभोग तथा उपभोग प्रमाण पत्र के निर्गमन की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है|

प्रस्तर संख्या -27- क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य न कराकर फर्म से मिलीभगत करके फर्जी भुगतान कर धन का अपहरण -निम्नलिखित परियोजनाओं पर केवल सामग्री क्रय के भुगतान विवरण का ग्राण्ट रजि 0।। एवं बैंक स्टेटमेंट से पुष्टि होती है, जबकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है इसकी भी पुष्टि ग्राण्ट रजि 0।। एवं बैंक स्टेटमेंट से होती है। विवरण निम्न है-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	सामग्री क्रय की धनराशि	मजदूरी की धनराशि
1	भूमिगत नाली निर्माणसंतराम के घर से दिनेश के घर - तक	422152.00	-
		422152.00	-

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा समय तक (लगभग एक वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी) मस्टर रोल का भुगतान न होना (जबकि खाते में श्रमांश के भुगतान हेतु पर्याप्त धनराशि थी), ऐसे में श्रमांश का भुगतान ही नहीं हुआ तो कार्य कैसे हुआ? साथ ही एम0बी0 का पूर्ण न होना तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र का न होना यह पुष्ट करता है कि कार्य कराया ही नहीं गया। ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म से मिलीभगत करके सामग्री क्रय का फर्जी एवं काल्पनिक बिल प्रस्तुत कर कुल रू **422152.00**का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव) खण्ड विकास अधिकारी), श्री अरूणेश पाल, कार्य प्रभारी एवं जे0ई0 श्री लालजी उत्तरदायी हैं। जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -28- क्षेत्र पंचायत सल्टौआ गोपालपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निष्प्रयोज्य पडी धनराशि वापस न कर अनियमितता दिनांक-31.03.2022 को ग्राण्ट रजिस्टर।।। अनुसार निष्प्रयोज्य पडी धनराशि प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है, विवरण निम्न प्रकार

क्र0सं0	मद	धनराशि
1	13हवां वित्त आयोग अनुदान	84746.00
2	जे0ई/एई0	8826.00
3	नीर निर्मल परियोजना	620.00
	योग-	**94192.00**

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार धनराशि **रू 94192.00** प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आरपी सिंह तथा लेखाकार श्री अजय श्रीवस्तव जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -29- क्षेत्र पंचायत रूधौली के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य न कराकर फर्म से मिलीभगत करके फर्जी भुगतान कर धन का अपहरण- निम्नलिखित परियोजनाओं पर केवल सामग्री क्रय के भुगतान विवरण का ग्राण्ट रजि0 ।। से पुष्टि होती है, जबकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है इसका विवरण निम्न है-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	सामग्री क्रय की धनराशि	मजदूरी की धनराशि
1	अन्देउरी मे रफीक के घर से बगीचे के बगल घोले तक हयूमपाइप नाली निर्माण	417892.00	-
2	मुंगरहा मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाउन्डीवाल मरम्मत एवं रंगाई पुताई	10001.00	-
3	विकास खण्ड मे आवासीय भवनो मे आंगन मरम्मत एवं सोख्ता निर्माण	552092.00	-
4	मुंगरहा मे गया प्रसाद के घर के सामने पुलिया निर्माण	10001.00	-
	योग-	**989986.00**	-

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा समय तक (लगभग एक वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी) मस्टर रोल का भुगतान न होना (जबकि खाते में श्रमांश के भुगतान हेतु पर्याप्त धनराशि थी), ऐसे में श्रमांश का भुगतान ही नहीं हुआ तो कार्य कैसे हुआ? साथ ही एम0बी0 का पूर्ण न होना तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र का न होना यह पुष्ट करता है कि कार्य कराया ही नहीं गया। ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म से मिलीभगत करके सामग्री क्रय का फर्जी एवं काल्पनिक बिल प्रस्तुत कर कुल रू **989986.00**का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये श्री सुनील कौशल (खण्ड विकास अधिकारी), श्री प्रेमनरायन मिश्र (ए0डी0ओ0ए0जी) कार्य प्रभारी एवं जे0ई0 श्री आर0सी0 शुक्ला उत्तरदायी हैं। जिनसे रू0 **989986.00** संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -30- क्षेत्र पंचायत रूधौली के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर।।। अनुसार आयकर की कटौती धनराशि रू **174348.00** की कटौती की गयी है जिसे संगत लेखा शीर्ष मे जमा वाउचर प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी है, जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कौशल तथा लेखाकार श्री नरसिंह यादव जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -31- क्षेत्र पंचायत रूधौली के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर।।। अनुसार जी0एस0टी0 की कटौती धनराशि रू **154726.00** की कटौती की गयी है जिसे संगत लेखा शीर्ष मे जमा वाउचर प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी है, जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कौशल तथा लेखाकार श्री नरसिंह यादव जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -32- क्षेत्र पंचायत रूधौली के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निष्प्रयोज्य पडी धनराशि वापस न कर अनियमितता-दिनांक 31.03.2022 को ग्राण्ट रजिस्टर।।। अनुसार निष्प्रयोज्य पडी धनराशि प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है, विवरण निम्न प्रकार

क्र0सं0	मद	धनराशि
1	विधायक निधि	153740.00
2	विधायक निधि पर व्याज	55381.00
3	निविदा प्रपत्र बिक्री	38700.00
	योग-	**247821.00**

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार धनराशि **रू 247821.00** प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुनील कौशल तथा लेखाकार श्री नरसिंह यादव जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -33- क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य न कराकर फर्म से मिलीभगत करके फर्जी भुगतान कर धन का अपहरण- निम्नलिखित परियोजनाओं पर केवल सामग्री क्रय के भुगतान विवरण का ग्राण्ट रजि0 ।। एवं बैंक स्टेटमेंट से पुष्टि होती है, जबकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है इसकी भी पुष्टि ग्राण्ट रजि0 ।। एवं बैंक स्टेटमेंट से होती है। विवरण निम्न है-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	सामग्री क्रय की धनराशि	मजदूरी की धनराशि
1	इ0ला0 कार्य- नरायनपुर फरेंदा जागीर से शंकर जी के मन्दिर से रमाकान्त मिश्र के घर तक	97325.00	-
2	उच्च मा0वि0 बरहपुर प्रांगण मे स्वच्छ पेयजल 250 लीटर वाटर कूलर व 800 लीटर टंकी निर्माण	394990.00	-
3	मरवटिया भवन से संसारी पुर पैकोलिया मार्ग लालचन्द के घर से जेआरसी तक सी0सी0 कार्य	305704.00	-
	योग-	**798019.00**	-

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा समय तक (लगभग एक वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी) मस्टर रोल का भुगतान न होना (जबकि खाते में श्रमांश के भुगतान हेतु पर्याप्त धनराशि थी), ऐसे में श्रमांश का भुगतान ही नहीं हुआ तो कार्य कैसे हुआ? साथ ही एम0बी0 का पूर्ण न होना तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र का न होना यह पुष्ट करता है कि कार्य कराया ही नहीं गया। ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म से मिलीभगत करके सामग्री क्रय का फर्जी एवं काल्पनिक बिल प्रस्तुत कर कुल रू **798019.00** का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये श्रीमती श्वेता वर्मा (खण्ड विकास अधिकारी), श्री अखलेन्द्र बहादुर सिंह(ए0डी0ओ0एस0के0), श्रीमती माधुरी देवी (ए0डी0ओ0आईएसबी) कार्य प्रभारी गण परियोजनानुसार एवं जे0ई0 श्री रूद्रदेव उत्तरदायी हैं। जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -34- क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निष्प्रयोज्य पडी धनराशि वापस न कर अनियमितता- दिनांक 31.03.2022 को ग्राण्ट रजिस्टर।।। अनुसार निष्प्रयोज्य पडी धनराशि प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है, विवरण निम्न प्रकार

क्र0सं0	मद	धनराशि
1	राष्ट्रीय बायोगैस अनुदान	600.00
2	जे0ई/एई0	17420.00
3	इंटरनेट	900.00
4	राष्ट्रीय पेयजल	16244.00
5	इंदिरा आवास	45079.00

6	स्ट्रीट लाइट जमानत	20612.00
7	रायल्टी जमानत	103491.00
8	जमानत	65741.00
9	विविध मद	36750.00
	योग-	**306837.00**

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार धनराशि **रू 306837.00** प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह तथा लेखाकार श्री राम सुरेश जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -35- क्षेत्र पंचायत हरैया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत आलोच्य वर्ष में शादी विवाह अनुदान मद में प्रारम्भिक अवशेष रू 075064.00 था, और वर्ष में रू 1785000.00 प्राप्त हुआ । इस प्रकार क्षेत्रपंचायत के पास वर्ष मे इस मद मे उपलब्ध कुल धन रू 01860064.00 रहा। क्षेत्र पंचायत के द्वारा उपलब्ध इस धनराशि का वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व उपभोग नहीं किया गया है, जो आपत्ति का विषय रहा। इस प्रति विशेष रूप से सक्षम अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या -36- क्षेत्र पंचायत गौर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य न कराकर फर्म से मिलीभगत करके फर्जी भुगतान कर धन का अपहरण -निम्नलिखित परियोजनाओं पर केवल सामग्री क्रय के भुगतान विवरण का ग्राण्ट रजि।। एवं बैंक स्टेटमेंट से पुष्टि होती है 0, जबकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है इसकी भी पुष्टि ग्राण्ट रजि-।। एवं बैंक स्टेटमेंट से होती है। विवरण निम्न है 0

क्र0सं0	परियोजना का नाम	सामग्री क्रय की धनराशि	मजदूरी की धनराशि
1	ब्लाक परिसर में प्रमुख कक्ष का मरम्मत एवं रंगाईपुताई कार्य - (राज्य वित्त)	501072.00	-
2	इ0ला0 कार्य- बेलवरिया जंगल में बरहपेडा मार्ग से अछेवर के घर तक (राज्य वित्त)	705354.00	-
3	इ 0ला0 कार्य- बेलवरिया जंगलमें अइला बभनान मार्ग से अम्बिका के खेत तक (राज्य वित्त)	783852.00	-
4	सी0सी0 रोड- माझामानपुर यादव पुरवा में तिलकराम के से लोकनाथ के घर हाते हुए (राज्य वित्त)	605146.00	-
5	सी0सी0 रोड- सेमरा में गोपाल के घर से दक्षिण जयगुरूदेव के घर तक (राज्य वित्त(	568576.00	-
6	सी0सी0 रोड- सेमरा में जयगुरूदेव के घर से बैरिहंवा शिवामार्ग तक (राज्य वित्त)	234880.00	-
7	सी0सी0 रोड- पैकोलिया मुस्लिम के बुधियागांव के सी0सी0 रोड से आंगनवाडी केन्द्र तक(राज्य वित्त)	609333.00	-
8	सी0सी0 रोड- अइलाकला में पिच रोड से लखन के घर तक (राज्य (वित्त	607109.00	-
9	सी0सी0 रोड- रानीपुर में पिच रोड से लालचन्द के घर तक (केन्द्रीय (वित्त	607314.00	-
10	सी0सी0 रोड- बेलवरिया जंगल बनकटवा में राजमन के घर से रामराज के घर तक (केन्द्रीय वित्त)	606010.00	-
11	सी0सी0 रोड- रानीपुर में रामधीरज के घर सुग्रीम निषाद के घर तक (केन्द्रीय वित्त)	608456.00	-

12	सी0सी0 रोड-रानीपुर मे ओमप्रकाश निषाद ेमार्ग से के घर से बाबूराम के घर तक भाग1-	618196.00	-
	योग-	**7055298.00**	-

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा समय तक (लगभग एक वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी)मस्टर रोल का भुगतान न होना (जबकि खाते में श्रमांश के भुगतान हेतु पर्याप्त धनराशि थी), ऐसे में श्रमांश का भुगतान ही नहीं हुआ तो कार्य कैसे हुआ? साथ ही एम0बी0 का पूर्ण न होना तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र का न होना यह पुष्ट करता है कि कार्य कराया ही नहीं गया। ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म से मिलीभगत करके सामग्री क्रय का फर्जी एवं काल्पनिक बिल प्रस्तुत कर कुल रू **7055298.00**का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये श्री सुशील कुमार पाण्डेय)खण्ड विकास अधिकारी), श्री संदीप कुमार सिंह(ए0डी0ओ0एस0टी0), श्री संतोष कुमार)ए(0डी0ओ0आईएसबी, श्री चन्द्रभान (ए0डी0ओ0पं0)कार्य प्रभारी गण परियोजनानुसार एवं जे0ई0 श्री नरेन्द्र देव सिंह उत्तरदायी हैं। जिनसे रू**7055298.00** 0 संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -37- क्षेत्र पंचायत गौर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राण्ट रजिस्टर।।। अनुसार आयकर एवं जी0एस0टी की कटौती धनराशि रू **544171.00** संगत लेखा शीर्ष मे जमा न कर अनियमितता की गयी है, जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार पाण्डेय तथा लेखाकार श्री अनिल कुमार जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -38- क्षेत्र पंचायत गौर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निष्प्रयोज्य पडी धनराशि वापस न कर अनियमितता दिनांक-31.03.2022 को ग्राण्ट रजिस्टर।।। अनुसार निष्प्रयोज्य पडी धनराशि प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है, विवरण निम्न प्रकार

क्र0सं0	मद	धनराशि
1	राष्ट्रीय बायोगैस अनुदान	17598.00
2	जे0ई/एई0	10000.00
3	युवकमहिला मंगल दल /	38000.00
4	राष्ट्रीय पेयजल	30446.00
5	पिछडा क्षेत्र कांटिजेन्सी	3500 .00
6	जनगड़ना 2011	361.00
7	विज्ञापन की धनराशि	118130.00
	योग-	**218035.00**

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार धनराशि **रू 218035.00** प्रदाता विभाग को वापस न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार पाण्डेय तथा लेखाकार श्री अनिल कुमार जिम्मेदार हैं। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या -39- क्षेत्र पंचायत कुदरहा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कार्य न कराकर फर्म से मिलीभगत करके फर्जी भुगतान कर धन का अपहरण - निम्नलिखित परियोजनाओं पर केवल सामग्री क्रय के भुगतान का विवरण ग्राण्ट रजिस्टर।। बैंक स्टेटमेंट से पुष्टि होती है | जबकि मजदूरी का भुगतान नही किया गया है| इसकी पुष्टि भी ग्राण्ट रजिस्टर।। एवं बैंक स्टेटमेंट से होती है विवरण निम्न है-

क्र० स०	सा०आ० सं०	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	धनराशि रु०				उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
			अपहरण	दुरुपयोग	गंभीर अनियमितता	योग	

01	2021-2022	ग्राम पंचायत चकदहा में जूनियर हाईस्कूल से गुल्लू के घर तक सी०सी०रोड निर्माण कार्य	292291.00	----	----	292291.00	श्री जय प्रकाश खण्ड विकास अधिकारी एवं दोस्त मोहमद अंसारी लेखाकार

उक्त विवरण अनुसार लेखा परीक्षा के समय तक (लगभग एक वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी) मस्टररोल का भुगतान न होना (जबकि खाते में श्रमांश के भुगतान हेतु पर्याप्त धनराशि थी) ऐसे में श्रमांश का भुगतान नही किया गया, तो कार्य कैसे हुआ? साथ ही एम०बी० का पूर्ण न होना तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र का न होना यह पुष्ट करता है | कि कार्य कराया ही नही गया है | ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म से मिलीभगत करके सामग्री क्रय का फर्जी व काल्पनिक बिल प्रस्तुत कर रु० 292291.00 का अपहरण कर लिया गया है| जिसके लिए श्री जय प्रकाश खण्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी श्री राम दरश, श्री महेंद्र यादव (जे०ई०), श्री दोस्त मोहम्मद अंसारी उत्तरदायी है| जिनसे संयुक्त रूप से रु० 292291.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या -40- क्षेत्र पंचायत परसरामपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पंचायतीराज अनुभाग -3 शासनादेश सं० 1639/33-03-2015-03/2015 दिनांक 19 दिनांक 2015 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत संक्रमित धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धांत-निर्धारित किए गए है जिसके विन्दु 2.5 में स्पष्ट निर्देश है 'क्षेत्र पंचायत को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए कार्यों/ सृजित सम्पतियों के रखरखाव तथा इस प्रकार के नए निर्माण कार्यों पर किया जायेगा | परन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में उक्त प्रावधान/मार्गदर्शक सिद्धांत के विपरीत अनेक निर्माण कार्य एक ही ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कराए गए है, जिनका विवरण निम्नवत है-

क्र० स०	निर्माण कार्य का नाम	व्यय धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
01	ग्राम पंचायत बिछिया मिश्र में दीनानाथ के घर से राजू के घर तक इन्टर लाकिंग कार्य	875237.00	श्री राम रेखा सरोज श्री विवेकमणि त्रिपाठी खण्ड विकास अधिकारी श्री सत्य नारायन लेखाकार
02	ग्राम पंचायत बिछिया मिश्र में राम जनक के घर से राजकुमार के घर तक नाली निर्माण	326800.00	
03	ग्राम पंचायत बिछिया मिश्र में राम सूरत के घर से कुट्टी लाल के घर तक नाली निर्माण	688559.00	
		1890596.00	

इस प्रकार स्पष्ट है कि शासनादेश द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लंघन कर उक्त कार्यों का व्यय करके गंभीर अनियमितता की गयी है | जिसके लिए कॉलम(4) में उल्लेखित अधिकारी उत्तरदायी है| उक्त अनियमित व्यय के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली -1965 के नियम-179-2(क) के अंतर्गत उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा स्पष्टीकरण किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या -41- क्षेत्र पंचायत परसरामपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निष्प्रयोज्य पडी धनराशि वापस न कर अनियमितता का विवरण निम्नवत है:-

क्र० स०	मद का नाम	व्यय धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
01	राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता	16500.00	श्री राम रेखा सरोज श्री विवेकमणि त्रिपाठी खण्ड विकास अधिकारी श्री सत्य नारायन लेखाकार

क्षेत्र पंचायत परसरामपुर के वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अनुदान रजिस्टर 3 के अनुसार 31.03.2022 को रु० 16500.00 अप्रयुक्त अनुदान रोके रखा गया था, जबकि इसको विकास कार्यों पर वित्तीय वर्ष के अंतर्गत व्यय कर लिया जाना चाहिए था किन्तु वित्तीय वर्ष में व्यय न कर पाना खण्ड विकास अधिकारी अक्षमता का धोतक है एवं अवशेष अनुदान को समय से वापस न करना भी लापरवाही का धोतक है| अप्रयुक्त अनुदान सम्बंधित को वापस किया जाना अपेक्षित है साथ ही धनराशि रु० 16500.00 को प्रदाता को वापस न कर गंभीर अनियमितता की गयी है| जिसके लिए श्री राम रेखा सरोज, श्री विवेक मणि त्रिपाठी खण्ड विकास अधिकारी व श्री सत्य नारायन लेखाकार जिम्मेदार है|

प्रस्तर संख्या -42- क्षेत्र पंचायत बस्ती सदर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम पंचायत में राजकुमार के घर से लकड़ा तालाब तक सीवर नाली निर्माण कार्य में मस्टररोल के अनुसार श्रमांश की धनराशि रु० 47798.00 है जबकि पीएमएफएस से भुगतानित धनराशि रु० 53334.00 है| इस प्रकार रु० 5536.00 का अधिक भुगतान किया गया है, विवरण निम्नवत है-

क्र० स०	नाम श्रमिक	मस्टररोल के अनुसार भुगतानित धनराशि	पीएमएफएस से भुगतानित धनराशि	अन्तर
01	श्री हरिशंकर/राम नरेश	612.00	4488.00	3876.00
02	श्री मनी सिंह	7055.00	8715.00	1660.00
			योग-	5536.00

इस प्रकार किये गये अधिक भुगतान की धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है| इस प्रति खण्ड विकास अधि0 व लेखाकार श्री अनिल कुमार उत्तरदायी है।

प्रस्तर संख्या -43- क्षेत्र पंचायत बस्ती सदर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत दिनांक 01.04.2021 ग्रांट रजिस्टर एवं बैंक खाते में अवशेष अनुदान का अन्तर निम्न प्रकार रहा-

राज्य वित्त ग्रांट रजिस्टर के अनुसार	4374497.80
राज्य वित्त बैंक खाते के अनुसार	4811869.27
अन्तर	437371.47

उक्त अन्तर को वर्ष में निम्न तरीके से समाधान लेखा किया गया है:-

दिनांक 11.06.2021 को निर्गत चेक की वापसी से आय	10518.00
01.10.2021 को ग्रांट रजिस्टर 3 में आय दर्शाकर	426853.00
	437371.47

इस प्रकार स्पष्ट है कि बैंक खाते व ग्रांट रजिस्टर के अन्तर का समाधान गलत लेखा करके अनियमितता बरती गई है| इसके लिए लेखाकार श्री अनिल कुमार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार है|

जनपद – संतकबीर नगर

प्रारुप 03

(क्षेत्र पंचायतों से संबंधित आपत्तियाँ)

जनपद – संतकबीरनगर संभाग – बस्ती

प्रस्तर सं. 01 क्षेत्र पंचायत पौली के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में माँगोपरान्त भी विधायक निधि मद में रु. 405510.00 तथा सांसद निधि मद रु 614522.00 में कराये गये कार्यों से संबधित कुल रु. 1020032.00 की कार्य पत्रावलियां प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अमरेश सिंह व श्री सतीश कुमार, लेखाकार श्री अनिल सिंह , पत्रावलिया प्रस्तुत न रहने से कराये गये कार्य अपुष्टित रहे।

आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	1020032.00	1020032.00

प्रस्तर सं. 02 क्षेत्र पंचायत पौली के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में केंद्रीय वित्त मद से निम्न कार्य कराये गये परंतु लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों कि कार्य पत्रावली प्रस्तुत नही रही। इस प्रकार भुगतान अनियमित रहा। विवरण निम्नवत है।

1. कार्य का नाम

1. शनिचरा बाजार में आर.ओ. प्लांट 272818.00 मेसर्स एस. टेडर्स
2. इस्लामिया स्कूल में आर.ओ प्लांट 189553.00 मेसर्स एस. टेडर्स
    1. ग्राम पचायत में स्ट्रीट लाइट 809226.00 प्रताप कांस्ट्रक्शन
    2. ग्राम पचायत में स्ट्रीट लाइट 809226.00 प्रताप कांस्ट्रक्शन
    3. ग्राम पचायत में स्ट्रीट लाइट 809226.00 प्रताप कांस्ट्रक्शन
    4. ग्राम पचायत में स्ट्रीट लाइट 809226.00 प्रताप कांस्ट्रक्शन

3699275.00

लेखा परीक्षा में उक्त फर्मों का भुगतान के बावत संस्था द्वारा संतोषजनक उत्तर नही दिया गया कि उक्त फर्में उक्त कार्य कराने हेतु अधिकृत थी अथवा नहीं। अतः रु. 3699275.00 अनियमित भुगतान हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अमरेश सिंह व श्री सतीश कुमार, लेखाकार श्री अनिल सिंह अवर अभियंता श्री सुल्तान अहमद व श्री भानु प्रताप सिंह उत्तरदायी है. आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	3699275.00	3699275.00

प्रस्तर सं.03 - क्षेत्र पंचायत पौली के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्रांट रजिस्टर 2 के अनुसार राज्य वित्त मद में दिनांक 24-12-2021 को रु. 39839.00 संस्था द् वारा डेली न्यूज एक्टिविस्ट को विज्ञापन प्रकाशन हेतु भुगतान किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय के बावत संस्था द्वारा संस्था के प्रचार पर व्यय किया जाना बताया गया। किंतु उक्त व्यय के कारण व औचित्य तथा विषय वस्तु लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रहे। उत्तर असंतोषजनक रहा। अनुदान की इतनी बडी धनराशि को विकास कार् पर खर्च न कर संस्था के प्रचार पर व्यय किया जाना धन के दुरुपयोग है। अपव्यय हुई धनराशि की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अमरेश सिंह तथा लेखाकार श्री अनिल सिंह से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	39839.00 -	-	39839.00

प्रस्तर सं.04- क्षेत्र पंचायत पौली के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 की राज्य वित्त की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 24-12-3.32 व दिनांक 17-3-2022 को क्रमशः रु. 12500.00 व रु. 12500.00 कुल रु. 25000.00 में. जे. पी. एकाउन्टिग सर्विसेज को ई ग्राम स्वराज पर फीडिंग हेतु भुगतान किया गया है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र पंचायत में इस कार्य हेतु लेखाकार व कम्पयूटर आपरेटर की नियुक्ति होती है तथा नियमित बाहरी फर्म से कराकर संस्था द्वारा रु. 25000.00 का अपव्यय किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री अमरेश सिंह व श्री सतीश कुमार तथा लेखाकार श्री अनिल सिंह से ब्याज सहित नियमानुसार की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	25000.00	-	25000.00

प्रस्तर सं. 05 क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कार्य पत्रावली प्रस्तुत न कर अनियमितता आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में मांगोपरांत भी राज्य वित्त मद में कराये गये कार्यों से संबंधित कुल रु. 7385390.00 की कार्य पत्रावलियां प्रस्तुत नही की गई। अतः लेखा परीक्षा अनुसार समस्त भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री राम विलास तथा वर्तमान लेखाकार श्री अमरनाथ तथा तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती रेनू चौधरी उत्तरदायी है। (कार्य पत्रावली उपलब्ध करवाने हेतु खं विकास अधिकारी एव जिला विकास अधिकारी को लिखे गये पत्र की छाया प्रति संलग्न है) पत्रावलियां प्रस्तुत न रहने से कराये गये कार्य एवं भुगतान अपुष्टित रहे। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	7385390.00	7385390.00

प्रस्तर सं. 06 क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया किकार्य पत्रावली प्रस्तुत न अनियमितता आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में मांगोपरांत भी विधायक निधि में कराये गये कार्यों से संबंधित कुल रु. 1067413.00 की क्रार्य पत्रावलियां प्रस्तुत नही की गई। अतः लेखा परीक्षा अनुसार समस्त भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री राम विलास तथा वर्तमान लेखाकार श्री अमरनाथ तथा तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती रेनू चौधरी उत्तरदायी है। (कार्य पत्रावली उपलब्ध करवाने हेतु खं विकास अधिकारी एव जिला विकास अधिकारी को लिखे गये पत्र की छाया प्रति संलग्न है) पत्रावलियां प्रस्तुत न रहने से कराये गये कार्य एवं भुगतान अपुष्टित रहे। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	1067413.00	1067413.00

प्रस्तर सं. 07 क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया किकार्य पत्रावली प्रस्तुत न अनियमितता आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में मांगोपरांत भी 15 वां वित्त में कराये गये कार्यों से संबंधित कुल रु. 3720991.00की कार्य पत्रावलियां प्रस्तुत नही की गई । अतः लेखा परीक्षा अनुसार समस्त भुगतान अनियमित रहा। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री राम विलास तथा वर्तमान लेखाकार श्री

अमरनाथ तथा तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्रीमती रेनू चौधरी उत्तरदायी है। (कार्य पत्रावली उपलब्ध करवाने हेतु खं विकास अधिकारी एव जिला विकास अधिकारी को लिखे गये पत्र की छाया प्रति संलग्न है) पत्रावलियां प्रस्तुत न रहने से कराये गये कार्य एवं भुगतान अपुष्टित रहे। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	-	3720991.00	3720991.00

प्रस्तर सं. 08 क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा दौरान ग्रांट रजिस्टर 2 की जांच में पाया गया कि सांसद निधि से रु. 51070.00 दिनांक 12.1.2022 को जी.पी.इंफ्रास्ट्रक्चर , डडवा, भुजैनी को मथुरापुर में कालीजी के मंदिर में रामकिशुन के घर तक इंटरलाकिंग कार्य पर जमानत की धनराशि वापसी पर व्यय किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राट रजिस्टर 2 एवम ग्राट रजिस्टर 3 में उक्त अवधि में सांसद निधि में रु. 39120.00 प्रारम्भिक अवशेष के रुप में अंकित था। उक्त धनराशि रु. 39120.00 में क्षेत्र निधि खाते ब्याज मद से रु. 11950.00 निकासी कर सांसद निधि के धनराशि में सम्मिलित करते हुए रु. 51070.00 जमानत की धनराशि वापसी किया जाना ग्रांट रजिस्टर 2 में अंकित किया गया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्रांट रजिस्टर 2 मे सासंद निधि में ब्याज मद में प्राप्त धनराशि रु. 979.00 दिनांक 1-7-2021 तथा रु. 342.00 दिनांक 1-1-2022 को अर्थात कुल रु. 1421.00 प्राप्त होना दर्शित है। चूंकि जमानत की धनराशि कटौती उपरांत कार्यदायी संस्था के क्षेत्र निधि खाते में जमा कर दी जाती है तथा कार्य समाप्त होने पर उसी खाते से वापस की जाती है। दूसरे परियोजना निदेशक महोदय द्वारा सांसद निधि से कार्य कराये जाने हेतु धनराशि जारी किये जाते समय कार्य समाप्त होने पर अवशेष धनराशि को वापस किये जाने की शर्त उनके द्वारा जारी आदेश में निहित होती है। परंतु ऐसा न कर सांसद निधि की अवशेष धनराशि में ब्याज मद की धनराशि को सम्मिलित कर जमानत वापसी (अन्य मद में कर) कर धन का दुरुपयोग किया गया है। (जबकि ब्याज मद मं वित्तीय वर्ष 2021-22 में सांसद निधिमें कुल रु. 1421.00 प्राप्त हुआ जबकि निकासी रु 11950.00 की की गयी है, जो कि अन्य मदों में प्राप्त ब्याज की धनराशि है) ।उक्तधनराशि रु. 51070.00 के दुरुपयोग के लिए तत्कालीन लेखाकार श्री राम विलास तथा खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती रेनू चौधरी उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	. 51070.00	-	. 51070.00

प्रस्तर सं. 09 क्षेत्र पंचायत बेलहरकला के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा दौरान आलोच्य वर्ष 2021-22 में रु. ग्राट रजिस्टर ।।। के अनुसार रु. 169514.00 आयकर / जी0एस0टी0 की धनराशि सामग्री क्रय पर किए गये भुगतान की कटौती के सापेक्ष जमा न किए जाने से अवशेष रही। इस प्रकार काटी गयी धनराशि रु. 169514.00 जमा न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री जिशान रिजवी एवं लेखाकार श्री राजीव राय उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	. -	169514.00	169514.00

प्रस्तर सं. 10 क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्षांत (31.3.2022) को निम्न मदों में अवशेष अनुदान धनराशि प्रदाता को वापस न कर अनियमितता – आलोच्य वर्ष 2021-22 में निम्न मदो में धनराशि शेष रही , जिसे प्रदाता को वापस न कर अनियमितता की गयी। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री महावीर सिंह एवं लेखाकार श्री विनोद गौड़ उत्तरदायी है। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण

मद	धनराशि
1.विधायक निधि	337511.00
2.सांसद निधि	27462.00
3.पूर्वांचल विकास निधि	30714.00
4.पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण व निगरानी	18290.00
5.धूम्र रहित चूल्हा	10694.00
6.महिला काम्पलेक्स	1107.00
7.एन.आर.पी. लिपिक वेतन	3671.00
8.जनता बायो गैस अनुदान	54420.00
9.ग्राम क्षेत्र में लगे हैंडपंप	07.00
10.सांसद निधि (सूखा राहत)	3819.00
योग	487695.00

.

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	. -	487695.00	487695.00

प्रस्तर सं. 11 क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2021-22 में अनुदान रजिस्टर ।।। के अनुसार 31.3.2022 तक रु. 285460.00 आयकर / जी.एस.टी मद की 15 वें वित्त से कराए गये कार्यों में सामग्री क्रय पर किए गये भुगतान के सापेक्ष की गयी कटौती संबंधित खाते में जमा न किये जाने से अवशेष रही । इस प्रकार काटी गयी धनराशि रु. 285460.00 जमा न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री महावीर सिंह एवं लेखाकार श्री विनोद गौड़ उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	. -	285460.00	285460.00

प्रस्तर सं. 12 क्षेत्र पंचायत मेंहदावल के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2021-22 में अनुदान रजिस्टर ।।। के अनुसार 31.3.2022 तक रु. 26788.00 आयकर / जी.एस.टी मद की 5 वे वित्त से कराये गये कार्यों में सामग्री क्रय पर किए गये भुगतान के सापेक्ष की गयी कटौती संबंधित खाते में जमा न किये जाने से अवशेष रही । इस प्रकार काटी गयी धनराशि रु. 26788.00 जमा न कर अनियमितता की गयी है। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री महावीर सिंह एवं लेखाकार श्री विनोद गौड़ उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	. -	26788.00	26788.00

प्रस्तर सं. 13 क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा समय ग्रांट रजिस्टर ।। में पंचम राज्य वित्त मद की जांच में पाया गया कि दिनाक -10/3/2022 को पूर्व माध्यमिक विद्यालय टिकोई कोल मरम्मत कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित है।

दिनांक	भुगतान प्राप्त कर्ता	चेक सं.	भुगतानित धनराशि
10/3/2022	में. मां यशोदा देवी इ.प्रा.	21530	794525.00

10/3/2022	पिन्टू यादव	31535	138780.00
		.योग	933905.00

उपरोक्त की गयी भुगतान की पुष्टि में मांगे जाने पर भी कार्य निर्माण पत्रावली व्यय बाउचर इस्टीमेट कार्यादेश एम0बी0 आदि सहित प्रस्तुत नही किये गये जिससे स्पष्ट है कि मात्र ग्राण्ट रजिस्टर ।। में अंकित कर बिना कार्य कराये रु. 933905.00 अपहरण किया गया है। जिसके वसूली ख0वि0अधि0 श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव व लेखाकार श्री तरुण कुमार शाडिल्य से नियमानुसार संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है.

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
933905.00	. -	-	933905.00

प्रस्तर सं. 14 क्षेत्र पंचायत नाथनगर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि लेखा परीक्षा समय ग्रांट रजिस्टर 2 में पंचम राज्य वित्त मद की जांच में पाया गया कि दिनांक 10/3/2022 को टिकोई कोल पू0मा0वि0 व प्रा0वि0 किचन मरम्मत कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित है।

दिनांक	भुगतान प्राप्त कर्ता	चेक सं.	भुगतानित धनराशि
10/3/2022	में. मां यशोदा देवी इ.प्रा.	21538	691162.00
10/3/2022	पिन्टू यादव	21536	102300.00
		.योग	793462.00

उपरोक्त की गयी भुगतान की पुष्टि में मांगे जाने पर भी कार्य निर्माण पत्रावली / व्यय वाउचर इस्टीमेट कार्यादेश एम0बी0 आदि सहित प्रस्तुत नही किये गये जिससे स्पष्ट है कि मात्र ग्रांट रजिस्टर 2 में अंकित कर बिना कार्य कराये रु. 793462.00 अपहरण किया गया है जिसके वसूली ख0वि0अ0 श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव व लेखाकार श्री तरुण कुमार साडिल्य से नियमानुसार संयुक्त रुप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
793462.00	. -	-	793462.00

प्रस्तर सं. 15 क्षेत्र पंचायत साँथा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच् वर्ष 2021-22 में 15 वां वित्त से कराए गये कार्य सोवाईचपार में बौलीया बार्डर से बरगदवा बार्डर तक इंटरलाकिंग कार्य की पत्रावली में संलग्न मस्टररोल स. 125 में कुल 16 श्रमिकों द्वारा दिनांक 19-12-2021 से 31-12-2021 तक कार्य किए गये जिसके सापेक्ष कुल रु. 43668.00 का भुगतान कार्य के मेट इमामुदीन को किया जाना दर्शित है। मस्टररोल में धनराशि प्राप्ति कालम में मजदूरों के अंगूठा निशान / हस्ताक्षर न होने से यह पुष्ट न हो पाया कि वास्तव में मे द्वारा उक्त धनराशि मजदूरों को दी गई है अथवा नही । इस प्रकार लेखा परीक्षा अनुसार कार्य प्रभारी व जे0ई0 द्वारा भुगतान का प्रमाणन अनियमित रहा। अनियमित भुगतान हेतु ख0वि0अ0 श्री महावीर सिंह जे0ई0 श्री डी0के0 केसरवानी व कार्य प्रभारी श्री अनूप कुमार जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	. -	43668.00	43668.00

प्रस्तर सं. 16 क्षेत्र पंचायत हैंसरबाजार के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2021-22 में जाँच में पाया गया कि 15 वां वित्त से संबंधित आयकर / जी0एस0टी0 रु. 50000.00 अनियमित रुप से जमा न कर रोककर रखा गया है बर्ष के अंदर ही जमा कराया जाना चाहिए था। इस अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह व लेखाकार श्री रामविलास राम उत्तरदायी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता	योग
-	. -	50000.00	50000.00

जनपद- सिद्धार्थ नगर मण्डल-बस्ती

क्षेत्र पंचायत की आपतियाँ

01. क्षेत्र पंचायत –बांसी लेखा परीक्षा वर्ष-21 -22 विकास खंड –बांसी

प्रस्तर-01-अनुदान पंजिका भाग 3 की जॉच में पाया गया कि राज्य वित्त योजना मद में कुल रू0 7291537 ब्यय दर्शाया जा रहा है परन्तु लेखा परीक्षा में मात्र रू0 2011285(सामगी -1771003 और मजदूरी -240282) का ही प्रमाणक प्रस्तुत किया गया है । शेष धनराशि रू0 5280252 का ब्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अपेक्षा के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा बिना प्रमाणक के ब्यय दर्शा कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली जॉचोपरान्त अपेक्षित है । जो प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा उसके भुगतान से संबन्धित विवरण निर्माण पत्रावली में संलग्न नहीं है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
5280252.00	00	00	5280252.00

प्रस्तर-02-अनुदान पंजिका भाग 3 की जॉच में पाया गया कि विभिन्न मदों में कुल रू0 13568237 निम्न विवरणानुसार ब्यय दर्शाया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त ब्यय से संबन्धित ब्यय प्रमाणक अपेक्षा के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया । इस प्रकार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा बिना प्रमाणक के ब्यय दर्शा कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली जॉचोपरान्त अपेक्षित है । इस तरफ क्षेत्र पंचायत प्रबन्धन का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। विवरण-

क्र0सं0	नाम योजना	ब्यय धन
01	क्षेत्र निधि ब्याज	398
02	मुख्य मंत्री सामुहिक शादी अनुदान	1974980
03	विद्युत बिल	104858
04	बीएलओ प्रेक्षणों का मानदेय	118000
05	15 वॉ केन्द्रीय वित्त योजना	11312934
06	डीजल मद	26547
07	बूथ निर्माण	30520
योग		13568237

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
13568237.00	00	00	13568237.00

प्रस्तर-03-सामान्य प्रतिवेदन से संलग्न प्रारूप 3 में राज्य वित्त की प्रस्तुत कुल चार पत्रावलियों में रू0 39670 टी0डी0एस0 की कटौती किया गया है। उक्त टी0डी0एस0 की धनराशि संबन्धित विभाग में जमा से संबन्धित विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा । इस प्रकार संस्था द्वारा टी0डी0एस0 कटौती का धन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा जमा न करके गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	0 0	39670 -00	39670 -00

प्रस्तर-04 सामान्य प्रतिवेदन से संलग्न प्रारूप 03 में राज्य वित्त की प्रस्तुत कुल चार पत्रावलियों में रू0 35420 जी0एस0टी0 की कटौती किया गया है। उक्त जी0एस0टी0 की धनराशि संबन्धित विभाग में जमा से संबन्धित विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार संस्था द्वारा जी0एस0टी0 कटौती का धन तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा जमा करके गंभीर वित्तीय अनियमितता किया गया है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	35420-00	35420 -00

क्षेत्र पंचायत –बढ़नी लेखा परीक्षा वर्ष-21-22विकास खंड -बढ़नी

प्रस्तर-05 –क्षेत्र पंचायत बढनी के वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि निर्माण पत्रावली एवं ग्राण्ट 3 के अनुसार वर्ष में रू0 196871 आयकर कटौती की गयी है। नियमानुसार आयकर कटौती को समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा कर दिया जाना चाहिए । परन्तु दिनांक 31.3.22 की अवधि तक उक्त आयकर कटौती रू0 196871 को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा न करके अनियमित रूप से संस्था में रोक कर रखा गया है जिसके लिए लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है । उक्त आयकर की धनराशि को अविलंब निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराये जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	196871-00	196871-00

प्रस्तर-06 - क्षेत्र पंचायत बढनी के वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि निर्माण पत्रावली व ग्राण्ट 3 के अनुसार वर्ष 21-22 में रू0 175780 जी0एस0टी0 कटौती की गयी है नियमानुसार जी0एस0टी0 कटौती को समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि को जी0एस0टी0 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए । परन्तु दिनांक 31.3.22 की अवधि तक उक्त जी0एस0टी0 कटौती रू0 175780 को निर्धारित जी0एस0टी0लेखा शीर्ष में जमा न करके अनियमित रूप से संस्था में रोक कर रखा गया है जिसके लिए लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है ।उक्त जी0एस0टी0 की धनराशि को अविलंब निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराये जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	175780 -00	175780 -00

प्रस्तर-07 15 वॉ वित्त योजना से संबन्धित फर्म को भुगतान के सापेक्ष टी0डी0एस0 की कटौती एवं उनके जमा होने की स्थिति - आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194 सी0 एवं जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के सेक्शन 51 के अन्तर्गत 15वॉ वित्त योजना अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार आयकर एवं जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	बिल की धनराशि	2 प्रतिशत के दर से देय आयकर	2.24 प्रतिशत की दर से आयकर कटौती की धनराशि	2 प्रतिशत के दर से देय जी0एस0टी	2 प्रतिशत की दर से कटौती की जी0एस0टी0 धनराशि	कम कटौती की गयी आयकर की धनराशि	कम कटौती की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि
1	पलटादेवी टोला मिठवल में शौचालय निर्माण	98760	1975.2	2212	1975.2	1975	0	0
		42555	851.1	953	851.1	851	0	0
2	वि0खं0 परिसर में सबमर्शिबल पंप .आरो प्लांट क्षमता 500 ली0 / घ0 एवं 2000 ली0 संग्रहण क्षमता की टंकी अवस्थापना कार्य	553800	11076	12405	11076	11076	0	0
3	प्रा0वि0 मडवा में सबमर्शिबल पंप .आरो प्लांट क्षमता 500 ली0 / घ0 एवं 2000 ली0 संग्रहण क्षमता की टंकी अवस्थापना कार्य	553800	11076	12405	11076	11076	0	0
4	उ0 प्रा0वि0 मलगवा में सबमर्शिबल पंप .आरो प्लांट क्षमता 500 ली0 / घ0 एवं 2000 ली0 संग्रहण क्षमता की टंकी अवस्थपना कार्य	553800	11076	12405	11076	11076	0	0
5	जगरगठिया में कुऑ से पप्पू के घर तक कुऑ मरम्मत /सी0सी0 एवं इं0 ला0	38155	763.1	855	763.1	763	0	0
		131040	2620.80	2935	2620.80	2621	0	0
		24843	496.86	556	496.86	497	0	0
6	संतोरा में गोरखनाथ उपाध्याय के घर से संतोरा अगया में सी0सी0रोड/इं0ला0	32437	648.74	727	648.74	649	0	0
		218240	4364.8	4889	4364.8	4365	0	0
		80414	1608.28	1801	1608.28	1608	0	0
7	चिल्हिया थाना में सबमर्शिबल पम्प आर0ओ0 प्लांट	553000	11060	12387	11060	11060	0	0
	ग्रांड टोटल	**2880844**	**57616.88**	**64530**	**57616.88**	**57617**	**0**	**0**

विवरण से स्पष्ट है कि 15वॉ वित्त योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य के सापेक्ष फर्म के बिलों से कुल रू0 64530.00 आयकर तथा रू0 57617.00 जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है। आयकर की कटौती 2.24 प्रतिशत से की गयी है जबकि आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194 सी0 के अन्तर्गत वर्ष 21-22 में कोई सरचार्ज नहीं था। लेखा परीक्षा में उक्त कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा करने का चालान प्रस्तुत नहीं रहा जिससे टी0डी0एस0 जमा होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। उल्लेखनीय है कि आयकर की कटौती की धनराशि जमा कर संबन्धित फर्म को प्रमाणपत्र देने का प्राविधान है। इसी प्रकार जी0एस0टी0 की कटौती की धनराशि को जमा कर रिटर्न फाईल करने का उत्तरदायित्व कटौतीकर्ता का है। इस प्रकार वर्ष 21-22 में आयकर एवं जी0एस0टी0 मद में कटौती की गई धनराशि कुल रू0 122147-00 को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा न करने से वित्तीय

अनियमितता हुई है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति कार्यकाल के अनुसार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार है । प्रकरण क्षेत्र पंचायत एवं विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	122147-00	122147 -00

प्रस्तर-8 -राज्य वित्त योजना से संबन्धित फर्म को भुगतान के सापेक्ष टी0डी0एस0 की कटौती एवं उनके जमा होने की स्थिति - आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194 सी0 एवं जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के सेक्शन 51 के अन्तर्गत राज्य वित्त योजना अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार आयकर एवं जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है

क्र0सं0	परियोजना का नाम	बिल की धनराशि	2 प्रतिशत के दर से देय आयकर	2.24 प्रतिशत की दर से आयकर कटौती की धनराशि	2 प्रतिशत के दर से देय जी0एस0टी	2 प्रतिशत की दर से कटौती की जी0एस0टी0 धनराशि	कम कटौती की गयी आयकर की धनराशि	कम कटौती की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि
1	मडवा गजहडा मेन रोड से नहरी प्रा0वि0 तक इं0ला0	58080	1161.6	1301	1161.6	1162	0	0
		55680	1113.6	1247	1113.6	1114	0	0
		42600	852	954	852	852	0	0
		70200	1404	1572	1404	1404	0	0
		70200	1404	1572	1404	1404	0	0
		84240	1684.8	1887	1684.8	1685	0	0
		36134	722.68	809	722.68	723	0	0
2	लेदवा पुल से लेदवा गॉव तक नाली निर्माण	66000	1320	1478	1320	1320	0	0
		69486	1389.72	1556	1389.72	1390	0	0
		40470	809.4	907	809.4	809	0	0
		60287	1205.74	1350	1205.74	1206	0	0
		71159	71159	1423.18	1594	1423.18	0	0
		46505	930.1	1042	930.1	930	0	0
		86405	1728.1	1935	1728.1	1728	0	0
3	मडवा में कौशल के घर से नरेन्द्र मिश्रा के घर तक सी0सी0/ नाली निर्माण/ मरममत कार्य	49700	994	1113	994	994	0	0
		54100	1080	1212	1082	1082	0	0
		72150	1443	1616	1443	1443	0	0
		44020	880.4	986	880.4	880	0	0
		41630	832.6	933	832.6	833	0	0
		80148	1602.96	1795	1602.96	16.3	0	0
4	मदरहना	207312	4146.2	4644	4146.24	4146	0	0

	उर्फ दत्तपुर के टोला विचौवापुर में मेनरोड से लाले के घर तक सी0सी0 एवं इं0ला0 कार्य		4					
		95874	1917.48	2148	1917.48	1917	0	0
		95140	1902.8	2131	1902.8	1903	0	0
	ग्रांड टोटल	1597520	31950.4	35782	31950.4	31951	0	0

विवरण से स्पष्ट है कि राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराये गये निमार्ण कार्य के सापेक्ष फर्म के बिलों से कुल रू0 35782.00 आयकर तथा रू0 31951.00 जी0एस0टी0 की कटौती की गई है। आयकर की कटौती 2.24 प्रतिशत से की गई है जबकि आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194 सी0 के अन्तर्गत वर्ष 21-22 में कोई सरचार्ज नहीं था। लेखा परीक्षा में उक्त कटौती की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा करने का चालान प्रस्तुत नहीं रहा जिससे टी0डी0एस0 जमा होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। उल्लेखनीय है कि आयकर की कटौती की धनराशि जमा कर संबन्धित फर्म को प्रमाणपत्र देने का प्राविधान है। इसी प्रकार जी0एस0टी0 की कटौती की धनराशि को जमा कर रिटर्न फाईल करने का उत्तरदायित्व कटौतीकर्ता का है। इस प्रकार वर्ष 21-22 में आयकर एवं जी0एस0टी0 मद में कटौती की गई धनराशि कुल रू0 67733-00 को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा न करने से वित्तीय अनियमितता हुई है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति कार्यकाल के अनुसार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार है। प्रकरण क्षेत्र पंचायत एवं विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	67733.00	67733.00

प्रस्तर-9 -15वॉ वित्तयोजना से संबन्धित निर्माण कार्य – जगरगठिया में कुऑ से पप्पू के घर तक कुऑ मरम्मत .इण्टरलार्किंग एवं सी0सी0 कार्य . से संबन्धित निर्माण पत्रावली की जॉच में पाया गया कि फर्म बी0के0 ब्रिकफिल्ड के प्रस्तुत बिल सं0 -64/8.01.22 धनराशि रू0 38155.00 के सापेक्ष संस्था द्वारा टी0डी0एस0 (आयकर रू0 855 *जी0एस0टी0 रू0 736 अर्थात कुल रू0 1618)की कटौती के बाद फर्म को मात्र रू0 36536.00 का ही भुगतान किया जाना चाहिए।

जॉच में पाया गया कि आगणन सही न करने से संबन्धित फर्म को उक्त बिल के सापेक्ष रू0 36573.00 भुगतान किया गया जिसका मिलान संबन्धित बैंक एकाउण्ट से भी किया गया। इस प्रकार इस कार्य पर फर्म को 36573-36537 = 36 अधिक भुगतान कर दिया गया है जिस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन लेखाकार व ख0वि0अधि0 संयुक्त रूप से है। इस धनराशि की वसूली संबन्धित फर्म से प्रचलित दर पर ब्याज सहीत अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
36 -00	00	00	36-00

04. क्षेत्र पंचायत -इटवा लेखा परीक्षा वर्ष-21-22विकास खंड -इटवा

प्रस्तर स०-10 क्षेत्र पं0 इटवा के वर्ष 21-22 के अनुदान पंजीका तृतीय की जॉच में यह तथ्य संज्ञान में आया कि विगत वर्षों से रायल्टी कटौती मद में कुल रू0 32910.00 ज्यों का त्यों दर्शाया जा रहा है। लेखा परीक्षा में यह तथ्य स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त धनराशि किस वर्ष की परियोजनाओं के सापेक्ष कटौती की गई है तथा यह धनराशि किस खाता में अनुरक्षित है। निर्धारित समयान्तर्गत रायल्टी की धनराशि भूतत्व व खनन विभाग के निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा न करने से राजकीय राजस्व की क्षति हुई है, जो एक प्रकार की वित्तीय अनियमितता है । इस हेतु उत्तरदायी ब्यक्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से हैं। प्रकरण पुराना होने से उत्तरदायी ब्यकित के नाम का निर्धारण किया जाना संभव नहीं हो सका। विभागीय जॉचोपरान्त संबन्धित धनराशि को निर्धारित लेखा शीष्र में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	32910-00	32910-00

प्रस्तर स०-11-क्षेत्र पं0 इटवा के वर्ष 21-22 के अनुदान पंजीका तृतीय की जॉच में यह तथ्य संज्ञान में आया कि विगत वर्षों से जी0एस0टी0 मद में की गई कटौती की कुल जमा न की गई धनराशि रू0 15784424 दर्शित है । इसके सापेक्ष आलोच्य वर्ष में कुल रू0 151296.16 को माह अप्रैल 2021 में जमा दर्शाया गया है। लेकिन इसके बाद भी संस्था स्तर पर रू0 6548.08 को अवरूद्ध रखा गया है। लेखा परीक्षा में कर कटौती पंजिका प्रस्तुत नहीं रहने से यह लथ्य ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त कटौती किस वर्ष में तथा किन परियोजनाओं के सापेक्ष की गई है। इस प्रकार जी0एस0टी0 मद में कुल रू0 6548.08 को अवरूद्ध रखने से राजकीय राजस्व की क्षति हुई है जो एक प्रकार की वित्तीय अनियमितता है । इस हेतु उत्तरदायी ब्यक्ति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से हैं। प्रकरण पुराना होने से उत्तरदायी ब्यकित के नाम का निर्धारण किया जाना संभव नहीं हो सका। विभागीय जॉचोपरान्त संबन्धित धनराशि को निर्धारित लेखा शीष्र में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	6548.08	6548.08

प्रस्तर स०-12ठेकेदार जमानत वापसी से संबन्धित पत्रावली की जॉच - ठेकेदार जमानत वापसी से संबन्धित पत्रावली की जॉचमें पाया गया कि वर्ष 21-22 में कुल 4 फर्मों / ठेकेदारें को पूर्व में जमा दर्शित जमानत की धनराशि के सापेक्ष वर्ष दौरान कुल रू0 1061850.00 वापस किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रसं0	नाम	फर्म / ठेकेदार	वापसीकी धनराशि	चेक सं0	दिनांक
1	श्री दिनेश कुमार मिश्र	जनता टरेडर्स	227400	731418	18.11.21
2	श्री रियाज अहमद	मे0 चौधरी कं0	171200	731416	17.11.21
3	श्री सुशील चन्द्र त्रिपाठी	ठेकेदार	228250	731417	17.11.21
4	मे0 सुखदेव तिवारी	ठेकेदार	435000	731420	18.11.21

भुगतान की वैधता की जॉच के क्रम में जमानत पंजिका प्रस्तुत नहीं रहने से संबन्धित पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में अनुरक्षित नोटशीट से यह स्पष्ट है कि विगत वर्षो में संबन्धित फर्मों /ठेकेदारों से

इस मद में नकद रूप में प्राप्त धनराशि को क्षेत्र निधि खाता में अनुरक्षित किया गया है। संबन्धित पक्षों के वापसी के दावों की वैधता के निर्धारण के क्रम में वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-5 के खंड-01 के अनुसार लेखा परीक्षा में रसीद -385 की जॉच के क्रम में निम्न स्थिति पायी गई (पत्रावली में संलग्नको के अनुसार) –

नाम	रसीद 385 की सं0	रसीद निर्गमन की स्थिति	धनराशि	प्राप्त कुल धन
श्री दिनेश कुमार मिश्र	2010165	9.7.20	52400	227400
	210170	26.11.20	175000	
श्री सुशील चनद्र त्रिपाठी	210162	9.7.20	35250	228250
	650494	20.8.13	5000	
	210166	26.11.20	138000	
	210168	26.11.20	50000	
श्री रियाज अहमद	210154	17.12.18	10000	171200
	210163	9.7.20	51200	
	210167	26.11.20	11000	
श्री सुखदेव तिवारी	--------	-------	------	-------

पत्रावली में संलगनकों के आधार पर उपरोक्त सारणी तैयार की गई। विवरण से स्पष्ट है कि जमानत धनराशि की वापसी की प्रार्थना पत्र के साथ प्रथम तीन ब्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत वापसी प्रार्थना पत्र व तत्क्रम में वापस की गई धनराशि की अनुमन्यता लेखा परीक्षा में सही पायी गई । लेकिन श्री सुखदेव तिवारी , ठेकेदार के प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व में निर्गत रसीद -385 संलग्न नहीं होने से उनको भुगतानित धन रू0 435000.00 लेखा परीक्षा में सही नहीं पाया गया। इस संबन्ध में क्षेत्र पंचायत प्रशासन द्वारा कोई संतोष जनक प्रतिउत्तर तथा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली से स्पष्ट है कि श्री सुखदेव तिवारी अपने प्रार्थना पत्र , दि0 17.12.21 द्वारा तत्कालीन खं0वि0अधि0 को अवगत कराया कि ; मेरे द्वारा क्षेत्र पंचायत निधि से काग्र कराया गया है, जिसके मेरे द्वारा जमानत राशि जमा था । प्रार्थी द्वारा समस्त कार्य पूर्ण हो चुका है । अत: जमानत की धनराशि अवमुक्त किया जाय। इस प्रार्थना पत्र में मूल लेखनी से हटकर अलग से टिप्पणी के रूप में दर्ज कर दिया गया है कि कुल धनराशि चार लाख पैंतीस हजार जमा है, नकद बाकी है। इस प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन एडीओ (आईएसबी) द्वारा इस नोटसीट के साथ भुगतान की संस्तुति की गई कि समस्त कार्य मानक के अनुसार पूर्ण की जा चुकी है1 अत: जमानत की धनराशि वापस की जाय। इसी आधार पर तत्कालीन लेखाकार द्वारा ख0वि0अधि0 के समक्ष नोटसीट प्रस्तुत की गई हे और भुगतान हेतु चेक निर्गत कर दिया गया ,जिसके भुगतान की पुष्टि संबन्धित क्षेत्र निधि के स्टेटमेंट से की गई(ट्रांसफर फ्रॉम 11189318618/731420)

लेकिन उकत भुगतान के सापेक्ष संबन्धित ठेकेदार द्वारा पूर्व में जमा धनराशि से संबन्धित रसीद-385 को प्रस्तुत नहीं करने से लेखा परीक्षा में पूर्व में नकद जमा धनराशि रू0 435000.00 का अभिप्रमाण नहीं किया गया तथा उक्त भुगतान को आपसी दुरभि संन्धि द्वारा भुगतानित होने से अपहरण की श्रेणी में रखा गया , जिस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से हैं। इस धनराशि की वसूली संबन्धित पक्षों से ब्याज सहित (प्रचलित ब्याज दर से) अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
435000.00	00 0	00	435000.00

05. क्षेत्र पंचायत -बर्डपुर लेखा परीक्षा वर्ष-21-22 विकास खंड -बर्डपुर

प्रस्तर स०-13 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में गत वर्षों की अनुदान मद की निम्न विवरणानुसार कुल रू -170664.00 ऋणात्मक धनराशियाँ अवशेष दर्शित चली आ रही हैं , जो अनुदान की प्रत्याशा में अग्रिम व्यय की गयी रही होंगी , स्पष्ट है की उक्त मदों में अनुदान की धनराशि न होने पर भी व्यय की गई होंगी , जो पूर्णतया अनियमित है . इस अनियमितता हेतु तत्कालीन खंड विकास अधिकारी , तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख तथा लेखाकार उत्तरदायी हैं | जिनके प्रति अपेक्षित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रमांक	अनुदानमद – विवरण	ऋणात्मकधनराशि
1	सामुदायिकवानिकी	- 76537.00
2	सामुदायिकविकासकेंद्र	- 1722.00
3	रा0 ग्रा0 रो0 योजना	- 25722.00
4	निर्बलवर्गआवासयोजना	- 32683.00
5	सूखाराहत	- 34000.00
6	योग	- 170664.00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	170664.00	170664.00

प्रस्तर स०-14-अनुदान रजिस्टर तीन के अनुसार जीएसटी केन्द्रीय वित्त व जीएसटी कटौती शीर्ष में वर्ष में क्रमशः रु0 94400.00 व रू0 101366.00 कुल रू0195766.00 की कटौती की गयी दर्शित है जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच के अनुसार वर्ष में कुल जीएसटी कटौती रू0 257919.00 हो रही है, इस प्रकार अनुदान रजिस्टर तीन में रू 62153.00 कम कटौती की गयी दर्शित है ,स्पष्ट है कि रू 62153.00 कम कटौती करके धनराशि का दुरूपयोग किया गया है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री नीरज कुमार तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख तथा लेखाकार श्री राजकिशोर उत्तरदायी हैं , जिसकी वसूली इनसे किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है –

1क्रमांक	कार्यका विवरण	सामग्रीकी धनराशि	जी0 एस0 टी0(आर.वी.)	जी0 एस0 टी0(के.वी.)
1.	बर्डपुरन0 9 तिवारीपुर में कन्हैया के घर से राजमन के घर तक इंटरलार्किंग /नाली निर्माण	166671.00	3332.00	
2.	ग्रा0प0 भगवानपुर में नाई के घर से मेन सड़क तक सी0 सी0 रोड निर्माण कार्य	627117.00	12544.00	
3.	ग्रा0प0 बर्डपुर नं0 12 के टोला रोशनजोत कोल्हुआ मोड़ से पुल तक खडंजा निर्माण कार्य	160008.00	3200.00	
4.	ग्रा0 पं0 बरगदी के टोला टीडी मेनरोड से समय माता के स्थान तक इंटरलार्किंग कार्य	318496.00	6330.00	
5.	बजहाशहीदे आज़मभगत सिंह हाई स्कूल बजहा बाज़ार से इंटरलार्किंगकार्य	355452.00	7110.00	
6.	बर्डपुरन0 6 गुलाबगढ़ पिच रोड से मुबारक के घर तक इंटरलार्किंग कार्य	271358.00	5426.00	

7.	ग्रा0प0 बर्डपुर नं0 12 के टोला मुशुकाबाद में पुल से श्यामबिहारी के घर होते हुए मंगरूके घर तक पुल से जगराम के घर तक इंटरलार्किंगकार्य	307369.00	6148.00	
8.	बर्डपुरन0 5 टोला परसा बेलहरी प्रा0वि0 से पुलिया तक इंटरलार्किंगकार्य	364123.00	7281.00	
9.	बर्डपुरन0 12 टोला काशीपुर में नहर से प्रदुम्न के घर तक एवं श्री राम के घर सेरामकुमार के घर तक इंटरलार्किंगकार्य	416312.00	8330.00	
10.	ग्रामपंचायत बरगदी टोला अहिरौली में मेन रोड से पंचम के घर तक सी0 सी0 निर्माण कार्य	464046.00	15158.00	
11.	ग्रामपंचायत बरगदी टोला पकड़ी दीगर मेन सड़क से रामअचल के घर तक सी0 सी0 निर्माण कार्य	605552.00	12110.00	
12.	ग्रामपंचायत झंगटी में रामजानकी मंदिर से स्कूल के सामने तक इंटरलार्किंग निर्माण कार्य	375787.00	8330.00	
13.	ग्रा0प0 बर्डपुर नं0 11 हसनपुर में पिच रोड से दक्षिण बंधे तक इंटरलार्किंग निर्माण कार्य	148914.00	2978.00	
14.	बर्डपुरनं0 13 कल्यानपुर में मुन्नू के घर से सिपाही के घर तक इंटरलार्किंगकार्य	112025.00	2240.00	
15.	बर्डपुरनं0 13 कल्यानपुर में जोखू के घर से रामू के घर तक इंटरलार्किंग /नाली निर्माणकार्य	170008.00	3316.00	
16.	विकासखंड कार्यालय में स्थित प्रमुख कक्ष ,खंड विकास अधिकारी कक्ष एवं सभा कक्ष मेंफाल्स सीलिंग लगाने का कार्य	326261.00	6526.00	
17.	सिसवाबुजुर्ग टोला तरानी गाँव में चिनक मिस्त्री के घर से गंगाराम के घर तक सी0 सी0 रोड / नाली निर्माण कार्य	135568.00	2710.00	
18.	विकासखंड कार्यालय की छत मरम्मत कार्य	140367.00	2808.00	
19.	पिपरसनमें गाजे के घर से कुला तक सी0 सी0 रोड / नाली निर्माण कार्य	590439.00		11808.00
20.	बजहामें बैजनाथ के घर से अस्पताल सी0 सी0/ इंटरलार्किंगकार्य	442314.00		8808.00
21.	ग्रा0प0 बर्डपुर नं0 10 टोला ठाकुरापुर में विक्की के घर से संदीप के घर तक सी0 सी0 निर्माण कार्य	567411.00		11346.00
22.	ग्रा0प0 बर्डपुर नं0 12 के टोला पिपरा मेन रोड से रामवृक्ष यादव के घर तकइंटरलार्किंगकार्य	321324.00		6426.00
23.	ग्रामपंचायत परसा के टोला मुतालिका मंझरिया मे नाली निर्माण कार्य	448531.00		8970.00
24.	ग्रामजमुहवा जीतपुर में रामलखन करे घर से दुर्गा मंदिर तक इंटरलार्किंगकार्य	552987.00		11060.00
25.	महादेवकुर्मी के टोला पचगवा में नियाज अहमद के घर से इमामुद्दीन के घर तकइंटरलार्किंगकार्य	259944.00		5200.00
26.	ग्रा0प0 बर्डपुर नं0 07 के टोला पंडितपुरगाँव के पश्चिम बुढ़वाकुला आर0सी0सी पुलियानिर्माण कार्य	520308.00		18358.00

27.	बर्डपुरनं0 13 टोला साकिरडीह में गोजाने के घर से होकर अहमद के घर वाया मस्जिद होकरनफीस के घर तक इंटरलार्किंगकार्य	481295.00		9824.00
28.	बर्डपुरनं0 13 टोला कल्यानपुर में हजरत अली केघर से वाया मुस्लिम के खेत से दक्षिण गड्ढे तक नाली एवं ढक्कन का निर्माणकार्य	182426.00		3648.00
29.	ग्रा0प0 बर्डपुर नं0 13 के टोला मोतीपुर में कुद्दुस के घर से दक्षिण नाला तक नालीनिर्माण कार्य	534686.00		10674.00
30.	पिपरसनमें पुल से गाजे के घर तक सी0 सी0/ इंटरलार्किंगकार्य	379104.00		7582.00
31.	पिपरसनस्कूल मेंशौचालय निर्माण कार्य	200515.00		4010.00
32.	ग्रा0प0 बर्डपुर नं0 12 के टोला सिसवा में पोखरे से स्वामीनाथ चौधरी के घर तकइंटरलार्किंग /नाली निर्माण कार्य	235378.00		4708.00
33.	पिकड़ीउर्फ़ मुड़ीला टोला गौरी में फकुरीद्दीन के घर से मु0 साईं के घर तकइंटरलार्किंगकार्य	553323.00		11064.00
34.	ग्रा0प0 बर्डपुर नं0 12 के टोला सिसवा स्वामीनाथ चौधरी के घर से बबलू यादव के घर तकइंटरलार्किंग /नाली निर्माण कार्य	427792.00		8556.00
35.	योग	12163211.00	115877.00	142042.00

कुल योग रा0वित्त + के० वित्त = 115877.00+142042.00=257919.00

अनुदान रजि0 तृतीय के अनुसार कुल जी०एस0टी० कटौती = 195766.00

अंतर की धनराशि = 257919.00 - 195766.00 = 62153.00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	62153.00	**00**	62153.00

प्रस्तर स०-15 - संस्था की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आया है कि संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कराए गए निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशियों से जिन करों और उपकरों की कटौती की जाती है, उनसे सम्बन्धित कर कटौती पंजिका को बनाकर उन्हे समेकित रूप से दर्शित नहीं किया जाता है| फलतः समेकित मिलान सम्भव नहीं हो पाती है| कर कटौती पंजिका को निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर एवं उसमे समग्र प्रविष्टियों को दर्शित कर आगामी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है| आलोच्य वर्ष में जी0एस0टी0 केंद्रीय वित्त मद में वर्ष के प्रारम्भ में रुपया 149642.00 अवशेष था तथा वर्ष में कुल रुपया 94400.00 की कटौती की गई है , इस प्रकार वर्षांत में कुल रुपया 244042.00 अवशेष रहा। इस प्रकार पूरे वर्ष में जी0एस0टी0 केंद्रीय वित्त कटौती करके ससमय संबन्धित शीर्ष में जमा नहीं की गई है । इस प्रकार जी0एस0टी0 केंद्रीय वित्त की कटौती करके और इसे ससमय संबन्धित शीर्ष में जमा न करके सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है | | जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री नीरज कुमार तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख तथा लेखाकार श्री राजकिशोर उत्तरदायी हैं | जिनके प्रति अपेक्षित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	**00**	244042.00	244042.00

प्रस्तर स०-16-अनुदान रजिस्टर तीन के अनुसार आयकर केन्द्रीय वित्त व आयकर कटौती शीर्ष में वर्ष में क्रमशः रु0 105733.00 व रू0 110082.00 कुल रू0 215815.00 की कटौती की गयी दर्शित है जबकि लेखा परीक्षा के अनुसार निर्माण कार्य पत्रावलियों की जाँच के अनुसार वर्ष में कुल आयकर कटौती रू0267259 हो रही है, इस प्रकार अनुदान रजिस्टर तीन में रू 51444.00 कम कटौती की गयी दर्शित है ,स्पष्ट है कि रू 51444.00 कम कटौती करके गंभीर वितीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री नीरज कुमार तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख तथा लेखाकार श्री राजकिशोर उत्तरदायी हैं | जिनके प्रति अपेक्षित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्रमांक	कार्यका विवरण	सामग्रीकी धनराशि	आय कर (आर वी)	आय कर (केवी)
1.	बर्डपुरन0 9 तिवारीपुर में कन्हैया के घर से राजमन के घर तक इंटरलार्किंग /नाली निर्माण	166671.00	3734.00	
2.	ग्रा0प0 भगवानपुर में नाई के घर से मेन सड़क तक सी0 सी0 रोड निर्माण कार्य	627117.00	14047.00	
3.	ग्रा0प0 बर्डपुर नं0 12 के टोला रोशनजोत कोल्हुआ मोड़ से पुल तक खडंजा निर्माण कार्य	160008.00	3584.00	
4.	ग्रा0 पं0 बरगदी के टोला टीडी मेनरोड से समय माता के स्थान तक इंटरलार्किंग कार्य	318496.00	7089.00	
5.	बजहाशहीदे आज़मभगत सिंह हाई स्कूल बजहा बाज़ार से इंटरलार्किंगकार्य	355452.00	6962.00	
6.	बर्डपुरन0 6 गुलाबगढ़ पिच रोड से मुबारक के घर तक इंटरलार्किंग कार्य	271358.00	5078.00	
7.	ग्रा0प0 बर्डपुर नं0 12 के टोला मुशुकाबाद में पुल से श्यामबिहारी के घर होते हुए मंगरूके घर तक पुल से जगराम के घर तक इंटरलार्किंगकार्य	307369.00	6886.00	
8.	बर्डपुरन0 5 टोला परसा बेलहरी प्रा0वि0 से पुलिया तक इंटरलार्किंगकार्य	364123.00	8156.00	
9.	बर्डपुरन0 12 टोला काशीपुर में नहर से प्रदुम्न के घर तक एवं श्री राम के घर सेरामकुमार के घर तक इंटरलार्किंगकार्य	416312.00	6328.00	
10.	ग्रामपंचायत बरगदी टोला अहिरौली में मेन रोड से पंचम के घर तक सी0 सी0 निर्माण कार्य	464046.00	10394.00	
11.	ग्रामपंचायत बरगदी टोला पकड़ी दीगर मेन सड़क से रामअचल के घर तक सी0 सी0 निर्माण कार्य	605552.00	13565.00	
12.	ग्रामपंचायत झंगटी में रामजानकी मंदिर से स्कूल के सामने तक इंटरलार्किंग निर्माण कार्य	375787.00	8418.00	
13.	ग्रा0प0 बर्डपुर नं0 11 हसनपुर में पिच रोड से दक्षिण बंधे तक इंटरलार्किंग निर्माण कार्य	148914.00	3336.00	

14.	बर्डपुरनं0 13 कल्यानपुर में मुन्नू के घर से सिपाही के घर तक इंटरलार्किंगकार्य	112025.00	2509.00	
15.	बर्डपुरनं0 13 कल्यानपुर में जोखू के घर से रामू के घर तक इंटरलार्किंग /नाली निर्माणकार्य	170008.00	3716.00	
16.	विकासखंड कार्यालय में स्थित प्रमुख कक्ष ,खंड विकास अधिकारी कक्ष एवं सभा कक्ष मेंफाल्स सीलिंग लगाने का कार्य	326261.00	7308.00	
17.	सिसवाबुजुर्ग टोला तरानी गाँव में चिनक मिस्त्री के घर से गंगाराम के घर तक सी0 सी0 रोड / नाली निर्माण कार्य	135568.00	3037.00	
18.	विकासखंड कार्यालय की छत मरम्मत कार्य	140367.00	3144.00	
19.	पिपरसनमें गाजे के घर से कुला तक सी0 सी0 रोड / नाली निर्माण कार्य	590439.00		13226.00
20.	बजहामें बैजनाथ के घर से अस्पताल सी0 सी0/ इंटरलार्किंगकार्य	442314.00		9863.00
21.	ग्रा0प0 बर्डपुर नं0 10 टोला ठाकुरापुर में विक्की के घर से संदीप के घर तक सी0 सी0 निर्माण कार्य	567411.00		12710.00
22.	ग्रा0प0 बर्डपुर नं0 12 के टोला पिपरा मेन रोड से रामवृक्ष यादव के घर तकइंटरलार्किंगकार्य	321324.00		7197.00
23.	ग्रामपंचायत परसा के टोला मुतालिका मंझरिया मे नाली निर्माण कार्य	448531.00		10047.00
24.	ग्रामजमुहवा जीतपुर में रामलखन करे घर से दुर्गा मंदिर तक इंटरलार्किंगकार्य	552987.00		12387.00
25.	महादेवकुर्मी के टोला पचगवा में नियाज अहमद के घर से इमामुद्दीन के घर तकइंटरलार्किंगकार्य	259944.00		5823.00
26.	ग्रा0प0 बर्डपुर नं0 07 के टोला पंडितपुरगाँव के पश्चिम बुढ़वाकुला आर0सी0सी पुलियानिर्माण कार्य	520308.00		11655.00
27.	बर्डपुरनं0 13 टोला साकिरडीह में गोजाने के घर से होकर अहमद के घर वाया मस्जिद होकरनफीस के घर तक इंटरलार्किंगकार्य	481295.00		10781.00
28.	बर्डपुरनं0 13 टोला कल्यानपुर में हजरत अली केघर से वाया मुस्लिम के खेत से दक्षिण गड्ढे तक नाली एवं ढक्कन का निर्माणकार्य	182426.00		4086.00
29.	ग्रा0प0 बर्डपुर नं0 13 के टोला मोतीपुर में कुद्दुस के घर से दक्षिण नाला तक नालीनिर्माण कार्य	534686.00		11977.00
30.	पिपरसनमें पुल से गाजे के घर तक सी0 सी0/ इंटरलार्किंगकार्य	379104.00		8492.00
31.	पिपरसनस्कूल मेंशौचालय निर्माण कार्य	200515.00		4492.00
32.	ग्रा0प0 बर्डपुर नं0 12 के टोला सिसवा में पोखरे से स्वामीनाथ चौधरी के घर तकइंटरलार्किंग /नाली निर्माण कार्य	235378.00		5273.00
33.	पिकड़ीउर्फ़ मुड़ीला टोला गौरी में फकुरीद्दीन के घर से मु0 साईं के घर तकइंटरलार्किंगकार्य	553323.00		12376.00

34.	ग्रा0प0 बर्डपुर नं0 12 के टोला सिसवा स्वामीनाथ चौधरी के घर से बबलू यादव के घर तकइंटरलार्किंग /नाली निर्माण कार्य	427792.00		9583.00
35.	योग	12163211.00	117291.00	149968.00

कुल योग रा0वित्त + के० वित्त = 117291.00+149968.00=267259.00

अनुदान रजि0 तृतीय के अनुसार कुल आयकर कटौती = 215815.00

अंतर की धनराशि = 267259.00 - 215815.00 = 51444.00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	**00**	51444.00	51444.00

प्रस्तर स०-17-संस्था की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आया है कि संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कराए गए निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशियों से जिन करों और उपकरों की कटौती की जाती है, उनसे सम्बन्धित कर कटौती पंजिका को बनाकर उन्हे समेकित रूप से दर्शित नहीं किया जाता है| फलतः समेकित मिलान सम्भव नहीं हो पाती है| कर कटौती पंजिका को निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर एवं उसमे समग्र प्रविष्टियों को दर्शित कर आगामी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है| आलोच्य वर्ष में आयकर केन्द्रीय वित्त में वर्ष के प्रारम्भ में रुपया 182578.00 अवशेष था तथा वर्ष में कुल रुपया 105733.00 की कटौती की गई है , इस प्रकार वर्षांत में कुल रुपया 288311.00 अवशेष रहा। इस प्रकार पूरे वर्ष में आयकर केन्द्रीय वित्त की कटौती करके ससमय संबन्धित शीर्ष में जमा नहीं की गई है । इस प्रकार आयकर केन्द्रीय वित्त की कटौती करके और इसे ससमय संबन्धित शीर्ष में जमा न करके सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है | | जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री नीरज कुमार तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख तथा लेखाकार श्री राजकिशोर उत्तरदायी हैं | जिनके प्रति अपेक्षित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	288311.00	288311.00

प्रस्तर स०-18-संस्था की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान कराए गए निर्माण कार्यों पर व्यय संस्था की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आया है कि संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2021धनराशियों से जिन करों और उपकरों की कटौती की जाती है, उनसे सम्बन्धित कर कटौती पंजिका को बनाकर उन्हे समेकित रूप से दर्शित नहीं किया जाता है| फलतः समेकित मिलान सम्भव नहीं हो पाती है| कर कटौती पंजिका को निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर एवं उसमे समग्र प्रविष्टियों को दर्शित कर आगामी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है| आलोच्य वर्ष में आयकर कटौती मद में वर्ष के प्रारम्भ में रुपया 239134.00 अवशेष था तथा वर्ष में कुल रुपया 110082.00 की कटौती की गई है , इस प्रकार वर्षांत में कुल रुपया 349216.00 अवशेष रहा। इस प्रकार पूरे वर्ष में आयकर कटौती मद की धनराशि ससमय संबन्धित शीर्ष में जमा नहीं की गई है । इस प्रकार आयकर मद की

कटौती करके और इसे ससमय संबन्धित शीर्ष में जमा न करके सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है | | जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री नीरज कुमार तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख तथा लेखाकार श्री राजकिशोर उत्तरदायी हैं | जिनके प्रति अपेक्षित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	349216.00	349216.00

प्रस्तर स०-19संस्था की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आया है कि संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कराए गए निर्माण कार्यों पर व्यय धनराशियों से जिन करों और उपकरों की कटौती की जाती है, उनसे सम्बन्धित कर कटौती पंजिका को बनाकर उन्हे समेकित रूप से दर्शित नहीं किया जाता है| फलतः समेकित मिलान सम्भव नहीं हो पाती है| कर कटौती पंजिका को निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर एवं उसमे समग्र प्रविष्टियों को दर्शित कर आगामी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है| आलोच्य वर्ष में जी0एस0टी0 मद में वर्ष के प्रारम्भ में रुपया 175908.00 अवशेष था तथा वर्ष में कुल रुपया 101366.00 की कटौती की गई है , इस प्रकार वर्षांत में कुल रुपया 277274.00 अवशेष रहा। इस प्रकार पूरे वर्ष में जी0एस0टी0 कटौती करके ससमय संबन्धित शीर्ष में जमा नहीं की गई है । इस प्रकार जी0एस0टी0 की कटौती करके और इसे ससमय संबन्धित शीर्ष में जमा न करके सुसंगत नियम का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है | | जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री नीरज कुमार तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख तथा लेखाकार श्री राजकिशोर उत्तरदायी हैं | जिनके प्रति अपेक्षित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	277274.00	277274.00

06-क्षेत्र पंचायत –खेसरहा लेखा परीक्षा वर्ष-21 -22विकास खंड -खेसरहा

प्रस्तर स०-20क्षेत्र पंचायत खेसरहा के आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों/भुगतान से संबन्धित निर्माण पत्रावलियों में संरक्षित फर्म के देयक बिलों के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 21-22 में कराये गये निर्माण कार्यों हेतु क्रय सामग्रियों के सापेक्ष किये गये भुगतान की धनराशि से कुल रू0 197686-00 की कटौती आई0टी0 मद में की गई है, परन्तु काटे गए टैक्स की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में संस्था द्वारा जमा कर जमा चालान की प्रति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही जिससे लेखा परीक्षा में यह मानने का पर्याप्त आधार है कि संस्था द्वारा काटे गए टैक्स की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा न कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी हैं। इस ओर संबन्धित विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 21-22 की राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराये गए कार्यों / भुगतान से संबन्धित विवरण –

क्र0सं0	कार्य का नाम	बिल/ सामग्री की धनराशि	कटौतियॉ आई0टी0
1	आजीविका मिशन भवन मरममत कार्य	364312-00	7286-00
		114092-00	2282-00
		154916-00	3098-00

2	विकास खण्ड परिसर में स्थित डवाकरा भवन मरम्मत कार्य	258839-00	5257-00
		4000-00	80-00
3	विकास खण्ड परिसर में स्थित डवाकरा भवन का विस्तारीकरण कार्य	489479-00	9790-00
		185804-00	3716-00
		75848-00	1517-00
		8667-00	173-00
4	आजीविका मिशन भवन का विस्तारीकरण कार्य	261371-00	5227-00
		97472-00	1950-00
		134075-00	2682-00
		23623-00	472-00
5	पक्की सडक से विशुनपुरवा गॉव को जोडने वाले मार्ग पर इण्टरलार्किंग कार्य	363769-00	7275-00
		239869-00	4797-00
		239091-00	4782-00
		29464-00	589-00
6	कासडीह पोखरे वाली पक्की सडक से पुलिया तक इण्टरलार्किंग कार्य	582948-00	11659-00
		254975-00	5100-00
7	बेलौहा बाजार के मुख्य सडक से पशु अस्पताल को जोडने हेतु इण्टरलार्किंग कार्य	560207-00	11204-00
		167946-00	3359-00
		100497-00	2010-00
		22965-00	459-00
8	सेमरहना टिकुईया से सडक से गैण्डाखोर पुरवापार तक इण्ट0 कार्य	509398-00	10188-00
		251797-00	5036-00
9	बेलउख गॉव के उत्तर जाने वाले समपर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण	270590-00	5412-00
		245329-00	4907-00
10	डवाकरा भवन एवं विस्तारीकरण में शौचालय आदि में टाईल्स कार्य	464154-00	9283-00
11	बेलउख में हकीमुल आदि के बाग के पास पुलिया निर्माण कार्य	265577-00	5312-00
		245328-00	4907-00
12	आजीविका मिशन भवन में टाईल्स एवं विद्युतीकरण कार्य	204834-00	4097-00
13	सकारपार पक्की सडक से अनुसूचित बस्ती तक इण्टरलार्किंग कार्य	535297-00	10706-00
		240464-00	4809-00
14	डवाकरा भवन में विस्तारीकरण में फाल सीलिंग कार्य एवं विद्युतीकरण	631282-00	12626-00
15	विकास खण्ड रूम में फाल सीलिंग व अन्य कार्य	438765-00	8775-00
16	सेखुई बनके गॉव मुख्य सडक से बनके गॉव को जोडने वाले मार्ग पर इण्टरलार्किंग कार्य	577021-00	11540-00
		266182-00	5324-00
	योग-	9880247-00	197686-00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	197686.00	197686.00

प्रस्तर स०-21-क्षेत्र पंचायत खेसरहा के आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों/भुगतान से संबन्धित निर्माण पत्रावलियों में संरक्षित फर्म के देयक बिलों के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 21-22 में कराये गये निर्माण कार्यों हेतु क्रय सामग्रियों के सापेक्ष किये गये भुगतान की धनराशि से कुल रू0 197700-00 की कटौती जी0एस0टी0 मद में की गई है, परन्तु काटे गए टैक्स की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में संस्था द्वारा जमा कर जमा

चालान की प्रति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही जिससे लेखा परीक्षा में यह मानने का पर्याप्त आधार है कि संस्था द्वारा काटे गए टैक्स की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा न कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार व्यय प्रमाणकों (क्रीत सामग्रियों) के सापेक्ष भुगतान के समय फर्म के बिल से जी0एस0टी0 कटौती की जॉच व डी0डी0ओ0 के दायित्व संबन्धी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग के दिशा निर्देशों के क्रम में डी0डी0ओ0 द्वारा जी0एस0टी0 आर-7 दाखिल किये जाने से संबन्धित कोई अभिलेखीय साक्ष्य भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, जोकि अपेक्षित है। इस ओर संबन्धित विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

वितत्तीय वर्ष 21-22 राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराए गए कार्यों /भुगतान से संबन्धित विवरण-

क्र0सं0	कार्य का नाम	बिल/ सामग्री की धनराशि	कटौतियॉ जी0एस00टी0
1	आजीविका मिशन भवन मरममत कार्य	364312-00	7286-00
		114092-00	2282-00
		154916-00	3098-00
2	विकास खण्ड परिसर में स्थित डवाकरा भवन मरम्मत कार्य	258839-00	5258-00
		4000-00	80-00
3	विकास खण्ड परिसर में स्थित डवाकरा भवन का विस्तारीकरण कार्य	489479-00	9790-00
		185804-00	3716-00
		75848-00	1518-00
		8667-00	174-00
4	आजीविका मिशन भवन का विस्तारीकरण कार्य	261371-00	5228 -00
		97472-00	1950-00
		134075-00	2682-00
		23623-00	472-00
5	पक्की सडक से विशुनपुरवा गॉव को जोडने वाले मार्ग पर इण्टरलार्किंग कार्य	363769-00	7276-00
		239869-00	4798-00
		239091-00	4782-00
		29464-00	590-00
6	कासडीह पोखरे वाली पक्की सडक से पुलिया तक इण्टरलार्किंग कार्य	582948-00	11660-00
		254975-00	5100-00
7	बेलौहा बाजार के मुख्य सडक से पशु अस्पताल को जोडने हेतु इण्टरलार्किंग कार्य	560207-00	11204-00
		167946-00	3360-00
		100497-00	2010-00
		22965-00	460-00
8	सेमरहना टिकुईया से सडक से गैण्डाखोर पुरवापार तक इण्ट0 कार्य	509398-00	10188-00
		251797-00	5036-00
9	बेलउख गॉव के उत्तर जाने वाले समपर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण	270590-00	5412-00
		245329-00	4908-00
10	डवाकरा भवन एवं विस्तारीकरण में शौचालय आदि में टाईल्स कार्य	464154-00	9284-00
11	बेलउख में हकीमुल आदि के बाग के पास पुलिया निर्माण कार्य	265577-00	5312-00
		245328-00	4908-00
12	आजीविका मिशन भवन में टाईल्स एवं विद्युतीकरण कार्य	204834-00	4098-00

13	सकारपार पक्की सडक से अनुसूचित बस्ती तक इण्टरलार्किंग कार्य	535297-00	10704-00
		240464-00	4810 -00
14	डवाकरा भवन में विस्तारीकरण में फाल सीलिंग कार्य एवं विद्युतीकरण	631282-00	12626-00
15	विकास खण्ड रूम में फाल सीलिंग व अन्य कार्य	438765-00	8776 -00
16	सेखुई बनके गॉव मुख्य सडक से बनके गॉव को जोडने वाले मार्ग पर इण्टरलार्किंग कार्य	577021-00	11540-00
		266182-00	5324-00
	योग -	9880247-00	197700-00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	197700-00	197700-00

प्रस्तर स०-22-क्षेत्र पंचायत खेसरहा के आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों/भुगतान से संबन्धित निर्माण पत्रावलियों में संरक्षित फर्म के देयक बिलों के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 21-22 में कराये गये निर्माण कार्यों हेतु क्रय सामग्रियों के सापेक्ष किये गये भुगतान की धनराशि से कुल रू0 186771-00 की कटौती आई0टी0 मद में की गई है, परन्तु काटे गए टैक्स की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में संस्था द्वारा जमा कर जमा चालान की प्रति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही जिससे लेखा परीखा में यह मानने का पर्याप्त आधार है कि संस्था द्वारा काटे गए टैक्स की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा न कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	बिल/ सामग्री की धनराशि	कटौतियॉ आई0टी0
1	ग्राम पं0 भेडौहा में पुरूष सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य	172551-00	3451-00
		113753-00	2275-00
		177311-00	3546-00
		18919-00	378-00
2	ग्राम पं0 भेडौहा में सार्वजनिक शौचालय के बगल में महिला शौचालय का निर्माण कार्य	173819-00	3477-00
		115754-00	2315-00
		214884-00	4298-00
		4846-00	97-00
3	सकारपार मेन बाजार के किनारे महुलानी कुटी के पास शौचालय का निर्माण	168464-00	3369-00
		106097-00	2122-00
		185237-00	3705-00
		4412-00	88-00
		214016-00	4280-00
		26667-00	533-00
4	सकारपार मेन बाजार के किनारे महुलानी कुटी के पास पुरूष शौचालय से सटे महिला शौचालय का निर्माण	168465-00	3369-00
		40001-00	800-00
		232445-00	4649-00
		105430-00	2109-00

		143581-00	2870-00
		13745-00	275-00
5	घोसियारी बाजार के मेन चौराहे से पूर्वी भाग के तरफ पक्की नाली निर्माण	451594-00	9032-00
		297435-00	5949-00
6	घोसियारी बाजार के मेन चौराहे से उत्तर तरफ जाने वाली पक्की सडक के दोने तरफ नाली निर्माण कार्य	451594-00	9032-00
		310769-00	6215-00
7	घोसियारी बाजार के बदुरगहना पक्की सडक के किनारे पक्की नाली निर्माण	451594-00	9032-00
		310769-00	6215-00
8	घोसियारी बाजार के मेन चौराहे से पश्चिम तरफ जाने वाली पक्की सडक के किनारे प्रथम भाग नाली निर्माण कार्य	451594-00	9032-00
		310769-00	6215-00
9	घोसियारी चौराहे से बबलू गुप्ता के घर के आगे तक पक्की नाली निर्माण कार्य	488490-00	9770-00
		284102-00	5682-00
10	घोसियारी राम हरख के जमीन से राधेश्याम के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य	477354-00	9547-00
		290769-00	5815-00
11	घोसियारी हरिश्चन्द्र तिवारी के घर से संतोषी गुप्ता के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य	287597-00	5752-00
		290769-00	5815-00
		191250-00	3825-00
12	बेलउख प्राइमरी स्कूल से पुराने शिव मन्दिर तक इण्टरलार्किंग व जल निकासी कार्य	736715-00	14734-00
		108107-00	2162-00
13	बेलउख प्राइमरी स्कूल से पुराने शिव मन्दिर तक इण्टरलार्किंग व जल निकासी का अवशेष कार्य	187600-00	3752-00
		26457-00	529-00
14	घोसियारी बुद्धिराम के घर से साधू धोबी के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य	328770-00	6575-00
		204205 -00	4085-00
	योग-	9338700-00	186771-00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	186771.00	186771.00

प्रस्तर स०-23- क्षेत्र पंचायत खेसरहा के आलोच्य वर्षों की लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों/भुगतान से संबन्धित निर्माण पत्रावलियों में संरक्षित फर्म के देयक बिलों के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 21-22 में कराये गये निर्माण कार्यों हेतु क्रय सामग्रियों के सापेक्ष किये गये भुगतान की धनराशि से कुल रू0 186796-00 की कटौती जीएसटी0 मद में की गई है, परन्तु काटे गए टैक्स की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में संस्था द्वारा जमा कर जमा चालान की प्रति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही जिससे लेखा परीखा में यह मानने का पर्याप्त आधार है कि संस्था द्वारा काटे गए टैक्स की धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा न कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार उत्तरदायी हैं । इसी प्रकार ब्यय प्रमाणकों (क्रीत सामग्रियों) के सापेक्ष भुगतान के समय फर्म के बिल से जी0एस0टी0 कटौती की जॉच व डी0डी0ओ0 के दायित्व संबन्धी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग के दिशा निर्देशों के क्रम में डी0डी0ओ0 द्वारा जी0एस0टी0 आर-7 दाखिल किये जाने से संबन्धित कोई अभिलेखीय साक्ष्य भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, जोकि अपेक्षित है । इस ओर संबन्धित विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	बिल/ सामग्री की धनराशि	कटौतियॉ जीएसटी0

1	ग्राम पं0 भेडौहा में पुरूष सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य	172551-00	3452-00
		113753-00	2276-00
		177311-00	3546-00
		18919-00	378-00
2	ग्राम पं0 भेडौहा में सार्वजनिक शौचालय के बगल में महिला शौचालय का निर्माण कार्य	173819-00	3478-00
		115754-00	2316-00
		214884-00	4298-00
		4846-00	98-00
3	सकारपार मेन बाजार के किनारे महुलानी कुटी के पास शौचालय का निर्माण	168464-00	3370-00
		106097-00	2122-00
		185237-00	3706-00
		4412-00	88-00
		214016-00	4280-00
		26667-00	534-00
4	सकारपार मेन बाजार के किनारे महुलानी कुटी के पास पुरूष शौचालय से सटे महिला शौचालय का निर्माण	168465-00	3370-00
		40001-00	800-00
		232445-00	4650-00
		105430-00	2110-00
		143581-00	2872-00
		13745-00	276-00
5	घोसियारी बाजार के मेन चौराहे से पूर्वी भाग के तरफ पक्की नाली निर्माण	451594-00	9032-00
		297435-00	5950-00
6	घोसियारी बाजार के मेन चौराहे से उत्तर तरफ जाने वाली पक्की सडक के दोने तरफ नाली निर्माण कार्य	451594-00	9032-00
		310769-00	6216-00
7	घोसियारी बाजार के बदुरगहना पक्की सडक के किनारे पक्की नाली निर्माण	451594-00	9032-00
		310769-00	6216-00
8	घोसियारी बाजार के मेन चौराहे से पश्चिम तरफ जाने वाली पक्की सडक के किनारे प्रथम भाग नाली निर्माण कार्य	451594-00	9032-00
		310769-00	6216-00
9	घोसियारी चौराहे से बबलू गुप्ता के घर के आगे तक पक्की नाली निर्माण कार्य	488490-00	9770-00
		284102-00	5682-00
10	घोसियारी राम हरख के जमीन से राधेश्याम के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य	477354-00	9548-00
		290769-00	5816-00
11	घोसियारी हरिश्चन्द्र तिवारी के घर से संतोषी गुप्ता के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य	287597.00	5752.00
		290769.00	5816.00
		191250.00	3826.00
12	बेलउख प्राइमरी स्कूल से पुराने शिव मन्दिर तक इण्टरलार्किंग व जल निकासी कार्य	736715.00	14734.00
		108107.00	2162.00
13	बेलउख प्राइमरी स्कूल से पुराने शिव मन्दिर तक इण्टरलार्किंग व जल निकासी का अवशेष कार्य	187600.00	3752.00
		26457.00	530.00
14	घोसियारी बुद्धिराम के घर से साधू धोबी के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य	328770.00	6576.00
		204205 .00	4086.00
	योग-	9338700.00	186796.00

00	00	186796.00	186796.00

प्रस्तर स०-24- क्षेत्र पंचायत के आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि राज्य वित्त योजनान्तर्गत कराये गए निर्माण कार्य विकास खण्ड परिसर में स्थित डवाकरा भवन मरममत कार्य के निर्माण पत्रावली की जॉच में पाया गया कि फर्म तौलन इण्टरप्राईजेज एण्ड जनरल आडर सप्लायर्स के द्वारा प्रस्तुत बिल रू0 258839.00 (बिल सं0-101/15.10.21) में से आयकर व जीएसटी0 की धनराशि क्रमश: रू0 5257.00 एवं रू0 5258.00 अर्थात कुल रू0 10515.00 की कटोती के बाद फम्र को शुद्ध देय धनराशि रू0 248324.00 होता है। परन्तु संस्था द्वारा उक्त धनराशि के सापेक्ष रू0 248484.00 (रू0 160.00 अधिक) का भुगतान फर्म को किया गया है। स्पष्ट है कि फर्म को वास्तविक देय धनराशि से अधिक रू0 160.00 अधिक का भुगतान कर आपसी दुरभि संधि द्वारा रू0 160.00 की धनराशि का अपहरण संस्था द्वारा कर लिया गया है।, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार 15 वॉ वित्त योजनान्तर्गत कराये गए निर्माण कार्य , ग्राम पंचायत भेडौहा में सार्वजनिक शौचालय के बगल में सटे महिला शौचालय का का निर्माण कार्य , के निर्माण पत्रावली की जॉच में पाया गया कि फर्म तौलन इण्टरप्राईजेज एण्ड जनरल आडर सप्लायर्स के द्वारा प्रस्तुत बिल रू0173819.00 (बिल सं0-108/22.10.21) में से आयकर व जीएीटी0 की धनराशि क्रमश:रू0 3477.00 एवं रू0 3478.00 अर्थात कुल रू0 6955.00 की ककओती के बाद फर्म को शुद्ध देय धनराशि रू0 166864.00 होता है। परन्तु संस्था द्वारा उक्त धनराशि के सापेक्ष रू0 166874.00 (रू0 10 अधिक) का भुगतान फर्म को किया गया है। स्पष्ट है कि फर्म को वास्तविक देय धनराशि से रू0 10 .00 अधिक का भुगतान कर आपसी दुरभि संधि द्वारा रू0 10.00 अधिक की धनराशि का अपहरण संस्था द्वारा कर लिया गया है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी /लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
170.00	00	00	170.00

07.क्षेत्र पंचायत –खुनियावं लेखा परीक्षा वर्ष-21-22विकास खंड -खुनियावं

प्रस्तर स०-25-जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के अन्तर्गत धारा 51 में स्रोत पर कटौती के लिए प्रक्रिया एवं प्राधिकार विनिर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश में यह अधिनियम 01.10.18 से प्रभावी है । इस संबन्ध में कमिशनर बाणिज्य कर ने 26 सितम्बर 2018 में निर्देशित किया है कि समस्त सरकारी विभागों,सरकारी एजेंसियों एवं स्थानीय निकायों द्वारा रू0 2.50 लाख से अधिक के सप्लाई के आदेश के विरूद्ध किये गये भुगतान पर 01 प्रतिशत की दर से सी0जी0एस0टी0 एवं 01 प्रतिशत की दर से एस0जी0एस0टी0 की कटोती किया जाना अपेक्षित है तथा काटी गयी धनराशि को अगले माह के 10 दिवस के अन्दर निर्धारित लेखा शीघ्र में जमा करा दिया जाना चाहिए। परन्तु अनुदान पंजिका भाग 03 के अवलोकन में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वित्तीय वर्ष 20-21 में आपूर्ति के बिलों में काटी गई रू0 391255.00 जी0एस0टी0 की धनराशि आतिथि निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा नहीं कराया गया है एवं संस्था के खाते में रोक कर रखा गया है। ऐसा करके संस्था द्वारा वित्तीय अनियमितता वरती गयी है जिसके लिए तत्कालीन ख0 वि0 अधि0 एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	391255.00	391255.00

प्रस्तर स०-26- आयकर अधिनियम की धारा 200 के अनुसार प्रत्येक कर काटने वाले ब्यक्ति को स्रोत पर काटी गई धनराशि को नियम 30 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कोष में निर्धारित समयावधि के अन्दर

जमा करना होता है। परन्तु यदि कोई ब्यक्ति जो स्रोत पर कर काटने के लिए उत्तरदायी है , काटी गई कर की राशि कोनिर्धारित समय के अन्दर खजाने में जमा कराने में असमर्थ रहता है तो उस ब्यक्ति को चूक करदाता (ऐसीसी इन डिफाल्ट) माना जाएगा तथा धारा 201 के अन्तर्गत उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है । विकास खण्ड खुनियॉव के वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आयकर के रूप में काटी गई धनराशि रू0 637389 .00 (वित्तीय वष्र 20-21 मे) को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा न करा कर संस्था के पास रोक कर रखा गया है । ऐसा करके वित्तीय अनियमितता वरती गई है जिसके लिए तत्कालीन ख0 वि0 अधि0 एवं लेखाकार संयुक्त रूप उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। से उत्तरदायी हैं।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	637389 .00	637389 .00

08.क्षेत्र पंचायत –जोगिया लेखा परीक्षा वर्ष-21-22विकास खंड -जोगिया

प्रस्तर स०-27- क्षेत्र पंचायत जोगिया की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि आयकर की कटौती की कुल धनराशि रू0 201036.00 को लेखा परीक्षा अवधि तक निर्धारित लेखा शीष्र में जमा नहीं कराया गया था । इस संबन्ध में भारत सरकार , राजस्व विभाग के परिपत्र सं0- 65/39/2018-डी0ओ0आर0ए0 एफ0एल0ओ0-एस0-एस0टी0 में -2 दिनांक 14 सितम्बर 2018 में निहित प्राविधान तथा डी0डी0ओ0 द्वारा जी0एस0टी0आर0-7 दाखिल करने के प्रति क्षेत्र पंचायत प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है । इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आयकर कटौती की धनराशि को समय से जमा न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गई है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	201036.00	201036.00

प्रस्तर स०-28-क्षेत्र पंचायत जोगिया की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि जी0एस0टी0 की कटौती की कुल धनराशि रू0179215.00 को लेखा परीक्षा अवधि तक निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा नहीं कराया गयाथा। इस संबन्ध में भारत सरकार राजस्व विभाग के परिपत्र सं0 65/39/2018-डी0ओ0आर0ए0 एफ0एल0ओ0-एस0-एस0टी0 में -2 दिनांक 14 सितम्बर 2018 में निहित प्राविधान तथा डी0डी0ओ0 द्वारा जी0एस0टी0आर0-7 दाखिल करने के प्रति क्षेत्र पंचायत प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है । इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि को समय से जमा न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गई है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	179215.00	179215.00

09. क्षेत्र पंचायत -उसका विकास खंड -उसका

लेखा परीक्षा वर्ष-21-22

प्रस्तर स०-29-क्षेत्र पंचायत उसका की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि कटौती की गई आयकर की कुल धनराशि रू0 199806.00 को लेखा परीक्षा अवधि तक निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा नहीं कराया गया था । इस संबन्ध में भारत सरकार राजस्व विभाग के परिपत्र सं0 -65/39/2018-डी0ओ0आर0ए0 एफ0एल0ओ0 –एस0-एस0टी0-में-2दि0 14 सितम्बर 2018 निहित प्राविधान तथा डी0डी0ओ0 द्वारा जी0एस0टी0 आर0-7 दाखिल करने के प्रति क्षेत्र पंचायत प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। आयकर कटौती की धनराशि को समय से जमा न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गई है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	**00**	199806.00	199806.00

प्रस्तर स०-30- क्षेत्र पंचायत उसका की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि कटौती की गई जी0एस0टी0 की कुल धनराशि रू0 178396.00 को लेखा परीक्षा अवधि तक निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा नहीं कराया गया था । इस संबन्ध में भारत सरकार राजस्व विभाग के परिपत्र सं0 -65/39/2018-डी0ओ0आर0ए0 एफ0एल0ओ0 –एस0-एस0टी0-में-2दि0 14 सितम्बर 2018 निहित प्राविधान तथा डी0डी0ओ0 द्वारा जी0एस0टी0 आर0-7 दाखिल करने के प्रति क्षेत्र पंचायत प्रशासन का ध्यान आक़ष्ट कराया जाता है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है।जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि को समय से जमा न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गई है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	**00**	178396.00	178396.00

10 - क्षेत्र पंचायत -लोटन लेखा परीक्षा वर्ष-21-22विकास खंड - लोटन

प्रस्तर स०-31- क्षेत्र पंचायत लोटन की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि कटौती की गई आयकर की कुल धनराशि रू0 110519.00 को लेखा परीक्षा अवधि तक निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा नहीं कराया गया था । इस संबन्ध में भारत सरकार राजस्व विभाग के परिपत्र सं0 -65/39/2018-डी0ओ0आर0ए0 एफ0एल0ओ0 –एस0-एस0टी0-में-2दि0 14 सितम्बर 2018 निहीत प्राविधान तथा डी0डी0ओ0 द्वारा जी0एस0टी0 आर0-7 दाखिल करने के प्रति क्षेत्र पंचायत प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। आयकर कटौती की धनराशि को समय से जमा न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गई है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	**00**	110519.00	110519.00

प्रस्तर स०-32-क्षेत्र पंचायत लोटन की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि कटौती की गई जी0एस0टी0 की कुल धनराशि रू0 98466 .00 को लेखा परीक्षा अवधि तक निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा नहीं कराया गया था । इस संबन्ध में भारत सरकार राजस्व विभाग के परिपत्र सं0 -65/39/2018-डी0ओ0आर0ए0 एफ0एल0ओ0 –एस0-एस0टी0-में-2दि0 14 सितम्बर 2018 निहित प्राविधान तथा डी0डी0ओ0 द्वारा जी0एस0टी0 आर0-7 दाखिल करने के प्रति क्षेत्र पंचायत प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। इस हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदा यी है।जी0एस0टी0 कटौती की धनराशि को समय से जमा न करके राजकीय राजस्व की क्षति की गई है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	**00**	98466 .00	98466 .00

11 –– क्षेत्र पंचायत –मिठवल लेखा परीक्षा वर्ष- 21-22 विकास खंड- मिठवल

प्रस्तर स०-33-अनुदान पंजिका भाग 03 वर्ष 21-22 की जॉच में जी0एस0टी0 व टी0डी0एस0 जमा से संबन्धित विवरण नहीं मिला। आलोच्य वर्ष मे राज्य वित्त से संबन्धित 25 निर्माण पत्रावलियों में रू0 242761-00 जी0एस0टी0 व रू0 268826-00 टी0डी0एस0 अर्थात कुल रू0 511587-00 का कर कटौती हुआ है। आलोच्य वर्ष में इसके संबन्धित हेड में जमा का विवरण उपलब्ध नहीं किया गया जिससे इसके जमा की पुष्टि नहीं किया जा सका। इस प्रकार राजकीय धन अनावश्यक पडा रहा जो अनियमित है। साथ ही जी0एस0टी0 व टी0डी0एस0 कटौती को अनुदान पंजिका में अलग शीर्षक में दर्शित नहीं किया गया है जिससे इन मदों का प्रा0 अवशेष ,वर्ष में कटौती व वर्ष में जमा तथा अन्तिम अवशेष की समीक्षा नहीं की जा सकी। इस ओर विभागीय उच्च अधिकारियों एवं क्षेत्र पंचायत प्रबन्धन का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाताहै। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
		511587-00	511587-00

प्रस्तर स०-34- अनुदान पंजिका भाग 03 वर्ष 21-22 की जॉच में जी0एस0टी0 व टी0डी0एस0 जमा से संबन्धित विवरण नहीं मिला। आलोच्य वर्ष मे 15वॉ वित्त से संबन्धित 29 निर्माण पत्रावलियों में रू0 371278-00 जी0एस0टी0 व रू0 415838-00 टी0डी0एस0 अर्थात कुल रू0 787116-00 का कर कटौती हुआ है। आलोच्य वर्ष में इसके संबन्धित हेड में जमा का विवरण उपलब्ध नहीं किया गया जिससे इसके जमा की पुष्टि नहीं किया जा सका। इस प्रकार राजकीय धन अनावश्यक पडा रहा जो अनियमित है। साथ ही जी0एस0टी0 व टी0डी0एस0 कटौती को अनुदान पंजिका में अलग शीर्षक में दर्शित नहीं किया गया है जिससे इन मदों का प्रा0 अवशेष ,वर्ष में कटौती व वर्ष में जमा तथा अन्तिम अवशेष की समीक्षा नहीं की जा सकी। इस ओर विभागीय उच्च अधिकारियों एवं क्षेत्र पंचायत प्रबन्धन का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाताहै। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	787116.00	787116 .00

प्रस्तर स०-35- 15वॉ वित्त से संबन्धित निर्माण पत्रावली (करमा में तुलसी के घर से मैक्सअेलर के घर तक नाली निर्माण कार्य) में सामग्री भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	प्रमाणक सं0 व दिनांक	सामग्री मूल्य	जीएसटी कटोती	टीडीएस कटौती	शुद्ध भुगतान	फर्म का नाम	अभ्युक्ति
01	25/510.21	400260	8006	8966	383288	न्यू किसान ब्रिकफिल्ड	जीएसटी रू0 01 अधिक कटौती
02	91/5.10.21	227281	4546	5091	217644	न्यू किसान ब्रिकफिल्ड	-
03	143/21.12.21	201161	4024	4506	192633	मे0 महेश चन्द्र	-
	योग	828702	16576	18563	793565		कुल भुगतान रू0 02 अधिक

उपरोकत विवरण से स्पष्ट है कि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा कुल रू0 02 अधिक भुगतान करके वित्तीय अनियमितता किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	2.00	2.00

प्रस्तर स०-36- 15वॉ वित्त से संबन्धित निर्माण पत्रावलीकोटिया गडोरी नहर के पिच रोड से महिला डिग्री कालेज तक

इण्टरलाकिंग कार्य हेतु वाउचर सं0 110/21.11.2021 से रू0 525466.00 की सामग्री मे0 महेशचन्द्र से क्रय किया गया है। उक्त धन पर 2 प्रतिशत की दर से जीएसटी रू0 10509.00 की जगह 10508.00 की कटौती किया गया है जो रू0 01 कम है । इस प्रकार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा कुल रू0 01 कम जीएसटी0 कटौती करके वित्तीय अनियमितता वरती गयी है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	01.00 0	01.00

प्रस्तर स०-37-15वॉ वित्त से संबन्धित निर्माण पत्रावली अयार गॉव के पश्चिम भिटवा पर आरसीसी0 पुलिया निर्माण

हेतु वाउचर सं0 124 /30.04.2021 से रू0 315081 .00 की सामग्री मे0 महेशचन्द्र से क्रय किया गया है। उक्त धन पर 2 प्रतिशत की दर से जीएसटी रू0 6302.00 की जगह 6300.00 की कटौती किया गया है जो रू0 02 .00 कम है । इस प्रकार तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार द्वारा कुल रू0 02.00 कम जीएसटी0 कटौती करके वित्तीय अनियमितता वरती गयी है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	02.00 0	02.00

12 - क्षेत्र पंचायत -डुमरियागंज लेखा परीक्षा वर्ष-20-21विकास खंड -डुमरियागंज

प्रस्तर स०-38-केन्द्रीय वित्त अनटाईड फण्ड के कार्य –अमौना तिवारी मरवटिया में इ0ला0 से पी0डब्लू0डी0 रोड तक इ0ला0 कार्य , क्रमांक 04 के दिनांक 59.21 से 21.9.21 के मस्टररोल में लगे मजदूर का नाम शिव कुमार पुत्र भगई 14 x400= 5600 अंकित है किन्तु ई-पेमेंट स्लिप में भग्गी पत्नी बिटू अंकित है। इस प्रकार शिव कुमार पुत्र भगई की मजदूरी धनराशि रू0 5600.00 भग्गी पत्नी बिटू के खाते में भेज कर अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए खं0वि0अधि0 श्री सुशील कुमार अग्रहरि व लेखाकार श्री राकेश कुमार सोनकर उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की वसूली नियमानुसार उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
5600.00	00	00	5600.00

प्रस्तर स०-39- वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि निम्नलिखित मद की सामग्री आपूर्ति के बिलों से आयकर व जी0एस0टी0कम कटौती करके राजकीय राजसव की क्षति पहुचायी गई है।विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	मद	वासतविक		कटौती		अंतर	
		आयकर	जी0एस0टी0	आयकर	जी0एस0टी0	आयकर	जी0एस0टी0
1	रा0वि0	200090.00	200090.00	194320.00	173494.00	5770.00	26596.00
2	के0वि0 टाईड	--	77930.00	■	71215.00	---	6715.00
3	के0वि0 अनटाईड	2017130 0	201713.00	197701.00	181285.00	4012.00	20428.00
					योग	9782.00	53739 .00

उपरोक्त विवरणानुसार रू0 9782.00 आयकर एवं रू0 53739.00 जी0एस0टी0 की कटौती कम करके राजकीय राजस्व की क्षति करके अनियमितता किया गया है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार अग्रहरि व लेखाकार श्री राकेश कुमार सोनकर उततरदायी हैं। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	63521.00	63521.00

13 - क्षेत्र पंचायत –भनवापुर लेखा परीक्षा वर्ष- 21-22 विकास खंड – भनवापुर

प्रस्तर स०-40-राज्य वित्त प्रियासाफट फिर्डिंग मे निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर ब्यय दर्शित है जिससे संबन्धित स्वीकृत कार्य योजना , टेण्डर पत्रावली,कार्यादेश,स्टीमेट, वाउचर ,एम0बी0,आपूत्रि चालान,कार्यपूत्रि,स्टाक पंजिका,सार्वजनिक कार्य निर्माण पंजिका, व पी0एफ0एम0 0एस0 पेमेंट स्लीप आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे उक्त ब्यय धनराशि अपुष्ट रही। साथ ही साथ राज्य वित्त मद में उक्त क्रय सामग्री के सापेक्ष किसी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ।

अस्तु वांछित अभिलेख तैयार किये बिना तत्कालीन ब्लाक प्रमुख,खण्ड विकास अधिकारी,व लेखाकार द्वारा दुरभि संधि करके खाते से धनराशि आहरित करके अपहरण कर लिया गया जिसकी जॉचोपरान्त वसूली अपेक्षित है। आहरित धनराशि का विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	कार्य का नाम	क्रय सामग्री	दिनांक	आहरित धनराशि
01	अंकित नहीं	सामग्री	24.11.21	474807.00
02	अंकित नहीं	सामग्री	24.11.21	473964.00
03	अंकित नहीं	सामग्री	24.11.21	313961.00
04	अंकित नहीं	सामग्री	24.11.21	479602.00
05	अंकित नहीं	सामग्री	24.11.21	472732.00
06	अंकित नहीं	सामग्री	24.11.21	473964.00
07	अंकित नहीं	सामग्री	24.11.21	387461.00
08	अंकित नहीं	सामग्री	14.12.21	396731.00
09	अंकित नहीं	सामग्री	14.12.21	378654.00
10	अंकित नहीं	सामग्री	14.12.21	368587.00
11	अंकित नहीं	सामग्री	14.12.21	378780.00
12	अंकित नहीं	सामग्री	14.12.21	378175.00
13	अंकित नहीं	सामग्री	14.12.21	378787.00
14	अंकित नहीं	सामग्री	14.12.21	379239.00
15	अंकित नहीं	सामग्री	14.12.21	369892.00
16	अंकित नहीं	सामग्री	8.2.22	394014.00
17	अंकित नहीं	सामग्री	8.2.22	394812.00
18	अंकित नहीं	सामग्री	8.2.22	233566.00
19	अंकित नहीं	सामग्री	8.2.22	394014.00
20	अंकित नहीं	सामग्री	8.2.22	394812.00
21	ब्लाक प्रमुख मानदेय	मानदेय	8.2.22	233566.00
22	बीडीसी बैठक मानदेय	मानदेय	22.3.22	202000.00
23	योग-			8352120.00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
8352120.00	00	00	8352120.00

प्रस्तर स०-41-केन्द्रीय वित्त प्रियासाफट फिर्डिंग मे निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय पर ब्यय दर्शित है जिससे संबनिधत स्वीकृत कार्य योजना , टेण्डर पत्रावली,कार्यादेश,स्टीमेट, वाउचर ,एम0बी0,आपूर्ति चालान,कार्यपूत्रि प्रमाण पत्र ,स्टाक पंजिका,सार्वजनिक कार्य निर्माण पंजिका, व पी0एफ0एम0एस0 पेमेंट स्लीप आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे उक्त ब्यय धनराशि अपुष्ट रही। साथ ही साथ केन्द्रीय वित्त मद में उक्त क्रय सामग्री के सापेक्ष किसी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है । अस्तु वांछित अभिलेख तैयार किये बिना तत्कालीन ब्लाक प्रमुख,खण्ड विकास अधिकारी,व लेखाकार द्वारा दुरभि संधि करके खाते से धनराशि

आहरित करके अपहरण कर लिया गया जिसकी जॉचोपरान्त वसूली अपेक्षित है। आहरित धनराशि का विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	कार्य का नाम	क्रय सामग्री	दिनांक	आहरित धनराशि
01	अंकित नहीं	सामग्री	8.2.22	372851.00
02	अंकित नहीं	सामग्री	8.2.22	362895.00
03	अंकित नहीं	सामग्री	8.2.22	460882.00
04	अंकित नहीं	सामग्री	8.2.22	376089.00
05	अंकित नहीं	सामग्री	8.2.22	379824.00
06	अंकित नहीं	सामग्री	8.2.22	380030.00
07	अंकित नहीं	सामग्री	8.2.22	378050.00
08	अंकित नहीं	सामग्री	8.2.22	377065.00
09	अंकित नहीं	सामग्री	8.2.22	388527.00
10	अंकित नहीं	सामग्री	8.2.22	377179.00
11	अंकित नहीं	सामग्री	8.2.22	373570.00
12	अंकित नहीं	सामग्री	8.2.22	361138.00
13	अंकित नहीं	सामग्री	8.2.22	361976.00
	योग-			4950076.00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
4950076.00	00	00	4950076.00

14 - क्षेत्र पंचायत -नौगढ लेखा परीक्षा वर्ष-21 -22विकास खंड - नौगढ

प्रस्तर स०-42-क्षेत्रपंचायत नौगढ के वर्ष 21-22की लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि निर्माण पत्रावली एवं ग्रांट 3 के अनुसार वर्ष2021-22 में रू0 291142-00आयकर कटौती की गई है।नियमानुसार आयकर कटौती को समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही अंतिम तिथि को लेखाशीर्ष 21में जमा कर दिया जाना चाहिए। परन्तु दिनांक- 31-03-2022की अवधि तक उक्त आयकर कटौति रू0 291142.00को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा न करके अनियमित रूप से संस्था में रोक कर रखा गया है, जिसके लिए लेखाकार एवं खण्डविकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उक्त आयकर की धनराशि को अविलंब निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	291142.00	291142.00

प्रस्तर स०-43क्षेत्र पंचायत नौगढ के वर्ष-2021-22की लेखा परीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया कि निर्माण पत्रावली एवं ग्रांट 3के अनुसार वर्ष 2021-22में रू0 260304.00जी0एस0टी0कटौती की गई है, नियमानुसार जी0एस0टी0कटौती को समयान्तर्गत प्रत्येक निर्धारित अंतिम तिथि को जी0एस0टी0लेखाशीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए। परन्तु दिनांक 31-03-2022 की अवधि तक उक्त जी0एस0टी0कटौति रू0 260304.00को निर्धारित जी0एस0टी0 लेखाशीर्ष में जमा न करके अनियमित रूप से संस्था में रोक कर रखा गया है, जिसके लिए लेखाकार एवं खण्डविकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। उक्त जी0एस0टी0की धनराशि को अविलंब निर्धारित लेखाशीर्ष

में जमा कराये जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उक्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराकर उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
00	00	260304.00	260304.00

जनपद-बाँदा मंडल - चित्रकूट

प्रारूप-3
क्षेत्र पंचायत

प्रस्तर-1 योजना 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महुआ में मुस्तकीम के दरवाजे से अम्बिका के दरवाजे की ओर सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण के प्रस्ताव में पाया गया कि प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका में नंबर-16 के पेज-2 से 6 तक में सामग्री की खपत में अन्तर पाया गया जो निम्न प्रकार हैः-

मद	प्राक्कलन में मात्रा	एम0बी0 में मात्रा	आक्कलन	दर	मूल्य
सीमेन्ट	542 बैग	555.30	13.30	249.00	3311.70
कोर्स सैंड	118सीएम	122.85सीएम	4.85सीएम	1945.00	9433.00
40एमएम जीएसबी	59.50सीएम	62.15सीएम	2.65सीएम	2076.00	5501.00
20 एमएम जीएसबी	45.81सीएम	49.07सीएम	3.26सीएम	2642.00	8612.00
				योग	23547.57

माप पुस्तिका में ल0 352 मी0 दर्शित है जबकि प्राक्कलन में 382 मी0 स्वीकृत है। इस प्रकार एम0बी0 में लम्बाई कम होने पर भी सामग्री की खपत अधिक दर्शाकर 23547.57 रूपये का गबन किया गया है। जिसकी वसूली श्री प्रमोद कुमार सिंह-बी0डी0ओ0, श्री बृजेश कुमार राठौर-जे0ई0, श्री संजय कुमार-जे0ई0 कार्य प्रभारी श्री दयाराम-लेखाकार से बराबर-बराबर की जानी चाहिए।

प्रस्तर-2 योजना 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पिपरहरी के कछियान पुरवा में पंडा बाबा स्थान से राम प्रताप के पुरवा की ओर नाला निर्माण की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि बिल नंबर-24 दि0-26.02.2022 से मे0 बी0एल0 सप्लायर्स एवं फर्टिलाइजर द्वारा सामग्री की आपूर्ति की गयी थी जिसका भुगतान 2,47,401.00 रूपये से किया गया परन्तु उक्त बिल से प्राप्त सामग्री का माप पुस्तिका नंबर-3 में स्टाकिंग का अंकन (गिनती एवं माप) नहीं किया गया, इस प्रकार कल्पित बिल लगाकर 2,47,401.00 रूपये का गबन किया गया जिसकी वसूली श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव-बी0डी0ओ0, श्री बृजेश कुमार राठौर-जे0ई0, श्री संजय कुमार-जे0ई0 कार्य प्रभारी एवं श्री दयाराम-सहायक लेखाकार से किया जाना चाहिए।

प्रस्तर-3 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत बहादुर कालिंजर के मजरा आरख पुरवा/शिवपुर में राजू साहू के घर से कालिंजर रोड की ओर नाला निर्माण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि माप पुस्तिका नंबर-21 के पेज संख्या-5 में आर०सी०सी० इन सी/एस एंड 20 एम एम ग्रिड फॉर वे पासिर में 21 मीटर दर्शित है जबकि प्राक्कलन में लम्बाई ही स्वीकृत है। इस प्रकार एम0बी0में प्राक्कलन में 110 प्रतिशत का परिवर्तन किया गया है। जबकि क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्यावली 1984 के नियम 15 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन होने पर पुनः प्राक्कलन तैयार किया जाना आवश्यक है। ऐसा न होने पर उक्त नियम का पालन न कर रू0 6,81,976.00 के भुगतान में गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए श्री मनोज कुमार एवं प्रमोद कुमार सिंह-बी0डी0ओ0, श्री बृजेश कुमार-राठौर, जे0ई0 व श्री नागेन्द्र दीक्षित-लेखाकार व श्री रमेश चन्द्र कुशवाहा-ग्राम कार्य प्रभारी उत्तरदायी रहे।

प्रस्तर-4 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तेरा (ब) में गुडिला पुरवा में पुलिया से बेटा लाल नाई की ओर नाला निर्माण कार्य की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि माप पुस्तिका नंबर-33 के पेज नंबर-4 में ई/डब्ल्यू इनएक्शन ऑफ फाउंडेशन इन बी सी सॉयल फॉर नम्बर कार्य में 201.75 घन मीटर कार्य कराया गया है, जबकि प्राक्कलन में 172.80 घन मीटर की स्वीकृति दी गयी है इस प्रकार माप पुस्तिका में 10 प्रतिशत से अधिक अर्थात 16.75 प्रतिशत अधिक कार्य कराया गया है जो क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 15 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होने पर पुनः प्राक्कलन तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर कार्य कराया जाना चाहिए। उक्त 9,36,873.00 रूपये का भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन श्री मनोज कुमार सिंह एवं

अनुभा श्रीवास्तव-बी0डी0ओ0, श्री बृजेश कुमार-राठौर, जे0ई0 एवं श्री संजय कुमार-जे0ई0 कार्य प्रभारी एवं श्री दयाराम-सहायक लेखाकार उत्तरदायी रहे।

प्रस्तर-5 राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत ग्राम पंचायत पल्हरी में मेन रोड से देवी जी के स्थान की ओर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य की पत्रावली की जाँच में पाया गया कि बिल सं0-202 दि0-24.02.2022 को मे0 एम0पी0 कान्स्ट्रक्शन से सीमेन्ट, बालू, 40एमएम गिट्टी, 20एमएम गिट्टी एवं बोर्ड का 3,13,600.00 रूपये से भुगतान किया गया है। परन्तु माप पुस्तिका नंबर-8 में क्रय सामग्री की गणना एवं माप का अंकन नहीं किया गया है। इस प्रकार कल्पित बिल लगाकर मु0 3,13,600.00 रूपये का गबन किया गया है। जिसकी वसूली श्री प्रकाश प्रसाद-बी0डी0ओ0, श्री बृजेश कुमार-राठौर, जे0ई0 एवं श्री संजय कुमार-जे0ई0 कार्य प्रभारी एवं श्री नागेन्द्र दीक्षित-लेखाकार से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत ग्राम पंचायत सढ़ा में गर्गन पुरवा से भुराने बाबा की ओर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में पाया गया कि बिल संख्या-169 दिनाँक-23.01.2022 को मे0 एम0पी0 कान्स्ट्रक्शन से मु0 3,25,732.00 रूपये की सामग्री क्रय की गयी थी। परन्तु माप पुस्तिका नंबर-2 में क्रय सामग्री की गणना एवं माप अंकित नहीं की गयी है। इस प्रकार कल्पित बिल लगाकर मु0 3,25,732.00 रूपये का गबन किया गया है। जिसकी वसूली श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव-बी0डी0ओ0, श्री बृजेश कुमार-राठौर, जे0ई0 एवं नागेन्द्र दीक्षित-लेखाकार एवं श्री दयाराम-सहायक लेखाकार एवं श्री योगेन्द्र सिंह-ए0डी0ओ0 से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

जनपद- चित्रकूट

जनपद- चित्रकूट के क्षेत्र पंचायतों के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नवत् अपहरण, दुरूपयोग, गम्भीर अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण प्रकाश में आये ।

प्रस्तर सं0 1- क्षेत्र पंचायत रामनगर में वर्ष 2021-22 में पंचम राज्य वित्त से ग्राम पंचायत - छीबों में मुकुला यादव के घर से अहिरनपुरवा तक डब्ल्यू बी एम रोड का निर्माण कार्य कराया गया हैं. उक्त कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जाँच में स्पष्ट हुआ कि मजदूरी पर रूपए 53632.00 का भुगतान कार्य प्रभारी श्री एस० के० जैन जेई (एम आई) को किया गया हैं, जबकि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर रूपए 52632.00 का ही व्यय दर्शित हैं. इस प्रकार रूपए 1000.00 का अतिरिक्त भुगतान कर रूपए 1000.00 का अपहरण किया गया हैं. इसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री अतुलकांत खरे कार्य प्रभारीश्री एस० के० जैन जेई (एम आई) एवं खंड विकास अधिकारी श्री धनंजय सिंह उत्तरदायी हैं सभी उत्तरदायी व्यकतियों से अपहरित धनराशि रूपए 1000.00 की बराबर -बराबर वसूली अपेक्षित हैं।

प्रस्तर सं0 2 क्षेत्र पंचायत मानिकपुर में वर्ष 2021-22 मे राज्य वित्त आयोग निधि से एलईडी स्ट्रीटलाइट पर कुल 90728.00 व्यय किया गया है । पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1838 / 33-3-2015-03 / 2015, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को ग्राम पंचायतों के अंदर कार्य करने से प्रतिबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रतिबन्ध मुख्यतः डुप्लीकेसी को रोकने के लिए किया गया है लेकिन क्षेत्र पंचायत के द्वारा मनमाने तरीके के बिना गाइड्लाइन के कार्य कराया गया। आगे यह कार्य पंचायत राज अनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.6.2018 के गाइड लाइन के अनुसार आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायतों मे बिभिन्न स्थानों पर एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापना का कार्य कराया गया है। 1) लेकिन सक्षम अधिकारी के द्वारा ग्राम सभा मे उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के खंभों पर लाइट लगवाने हेतु एनओसी और विद्युत् कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न नहीं की गई है। 2) एलईडी स्ट्रीट लाइट के सन्दर्भ वाट उसके सापेक्ष क्रय दर का निर्धारण में डीएम की समिति की अनुशंषा किए जाने सम्बन्धी पत्रावली भी प्रस्तुत नहीं रही। क्रय प्रक्रिया मे भी दिनांक के 19.6.2000 शासनादेश के अनुसार जेम से क्रय के नियम का पालन किया गया है । यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि इनकी स्थापना पुराने लाइट के स्थान पर की गयी है तो पुराने के निस्तारण की प्रक्रिया क्या रही । इस प्रकार गंभीर अनियमितता

की गयी है। अनियमित व्यय रु 90728.00 की खंड विकास अधिकारी, विकास खंड प्रमुख तकनीकी सहायक / कार्य प्रभारी, व लेखाकार से बराबर बराबर वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं0 3 क्षेत्र पंचायत मानिकपुर में वर्ष 2021-22 मे पंचायतीराज अनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 1639/33-3-2015-03-2015 दिनांक 19 जून 2015 के बिंदु 2.5 अनुसार और शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03-2015 दिनांक 31 जुलाई 15 के पंचायत राज संस्थाओ को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशि के उपभोग की गाइडलाइन के बिंदु - 6 के अनुसार व शासनादेश संख्या 38/2020/1751/33-3-2020-38/2020 दिनांक 18 अगस्त 2020 के अनुसार राज्य वित्त की संक्रमित धनराशि को क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत व्यय किया जाता है । क्षेत्र पंचायत मानिकपुर, जनपद - चित्रकूट के अंतर्गत उपरोक्त नियम के विपरीत निम्न कार्यों पर व्यय किया गया है।

विवरण	प्रयुक्त धनराशि	आयकर	जीएसटी	शुद्ध भुगतान
2. 2 एसी व स्टैबलाइजर	96600	1733	---	94867
2. तीन एसी व स्टैबलाइजर	144900	---	---	144900
3. डीएससी का भुगतान	4500	---	---	4500
4. एसी चैंजर	10050	---	---	10050
5. जीएसटी एड्वोकेट	13500	---	---	13500
6. आरओ व वाटरकूलर	73000	1657	1460	69883
7. दो टेबल, सोफासेट	41300	495	---	40805
योग=	383850	3885	1460	378505

सम्पूर्ण राशि ब्याज की राशि मानकर व्यय की गयी है जब कि ब्याज कि धनराशि भी योजना कि धनराशि मानी जाती है। अतः किया गया व्यय 383850.00 पुरी तरह अनियमित व संदिग्ध है । अतः खंड विकास अधिकारी, विकास खंड प्रमुख, तकनीकी सहायक / कार्य प्रभारी व लेखाकार से बराबर बराबर वसूली अपेक्षित है।

योग= 474578.00

जनपद-बहराइच **मण्डल-देवीपाटन**

प्रारूप-3

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

आपत्ति का विवरण

क्षेत्र पंचायत-हुजूरपुर

प्रस्तर संख्या - 01

आलोच्य वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियों की जांच के क्रम में ग्राम पंचायत पिपरिया महिपाल सिंह में शक्ति सिंह के घर से सौकत अली के घर तक इण्टरलाकिंग में निम्न आपत्तियां पायी गयीः-

1- उक्त कार्य के निर्माण पत्रावली में लगाये गये फोटोग्राफ्स संतोषजनक नहीं हैं,तीनों चरण (कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्त के पश्चात) फोटो एक ही जगह लेने के बजाय अलग-अलग स्थान के हैं, जो फोटोग्राफ्स में दर्ज लेटीट्यूड्स एवं लांगीट्यूड्स से ही स्पष्ट है, जिससे कार्य सन्दिग्ध लग रहा है।

2-उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में कार्यापूर्ति प्रमाण पत्र नहीं लगा है जिससे कार्य पूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही।

3- उक्त कार्य के अनुमानित लागत पर 9,88,505.00 के सापेक्ष मेसर्स रवि प्रकाश श्रीवास्तव रायपुर राजा बहराइच दिनांक 17.01.2022 को रू0 87438800 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य में शुद्ध भगतान रूपये 863546.00 के

अतिरिक्त रूपये 19586.00 आयकर टी0डी0एस0 रूपये 17488 जी0एस0टी0 का भी भुगतान किया गया है। परन्तु उक्त

दोनों चालान उपलब्ध नहीं कराये गये। आगामी लेखा परीक्षा में उक्त दोनों चालान उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। जिसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन जे.ई., आर.ई.एस., खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार से बराबर-बराबर किया जाना

अपेक्षित है।

4- निर्माण पत्रावली में कागजातों पर सम्बन्धित अधिकारियों के हस्ताक्षर के साथ न तो उनका नाम दर्ज है और न उनकी मुहर।

5- उक्त कार्य सुसंगत अभिलेख/व्यय प्रमाणक न होने के कारण क्षेत्र पंचायत द्वारा किये गये व्यय की धनराशि रू0- 863546.00 लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। इस प्रकार उक्त व्यय अनियमित है एवं इसकी वसूली ब्याज सहित तत्कालीन जे0ई0 (आर0ई0एस0) श्री मोनू सोनी खंड विकास अधिकारी श्री संदीप कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव से की जाए। (सा0आ0सं0-22)

क्षेत्र पंचायत-शिवपुर

प्रस्तर संख्या - 02

1-अनुदान पंजिका तृतीय की जांच में पाया गया कि बेटी बचाओ अभियान मद का प्रारम्भिक शेष रु0 50000.00 है तथा वर्ष दौरान मात्र रु0 25000.00 का व्यय दर्शाया गया है। जबकि दिनांक 31.03.2022 का अन्तिम अवशेष शून्य दर्शित है। इसप्रकार रु0 25000.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली श्री वीरेन्द्र यादव व डा0 आदित्य तिवारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री बसन्त बल्लभ लोहनी,लेखाकार से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-17)

प्रस्तर संख्या - 03

2-निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर किये गये भुगतानों पर जी0एस0टी0 की कटौती 02 प्रति0 की जानी थी किन्तु 02 प्रति0 कटौती न करके उससे कम की गयी है कटौती की धनराशि का अन्तर रू0-150508.00 पाया गया है जो अनियमित एवं वसूली योग्य है जिसकी वसूली श्री वीरेन्द्र यादव व डॉ0 आदित्य तिवारी खण्ड विकास अधिकारी एवं बसंत वल्लभ लोहमी लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

क्रमांक	कार्य का नाम	भुगतान की गई धनराशि	आडिट अनुसार कटौती धनराशि	संस्था द्वारा की गयी कटौती	अन्तर की धनराशि
1	विकास खण्ड शिवपुर में मीटिंग हाल रंगाई पुताई	324212.00	6484.00	782.00	5702.00
2	राजकीय कृषि बीज भण्डार की मरम्मत	268492.00	5370.00	648.00	4722.00
3	ब्लाक शिवपुर मुख्य गेट से मीटिंग हाल तक इण्टरलाकिंग	884722.00	17694.00	2134.00	15560.00
4	श्री जगदम्बा प्रसाद ठेकेदार	380194.00	7604.00	1520.00	6084.00
5	बौण्डी में परिक्रमा के घर से राम मिलन के दरवाजे तक सी.सी.रोड	787773.00	15755.00	1900.00	13855.00
6	लौकिहा में जुम्मन के घर से ब्रहमचारी स्थान तक सी.सी .रोड	845510.00	16910.00	2043.00	14867.00
7	वि0ख0 शिवपुर में पशु अस्पताल एवं बालविकास परि0कार्यालय का कायाकल्प	620538.00	12411.00	1520.00	10891.00
8	लौकिहा में परमेश्वर जायसवाल के हाता से राजकुमार के घर के आगे तक सी.सी .रोड निर्माण	789728.00	15795.00	1887.00	13908.00
9	लौकिहा में विजय शुक्ला के मोड़ से पूरब ब्लाक बाउण्डरी तक सी.सी . रोड	411947.00	8239.00	993.00	7246.00
10	बौण्डी में पी.डब्लूडी रोड से पहलवान नन्दा के घर तक सी.सी . रोड निर्माण	893588.00	17872.00	2135.00	15737.00
11	बसन्तापुर के भकुरहा ग्राम में दुर्गा स्थल के पास इण्टरलाकिंग	593529.00	11871.00	1418.00	10453.00
12	चैकसाहार पी.डब्लू.डी.रोड से प्रधानपुरवा दीनानाथ के घर तक खड़ण्जा	894459.00	17889.00	2136.00	15753.00
13	ग्ुजरातीपुरवा में प्रा0वि0 से गांव की तरफ सी.सी .रोड	892628.00	17853.00	2123.00	15730.00
				योग	150508.00

(सा0आ0सं0-21)

<u>क्षेत्र पंचायत-रिसिया</u>

प्रस्तर संख्या – 04

1-रमवापुर में सम्पर्क मार्ग से गांव के सरहद वाले मार्ग पर खडण्जा निर्माण कार्य पर रु0 989401.00 का भुगतान किया गया है। जिसकी कार्य अवधि दिनांक 17.11.2021 से 16.02.2022 है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयीं -

उक्त कार्य पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स श्री प्रेम प्रकाश जायसवाल की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.09 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी।

1.अधीक्षण अभियन्ता बाराबंकी वृत्त लोक निर्माण विभाग बाराबंकी की दर अनुसूची प्रभावी तिथि 01 सितम्बर 2020 के चैप्टर 4 अर्थ वर्क के क्र0सं0 1 अनुसार अर्थ वर्क का शिड्यूल आफ रेट 120.00 रहा। जबकि बिल में उक्त कार्य पर रु0 167.60 प्रति घनमी0 की दर से 660.20 घनमी0 मिट्टी पटाई पर रु0110649.11 के स्थान पर रु0 110636.11 का व्यय दर्शाया गया है। जो अनियमित एवं वसूली योग्य है।

2.पत्रावली में कार्य के पूर्व एवं कार्य के बाद का फोटोग्राफ नहीं पाया गया। जिससे कार्य की वास्तविक स्थिति अज्ञात रही। जबकि निर्माण कार्य के प्रत्येक चरण का फोटोग्राफ लगाया जाना आवश्यक है।

3.पत्रावली में लगी मूल अनुबन्ध की बुकलेट अपूर्ण पायी गयी। जो आपत्तिजनक है।

4.उल्लेखनीय है कि अनियमित प्राक्कलन तैयार कर पत्रावली पर किया गया भुगतान रु0 989401.00, जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अनियमित एवं अधिभार योग्य है। अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार यादव, जे.ई.आर.ई.एस. श्री संजय कुमार एवं लेखाकार श्री नागेश कुमार त्रिपाठी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(साधारण **आपत्ति संख्या- 17)**

प्रस्तर संख्या – 05

2-रामपुर बरई के मजरा रमपुरवा में गावट स्थान से किशोरी लाल के घर वाले रास्ते पर खडण्जा निर्माण कार्य पर रु0 989201.00 का भुगतान किया गया है। जिसकी कार्य अवधि दिनांक 17.11.2021 से 16.02.2022 है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयीं -

उक्त कार्य पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स श्री प्रेम प्रकाश जायसवाल की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.11 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी।

1.अधीक्षण अभियन्ता बाराबंकी वृत्त लोक निर्माण विभाग बाराबंकी की दर अनुसूची प्रभावी तिथि 01 सितम्बर 2020 के चैप्टर 4 अर्थ वर्क के क्र0सं0 1 अनुसार अर्थ वर्क का शिड्यूल आफ रेट 120.00 रहा। जबकि बिल में उक्त कार्य पर रु0 167.60 प्रति घनमी0 की दर से 728.47 घनमी0 मिट्टी पटाई पर रु0 122091.57 का व्यय दर्शाया गया है। जो अनियमित एवं वसूली योग्य है।

2.पत्रावली में लगी मूल अनुबन्ध की बुकलेट अपूर्ण पायी गयी। जो आपत्तिजनक है।

3.उल्लेखनीय है कि अनियमित प्राक्कलन तैयार कर पत्रावली पर किया गया भुगतान रु0 989201.00 जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अनियमित एवं अधिभार योग्य है। अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार यादव,जे.ई.आर.ई.एस. श्री संजय कुमार एवं लेखाकार श्री नागेश कुमार त्रिपाठी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या- 18)

प्रस्तर संख्या – 06

3- रमवापुर से महरु सम्पर्क मार्ग पर खडण्जा निर्माण कार्य पर रु0 968983.64.00 का भुगतान किया गया है। जिसकी कार्य अवधि दिनांक 17.11.2021 से 16.02.2022 है। जिस पर निम्न आपत्तियां पायी गयीं -

उक्त कार्य पत्रावली की जॉच में पाया गया कि पत्रावली में मेसर्स हिन्दुस्तान कान्स0 की निविदा स्वीकृत रही जो विभागीय दर से 0.10 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत की गयी।

1.अधीक्षण अभियन्ता बाराबंकी वृत्त लोक निर्माण विभाग बाराबंकी की दर अनुसूची प्रभावी तिथि 01 सितम्बर 2020 के चैप्टर 4 अर्थ वर्क के क्र0सं0 1 अनुसार अर्थ वर्क का शिड्यूल आफ रेट 120.00 रहा। जबकि बिल में उक्त कार्य पर रु0 167.60 प्रति घनमी0 की दर से 705.51 घनमी0 मिट्टी पटाई पर रु0 118343.48 के स्थान पर रु0 118283.48 का व्यय दर्शाया गया है। जो अनियमित एवं वसूली योग्य है।

2.पत्रावली में लगी मूल अनुबन्ध की बुकलेट अपूर्ण पायी गयी। जो आपत्तिजनक है।

3.उल्लेखनीय है कि अनियमित प्राक्कलन तैयार कर पत्रावली पर किया गया भुगतान रु0 968983.64, जो उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) के अन्तर्गत अनियमित एवं अधिभार योग्य है। अधिभार की कार्यवाही, अनियमितता हेतु उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार यादव, जे.ई.आर.ई.एस. श्री संजय कुमार एवं लेखाकार श्री नागेश कुमार तिपाठी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 19)

<u>क्षेत्र पंचायत-नवाबगंज</u>

प्रस्तर संख्या – 07

1.आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि टी0डी0एस0 कटौती मद का प्रारम्भिक शेष रू0-431420.00 है तथा वर्ष दौरान व्यय भी अंकित नहीं किया गया है। जबकि दिनांक 31.03.2022 का अन्तिम अवशेष शून्य दर्शित है। इस प्रकार रू0-431420.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री संजय जैन से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-20)

प्रस्तर संख्या – 08

2.आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ब्याज खाता क्षेत्र पंचायत मद का प्रारम्भिक शेष रू0- 206255.00 है तथा वर्ष दौरान रू0-2567.00 प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल ब्याज मद की धनराशि रू0-208822.00

हो गयी। वर्ष 2021-22 में कोई व्यय भी अंकित नहीं किया गया है। जबकि दिनांक 31.03.2022 का अन्तिम अवशेषशून्य दर्शित है। इस प्रकार रू0-208822.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित खण्ड विकासअधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री संजय जैन से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।(सा0आ0सं0-21)

प्रस्तर संख्या – 09

3.आलोच्य वर्ष 2021-22 में अनुदान पंजिका तृतीय की जांच में पाया गया कि पन्द्रहवां वित्त आयोग का दिनांक 31.03.2022 का अवशेष रू0- 14025962.00 होना चाहिए। जबकि दिनांक 31.03.2022 का अन्तिम अवशेष रू0- 11190009.00 दर्शित है। इस प्रकार रू0- 2835953.00 कम अंकित कर अनुदान का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री संजय जैन से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। सा0आ0सं0-22)

प्रस्तर संख्या – 10

4.आलोच्य वर्ष 2021-22 में अनुदान पंजिका तृतीय की जांच में पाया गया कि श्रमकर कटौती मद का दिनांक 31.03.2022 का अवशेष रू0- 240887.00 होना चाहिए। जबकि दिनांक 31.03.2022 का अन्तिम अवशेष शून्य दर्शित है। जबकि वर्ष में व्यय भी अंकित नहीं है। इस प्रकार रू0- 240887.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री संजय जैन से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-23)

प्रस्तर संख्या – 11

5.आलोच्य वर्ष 2021-22 में अनुदान पंजिका तृतीय की जांच में पाया गया कि जी0एस0टी0 कटौती मद का प्रारम्भिक शेष रू0-383749.00 है तथा वर्ष के दौरान व्यय भी अंकित नहीं किया गया है। जबकि दिनांक 31.03.2022 का अन्तिम अवशेष शून्य दर्शित है। इस प्रकार रू0-383749.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह एवं लेखाकार श्री संजय जैन से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-24)

<u>क्षेत्र पंचायत-बलहा</u>

प्रस्तर संख्या – 12

15वॉ वित्त आयोग केन्द्रांश योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड बलहा आसाम रोड से कार्यालय तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य, जिसकी कुल लम्बाई 42 मी एवं अनुमानित लागत रू 4,64,500.00 थी, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराया गया है। उक्त निर्माण के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियॉ है-

1- पत्रावली में पी0एफ0एम0एस0 के भुगतान हेतु प्रपत्र भरा नहीं गया है।

2- माप पुस्तिका में कार्य की तकनीकि स्वीकृत एवं प्रशासनिक स्वीकृत का कोई विवरण दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त कार्य कब प्रारम्भ हुआ एवं कब समाप्त हुआ, इसका विवरण भी माप पुस्तिका में दर्ज नहीं है।

3- कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति खंड विकास अधिकारी द्वारा रू0- 464500.00 का प्रदान किया गया, परन्तु स्वीकृति का दिनांक अंकित नहीं है।

4- सम्बन्धित कार्य के लिए निविदा को खोलने एवं न्यूनतम दर निर्धारित करने के लिए गठित समिति में खंड विकास अधिकारी बलहा एवं अवर अभियन्ता (ग्रा0अभि0वि0) बलहा के अतिरिक्त सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) बलहा भी सदस्य थे,परन्तु सहायक विकास अधिकारी के कहीं हस्ताक्षर नहीं है।

5- निर्माण पत्रावली में पहला बिल रू0- 396160.70 का भुगतान किया गया है परन्तु बिल पर दिनांक अंकित नहीं है जो आपत्तिजनक है।

6- कृत कार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व और कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात एवं कार्य प्रारम्भ पूर्ण होने के बाद का फोटो लिया जाता हैं ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके। परन्तु उक्त कार्य के निर्माण पत्रावली में केवल कार्य समाप्त के पश्चात का फोटो लगा है। कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व का फोटोसंलग्न न होने के कारण पूर्व की स्थिति पता नहीं चल सकी।

7- कार्य पत्रावली में व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं रहा।

उक्त कार्य सुसंगत अभिलेख, फोटोग्राफ न होने के कारण क्षेत्र पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। अतः उक्त धनराशि रू0- 396160.70 की वसूली जांचोपरान्त संबंधित श्री विजय कुमार वर्मा ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी श्री रंजन लाल, श्री संदीप कुमार व श्री विवेक वर्मा अवर अभियंता (आर0ई0डी0) एवं लेखाकार श्री लाल मणि से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-23)

जनपद- बलरामपुर

परिशिष्ट-2

क्षेत्र पंचायत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष- 2021-22

1 .क्षेत्र पंचायत- तुलसीपुर वर्षः- 2021-22 जनपद- बलरामपुर

प्रस्तर- 01 संस्था द्वारा भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त अधिनियम) 1996 ,कर्मकार उपकर नियमावली 1988 तथा उ0 प्र0 भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त अधिनियम) 2009 के अनुपालन में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत परियोजानाओ का स्टीमेट लागत पर श्रमिक भागीदारी पर देय राजकीय राजस्व 'लेबर सेंस' की कटौती नहीं की गयी है। जबकि 1% कटौती करके राजस्व श्रम विभाग के नियत मद में जमा कराया जाना था। इस प्रकार आलोच्य वर्ष मे 'लेबर सेंस राशि का प्रत्यक्ष रूप से अपहरण करके राजकीय निर्देशो के विरुद्ध आर्थिक अपराध खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार श्रीवास्तव एंव लेखाकार श्री विजय पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अतः दण्डात्मक व्याज सहित रू 77825.09 की वसूली संयुक्त रूप से करके राज्य राजस्व अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। अतः उपरोक्त राजस्व अधिभार अर्न्तर्गत 'अपहरण' की श्रेणी मे वर्गीकृत करते हुए रखा जाता है। अविलम्ब वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 02 शासनादेश संख्या 1838 / 33 -3 -2015-03 /2015 पंचायती राज अनुभाग-3 दिनांक 31 जुलाई 2015 में दी गई ब्यवस्था के अनुसार क्षेत्र पंचायत का कार्य ग्राम पंचायत के अंदर नहीं बल्कि दो गाँवो । ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले निर्माण कार्य कराना है। जवकि क्षेत्र पंचायत द्वारा नियम विरुद्ध एक ही ग्राम पंचायत के अंदर 1300198.00 रुपये का अनियमित व्यय किया गया है।

शासनादेश का पालन न किये जाने की स्थिति में व्यय धनराशि रू0 1300198.00 की गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एंव उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार श्रीवास्तव एंव लेखाकार श्री विजय पाल सिंह का दायित्व निर्धारण किया जाता हैा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर- 03 पंचायतीराज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या -1066/33-3-2021-38/2021 दिनांक 02 जुलाई 2021 द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्र पंचायतें एवं जिला पंचायतें ग्राम पंचायतों के साथ-साथ ग्राम पंचायत क्षेत्र में एल0इ0डी0 लाइट लगाने का कार्य कर सकती है। उपरोक्त तीनों स्तर की पंचायतों द्वारा लगाई लाने वाली एल0इ0डी0 लाइट की जियो-टैगिंग की जाएगी ताकि डुप्लीकेसी को रोका जा सके। लगाई गई एल0इ0डी0 स्ट्रीट लाइट में विघुत बिल का भुगतान तथा इनका मेन्टीनेन्स (गारण्टी अवधि के पश्चात्) सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। उक्त के अनुपालन में क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट का कार्य कराया गया है -

शासनादेश के अनुसार एल.ई.डी. कार्यो में लेखा परीक्षा के अनुसार निम्न कमियां पायी गयी-

1- क्षेत्र पंचायतें एल0ई0डी0 लाइटों का क्रय अनिवार्यत: जैम पोर्टल से करेगी। जिसका पालन नहीं किया गया है।

2. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक रजिस्टर्ड कम्पनी है तथा ई.ई.एस.एल.,एल.इ.डी. लाइट की स्थापना में दक्षिता भी रखती है। अत: पंचायतें ई.ई.एस.एल.से लाइट के क्रय अथवा क्रय एवं स्थापना की कार्यवाही की जायेगी जिससे न कर स्थानीय ठेकेदार बिलाल अहमद के माध्यम से कार्य कराया गया है।

3-कराये गये कार्यो के व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जिससे पंचायती राज अनुभाग के शासनादेश सं0 1570 /33-3-2021-38 /2020 दिनांक 24 अगस्त 2021 के अनुपालन में 45 वाट एल0ई0डी0 लाईट के दर की जांच नहीं की जा सकी।

इस प्रकार उपरोक्त शासनादेशों का पालन न कर रू0 4408797.00 का अनियमित व्यय किया गया है व्यय प्रमाणक तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी पत्रावली उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एंव उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार श्रीवास्तव एंव लेखाकार श्री विजय पाल सिंह का दायित्व निर्धारण किया जाता है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर- 04</u> लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 21-22 में क्षेत्र पंचायत में वाटर कूलर की स्थापना का कार्य कराया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

व्यय प्रमाणक व पत्रावली न प्रस्तुत कर रू0 1397664.00 का अनियमित व्यय किया गया है व्यय प्रमाणक तकनीकी तथा वित्तीय स्वीक़ृति सम्बन्धी पत्रावली उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एंव उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संजय कुमार श्रीवास्तव एंव लेखाकार श्री विजय पाल सिंह का दायित्व निर्धारण किया जाता है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>2 क्षेत्र पंचायत- बलरामपुर वर्षः- 2020-21 व 2021-22</u>

<u>प्रस्तर-05</u> वर्ष 2020-21 व 2021-22 में चतुर्थ राज्य वित्त/पंचम राज्य वित्त की धनराशि क्रमश: रु0 24810862.00 व रु0 17155124.00 का व्यय की गयी। उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्य पत्रावली, माप पुस्तिका प्राक्कलन रिपोर्ट, टेण्डर प्रकिया आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उपरोक्त कार्यों की पुष्टि न हो सकी। पुष्टि हेतु समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तत किया जाना अपेक्षित रहा ।जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एंव उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सागर सिंह एंव लेखाकार श्री संजय कुमार दूबे का दायित्व निर्धारण किया जाता है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-06</u> वर्ष 2020-21 व 2021-22 में क्षेत्र निधि केन्द्रीय वित्त मद में क्रमश: रु0 16862233.00 व रु0 24274579.00 व्यय किया जाना दर्शित है । उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्य पत्रावली, माप पुस्तिका, प्राक्कलन रिपोर्ट, टेण्डर प्रक्रिया आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उपरोक्त कार्यों की पुष्टि न हो सकी। पुष्टि हेतु समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा। जो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के विपरीत रहा एंव उक्त नियमावली के नियम 177 के अधीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सागर सिंह एंव लेखाकार श्री संजय कुमार दूबे का दायित्व निर्धारण किया जाता है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद-गोण्डा

प्रारूप 03

क्षेत्र पंचायत- बभनजोत, गोंडा

प्रस्तर संख्या- 01

क्षेत्र पंचायत बभनजोत जनपद गोण्डा की वित्तीय वर्ष **2021-22** की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कार्यों पर वित्तीय अनियमितता पायी गयी-

क्र0	कार्य का नाम व पूर्ण पता	धनराशि	प्राप्तकर्ता	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
1	गोसाईगंज भिरवा, लंगड़िया, टेगन्हवा, तुर्का डीहा, गला कांटा, तुलसीपुर आजाद नगर में हाई मास्क लाइट स्थापना	980376.00	एम0एस0 कीरत ट्रेडर्स	बी0डी0ओ0 श्री विजय कुमार सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती मधुलिका पटेल कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार लेखाकार श्री उमा शंकर तिवारी जे0ई0 श्री धीरज वर्मा
2	गौरा चौकी चौराहे से म्स्कन्वा रोड सुगरकेन सेंटर तक हाई मास्क लाइट स्थापना	939485.00	एम एस कीरत ट्रेडर्स	बी0डी0ओ0 श्री विजय कुमार सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती मधुलिका पटेल कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार लेखाकार श्री उमा शंकर तिवारीजे0ई0 श्री धीरज वर्मा
3	गौरा चौकी चौराहे से सादुल्लानगर रोड तक 9.5 मी0 लम्बा हाई मास्क लाइट स्थापना	939485.00	एम एस कीरत ट्रेडर्स	बी0डी0ओ0 श्री विजय कुमार सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती मधुलिका पटेल कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार लेखाकार श्री उमा शंकर तिवारी जे0ई0 श्री धीरज वर्मा
4	हथिया गढ़ में नन्हे गुप्ता के दुकान से अनिल गुप्ता के दुकान तक 9.5 मी0 हाई मास्क लाइट स्थापना	939485.00	एम एस कीरत ट्रेडर्स	बी0डी0ओ0 श्री विजय कुमार सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती मधुलिका पटेल कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार लेखाकार श्री उमा शंकर तिवारी जे0ई0 श्री धीरज वर्मा
5	गौरा चौकी चौराहे से	939485.00	एम एस	बी0डी0ओ0 श्री विजय कुमार सिंह

	बभनान रोड पेट्रोल पंप तक 9.5 मी0 लम्बा हाई मास्क लाइट स्थापना		कीरत ट्रेडर्स	ब्लाक प्रमुख श्रीमती मधुलिका पटेल कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार लेखाकार श्री उमा शंकर तिवारी जे0ई0 श्री धीरज वर्मा
6	बढ़ौली शिव मंदिर जालेपुर चौराहा नरहरपुर सबना मंदिर नया नगर मन्नीजोत में हाई मास्क लाइट स्थापना	480385.00	एम एस कीरत ट्रेडर्स	बी0डी0ओ0 श्री विजय कुमार सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती मधुलिका पटेल कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार लेखाकार श्री उमा शंकर तिवारी जे0ई0 श्री धीरज वर्मा
7	पटेल नगर, जगदीश नगर, हरदौनी बंदी, बकसरिया, अलीनगर, सीतारामपुर ग्रंट, बेजलपुर में हाई मास्क लाइट स्थापना	960769.00	एम एस कीरत ट्रेडर्स	बी0डी0ओ0 श्री विजय कुमार सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती मधुलिका पटेल कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार लेखाकार श्री उमा शंकर तिवारी जे0ई0 श्री धीरज वर्मा
8	गौरा चौकी चौराहा से चन्द्रदीप रोड राजेश श्रीवास्तव के घर तक 9.5 मी0 लम्बा हाई मास्क लाइट स्थापना	939485.00	एम एस कीरत ट्रेडर्स	बी0डी0ओ0 श्री विजय कुमार सिंह ब्लाक प्रमुख श्रीमती मधुलिका पटेल कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार लेखाकार श्री उमा शंकर तिवारी जे0ई0 श्री धीरज वर्मा
योग		**7118955.00**		

उक्त कार्यों पर कार्य दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य प्रभारी के देख रेख में कराने का आदेश जारी है, जबकि मजदूरी पर भुगतान किया ही नहीं गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य ठेकेदारी प्रथा द्वारा कराया गया।

अत: धनराशि रु0 **7118955.00 की** वित्तीय अनियमितता की गयी और कार्यों को मनमाने ढंग से करा कर नियमो का उल्लंघन किया गया। जिसके लिये उत्तरदायी बी0डी0ओ0 श्री विजय कुमार सिंह, ब्लाक प्रमुख श्रीमती मधुलिका पटेल, कार्य प्रभारी श्री राकेश कुमार, लेखाकार श्री उमा शंकर तिवारी एवं जे0ई0 श्री धीरज वर्मा है, जिसकी वसूली बराबर हिस्सों में उपर्युक्त व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- बेलसर, गोंडा

प्रस्तर संख्या- 02

सामान्य निर्वाचन-2021 के खाते से विभिन्न चेकों द्वारा विभिन्न तिथियों में धनराशि का आहरण इस प्रकार किया गया -

क्र0 सं0	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि
1	25482	12.04.2021	44995
2	25483	12.04.2021	25105
3	25485	12.04.2021	3922
4	25484	12.04.2021	5380
5	25486	13.05.2021	89940

		योग:-	**169342**

उक्त निकासी से सम्बन्धित विवरण व पत्रावली अप्राप्त रही, जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड.) के अनुसार अपहरित है जिसके लिये उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री एस0 एन0 चौधरी व श्रीमती वर्षा सिंह एवं तत्कालीन लेखाकार श्री अरविन्द कुमार गुप्ता है। जिसकी वसूली बराबर हिस्सों में उपर्युक्त व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित।

प्रस्तर संख्या- 03

पंचम वित्त के खाते से विभिन्न तिथियों में आहरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि
1	-	07.07.2021	86000
2	-	07.07.2021	53078
3	-	07.07.2021	96242
4	-	07.07.2021	98015
5	-	07.07.2021	93891
6	-	25.09.2021	237767
7	-	25.09.2021	654970
8	-	12.10.2021	40803
9	-	23.10.2021	29716
10	-	23.10.2021	273858
11	-	24.10.2021	18399
12	-	05.11.2021	48200
13	-	12.11.2021	343118
14	-	07.01.2022	206651
15	-	20.01.2022	99372
		योग:-	**2380080**

उक्त निकासी से सम्बन्धित विवरण व पत्रावली अप्राप्त रही, जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड.) के अनुसार रू0 2380080.00 अपहरित है जिसके लिये उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह, श्री अभय सिंह एवं श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव तथा लेखाकार श्री अरविन्द कुमार गुप्ता एवं श्री नन्दश्याम हैं। जिसकी वसूली बराबर हिस्सों में उपर्युक्त व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित।

प्रस्तर संख्या- 04

5वां वित्त के खाते से विभिन्न तिथियों में निम्नलिखित धनराशि की निकासी की गयी -

क्र0	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि

सं0			
1	05.11.2021	-	9648
2	07.11.2021	-	78500
3	29.01.2022	-	143204
4	29.01.2022	-	52863
5	18.02.2022	-	143204
6	18.02.2022	-	143204
		योग:-	**570623**

उक्त निकासी से सम्बन्धित व्यय का विवरण एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। उक्त निकासी से सम्बन्धित विवरण व पत्रावली अप्राप्त रही, जोकि उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड.) के अनुसार रू0 570623.00 अपहरित है जिसके लिये उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अभय सिंह, श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव एवं श्री प्रणय कृष्ण तथा लेखाकार श्री नन्दश्याम हैं। जिसकी वसूली बराबर हिस्सों में उपर्युक्त व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित।

क्षेत्र पंचायत- छपिया, गोंडा

प्रस्तर संख्या- 05

क्र0सं0	**कार्य का नाम**	**धनराशि**
1	मनकापुर बाजार से स्ट्रीट लाईट आपूर्ति	630900
2	स्टेडियम बाउण्ड्रीवाल मरम्मत	359259
3	स्टेडियम मरम्मत	157900
4	नहरबंधा से समयमाता स्थान राजू अंसारी के घर तक सीसी रोड	254618
योग :-		**1402677**

उक्त कार्यों के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली अप्राप्त रही जो कि उ0 प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं समान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड.) के अनुसार रू0 1402677.00 अपहृत है, उक्त अपहृत धनराशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद, श्रीमती इन्द्रवती वर्मा एवं लेखाकार श्री पंचलाल एवं श्री दुखीराम से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 06

क्र0सं0	**कार्य का नाम**	**धनराशि**
1	विकासखण्ड के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर जन सुविधा केंद्र	632500
2	जीजीआईसी मसकनवा में जन सुविधा केंद्र का निर्माण	291600
3	मां कोटेघाट में जन सुविधा केंद्र का निर्माण	194400
4	खालेगांव मंदिर पर जन सुविधा केंद्र का निर्माण	97200

5	पीएचसी मसकनवा में जन सुविधा केंद्र का निर्माण	97200
6	श्रवण धाम में जन सुविधा केंद्र का निर्माण	97200
7	उ0प्र0 ग्रामीण बैंक में जन सुविधा केंद्र का निर्माण	97200
8	स्टेडियम भवन मरम्मत	197710
9	ग्रा0पं0 मंडप में पिपरा बुजुर्ग में भेलवा शिव मंदिर होकर चे मनसुख तक अवशेष मि0/ख0 कार्य	526037
10	कोविड-19 की रोकथाम हेतु सेनेटाइजेशन	47091
11	वि0ख0 परिसर में आवासों में चैनल की आपूर्ति	129323
12	खालेगांव प्रदीप गुप्ता की दुकान के बगल खपरीपारा गांव तक ख0 मरम्मत	421260
	योग :-	**2828721**

उक्त कराये गये कार्यों पर भुगतान से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/बाउचर पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया जो त्रिस्तरीय पंचायतों में लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (8 क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि रू0 2828721.00 अपहरण है जिसके **लिये** उत्तर दायी खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद, श्रीमती इन्द्रावती वर्मा तथा लेखाकार श्री पंचलाल एवं श्री दुखीराम हैं। उत्तरदाई व्यकतियों से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 07

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कतिपय भुगतानों पर टीडीएस 2 प्रतिशत की दर से धनराशि 764501.00 की कटौती की गयी जो बिल पर दर्शित न कर, जो कि अपेक्षित था, एम0बी0 पर दर्शित है। जमा एवं भुगतान सम्बन्धी विवरण अप्राप्त रहा जो कि आयकर अधिनियम-1961 कि विरूद्ध है। जिसके लिये उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद, श्रीमती इन्द्रावती वर्मा तथा लेखाकार श्री पंचलाल एवं श्री दुखीराम हैं जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 08

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कतिपय भुगतानों पर जीएसटी/टीडीएस 2 प्रतिशत की दर से धनराशि रू0 586353.00 की कटौती की गयी जो कि बिल पर न दर्शित कर, जो कि अपेक्षित था, एम0बी0 पर दर्शित है। जमा एवं भुगतान सम्बन्धी विवरण अप्राप्त रहा जो कि जी0एस0टी0 अधिनियम के अनुसार टैक्स नियत समय पर जमा किया जाना चाहिए ऐसा न करके वित्तीय अनियमितता की गयी जिसके लिये उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद, श्रीमती इन्द्रावती वर्मा तथा लेखाकार श्री पंचलाल एवं श्री दुखीराम हैं जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 09

क्र0सं0	कार्य का नाम	एमबी की तिथि	भुगतान तिथि	धनराशि
1	छपिया मंदिर के पीछे जमुनहा तक सीसी रोड निर्माण	09.02.22	26.01.22	446733
2	सोहिल कुमार के घर से बिजली के घर तक सीसी रोड निर्माण	18.04.22	26.01.22	580221
3	तांबेपुर खड़न्जा सम्पर्क मार्ग से रामराज के घर तक सीसी रोड निर्माण	01.02.22	26.01.22	293637
4	खपरीपारा मेन चौराहे से ठाकुर प्रसाद के घर तक सीसी रोड निर्माण	07.02.22	26.01.22	293637
5	चौकीदारपुरवा के पूर्व मनोज वर्मा के चक के पूर्व पक्की सड़क तक इ0ला0 कार्य	03.04.22	08.03.22	856646
6	मां कोटघाट में जन सुहिवधा केंद्र का निर्माण	08.10.22	27.01.22	97200
योग :-				2568074

उक्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित भुगतान रू० 2568074.00 एमबी पर दर्शित मापन तिथि के पूर्व की तिथियों में किया गया जो कि अनियमित है जिसके लिये उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद, श्रीमती इन्द्रावती वर्मा तथा लेखाकार श्री पंचलाल एवं श्री दुखीराम हैं। जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- कटरा बाजार, गोंडा

प्रस्तर संख्या- 10

वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग (चतुर्थ/पंचम) की निम्नलिखित निर्माण कार्य पत्रावलिया प्रस्तुत नही की गई है ग्रान्ट रजि0-2 के अनुसार विवरण निम्न प्रकार हैं -

क्रसं.	आई0 डी0	कार्य का विवरण	दिनाँक	सामाग्री	श्रमांस	बेन्डर्स
1	45749340	इ0लाँ0 रोड निर्माण बन्सभरिया के बेहड़ा में	07-09-2021 10-09-2021 10-09-2021	-- 116019-00 387812-00	53577-00	-- भगवान ब्रिक फील्ड विष्णु इ0ला0 ब्रिक
2	48897734	इ0लाँ0 रोड निर्माण ग्राम पंचायत के तिलका के दूबेपुरवा में	07-09-2021 10-09-2021 10-09-2021	-- 94094-00 364895-00	48552-00 -- --	-- भगवान ब्रिक फील्ड विष्णु इ0ला0 ब्रिक
3	49400235	विकास खण्ड में सरस हाँट मरम्मत	07-09-2021 10-09-2021	-- 232956-00	29694-00 --	 विष्णु इ0ला0 ब्रिक
4	48897803	विकास खण्ड परिसर में मीटिंगहाल मरम्मत	07-09-2021 10-09-2021	-- 229291-00	21069-00 --	 विष्णु इ0ला0 ब्रिक

5	4889685	इ0 लॉ0 रोड निर्माण ग्राम पंचायत पूरेबदल पुरवा में नन्दकिशोर मास्टर के घर से प्राथमिक विद्यालय तक	07-09-2021 10-09-2021 10-09-2021 10-09-2021	-- 174121-00 291453-00 293112-00	80676-00 -- -- --	 भगवान ब्रिक फील्ड विष्णु इ0ला0 ब्रिक विष्णु इ0ला0 ब्रिक
6	45749367	इ0 लॉ0 रोड निर्माण पूरेबदल के बालापुरवा में अनवरअली के घर से बच्चा तिवारी के घर तक	07-09-2021 10-09-2021 10-09-2021	-- 74996-00 224988-00	31830-00 -- --	 भगवान ब्रिक फील्ड विष्णु इ0ला0 ब्रिक
7	44840229	विकास खण्ड कार्यालय के रंगाई-पोताई	07-09-2021 10-09-2021	-- 315564-00	36528-00 --	 विष्णु इ0ला0 ब्रिक
8	44844976	ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर कौडिया से गोण्डा मार्ग पर यात्रा विश्रामालय निर्माण	10-09-2021 10-09-2021 10-09-2021 10-09-2021 10-09-2021 10-09-2021	80977-00 73626-00 88187-00 182311-00 -- --	-- -- -- -- 28878-00 40632-00	भगवान ब्रिक फील्ड भगवान ब्रिक फील्ड विष्णु इ0ला0 ब्रिक विष्णु इ0ला0 ब्रिक
		योग		3224402-0	371436-0	

उपर्युक्त व्यय धनराशि रू0- 3224402-00 सामाग्री क्रय पर तथा श्रमांस पर रू0- 371436-00 कुल योग रू0 3595838-00 व्यय दर्शित है । लेखा परीक्षा में उक्त कार्यो की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/ निर्माण कार्य पत्रावली यथा स्टीमेंट , बिल बाउचर , वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृत , माप पुस्तिका , म0 रो0 आदि प्रस्तुत नही किया गया । न ही 2 प्रतिशत टी. डी. एस. कटौती एवं 2 प्रतिशत जी. एस.टी. कटौती की ही पुष्टि की जा सकी । उ0 प्र0 पंचायती राज (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उपनियम (2) के (क) से (ड़) के अन्तर्गत अपहृत रहा तथा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने पर समस्त व्यय धनराशि अपहरण है । जिसके लिये जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनकर विद्यार्थी (जि0 वि0 अधि0) एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है । जिसकी वसूली बराबर- बराबर हिस्सो मे किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 11

वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में 15वाँ वित्त आयोग (वित्तीय वर्ष 2020-21 के अवशेष कार्यो) पर मजदूरी भुगतान की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / म0 रो0 प्रस्तुत नही किय गया विवरण निम्न प्रकार हैं -

क्रंसं	आई0डी0	कार्य का विवरण	दिनाँक	मजदूरी पर भुगतान
1	49400139	वि0 ख0 में सरस हाँट मे इ0 ला0 नि0	10-09-2021	67797-00
2	49401061	वि0 ख0 के पीछे मंदिर के पीछे इ0 ला0 नि0	10-09-2021	70655-00

3	48898093	इ0 ला0 नि0 पशु अस्पताल के पीछे	10-09-2021	72420-00
4	48897976	इ0 ला0 बी0 डी0 ओ0 कार्यालय के सामने	10-09-2021	87912-00
5	48898005	इ0 ला0 नि0 वि0 ख0 में मीटिंग हॉल के सामने	10-09-2021	55320-00
6	48898038	इ0 ला0 नि0 पंचायत संसाधन केन्द्र के सामने	10-09-2021	79068-00
7	48898072	वि0 ख0 परिसर मे शौचालय निर्माण	10-09-2021	62001-00
8	44844089	शौचालय नि0 ग्राम पंचायत सहजोत के शान्तीनगरमें	10-09-2021	77460-00
9	45702000	शौचालय नि0 ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर के परसोधनी पुरवा में	10-09-2021	77460-00
10	44842685	शौचालय नि0 ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर कटौली में	10-09-2021	77043-00
11	44844045	शौचालय नि0 ग्राम पंचायत सरवांगपुर के ठकुरनपुरवा में	10-09-2021	76842-00
12	44843344	शौचालय नि0 ग्राम पंचायत चैपुरवा के तिवारीपुरवामें	10-09-2021	77460-00
13	45702015	शौचालय नि0 ग्राम पंचायत बिरवा में टावर के पास	10-09-2021	77460-00
14	44843847	शौचालय नि0 ग्राम पंचायत जगदीशपुर के डीहा में	10-09-2021	76842-00
		योग		1035740-00

उपर्युक्त सारणी के अनुसार कुल रू0- 1035740-00 का भुगतान मजदूर पर किया गया दर्शित है । उक्त कार्यो की सामाग्री वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्रय की गयी । लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टी में निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नही की गई है । उ0 प्र0 पंचायती राज (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उपनियम (2) के (क) से (ड़) के अन्तर्गत अपहृत रहा तथा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने पर समस्त व्यय धनराशि अपहरण है । जिसके लिये जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी श्री दिनकर विद्यार्थी (जिला विकास अधिकारी) एवं लेखाकार श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है। जिसकी वसूली बराबर- बराबर हिस्सो मे किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 12

वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग से कराये गए निर्माण कार्यो पर 1% लेबरशेष कटौती जमा की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है ।

क्र	आई0डी0	कार्य का विवरण	दिनाँक	मूल धनराशि	12% जी.एस.टी.	योग	2% टी.डी	2% जी.एस.टी	1% लेबर	0.1% न्यूनतम	भुगतान धनरा	वेन्डर्स

							.एस. कटौती	. कटौती	शेष	टेन्डर	शि	
1	5527629	नाला नि0 उर्दी गोण्डा में अली हुसैन के घर से महफूज रहमान के खेत तक	02-02-2022	641330-00	76959	718289	12827	12827	6413	641	685581	बिग्नहरता
2	56870278	इ0ला0नि0 पक्की सड़क से पुत्तन तिवारी के घर तक	09-02-2022	220883.25	26505.99	247389	4418	4418	2209	221	236123	बिग्नहरता
3	56900286	पुलिया नि0 परसियारानी में अशोक तिवारी के खेत के पास	09-02-2022	395683.50	47482	443165	7914	7914	3957	396	422984	बिग्नहरता
4	55874113	इ0ला0नि0 चैपुरवा में काली सड़क से कृष्ण कुमार के घर तक	09-02-2022	468022	56169	524252	9362	9362	4681	468	500379	बिग्नहरता
5	55541222	इ0ला0नि0 भैसहा में कटियापुरवा में नन्हे शुक्ल के घर से शीतलाप्रसाद के घर तक	09-02-2022	436635	52396	489031	8733	8733	4366	437	466762	बिग्नहरता
6	55541214	इ0ला0नि0 पिसैया में इस्राफुल के घर से नूरमोहम्मद के घर तक	09-02-2022	420896	50507	471401	8418	8418	4209	421	449935	बिग्नहरता
7	54835779	इ0ला0नि0 लालपुर में पक्की सड़क से माधवराज तिवारी के घर तक	09-02-2022	473586.50	56830	530416	9472	9472	4736	474	506262	बिग्नहरता
8	55541224	इ0ला0नि0 ग्रा0 पं0 सहजोत में	09-02-2022	390053	46806	436859	7801	7801	3901	39	416967	बिग्नहरता

		कन्हैयालाल के घर से सत्यदेव के घर तक								0		
9	54851521	इ0ला0नि0 रामापुर में पक्की सड़क से माधवराज मिस्त्री के घर तक	09-02-2022	316104.65	37932.55	354037	6322	6322	3161	3116	337916	बिग्नहरता
10	55874216	इ0ला0नि0 तिलका में गडरियनपुरवा में बाबूरामपाल के घर से ननकीपाल के घर तक	09-02-2022	229627	27555	257182	4593	4593	2296	230	245470	बिग्नहरता
		योग							39929			

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग मद से कराये गये निर्माण कार्यो पर 1% लेबर शेष कटौती की धनराशि रू0- 39929-00 को श्रम मेत्रालय में जमा कराया गया है कि पुष्टि में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया । उ0 प्र0 पंचायती राज (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उपनियम (2) के (क) से (ड़) के अन्तर्गत अपहृत रहा तथा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने पर समस्त व्यय धनराशि अपहरण है । जिसके लिये जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी श्री रामप्रकाश मौर्य एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार है । जिसकी वसूली बराबर- बराबर हिस्सो मे किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 13

वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में 15वाँ वित्त आयोग से कराये गए निर्माण कार्यो पर 1% लेबरशेष कटौती जमा की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है -

क्र	आई0डी0	कार्य का विवरण	दिनाँक	मूल धनराशि	12% जी.एस.टी	योग	2% टी.डी.एस. कटौती	2% जी.एस.टी कटौती	1% लेबर शेष	0.1% न्यूनतम टेन्डर	भुगतान धनराशि	वेन्डर्स
1	55874135	इ0 ला0नि0 चुर्रा-मुर्रा में काली स्थान से	25-01-2022	614436	73732.32	688168.32	13763	13763	6882	688	653072	बिग्नहरता

		रामगोपाल के घर तक										
2	56900646	पुलिया नि0 रामापुर में रामतेज शुक्ला के खेत के पास	25-01-2022	384095	46091	430186	7681	7681	3841	384	410599	बिग्नहरता
3	55541220	इ0 ला0 नि0 जगतापुर में पक्की सड़क से मुन्नालाल के घर तक	25-01-2022	891500	106980	998480	17830	17830	8915	892	953013	बिग्नहरता
4	55541260	इ0 ला0 नि0 पैड़ीबारा में विमल शुक्ला के घर से इ0 ला0 नि0 तक	25-01-2022	584328	70119	654448	11687	11687	5843	584	624647	बिग्नहरता
5	56900386	पुलिया नि0 पूरेमहोलिया में बालकराम पासी के घर के पास	25-01-2022	384095 140946	46091 16913	430186 157859	7682 2819	7682 2819	3841 1409	385 141	410596 150671	बिग्नहरता बिग्नहरता
6	56900352	पुलिया नि0 तिलका में शिवलालपुरवा के पास	25-01-2022	184557	22110	206368	3685	3685	1843	184	196971	बिग्नहरता
7	56900551	पुलिया नि0 भरथाइटैहिया में शीतलाप्रसाद के खेत के पास	25-01-2022	38409 179939	46091 21592	430186 201532	7682 3599	7682 3599	3841 1799	385 180	4105 192355	बिग्नहरता बिग्नहरता

8	55541231	इ0 ला0 नि0 महापारा में पक्की सड़क से नानमून के घर तक	25-01-2022	672197	80663	752861	13443	13443	6722	672	718521	बिग्नहरता
9	5541243	इ0 ला0 नि0 नदावा में कन्हैयालाल के घर से पी. डब्लू . डी. रोड तक	25-01-2022	263857	31662	295520	5278	5278	2639	264	282061	बिग्नहरता
10	55874170	इ0 ला0 नि0 बन्सभरिया में छोटू के घर से वीरेन्द्र के घर तक	25-01-2022	711437.50	85372.50	796810	14229	14229	7114	711	760527	बिग्नहरता
11	55527637	नाला निर्माण उर्दीगोण्डा में मो0 हुसैन की चक्की से मन्जूर अहमद के खेत तक	2-02-2022	641330	76959	718289	12827	12827	6413	641	685581	बिग्नहरता
12	55874123	इ0 ला0 नि0 बाबूपुर में पी.डब्लू .डी. रोड से सुरेश तिवारी के घर तक	25-01-2022	421316	50557	471873	8426	8426	4213	422	450386	बिग्नहरता
13	5541274	इ0 ला0 नि0 छिरास में पक्की	25-01-2022	867728	104127	971855	17355	17355	8677	868	927600	बिग्नहरता

		सडक से राम दशरथ के घर तक										
14	55541248	इ0 ला0 नि0 जम्थरा में बच्चा पाण्डे के घर से छेदीलाल के घर तक	25-01-2022	827500	99300	926800	16550	16550	8275	828	884597	बिग्नहरता
		योग							82267			

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग मद से कराये गये निर्माण कार्यो पर 1% लेबर शेष कटौती की धनराशि रू0 82267-00 को श्रम मत्रालय में जमा कराया गया है कि पुष्टि में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। उ0 प्र0 पंचायती राज (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 के उपनियम (2) के (क) से (इ) के अन्तर्गत अपहृत रहा तथा वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं (ख) के अनुसार व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने पर समस्त व्यय धनराशि अपहरण है । जिसके जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी श्री रामप्रकाश मौर्य एवं लेखाकार श्री अशोक कुमार है । जिसकी वसूली बराबर- बराबर हिस्सो मे किया जाना अपेक्षित है ।

क्षेत्र पंचायत- इटियाथोक, गोंडा

प्रस्तर संख्या- 14

आलोच्य वर्ष 2021-22 की निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया कि संस्था द्वारा टी0डी0एस0 कटौती की गई है परन्तु वित्तीय वर्ष 2021-22 में टी0 डी0 एस0 रू0 228960.00 जमा है। जबकि रू0 412420.96 जमा नहीं किया गया है। जी0एस0टी0 काउन्सिल की 28वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार 01.10.2018 से टी0डी0एस0 कटौती की जानी है। एस0जी0एस0टी0/सी0जी0एस0टी0 एक्ट-2017 की धारा 51 की व्यवस्थानुसार क्रम में टी0डी0एस0 कटौती के 5 दिन के अन्दर जमाकर टी0डी0एस0 प्रमाणपत्र फार्म जी0एस0टी0आर0-7ए0 जेनरेट होना चाहिए। है। एस0जी0एस0टी0/सी0जी0एस0टी0 एक्ट-2017 की धारा 51(4) में यह व्यवस्था है कि यदि समयान्तर्गत कटौती किया गया टी0डी0एस0 जमा नहीं किया जाता है तो रू0 100 प्रतिदिन (अधिकतम रू0 5000) बिलम्ब शुल्क देना होगा। इस प्रकार संस्था को रू0 5000.00 अतिरिक्त भुगतान करना पडेगा, जो धन का दुरूपयोग है। जिसके लिए लेखाकार श्री अखिलेश श्रीवास्तव एवं श्री के0 के0 मिश्रा, और खंड विकास अधिकारी श्री पन्ना लाल, श्री जे0 पी0 यादव, श्री शेर बहादुर सिंह, श्री आर0 एन0 भारती उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर- बराबर हिस्सो मे किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 15

आलोच्य वर्ष 2021-22 की निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया कि संस्था द्वारा सम्पूर्ण जी0 एस0 टी0 का भुगतान एजेन्सी मे0 खान कंसट्रक्शन जनरल आर्डर सप्लायर को कर दिया गया है। एस0जी0एस0टी0/सी0जी0एस0टी0 एक्ट-2017 की धारा 47 की व्यवस्थानुसार जी0 एस0 टी0 का 2 प्रतिशत कटौती कर संस्था स्वयं जमा करेगी। इस तरह रू0 641380.96 का अनियमित भुगतान किया गया है। जिसके लिए लेखाकार श्री अखिलेश श्रीवास्तव एवं श्री के0 के0 मिश्रा, और खंड विकास

अधिकारी श्री पन्ना लाल, श्री जे0 पी0 यादव, श्री शेर बहादुर सिंह, श्री आर0 एन0 भारती उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली लेखाकार श्री अखिलेश श्रीवास्तव एवं श्री के0 के0 मिश्रा, और खंड विकास अधिकारी क्रमशः श्री पन्ना लाल, श्री जे0 पी0 यादव, श्री शेर बहादुर सिंह, श्री आर0 एन0 भारती से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 16

आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत इटियाथोक में स्ट्रीट लाइट स्थापना के निम्न कार्य करवाये गये हैः-

क्र0	कार्य का नाम	धनराशि
1-	जानकीनगर में पुलिस चौकी से ओम प्रकाश तिवारी प्रधान की दुकान तक स्ट्रीट लाइट स्थापना।	798967.00
2-	इटियाथोक में बैंक आफ बडौदा से भरत आटो पार्टस की दुकान तक स्ट्रीट लाइट स्थापना।	934808.00
3-	जानकीनगर में सिलाई सेंटर से जय प्रभा मानीटर तक स्ट्रीट लाइट स्थापना	930909.00
4-	इटियाथोक में थाना गेट-2 से राजकुमार फल वाले की दुकान तक स्ट्रीट लाइट स्थापना।	934808.00
5-	विरला सीमेंट की दुकान से अवधेश पान की दुकान तक स्ट्रीट लाइट स्थापना।	404012.00
6-	इटियाथोक में सरस्वती विद्यामंदिर स्कूल से थाना के गेट न0-1 तक स्ट्रीट लाइट स्थापना।	934808.00
7-	इटियाथोक में स्टार इंटर प्राइजेज की दुकान से कासिम टेलर की दुकान तक स्ट्रीट लाइट स्थापना।	934808.00
8-	नहर से ढाबा तक स्ट्रीट लाइट स्थापना।	404012.00
	योग	6277132.00

उपर्युक्त संदर्भ में मुख्य सचिव, शासन उत्तर-प्रदेश के शासनादेश सं0- 33/2017/977/45 वि0 (अति0 ऊ0 स्रो0 वि0)/2017 में स्पष्ट आदेश है कि नवीन ऊर्जा स्रोत विकास कार्य भारत सरकार की नोडल एजेन्सी यूपीनेडा से करवाया जायेगा। तालिका में अंकित कार्य शासनादेश का उल्लंधन कर करवाये गये है। उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 6277132.00 का दुरूपयोग किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, श्री आर0 एन0 भारती, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी, श्री जे0 पी0 यादव, श्री आर0 एन0 भारती, ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 17

आलोच्य वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत द्वारा करवाये गये कार्य कोनिया वनकट के छोटकी बगुलही में पिचरोड से कैलाश व दगदग के घर तक इण्टरलाकिग की निर्माण कार्य पत्रावलियो की जांच में पाया कि संलग्न मस्टर रोल दिनांकः 08/12/2020 से 21/12/2020 अंकित है। उक्त कार्य पर

सामग्री आपूर्ति के सापेक्ष बिल सं0-150, दिनांकः20/12/2020 संलग्न है। कार्य समाप्ति के एक दिन पूर्व सामग्री आपूर्ति की गई है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि यह कार्य नहीं करवाया गया है। काल्पनिक पत्रावलियां तैयार कर धन रू0 404158.00 का किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत(बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 404158.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री पन्ना लाल, ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी,श्री पन्ना लाल, ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 18

आलोच्य वर्ष में कृत कार्य इटियाथोक में गोंडा-बलरामपुर मार्ग से प्रा0 वि0 होते हुए मो0 शरीफ के घर तक इ0ला0 की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि प्रमाणक सं0-पी/18 से रू0 15132.00 मस्टर रोल के नाम पर भुगतान किया गया है जबकि पत्रावली में मस्टर रोल नहीं है। इसी निर्माण कार्य पत्रावली में प्रमाणक सं0-पी/40 से रू0 18549.00 मस्टर रोल पर भुगतान किया गया है। मस्टर रोल बाहरी है। जब कि मस्टर रोल बी0डी0ओ0 द्वारा पास नहीं है, अवर अभियंता, कार्य़-प्रभारी, लेखाकार के हस्ताक्षर नहीं है। यह मस्टर रोल भुगतान निस्तारित नहीं है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाय़े गये हैं। इसी निर्माण कार्य पत्रावली में प्रमाणक सं0-पी/39 से रू0 46601.00 मस्टर रोल पर भुगतान किया गया है। आनलाइन भुगतान में श्रमिक गुडिया को रू0 5226.00 भुगतान किया गया है, जबकि मस्टर रोल में गुडिया को रू0 2613.00 ही भुगतान दर्शित है। इस प्रकार रू0 2613.00 का अधिक भुगतान किया गया है। उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत(बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 36294.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री अखिलेश श्रीवास्तव एवं श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, प्रशासक श्री कुलदीप सिंह, खंड विकास अधिकारी श्री पन्ना लाल, ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री अखिलेश श्रीवास्तव एवं श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, प्रशासक श्री कुलदीप सिंह, खंड विकास अधिकारी श्री पन्ना लाल, ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 19

ब्लाक आलोच्य वर्ष में कृत कार्य इटियाथोक में नइमउल्ला की दुकान से मदरसा गेट तक इ0ला0 की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। जब कि मस्टर रोल बी0डी0ओ0 द्वारा पास नहीं है, अवर अभियंता, कार्य़-प्रभारी, लेखाकार के हस्ताक्षर नहीं है। यह मस्टर रोल भुगतान निस्तारित नहीं है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाय़े गये हैं। आनलाइन मजदूरी भुगतान में दर्शित दो श्रमिक अंजुम और आमिर मस्टर रोल में नहीं दर्शित है। इस प्रकार रू0 5628.00 से भुगतान अधिक किया गया है। इसी कार्य़ के मस्टर रोल में दर्शित श्रमिक शायरा बानो इन्हीं दिनों में एक अन्य कार्य कोनिया वनकट के छोटकी बगुलही में पिचरोड से कैलाश व दगदग के घर तक इ0 ला0 कार्य में कार्यरत है। इस प्रकार रू0 5628.00 का अधिक भुगतान किया गया है।

उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 11256.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, श्री शेर बहादुर, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, श्री शेर बहादुर, प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 20

आलोच्य वर्ष में कृत कार्य श्रीनगर बाबागंज बाजार में रामदीन गुप्ता के घर से गोफानाथ मार्ग तक इ0ला0 कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। जब कि मस्टर रोल बी0डी0ओ0 द्वारा पास नहीं है, अवर अभियंता, कार्य़-प्रभारी, लेखाकार के हस्ताक्षर नहीं है। यह मस्टर रोल भुगतान निस्तारित नहीं है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाय़े गये हैं। आनलाइन दर्शित मजदूरी भुगतान रू0 18348.00 के सापेक्ष मस्टर रोल अप्राप्त रहा। इस प्रकार रू0 18348.00 का अपहरण किया गया है। इसी कार्य़ के अन्य मस्टर रोल में दर्शित मीना बानो, उमानाथ, मैराज अली, शहीदा इन्हीं दिनों में एक अन्य कार्य इटियाथोक में गोंडा-बलरामपुर मार्ग से प्रा0 वि0 होते हुए मो0 शरीफ के घर तक इ0ला0 कार्य में कार्यरत है। इस प्रकार दोनों कार्यो के सापेक्ष रू0 20904.00 का अपहरण किया गया है। इसी कार्य़ के अन्य मस्टर रोल में दर्शित मीना बानो, उमानाथ, मीना बानों इन्हीं दिनों में एक अन्य कार्य इटियाथोक में गोंडा-बलरामपुर मार्ग से प्रा0 वि0 होते हुए मो0 शरीफ के घर तक इ0ला0 कार्य में कार्यरत है। इस प्रकार दोनों कार्यो के सापेक्ष रू0 11256.00 का अपहरण किया गया है। उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत(बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 50508.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, श्री पन्ना लाल, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 21

आलोच्य वर्ष में कृत कार्य इटियाथोक में स्टेशन रोड से रस्तोगी गली एवं सीमेंट की दुकान तक इ0ला0 कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाय़े गये हैं। आनलाइन दर्शित मजदूरी भुगतान रू0 76245.00 के सापेक्ष प्राप्त मस्टर रोल में केवल एक श्रमिक अनस खान ही मस्टर रोल में दर्शित है। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल फर्जी है। अतएव कार्य पर दर्शित सामग्री रू0 895105.00 एवं श्रमांश रू0 76245.00 कुल व्यय रू0 971350.00 का किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 971350.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, श्री पन्ना लाल, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं।

जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 22

आलोच्य वर्ष में कृत कार्य बिहुरी में छितईपुरवा पिचरोड से विनय के घर तक इ0ला0 कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाये गये हैं। आनलाइन दर्शित मजदूरी भुगतान रू0 48762.00 के सापेक्ष प्राप्त मस्टर रोल में केवल 04 श्रमिक ही मस्टर रोल में दर्शित है। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल काल्पनिक है। अतएव कार्य पर दर्शित सामग्री रू0 547119.00 एवं श्रमांश रू0 48762.00 कुल व्यय रू0 595881.00 का किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 595881.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, श्री पन्ना लाल, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 23

आलोच्य वर्ष में कृत कार्य वि0 ख0 परिसर में इ0 ला0 कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। जब कि मस्टर रोल बी0डी0ओ0 द्वारा पास नहीं है, अवर अभियंता, कार्य़-प्रभारी, लेखाकार के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाये गये हैं। आनलाइन दर्शित मजदूरी भुगतान रू0 40662.00 के सापेक्ष प्राप्त मस्टर रोल में केवल 01 श्रमिक ही मस्टर रोल में दर्शित है। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल काल्पनिक है। अतएव कार्य पर दर्शित सामग्री रू0 56167.00 एवं श्रमांश रू0 40662.00 कुल व्यय रू0 96829.00 का किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 96829.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, श्री पन्ना लाल, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, श्री पन्ना लाल ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 24

आलोच्य वर्ष में कृत कार्य श्री नगर में काली माता स्थान से इटियाथोक बाबागंज मार्ग तक इ0ला0 कार्य निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाये गये हैं। आनलाइन दर्शित मजदूरी भुगतान रू0 77979.00 के सापेक्ष प्राप्त मस्टर रोल में कोई भी श्रमिक दर्शित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल काल्पनिक है। उक्त

कार्य पर मस्टर रोल दिनांकः28.02.2021 से 25.01.2021 तक कार्यरत है, जब कि सामग्री आपूर्ति दिनांकः 28.02.2021 तथा 03.03.2021 को की गई है। अतएव कार्य पर दर्शित सामग्री रू0 546972.00 एवं श्रमांश रू0 77979.00 कुल व्यय रू0 624951.00 का किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 624951.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, श्री पन्ना लाल, श्री शेर बहादुर सिंह, श्री आर0 एन0 भारती, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, श्री शेर बहादुर सिंह, श्री आर0 एन0 भारती, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 25

आलोच्य वर्ष में कृत कार्य वि0ख0 इथियाथोक परिसर की अवशेष दीवार उच्चीकरण एवं रंगाई-पुताई कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। जब कि मस्टर रोल बी0डी0ओ0 द्वारा पास नहीं है, अवर अभियंता, लेखाकार के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाये गये हैं। आनलाइन दर्शित मजदूरी भुगतान रू0 100218.00 के सापेक्ष प्राप्त मस्टर रोल में केवल 08 श्रमिक ही मस्टर रोल में दर्शित है। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल काल्पनिक है। अतएव कार्य पर दर्शित श्रमांश में रू0 76068.00 उन श्रमिकों के खाते में गया है जो मस्टर रोल में नहीं हैं। कुल श्रमांश रू0 76068.00 का किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 76068.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, श्री पन्ना लाल, श्री शेर बहादुर सिंह, श्री आर0 एन0 भारती, ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, श्री शेर बहादुर सिंह, श्री आर0 एन0 भारती, ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 26

आलोच्य वर्ष में कृत वि0ख0 इथियाथोक परिसर में नाली निर्माण कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। जब कि मस्टर रोल बी0डी0ओ0 द्वारा पास नहीं है, अवर अभियंता, कार्य़-प्रभारी, लेखाकार के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाये गये हैं। आनलाइन दर्शित मजदूरी भुगतान रू0 42069.00 के सापेक्ष प्राप्त मस्टर रोल में केवल 02 श्रमिक ही मस्टर रोल में दर्शित है। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल काल्पनिक है। अतएव कार्य पर दर्शित श्रमांश में रू0 34215.00 उन श्रमिकों के खाते में गया है जो मस्टर रोल में नहीं हैं। कुल श्रमांश रू0 34215.00 का किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार

उक्त धनराशि रू0 34215.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, श्री पन्ना लाल, श्री शेर बहादुर सिंह, श्री आर0 एन0 भारती, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, श्री शेर बहादुर सिंह, श्री आर0 एन0 भारती, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 27

आलोच्य वर्ष में कृत वि0ख0 इथियाथोक कार्यालय के पीछे शौचालय मरम्मत कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाये गये हैं। आनलाइन दर्शित मजदूरी भुगतान रू0 19728.00 के सापेक्ष प्राप्त मस्टर रोल में दर्शित श्रमिक एवं आनलाइन भुगतान पाने वाले श्रमिक अलग-अलग है। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल काल्पनिक है। अतएव कार्य पर दर्शित श्रमांश में रू0 19728.00 उन श्रमिकों के खाते में गया है जो मस्टर रोल में नहीं हैं। अतएव कार्य सामग्री मद सहित कुल व्यय रू0 142974.00 का किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 142974.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी, श्री आर0 एन0 भारती, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी, श्री आर0 एन0 भारती, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 28

आलोच्य वर्ष में कृत श्रीनगर बाबागंज के सरस हाट में नाली निर्माण कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। जब कि मस्टर रोल बी0डी0ओ0 द्वारा पास नहीं है, अवर अभियंता, कार्य़-प्रभारी, लेखाकार के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाये गये हैं। आनलाइन दर्शित मजदूरी भुगतान रू0 84294.00 के सापेक्ष प्राप्त मस्टर रोल में केवल 13 श्रमिक ही दर्शित है। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल काल्पनिक है। अतएव कार्य पर दर्शित श्रमांश में रू0 36582.00 उन श्रमिकों के खाते में गया है जो मस्टर रोल में नहीं हैं। अतएव व्यय रू0 36582.00 का किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 36582.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री आर0 एन0 भारती, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी, श्री आर0 एन0 भारती, ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 29

आलोच्य वर्ष में कृत बाबागंज बाजार सं छितईपुरवा से तिलही बाग होते हुए रदहवा में राजेश के घर तक इ0ला0 कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाये गये हैं। आनलाइन दर्शित मजदूरी भुगतान रू0 69111.00 के सापेक्ष प्राप्त मस्टर रोल में केवल 03 श्रमिक ही दर्शित है। इसी कार्य़ के अन्य मस्टर रोल में दर्शित 12 श्रमिक इन्हीं दिनों में एक अन्य कार्य कोनिया वनकट के छोटकी बगुलही में पिचरोड से कैलाश व दगदग के घर तक इ0 ला0 कार्य व बिहुरी में छितईपुरवा पिचरोड से विनय के घर तक इ0ला0 कार्य में कार्यरत है। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल फर्जी है। इस प्रकार तीनों कार्यो के सापेक्ष रू0 69611.00 का किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 69611.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, श्री शेर बहादुर सिंह, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, श्री शेर बहादुर सिंह, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 30

आलोच्य वर्ष में कृत मो0 शरीफ के धर से रेलवे डामर रोड तक इ0ला0 कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। जब कि मस्टर रोल बी0डी0ओ0 द्वारा पास नहीं है, अवर अभियंता, लेखाकार के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाये गये हैं। आनलाइन दर्शित मजदूरी भुगतान रू0 19194.00 के सापेक्ष प्राप्त मस्टर रोल में केवल 02 श्रमिक इन्हीं दिनों में एक अन्य कार्य कोनिया वनकट के छोटकी बगुलही में पिचरोड से कैलाश व दगदग के घर तक इ0 ला0 कार्य व इटियाथोक में गोंडा-बलरामपुर मार्ग से प्रा0 वि0 होते हुए मो0 शरीफ के घर तक इ0ला0 कार्य में कार्यरत है। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल काल्पनिक है। इस प्रकार कार्य के सापेक्ष रू0 4722.00 का किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 4722.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, श्री शेर बहादुर सिंह, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री जे0 पी0 यादव, श्री शेर बहादुर सिंह, ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 31

आलोच्य वर्ष में कृत कार्य विशुनपुरमाफी में पक्कीरोड से मदन गोपाल के चक वाली रोड पर अशोक तिवारी के चक के पास पुलिया निर्माण की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है

कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाये गये हैं। आनलाइन दर्शित मजदूरी भुगतान रू0 6120.00 श्रमिका बिन्दू पत्नी श्री जगदम्बा के खाते में गया है। जबकि मस्टर रोल में विन्दू का नाम नहीं है। इस प्रकार कार्य के सापेक्ष रू0 6120.00 का किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 6120.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री आर0 एन0 भारती, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी, श्री आर0 एन0 भारती, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0क्र0-19)

प्रस्तर संख्या- 32

आलोच्य वर्ष में कृत विशुनपुर तिवारी में राधेश्याम के खेत के पास पुलिया निर्माण कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाये गये हैं। आनलाइन दर्शित मजदूरी भुगतान के सापेक्ष प्राप्त मस्टर रोल में केवल 02 श्रमिक इन्हीं दिनों में एक अन्य कार्य क्रमशः रमवापुर हरदोपट्टी में केशवरामबारी के खेत के पास पुलिया निर्माण कार्य में कार्यरत है। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल कालपनिक है। इस प्रकार कार्य के सापेक्ष रू0 12240.00 का किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 12240.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री आर0 एन0 भारती, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी, श्री आर0 एन0 भारती, ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 33

आलोच्य वर्ष में कृत श्रीनगर में सत्तार के घर से शिवा मान्टेसरी तक नाला निर्माण कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाये गये हैं। आनलाइन दर्शित मजदूरी भुगतान रू0 115332.00 के सापेक्ष प्राप्त मस्टर रोल में दर्शित श्रमिक इन्हीं दिनों में एक अन्य तीन कार्यों में विशुनपुरमाफी में पक्कीरोड से मदन गोपाल के चक वाली रोड पर अशोक तिवारी के चक के पास पुलिया निर्माण व विशुनपुरमाफी मे शीतला के घरवाली रोड पर कपूर यादव के खेत के पास पुलिया निर्माण व बगुलही में उतरौला रोड से सम्मयमाता जानेवाली सडक पर फरजान एवं सम्मय बढई के खेत के पास पुलिया निर्माण कार्य में कार्यरत है। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल काल्पनिक है। इस प्रकार कार्य के सापेक्ष कुल रू0 749759.00 का किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 749759.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर

अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री रवि कुमार गुप्ता, ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी, श्री रवि कुमार गुप्ता, ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 34

आलोच्य वर्ष में कृत हिन्दूनगर खास में अशोक सिंह के घर के पास तालाब पर आर0 सी0 सी0 पुलिया निर्माण की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाये गये हैं। आनलाइन दर्शित मजदूरी भुगतान रू0 53280.00 के सापेक्ष प्राप्त मस्टर रोल में दर्शित 06 श्रमिक इन्हीं दिनों में एक अन्य कार्यों विशुनपुर माफी में पक्की रोड से मदन गोपाल के चक वाली रोड पर अशोक तिवारी के चक के पास पुलिया निर्माण में कार्यरत है। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल काल्पनिक है। इस प्रकार कार्य के सापेक्ष रू0 22500.00 का किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 22500.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री शेर बहादुर सिंह, श्री आर0 एन0 भारती, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी, श्री शेर बहादुर, श्री आर0 एन0 भारती, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 35

आलोच्य वर्ष में कृत रमवापुर हरदोपट्टी में केशवरामबारी के खेत के पास पुलिया निर्माण की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाये गये हैं। आनलाइन दर्शित मजदूरी भुगतान के सापेक्ष प्राप्त मस्टर रोल में दर्शित 09 श्रमिक इन्हीं दिनों में अन्य कार्यों, विशुनपुर तिवारी में राधेश्याम के खेत के पास पुलिया निर्माण व बगुलही में उतरौला रोड से सम्मयमाता जानेवाली सडक पर फरजान एवं सम्मय बढई के खेत के पास पुलिया निर्माण व हिन्दूनगर खास में अशोक सिंह के घर के पास तालाब पर आर0 सी0 सी0 पुलिया निर्माण कार्य में कार्यरत है। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल फर्जी है। इस प्रकार कार्य के सापेक्ष रू0 57420.00 का किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 57420.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री आर0 एन0 भारती, ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी, श्री आर0 एन0 भारती, ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 36

आलोच्य वर्ष में कृत कार्य बगुलही में उतरौला रोड से सम्मयमाता जानेवाली सडक पर फरजान एवं सम्मय बढई के खेत के पास पुलिया निर्माण की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी

मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाये गये हैं। आनलाइन दर्शित मजदूरी भुगतान के सापेक्ष प्राप्त मस्टर रोल में दर्शित 03 श्रमिक इन्हीं दिनों में अन्य कार्य रमवापुर हरदोपट्टी में केशवरामबारी के खेत के पास पुलिया निर्माण कार्य में कार्यरत है। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल काल्पनिक है। इस प्रकार कार्य के सापेक्ष रू0 9180.00 का किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 9180.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री रवि कुमार गुप्ता, ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी, श्री रवि कुमार गुप्ता, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 37

आलोच्य वर्ष में कृत कार्य पूरेमहा में मजय ढोगही में तिलक राम के घर से बाग तक पक्की नाली निर्माण की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाये गये हैं। आनलाइन दर्शित मजदूरी भुगतान के सापेक्ष प्राप्त मस्टर रोल में दर्शित 02 श्रमिक इन्हीं दिनों में अन्य कार्य, रमवापुर हरदोपट्टी में केशव राम बारी के खेत के पास पुलिया निर्माण कार्य में कार्यरत है। इससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल काल्पनिक है। इस प्रकार कार्य के सापेक्ष रू0 13320.00 का किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 13320.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री आर0 एन0 भारती, श्री रवि कुमार गुप्ता, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी, श्री आर0 एन0 भारती, श्री रवि कुमार गुप्ता, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 38

आलोच्य वर्ष में कृत कार्य पूरेपंडित वृंदावन में प्रधानमंत्री रोड से मदरसा तक इ0 ला0 कार्य निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाये गये हैं। आनलाइन दर्शित मजदूरी भुगतान रू0 5226.00 के सापेक्ष मस्टर रोल अप्राप्त रहा है। इस प्रकार कार्य के सापेक्ष रू0 5226.00 का किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 5226.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री पन्ना लाल, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश

प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री पन्ना लाल, ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 39

आलोच्य वर्ष में कृत कार्य वि0ख0 इटियाथोक में टाइप-3 आवास की मरम्मत कार्य़ की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि एक ही मस्टर रोल की फोटो कापी करके तीन मस्टर रोल लगाये गये हैं। मस्टर रोल तिथांकित नहीं है। सभी मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। जब कि मस्टर रोल बी0डी0ओ0 द्वारा पास नहीं है, अवर अभियंता, लेखाकार के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाय़े गये हैं। त्रिस्तरीय फोटोग्राफ संलग्न नहीं हैं। तीन फोटोग्राफ संलग्न हैं एक में एक खिड़की,एक दरवाजा तथा तीन पेडों के चारों तरफ लगभग एक फिट उंची रिंग बनायी गई है। इससे स्पष्ट है कि सकल सामग्री रू0 678648.00 तथा श्रमांश रू0 148095.00 को मिलाकर कुल रू0 826743.00 का नियोजित ढंग से किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 826743.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री पन्ना लाल, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री पन्ना लाल, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 40

आलोच्य वर्ष में कृत कार्य मोहनपुर असिधा के चहलवा में पुल से शोभा यादव के घर तक इ0ला0 कार्य़ की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि आनलाइन मजदूरी भुगतान के सापेक्ष रू0 7494.00 के सापेक्ष पत्रावली में मस्टर रोल नहीं है। उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179(2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 7494.00 का किया गया आहरण उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत(बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 7494.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री पन्ना लाल, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री पन्ना लाल, ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 41

आलोच्य वर्ष में कृत कार्य पूरेदतई में सी0सी0 रोड से नैय्यब अली के घर तक इ0ला0 कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। जब कि मस्टर रोल बी0डी0ओ0 द्वारा पास नहीं है, अवर अभियंता, लेखाकार के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाय़े गये हैं। समस्त पत्रावली में बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर फोटो कापी हैं। पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल रू0 33009.00, दिनांकः14.02.2021 से 27.02.2021 तक है। जब कि खान कंसट्रक्शन जनरल आर्डर सप्लायर्स की इनवाइस सं0-76 दिनांकः 28.02.2021 को रू0 342343.00

की सामग्री क्रय है। कार्य समाप्ति के उपरांत सामग्री क्रय की गई है। इससे स्पष्ट है कि काल्पनिक पत्रावली तैयार कर धनराशि रू0 375352.00 आहरित किया गया है। उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 375352.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री पन्ना लाल, ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री पन्ना लाल, ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 42

आलोच्य वर्ष में कृत कार्य रमवापुर नायक में खडंजा मरम्मत कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया कि सभी मस्टर रोल बाहरी है। इस मस्टर रोल पर श्रमिकों के अंगूठा निशान सत्यापित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सभी अंगूठा निशान बनाये गये हैं। समस्त पत्रावली में बी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर फोटो कापी हैं। पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल रू0 205020.00, दिनांक 01.12.2020 से 22.01.2021 तक है। जब कि खान कंसट्रक्शन जनरल आर्डर सप्लायर्स की इनवाइस सं0-77 दिनांकः 22.02.2021 को रू0 281799.00 की सामग्री क्रय है। कार्य समाप्ति के अंतिम दिन सामग्री क्रय की गई है। इससे स्पष्ट है कि काल्पनिक पत्रावली तैयार कर धनराशि रू0 486819.00 आहरित की गई है। उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 486819.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री पन्ना लाल, ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री पन्ना लाल, ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 43

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित कार्य करवाये गये हैः

क्र0	कार्य का नाम	सामग्री	श्रमांश
1-	रमवापुर नायक में खडंजा मरम्मत कार्य।	276430.00	205020.00
2-	फरेन्दा कानूनगो में जयप्रभा में चिन्मयकुटी मोड से पूरब सी0सी0 रोड नि0।	710541.00	77280.00
3-	फरेन्दा कानूनगो में जयप्रभा ग्राम में जेनरेटर हाऊस से चिन्मयकुटी से पूरब सी0सी0 रोड नि0।	711283.00	77280.00
4-	सेठ एजेंसीज को कुर्सी,मेज, रैक आदि का भुगतान।	208690.00	0.00
5-	पूरेमहा में इटियाथोक सम्पर्क मार्ग से बगुलही सम्पर्क मार्ग तक खडंजा मरम्मत कार्य।	829818.00	0.00
6-	श्री नगर में शुकुल गांव से तिलकी बाग तक इ0 ला0 कार्य।	881124.00	79188.00
7-	वेंदुली में शनिदेव मंदिर प्रांगण में इ0 ला0।	263466.00	22908.00
8-	वेंदुली में शनिदेव मंदिर परिक्रमा मार्ग पर इ0 ला0।	86147.00	7788.00
9-	वि0ख0 में सरस हाट की मरम्मत व रंगाई-पुताई कार्य।	172690.00	26640.00

10-	वि0 ख0 कार्यालय प्रयोग हेतु	58173.00	0.00
11-	पेपर का भुगतान	22488.00	0.00
12-	विहुरी खडंजा मार्ग से राम गोपाल तिवारी के घर तक इ0ला0।	712754.00	0.00
13-	बी0डी0ओ0 आवास मरम्मत।	290345.00	0.00
14-	बैट्री का भुगतान।	30302.00	0.00
	योग	5254251.00	496104.00
सकल योगः-		5750355.00	

इन कार्यों की निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे उनकी जांच नहीं की जा सकी है। इन कार्यों के सापेक्ष किया गया कुल व्यय बिना प्रमाणक किया गया व्यय माना जाता है। उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 5750355.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री पन्ना लाल, श्री जे0पी0 यादव, श्री शेर बहादुर सिंह, आर0 एन0 भारती, रवि कुमार ब्लाक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली बराबर-बराबर लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा, अवर अभियंता श्री संतोष कुमार, कार्य प्रभारी श्री जगदीश प्रसाद, खंड विकास अधिकारी श्री पन्ना लाल, श्री जे0पी0 यादव, श्री शेर बहादुर सिंह, आर0 एन0 भारती, रवि कुमार ब्लाक ब्लाक प्रमुख श्री मती पूनम द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- पडरी कृपाल, गोंडा

प्रस्तर संख्या- 44

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अनुदान पंजिका-3 अपूर्ण है। अनुदान पंजिका-3 जून 2021 तक सतत् बनायी गई है, जिसमे राज्य वित्त, केन्द्रीय वित्त, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना मद में रू0 24000.00 एवं आंगनवाडी केन्द्र निर्माण योजना मद में रू0 10820.00 और आदर्श जलाशय व आंगनवाडी ब्याज मद में रू0 44008.00, आदर्श जलाशय योजना मद में रू0 48113.00 सम्मिलित है। माह जुलाई-2021 की अनुदान पंजिका-3 नहीं बनायी गई है। नवीन अनुदान पंजिका-3 माह अगस्त 2021 से बनायी गई है। इस नवीन अनुदान पंजिका-3 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना मद में रू0 24000.00 एवं आंगनवाडी केन्द्र निर्माण योजना मद में रू0 10820.00 और आदर्श जलाशय व आंगनवाडी ब्याज मद में रू0 44008.00, आदर्श जलाशय योजना मद में रू0 48113.00 को छोड दिया गया है। पूछने पर वर्तमान लेखाकार श्री अरविन्द कुमार सिंह ने अनभिज्ञता व्यक्त किया। इस प्रकार रू0 126941.00 व्यय दर्शित है, परन्तु उसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नपीं किया गया। यह उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के अनुसार अभिलेख उपलब्ध करवाना संस्था का दायित्व है। उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 126941.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए लेखाकार श्री चंद्रिका प्रसाद जायसवाल एवं खंड विकास अधिकारी श्री आत्रेय मिश्रा उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली लेखाकार श्री चंद्रिका प्रसाद जायसवाल एवं खंड विकास अधिकारी श्री आत्रेय मिश्रा से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 45

आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत पडरी कृपाल द्वारा रू0 19283125.24 सामग्री मद में व्यय किया गया है। निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि किसी भी निर्माण कार्य में किया गया भुगतान केवल सामग्री मद में किया गया है। किसी भी निर्माण कार्य पत्रावली में मस्टर रोल नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट है कि किसी भी कार्य के सापेक्ष कोई मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। यह उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के खण्ड 49(1) का उल्लंघन है जिसमे व्यवस्था कि कार्य प्रभारी प्रपत्र सं0 नि0 का0 12 में मस्टर रोल रखेगा । वर्ष में क्रय सामग्री के सापेक्ष स्टाक पंजिका नहीं प्रस्तुत की गई। उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार रू0 19283125.24 का दुरूपयोग किया गया है। जिसके लिए लेखाकार श्री चंद्रिका प्रसाद जायसवाल एवं खंड विकास अधिकारी श्रीमती पुष्पा, श्री कुलदीप, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्रीमती एन0 बी0 सविता, श्री शेर बहादुर सिंह, श्री आत्रेय मिश्रा, अवर अभियंता श्री राम नयन, कार्य प्रभारी श्री सुधीर कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली लेखाकार श्री चंद्रिका प्रसाद जायसवाल एवं खंड विकास अधिकारी श्री मती पुष्पा,श्री कुलदीप,श्री ओम प्रकाश सिंह,श्रीमती एन0 बी0 सविता, श्री शेर बहादुर सिंह, श्री आत्रेय मिश्रा, अवर अभियंता श्री राम नयन, कार्य प्रभारी श्री सुधीर कुमार सिंह से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- मुजेहना, गोंडा

प्रस्तर संख्या- 46

क्षेत्र पंचायत मुजेहना जनपद गोंडा की 2021-22 की लेखा परीक्षा मे निम्न निर्माण कार्यों में अनियमितता पायी गयी। समस्त भुगतान मेसर्स सद्गुरु कृपा कन्स्ट्रक्शन को किया गया है-

1 बेलहरी में आर० सी० सी० पुलिया निर्माण कार्य- रू० 942419-00
2 पुरेसबसुख लोखड़ियापुरवा में रोड से लिंक रोड पर डमी आर० सी० सी० पुलिया निर्माण कार्य- रु० 804470-00
3 मतवरिया में आर० सी० सी० पुलिया निर्माण कार्य- रू० 906815-00
4 धमेयी में आर० सी० सी० पुलिया निर्माण कार्य (अब्दुल्लाह के खेत के पास)- रू० 941304-00
5 ग्राम पंचायत देवरी कलाँ में गुपतारपुरवा लिंक रोड के पास डमी आर० सी० सी० पुलिया निर्माण कार्य रु०- 931318-00
6 ग्राम पंचायत पेडारण में आर० सी० सी० पुलिया निर्माण कार्य- रू० 942419-00
7 भवानीपुर में आर० सी० सी० पुलिया निर्माण कार्य- रू० 905037-00
8 मेधवा में छोलहाक पुरवा में आर० सी० सी० पुलिया निर्माण कार्य- रू० 940174-00
9 धमेयी में मुन्नालाल उर्फ सरयू प्रसाद के खेत के पास आर० सी० सी० पुलिया निर्माण कार्य- रू० 940174-00

योग - 8254130-00

उक्त कार्यों पर कार्य दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य प्रभारी के देख रेख में कराने का आदेश जारी है जबकि मजदूरी पर भुगतान ही नहीं किया गया है। इससे अस्पष्ट होता है की कार्य ठेकेदारी प्रथा द्वारा कराया गया है।

उ० प्र० छेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) की दी गयी व्यवस्था अनुसार रू 8254130-00 की वित्तीय अनियमितता की गयी।

अतः धनराशि रू 8254130-00 की वित्तीय अनियमितता की गयी और कार्यों को मनमाने ढंग दे कराकर नियमों का उल्लंघन किया गया। जिसके उत्तरदायी बी डी ओ श्री राम सिंगार चौहान, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा, कार्य प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, लेखाकार नन्द श्याम व जे० ई० गिरजेश मणि त्रिपाठी हैं। जिसकी वसूली बराबर हिस्सों में उपरोक्त व्यक्तियों से करायी जाए।

प्रस्तर संख्या- 47

क्षेत्र पंचायत मुजेहना जनपद गोंडा की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा मे निम्न निर्माण कार्यों पर में अनियमितता पायी गयी। समस्त भुगतान मेसर्स सद्गुरु कृपा कन्स्ट्रक्शन को किया गया है

१- राजापुर पठान गाँव के उत्तर सरयू नहर लिंक रोड पर पुलिया निर्माण- रू० 939617-00

२- मूसापुर में पी०डब्लू०डी० रोड मोहनी कुटई लिंक रोड पर आर० सी० सी० पुलिया निर्माण कार्य- रु० 938509-00

योग - 1878126-00

उक्त कार्यों पर कार्य दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य प्रभारी के देख रेख में कराने का आदेश जारी है जबकि मजदूरी पर भुगतान ही नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है की कार्य ठेकेदारी प्रथा द्वारा कराया गया है।

उ० प्र० छेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) की दी गयी व्यवस्था अनुसार रू 1878126-00 की वित्तीय अनियमितता की गयी।

अतः धनराशि रू 1878126-00 की वित्तीय अनियमितता की गयी और कार्यों को मनमाने ढंग दे कराकर नियमों का उल्लंघन किया गया। जिसके उत्तरदायी बी डी ओ श्री आकाश सिंह, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा, कार्य प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, लेखाकार नन्द श्याम व जे० ई० गिरजेश मणि त्रिपाठी हैं। जिसकी वसूली बराबर हिस्सों में उपरोक्त व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- वजीरगंज, गोंडा

प्रस्तर संख्या- 48

वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में मनरेगा प्रशासनिक मद से व्यय धनराशि रू0- 243385-00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया व्यय का विवरण निम्न प्रकार है -

क्रं सं	दिनाँक	चेक सं.	धनराशि	विवरण
1	26-04-2021	324115	29910-00	लीला ट्रेडर्स प्रशासनिक मद
2	31-05-2021	324119	32350-00	लीला ट्रेडर्स जीप डीजल
3	07-06-2021	324121	4500-00	पंजाब लाइट हाउस गोण्डा
4	10-06-2021	324122	52500-00	लालजी पाण्डे बोलोरो ड्राइबर
5	08-07-2021	324123	16850-00	तिवारी इं0 प्रा0 तरबगंज
6	08-07-2021	324124	7000-00	तिवारी इं0 प्रा0 तरबगंज
7	08-07-2021	324125	23760-00	रघुवंश इं0 प्रा0 गोण्डा
8	08-07-2021	318701	14540-00	एस इं0 प्रा0 फैजाबाद
9	30-09-2021	318702	15625-00	लालजी पाण्डे वाहन स्वामी

10	01-11-2021	318703	24000-00	यात्रा भत्ता
11	03-03-2022	R.T.G.S.	22350-00	एके इं0 प्रा0 गोण्डा
		योग	**243385-00**	

उपर्युक्त व्यय धनराशि रू0- 243385-00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । उ0 प्र0 पंचायती राज (बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम 179 के उपनियम (2) के (क) से (ड़) के अन्तर्गत अपहृत रहा। जिसके जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी श्री शेरबहादुर एवं लेखाकार श्री नीरज श्रीवास्तव एवं श्री अरविन्द कुमार गुप्ता है जिसकी वसूली बराबर- बराबर हिस्सो मे किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 49

वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग की खाता संख्या 00000031653907797 से विभिन्न तिथियों में रू0- 144950-00 चेक द्वारा तथा 15वाँ वित्त आयोग के खाता संख्या 00000039495122120 चेक द्वारा रू0-70178-00 कुल योग रू0- 215128-00 संतोष कुमार के नाम से ट्रान्स्फर किया गया विवरण निम्न प्रकार है -

क्रंसं	योजना	दिनाँक	चेक नं0	धनराशि	नामें चेक
1	रा0 वि0	02-03-2022	535023	15093-00	श्री सन्तोष कुमार
2	रा0 वि0	03-03-2022	355021	99741-00	श्री सन्तोष कुमार
3	रा0 वि0	03-03-2022	355025	30114-00	श्री सन्तोष कुमार
4	15वाँ	03-03-2022	535067	70178-00	श्री सन्तोष कुमार
			योग-	215128-00	

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू0- 215128-00 विभिन्न तिथियों में चेक द्वारा संतोष कुमार के नाम से धनराशि ट्रान्सफर की गई है । लेखाकार द्वारा बताया गया कि उक्त धनराशि सामाग्री क्रय पर 2 प्रतिशत जी. एस. टी. की कटौती है। जो संतोष कुमार के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा कराया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में जी. एस. टी. जमा की पुष्टि में कोई प्रमाणक/ रसीद प्रस्तुत नही की गई । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) एवं (ख) अपहरण है तथा उ0 प्र0 पंचायती राज (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 189 उपनियम (2) के (क) से (ड़) के अन्तर्गत अपहरित है । जिसके जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी श्री विकास कुमार मिश्रा एवं लेखाकार श्री अरविन्द कुमार गुप्ता है । जिसकी वसूली बराबर- बराबर हिस्सो में किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 50

वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग मद से कराये गये निर्माण कार्य पर क्रय की गई सागाग्री पर दो प्रतिशत जी.एस. टी. कटौती न कर वित्तीय अनियमितता की गई है ।

क्र.सं	कार्य अईडी	दिनांक	बिल सं	मूल धनराशि	टी.डी.एस. 2% कटौती	जी.एस.टी. 2% कटती	जी.एस.टी 10% फर्म द्वारा चार्ज	भुगतान जी.एस.टी. सहित	प्राप्त कर्ता
1	43364074	07-04-2021	31	134275-00	3008-00	--	6714-00	137981-00	इजहार ट्रेडर्स

		07-04-2021	147	324336-00	7265-00	--	16216-00	333287-00	,, ,,
		07-04-2021	148	280605-00	6282-00	--	14745-00	289094-00	,, ,,
		07-04-2021	149	242190-00	5426-00	--	67813-00	304577-00	जीआउलहक ब्रिक फिल्ड
2	44891295	07-04-2021	30	142893-00	3200-00	--	7145-00	146838-00	इजहार ट्रेडर्स
		07-04-2021	144	231660-00	5189-00	--	64865-00	291335-00	,, ,,
		07-04-2021	145	268422-00	6012-00	--	14136-00	276546-00	,, ,,
		07-04-2021	146	310068-00	6946-00	--	15530-00	318625-00	जीआउलहक ब्रिक फिल्ड
3	45153055	07-04-2021	29	149323-00	3345-00	--	7466-00	153444-00	इजहार ट्रेडर्स
		07-04-2021	115	242190-00	5426-00	--	67813-00	304577-00	इजहार ट्रेडर्स
		07-04-2021	141	280605-00	6286-00	--	14745-00	289064-00	इजहार ट्रेडर्स
		07-04-2021	143	324336-00	7265-00	--	16216-00	333287-00	जीआउलहक ब्रिक फिल्ड
4	44890716	07-04-2021	113	242190-00	5426-00	--	67813-00	304577-00	इजहार ट्रेडर्स
		07-04-2021	142	324336-00	7265-00	--	16216-00	333287-00	इजहार ट्रेडर्स
		07-04-2021	140	280605-00	6286-00	--	14745-00	289064-00	इजहार ट्रेडर्स
		07-04-2021	28	149323-00	3345-00	--	7466-00	153444-00	जीआउलहक ब्रिक फिल्ड
					87972-00				

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य पर टी. डी. एस. कटौती की गई है कि परन्तु 2 प्रतिशत जी. एस. टी. कटौती न कर फर्म को 12 प्रतिशत जी. एस. टी. भुगतान कर वित्तीय अनियमितता किया गया है । मूल धन पर 2 प्रतिशत टी. डी. एस. कटौती रू0- 87972-00 है तो 2 प्रतिशत जी. एस. टी. कटौती रू0- 87972-00 की न कर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का उलंघन हैं । इसके जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी श्री शेर बहादुर एवं लेखाकार नीरज श्रीवास्तव है ।उत्तरदाई व्यक्तियो के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 51

वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में 15वाँ वित्त आयोग मद से कराये गये निर्माण कार्य पर क्रय की गई सागाग्री पर दो प्रतिशत जी.एस. टी. कटौती न कर वित्तीय अनियमितता की गई है।

क्र. सं	कार्य अईडी	दिनांक	बिल सं	मूल धनराशि	टी.डी.एस. 2% कटौती	जी. एस. टी.2 % कटौती	जी.एस.टी 12% फर्म द्वारा चार्ज	भुगतान जी.एस.टी सहित	प्राप्त कर्ता
1	53987790	24-10-2021	28	167500-00	3350-00	--	8375-00	172525-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	29	167500-00	3350-00	--	8375-00	172525-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	30	172800-00	3456-00	--	8640-00	177984-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	31	191528-00	3831-00	--	9576-00	197273-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	32	69080-00	1381-0	--	10159-00	77858-00	सदगुरू ट्रेडर्स

		24-10-2021	33	118400-00	2368-00	--	32002-00	148034-00	सदगुरू ट्रेडर्स
2	54029282	24-10-2021	15	167500-00	3350-00	--	8375-00	172525-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	16	167500-00	3350-00	--	8375-00	172525-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	17	167760-00	3355-00	--	8388-00	172793-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	18	191528-00	3830-00	--	9576-00	197273-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	19	69080-00	1381-0	--	10159-00	77858-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	20	118400-00	2368-00	--	32002-00	148034-00	सदगुरू ट्रेडर्स
3	5398772	24-10-2021	22	167500-00	3350-00	--	8375-00	172525-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	23	167500-00	3350-00	--	8375-00	172525-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	24	172800-00	3456-00	--	8640-00	177984-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	25	191528-00	3831-00	--	9576-00	197273-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	26	69080-00	1381-00	--	10159-00	77858-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	27	118400-00	2368-00	--	32002-00	148034-00	सदगुरू ट्रेडर्स
4	54653652	24-10-2021	34	167500-00	3350-00	--	8375-00	172525-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	35	167500-00	3350-0	--	8375-00	172525-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	36	179100-00	3582-00	--	8955-00	184473-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	37	191538-00	3831-00	--	9576-00	197273-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	38	69080-00	1381-0	--	1857-00	77858-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	39	118400-00	2368-00	--	32002-00	148034-00	सदगुरू ट्रेडर्स
5	54653752	24-10-2021	9	167500-00	3350-00	--	8375-00	172525-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	10	167500-00	3350-0	--	8375-00	172525-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	11	179100-00	3582-00	--	8955-00	184473-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	12	196528-00	3930-00	--	9826-00	202424-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	13	69080-00	1381-0	--	1857-00	77858-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	14	113400-00	2268-00	--	3152-00	142884-00	सदगुरू ट्रेडर्स
6	54029930	24-10-2021	3	167500-00	3350-00	--	8375-00	172525-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	4	167500-00	3350-0	--	8375-00	172525-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	5	179100-00	3582-00	--	8955-00	184473-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	6	196528-00	3930-00	--	9826-00	202424-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	7	69080-00	1381-0	--	1857-00	77858-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		24-10-2021	21	113400-00	2268-00	--	3152-00	142884-00	सदगुरू ट्रेडर्स
7	53989406	01-11-2021	46	189186-00	3784-00	--	10174-00	195516-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		01-11-2021	47	169706-00	3395-00	--	3485-00	174796-00	सदगुरू ट्रेडर्स

		01-11-2021	48	153600-00	3072-00	--	43008-00	193536-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		01-11-2021	49	85760-00	1715-00	--	2401-00	108058-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		01-11-2021	50	152960-00	3059-00	--	7648-00	157549-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		01-11-2021	51	144356-00	2887-00	--	7218-00	148687-00	सदगुरू ट्रेडर्स
8	53989930	01-11-2021	58	187651-00	3753-00	--	10090-00	193996-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		01-11-2021	59	133300-00	2666-00	--	6665-00	137299-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		01-11-2021	60	118720-00	2374-00	--	33242-00	149588-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		01-11-2021	61	118400-00	2368-00	--	33152-00	149184-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		01-11-2021	62	152960-00	3059-00	--	7648-00	157549-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		01-11-2021	63	141488-00	2830-00	--	7074-00	145732-00	सदगुरू ट्रेडर्स
9	54653499	01-11-2021	40	167500-00	3350-00	--	8375-00	172525-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		01-11-2021	41	167500-00	3350-0	--	8375-00	172525-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		01-11-2021	42	179100-00	3582-00	--	8955-00	180891-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		01-11-2021	43	196528-00	3930-00	--	9826-00	202424-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		01-11-2021	44	69080-00	1381-0	--	1857-00	77858-00	सदगुरू ट्रेडर्स
		01-11-2021	45	113400-00	2268-00	--	31752-00	142884-00	सदगुरू ट्रेडर्स
					159513-00				

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य वित्त से कराये गये निर्माण कार्य पर टी. डी. एस. कटौती की गई है कि परन्तु 2 प्रतिशत जी. एस. टी. कटौती न कर फर्म को 12 प्रतिशत जी. एस. टी. भुगतान कर वित्तीय अनियमितता किया गया है। मूल धन पर 2 प्रतिशत टी. डी. एस. कटौती रू0- 159513-00 है तो 2 प्रतिशत जी.एस.टी. कटौती रू0- 159513-00 की न कर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का उलघन किया गया है। इसके जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी श्री शेर बहादुर एवं लेखाकार अरविनद कुमार गुप्ता है । उत्तरदाई व्यक्तियो के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 52

वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग एवं 15वाँ वित्त आयोग मद से कराये गये निर्माण कार्य पर क्रय की गई सागाग्री पर दो प्रतिशत जी.एस. टी. कटौती कर के जी. एस. टी. खाते में जमा न कर धन का अपहरण किया गया है।

क्रं.सं.	योजना	कार्य अईडी	दिनांक	बिल सं	मूल धनराशि	टी.डी.एस. 2% कटौती	जी.एस.टी 2% कटौती	जी.एस.टी 10% फर्म द्वारा चार्ज	भुगतान G.S.T. सहित	प्राप्त कर्ता
1	रा0 वि0	45153112	07-11-2021	85	589248-00	11785-00	11785-00	17677-00	583355-00	सदगुरू कां0
			07-11-2021	87	275484-00	5510-00	5510-00	57418-00	321882-00	सदगुरू कां0
2	रा0 वि0	44891469	08-12-2021	51	886520-00	17730-00	17730-00	76929-00	927989-00	सदगुरू कां0
3	रा0 वि0	53989464	08-12-2021	52	793283-00	15866-00	15866-00	76791-00	830342-00	सदगुरू कां0

4	रा0 वि0	44891604	08-12-2021	53	793283-00	15866-00	15866-00	76791-00	830342-00	सदगुरू कां0
5	रा0 वि0	54029398	07-11-2021	81	720658-00	14413-00	14413-00	21620-00	713452-00	सदगुरू कां0
6	रा0 वि0	54034118	10-01-2022	55	745018-00	14900-00	14900-00	66470-00	781688-00	सदगुरू कां0
7	रा0 वि0	54029859	12-02-2022	56	754652-00	15093-00	15093-00	67445-00	791711-00	सदगुरू कां0
8	रा0 वि0	54029722	08-03-2022	59	752862-00	15057-00	15057-00	67267-00	790015-00	सदगुरू कां0
9	रा0 वि0	54030098	08-03-2022	57	752862-00	15057-00	15057-00	67267-00	790015-00	सदगुरू कां0
10	15वाँ वि0	47361533	07-11-2021	71	167500-00	3350-00	3350-00	8040-00	168840-00	सदगुरू कां0
			07-11-2021	72	167500-00	3350-00	3350-00	8040-00	168840-00	सदगुरू कां0
			07-11-2021	73	189930-00	3799-00	3799-00	9116-00	191447-00	सदगुरू कां0
			07-11-2021	74	124470-00	2489.50	2489.50	5975-00	125466-00	सदगुरू कां0
			07-11-2021	75	151497-00	3030-00	3030-00	7272-00	152709-00	सदगुरू कां0
			07-11-2021	76	69800-00	1356-00	1356-00	9877-00	76885-00	सदगुरू कां0
			07-11-2021	78	63650-00	1273-00	1273-00	3055-00	64159-00	सदगुरू कां0
11	15वाँ वि0	53989242	07-11-2021	52	189186-00	3783.50	3783.50	10295-00	191914-00	सदगुरू कां0
			07-11-2021	53	163240-00	3401-00	3401-00	8162-00	171402-00	सदगुरू कां0
			07-11-2021	54	153600-00	3072-00	3072-00	41288-00	188744-00	सदगुरू कां0
			07-11-2021	55	85760-00	1715-00	1715-00	23052-00	105382-00	सदगुरू कां0
			07-11-2021	56	152960-00	3059-00	3059-00	7342-00	154144-00	सदगुरू कां0
			07-11-2021	57	144356-00	2887-00	2887-00	6929-00	145511-00	सदगुरू कां0
12	15वाँ वि0	53987640	07-11-2021	79	709878-00	14198-00	14198-00	21296-00	702778-00	सदगुरू कां0
			07-11-2021	80	183650-00	3673-00	3673-00	38530-00	214834-00	सदगुरू कां0
13	15वाँ वि0	53987851	07-11-2021	83	720268-00	14405-00	14405-00	21608-00	713066-00	सदगुरू कां0
			07-11-2021	84	183650-00	3673-00	3673-00	8835-00	214834-00	सदगुरू कां0
14	15वाँ वि0	53991365	10-01-2022	54	777136-00	15542-00	15542-00	46708-00	800472-00	सदगुरू कां0
								योग-	229333-00	

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू0- 229333-00 क्रय की गई निर्माण सामाग्री से दो प्रतिशत जी. एस. टी. कटौती का गई है किन्तु कटौती की धनराशि जी.एस,टी खाते में जमा न कर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का उल्घन कर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है । जिसके जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी श्री शेर बहादुर एवं श्री विकास कुमार मिश्र तथा लेखाकार अरविंद कुमार गुप्ता है जिसकी वसूली बराबर- बराबर हिस्सो मे किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 53

वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त आयोग से कराये गये में निर्माण कार्य मे निम्मलिखित कमी पायी गई । विवरण निम्न प्रकार है -

कार्य आई डी	कार्य का विवरण	सामाग्री	श्रमांश		योग
			कुशल	अकुशल (नरेगा)	
45153112	सी.सी. रोड निर्मीण ग्राम पंचायत	905237-00	--	124848-00	1030085-00

	बेलिया में चौधरीपुरवा रोड के सामने पूर्व प्रधान के आम के बाग तक (200*3) मीटर				

टेन्डर आमंत्रण - दिनाँक - 01-09-2021 से 07-09-2021 तक

टेन्डर स्वीकृत- पत्रांक - 15 दिनाँक - 26-09-2021

वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृत - पत्रांक - 15 दिनाँक - 26-09-2021

कार्य प्रभारी - श्री विजय कुमार सिंह ए.डी.ओ (आई.एस.वी.)

नियुक्ति- पत्रांक - 15 दिनाँक - 26-09-2021

जे.ई. - श्री करनपाल सिंह पत्रांक - 15 दिनाँक - 26-09-2021

स्टीमेट के अनुसार - 866977.11

जी.एस.टी. - 92501.86

मजदूरी मनरेगा अंश- 132677-00

योग- 1092156.96

एम.बी. के अनुसार - 866976.14

जी.एस. टी. 92501.86

मजदूरी मनरेगा अंश 132677-00

योग- 1092155-00

श्रमांस भुगतान का विवरण - नरेगा अंश

1-म0 रो0 - 193 दि0 - 06-04-2021 से 17-04-2021 तक
10*12= 120 मा0 दि0दर204= 24480

2-म0 रो0 - 194 दि0 - 06-04-2021 से 17-04-2021 तक
4*12= 48 मा0 दि0 दर 204 = 9792

3-म0 रो0 - 252 दि0 - 22-04-2021 से 03-05-2021 तक
10*12= 120 मा0 दि0दर204= 24480

4-म0 रो0 - 253 दि0 - 22-04-2021 से 03-04-2021 तक
4*12= 48 मा0 दि0 दर 204 = 9792

5- म0 रो0 -1023 दि0 14-05-2021 से 15-05-2021
10*12= 120 मा0 दि0दर204= 24480

6- म0 रो0 -1024 दि0 14-05-2021 से 15-05-2021
10*12= 120 मा0 दि0दर204= 24480

7- म0 रो0 -1025 दि0 14-05-2021 से 15-05-2021
3*12 = 36 मा0 दि0दर 204= 7344

योग=

124848-00

बिल सं.	दिनाँक	मूल धनराशि	टी.डी.एस. कटौती 2%	जी.एस,टी कटौती 2%	जी.एस,टी. 10%	भुगतान धनराशि	प्राप्त कर्ता

85	07-11-2021	589248-00	17785-00	17785-00	17677-00	583355-00	सदगुरू कां0
87	07-11-2021	275484-00	5510-00	5510-00	57418-00	321882-00	सदगुरू कां0
योग		864732-00	17295-00	17295-00	75095-00	905237-00	

उपर्युक्त विवरण के अनुसार कराये गये निर्माण कार्य में निम्नलिखित कमियाँ पायी गई है ।

1-वित्तीय स्वीकृत एवं प्रशासनिक स्वीकृत , कार्य प्रभारी की नियुक्ति टेण्डर स्वीकृत तथा जे.ई. की नियुक्ति एक ही पत्रांक एवं दिनाँक से किया गया है जो कि अनुचित है । पत्रांक संख्या अलग- अलग होना आपेक्षित है ।

2- कार्य ग्राम पंचायत बेलिया के अंतर्गत कराया गया है जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा दो ग्राम पंचायतो के सीमा को जोड़ने वाला होना चाहिये ।

3- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावली में कार्य पूर्ती प्रमाणपत्र संलग्न नही था ।इससे यह ज्ञात नही किया जा सका कार्य प्रारम्भ कब हुआ, कार्य समाप्त कब हुआ तथा कितनी धनराशि सामाग्री पर व्यय की गई एवं कितनी धनराशी मजदूरी पर व्यय की गई। कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है ।

4- माप पुस्तिका में प्रारम्भ दिनाँक , कम्पीलीशन दिनाँक एवं मेजरमेंट का दिनाँक अंकित नही है । जो कि अपेक्षित है ।

5- म0 रो0 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि के कार्य दिनाँक- 06-04-2021 से 25-05-2021 तक कराया गया जबकि सामाग्री की आपूर्ति मे0 सदगुरू कां0 के बिल संख्या 85 एवं 87 दिनाँक 07-11-2021 को प्रस्तुत किया गया। इससे स्पष्ट है कि बिना सामाग्री के ही कार्य लगभग सात माह पूर्व करा लिया गया था । बिना सामाग्री के कार्य कराया जाना अपवाद है ।

6-माप पुस्तिका के अनुसार मजदूरी मनरेगा अंश रू0- 132677-00 दर्शित है। जबकि संलग्न म0 रो0 के अनुसार रू0- 124848-00 का ही भुगतान किया गया है । यर्थाथ माप पुस्तिका से 7829-00 रू0- कम भुगतान कर वित्तीय अनियमितता की गई है ।

7-माप पुस्तिका के अनुसार सामाग्री क्रय पर रू0- 866976.14+ जी.एस,टी 12% रू0- 92501.86 योग रू0- 959478-00 दर्शित है । जबकि सामाग्री पर वास्तविक भुगतान रू0- 812847-00 + जी.एस,टी 12% रू0- 92390-00 योग रू0- 909237-00 इस प्रकार सामागी क्रय पर माप पुस्तिका से रू0- 54129.14 कम सामाग्री क्रय कर अनियमितता की गई है ।

8-माप पुस्तिका के अनुसार मजदूरी पर भुगतान र0- 132677-00 दर्शित है जबकि संलग्न म0 रो0 के अनुसार रू0- 124848-00 भुगतान किया गया है इस प्रकार रू0- 7829-00 श्रमांस कम भुगतान कर अनियमितता की गई है ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू0 54129-00 सामाग्री क्रय एवं रू0 7829-00 मजदूरी कुल योग रू0 61958-00 कम भुगतान किया गया है । इससे स्पष्ट है कि कार्य

पूर्ण नही कराया गया है। अथवा मानक के अनुसार न कराकर रू 1030085-00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। इसके जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी श्री शेर बहादुर एवं लेखाकार श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, नीरज कुमार श्रीवास्तव तथा कार्य प्रभारी श्री विजय कुमार सिंह है । इस प्रति नियमानुसार उत्तरदायी के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 54

वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत द्वारा राज वित्त आयोग मद से सी.सी. रोड निर्माण ग्राम पंचायत करनीपुर में पक्की सड़क से अरविन्द तिवारी के घर तक आई.डी. 47364074 में निम्न प्रकार की वित्तीय अनियमितता पायी गई । विवरण निम्न प्रकार है -

1-स्टीमेट के अनुसार सामाग्री क्रय	रू0-	996455.18
2- जी.एस.टी. 12% -	रू0-	106241.46
3-श्रमांस-मनरेगा अंश	रू0-	152428.39
1-माप पुस्तिका के अनुसार सामाग्री क्रय	रू0-	949046.32
2-जी.एस. टी. 12% -	रू0-	101449.12
3-श्रमांस-मनरेगा अंश	रू0-	146454.12

निविदा प्रकाशन- पत्रांक - 594 दिनाँक 02-02-2021

निविदा आमंत्रण - दिनाँक 03-02-2021 से 09-02-2021 तक

वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृत - पत्रांक -28 दिनाँक - 27-01-2021

कार्य प्रभारी की नियुक्ति - पत्रांक - 28 दिनाँक 27-01-2021

निविदा स्वीकृत- पत्रांक - 28 दिनाँक - 27-01-2021 1- जिआउलहक ब्रिक फील्ड 2- इजहार ट्रेडर्स

जेई की नियुक्ति- पत्रांक-28 दिनाँक - 27-01-2021

सामाग्री क्रय

बिल संख्या	दिनाँक	धनराशि	2% टी.डी.एस. कटौती	.जी.एस,टी 12%	भुगतान धनराशि	प्राप्त कर्ती
31	07-04-2021	134275-00	3008-00	6714-00	137981-00	जिआउलहक ब्रिक फील्ड
147	07-04-2021	324336-00	7265-00	16216.80	333287-00	इजहार ट्रेडर्स
148	07-04-2021	280605-00	6286-00	14745-00	289064-00	इजहार ट्रेडर्स
149	07-04-2021	242190-00	5426-00	67813-00	304577-00	इजहार ट्रेडर्स
	योग	981406-00	21985-00	105188.80	944909-00	

मजदूरी भुगतान (नरेगा अंश)

1-म0 रो0 - 187 दिनाँक - 06-04-2021 से 17-04-2021 तक

10*12 = 120 मा0 दि0 दर 204 = 24480

2- म0 रो0 - 188 दिनाँक - 06-04-2021 से 17-04-2021 तक

5*12 = 60 मा0 दि0 दर 204 = 12240

3- म0 रो0 - 131 दिनाँक - 22-04-2021 से 03-05-2021 तक

10*12 = 120 मा0 दि0 दर 204 = 24480

4- म0 रो0 - 232 दिनाँक - 22-04-2021 से 23-04-2021 तक

5*12 = 60 मा0 दि0 दर 204 = 12240

5- म0 रो0 - 1029 दिनाँक - 14-05-2021 से 25-05-2021 तक

10*12 = 120 मा0 दि0 दर 204 = 24480

योग = 97920-00

उपर्युक्त विवरण के अनुसार कराये गये निर्माण कार्य में निम्नलिखित कमियाँ पायी गई है ।

1-वित्तीय स्वीकृत एवं प्रशासनिक स्वीकृत , कार्य प्रभारी की नियुक्ति टेण्डर स्वीकृत तथा जे.ई. की नियुक्ति एक ही पत्रांक एवं दिनाँक से किया गया है जो कि अनुचित है । पत्रांक संख्या अलग- अलग होना आपेक्षित है ।

2- कार्य ग्राम पंचायत करनीपुर के अंतर्गत कराया गया है जबकि क्षेत्र पंचायत द्वारा दो ग्राम पंचायतो के सीमा को जोड़ने वाला होना चाहिये।

3- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावली में कार्य पूर्ती प्रमाणपत्र संलग्न नही था ।इससे यह ज्ञात नही किया जा सका कार्य प्रारम्भ कब हुआ, कार्य समाप्त कब हुआ तथा कितनी धनराशि सामाग्री पर व्यय की गई एवं कितनी धनराशी मजदूरी पर व्यय की गई। कार्यपूर्ती प्रमाणपत्र पत्रावली में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

4- माप पुस्तिका में प्रारम्भ दिनाँक , कम्पीलीशन दिनाँक एवं मेजरमेंट का दिनाँक अंकित नही है । जो कि अपेक्षित है।

5- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि टेण्डर विज्ञापन पत्रांक संख्या 594 दिनाँक 02-02-2021 को किया गया। जबकि वित्तीय स्वीकृत/प्रशासनित स्वीकृत, कार्य प्रभारी की नियुक्ति ,निविदा स्वीकृत, पत्रांक संख्या 28 दिनाँक 27-01-2021 को किया गया है । जो कि टेण्डर विज्ञापन से पहले ही किया गया दर्शित है।

6-माप पुस्तिका के अनुसार मजदूरी मनरेगा अंश रू0- 146454.12 दर्शित है। जबकि संलग्न म0 रो0 के अनुसार रू0- 97920-00 का ही भुगतान किया गया है। यर्थाथ माप पुस्तिका से 48354.12 रू0- कम भुगतान कर वित्तीय अनियमितता की गई है ।

7-माप पुस्तिका के अनुसार सामाग्री क्रय पर रू0- 949046.32+ जी.एस.टी. 12% रू0- 101449.12योग रू0- 1050495.44 दर्शित है । जबकि सामाग्री पर वास्तविक भुगतान रू0- 839721-00+ जी.एस.टी. 12% रू0- 105188-00 योग रू0- 944909-00 इस प्रकार सामागी क्रय पर माप पुस्तिका से रू0- 105586.44 कम सामाग्री क्रय कर अनियमितता की गई है ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू0 105586-44 सामाग्री क्रय एवं रू0 48354.12-00 मजदूरी दर्शित है । इससे स्पष्ट है कि कार्य पूर्ण नही कराया गया है । अथवा मानक के

अनुसार न कराकर रू 1042829-00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है । इसके जिम्मेदार खण्ड विकास अधिकारी श्री शेर बहादुर एवं लेखाकार श्री अरविन्द कुमार गुप्ता , नीरज कुमार श्रीवास्तव तथा कार्य प्रभारी श्री विजय कुमार सिंह है । इस प्रति नियमानुसार उत्तरदायी के प्रति आवश्यक कार्यवाही आपेक्षित है

क्षेत्र पंचायत- पण्डरी कृपाल, गोंडा

प्रस्तर संख्या- 55

आलोच्य वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आदर्श जलाशय योजना मद में रू0 10305.00 व्यय किया गया है। उसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। यह उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत(बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के अनुसार अभिलेख उपलब्ध करवाना संस्था का दायित्व है। उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत(बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि रू0 10305.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा एवं खंड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र राम प्रजापति, श्री मती पुष्पा उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा एवं खंड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र राम प्रजापति, श्रीमती पुष्पा से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 56

आलोच्य वर्ष में क्षेत्र पंचायत पडरी कृपाल द्वारा रू0 19560469.00 सामग्री मद में व्यय किया गया है। निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि किसी भी निर्माण कार्य में किया गया भुगतान केवल सामग्री मद में किया गया है। किसी भी निर्माण कार्य पत्रावली में मस्टर रोल नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट है कि किसी भी कार्य के सापेक्ष कोई मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। यह उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के खण्ड 49 (1) का उल्लंघन है जिसमे व्यवस्था कि कार्य प्रभारी प्रपत्र सं0 नि0 का0 12 में मस्टर रोल रखेगा । वर्ष में क्रय सामग्री के सापेक्ष स्टाक पंजिका नहीं प्रस्तुत की गई। उत्तर-प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ङ) तक दी गयी व्यवस्थानुसार रू0 19560469.00 का दुरूपयोग किया गया है। जिसके लिए प्रमुख श्री मुनीजर वर्मा एवं खंड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र राम प्रजापति, श्री मती पुष्पा, अवर अभियंता राम नयन, कार्य प्रभारी श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव (ए0 डी 0ओ0 आई0 एस0 बी0), लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली श्री मुनीजर वर्मा एवं खंड विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र राम प्रजापति, श्रीमती पुष्पा, अवर अभियंता राम नयन, कार्य प्रभारी श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव (ए0 डी0 ओ0 आई0 एस0 बी0), लेखाकार श्री के0 के0 मिश्रा से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

जनपद - श्रावस्ती

प्रारूप-3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

क्षेत्र पंचायत - हरिहरपुर रानी 2019-20 से 2021-22 जनपद - श्रावस्ती

प्रस्तर - 1 क्षेत्र पंचायत हरिहरपुर रानी के वर्ष 2019-20 के चतुर्थ राज वित्त आयोग निर्माण मद से भुगतान की गई धनराशि जो ठेकेदारों/फर्मों को की गयी है पर राजकीय राजस्व टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गयी। इस प्रकार राजकीय राजस्व की प्रत्यक्ष रूप से क्षति करके आर्थिक अपराध के अन्तर्गत राजस्व का अपहरण किया गया है। उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या-179 (2)(क) से (ङ) के अन्तर्गत प्रकरण अधिभार योग्य है। अतः राजस्व के क्षति के प्रति उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार पाठक श्री यशोवर्धन सिंह एवं लेखाकार श्री कैलाश नाथ से राजस्व की क्षतिपूर्ति कराकर नियत राजकीय मद में जमा कराया जाना अभीष्ट है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस सम्बन्ध में विरूद्ध कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट है। विवरण निम्न प्रकार रहा है-

क्रं.सं.	कार्य का नाम	बिल की धनराशि	टी.डी.एस.(2%)
1.	पी डब्लू.डी.रोड से.त्रिभुवन नगर होते हुए बंधा तक खडंजा निर्माण कार्य	397160.96	7943.00
2.	सतगुरु गडरिया के घर से रामसमुझ पासी के घर तक खडंजा निर्माण कार्य	327796.00	6556.00
3.	पीडब्लू.डी.रोड से. सहरिया गाँवमें मस्जिद तक इंटरलॉकिंग	444176.00	8884.00
4.	ग्राम सोहरत पुर में डाकिया के घर से मुन्ना यादव के घर तक खडंजा निर्माण	497620.00	9952.00
5.	सुल्तानजोत पक्की सड़क से जवाहिर के घर तक खडंजा निर्माण	504642.44 316951.00	10093.00 6339.00
6.	पी डब्लू.डी.रोड से धोबियनपुरवा.से नौबस्ता गॉव तक खडंजा मरम्मत	362901.00 351725.00	7258.00 7035.00
7.	रोज अली के घर से तेपरा में दद्दन के घर तक खडंजा निर्माण	339715.00	6794.00
8.	ब्लाक मुख्यालय में सार्वजानिक शौचालय निर्माण	183190.00	3664.00
9.	ग्राम पुरैनिया में पीडब्लू.डी.रोड से राजू सिंह के घर तक . खडंजा निर्माण	211294.00 57340.48	4226.00 1147.00
10.	ग्राम सेमरी में बैधू मिश्रा के से टमाटर मिश्रा के घर तक खडंजा निर्माण	501247.00	10025.00
11.	ग्राम रंजीतपुर में दिनेश मिश्रा के घर से राम कुबेर के बगीचे तक खडंजा मिर्माण	156714.00	3134.00
12.	विकास खण्ड परिसर में छतिग्रस्त बाउड़री वाल की मरम्मत	214701.00	4294.00
13.	ब्लाक मुख्यालय में बीडी.ओ.कक्ष में बाल पेपर व फॉर . सेलिंग कार्य	137977.76	2760.00
14.	परशुरामपुर खालसा में प्रहलाद के घर से नानबाबू के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य	526556.00	10531.00
15.	पोखरा मंदिर से गुलरा तक खडंजा मरम्मत	713677.97	14274.00
16.	पुरनिया पीडब्लू.डी.रोड से पारस सिंह के घर तक खडंजा .	73541.00	1471.00

	निर्माण		
17.	परसाडेहरियाके गाव मोहम्मद पुर में अनीस के घर से साबिर के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य	594519.52	11890.00
			138270.00

प्रस्तर - 2 क्षेत्र पंचायत हरिहरपुर रानी के वर्ष 2019-20 के चतुर्थ राज वित्त आयोग निर्माण मद से भुगतान की गई धनराशि जो ठेकेदारों/फर्मों को की गयी है पर राजकीय राजस्व; लेबर सेस की कटौती नहीं की गयी। कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक 9755/ एम टी/सामान्य वर्ग// 40एम्-.टी. 45/2017 दिनांक 19.12.2017 में दिए गए निर्देश "शासन द्वारा समस्त खण्डों को तत्काल यह दिशा निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाय एवं समस्त समावेशी उपबंधों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाय |" इस प्रकार राजकीय राजस्व की प्रत्यक्ष रूप से क्षति करके आर्थिक अपराध के अन्तर्गत राजस्व का अपहरण किया गया है। उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या-179 (2) (क) से (ङ) के अन्तर्गत प्रकरण अधिभार योग्य है। अतः राजस्व के क्षति के प्रति उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार पाठक श्री यशोवर्धन सिंह एवं लेखाकार श्री कैलाश नाथ से राजस्व की क्षतिपूर्ति कराकर रू.69135.00 नियत राजकीय मद में जमा कराया जाना अभीष्ट है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस सम्बन्ध में विरूद्ध कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट है। विवरण निम्न प्रकार रहा है -

1. क्रं.सं.	**कार्य का नाम**	**बिल की धनराशि**	**लेबर सेस (1%)**
1.	पी डब्लू.डी.रोड से.त्रिभुवन नगर होते हुए बंधा तक खडंजा निर्माण कार्य	397160.96	3972.00
2.	सतगुरु गडरिया के घर से रामसमुझ पासी के घर तक खडंजा निर्माण कार्य	327796.00	3278.00
3.	पीडब्लू.डी.रोड से. सहरिया गाँवमें मस्जिद तक इंटरलॉकिंग	444176.00	4442.00
4.	ग्राम सोहरत पुर में डाकिया के घर से मुन्ना यादव के घर तक खडंजा निर्माण	497620.00	4976.00
5.	सुल्तानजोत पक्की सड़क से जवाहिर के घर तक खडंजा निर्माण	504642.44 316951.00	5046.00 3170.00
6.	पी डब्लू.डी.रोड से धोबियनपुरवा.से नौबस्ता गॉव तक खडंजा मरम्मत	362901.00 351725.00	3629.00 3517.00
7.	रोज अली के घर से तेपरा में दद्दन के घर तक खडंजा निर्माण	339715.00	3397.00
8.	ब्लाक मुख्यालय में सार्वजानिक शौचालय निर्माण	183190.00	1832.00
9.	ग्राम पुरैनिया में पीडब्लू.डी.रोड से राजू सिंह के घर . तक खडंजा निर्माण	211294.00 57340.48	2113.00 573.00
10.	ग्राम सेमरी में बैधू मिश्रा के से टमाटर मिश्रा के घर तक खडंजा निर्माण	501247.00	5012.00
11.	ग्राम रंजीतपुर में दिनेश मिश्रा के घर से राम कुबेर के बगीचे तक खडंजा मिर्माण	156714.00	1567.00
12.	विकास खण्ड परिसर में छतिग्रस्त बाउड़री वाल की मरम्मत	214701.00	2147.00
13.	ब्लाक मुख्यालय में बीडी.ओ.कक्ष में बाल पेपर व .	137977.76	1380.00

	फॉर सेलिंग कार्य		
14.	परशुरामपुर खालसा में प्रह्लाद के घर से नानबाबू के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य	526556.00	5266.00
15.	पोखरा मंदिर से गुलरा तक खडंजा मरम्मत	713677.97	7137.00
16.	पुरनिया पीडब्लू.डी.रोड से पारस सिंह के घर तक . खडंजा निर्माण	73541.00	735.00
17.	परसाडेहरियाके गाव मोहम्मद पुर में अनीस के घर से साबिर के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य	594519.52	5945.00
			69135.00

क्षेत्र पंचायत - गिलौला 2020-21 से 2021-22 तक

प्रस्तर - 3 क्षेत्र पंचायत गिलौला वर्ष 2021-22 में विधान मण्डल योजनान्तर्गत ग्राम सभा कुरबेनी में गांव के दक्षिण पक्की रोड से बालक राम तिवारी के घर से गांव के उत्तर जियो टावर तक इण्टरलॉकिंग कार्य कराया जाना दर्शित है। कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि स्वीकृत प्राक्कलन दर्शित कार्य की मात्रा एवं जे०ई० बिल फार्म में अंकित कार्य की मात्रा में निम्न विवरणानुसार अन्तर पाया गया -

क्र0सं0	विवरण	स्टीमेट में दर्शित कार्य की मात्रा एवं दर	जे.ई. बिल फार्म में दर्शित कार्य की मात्रा एवं दर	अधिक भुगतानित धनराशि
01	सप्लाई एण्ड लेईंग इण्टरलाकिंग टाईल्स	320.04दर प्रति 718.00 कुल= 229788.72	351.69दर प्रति 718.00 कुल धनराशि रू0252513.00	रू0 22725.00
02	अर्थ वर्क कार्टेज 2 किमी.	178.50घनमी0 दर प्रति 86.00 कुल धनराशि रू0 15351.00	195.51 घनमी0 दर प्रति 86.00 कुल धनराशि रू0 16813.86	1462.86
		योग		24187.86
		12 प्रतिशत जी.एस.टी. जोड़ने पर		2902.54
		कुल योग		27090.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राक्कलन में स्वीकृत कार्य की मात्रा में परिवर्तन/वृद्धि करके कार्य कराया गया है और इसकी स्वीकृति मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत करने वाले अधिकारी से पुन: नहीं ली गई है। भले ही कार्य स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत कराया गया है। उपरोक्त कार्य क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 15 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार "स्वीकृत नक्शा या अनुमानों में परिवर्तन विस्तार या कटौती की प्रक्रिया बिना उस प्राधिकारी जिसने मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत किया है।" के अवैध है। अत: स्पष्ट है कि रू० 27090.00 की क्षेत्र पंचायत के धन की गम्भीर अनियमितता की है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सरयू प्रसाद सिंह तथा अवर अभियन्ता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव एवं श्री शिव कुमार, लेखाकार उत्तरदायी हैं।

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमानुसार 1965 के नियम 179(2) क से ड. के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अत: रू० 27090.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति श्री सरयू प्रसाद सिंह खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव एवं श्री शिवकुमार, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 4 क्षेत्र पंचायत गिलौला वर्ष 2021-22 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत ग्राम कुरबेनी में प्राथमिक पाठशाला कुरबेनी से ओमकार के घर तक 250 मीटर इंटरलाकिंग कार्य स्वीकृत प्राक्कलन में बिल ऑफ क्वान्टिटी के अनुसार रू0 981937.00 स्वीकृत की गई है। कार्य पत्रावली में संलग्न बिल ऑफ क्वान्टिटी एवं फॉर्म- 27 रनिंग एकांउट बिल में अन्तर पाया गया । दर्शित कार्य एवं क्रमांक-5 पर अंकित प्रोवाइडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट कंकरीट 1:2:4 पर बिल्कुल कार्य नहीं कराया गया है, जो कार्य की गुणवत्ता को

प्रभावित करता है तथा वह धन अन्य कार्य पर व्यय करना धन के दुरूपयोग को दर्शाता है। विवरण निम्न प्रकार है-:

क्र0सं0	विवरण	स्टीमेट में दर्शित कार्य की मात्रा एवं दर	जे.ई. बिल फार्म में दर्शित कार्य की मात्रा एवं दर	अधिक भुगतानित धनराशि
01	पी0/एल आफ जी.एस.बी. बेस कंकरीट	50.01 घनमी0 दर प्रति 4038.00 कुल धनराशि रू0 201925.24	57.09 घनमी0 दर प्रति 4038.00 कुल धनराशि रू0 230529.00	रू0 28604.00
02	सप्लाई एण्ड लेईंग इण्टरलाकिंग ब्लाक	666.75 वर्गमी0 दर प्रति 718.00 कुल धनराशि रू0 478726.00	709.36 वर्गमी0 दर प्रति 718.00 कुल धनराशि रू0 509320.00	रू0 30594.00
03	प्रोवाइडिंग एण्ड लेईंग सीमेंट कंकरीट 1:2:4	115.00 वर्गमी0 दर प्रति 210.00 कुल धनराशि रू0 24150.00	-	रू0 24150.00
		योग		83348.00
		12 प्रतिशत जी.एस.टी. जोड़ने पर		10002.00
		कुल योग		93350.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राक्कलन में स्वीकृत कार्य की मात्रा में परिवर्तन/वृद्धि करके कार्य कराकर के, कार्य कराया गया है और इसकी स्वीकृति मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत करने वाले अधिकारी से पुन: नहीं ली गई है। भले ही कार्य स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत कराया गया है। उपरोक्त कार्य क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम संख्या 15 मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार ''स्वीकृत नक्शा या अनुमानों में परिवर्तन विस्तार या कटौती की प्रक्रिया बिना उस प्राधिकारी जिसने मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत किया है'' के अवैध है। अत: स्पष्ट है कि रू० 93350.00 की क्षेत्र पंचायत के धन दुरूपयोग को दर्शाता है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री सरयू प्रसाद सिंह तथा अवर अभियंता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव तथा लेखाकार श्री शिव कुमार उत्तरदायी हैं।

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमानुसार 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड़) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अत: रू० 93350.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति श्री सरयू प्रसाद सिंह खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव तथा शिव कुमार लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 5 क्षेत्र पंचायत गिलौला वर्ष 2020-21 में 15वां वित्त योजना के अन्तर्गत ग्राम गिलौली में सुभाष के खेत से मरघटिया तालाब तक नाला निर्माण कार्य कराया जाना दर्शित है। कार्य पत्रावली में स्वीकृत स्टीमेट में 180 मी0 लम्बे नाले के निर्माण पर रू0 752900.00 धनराशि स्वीकृत है। पत्रावली में संलग्न जे०ई० बिल फॉर्म में कार्य पर रू० 501246.00 का भुगतान कर कार्य को पूर्ण दर्शाया गया है। जे०ई० बिल फॉर्म में 180 मी० नाले के निर्माण में फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क 76.26 घनमी० के सापेक्ष 51.55 घनमी० ही कार्य दर्शाकर लगभग 121.64 मी० नाले का निर्माण होना दर्शित है तथा जे०ई०बिल फार्म 180 मी० नाले के निर्माण में स्टीमेट में दर्शित 459 वर्गमी०, 12 मिमी० प्लास्टर 1:4 के सापेक्ष 238.71 वर्गमी० के अनुसार 93मी० नाले पर प्लास्टर कार्य कराया गया है तथा स्वीकृत स्टीमेट में दर्शित बिल ऑफ क्वान्टिटी में क्रमांक-6 तथा क्रमांक-7 पर अंकित कार्य पर व्यय नहीं किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि प्राक्कलन में स्वीकृत कार्य एवं धनराशि के सापेक्ष कम कार्य कराया गया है और परियोजना अधूरी रह गई है। प्राक्कलन में स्वीकृत कार्य के कई मदों पर कार्य नहीं कराया गया है। स्वीकृत कार्य नक्शे में सारवान परिवर्तन करके कार्य कराया गया है और इसकी स्वीकृति मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत करने वाले अधिकारी से पुनः नहीं ली गई है। उपरोक्त कार्य क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के निमय-15 के अनुसार ''स्वीकृत नक्शा या अनुमानों में

परिवर्तन विस्तार या कटौती की प्रक्रिया बिना उस प्राधिकारी जिसने मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत किया है'' के अवैध है। अत: कराया गया कार्य गुणवत्ता विहीन एवं धन का दुरूपयोग एवं अपव्यय है। जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमानुसार 1965 के निमय 179 (2) (क) से (ड.) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। परियोजना पर कुल रू० 501246.00 के दुरूपयोग के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री आर०पी०शर्मा तथा अवर अभियन्ता श्री नौमी लाल एवं श्री शिव कुमार लेखाकार उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री आर०वी०शर्मा तथा अवर अभियन्ता श्री नौमी लाल एवं श्री शिव कुमार लेखाकार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 6 क्षेत्र पंचायत गिलौला वर्ष 2020-21 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत गौहनिया में सम्पर्क मार्ग से चेतराम बी०डी०सी० के घर तक इण्टरलॉकिंग का कार्य कराया जाना दर्शित है। कार्य पत्रावली में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सर्वेक्षण में कार्य स्थल के फोटोग्राफ में कार्यस्थल पर खडंजा का लगा होना दर्शित है। कार्य के स्वीकृत प्राक्कलन में खड.न्जे की ईटों को गिट्टी के रूप में प्रयोग के मूल्य को स्वीकृत धनराशि से नहीं घटाया गया है। जो क्षेत्र पंचायत के धन की क्षति को दर्शाता है। पत्रावली में संलग्न स्वीकृत स्टीमेट में बिल ऑफ क्वान्टिटी में क्रमांक-2 पर अंकित सीमेंट कंकरीट 1:6:12 सीमेन्ट फाईन सैंण्ड और 40 मिमी० ब्रिक ब्लास्ट के लिए 31.25 घनमी० दर 3745.00 कुल धनराशि रू० 117031.25 के सापेक्ष भुगतान हेतु जे०ई० बिल फार्म में दर्शित कार्य में 31.21 घनमी० दर 3745.00 उक्त मद में रू० 116881.45 भुगतान किया जाना दर्शित है। इस प्रकार पूर्व में लगे खड्न्जे की पुरानी ईंटों का मूल्य न घटा कर क्षेत्र पंचायत को रू० 116881.45 की क्षति पहुंचाई गई है। जिसके लिए तकनीकी अधिकारी श्री नौमी लाल अवर अभियंता ग्रामी अभियंत्रण विभाग उत्तरदायी है।

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमानुसार 1965 के नियम 179(2) क से ड. के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अत: रू० 116881.45 की वसूली श्री नौमी लाल अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 7 क्षेत्र पंचायत गिलौला वर्ष 2020-21 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजना अन्तर्गत ग्राम परेवपुर में मजरा राम प्रसाद पुरवा में राधेश्याम के घर से बिकाऊ यादव के घर तक 100 मीटर इण्टरलाकिंग का कार्य कराया जाना दर्शित है। कार्य पत्रावली में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सर्वेक्षण में कार्य स्थल के फोटोग्राफ में कार्यस्थल पर खड़न्जा का लगा होना दर्शित है। कार्य के स्वीकृत प्राक्कलन में खड़न्जे के ईटों की गिट्टी के रूप में प्रयोग के मूल्य को स्वीकृत धनराशि से नहीं घटाया गया है। जो क्षेत्र पंचायत के धन की क्षति को दर्शाता है। पत्रावली में संलग्न स्वीकृत स्टीमेट में बिल ऑफ क्वान्टिटी में क्रमांक-2 पर अंकित सीमेन्ट कंकरीट 1:6:12 सीमेन्ट सैण्ड और 40 मिमी० ब्रिक ब्लास्ट 20.65 घनमी० दर 3745.00 रू० 77334.25 के सापेक्ष भुगतान हेतु जे०ई० बिल फार्म में दर्शित कार्य में 20.13 घनमी० दर 3745.00 उक्त मद में रू० 75386.85 भुगतान किया जाना दर्शित है। इस प्रकार पूर्व में लगे खडन्जे की पुरानी ईंटों का मूल्य न घटा कर क्षेत्र पंचायत को रू० 75386.85 की क्षति हुई है। जिसके लिए तकनीकी अधिकारी श्री नौमी लाल अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उत्तरदायी हैं।

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमानुसार 1965 के नियम 179(2) क से ड. के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अत: रू० 75386.85 की वसूली श्री नौमी लाल अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 8 क्षेत्र पंचायत की निम्न विवरणानुसार कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि कार्य का प्राक्कलन तैयार करते समय 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को कार्य के स्टीमेट में जोड़ दिया गया है और इसी प्रकार कार्य का भुगतान करते समय क्षेत्र पंचायत द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि का भुगतान ठेकेदार को किया गया है, जो आपत्तिजनक है। कार्यालय मुख्य अभियन्ता उ०प्र० लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक 9755/एम.टी./सामान्य वर्ग/40 एम.टी.-45/2017 दिनांक 19.12.2017 में दिये गये निर्देश "शासन द्वारा समस्त खण्डों को तत्काल यह दिशा-निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाये एवं समस्त समावेशी उपबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वज़रा वहन किया जाये।" इस प्रकार स्पष्ट है कि लेबर सेस के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का है। निम्न

विवरणानुसार रु0 451455.00 का अतिरिक्त भुगतान ठेकेदारों को करके क्षेत्र पंचायत के धन का दुरुपयोग/गम्भीर अनियमितता की गई है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री आर0पी0शर्मा, श्री यशोवर्धन सिंह, श्री सरयू प्रसाद सिंह तथा अवर अभियन्ता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव व श्री नौमी लाल एवं श्री शिव कुमार, लेखाकार उत्तरदायी हैं। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (बजट तथा सामान्य) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) (क) से (ड) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है, रू० 451455.00 की वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री आर०पी०शर्मा, श्री यशोवर्धन सिंह, श्री सरयू प्रसाद सिंह तथा अवर अभियंता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव व श्री नौमी लाल एवं श्री शिव कुमार, लेखाकार से की जानी अपेक्षित है।

	क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड - गिलौला, वर्ष: 2020-21	
क्र0सं0	कार्य का नाम व पूर्ण पता	सेस की धनराशि
1	कटार के दर्जीपुरवा में सुरेन्द्र के घर से नसहवा तालाब तक नाला निर्माण कार्य	3127.00
2	डिकरा में राजाराम के घर से खजुरिया तालाब तक नाला निर्माण कार्य	5828.00
3	चेतिया मुरार में कनछेद कोरी के घर से सहजराम के बाग तक नाला निर्माण कार्य	4774.00
4	कमलाभारी में मजरा खड़ैला में असलम के घर से काली माता मन्दिर तक नाला निर्माण कार्य	4583.00
5	मोहरनिया में बिकाऊ लाल के घर से नहर के पास सम्पर्क मार्ग तक नाला निर्माण कार्य	7503.00
6	चेतियामुरार में छोटी नहर पर 02 एमएम स्पाम पुलिया निर्माण	4172.00
7	ग्रा0 डिकरा पक्की सड़क से बालानगर नहर के पास सम्पर्क मार्ग पर 02 एमएम स्पाम आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण	4487.00
8	लोहारी सम्पर्क मार्ग पर दिगौलिया मिश्रपुरवा सम्पर्क मार्ग पर 02 एमएम स्पाम पुलिया निर्माण	4487.00
9	बरदेहरा भारी में ननकऊ के घर से कुट्टी तालाब तक नाला निर्माण कार्य	4619.00
10	गिलौली में सुभाष के खेत से मरघटिया तालाब तक नाला निर्माण कार्य	4436.00
11	लखना में उमर फारूक के घर से मोहन वर्मा के तालाब तक नाला निर्माण कार्य	4408.00
12	भिठौरा राम सहाय में ओम शकर तिवारी के घर से प्राइमरी स्कूल तक नाली निर्माण	3077.00
13	विकास खण्ड परिसर में 04 सीटर शौचालय निर्माण कार्य	2619.00
14	बागवानी के गोसाईपरुवा में पक्की रोड से आशा यादव के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	1836.00
15	ग्रा0 कमलाभारी के मजरा बड़ी कमली डामर रोड से सुरेन्द्र के घर के पास आंगनवाड़ी केन्द्र तक इण्टर लाकिंग कार्य	5181.00
16	ग्रा0 हरबंशपुर के मजरा ताजपुर में पक्की सड़क से चिन्ताराम के घर के पास स्कूल तक खड़न्जा कार्य	6816.00
17	ग्राम उत्तमापुर के ग्राम निरहा में गावट स्थान पर इण्टर लाकिंग कार्य	3597.00
18	गिलौला बाजार में बस स्टाप के बगल खेल मैदान तक इण्टर लाकिंग कार्य	1659.00
19	ग्रा0 कमलाभारी के खड़ैला में डामर रोड से आंगनवाड़ी तक इण्टर लाकिंग कार्य	1033.00
20	ग्राम गौहनिया में सम्पर्क मार्ग से मदन मास्टर के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	6835.00
21	लखना में इण्टर लाकिंग से शत्रोहन के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	4577.00
22	ग्राम काशीपुर मूसा के सिवालापुरवा में कमला मिस्त्री के घर से आर0सी0सी0 तक इण्टरलॉकिंग कार्य	3256.00
23	ग्रा0पं0 गौहनिया में गांव के पूरब तरफ सम्पर्क मार्ग पर 2मी0 आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण	2437.00
24	ग्रा0 काशीपुर मूसा में लेंगड़ कहार के घर से सूरे धोबी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	2842.00
25	चेतिया मुरार में अहिरनपुरवा से दिगौलिया सम्पर्क मार्ग तक इण्टर लाकिंग कार्य	1568.00
26	वि0ख0 परिसर में स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय(रिसोर्स सेन्टर) में	1258.00

	टायल्स कार्य	
27	वि0ख0 परिसर में स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय गिलौला में टायल्स निर्माण कार्य	762.00
28	पशु चिकित्सालय कार्यालय में टायल्स एवं 40मी0 इण्टर लाकिंग कार्य एवं शौचालय निर्माण कार्य	2370.00
29	कोकलवारा में बेचू दयाल के घर से गया प्रसाद के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	2925.00
30	औरैया निधान के मजरा दमावां में पक्की सड़क से सोनवा तालाब हनुमान मन्दिर तक इण्टर लाकिंग कार्य	2907.00
31	गिलौली में लल्ला कहार के घर से कुद्दू के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	3799.00
32	बरदेहरा भारी में अशोक कलवार के घर से बाउर मौर्या के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	3515.00
33	विकास खण्ड परिसर में अनावासीय भवनों की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई कार्य	4806.00
34	विकास खण्ड परिसर में आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई कार्य	7690.00
35	चेतियामुरार में पक्की सड़क से बड़ी नहर तक इण्टर लाकिंग कार्य	7167.00
36	घोरमा परसिया में सरकारी ट्यूबवेल से बाबूराम के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	4527.00
37	चेतिया मुरार में बच्छराज के खेत के पास पुलिया से जूनियर स्कूल तक इण्टर लाकिंग कार्य	6981.00
38	मनिकापुर खर्दु खेवनाये में पक्की सड़क से रक्षाराम के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	2859.00
39	ग्राम पचदेवरी माफी में ननके पासी के घर से सहजराम पासी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	2822.00
40	भिठौरा राम सहाय में ओम शकर तिवारी के घर से विमल के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	2526.00
41	घोरमा परसिया के घोरमा कालोनी पक्की सड़क से छोटी नहर होते हुए स्कूल तक इण्टर लाकिंग कार्य	4046.00
42	ग्राम प्रहलादा में पक्की सड़क से ठाकुर बाबा स्थान तक इण्टर लाकिंग कार्य	1552.00
43	एकघरवा माजरे में पक्की सड़क सम्पर्क मार्ग से मिथिलेश सिंह के खेत तक खड़न्जा काय	1534.00
44	गिलौला में कस्तूरबा स्कूल सम्पर्क मार्ग से हरीश सिंह के घर के पास सम्पर्क मार्ग तक इण्टर लाकिंग कार्य	4418.00
45	ग्रा0 कोकलवारा में पिचरोड से श्याम लाल तिवारी के खेत तक इण्टर लाकिंग कार्य	3023.00
46	दिकौली मोड़ रैन बसेरा में टाइल्स और स्टील पाइप से बैरीकेटिंग व चारों ओर गेट का निर्माण कार्य	1204.00
47	ग्राम सभा बेलवा खतीब में बेलवा शहजादी मार्ग पर 2.00मी0 आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य	3212.00
48	मनिकापुर खुर्द में राम कुबेर के बाग से हामिद के खेत तक 1.00मी0 आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य	2994.00
49	दिकौली में नजीर के खेत व जखीराबाग से तरवाताल तक नाला निर्माण कार्य	3819.00
	योग	**182473.00**

	क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड - गिलौला, वर्ष: 2021-22	
क्र0सं0	कार्य का नाम व पूर्ण पता	सेस की धनराशि
1	दिकौली मोड़ रैन बसेरा में टाइल्स और स्टील पाइप से बैरीकेटिंग व चारों ओर गेट का निर्माण कार्य	1291.00
2	ग्राम डिकरा में पुराने विद्यालय से राजाराम पासी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	8757.00
3	ग्राम पंचायत केरवनिया के मजरा जानकीनगर में मुख्य मार्ग से संजय पाल के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	9910.00
4	ग्राम सभा कटार के मजरा तिवारीपुरवा में बड़कऊ चैधरी के बाग से गोमती तिवारी के	8728.00

	घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	
5	ग्राम सभा बेलवा खतीब में बेलवा शहजादी मार्ग पर 2.00मी0 आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य	2763.00
6	मनिकापुर खुर्द में राम कुबेर के बाग से हामिद के खेत तक 1.00मी0 आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण कार्य	2529.00
7	दिकौली में नजीर के खेत व जखीराबाग से तरवाताल तक नाला निर्माण कार्य	3370.00
8	ग्राम रामपुर पैड़ा में पिचरोड से काली माता मन्दिर तक इण्टर लाकिंग कार्य	8432.00
9	ग्राम कुरबेनी में प्रा0पा0 कुरबेनी से ओंकार के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	9845.00
10	ग्राम कुरबेनी में गांव के दक्षिण पक्की रोड से बालकराम तिवारी के घर से गांव के उत्तर जियो टावर तक इण्टर लाकिंग कार्य	5434.00
11	पशु चिकित्सालय कार्यालय में टायल्स एवं 40मी0 इण्टर लाकिंग कार्य एवं शौचालय निर्माण कार्य	977.00
12	विकास खण्ड परिसर में प्रमुख कक्ष का निर्माण कार्य	2752.00
13	भिठिया चिचड़ी में बाबादीन कश्यप के मकान से इन्द्रपाल कश्यप के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	8964.00
14	ग्राम सुविखा में सम्पर्क मार्ग से सियाराम के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	8805.00
15	ग्राम सुविखा में सुविखा सम्पर्क मार्ग से जू0हा0स्कूल होते हुए नहर पटरी तक इण्टर लाकिंग कार्य	9069.00
16	एकघरवा माजरे में संचित यादव के घर से त्रिभुवन के घर तक इण्टर लाकिंग निर्माण कार्य	6732.00
17	एकघरवा माजरे में पक्की रोड से मुन्शी के घर तक इं0ला0 कार्य	2457.00
18	एकघरवा माजरे में पक्की रोड से काली के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	2753.00
19	एकघरवा माजरे में नाला से पुत्तन के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	2280.00
20	पचदेवरी माफी में मोहल लाल के घर से नेजर के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	8815.00
21	गिलौला बाजार में शिव नरायन जायसवाल के घर से उत्तर व पश्चिम प्रहलाद कश्यप के घर तक सी0सी0रोड निर्माण	7673.00
22	कल्यानपुर के मजरा कंचनापुर में अल्हरू पंडित के घर से विजय के बाग तक इण्टर लाकिंग कार्य	3208.00
23	एकघरवा माजरे में शहबान के घर के से अनिल कुमार के घर तक इं0ला0 व नाली निर्माण कार्य	2934.00
24	नरायनपुर में बैभी में सम्पर्क मार्ग से विनोद के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	7447.00
25	विकास खण्ड परिसर में प्रमुख कक्ष में रेस्ट रूम व किचन निर्माण कार्य	2003.00
26	विकास खण्ड परिसर में स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय के बगल में बने पुराने भवन की मरम्मत कार्य	4129.00
27	चेतियामुरार में छोटी नहर पर 02 एमएम स्पाम पुलिया निर्माण	1956.00
28	तिलकपुर में राधेश्याम शुक्ल के खेत के पास सकरैल तालाब के पास मार्ग पर 02 एमएम स्पाम पुलिया निर्माण	4061.00
29	लोहारी सम्पर्क मार्ग पर दिगौलिया मिश्रपुरवा सम्पर्क मार्ग पर 02 एमएम स्पाम पुलिया निर्माण	1967.00
30	ग्रा0 काशीपुर मूसा में लेंगड़ कहार के घर से सूरे धोबी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	406.00
31	ग्रा0 डिकरा पक्की सड़क से बालानगर नहर के पास सम्पर्क मार्ग पर 02 एमएम स्पाम आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण	2057.00

32	विकास खण्ड परिसर में 04 सीटर शौचालय निर्माण कार्य	3166.00
33	कमलाभारी में मजरा खड़ैला में असलम के घर से काली माता मन्दिर तक नाला निर्माण कार्य	3324.00
34	बागवानी के गोसाईपरुवा में पक्की रोड से आशा यादव के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	2028.00
35	ग्रा0पं0 गौहनिया में गॉव के पूरब तरफ सम्पर्क मार्ग पर 2मी0 आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण	4038.00
36	कोट मुबारकपुर के अहिरनपुरवा में पटवारी के घर से परसुराम के घर तक इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य	5622.00
37	कोट मुबारकपुर के अहिरनपुरवा में पटवारी के घर से परसुराम के घर तक इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य	4065.00
38	कल्याणपुर के कंचनापुर में राम खेलावन के घर से दाताराम के घर तक इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य	6727.00
39	सुविखा मेनरोड डामर से सकरैल वाले रास्ते पर नंगे सोनी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	8796.00
40	कल्यानपुर पक्की सड़क से जानकी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	5829.00
41	रानीपुर काजी में नहर से कोयले के घर होते हुए गीता पाठक के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	8068.00
42	रानीपुर काजी में घनश्याम के घर से उच्च प्राथमिक विद्यालय रेड़गवा होते हुए नहर तक इण्टर लाकिंग कार्य	8932.00
43	लखना से लोहारी सम्पर्क मार्ग पर 2एमएम स्पान आर0सी0सी0 पुलिया	4426.00
44	गिलौला में राम कुमार सोनी के घर से शमसाद के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	8130.00
45	रानीपुर काजी के बलगरसिंह पुरवा में राजेश सिंह के स्कूल से प्रा0वि0 बलगर सिंह पुरवा तक इण्टर लाकिंग कार्य	8090.00
46	भिठौरा राम सहाय में नन्हे लाल यादव के घर से चिनकू यादव के घर होते हुए सुरेश तिवारी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	8064.00
47	गिलौला सुविखा मार्ग पर राम लाल के घर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण	9810.00
48	एन0पी0ई0जी0ई0एल0 बरदेहरा	3463.00
49	मोहरनिया पंचायत घर	3455.00
50	बी0आर0सी0 गिलौला (हाल) मोहम्मदापुर	3521.00
51	प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर	3461.00
52	कसियापुर पंचायत घर	3463.00
	योग	**268982.00**

क्षेत्र पंचायत - इकौना 2021-22

प्रस्तर - 9 क्षेत्र पंचायत इकौना में वर्ष 2021-22 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत ग्राम सभा पुरूषोत्तमपुर में राम प्रघट के घर से मंदिर तक इण्टरलॉकिंग कार्य कराया जाना दर्शित है। कार्य पत्रावली में संलग्न स्वीकृत बिल ऑफ क्वान्टिटी में 536.76 वर्ग मीटर इण्टरलॉकिंग के सापेक्ष जे०ई०बिल फॉर्म-27सी में 462.55 वर्गमी० इण्टरलॉकिंग कार्य ही कराया जाना दर्शित है जो स्वीकृत कार्य 536.76 वर्गमी० का 87.17प्रतिशत ही है। इस प्रकार 13.87प्रतिशत कम कार्य कराया गया है, जबकि स्वीकृत स्टीमेट के अनुसार बिल ऑफ क्वान्टिटी में 536.76 वर्ग मीटर इण्टरलॉकिंग में रू० 784772.00 के सापेक्ष जे०ई०बिल फॉर्म-27सी में रू० 767697.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है, जबकि स्वीकृत कार्य 536.76 वर्गमी० इण्टरलॉकिंग के विरूद्ध कराये गए कार्य 462.55 वर्गमी०, जो स्वीकृत कार्य का 87.17प्रतिशत ही है के लिए रू० 784772.00 का 87.17 प्रतिशत रू० 676238.00 की अधिकतम सीमा के अंतर्गत किया जाना अपेक्षित है था, जबकि कुल भुगतान रू० 767697.00 किया गया है। इस प्रकार रू० 91458.00 का अधिक भुगतान किया गया है, जिससे

क्षेत्र पंचायत की रू० 91458.00 की क्षति हुई है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार चतुर्वेदी, श्री ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव अवर अभियंता उत्तरदायी है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 की धरा 179 (2) के नियम (क) से (ड) अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत को हुई क्षति रू० 91458.00 की वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार चतुर्वेदी, श्री ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव अवर अभियंता से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 10 क्षेत्र पंचायत इकौना में वर्ष 2021-22 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत मोहनी पुर के मजरा जमुनहां में छोटी नहर जमुनहां माधव राम के घर से छोटे लाल यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य कराया जाना दर्शित है। कायर्क पत्रावली में संलग्न स्वीकृत स्टीमेट में बिल ऑफ क्वान्टिटी में रू० 910070.00 में 596.40 वर्गमीटर इण्टरलॉकिंग कार्य कराया जाना दर्शित है। जे०ई०बिल फॉर्म-27सी में दर्शित माप में 627.64 वर्गमी० इण्टरलॉकिंग कार्य पर रू० 909347.00 का व्यय दर्शित है। इस प्रकार स्वीकृत स्टीमेट एवं माप में निम्न विवरणानुसार अंतर दर्शित है-

क्र.सं.	विवरण	स्वीकृत स्टीमेट में दर्शित कार्य एवं लागत	माप पुस्तिका में दर्शित कार्य एवं लागत	अधिकभुगतान की धनराशी
1.	सप्लाई एंड लेइंगजा जिग-जैक इंटर लाकिंग टाइल	596.40 दर 718.00 रु.428215.20	627.64दर718.00रु. 450645.52	22430.00
2.	अर्थ वर्क इन कार्टेज	280.00सी.यू.एम. दर 86.00 रु.24080.00	346.50 दर 86.00 रु.29799.00	5719.00
	योग			28149.00
	12%जी.एस.टी.			3378.00
	योग			31527.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इंटरलाकिंग निर्माण में प्राक्कलन में दर्शित सामग्री में परिवर्तन करके अधिक व्यय किया गया है| यद्यपि कि भुगतान स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत किया गया है परन्तु इसकी स्वीकृति मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत करने वाले अधिकारी से पुनः स्वीकृति नहीं ली गई है, जिसके द्वारा मूल नक्शा/अनुमान पहले से पास किया गया है, जो उ०प्र० क्षेत्र पंचायत-जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के नियम सं० 15 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ''स्वीकृत नक्शे या अनुमान या निर्माण कार्य में तब तक कोई सारवान परिवर्तन या विस्तार नहीं किया जायेगा जब तक वह प्राधिकारी जिसने मूल नक्शा और अनुमान स्वीकृत किया हो, उसकी स्वीकृत न दे।

इस प्रकार स्टीमेट में दर्शित दर से अधिक दर से माप पुस्तिका में भुगतान करके रू० 31527.00 का गबन किया गया है, जो प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 की धरा 179 (2) के नियम (क) से (ड) अंतर्गत अधिभार योग्य है। अत: स्वीकृत दर से अधिक दर माप पुस्तिका में अंकित कर अधिक भुगतानित धनराशि रू० 31527.00 की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री सरजू प्रसाद सिंह, श्री रवीन्द्र कुमार चतुर्वेदी तथा अवर अभियंता श्री ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 11 क्षेत्र पंचायत इकौना में वर्ष 2021-22 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत ग्राम सभा सेमरी तरहर में आचार्य पुरवा में भूरे के घर से शेषराम बाबा के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य कराया जाना दर्शित है। कार्य पत्रावली में संलग्न स्वीकृत बिल ऑफ क्वान्टिटी में 115.93 वर्गमी० इण्टरलॉकिंग के सापेक्ष जे०ई०बिल फॉर्म-27सी में 109.65 वर्गमी० इण्टरलॉकिंग कार्य ही कराया जाना दर्शित है, जो स्वीकृत कार्य 115.93 वर्गमी० का 94.58प्रतिशत ही है। इस प्रकार 5.42प्रतिशत कम कार्य कराया गया है, जबकि स्वीकृत स्टीमेट के अनुसार बिल ऑफ क्वान्टिटी में 115.93 वर्गमी० इण्टरलॉकिंग में रू० 199558.00 के सापेक्ष जे०ई०बिल फॉर्म-27सी में रू० 196884.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है, जबकि स्वीकृत कार्य 115.93 वर्गमी० इण्टरलॉकिंग के विरूद्ध कराये गये कार्य 109.65 वर्गमी०, जो स्वीकृत कार्य का 94.48प्रतिशत ही है के लिए रू० 199558.00 का 94.48प्रतिशत रू० 188542.00 अधिकतम सीमा के अंतर्गत किया जाना अपेक्षित था

जबकि, कुल भुगतान रू० 196884.00 किया गया है। इस प्रकार रू० 8342.00 का अधिक भुगतान किया गया है, जिससे क्षेत्र पंचायत की रू० 8342.00 की क्षति हुई है, जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार चतुर्वेदी, श्री ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव अवर अभियंता उत्तरदायी है। प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 की धरा 179 (2) के नियम (क) से (ड) अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत को हुई क्षति रू० 8342.00 की वसूली ब्याज सहित खण्ड विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार चतुर्वेदी, श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव अवर अभियंता से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 12 क्षेत्र पंचायत की कार्य पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि कार्य का प्राक्कलन तैयार करते समय 1% लेबर सेस की धनराशि को कार्य के स्टीमेट में जोड़ दिया गया है तथा कार्य का भुगतान करते समय क्षेत्र पंचायत द्वारा 1% लेबर सेस की धनराशि का भुगतान ठेकेदार को किया गया है जो आपत्ति जनक है | कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक 9755/ एम टी/सामान्य वर्ग/40 एम.टी. 45/2017 दिनांक 19.12.2017 में दिए गए निर्देश ''शासन द्वारा समस्त खण्डों को तत्काल यह दिशा निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए की कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाय एवं समस्त समावेशी उपबंधों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाय|'' इस प्रकार स्पष्ट है कि लेबर सेस के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का है। निम्न विवरणानुसार रु 240456.00.का अतिरिक्त भुगतान ठेकेदारों को करके क्षेत्र पंचायत के धन का दुरूपयोग किया गया है ,जिसके लिए उत्तरदायी खंड विकास अधिकारी श्री सतीश चन्द त्रिपाठी, श्री सरजू प्रसाद सिंह, श्री रवीन्द्र कुमार चतुर्वेदी (कार्यकालानुसार) तथा अवर अभियंता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव है, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 की धारा 179(2) (क) से (ड) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत को हुई क्षति रू० 240456.00 का की वसूली ब्याज सहित खंड विकास अधिकारी श्री सतीश चन्द त्रिपाठी , श्री सरजू प्रसाद सिंह, श्री रवीन्द्र कुमार चतुर्वेदी (कार्यकालानुसार) तथा श्री ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव अवर अभियंता से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

क्र.सं.	लेबर सेस का विवरण	लेबर सेस
1.	इकौना देहात में राघवराम पाण्डेय के घर के बगल से राम अक्षयवर शुक्ला के घर तक इला० एवं नाली निर्माण	6196.00
2.	ग्राम सेमगढ़ा मे चेतराम निषाद के घर से अगनूराम निषाद के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	8256.00
3.	ग्रा० सोनरई में सत्य नारायन पाण्डेय के घर से नानवच्या पाण्डेय के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	1411.00
4.	ग्रा० टण्डवा महन्थ में गुड्डू के घर से पुत्तू के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	3306.00
5.	इकौना पयागपुर मार्ग सरयू नहर के किनारे से दिनेश कुमार के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	9101.00
6.	ग्राम सिसवारा में डामर रोड से रामजीत दुबे के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	3783.00
7.	ग्राम पंचायत मोहिनीपुर के मजरा जमुनहा में छोटी नहर जमुनहा माधवराम के घर से छोटेलाल यादव के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	9112.00
8.	ग्रा० सोनरई)कुमहारनपुरवा (में दिगम्बर प्रसाद प्रजापति के घर से हनुमान प्रसाद के खेत तक इन्टरलाकिंग कार्य	8353.00
9.	ग्राम पंचायत चैनपुरवा में चैनपुर पिचरोड़ से सहजाद अली कोठार तक खडंजा कार्य	9886.00
10.	प्रावि.पटना को.ठार पिचरोड़ से कल्याण से पश्चिम बढ़ी नहर तक खडंजा निर्माण कार्य	9177.00
11.	ग्रा० भलुहिया दसौधी में प्राइमरी विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय रिहारनपुरवा तक खडंजा निर्माण कार्य	9847.00
12.	ग्राम बैदौरा मशरिख (चौधरी पुरवा(में अवधेश कुमार शुक्ला के घर से पक्की सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य	8169.00

13.	ग्राम पंचायत मझौवा सुमाल के मझौवा ग्राम में गोडई यादव के खेत से स्वामी नाथ मिश्रा के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य	8466.00
14.	ग्राम पंचायत धरमपुर में रणधीर के घर से विजय प्रताप सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	9812.00
15.	ग्राम पंचायत घरमपुर में बलदाऊ सिंह के घर से राम प्रसाद के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	5914.00
16.	ग्राम पंचायत धरमपुर में बच्चालाल के घर से ददऊ पाण्डेय के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	9801.00
17.	ग्राम मनोहरापुर में माता प्रसाद के घर से लेंगडपुरवा तक इण्टर लाकिंग कार्य	8506.00
18.	ग्राम पंचायत लक्ष्मनपुर गोडपुरवा में रामफेरन के घर से नीबर के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	9853.00
19.	ग्रा०प० सेमरी तरहर में आचार्यपुरवा में लल्लन के घर से मोहित मिश्रा के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	5441.00
20.	ग्रा0पं० सेमरी तरहर में आचार्यपुरा में मेलहा बाबा के घर से तिलकराम के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	2390.00
21.	ग्रा0पं० सेमरी तरहर में आचार्यपुरा में भूरे के घर से शेषराम बाबा के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	2013.00
22.	ग्रा0पं0 सेमरी तरहर में आचार्यपुरा में छेदीराम के घर से बाबादीन के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	2865.00
23.	विकास खण्ड परिसर में 04 शीटर शौचालय निर्माण कार्य	5537.00
24.	ग्राम महदेइया में अखिलेश बाजपेयी के घर से बसन्त कुम्हार के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	8618.00
25.	ग्राम सोनरई (कुम्हारनपुरवा) में छोटी नहर के किनारे से देवेन्द्र शुक्ला के खेत तक इण्टर लाकिंग कार्य	8796.00
26.	ग्राम सोनरई में मुख्य मार्ग अरविन्द पाण्डेय के घर से देवतापुरवा एकलव्य कुमार शुक्ला के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	9226.00
27.	जयचन्दपुर कटघरा के पाण्डेयपुरवा में पिचरोड से पूरब यज्ञराम पाण्डेय घर होते हुए मोहन लाल पाण्डेय के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	8795.00
28.	जयचन्दपुर कटघरा में मुन्नालाल के घर से भुलावन के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	8633.00
29.	मिश्रौलिया में राजभरपुरवा से धनीराम के घर तक इण्टर ताकिंग कार्य	5816.00
30.	मिश्रीलिया में राजभरपुरवा से इनायतुल्ला के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	4057.00
31.	महदेइया के मजरा महदेइया पक्की सड़क से विनय मिश्रा के पर तक इण्टर लाकिंग कार्य	4908.00
32.	जू हा.स्कूल भगवानपुर बनकट में.इण्टर लाकिंग कार्य	9853.00
33.	ग्राम सभा पुरुषोत्तमपुर राम प्रघट के घर से मंदिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	7700.00
34.	ग्राम खरगूपुर के पासी पुरवा में सतीश के खेत के पास पीपल से बसहवा तालाब तक इण्टर लाकिंग कार्य	6859.00
	योग	240456.00

प्रस्तर - 13 क्षेत्र पंचायत - हरिहरपुर रानी वर्ष: 2016-17 से 2018-19 तक

क्षेत्र पंचायत की निम्न विवरणानुसार कार्य पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कार्य का प्राक्कलन तैयार करते समय 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को कार्य के स्टीमेट में जोड दिया गया है और इसकी

प्रकार कार्य का भुगतान करते समय क्षेत्र पंचायत द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि का भुगतान ठेकेदार को किया गया है, जो आपत्तिजनक है। कार्यालय मुख्य अभियन्ता उ०प्र० लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक 9755/एम०टी०/सामान्य वर्ग/40 एम०टी०- 45/2017 दिनांक 19.12.2017 में दिये गये निर्देश ''शासन द्वारा समस्त खण्डों को तत्काल यह दिशा-निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाये एवं समस्त समावेशी उपबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये।'' इस प्रकार स्पष्ट है कि लेबर सेस के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का है। क्षेत्र पंचायत हरिहरपुर रानी के वर्ष 2016-17 से 2018-19 के राज्य वित्त एवं सांसद निधि के निर्माण कार्यों पर भुगतान की गयी धनराशि जो ठेकेदारों/फर्मों को की गयी है, निम्न विवरणानुसार 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती न करके राजस्व की हानि की गई है। उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या 179 (क) से (ड) के अन्तर्गत प्रकरण अधिभार योग्य है। अत: राजस्व की क्षति के प्रति उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री नफीस अहमद एवं लेखाकार श्री कैलाश चन्द्र से राजस्व की क्षतिपूर्ति कराकर रू.135474.00 नियत राजकीय मद में जमा कराया जाना अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस सम्बन्ध में विरूद्ध कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है, विवरण निम्न प्रकार रहा है -

क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड - हरिहरपुर रानी, वर्ष 2016-17 से 2018-19				
क्र० सं०	कार्य का नामव पूर्ण पता	बिल की धनराशि	लेबर सेस की धनराशि	वर्ष
1	हरिहरपुर रानी चहलवा मार्ग पर उमायल खुर्द मार्ग से विष्णु के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	964753.00	9648.00	2016-17
2	पी०डब्ल्यू रोड पतिझिया से समय माता मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	1178941.00	11789.00	
3	सेमरी चौराहा से सेमरी जाने वाली सड.क से गौलउत पुरवा गांव तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	793180.00	7932.00	
4	पाण्डेयपुरवा इकौना से केवलपुर में पप्पू सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	1229196.00	12292.00	
5	विकास खण्ड परिसर कार्यालय की मरम्मत	566004.00	5660.00	
6	ब्लॉक परिसर में प्रमुख कक्ष का मरम्मत कार्य	195317.00	1953.00	
7	मछरिहवा गांव के दक्षिण पालेशर वाली रोड पर मुस्तफा के खेत के पुलिया निर्माण कार्य।	287501.00	2875.00	
8	ग्राम बनकटवा में शंकर जी के मन्दिर से बिकाऊ लाल के खेत तक खड.न्जा कार्य।	360801.00	3608.00	
9	पटना खरगौरा में खुर्शीद नाला पी०डब्ल्यू०डी० रोड से खरपुरवा गांव तक खड.न्जा कार्य।	738286.00	7383.00	
10	विकास खण्ड परिसर में सामुदायिक भवन का मरम्मत कार्य।	497410.00	4974.00	
11	विकास खण्ड परिसर में वाउण्ड्रीवाल की मरम्मत और मरम्मत रंगाई पुताई का कार्य।	238911.00	2389.00	
12	ग्राम परसा में मुस्तकीन खां के घर से मो० उमर के घर होते हुए पी०डब्ल्यू०डी०रोड तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	570978.00	5710.00	
13	पाण्डेयपुरवा सम्पर्क मार्ग से सेमरी रोड पर ग्राम पटना में पी०डब्ल्यू०डी० रोड से बाबू लाल सोनी के घर तक खड.न्जा मरम्मत कार्य।	406157.00	4062.00	
14	खुर्शीद नाला रोड से खानपुरवा तक खड.न्जा मरम्म्त कार्य।	241126.00	2411.00	

15	रंजीतपुर ग्राम से पी०डब्ल्यू०डी० रोड तक खड.न्जा मरम्मत कार्य।	767080.00	7671.00	2017-18
16	मीते के घर से उत्तर की ओर जाने वाली रोड(मन्दिर) तक खड.न्जा कार्य।	487700.00	4877.00	
17	हनुमान के बंगर से शमशान घाट तक खड.न्जा निर्माण	530418.00	5304.00	
18	ग्राम सभा केवलपुर में नटवर सिंह के घर होते हुए आशीष सिंह के घर तक खड.न्जा निर्माण कार्य।	380540.00	3805.00	
19	पी०डब्ल्यू०डी० रोड से अमवा के मजार तक खड.न्जा निर्माण कार्य।	391516.00	3915.00	
20	पी०डब्ल्यू०डी० रोड से ग्राम सिसवा में रमेश यादव के घर तक खड.न्जा मरम्मत कार्य।	282789.00	2828.00	
21	विजय पाण्डे के घर से जंगल तक खड.न्जा निर्माण कार्य।	1066841.00	10668.00	
22	चहलवा में जोगी के खेत के पास पुलिया का निर्माण कार्य।	448967.00	4490.00	
23	पी०डब्ल्यू०डी० रोड से पंडित पुरवा गांव तक खड.न्जा मरम्मत कार्य।	410278.00	4103.00	
24	किशुनपुर चोरवाभारी आंगनवाडी निर्माण कार्य।	512724.00	5127.00	2018-19
	योग :-	**13547414.00**	**135474.00**	

जनपद- देवरिया मण्डल-गोरखपुर

<u>प्रारूप - 03</u>

<u>वार्षिक प्रतिवेदन-2021-2022</u>

<u>क्षेत्र पंचायत के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरणः-</u>

<u>क्षेत्र पंचायत - पथरदेवा</u> <u>जनपद-देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-01-</u> वित्तीय वर्ष 2021-22 में ब्लाक प्रमुख मानदेय रु० 223800.00, बी.डी.सी. यात्रा भत्ता रु० 60000.00 एवं आज पेपर को भुगतान रु० 4500.00 दर्शित है | इस प्रकार तीनों मिलाकर कुल रु० 288300.00 का व्यय दर्शित है | उक्त व्यय के बाद शेष धनराशि रु० 21740571.80 दर्शित है |इस धनराशि को पत्रावली पूर्ण किये बिना ही व्यय कर दिया गया है तथा सभी औपचारिकतायें पूरी नहीं की गयी है |

अपूर्ण पत्रावली एवं सभी औपचारिकताएं पूरी किये बिना ही रु० 21740571.80 का भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी है | इसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह,श्री सुरेश प्रसाद गौतम एवं लेखाकार श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव जिम्मेदार हैं| इस सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है |

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	21740571.80

क्षेत्र पंचायत- रुद्रपुर जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-02- क्षेत्र पंचायत रुद्रपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न आपतिया प्रकाश में आयी जिसके निराकरण हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है - शासनादेश संख्या -4/866/33-2-14-93 जी०/2024 टी०सी० दिनांक 24 जून 2014 के पैरा 1(2) में क्षेत्र पंचायतो को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों में प्राप्त होती है ,उससे दो या अधिक ग्राम पंचायतो को लाभान्वित करने वाले कार्य कराये जाये | उक्त शासनादेश के पैरा 3 में निर्देशित किया गया है की निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकारो का अतिक्रमण न हो सके उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त / केन्द्रीय वित्त (15 वा वित्त) से कार्य ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कराया गया है |विवरण निम्नलिखित है -

क्र०सं०	कार्य का नाम	मद	नाम कार्य प्रभारी	सामग्री पर व्यय	मजदूरी पर ब्यय	योग
1.	ग्राम पंचायत जगदीशपुर बहोर में रणजीत यादव के घर से राजेन्द्र सिंह के घर तक ई०ला० कार्य	राज्य वित्त	श्री धीरेन्द्र सागर ऐ०डी०ओ० (पं)	387122.00	38300.00	425422.00
2.	ग्राम पंचायत पचलड़ी में सदानंद यादव के मकान से महेन्द्र यादव के मकान होते हुए सुनील सिंह के घर तक ई०ला० कार्य	राज्य वित्त	श्री धीरेन्द्र सागर ऐ०डी०ओ० (पं)	212364.00	20940.00	233304.00
3.	ग्राम पंचायत पिडरा में राजू सिंह के घर से सुशील गुप्ता के घर तक ई०ला० अवशेष निर्माण कार्य	राज्य वित्त	श्री धीरेन्द्र सागर ऐ०डी०ओ० (पं)	45501.00	2120.00	47621.00
4.	ग्राम पंचायत पिडहनी में रामबदन के घर से बैजनाथ के घर तक ई०ला० कार्य	राज्य वित्त	श्री धीरेन्द्र सागर ऐ०डी०ओ० (पं)	662921.00	66000.00	728921.00
5.	ग्राम पंचायत नकईल में मोती शाहू के घर से तपेश्वर के घर तक ई०ला० कार्य	राज्य वित्त	श्री सुरेश कुमार मौर्या ऐ०डी०ओ० (आई०एस०बी०)	260058.00	28030.00	288088.00
6.	ग्राम पंचायत पटखौली में राम कैलाश यादव के घर से मोहन के घर तक ई०ला० कार्य	राज्य वित्त	श्री सुरेश कुमार मौर्या ऐ०डी०ओ० (आई०एस०बी०)	251196.00	24850.00	276046.00
7.	ग्राम पंचायत आराजी अमौनी में रामानंद यादव के घर से अहमद के घर तक ई०ला० कार्य	केन्द्रीय वित्त	श्री जयनारायण सिंह ऐ०डी०ओ० (आई०एस०बी०)	813506.00	80180.00	893686.00
8.	ग्राम पंचायत पिडरा में राजू सिंह के घर से सुशील गुप्ता के घर तक ई०ला० निर्माण कार्य	केन्द्रीय वित्त	श्री सुरेश कुमार मौर्या ऐ०डी०ओ० (आई०एस०बी०)	878583.00	86210.00	964793.00
	योग			3511251.00	346630.00	3857881.00

इस प्रकार उपरोक्त कार्य शासनादेश का उल्लंघन एवं गंभीर अनियमितता का द्योतक है जिसमे ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया है| इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर समस्त व्यय अनियमित रहा | जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री कार्तिकेय मिश्रा, श्री विवेकानन्द मिश्रा एवं लेखाकार श्री विजय जयसवाल उत्तरदायी हैं|आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है |

क्षेत्र पंचायत - भलुअनी **जनपद - देवरिया**

प्रस्तर संख्या-03- क्षेत्र पंचायत भलुअनी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी जिसके निराकरण हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है

–				
क्र० सं०	कार्य का नाम	मद	कार्य प्रभारी का नाम	श्रमांश
1.	ग्राम पंचायत भलुअनी में जय प्रकाश सिंह के घर से नागेन्द्र सिंह के खेत पुलिया तक इंटरलाकिंग कार्य	राज्य वित्त	श्री दिनेश सिंह मौर्या ऐ०डी०ओ० (पं)	72384.00
2.	ग्रा0 पं0 बहोर धनौती में विनोद सिंह के घर से कैलाश कुश्वाहा के घर तक ई०ला० कार्य	राज्य वित्त	श्री दिनेश सिंह मौर्या ऐ०डी०ओ० (पं)	36288.00
3.	ग्रा0 पं0 बदिपुर के चकरा मार्ग में पिच सड़क से मुरली तिवारी के घर तक ई०ला० कार्य	राज्य वित्त	श्री दिनेश सिंह मौर्या ऐ०डी०ओ० (पं)	57912.00
4.	ग्रा0 पं0 जरार में बरहज देवरिया मार्ग जरार मानिक तक खडंजा निर्माण कार्य	राज्य वित्त	श्री ज्ञानेंद्र सिंह ऐ०डी०ओ० (सी०ओ०)	162436.00
5.	ग्रा0 पं0 कोरया में अविनाश सिंह के खेत से ट्यूबवेल होते हुए कन्हैया प्रसाद से घर तक खडंजा निर्माण कार्य	राज्य वित्त	श्री ज्ञानेंद्र सिंह ऐ०डी०ओ० (सी०ओ०)	212272.00
6.	ग्रा0 पं0 बढया फुलवरिया में नकटी टोला में रामेन्द्र यादव के खेत से मुनेसर यादव के खेत तक खडंजा निर्माण कार्य	राज्य वित्त	श्री ज्ञानेंद्र सिंह ऐ०डी०ओ० (सी०ओ०)	31324.00
7.	ग्रा0 पं0 बढया फुलवरिया में साधू यादव के खेत से स्वामिनाथ के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य	राज्य वित्त	श्री विनोद मणि त्रिपाठी ऐ०डी०ओ० (आई०एस०बी०)	347428.00
8.	ग्रा0 पं0 बढया फुलवरिया में बेलडाड पिच मार्ग से साधू यादव के खेत तक खडंजा मरम्मत कार्य	राज्य वित्त	श्री विनोद मणि त्रिपाठी ऐ०डी०ओ० (आई०एस०बी०)	237480.00
9.	विकास खंड स्थित गाँधी सभागर एवं प्रमुख कक्ष की रंगाई पुताई एवं विधुतीकरण व सुन्दरीकारण कार्य	राज्य वित्त	श्री विनोद मणि त्रिपाठी ऐ०डी०ओ० (आई०एस०बी०)	106080.00
10.	विकास खंड स्थित गाँधी सभागर के छत का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य	राज्य वित्त	श्री विनोद मणि त्रिपाठी ऐ०डी०ओ० (आई०एस०बी०)	47344.00
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भलुअनी का मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	राज्य वित्त	श्री विनोद मणि त्रिपाठी ऐ०डी०ओ० (आई०एस०बी०)	75900.00
12.	ग्रा0 पं0 मरकडा में भूषण मिश्र के दरवाजे से कमलेश मिश्र के घर तक ई०ला० कार्य	राज्य वित्त	श्री कृष्ण मोहन सिंह ऐ०डी०ओ०(ऐ०जी०)	58476.00
13.	ग्रा0 पं0 ठाकुरदेवा में कन्हैया के खेत से प्रदीप चौहान के घर तक खडंजा कार्य		श्री कृष्ण मोहन सिंह ऐ०डी०ओ०(ऐ०जी०)	52164.00
14.	ग्रा0 पं0 खुखुन्दू में मेन रोड से दीन बंधू कन्नौजिया के घर तक ई०ला० कार्य	राज्य वित्त	श्री ज्ञानेंद्र सिंह ऐ०डी०ओ० (सी०ओ०)	43176.00
15.	ग्रा0 पं0 पिपरा पुरुषोत्तम में इन्द्रदेव यादव के घर से रामनगीना के घर तक ई०ला० कार्य	राज्य वित्त	श्री ज्ञानेंद्र सिंह ऐ०डी०ओ० (सी०ओ०)	25020.00
16.	ग्रा0 पं0 खोखरवर में डुमरी में नूरुल्लाह के घर से बलवंत गौंड के के घर तक ई०ला० कार्य	राज्य वित्त	श्री ज्ञानेंद्र सिंह ऐ०डी०ओ० (सी०ओ०)	54576.00
17.	ग्रा0 पं0 मरहवा में महातम यादव के घर से यदुनंदन यादव के खेत मिटटी खंडजा कार्य	राज्य वित्त	श्री कृष्ण मोहन सिंह ऐ०डी०ओ०(ऐ०जी०)	73828.00

लेखा परीक्षा के समय यह पाया गया कि राज्य वित्त तथा केन्द्रीय वित्त के उपर्युक्त कार्यो में कुल 3349031.00 रुपया मजदूरी पर भुगतान दर्शित है | जबकि पंचायती राज अनुभाग -3 शाशनादेश संख्या -1017/33-3-2020 दिनांक 06 जून 2020 के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 30.06.2020 के उपरांत सभी भुगतान पी० एफ० एम० एस० की ब्यवस्था के अनुसार लाभार्थियों को स्वयं के खाते में किया जाना चाहिए | किन्तु मजदूरी का भुगतान सीधे मजदूरों को न कर कार्यप्रभारियो द्वारा दिया गया है, जिससे वित्तीय अनियमितता की सम्भावना बनी हुई है | जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक दत्त उपाध्याय एवं श्री संजय कुमार पाण्डेय तथा लेखाकार श्री अमरनाथ, कार्य प्रभारी जिम्मेदार है | आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है | (सामान्य आपत्ति संख्या 20)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	3349031.00

<u>क्षेत्र पंचायत - बैतालपुर</u> <u>जनपद - देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-04-</u> वर्ष की लेखा परीक्षा मे निर्माण पत्रावलियों की जाँच से स्पष्ट होता है कि मजदूरों को मजदूरी की धनराशि नगद रुप से कार्य प्रभारी द्वारा दिया जाता है जिसमें गड़बड़ी की संभावना व्यक्त की जाती है। विवरण निम्नांकित है -

क्रमांक	पत्रावली संख्या	कार्य का नाम	कार्य प्रभारी का नाम	मजदूरी की धनराशि
01	01	ग्राम पंचायत चतुर्भजपुर में सरल प्रसाद के घर से कुर्ना नाला तक भूमिगत नाली निर्माण।	सौरभ द्विवेदी	84420.00
02	02	ग्राम पंचायत पहारपुर में पशु अस्पताल में आवास मरम्मत एमं टाइल्स कार्य।	सौरभ द्विवेदी	201180.00
03	03	ग्राम पंचायत पहारपुर में खलिहान से सुदामा राय के घर तक इंटर लॉकिंग निर्माण कार्य।	सौरभ द्विवेदी	89060.00
04	04	ग्राम पंचायत पहारपुर में राजा राम के खेत से खड़िया पुल तक इंटर लॉकिंग निर्माण कार्य।	सौरभ द्विवेदी	88000.00
05	06	ग्राम पंचायत परसा जोकहा में मनोज एवं राजेन्द्र सोनकर के घर से घोसी आबादी वाली जमीन तक भूमिगत नाली निर्माण।	सत्यदेव पाण्डेय	79850.00
06	07	ग्राम पंचायत रामपुर गनौरिया में सदावृक्ष के घर से सुरेश मल्ल के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य।	सोरभ द्विवेदी	21270.00
07	08	ग्राम पंचायत रामपुर गनौरिया में विक्रम बिशुनपुर पिच मार्ग से रामदास गौड़ के घर होते हुए सुरेश मल्ल के घर तक इंटर लॉकिंग कार्य।	सत्यदेव पाण्डेय	88000.00
08	28	ग्राम पंचायत परसा जोकहा में विश्वकर्मा के घर के पास से उसरा बाजार सिवान तक	सत्यदेव पाण्डेय	205420.00

		खड़न्जा मरम्मत कार्य।		
			योग	857200.00

मजदूरों को मजदूरी की धनराशि नगद रुप में दिए जाने के प्रति ब्लॉक प्रमुख श्रीमती चंदा राय, खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रवण कुमार राय एवं श्री अवनिन्द्र पाण्डेय एवं लेखाकार श्री इन्द्र मोहन मिश्रा सीधे उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है |

(आपत्ति संख्या 12)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	857200.00

<u>क्षेत्र पंचायत - बरहज</u> <u>जनपद - देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-05-</u> पत्रावली संख्या 13 में ग्राम पंचायत नदुआ छपरा में पिच मार्ग से बृजराज उपाध्याय के घर तक इण्टरलॉकिंग मरम्मत का कार्य दर्शाया गया है। कार्य समाप्ति से संबंधित संलग्न फोटोग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य अधोमानक/अपूर्ण है जबकि उक्त मद में सम्पूर्ण धनराशि रू0 540147.00 का भुगतान हो गया था। अत: स्पष्ट है कि उक्त कार्य में मनमाने तरीके से क्षेत्र पंचायत के धन का अपव्यय/दुरूपयोग किया गया है। अत: जाँचोंपरान्त उक्त धनराशि की वसूली क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती सीमा पासवान, खंड विकास अधिकारी श्री आलोक दत्त उपाध्याय, लेखाकार श्री दीन दयाल, अवर अभियन्ता श्री ए0 के0 दुबे एवं कार्य प्रभारी श्रीमती पूर्णिमा यादव से वसूल किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 07)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	540147.00	00.00

<u>प्रस्तर संख्या-06-</u> पत्रावली संख्या 16 में ग्राम पंचायत हरनौठा में हरि के खेत से राम तपेसा के खेत तक खड़ंजा निर्माण कार्य दर्शाया गया है। उक्त कार्य से संबंधित मिट्टी ढुलाई रू0 16000.00 के बिल श्री राम नरायण द्वारा सादे पैड पर प्रस्तुत किया गया है जो विभागीय नियमों एवं निर्देशों के विपरीत है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनमाने तरीके से क्षेत्र पंचायत के धन का समायोजन मिट्टी ढुलाई में कर क्षेत्र पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अत: रू0 16000.00 की वसूली क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती सीमा पासवान, खंड विकास अधिकारी श्री चन्द्र भूषण यादव, लेखाकार श्री दीन दयाल, अवर अभियन्ता श्री ए0 के0 दुबे एवं कार्य प्रभारी श्रीमती पूर्णिमा यादव से वसूल किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 08)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
16000.00	00.00	00.00

<u>प्रस्तर संख्या-07-</u> पत्रावली संख्या 20 में दर्शित कार्य ग्राम पंचायत नवापार में नदुआ छपरा पिच मार्ग से धन्नू सिंह के खेत तक खड़ंजा निर्माण दर्शाया गया है। कार्य समाप्ति से

संबंधित संलग्न फोटोग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य अधोमानक/अपूर्ण है जबकि उक्त मद में सम्पूर्ण धनराशि रू0 178916.00 का भुगतान हो गया था। अत: स्पष्ट है कि उक्त कार्य में मनमाने तरीके से क्षेत्र पंचायत के धन का अपव्यय/दुरूपयोग किया गया है। अत: जाँचोंपरान्त उक्त धनराशि की वसूली क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती सीमा पासवान, खंड विकास अधिकारी श्री चन्द्र भूषण यादव, लेखाकार श्री दीन दयाल, अवर अभियन्ता श्री ए0 के0 दुबे एवं कार्य प्रभारी श्रीमती पूर्णिमा यादव से वसूल किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 09)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	178916.00	00.00

<u>प्रस्तर संख्या-08-</u> पत्रावली संख्या 24 में ग्राम पंचायत नवापार में भड़सरा नवापार मार्ग से चंद्रिका के घर तक खड़ंजा मरम्मत का कार्य दर्शाया गया है। उक्त कार्य में मिट्टी ढ़ुलाई रू0 20500.00 का व्यय दर्शाया गया है जिसके व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 64 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के कोई भी भुगतान नहीं किया जा सकता है। अत: उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि रू0 20500.00 की वसूली मय ब्याज क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती सीमा पासवान, खंड विकास अधिकारी श्रीमती शशि पाण्डेय, लेखाकार श्री दीन दयाल, अवर अभियन्ता श्री ए0 के0 दुबे एवं कार्य प्रभारी श्रीमती पूर्णिमा यादव से बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 10)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
20500.00	00.00	00.00

<u>प्रस्तर संख्या-09-</u> पत्रावली संख्या 26 में ग्राम पंचायत भड़सरा में धुरेन्द्र पाल के घर से रमाशंकर के बगीचे तक खड़जा मरम्मत कार्य दर्शाया गया है। उक्त कार्य से संबंधित मेसर्स विजय ईट उद्योग द्वारा प्रस्तुत मिट्टी ढ़ुलाई बिल रू0 35000.00 पर टी0 डी0 एस0 2 प्रतिशत रू0 700.00 की कटौती नहीं कर राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है जिस प्रति लेखाकार श्री दीन दयाल एवं खंड विकास अधिकारी श्री आलोक दत्त उपाध्याय सीधे उत्तरदायी है। अत: रू0 700.00 की वसूली मय ब्याज लेखाकार श्री दीन दयाल एवं खंड विकास अधिकारी श्री आलोक दत्त उपाध्याय से बराबर-बराबर कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 11)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	700.00

<u>प्रस्तर संख्या-10-</u> पत्रावली संख्या 29 में दर्शित कार्य ग्राम पंचायत नदुआ छपरा पिच रोड पर कुर्ना नाला में स्थित 3*2.5 मीटर पुलिया का मरम्मत कार्य दर्शाया गया है। उक्त कार्य

में मिट्टी ढुलाई रू० 25500.00 का व्यय दर्शाया गया है जिसके व्यय वाउचर लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा नियमावली 1965 के नियम संख्या 64 के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के कोई भी भुगतान नहीं किया जा सकता है। अत: उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि रू० 25500.00 की वसूली मय ब्याज क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती सीमा पासवान, खंड विकास अधिकारी श्री चन्द्र भूषण यादव, लेखाकार श्री दीन दयाल, अवर अभियन्ता श्री ए0 के0 दुबे एवं कार्य प्रभारी श्रीमती पूर्णिमा यादव से बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 12)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
25500.00	00.00	00.00

<u>प्रस्तर संख्या-11-</u> पत्रावली संख्या 32 में ग्राम पंचायत हरनौठा में श्री त्रिलोकी प्रसाद के घर से श्री विश्वनाथ प्रसाद के खेत तक खड़ंजा निर्माण कार्य दर्शाया गया है। उक्त कार्य से संबंधित मेसर्स विजय ईट उद्योग द्वारा प्रस्तुत मिट्टी ढुलाई बिल रू0 55000.00 पर टी0 डी0 एस0 2 प्रतिशत रू0 1100.00 की कटौती नहीं कर राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है जिस प्रति लेखाकार श्री दीन दयाल एवं खंड विकास अधिकारी श्री आलोक दत्त उपाध्याय सीधे उत्तरदायी है। अत: रू० 1100.00 की वसूली मय ब्याज लेखाकार श्री दीन दयाल एवं खंड विकास अधिकारी श्री आलोक दत्त उपाध्याय से बराबर-बराबर कर राजकीय कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 13)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	1100.00

<u>क्षेत्र पंचायत - सलेमपुर</u> <u>जनपद - देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-12-</u> शासनादेश सं0-1717/33-3-2021-33/2020 दिनांक 07.10.2021 के अनुसार ग्रामीण स्थानीय निकायों को दी जा रही सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 15वें वित्त (टाइड एवं अनटाइड) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि का 1 प्रतिशत धनराशि राज्य स्तर नोडल खाता सं0-39430719992 आई.एफ.एस.सी.-एस.बी.आई.एन.0006144 में ग्रामीण स्थानीय निकायों (जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में 15वें वित्त आयोग की प्राप्त धनराशि रू० 138142.80 का 1 प्रतिशत रू० 1381.42 निदेशक पंचायती राज के नोडल खाते में स्थानान्तरित न किया जाना नियम विरूद्ध एवं अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञानप्रकाश एवं आनन्द प्रकाश एवं लेखाकार श्री आलोक गुप्ता उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है | (सामान्य आपत्ति संख्या 21)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	1381.42

प्रस्तर संख्या-13- आलोच्य वर्ष 2021-22 में फर्मो/ठेकेदारें के बिलो से राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत आयकर (1 प्रतिशत) की कटौती (रू0-171780+142003) कुल धनराशि रू0 313783.00 की गयी है। उक्त धनराशि का आयकर विभाग में जमा करने का कोई प्रमाणक/चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि आयकर विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही की जाती है तो उसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञानप्रकाश व श्री आनन्द प्रकाश एवं लेखाकार श्री आलोक गुप्ता उत्तरदायी होगे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है | (आपत्ति संख्या 22)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	313783.00

प्रस्तर संख्या-14- आलोच्य वर्ष 2021-22 में फर्मों/ठेकेदारों से राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत जी0एस0टी0 की कटौती रू0 153279+126616 कुल धनराशि रू0 279895.00 की गयी है। यहा ये भी उल्लेखनीय है कि प्रारूप-3 जो प्रस्तुत किया गया है उसमें रू0 148895.00 जी0एस0टी0 की कटौती न करके ठेकेदार/फर्मों को भुगतान करके धनराशि की क्षति करा दी गयी है। कटौती धनराशि रू0 279895.00 से सम्बन्धित जमा जी0एस0टी0 का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। दोनों स्थितियों के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश एवं श्री आनन्द प्रकाश एवं लेखाकार श्री आलोक गुप्ता उत्तरदायी रहे। यदि सम्बन्धित विभाग से कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है तो उसके लिए उपरोक्त दोनों व्यक्ति उत्तरदायी होगे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है | (सामान्य आपत्ति संख्या 23)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	428790.00

प्रस्तर संख्या-15- आलोच्य वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त से क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कार्य कराया गया है जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

राज्य वित्त :-

क्रमांक	विवरण	सामग्री	मजदूरी	योग
1.	ग्राम पंचायत मनिहारी में पिच सड़क से गंगासरन पाठक तक इण्टरलाकिंग कार्य।	3.72	0.36	4.08
2.	ग्राम पंचायत धनगढ़ा में काली स्थान के पश्चिम दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य।	2.77	0.27	3.04

3.	ग्राम पंचायत निजामाबाद में ताजिया चौक पर इण्टरलांकिग कार्य।	2.72	0.26	2.98
4.	ग्राम पंचायत जिरासो (छतरपुरा) में सुनील के घर से शिवमंदिर तक इ0ला0 कार्य	4.56	0.43	4.99
5.	बनकटा मिश्र में पिच रोड से टावर तक इ0ला0 कार्य	5.49	0.52	6.01
6.	बंजरिया में शैलेश के घर से ब्रहम स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	3.58	0.59	4.17
7.	तिलौली में फौजदार हरिजन के घर से एस0के0 डिग्री कालेज तक इण्टरलाकिंग।	8.02	0.78	8.80.
8.	डुमवलिया में काली स्थान से खूबलाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	6.86	0.69	7.55
9.	बरसीपार में जगदीश के घोठा से छेदी यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	7.39	0.72	8.11
10.	कस्बा सलेमपुर में शमसुद्दीन के घर से कब्रिस्तान के पूर्वी छोर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	7.87	0.77	8.64
11.	खखड़ी में पिच सड़क से रमेश् के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	5.83	0.56	6.39
12.	पयासी में द्वारिका गोड़ के घर से अंजान मिश्रा के घर के पीछे नमोनरायन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	6.27	0.61	6.88
13.	मुसैला बुजुर्ग से देवरिया सलेमपुर मार्ग से शिवनरायन कुशवाहा के घर तक इण्टरलांिकंग कार्य।	3.74	0.35	4.09

केन्द्रिय वित्त :-

14.	रामपुर बुजुर्ग में काशी के घर से मंदिर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	5.45	0.53	5.98
15.	रामपुर बुजुर्ग में पिच सड़क से काशी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	5.23	0.50	5.73
16.	भरौली नं0-1 मे पिच सड़क से रामभवन के खेत होते हुए जगदीश यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	3.75	0.39	4.14
17.	बैदौली में वीरेन्द्र सिंह के घर होते हुए सुनील यादव के घर से पक्की सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य।	5.60	0.34	5.94
18.	मीठा भरौली मे सी0सी0 रोड से सत्येन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग।	2.02	0.19	2.21
19.	मनिहारी में रामाश्रय के घर से सत्नेन्द्र के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य।	5.39	0.52	5.91
20.	चारेडीहा में पिच सड़क पर शम्भू के घर से महाराज भगत के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	2.96	0.28	3.24
21.	पाण्डेयपुर से विनोद तिवारी के मकान के पीछे से	3.46	0.33	3.79

	धनेश। लक्ष्मीकान्त के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग कार्य।			
22.	रजडीहा में स्वामीनाथ यादव के घर से आशीष यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	4.63	0.47	5.10
	योग	107.31	10.46	117.77

शासनादेश सं0-8307/33-2-2004-93 जी0/2004 दिनांक 12.01.2005 द्वारा निर्देशित किया गया था कि निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सबका क्षेत्र निर्धारित किया गया है। क्षेत्र पंचायतों को धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों में प्राप्त हुआ है। उसमें दो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित कराने वाले कार्य कराया जाना अपेक्षित है। क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कार्य कराये गये एवं सम्बन्धित अनुभाग में कार्य कराये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार किया गया उपरोक्त कार्य नियम के विरुद्ध एवं अनियमित रहा। जिसके लिए रू0 11777000 के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञानप्रकाश व श्री आनन्द प्रकाश एवं लेखाकार श्री आलोक गुप्ता उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है |

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	11777000

<u>क्षेत्र पंचायत - भागलपुर</u> <u>जनपद - देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-16-</u> शासनादेश सं0-1717/33-3-2021-33/2020 दिनांक 07.10.2022 के अनुसार ग्रामीण स्थानीय निकायों को दी जा रही सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली (टाइड एवं अनटाइड ग्रान्ट) की धनराशि का 1 प्रतिशत धनराशि राज्य स्तर पर नोडल खाता सं0-39430719992 आई0एफ0एस0सी0 कोड एस.बी.आई.एन.0006144 में ग्रामीण स्थानीय निकायों (जिला पंचायत; क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। आलोच्य वर्ष 2021-2022 में टाइड एवं अनटाइड ग्रान्ट की कुल धनराशि रू0 1009337.00 का 1 प्रतिशत रू0 10093.37 निदेशक पंचायती राज नोडल खाता में स्थानान्तरित नहीं किया गया है, जो नियम विरूद्ध रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीना सिंह, श्री पन्नालाल एवं लेखाकार श्री चन्दगुप्त एवं श्री आलोक गुप्ता उत्तरदायी रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है |

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	10093.37

<u>प्रस्तर संख्या-17-</u> आलोच्य वर्ष 2021-22 के अनुसार आयकर की कटौती फर्म/ठेकेदार के बिलों से राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत रू0 136345.00 की कटौती की गयी। प्रारूप-3 सामग्री भुगतान विवरण के अनुसार राज्य वित्त सामग्री भुगतान दिनांक 16.10.2021 रू0 163815.00 पर आयकर रू0 3669.00 की कटौती किये वगैर उसका भुगतान कर दिया गया। कटौती की गयी धनराशि रू० 136345.00 को आयकर विभाग में जमा करने का कोई प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त दोनों स्थितियों के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीना सिंह, श्री

पन्नालाल एवं लेखाकार श्री चन्दगुप्त एवं श्री आलोक गुप्ता उत्तरदायी रहे। **आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है |** (सामान्य आपत्ति सं0-17)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	140014.00

<u>प्रस्तर संख्या-18-</u> आलोच्य वर्ष 2021-2022 के अनुसार जी0एस0टी0 कटौती ठेकेदार/फर्म के बिलों से राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत रू0 27298.00 की कटौती की गयी है। प्रारूप-3 (सामग्री भुगतान विवरण के अनुसार) जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 96713.00 की कटौती नहीं करके धनराशि फर्म/ठेकेदार को करके धनराशि अपहृत करा दी गयी है। दोनों स्थितियों के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीना सिंह, श्री पन्नालाल एवं लेखाकार श्री चन्दगुप्त एवं श्री आलोक गुप्ता उत्तरदायी रहे। **आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है |** (सामान्य आपत्ति सं0-18)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	124011.00

<u>प्रस्तर संख्या-19-</u> आलोच्य वर्ष में निम्नांकित कार्य राज्य वित्त/15वां वित्त अन्तर्गत ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कार्य कराया गया है जिसका विवरण निम्न हैः-

केन्द्रीय वित्त :-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	समग्री पर व्यय	मजदूरीपर व्यय	योग
1	ग्राम पंचायत बरठा लाला में मेन रोड पर पारस यादव के घर के बगल से उपेन्द्र श्रीवास्तव के घर तक खण्डजा निर्माण।	577060.00	131090.00	708150.00
2	ग्राम पंचायत ठाकुरगौरी के मायापार में राजदेव प्रसाद के घर से डा0 हरिवंश राजभर के मकान तक खण्डजा निर्माण कार्य।	345578.00	24840.00	370418.00
3	अकुबा बरेजी में नाली निर्माण कार्य।	139693.00	20440.00	160133.00
4	ग्राम पंचायत पड़री गुर्राव में दीप नारायण के खेत से रीतेश के घर तक मिट्टी/खण्डजा कार्य।	265013.00	63110.00	328123.00
5	ग्राम पंचायत सतरांव में डा0 राम मनोहर लोहिया गेट से दोहनी पीच मार्ग पर विजय यादव के खेत तक खण्डजा निर्माण कार्य।	357150.00	14213.00	499280.00
	योग	1684494.00	381610.00	2066104.00

राज्य वित्त :-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	समग्री पर व्यय	म्जदूरी पर व्यय	योग

1	ग्राम पंचायत परसिया चन्दौर में विजय प्रसाद के मकान से हरिवंश राजभर के मकान तक खण्डजा निर्माण।	401932.00	96340.00	498272.00
2	ग्राम पंचायत गहिला में राजभर यादव के खेत से प्राथमिक विद्यालय तक इण्टरलाकिंग कार्य।	681095.00	69470.00	750565.00
3	ग्राम पंचायत बेलवा में अकबर के दरवाजे से उत्तर होते हुए अनिरूल्लाह के घर होते हुए पश्चिम मुमताज के दरवाजे तक खण्डजा मरम्मत कार्य।	276384.00	247490.00	523874.00
4	ग्राम पंचायत अकुबा बरेजी में प्राथमिक विद्यालय से पुरूषोत्तम उपाध्याय के घर होते हुए	535532.00	59710.00	595242.00
5	ग्राम पंचायत गहिला में परशुराम सिंह के घर से डीह स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	883472.00	89640.00	973112.00
6	ग्राम पंचायत कुण्डावल तारा में कामेश्वर तिवारी के खेत से पूर्वी कोने से मेन पीच तक खण्डजा निर्माण कार्य।	212036.00	58360.00	270396.00
7	ग्राम पंचायत कहांव मे बरहज सलेमपुर सम्पर्क मार्ग छपरा कहांव से मंशीजी के खेत तक खण्डजा मरम्मत कार्य।	211365.00	89480.00	300845.00
	योग	3201816.00	710490.00	3912306.00

शासनादेश सं0-8307/33-02-2004-93 जी0/2004 दिनांक 12.01.2005 द्वारा निर्देशित किया गया था कि निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सबका क्षेत्राधिकार निर्धारित किया गया है। क्षेत्र पंचायतो को जो धनराशि/अनुदान विभागीय मदों से प्राप्त होते है। उनसे दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित कराये जाने वाले कार्य कराया जाना अपेक्षित है। क्षेत्र पंचायत द्वारा उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कार्य कराये गए एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से कार्य कराये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया। इस प्रकार किया गया उपरोक्त कार्य नियम विरूद्ध एवं अनियमित रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीना सिंह एवं श्री पन्नालाल एवं लेखाकार श्री चन्दगुप्त उत्तरदायी रहे। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट जाता है | **आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है |** (सामान्य आपत्ति सं0-19)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	00.00	5978410.00

जनपद- महराजगंज

प्रारूप-3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

(क्षेत्र पंचायतों से संबन्धित आपत्तियां)

जनपद- महराजगंज

मंडल-गोरखपुर

प्रस्तर संख्या 01- क्षेत्र पंचायत फरेन्दा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि शासनादेश संख्या (भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग)- 641/86-2018-153/2017 लखनऊ दिनांक 27 मार्च 2018 के द्वारा निमार्ण कार्य सामग्रियों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों यथा चूना पत्थर, मोंरंग, बालू, पत्थर गिट्टी इत्यादि की आपूर्ति करने वाले फर्म की बिल के साथ फार्म एम0एम0-11 संलग्न न होने की दशा में निर्धारित दंर से उनकी बिलो से रायल्टी काटने का निर्देश निर्गत है। परियोजना की वित्तीय स्वीकृति आदेश पत्र में भी इन कटौतियों को करने का निर्देश दिया गया है। लेखा परीक्षा में निम्नलिखित विवरणानुसार सामग्रियों की आपूर्ति पर फर्म को भुगतान किये गये बिलों के साथ फार्म एम0एम0-11 संलग्न नही पाया गया, फिर भी संस्था द्वारा बिलों से निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती न करके मनमाने ढंग से कार्य कर अनियमितता करते हुए राजकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है:-

क्र0 सं0	नाम परियोजना	बालू दर रू0 55/घन मी0		मोंरंग दर रू0 75/घन मी0		पत्थर गिटटी दर रू0 110/घन मी0		कुल योग रू0	उत्तरदायी कर्मचारी / अधिकारी का नाम एवं पदनाम
		मात्रा	रायल्टी	मात्रा	रायल्टी	मात्रा	रायल्टी		
1	ग्रा0पं0 झांवाकोट में कोटही माता के स्थानसे बन्धे तक इण्टरलांकिग रोड निमार्ण (रा0वि0)	71	3905.00	-	-	-	-	3905.00	श्री अमरनाथ पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री हरेन्द्र दूबे (लेखाकार)
2	वि0खण्ड परिसर में खण्ड विकास अधिकारी आफिस जिर्णोद्वार कार्य (रा0वि0)	7.5	412.50	29	2175.00	14	1540.00	4127.50	श्री अमरनाथ पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री हरेन्द्र दूबे (लेखाकार)
3	विकास खण्ड फरेन्दा में विकास खण्ड परिसर में ख0वि0 अधि0 आवास में गैरेज जनरेटर रूम व नाली निमार्ण (रा0वि0)	13	715.00	8	600.00	1.50	165.00	1480.00	श्री अमरनाथ पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री हरेन्द्र दूबे (लेखाकार)
4	ग्रा0 पं0 उदितपुर टोला झगरूपुर मे अनिल	52.40	2882.00					2882.00	श्री अमरनाथ पाण्डेय

	मौर्या के मकान से प्रा0 वि0 तक इण्टरलांकिग रोड निमार्ण (रा0वि0)								(ख0वि0अधि0) श्री हरेन्द्र दूबे (लेखाकार)
5	ग्रा0 पं0 उदितपुर टोला झगरूपुर मे इण्टरलांकिग रोड से प्रा0 वि0 तक इण्टरलांकिग रोड निमार्ण (रा0वि0)	44.29	2436.00					2436.00	श्री अमरनाथ पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री हरेन्द्र दूबे (लेखाकार)
6	वि0खण्ड परिसर में प्रमुख कक्ष का विस्तारीकरण एवं सुन्दरीकरण कार्य (रा0वि0)	8.5	467.50	7.65	574.00	8.20	902.00	1943.50	श्री अमरनाथ पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री हरेन्द्र दूबे (लेखाकार)
7	विकास खण्ड परिसर में खण्ड विकास अधिकारी आवास परिसर में सी0सी0 रोड निमार्ण (रा0वि0)	7.0	385.00	6.0	450.00	9.50	1045.00	1880.00	श्री अमरनाथ पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री हरेन्द्र दूबे (लेखाकार)
8	विकास खण्ड परिसर में खण्ड विकास अधिकारी आवास मरम्मत कार्य (रा0वि0)	5.5	302.50	5.5	412.50	8.10	891.00	1606.00	श्री अमरनाथ पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री हरेन्द्र दूबे (लेखाकार)
9	विकास खण्ड परिसर में खण्ड विकास अधिकारी आवास परिसर का उच्चीकरण एवं इण्टरलांकिग कार्य (रा0वि0)	40.50	2227.50	6.0	450.00	-	-	2677.50	श्री अमरनाथ पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री हरेन्द्र दूबे (लेखाकार)
10	ग्रा0पं0 कम्हरियाखुर्द टोला सेमराडांडी में मोतीलाल के घर से पोखरी तक भूमिगत नाली निमार्ण	10	550.00	7.0	525.00	-	-	1075.00	श्री अमरनाथ पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री हरेन्द्र दूबे (लेखाकार)
11	ग्रा0पं0 कम्हरियाखुर्द में महेन्द्र नाई के घर से सोहन नाई के घर तक भूमिगतनाली निमार्ण	5.0	275.00	2.0	150.00	-	-	425.00	श्री अमरनाथ पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री हरेन्द्र दूबे (लेखाकार)
12	ग्रा0पं0 सिसवनियाखुर्द में रमेश के घर से रामबोध के घर तक	6.0	330.00	4.0	300.00	-	-	630.00	श्री अमरनाथ पाण्डेय (ख0वि0अधि0)

	भूमिगत नाली कार्य								श्री हरेन्द्र दूबे (लेखाकार)
13	ग्रा0पं0 सोहरवलियाकला में बुद्धिराम के घर से नाटेपान वाली टंकी के पास तक भूमिगत नाली	4.25	234.00	3.0	225.00	5.03	533.00	1012.00	श्री अमरनाथ पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री हरेन्द्र दूबे (लेखाकार)
14	ग्रा0 पं0 कम्हरिया खुर्द में फरेन्दा महराजगंज मार्ग पर विजययादव के मकान से अखण्ड के मकान तक पुराने इ0ला0/सी0सी0 सोड एवं नाली मरम्मत	82	4510.00	1.38	103.50	-	-	4613.50	श्री अमरनाथ पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री हरेन्द्र दूबे (लेखाकार)
15	ग्रा0पं0 महदेवा दूबे में रामदेव यादव के घर से परमात्मा यादव के घर तक इ0ला0 कार्य	33.50	1842.50	-	-	-	-	1842.50	श्री अमरनाथ पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री हरेन्द्र दूबे (लेखाकार)
16	ग्रा0पं0 सिसवनिया खुर्द मे श्याम मिलन के घर से पक्की रोड तक इ0ला0 रोड का निमार्ण	39	2145.00	-	-	-	-	2145.00	श्री अमरनाथ पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री हरेन्द्र दूबे (लेखाकार)
17	ग्रा0पं0 सोहरवलियाखुर्द में शंकर प्रजापति के घर से मोल्हर के घर तक नाली निमार्ण कार्य	10	550.00	2.85	214.00	-	-	764.00	श्री अमरनाथ पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री हरेन्द्र दूबे (लेखाकार)
18	ग्रा0पं0 जंगल जोगियाबारी में छोटई यादव के घर से महेश मौर्या के घर तक इण्टरलांकिग रोड निमार्ण	67	3685.00	-	-	20	2200.00	5885.00	श्री अमरनाथ पाण्डेय (ख0वि0अधि0) श्री हरेन्द्र दूबे (लेखाकार)
	योग-	506.44	27854.20	82.38	6179.00	66.33	7296.30	41330.00	

अतः राजस्व क्षति कुल रू0 41330.00 मे से रू0 20665.00 की वसूली श्री अमरनाथ यादव, खण्ड विकास अधिकारी से तथा रू0 20665.00 श्री हरेन्द्र दूबे, लेखाकार से संयुक्त रूप से करते हुए निर्धारित शीर्ष में जमा कराकर रशीद/चालान प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

जनपद-जालौन **मण्डल - झांसी**

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियॉ -2021-22

क्षेत्र पंचायतः- नदीगांव **जनपदः- जालौन**

1- प्रस्तरः1- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में पाया गया कि पंचायत निर्वाचन मद में भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक अप्राप्त रहे जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	वावत
01-9-2021	012452	20000	श्री प्रनीत कुमार (क0 सहायक)
18-05-2021	012449	98000	श्री जफर अली (मंसूरी टेण्ट हाउस)
22-09-2021	012454	12000	श्री श्री जफर अली (मंसूरी टेण्ट हाउस)
	योग	130000	

प्रमाण विहीन भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है। भुगतान की धनराशि मु0 130000.00 का पूर्ण उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री गौरव कुमार एवं लेखाकार श्री राज किशोर गोयल का है। जिसकी बसूली उपरोक्त दोंनो कर्मचारियों से ततारीख व्याज सहित आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-14

प्रस्तरः2 लेखा परीक्षा वर्ष2021-22 में पाया गया कि मनरेगा प्रशासनिक मद में भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक अप्राप्त रहें जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	वावत
16-06-2021	005283	120000	जीप भाडा भुगतान (10/20से 02/21 तक)
16-06-2021	005285	17700	(एम0बी0 क्रय)
06-09-2021	005286	18900	जीप मरम्मत
27-10-2021	005287	32585	अज्ञात
	योग	189185	

प्रमाण विहीन भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है। भुगतान की धनराशि मु0 189185-00 का पूर्ण उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी श्री गौरव कुमार एवं लेखाकार श्री राम किशोर गोयल का है। जिसकी बसूली उपरोक्त दोंनो कर्मचारियों से ततारीख व्याज सहित आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-15

क्षेत्र पंचायतः- माधौगढ **जनपदः- जालौन**

2- प्रस्तरः3 वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि स्वच्छ भारत मिश्न मद की धनराशि मु०, 552151.00 को नबम्बर 2021 के बाद दिसम्बर 21 के प्रा० अवशेष में एवं मार्च 2022 तक ग्रांट रजिस्टर-।।। में नहीं दर्शाया गया जबकि ग्रांट रजिस्टर- ।। में मद की अवशेष धनराशि 552151.00 दर्शायी जा रही है। ग्रांट रजिस्टर-।।। में उपरोक्त मद की धनराशि को 2021 से मार्च 2022 तक न दर्शाकर अनियमितता की गयी है जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री दीपक यादव एवं लेखाकार श्री रामशंकर निरंजन उत्तरदायी है।

उपरोक्त मद के बैंक स्टेटमैन्ट से स्पष्ट है कि धनराशि 31.03.2022 उपरोक्त ब्याज सहित दर्शित की जा रही है। अतः ग्रान्ट रजिस्टर-।।। में उपरोक्त मद की धनराशि प्राप्त व्याज सहित दर्शायी जानी एवं बैंक पासबुकों के विवरण में भी अवशेष धनराशि के खातेनुसार दर्शित किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-14

प्रस्तरः4 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि माह नबम्बर 2021 के लेवर सेस मद में ग्राट रजिस्टर-।। के अनुसार मु० 8003.00 है। धनराशि भुगतान की गयी है। जबकि ग्रांट रजिस्टर-।।। में मु0 20694.00 का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है।

अतः मु० 12691.00 की धनराशि अधिक भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिये लेखाकार श्री रामशंकर निरंजन एवं खण्ड विकास अधिकारी श्री दीपक यादव उत्तरदायी है। जिसकी तातारीख बसूली ब्याज सहित दोनों व्यक्तियों से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-15

क्षेत्र पंचायतः- रामपुरा जनपदः- जालौन

3- प्रस्तरः5 ले०प० वर्ष 2021-22 पंचम राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्य वि०ख० रामपुरा में ख०वि० अधि० आवास में पुताई, फर्श मरम्मत एवं शौचालय निर्माण कार्य पर लेखा परीक्षा के समय तक कुल 66397.00 रूपये दिनांक 07.01.2022 को किया गया है।

जबकि उक्त कार्य का इस्टीमेट धनराशि (प्रक्कलन की धनराशि) 4.96 लाख रहा तथा मे० कल्पना ठेकेदार को दी गयी कार्य की स्वीकृति (अनुबन्ध की राशि) 309844.00 रु० रहा। उक्त कार्य पर इसके अतिरिक्त भुगतान न किये जाने से स्पष्ट है कि अद्यतन उक्त कार्य को पूर्ण नहीं कराया गया है तथा कार्य पूर्ण न कराये जाने के कारणों का कोई लिखित अभिलेखीय साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अपूर्ण कार्य पर राजकीय धन व्यय से न केवल अनुबंधित कार्य अधूरा रहा बल्कि रु 66397.00 राजकीय धन का दुरूपयोग किया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री संदीप कुमार व लेखाकार श्री राजेश शर्मा एवं ठेकेदार मे. कल्पना तीनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः उत्तरदायी व्यक्तियों से नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। ततारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-02

प्रस्तरः6 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 पंचम राज्यवित्त योजना के अर्न्तगत कराये गये कार्य फूल सिंह के बाडा से नाला पुलिया तक इण्टर लॉकिंग कार्य से सम्बन्धित पत्रावली में धरोधर राशि 40495.00 रु० जमा का प्रमाणक अप्रात रहा।

उक्त कार्य पर प्राक्कलन की धनराशि 6.61 लाख रु तथा कार्यादेश राशि पत्रांक 14.06.2020 मई 2021 के अनुसार अनुबंध की धनराशि 404936.00 (लगभग 39 प्रतिशत कम पर) के सापेक्ष रु 40495.00 धरोहर धनराशि जमा के आदेश निर्गत किये गये थे परन्तु संस्था द्वारा उक्त धरोहर राशि मे० विजय सिंह (ठेकेदार) से जमा कराये बिना कार्य कराया गया है। जो गंभीर अनियमितता है। अतः उक्त अनियमितता के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश द्विवेदी एवं लेखाकार श्री राजेश शर्मा उत्तरदायी हैं।

मूल आपत्ति सं0-02

क्षेत्र पंचायतः- कोंच जनपदः- जालौन

4- प्रस्तरः7 मनरेगा प्रशानिक मद से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 07-10- 2021 को चेक संख्या 53615 द्वारा रुपया 32700.00 का श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखाकार को भुगतान किया गया है. तथा ग्रांट रजिस्टर द्वतीय के अनुसार दिनांक 02-10-2021 को उपर्युक्त धनराशि को मनरेगा सम्मलेन बावत व्यय किया जाना दर्शित किया है . किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए .अतः श्री श्रीवास्तव को रुपया 32700.00 का भुगतान कर अपहरण किया गया है. जिसकी भुगतानकर्ता तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार श्री राजकुमार कोरी से नियमानुसार वसूली तातारीख व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
मूल आपत्ति सं0-01

प्रस्तरः8 मनरेगा प्रशानिक मद से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 04-12- 2021 को चेक संख्या 53617 द्वारा रुपया 4792.00 का श्री प्रशांत श्रीवास्तव कम्प्युटर ऑपरेटर को भुगतान किया गया है.तथा ग्रांट रजिस्टर द्वतीय के अनुसार

दिनांक 27-11-2021 को उपर्युक्त धनराशि को शाखा प्रबंधक आर्यावर्त बैंक कोंच को टेलीफ़ोन बिल बावत भुगतान किया जाना दर्शित किया है. किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए तथा टेलीफ़ोन बिल का भुगतान श्री श्रीवास्तव कम्प्युटर ऑपरेटर को रुपया 4792.00 का भुगतान कर अपहरण किया गया है. जिसकी भुगतानकर्ता तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार श्री राजकुमार कोरी से नियमानुसार वसूली तातारीख व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।.

मूल आपत्ति सं0-02

प्रस्तरः9 मनरेगा प्रशानिक मद से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 13-01- 2022 को चेक संख्या 53619 द्वारा रुपया 50902.00 का विभिन्न खातों में भुगतान किया गया है जबकि ग्रांट रजिस्टर द्वतीय के अनुसार दिनांक 10-01-2022.. को उपर्युक्त व्यय ई.ओ.एल. सर्वे मिशन अन्तोदय के लिए भुगतान किया जाना दर्शित है. किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए है ना ही खातों की सूची प्रस्तुत की गयी. अतः बिना व्यय प्रमाणकों के रुपया 50902.00 का भुगतान कर अपहरण किया गया है जिसकी भुगतानकर्ता तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार श्री राजकुमार कोरी से नियमानुसार वसूली तातारीख व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-03

प्रस्तरः10 मनरेगा प्रशानिक मद से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 14-01- 2022 को चेक संख्या 53620 द्वारा रुपया 60720.00 का विभिन्न खातो में मनरेगा मिशन अन्त्योदय सर्वे बावत भुगतान किया गया है जबकि ग्रांट रजिस्टर द्वतीय के अनुसार भी उपर्युक्त व्यय ई.ओ.एल. सर्वे मिशन अन्तोदय के लिए भुगतान किया जाना दर्शित है. किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए है ना ही खातों की सूची प्रस्तुत की गयी. अतः बिना व्यय प्रमाणकों के रुपया 60720.00 का भुगतान कर अपहरण किया गया है. जिसकी भुगतानकर्ता तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार श्री राजकुमार कोरी से नियमानुसार वसूली तातारीख व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

.

मूल आपत्ति सं0-04

प्रस्तरः11 मनरेगा प्रशानिक मद से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 13-01-2022 को चेक संख्या 53621 द्वारा रुपया 10760.00 का श्री प्रशांत श्रीवास्तव कम्प्युटर ऑपरेटर को भुगतान किया गया है. एवं ग्रांट रजिस्टर द्वतीय के अनुसार भी श्री प्रशांत श्रीवास्तव कम्प्युटर ऑपरेटर को बिना व्यय विवरण के भुगतान किया जाना दर्शित है. लेखा परीक्षा में उपर्युक्त व्यय के प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए है . अतः बिना व्यय प्रमाणकों के रुपया 10760.00 का भुगतान कर अपहरण किया गया है. जिसकी भुगतानकर्ता तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार एवं तत्कालीन लेखाकार श्री राजकुमार कोरी से नियमानुसार वसूली तातारीख व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-05

जनपद-झांसी

<u>क्षेत्र पंचायत से संबंधित आपत्तियाँ -</u>

क्षेत्र पंचायत मऊरानीपुर

प्रस्तर 1 आलोच्य वर्ष 2021-22 के दौरान कराये गए कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत है, जबकि पंचायतीराज अनुभाग - 3 शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए विकास कार्य कराये जाने चाहिए। जबकि वित्तीय वर्ष 2021- 22 में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत विकास कार्यों में कुल रु० 1504246.00 व्यय किये गए । इन विकास कार्यों में उपरोक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता है, जिसके लिए श्रीमती प्रतिभा शाल्या एवं श्री अंकुर श्रीवास्तव (खण्ड विकास अधिकारी) एवं श्री संदीप शर्मा एवं रविन्द्र कुशवाहा (लेखाकार) उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना

अपेक्षित है। आलोच्य वर्ष 2021-22 के दौरान कराये गए कार्यों एवं उनमें व्यय धनराशियों का विवरण निम्नवत है: -

कार्य

धनराशि

1. (अ) ग्राम पंचायत रौनी में मुख्य बंधी से अम्बे माता मंदिर तक सी०सी० रोड मरम्मत कार्य

1- 334913.00

(ब) ग्राम पंचायत रौनी में मुख्य बंधी से अम्बे माता मंदिर तक सी०सी० रोड मरम्मत कार्य

2- 394594.00

2. ग्राम पंचायत मैलोनी में मऊरानीपुर - छतरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से हरदेव पाल के मकान की और अवशेष सी०सी० रोड व नाली निर्माण 774739.00

योग- 1504246.00

क्षेत्र पंचायत चिरगाँव

प्रस्तर 2 शासन द्वारा निर्माण कार्यों में डूप्लीकेसी को रोकने हेतु राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासनादेश एवं शासनादेश संख्या 1639/33-03-2015-03/2015 दिनॉक 19.06.2015 एवं शासनादेश संख्या 1838/33-03-2015-03/2015 दिनाँक 31.07.2015 में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये है उक्त शासनादेशानुसार क्षेत्र पंचायत को संक्रमित की जाने वाली धनराशि से एक से अधिक राजस्व ग्रामों को नाभान्वित करने वाले कार्य ही सम्पादित कराये जायेंगें किन्तु क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में उक्त शासनादेशों का उल्लंघन कर एक ही राजस्व ग्राम को लाभान्वित कराने वाले कार्य कराकर रू0 6947468.00 का दुरूपयोग किया गया। अतः दुरूपयोगित धनराशि रू0 6947468.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अमित प्रताप सिंह, श्री गणेश वर्मा, श्री नरेंद्र सिंह एवं लेखाकार श्री हेमंत कुमार से की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत बबीना

प्रस्तर 3 शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गए हैं | जिसके प्रस्तर –2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होता है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराएं जाएँ तथा शासनादेश संख्या1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19 जून 2015 के प्रस्तर 2.5 में व्यवस्था दी गयी है कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले, पूर्व में हुए विकास कार्यों / सृजित संपत्तियों के रख-रखो तथा इसी प्रकार के नए निर्माण कार्यों पर किया जाएगा | जबकिवित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माण कार्य पर रु० 9013404 व्ययकिया गया है, जिसमें उपरोक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता है | **जिसके लिए खंड विकाश अधिकारी श्री गणेश वर्मा एवं श्री अमित प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

क्षेत्र पंचायत बामौर

प्रस्तर 4 शासनादेश संख्या 1838/33–3–2015–03/2015 दिनाँक 31.07.2015 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को विभिन्न श्रातों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये है। जिसके प्रस्तर–2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होता है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जाएँ तथा शासनादेश संख्या 1639/33–3–2015–03/2015 दिनाँक 19.06.2015 के प्रस्तर 2.5 में व्यवस्था दी गयी है कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले, पूर्व में हुए विकास कार्यों सृजित सम्पत्तियों के रख–रखाव तथा इसी प्रकार के नए निर्माण कार्यों पर किया जाएगा। जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत विकास कार्यों में व्यय किय गए, जिसका विवरण इस प्रकार है–

क्रं0 कार्य का नाम व पूर्ण पता **सामग्री धनराशि**

1– ग्राम पंचायत बिलाटी खेत के मजरा सेमरा में मेन सडक से हीरामन की ओर एपेक्स रोड एवं एजिंग का निर्माण	534251.00
2– ग्राम पंचायत इस्किल में हरकिशन शिवहरे के घर से रामखिलावन अहिरवार के मकान तक सीसी रोड निर्माण कार्य	642738.00
3– ग्राम पंचायत डूडी में मैन रोड से शिवराम सिंह व छोछू परमार के मकान तक एपेक्स रोड/इंटरलांकिग निर्माण कार्य	628154.00
4– ग्राम पंचायत बिलाटी करके में महेन्द्र अहिरवार के मकान से मैन सडक तक एपेक्स रोड का निर्माण	390371.00
5– ग्राम पंचायत कुरैता में जगदीश गुप्ता रमा अहिरवार के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण	778448.00
6– ग्राम पंचायत कुरैठा में कुरैठा मेन रोड से नरेन्द्र सिंह फौजी के मकान के सामने एपेक्स रोड का निर्माण	201969.00
योग –	**3175931.00**

उपरोक्त कराये गये निर्माण कार्य के लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राहुल मिश्रा एवं ब्लाक प्रमुख श्रीमती शकुन्तला सिंह उत्तरदायी है। जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत मोंठ

प्रस्तर 5 1. आलोच्य वर्ष 2021-22 के दौरान कराये गए कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत है, जबकि पंचायतीराज अनुभाग- 3 शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए विकास कार्य कराये जाने चाहिए। जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में चतुर्थ राज्य वित्त के अन्तर्गत विकास कार्यों में कुल रु० 168224.00 व्यय किये गए। इन विकास कार्यों में उपरोक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती कविता सिंह चाहर एवं तत्कालीन लेखाकार श्री शालिम अंसारी उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष 2021-22 के दौरान कराये गए कार्यों एवं उनमें व्यय धनराशियों का विवरण निम्नवत है:-

कार्य	**धनराशि**
अ. ग्राम बेलमाकला में रामसेवक के मकान से परशुराम कुशवाहा के मकान की ओर सी०सी० रोड निर्माण	168224.00
योग-	**168224.00**

क्षेत्र पंचायत मोंठ

प्रस्तर 6 2. क्षेत्र पंचायत मोंठ के वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग / केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत कराये गए निर्माण कार्य एवं शुद्ध भुगतान निम्नवत है :-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत निर्मित कार्य	**व्यय धनराशि**
1. ग्राम बेलमाकला में रामसेवक के मकान से परशुराम कुशवाहा के मकान की ओर सी०सी० रोड निर्माण	168224.00
2. कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, ब्लॉक पुख कक्ष, मनरेगा कक्ष इत्यादि के कायाकल्प का भुगतान	730543.00
3.नवीन बिल्डिंग में 90 मीटर सी०सी० रोड निर्माण	642461.00
4. पशुचिकित्सालय कार्यालय से सी०डी०पी०ओ० कार्यालय की और सी०सी० रोड निर्माण	837350.00
5.नवीन बिल्डिंग में पोर्च निर्माण	265611.00
6. कार्यालय / बिल्डिंग का कायाकल्प के अन्तातात मरम्मत का भुगतान	142587.00
योग-	**2786776.00**

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत निर्मित कार्य र सी०सी० रोड निर्माण	**व्यय धनराशि**

1. ग्राम शाहजहांपुर में राजू राजपूत के मकान से टंकी की ओर सी सी रोड निर्माण 718770.00
2. कार्यालय कैम्पस में पशु चिकित्सालय कार्यालय का कायाकल्प के
अंतर्गत मरम्मत का भुगतान 309896.00
3. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय बरधारी में विधुत लाइन शिफ्टिंग के कार्य पर व्यय 174439.00
4. ग्राम बम्हरौली में पी०एन०बी० से कोमल के घर की ओर 200 मीटर सी०सी० रोड निर्माण 904146.00

योग- 2107251.00

उक्त समस्त कार्यों से सम्बंधित टेण्डर पत्रावली, निविदा जिसको स्वीकृत हुयी से सम्बंधित पत्रावली, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण कार्यों पर काटा गया जी.एस.टी. / टी.डी.एस./सेस से सम्बंधित जमा के चालान व भुगतान से सम्बंधित समस्त व्यय प्रमाणक इत्यादि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः किया गया समस्त भुगतान रु० 4894027.00 अनियमित है। जिसके लिए तत्कालीन लेखाकार श्री शालिम अंसारी एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती कविता सिंह चाहर उत्तरदायी हैं, जिनसे उपरोक्त धनराशि रु० 4894027.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत बड़ागाँव

प्रस्तर 7 आलोच्य वर्ष 2021-22 के दौरान कराए गए कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत हैंए जबकि पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती हैए उससे एक से अधिक राजस्व ग्रार्मो को लाभान्यित करने के लिए कार्य कराए जाने चाहिए। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत बड़ागांव द्वारा कराए गए समस्त कार्य अनियमित रूप से वह शासनादेश का उल्लंघन करते हुए कराए गए हैं। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी व श्री महेंद्र सिंह यादव तत्कालीन लेखाकार हैं लेखा परीक्षा दौरान कराए गए कार्यों व उनमें व्यय धनराशियों का विवरण निम्नवत है -

कार्य का विवरण	**धनराशि**
1- ग्राम पंचायत सारमऊ में ओंकार के मकान से माता मंदिर की ओर एपैक्स निर्माण	784089.00
2- ग्राम पंचायत चिपलोठा में गडरया खिरकं तक एपैक्स रोड निर्माण	622810.00
3- ग्राम पंचायत बराटा में रमेश राजपूत के मकान से हरी सिंह के मकान तक एपैक्स रोड निर्माण	895293.00
4- ग्राम शंकरगढ़ में प्रमोद राजपूत के मकान से काली माता मंदिर की ओर एपैक्स रोड निर्माण	801200.00
5- ग्राम पंचायत अंबाबाय के पूर्वी हस्तिनापुर में रमेश राजपूत के मकान से हरि सिंह के मकान तक ऐपेक्स रोड निर्माण	929480.00
6- ग्राम घुघुवा के मजरा गडरया विखरक में सुरेन्द्र रैकवार के मकान से भगवान दास के मकान की ओर एपेक्स रोड निर्माण	665790.00
7- ग्राम पंचायत हरपुरा में सामुदायिक शौचालय की ओर एपैक्स रोड निर्माण	534033.00
8- ग्राम पंचायत पालर में बाबूलाल के मकान से धर्मपांचाल के मकान तक एपैक्स रोड	406744.00
9- ग्राम पंचायत बनगुआ में बाबूलाल कुशवाहा के मकान से सट्टू कुशवाहा के मकान तक एपेक्स रोड निर्माण	710500.00
10-ग्राम पंचायत रुद्रकरारी में बालक दास के मकान से राजकुमार के बाड़े की ओर एपैक्स रोड निर्माण	831893.00
11-ग्राम चिपलोठा में धमनाई खिरक मैन रोड से प्राथमिक विद्यालय तक एपैक्स रोड निर्माण	566960.00
12-ग्राम बेहटा पालर में नह पुलिया से रामगोपाल के मकान तक एपैक्स रोड निर्माण	525094.00
13-ग्राम टाकोरी में खर्रा नाले की पुलिया के पास प्रतिधारण दिवार का निर्माण	372278.00
14-ग्राम पंचायत भूपनगर में गंगा प्रसाद कुशवाहा के सामने निर्माण सहारिया डेरा तक एपैक्स रो निर्माण	713577.00
15-ग्राम पंचायत फुटेरा बरुआसागर में जगरे बाबा खिरक के हनुमान मंदिर की ओर एपैक्स	783095.00

16- ग्राम पंचायत छपरा में मेन रोड से प्रजापाल के बाडे की ओर एपैक्स रोड निर्माण 858261.00
17-ग्राम पंचायत बनगुआ में सूरज यादव के मकान से शिवदयाल के मकान
की ओर एपैक्स रोड 855796.00
18-ग्राम पंचायत बेहटा पालर में रघुवीर शरण के मकान से महेश सिंह के
खेत तक आरसीसी नाला 817457.00
19- ग्राम पंचायत लिधौरा में ट्रांसफार्मर से पंचायत भवन तक आरसीसी नाला निर्माण 9030570.00
20- ग्राम पंचायत लिधौरा में पंचायत भवन से पुराने नाले तक आरसीसी नाला निर्माण 655318.00
21- ग्राम पंचायत पारीक्षा में सरस्वती शिशु मंदिर डाकघर के पास एपैक्स रोड निर्माण 459340.00
22- ग्राम पंचायत पारीक्षा में सार्वजनिक रामलीला मैदान में एपैक्स रोड निर्माण 740345:00
23- ग्राम पंचायत लिधौरा में एपैक्स कार्य पंचायत भवन से प्राथमिक विद्यालय तक 625260.00
24- ग्राम पंचायत दौन में सामुदायिक शौचालय से नहर तक नाली निर्माण कार्य 849175.00
25- ग्रामपंचायत बचावली बुजुर्ग रामचरण कुशवाहा के मकान से लखन
के मकान तक एपैक्स निर्माण 301752.00

योग- 25336110.00

क्षेत्र पंचायत बड़ागाँव

प्रस्तर 8 आलोच्य वर्ष 2021-22 के आय-व्यय विवरण में ऐवं ग्रान्ट रजिस्टर 3 में चतुर्थ/पंचम वित्त मद में रुपए 12887957.50 की धनराशि व्यय / उपभोग दर्शित है परंतु लेखा परीक्षा दौरान रुपए 9636588.00 की धनराशि व्यय / उपभोग के निर्माण कार्य का विवरण पत्रावाली/प्रमाणक ही उपलब्ध करवाए गए (प्राप्त व्यय विवरण की सूची लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।) शेष 3251369.50 रुपए व्यय उपभोग की धनराशि के प्रमाणक / पत्रावली उपलब्ध नहीं करवाए गए एवं 15 वित्त आयोग मद में रुपए 10511230.00 की धनराशि व्यय / उपभोग दर्शित है परंतु लेखा परीक्षा दौरान रुपए 10278803.00 धनराशि के ही निर्माण, कार्य के विवरण/पत्रावली/ प्रमाणक उपलब्ध करवाए गए शेष रूपए 232427.00 व्यय / उपभोग धनराशि के प्रमाणक/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गई। इस प्रकार चतुर्थ पंचम वित्त एवं 15 वित्त में कुल रुपए 3483796.50 धनराशि से संबंधित पत्रावली/प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराए गए। जिस हेतु तत्कालीन लेखाकार श्री महेंद्र सिंह यादव एवं श्री हृदयेश कुमार तथा तत्कालीन खंड विकास अधिकारी उत्तरदाई हैं। विभागीय संबंधित कर्मचारी/अधिकारी से आवश्यक कार्यवाही वसूली हेतु प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्षेत्र पंचायत गुरसराय

प्रस्तर 9 आलोच्य वर्ष 2021-22 के दौरान कराये गये कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत है, जबकि पंचायतीराज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जाने चाहिए। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत बडागाँव द्वारा कराये गए समस्त कार्य अनियमित रूप से व शासनादेश का उल्लंघन करते हुए कराये गये है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राहुल मिश्रा एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमती पदमा देवी उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। लेखा परीक्षा दौरान कराए गये कार्यों व उनमें व्यय धनराशियों का विवरण निम्नवत है - -

1 - ग्राम विक्रमपुरासानी में अपेक्स रोड निर्माण बरसाई के मकन से बाडे तक - 913715.00
2- ग्राम भस्नेह में मेन रोड से सकना सरकार मंडी की तरफ एपेक्स रोड 952762.00
3- ग्राम सोनकपुरा में कमलू रायकवार के मकान से चंडू अहिरवार के मकान तक एपे० रोड-318055.00
4- ग्राम कोटरा में मेन रोड से प्राथमिक स्कूल तक सामग्री 718158.00
5- ग्राम घुरैया में खुशीपुरा मजरा तक एपेक्स रोड 952056.00

योग - 3854746.00

क्षेत्र पंचायत बंगरा

प्रस्तर 10 वर्ष दौरान कराये गये निम्नलिखित कार्य एक ही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कराये गये हैं जबकि पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जाने चाहिये। इस प्रकार समस्त कार्य अनियमित रूप से एवं उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुये कराये गये जिसके लिए तत्कालीन ब्लाक प्रमुख इंजी० भारती आर्य, खण्ड विकास अधिकारी श्रीमति प्रतिभा शाल्या, श्री रामवन्त वर्मा, श्री सन्तराम, श्री नफीस अंसारी एवं उपेन्द्र प्रसाद पाल उत्तरदाई हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। वर्ष दौरान कराये गये कार्यों एवं उनमें व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत है-

क्र०	योजना कार्य	विवरण	धनराशि (लाख रू में)
1.	पंचम राज्य वित्त	ग्राम पचवारा में श्री देशराज के मकान से लेकर श्री कल्लू पाल के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण का कार्य।	4.071
2.	पंचम राज्य वित्त	ग्राम पठाकरका में श्री परमानन्द के बाढे से लेकर श्री काशीराम के मकान तक सी०सी० रोड का निर्माण	4.39
3.	पंचम राज्य वित्त	ग्राम कटेरादेहात के पास खिरक में श्रीशंकर जी मन्दिर से लेकर रमेश के मकान तक सी०सी०रोड व नाली निर्माण	3.605
4.	पंचम राज्य वित्त	ग्राम पचवारा में श्री प्रेमनारायण मास्टर के मकान से आशाराम के मकान तक सी०सी०रोड	2.10
5.	पंचम राज्य वित्त	ग्राम सनौरा में अमनपुरा सिजारा सम्पर्क मार्ग से लेकर श्री सम्दुर्वी बजंरग बली मन्दिर तक एपेक्स रोड के.सी. ड्रेन का निर्माण	9,918
6.	पंचम राज्य वित्त	ग्राम खजराहा में मैन रोड से लेकर श्री जय प्रकाश शर्मा के मकान तक एपेक्स रोड	9.28
7.	पंचम राज्य वित्त	ग्राम खिसनीखुर्द में श्री हरप्रसाद कुशवाहा के मकान से लेकर माता मन्दिर तक एपेक्स रोड	8.70
8.	पंचन राज्य वित्त	ग्राम बसारी हाट के मैदान में एपेक्स विछाई का कार्य।	6.286
9.	पंचम राज्य वित्त	ग्राम पंचायत पचवारा में मातादीन के मकान से लेकर श्री शिवकुमार के मकान तक सी.सी. रोड का निर्माण ।	1.30
10.	पंचम राज्य वित्त	ग्राम पंचायत सतपुरा में राजकुमार के मकान के दोनो और गाँव की ओर एवं रजवारा की ओर सी०सी० (मरम्मत) व के०सी०सी० ड्रेन का निर्माण	8.885
11.	पंचम राज्य वित्त	ग्राम वसारी में जगदीश के मकान से अशोक के मकान की ओर सी०सी० रोड निर्माण	8.999
12	पंचम राज्य वित्त	ग्राम टिकरी में गंगाप्रसाद के मकान से शमशान घाट की ओर एपेक्स रोड व के०सी०सी० ड्रेन का निर्माण	8.291
13.	केन्द्रीय वित्त	ग्राम भटा में मैन रोड से छेवला बाबा मन्दिर से लेकर लुकमान खां के मकान तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	5.36
14.	केन्द्रीय वित्त	विकास खण्ड बंगरा परिसर में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	4.691
15.	केन्द्रीय वित	ग्राम लठेसरा में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य	5.85
16.		ग्राम चढरऊ धवारी में सामुदायिक चबूतरा का निर्माण कार्य	8.67
		योग-	**100.396**

क्षेत्र पंचायत बंगरा

प्रस्तर 11 विभिन्न कार्यों से आयकर एवं सेस की कटौती दिनांक 31.03.2022 को रु 604048.00 (6.04 लाख) क्षेत्र पंचायत बंगरा के खातों में अवशेष थी जिसे कटौती किये जाने के बाद प्राप्त धनराशि को अगले माह जमा कर दिया जाना चाहिये किन्तु उक्त धनराशि को लेखाकार श्री शिव प्रसाद सिंहल द्वारा समय पर जमा नहीं कराया गया। इस अनियमितता के लिए लेखाकार श्री शिव प्रसाद सिंहल उत्तरदाई हैं। आयकर एवं

सेस को सम्बन्धित विभागों के हेड में जमा कर ई-फाइलिंग कराया जाना एवं लगने वाली पेनाल्टी को लेखाकार श्री शिव प्रसाद सिंहल से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 12

क्षेत्र पंचायत द्वारा ठेकेदार के बिलों की कुल धनराशि रू0 - 12594906 थी जिसमे से आयकर रूपये - 286120 की कटौती की गई जिसकी त्रैमासिक / वार्षिक ई-फाइलिंग नहीं कराई गई जिससे सम्बन्धित ठेकेदारों के पैन नं० में कटौती की गई आयकर की धनराशि प्रदर्शित नहीं होती। यह गंभीर अनियमितता है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदाई है। यदि भविष्य में विलम्ब शुल्क और दंण्ड आरोपित किया जाता है तो वसूली खण्ड विकास अधिकरी (आहरण वितरण अधिकारी) से की जानी चाहियें। विदित हो कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234 ई के अनुसार ई-फाइलिंग न कराने पर रूपये - 200 प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क देय होगा।

जनपद - ललितपुर

प्रारूप- 3

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

जनपद का नाम- ललितपुर मण्डल का नाम- झाँसी

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपित्तयाँ-

क्षेत्र पंचायत- मड़ावरा विकास खण्डः मड़ावरा

प्रस्तर- 1 उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली, 1965 के नियम 47 में यह प्रावधानित किया गया है कि: - "रोकड़िया, लेखाकार की रोकड़ बही के अतिरिक्त स्वयं अपनी ही एक रोकड़ बही रखेगा। यह बही दो खण्डों में होगी प्रथम खण्ड का संबंध मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने नाम में काटे गए चेकों या अधीक्षक द्वारा जिला निधि के सम्बन्ध में काटे गए चेकों की दशा में मुख्य अधिकारी के नाम में काटे गए चेकों और उससे किए गए वितरण से होगा। इन चेकों को नकद माना जाएगा और रोकड़िया प्राप्त होने पर इन्हें तुरन्त रोकड़ बही में दर्ज करेगा। रोकड़ बही का यह खण्ड प्रपत्र संख्या 10 में होगा। द्वितीय खण्ड का संबंध जिला पंचायत / क्षेत्र पंचायत के कार्यालय में नकदी में भुगतान किए गए करों, शुल्कों, निक्षेपों तथा किन्हीं अन्य विविध मदों से होगा। रोकड़ बही के द्वितीय खण्ड में, उस दिन की प्राप्तियों और विवरणों के योगों की भी, जो रोकड़ वही के प्रथम खण्ड में प्रपत्र 10 में दिए गए हों, विशिष्ट मदों के रूप में दिखाया जाएगा। रोकड़ बही का द्वितीय खण्ड प्रपत्र संख्या 11 में रखा जाएगा। द्वितीय खण्ड में अंतिम शेष रोकड़िया के पास इस प्रकार रोकड़ शेष का योग बताएगा और इसके अन्तर्गत प्रपत्र संख्या 10 में रोकड़ बही के प्रथम खण्ड का शेष भी सम्मिलित होगा रोकड़ बही के खण्ड 2 में शेष निकाले जाने के पश्चात रोकड़ बही के खण्ड 1 में शेष धनराशियां दैनिक शेष के अंकों के नीचे विशिष्ट रूप से दिखायी जानी चाहिए।"

"अंतिम शेष का मिलान प्रतिदिन लेखाकार की रोकड़ बही में दिखाए गये रोकड़ शेष से किया जाएगा। खण्ड 1 और 2 में रोकड़ बहियों में प्रतिदिन रोकड़िया द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा खण्ड 2 में रोकड़ बही में लेखाकार द्वारा भी शेष मिला लिए जाने के प्रतीकस्वरूप हस्ताक्षर किए जाएंगे। मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा रोकड़ बहियों की प्रतिदिन जांच की जाएगी और उन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।" परंतु बैंक स्टेटमेंट संख्या **89770** का रोकड़ बही भाग – 2 से मिलान करने पर अधोलिखित किये गये व्यय रोकड़ बही में दर्ज नही पाये गये, रोकड़ बही में

उपरोक्त व्यय की इन्ट्री नही होना, गंभीर अनियमितता एवं नियम 179 के तहत अधिभार योग्य है, अतः उपरोक्त व्यय से संबंधित इन्ट्री रोकड़ बही भाग – 2 में जहां किये हो, उसे प्रस्तुत करने हेतु अंतरिम आपत्ति जारी की गई, परंतु कोई अभिलेख / स्पष्टीकरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत नही किया गया। व्यय का विवरण इस प्रकार है –

दिनांक	व्यय की गई राशि
28 जनवरी 22	342475.00
03 मार्च 22	28437.00
05 मार्च 22	32702.00
08 मार्च 22	14217.00
कुल योग	**417831.00**

परंतु बैंक स्टेटमेंट संख्या **261187** का रोकड़ बही भाग – 2 से मिलान करने पर अधोलिखित किये गये व्यय रोकड़ बही में दर्ज नही पाये गये, रोकड़ बही में उपरोक्त व्यय की इन्ट्री नही होना, गंभीर अनियमितता एवं नियम 179 के तहत अधिभार योग्य है, अतः उपरोक्त व्यय से संबंधित इन्ट्री रोकड़ बही भाग – 2 में जहां किये हो, उसे प्रस्तुत करने हेतु अंतरिम आपत्ति जारी की गई, परंतु कोई अभिलेख / स्पष्टीकरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत नही किया गया। व्यय का विवरण इस प्रकार है –

दिनांक	व्यय की गई राशि
04 जनवरी 22	46709.00
10 जनवरी 22	262.00
10 जनवरी 22	472.00
12 जनवरी 22	9441.00
12 जनवरी 22	9198.00
12 जनवरी 22	9451.00
25 जनवरी 22	35256.00
25 जनवरी 22	36790.00
25 जनवरी 22	34715.00
10 फरवरी 22	19287.00
14 फरवरी 22	9968.00
14 फरवरी 22	18472.00
14 मार्च 22	17423.00
14 मार्च 22	18918.00
14 मार्च 22	19077.00
14 मार्च 22	18261.00
17 मार्च 22	365.00
17 मार्च 22	45985.00
19 मार्च 22	17476.00
कुल योग	**367526.00**

बैंक खाता संख्या 89770 में खर्च राशि जिसके व्यय प्रमाणक एवं रोकड़ बही भाग – 2 में इन्ट्री प्रस्तुत नही की गई	417831.00
बैंक खाता संख्या 89770 में खर्च राशि जिसके व्यय प्रमाणक एवं रोकड़ बही भाग – 2 में इन्ट्री प्रस्तुत नही की गई	367526.00
योग	**785357.00**

अतः वर्ष के दौरान व्यय किये गये **785357.00** (सात लाख पच्यासी हजार तीन सौ सन्तावन रूपये) की इन्ट्री रोकड़ बही भाग-2 में नही पाई गई, उपरोक्त व्यय का कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया, अतः उपरोक्त राशि का अपहरण कर लिया गया है। उपरोक्त राशि का आधी आधी राशि तातारीख मय ब्याज तत्कालीन ब्लाक प्रमुख **श्री चन्द्रदीप रावत** एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी **श्री दीपेन्द्र पाण्डेय**, से वसूली किया जाना अपेक्षित है। साथ ही वित्तीय खण्ड पुस्तिका के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- मड़ावरा विकास खण्डः मड़ावरा

प्रस्तर-2 शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015, दिनांक 31 जुलाई 2015, पंचायती राज अनुभाग -3 द्वारा यह निर्णय लिया गया है किः –

(1) तीनों स्तर की पंचायतें सब्सीडयरी के सिद्धांत के आधार पर कार्यों का चयन करें अर्थात जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है, वह उसी स्तर पर कराया जाय और उपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाए।

इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अधोलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित किया गया हैः -

(1) ग्राम पंचायत को जो धनराशि / अनुदान निर्माण कार्यों के लिए दी जाती है, उससे उसी ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य सम्पन्न कराये जायें।

(2) क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों में प्राप्त होती है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराए जायें.

(3) जिला पंचायत प्राप्त विभिन्न अनुदानों में से एक से अधिक ग्राम पंचायत को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित कराएगी।

उपरोक्त पत्र के पेरा 6 में कहा गया है किः -

क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50% तक व्यय यथा आवश्यकता क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तांतरित संपत्तियों यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पशु चिकित्सालय कृषि रक्षा केंद्र बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य किया जाए शेष 50% धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों से अर्जित संपत्ति यों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नए निर्माण कार्यों पर किया जाएगा क्षेत्र पंचायतों द्वारा कराए जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात कराए जाने वाले कार्य का प्राक्कलन कर अनुमोदन एवं कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाएगा।

आलोच्य वर्ष में कराये गये समस्त कार्यों में उपरोक्त शासनादेश की अवहेलना की गई है, जो इस प्रकार हैः -

(1) क्षेत्र पंचायत को जो धनराशि / अनुदान विभिन्न मदों में प्राप्त हुवी है उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराने के बजाए, एक गांव के अंदर के ही कार्य कराए गये हैं।

(2) क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50% तक व्यय यथा आवश्यकता क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तांतरित संपत्तियों यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पशु चिकित्सालय कृषि रक्षा केंद्र बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य किया जाए, परंतु इस आशय का कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे यह ज्ञात हो सके की 50 प्रतिशत व्यय इन कार्यों हेतु किया गया हो।

(3) शेष 50% धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों से अर्जित संपत्ति यों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नए निर्माण कार्यों पर न करके गांव के अंदर कार्य कराने में किया गया है।

उपरोक्त शासनादेश का उल्लंधन करते हुए निम्न कार्य कराये गये एवं उसके सापेक्ष निम्न भुगतान किये गयेः –

क्र.सं.	तारीख	खाता संख्या	मद	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता	व्यय
1	02 अक्टूबर 21	146727	राज्य वित्त	सीसी रोड	मड़ावरा में अनीस टेंट हाउस से रनगांव की पुलिया तक	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	849504.00
2	08 अक्टूबर 21	146727	राज्य वित्त	सीसी रोड	सामुदायिक अस्पताल मड़ावरा	देवेन्द्र कुमार दिदोनिया	317745.00
3	26 अक्टूबर 21	146727	राज्य वित्त	सम्पर्क मार्ग	पारोल से पण्डुवन तक	देवेन्द्र कुमार दिदोनिया	868597.00
4	23 दिसम्बर 21	146727	राज्य वित्त	सड़क मोरमीकरण	बम्होड़ी खुर्द से हंसरा में टोरीखेरा की ओर सम्पर्क मार्ग	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	928748.00
5	23 दिसम्बर 21	146727	राज्य वित्त	सड़क मोरमीकरण	बम्होड़ी खुर्द से हंसरा में टोरीखेरा की ओर सम्पर्क मार्ग	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	18369.00
6	23 दिसम्बर 21	146727	राज्य वित्त	सड़क मोरमीकरण	बम्होड़ी खुर्द से हंसरा में टोरीखेरा की ओर सम्पर्क मार्ग	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	46133.00
7	23 दिसम्बर 21	146727	राज्य वित्त	सड़क कार्य	हन्सेरा-बम्होड़ी रोड-हिलगन	देवेन्द्र कुमार दिदोनिया	369826.00
8	23 दिसम्बर 21	146727	राज्य वित्त	मरम्मत कार्य	हन्सेरा बम्होड़ी रोड से हिलगन तक सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	938943.00

9	23 दिसम्बर 21	146727	राज्य वित्त	सम्पर्क मार्ग	वहीद खाँ से संजीव	देवेन्द्र कुमार दिदोनिया	586521.00
10	28 दिसम्बर 21	146727	राज्य वित्त	सम्पर्क मार्ग	वहीद खाँ से संजीव	देवेन्द्र कुमार दिदोनिया	29134.00
11	10 जनवरी 22	146727	राज्य वित्त	सड़क कार्य	बनगुवां से बारहग्राम	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	9001.00
12	10 जनवरी 22	146727	राज्य वित्त	सड़क कार्य	बनगुवां से बारहग्राम	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	749.00
13	10 जनवरी 22	146727	राज्य वित्त	सड़क कार्य	बनगुवां से बारहग्राम	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	446.00
14	12 जनवरी 22	146727	राज्य वित्त	सड़क कार्य	गिरार रोड से हनुमतगढ़ की ओर संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	15102.00
15	12 जनवरी 22	146727	राज्य वित्त	सड़क कार्य	गिरार रोड से हनुमतगढ़ की ओर संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	590.00
16	12 जनवरी 22	146727	राज्य वित्त	मरम्मत कार्य	गिरार के इमलीया से मानसिंह के घर तक गौशाला की ओर संपर्क मार्ग	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	11901.00
17	12 जनवरी 22	146727	राज्य वित्त	मरम्मत कार्य	गिरार के इमलीया से मानसिंह के घर तक गौशाला की ओर संपर्क मार्ग	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	316.00
18	01 जनवरी 22	146727	राज्य वित्त	मरम्मत कार्य	गिरार के इमलीया से मानसिंह के घर तक गौशाला की ओर संपर्क मार्ग	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	928375.00
19	01 फरवरी 22	146727	राज्य वित्त	मरम्मत कार्य	गिरार के इमलीया से मानसिंह के घर तक गौशाला की ओर संपर्क मार्ग	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	46102.00
20	10 फरवरी 22	146727	राज्य वित्त	सम्पर्क मार्ग	गिरार रोड से हनुमतगढ़ की ओर संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	928140.00
21	10-फरवरी 22	146727	राज्य वित्त	टैक्स की पेमेंट	गिरार रोड से हनुमानगढ़ी	0	46101.00

22	14 मार्च 22	146727	राज्य वित्त	सम्पर्क मार्ग	बनगुवां के वाकरी में	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	942178.00
23	13 दिसम्बर 21	261187	केन्द्र निधि	सम्पर्क मार्ग	अखिल राय के मकान से	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	931199.00
24	04 जनवरी 22	261187	केन्द्र निधि	सम्पर्क मार्ग	हन्सेरा तालाब से गिदवाह की ओर	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	940365.00
25	10 जनवरी 22	261187	केन्द्र निधि	सम्पर्क मार्ग	सकरा से धौरीसागर	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	190296.00
26	10 जनवरी 22	261187	केन्द्र निधि	सम्पर्क मार्ग	धौरीसागर से मुर्ट की ओर	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	190104.00
27	25 जनवरी 22	261187	केन्द्र निधि	सोलर टंकी निर्माण	सामुदायिक अस्पताल में	देवेन्द्र कुमार दिदोनिया	319567.00
28	25 जनवरी 22	261187	केन्द्र निधि	सम्पर्क मार्ग	धौरीसागर से मुर्ट की ओर	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	698909.00
29	25 जनवरी 22	261187	केन्द्र निधि	सम्पर्क मार्ग	सकरा से धौरीसागर	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	709793.00
30	11 फरवरी 22	261187	केन्द्र निधि	सोलर टंकी निर्माण	अमझरा घाटी में	देवेन्द्र कुमार दिदोनिया	388301.00
31	14 फरवरी 22	261187	केन्द्र निधि	नाली निर्माण	रनगांव	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	200692.00
32	14 मार्च 22	261187	केन्द्र निधि	सोलर टंकी निर्माण	इकौना	देवेन्द्र कुमार दिदोनिया	371907.00
33	14 मार्च 22	261187	केन्द्र निधि	सोलर टंकी निर्माण	रनगांव	देवेन्द्र कुमार दिदोनिया	350777.00
34	14 मार्च 22	261187	केन्द्र निधि	सोलर टंकी निर्माण	सौंरई में बोरिंग	देवेन्द्र कुमार दिदोनिया	380885.00
35	14 मार्च 22	261187	केन्द्र निधि	सोलर टंकी निर्माण	अर्जुन झिरिया के बोरिंग में	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	384075.00
36	14 मार्च 22	261187	केन्द्र निधि	सोलर टंकी निर्माण	पारौल में सोलर टंकी	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	367677.00
37	17 मार्च 22	261187	केन्द्र निधि	सोलर टंकी निर्माण	दिदोनिया में	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	351837.00
38	18 मार्च 22	261187	केन्द्र निधि	नाली निर्माण	बम्होड़ी कला में	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	7342.00
39	21 मार्च 22	261187	केन्द्र निधि	नाली निर्माण	बम्होड़ी कला में	राज कन्सट्रक्सन ललितपुर	925794.00

योग	**15592041.00**

अतः वर्ष के दौरान व्यय किये गये **15592041.00** (एक करोण पचपन लाख बियान्बे हजार इकतालीस रूपये) शासनादेश के गंभीर उल्लंधन में व्यय किया गया है। जो अनियममित है, इस संबंध में विभागीय कार्यवाही जी जानी अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- तालबेहट **विकास खण्डः तालबेहट**

प्रस्तर- 3 शासनादेश संख्या 4/-866/33-2-14-93जी/2004टी.सी दिनांक 24 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं जिसके प्रस्तर 2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें तथा किन्तु उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त/केंद्रवित्त के अनुदान के द्वारा जो कार्य कराये गए हैं वह केवल एक ग्राम पंचायत तक ही सीमित थे जिनका विवरण निम्न है-

क्रम	कराये गए कार्य का नाम व पूर्ण पता	शुद्ध भुगतान
1	विकास खण्ड परिसर के कार्यालय की छत मरम्मत व रंगाई-पुताई कार्य	150327=00
2	विकास खण्ड सभागार सुंदरीकरण का कार्य	309412=00
3	विकास खण्ड परिसर में आवासीय भवन की छत मरम्मत कार्य	667366=00
4	ग्राम पंचायत तरगुवा में महेश के मकान से दिनेश सेन के मकान की ओर 100 मीटर पेवर ब्रिक्स रोड निर्माण कार्य	391147=00
5	ग्राम पंचायत उगरपुर के भैसनवारा कला में मिरू वंशकार के घर से जौरी सहारिया के घर की ओर पेवर ब्रिक्स रोड निर्माण कार्य	509163=00
6	ग्राम पंचायत खांदी के रानीपुरा में वारीवाले दाऊ के मकान से आनंद सिंह के घर की ओर पेवर ब्रिक्स रोड निर्माण कार्य	409519=00
7	ग्राम पंचायत नत्थीखेड़ा में प्रकाश के घर से सोनू के घर की ओर पेवर ब्रिक्स रोड निर्माण कार्य	592713=00
8	ग्राम पंचायत हंसारकला में सोनपाल सिंह के मकान से प्रजापति के मकान की ओर पेवर ब्रिक्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य	692657=00
9	ग्राम पंचायत विजरौठा के मजरा पठा में भरोसे के घर से रामसेवक के घर की ओर पेवर ब्रिक्स रोड निर्माण कार्य	922670=00
10	विकासखण्ड परिसर में आवासीय कोलोनी में वाटर रिचार्ज कार्य	488466=00
11	विकासखण्ड परिसर में आगंतुकों के लिये पानी की व्यवस्ता	465490=00
12	ग्राम पंचायत खांदी के रेलवे मऊ पुल से मुलायम के घर तक सोलर लाइटों की स्थापना का कार्य	698305=00
13	राजकीय बालिका इंटर कालेज तालबेहट के ब्लाक ए के छत मरम्मत एवं जल संरक्षण का कार्य	664178=00
14	राजकीय बालिका इंटर कालेज तालबेहट के ब्लाक बी के छत मरम्मत एवं जल संरक्षण का कार्य	706190=00

15	ग्राम पंचायत खांदी में साईं मंदिर से बरबारी मुहल्ला तक सोलर लाइटों की स्थापना का कार्य	698840=00
16	ग्राम पंचायत खांदी में करीला पर सोलर लाइटों की स्थापना कार्य	698994=00
17	विकासखण्ड कार्यालय से पठौरिया ग्राम तक सोलर लाइटों की स्थापना कार्य	861839=00
18	ग्राम पंचायत खांदी में विनोद के मकान से प्राथमिक स्कूल करीला नारायण के मकान की ओर पेवर ब्रिक्स निर्माण कार्य	698464=00
19	ग्राम बघौरा के मजरा खुड़े में प्रेम साहू के मकान से पप्पू के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड निर्माण	471531=00
20	ग्राम पंचायत खांदी में तहसील के पास पाठक जी के अस्पताल से हनुमान मंदिर गढ़ी की ओर पेवर ब्रिक्स रोड निर्माण	750541=00
21	ग्राम भुचेरा में ग्राम पंचायत द्वारा संचालित गौ-शाला में पाईप पेयजल का सुदृढीकरण एवं स्थापना निर्माण कार्य	524179=00
22	ग्राम पंचायत खांदी में बरबारी में भूरीबाई के खेत से कुशवाहा मुहल्ला की ओर सी. सी. रोड एवं एक ओर नाली निमार्ण कार्य	722205=00
23	ग्राम विजरौठा में रमेश साहू के घर से रमेश रजक के घर की ओर नाली निर्माण कार्य	819790=00
	कुल योग	**13913986=00**

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग योजना के अंतर्गत एक ही ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कराये गए। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में एक ही ग्राम पंचायत में कराये गए उक्त निर्माण कार्यों में कुल धनराशि रूपया **13913986=00** व्यय किया जाना दर्शित है जब कि शासनादेश के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य दो या अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कराये जाने चाहिए थे। इस प्रकार शासनादेश संख्या 4/-866/33-2-14-93जी/2004 टी.सी दिनांक 24 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31-07-2015 में उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों व प्रदत्त व्यवस्था के विपरीत अनियमित रूप से कार्य कराने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अर्जित प्रकाश, सुश्री श्वेता, श्री संदीप मिश्रा और तत्कालीन लेखाकार श्री राजेंद्र कुशवाहा उत्तरदायी हैं। उक्त के संबंध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

साथ ही क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराये गए निर्माण कार्य की पत्रवालियों एवं अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित संपत्ति पर जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत में से किसका स्वामित्व होगा स्पष्ट नहीं है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सृजित संपत्ति को किस संस्था को हेंडओवर किया गया की पुष्टि में कोई भी अभिलेख अप्रस्तुत रहा। साथ ही निर्माण कार्यों से सम्बंधित परिसंपत्ति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। निर्माण कार्य के फलस्वरूप सृजित संपत्ति की वास्तविकता की पुष्टि संबन्धित संस्था (जिसके स्वामित्व में संपत्ति है) को हेंडओवर एवं उसके परिसंपत्ति पंजिका में प्रविष्टि से करायी जानी अपेक्षित है। लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि उक्त कार्यों को ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में कार्य के दोहराव से इंकार नहीं किया जा सकता। संस्था द्वारा कराये गए कार्यों से सम्बंधित कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

क्षेत्र पंचायत- जखौरा **विकास खण्डः जखौरा**

प्रस्तर- 4 शासनादेश सं0- 4/-866/33-2-14-93जी/2004 टी0सी0 दिनांक 24 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शक सिद्वान्त निर्धारित किये गये हैं जिसके **प्रस्तर-** 2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक राजस्व ग्रामों को लाभन्वित करने के लिये कार्य कराये जायें तथा किन्तु उक्त षासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त के अनुदान के द्वारा जो कार्य कराये गये हैं वह केवल एक ही पंचायत तक ही सीमित थे जिनका विवरण निम्न है-

क्र.स.	कराये गये कार्य का नाम व पूर्ण पता	शुद्ध भुगतान
1	ग्राम मुहारा में चेकडैम मरम्मत कार्य	924642.00
2	ग्राम छिपाई में पठला मुहल्ला से गांव तक रोड़ मरम्मत कार्य	919694.00
3	ग्राम पं0 नगवास में जखौरा से पहाड़ी रोड़ तक रोड़ मरम्मत कार्य	915134.00
4	ग्राम पं0 चितरा में अगर पुलिया से बरौद रोड़ तक सम्पर्क मार्ग	934267.00
5	ग्राम पं0 सिरसी में विनका नाली में नहर से विनेका तक सम्पर्क मार्ग	519019.00
6	ग्राम पं0 नगवास में वांसी रोड़ से वडेरा मु0 तक रोड़ मरम्मत कार्य	933005.00
7	ग्राम पं0 जमौरा में धरमपुर से नहर रोड़ तक मरम्मत कार्य	906310.00
8	ग्राम पं0 बदरौन में पल्ली सड़क से गौशाला तक रोड़ मरम्मत कार्य	919712.00
9	ग्राम पं0 रायपुर में स्टेशन से षकुन अहिरवार तक सम्पर्क मार्ग	926098.00
10	ग्राम पं0 मैनवार में ननौरा ठगा मु0 तक सम्पर्क मार्ग	910550.00
11	ग्राम पं0 धुरवारा में गांव से भरलरावल तक सम्पर्क मार्ग	937991.00
12	ग्राम पं0 बुढ़वार में पक्की सड़क से डामर पुलिया तक रोड़ मरम्मत कार्य	906040.00
13	ग्राम पं0 बुढ़वार में सुखनन्दन से पुलिया तक पेवर ब्रिक्स निर्माण कार्य	923327.00
14	ग्राम पं0 बुढ़वार में मेनरोड़ से षमशान घर तक पेवर ब्रिक्स नि0 कार्य	893570.00
15	ग्राम पं0 बुढ़वार में संतोषराजा से उत्तम यादव तक सी0सी0 रोड़ कार्य	934154.00
16	ग्राम पं0 अड़वाहा में मेहरवान से रामदयाल के मकान तक पेवर ब्रिक्स	929744.00
17	ग्राम पं0 अड़वाहा में वदन सिंह से हनुमान मंदिर तक पेवर ब्रिक्स निर्माण	909997.00
18	ग्राम पं0 किसलवास में मुख्य मार्ग सी.पी.एच.सी. तक पेवर ब्रिक्स निर्माण	922571.00
19	ग्राम पं0 कुआंतला में रोड़ से वरूवा वस्ती तक पेवर ब्रिक्स निर्माण कार्य	926494.00
20	ग्राम पं0 कुआंतला में सड़क में गंजारी रोड़ तक पेवर ब्रिक्स निर्माण कार्य	889438.00
21	ग्राम पं0 कुआंतला में वीरभान लोधी से षमशान घाट तक पेवर ब्रिक्स निर्माण	915080.00
22	ग्राम पं0 कुआंतला में मेनरोड़ से भानसिंह तक पेवर ब्रिक्स निर्माण कार्य	931474.00
23	ग्राम पं0 हर्षपुर में कल्लू सहारिया से नहर रोड़ तक पेवर ब्रिक्स	921776.00
24	ग्राम पं0 सिरसी के खेल मैदान में समतलीकरण कार्य	912729.00

25	ग्राम पं0 पंचौरा में पक्की सड़क से रावतना तक पेवर ब्रिक्स	917650.00
26	ग्राम पं0 बरौदा स्वामी में प्रा0 पा0 से पंचायत भवन तक पेवर ब्रिक्स	917626.00
27	ग्राम पं0 सीरोन खुर्द में मैनरोड़ से पाडेवगिला तक पेवर ब्रिक्स	907863.00
28	ग्राम पं0 रघुनाथपुरा में सोलिंग गिट्टी मेन रोड़ से कस्तूरवा वस्ती तक	922358.00
29	ग्राम पं0 किसलवास में मुख्य मार्ग से कालूराम तक पेवर ब्रिक्स	907687.00
30	ग्राम पं0 सिरसी में खेल मैदान पर समतीकरण कार्य	910597.00
31	ग्राम पं0 बादरौन में कुम्हेड़ी से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	904921.00
32	ग्राम पं0 लखनपुरा में सावरन से कमल सिंह तक नही निर्माण	577166.00
33	ग्राम पं0 वादरौन के राजस्व ग्राम बुदैडी मे तालाब पर नली निर्माण कार्य	904921.00
34	ग्राम पं0 बादरौन में राजस्व ग्राम बुदैडी के तालाब पर स्नान घर निर्माण कार्य	926679.00
35	ग्राम पं0 जखौरा के सरित जैन की फैक्ट्री से वासुदेव तक नाली निमार्ण कार्य	570206.00
36	ग्राम पं0 नगवास के चक से रमेश तक नाली निर्माण कार्य	466146.00
37	ग्राम पं0 बुहैडी में नाले तालाब तक पाइप लिंक योजना	927660.00
38	ग्राम पं0 गुरसौरा के तालाब पर स्नानघर का निर्माण	927227.00
39	ग्राम पं0 विनेका तालाब पर स्नानघर निर्माण कार्य	926133.00
40	ग्राम पं0 कुआंताल में पेयजल टंकी, बांरिंग एवं सोलर लाइट	650553.00
41	ग्राम पं0 बुढ़वार में देवहट बाबा से राम किराना तक नाली निर्माण	932894.00
	योग	35862103.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत द्वारा केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग योजना के अंतर्गत एक ही ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कराये गये इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में एक ही ग्राम पंचायत में कराये गये उक्त निर्माण कार्यों में कुल धनराशि रू0 35862103.00 व्यय किया जाना दर्शित है जबकि शासनादेश के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य दो या अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये थे। इस प्रकार शासनादेश षासनादेश सं0- 4/-866/33-2-14-93जी/2004 टी0सी0 दिनांक 24 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 में उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्वान्तों व प्रदत्त व्यवस्था के विपरीत अनियमित रूप से कार्य कराने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार, ब्लाक प्रमुख श्रीमती बवीता एवं तत्कालीन लेखाकार श्री घनश्यामदास वर्मा जिम्मेदार है। उक्त के संबंध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- महरौनी **विकास खण्डः महरौनी**

प्रस्तर- 5 शासनादेश सं0- 4/866/33-2-14-93जी/2004 टी0सी0 दिनांक 24 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शक सिद्वान्त निर्धारित किये गये हैं जिसके **प्रस्तर-** 2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक राजस्व ग्रामों को लाभन्वित करने के लिये कार्य कराये जायें तथा किन्तु उक्त षासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा

परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त के अनुदान के द्वारा जो कार्य कराये गये हैं वह केवल एक ही पंचायत तक ही सीमित थे जिनका विवरण निम्न है-

क्र.स.	कराये गये कार्य का नाम व पूर्ण पता	शुद्ध भुगतान
1	ग्राम उल्दना में कुन्जन सिंह के मकान से सेक्टर तक नाली निर्माण	237613.00
2	ग्राम कुम्हैड़ी में राहुल चौधरी के घर से नाले तक नाली निर्माण	37826.00
3	ग्राम बुदनी मड़ावरा मजरा धुरवारा में पंखुआ के मकान से धूमन के घर तक नाली निर्माण	25125.00
4	ग्राम भौड़ी में समधार पर चेकडेम मरम्मत एवं सिल्ट सफाई कार्य	501042.00
5	डोंगराखुर्द में ध्यानी प्रजापति के मकान के पास वोरिंग, सोलर पानी की टंकी एवं लाइन फिटिंग निर्माण कार्य	17697.00 406385.00
6	ग्राम पंचायत सैदपुर मुडिया के स्कूल के सामने वोरिग, सोलर पानी की टंकी एवं लाइन फिटिंग निर्माण कार्य	17697.00 404954.00
7	ग्राम कुम्हेड़ी में अंजनी माता मंदिर के पास बोरिंग, सोलर पानी की टंकी एवं लाइन फिटिंग निर्माण कार्य	17660.00 405567.00
8	ग्राम गुढ़ा में संतोष कुम्हार के मकान से मेनरोड तक नाली निर्माण कार्य	258433.00
9	ग्राम लहरैन में खैराई तालाब गहरीकरण एवं रिन्पलवे मरम्मत	645377.00 262021.00
10	ग्राम भौड़ी में रामदास रजक के मकान से रोड़ पुलिया तक नाली निर्माण	644188.00 366560.00
11	ग्राम छायन में छिंग्गे अहिरवार के मकान से मुन्ना के घर तक नाली निर्माण	25289.00 489473.00
12	ग्राम नेकौरा में हरिजन वस्ती में वोरिंग, सोलर पानी की टंकी एवं लाइन फिटिंग कार्य	17678.00 405977.00
13	ग्राम गौना में टावर के पास बोरिंग, सोलर पानी की टंकी एवं लाइन फिटिंग निर्माण कार्य	17678.00
14	ग्राम पंचायत पठा में देवी जी मंदिर के पास श्रीराम कुमार भारौत के मकान के पास वोरिंग, सोलर पानी की टंकी एवं लाइन फिटिंग निर्माण कार्य	17652.00 405864.00
15	राजकीय हाई स्कूल कुम्हैडी में पेयजल एवं षौचालय मरम्मत एवं साइकिल स्टैण्ड निर्माण	568952.00 17469.00
16	ग्राम पड़वा में देशपत बुनकर के मकान से हनुमान मंदिर तक नाली निर्माण कार्य	44407.00 945060.00
17	खिरिया लटकनजूं में मैनरोड़ से हरीकिशन के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	39854.00 754706.00
18	ग्राम पंचायत गुढ़ा में जयराम के मकान से तुलसी रजक के मकान तक सी.सी. रोड़	370477.00 432444.00
19	सौजना में मैनरोड़ से उदल रजक के मकान तक सी.सी. रोड़ निर्माण	18595.00
20	ग्राम रूकवाहा में जुदईया से दोहरे बाबा तक सी.सी. रोड़ निर्माण	370852.00 536533.00
21	ग्राम पंचायत गुढ़ा में मैनडामर रोड़ से धर्मशाला तक सी.सी. रोड़ निर्माण	517458.00

		239158.00
22	ग्राम पंचायत सड़कौरा में पुण्डाखेरा मजरा में दोहरे बाबा से भागीरथ के घर तक सी.सी. रोड़ निर्माण	661023.00 25950.00
23	ग्राम भौड़ी के हरिजन वस्ती में सी.सी. रोड़ निर्माण	1055148.00
24	नैनवारा में बाबूलाल के मकान से नाली तक सी.सी. रोड़ निर्माण	13916.00
25	ग्राम मैंगुवां सचिवालय वाउण्ड्रीवाल निर्माण	328488.00 406986.00
26	ग्राम मैंगुवां में जू.हा. स्कूल की वाउण्ड्रीवाल मरम्मत कार्य	450535.00 490149.00
27	ग्राम मैनवारा में कोरेवारे यादव के मकान के पास चात्री प्रतीक्षालय निर्माण	8777.00
28	गुढ़ा में बुनकर याना मुहल्ला चौराहा पर यात्री प्रतीक्षालय निर्माण	8777.00
29	ग्राम लहरन में प्रधानमंत्री रोड़ से रूकवाहा हरिजन वस्ती तक मुरम्मीकरण	202622.00 741669.00
30	ग्राम बम्हौरी बहादुर में नहर से बलखण्डीस माता तक मुरम्मीकरण कार्य	188658.00 751677.00
31	बंगरूवा में हरिजन वस्ती से जू.हा. स्कूल तक मुरम्मीकरण कार्य	682573.00 224279.00
32	मैंगुवा में चौपरा नाले पर पुराने चैकडैम की मरम्मत एवं सिल्ट सफाई	186874.00 566810.00
33	कुसमाड में तालाब सफाई एवं घाट निर्माण कार्य	117720.00
34	मैंगुवां में बड़ी दुर्गा मंदिर के पास रैनबसेरा	3970.00 219251.00
35	विकास खण्ड कार्यालय पुटीन मरम्मत कार्य एवं पुताई कार्य	132296.00
36	विकास खण्ड के सहकारी समिति के पास वाउण्ड्री वाल निर्माण	13938.00 389419.00
37	खिरिया लटकनजूं में टंकी के पास पुलिया एवं सी.सी. रोड़ निर्माण	100162.00
38	ग्राम दिगवार में नाले से बगीचा तक लिंक रोड़ निर्माण	218685.00
39	डोंगराखुर्द में दुर्गा से मेनरोड़ से कुशवाहा वस्ती तक लिंकरोड़	68988.00
40	गढ़ौलीकला में सार्वजनिक प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य	354203.00
41	महरौनी में सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र महरौनी से अतुल के मकान तक स.म. सौन्दरीकरण कार्य	184792.00
42	भैरा में लिंक रोड़ निर्माण	127483.00
43	विकास खण्ड के सामु0 अस्पताल में सी.सी. रोड़	538592.00
44	विकास खण्ड की वाउण्ड्री से सामु0 भवन तक सी.सी.	1034063.00
45	भौड़ी में साधन सह0 समि0 की मरम्मत	248795.00 574545.00
	योग	21805554.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत द्वारा केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग योजना के अंतर्गत एक ही ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कराये गये इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में एक ही ग्राम पंचायत में कराये गये उक्त निर्माण कार्यों में कुल धनराशि रू0 21805554.00 व्यय किया जाना दर्शित है जबकि शासनादेश के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य दो या अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये थे। इस प्रकार शासनादेश सं0-4/-866/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 में उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्वान्तों व प्रदत्त व्यवस्था के विपरीत अनियमित रूप से कार्य कराने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अर्जित प्रकाश और तत्कालीन लेखाकार श्री सुरेश जैन एवं श्री नौशाद अली उत्तरदायी है। उक्त के संबंध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

साथ ही क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्श में कराये गये निर्माण कार्य की पत्रावलियॉ एवं अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित संपत्ति पर जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत में से किसका स्वामित्व होगा स्पष्ट नहीं हैं, निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सृर्जित सम्पत्ति को किस संस्था को हैण्डओवर किया गया की पुष्टि में कोई भी अभिलेख अप्रस्तुत रहा, साथ ही निर्माण कार्यों से संबंधित परिसम्पति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। निर्माण कार्य के फलस्वरूप सृर्जित संपत्ति की वास्तविकता की पुष्टि संबंधित संस्था (जिसके स्वमित्व में सम्पत्ति है) को हैंण्डओवर एवं उसके परिसम्पत्ति पंजिका में प्रविष्ट से कराई जानी अपेक्षित है। लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि उक्त कार्यों की ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में कार्य के दोहराव से इंकार नहीं किया जा सकता। संस्था द्वारा कराये गये कार्य से संबंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। उक्त कार्यों के प्रभारी श्री आशीष जे.ई.आर.ई.डी. एवं श्री एम.ए. रिजवी जे.ई.आर.ई.डी रहे।

क्षेत्र पंचायत- बिरधा **विकास खण्डः बिरधा**

प्रस्तर- 6 शासनादेश सं0. 4/-866/33-2-14-93जी/2004 टी0सी0 दिनांक 24 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या. 1838/33-3-2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं जिसके प्रस्तर. 2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है उससे दो या अधिक राजस्व ग्रामों को लाभन्वित करने के लिये कार्य कराये जायें तथा किन्तु उक्त शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त (अनटाइड एवं टाइड) के द्वारा जो कार्य कराये गये हैं वह केवल एक ही पंचायत तक ही सीमित थे जिनका विवरण निम्न है.

क्र.सं.	कराये गये कार्य का नाम व पूर्ण पता	शुद्ध भुगतान
1	ग्राम हरपुरा में बिरधा संपर्क मार्ग पर मरम्मत कार्य एवं गिट्टी सप्ला ई कार्य	898614.00
2	ग्राम हरपुरा में बिरधा संपर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण एवं मरम्मचत कार्य	849182.00
3	ग्राम खिरिया छतारा में चैनू कुशवाहा के घर से नन्नूम राजा के घर तक पेवर ब्रिक्स0 निर्माण	613123.00
4	ग्राम गिल्टौ रा में सुरसानाला गिट्टी मरम्मूत कार्य	832479.00

5	ग्राम धौर्रा में मुन्नाम यादव के घर से मिलन यादव के घर तक पेवर ब्रिक्स एवं नाली निर्माण कार्य	804999.00
6	ग्राम पं0 विरारी में गोगला संपर्क मार्ग पर मरम्मत कार्य	833424.00
7	ग्राम पं0 टेनगा में नीलकंठेश्वरर मेला ग्राउण्डा में पेवर ब्रिक्सव निर्माण कार्य	569412.00
8	विण्ख. परिसर आवासीय कालोनी टाइप. 03 के पांच आवासों की छत मरम्म2त एवं टाइल्सर कार्य	936801.00
9	ग्राम बिरधा में ब्लॉ्िक के पीछे राम स्वमरूप पाराशर के घर के पास पुलिया निर्माण कार्य	329237.00
10	ग्राम टीला में मींटिग हाल निर्माण कार्य	661595.00
11	ग्राम तालगांव में भोरदा संपर्क मार्ग पर गिट्टी कार्य	662967.00
12	ग्राम खिरिया छतारा में रिपटा से टेनगा की ओर संपर्क मार्ग मरम्मत कार्य	937637.00
13	ग्राम बिरधा में साधन सहकारी समिति की छत मरम्मंत एवं रंगाई पुताई कार्य	845776.00
14	ग्राम खिरिया छतारा संपर्क मार्ग से कल्यामनपुरा की ओर संपर्क मार्ग कार्य	942413.00
15	विकास खण्डर कार्यालय में सोलर ऊर्जा प्लांरट का निर्माण	665162.00
16	विण्खण्डड कार्यालय बिरधा में रिकार्ड रूम का निर्माण कार्य	661799.00
17	वि. खण्ड कार्यालय में खण्डक विकास अधिकारी कक्ष एवं शौचालय का मरम्मात कार्य	606316.00
18	ग्राम कलरव के भरर्या मजरा में प्रा. स्कूडल से अदल के घर तक पेवर ब्रिक्स निर्माण कार्य	589746.00
19	ग्राम सेमरा से ग्राम बरौदिया संपर्क मार्ग पर गिट्टी का मरम्मलत कार्य	831805.00
20	ग्राम कुलुवा से सजनाम रोड़ पर मरम्म त कार्य	791501.00
21	ग्राम बिरधा में किसान इण्का. से संपर्क मार्ग को जोड़ने वाली पुलिया एवं सड़क निर्माण कार्य	757146.00
22	ग्राम सतौरा में सजनाम बांध रोड़ कलोथरा की ओर संपर्क मार्ग मरम्मोत कार्य	898668.00
23	वि. खण्डं परिसर आवासीय कालोनी टाईप. 02 के पांच आवासों की छत मरम्म8त एवं टाइल्सा कार्य	934066.00
24	ग्राम मैनवार में सोबरन के घर से यज्ञशाला की ओर पेवर ब्रिक्सर निर्माण कार्य	896361.00
25	ग्राम जाखलौन में गनेशपुरा मुचै मुहल्लाल में परम अहिरवार के घर से रतन यादव के घर तक पेवर ब्रिक्सश एवं नाली नि० कार्य	875630.00
26	ग्राम कलरव में राजा भैया के दरवाजे से पंचायत भवन की ओर पेवर ब्रिक्स कार्य	564968.00
27	ग्राम सेमरा में राकेश के घर से जयराम के घर की ओर नाली निर्माण कार्य	745877.00
28	ग्राम कचनौदाकलां में जयराम कुशवाहा के घर से निरासी कुशवाहा के घर की ओर पेवर एवं नाली निर्माण	899523.00

29	प्राथमिक स्वांस्य्णज केन्द्रा बिरधा एम्बुलेंस पार्किंग रोड़ का निर्माण	284413.00
30	ग्राम पिपरिया पाली में पेयजल व्यहवस्थाद टंकी का निर्माण वोरिंग सोलर लाइट	362614.00
31	ग्राम पिपरिया पाली में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	562540.00
32	ग्राम जामुनधाना कला में नाली निर्माण कार्य	758577.00
33	रिसोर्स सेण्टार में रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य	1825811.00
34	सामुदायिक भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य	182939.00
35	ग्राम खिरिया छतारा में नाली निर्माण कार्य	757665.00
36	ग्राम जाखलौन में नाली निर्माण कार्य	727634.00
37	ग्राम चढ़रऊ में नाली निर्माण कार्य	599835.00
38	ग्राम चढ़रऊ में पेयजल व्यरवस्था सोलर लाइट सहित	329527.00
39	ग्राम अंडेला मे रामकेश लोधी के घर से राजपाल लोधी के घर तक नाली नि० कार्य	736665.00
40	ग्राम पटउवा में पेयजल व्यधवस्थाप कार्य	464661.00
41	ग्राम टीकरा तिवारी में गाईया घाट में पेयजल व्यथवस्था ए टंकी निर्माणए वोरिंगए सोजर लाइट	418906.00
	योग	27805014.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2021.22 में क्षेत्र पंचायत द्वारा केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग योजना के अंतर्गत एक ही ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कराये गये इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2021-22 में एक ही ग्राम पंचायत में कराये गये उक्त निर्माण कार्यों में कुल धनराशि रू0 27805014.00 व्यय किया जाना दर्शित है जबकि शासनादेश के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य दो या अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कराये जाने चाहिये थे। इस प्रकार शासनादेश सं0. 4/-866/33-02-14-93 जी 2004 टी0सी0 दिनांक 24 जून 2014 एवं शासनादेश संख्या. 1838/33-3-2015-03-2015 दिनांक 31.07.2015 में उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धान्तों व प्रदत्त व्यवस्था के विपरीत अनियमित रूप से कार्य कराने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार एवं श्री संदीप मिश्रा ब्लाक प्रमुख श्री मोहित निरंजन तथा तत्कालीन लेखाकार श्री घनश्यामदास वर्मा जिम्मेदार है। उक्त के संबंध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

क्षेत्र पंचायत- बार **विकास खण्डः बार**

प्रस्तर- 7 शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 द्वारा पंचायतीराज संस्थओं को विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपयोग के सन्दर्भ में मार्गदर्शक सिधान्त निर्धारित किये गये हैंए जिसके **प्रस्तर-**2 के अनुसार क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशियों/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती हैं उससे एक या एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिये कार्य कराये जायें। किन्तु उक्त शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त के अनुदान के द्वारा जो कार्य कराये गये हैं वह केवल एक ही ग्राम तक ही सीमित थे जिनका विवरण निम्न है.

क्र.सं.	कार्य का नाम	शुद्ध भुगतान
1	विण्खण्ड बार में कार्यालयए मनरेगा सेलए एवं आवासों की रंगाई पुताई व मरम्म्त	373886.00
2	ग्राम पंचायत भैलोनीलोध में एएनएम सेन्टर में बाऊण्ड्रीवॉल का निर्माण	933495.00

3	ग्राम पंचायत गंगचारी में गौशाला में फेसिंग वायरए टीन शैड़ए रेस्टरूपए भूसाघर निर्माण कार्य	933289.00
4	ग्राम गेदौरा में रघुवीर सिंह के मकान से किट्टू राजा के मकान तक गिट्टी सोलिंग कार्य	927700.00
5	ग्राम पंचायत कठवर में रामगोपाल के मकान से राजू के मकान तक पेवर ब्रिक्स रोड़ का निर्माण	389961.00
6	ग्राम गड़िया में सूरज के मकान से कोमन कुशवाहा के घर तक पेवर ब्रिक्स रोड़ निर्माण	188159.00
7	ग्राम पंचायत सेमराबुजुर्ग में वीरन के मकान से होली फेमिली स्कूल तक नली निर्माण	632361.00
8	ग्राम सुनवहा में मनोहर तिवारी के घर से खिन्ता के मकान की ओर पेवर ब्रिक्स कार्य	420860.00
9	ग्राम बछरावनी में में रामा कुशवाहा के मकान से लखन कुशवाहा के मकान तक पेवर ब्रिक्स का निर्माण	616262.00
10	ग्राम नगारा में परशुराम लिटौरिया के मकान से राजकीय नगारा तक पेवर ब्रिक्स कार्य	89662.00
11	ग्राम सिमिरिया में सोलर पैनल पानी की टंकीए सहित बोर एवं पाइप लाइन कार्य	389036.00
12	विकास खण्ड के सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र में टीन शैड निर्माण कार्य	623740.00
13	वाल विकास परियोजना अधिकारी कक्ष की मरम्मत एवं कार्यालय की रंगाई पुताई	309099.00
14	ग्राम सूरीकला में परसादी यादव के मकान से रामराजा मंदिर तक नाली निर्माण कार्य	598980.00
15	ग्राम दरौनी के ठगरया मोहल्ला में सीताराम के मकान से सिमरिया दिदौरा रोड़ तक नाली निर्माण कार्य	465270.00
16	वि. खण्ड परिसर में आवासीय कालोनीध्कार्यालय में रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु छत से ड्रेन पाईप स्थापना वर्षाजल एकीकरण	332064.00
17	ग्राम पुलवारा में गौशाला में फेंसिंग वायरए टीनशैडए कूड़ाघर निर्माण	622094.00
18	वि. खण्ड बार में महिला एवं बाल विकास कार्यालय की मरम्मत एवं मैदान समतलीकरण कार्य	561301.00
19	ग्राम कठवर में जयप्रकाश के मकान से रामदयाल के मकान तक पेवर ब्रिक्स का निर्माण	637029.00
20	ग्राम बछरावनी में दयाल के खेत से धनश्याम के खेत की ओर गिट्टी सोलिंग निर्माण कार्य	826164.00
21	ग्राम भैलोनीसूबा में प्रताप के मकान से जगत सिंह के मकान तक सीण्सीण्ध्पेवर ब्रिक्स का निर्माण	647154.00
22	विकास खण्ड कार्यालय में स्थिति पशु चिकित्सालय ऑफिस की मरम्मत	192604.00
23	राजकीय हाईस्कूल नगारा बार में दीवार छत फर्शध्टाईल्स मरम्मत	934960.00
24	राजकीय हाईस्कूल वस्त्रावन में दीवार छत फर्शध्टाईल्स मरम्मत कार्य	935398.00

25	बानपुर में उदयारोड़ से बड़ेला मोहल्ला तक सौंलिंग गिट्टी कार्य	727344.00
26	भैलोनी लोध में सोलर पम्प हेतु निर्माण कार्य	404661.00
27	राजकीय इण्टर कालेज बार की दीवार छतए फर्शध्टाइल्स की मरम्मत कार्य	928992.00
	योग	15641525.00

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2021-22 में क्षेत्र पंचायत द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत एक ही ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कराये गये हैं। इस प्रकार क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में एक ही ग्राम पंचायत में कराये गये उक्त निर्माण कार्य में कुल धनराशि रू० 15641525.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जबकि शासनादेश के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्माण कार्य दो या अधिक राजस्व ग्रामों के बीच लाभान्वित करने हेतु किया जाना चाहिये। इस प्रकार शासनादेश सं. 4/-866/33-2-14-93 जी/2004 टी.सी. दिनांक 24 जून 2014 एवं शासनादेश सं. 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 में उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धोतों व प्रदत्त व्यवस्था के विपरीत अनियमित रूप से कार्य कराने हेतु तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सौरभ वर्णवाल और लेखाकार श्री राजेन्द्र कुशवाहा उत्तरदायी हैं। उक्त के संबंधम में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

साथ ही क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि उक्त निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित सम्पत्ति पर जिला पंचायतध्क्षेत्र पंचायतध्ग्राम पंचायत में से किसका स्वमित्व होगाए यह स्पष्ट नहीं हैए क्योंकि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सृजित सम्पत्ति न तो किसी संस्था को हैण्उओवर की गयी है और न ही परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज की गयी है। निर्माण कार्यों के फलस्वरूप सृजित सम्पत्ति की वास्वतिकता की पुष्टि सम्बन्धित संस्था; जिसके स्वामित्व में सम्पित्त है, को हैण्डओवर करने एवं उसे परिसम्पत्ति पंजिका में दर्ज कराने से होती है। ऐसा किया जाना अपेक्षित है

जनपद का नाम-औरैया **मंडल - कानपुर**

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

प्रारूप-3

क्षेत्र पंचायतों की वर्ष 2021-22 की गम्भीर आपत्तियॉ

क्षेत्र पंचायत- सहार **वर्ष 2021-22**

प्रस्तर-1 ग्रांट रजिस्टर.3 के अनुसार वित्त वर्षः 2021-22 मे संस्था के द्वारा विभिन्न मदो मे कुल रू0 40096782.85 व्यय किया गया जबकि प्राप्त अनुदान रू0 41788255.50 रहा। यदि इस प्राप्त अनुदान मे 01.04.2021 को प्रारम्भिक अवशेष रू0 21661227.40 की धनराशि को मिला लिया जाए तो कुल रू0 63449482.90 आय मद मे प्राप्त हुएए इस प्रकार वित्त वर्ष मे कुल उपलब्ध धनराशि का 63 प्रतिशत धनराशि ही व्यय की गयी अर्थात 31.03.2022 को कुल उपलब्ध धनराशि का 37 प्रतिशत अर्थात रु 23352700.05 बचा ली गयी हैए उल्लेखनीय है कि शासन के द्वारा संस्था को अनुदान बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष

मे विकास कार्यो पर उपभोग हेतु दिया जाता है जिसका उपभोग न होने की दशा मे बाजार मूल्य के चढाव से हानि होती हैण्साथ ही 37 प्रतिशत वर्षान्त अवशेष धनराशि विकास कार्यो के धीमी गति से सम्पादित होने की सूचक है। यह तथ्य इस बात का भी का भी सूचक है कि अनुदान के उपभोग पर विकास खण्ड के प्रबंधक खण्ड विकास अधिकारी का नियंत्रण ठीक ठाक नही रहा यह विकास कार्यो के प्रति उदासीनता का भी द्योतक हैा जिस हेतु लेखाकार श्री रामदास प्रजापति एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनीश कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या - 17)**

प्रस्तर-2 वर्ष 2021.22 के दौरान गौशाला मद से रू0 6181680.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक एवं अन्य सापेक्ष अभिलेख लेखा परीक्षा दौरान मागें जाने के बावजूद प्रस्तुत नही किये जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। अपुष्ट धनराषि अपहरण है। अतः अपुष्ट धनराषि रू0 6181680.00 की वसूली उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मुनीश कुमार तथा लेखाकार श्री रामदास प्रजापति से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या -18)

क्षेत्र पंचायत- अछल्दा

प्रस्तर-3 वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त योजना(टाइड फण्ड) के धन से विकास क्षेत्र-अछल्दा के ग्राम पंचायत-चन्दईया में अत्माराम के घर से तालाब तक नाला निर्माण कार्य का ठेका-ठेकेदार मै0-साई कन्सट्रक्शन अछल्दा, जनपद- औरैया को दिया गया। उक्त नाला निर्माण कार्य पर (120 मी0) पर कुल रू0-2,58,604=00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य की पत्रावली की जॉच में निम्न आपत्तिया पाई गयीः-

(1) उक्त नाला निर्माण कार्य ग्राम पंचायत में कराया गया किन्तु ग्राम पंचायत से नाला
निर्माण की सहमति ग्राम पंचायत से नही ली गयी।

(2) पत्रावली में अवर अभियन्ता द्वारा तैयार विस्तृत सर्वे रिर्पोट संलग्न नही पाई गयी।

(3) पत्रावली में नाला निर्माण कार्य प्रारम्भ,मध्य एवं नाला निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो संलग्न नही पाई गयी।

(4) उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

5) पत्रावली में संलग्न एम0बी0 बुक में उक्त नाला निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि एवं कार्य समाप्त होने की तिथि अंकित नही है, तथा एम0बी0 बुक में एम0 बी0 की तिथि भी अंकित नही पाई गयी।

(6) पत्रावली में संलग्न रू0-100/- मूल्य के स्टाम्प पेपर पर दर्शित अनुबन्ध शर्ते एवं स्टाम्प पेपर पर जमानत की धनराशि अंकित नही है एवं अनुबन्ध पत्र में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी अछल्दा के हस्ताक्षर नही पाये गये।

(7) निविदा प्रपत्र बिक्री मूल्य से प्राप्त आय रू0-500*3=1500.00 की प्राप्ति की रसीद पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी।

(8) उक्त कार्य की पत्रावली में हुये कार्य के टेण्डर के प्रकाशन की प्रति पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्तनाला निर्माण कार्य हेतु कार्य पर रू0-2,58,604.00 का अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री कमलाकान्त मिश्रा, श्री अश्विनी कुमार सक्सेना,श्री रामनरेश एवं श्री सतीश कुमार पाण्डेय एवं तत्कालीन लेखाकर श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री शान्तीस्वरूप गौतम अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-22)**

प्रस्तर-4 वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त योजना(टाइड फण्ड) के धन से विकास क्षेत्र-अछल्दा के ग्राम पंचायत-नल्हूपुर के मुनागंजं में शिवकरन के घर से पुलिया तक नाला निर्माण कार्य (300मी0) का ठेका-ठेकेदार मै0-वैभवी कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स निवासी-बनारसीदास, जनपद- औरैया को दिया गया। उक्त नाला निर्माण कार्य पर (300 मी0) पर कुल रू0-8,23,264=00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य की पत्रावली की जॉच में निम्न आपत्तियॉ पाई गयीः-

(1)उक्त नाला निर्माण कार्य ग्राम पंचायत में कराया गया किन्तु ग्राम पंचायत से नाला निर्माण की सहमति ग्राम पंचायत से नही ली गयी।

(2) पत्रावली में अवर अभियन्ता द्वारा तैयार विस्तृत सर्वे रिर्पोट संलग्न नही पाई गयी।

(3) पत्रावली में नाला निर्माण कार्य प्रारम्भ, मध्य एवं नाला निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो संलग्न नही पाई गयी।

(4) उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(5) पत्रावली में संलग्न एम0बी0 बुक में उक्त नाला निर्माण कार्य समाप्त होने की तिथि अंकित नही है, तथा एम0बी0 बुक में एम0 बी0 तैयार करने की तिथि भी अंकित नही पाई गयी।

(6) पत्रावली में संलग्न रू0-100/- मूल्य के स्टाम्प पेपर पर दर्शित अनुबन्ध शर्ते एवं स्टाम्प पेपर पर जमानत की धनराशि अंकित नही है ,एवं स्टाम्प पेपर में ठेकेदार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। उक्त स्टाम्प पेपर जारी करने की तिथि दिनांक-28.12.2020 अंकित है। जबकि उक्त नाला निर्माण कार्य का टेण्डर दिनांक-30.12.2021 को हुआ था। इस प्रकार पत्रावली में स्टाम्प पेपर किसी दूसरी निर्माण कार्य की पत्रावली का लगाया गया है, एवं स्टाम्प पेपर पर लगी रसीदी टिकट का कुछ भाग फाड दिया गया है।

(7) निविदा प्रपत्र बिक्री मूल्य से प्राप्त आय रू0-500*3=1500.00 की प्राप्ति की रसीद पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी।

(8) उक्त कार्य की पत्रावली में हुये कार्य के टेण्डर के प्रकाशन की प्रति पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्तनाला निर्माण कार्य हेतु कार्य पर रू0-8,23,264=00 का अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री कमलाकान्त मिश्रा, श्री अश्विनी कुमार सक्सेना,श्री रामनरेश एवं श्री सतीश कुमार पाण्डेय एवं तत्कालीन लेखाकर श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री शान्तीस्वरूप गौतम अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-23)

प्रस्तर-5 वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त योजना(टाइड फण्ड) के धन से विकास क्षेत्र-अछल्दा के ग्राम पंचायत-भैसोरा के ग्राम पुर्वा रामदास में संजय के घर से पी0डब्लू0डी0 रोड तक नाला निर्माण कार्य (230मी0) का ठेका-ठेकेदार मै0-वैभवी कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स निवासी-बनारसीदास, जनपद- औरैया को दिया गया। उक्त नाला निर्माण कार्य पर (230मी0) पर कुल रू०-4,86,977=00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य की पत्रावली की जॉच में निम्न आपतियॉ पाई गयीः-

(1) उक्त नाला निर्माण कार्य ग्राम पंचायत में कराया गया किन्तु ग्राम पंचायत से नाला निर्माण की सहमति ग्राम पंचायत से नही ली गयी।

(2) पत्रावली में अवर अभियन्ता द्वारा तैयार विस्तृत सर्वे रिर्पोट संलग्न नही पाई गयी।

(3) पत्रावली में नाला निर्माण कार्य प्रारम्भ, मध्य एवं नाला निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो संलग्न नही पाई गयी।

(4) उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(5) पत्रावली में संलग्न एम0बी0 बुक में उक्त नाला निर्माण कार्य समाप्त होने की तिथि अंकित नही है, तथा एम0बी0 बुक में एम0 बी0 तैयार करने की तिथि भी अंकित नही पाई गयी।

(6) पत्रावली में संलग्न रू0-100/- मूल्य के स्टाम्प पेपर पर दर्शित अनुबन्ध शर्ते एवं स्टाम्प पेपर पर जमानत की धनराशि अंकित नही है ,एवं स्टाम्प पेपर में ठेकेदार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। उक्त स्टाम्प पेपर जारी करने की तिथि दिनांक-17.12.2020 अंकित है। जबकि उक्त नाला निर्माण कार्य का टेण्डर दिनांक-30.12.2021 को हुआ था। इस प्रकार पत्रावली में स्टाम्प पेपर किसी दूसरी निर्माण कार्य की पत्रावली का लगाया गया है, एवं स्टाम्प पेपर पर लगी रसीदी टिकट का कुछ भाग फाड दिया गया है।

(7) निविदा प्रपत्र बिक्री मूल्य से प्राप्त आय रू0-500*3=1500.00 की प्राप्ति की रसीद पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी।

(8) उक्त कार्य की पत्रावली में हुये कार्य के टेण्डर के प्रकाशन की प्रति पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्तनाला निर्माण कार्य हेतु कार्य पर रू0-486977=00 का अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री कमलाकान्त मिश्रा, श्री अश्विनी कुमार सक्सेना,श्री रामनरेश एवं श्री सतीश कुमार पाण्डेय एवं तत्कालीन लेखाकर श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री शान्तीस्वरूप गौतम अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-24)

प्रस्तर-6

वर्ष 2021-22 में पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त योजना(टाइड फण्ड) के धन से विकास क्षेत्र-अछल्दा के ग्राम- देवी का पुर्वा में पश्चिमी ओर माता मन्दिर वाली सडक पर नाली निर्माण कार्य (150मी0) का ठेका-ठेकेदार मै0-अनुराग कन्सट्रक्शन, अछल्दा जनपद-औरैया को दिया गया। उक्त नाला निर्माण कार्य पर (150मी0) पर कुल रू0-2,38,510=00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य की पत्रावली की जॉच में निम्न आपत्तियॉ पाई गयीः-

(1) उक्त नाली निर्माण कार्य ग्राम पंचायत में कराया गया किन्तु ग्राम पंचायत से नाली
निर्माण की सहमति ग्राम पंचायत से नही ली गयी।

(2) पत्रावली में अवर अभियन्ता द्वारा तैयार विस्तृत सर्वे रिर्पोट संलग्न नही पाई गयी।

(3) पत्रावली में नाली निर्माण कार्य प्रारम्भ, मघ्य एवं नाली निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद
की फोटो संलग्न नही पाई गयी।

(4) उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(5) पत्रावली में संलग्न एम0बी0 बुक में उक्त नाली निर्माण कार्य समाप्त होने की तिथि अंकित नही है, तथा एम0बी0 बुक में एम0 बी0 तैयार करने की तिथि भी अंकित नही पाई गयी।

(6) पत्रावली में संलग्न रू0-100/- मूल्य के स्टाम्प पेपर पर दर्शित अनुबन्ध शर्ते एवं स्टाम्प पेपर पर जमानत की धनराशि अंकित नही है ,एवं स्टाम्प पेपर में ठेकेदार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। उक्त स्टाम्प पेपर जारी करने की तिथि दिनांक-09.12.2021 अंकित है। जबकि उक्त नाला निर्माण कार्य का टेण्डर दिनांक-30.12.2021 को हुआ था। इस प्रकार पत्रावली में स्टाम्प पेपर किसी दूसरी निर्माण कार्य की पत्रावली का लगाया गया है, एवं स्टाम्प पेपर पर लगी रसीदी टिकट का कुछ भाग फाड दिया गया है।

(7) निविदा प्रपत्र बिक्री मूल्य से प्राप्त आय रू0-500*3=1500.00 की प्राप्ति की रसीद पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी।

(8) उक्त कार्य की पत्रावली में हुये कार्य के टेण्डर के प्रकाशन की प्रति पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्तनाला निर्माण कार्य हेतु कार्य पर रू0-2,38,510=00 का अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री कमलाकान्त मिश्रा, श्री अश्विनी कुमार सक्सेना,श्री रामनरेश एवं श्री सतीश कुमार पाण्डेय एवं तत्कालीन लेखाकर श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री शान्तीस्वरूप गौतम अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-25)

प्रस्तर-7 वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त योजना के धन से विकास क्षेत्र-अछल्दा के ग्राम-पंचायत ग्वारी में शिव मंदिर से सी0सी0 रोड तक इण्टर लॉकिग कार्य (210 मी0) का ठेका-ठेकेदार मै0-वैभवी कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर, अछल्दा जनपद-औरैया को दिया गया। उक्त इण्टर लॉकिग निर्माण कार्य पर (210मी0) पर कुल रू0-9,95,497=00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य की पत्रावली की जॉच में निम्न आपत्तियॉ पाई गयीः-

(1) उक्त इण्टर लॉकिग निर्माण कार्य ग्राम पंचायत में कराया गया किन्तु ग्राम पंचायत से इण्टर

लॉकिग निर्माण की सहमति ग्राम पंचायत से नही ली गयी।

(2) कार्य योजना में (200 मी0) कार्य प्रस्तावित है, एवं धनराशि 5.00 लाख प्रस्तावित है किन्तु विज्ञापन/टेण्डर 210 मी0 का एवं लागत रू0-9.98 लाख का निकाला गया है, संशोधित कार्य योजना तैयार कर उसकी स्वीकृति नही ली गयी।

(3) उक्त कार्य की पत्रावली में हुये कार्य के टेण्डर के प्रकाशन की प्रति पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी।

(4) नियमानुसार 5 लाख् के ऊपर के कार्य का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व अधिशासी अभियन्ता के निरीक्षण उपरान्त किया जाना चाहिए था, किन्तु उक्त का पालन नही किया गया।

(5) जमानत धनराशि नियमानुसार 10 प्रतिशत होनी चाहिए किन्तु उक्त कार्य में 5,00,000-00 की एफ0डी0 बन्धक के रूप में पाई गयी किन्तु एफ0डी0 का सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के नाम बन्धक बनायें जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त एफ0डी0 को सम्बन्धित फर्म द्वारा इस कार्य के अतिरिक्त वर्ष 2021-22 में विकास क्षेत्र अछल्दा में राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम पंचायत पूर्वापट्टी में ब्रहमदेव के थान से गाॅव तक खडंजा निर्माण कार्य, वर्ष 2021-22 में विकास क्षेत्र-अछल्दा में राज्य वित्त योजना के धन से क्षेत्र पंचायत परिसर में पार्क के निर्माण कार्य में भी प्रयोग किया गया। जबकि नियमानुसार प्रत्येक कार्य के लिये अलग-अलग एफ0डी0 बन्धक रखी जानी चाहिये।

नियमानुसार जमानत धनराशि 10 प्रतिशत से कम होने पर बिलो के भुगतान के समय काटे जाने का प्राविधान है, किन्तु उक्त का पालन नही किया गया।

(6) पत्रावली में संलग्न निविदा प्रपत्रो सम्बन्धित फर्मो द्वारा स्पष्ट धनराशि का उल्लेख नही किया गया एवं समस्त निविदा प्रपत्रो पर प्रथम दृष्टया एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ प्रतीत होता है।

(7) उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(8) पत्रावली की जॉच में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि एफ0डी0 के रूप में बन्धक जमानत की धनराशि कब अवमुक्त की गयी। उक्त के सम्बन्ध वास्तविक स्थिति स्पष्ट किया किया जाना अपेक्षित है।

(9) पत्रावली में इण्टर लॉकिग निर्माण कार्य प्रारम्भ, मध्य एवं नाली निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो संलग्न नही पाई गयी।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्त इण्टर लॉकिग निर्माण कार्य हेतु कार्य पर रू0-9,95,497=00 का अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री कमलाकान्त मिश्रा, श्री अश्विनी कुमार सक्सेना,श्री रामनरेश एवं श्री सतीश कुमार पाण्डेय एवं तत्कालीन लेखाकर श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री शान्तीस्वरूप गौतम अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-26)

प्रस्तर-8 वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त योजना के धन से विकास क्षेत्र-अछल्दा के ग्राम-पंचायत पूर्वापट्टी में ब्रहमदेव के थान से गॉव तक खण्डंजा निर्माण कार्य (340मी०) का ठेका-ठेकेदार मै0-वैभवी कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर, अछल्दा जनपद-औरैया को दिया गया। उक्त इण्टर लॉकिग निर्माण कार्य पर (340 मी०) पर कुल रू०-8,29,014=00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य की पत्रावली की जॉच में निम्न आपत्तियॉ पाई गयीः-

(1) उक्त खण्डंजा निर्माण कार्य ग्राम पंचायत में कराया गया किन्तु ग्राम पंचायत से खण्डंजा

निर्माण की सहमति ग्राम पंचायत से नही ली गयी।

(2) कार्य योजना में (300 मी0) कार्य प्रस्तावित है, एवं धनराशि 5.00 लाख प्रस्तावित है किन्तु विज्ञापन/टेण्डर 340 मी0 का एवं लागत रू0-9.76 लाख का निकाली गयी है, संशोधित कार्य योजना तैयार कर उसकी स्वीकृति नही ली गयी। जो अपेक्षित थी।

(3) उक्त कार्य की पत्रावली में हुये कार्य के टेण्डर के प्रकाशन की प्रति पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी।

(4) नियमानुसार 5 लाख के ऊपर के कार्य का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व अधिशासी अभियन्ता के निरीक्षण उपरान्त किया जाना चाहिए था, किन्तु उक्त का पालन नही किया गया।

(5) जमानत धनराशि नियमानुसार 10 प्रतिशत होनी चाहिए किन्तु उक्त कार्य में 500000.00 की एफ0डी0 बन्धक के रूप में पाई गयी किन्तु एफ0डी0 का सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के नाम बन्धक बनायें जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त एफ0डी0 को सम्बन्धित फर्म द्वारा इस कार्य के अतिरिक्त वर्ष 2021-22 में विकास क्षेत्र अछल्दा में राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम-पंचायत ग्वारी में शिव मंदिर से सी0सी0 रोड तक इण्टर लाॅकिग कार्य (210 मी0), वर्ष 2021-22 में विकास क्षेत्र-अछल्दा में राज्य वित्त योजना के धन से क्षेत्र पंचायत परिसर में पार्क के निर्माण कार्य में भी प्रयोग किया गया। जबकि नियमानुसार प्रत्येक कार्य के लिये अलग-अलग एफ0डी0 बन्धक रखी जानी चाहिये। नियमानुसार जमानत धनराशि 10 प्रतिशत से कम होने पर बिलो के भुगतान के समय काटे जाने का प्राविधान है, किन्तु उक्त का पालन नही किया गया।

(6) पत्रावली में संलग्न निविदा प्रपत्रो सम्बन्धित फर्मो द्वारा स्पष्ट धनराशि का उल्लेख नही किया गया एवं समस्त निविदा प्रपत्रो पर प्रथम दृष्टया एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ प्रतीत होता है।

(7) उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(8) पत्रावली की जाॅच में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि एफ0डी0 के रूप में बन्धक जमानत की धनराशि कब अवमुक्त की गयी। उक्त के सम्बन्ध वास्तविक स्थिति स्पष्ट किया किया जाना अपेक्षित है।

(9) पत्रावली में इण्टर लॉकिग निर्माण कार्य प्रारम्भ, मघ्य एवं नाली निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो संलग्न नही पाई गयी।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्त इण्टर लॉकिग निर्माण कार्य हेतु कार्य पर रू0-8,29,014=00 का अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री कमलाकान्त मिश्रा, श्री अश्विनी कुमार सक्सेना,श्री रामनरेश एवं श्री सतीश कुमार पाण्डेय एवं तत्कालीन लेखाकर श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री शान्तीस्वरूप गौतम अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-27)

प्रस्तर-9 वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त योजना के धन से विकास क्षेत्र-अछल्दा विकास खण्ड अछल्दा के परिसर में पार्क का निर्माण कार्य (75×35मी0) का ठेका-ठेकेदार मै0-वैभवी कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर, अछल्दा जनपद-औरैया को दिया गया। उक्त इण्टर लाॅकिग निर्माण कार्य पर (75×35मी०) पर कुल रू०-9,32,026=00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य की पत्रावली की जॉच में निम्न आपत्तियॉ पाई गयीः-

(1) कार्य योजना में प्रस्तावित धनराशि 7.00 लाख प्रस्तावित है किन्तु टेण्डर विज्ञापन रु० 9.39 लाख का निकाला गया।

(2) उक्त कार्य की पत्रावली में हुये कार्य के टेण्डर के प्रकाशन की प्रति पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी।

(3) नियमानुसार रु० 5 लाख के ऊपर के कार्य का अन्तिम रूप से भुगतान से पूर्व अधिशासी अभियन्ता के निरीक्षण उपरान्त किया जाना चाहिए था, किन्तु उक्त का पालन नही किया गया।

(4) जमानत धनराशि नियमानुसार 10 प्रतिशत होनी चाहिए किन्तु उक्त कार्य में 500000.00 की एफ0डी0 बन्धक के रूप में पाई गयी किन्तु एफ0डी0 का सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के नाम बन्धक बनायें जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त एफ0डी0 को सम्बन्धित फर्म द्वारा इस कार्य के अतिरिक्त वर्ष 2021-22 में विकास क्षेत्र अछल्दा में राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम-पंचायत ग्वारी में शिव मंदिर से सी0सी0 रोड तक इण्टर लॉकिग कार्य (210 मी0), वर्ष 2021-22 में विकास क्षेत्र-अछल्दा में राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम-पंचायत पूर्वापट्टी में ब्रहमदेव के थान से गॉव तक खण्डंजा निर्माण कार्य (340मी0) निर्माण कार्य में भी प्रयोग किया गया। जबकि नियमानुसार प्रत्येक कार्य के लिये अलग-अलग एफ0डी0 बन्धक रखी जानी चाहिये। नियमानुसार जमानत धनराशि 10 प्रतिशत से कम होने पर बिलो के भुगतान के समय काटे जाने का प्राविधान है, किन्तु उक्त का पालन नही किया गया।

(5) पत्रावली में संलग्न निविदा प्रपत्रो सम्बन्धित फर्मो द्वारा स्पष्ट धनराशि का उल्लेख नही किया गया एवं समस्त निविदा प्रपत्रो पर प्रथम दृष्टया एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ प्रतीत होता है।

(6) उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(7) पत्रावली की जॉच में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि एफ0डी0 के रूप में बन्धक जमानत की धनराशि कब अवमुक्त की गयी। उक्त के सम्बन्ध वास्तविक स्थिति स्पष्ट किया किया जाना अपेक्षित है।

(8) पत्रावली में विकास खण्ड अछल्दा के पार्क परिसर में निर्माण कार्य प्रारम्भ, मध्य एवं नाली निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो संलग्न नही पाई गयी।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्त विकास खण्ड अछल्दा के परिसर में पार्क निर्माण कार्य हेतु कार्य पर रू०-9,32,026=00 का अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री कमलाकान्त मिश्रा, श्री अश्विनी कुमार सक्सेना,श्री रामनरेश एवं श्री सतीश कुमार पाण्डेय एवं तत्कालीन लेखाकर श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री शान्तीस्वरूप गौतम अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-28)**

क्षेत्र पंचायत- ऐरवाकटरा

प्रस्तर-10 वर्ष 2021-22 में पंचम राज्य वित्त योजना के धन से ब्लाक कार्यालय ऐरवाकटरा की छतो की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण एवं बिजली फिटिग कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री विमल सिंह पाल ग्राम विकास अधिकारी को नियुक्त किया गया। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर रू०417665.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर रू०33129.00 कुल रू० 450794.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्न आपत्तियॉ पाई गयी -

(1)उक्त कार्य के तुलनात्मक विवरण पत्र में खण्ड विकास अधिकारी सहायक विकास अधिकारी कृषि एवं अवर अभियन्ता (आर0ई0डी0) के हस्ताक्षर नही पाये गये।

(2)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में लगे मजदूरो के निशान अंगूठा प्रथम दृष्ट्या एक ही व्यक्ति द्वारा लगाये गये सभी ऊगलियों के निशान प्रतीत होते है एवं हस्ताक्षर भी एक ही व्यक्ति के द्वारा किये गये प्रतीत होते है।

(3)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में श्रमिको द्वारा कार्य किया जाना दर्शित उपस्थिति के अनुसारद्ध दर्शित है। जिनकी कुल मजदूरी का भुगतान रू0.33129.00 कार्य प्रभारी श्री विमल सिंह ग्राम विकास अधिकारी को न करके मेट श्री राहुल के खातें में एक मुश्त किया गया है। जबकि कार्य पर लगे मजदूर ग्राम पंचायतो के होते है। प्रत्येक मजदूर का मनरेगा के अन्तगत जॉब कार्ड बना हुआ होता है। अतः मजदूरी का मस्टर रोल प्राप्त होने पर भुगतान उनके खातों के माध्यम से किया जाना चाहिये। जो नहीं किया गया।

(4)निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टाक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(5)उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(6)पत्रावली में संलग्न रू0.100.00 मूल्य के स्टाम्प पेपर पर दर्शित अनुबन्ध पत्र पर जमानत की धनराशि अंकित नही है एवं अनुबन्ध पत्र में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी ऐरवाकटरा के हस्ताक्षर नही पाये गये।

(7)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलो में दर्शित श्रमिकों की जॉब कार्ड संख्या अंकित नही की गयी है। जो अपेक्षित थी।

(8)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर एम0 आर0 क्रमाक अंकित नही है। मस्टर रोलो पर एम0 आर0 क्रमाक अंकित किया जाना अपेक्षित था।

(9)निविदा प्रपत्र बिक्री मूल्य से प्राप्त आय रू0.500*3=1500.00 की प्राप्ति की रसीद पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी।

(10)उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्वए मध्य एवं निर्माण कार्य पूर्ण के समय की फोटो पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी। जो अपेक्षित है।

(11)उक्त कार्य की पत्रावली में हुये कार्य के टेण्डर के प्रकाशन की प्रति पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि उक्त निर्माण कार्य हेतु कार्य पर रू0 .450794.00 का अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीए श्री करूणापति मिश्र एवं तत्कालीन लेखाकर श्री राजेन्द्र कुमार प्रजापति एवं कार्य प्रभारी श्री विमल सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री शान्तीस्वरूप गौतम अवर

अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-16)**

प्रस्तर.11- वर्ष 2021.22 में पंचम राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम पंचायत.बहादुरपुर ग्राम सभा कावा में डामर रोड से आशीष के घर तक इण्टर लॉकिग निर्माण कार्य (50 मी0) हेतु कार्य प्रभारी श्री शान्तीस्वरूप गौतम अवर अभियन्ता को नियुक्त किया गया। उक्त कार्य ठेके पर कराने पर कुल भुगतान मै0 शुभारम्भ बिल्डर्स एण्ड डिवलपर्स लखनऊ को रू0.141513.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जॉच में निम्न आपत्तियॉ पाई गयीः.

(1) ग्राम पंचायत में इण्टर लॉकिग निर्माण कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

(2) उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(3) पत्रावली में संलग्न रू0.100.00 मूल्य के स्टाम्प पेपर पर दर्शित अनुबन्ध पत्र पर जमानत की धनराशि अंकित नही है एवं अनुबन्ध पत्र में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी ऐरवाकटरा के हस्ताक्षर नही पाये गये ।

(4) निविदा प्रपत्र बिक्री मूल्य से प्राप्त आय रू0.500*3=1500.00 की प्राप्ति की रसीद पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी।

(5) उक्त कार्य हेतु बन्धक एफ0डी0आर0 रू0.10000.00 की छाया प्रति पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी जो अपेक्षित थी।

(6)उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्वए मध्य एवं निर्माण कार्य पूर्ण के समय की फोटो पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी। जो अपेक्षित थी।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि इण्टर लॉकिग निर्माण कार्य पर रू0.141513.00 का अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीए श्री करूणापति मिश्र एवं तत्कालीन लेखाकर श्री राजेन्द्र कुमार प्रजापति एवं कार्य प्रभारी श्री शान्तीस्वरूप गौतम अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।**मूल आपत्ति संख्या-17)**

प्रस्तर.12 वर्ष 2021.22 में केन्द्रीय वित्त योजना (टाइड) के धन से ग्राम पंचायत कुदरकोट में राजाराम चिक के घर से पुलिया तक नाला निर्माण कार्य (230 मी0) हेतु कार्य प्रभारी श्री शान्तीस्वरूप गौतम अवर अभियन्ता को नियुक्त किया गया। उक्त कार्य ठेके पर कराने पर कुल भुगतान मै0 जय बाला जी कन्सट्रक्शन नगलाराजा कालाभुज बिधूना जनपद औरैया को रू0.892935.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जॉच में निम्न आपत्तियॉ पाई गयी।

(1) ग्राम पंचायत में नाला निर्माण कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

(2)उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(3)पत्रावली में संलग्न रू0.100.00 मूल्य के स्टाम्प पेपर पर दर्शित अनुबन्ध पत्र पर जमानत की धनराशि अंकित नही है एवं अनुबन्ध पत्र में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी ऐरवाकटरा के हस्ताक्षर नही पाये गये है।

(4)निविदा प्रपत्र बिक्री मूल्य से प्राप्त आय रू0.500*3=1500.00 की प्राप्ति की रसीद पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी।

(5)उक्त कार्य हेतु बन्धक एफ0डी0आर0 रू0.49000.00 की छाया प्रति पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी जो अपेक्षित थी।

(6)उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(7)उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्वए एवं मध्य के समय की फोटो पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी। जो अपेक्षित है।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि नाला निर्माण कार्य पर रू0.892935.00 का अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीए श्री करूणापति मिश्र एवं तत्कालीन लेखाकर श्री राजेन्द्र कुमार प्रजापति एवं कार्य प्रभारी श्री शान्तीस्वरूप गौतम अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-18)**

क्षेत्र पंचायत- बिधूना

प्रस्तर-13 वर्ष 2021-22 में पंचम राज्य वित्त योजना के धन से ग्राम पंचायत-सराय महाजन में डामर रोड से लेकर ओम प्रकाश जाटव के मकान तक इण्टर लॉकिग निमार्ण कार्य (117 मी0) हेतु कार्य प्रभारी श्री गवेन्द्र सिंह पाल ग्राम विकास अधिकारी को नियुक्त किया गया। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर रू0-332686.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर रू0-30736.00 कुल रू0-363422.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जॉच में निम्न आपत्तियॉ पाई गयीः-

(1) ग्राम पंचायत में इण्टर लॉकिग निर्माण कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

(2) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में लगे मजदूरो के निशान अंगूठा एवं हस्ताक्षर प्रथम दृष्ट्या एक ही व्यक्ति द्वारा लगाये गये सभी ऊगलियों के निशान प्रतीत होते है एवं हस्ताक्षर भी एक ही व्यक्ति के द्वारा किये गये प्रतीत होते है।

(3) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में श्रमिको द्वारा कार्य किया जाना (दर्शित उपस्थिति के अनुसार) दर्शित है। जिनकी कुल मजदूरी का भुगतान रू0-30736.00 कार्य प्रभारी श्री गवेन्द्र सिंह पाल ग्राम विकास अधिकारी को किया गया है। जबकि कार्य पर लगे मजदूर ग्राम पंचायतो के होते है। प्रत्येक मजदूर का मनरेगा के अन्र्तगत जॉब कार्ड बना हुआ होता है। अतः मजदूरी का मस्टर रोल प्राप्त होने पर भुगतान उनके खातों के माध्यम से किया जाना चाहिये। जो नहीं किया गया।

(4) निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टाक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(5) पत्रावली में संलग्न रू0-100/-मूल्य के स्टाम्प पेपर पर दर्शित अनुबन्ध पत्र पर जमानत की धनराशि अंकित नही है एवं अनुबन्ध पत्र में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी बिधूना के हस्ताक्षर नही है।

(6) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलो में दर्शित श्रमिकों की जॉब कार्ड संख्या अंकित नही की गयी है। जो अपेक्षित है।

(7) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर एम0 आर0 क्रमाक अंकित नही है। मस्टर रोलो पर एम0 आर0 क्रमाक अंकित किया जाना अपेक्षित है।

(8) उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, मध्य एवं निर्माण कार्य पूर्ण के समय की फोटो संलग्न नही पाई गयी। जो अपेक्षित थी।

(9) पत्रावली में संलग्न तुलनात्मक विवरण पत्र में अवर अभियन्ता एवं सहायक विकास अधिकारी (पचायत) बिधूना के हस्ताक्षर नही पाये गये।

(10) पत्रावली में संलग्न कार्य आदेश संख्या-3222 दिनांक 05.03.2021 में सामाग्री आपूर्ति हेतु मै0 माँ वैष्णो कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स, पूर्वा सकटू औरैया को सामाग्री आपूर्ति हेतु आदेशित किया गया एवं टेण्डर भी उक्त फर्म के नाम स्वीकृत किया गया। किन्तु पत्रावली में संलग्न पंजीकृत प्रमाण पत्र संख्या-09 बी सी टी पी डी 7555 एच आई जेड 2 मै0 लाली देवी के नाम का पाया गया।

(11) पत्रावली में सलग्न आपूर्तिकर्ता फर्म मै0 माँ वैष्णो कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स पूर्वा सकटू हरचन्दपुर औरैया के बिल/इन्वाइस संख्या-12 दिनांक 13.05.2021 द्वारा रू0-332686.00 की सामाग्री आपूर्ति किया जाना अंकित है। सामग्री आपूर्ति बिल पर सामाग्री आपूर्तिकर्ता के हस्ताक्षर नही है।

(12) पत्रावली में संलग्न विवरण के अनुसार आपूर्ति सामग्री का भुगतान खाता संख्या-31025408090 में दिनांक 10.07.2021 को पी०एफ़०एम०एस० के द्वारा रू०-319378=00 किया गया, जो खाता संख्या मै0 लाली देवी के नाम से है। इस प्रकार सामग्री आपूर्ति हेतु टेण्डर मै0 माँ वैष्णो कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स पूर्वा सकटू हरचन्दपुर औरैया को स्वीकृत किया गया है। इसी फर्म द्वारा सामग्री की आपूर्ति भी की गयी है। किन्तु भुगतान मै0 लाली देवी को किया गया है।

13) उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित था।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर रू०-363422-00 का अनिनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री सौरभ श्रीवास्तव एवं तत्कालीन लेखाकर श्री राजेन्द्र कुमार प्रजापति एवं कार्य प्रभारी श्री गवेन्द्र सिंह पाल ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री शरद यादव अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या-16)**

प्रस्तर.14 वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त योजना के धन से ग्राम पंचायत-मढोकमीत में अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल में अतिरिक्त टीनशेड व भूसा भण्डार हेतु अतिरिक्त कक्ष निमार्ण कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री प्रवीण कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी को नियुक्त किया गया। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर रू०-550798.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर रू०-19890.00 कुल रू०-570688.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जॉच में निम्न आपत्तियॉ पाई गयीः-

(1) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में लगे मजदूरो के निशान अंगूठा प्रथम दृष्ट्या एक ही व्यक्ति द्वारा लगाये गये सभी ऊगलियों के निशान प्रतीत होते है एवं हस्ताक्षर भी एक ही व्यक्ति के द्वारा किये गये प्रतीत होते है।

(2) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में श्रमिको द्वारा कार्य किया जाना (दर्शित उपस्थिति के अनुसार) दर्शित है। जिनकी कुल मजदूरी का भुगतान रू०-

19890.00 कार्य प्रभारी श्री प्रवीण कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी को किया गया है। जबकि कार्य पर लगे मजदूर ग्राम पंचायतो के होते है। प्रत्येक मजदूर का मनरेगा के अन्र्तगत जॉब कार्ड बना हुआ होता है। अतः मजदूरी का मस्टर रोल प्राप्त होने पर भुगतान उनके खातों के माध्यम से किया जाना चाहिये। जो नहीं किया गया।

(3) निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टाक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(4) पत्रावली में संलग्न रू०-100/-मूल्य के स्टाम्प पेपर पर दर्शित अनुबन्ध पत्र पर जमानत की धनराशि अंकित नही है एवं अनुबन्ध पत्र में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी बिधूना के हस्ताक्षर नही पाये गये ।

(5) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में दर्शित श्रमिकों की जॉब कार्ड संख्या अंकित नही की गयी है। जो अपेक्षित थी।

(6) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर एम० आर० क्रमाक अंकित नही है। मस्टर रोलो पर एम0 आर0 क्रमाक अंकित किया जाना अपेक्षित था।

(7) उक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, मध्य एवं निर्माण कार्य पूर्ण के समय की फोटो पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी। जो अपेक्षित थी।

(8) उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। जो अपेक्षित था।

(9) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल पर 14 मजदूरो की उपस्थिति अंकित की गयी है। किन्तु मस्टररोल पर 13 मजदूरो के नाम ही अंकित है एवं भुगतान प्राप्तकर्ताओं के भी 13 मजदूरो के नाम अंकित है। इस प्रकार 01 मजदूर का मस्टररोल में बिना नाम अंकित किये काल्पनिक रूप से उपस्थिति दर्ज की गयी है। मस्टर रोल पर रू०-204/- प्रतिदिन की मजदूरी की दर से 07 दिवसो की कुल मजदूरी रू०-14287-00 अकित है। किन्तु कुल भुगतान में शामिल नही है। उक्त तथ्यो से स्पष्ट होता है कि उक्त निर्माण कार्य मस्टर रोल द्वारा नही कराया गया है, मात्र कागजी औपचारिकतायें पूर्ण करने के उद्देश्य से बाद में मस्टर रोल तैयार किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल में अतिरिक्त टीनशेड व भूसा भण्डार हेतु अतिरिक्त कक्ष निमार्ण कार्य पर रू०-570688.00 का अनिनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री सौरभ श्रीवास्तव एवं तत्कालीन लेखाकर श्री राजेन्द्र कुमार प्रजापति एवं कार्य प्रभारी श्री प्रवीण कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री शरद यादव अवर अभियन्ता संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-17)

क्षेत्र पंचायत-औरैया

प्रस्तर.15 उ०प्र० भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावलीण्2009(जो उ०प्र० मे दिनांकः 04 फरवरीए2009 से लागू है) के नियम-4(3) के अनुसार ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकरध्लेबर सेस नियोक्ता के द्वारा काटी जाएगी। प्रमुख अभियंता ने अप्रैलए2010 मे इसे नियमानुसार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित भी किया है। कटौती उपरांत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तिया उपशीर्षकण्11 मे जमा किया जाना है। लेकिन इस नियम का अनुपालन नही किया गया है। वर्ष 2021-22में ठेकेदारों के द्वारा प्रस्तुत बिलों पर लेबर सेस की 1 प्रतिशत कटौती की गयी है। ग्रांट रजिस्टर.3 के लेबर सेस खाता मे दिनांक 01.04.2021 को लेबर सेस की प्रारम्भिक शेष धनराशि रू0 00. 00 दर्शित है और वर्ष 2021-22में लेबर सेस कटौती की धनराशि रू0 122356.00 जो संबंधित विभाग मे जमा करने हेतु बिलो से काटी गयी है। लेखा परीक्षा की समाप्ति की तिथि तक लेबर सेस कटौती की कुल धनराशि रू० 70015-00 संस्था पटल प्रभारी द्वारा संबंधित विभाग मे जमा नही किया गया है। लेबर सेस कटौती की कुल धनराशि रू० 52341-00 को संस्था के खाता मे रोककर रखा गया है। उल्लेखनीय है कि लेबर सेस की धनराशि से भारत सरकार द्वारा मजदूरो के कल्याण हेतु चलायी जाने वाली योजनाओं का वित्त पोषण होता है। कटौती उपरांत लेबर सेस की धनराशि को जमा न करना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री सर्वेश कुमार रवि एवं लेखाकार श्री रामदास प्रजापति उत्तरदायी है। जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-19)

प्रस्तर.16 जी0एस0टी0 एक्ट 2017 की धारा.51 के अनुसार समस्त सरकारी विभागोएसरकारी एजेन्सियों व स्थानीय निकाय द्वारा किए गए भुगतान पर 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौती टी0डी0एस0 का प्रावधान है और उक्त व्यवस्था दिनांकः 01.10.2018 से उ0 प्र0 मे प्रभावी हैण्वर्ष 2021-22में ठेकेदारों के द्वारा प्रस्तुत बिलों पर जी0एस0टी0ण्टी0डी0एस0 की 2 प्रतिशत कटौती की गयी है।ग्रांट रजिस्टर.3 के जी0एस0टी0ण्टी0डी0एस0 खाता मे दिनांक 01.04.2021 को जी0एस0टी0ण्टी0डी0एस0 की प्रारम्भिक शेष धनराशि रू० 00.00 दर्शित है और वर्ष 2021-22मेंजी0एस0टी0ण्टी0डी0एस0 की धनराशि रू० 244709-00 जो जी0एस0टी0 विभाग मे जमा करने हेतु बिलो से काटी गयी हैण्लेखा परीक्षा की समाप्ति की तिथि तक संस्थाध्पटल प्रभारी द्वारा उक्त धनराशि को संबंधित विभाग मे जमा नही किया गया हैण्ग्रांट रजिस्टर.3 मे गत वित्त वर्ष व वर्ष 2021-22की जी0एस0टी0ण्टी0डी0एस0 की कटौती की कुल धनराशि रू0 244709-00 मे से मात्र रू0 203018-00 को संबंधित विभाग मे जमा किया गया हैण्दिनांकः 31.03.2022 को खाता मे रू0 41691-00 अवशेष दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि वर्ष 2021-22की जी0एस0टी0ण्टी0डी0एस0 की कटौती की धनराशि रू0 41691-00 को संस्था के खाता मे रोककर रखा गया है। विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान इस आशय से आकृष्ट किया जाता है कि सरकारी राजस्व की क्षति न होने पाए इसलिए संबंधित पटल प्रभारी द्वारा संदर्भित धनराशि को ब्याज सहित जी0एस0टी0 विभाग के खाता मे यथाशीघ्र जमा कराया जाए तथा इस गम्भीर अनियमितता के लिए तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री सर्वेश कुमार रवि एवं लेखाकार श्री रामदास प्रजापति उतरदायी है। सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित रही। (मूल आपत्ति सं0-20)

प्रस्तर.17 वर्ष 2021-22 में साइन बोर्ड क्रय दर्शा कर निम्नलिखित धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

क्र0	कार्य का नाम	भुगतान की गयी धनराशि	प्राप्त कर्ता/फर्म का नाम
1	विकास खण्ड परिसर में मुख्य विकास अधिकारी के आवास एव छत की मरम्मत साइन बोर्ड क्रय	4200.00	ओम साईं स्टेशनर
2	ग्राम पंचायत साहब्दा में अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र वाउन्ड्रीवाल साइन बोर्ड क्रय	4200.00	ओम साईं स्टेशनर
3	ग्राम पंचायत पडरिया में मुख्य सड़क से पंचायत भवन तक इन्टरलॉकिंग निर्माण साइन बोर्ड क्रय	4200.00	सौरभ इन्टर प्राईजेज
4	तिलकपुर में मैन रोड तक इन्टरलॉकिंग साइन बोर्ड क्रय	4200.00	ओम साईं स्टेशनर
5	पूर्वारहट में तालाब से नाला तक पक्का नाला निर्माण साइन बोर्ड क्रय	4200.00	सौरभ इन्टर प्राईजेज
6	मानेपुर में मैनरोड से इन्टरलॉकिंग साइन बोर्ड क्रय	4200.00	ओम साईं स्टेशनर
7	राजनदासपुर में मैनरोड से रामकिशोर के घर तक इन्टरलाॅकिंग साइन बोर्ड क्रय	4200.00	ओम साईं स्टेशनर
8	श्राजनदासपुर में इन्टरलॉकिंग से तालाब तक पक्के नाले का निर्माण साइन बोर्ड क्रय	4200.00	ओम साईं स्टेशनर
9	ग्राम पढिन में मैनरोड पर यात्रि प्रतिक्षालय को निर्माण साइन बोर्ड क्रय	4200.00	ओम साईं स्टेशनर
10	ग्राम पढिन में सुन्दर पुर अड्डे से पढिन की ओर पक्के नाले का निर्माण साइन बोर्ड क्रय	4200.00	सौरभ इन्टर प्राईजेज
11	पढिन में सुन्दरपुर मार्ग से नदी की ओर पक्के नाले का निर्माण साइन बोर्ड क्रय	4200.00	ओम साईं स्टेशनर
12	ग्राम पंचायत कश्बाजाना में पाण्डेय गेस्ट हाउस से डामर रोड तक पक्के नाले का निर्माण साइन बोर्ड क्रय	4200.00	सौरभ इन्टर प्राईजेज
13	बमुरीपुर में अनिल के मकान से पीलीमिट्टी तक पक्का नाला निर्माण साइन बोर्ड क्रय	4200.00	सौरभ इन्टर प्राईजेज
14	पढिन के सुन्दरपुर में अम्बेडकर मार्ग से बम्बा	4200.00	ओम साईं स्टेशनर

	तक पक्के नाले का निर्माण साइन बोर्ड क्रय		
योग----------			**58800.00**

लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत पत्रावलियों में उपरोक्त विवरण के अनुसार साइन बोर्ड क्रय पर कुल रू 58800.00 व्यय दर्शाया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक व साईन बोर्ड स्थापना के फोटोग्राफ पत्रावलियों में अप्राप्त रहे इससे परिलक्षित होता है कि साईन बोर्ड क्रय पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर कुल रू 58800.00 का अपहरण कर लिया गया है। उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सर्वेश कुमार रवि एव लेखाकार श्री रामदास प्रजापति से की जानी अपेक्षित है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं | **(मूल आपत्ति संख्या-21)**

क्षेत्र पंचायत- भाग्यनगर

प्रस्तर-18 वर्ष 2021-22की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया की राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्त से करवाए जाने वाले निम्नलिखित निर्माण कार्यों की आगणित धनराशि/ प्राक्कलन मूल्य के अनुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य वास्तविक से कम निर्धारित कर राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है. उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स मैनुअल-2016,वित्त पथ-2016/2022 के अनुसार निविदा प्रपत्र (टेंडर फॉर्म) का मूल्य,निविदा सामग्री के प्राक्कलन मूल्य का 0.2 प्रतिशत(न्यूनतम रू0 400, अधिकतम रू0 1500.00) होगा जबकि टेंडर विज्ञप्ति में सामग्री की आपूर्ति हेतु रुपए 500 व 1000 निविदा प्रपत्र का मूल्य रखा गया है.इस प्रकार अधिक आगणित धनराशि वाले कार्यों के टेंडरों में भी कम मूल्य पर टेंडर फॉर्म की बिक्री कर राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है. विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलन मूल्य/ सामग्री अंश की धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य जो लिया गया	निविदा प्रपत्र का मूल्य जो होना चाहिए
1	ग्राम पंचायत बनारपुर में महाबीर मंदिर पर इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	266783.00	500.00	533.00
2	द्वारिकापुर में बंबा से लेकर निलोश के मकान तक इंटरलोकिंग व नाली निर्माण	475469.00	500.00	950.00
3	गुजरीपुर में पुलिया से रामरोशनी के खेत तक नाला निर्माण	620308.00	500.00	1240.00
4	ग्राम जमुही में श्याम बाबू के मकान से अजय के मकान तक इंटरलोकिंग निर्माण	121326.00	500.00	400.00
5	लोहियानगर में सोनू के मकान से कमला के मकान तक इंटरलोकिंग व नाली निर्माण	245653.00	500.00	491.00
6	नियामतपुर बिहारी में उदयनारायण के मकान से विनोद दोहरे के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	203757.00	500.00	407.00
7	तर्रई में अमर सिंह के दरवाजे से लज्जाराम के मकान तक नाला निर्माण	465273.00	500.00	930.00
8	मुचहा में बालकिशन के मकान से लाखन नायक के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	278501.00	500.00	557.00
9	गौरी गंगाप्रसाद में मानसिंह के घर से वीरेंद्र के प्लॉट तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	396481.00	500.00	793.00
10	ग्राम अजमतपुर में मुख्य सड़क से शिवनाथ के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण	716682.00	500.00	1433.00
11	ककराही डेरा में भोले कपड़िया के मकान से रतिराम के मकान तक इंटरलोकिंग व नाली निर्माण	262294.00	500.00	524.00
12	गुजरीपुर में जानकी प्रसाद के मकान से पुलिया तक नाली निर्माण	224151.00	500.00	448.00
13	ग्राम अंगनू पुरवा में रोड से सोनू के मकान तक इंटरलॉकिंग	369979.00	500.00	740.00
14	ककराही में औरैया रोड से संत विवेकानंद स्कूल तक इंटरलोकिंग निर्माण	885424.00	500.00	1500.00
15	ग्राम गलुआपुर में रामप्रकाश के मकान से सुरेश पाल के मकान तक इंटरलोकिंग व नाली निर्माण	492943.00	500.00	985.00
16	चिटकैयांपुरवा में उदयभान के मकान से श्रीकृष्ण के मकान तक इंटरलॉकिंग निर्माण	422166.00	500.00	844.00
17	न्यामतपुर बिहारी में स्कूल से लेकर कृपा शंकर के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	567371.00	500.00	1135.00
18	विकास भवन ककोर के मुख्य द्वार के बायीं और मिटटी एवं इंटरलॉकिंग कार्य	835073.00	500.00	1500.00
19	जमुहा के ग्राम भट्टा बस्ती में शिवकुमार के मकान से सर्वेश के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	409904.00	500.00	820.00
20	न्यामतपुर बिहारी में दीपक के मकान से तालाब तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	504792.00	500.00	1009.00
21-	ग्राम रूहेरी में रामदुलारे के मकान से शिशुपाल के मकान तक इंटरलोकिंग व नाली निर्माण	872851.00	500.00	1500.00

22	ग्राम गौरी में पीडब्ल्यूडी रोड से जयपाल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	341151.00	500.00	682.00
23	ग्राम चिरूहुलिया में श्रीकृष्ण दोहरे के मकान से सर्वेश यादव के मकान तक इंटरलोकिंग व नाली निर्माण	404791.00	500.00	809.00
24	टीकमपुर में गोविंद के मकान से जय मां अंबे स्कूल तक नाला निर्माण	418987.00	500.00	838.00
25	इटहा के ग्राम माखनपुर में देवी मंदिर से आशाराम के मकान तक इंटरलोकिंग व नाली निर्माण	878930.00	500.00	1500.00
26	ग्राम सरैया में नरेंद्र के मकान से जाहर सिंह के मकान तक इंटरलॉकिंग	878930.00	500.00	1500.00
27	जमौली में बेंचेलाल के मकान से रमेश के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण	347000.00	500.00	694.00
28	बनारपुर के प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वाल निर्माण	507390.00	500.00	1015.00
29	सिम्हारा में बलबीर के घर से चांदनी के घर तक नाली निर्माण	521500.00	500.00	1043.00
30	गौरी गांव में प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वाल व् इंटरलॉकिंग कार्य	757381.00	500.00	1500.00
31	ग्राम रतवा में प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल कार्य	500686.00	500.00	1000.00
32	ग्राम पीपरपुर में प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल व इंटरलॉकिंग कार्य	581383.00	500.00	1162.00
33	ग्राम हजियापुर में प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल व इंटरलोकिंग कार्य	727944.00	500.00	1455.00
34	रूहेरी में दिनेश के मकान से बलदेव के मकान तक नाला निर्माण	439914.00	500.00	880.00
35	दहगांव में हरिओम के मकान से भूरेमियां के मकान तक नाला निर्माण	296107.00	500.00	592.00
36	तर्रई में हरिओम शुक्ला के मकान से सड़क तक इंटरलॉकिंग कार्य	98524.00	500.00	400.00
37	ग्राम गडिया में पंचायत घर की बॉउंड्री वाल निर्माण	521611.00	500.00	1043.00
38	उमरी में गजराज के खेत से सुभाष के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण	524041.00	500.00	1048.00
39	नियामतपुर बिहारी में तार फेंसिंग,जाली,गेट आदि	912000.00	500.00	1500.00
40	टीकमपुर माखनपुर में पंचायत भवन से मंदिर तक नाला निर्माण	843618.00	500.00	1500.00
41	कटारी के पुरवा में सुरेश के मकान से कुलदीप के मकान तक इंटरलोकिंग व नाली निर्माण	320708.00	500.00	641.00
42	ग्राम लखनापुर में प्राथमिक विद्यालय से अखिलेश की पेटी तक इंटरलोकिंग कार्य	730891.00	500.00	1462.00
43	गोसाईपुरवा में प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वाल निर्माण	635484.00	500.00	1270.00
44-	न्यामतपुर बिहारी में ह्रदयराम के मकान से श्रवण के मकान तक सी0सी0	521198.00	500.00	1042.00
45	जमुहाँ की भट्टा बस्ती में बहादुर के मकान से बकील	519847.00	1000.00	1040.00

	साहब के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य			
46	पुरवा जसा में रतीराम मास्टर के घर से रामनरेश के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य	501202.00	1000.00	1002.00
47	विकास भवन ककोर के सामने सड़क के किनारे कैंटीन की तरफ बॉउंड्रीवॉल का निर्माण	818945.00	1000.00	1500.00
48	भटपुरा में ग्राम मके के पुरवा में पंचायत भवन से लेकर लखपती के मकान तक इंटरलॉकिंग निर्माण	756060.00	1000.00	1500.00
49	ककराही के विकास कुंज में वैभव के मकान से साईं मंदिर तक इंटरलोकिंग व नाली निर्माण	862990.00	1000.00	1500.00
50	सौंधेमऊ गौशाला परिसर में टीन सेड ,खड़ंजा, नाद, हौदी, पाइप फिटिंग का कार्य	723425.00	1000.00	1446.00
51	नियामतपुर बिहारी गौशाला परिसर में टीन सेड ,खड़ंजा, नाद,हौदी,पाइप फिटिंग का कार्य	727252.00	1000.00	1455.00
52	तर्रई गौशाला परिसर में टीन सेड ,खड़ंजा, नाद,हौदी,पाइप फिटिंग का कार्य	700252.00	1000.00	1400.00
53	नगला जय सिंह में बी0पी0 मार्ग से अजीत के प्लाट तक इंटरलॉकिंग निर्माण	252022.00	1000.00	504.00
			31000.00	54662.00

उक्त **53** कार्य हेतु तुलनात्मक विवरण चार्ट के अनुसार 3-3 फर्मों ने निविदा फॉर्म क्रय किए थे जिनसे कुल रुपए 31000 X 3= रु० **93000-**00 प्राप्त हुए होंगे किंतु आगणित धनराशि/प्राक्कलन मूल्य के अनुसार वास्तविक निविदा मूल्यों का योग रुपए **54662 X 3**=रु०**163986** होता है-इस प्रकार कुल रुपए 163986.00 का राजस्व निविदा फॉर्म बिक्री से आना था जिसमें रुपए 70986.00 के राजस्व की क्षति हुई है जिसके लिए सहायक लेखाकार उत्तरदायी हैं-अतः निविदा फॉर्म बिक्री में हुई राजस्व की क्षति रुपए 70986-00 की प्रतिपूर्ति संबंधित फर्मों से न हो पाने की स्थिति में इसकी वसूली लेखाकार श्री रामदास प्रजापति से की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-18)**

प्रस्तर-19 वर्ष 2021-22में निर्माण कार्य की टेंडर पत्रावली में संलग्न टेंडर विज्ञप्तियों के अनुसार कुल 53 कार्यों के टेंडर आमंत्रित हुए-टेण्डर हेतु 3-3 फर्मो ने टेंडर फॉर्म क्रय किये जिनसे संस्था को कुल रूपए 93000-00 प्राप्त हुए होंगे किन्तु इन टेण्डर फार्मों की बिक्री की धनराशि को ग्रांट रजिस्टर 3 के निविदा/टेंडर शुल्क मद में नहीं दर्शाया गया है.बार बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखाकार द्वारा टेंडर फार्मों की बिक्री का रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है. इससे परिलक्षित होता है कि टेण्डर फार्मों से प्राप्त बिक्री की धनराशि रु० 93000-00 का अपहरण कर लिया गया है.अत: निविदा/टेंडर फार्मों की बिक्री की धनराशि न जमा करने के लिए लेखाकार श्री रामदास प्रजापति उत्तरदायी है,जांचोपरांत सुसंगत ब्याज सहित धनराशि रु० 93000-00 की बसूली लेखाकार श्री रामदास प्रजापति से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-19)

क्षेत्र पंचायत- अजीतमल

प्रस्तर-20 वर्ष 2021-22 में संस्था के ग्रांट रजिस्टर-3 से यह तथ्य प्रकाश मे आया है कि संस्था द्वारा रॉयल्टी कटौती(राज्य वित्त) के रूप मे गत वर्ष से अवशेष धनराशि रु० 19364.00 को अपने पास रोककर रखा गया है तथा संबंधित विभाग को समयबद्ध रूप से ट्रांसफर नहीं किया गया है। राजकीय धनराशि को रोके जाने तथा उस धनराशि पर उद्भूत बैंक ब्याज की संबंधित विभाग को हानि होने के दृष्टिगत प्रकरण गंभीर प्रतीत होने से प्रकाश मे लाया जाता है। अत: समस्त धनराशि को ब्याज व दंडात्मक शुल्क सहित संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर उत्तरदायी व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं0-03)**

प्रस्तर-21

वर्ष 2021-22मे क्षेत्र पंचायत द्वारा राज्य वित्त से कराए गए निम्न निर्माण कार्यों की पत्रावली मे पाई गयी कमियाँ निम्नवत हैं-

क्र सं 0	कार्य का नाम	धनराशि
1	ग्राम पंचायत सेउपुर मे राम बहादुर के घर से कालेश्वर के घर तक इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण	799613.00
2	ग्राम पंचायत अलीपुर मे उच्च प्राथमिक विद्यालय से नए तालाब तक पक्के नाले का निर्माण	950202.00
3	ग्राम बेरिकपरिया मे प्राथमिक विद्यालय से लालता प्रसाद के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण	944833.00
4	उपरोक्त निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी कुल धनराशि	2694648.00

कमियाँ/न्यूनताएं -

1-विभाग मे पंजीकृत होने का पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां तीनों फ़र्मों के द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं की गयी है।

2-निविदा स्वीकृति उपरांत जारी कार्यालय आदेश मे कार्य के पूर्व ,मध्य व अंत की फोटोग्राफ पत्रावली मे लगाना अनिवार्य था लेकिन उपरोक्त कार्यों के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली मे संलग्न नहीं पाए गए हैं। उपरोक्त कार्यों की त्रिस्तरीय के बजाय मध्य या पूर्ण स्तर की 1-1 फोटोग्राफ ही लेखा परीक्षा मे पायी गयी हैं।

3- उपरोक्त निर्माण कार्यों मे जिन 2 फ़र्मों की निविदा अस्वीकृत हुई है उनकी धरोहर धनराशि/बिड सिक्युरिटी वापिस किए जाने का आवेदन पत्र व वापिस किए जाने के प्रमाण स्वरूप उसकी प्राप्ति रशीद पत्रावली मे संलग्न नहीं पाई गयी है।

4-निविदा प्रपत्र की शर्तों के अनुसार रु0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना था। किन्तु रु0 100 का सादा स्टाम्प पेपर ही निविदा फार्म के साथ संलग्न है।

5-माप पुस्तिका मे कार्य की प्रारंभ तिथि,समाप्त तिथि तथा कार्य के मापांकन की तिथि अंकित नहीं है। माप पुस्तिका पर अवर अभियंता के हस्ताक्षर दिनांकित नहीं है।

उपरलिखित कमियों/न्यूनताओं से प्रतीत होता है कि निर्माण कार्यों से संबंधित नियमों व वित्तीय गाइडलाइंस के अनुरूप कार्य न कराकर अनियमित तरीके से उपरोक्त कार्य कराए गए हैं जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय व अवधेश यादव उत्तरदायी हैं। जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं0- 22)**

प्रस्तर-22 वर्ष 2021-22मे क्षेत्र पंचायत द्वारा केन्द्रीय वित्त से कराए गए निम्न निर्माण कार्यों की पत्रावली मे पाई गयी कमियाँ निम्नवत हैं-

क्र सं 0	कार्य का नाम	धनराशि
1	ग्राम पंचायत-हज़रतपुर मे गोरेलाल के घर से जवर सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण	279882.00
2	ग्राम पंचायत-ऊंचा मे सुनील के दरवाजे से करतार के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण	171735.00
	उपरोक्त निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी कुल धनराशि	451617.00

कमियाँ/न्यूनताएं -

1-विभाग मे पंजीकृत होने का पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां तीनों फ़र्मों के द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं की गयी है।

2-निविदा स्वीकृति उपरांत जारी कार्यालय आदेश मे कार्य के पूर्व ,मध्य व अंत की फोटोग्राफ पत्रावली मे लगाना अनिवार्य था लेकिन उपरोक्त कार्यों के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ पत्रावली मे संलग्न नहीं पाए गए हैं। उपरोक्त कार्यों की त्रिस्तरीय के बजाय मध्य या पूर्ण स्तर की 1-1 फोटोग्राफ ही लेखा परीक्षा मे पायी गयी हैं।

3- उपरोक्त निर्माण कार्यों मे जिन 2 फ़र्मों की निविदा अस्वीकृत हुई है उनकी धरोहर धनराशि/बिड सिक्युरिटी वापिस किए जाने का आवेदन पत्र व वापिस किए जाने के प्रमाण स्वरूप उसकी प्राप्ति रशीद पत्रावली मे संलग्न नहीं पाई गयी है।

4-निविदा प्रपत्र की शर्तों के अनुसार रु0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना था। किन्तु रु0 100 का सादा स्टाम्प पेपर ही निविदा फार्म के साथ संलग्न है।

5-माप पुस्तिका मे कार्य की प्रारंभ तिथि,समाप्त तिथि तथा कार्य के मापांकन की तिथि अंकित नहीं है। माप पुस्तिका पर अवर अभियंता के हस्ताक्षर दिनांकित नहीं है।

उपरलिखित कमियों/न्यूनताओं से प्रतीत होता है कि निर्माण कार्यों से संबंधित नियमों व वित्तीय गाइडलाइंस के अनुरूप कार्य न कराकर अनियमित तरीके से उपरोक्त कार्य कराए गए हैं जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार पाण्डेय व अवधेश यादव उत्तरदायी हैं। जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति सं0- 23)**

प्रस्तर-23 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा मे दिनांक 31-03-2022 को संस्था के निम्न खातों के ग्रांट रजिस्टर के अंतिम शेष व बैंक स्टेटमेंट के अंतिम शेष मे अंतर पाया गया है-

बैंक का नाम	खाता संख्या	31-03-2022 को ग्रांट-रजिस्टर मे शेष	31-03-2022 को बैंक स्टेटमेंन्ट के अनुसार शेष	अंतर
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया-विधायक निधि	180767	267788.10	13124.10	254664.00
सी.बी.आई.-आंगनबाड़ी केंद्र व विविध	2157106731	598338.70	295825.70	302513.00
बडौदा,यू0पी0,बैंक-सांसद निधि	92901	76106.05	627527.05	551421.00
सी.बी.आई.-राज्य वित्त/पंचम राज्य वित्त	3113957959	3648991.35	3654747.35	5756.00

ग्रांट रजिस्टर-3 मे दिनांक 31-03-2022 को राज्य वित्त/पंचम वित्त मद मे रु0 3648991.35 दर्शित है जबकि उक्त खाता के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार 31-03-2022 को रु0 3654747.35 अवशेष दर्शित है। अंतर की धनराशि रु0 5756.00 है। लेखाकार द्वारा अंतर का कारण बताया गया कि गत वर्ष अंतर की धनराशि रु0 5756 की ग्रांट रजिस्टर मे सांसद निधि के बजाय राज्य वित्त मद से कटौती त्रुटिवश दिखा दी गयी है। ग्रांट रजिस्टर मे उक्त अंतर का सुधार अपेक्षित है। ग्रांट रजिस्टर-3 मे दिनांक 31-03-2022 को आंगनबाड़ी/विविध खाता मद मे रु0 598338.70 दर्शित है जबकि उक्त खाते के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 31-03-2022 को रु0 295825.70 अवशेष दर्शित है। अंतर की धनराशि रु0 302513.00 है। इसी प्रकार ग्रांट रजिस्टर-3 मे दिनांक 31-03-2022 को विधायक निधि मद मे रु0 267788.10 दर्शित है जबकि उक्त मद या खाते के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु0 13124.10 ही अवशेष दर्शित है। अंतर की धनराशि रु0 254664.00 है। लेखाकार द्वारा मौखिक रूप से अंतर का कारण बताया गया कि गत वर्षों मे सांसद निधि कि जो धनराशि वापिस करनी थी वो धनराशि विधायक निधि व आंगनबाड़ी केंद्र/विविध खाता से वापिस कर दी गयी है।सांसद निधि वापिस करने से संबंधित पत्राचार की पत्रावली लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रही जिससे लेखाकार के कथन की पुष्टि नहीं की जा सकी। यदि त्रुटिवश सांसद निधि की धनराशि सांसद निधि के बजाय विधायक निधि व आंगनबाड़ी केंद्र के खाते से कर दी गयी थी तो त्रुटि ज्ञात होने पर नोट शीट पर आख्या प्रस्तुत की जानी चाहिए थी व सांसद निधि से विधायक निधि व आंगनबाड़ी केंद्र खातों की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए थी।इस प्रकार सांसद निधि खाता की बजाय विधायक निधि व आंगनबाड़ी/विविध खाता से कुल रु0 557177.00 वापिस कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है। सांसद निधि वापिस करने के संबंध मे जाँचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा मे तत्कालीन खंड विकास अधिकारी-श्री अश्वनी कुमार सोनकर व लेखाकार श्री मोहम्मद सब्बीर से उक्त समस्त धनराशि रु0 557177.00 की बसूली की जानी अपेक्षित रही। **(मूल आपत्ति सं0- 06)**

क्षेत्र पंचायत- सहार **वर्ष 2020-21**

प्रस्तर.24 वर्ष 2020-21 के दौरान विधायक निधि मद से रू0 242611.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक एवं अन्य सापेक्ष अभिलेख लेखा परीक्षा दौरान मागें जाने के बावजूद प्रस्तुत नही किये जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा।अपुष्ट धनराषि अपहरण है।अतः अपुष्ट एवं गबन की गई धनराषि रू0 242611.00 की वसूली उत्तरदायी तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-18)**

प्रस्तर.25 ग्रांट रजिस्टर-2 के अनुसार वित वर्षः 2019-20 मे संस्था के द्वारा राज्य वित मद से दि027.07.2019 को चैक न0 38528 द्वारा रु 51538.00 वाटरकूलर क्रय हेतु भुगतान दर्शाया गया है।उक्त व्यय को विना विभागीय स्वीकृति के किया जाना गंभीर अनियमितता है। साथ ही उक्त क्रय का प्रमाणक एवं स्टाक बुक आदि अन्य सापेक्ष अभिलेख लेखा परीक्षा दौरान मागे जाने के बावजूद प्रस्तुत नही किये जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। अपुष्ट धनराषि अपहरण है।अतः अपुष्ट धनराषि रू0 51538.00की वसूली उत्तरदायी खण्ड विकास अधिकारी श्री नित्यानन्द तिवारी तथा लेखाकार श्री रामदास प्रजापति से किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-19)**

जनपद - इटावा

परिशिष्ट 02

क्षेत्र पंचायत- बढ़पुरा

वर्ष- 2020-2021 से 2021-2022

प्रस्तर - 01. शासनादेश संख्या 152/36-2-10-46/2010 लखनऊ दिनांकित 15 सितम्बर 2010 के अनुसार लेबर सेस निर्माण कार्यों में व्ययित धनराशि का 1% काटकर "उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" के पक्ष में जमा किया जाना चाहिए। जिसे जमा न करके राजकीय राजस्व की छति कर गम्भीर अनियमितता की गई है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०	योजना का नाम	वर्ष	व्ययित धनराशि	1% लेबर सेस
1.	राज्य वित्त आयोग	2020-21	9506784.00	95067.84
2.	विधायक निधि योजना	2020-21	2227702.00	22277.02
3.	आंगनबाड़ी निर्माण केन्द्र	2020-21	956058.00	9560.58
4.	केन्द्रीय वित्त आयोग)टाइड(	2020-21	3058842.00	30588.42
5.	केन्द्रीय वित्त आयोग)अनटाइड(	2020-21	4483352.00	44833.52
योग			**20232738.00**	**202327.38**

उपरोक्त आँकड़ों के अनुसार वर्ष ,2020-21 में कराये गये निर्माण कार्यों का लेबर सेस **202327.38** होता है। जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी -श्री प्रशान्त कुमार सिंह (01/04/2020 से 21/08/2020 ,श्री अवधेश बहादुर सिंह (21/08/2020 से 30/09/2020 श्री शौकत अली 30/09/2020 से31/03/2021 एवं सहायक लेखाकार श्री संजय कुमार सक्सेना उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। मूल आपत्ति क्रमांक 02

प्रस्तर - 02. शासनादेश संख्या 52/36-2-10-46/2010 लखनऊ दिनांक 15 सितम्बर 2010 के अनुसार लेबर सेस निर्माण कार्यों में व्ययित धनराशि का 1% काटकर "उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" के पक्ष में जमा किया जाना चाहिए। जिसे जमा न करके राजकीय राजस्व कीक्षति कर गम्भीर अनियमितता की गई है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०	योजना का नाम	वर्ष	व्ययित धनराशि	1% लेबर सेस
1.	विधायक निधि योजना	2021-22	375250.00	3752.50
2.	आंगनबाड़ी	2021-22	440077.00	4400.77

	निर्माण केन्द्र			
योग			**815327.00**	**8153.27**

उपरोक्त आँकड़ों के अनुसार वर्ष ,2020-21 में कराये गये निर्माण कार्यों का लेबर सेस **8153.27**होता है। जिसके प्रति खण्ड विकास अधिकारी -शौकत अली 01/04/2021- से 02/11/2021 ,श्री प्रशान्त कुमार सिंह 02/11/2021- से 08/01/2022 श्री सूरज सिंह 01/2022 से 02/03/2022 एवं सहायक लेखाकार श्री संजय कुमार सक्सेना उत्तरदायी हैं। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। मूल आपत्ति क्रमांक 02

<u>क्षेत्र पंचायत-महेवा</u>

वर्ष- 2021-2022

प्रस्तर-3 **जी0 एस0 टी0 नियमानुसार न काटकर राजस्व की हानि पहुचाना।**

किसी ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 1% सी0 जी0 एस0 टी0एंव का 1% एस0 जी0 एस0 टी0 की कटौती नियोक्ता द्वारा की जायेगी। क्षेत्र पंचायत महेवा जनपद इटावा के वित्तीय बर्ष2021-22 में कराये गये निम्नलिखित निर्माण कार्यो पर जी0 एस0 टी0 की कटौती नही की गयी है।

निर्माण कार्य का नाम	कुल क्रय सामग्री	देय एसजीएसटी एवं सीजीएसटी 1%+1%=2%	देय एसजीएसटी एवं सीजीएसटी	अंतर
1- मनियामऊ में इ0ला0 रोड से शिवसेवक भारद्वाज के घर तक इ0 ला0 कार्य	501751	10035	&	10035
2- आनेपुर में दिनेश त्रिपाठी के घर से हरिश्चन्द्र के घर तक इ0 ला0 व नाली निर्माण	339186	6784	&	6784
3- फतेहपुरा में रामू के घर से राकेश के घर तक इ0 ला0	293234	5864	&	5864
4-वि0ख0 कार्यालय की मरम्मत एंवजीर्णोधार	433594	8672	&	8672
5-असाई में डामर रोड से रामस्वरूप के घर तक खरंजा	19+8433	3969	&	3969
6- असाई में डामर रोड से रामौतार के घर तक खरंजा	117802	2356	&	2356
योग	**1884000**	**37680**	**&**	**37680**

क्र0 सं0	आपत्तिसंख्या	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम व पद	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित धनराशि		
				अपहरण	दुरूपयोग	गम्भीर अनियमितता
1-		श्री सतीशचन्द्र पाण्डेय (बी0डी0ओ0)	जी.एस.टी. कटौती न करना	18840-00		
2-		श्रीशरद तिवारी (लेखाकार)	जी.एस.टी. कटौती न करना	18840-00		
	योग			**37680-00**		

मूल आपत्ति संख्या-09

प्रस्तर-4

कर्मकार कल्याण उपकर (लेवरसेस) की कटौती न किया जाना-

उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माणकर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियम) नियम 2009 के नियम संख्या 4(3) के अनुसार, ''ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत का 01 प्रतिशत धनराशि लेवरसेस के रूप में नियोक्ता द्वारा काटी जायेगी तथा समस्त समावेशी अनुबन्धों में लेवरसेस के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये। प्राविधानिककर्मकारउपकर का व्यय भार किसी भी दशा में संस्था द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।'' संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रू0 23092928.00 के (चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त आयोग से रू0 10050381.00, 15वें वित्त आयोग से रू0 11885281.00 विधायक निधि से रू0 1157266.00) निर्माण कार्य कराये गये हैं। किन्तु नियमानुसार किसी भी भुगतान से कार्य की लागत का 1 प्रतिशत कटौती न कर राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है, जिसकी बसूली निम्न विवरणानुसार खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीशचन्द्र पाण्डेय एवं लेखाकार श्रीशरद तिवारीसे किया जाना आवश्यक है। क्षतिपूर्ति अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र0 सं0	आपत्ति संख्या	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	पद नाम	सन्निहित धनराशि		
				अपहरण	दुरूपयोग	गम्भीर अनियमितता
1-		श्री सतीशचन्द्र पाण्डेय	खण्डविकास अधिकारी	115464-50	&	
2-		श्री शरद तिवारी	लेखाकार	115464-50	&	
	योग			**230929-00**	**&**	

मूल आपत्ति संख्या-10

क्षेत्र पंचायत-भरथना वर्ष 2017-18 से 2019-20

प्रस्तर-5 वर्ष **2017-18** में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंक रू॰ **81,974.00** का टी॰डी॰एस॰ कटौती की गयी है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू॰ **36,68556** की दर्शित है जिस पर **2.24** की दर से रू॰ **82175.00** टी॰डी॰एस॰ होता है इस प्रकार रू॰ **201.00** कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी ऐसे में न काटे गये आयकर की धनराशि के बराबर वसूली पेनाल्टी के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री अब्दुल वहाब व लेखाकर श्री हरि प्रकाश दुबे से लेखा वर्ष **2021** के जमा कराया जाना आपेक्षित है साथ ही काटे गये टी॰डी॰एस॰ अंकन रू॰ **81974.00** की जमा पुष्टि में इश्यू चैक नं॰/बैंक स्टेट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 वर्ष 2017-18 में सामग्री क्रय रू॰ 36,68,556.00 चार प्रतिशत की दर से कुल 146742.00 की वैट कटौती की जानी चाहिये जबकि वैट कटौती रू॰ 84769.00 की गयी है जिसमें रू॰ 61973.00 के राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी उपेक्षित है साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू॰ 61973.00 की प्रतिपूर्ति तातारीख ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री अब्दुल वहाब व लेखाकार श्री हरि प्रकाश दुबे से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7.वर्ष 2018-19 में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंक रू॰ 3,52,943.00 की टी॰डी॰एस॰ कटौती की गयी है और आलोच्य वर्ष में सामग्री क्रय रू॰ 157564418.00 की दर्शित है काटे गये टी॰डी॰एस॰ अंकन 352943.00 रू॰ की जमा पुष्टि में इश्यू चैक नं॰/बैंक स्टेट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही आपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 वर्ष **2018-19** में सामग्री क्रय रू॰ **15756418.00 4** प्रतिशत की दर से कुल रू॰ **6,30,256.00** की वैट कटौती की जानी चाहिए जबकि वर्ष में रू॰ शून्य कटौती की गयी है जिसमें रू॰ **6,30,256.00** के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी उपेक्षित है साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू॰ **6,30,256.00** की प्रतिपूर्ति तातारीख दण्डनीय ब्याज के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री हेम सिंह एंव श्री राजेश कुमार मिश्रा व लेखाकार श्री हरि प्रसाद दुबे एंव श्री धर्मेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-09 वर्ष **2019-20** में सामग्री प्रमाणकों के भुगतान के समय अंकन रू॰ **98545.00** की टी॰डी॰एस॰ कटौती की गयी और है और आलोच्य वर्ष में कुल सामग्री क्रय रू॰ **4691788.00** को दर्शाते हैं जिस पर **2.24** की दर से रू॰ **105096.00** टी॰डी॰एस॰ होता है इस प्रकार रू॰ **6551.00** कम कटौती कर राजस्व हानि की गयी ऐसे में न काटे गये टी॰डी॰एस॰ की धनराशि के बराबर वसूली पेनाल्टी के साथ तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार मिश्रा लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार एंव श्री अनिल कुमार से लेख वर्ष **2021** के जमा करया जाना अपेक्षित है

साथ ही काटे गये टी॰डी॰एस॰ रू॰ अंकन रू॰ **98545.00** की जमा पुष्टि में इश्यू चैक व बैंक स्टेट/चालान/दाखिल रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया क्षतिपूर्ति अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 वर्ष **2019-20** में सामग्री क्रम रू॰ **4691788.00 4** प्रतिशत की दर से कुल रू॰ **187671.52** की वैट कटौती की जानी चाहिये जबकि वर्ष में रू॰ शून्य कटौती की गयी है जिसपे रू॰ **187671.52** के राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी उपेक्षित है साथ ही राजस्व क्षति अंकन रू॰ **187671.52** की प्रतिपूर्ति तातारीख ब्याज के साथ तत्कालीन आहरणक्तिकरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार मिश्रा व लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार एंव श्री अनिल कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 अनुदान पंजिका द्वितीय के अनुसार दि॰ **31.03.2020** को बैंक खातों से अर्जित ब्याज की धनराशि रू॰ **959692.00** दर्शायी जा रही है। शासनादेश संख्या-ए-**1-122/**दान-**2012-10(33)/2010** दि॰ **21** मार्च **2012** के अनुसार सरकार द्वारा अवमुक्त अनुदान की धनराशि के बैंक में रखकर जो ब्याज अर्जित होगा वह ब्याज की धनराशि संस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी। और उसे राजकीय कोषागार में जमा करना होगा अतः **31.03.2020** को क्षेत्र पंचायत के पास ब्याज के रूप में शेष धनराशि रू॰ **959692.50** को राजकीय कोषागार में जमा कराने हेतु लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार एंव श्री अनिल व खण्ड वि॰ अधिकारी श्री राजेश कुमार मिश्रा का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं क्षतिपूर्ति अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद - फर्रूखाबाद

प्रारूप -3

जनपद - फर्रूखाबाद **मण्डल-कानपुर**

क्षेत्र पंचायत- कायमगंज

वर्ष-2021-22

प्रस्तर-1वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग के अनुदान से ग्राम पंचायत नरसिंहपुर में नन्दराम के घर से अशोक जोशी के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य प्रभारी श्री शशीदेव सिंह को नियुक्त किया गया है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर रू0- 816144.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर 129880.00 कुल रू0- 946024.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जॉच में निम्न आपत्तियां पायी गयी-

(1) उक्त आपूर्तीकर्ता फर्म से प्राप्त धरोहर की धनराशि रू0 - 14526.00 से संबंधित प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।

(2) मै0 महाकाल कांस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स कायमगंज को सामग्री आपूर्ती के लिए दिये गये आदेश में पत्रांक अंकित नहीं है।

(3) उक्त कार्य की पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाना दर्शित है जिनकी कुल मजदूरी का भुगतान रू0- 129880.00 कार्य प्रभारी श्री शशिदेव सिंह ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी को किया गया है। श्री शशिदेव सिंह को कार्य प्रभारी नियुक्त किये जाने से सम्बन्धित आदेश पत्रावली में संलग्न है किन्तु

आदेश पर पत्रांक अंकित नहीं है। प्रत्येक मजदूर का मनरेगा के अंतर्गत जॉव कार्ड बना हुआ है । अतः मजदूरी का मस्टर रोल प्राप्त होने पर भुगतान उनके खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया।
(4) निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।
(5) उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है जो अपेक्षित थी।
(6) उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य रू0-1000 की रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी जो अपेक्षित थी।
(7) उक्त पत्रावली में रू0- 100 मूल्य का स्टाम्प पेपर सादा लगा पाया गया । स्टाम्प पेपर पर अनुबंध की शर्तें लिखी ही नहीं गयीं है जो अपेक्षित है।
(8) उक्त पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों में दर्शित श्रमिकों की जॉव कार्ड संख्या अंकित नहीं की गयी है। जो अपेक्षित रही।
(9)पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों पर एम0 आर0 क्रमांक अंकित नहीं है। मस्टर रोलों पर एम0 आर0 क्रमांक अंकित किया जाना अपेक्षित रहा।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि सी0सी0 निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0-816144.00 का भुगतान एवं मजदूरी पर रू0-129880.00 का भुगतान अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी मो0 आरिफ एवं लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-2)

प्रस्तर-2वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग के अनुदान से ग्राम पंचायत कुँवरपुर खास में मुकेश की बैठक से नरायन की बैठक तक इण्टरलॉकिग एवं नाली निर्माण कार्य प्रभारी श्री शशीदेव सिंह को नियुक्त किया गया है। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर रू0- 817234.00 का भुगतान तथा मजदूरी पर 148920.00 कुल रू0- 966154.00 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की पत्रावली की जॉच में निम्न आपत्तियां पायी गयी-

(1) उक्त आपूर्तीकर्ता फर्म से प्राप्त धरोहर की धनराशि रू0 - 14779.00 से संबंधित प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।

(2) मै0 महाकाल कांस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स कायमगंज को सामग्री आपूर्ती के लिए दिये गये आदेश में पत्रांक अंकित नहीं है।

(3) उक्त कार्य की पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाना दर्शित है जिनकी कुल मजदूरी का भुगतान रू0- 148920.00 कार्य प्रभारी श्री शशिदेव सिंह ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी को किया गया है। श्री शशिदेव सिंह को कार्य प्रभारी नियुक्त किये जाने से सम्बन्धित आदेश पत्रावली में संलग्न है किन्तु आदेश पर पत्रांक अंकित नहीं है। प्रत्येक मजदूर का मनरेगा के अंतर्गत जॉव कार्ड बना हुआ है । अतः मजदूरी का मस्टर रोल प्राप्त होने पर भुगतान उनके खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया।

(4) निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(5) उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है जो अपेक्षित थी।

(6) उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य रू0-1000 की रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी जो अपेक्षित थी।

(7) उक्त पत्रावली में रू0- 100 मूल्य का स्टाम्प पेपर सादा लगा पाया गया । स्टाम्प पेपर पर अनुबंध की शर्तें लिखी ही नहीं गयीं है जो अपेक्षित है।

(8) उक्त पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों में दर्शित श्रमिकों की जॉव कार्ड संख्या अंकित नहीं की गयी है। जो अपेक्षित रही।

(9) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोलों पर एम0 आर0 क्रमांक अंकित नहीं है। मस्टर रोलों पर एम0 आर0 क्रमांक अंकित किया जाना अपेक्षित रहा।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि सी0सी0 निर्माण कार्य पर सामग्री पर रू0-817234.00 का भुगतान एवं मजदूरी पर रू0-148920.00 का भुगतान अनियमित रूप से व्यय दर्शाया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी मो0 आरिफ एवं लेखाकार श्री धर्मेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-3)

प्रस्तर-3आयकर अधिनियम-1961 (यथा संशोधित) की धारा 194सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो में किये गये भुगतानो के सम्बन्ध में स्रोत पर की गयी आयकर कटौती की धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही की अन्तिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किया जाना चाहिए था। वर्ष के प्रारम्भ में उक्त शीर्ष में रू0-अवशेष था। आलोच्य वर्ष में कुल रू 19556.000-की 315754.00 कटौती विभिन्न ठेकेदारों के बिलों से की गयी। इस प्रकार कुल रू0-को निर्धारित शीर्ष में जमा न 335310.00 कर अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारीश्री राहुल राय, श्री राजबहादुर,श्री निरंजन त्रिवेदी, मोहम्मद आरिफ एवं लेखाकर श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-4)

प्रस्तर-4 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये विभिन्न कार्यो में की गयी सामग्री आपूर्ति के विरूद्ध ठेकेदारों के बिलो से जी0एस0टी0 की धारा-51 के अनुसार 2% की दर से टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) मद में वर्ष दौरान कुल रू0-261076.00 की कटौती की गयी है किन्तु सम्बन्धित धनराशि निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राहुल राय, श्री राजबहादुर,श्री निरंजन त्रिवेदी, मोहम्मद आरिफ एवं लेखाकर श्री धर्मेन्द्र कुमार उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-5)

क्षेत्र पंचायत - कमालगंज

वर्ष 2021-22

प्रस्तर-5 वर्ष 2021-22 में बझेरा मलिक पट्टी में प्रा0 जू0 वि0 मार्ग से डा0 राम निवास के दरवाजे तक सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य कराया गया है। जिस पर रू0 886216.00 व्यय किया गया जिसमें निम्नलिखित आपत्तियां पायी गई-

(1) प्रा0 जू0 मार्ग से डा0 राम निवास के दरवाजे तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य की अनुमानित लागत रू0-9.90 लाख है। शासनादेश संख्या 1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार 5 लाख रू0 की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारित/बहुप्रचलित हो में टेण्डर प्रकाशित होना चाहिए किन्तु पत्रावली में टेण्डर प्रकाशन आदेश प्रकाशित टेण्डर की मूल प्रति अथवा छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गया। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्रावधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया सम्पादित की गयीं जो कि आपत्तिजनक है।

(2) खण्ड विकास अधिकारी कमालगंज फर्रूखाबाद के द्वारा जारी नियम व शर्तों पर न तो खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर है न ही निविदा दाता के हस्ताक्षर है। जिससे स्पष्ट है कि निविदा दाताओं को अनुबन्ध की शर्तों से बिना अवगत कराए ही उनकी निविदा स्वीकार कर ली गयी। ऐसी स्थिति में कार्य

को कराए जाने की शर्तों का सम्बन्धित निविदा कर्ता/ आपूर्तिकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर उनके विरूद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार नियमों का ध्यान नहीं रखा गया जो शासन/सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।।

(3) सामग्री आपूर्ति हेतु मैसर्स प्रेरणा बिल्डर्स, शास्त्री नगर कमालगंज, की निविदा स्वीकृत हुई है किन्तु सामग्री आपूर्ती हेतु संलग्न रू0 - 100 के स्टाम्प पेपर सं0 पर न तो अनुबन्ध की शर्तें ही अंकित है और न ही अनुबन्ध कर्ताओं के नाम व हस्ताक्षर ही है। जबकि वित्तिय हस्तपुस्तिका वाल्यूम-5 भाग (1) के परिशिष्ट (19) नियम-21 (2)(3) के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य कराया गया है जो आपत्तिजनक है।

(4) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, कमालगंज के पत्रांक- 1972 / लेखा- राज्य वित्त/के0 वित्त / निविदा प्रकाशन 2021-22 दिनांक 07.10.2021 के द्वारा निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना के अनुसार जमानत धनराशि रू0-148000/- निर्धारित की गई है किन्तु किसी फर्म से जमानत धनराशि जमा नहीं कराई गई । इस प्रकार जमानत धनराशि जमा कराए बिना निविदा स्वीकृत किया जाना अनियमित है।

(5) उक्त कार्य की पत्रावली में निम्न बिल संलग्न है-बिल सं0 68 दिनांक 06.01.20222 धनराशि रू0-194023/- एवं बिल सं0 64 दिनांक 23.11.2021 धनराशि रू0- 551313 किन्तु PFMS की बिल नही है और न ही खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख के हस्ताक्षर है।

(6) मनरेगा के लिए धनराशि रू0-140880/-का भुगतान किया गया है। लेकिन मास्टर रोल पर खण्ड विकास अधिकारी के और ब्लाक प्रमुख के हस्ताक्षर नही है।

(7) श्री विनोद कुमार को कार्यप्रभारी नियुक्त किए जाने से सम्बन्धित आदेश पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया है।

अतः उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रू0-886216.00 अनियमित है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक आर्या व लेखाकार श्री शिव किशोर रावत उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-2)

प्रस्तर-6वर्ष 2021-22 में विकास खण्ड कमालगंज कार्यालय की छत मरम्त पत्रावली की जाँच में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गई-

(1) निर्माण कार्य पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है जो कि अनियमित है।

(2) पत्रावली में संलग्न संबंधित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध की शर्तों का उल्लेख नहीं है जोकि अनियमित है।

(3) उक्त कार्य के बिल सं0 -03 दिनांक 23.11.2021 को धनराशि रू0- 153218.80 की सामग्री क्रय की गयी किन्तु इसके सापेक्ष मस्टर रोल पर दिनांक 11.01.2022 से 18.01.2022 अंकित है अतः सामग्री क्रय की दिनांक एवं कार्य प्रारम्भ के दिनांक में इतना अधिक अन्तराल आपत्तिजनक है।

(4) उक्त कार्य के बिल सं0 08 दिनांक 14.01.2022 धनराशि रू0-13611.00 बिल पर खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये एवं बिल के सापेक्ष मास्टर रोल अनुपलब्ध रहा जिससे स्पष्ट होता है कि भौतिक रूप से कार्य कराया ही नहीं गया एवं भुगतान की धनराशि रू0 -13611.00 का अपहरण कर लिया गया। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आलोक आर्या व लेखाकार श्री शिव किशोर रावत उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध कुल धनराशि रू0 166829.80 की वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति सं0-3)

प्रस्तर-7 वर्ष 2021-22 भटपुरा में पुलिया के पास से नरेश के घर तक नाला निर्माण कार्य की पत्रावली की जाँच में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी -

(1) कार्य की अनुमानित लागत रू0 7.74 लाख है। शासनादेश संख्या-1653/33-3-2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार 5 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार - पत्र बहुप्रसारित/ बहुप्रचलित हो में टेण्डर प्रकाशित होना चाहिए किन्तु पत्रावली में टेण्डर प्रकाशन आदेश, प्रकाशित टेण्डर की मूल प्रति अथवा छाया प्रति संलग्न नही पायी गयी। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्रावधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिय सम्पादित की गयी जो कि आपत्तिजनक है।

(2) खण्ड विकास अधिकारी कमालगंज फर्रूखाबाद के द्वारा जारी नियम व शर्तों पर न तो खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर है न ही निविदा दाता के हस्ताक्षर है। जिससे स्पष्ट है कि निविदा दाताओं को अनुबन्ध की शर्तों से बिना अवगत कराए ही उनकी निविदा स्वीकार कर ली गयी। ऐसी स्थिति में कार्य को कराए जाने की शर्तों का सम्बन्धित निविदा कर्ता/ आपूर्तिकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर उनके विरूद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार नियमों का ध्यान नहीं रखा गया जो शासन/सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

(3) सामग्री आपूर्ति हेतु रू0 - 100 के स्टाम्प पेपर सं0 पर न तो अनुबन्ध की शर्तें ही अंकित है और न ही अनुबन्ध कर्ताओं के नाम व हस्ताक्षर ही है। जबकि वित्तिय हस्तपुस्तिका वाल्यूम-5 भाग (1) के परिशिष्ट (19) नियम-21 (2)(3) के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य कराया गया है जो आपत्तिजनक है।

(4) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के सापेक्ष कार्यप्रभारी श्री आलोक दूबे (ग्राम विकास अधिकारी) को रू0-140387.00 का भुगतान किया गया है। चूंकि वर्तामान में श्रमिकों का जाँव कार्ड बना हुआ है। एवं उनके प्रथक से खाते भी खुले हुए है। अतः नियमानुसार भुगतान सीधे श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न करके गम्भीर अनियमितता की गयी है।

(5) मस्टर रोल में दिनांक 17.02.2021 से 06.03.2021 में क्रम संख्या 14 व क्रम संख्या 15 में पांच कार्य दिवस दिखाए गए है लेकिन भुगतान 4 दिवस के हिसाब से किया गया है। 2 दिन का कम भुगतान मजदूरों को किया जाना अनियमतता को दर्शाता है।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि व्यय की गई रू- 140387.00 का भुगतान अनियमित है जिससे लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी आलोक आर्या एवं लेखाकार किशोर रावत उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-4)

प्रस्तर-8 वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत रजीपुर में फतेहगढ़ गुरसहाय गंज मार्ग से सहकारी समिति होकर जू0 हा0 तक सी0सी0 व नाली निर्माण की पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां पायी गयी-

(1) उपरोक्त कार्य में सामग्री के बिल का भुगतान की तिथि 24.09.2021 है जबकि मस्टर रोल में कार्य के कराए जाने की तिथि 11.09.2021 से 22.09.2021 है। जो कि आपत्तिजनक है। ऐसा कैसे सम्भव है कि कार्य को पहले करा लिया गया लेकिन सामग्री का भुगतान बाद में हुआ इसके साथा ही सामग्री क्रय के बिल पर विकास खंड अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं पाये गए । इस प्रकार सामग्री रू0 265679.00 एवं रू0 43868.00 कुल रू0 309547.00 का भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है।

(2) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, कमालगंज के पत्रांक- लेखा व राज्य वित्त/ के0 वित्त/ टेण्डर प्रकाशन/2021-22 दिनांक 15.07.2021 द्वारा निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना के

अनुसार जमानत धनराशि रू0- 7000.00 है किन्तु किसी भी फर्म से जमानत धनराशि जमा नहीं करायी गयी। इस प्रकार जमानत धनराशि जमा कराये बिना निविदा स्वीकृत किया जाना अनियमित है।अतः उक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रू0 309547.00 अनियमिति है। जिसके लिए कर्मचारी के साथ साथ खण्ड विकास अधिकारी आलोक आर्या एवं लेखाकार किशोर रावत उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाहीअपेक्षितहै।

(मूल आपत्ति सं0-5)

प्रस्तर-9 वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत अमयपुर में शुभिदयाल के घर से कन्या प्रा0 वि0 तक खण्डजा निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां-

(1) उक्त कार्य की पत्रावली में निम्न बिल संलग्न है-बिल सं0 41 दिनांक 02.09.2021 धनराशि रू0-141036/- भुगगतान किया । उक्त बिल पर खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं पाये गये है। जो कि आपत्तिजनक है।

(2) उक्त कार्य के लिए बने स्टीमेंट में लेबर कास्ट रू0 - 59253.75 निर्धारित की गयी है। लेकिन पत्रावली में किसी तरह का मस्टर रोल नहीं लगा है। और न ही एम.बी में लेवर कास्ट का उल्लेख है उक्त कार्य की जे0ई0 द्वारा तैयार की गई एम.बी. में भी लेखाकार का उल्लेख नहीं है इससे स्पष्ट है कि धनराशि 200289.75 बिना श्रमिको के कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है इस प्रकार उक्त कार्य न कराकर निर्माण कार्य पर कुल व्यय 200289.75 का अपहरण किया गया जिसके लिए कार्य प्रभारी श्री निरंजन त्रिवेदी बी0डी0ओ0 व लेखाकार उत्तर दायी है।

(3) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, कमालगंज के पत्रांक- 1972 / लेखा- राज्य वित्त/के0 वित्त / निविदा प्रकाशन 2021-22 दिनांक 07.10.2021 के द्वारा निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना के अनुसार जमानत धनराशि रू0-4500/- निर्धारित की गई है किन्तु किसी फर्म से जमानत धनराशि जमा नहीं कराई गई । इस प्रकार जमानत धनराशि जमा कराए बिना निविदा स्वीकृत किया जाना अनियमित है।

(4) उक्त निर्माण कार्य पत्रावली मे कार्य प्रारम्भ, मध्य एवं कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है।

(5) उक्त कार्य की पत्रावली की जाँच मे पाया गया है कि निरंजन त्रिवेदी को कार्य प्रभारी बनाने का आदेश संलग्न नहीं है।

(6) उक्त निर्माण कार्य पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है जो कि अनियमित है।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा परिलक्षित होता है कि व्यय की गई रू- 200289.75 का भुगतान अनियमित है जिससे लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी आलोक आर्या एवं लेखाकार किशोर रावत उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-11)

प्रस्तर-10वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत निनौरा श्रृंखलापुर में प्रा0 वि0 सिगुरापुर में मुख्य मार्ग तक सी0सी0 निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां-

(1) खंड विकास अधिकारी कमालगंज फर्रूखाबाद के द्वारा जारी नियम व शर्तों पर खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर है लेकिन निविदादाता के कोई हस्ताक्षर नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि निविदा दाताओं को अनुबन्ध की शर्तों से बिना अवगत कराए ही उनकी निविदा स्वीकार कर ली गई। ऐसी स्थिति में कार्य को कराए जाने की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर उनके विरूद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा

सकेगी। इस प्रकार नियमों का ध्यान नहीं रखा गया जिस प्रति खंड विकास अधिकारी एवं लेखाकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(2) आलोक कुमार दुबे ग्राम पंचायत अधिकारी को कार्य प्रभारी नियुक्त किए जाने से सम्बन्धित आदेश पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।

(3) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के सापेक्ष कार्य प्रभारी श्री आलोक कुमार दुबे को 140387/- का भुगतान किया गया। चूंकि वर्तमान में श्रीमिकों का जॉव कार्ड बना हुआ है एवं उनके पृथक खाते भी खुले हुए है। अतः नियमानुसार भुगतान सीधे श्रमिको के खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई ।

(4) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी कमालगंज टेण्डर प्रकाशन आदेश वर्ष 2021-22 में कार्य के नाम का कोई उल्लेख नही है जिससे फर्म को कितनी जमानत धनराशि जमा करनी थी विदित नहीं होता अतः किसी भी फर्म से जमानत धनराशि जमा कराए बिना निविदा स्वीकृत किया जाना अनियमित है।

(5) कार्य के प्रारम्भ होने के पूर्व, मध्य व अन्त की फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय 104327/- अनियमित है जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी आलोक आर्या एवं लेखाकार किशोर रावत उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं0-12)

प्रस्तर-11वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत डूंगरपुर में नेकसे के मकान से श्रीनिवास जाटव के घर तक नाला निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां-

(1) नियमानुसार कार्य के प्रारम्भ व समाप्ति दोनों की फोटो पत्रावली में संलग्न होनी चाहिए थी लेकिन पत्रावली में कोई भी फोटो संलग्न नहीं है जो नियमों का स्पष्ट उल्लघंन है।

(2) कार्या की अनुमानित लागत 9.00 लाख है । शासनादेश सं0 1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2020 के अनुसार रू0 5.00 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रचारित व बहुप्रचलित हो में टेण्डर प्रकाशित होना चाहिए किन्तु पत्रावली में टेण्डर प्रकाशन आदेश, प्रकाशित टेण्डर की मूल प्रति अथवा छाया प्रति संलग्न नही है। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जोकि आपत्तिजनक है।

(3) खण्ड विकास अधिकारी कमालगंज फर्रूखाबाद के द्वारा जारी नियम व शर्तों पर न तो खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर है न ही निविदा दाता के हस्ताक्षर है। जिससे स्पष्ट है कि निविदा दाताओं को अनुबन्ध की शर्तों से बिना अवगत कराए ही उनकी निविदा स्वीकार कर ली गयी। ऐसी स्थिति में कार्य को कराए जाने की शर्तों का सम्बन्धित निविदा कर्ता/ आपूर्तिकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर उनके विरूद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार नियमों का ध्यान नहीं रखा गया जो शासन/सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।

(4) श्री निरंजन त्रिवेदी को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया सम्बन्धित आदेश पत्रालवी में संलग्न नहीं पाया गया ।

(5) पत्रावली में संलग्न संबंधित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध की शर्तों का उल्लेख नहीं है जोकि अनियमित है।

(6) उपरोक्त कार्य के लिए निरंजन त्रिवेदी व आलोक कुमार दुबे दोनो को कार्य प्रभारी बनाया गया है। मस्टर रोल की धनराशि 156004.00 को आलोक कुमार दुबे के खाते में हस्तान्तरित किया गया है।लेकिन नियमानुसार श्रमिकों का जॉव कार्ड बना हुआ है एवं उनके पृथक से खाते भी खुले हुए है। भुगतान सीधे श्रमिकों के खाते में किया जाना चाहिए । श्रमिकों के खाते के माध्यम से भुगतान न किया जाना तथा

श्रमिकों को नगद भुगतान से सम्बन्धित कोई प्रमाण पत्रावली में संलग्न नहीं है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी आलोक आर्या एवं लेखाकार किशोर रावत उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध धनराशि रू0 156004.00 की वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।(मूल आपत्ति सं0-13)

प्रस्तर-12वर्ष 2021-22में ग्राम पंचायत चैसेपुर के मुख्य मार्ग से विजय के घर तक खण्डजा निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में निम्न आपत्तियां-

(1) नियमानुसार कार्य के प्रारम्भ व समाप्ति दोनों की फोटो पत्रावली में संलग्न होनी चाहिए थी लेकिन पत्रावली में कोई भी फोटो संलग्न नहीं है जो नियमों का स्पष्ट उल्लघंन है

एम.बी.में लेवर कास्ट 97200.00 का विवरण है लेकिन मस्टर रोल पत्रावली में संलग्न नहीं जिससे खण्डजा निर्माण में लगे श्रमिकों की पुष्टि नहीं होती है। मात्र एम. बी. में जे0ई0 द्वारा लेवर काष्ट अंकित करने से कार्य की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती निर्माण कार्य में कुल व्यय रू0 97200+96384=193584.00 का अपहरण किया गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी आलोक आर्या, जे.ई. व लेखाकार श्री शिव किशोर रावत उत्तदायी है।

(2) खण्ड विकास अधिकारी कमालगंज फर्रूखाबाद के द्वारा जारी नियम व शर्तों पर न तो खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर है न ही निविदा दाता के हस्ताक्षर है। जिससे स्पष्ट है कि निविदा दाताओं को अनुबन्ध की शर्तों से बिना अवगत कराए ही उनकी निविदा स्वीकार कर ली गयी। ऐसी स्थिति में कार्य को कराए जाने की शर्तों का सम्बन्धित निविदा कर्ता/ आपूर्तिकर्ता द्वारा शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर उनके विरूद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार नियमों का ध्यान नहीं रखा गया जो शासन/सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।
(3) बिल सं0 48 में 96384.00 का भुगतान दर्शित है लेकिन पर खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। जो कि आपत्तिजनक है।
(4) निर्माण कार्य पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है जो कि अनियमित है।
(5) पत्रावली में संलग्न संबंधित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध की शर्तों का उल्लेख नहीं है जोकि अनियमित है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रू-193584.00 अनियमित है। इस धनराशि में रू0 97200.00 अपहरण के अन्तर्गत आते हैं तथा शेष धनराशि 96384.00 की आर्थिक अनियमितता हुई है। अतः रू0 97200.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी आलोक आर्या एवं लेखाकार श्री शिव किशोर रावत से की जानी अपेक्षित है एवं आर्थिक अनियमितता की धनराशि हेतु उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0-14)

क्षेत्र पंचायत - मोहम्मदाबाद

वर्ष 2021-22

प्रस्तर-13वर्ष 2020-21 के अनुदान रजिस्टर (III) के अनुसार दिनांक31.03.2021को अन्तिम अवशेष रू0-27843894.00 था जबकि वर्ष 2021-22 के प्रारम्भ में अप्रैल-2021 को प्रारम्भिक शेष कुल रू0-27463746.43 ही दर्शाया गया है इस प्रकार रू0-380147.57 से प्रारम्भिक अवशेष कम दर्शाया गया है। जिसका मदवार विवरण निम्नवत् हैः-

शीर्ष जिनको वर्ष 2021-22 के प्रारम्भिक शेष में नहीं दर्शाया गयाः-

क्र0 सं0	मद का विवरण	31.03.2021 को दर्शित अन्तिम शेष	01.04.2021 को दर्शित प्रारम्भिक शेष	अन्तर
1	बायोगैस संयंत्र	13300.00	0.00	13300.00

	अनुदान			
2	धूम्र रहित चूल्हा	3859.00	0.00	3859.00
3	इंदिरा आवास योजना शौचालय	68518.00	0.00	68518.00
4	राष्ट्रीय एकीकरण गोष्टी	1000.00	0.00	1000.00
5	राष्ट्रीय पेयजल योजना	7942.00	0.00	7942.00
6	सोशल ऑडिट मानदेय	500.00	0.00	500.00
7	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	68720.00	0.00	68720.00
8	ब्याज	3281918.00	0.00	3281918.00
9	प्रासंगिक मद	(-)7790.00	0.00	(-)7790.00
	योग	3437967.00	0.00	3437967.00

शीर्ष जिनमें गतवर्ष के अन्तिम अवशेष एवं वर्ष 2021-22 के प्रारम्भिक शेष में दर्शित अवशेष में निम्नवत् अन्तर पाये गये-

क्र0 सं0	मद का विवरण	31.03.2021 को दर्शित अन्तिम शेष	01.04.2021 को दर्शित प्रारम्भिक शेष	अन्तर
1	विधायक निधि	1368627.00	1946116.00	(-) 577489.00
2	जी0एस0टी0 कटौती	103689.00	0.00	103689.00
3	आयकर कटौती	529551.00	594367.00	(-) 64816.00
4	केंद्रीय वित्त	16473386.00	16660840.00	(-) 187454.00
	राज्य वित्त	5930674.00	8262423.43	(-)2331749.43
	योग	24405927.00	27463746.43	(-) 3057819.43

दिनांक 01.04.2021 को दर्शित अवशेष - 27463746.43
शीर्ष जो प्रारम्भिक शेष में नहीं दर्शाये गयें - 3437967.00
योग - 30901713.43
दर्शित प्रारम्भिक अवशेष में भिन्नता - (-) 3057819.43
दिनांक 31.03.2021 को दर्शित अवशेष - 27843894.00

इस प्रकार अनियमित रूप से कतिपय शीर्षो के गतवर्ष के अन्तिम अवशेष को वर्ष 2021-22 के प्रारम्भिक अवशेष में नहीं दर्शाया गया है अथवा कतिपय शीर्षो में गतवर्ष के अन्तिम अवशेष एवं वर्ष 2021-22 के प्रारम्भिक अवशेष में भिन्नता की गयी एवं इसकी पुष्टि में कोई संतोषजनक उत्तर लेखा परीक्षा दौरान नहीं दिया गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री राजबहादुर एवं लेखाकार श्री शिव किशोर रावत उत्तरदायी है। धनराशि रू0 38147.57 की आर्थिक अनियमितता के लिए उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।मू0आ0सं0-08)

प्रस्तर-14वर्ष 2021-22 में ग्रामपंचायत रसूलपुर में मेनरोड से फूल सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जॉच में निम्न कमियां पायी गयीः-

(1) तकनीकी स्वीकृति पर अधिशासी अभियंता के हस्ताक्षर हैं किंतु दिनांक अंकित नहीं है।

(2) श्री अनुपम बाजपेई को कार्यप्रभारी नियुक्त किया गया है किंतु संबंधित आदेश पर पत्रांक एवं दिनांक अंकित नहीं है ।

(3) क्षेत्र पंचायत की वार्षिक कार्य योजना पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गई जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि उपरोक्त कार्य वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित है या नहीं ।

(4) निविदा आमंत्रण से संबंधित पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया । पत्रावली में संलग्न तुलनात्मक चार्ट के अनुसार तीन फार्मो से टेंडर आमंत्रित किए गए किंतु किसी भी फर्म से निविदा मूल्य रुपए 1000प्रतिनिविदा के हिसाब से जमा नहीं कराया गया।

(5) पत्रावली में संलग्न विवरण अनुसार मे 0महाराज जी कंस्ट्रक्शन , मे 0 जलधारा देवी एवं मे 0 बलराम सिंह ठेकेदार ग्वालटोली फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के टेंडर खोले गए किंतु अनुबंध के नियम एवं शर्तों के क्रमांक 13 के अनुपालन में दो प्रतिशत धरोहर धनराशि किसी भी निविदा दाता से जमा नहीं कराई गई । इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि के जमा कराए निविदा स्वीकृत किया जाना अनियमित रहा ।

(6) पत्रावली में संलग्न अनुबंध के नियम एवं शर्तों के क्रमांक 8 के अनुपालन में निविदा दाता द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया है कि उसके सगे संबंधी या नजदीकी रिश्तेदार खंड विकास कार्यालय मोहम्मदाबाद में कार्यरत नहीं है।

(7) मेसर्स बलराम सिंह कॉन्टैक्टर के सामग्री आपूर्ति आदेश पर कार्यालय खंड विकास अधिकारी मोहम्मदाबाद के आदेश कापत्रांक व दिनांक अंकित नहीं है।

(8) श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान कुल रुपए 104200.00 सीधे श्रमिकों के खातों में ना कर कार्य प्रभारी श्री अनुपम बाजपेई को किया गया है चूंकि वर्तमान में श्रमिकों के जॉब कार्ड बने हुए हैं एवं उनका पृथक खाता भी खुला हुआ है अतः श्रमिकों के खाते में ही भुगतान न कर अनुपम बाजपेई को भुगतान किया जाना अनियमित रहा ।संबंधित मस्टरोल पर माह एवं वर्ष भी अंकित नहीं है।

(9) कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पर अवर अभियंता के हस्ताक्षर हैं किंतु नाम अंकित नहीं है। कार्य प्रभारी तथा खंड विकास अधिकारी के ना तो नामहीएवं ना ही हस्ताक्षर ही अंकित है।

(10) ठेकेदार को किए गए भुगतान से 2% जीएसटी की कटौती तो की गई है कि किंतु इसे नियमानुसार निर्धारित शीर्श में जमा नहीं किया गया ।जी0एस0टी0 की धारा 51(2) के अनुसार जिस माह मे कटौती की गयी है उसके अगले माह की 10 तारीख तक उक्त धनराशि को सरकार को भुगतान करने का दायित्व कटौती कर्ता का है किन्तु सम्बन्धित धनराशि निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं की गयी है।

(11) ग्रामपंचायत रसूलपुर में मेनरोड से फूल सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य कराया गया है जबकि शासनादेश सं0-8307/33-2-2004-

93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश सं0-5/866/33- 2-14-93जी/2004 टी0सी0 पंचायती राज अनुभाग दिनांक 24.06.2014 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि "क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों मे प्राप्त होती है उससेदो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराया जाय।" इस प्रकार मार्गदर्शी सिद्धान्त का अतिक्रमण कर अनियमित रूप से व्यय किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रू0-649344.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रीप्रकाश उपाध्याय एवं लेखाकार श्री शिवकिशोर रावत उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-09)

प्रस्तर-15 वर्ष 2021-22 में नकटपुर में छकूलाल के घर से सामुदायिक शौचालय तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जॉच में निम्न कमियां पायी गयीः-

(1) तकनीकी स्वीकृति पर अधिशासी अभियंता के हस्ताक्षर हैं किंतु दिनांक अंकित नहीं है।

(2) श्री अनुपम बाजपेई को कार्यप्रभारी नियुक्त किया गया है किंतु संबंधित आदेश पर पत्रांक एवं दिनांक अंकित नहीं है ।

(3) पत्रावली में संलग्न तुलनात्मक विवरण में कार्य का नाम ही अंकित नहीं है ।

(4) निविदा आमंत्रण से संबंधित पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया । पत्रावली में संलग्न तुलनात्मक चार्ट के अनुसार तीन फार्मो से टेंडर आमंत्रित किए गए किंतु किसी भी फर्म से निविदा मूल्य रुपए 1000 प्रतिनिविदा के हिसाब से जमा नहीं कराया गया।

(5) पत्रावली में संलग्न विवरण अनुसार मे 0महाराज जी कंस्ट्रक्शन , मे 0 जलधारा देवी एवं मे 0 बलराम सिंह ठेकेदार ग्वालटोली फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के टेंडर खोले गए किंतु अनुबंध के नियम एवं शर्तों के क्रमांक 13 के अनुपालन में दो प्रतिशत धरोहर धनराशिरुपए 14500.00 किसी भी निविदा दाता से जमा नहीं कराई गई । इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि के जमा कराए निविदा स्वीकृत किया जाना अनियमित रहा ।

(6) पत्रावली में संलग्न अनुबंध के नियम एवं शर्तों के क्रमांक 8 के अनुपालन में निविदा दाता द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया है कि उसके सगे संबंधी या नजदीकी रिश्तेदार खंड विकास कार्यालय मोहम्मदाबाद में कार्यरत नहीं है।

(7) मेसर्स बलराम सिंह कॉन्टैक्टर के सामग्री आपूर्ति आदेश पर कार्यालय खंड विकास अधिकारी मोहम्मदाबाद के आदेश कापत्रांक व दिनांक अंकित नहीं है।

(8) संलग्न मास्टर रोल में श्रमिकों की मजदूरी से संबंधित धनराशि कुल रुपए 147650.00 को श्रमिकों के खातों में हस्तांतरित करने की सूची तो संलग्न है किंतु उसमें श्रमिकों की खाता संख्या अंकित नहीं है साथ ही संबंधित बैंक एडवाइस भी संलग्न नहीं पाई गई।

(9) कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

(10) ठेकेदार को किए गए भुगतान से 2% जीएसटी की कटौती तो की गई है कि किंतु इसे नियमानुसार निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं किया गया ।जी0एस0टी0 की धारा 51(2) के अनुसार जिस माह मे कटौती की गयी है उसके अगले माह की 10 तारीख तक उक्त धनराशि को सरकार को भुगतान करने का दायित्व कटौती कर्ता का है किन्तु सम्बन्धित धनराशि निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं की गयी है।

(11) मेसर्स बलराम सिंह ठेकेदार के द्वारा दो बिल प्रस्तुत किए गए जो क्रमशः मूल्य 483400.00 एवं 286402.00के थे किंतु किसी भी बिल पर तिथि अंकित नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रू0-917452.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीगोपीनाथ पाठक, श्री श्रीप्रकाश उपाध्याय एवं लेखाकार श्री शिवकिशोर रावत उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-10)

प्रस्तर-16वर्ष 2021-22 में ग्रामपंचायतधीरपुर में रामनारायण के घर से संजू सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जॉच में निम्न कमियां पायी गयीः-

(1) तकनीकी स्वीकृति पर अधिशासी अभियंता के हस्ताक्षर हैं किंतु दिनांक अंकित नहीं है।

(2) श्री अनुपम बाजपेई को कार्यप्रभारी नियुक्त किया गया है किंतु संबंधित आदेश पर पत्रांक एवं दिनांक अंकित नहीं है ।

(3) क्षेत्र पंचायत की वार्षिक कार्य योजना पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गई जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि उपरोक्त कार्य वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित है या नहीं ।

(4) निविदा आमंत्रण से संबंधित पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया । पत्रावली में संलग्न तुलनात्मक चार्ट के अनुसार तीन फार्मो से टेंडर आमंत्रित किए गए किंतु किसी भी फर्म से निविदा मूल्य रुपए 1000प्रतिनिविदा के हिसाब से जमा नहीं कराया गया।

(5) पत्रावली में संलग्न विवरण अनुसार मे0महाराज जी कंस्ट्रक्शन , मे0 जलधारा देवी एवं मे0 बलराम सिंह ठेकेदार ग्वालटोली फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के टेंडर खोले गए किंतु अनुबंध के नियम एवं शर्तों के क्रमांक 13 के अनुपालन में दो प्रतिशत धरोहर धनराशिरुपए 14300.00 किसी भी निविदा दाता से जमा नहीं कराई गई । इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि के जमा कराए निविदा स्वीकृत किया जाना अनियमित रहा ।

(6) पत्रावली में संलग्न अनुबंध के नियम एवं शर्तों के क्रमांक 8 के अनुपालन में निविदा दाता द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया है कि उसके सगे संबंधी या नजदीकी रिश्तेदार खंड विकास कार्यालय मोहम्मदाबाद में कार्यरत नहीं है।

(7) मेसर्स बलराम सिंह कॉन्टैक्टर के सामग्री आपूर्ति आदेश पर कार्यालय खंड विकास अधिकारी मोहम्मदाबाद के आदेश कापत्रांक व दिनांक अंकित नहीं है।

(8) श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान कुल रुपए- 129410.00 सीधे श्रमिकों के खातों में ना कर कार्य प्रभारी श्री अनुपम बाजपेई को किया गया है चूंकि वर्तमान में श्रमिकों के जॉब कार्ड बने हुए हैं एवं उनका पृथक खाता भी खुला हुआ है अतः श्रमिकों के खाते में ही भुगतान न कर अनुपम बाजपेई को भुगतान किया जाना अनियमित रहा ।संबंधित मस्टरोल पर माह एवं वर्ष भी अंकित नहीं है।

(9) कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पर अवर अभियंता के हस्ताक्षर हैं किंतु नाम अंकित नहीं है। कार्य प्रभारी तथा खंड विकास अधिकारी के ना तो नामहीएवं ना ही हस्ताक्षर ही अंकित है।

(10) ठेकेदार को किए गए भुगतान से % 2जीएसटी की कटौती तो की गई है कि किंतु इसे नियमानुसार निर्धारित शीर्श में जमा नहीं किया गया ।जी0एस0टी0 की धारा 51(2) के अनुसार जिस माह मे कटौती की गयी है उसके अगले माह की 10 तारीख तक उक्त धनराशि को सरकार को भुगतान करने का दायित्व कटौती कर्ता का है किन्तु सम्बन्धित धनराशि निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं की गयी है।

(11) ग्रामपंचायतधीरपुर में रामनारायण के घर से संजू सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य कराया गया है जबकि शासनादेश सं0-8307/33-2-2004-

93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश सं0-5/866/33- 2-14-93जी/2004 टी0सी0 पंचायती राज अनुभाग दिनांक 24.06.2014 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि "क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों मे प्राप्त होती है उससेदो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराया जाय।" इस प्रकार मार्गदर्शी सिद्धान्त का अतिक्रमण कर अनियमित रूप से व्यय किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रू0-942200.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सतीश चंद्र मिश्रा एवं लेखाकार श्री शिवकिशोर रावत उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-11)

प्रस्तर-17 वर्ष 2021-22 में ग्रामपंचायत कसमापुर में मेन रोड से रामकिशन भुर्जी के घर होते हुए बबलू के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जॉच में निम्न कमियां पायी गयीः-

(1) तकनीकी स्वीकृति पर अधिशासी अभियंता के हस्ताक्षर हैं किंतु दिनांक अंकित नहीं है।

(2) श्री अनुपम बाजपेई को कार्यप्रभारी नियुक्त किया गया है किंतु संबंधित आदेश पर पत्रांक एवं दिनांक अंकित नहीं है ।

(3) क्षेत्र पंचायत की वार्षिक कार्य योजना पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गई जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि उपरोक्त कार्य वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित है या नहीं ।

(4) निविदा आमंत्रण से संबंधित पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया । पत्रावली में संलग्न तुलनात्मक चार्ट के अनुसार तीन फार्मो से टेंडर आमंत्रित किए गए किंतु किसी भी फर्म से निविदा मूल्य रुपए 1000 प्रतिनिविदा के हिसाब से जमा नहीं कराया गया।

(5) पत्रावली में संलग्न विवरण अनुसार मे 0महाराज जी कंस्ट्रक्शन , मे0 जलधारा देवी एवं मे0 बलराम सिंह ठेकेदार ग्वालटोली फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के टेंडर खोले गए किंतु अनुबंध के नियम एवं शर्तों के क्रमांक 13 के अनुपालन में दो प्रतिशत धरोहर धनराशिरुपए 13200.00 किसी भी निविदा दाता से जमा नहीं कराई गई। इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि के जमा कराए निविदा स्वीकृत किया जाना अनियमित रहा ।

(6) पत्रावली में संलग्न अनुबंध के नियम एवं शर्तों के क्रमांक 8 के अनुपालन में निविदा दाता द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया है कि उसके सगे संबंधी या नजदीकी रिश्तेदार खंड विकास कार्यालय मोहम्मदाबाद में कार्यरत नहीं है।

(7) मेसर्स बलराम सिंह कॉन्टैक्टर के सामग्री आपूर्ति आदेश पर कार्यालय खंड विकास अधिकारी मोहम्मदाबाद के आदेश कापत्रांक व दिनांक अंकित नहीं है।

(8) श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान कुल रुपए 139000.00 सीधे श्रमिकों के खातों में ना कर कार्य प्रभारी श्री अनुपम बाजपेई को किया गया है चूंकि वर्तमान में श्रमिकों के जॉब कार्ड बने हुए हैं एवं उनका पृथक खाता भी खुला हुआ है अतः श्रमिकों के खाते में ही भुगतान न कर अनुपम बाजपेई को भुगतान किया जाना अनियमित रहा ।संबंधित मस्टरोल पर माह एवं वर्ष भी अंकित नहीं है।

(9) कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पर अवर अभियंता के हस्ताक्षर हैं किंतु नाम अंकित नहीं है। कार्य प्रभारी तथा खंड विकास अधिकारी के ना तो नामहीएवं ना ही हस्ताक्षर ही अंकित है।

(10) ठेकेदार को किए गए भुगतान से % 2 जीएसटी की कटौती तो की गई है कि किंतु इसे नियमानुसार निर्धारित शीर्श में जमा नहीं किया गया ।जी0एस0टी0 की धारा 51(2) के अनुसार जिस माह मे कटौती की गयी है उसके अगले माह की10 तारीख तक उक्त धनराशि को सरकार को भुगतान करने का दायित्व कटौती कर्ता का है किन्तु सम्बन्धित धनराशि निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं की गयी है।

(11) ग्रामपंचायतकसमापुर में मेन रोड से रामकिशन भुर्जी के घर होते हुए बबलू के घर तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य कराया गया है जबकि शासनादेश सं0-8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश सं0-5/866/33- 2-14-93जी/2004 टी0सी0 पंचायती राज अनुभाग दिनांक 24.06.2014 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि "क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्नमदों मे प्राप्त होती है उससे दो या

अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिएकार्य कराया जाय।" इस प्रकार मार्गदर्शी सिद्धान्त का अतिक्रमण कर अनियमित रूप से व्यय किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रू0-889090.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्री प्रकाश उपाध्याय एवं लेखाकार श्री शिवकिशोर रावत उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-12)

प्रस्तर-18वर्ष 2021-22 में ग्रामपंचायत बधनपुर में मेंन रोड से सामुदायिक शौचालय होते हुए प्राथमिक विद्यालय तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जॉच में निम्न कमियां पायी गयीः-

(1) तकनीकी स्वीकृति पर अधिशासी अभियंता के हस्ताक्षर हैं किंतु दिनांक अंकित नहीं है।

(2) श्री अनुपम बाजपेई को कार्यप्रभारी नियुक्त किया गया है किंतु संबंधित आदेश पर पत्रांक एवं दिनांक अंकित नहीं है ।

(3) पत्रावली में उक्त कार्य हेतु कार्य प्रभारी का आदेश श्री विनय सिंह चौहान ग्राम पंचायत अधिकारी का भी संलग्न है किंतु संलग्न आदेश में खंड विकास अधिकारी कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक अंकित नहीं है ।

(4) निविदा आमंत्रण से संबंधित पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया । पत्रावली में संलग्न तुलनात्मक चार्ट के अनुसार तीन फार्मो से टेंडर आमंत्रित किए गए किंतु किसी भी फर्म से निविदा मूल्य रुपए 1000प्रतिनिविदा के हिसाब से जमा नहीं कराया गया।

(5) पत्रावली में संलग्न विवरण अनुसार मे0महाराज जी कंस्ट्रक्शन , मे0 जलधारा देवी एवं मे 0 बलराम सिंह ठेकेदार ग्वालटोली फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के टेंडर खोले गए किंतु अनुबंध के नियम एवं शर्तों के क्रमांक 13 के अनुपालन में दो प्रतिशत धरोहर धनराशिरुपए 14000.00 किसी भी निविदा दाता से जमा नहीं कराई गई । इस प्रकार बिना धरोहर धनराशि के जमा कराए निविदा स्वीकृत किया जाना अनियमित रहा ।

(6) पत्रावली में संलग्न अनुबंध के नियम एवं शर्तों के क्रमांक 8 के अनुपालन में निविदा दाता द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया है कि उसके सगे संबंधी या नजदीकी रिश्तेदार खंड विकास कार्यालय मोहम्मदाबाद में कार्यरत नहीं है।

(7) मेसर्स बलराम सिंह कॉन्टैक्टर के सामग्री आपूर्ति आदेश पर कार्यालय खंड विकास अधिकारी मोहम्मदाबाद के आदेश कापत्रांक व दिनांक अंकित नहीं है।

(8) संलग्न मास्टर रोल में श्रमिकों की मजदूरी से संबंधित धनराशि कुल रुपए 169200.00 को श्रमिकों के खातों में हस्तांतरित करने की सूची तो संलग्न है किंतु उसमें श्रमिकों की खाता संख्या अंकित नहीं है साथ ही संबंधित बैंक एडवाइस भी संलग्न नहीं पाई गई।संबंधित मस्टरोल पर माह एवं वर्ष भी अंकित नहीं है।

(9) कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

(10) ठेकेदार को किए गए भुगतान से 2%जीएसटी की कटौती तो की गई है कि किंतु इसे नियमानुसार निर्धारित शीर्श में जमा नहीं किया गया ।जी0एस0टी0 की धारा 51(2) के अनुसार जिस माह मे कटौती की गयी है उसके अगले माह की 10 तारीख तक उक्त धनराशि को सरकार को भुगतान करने का दायित्व कटौती कर्ता का है किन्तु सम्बन्धित धनराशि निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं की गयी है।

(11) ग्रामपंचायतबधनपुर में मेंन रोड से सामुदायिक शौचालय होते हुए प्राथमिक विद्यालय तक इंटरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य कराया गया है जबकि शासनादेश

सं0-8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश सं0-5/866/33- 2-14-93जी/2004 टी0सी0 पंचायती राज अनुभाग दिनांक 24.06.2014 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि "क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों मे प्राप्त होती है उससेदो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराया जाय।" इस प्रकार मार्गदर्शी सिद्धान्त का अतिक्रमण कर अनियमित रूप से व्यय किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रू0-957381.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गोपीनाथ पाठक एवं लेखाकार श्री शिव किशोर रावत उत्तरदायी है। उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-13)

प्रस्तर-19 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये विभिन्न कार्यो में की गयी सामग्री आपूर्ति के विरूद्ध ठेकेदारों के बिलो से जी0एस0टी0 की धारा-51 के अनुसार 2% की दर से टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) मद में वर्ष दौरान कुल रू0-226922.00 की कटौती की गयी है। उल्लेखनीय है कि उक्त मद में गतवर्ष की अवशेष जी0एस0टी0 कटौती रू0-103689.00 थी। इस प्रकार कुल रू0-330611.00 को निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं कराया गया है। जी0एस0टी0 की धारा 51(2) के अनुसार जिस माह मे कटौती की गयी है उसके अगले माह की 10 तारीख तक उक्त धनराशि को सरकार को भुगतान करने का दायित्व कटौती कर्ता का है किन्तु सम्बन्धित धनराशि निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं की गयी है। क्षेत्र पंचायत द्वारा जी0एस0टी0मे रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया है साथ ही जी0एस0टी0आर0-7 फार्म भी जेनरेट नहीं किया गया है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्रीप्रकाश उपाध्याय,श्री गोपीनाथ पाठक,श्री सतीश चंद्र मिश्रा,श्री अशोक कुमार द्विवेदी एवं लेखाकार श्री शिव किशोर रावत उत्तरदायी है। अतः धनराशि रू0 330611.00 की आर्थिक अनियमितता के लिए उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-14)

प्रस्तर-20 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2022 को ग्रान्ट रजिस्टर अनुसार अन्तिम अवशेष रू0-46152131.43 है जबकि ग्रान्ट रजिस्टर-III में दिये गये विवरणानुसार विभिन्न खातो में अवशेष रू0-46409731.43 है। इस प्रकार बैंक खातो में रू0-257600.00 से अवशेष अधिक है। किन्तु असमाधानित अन्तर की पुष्टि में बैंक समाधान विवरण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः दर्शित अन्तर अपुष्ट रहा। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार द्विवेदी एवं लेखाकार श्री शिव किशोर रावत उत्तरदायी है। अतः धनराशि रू0 257600.00 की आर्थिक अनियमितता के लिए उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-22)

क्षेत्र पंचायत - राजेपुर

वर्ष 2021-22

प्रस्तर-21 वर्ष 2020-21 के अनुदान रजिस्टर (III) के अनुसार दिनांक31.03.2021 को अन्तिम अवशेष रू0-17529098.61 था जबकि वर्ष 2021-22 के प्रारम्भ में अप्रैल-2021 को प्रारम्भिक शेष कुल रू0-15874318.00 ही दर्शाया गया है इस प्रकार रू0-1654780.61 से प्रारम्भिक अवशेष कम दर्शाया गया है। जिसका मदवार विवरण निम्नवत् हैः-

शीर्ष जिनको वर्ष 2021-22 के प्रारम्भिक शेष में नहीं दर्शाया गयाः-

क्र0 सं0	मद का विवरण	31.03.2021 को दर्शित अन्तिम शेष	01.04.2021 को दर्शित प्रारम्भिक शेष	अन्तर
1	पिछडी जाति सर्वे	12000.00	0.00	12000.00
2	इन्दिरा आवास प्रशासनिक मद	21893.00	0.00	21893.00
3	जमानत धनराशि	105705.00	0.00	105705.00
4	रायल्टी धनराशि	11559.00	0.00	11559.00

5	सांसद निधि	350.00	0.00	350.00
6	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	70334.00	0.00	70334.00
7	लघु सिंचाई संगणना	1800.00	0.00	1800.00
8	आंगनवाडी केन्द्र निर्माण	200000.00	0.00	200000.00
9	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	51356.00	0.00	51356.00
10	मनरेगा प्रशासनिक मद	1430383.35	0.00	1430383.35
11	निधि खातो पर ब्याज	1116941.88	0.00	1116941.88
12	प्रधानमंत्री आवास योजना	3.00	0.00	3.00
13	आयकर कटौती	277792.00	0.00	277792.00
	योग	3300117.23	0.00	3300117.23

शीर्ष जिनमें गतवर्ष के अन्तिम अवशेष एवं वर्ष 2021-22 के प्रारम्भिक शेष में दर्शित अवशेष में निम्नवत् अन्तर पाये गये-

क्र0 सं0	मद का विवरण	31.03.2021 को दर्शित अन्तिम शेष	01.04.2021 को दर्शित प्रारम्भिक शेष	अन्तर
1	राज्य वित्त योजना	1917556.38	3452420.00	(-) 1534863.62
2	विधायक निधि	244563.00	403210.00	(-) 158647.00
3	15वां वित्त	11490930.00	11836144.00	(-) 345214.00
4	जी0एस0टी0 कटौती	393388.00	0.00	393388.00
	योग	14046437.38	15691774.00	(-) 1645336.62

दिनांक 01.04.2021 को दर्शित अवशेष - 15874318.00

शीर्ष जो प्रारम्भिक शेष में नहीं दर्शाये गयें - 3300117.23

योग - 19174435.23

दर्शित प्रारम्भिक अवशेष में भिन्नता - (-) 1645336.62

दिनांक 31.03.2021 को दर्शित अवशेष - 17529098.61

इस प्रकार अनियमित रूप से कतिपय शीर्षो के गतवर्ष के अन्तिम अवशेष को वर्ष 2021-22 के प्रारम्भिक अवशेष में नहीं दर्शाया गया है अथवा कतिपय शीर्षो में गतवर्ष के अन्तिम अवशेष एवं वर्ष 2021-22के प्रारम्भिक अवशेष में भिन्नता की गयी एवं इसकी पुष्टि में कोई संतोषजनक उत्तर लेखा परीक्षा दौरान नहीं दिया गया। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गगनदीप सिंह एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी है। अतः धनराशि 1654780.61 की आर्थिक अनियमितता के लिए उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-08)

प्रस्तर-22 आयकर अधिनियम-1961 (यथा संशोधित) की धारा194सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो में किये गये भुगतानो के सम्बन्ध में स्रोत पर की गयी आयकर कटौती की धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही की अन्तिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किया जाना चाहिए था। वर्ष के प्रारम्भ में उक्त शीर्ष में रू0-182544.00 अवशेष था। आलोच्य वर्ष में कुल रू0-407829.00 की कटौती विभिन्न ठेकेदारों के बिलों से की गयी। इस प्रकार कुल रू0-590373.00 को निर्धारित शीर्ष में जमा न कर अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गगनदीप सिंह एवं लेखाकर श्री सुनील कटियार तथा श्री अशोक कुमार बाथम उत्तरदायी है। । अतः धनराशि 590373.00 की आर्थिक अनियमितता के लिए उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-09)

प्रस्तर-23 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये विभिन्न कार्यो में की गयी सामग्री आपूर्ति के विरूद्ध ठेकेदारों के बिलो से जी0एस0टी0 की धारा-51 के अनुसार 2% की दर से

टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) मद में वर्ष दौरान कुल रू0-349815.00 की कटौती की गयी है। उल्लेखनीय है कि उक्त मद में गतवर्ष की अवशेष जी0एस0टी0 कटौती रू0-393388.00 थी। इस प्रकार कुल रू0-743203.00 को निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं कराया गया है। जी0एस0टी0 की धारा 51(2) के अनुसार जिस माह मे कटौती की गयी है उसके अगले माह की 10 तारीख तक उक्त धनराशि को सरकार को भुगतान करने का दायित्व कटौती कर्ता का है किन्तु सम्बन्धित धनराशि निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं की गयी है। क्षेत्र पंचायत द्वारा जी0एस0टी0मे रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया है साथ ही जी0एस0टी0आर0-7 फार्म भी जेनरेट नहीं किया गया है। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गगनदीप सिंह एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार तथा श्री अशोक बाथम उत्तरदायी है।। अतः धनराशि 743203.00 की आर्थिक अनियमितता के लिए उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-18)

प्रस्तर-24 वर्ष 2021-22 में ग्राम भुसेरा में भुसेरा-दारापुर सम्पर्कमार्ग से प्राथमिक पाठशाला भुसेरा तक इण्टरलॉकिंग कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जॉच में निम्न कमियां पायी गयीः-

(1) कार्य की अनुमानित लागतरू0-9.59 लाख है। शासनादेश सं0-1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार रू0-5 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारित/बहुप्रचलित हो में टेण्डर प्रकाशित होना चाहिए किन्तु पत्रावली में मात्र एक ही दैनिक सामाचार पत्र में(अमर उजाला दिनांक07.09.2021) टेण्डर प्रकाशन से सम्बन्धित प्रति संलग्न पायी गयी। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जो आपत्तिजनक है।

(2) एम0बी0 बुक निर्गमन की तिथि, जे0ई0 का नाम आदि अंकित नहीं है साथ ही प्रथम पृष्ठ पर आंकिक के हस्ताक्षर भी नहीं है। एम0बी0 पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख की मोहर तो लगी है किन्तु उस पर हस्ताक्षर नहीं है। नियमानुसार पृथक-पृथक कार्य के लिए अलग-अलग एम0बी0 के स्थान पर विकास खण्ड स्तर एक ही एम0बी0 रजिस्टर रखा जाना चाहिए जिसमें सभी कार्यो की एम0बी0 की जायें क्योंकि अलग-अलग एम0बी0 रखने पर कभी भी अनियमित रूप से एम0बी0 को बदला भी जा सकता है। खण्ड विकास अधिकारी एवं विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(3) किसी भी नोट शीट में पी0एफ0एम0एस0 एडवाइस संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गयी है। जबकि नोट शीट में स्पष्ट कालम खुला हुआ है साथ ही भुगतान की पुष्टि में उसका प्रिन्ट आउट भी निकाल कर संलग्न नहीं किया गया है। किसी भी हस्ताक्षर के नीचे तिथि अंकित नहीं की गयी है।

(4) सामग्री आपूर्ति हेतु मैसर्स प्रजापित टेडर्स एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर्स नगला केवल भरखा, फर्रुखाबाद की निविदा स्वीकृत हुई है। संलग्न नियम एवं शर्तो के क्रमांक 12 के अनुसार ''स्वीकृत निविदादाता को आपूर्ति आदेश प्राप्त के समय रू0-100/- के स्टम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र दाखिल करना होगा।'' वित्तीय हस्तपुस्तिका बाल्यूम-5 भाग (1) के परिशिष्ट (19) नियम-21 (2)(3) के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन कर सामग्री आपूर्ति का आदेश दिया गया जो कि आपत्तिजनक है।

(5) पत्रावली में संलग्नमस्टर रोल के सापेक्ष कार्यप्रभारी श्री प्रदीप दीक्षित (ग्रा0वि0अ0) को रू0-147690.00 का भुगतान किया गया है। चूंकि वर्तमान में श्रमिकों का जॉब कार्ड बना हुआ है एवं उनके पृथक से खाते भी खुले हुए है। अतः नियमानुसार भुगतान सीधे श्रमिको के खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गगनदीप सिंह एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी है।

(6) पत्रावली में कार्यप्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो चस्पा नहीं की गयी है जो कि आपत्तिजनक हैं।

(7) पत्रावली में संलग्न अल्पकालीन निविदा सूचना में जमानत राशि रू0-15000.00 दर्शित है। पत्रावली में रू0-15000.00 की आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक की एफ0डी0 संलग्न पायी गयी किन्तु संलग्न नियम एवं शर्ते के क्रमांक-13 के अनुसार उपरोक्त एफ0डी0 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजेपुर के नाम देय नहीं है। इस प्रकार संलग्न जमानत धनराशि अनियमित रही।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रू0-930077.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गगनदीप सिंह एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (मू0आ0सं0-10)

प्रस्तर-25 वर्ष 2021-22 में ग्राम भूडिया भेडा में मानसिंह के घर से मेनरोड तक इण्टरलॉकिंग कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जॉच में निम्न कमियां पायी गयीः-

(1) कार्य की अनुमानित लागतरू0-7.80 लाख है। शासनादेश सं0-1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार रू0-5 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारित/बहुप्रचलित हो में टेण्डर प्रकाशित होना चाहिएकिन्तु पत्रावली में मात्र एक ही दैनिक सामाचार पत्र में (आज दिनांक08.11.2021) टेण्डर प्रकाशन से सम्बन्धित प्रति संलग्न पायी गयी। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जो आपत्तिजनक है।

(2) एम0बी0 बुक निर्गमन की तिथि, जे0ई0 का नाम आदि अंकित नहीं है साथ ही प्रथम पृष्ठ पर आंकिक के हस्ताक्षर भी नहीं है। एम0बी0 पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख की मोहर तो लगी है किन्तु उस पर हस्ताक्षर नहीं है। नियमानुसार पृथक-पृथक कार्य के लिए अलग-अलग एम0बी0 के स्थान पर विकास खण्ड स्तर एक ही एम0बी0 रजिस्टर रखा जाना चाहिए जिसमें सभी कार्यो की एम0बी0 की जायें क्योंकि अलग-अलग एम0बी0 रखने पर कभी भी अनियमित रूप से एम0बी0 को बदला भी जा सकता है। खण्ड विकास अधिकारी एवं विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(3) किसी भी नोट शीट में पी0एफ0एम0एस0 एडवाइस संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गयी है। जबकि नोट शीट में स्पष्ट कालम खुला हुआ है साथ ही भुगतान की पुष्टि में उसका प्रिन्ट आउट भी निकाल कर संलग्न नहीं किया गया है। किसी भी हस्ताक्षर के नीचे तिथि अंकित नहीं की गयी है।

(4) सामग्री आपूर्ति हेतुमैसर्स बलवन्त सिंह जे0एन0वी0 रोड फतेहगढ़ फर्रुखाबाद की निविदा स्वीकृत हुई है। संलग्न नियम एवं शर्तो के क्रमांक 12 के अनुसार ''स्वीकृत निविदादाता को आपूर्ति आदेश प्राप्त के समय रू0-100/- के स्टम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र दाखिल करना होगा।'' वित्तीय हस्तपुस्तिका बाल्यूम-5 भाग (1) के परिशिष्ट (19) नियम-21 (2)(3) के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन कर सामग्री आपूर्ति का आदेश दिया गया जो कि आपत्तिजनक है।

(5) पत्रावली में कार्यप्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो चस्पा नहीं की गयी है जो कि आपत्तिजनक हैं।

(6) पत्रावली में संलग्नअल्पकालीन निविदा सूचना में जमानत राशि रू0-11000.00 दर्शित है। पत्रावली में संलग्न नियम एवं शर्ते के क्रमांक-13 के अनुसार ''कुल अनुमानित धनराशि का 2% धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0 स्वीकृत निविदादाता द्वारा जो खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजेपुर के नाम देय होगा जमा की जायेगी।'' किन्तु पत्रावली में जमानत धनराशि की पुष्टि में कोई बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0 की प्रति संलग्न नहीं पायी गयी। इस प्रकार बिना जमानत धनराशि जमा कराये ठेका दिया जाना अनियमित रहा।

(7) पत्रावली में संलग्न आदेशजिसके द्वारा श्री रविन्द्र पाण्डेय को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है, उक्त आदेश पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं हैं। साथ ही संलग्न आदेश में सामग्री की कीमत रू0-7.80 लाख दर्शित है जबकि प्रक्कलन एवं निविदा में सामग्री की लागत रू0-5.88 लाख है। स्पष्ट है कि कार्यादेश बनाते समय अपेक्षित सावधानी नहीं बरती गयी।

(8) ग्राम भूडिया भेडा में मानसिंह के घर से मेनरोड तक इण्टरलाकिंग का कार्य कराया गया है जबकि शासनादेश सं0-8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश सं0-5/866/33- 2-14-93जी/2004 टी0सी0 पंचायती राज अनुभाग दिनांक 24.06.2014 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि ''क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों मे प्राप्त होती है उससेदो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराया जाय।'' इस प्रकार मार्गदर्शी सिद्धान्त का अतिक्रमण कर अनियमित रूप से रू0-771055.00 का व्यय किया गया जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गगनदीप सिंह एवं लेखाकार श्री सुनील कुमार एवं श्री अशोक कुमार बाथम उत्तरदायी है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रू0-771055.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गगनदीप सिंह एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (मू0आ0सं0-11)

प्रस्तर-26 वर्ष 2021-22 में ग्राम लीलापुर में छोटे तेली के दरवाजे से सुरेश के प्लान्ट तक नाला निर्माण कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जॉच में निम्न कमियां पायी गयीः-

(I) कार्य की अनुमानित लागतरू0-9.84 लाख है। शासनादेश सं0-1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार रू0-5 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारित/बहुप्रचलित हो में टेण्डर प्रकाशित होना चाहिएकिन्तु पत्रावली में मात्र एक ही दैनिक सामाचार पत्र में (आज दिनांक08.11.2021) टेण्डर प्रकाशन से सम्बन्धित प्रति संलग्न पायी गयी। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जो आपत्तिजनक है।

(II) एम0बी0 बुक निर्गमन की तिथि, जे0ई0 का नाम आदि अंकित नहीं है साथ ही प्रथम पृष्ठ पर आंकिक के हस्ताक्षर भी नहीं है। एम0बी0 पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख की मोहर तो लगी है किन्तु उस पर हस्ताक्षर नहीं है। नियमानुसार पृथक-पृथक कार्य के लिए अलग-अलग एम0बी0 के स्थान पर विकास खण्ड स्तर एक ही एम0बी0 रजिस्टर रखा जाना चाहिए जिसमें सभी कार्यो की एम0बी0 की जायें क्योंकि अलग-अलग एम0बी0 रखने पर कभी भी अनियमित रूप से एम0बी0 को बदला भी जा सकता है। खण्ड विकास अधिकारी एवं विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(III) किसी भी नोट शीट में पी0एफ0एम0एस0 एडवाइस संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गयी है। जबकि नोट शीट में स्पष्ट कालम खुला हुआ है साथ ही भुगतान की पुष्टि में उसका प्रिन्ट आउट भी निकाल कर संलग्न नहीं किया गया है। किसी भी हस्ताक्षर के नीचे तिथि अंकित नहीं की गयी है।

(IV) सामग्री आपूर्ति हेतुमैसर्सलक्ष्मी देवी कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर्स जे0एन0वी0 रोड फतेहगढ़ की निविदा स्वीकृत हुई है। संलग्न नियम एवं शर्तो के क्रमांक 12 के अनुसार ''स्वीकृत निविदादाता को आपूर्ति आदेश प्राप्त के समय रू0-100/- के स्टम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र दाखिल करना होगा।'' वित्तीयहस्तपुस्तिकाबाल्यूम-5 भाग (1) केपरिशिष्ट (19)नियम-21 (2)(3) के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन कर सामग्री आपूर्ति का आदेश दिया गया जो कि आपत्तिजनक है।

(V) पत्रावली में कार्यप्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो चस्पा नहीं की गयी है जो कि आपत्तिजनक हैं।

(VI) पत्रावली में संलग्नमस्टर रोल कार्य प्रभारी द्वारा प्रमाणित नहीं है।

(VII)पत्रावली में संलग्न आदेशजिसके द्वारा श्री सुनील कुमार ए0डी0ओ0(सहकारिता) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है, उक्त आदेश पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं हैं।

(VIII) ग्राम लीलापुर में छोटे तेली के दरवाजे सेसुरेश के प्लान्ट तक नाला निर्माण कार्य कराया गया है जबकि शासनादेश सं0-8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश सं0-5/866/33- 2-14-93जी/2004 टी0सी0 पंचायती राज अनुभाग दिनांक 24.06.2014 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि ''क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों मे प्राप्त होती है उससेदो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराया जाय।'' इस प्रकार मार्गदर्शी सिद्धान्त का अतिक्रमण कर अनियमित रूप से रू0-947876.00 का व्यय किया गया जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गगनदीप सिंह एवं लेखाकार श्री सुनील कुमार एवं श्री अशोक कुमार बाथम उत्तरदायी है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रू0-947876.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गगनदीप सिंह एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (मू0आ0सं0-12)

प्रस्तर-27 वर्ष 2021-22 में ग्राम पिथनापुर में प्रेम नारायण की दुकान से शम्भू तेली की दुकान तक इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जॉच में निम्न कमियां पायी गयीः-

(1) एम0बी0 बुक निर्गमन की तिथि, जे0ई0 का नाम आदि अंकित नहीं है साथ ही प्रथम पृष्ठ पर आंकिक के हस्ताक्षर भी नहीं है। एम0बी0 पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख की मोहर तो लगी है किन्तु उस पर हस्ताक्षर नहीं है। नियमानुसार पृथक-पृथक कार्य के लिए अलग-अलग एम0बी0 के स्थान पर विकास खण्ड स्तर एक ही एम0बी0 रजिस्टर रखा जाना चाहिए जिसमें सभी कार्यो की एम0बी0 की जायें क्योंकि अलग-अलग एम0बी0 रखने पर कभी भी अनियमित रूप से एम0बी0 को बदला भी जा सकता है। खण्ड विकास अधिकारी एवं विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।
(2) किसी भी नोट शीट में पी0एफ0एम0एस0 एडवाइस संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गयी है। जबकि नोट शीट में स्पष्ट कालम खुला हुआ है साथ ही भुगतान की पुष्टि में उसका प्रिन्ट आउट भी निकाल कर संलग्न नहीं किया गया है। किसी भी हस्ताक्षर के नीचे तिथि अंकित नहीं की गयी है।
(3) सामग्री आपूर्ति हेतुमैसर्स श्री गोगा जी कन्स्ट्रक्शन राजेपुर राठौरी, फर्रुखाबाद की निविदा स्वीकृत हुई है। संलग्न नियम एवं शर्तो के क्रमांक 12 के अनुसार ''स्वीकृत निविदादाता को आपूर्ति आदेश प्राप्त के समय रू0-100/- के स्टम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र दाखिल करना होगा।'' वित्तीय हस्त पुस्तिका बाल्यूम-5 भाग (1) केपरिशिष्ट (19)नियम-21 (2)(3) के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन कर सामग्री आपूर्ति का आदेश दिया गया जो कि आपत्तिजनक है।
(4) पत्रावली में कार्यप्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो चस्पा नहीं की गयी है जो कि आपत्तिजनक हैं।
(5)पत्रावली में संलग्न आदेशजिसके द्वारा श्री रविन्द्र पाण्डेय को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है, उक्त आदेश पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं हैं।
(6) ग्राम पिथनापुर में प्रेमनारायण की दुकान सेशम्भू तेली की दुकान तक इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया है जबकि शासनादेश सं0-8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश सं0-5/866/33- 2-14-93जी/2004 टी0सी0 पंचायती राज अनुभाग दिनांक 24.06.2014 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि ''क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों मे प्राप्त होती है उससेदो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराया जाय।'' इस प्रकार मार्गदर्शी सिद्धान्त का अतिक्रमण कर अनियमित रूप से रू0-389358.00 का व्यय किया गया जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गगनदीप सिंह एवं लेखाकार श्री सुनील कुमार उत्तरदायी है।
इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रू0-389358.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गगनदीप सिंह एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (मू0आ0सं0-13)

प्रस्तर-28 वर्ष 2021-22 में ग्राम इमादपुर सोमवंशी में सोहन प्रकाश के घर से प्राथमिक पाठशाला इमादपुर सोमवंशी में सड़क के किनारे नाला निर्माण एवं सड़क के किनारे दोनो साइड इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जॉच में निम्न कमियां पायी गयीः-
(1) कार्यकी अनुमानित लागत रू0-9.87 लाख है। शासनादेश सं0-1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार रू0-5 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारित/बहुप्रचलित होमें टेण्डर प्रकाशित होना चाहिए किन्तु पत्रावली में मात्र एक ही दैनिकसामाचारपत्रमें (आजदिनांक08.11.2021)टेण्डर प्रकाशन से सम्बन्धित प्रति संलग्न पायी गयी। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जो आपत्तिजनक है।
(2) म0बी0 बुक निर्गमन की तिथि, जे0ई0 का नाम आदि अंकित नहीं है साथ ही प्रथम पृष्ठ पर आंकिक के हस्ताक्षर भी नहीं है। एम0बी0 पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख की मोहर तो लगी है किन्तु उस पर हस्ताक्षर नहीं है। नियमानुसार पृथक-पृथक कार्य के लिए अलग-अलग एम0बी0 के स्थान पर विकास खण्ड स्तर एक ही एम0बी0 रजिस्टर रखा जाना चाहिए जिसमें सभी कार्यो की एम0बी0 की जायें क्योंकि अलग-अलग एम0बी0 रखने पर कभी भी अनियमित रूप से एम0बी0 को बदला भी जा सकता है। खण्ड विकास अधिकारी एवं विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(3) किसी भी नोट शीट में पी0एफ0एम0एस0 एडवाइस संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गयी है। जबकि नोट शीट में स्पष्ट कालम खुला हुआ है साथ ही भुगतान की पुष्टि में उसका प्रिन्ट आउट भी निकाल कर संलग्न नहीं किया गया है। किसी भी हस्ताक्षर के नीचे तिथि अंकित नहीं की गयी है।

(4) सामग्री आपूर्ति हेतुमैसर्स प्रिया कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर्स अमृतपुर रोड राजेपुर फर्रुखाबाद की निविदा स्वीकृत हुई है। संलग्न नियम एवं शर्तो के क्रमांक 12 के अनुसार ''स्वीकृत निविदादाता को आपूर्ति आदेश प्राप्त के समय रू0-100/- के स्टम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र दाखिल करना होगा।'' वित्तीयहस्तपुस्तिकाबाल्यूम-5 भाग (1) केपरिशिष्ट (19)नियम-21 (2)(3) के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन कर सामग्री आपूर्ति का आदेश दिया गया जो कि आपत्तिजनक है।

(5) पत्रावली में कार्यप्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो चस्पा नहीं की गयी है जो कि आपत्तिजनक हैं।

(6) पत्रावली में संलग्न आदेशजिसके द्वारा श्री सुनील कुमार ए0डी0ओ0 (सहकारिता) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है, उक्त आदेश पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं हैं।

(7) ग्राम इमादपुर सोमवंशीमें सोहन प्रकाश के घर से प्राथमिक पाठशाला इमादपुर सोमवंशी में सड़क के किनारे नाला निर्माण एवं सड़क के किनारे दोनो साइड इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया है जबकि शासनादेश सं0-8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश सं0-5/866/33-2-14 -93जी/2004 टी0सी0 पंचायती राज अनुभाग दिनांक 24.06.2014 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि ''क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों मे प्राप्त होती है उससेदो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराया जाय।'' इस प्रकार मार्गदर्शी सिद्धान्त का अतिक्रमण कर अनियमित रूप से रू0-962979.00 का व्यय किया गया जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गगनदीप सिंह एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रू0-962979.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गगनदीप सिंह एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मू0आ0सं0-14)

प्रस्तर-29 वर्ष 2021-22 में विकास खण्ड परिसर में बी0डी0ओ0 आवास के चारो तरफ पेवर ब्रिक इण्टरलॉकिंग कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जॉच में निम्न कमियां पायी गयीः-

(1) कार्य की अनुमानित लागतरू0-6.30 लाख है। शासनादेश सं0-1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार रू0-5 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारित/बहुप्रचलित हो में टेण्डर प्रकाशित होना चाहिएकिन्तु पत्रावली में मात्र एक ही दैनिकसामाचारपत्रमें (अमरउजालादिनांक07.09.2021)टेण्डर प्रकाशन से सम्बन्धित प्रति संलग्न पायी गयी। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जो आपत्तिजनक है।

(2) एम0बी0 बुक निर्गमन की तिथि, जे0ई0 का नाम आदि अंकित नहीं है साथ ही प्रथम पृष्ठ पर आंकिक के हस्ताक्षर भी नहीं है। एम0बी0 पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख की मोहर तो लगी है किन्तु उस पर हस्ताक्षर नहीं है। नियमानुसार पृथक-पृथक कार्य के लिए अलग-अलग एम0बी0 के स्थान पर विकास खण्ड स्तर एक ही एम0बी0 रजिस्टर रखा जाना चाहिए जिसमें सभी कार्यो की एम0बी0 की जायें क्योंकि अलग-अलग एम0बी0 रखने पर कभी भी अनियमित रूप से एम0बी0 को बदला भी जा सकता है। खण्ड विकास अधिकारी एवं विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(3) किसी भी नोट शीट में पी0एफ0एम0एस0 एडवाइस संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गयी है। जबकि नोट शीट में स्पष्ट कालम खुला हुआ है साथ ही भुगतान की पुष्टि में उसका प्रिन्ट आउट भी निकाल कर संलग्न नहीं किया गया है। किसी भी हस्ताक्षर के नीचे तिथि अंकित नहीं की गयी है।

(4) सामग्री आपूर्ति हेतुमैसर्सआर0एन0 मशीनरी स्टोर एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर्स, फर्रुखाबाद की निविदा स्वीकृत हुई है। संलग्न नियम एवं शर्तो के क्रमांक 12 के अनुसार ''स्वीकृत निविदादाता को आपूर्ति आदेश प्राप्त के समय रू0-100/- के स्टम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र दाखिल करना होगा।'' वित्तीयहस्तपुस्तिकाबाल्यूम-5 भाग (1) केपरिशिष्ट (19)नियम-21 (2)(3) के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन कर सामग्री आपूर्ति का आदेश दिया गया जो कि आपत्तिजनक है।

(5) पत्रावली में संलग्नमस्टर रोल के सापेक्ष कार्यप्रभारी श्रीप्रदीपदीक्षित (ग्रा0वि0अ0)को रू0-80310.00 का भुगतान किया गया है। चूंकि वर्तमान में श्रमिकों का जॉब कार्ड बना हुआ है एवं उनके पृथक से खाते भी खुले हुए है। अतः नियमानुसार भुगतान सीधे श्रमिको के खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गगनदीप सिंह एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी है।

(6) पत्रावली में कार्यप्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो चस्पा नहीं की गयी है जो कि आपत्तिजनक हैं।

(7) पत्रावली में संलग्नअल्पकालीन निविदा सूचना में जमानत राशि रू0-9400.00 दर्शित है। पत्रावली में संलग्न नियम एवं शर्ते के क्रमांक-13 के अनुसार ''कुल अनुमानित धनराशि का 2% धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0 स्वीकृत निविदादाता द्वारा जो खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजेपुर के नाम देय होगा जमा की जायेगी।'' किन्तु पत्रावली में जमानत धनराशि की पुष्टि में कोई बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0 की प्रति संलग्न नहीं पायी गयी। इस प्रकार बिना जमानत धनराशि जमा कराये ठेका दिया जाना अनियमित रहा।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रू0-554130.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गगनदीप सिंह एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार तथा श्री अशोक कुमार बाथम उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मू0आ0सं0-15)

प्रस्तर-30 वर्ष 2021-22 में ग्राम कंचनपुर वीरपाल सोमवंशी के घर से बृजराज सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जॉच में निम्न कमियां पायी गयीः-

(1)कार्य की अनुमानित लागतरू0-9.44 लाख है। शासनादेश सं0-1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार रू0-5 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारित/बहुप्रचलित हो में टेण्डर प्रकाशित होना चाहिएकिन्तु पत्रावली में मात्र एक ही दैनिकसामाचारपत्रमें (आजदिनांक08.11.2021)) टेण्डर प्रकाशन से सम्बन्धित प्रति संलग्न पायी गयी। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जो आपत्तिजनक है।

(2)एम0बी0 बुक निर्गमन की तिथि, जे0ई0 का नाम आदि अंकित नहीं है साथ ही प्रथम पृष्ठ पर आंकिक के हस्ताक्षर भी नहीं है। एम0बी0 पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख की मोहर तो लगी है किन्तु उस पर हस्ताक्षर नहीं है। नियमानुसार पृथक-पृथक कार्य के लिए अलग-अलग एम0बी0 के स्थान पर विकास खण्ड स्तर एक ही एम0बी0 रजिस्टर रखा जाना चाहिए जिसमें सभी कार्यो की एम0बी0 की जायें क्योंकि अलग-अलग एम0बी0 रखने पर कभी भी अनियमित रूप से एम0बी0 को बदला भी जा सकता है। खण्ड विकास अधिकारी एवं विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(3)किसी भी नोट शीट में पी0एफ0एम0एस0 एडवाइस संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गयी है। जबकि नोट शीट में स्पष्ट कालम खुला हुआ है साथ ही भुगतान की पुष्टि में उसका प्रिन्ट आउट भी निकाल कर संलग्न नहीं किया गया है। किसी भी हस्ताक्षर के नीचे तिथि अंकित नहीं की गयी है।

(4)सामग्री आपूर्ति हेतुमैसर्सप्रजापति टेडर्स एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर्स नगला केवल भरखा की निविदा स्वीकृत हुई है। संलग्न नियम एवं शर्तो के क्रमांक 12 के अनुसार ''स्वीकृत निविदादाता को आपूर्ति आदेश प्राप्त के समय रू0-100/- के स्टम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र दाखिल करना होगा।'' वित्तीयहस्तपुस्तिकाबाल्यूम-5 भाग (1)

केपरिशिष्ट (19)नियम-21 (2)(3) के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन कर सामग्री आपूर्ति का आदेश दिया गया जो कि आपत्तिजनक है।
(5)पत्रावली में कार्यप्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो चस्पा नहीं की गयी है जो कि आपत्तिजनक हैं।
(6)मजदूरो के खाते में रू0-131240.00 का भुगतान दर्शाया है किन्तु इसकी पुष्टि में सम्बन्धित प्रिन्ट आउट पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।
(7)पत्रावली में संलग्न आदेश जिसके द्वारा श्री सुनील कुमार ए0डी0ओ0 (सहकारिता)को कार्य प्रभारीनियुक्त किया गया है, उक्त आदेश पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं हैं।
(8)ग्राम कंचनपुर वीरपालसोमवंशी के घर से बृजराज सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया है जबकिशासनादेश सं0-8307/33-2-2004-93जी/2004 दिनांक 12.01.2005 एवं शासनादेश सं0-5/866 /33- 2-14-93जी/2004 टी0सी0 पंचायती राज अनुभाग दिनांक 24.06.2014 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि ''क्षेत्र पंचायतों को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों मे प्राप्त होती है उससेदो या अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराया जाय।'' इस प्रकार मार्गदर्शी सिद्धान्त का अतिक्रमण कर अनियमित रूप से रू0-886827.00 का व्यय किया गया जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गगनदीप सिंह एवं लेखाकार श्री सुनील कुमार एवं श्री अशोक कुमार बाथम उत्तरदायी है।
इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रू0-886827.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गगनदीप सिंह एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (मू0आ0सं0-16)
प्रस्तर-31 वर्ष 2021-22 में विकास खण्ड परिसर में मीटिंग हाल के बाहर पेवर ब्रिक इण्टरलॉकिंग कार्य कराया गया जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जॉच में निम्न कमियां पायी गयीः-
(1)कार्य की अनुमानित लागतरू0-9.97 लाख है। शासनादेश सं0-1653/33-3-2000-73/2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार रू0-5 लाख की धनराशि से सम्बन्धित मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमें से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारित/बहुप्रचलित हो में टेण्डर प्रकाशित होना चाहिएकिन्तु पत्रावली में मात्र एक ही दैनिकसामाचारपत्रमें (अमरउजालादिनांक07.09.2021)टेण्डर प्रकाशन से सम्बन्धित प्रति संलग्न पायी गयी। स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जो आपत्तिजनक है।
(2)एम0बी0 बुक निर्गमन की तिथि, जे0ई0 का नाम आदि अंकित नहीं है साथ ही प्रथम पृष्ठ पर आंकिक के हस्ताक्षर भी नहीं है। एम0बी0 पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख की मोहर तो लगी है किन्तु उस पर हस्ताक्षर नहीं है। नियमानुसार पृथक-पृथक कार्य के लिए अलग-अलग एम0बी0 के स्थान पर विकास खण्ड स्तर एक ही एम0बी0 रजिस्टर रखा जाना चाहिए जिसमें सभी कार्यो की एम0बी0 की जायें क्योंकि अलग-अलग एम0बी0 रखने पर कभी भी अनियमित रूप से एम0बी0 को बदला भी जा सकता है। खण्ड विकास अधिकारी एवं विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।
(3) किसी भी नोट शीट में पी0एफ0एम0एस0 एडवाइस संख्या व दिनांक अंकित नहीं की गयी है। जबकि नोट शीट में स्पष्ट कालम खुला हुआ है साथ ही भुगतान की पुष्टि में उसका प्रिन्ट आउट भी निकाल कर संलग्न नहीं किया गया है। किसी भी हस्ताक्षर के नीचे तिथि अंकित नहीं की गयी है।
(4) सामग्री आपूर्ति हेतुमैसर्स आर0एन0 मशीनरी स्टोर एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर्स राजेपुर राठौरी, फर्रुखाबाद की निविदा स्वीकृत हुई है। संलग्न नियम एवं शर्तो के क्रमांक 12 के अनुसार ''स्वीकृत निविदादाता को आपूर्ति आदेश प्राप्त के समय रू0-100/- के स्टम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र दाखिल करना होगा।''वित्तीयहस्तपुस्तिकाबाल्यूम-5 भाग (1) केपरिशिष्ट (19)नियम-21 (2)(3) के अनुसार समुचित अनुबन्ध के बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन कर सामग्री आपूर्ति का आदेश दिया गया जो कि आपत्तिजनक है।
(5) पत्रावली में संलग्नमस्टर रोल के सापेक्ष कार्यप्रभारी श्रीप्रदीपदीक्षित (ग्रा0वि0अ0)को रू0-137550.00 का भुगतान किया गया है। चूॅकि वर्तमान में श्रमिकों का जॉब कार्ड बना हुआ है एवं उनके पृथक से खाते भी खुले

हुए है। अतः नियमानुसार भुगतान सीधे श्रमिको के खाते में किया जाना चाहिए था ऐसा न करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गगनदीप सिंह एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी है।

(6) पत्रावली में कार्यप्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो चस्पा नहीं की गयी है जो कि आपत्तिजनक हैं।

(7) पत्रावली में संलग्नअल्पकालीन निविदा सूचना में जमानत राशि रू0-15000.00 दर्शित है। पत्रावली में संलग्न नियम एवं शर्ते के क्रमांक-13 के अनुसार ''कुल अनुमानित धनराशि का 2% धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0 स्वीकृत निविदादाता द्वारा जो खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजेपुर के नाम देय होगा जमा की जायेगी।'' किन्तु पत्रावली में जमानत धनराशि की पुष्टि में कोई बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0 की प्रति संलग्न नहीं पायी गयी। इस प्रकार बिना जमानत धनराशि जमा कराये ठेका दिया जाना अनियमित रहा।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रू0-932292.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गगनदीप सिंह एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (मू0आ0सं0-17)

प्रस्तर-32 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2022 को ग्रान्ट रजिस्टर अनुसार अन्तिम अवशेष रू0-12709678.00 है जबकि ग्रान्ट रजिस्टर-3 में दिये गये विवरणानुसार विभिन्न खातो में अवशेष रू0-13753746.00 है। इस प्रकार बैंक खातो में रू0-1044068.00 से अवशेष अधिक है। किन्तु असमाधानित अन्तर की पुष्टि में बैंक समाधान विवरण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः दर्शित अन्तर अपुष्ट रहा। इसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री गगनदीप सिंह एवं लेखाकार श्री सुनील कटियार तथा श्री अशोक बाथम उत्तरदायी है। धनराशि रू01044068.00 की आर्थिक अनियमतता के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (मू0आ0सं0-26)

क्षेत्र पंचायत-शमसाबाद

वर्ष 2021-22

प्रस्तर-33 भिडौर में जगराम के घर से मनीराम रामऔतार के घर तक नाली व इंटरलाकिंग निर्माण कार्य में निम्न कमियां पायी गयी -

(1) कार्य की अनुमानित लागत 9.73 लाख है। शासनादेश संख्या-1653/ 33-3-2000-73/2000 दिनांक 16-03-2000 के अनुसार रु० 5 लाख की धनराशि के मामले में दो दैनिक मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों जिसमे से एक समाचार पत्र अनिवार्य रूप से बहुप्रसारित/बहुप्रचलित हो, में टेंडर प्रकाशित होना चाहिए। किंतु पत्रावली मे टेण्डर प्रकाशन आदेश एवं प्रकाशित टेण्डर की मूल प्रति अथवा छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयीं । स्पष्ट है कि शासनादेश में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए टेण्डर की प्रक्रिया संपादित की गयी है जो आपत्तिजनक है।

(2) पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि निविदा की शर्तें संलग्न नहीं है जो कि आपत्ति जनक है।

(3) पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि पत्रावली में कार्य प्रभारी की उक्त नियुक्ति का नियुक्ति आदेश पत्रावली में संलग्न नहीं है।

(4) पत्रावली को देखने पर ज्ञात हुआ कि सामाग्री आपूर्ति हेतु स्वीकृत निविदा के सापेक्ष सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा दाता के साथ किए जाने वाले अनुबंध पत्र संलग्न नहीं है जबकि वित्तीय हात पुस्तिका के वाल्यूम-5 भाग (1) के परिशिष्ट-19 नियम 21 (2) (3) के अनुसार बिना समुचित अनुबंध के कोई कार्य संपादित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया है जो कि आपत्तिजनक है।

(5) पत्रावली में संलग्न एम.बी.संख्या-11 जो कि सामग्री आपूर्ति से संबंधित है,की जांच करने पर पाया गया कि एम.बी.में कार्य प्रारंभ करने का दिनांक, कार्य पूर्ण होने का दिनांक अंकित नहीं है। पत्रावली में संलग्न द्वतिय एम.बी.में माप करने का दिनांक अंकित नहीं है। एम.बी.में किए गए सभी हस्ताक्षर तिथि रहित है। जबकि वित्तीय हस्त पुस्तिका वाल्यूम-6 चैप्टर एक्स 11 पैरा 434 से 39 के अनुसार एम.बी.में किए गए सभी हस्ताक्षर तिथि के साथ होने चाहिए। इसी प्रकार एम.बी.को किसी भी उच्च अधिकारी के द्वारा चेक नहीं किया

गया है। स्पष्ट है कि एम.बी. मनमाने ढंग से तैयार की गयी है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इसके प्रति गंभीरता से आकृष्ट किया जाता है।

(6) पत्रावली में कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की फोटो संलग्न नहीं है।

(7) पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है जिससे कार्य के पूर्ण/अपूर्ण होने की स्थिति ज्ञात न हो सकी।

(8) पत्रावली में रक्षित भुगतान नोटशीट जो कि बिल सं. 228 दिनांक - 03-01-2022 के भुगतान से संबंधित है में अंकित है कि "जी.एस.टी. की धनराशि फर्म द्वारा सीधे जमा की जाएगी जिसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है जो पत्रावली में रक्षित है।" किन्तु पत्रावली में ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नही है। इस प्रकार प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही पत्रावली में नोटशीट में असत्य जानकारी देकर भुगतान की कार्यवाही संपादित की गयी है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(9) पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि निविदा खुलने का दिनांक तुलनात्मक विवरण के अनुसार 07-01-2022 है। जिसके द्वारा मेसर्स जवाहर लाल जी ट्रेडर्स की निविदा सामग्री आपूर्ति हेतु स्वीकृत की गयी है। जबकि मेसर्स जवाहर लाल जी ट्रेडा द्वारा अपने बिल सं- 228 दिनांक 03-01-2022 द्वारा सामग्री आपूर्ति की गयी है। स्पष्ट है कि निविदा स्वीकृत होने के पूर्व ही सामग्री की आपूर्ति कैसे की जा सकती है। स्पष्ट है कि कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर रु० 603651.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमोहम्मद आरिफ एवं मोहम्मद शमीम अशरफ तथा लेखाकर श्री सुनील कटियार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-9)

प्रस्तर-34 प्रहलादपुर में मेन रोड से सतीश वर्मा के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य जिसकी लागत 2.83 लाख (अनुमानित) 15वां वित्त योजना की पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल जिसमें दिनांक 07-01-2022 से 06-02-2022 तक 05 मिस्त्री और 08 लेबर द्वारा कार्य किया जाना दर्शाया गया है। पत्रावली मे रक्षित नोटशीट एवं बिल सं - 304 कि 09-02-2022 धनराशि रु० 317621.00 का है जिसके सापेक्ष रु० 305819.00 का भुगतान सामग्री आपूर्ति के II बिल के लिए किया गया है। किन्तु संलग्न मस्टर रोल से ज्ञात हुआ कि जब कार्य दिनांक 07-01-2022 से दिनांक 06-02-2022 तक ही संपादित हुआ है तो कार्य संपादित होने के पश्चात दिनांक 09-02-2022 को सामग्री आपूर्ति का औचित्य सिद्ध नहीं होता है। स्पष्ट है कि काल्पनिक रूप से सामग्री आपूर्ति दिखाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। इस प्रकार रु० 305819 =00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमोहम्मद आरिफ एवं मोहम्मद शमीम अशरफ तथा लेखाकर श्री सुनील कटियार से की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-10)

प्रस्तर-35 बेहटा बल्लू में शंकर जी के मंदिर से बस्ती गांव तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य जिसका विज्ञापन दिनांक 29-11-2021 को समृद्धि न्यूज समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था जिसके सापेक्ष प्राप्त 3(तीन) टेण्डर दिनांक 10-12-2021 को खोले गए। जवाहर लाल जी ट्रेडर्स ग्राम व पोस्ट हैबतपुर गढ़िया का टेण्डर सामग्री आपूर्ति हेतु स्वीकृत किया जाना दर्शाया गया है। किन्तु पत्रावली में संलग्न सामग्री आपूर्ति का बिल सं-47 दिनांक- 15-01-2021 एवं बिल सं-311 दिनांक 26-01-2021 के द्वारा सामग्री आपूर्ति के लिए भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल से क्रमांक रहित में दिनांक 15-01-2021 से 14-02-2021 तक 04 मिस्त्री एवं 07 लेबर द्वारा कार्य किया जाना दर्शित है। मस्टर रोल अंकन रू0 - 120960.00 भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली में सलग्न एम.बी.में एम.बी. करने का दिनांकअंकित नहीं है। न हीं एम.बी.में तिथि सहित हस्ताक्षर किए गए हैं। एम.बी.में कार्य प्रारंभ एवं कार्य पूर्ण होने का दिनांक अंकित नहीं है। एम.बी.करने वाले जे.ई (आर इ डी) श्री आर के गुप्ता द्वारा एम.बी. में कहीं भी तिथि सहित हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका वाल्यूम 6 चैप्टर 12 पैरा 434 से 39 के अनुसार एम.बी.में किए गए सभी हस्ताक्षर तिथि सहित होने चाहिए। स्पष्ट है कि एम.बी.तैयार करते समय जे.ई (आर इ डी) श्री आर के. गुप्ता द्वारा घोर लापरवाही की गयी है जिससे संस्था को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। जो कि गंभीर आपत्ति जनक है। इस प्रकार टेण्डर दिनांक 10-12-2021 के पूर्व करीब 10 माह पहले सामग्री आपूर्ति दिनांक-15-01-2021 एवं 26-01-2021 तथा मस्टर रोल दिनांक 15-01-2021 से 14-02-2021

तक कार्य होना दिखाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, लेखाकार एवं जे.ई (आर इ डी) संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। धनराशि जो भुगतान की गयी उसका विवरण निम्नवत है

नोटशीट दिनांक	बिल सं	दिनांक बिल का	धनराशि
15-01-2021	47	15-01-2021	589247.00
26-01-2021	311	26-01-2021	130451.00
26-01-2021	मस्टर रोल क्रमांक रहित	15-01-2021 से 14-02-2021 तक	120960.00
	योग		840658.00

अतः उक्त धनराशि रु० 840658.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमोहम्मद आरिफ एवं मोहम्मद शमीम अशरफ एवं जे.ई (आर इ डी) आर के गुप्ता तथा लेखाकर श्री सुनील कटियार से की जानी अपेक्षित है।(मू0आ0सं0-11)

प्रस्तर-36 क्षेत्र पंचायत द्वारा केन्द्रीय वित्त योजना वर्ष 2021-22 के अतर्गत स्वीकृत कार्य न्यामतपुर भुक्सी में सामुदायिक शौचालय से चौराहे तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य जिसकी अनुमानित लागत रु० 593000.00 है। उक्त कार्य हेतु श्री विशाल वर्मा ए.डी.ओ. (समाज कल्याण) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल जो कि 3 मिस्त्री एवं 4 लेबर द्वारा दिनांक 04-01-2022 से 21-02-2022 तक कार्य किया जाना दर्शाया गया है। पत्रावली में रक्षित नोटशीट जो कि बिल सं 302 दिनांक 01-03-2022 का मेसर्स जवाहर लाल जी ट्रेडर्स - हैबतपुर गढ़िया के भुगतान से संबंधित है। मस्टर रोल के अनुसार कार्य दिनांक 04-01-2022 से 21-02-2022 तक किया गया दर्शाया गया है। इस प्रकार कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत दिनांक 01-03-2022 को सामग्री की आपूर्ति का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार दिनांक 01-03-2022 को काल्पनिक आपूर्ति दर्शाकर धनराशि रु० 74268.10 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री मोहम्मद आरिफ एवं मोहम्मद शमीम अशरफ एवं लेखाकर श्री सुनील कटियार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-12)

प्रस्तर-37 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि गदनपुर-चैन में प्रा०वि. से गल्लू के घर तक, इन्टरलकिंग एवं नाली निर्माण कार्य के मस्टर रोल में कार्य किस दिनांक से किस दिनांक तक किया गया, अंकित नहीं है। कार्य प्रभारी का आदेश भी पत्रावली में संलग्न नही है। मस्टर रोल पर लेबर एवं मजदूर (मिस्त्री) के हस्ताक्षर नहीं हैं। इस प्रकार उक्त मस्टर रोल जो कि 4 मिस्त्री एवं 7 लेबर को कुल रु० 114990.00 का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है, संदिग्ध प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त मस्टर रोल जिसमें दिनांक अंकित नही है, लेबर, मिस्त्री का हस्ताक्षर नही है। अत: कूटरचित मस्टर बनाकर रु० 114990.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमोहम्मद आरिफ एवं मोहम्मद शमीम अशरफ एवं लेखाकर श्री सुनील कटियार से की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-13)

प्रस्तर-38 अचानकपुर में रामदीन के घर से नेतराम के घर होते हुए लालाराम के घर तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य के पत्रावली में रक्षित मस्टर रोल की जांच में पाया गया कि मस्टर रोल में दिनांक अंकित नहीं है, अर्थात कार्य किए दिनांक से किस दिनांक तक किया गया इसका अंकन नही है मस्टर रोल मे तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, कार्य प्रभारी एवं लेबर मिस्त्री के हस्ताक्षर नही है इस प्रकार 5 मिस्त्री एवं 9 लेबर के द्वारा कार्य किया जाना दिखाकर धनराशि का अपहरण किया गया । अतः मस्टर रोल पर भुगतान की गयी धनराशि रु० 142780.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमोहम्मद आरिफ एवं मोहम्मद शमीम अशरफ एवं लेखाकर श्री सुनील कटियार से की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-14)

प्रस्तर-39 भिडौर में छगन नगला से नानक चन्द्र भिडौर संपर्क मार्ग तक इन्टर लाकिंग कार्य हेतु कार्य प्रभारी श्री विशाल वर्मा ए.डी.ओ (समाज कल्याण) को कार्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल क्रमांक रहित है जिसमें कार्य 7 लेबर एवं 4 मिस्त्री द्वारा किया जाना दर्शाया गया है किंतु यह कार्य किस दिनांक से किस दिनांक तक कराया गया है अंकित नही है। इस प्रकार उक्त मस्टर रोल और उस पर किया

गया रु० 124940.00 का भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है अत: भुगतान की पुष्टि कराई जानी अपेछित है अन्यथा की स्थिति मे उक्त धनराशि रु० 124940.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्रीमोहम्मद आरिफ एवं मोहम्मद शमीम अशरफ एवं लेखाकर श्री सुनील कटियार से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-15)

प्रस्तर-40 आयकर अधिनियम-1961 (यथा संशोधित) की धारा194सी के अनुसार शासकीय अनुदान से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो में किये गये भुगतानो के सम्बन्ध में स्रोत पर की गयी आयकर कटौती की धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत प्रत्येक तिमाही की अन्तिम तिथि को लेखा शीर्ष 21 में जमा किया जाना चाहिए था। वर्ष के प्रारम्भ में उक्त शीर्ष में रू0-299003.00 अवशेष था। आलोच्य वर्ष में कुल रू0-324942.00 की कटौती विभिन्न ठेकेदारों के बिलों से की गयी। इस प्रकार कुल रू0-623945.00 को निर्धारित शीर्ष में जमा न कर अनियमितता की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार, श्री अतुल राठौर, श्री विक्रांत तिवारी , मोहम्मद आरिफ एवं मोहम्मद शमीम अशरफ एवं लेखाकर श्री सुनील कटियार उत्तरदायी है। धनराशि रू0 623945.00 की आर्थिक अनियमितता के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही।(मू0आ0सं0-16)

प्रस्तर-41 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये विभिन्न कार्यो में की गयी सामग्री आपूर्ति के विरूद्ध ठेकेदारों के बिलो से जी0एस0टी0 की धारा-51 के अनुसार 2% की दर से टी0डी0एस0 (जी0एस0टी0) मद में वर्ष दौरान कुल रू0-310379.00 की कटौती की गयी है जिसे निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं कराया गया है। जी0एस0टी0 की धारा 51(2) के अनुसार जिस माह मे कटौती की गयी है उसके अगले माह की 10 तारीख तक उक्त धनराशि को सरकार को भुगतान करने का दायित्व कटौती कर्ता का है किन्तु सम्बन्धित धनराशि निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं की गयी है। क्षेत्र पंचायत द्वारा जी0एस0टी0मे रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया है साथ ही जी0एस0टी0आर0-7 फार्म भी जेनरेट नहीं किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री विजय कुमार, श्री अतुल राठौर, श्री विक्रांत तिवारी , मोहम्मद आरिफ एवं मोहम्मद शमीम अशरफ एवं लेखाकर श्री सुनील कटियार उत्तरदायी है। धनराशि रू0 310379.00 की आर्थिक अनियमितता के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मू0आ0सं0-17)

क्षेत्र पंचायत - नवाबगंज

वर्ष 2021-22

प्रस्तर-42 आलोच्य वर्ष 2021-22 में निम्नांकित विवरण के अनुसार आर्यावर्त ग्रामीण बैंक शाखा -नबावगंज मनरेगा प्रासंगिक व्यय खाता संख्या - 24363 से धनराशियां आहरित किया जाना दर्शित है। किन्तु इन आहरणों से संबंधित व्ययों की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	प्राप्तकर्ता
05.04.2021	486374	15000.00	विवेक कुमार
19.04.2021	486372	72000.00	उमाशंकर
26.04.2021	486373	4000.00	मे0 शिवा कम्प्युटर्स
27.05.2021	491901	28888.00	ट्रांसफर द्वारा
05.06.2021	491903	2950.00	एम.के.एंड कम्पनी
17.12.2021	491906	31760.00	कुलदीप सिंह
03.02.2022	491909	1200.00	बृजमोहन
07.02.2022	491908	5950.00	--
08.03.2022	491910	15250.00	राकेश कुमार

	योग	176998.00	

व्ययों की पुष्टि न हो पाने के कारण समस्त धनराशि रू0 176998.00 गबन की श्रेणी में आती है। उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कौशल कुमार गुप्ता, श्री दुर्गादत्त शुक्ला एवं श्रीमती प्रीती तिवारी तथा लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव से की जानी अपेक्षित है।(मू0आ0सं0-1)

प्रस्तर-43 आलोच्य वर्ष 2021-22 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत कढिउली गौशाला में शेड -2 निर्माण कार्य , जिसकी अनुमानित लागत रू0-4.39 लाख है, कार्य हेतु निविदाकर्ता मेसर्स बलराम सिंह यादव नि0 ग्वालटोली, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद की निविदा स्वीकृत हुई। परन्तु पत्रावली की जाँच में निम्नलिखित कमियां पाई गयीं-

(1) पत्रावली में संलग्न संबंधित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध की शर्तों का उल्लेख नहीं है जोकि अनियमित है।

(2) उक्त निर्माण कार्य पत्रावली मे कार्य प्रारम्भ, मध्य एवं कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है।

(3) निर्माण कार्य पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है जो कि अनियमित है।

(4) उक्त गौशाला में शेड-1 निर्माण कार्य एवं शेड-2 निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के द्वारा श्रमिकों को किया गया भुगतान रू0 33560.00 (17160.00+16400.00) अपहरण की श्रेणी में आता है। क्योंकि उक्त दोनों कार्य मार्च 2022 की समान तिथियों में किये गये दर्शित हैं। उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कौशल किशोर गुप्ता एवं लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-2)

प्रस्तर-44 आलोच्य वर्ष 2021-22 में चतुर्थ राज्य वित्त योजना/ 14वाँ वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रूखैया खालिकदादपुर में गौशाला में भूसा घर निर्माण हेतु अनुमानित लागत रू0- 9.06 लाख है। तत्संबंधी पत्रावली की जाँच में निम्नलिखित कमियां पाई गयीं-

(1) निर्माण कार्य पत्रावली मे कार्य प्रारम्भ, मध्य एवं कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है।

(2) उक्त कार्य हेतु मेसर्स संतोष कांट्रैक्टर एंड सप्लायर, नगला पंचम, पोस्ट कुम्हरौर, फर्रूखाबाद की निविदा स्वीकृत हुई। परन्तु पत्रावली में संलग्न संबंधित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध की शर्तों का उल्लेख नहीं है जोकि अनियमित है।

(3) निर्माण कार्य पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है जो कि अनियमित है।

(4) निर्माण कार्य पत्रावली में दो मस्टर रोल संलग्न हैं। पहले मस्टर रोल में दिनांक 01.08.2021 से 27.08.2021 तक कुल 12 श्रमिकों को रू0- 86508.00 का भुगतान किया गया जबकि दूसरे मस्टर रोल में शेष कार्य को माह नवम्बर 2021 में पूरा कर 15 श्रमिकों को रू0- 100314.00 का भुगतान किया गया है। यहाँ संदेहास्पद यह है कि जो श्रमिक प्रथम मस्टर रोल में राज मिस्त्री हैं उन्हें दूसरे मस्टर रोल में मजदूर दर्शाकर भुगतान किया गया है, साथ ही जो श्रमिक प्रथम मस्टर रोल में मजदूर हैं उन्हें दूसरे मस्टर रोल में राज मिस्त्री दर्शाकर भुगतान कर दिया गया है। अतः सम्पूर्ण भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः कुल धनराशि रू0- 186822.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कौशल किशोर गुप्ता एवं लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव से की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-3)

प्रस्तर-45 आलोच्य वर्ष 2021-22 में 15वें वित्त योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रूखैया खालिकदादपुर में गौशाला में 200 मीटर खण्डजा निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 3.93 लाख है। उक्त कार्य संबंधी पत्रावली की जाँच में निम्नलिखित कमियां पाई गयीं-

(1) निविदाकर्ता मेसर्स आर.के.कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, अम्बेडकर कालोनी, भोलेपुर, फतेहगढ़ द्वारा लगाये गये पंजीकरण नवीनीकरण प्रमाण पत्र की वैधता तिथि समाप्त हो गई है क्योंकि इसे दिनांक 12.03.2019 को 2 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया गया था जबकि निवदा विज्ञापन की तिथि 23.06.2021 थी।

(2) उक्त कार्य हेतु मेसर्स संतोष कांट्रैक्टर एंड सप्लायर, नगला पंचम, पोस्ट कुम्हरौर, फर्रूखाबाद की निविदा स्वीकृत हुई। परन्तु आपके द्वारा लगाया गया 100 रूपये का स्टाम्प पेपर पूर्णतया कोरा है जिस पर अनुबन्ध की शर्तों का उल्लेख नहीं है । अतः निविदा स्वीकृत किया जाना अनियमित है।

(3) निर्माण कार्य पत्रावली में कार्य प्रारम्भ, मध्य एवं कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है।

(4) निर्माण कार्य पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है जो कि अनियमित है।

(5) निर्माण कार्य पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल के अनुसार कुल 15 श्रमिकों को मजदूरी हेतु धनराशि रू0 - 116916.00 का भुगतान किया गया परन्तु श्रमिकों के नाम के समक्ष एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक हस्ताक्षर किये गये हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भौतिक रूप से कोई कार्य नहीं कराया गया तथा उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। साथ ही सामग्री आपूर्ति संबंधित बिल सं0 6 दिनांक 28.12.2021 में अंकित धनराशि रू0-260002.00 भी अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः कुल धनराशि रू0-376918.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कौशल किशोर गुप्ता एवं लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव से की जानी अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-4)

प्रस्तर-46 आलोच्य वर्ष 2021-22 में 15वें वित्त योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रूखैया खालिकदादपुर में शेड 1 चरही निर्माण कार्य हेतु अनुमानित लागत रू0- 1.34 लाख है। उक्त कार्य संबंधी पत्रावली की जाँच में निम्नलिखित कमियां पाई गयीं-

(1) निर्माण कार्य पत्रावली मे कार्य प्रारम्भ, मध्य एवं कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है।

(2) उक्त कार्य हेतु मेसर्स संतोष कांट्रैक्टर एंड सप्लायर, नगला पंचम, पोस्ट कुम्हरौर, फर्रूखाबाद की निविदा स्वीकृत हुई। परन्तु पत्रावली में संलग्न संबंधित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध की शर्तों का उल्लेख नहीं है जो कि अनियमित है।

(3) निर्माण कार्य पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है जो कि अनियमित है।

(4) पत्रावली में संलग्न मस्टर रोल में क्रमांक अंकित नहीं है। इस मस्टर रोल के माध्यम से 6 श्रमिकों को रू0-36228.00 का भुगतान किया गया है। जो कि पूर्णतया फर्जी है क्योंकि 15वें वित्त योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रूखैया खालिकदादपुर में गौशाला में 200 मीटर खण्डजा निर्माण कार्य तथा उक्त कार्य में कार्य की तिथियां समान हैं। दोनो कार्य माह दिसम्बर 2021 में किये गये हैं, साथ ही इन्हीं 6 श्रमिकों द्वारा कार्य दर्शाकर दुगुना भुगतान कर दिया गया है। किसी श्रमिक को एक तिथि पर कार्य हेतु एक दिन का ही भुगतान किया जा सकता है। स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी

वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कौशल किशोर गुप्ता एवं लेखाकार श्री देवेन्द्र कुमार यादव से की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-5)

क्षेत्र पंचायत-बढ़पुर

वर्ष 2021-22

प्रस्तर-47 ग्राम बिलावलपुर से हरिराम की दुकान से रामविलास कुशवाहा की चन्नी तक इंटरलॉकिंग कार्य पर सामग्री क्रय पर रुपए 829239.00 एवं मजदूरी पर रुपए 120000.00 कुल रुपए 949239.00 का व्यय किया गया जिससे संबंधित पत्रावली की जांच में निम्न कमियां पाई गई-

(1) उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य रु0-1000.00 की रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी जो अपेक्षितथी।

(2) कृष्णा कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स कुड्या बूट को टेण्डर स्वीकृत किया गया किन्तु पत्रावली में संलग्न नियम व शर्ते के क्रमांक-13 के अनुसार 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि रू0-14911.00 जमा से सम्बन्धित प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाये गये।

(3) फर्म के भुगतान से टी०डी०एस (जी०एस०टी०) तो काटा गया है किन्तु जी0एस0टी0आर0-7 दाखित नहीं किया गया है एवं काटा गया जी०एस०टी० जमा नहीं किया गया।

(4) कार्य प्रभारी श्री वेदप्रकाश को दर्शाया गया हैए किन्तु पत्रावली में इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आदेशसंलग्न नहीं पाया गया।

(5) पत्रावली में संलग्न नियम व शर्तों में क्रमांक-08 के अनुपालन में निविदादाता द्वारा यह प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है कि उसके सगे सम्बन्धी या नजदीकी रिश्तेदार खण्ड विकास कार्यालय में कार्यरत नहीं है।

(6) निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रू0-869156.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कुवर सचिन सिंह एवं लेखाकार श्री यशवीर सिंह उत्तरदायी है। इस आर्थिक अनियमितता के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मू०आ०स० 18)

प्रस्तर-48 ग्राम दिलावल में कायमगंज रोड पर कुंड्या बूट में नरेन्द्र शाक्य के घर से सत्यम के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य पर सामग्री क्रय पर रू0-388787.00 एवं मजदूरी पर रू0-65690.00 कुल रु0-454477.00 का व्यय किया गया। जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियां पायी गयीः-

(1) उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य रु0-1000.00 की रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी जो अपेक्षित थी।

(2) कृष्णा कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स कुड्या बूट को टेण्डर स्वीकृत किया गया किन्तु पत्रावली में संलग्न नियम व शर्ते के क्रमांक-13 के अनुसार 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि रू0-7319.00 जमा से सम्बन्धित प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाये गये।

(3) फर्म के भुगतान से टी०डी०एस (जी०एस०टी०) तो काटा गया है किन्तु जी0एस0टी0आर0-7 दाखिल नहीं किया गया है एवं काटा गया जी०एस०टी० जमा नहीं किया गया।

(4) कार्य प्रभारी श्री वेदप्रकाश को दर्शाया गया है किन्तु पत्रावली में इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आदेश संलग्न नहीं पाया गया।

(5) पत्रावली में संलग्न नियम व शर्ती में क्रमांक-08 के अनुपालन में निविदादाता द्वारा यह प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है कि उसके सगे सम्बन्धी या नजदीकी रिश्तेदार खण्ड विकास कार्यालय में कार्यरत नहीं है।

(6) निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षितहै।इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रू0-454477.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कुवर सचिन सिंह एवं लेखाकार श्री यशवीर सिंह उत्तरदायी है। इस आर्थिक अनियमितता के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मू0अ0स0 19)

प्रस्तर-49ग्राम कुंड्या बूट में नन्दराम यादव के घर से अजगर सिंह के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य पर सामग्री क्रय पर रू0-456056.00 एवं मजदूरी पर रू0-75690.00 कुल रू0-531746.00 का व्यय किया गया। जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियां पायी गयीः-

(1) उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य रु0-1000.00 की रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी जो अपेक्षित थी।

(2) कृष्णा कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स कुड्या बूट को टेण्डर स्वीकृत किया गया किन्तु पत्रावली में संलग्न नियम व शर्ते के क्रमांक-13 के अनुसार 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि रू0-8122.00 जमा से सम्बन्धित प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाये गये।

(3) फर्म के भुगतान से टी०डी०एस (जी०एस०टी०) तो काटा गया है किन्तु जी0एस0टी0आर0-7 दाखित नहींकिया गया है एवं काटा गया जी०एस०टी० जमा नहीं किया गया।

(4) कार्य प्रभारी श्री प्रमोद शुक्ला को दर्शाया गया है किन्तु पत्रावली में इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आदेश संलग्न नहीं पाया गया।

(5) पत्रावली में संलग्न नियम व शर्तों में क्रमांक-08 के अनुपालन में निविदादाता द्वारा यह प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है कि उसके सगे सम्बन्धी या नजदीकी रिश्तेदार खण्ड विकास कार्यालय में कार्यरत नहीं है।

(6) निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(7) ग्राम पंचायत में उपरोक्त कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृत प्राप्त नहीं की गयी।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रु0-531746.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कुवर सचिन सिंह एवं लेखाकार श्री यशवीर सिंह उत्तरदायी है। इस आर्थिक अनियमितता के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मू0अ0स0 20)

प्रस्तर-50ग्राम जसमई में पृथ्वीराज के घर से प्राथमिक विद्यालय तक इण्टरलाकिंग कार्य पर सामग्री क्रय पर रू0- 684233.00 एवं मजदूरी पर रू0-103690.00 कुल रु0-787923.00 का व्यय किया गया। जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियां पायी गयीः-

(1) उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य रु0-1000.00 की रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी जो अपेक्षित

(2) कृष्णा कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स कुइया बूट को टेण्डर स्वीकृत किया गया किन्तु पत्रावली में संलग्न नियम व शर्ते के क्रमांक-13 के अनुसार 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि रु0-12142.00 जमा से सम्बन्धित प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाये गये।

(3) फर्म के भुगतान से टी०डी०एस (जी०एस०टी०) तो काटा गया है किन्तु जी0एस0टी0आर0-7 दाखित नहीं किया गया है एवं काटा गया जी०एस०टी० जमा नहीं किया गया।

(4) कार्य प्रभारी श्री प्रमोद शुक्ला को दर्शाया गया है किन्तु पत्रावली में इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आदेश संलग्न नहीं पाया गया।

(5) पत्रावली में संलग्न नियम व शर्तों में क्रमांक-08 के अनुपालन में निविदादाता द्वारा यह प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है कि उसके सगे सम्बन्धी या नजदीकी रिश्तेदार खण्ड विकास कार्यालय में कार्यरत नहीं है।

(6) निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

(7) ग्राम पंचायत में उपरोक्त कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृत प्राप्त नहीं की गयी।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रू0-787923.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कुवर सचिन सिंह एवं लेखाकार श्री यशवीर सिंह उत्तरदायी है। इस आर्थिक अनियमितता के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मू0अ0स0 21)

प्रस्तर-51ग्राम पिथूपुर मेंहदिया में जखा रोड मँहदिया पंचायत घर तक सम्पर्क मार्ग पर नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य पर सामग्री क्रय पर रू0-828445.00 एवं मजदूरी पर रू0-138310.00 कुल रू0-966755.00 का व्यय किया गया। जिससे सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न कमियां पायी गयीः-

(1) उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य रू0-1000.00 की रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी जो अपेक्षित थी।

(2) कृष्णा कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स कुड्या बूट को टेण्डर स्वीकृत किया गया किन्तु पत्रावली में संलग्न नियमव शर्ते के क्रमांक-13 के अनुसार 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि रू0-14852.00 जमा से सम्बन्धित प्रपत्र पत्रावली में संलग्न नहीं पाये गये।

(3) फर्म के भुगतान से टी०डी०एस (जी०एस०टी०) तो काटा गया है किन्तु जी०एस०टी०आर०-7 दाखित नहीं किया गया है एवं काटा गया जी०एस०टी० जमा नहीं किया गया।

(4) कार्य प्रभारी श्री वेदप्रकाश को दर्शाया गया है किन्तु पत्रावली में इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आदेश संलग्न नहीं पाया गया।

(5) पत्रावली में संलग्न नियम व शर्तों में क्रमांक-08 केअनुपालन में निविदादाता द्वारा यह प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है कि उसके सगे सम्बन्धी या नजदीकी रिश्तेदार खण्ड विकास कार्यालय में कार्यरत नहीं है।

(6) निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का स्टॉक लेखा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया गया है। जो अपेक्षित है।

इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रु0-966755.00 अनियमित है जिसके लिए जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कुवर सचिन सिंह एवं लेखाकार श्री यशवीर सिंह उत्तरदायी है। इस आर्थिक अनियमितता के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

(मू0अ0स0 22)

प्रस्तर-52 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के भुगतान से 2 प्रतिशत जी०एस०टी० की कटौती कुल रु0-243849.00 की गयी किन्तु सम्बन्धित धनराशि को निर्धारित शीर्ष में जमा नहीं कराया गया है। यह गम्भीर आपतिजनक है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र पंचायत का जी०एस०टी० में रजिस्ट्रेशन दिनांक 30.07.2023 को कराया गया। यही कारण रहा कि काटी गयी जी०एस०टी० की धनराशि समयान्तर्गत निर्धारित शीर्ष में क्षेत्र पंचायत द्वारा जमा नहीं की गयी। जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री कुवर सचिन सिंह उत्तरदायी है। उपरोक्त धनराशि अविलम्ब निर्धारित शीर्ष में जमा किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान गम्भीरता से आकृष्ट किया जाता है। धनराशि रू0 243849.00 की आर्थिक अनियमितता के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (मू0अ0स0 23)

जनपद- कानपुर देहात

प्रारूप - 3

संस्था का नाम -क्षेत्र पंचायत

जनपद- कानपुर देहात

ले0प0 वर्ष 2021-22

1-क्षेत्र पंचायत -अमरौधा

प्रस्तर सं 1-. निर्माण कार्य- सुजौर में रामजीवन के घर से कृपाशंकर के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माणकार्य - 5 रा०वि०

कार्य की लंबाई 180 मीटर प्रा० लागत 7.63 लाख फार्म एमएन रिशि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा० स्वीकृत तिथि- 852/2020-21

(1)- कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य, प्रारम्भ, कार्य मध्य, कार्य पूर्ण के फोटो) पत्रावली में संलग्न नही रही।

(2)-कार्य उपभोग / कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जारी नही किया गया।

(3)- जमानत राशि 2%कुल रु.15500-00 नकद जमा की गयी। कैशबुक न बनाकर उसका विवरण उसमें अंकित नहीं किया गया।

(4)- कार्य मे साइन बोर्ड की फोटो पत्रावली में संलग्न नही रही। जब कि भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल रू0-589996.00 का भुगतान नियम विरूद्ध रहा। इस प्रकार कार्य पूर्ण होने के इतने समय अंतराल पर भी पत्रावली को पूर्ण कर नहीं रखी गयी और भुगतान कर दिया गया। इसके लिए तत्कालीन पटल प्रभारी श्री राजेश मिश्रा व तत्कालीन बीडीओ प्रशान्त कुमार उत्तरदायी रहे। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित रही। (मूल आपत्ति 5)

प्रस्तर सं 2 -निर्माण कार्य - पशु अस्पताल पुखरायां में बाउण्ड्री बाल मरम्मत और बाउण्ड्री बाल की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य-प्राक्कलन लागत 6.25 लाख

(1)- कार्य में जमानत नगद 12500=00 जमा की गई। जिसे कैशबुक में अंकित न कर मात्र निविदा जमानत रजिस्टर में अंकित किया गया है। इसे कैशबुक में लाया जाना अपेक्षित रहा, जो कि बनाई नही गई है।

(2)- कार्य का कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहा। पूछने पर बताया गया कि मात्र एम०बी० के आधार पर भुगतान किया गया। इसलिए उपभोग प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। उत्तर असंतोषजनक रहा। इस और विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

इस प्रकार रुपया 546496-00 का भुगतान नियम विरुद्ध रहा इसके लिए तत्काललिन पटल प्रभारी श्री राजेश मिश्रा व तत्कालिन वीडिओ प्रशांत कुमार उत्तरदायी रहे| जिसकी वसूली उत्तरदाई व्यक्तियो से की जानी अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति 6

)

प्रस्तर सं 3-. निर्माण कार्य - मेन रोड बील्हापुर से रसरापुर की तरफ इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण लबाई 200 मीटर क्षेत्र निधि

प्राक्कलन लागत- 9.25 लाख

(1)-कार्य की त्रिस्तरीय फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया.

(2)- उपभोग प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया।

(3) कार्य की खनिज सामग्री प्रयुक्त से संबंधित एमएम-11 बिल के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अभिलेख पूर्ण किए बिना भुगतान किया जाना नियम विरुद्ध रहा। इस प्रकार कुल 818468.00 का भुगतान नियम विरुद्ध रहा। इसके लिए तत्कालीन पटल प्रभारी श्री राजेश मिश्रा व तत्कालीन बीडीओ प्रशान्त कुमार उत्तरदायी रहे। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित रही। (मूल आपत्ति 8)

प्रस्तर सं 4-. निर्माण कार्य - राज्यवित्त ग्राम डढवापुर में मंदिर से प्राइमरी पाठशाला तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य लंबाई 165 मीटर प्राक्कलन लागत 5.00 लाख कार्ययोजना में जिसे प्राक्कल/स्त्रीमेट में 7.49 लाख कर दिया गया।

(1)-उक्त कार की पत्रावली में संलग्न फोटो सही नहीं पाए गए जो कि अन्य कार्य ग्राम अंगूरी में कराए गए कार्य के लगा दिए गए थे। इस प्रकार उक्त कार्य के त्रिस्तरीय फोटो लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। फोटो के बिना कार्य का भुगतान नियम विरुद्ध रहा।

(2)- कार्य के नाम पट्ट-कार्यदेश -कार्यदेश तथा निविदा विज्ञापन में उल्लेखित नियम बिंदु 9 भी नहीं लगाया गया। इसकी फोटो पत्रावली में संलग्न नहीं की गई। जबकि साइन बोर्ड का रुपया 1800.00 भुगतान किया गया। (एमबी-77 के अनुसार पेज 1 से 6 तक)

(3)-कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(4) - तकनीकी स्वीकृत के बिंद-3 के अनुसार खंड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान के अनुरूप ही निर्माण कार्य का स्थल रहेगा। परंतु उक्त नियम/संस्था द्वारा पारित शर्ट का पालन नहीं किया गया। प्राक्कलन में साइड प्लान तैयार कर नहीं लगाया गया।

(5)-निविदा पर जेई आरईडी के हस्ताक्षर नहीं रहे।

(6)- कार्य की निविदा तुलनात्मक चार्ट में निविदा के साथ जमा धरोहर धनराशि का विवरण शासकीय रसीद संख्या का कलाम रिक्त रखा गया जो कि नियम विरूद्ध होने के साथ-साथ संदेहास्पद भी है।

(7)- कार्य के प्राक्कलन में उल्लिखित क्रमांक-7 पर पी/सी 80एमएम थिक इंटरलाकिंग ब्लाक ई/सी ऑल कंपलीट-495 एसके दर 820.00 कुल मूल्य 405900=00 अकित किया गया है। परन्तु एमबी मे यही माप कमांक 7 पर पी/सी 80एमएम थिक इंटरलाकिंग ब्लाक ई/सी ऑल कंप्लीट 506.98 एसके दर 820.00 कर दिया गया। इस प्रकार उक्त माप को 11.98 बढाया गया जिसमे रुपया 9823-00 अधिक तय किया गया।

कार्य के प्राक्कलन में उल्लेखित क्रमांक 8 पर 12म.म का मोटा प्लास्टर 1:4 सीमेंट /सैन्ड मोर्टार पूर्ण किया गया न.बी.ओ.-17.58 (3) क्वान्टिटी 106.53 स्क्वायर मी 150.00 कुल मूल्य 15979=50 अंकित किया गया परंतु

एमबी में यही माक क्रमांक-5 121.63 स्क्वायर मी दर 150.00 पर कुल मूल्य 12244=00 अंकित किया गया। माप बढ़ाने पर लागत मूल कम कैसे हो गया। यह अपुष्ट रहा। इस प्रकार प्राक्कलन व माप पुस्तिका में असमता तथा अंतर पाया गया। इस हेतु जेई आरईडी श्री रूप सिंह उत्तरदायी रहे / साथ ही तत्कालीन पटल प्रभारी श्री राजेश मिश्रा, ब्लाक प्रमुख श्रीमती प्रमिला कटियार तथा तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री प्रशांत कुमार उत्तरदाई रहे। जिन्होंने माप व अभिलेखों को अच्छी तरह जांचे बिना भुगतान किया। इस ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। भुगतान वर्ष 2022-23 में किया गया। इसके लिए तत्कालीन पटल प्रभारी श्री राजेश मिश्रा व तत्कालीन बीडीओ प्रशान्त कुमारउत्तरदायी रहे। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित रही। (मूल आपत्ति 11)

प्रस्तर सं 5- निर्माण कार्य - ग्राम पंचायत अंगूरी में माजरा सुनियापुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय से रामबाबू के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण

(1)-कार्य की त्रिस्तरीय फोटो नहीं संलग्न की गई है।

(2)- कार्य के प्रकरण में क्रमांक-7 इंटरलोकिंग कार्य शॉपद रबड मौल्देद 80म.म.की मोटी इंटर लोकिंग ब्लाक पर्वी कोम्प्रेस्सिव स्टैंनथ 30.म.पी.ए. 603.50 स्कायर 820/रू/स्कायर की दी से कुल रू0-494870.00 प्राक्कलित किया गया था। परन्तु माप पुस्तिका (एमबी-62) मे कमांक-6 पर यही माप 705.50 स्कायर Rs.-820.00 वर्ग से 578510.00 हो गयी। इस प्रकार माप में 102 प्रतिशत का परिवर्तन तथा रू०-83640.00 की मूल्य वृद्धि की गयी। जिसे अन्य किसी मूल्य विहीन आइटम से कम ज्यादा कर संतुलित किया गया। इस प्रकार तत्कालीन जेई आरआईडी श्री रूप सिंह, एम०एन० रिशि इंटरप्राइजेज के ठेकेदार विनीता सिंह, तत्कालीन खण्डविकास अधिकारी भगवान सिंह चौहान तथा खण्ड विकास अधिकारी प्रशांत कुमार इस वित्तीय अनियमितता हेतु उत्तरदाई है। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित रही। (मूल आपत्ति 12)

2 .क्षेत्र पंचायत डेरापुर

प्रस्तर सं.6-ग्रांट रजिस्टर सं 3 के अनुसार रोजगार गारंटी निधि खाते से व्यय धनराशि रु.238032.00 के प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गई ,जबकि उ.प्र.क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961 के नियम 66 के अनुसार प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत किया जाना चाहिए था परंतु उक्त नियम का पालन न कर रु.238032.00 का अपहरण कर लिया गया है । जिसकी वसूली खंड विकास अधिकारी श्री प्रशांत यादव तथा लेखाकार श्री रजनीश पाल से की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति 2)

प्रस्तर सं 07 - प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण मद मे आलोच्य वर्ष मे आवंटित प्रशासनिक मद की धनराशि रु.223300.00 के सापेक्ष व्यय धनराशि के प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गई,जबकि उ.प्र.क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961 के नियम 66 के अनुसार प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत किया जाना चाहिए था परंतु उक्त नियम का पालन न कर रु. 223300.00 लाख का अपहरण कर लिया गया है । जिसकी वसूली खंड विकास अधिकारी श्री प्रशांत यादव तथा लेखाकार श्री रजनीश पाल से नियमानुसार की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति 3)

3 . क्षेत्र पंचायत राजपुर

प्रस्तर सं.08 - कार्य का नाम -ग्राम रोहिणी डेरा मे नीरज सिंह के घर से प्राईमरी स्कूल तक इन्टरलोकिंग कार्य
योजना का नाम-राज्य वित्त आयोग
भुगतान की धनराशि-917861.00

परियोजना की निर्माण पत्रावली की जांच मे पाया गया कि रु.917861.00 व्यय दर्शाकर परियोजना को पूर्ण दर्शाया गया है । जिसमे निम्न कमियाँ पाई गई ।

-परियोजना की कुल लंबाई 260 मि.के सापेक्ष 219 मी.मात्र इन्टरलोकिंग कार्य कराया गया है जिससे स्पष्ट है कि परियोजना अपूर्ण एवं जनहित के उपयोग लायक नहीं है क्योंकि परियोजना के प्रारम्भिक बिन्दु से अंतिम बिन्दु तक की कुल दूरी 260 मी के सापेक्ष 41 मी से कम मात्र 219 मी ही कार्य कराया गया दर्शित है ।

-एमबी मे पृष्ठ सं 1 से 6 तक विवरण अंकित किया गया है परंतु एमबी बुक सं नहीं दर्ज है न ही पृष्ठांकन मशीन से किया गया है ।

प्रतिवेदन मे पुराना ब्रिक सोलिड्ग मार्ग दर्शित है जबकि कार्य पूर्व के फोटोग्राफ मे केवल मिट्टी रोड़ा है।

कार्य के दौरान का एवं कार्य पूर्ण होने के समय का फोटो एक ही फोटोग्राफ मे ही है जबकि ऐसा संभव ही नहीं है।

किसी भी फोटोग्राफ मे प्राइमरी स्कूल का फोटो नहीं है और न ही कार्य के दौरान कार्य करते मजदूरों की फोटो है ।

एमबी बुक एवं प्रतिवेदन मे साइन बोर्ड का प्रविधान है जबकि फोटोग्राफ मे साइन बोर्ड की फोटो ग्राफ नहीं है । अत:स्पष्ट है कि परियोजना अधूरी है । उक्त धनराशि रु.917861.00 दुरूपयोगित की गई है जिसकी संयुक्त रूप से वसूली खंड विकास अधिकारी श्री विजय शंकर शुक्ल एवं जे.ई.आर.ई.एस.श्री मोहाना तथा लेखाकार श्री आर.बी.गौतम से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति 2)

प्रस्तर सं 09 -. कार्य का नाम -ग्राम खालसापुर से कमालपुर रोड तक इन्टरलोकिंग कार्य

योजना का नाम-राज्य वित्त आयोग

भुगतान की धनराशि-893306.00

परियोजना की निर्माण पत्रावली की जांच मे पाया गया कि कुल अनुमानित लागत 9.80 लाख के सापेक्ष रु.893306.00 व्यय दर्शाकर परियोजना को पूर्ण दर्शाया गया है । जिसमे निम्न कमियाँ पाई गई :-

-परियोजना की कुल लंबाई 235मी. के सापेक्ष 203 मी.मात्र इन्टरलोकिंग कार्य कराया गया है जिससे स्पष्ट है कि परियोजना अपूर्ण एवं जनहित के उपयोग लायक नहीं है क्योंकि परियोजना के प्रारम्भिक बिन्दु से अंतिम बिन्दु तक की कुल दूरी 235 मी के सापेक्ष 32 मी से कम मात्र 203 मी ही कार्य कराया गया दर्शित है ।

- एमबी मे निर्माण कार्य मे प्रयुक्त सामग्री की माप एवं गिनती दर्ज नहीं की गई जबकि उ.प्र.क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961 के नियम 35(1)के अनुसार एमबी बुक मे सामग्री की माप एवं गिनती का अंकन किया जाना चाहिए। अत:नियम का पालन न कर गंभीर अनियमितता की गई है ।

- एमबी बुक सं तथा कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की तिथि दर्ज नहीं है ।

-ठेकेदारों द्वारा भरे गए फार्मों मे अल्पकालीन निविदा की नियम व शर्तें पृष्ठ पर ठेकेदारों के नाम एवं हस्ताक्षर नहीं पाए गए।

-स्वीकृत ठेकेदार (राजा कटियार) का अनुबंध पत्र पाया गया परंतु स्टाम्प पेपर नहीं पाया गया।

- कार्य पूर्ण होने की फोटोग्राफ पत्रावली मे नहीं पाई गई । अत: उपरोक्त कमियों के कारण रु.893306.00 के भुगतान मे गंभीर अनियमितता की गई है जिसके लिए खंड विकास अधिकारी श्री विजय शंकर शुक्ल एवं जे.ई.आर.ई.एस.श्री मोहाना तथा लेखाकार श्री आर.बी.गौतम उत्तरदायी हैं व इनसे वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति 3)

प्रस्तर सं.10 कार्य का नाम -ग्राम पंचायत खोजाफूल मे ओमप्रकाश के मकान के पास पानी की टंकी का निर्माण योजना का नाम-केन्द्रीय वित्त आयोग

भुगतान की धनराशि- 64189.00 निर्माण पत्रावली के अवलोकन मे पाया गया कि कौशल कुमार की निविदा 0.01%कम पर शिव कुमार की निविदा 0.15%कम पर तथा प्रसाद कंस्ट्रक्शन (राजा कटियार)की निविदा 0.30%कम दर पर है । अत: निविदा प्रसाद कंस्ट्रक्शन की स्वीकृत की गई परंतु कार्य कराने का शपथ पत्र कौशल कुमार का है बिल मे कौशल कुमार को भुगतान की बात की गई है। एमबी बुक मे भी ठेकेदार कौशल कुमार ट्रेडर्स लिखा गया है । एमबी बुक सं तथा कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की तिथि दर्ज नहीं है । कार्य के दौरान का एवं कार्य पूर्ण होने के समय का फोटो मे कोई ताल मेल नहीं है। कार्य पूर्ण की फोटोग्राफ मे सोलर पैनल बना है

अत: उक्त तथ्यों से स्पष्ट है रु. 64189.00 का कल्पित भुगतान कौशल कुमार ट्रेडर्स को कर धन का अपहरण किया गया है जिसकी संयुक्त रूप से वसूली खंड विकास अधिकारी श्री विजय शंकर शुक्ला एवं

जे.ई.आर.ई.एस.श्री मोहाना तथा लेखाकार श्री आर.बी.गौतम से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति 4)

प्रस्तर सं 11. कार्य का नाम -ग्राम टमरापुर से मदारीपुर की पुलिया तक इन्टरलोकिंग कार्य

योजना का नाम-राज्य वित्त आयोग

भुगतान की धनराशि- 896342.00 निर्माण पत्रावली की जांच मे पाया गया कि टेन्डर के तुलनात्मक चार्ट मे लिखा गया है कि तकनीकी रूप से दो निविदायें अह्र है जिनमे श्री शिवकुमार कंस्ट्रक्शन की निविदा स्वीकृत है । जब टेन्डर प्रक्रिया पूर्ण नही है तो टेन्डर कैसे स्वीकृत हो गया । किसी भी स्तर पर फोटोग्राफ पत्रावली मे नहीं पाई गई।

अत: उक्त तथ्यों से स्पष्ट है रु.896342.00 की गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है जिसकी संयुक्त रूप से वसूली खंड विकास अधिकारी श्री विजय शंकर शुक्ला एवं जे.ई.आर.ई.एस.श्री मोहाना तथा लेखाकार श्रीआर.बी.गौतम से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति 5)

4. क्षेत्र पंचायत मलासा

प्रस्तर सं 12 -विकासखंड मलासा में परिसर में शहीद स्मारक पर शहीदों के नाम पत्थर पर लिखवाने का कार्य-

(1)- प्रारम्भ में दिनांक 23.12.2019 को कोटेशन आमंत्रण पत्र पर जिस पर तत्कालीन बी०डी०ओ० मलासा के हस्ताक्षर व अनुमति है। कार्य योजना में टी०एस०-359/दिनांक अंकित नही पर प्राक्कलन लागत रू0-00.26 लाख अंकित की गई है

प्राक्कलन में प्राक्कलित लागत 0.92 लाख कर दिया गया। इस प्राक्कलन पर मात्र जे.ई.आर.ई.डी.श्री लोकेश त्रिपाठी के संक्षिप्त हस्ताक्षर अंकित है। परंतु इस पर ना तो मुहर है न ही तत्कालीन बी०डी०ओ० के हस्ताक्षर व मुहर पाये गये है। इस प्रकार 280 प्रतिशत लागत बिना किसी प्रस्ताव अनुमति तथा उच्चाधिकारियों को सूचित किए ही प्राक्कलित लागत लगभग 3 गुनी वृद्धि का प्राक्कलन निर्माण किया गया है। इसी के सापेक्ष कार्य कराकर एम०बी० में कार्य कराकर दिनांक 08.07.2021 को रुपया 86815.00 का भुगतान कर दिया गया। भुगतान बाउचर एसपीसी/2021-22/पी/14/ केस रिकॉर्ड 49541642 द्वारा किया गया है।

इस प्रकार अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि उक्त कार्य को करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जे.ई.आर.ई.डी श्री लोकेश त्रिपाठी से मिलीभगत कर तत्कालीन लेखाकार श्री राजेश मिश्रा, शैलेन्द्र सचान पटल प्रभारी ने प्रस्ताव पारित कराए बिना ही लागत को लगभग 300 प्रतिशत बढा दिया गया है। जबकि इस कार्य पर लागत में परिवर्तन प्रक्रिया नियमानुसार उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर कार्य के स्वभाविक लागत में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार उक्त 60815.00 मूल्य का अधिक कार्य बिना अनुमति लिये कराने हेतु तत्कालीन जे.ई.आर.ई.डी श्री लोकेश त्रिपाठी तथा तत्कालीन प्रभारी श्री राजेश मिश्रा व शैलेन्द्र सचान तथा तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री सच्चिदानंद प्रसाद अनियमित भुगतान हेतु उत्तरदायी रहे। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति 2)

प्रस्तर सं 13- विकासखंड मलासा के मीटिंग हॉल में 175 नग कुर्सी सप्लाई के कार्य। प्राक्कलन लागत 9.96 लाख फर्म- बी०के० इंटरप्राइजेज मे निम्न कमियाँ पाई गई :-

(1)- उक्त अन्तर्गत स्टॉक रजिस्टर के पेज नं0 25 पर अंकित किया गया हैं जब कि ऑडोटोरियम का निर्माण अभी अपूर्ण है तो स्टॉक पहले से रखने का कोई औचित्य नहीं है आवश्यकता व समय से पहले स्टॉक करने से अभी से अधिकांश कुर्सियां टूटने लगी है। साथ ही उन्हें रखने की जगह नहीं है। इस प्रकार bnic इंटरप्राइजेज को 840000+151200 (18 प्रतिशत जी०एस०टी) कुल रूपया 991200.00 का अनावश्यक भुगतान किया गया जो कि औचित्य विहीन रहा। **यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि** पहले 08.07.2021 को ई-भुगतान कैस रिकार्ड 4953964-4,5 भुगतान किया गया। बाद में चेक संख्या 00375 दिनांक 05.01.2022 को त्रुटिपूर्ण भुगतान लक्ष्मी इंटरप्राइजेज को हुआ जिसे फर्म ने वापस कर दिया। तत्पश्चात चेक संख्या 000376 दिनांक 05.01.2022 को राम यादव (मो0नं0- 9721534516) को द्वारा भुगतान प्राप्त रसीद पत्रावली में संलग्न रही। जिस पर फर्म का लेटर हेड या मुहर अंकित नहीं थी। इस प्रकार कार्य पर लागत में परिवर्तन प्रक्रिया

नियमानुसार उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर कार्य के स्वभाविक लागत में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार उक्त 134400.00 का भुगतान संदिग्ध रहा तत्कालीन प्रभारी श्री राजेश मिश्रा व शैलेन्द्र सचान तथा तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री विजय शंकर शुक्ला अनियमित भुगतान हेतु उत्तरदायी रहे। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति 3)

प्रस्तर सं 14 - ग्राम पंचायत गिरदों के सड़क तालाब से मलासा डामर रोड की ओर खरंजा निर्माण कार्य लंबाई 300 मीटर प्रा०ल0-5.74 लाख अवधि-3 माह

(1)-साइट प्लान नही लगाया गया जब कि कार्यदेश एवं तकनीकि स्वीकृत मे उल्लिखित है कि साइट प्लान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित के अनुरूप निर्माण का स्थल रहेगा। (बिन्दु-3)

(2)- दिनांक 22.8.2021 को निविदा टेंडर खोलने का स्वीकृत पत्र पर न तो जे.ई.आर.ई.डी के हस्ताक्षर व न ही मुहर है और नही ही ए०डी०ओ० आई०एस०बी० मलासा के हस्ताक्षर है।

(3)-कार्य की त्रिस्तरीय फोटो संलग्न नहीं रही । कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा। इस प्रकार कुल भुगतान रू0 926570.00 अनियमित रहा । इस प्रकार अनियमितता के बावजूद भुगतान किये जाने हेतु तत्कालीन बी०डी०ओ० सच्चिदानंद प्रसाद, पटल प्रभारी श्री राजेश मिश्रा तथा जे.ई.आर.ई.डी श्री लोकेश त्रिपाठी से वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति 12)

प्रस्तर सं 15 - ग्राम पंचायत बिरमा में पानी की टंकी का निर्माण प्रक्कलन लागत 2.99 लाख,15वां वित्त मे निम्न कमियाँ पाई गई :-

(1)-कार्य की माप पुस्तिका सं0-2 (पृष्ठ संख्या 1 से 5) पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गयी। जिससे कार्य प्रारम्भपूर्ण व मापांकन की तिथि का पता नहीं चल सका।

(2)-उक्त कार्य का भुगतान 65941.00 शुद्ध भुगतान रुपया 55609.00 का भुगतान साई कंट्रक्शन को किया जा चुका है ।

(3) - भुगतान आदेश पर बी०डी०ओ० के हस्ताक्षर नही (तत्कालीन बी०डी०ओ० सच्चिदानन्द प्रसाद की मोहर) इस प्रकार एम०बी० लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने से कार्य की स्थिति तथा उसके अनुरूप कार्य के भुगतान की स्थिति अज्ञात रही। इस प्रकार उक्त रुपया 55609.00 का भुगतान अनियमित व नियम विरूद्ध रहा। जिस हेतु तत्कालिन बी0डी0ओ0 सचिदानंद प्रसाद तत्कालीन जे.ई.आर.ई.डी श्री लोकेश त्रिपाठी तथा तत्कालीन पटेल प्रभारी श्री राजेश मिश्रा, शैलेंद्र सचान उत्तरदायी है। इस हेतु जांचोंपरान्त उक्त धनराशि 55609.00 की वसूली उक्त उल्लिखित उत्तरदायी से अपेक्षित है। (मूल आपत्ति 13)

प्रस्तर सं 16 - 4 वें / 5वें वित्त से ग्राम पंचायत बिरमा में नरसिंह भगवान के मंदिर से में मेन रोड तक खंड़जा निर्माण कार्य प्रा० लागत 5.16 लाख भुगतान 458772-00

(1)- कार्य की त्रिस्तरीय फोटो के अंतर्गत कार्यपूर्ति स्थिति की फोटो संलग्न नहीं रहे।

(2)-एम०बी० में कार्य प्रारंभ, पूर्ण व मापंकन की स्थिति अंकित नही की गयी।

(3)-कार्य के नाम पट्ट (साइन बोर्ड) हेतु 4032.00 का भुगतान किया गया। परन्तु साइन बोर्ड की फोटो संलग्न नहीं रही।

इस प्रकार 4032.00 का भुगतान अनियमित जिसकी वसूली तत्कालीन बी०डी०ओ० सच्चिदानंद प्रसाद, पटल प्रभारी राजेश मिश्रा, शैलेंद्र सचान तथा जेआरडी लोकेश त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति 14)

5. क्षेत्र पंचायत झीझंक

प्रस्तर सं 17-ग्रांट रजिस्टर व क्षेत्र पंचायत के बैंक खातों के प्रारम्भिक शेष,आय,व्यय,व अंतिम अवशेष मे निम्न विवरण के अनुसार अंतर पाया गया

1 प्रारम्भिक संष में अन्तर रु. 209670.59

2 प्राप्त अनुदान/आय में अंतर रु. 5326.50

3. उपभोग/व्यय में में अंतर रु 232863.11

4 वर्षान्त अवशेष में में अंतर रु 18120.00

लेखाकार से यह अपेक्षा की जाती है कि क्षेत्र पंचायत के समस्त आवको अनुदान पंजी 1.2.3 को एक सेट में शामिल करते हुए आय एवं व्यय में अन्तर का समाधान आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करें। विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान उपरोक्त चारो के कुल अंतर रू0 465980.20 की अनियमितता को दीक कराये जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है। इसके लिए बी.डी.ओ.श्रीमती महिमा विधार्थी व लेखाकार श्री रमेश चंद कमल उत्तरदायी है व इनसे वसूली अपेक्षित है । (मूल आपत्ति 13)

प्रस्तर सं 18- ग्राम मनकापुर में मंगलपुर औरंगाबाद रोड से श्री पप्पू शर्मा के खेत तक में इन्टरलॉकिग कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गई। ग्रांट रजिस्टर के अनुसार उक्त कार्य पर रु.757230.00 का व्यय था। धनराशि को अपहरण की श्रेणी में रखते हुए बीडीओ श्रीमती महिला विधार्थी व लेखाकार श्री रमेश चंद्र कमल से वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति 18)

प्रस्तर सं 19-कार्यालय पत्रांक 1124 दिनांक 08.2.2022 द्वारा श्री राधे इवेंट मैनेजमेन्ट राजकीय पालीटेक्निक उरई जालौन से एक बोलेरो कार यू.पी.92/वाई 4135 कोटेशन के मध्य से ली गई है जिसका निम्न विवरणानुसार रु.71669.00 भुगतान किया गया है :-

अवधि	एफ.टी.ओ.	दिनांक	धनराशि
6/12/21-31/12/21	15956	3/2/22	22400.00
8/1/22-29/01/22	15346	5/2/22	15634.00
3/2/22-18/02/22	17036	9/3/22	21715.00
1/3/22-28/03/22	18584	11/4/22	21920.00
		योग	71669.00

लेखा परीक्षा दौरान उक्त पर निम्न कमियाँ पायी गई-

क)पत्रावली के अनुसार इस हेतु कोटेशन पांक 1118 /दिनांक 05/01/22 द्वारा आमंत्रित था जो 8.1.22 को खोल गया

ख) कोटेशन खोलने के त्रिसदस्यीय समिति बनी थी जिसके एक सदस्य ए०डी.ओ०(ए.जी.) श्री बालकृष्ण के तीनों फर्मों के कोटेशन के लिफ़ाफ़े पर व तुलनात्मक चार्ट पर हस्ताक्षर नहीं है, जिससे यह स्पष्ट है कि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित नहीं थे।

ग) उपरोक्त कोटेशन की कार्यवाही से पूर्व ही बोलेरो कार यू.पी०-92 /वाई 4135 संस्था के लिए परिचालित थी। क्योकि 6/12/21 से 31/12/21 तक का इसी कार हेतु रु.22400.00 भुगतान किया है। कोटेशन की कार्यवाही मात्र दिखाने के लिए की गई है।

अतः कोटेशन समिति के सभी सदस्यों के बिना कोटेशन खोलना,उसके आधार पर भुगतान किया जाना तथा कोटेशन स्वीकृति से पूर्व के कार्य का भुगतान किया जाना वित्तीय नियमों के प्रतिकूल है। जिसके लिए वीडीओ श्रीमति महिमा विधार्थी उतरदायी है। अत: रु 71669.00 की वसूली वीडीओ श्रीमति महिमा विधार्थी व लेखाकार श्री रमेशचंद्र कमल से ततारीख व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति 24)

प्रस्तर सं 20 क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष के दौरान कराये जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों में तीन फर्मों द्वारा टेण्डर डाला गया है। किन्तु निविदा प्रपत्र के नियम एवं शर्तों के विपरीत कार्य करवाया गया जिसका विवरण एवं पाई गई कमियों निम्नवत है। केन्द्रीय वित्त आयोग से कराये गये कार्य-

क्र सं	कार्य का नाम	धनराशि
1	ग्राम शाहपुर डेरा में नीरज शुक्ला के घर के पास जलापूर्ति हेतु वाटर टैंक निर्माण एवं फीटिंग का कार्य 45315858	182998.00
2	ग्राम मंगलपुर में जुगल किशोर तिवारी के दरवाजे के पास जलापूर्ति हेतु बाटर टैंक निर्माण एवं फीटिंग का कार्य -45315782	182998.00
3	ग्राम परजनी में रमाकति तिवारी के दरवाजे के पास जलापूर्ति हेतु वाटर टैंक निर्माण एवं फीटिंग का कार्य 45315777	182998.00

4	ग्राम औरगाबाद में डालबन्द के मजरा कोली पुरवा में दीपक दूबे के पारा जलापूर्ति हेतु वाटर टैंक निर्माण एवं फीटिंग का कार्य-45315899	182998.00
5	ग्राम गुण्डेरा किन्नर में योगेश नारायण पाण्डेग एवं थाने के पास जलापूर्ति हेतु वाटर टैंक निर्माण एन फीटिंग का कार्य-45315873	182814.00
6	ग्राम चिरजिरी में ग्राम प्रधान के घर के पास जलापूर्ति हेतु वाटर टैंक निर्माण-45326862	182998.00
7	ग्राम रतनपुर खास में शम्मू के घर के पास जलापूर्ति हेतु वाटर टैंक निर्माण 45314432	182591.00
8	ग्राम बसगड़ा रतनपुर में छोटे चौबी के दरवाजे के पास जलापूर्ति हेतु वाटर टैंक निर्माण 45314432	182591.00
9	ग्राम रतनपुर के मजरा कुरियन निवादा में शिवपाल के दरवाजे के पास जलापूर्ति हेतु नाटर टैंक निर्माण 45314432	182591.00
10	ग्राम स्तनपुर घरगूपुर में महीपाल के दरवाजे के पास जलापूर्ति हेतु बाटर टैंक निर्माण 45314432	182591.00
11	ग्राम गतगाँव के मजरा जैतीपुर में धर्मपाल के घर के पास जलापूर्ति हेतु वाटर टैंक निर्माण 45315755	177724.00
12	माम गलिगाँव के मजस देवरा में संदीप पुत्र राधेश्याम के घर के पास जलापूर्ति हेतु बाटर टैंक निर्माण एवं फिटिंग कार्य	182591.00
13	ग्राम पिपरी पतरहार में मंदिर के पास जलापूर्ति हेतु वाटर टैंक निर्माण एवं फिटिंग कार्य-45315851	404375.00
14	ग्राम जजमुईथा के मंदिर के पारा जलापूर्ति हेतु वाटर टैंक निर्माण एवं फिटिंग कार्य-45315831	182775.00
15	ग्राम बनीपारा महराज में बाजार में जलापूर्ति हेतु वाटर टैंक निर्माण एवं फिटिंग कार्य-45315761	182775.00
16	ग्राम बनीपारा डगरहा में पंचायत घर के पास जलापूर्ति हेतु नाटर टैंक निर्माण एवं फिटिंग कार्य-45315092	189044.00
17	ग्राम मापतियों में मडापतियों इन्टर कालेज बन्नोपुरवा में जलापूर्ति हेतु वाटर टैंक निर्माण एवं फिटिंग	188854.00
18	ग्राम बनीपारा जिनई में बालेश्वर मन्दिर के पारा जलापूर्ति हेतु बाटर टैंक निर्माण एवं फिटिंग कार्य 62717432	188665.00
	योग	3524971.00

राज्य वित्त आयोग मद से कराये गये कार्य-

	कार्य का नाग	
1	गाग लक्ष्मणपुर विलाय में सड़क से मोहित / रामप्रकाश शुक्ला के दरवाजे तक इण्टरलॉकिंग 45313803	192203.00
2	दलपुर मजरा मलिगाँव में अनिल तिवारी के मन्दिर से मुख्य मार्ग तक इण्टरलॉकिंग 50296895	37551.00
3	कछियनपुरवा मजरा गाऊपुर में रामप्रकाश कुशवाहा के दरवाजे से पुत्चन कुशवाहा के दरवाजे एक इष्टरलॉकिम 45313835	494701.00
4	गाग सेगरन निवादा स्तनपुर में श्री विजय के मकान से विनोद के मकान तक इण्टरलॉकिंग पेवर ब्लॉक का निर्माण 62299776	240125.00

5	माग बरामदा रतनपुर में सुरेन्द्र भदौरिया के मकान से बड़े दददा के मकान तक इण्टरलॉकिंग पेवर ब्लॉक का निर्माण	533261.00
6	ग्राम बसगडा रतनपुर में विकू मिश्रा के मकान से श्री राम सजीवन के मकान तक इष्टरलॉकिंग पेवर ब्लॉक का निर्माण 6229598s	813892.00
7	मध्य बरामदा रतनपुर में श्री मुन्ना सिंह सिसोदिया के मकान से श्री जगदेव सिंह के मकान तक इण्टरलॉकिम पेबर ब्लॉक का निर्माण 55488729	686823.00
8	ग्राम महराजपुर रालेगाँव में मेन रोड से ममा रामपाल के मकान तक इण्टरलॉकिंग पेवर ब्लॉक का निर्माण 62296730	893790.00
9	गाभ नहिली में नहिली से (श्री साथी पाण्डे के खेत के पास से डाण्डे के पुरवा की और इण्टरलॉकिग पेबर ब्लॉक का निर्माण 62206506	986979.00
10	गाभ गलगाँव में श्री संतोश पाण्डे के मकान से श्री मिथलेश कतेरिया के मकान तक इण्टरलॉकिंग पेवर ब्लॉक का निर्माण	803620.00
11	ग्राम सबलपुर में बम्बा की पुलिया से निहाल बाबा के स्थान की ओर इण्टरलॉकिंग पेवर ब्लॉक का निर्माण	845897.00
12	ग्राम बभीतजसू मानूपुरना में डामर रोड से श्री जुन्ना लाल के पकान तक इण्टरलॉकिंग पेवर ब्लॉक का निर्माण	628435.00
13	ग्राम जरहौली में सी०सी०रोड से गाँव के बाहर श्री जीतेन्द्र सेनगर के मकान होते हुए गोसाई बाबा के स्थान तक इण्टरलॉकिंग पेवर ब्लॉक का निर्माण।	380124.00
	योग	7537401.00

1) जिन दो फर्मों की निविदा अस्वीकृत हुई है. उनके द्वारा निविदा प्रपत्र की शर्तों के अनुसार घरोहर धनराशि वापस करने का प्रमाण पत्र न होने से टेण्डर की औपचारिकता मात्र ही की गई है।

(2) निविदा प्रपत्र की शतों के अनुसार रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना था। किन्तु विभिन्न कार्यों में जिन कर्मा की निविदा स्वीकृत हुई है. उनके द्वारा रू0 100 का सादा स्टाम्प पेपर ही निविदा फार्म के साथ संलग्न है। अतः कोई शपथ पत्र फर्म से नहीं लिया गया है। अन्य दो फर्मों के निविदा प्रपत्र के साथ रू0 100 का स्टाम्प पेपर भी नहीं संलग्न पाया गया।

(3) क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य एक से अधिक ग्राम पंचायतों की जोडने से सम्बन्धित होना बाहिए लेकिन यह पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्य सामान्यात एक ही ग्राम पंचायत के अन्दर ही कराया गया है।

(4) विभाग में पंजीकृत होने का पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति तीनों फर्मों के द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं की गई है।

(5) क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले उपरोक्त निर्माण कार्यों में जिन दो फर्मा की निविदा अस्वीकृत हुई है. उनकी धरोहर धनराशि (एफ०डी० / एन०एस०सी० / एकाउन्ट पेयी बैंक) वापस किये जाने का आवेदन पत्र व वापस किये जाने के प्रमाण स्वरूप उसकी प्राप्ति रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गई।

(6) विभिन्न निर्माण कार्यों के सापेक्ष स्वीकृत प्राक्कलन में प्राक्कलन की स्वीकृति में वर्णित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावलियों में संलग्न नहीं है।

(7) तकनीकी स्वीकृति के अनुसार कार्य का 80 प्रतिशत भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरान्त किया जाना था। किन्तु पत्रावली में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन किये जाने का कोई प्रपत्र / प्रमाण पत्रावलियों में सलग्न नहीं पाया गया।

(8) तकनीकी स्वीकृति के अनुसार कार्य का 20 प्रतिशत भुगतान अनिवार्य रूप से सहत्यक अभियन्ता की संस्तुति के उपरान्त किया जायेगा। किन्तु सहायक अभियन्ता की संस्तुति पत्र पत्रवलियों में सलग्न नहीं पाई गई।

(9)तकनीकी स्वीकृति के अनुसार स्वीकृति प्राक्कलन कार्य उ०प्र० क्षे०स० निर्माण कार्य नियमावली 1984 शासनादेश 60-612 120/33-02-10 आर0 63 यू०पी०ए०-33-19-नियम 1984 लखनऊ 01 मार्च 1985 में

वर्णित प्राविधानों के अनुरूप कार्य सम्पादित किया जायेगा। तथा उका शासनादेश के **प्रस्तर-**3 के उप **प्रस्तर-**8 के अनुरूप माप पुस्तिका में दर्ज मापों की 10 प्रतिशत जाँच खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी। किन्तु 10 प्रतिशत जाँच किये जाने सम्बन्धी प्रपत्र पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया।

10) माप पुस्तिका में कार्य की प्रारम्भ तिथि समाप्त तिथि तथा कार्य के मेजरमेन्ट की तिथियों अंकित नहीं की गई है।

(11) खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका को निर्गत तो किया गया है. किन्तु माप पुस्तिका निर्गत किये जाने की दिनांक व क्रमाक अंकित नहीं है।

(12) कार्य की स्वीकृति हेतु विभिन्न पत्रांक दिनांक द्वारा जारी पत्रों में यह आदेश था कि कार्य स्थल पर साइन बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, लेकिन इसका सामान्यतः पालन नहीं किया गया है।

(13) कार्य की स्वीकृति के आदेश में कार्य के पूर्व मध्य व अन्त की फोटोग्राफ लगाना अनिवार्य था. लेकिन कार्य के पूर्व मध्य एव अन्त के समस्त फोटोगाफ पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाये गये।

(14) कार्य की स्वीकृति हेतु जारी पत्रों के अनुसार कार्यादेश प्राप्ति के 1 सप्ताह के अन्दर जमानत धनराशि जरिये किसान विकास पत्र राष्ट्रीय बचत पत्र, एफ०डी०आर० / टी०डी०आ० खण्ड विकास अधिकारी के पदनाम से बंधक कराकर अथवा नकद जमा किया जाना था. किन्तु कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जमानत धनराशि जमा कराये जाने का विवरण पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया।

(15) कार्य की स्वीकृति हेतु जारी पत्रों के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित फर्म से अनुबन्ध किया जाना था किन्तु पत्रावलियों में अनुबन्ध पत्र प्रत्येक कार्य हेतु अलग-अलग संलग्न नही पाया गया।

अत. उक्त कमियों को दृष्टिगत रखते हुए ये ज्ञात होता कि रु० 11062372.00 निर्माण कार्यों हेतु दी गई वित्तीय गाइडलाइन्स के अनुरूष कार्य न कराकर अनियमित तरीके से कार्य कराया गया। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री **बबन राय** एव श्रीमती महिमा विधार्थी उत्तरदायी है। अत: रु 11062372.00 की वसूली वीडीओ श्रीमति महिमा विधार्थी व वीडीओ श्री बब्बन राय व लेखाकार श्री रमेश चंद्र कमल से किया जाना अपेक्षित है (मूल आपत्ति सं 25)

6. क्षेत्र पंचायत संदलपुर

प्रस्तर सं 21-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्न विवरणानुसार रू0 2911457.00 की निमार्ण कार्यों की पत्रावलियों प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे उनकी जाँच नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	मद	कार्य का नाम	धनराशि
1	के.वि.	ग्राम भडपुरा में वाटर टैंक का निर्माण कार्य	41409.00
2	के.वि.	वाटर टैंक का निमार्ण कार्य गाग उरसान निमदापुर में संजय संखवार के दरवाजे पर	41128.00
3	के.वि.	वाटर टैंक का निमार्ण कार्य गाग भडपुरा डेरा में	31377.00
4	के.वि.	वाटर टैंक का निमार्ण कार्य ग्राम भडपुरा चौराहा पर	31377.00
5	के.वि.	वाटर टैंक का निमार्ण कार्य ग्राम कौरवा मेहबीब अली के दरवाजे पर	50850.00
6	के.वि.	वाटर टैंक का निमार्ण कार्य ग्राम जलालपुर डेरापुर में भैरव बाबा के स्थान पर	31557.00
7	के.वि.	नाली निर्माण कार्य असलनापुर मे मेहतर सिंह के घर से नन्द किशोर कटियार तक	501198.00
8	के.वि.	इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य ग्राम अखना में निहापुर मन्दिर से रामकुमार के घर तक।	203628.00
9	के.वि.	इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य ग्राम असलनापुर में वीरेन्द तिवारी से गनोज सविता के दरवाजे तक	101465.00

10	के.वि.	इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य ग्राम असलनापुर में दयाशंकर के मकान से बल्लू बाल्मीकी के दरवाजे तक	267265.00
11	के.वि.	इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य ग्राम फरीदपुर निठररा में बड़े कठेरिया के घर से रामकेश कठेरिया के घर तक।	209249.00
12	के.वि.	इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य ग्राम अन्तापुर के मजरा बेनीपुर में राकेश यादव के मकान से सुरेश यादव के घर तक	181015.00
13	के.वि.	इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य ग्राम हवासपुर में मुख्य गार्ग से देवी मन्दिर तक	203879.00
14	के.वि.	इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य ग्राम पिंडरथु में रामशंकर कमल के दरवाजे से अनिल दूबे के दरवाजे तक	203853.00
15	रा.वि.आ	विकास खण्ड परिसर में प्रमुख कक्ष का नवीनीकरण एवं रंगाई पुताई कार्य	292700.00
16	रा.वि.आ	विकास खण्ड परिसर में कार्यालय का मरम्मत व सुन्दरीकरण कार्य	303097.00
17	रा.वि.आ	गाग उदयपुर में सरनाम के घर से सुरेन्द्र के दरवाजे तक इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	216410.00
		योग	2911457.00

पत्रावली प्रस्तुत न कर वर्तमान लेखाकार श्री सोनेलाल संखवार तथा वर्तमान बी.डी.ओ.श्री धनप्राप्त यादव द्वारा अनियमितता की गई है। जिसके लिए लेखाकार श्री सोनेलाल संखवार तथा बी०डी०ओ० श्री धनप्राप्त यादव उत्तरदायी हैं। (मूल आपत्ति सं 19)

प्रस्तर सं 22 -क्षेत्र पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष के दौरान कराये जाने वाले रू0 5222326.00 के निभिन्न निर्माण कार्यों में तीन फर्मों द्वारा टेण्डर डाला गया है। किन्तु निविदा प्रपत्र के नियम एवं मों के विपरीत कार्य करवाया गया जिसका विवरण एवं पाई गई कमियों निम्नवत है-

	मद	कार्य का नाम	धनराशि
1	के०वि०	इन्टरलॉकिग व नाली निर्माण कार्य प्राग असलनापुर में विनोद सविता के घर से दीपू तिवारी के खेत तक	362416.00
2	के०वि०	इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य ग्राम हिसावा के लालजी पुरवा में दिनेश यादव के घर से राकेश यादव के घर तक	242759.00
3	के०वि०	इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य ग्राम फरीदपुर में रूपसिंह के घर से महेश पंडित के घर तक	217420.00
4	रा०नि०	ग्राम सानीपुर में अशोक दिवाकर के घर से मन्दिर तक खण्डन्जा निर्माण कार्य	292068.00
5	के०वि०	इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य ग्राम गढ़पुरा में श्रीराम चमार के दरवाजे से छविलाल कठेरिया के दरवाजे तक	212275.00
6	के०वि०	इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य ग्राम मोहम्मदपुर सुल्तानपुर में राजाराम कटियार के घर से सुरेन्द्र कटियार के घर तक	200876.00
7	के०वि०	इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य ग्राम हिसावा में लाला रामपाल के कुओं से सौरभ पाल के दरवाजे तक	214064.00
8	के०वि०	इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य ग्राम कौरवा में छोटे कठेरिया के घर से श्रीराम कटियार के घर तक	200397.00
9	के०वि०	इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य ग्राम घरमपुर में विपिन अवस्थी के दरवाजे से रामशंकर के घर तक	209852.00

10	के०वि०	इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य ग्राग हथवा में तुलसीराम के घर से रघुवीर के घर तक	199003.00
11	के०वि०	इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य ग्राम चमरूवा में विमल कुशवाहा के घर से महेश कुशवाहा के घर तक	107224.00
12	के०वि०	इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य ग्राम कौरवा में रामनरेश सविता के घर से धमेन्द के घर तक	228356.00
13	के०वि०	इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य ग्राम बीसलपुर में मनोज नायक के घर से राक किशोर के घर तक	201003.00
14	के०वि०	इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य ग्राम अमोली कुर्मीयान में जय किशोर के दरवाजे से माताराणी के दरवाजे तक	168109.00
15	रा.वि०	विकास खण्ड परिसर में मीटिग हाल व वेटिंग हाल में जाली व मरम्मत कार्य	164183.00
16	के०वि०	विकारा खण्ड परिसर में आवास गरम्गत कार्य	211643.00
17	के०वि०	ग्राम बलियापुर में नाहर यादव के घर से फोची के घर तक बलिदारपुर में खण्डन्जा निर्माण	218981.00
18	के०वि०	ग्राम पवनई में जगदीश कटियार के घर से श्री राम कुशवाहा के घर तक खण्ड़न्जा निर्माण	213355 00
19	के०वि०	ग्राम अमोली में योगेंद्र के दरवाजे से कप्तान के दरवाजे तक इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	210113.00
20	के०वि०	ग्राम रायपुर में मुकेश पाल के घर से राकेश पाल के घर तक तक इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य	207362.00
21	के०वि०	निकास खण्ड परिसर में मरम्मत व सुन्दरीकरण	652492.00
22	के०वि०	क्षेत्र पंचायत सदलपुर के टाइप-1 व कार्यालय मरम्मत व टाइल्स कार्य	288375.00
		योग	5222326.00

(1) जिन दो फर्मों की निविदा अस्वीकृत हुई है, उनके द्वारा निविदा प्रपत्र की शर्तों के अनुसार धरोहर धनराशि वापस करने का प्रमाण पत्र न होने से टेण्डर की औपचारिकता मात्र ही की गई है।

(2) निविदा प्रपत्र की शर्तों के अनुसार रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना था। किन्तु विभिन्न कार्यों में जिन फ़र्मों की निविदा स्वीकृत हुई है, उनके द्वारा रू0 100/- का सादा स्टाम्प पेपर ही निविदा फार्म के साथ सलग्न है। अत कोई शपथ पत्र फर्म से नहीं लिया गया है। अन्य दो फर्मा के निविदा प्रपत्र के साथ रू0 100 का स्टाम्प पेपर भी नहीं सलग्न पाया गया।

(3) क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1964 एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य एक से अधिक ग्राम पंचायतों की जोड़ने से सम्बन्धित होना चाहिए लेकिन यह पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये कार्य सामान्यत एक ही ग्राम पंचायत के अन्दर ही कराया गया है।

(4) विभाग में पंजीकृत होने का पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति तीनों फर्मों के द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं की

(5)क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये जाने वाले उपरोक्त निर्माण कार्यों में जिन दो कर्मों की निविदा अस्वीकृत हुई है. उनकी धरोहर धनराशि (एफ०डी० / एन०एस०सी० / एकाउन्ट पेयी चेक) वापस किये जाने का आवेदन पत्र व वापस किये जाने के प्रमाण स्वरूप उसकी प्राप्ति रसीद पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गई।

(6) विभिन्न निर्माण कार्यों के सापेक्ष स्वीकृत प्राक्कलन में प्राक्कलन की स्वीकृति में वर्णित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित साइट प्लान पत्रावलियों में संलग्न नहीं है।

(7) तकनीकी स्वीकृति के अनुसार कार्य का 80 प्रतिशत भुगतान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन के उपरान्त किया जाना था। किन्तु पत्रावली में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य के सत्यापन किये जाने का कोई प्रपत्र / प्रमाण पत्रावलियों में सलग्न नहीं पाया गया।

(8) तकनीकी स्वीकृति के अनुसार कार्य का 20 प्रतिशत भुगतान अनिवार्य रूप से सहायक अभियन्ता की सस्तुति के उपरान्त किया जायेगा। किन्तु सहायक अभियन्ता की संस्तुति पत्र पंत्रवलियों में संलग्न नहीं पाई गई।

(9) तकनीकी स्वीकृति के अनुसार स्वीकृति प्राक्कलन कार्य उ०प्र० से०स० निर्माण कार्य नियमावली 1904 शासनादेश सं०-612 12वी/ 33-02-10 आर0 63 यू०पी०ए०-33-19-नियम 1984 लखनऊ 01 मार्च 1985 में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप कार्य सम्पादित किया जायेगा। तथा उक्त शासनादेश के **प्रस्तर-**3 के उप **प्रस्तर-**8 के अनुरूप माप पुस्तिका में दर्ज मापों की 10 प्रतिशत जाँच खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी। किन्तु 10 प्रतिशत जाँच किये जाने सम्बन्धी प्रपत्र पत्रावलियों में सलग्न नही पाया गया।

(10) माप पुस्तिका में कार्य की प्रारम्म तिथि, समाप्त तिथि तथा कार्य के मेजरमेन्ट की तिथियों अंकित नहीं की गई है।

(11) खण्ड विकास अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका को निर्गत तो किया गया है. किन्तु माप पुस्तिका निर्गत किये जाने की दिनाक व क्रमांक अकित नहीं है।

(12) कार्य की स्वीकृति हेतु विभिन्न पत्राक दिनांक द्वारा जारी पत्री में यह आदेश था कि कार्य स्थल पर साइन बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये, लेकिन इसका सामान्यतः पालन नहीं किया गया है।

(13) कार्य की स्वीकृति के आदेश में कार्य के पूर्व मध्य व अन्त की फोटोगॉफ लगाना अनिवार्य भए लेकिन कार्य के पूर्व क एवं अन्त के समस्त फोटोगाफ पत्रावलियों में सलग्न नहीं पाये गये।

(14) कार्य की स्वीकृति हेतु जारी पत्रों के अनुसार कार्यादेश प्राप्ति के सपताह के अन्दर जमानत धनराशि जरिये किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र एफ०डी०आर०/टी०डी०आर० खण्ड विकास अधिकारी के पदनाम से बंधक कराकर अथवा नकद जमा किया जाना था किन्तु कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जमानत धनराशि जमा कराये जाने का विवरण पत्रावलियों में सलग्न नहीं पाया गया।

(15) कार्य की स्वीकृति हेतु जारी पत्रों के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित फर्म से अनुबन्ध किया जाना था. किन्तु पत्रावलियों में अनुबन्ध पत्र प्रत्येक कार्य हेतु अलग-अलग सलग्न नहीं पाया गया।

(16) माप पुस्तिका पर अवर अभियनाद्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं किन्तु हस्ताक्षर के साथ तिथि का अकन नहीं किया गया है तथा एम०बी० करने से पूर्व कार्य के नाम के साथ भी तिथि का अंकन नही है जिससे एम०वी० होने की तिथि अज्ञात रही। जो कि लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में आपत्तिजनक है।

अत उक्त कमियों को दृष्टिगत रखते हुए ये ज्ञात होता कि निर्माण कार्यों हेतु दी गई वित्तीय गाइडलाइन्स के अनुरूप न कर अनियमित तरीके से कार्य कराया गया। इस वित्तीय अनियमितता के लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री विश्वनाथ पाल, श्री रागनरेश एवं अवर अभियन्ता श्री के०के० दूबे तथा लेखाकार श्री नृपेन्द्र कुमार मिश्र उत्तरदायी है। (मूल आपत्ति 20)

7. क्षेत्र पंचायत अकबरपुर

प्रस्तर सं 23-आलोच्य वर्ष मे गोवंश आश्रय केंद्र निर्माण मद मे क्षेत्र पंचायत द्वारा रु.1062478.00 की पुष्टि मे कार्य पूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा मे ऊओपलब्ध नहीं कराए गए जिससे उपरोक्त व्यय संदिग्ध रहा । जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री धन प्राप्त यादव एव लेखाकार श्री प्रदीप त्रिवेदी उत्तरदायी है। अत: रु 1062478.00 की खण्ड विकास अधिकारी श्री धन प्राप्त यादव एव लेखाकार श्री प्रदीप त्रिवेदी से वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति 13)

प्रस्तर सं 24- आँगन बाड़ी केंद्र निर्माण के कुल रु.395689.00 की पुष्टि मे कार्य पूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नहीं कराए गए जिससे उपरोक्त व्यय संदिग्ध रहा। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री धन प्राप्त यादव एव लेखाकार श्री प्रदीप त्रिवेदी उत्तरदायी है। अत: रु 395689.00 की खण्ड विकास अधिकारी श्री धन प्राप्त यादव एव लेखाकार श्री प्रदीप त्रिवेदी से वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति 15)

<u>प्रस्तर सं 25 -</u>नियमानुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा किए गए कार्य न्यूनतम दो गाँव से संबंध होने चाहिए किन्तु निम्न निर्माण कार्य एक ही गाव से संबंधित है-

क्र.सं.	निर्माण कार्य	धनराशि
1	ग्राम लहरापुर नागेश्वर के मकान से सारनाथ के घर तक खड़ंजा निर्माण	414825.00
2	ग्राम दस्तमपुर मे नूर मोहम्मद के घर से कालीचरण बगिया तक खड़ंजा निर्माण	702368.00
3	ग्राम विकासजी गोविंद के खेत से सुंदरलाल पासवान के खेत तक खड़ंजा निर्माण	903174.0
4	ग्राम बिगाही मे रामसहाय पासवान घर से कालीचरण बगिया तक खड़ंजा निर्माण	903889.0
5	ग्राम दस्तमपुर खड़ंजारोड से बलिहारा तक खड़ंजा निर्माण	703534.00
6	ग्राम गौरैयापुर छात्रावास प्रांगण मे इन्टरलॉकिंग निर्माण	408800.00
7	बिवाइन बैरागी मे प्राइमरी विद्यालय से चंद्र सैनी के मकान तक इन्टरलॉकिंग	599697.00
8	ग्राम मंडोली मे प्राथमिक विद्यालय के मुख्य द्वार पर पानी की टंकी	245495.00
9	ग्राम तिगाई मे राजुअन मिश्रा के प्लॉट प्राथमिक विद्यालय से पुलिया तक नाला निर्माण	516661.00
	योग	5398443.00

जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री धन प्राप्त यादव एव लेखाकार श्री प्रदीप त्रिवेदी उत्तरदायी है। अत: रु 5398443.00 की ब्लाक प्रमुख आशीष मिश्र ,खण्ड विकास अधिकारी श्री धन प्राप्त यादव एव लेखाकार श्री प्रदीप त्रिवेदी से वसूली किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं.14)

<u>जनपद- कानपुर नगर।</u>

<u>क्षेत्र पंचायत- सरसौल</u>

लेखा परीक्षा वर्ष –2021-22

प्रस्तर सं0 (1) राज्य वित्त खाता संख्या 30807012745 से दिनांक 4.12.2021 को रू0 102023.00 का भुगतान माँ शारदा इन्टरप्राइजेज को ग्राम पंचायत ऐमा में आँगनवाड़ी निर्माण हेतु चेक संख्या 574922 से भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, बिल प्रस्तुत नही किया गया। पत्रावली की जाँच में पाया गया है कि लेखाकार द्वारा बी0डी0ओ0 के समक्ष प्रस्तुत नोटशीट पर भी कार्य, एम0बी0 इत्यादि कोई विवरण अंकित नही है। बिना विवरण के बी0डी0ओ0 द्वारा भुगतान की संस्तुति कर दी गई। कार्य की एम0बी0 की जाँच में पाया गया कि एम0बी0 पर भी उक्त भुगतान का कोई विवरण दर्ज नही है। इसके अतिरिक्त एम0बी0 में कार्य प्रारम्भ, समाप्त तिथि तथा एम0बी0किये जाने की तिथि दर्ज नही है। एम0बी0श्री अनिल सिंह यादव, अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा की गई है। अतः उक्त विवरण से स्पष्ट हैं कि उक्त कार्य हुआ ही नही है तथा फर्म माँ शारदा इन्टरप्राइजेज को चेक संख्या से रू0 102023.00 से भुगतान करवाकर मिलीभगत करके लेखाकार श्री राजकुमार , बी0डी0ओ0 श्रीमती प्रवीणा शुक्ला एवं श्री अनिल सिंह यादव, अवर अभियन्ता ग्रा0अभि0वि0 द्वारा धन का अपहरण कर लिया। उक्त धन रू0 102023.00 की ब्याज सहित वसूली उक्त तीनों उत्तरदायी अधिकारियों / कर्मचारियों से किया जाना एवं विभागीय कार्यवाही भी दोनो उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या -11)

प्रस्तर सं0(2)आलोच्य वर्ष केदौरान निम्न फर्मो ने निविदा फार्म **प्रेषित** किया था- 1. माँ शारदा इन्टरप्राइजेज 2. मेसर्स बृजेन्द्र सिंह 3. मेसर्स अभिनव सप्लायर्स 4. श्री अनन्ता इन्टरप्राइजेज 5. मेसर्स स्वास्तिक 6. मेसर्स

सुल्तान सिंह। इनमें से किसी भी फर्म का रजिस्ट्रेशन क्षेत्र पंचायत सरसौल में ठेकेदारी के कार्यो हेतु नही किया गया है। अतः बिना रजिस्ट्रेशन के उक्त फर्मो ने निविदा **की** प्रक्रिया में भाग लिया तथा इन्ही में से 3 फर्मो **क्रमश**: मेसर्स शारदा इं0, मेसर्स अभिनव सप्लायर्स और श्री अनन्ता इं0 को अलग-अलग कार्य कराने के लिए अनियमित तरीके से वित्तीय गाइडलाइन्स के विपरीत ठेका दे दिया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 6 कार्य पंचम राज्य वित्त आयोग से तथा 2 कार्य 15वा केन्द्रीय वित्त आयोग से कराया गया है। कार्यो का विवरण प्रारूप 1 से 3 तक में दिया गया है। अतः रू0 4261254.00 के कार्य वित्तीय नियमों के विपरीत गैर पंजीकृत फर्मो से कराकर वित्तीय अनियमितता की गई। है। इसके अतिरिक्त कार्यो के पत्रावलियों के जाँच में भी निम्न **कमियॉ** पाई गई जिसका विवरण निम्नवत है-

क. किसी भी फर्म का टेण्डर फार्म पूर्ण रूप से भरा नही पाया गया है। मात्र कार्य दर प्रतिशत में लिखी गई जिसके आधार पर टेण्डर स्वीकृत/अस्वीकृत कर लिया गया है।

ख. फर्म के भुगतान वाउचरों मैनुअल फार्म 123/18, चैप्टर 6, पैरा 644 पर एम0बी0 का विवरण, कार्य प्रारम्भ-समाप्त तिथिया, मजदूरों का विवरण अंकित नही है। कार्य कराये जाने का दिनांक अंकित नही है। फर्म ने भुगतान के लिए बी0डी0ओ0 को सम्बोधित कोई पत्र **प्रेषित** नही किया। मात्र उक्त अधूरे मैनुअल फार्म में भुगतान की जाने वाली धनराशि/अंकित है। लेखाकार द्वारा नोटशीट में भी कार्य का विवरण नही **दर्शाया** गया तथा बी0डी0ओ0 ने भुगतान की संस्तुति कर दी।

ग. अनिल सिंह यादव, जूनियर इंजी0 द्वारा कार्यो की जो एम0बी0 तैयार की गई है उसपर न तो कार्य प्रारम्भ तिथि, समाप्ति तिथि अंकित है। एवं कार्य मापांकन की तिथि भी अंकित नही है।

घ. किसी भी कार्य का **कार्यपूर्ति** प्रमाण पत्र नही बनाया गया है। अर्थात कार्य केवल कागजो में ही हुआ है। न ही माप पुस्तिका करने वाले अवर अभियन्ता को , न भुगतान नोटशीट तैयार करने वाले लेखाकार को एवं न ही भुगतान की संस्तुति करने वाले बी0डी0ओ0 को ये ज्ञात है कि कार्य कब प्रारम्भ हुआ एवं कब समाप्त हुआ।

अतः उक्त तथ्यों से ये स्पष्ट है कि गैर पंजीकृत फर्मो को ठेका अपूर्ण टेण्डर फार्म होने के बावजूद टेण्डर स्वीकृत किया गया, व्यय प्रमाणक में आधे अधूरे विवरण, अपूर्ण एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणक नही होने के बावजूद लेखाकार द्वारा भुगतान हेतु नोटशीट तैयार की गई, जिसपर भुगतान संस्तुति करके बी0डी0ओ0 द्वारा भुगतान करवा भी दिया गया अर्थात प्रारम्भ से ही कार्य में वित्तीय अनियमितता बरती गई। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव एवं आधे अधूरे एम0बी0 से ये स्पष्ट ही नही होता है कि कार्य हुआ है। अतः उक्त धनराशिरू0 **4261254.00** के वित्तीय अनियमितता के लिए श्रीमती प्रवीणा शुक्ला, बी0डी0ओ, श्री अनिल सिंह यादव, अवर अभियन्ता, श्री राजकुमार, लेखाकार उत्तरदायी है। रू0 **4261254.00** की तातारीख ब्याज सहित वसूली उक्त तीनों उत्तरदायी अधिकारियों /कर्मचारियों से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या -12)

प्रस्तर सं0 (3) बैंक स्टेटमेन्ट कार्यक्रम अधिकारी बी0डी0ओ0 खाता संख्या-30766 के अनुसार एवं अनुदान पंजिका के अनुसार आलोच्य वर्ष दौरान रू0 642068.00 व्यय हुआ है। दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, पत्रावली इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्यय अपुष्ट रहा। अपुष्ट व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकेलिए बी0डी0ओ0, श्रीमती प्रवीणा शुक्ला एवं लेखाकार, श्री राजकुमार उत्तरदायी है। उक्त अपहरण धनराशिकी तातारीख ब्याज सहित वसूली उक्त उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या - 13)

नाम- क्षेत्र पंचायत- बिधनू

लेखा परीक्षा वर्ष **2021-22**

प्रस्तर सं0(4) लेखा परीक्षा वर्ष **2021-22**में निम्न मद में धनराशि का व्यय किया गया हैं

क्र0	मद का नाम	धनराशि
1.	विधनू क्षेत्र पंचायत	98600.00
2.	गोवशं संरक्षण निधि	5944859.00
योग-		6043459.00

उक्त मद में रू0 6043459.00 का व्यय किया है, किन्तु लेखा परीक्षा के समय उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावली/व्यय प्रमाणक की माग करने पर भी पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। अतः उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा समान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड) के अन्तर्गत गम्भीर अनियमितता की गयी है।जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उक्त के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। **संतोषजनक** स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में रू. 6043459.00 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र मिश्र, श्री सौरभ बरनवाल व श्री राजपति वर्मा व लेखाकार श्री ब्रजेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 02)

प्रस्तर सं0(5) उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा समान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 27 व 28 के अनुसार प्राप्ति तथा व्यय व्यवहार के दिन कैशबुक में दर्ज किया जायेगा। किन्तु लेखा परीक्षा के समय कैशबुक उपलब्ध नही कराई गयी। ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार निविदासे प्राप्त विक्रय धनराशि रू.23654.00 आय के रूप में दर्शाया गया है, किन्तु कैशबुक के अभाव में इसकी पुष्टि न हो सकी। अतः उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा समान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 179 (2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उक्त के लिए समान रूप से उत्तरदायी है ।

(मूल आपति संख्या - 03)

नाम- क्षेत्र पंचायत- पतारा

लेखा परीक्षा वर्ष **2021-22**

प्रस्तर सं0(06) ग्राम पंचायत अकबरपुर झवैया पूरनपुर में राम किशोर के दरवाजे पानी की टंकी/पाईप पेयजल परियोजना आई डी सं0 84274110 का कार्य मे0 मां कात्यायनी डेवलपर्स से कराया गया है साथ ही एक अन्य कार्य ग्राम पंचायत बरनाव में **सुभाष** के दरवाजे से बरनाव सम्पर्क मार्ग तक नाला निर्माण का कार्य आई डी सं0 53929544 मे0 शोभित ट्रेडर्स द्वारा किया गया है। इस कार्य की मात्र कार्य प्रारंभ की फोटो ही लगी है जबकि तीनो स्तर की फोटो प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। अतएव उक्त कार्य से संबंधित हुए कुल भुगतान रू. 382282..00 का प्रमाणन नहीं किया जा सका। उक्त पूर्ण भुगतान की वसूली संबंधित अवर अभियंता श्री राजकुमार, लेखाकार श्री राम प्रकाश सचान, संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख से संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 08)

प्रस्तर सं0(07) ग्राम पंचायत पतरसा में पानी की टंकी /पेयजल परियोजना कार्य आई डी सं0 59273668 के अंतर्गत मे0 मां कात्यायनी डेवलपर्स द्वारा किया गया है इसकी जांच में पाया गया कि पत्रावली में कार्य से संबंधित कोई भी फोटो नहीं लगाई गई है। जबकि यह आवश्यक था। अतएव उक्त कार्य से संबंधित हुए कुल भुगतान रू. 310789.00 का प्रमाणन नहीं किया जा सका। उक्त पूर्ण भुगतान की वसूली संबंधित अवर अभियंता श्री राजकुमार, लेखाकार श्री राम प्रकाश सचान, संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख से संयुक्त रूप से वसूली योग्य है जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या - 09)

प्रस्तर सं0(08) ग्रा. पं. केवडिया में पानी की टंकी/पेयजल परियोजना का कार्य आई डी सं0 54273765 के अंतर्गत मे0 मां कात्यायनी डेवलपर्स द्वारा किया गया है इस कार्य की भी कोई फोटो

पत्रावली में नहीं लगाई गई है। जबकि यह आवश्यक था। अतएव उक्त कार्य से संबंधित हुए कुल भुगतान रू. 344900.00 का प्रमाणन नहीं किया जा सका। उक्त पूर्ण भुगतान की वसूली संबंधित अवर अभियंता श्री राजकुमार, लेखाकार श्री राम प्रकाश सचान, संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख से संयुक्त रूप से वसूली योग्य है जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या - 10)

प्रस्तर सं0(09) ग्राम **पंचायत नंदना का मजरा** में पानी की टंकी/पेयजल परियोजना का कार्य आई डी सं0 54273516 के अंतर्गत मे0 मां कात्यायनी डेवलपर्स द्वारा किया गया है इस कार्य से संबंधित कोई भी फोटो पत्रावली में नहीं पाया गया जबकि यह आवश्यक था।अतएव उक्त कार्य से संबंधित हुए कुल भुगतान रू. 349285.00 का प्रमाणन नहीं किया जा सका। उक्त पूर्ण भुगतान की वसूली संबंधित अवर अभियंता श्री राजकुमार, लेखाकार श्री राम प्रकाश सचान, संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख से संयुक्त रूप से वसूली योग्य है जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या - 11)

प्रस्तर सं0(10) ग्रा0 पं0 पतारा में बीज गोदाम से रजोक माली के घर रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य आई डीसं0 54110939 के अंतर्गत मे0 मां कात्यायनी डेवलपर्स द्वारा किया गया है इस कार्य में अवर अभियंता की रिपोर्ट लगी है परंतु उस पर खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। साथ ही अवर अभियंता का निरीक्षण दिनांक 05.01.2022 को किया गया है जबकि कार्य प्रारंभ तिथि 29.12.2021 एवं समाप्ति तिथि 23.01.2022 है। कार्य के मध्य में ही निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट दिया जाना स्पष्ट करता है कि उक्त कार्य एवं संबंघित एमबी काल्पनिक आधार पर तैयार कर धन का अपहरण किया गया है अतएव कटौतियों केउपरांत कुल भुगतान की गई धनराशि रू. 624867.00 की वसूली अवर अभियंता श्री राजकुमार, लेखाकार श्री राम प्रकाश सचान, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं संबंधित ब्लॉक प्रमुख से समान रूप से किये जाने हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या - 12)**

प्रस्तर सं0(11) क्षेत्रपंचायत पतारा में कार्यालय परिसर में इण्टरलाकिंग, मरम्मत व लगाने का कार्य आई डी सं0 54125149 द्वारा मे0 शोभित ट्रेडर्स द्वारा किया गया है । इस कार्य की कार्य पूर्ति में निरीक्षण तिथि अंकित नहीं है साथ ही सामग्री एवं श्रम की राशि अंकित नहीं है, कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की तिथि अंकित नहीं है मानव दिवस भी अंकित नही है साथ ही अवरअभियंता के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है स्पष्ट है कि कार्य पूर्ति अपूर्ण रूप से प्रस्तुत की गई। अतएव उक्त कार्य से संबंधित हुए कुल भुगतान रू. 314288.00 का प्रमाणन नहीं किया जा सका। उक्त पूर्ण भुगतान की वसूली संबंधित अवर अभियंता श्री राजकुमार, लेखाकार श्री राम प्रकाश सचान, संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख से संयुक्त रूप से वसूली योग्य है जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या - 13)**

प्रस्तर सं0(12) ग्राम पंचायत अकबरपुर झवैया मे माता प्रसाद से शिवमंदिर तक सीसी रोड आई डी0 54136090 के अंतर्गत मै0 शोभित ट्रेडर्स द्वारा किया गया है जबकि जांच में पाया गया कि निविदा आवेदन मै0 अली इ0 प्राईजेज का स्वीकृत किया गया है जबकि तुलनात्मक चार्ट में मै0 शोभित को स्वीकृत किया गया है साथ ही अनुबंध पत्र भी मै0 शोभित को लिखा गया है। तथ्य विरोधाभासी है। स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से कार्य की पत्रावली तैयार कर अनियमित भुगतान कर राजकीय धन का दुरूपयोग किया जा रहा है। अतएव उक्त कार्य से संबंधित हुए कुल भुगतान रू. 613962.29 का प्रमाणन नहीं किया जा सका। उक्त पूर्ण भुगतान की वसूली संबंधित अवर अभियंता श्री राजकुमार, लेखाकार श्री राम प्रकाश सचान, संबंधित खण्ड विकास अधिकारी एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख से संयुक्त रूप से वसूली योग्य है जिस हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या - 14)**

प्रस्तर सं0(13) ऑगनबाडी केन्द्र निर्माण खाता में माह मार्च 2022 में **शेष** रू.102071.00 को संबंधित विभाग को प्रत्यावर्तित नहीं किया जाना उचित नहीं है। इस हेतु लेखाकार श्री राम प्रकाश सचान, संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख से संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

(मूल आपत्ति संख्या - 22)

प्रस्तर सं0(14) आंगनबाडी केन्द्र निर्माण मद में काटी गई जमानत धनराशिरू. 82647.00 भी क्षेत्र पंचायत द्वारा अपने खाते में जमा रखा गया है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। इस हेतु लेखाकार श्री राम प्रकाश सचान, संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख से संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

(मूल आपत्ति संख्या - 24)

प्रस्तर सं0(15) क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्षान्त में **शेष** जीएसटी की धनराशिरू. 10996.00 को भी संबंधित विभाग में जमा ना किया जाना एवं अपने खाते में रखा जाना उचित नहीं है। इस हेतु लेखाकार श्री राम प्रकाश सचान, संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख से संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

(मूल आपत्ति संख्या - 25)

प्रस्तर सं0(16) क्षेत्र पंचायत पतारा द्वारा श्रमिक उपकर मद का शेश रू. 5498.00 को भी संबंधित विभाग को नहीं जमा किया जाना उचित नहीं है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता हे। इस हेतु लेखाकार श्री राम प्रकाश सचान, संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, एवं तत्कालीन ब्लाक प्रमुख से संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

(मूल आपत्ति संख्या - 26)

नाम- क्षेत्र पंचायत- चौबेपुर

लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022

प्रस्तर सं0(17) विकास खंड परिसर मे सदन परिसर का सुंदरी **करण** -लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में नियुक्ति पत्र संख्या /3172लेखाकार /क्षे.पं/.कार्यादेश 2021-22/दिनांक 07/12/21द्वारा उक्त निर्माण कार्य,आई0डी0 नं.56320335 से संम्पादित कराया गया। पत्रांक /3056 लेखा /निविदा पत्रावाली / क्षे.पं 2021-22 / दिनांक 16/11/21द्वारा जारी अल्पकालीन निविदा आमंत्रण पत्र से आहूत निविदा प्रक्रिया से यह कार्य मे.श्री बालाजी टाइल्स ,कानपुर नगर .को प्राक्कलन दर से क्रमश 0.2प्रतिशत :टेंडर मे अंकित दरों से कम दर पर आवंटित कर संपादित कराया गया,जबकि निर्गत टेंडर फॉर्म मे किसी भी निविदा दाता द्वारा अपनी दरों का उल्लेख नहीं किया गया है न ही टेंडर फार्म पर निविदा दाता ,साक्षी व स्वीकार कर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर व सील नहीं पाये गए ।इसके बावजूद भी **काल्पनिक तुलनात्मक विवरण बना कर मनमाने आधार पर कार्यदायी संस्था का चयन किया गया व कार्य कराया गया** । हैसियत प्रमाण पत्र एवं विभाग मे पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न नहीं है **पी.एफ.एम.एस**. 0046 ईएटीपीएवाईआरईक्यू 030202235549 दिनाक **03/01/2**रु 117515.00.मे 12प्रतिशतजी.एस.टी. रु.14102.00 **,**जोड़ कर इस शर्त के साथ भुगतान किया गया है कि फर्म जी.एस.टी. जमा कर जमा रसीद कार्यालय को उपलब्ध कराएगी परंतु पत्रावली मे जी.एस.टी. जमा रसीद संलग्न नहीं है । संस्था द्वारा आयकर की 2 **प्रतिशत** कटौती रु. 2350.00व कुल कार्य की लागत से 5 **प्रतिशत** जमानत के रूप मे कटौती रु 6750.00.अपने अभिलेखों मे लेखांकित नहीं किया गया उक्त कार्य की स्थलीय निरीक्षण प्रमाणपत्र ,ड्रॉइंग व साइट प्लान ,जे.ई .श्री मान सिंह की निरीक्षण एवं गुणवत्ता रिपोर्ट आदि को नियमानुसार पत्रावली के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है। यह गंभीर अनियमितता है अत : रु 131617.00.की वसूली नियमानुसार लेखाकार श्री देवेंद्र कुमार शर्मा , जे.ई .श्री मान सिंह,खंड विकास अधिकारी श्री मानू लाल व ब्लॉक प्रमुख श्री राजेश शुक्ला से वसूली कराई जानी अपेक्षित है ।

)मूल आपत्ति सं (12

प्रस्तर सं0(18) गौरीलखा मे मेवालाल के घर से अनुज तिवारी के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में नियुक्ति पत्र संख्या /3173लेखाकार /क्षे.पं/.कार्यादेश 2021-22/दिनांक 07/12/21द्वारा उक्त निर्माण कार्य,आई0डी0 नं. 60956705से संम्पादित कराया गया। पत्रांक /4389लेखा /निविदा पत्रावाली /च.रा.वि.आ 2021-22 /. दिनांक 20/12/21द्वारा जारी अल्पकालीन निविदा आमंत्रण पत्र से आहूत निविदा प्रक्रिया से यह कार्य मे.श्री अजय कन्स्ट्रकशन ,कानपुर नगर .को प्राक्कलन दर से क्रम 0.2 **प्रतिशत**: टैंडर मे अंकित दरों से कम दर पर आवंटित कर संपादित कराया गया,जबकि निर्गत टैंडर फॉर्म मे किसी भी निविदा दाता द्वारा अपनी दरों का उल्लेख नहीं किया गया है न ही टैंडर फार्मपर निविदा दाता ,साक्षी व स्वीकार कर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर व सील नहीं पाये गए ।इसके बावजूद भी **काल्पनिक तुलनात्मक विवरण बना कर मनमाने आधार पर कार्यदायी संस्था का चयन किया गया व कार्य कराया गया** । हैसियत प्रमाण पत्र एवं विभाग मे पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न नहीं है । **पी.एफ.एम.एस**. 0046ईएटीपीएवाईआरईक्यू 1802202215040 दिनाक18/02/22,रु 274635.00.मे 12प्रतिशतजी.एस.टी. रु.32956.00 **,**जोड़ कर इस शर्त के साथ भुगतान किया गया है कि फर्म जी.एस.टी. जमा कर जमा रसीद कार्यालय को उपलब्ध कराएगी परंतु पत्रावली मे जी.एस.टी. जमा रसीद संलग्न नहीं है । संस्था द्वारा आयकर की 2 **प्रतिशत** कटौती रु5493.00.व कुल कार्य की लागत से 5प्रतिशतजमानत के रूप मे कटौती रु 18600.00. अपने अभिलेखों मे लेखांकित नहीं किया गया उक्त कार्य की स्थलीय निरीक्षण प्रमाणपत्र ,ड्रॉइंग व साइट प्लान ,जे.ई .श्री मान सिंह की निरीक्षण एवं गुणवत्ता रिपोर्ट आदि को नियमानुसार पत्रावली के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है। यह गंभीर अनियमितता है अत: रु 307591.00.की वसूली नियमानुसार लेखाकार श्री देवेंद्र कुमार शर्मा , जे.ई .श्री मान सिंह,खंड विकास अधिकारी श्री मानू लाल व ब्लॉक प्रमुख श्री राजेश शुक्ला से वसूली कराई जानी अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति सं (13**

प्रस्तर सं0(19) **ग्राम भगवंतपुर सतीश शुक्ल के दरवाजे से श्री कृष्ण बाजपेयी के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य**- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में नियुक्ति पत्र संख्या /3168लेखाकार /क्षे.पं/.कार्यादेश 2021-22/दिनांक 07/12/21द्वारा उक्त निर्माण कार्य,आई0डी0 नं.56320505 से संम्पादित कराया गया। पत्रांक /3056लेखा /निविदा पत्रावाली /क्षे.पं 2021-22 / दिनांक 16/11/21द्वारा जारी अल्पकालीन निविदा आमंत्रण पत्र से आहूत निविदा प्रक्रिया से यह कार्य मे.श्री बालाजी टाइल्स ,कानपुर नगर .को प्राक्कलन दर से क्रमश0.2 : प्रतिश तटेंडर मे अंकित दरों से कम दर पर आवंटित कर संपादित कराया गया,जबकि निर्गत टैंडर फॉर्म मे किसी भी निविदा दाता द्वारा अपनी दरों का उल्लेख नहीं किया गया है न ही टैंडर फार्मपर निविदा दाता ,साक्षी व स्वीकार कर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर व सील नहीं पाये गए ।इसके बावजूद भी **काल्पनिक तुलनात्मक विवरण बना कर मनमाने आधार पर कार्यदायी संस्था का चयन किया गया व कार्य कराया गया** । हैसियत प्रमाण पत्र एवं विभाग मे पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न नहीं है **पी.एफ.एम.एस**. 0046 ईएटीपीएवाईआरईक्यू 0301202235550 दिनाक 03/01/22,रु 381482.00. मे 12 **प्रतिशत** जी.एस.टी. रु.45778.00 **,** जोड़ कर इस शर्त के साथ भुगतान किया गया है कि फर्म जी.एस.टी. जमा कर जमा रसीद कार्यालय को उपलब्ध कराएगी परंतु पत्रावली मे जी.एस.टी. जमा रसीद संलग्न नहीं है । संस्था द्वारा आयकर की 2 **प्रतिशत** कटौती रु 7630.00.व कुल कार्य की लागत से 5 **प्रतिशत** जमानत के रूप मे कटौती रु 21500.00. अपने अभिलेखों मे लेखांकित नहीं किया गया उक्त कार्य की स्थलीय निरीक्षण प्रमाणपत्र ,ड्रॉइंग व साइट प्लान ,जे.ई .श्री मान सिंह की निरीक्षण एवं गुणवत्ता रिपोर्ट आदि को नियमानुसार पत्रावली के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है। यह गंभीर अनियमितता है अत :रु 427260.00.की वसूली नियमानुसार लेखाकार श्री देवेंद्र कुमार शर्मा , जे.ई .श्री मान सिंह,खंड विकास अधिकारी श्री मानू लाल व ब्लॉक प्रमुख श्री राजेश शुक्ला से वसूली कराई जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं (14

प्रस्तर सं0(20) **चंपतपुर मे ओमप्रकाश शुक्ला के घर से मुन्ना यादव के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य-** लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22में नियुक्ति पत्र संख्या /3170 लेखाकार

/क्षे.पं/.कार्यादेश 2021-22/दिनांक 07/12/21 द्वारा उक्त निर्माण कार्य,आई0डी0 नं.56332318 से संम्पादित कराया गया। पत्रांक /3056 लेखा /निविदा पत्रावाली /क्षे.पं 2021-22 / दिनांक 16/11/21 द्वारा जारी अल्पकालीन निविदा आमंत्रण पत्र से आहूत निविदा प्रक्रिया से यह कार्य मे.श्री बालाजी टाइल्स ,कानपुर नगर .को प्राक्कलन दर से क्रमश 0.2प्रतिशत :टेंडर मे अंकित दरों से कम दर पर आवंटित कर संपादित कराया गया,जबकि निर्गत टेंडर फॉर्म मे किसी भी निविदा दाता द्वारा अपनी दरों का उल्लेख नहीं किया गया है न ही टेंडर फार्मपर निविदा दाता ,साक्षी व स्वीकार कर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर व सील नहीं पाये गए ।इसके बावजूद भी **काल्पनिक तुलनात्मक विवरण बना कर मनमाने आधार पर कार्यदायी संस्था का चयन किया गया व कार्य कराया गया** । हैसियत प्रमाण पत्र एवं विभाग मे पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न नहीं है । को **पी.एफ.एम.एस**. 0046ईएटीपीएवाईआरईक्यू0301202235591 दिनाक **03**/01/22,रु 603622.00. मे 12 **प्रतिशत** जी.एस.टी. रु.72434.00 **,**जोड़ कर इस शर्त के साथ भुगतान किया गया है कि फर्म जी.एस.टी. जमा कर जमा रसीद कार्यालय को उपलब्ध कराएगी परंतु पत्रावली मे जी.एस.टी. जमा रसीद संलग्न नहीं है । संस्था द्वारा आयकर की 2 **प्रतिशत** कटौती रु12072.00.व कुल कार्य की लागत से 5 **प्रतिशत** जमानत के रूप मे कटौती रु 38000.00.अपने अभिलेखों मे लेखांकित नहीं किया गया उक्त कार्य की स्थलीय निरीक्षण प्रमाणपत्र ,ड्रॉइंग व साइट प्लान ,जे.ई .श्री मान सिंह की निरीक्षण एवं गुणवत्ता रिपोर्ट आदि को नियमानुसार पत्रावली के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है। यह गंभीर अनियमितता है अत :रु 676056.00.की वसूली नियमानुसार लेखाकार श्री देवेंद्र कुमार शर्मा , जे.ई .श्री मान सिंह,खंड विकास अधिकारी श्री मानू लाल व ब्लॉक प्रमुख श्री राजेश शुक्ला से वसूली कराई जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति सं (15

प्रस्तर सं0(21) **<u>बिरोहा -चपठुआ मे दयाराम के घर से मनोज के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य -</u>** लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में नियुक्ति पत्र संख्या /3171लेखाकार /क्षे.पं/.कार्यादेश 2021-22/दिनांक 07/12/21 द्वारा उक्त निर्माण कार्य,आई0डी0 नं. 56332449से संम्पादित कराया गया। पत्रांक /3056लेखा /निविदा पत्रावाली /क्षे.पं 2021-22 / दिनांक 16/11/21 द्वारा जारी अल्पकालीन निविदा आमंत्रण पत्र से आहूत निविदा प्रक्रिया से यह कार्य मे.श्री बालाजी टाइल्स ,कानपुर नगर .को प्राक्कलन दर से क्रमश 0.2 टेंडर मे अंकित दरों से कम दर पर आवंटित कर संपादित कराया गया,जबकि निर्गत टेंडर फॉर्म मे किसी भी निविदा दाता द्वारा अपनी दरों का उल्लेख नहीं किया गया है न ही टेंडर फार्मपर निविदा दाता ,साक्षी व स्वीकार कर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर व सील नहीं पाये गए ।इसके बावजूद भी **काल्पनिक तुलनात्मक विवरण बना कर मनमाने आधार पर कार्यदायी संस्था का चयन किया गया व कार्य कराया गया** । हैसियत प्रमाण पत्र एवं विभाग मे पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न नहीं है ।**पी.एफ.एम.एस**. 0046 ईएटीपीएवाईआरईक्यू 0301202235592 दिनाक**03** /01/22,रु 624317.00.मे 12 **प्रतिशत** जी.एस.टी. रु.74918.00 **,**जोड़ कर इस शर्त के साथ भुगतान किया गया है कि फर्म जी.एस.टी. जमा कर जमा रसीद कार्यालय को उपलब्ध कराएगी परंतु पत्रावली मे जी.एस.टी. जमा रसीद संलग्न नहीं है । संस्था द्वारा आयकर की 2 **प्रतिशत** कटौती रु12486.00.व कुल कार्य की लागत से 5 **प्रतिशत** जमानत के रूप मे कटौती रु 35150.00.अपने अभिलेखों मे लेखांकित नहीं किया गया उक्त कार्य की स्थलीय निरीक्षण प्रमाणपत्र ,ड्रॉइंग व साइट प्लान ,जे.ई .श्री मान सिंह की निरीक्षण एवं गुणवत्ता रिपोर्ट आदि को नियमानुसार पत्रावली के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है। यह गंभीर अनियमितता है अत :रु 699235.00.की वसूली नियमानुसार लेखाकार श्री देवेंद्र कुमार शर्मा , जे.ई .श्री मान सिंह,खंड विकास अधिकारी श्री मानू लाल व ब्लॉक प्रमुख श्री राजेश शुक्ला से वसूली कराई जानी अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति सं (16**

प्रस्तर सं0(22) **<u>ग्राम रोतापुर मे मुन्नु के घर से काली माता मंदिर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य-</u>** लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में नियुक्ति पत्र संख्या /3169लेखाकार /क्षे.पं/.कार्यादेश 2021-22/दिनांक 07/12/21द्वारा उक्त निर्माण कार्य,आई0डी0 नं. 56320617से संम्पादित

कराया गया। पत्रांक /3056लेखा /निविदा पत्रावाली /क्षे.पं 2021-22 / दिनांक 16/11/21द्वारा जारी अल्पकालीन निविदा आमंत्रण पत्र से आहूत निविदा प्रक्रिया से यह कार्य मे.श्री बालाजी टाइल्स ,कानपुर नगर .को प्राक्कलन दर से क्रमश 0.2प्रतिशत :टेंडर मे अंकित दरों से कम दर पर आवंटित कर संपादित कराया गया,जबकि निर्गत टेंडर फॉर्म मे किसी भी निविदा दाता द्वारा अपनी दरों का उल्लेख नहीं किया गया है न ही टेंडर फार्मपर निविदा दाता ,साक्षी व स्वीकार कर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर व सील नहीं पाये गए ।इसके बावजूद भी **काल्पनिक तुलनात्मक विवरण बना कर मनमाने आधार पर कार्यदायी संस्था का चयन किया गया व कार्य कराया गया** । हैसियत प्रमाण पत्र एवं विभाग मे पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न नहीं है । **पी.एफ.एम.एस.** 0046 ईएटीपीएवाईआरईक्यू 0301202235552 दिनाक**03** /01/22,रु 254596.00.मे 12प्रतिशतजी.एस.टी. रु.30552.00 **,**जोड़ कर इस शर्त के साथ भुगतान किया गया है कि फर्म जी.एस.टी. जमा कर जमा रसीद कार्यालय को उपलब्ध कराएगी परंतु पत्रावली मे जी.एस.टी. जमा रसीद संलग्न नहीं है । संस्था द्वारा आयकर की 2 प्रतिशत कटौती रु5092.00.व कुल कार्य की लागत से 5 प्रतिशतजमानत के रूप मे कटौती रु 14450.00. अपने अभिलेखों मे लेखांकित नहीं किया गया उक्त कार्य की स्थलीय निरीक्षण प्रमाणपत्र ,ड्रॉइंग व साइट प्लान ,जे.ई .श्री मान सिंह की निरीक्षण एवं गुणवत्ता रिपोर्ट आदि को नियमानुसार पत्रावली के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है। यह गंभीर अनियमितता है अत :रु 285148.00.की वसूली नियमानुसार लेखाकार श्री देवेंद्र कुमार शर्मा , जे.ई .श्री मान सिंह,खंड विकास अधिकारी श्री मानू लाल व ब्लॉक प्रमुख श्री राजेश शुक्ला से वसूली कराई जानी अपेक्षित है । (मूल आपत्ति सं (17

प्रस्तर सं0(23) **<u>भिंडुरी मे देव सिंह के घर से जितेंद्र सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य-</u>** लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में नियुक्ति पत्र संख्या /3174लेखाकार /क्षे.पं/.कार्यादेश 2021-22/दिनांक 07/12/21द्वारा उक्त निर्माण कार्य,आई0डी0 नं.56332257 से संम्पादित कराया गया। पत्रांक /3056लेखा /निविदा पत्रावाली /क्षे.पं 2021-22 / दिनांक 16/11/21द्वारा जारी अल्पकालीन निविदा आमंत्रण पत्र से आहूत निविदा प्रक्रिया से यह कार्य मे.श्री बालाजी टाइल्स ,कानपुर नगर .को प्राक्कलन दर से क्रमश 0.2प्रतिशत :टेंडर मे अंकित दरों से कम दर पर आवंटित कर संपादित कराया गया,जबकि निर्गत टेंडर फॉर्म मे किसी भी निविदा दाता द्वारा अपनी दरों का उल्लेख नहीं किया गया है न ही टेंडर फार्मपर निविदा दाता ,साक्षी व स्वीकार कर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर व सील नहीं पाये गए ।इसके बावजूद भी **काल्पनिक तुलनात्मक विवरण बना कर मनमाने आधार पर कार्यदायी संस्था का चयन किया गया व कार्य कराया गया** । हैसियत प्रमाण पत्र एवं विभाग मे पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न नहीं है । 0046 एसपीएफएमईएटीपीएवाईआरईक्यू 1802202215041 दिनाक18/02/22,रु 594644.00.मे 12प्रतिशतजी.एस.टी. रु.71357.00 **,**जोड़ कर इस शर्त के साथ भुगतान किया गया है कि फर्म जी.एस.टी. जमा कर जमा रसीद कार्यालय को उपलब्ध कराएगी परंतु पत्रावली मे जी.एस.टी. जमा रसीद संलग्न नहीं है । संस्था द्वारा आयकरकी 2प्रतिशतकटौती रु11893.00.व कुल कार्य की लागत से 5प्रतिशतजमानत के रूप मे कटौती रु 36200.00.अपने अभिलेखों मे लेखांकित नहीं किया गया । उक्त कार्य की स्थलीय निरीक्षण प्रमाणपत्र ,ड्रॉइंग व साइट प्लान ,जे.ई .श्री मान सिंह की निरीक्षण एवं गुणवत्ता रिपोर्ट आदि को नियमानुसार पत्रावली के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है। यह गंभीर अनियमितता है अत :रु 666001.00.की वसूली नियमानुसार लेखाकार श्री देवेंद्र कुमार शर्मा , जे.ई .श्री मान सिंह,खंड विकास अधिकारी श्री मानू लाल व ब्लॉक प्रमुख श्री राजेश शुक्ला से वसूली कराई जानी अपेक्षित है । **मूल आपत्ति सं (18**

<u>नाम-</u> <u>क्षेत्र पंचायत-भीतरगाँव</u>

<u>लेखा परीक्षा वर्ष 2021– 22</u>

प्रस्तर सं0(24) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम36- के बिंदु 2 -के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे |माप पुस्तिका रफ कापी पर हाथ से बनाई

गयी है उक्त से प्रतीत होता है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी |उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत)बजट तथा सामान्य लेखा (नियमावली 1965के नियम 153 केअधीन रखी जाने स्कन्ध बही)प्रपत्र संख्या (39लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी |उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन /पत्रावलियों में निर्माण /मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी अतः व्यय के सदुपयोग की पुष्टि न की जा सकी ,जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिजनक है |उपरिलिखितन्यूनताओं /कमियों से प्रतीत होता है कि उक्त निर्माण कार्य में नियमों की अवहेलना कर मनमाने ढंग से भुगतान किया गया है तथा नियमों व शासनादेशो में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशिरू. 2731581.00का वर्ष दौरान भुगतान कर दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकासअधिकारी ,लेखाकार, सहायक अभियंता तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख समान रूपसे उत्तरदायी है|उक्त बिंदुओं का संतोषजनक स्पष्टीकरण ना प्राप्त होने की दशा में उक्त समस्त सेरू. 2731581.00 की तातारिख ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही किए जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीयउच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(मूल आपत्ति संख्या 1-5)

प्रस्तर सं0-(25) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम36- के बिंदु 08-में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्तमापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसकेपश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए।किंतु उक्त निर्माण कार्य परिमाप पुस्तिका की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार) क्षेत्र पंचायत(द्वारा नहीं की गई।पत्रावली के नोटशीटमे इस संबंध मे कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

)क (उक्त निर्माण कार्य से संबंधित -:कार्य प्रारम्भ से पूर्व की)ii) कार्य के दौरान की)iii) कार्य पूर्ण होने के उपरांत की **दिनांकितफोटोग्राफ**पत्रावली के साथ अवश्य संलग्न की जानी चाहिए किन्तु **उक्त तीनों स्तर)सम्पूर्ण कार्यावधि (की दिनांकितफोटोग्राफ**पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रही अतः कार्य की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी |**दिनांकित**त्रिस्तरीय**फोटोग्राफ** उपलब्ध न होने के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीटमे इस संबंध मे कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

)ख(पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध मे कोई प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा , क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीटमे इस संबंध मे कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005, जून 2014तथा जुलाई 2015मे जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है |अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

)ग (उक्त कार्यों की जांच दौरान ज्ञात हुया कि कार्यों का पंजीकरण श्रम विभाग में नहीं कराया गया | किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला नंबर)कार्य पंजीकरण संख्या (पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ |लेखा परीक्षा दौरान परिसंपत्ति पंजिका उपलब्ध नहीं रही |बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से अनियमित व आपत्तिपूर्ण है |

)घ (उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ कि पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण /मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की

स्पष्ट जानकारी न हो सकी अतः व्यय के सदुपयोग की पुष्टि न की जा सकी ,जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

)च (उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों के साथ निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री यथा इन्टरलॉकिंगईट इत्यादि से संबंधित स्ट्रेन्थ सर्टिफिकेट संलग्न नहीं रहे अतः कार्य के मानक अनुसार होना संदिग्ध प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

)छ - **(**उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 तक मे उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्टमैन्नुअल)प्रोक्योरमेंटऑफ़गुड्स (2016शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3 (एस पी॰ 2010 (दिनांक 1अप्रैल 2016के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है | सामान्य निविदा की जगह अतिअल्पकालीननिविदा जारी करके ,निविदा सूचना का ,निविदा अभिलेख ,निविदा खोलना ,निविदा स्वीकार करने ,निविदा दरों ,कार्यादेश,अनुबंध करने , जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबन्धित निर्देशों के पूर्णतः पालन नहीं किया गया |संस्था द्वारा निविदाप्रपत्रों के साथ जमा धरोहर राशि तथा निविदाप्रपत्र के बिक्री मूल्य का लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया |उक्त समस्त गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है

)ज - (बिलों से काटे जाने वाले **<u>जी .एस .टी</u>** , .**<u>टीडी एस</u>** और **<u>लेबरसेस</u>** को नियमानुसार काटकर संदर्भित विभागों में जमा नहीं किया गया |**जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |**

उपरिलिखितन्यूनताओं /कमियों से प्रतीत होता है कि उक्त निर्माण कार्य में दुरभिसंधि द्वारा नियमों की अवहेलना कर मनमाने ढंग से भुगतान किया गया है तथा नियमों व शासनादेशो में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशिरू. 7846779.00को व्यय करने में गम्भीरअनियमितताए की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकासअधिकारी ,लेखाकार, सहायक अभियंता तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख समान रूपसे उत्तरदायीहै| उक्त समस्त सेरू. 7846779.00की वसूली की कार्यवाही किए जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीयउच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

)मूल आपत्ति संख्या (16 -

प्रस्तर सं0-(26) आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में 15वां केन्द्रीय वित्त से ग्राम पंचायत पतारी के बारातशाला में समरसेबल कार्य पर रू. 119510.00 का भुगतान किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की किए गए जिससे उक्त समस्त धनराशि रू. 119510.00का व्यय नियमानुसार किए जाने व धनराशि के मितव्ययितापूर्ण सदुपयोग की पुष्टि न की जा सकी |उक्त समस्त धनराशि रू. 119510.00की वसूली की कार्यवाही तत्कालीन खंड विकास अधिकारी ,प्रमुख क्षेत्र पंचायत ,अवर अभियंता तथा लेखाकार से कीजानी अपेक्षित है ।

)मूल आपत्ति संख्या (17-

प्रस्तर सं0-(27) आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में 15वां केन्द्रीय वित्त से ग्राम पंचायत उदईपुरमें परशुराम के दरवाजे से दूल्लू के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग कार्य पर रू. 159346.00 का भुगतान किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की किए गए जिससे उक्त समस्त धनराशि **रू**. रू..15934600 व्यय नियमानुसार किए जाने व धनराशि के मितव्ययितापूर्ण सदुपयोग की पुष्टि न की जा सकी |जाँचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण ना प्राप्त होने की दशा में उक्त समस्त धनराशि **रू**. 159346.00 की वसूली की कार्यवाही तत्कालीन खंड विकास अधिकारी ,प्रमुख क्षेत्र पंचायत ,अवर अभियंता तथा लेखाकार से किए जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

)मूल आपत्ति संख्या (18 -

प्रस्तर सं0-(28) आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में 15वां केन्द्रीय वित्त से ग्राम पंचायत गुगरा के मजरा में रामपाल से रामसेवक के घर के पास इंटरलॉकिंग कार्य पर रू. 213448.00 का भुगतान किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की किए गए जिससे उक्त समस्त धनराशि **रू**. रू. 213448.00का व्यय नियमानुसार किए जाने व धनराशि के मितव्ययितापूर्ण

सदुपयोग की पुष्टि न की जा सकी |उक्त समस्त धनराशि **रू**. रू. 213448.00की वसूली की कार्यवाही तत्कालीन खंड विकास अधिकारी ,प्रमुख क्षेत्र पंचायत ,अवर अभियंता तथा लेखाकार से कीजानी अपेक्षित है ।

)मूल आपत्ति संख्या (19 -

प्रस्तर सं0-(29) संस्था के ग्रांट रजिस्टर व बैंक स्टेटमेंन्ट के अनुसार पांचवें राज्य वित्त मद और पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त से निम्न धनराशियों का भुगतान/ट्रांसफर /अंतरण खंड विकास अधिकारी को किया गया है _

पांचवें राज्य वित्त मद बैंक खाते से आहरण की तिथि	धनराशि
27.01.22	17321.00
18.3.22	35926.00
पन्द्रहवां केन्द्रीय वित्त मद बैंक खाते से आहरण की तिथि	
1.11.21	16134.00
1.11.21	16114.00
1.11.21	16104.00
12.11.21	16100.00
12.11.21	16106.00
12.11.21	16105.00
12.11.21	16119.00
1.12.21	16134.00
1.12.21	16114.00
1.12.21	16605.00
14.12.21	16320.00
14.12.21	16125.00
14.12.21	16619.00
5.2.22	23111.00
5.2.22	21346.00
5.2.22	44391.00
9.3.22	16136.00
11.3.22	28306.00
12.03.22	39100.00
16.03.22	25295.00
योग	461631.00

उक्त अंतरण के बारे में मौखिक रूप से बताया गया कि यह अंतरण जी एस टी , टीडी एस और लेबरसेस की कटौती हेतु किया गया है |उक्त के संबंध में निम्न आपत्तियाँ रही -

)क् (संबंधित बैंक खाते की बैंक स्टटमेंटलेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी और न ही उक्त का प्रमाणक प्रस्तुत किया गया जिससे उक्त की पुष्टि न की जा सकी |

)ख (ग्रांट रजिस्टर 3में उक्त लेखा शीर्ष में वर्ष में प्राप्ति व व्यय शून्य दर्शित है तथा खंड विकास अधिकारी के खाते का लेखा नहीं किया गया है |

)ग (इस प्रकार का भुगतान खंड विकास अधिकारी के खाते में किए जाने का सक्षम स्तर का आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया |

)घ (जी एस टी ,टीडी एस और लेबरसेस को सीधे संबंधित विभाग में ट्रांसफर न कर खंड विकास अधिकारी के खाते ट्रांसफर)अपुष्ट (किए जाने का औचित्य स्पष्ट न किया जा सका |

उक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशि रू. 461631.00का अनियमित रूप से ट्रांसफर कर खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार द्वारा अपहरण कर लिया गया है |**उक्त** रू. 461631.00की वसूली की कार्यवाही तत्कालीन खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार सेकीजानी अपेक्षित है ।

)मूल आपत्ति संख्या (20 -

प्रस्तर सं0-(30) आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा दौरान **पांचवां** राज्य वित्त मद की बैंक स्टटमेंट की जांच दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था द्वारा दिनांक 08.03.2022 को रू. 225119.00 तथा **रू**. रू.225122.00 का आहरण किया गया है |उक्त दोनों भुगतान **पी.एफ.एम.एस**. के माध्यम से नहीं किए गए अपितु आर.टी.जी.एस. चेक द्वारा किए गए है |राज्य वित्त से समस्त भुगतान **पी.एफ.एम.एस**. से किए जाने चाहिए |बिना **पी.एफ.एम.एस**. का भुगतान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी का आदेश अनुपलब्ध रहा | उक्त दोनों भुगतानों के व्यय के संबंध में पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी | इस प्रकार प्रमाणकों व पत्रावलियों को संरक्षित किए बिना ही व्यय दर्शाने से उक्त कुल रू.450241.00 के नियमानुसार व्यय किए जाने की व धनराशि के मितव्ययितापूर्ण सदुपयोग की पुष्टि न की जा सकी| जिसके लिए खंड विकास अधिकारी ,प्रमुख क्षेत्र पंचायत तथा लेखाकार समान रूप से उत्तरदायी है| रू.450241.00 की वसूली की कार्यवाही तत्कालीन खंड विकास अधिकारी ,प्रमुख क्षेत्र पंचायत तथा लेखाकार से कीजानी अपेक्षित है ।

)मूल आपत्ति संख्या (26-

प्रस्तर सं0- (31) आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पंचम राज्य वित्त की निम्न निर्माण कार्यों की प्रोजेक्ट पत्रावलियाँ अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत रहे -

क्रम	प्रोजेक्ट का नाम	वर्ष में भुगतान
1.	ग्राम पंचायत पचखुरामेंइस्माईल के घर से उजियारी लाल के घर तक इन्टरलॉकिंग	267439.00
2.	ग्राम पंचायत गोपालपुरनर्वल में जहानाबादमेन रोड मुकेश तिवारी के घर से पप्पूकुरील तक इन्टरलॉकिंग व नाली कार्य	864038.00
3.	ग्राम पंचायत हरबसपुर में शिव कुमारी विश्वकर्मा के घर से राम बाबू सचान व रामनाथ से राम औतार तक इंटरलॉकिंगकार्य	694445.00
4.	राजेपुर में मैदरबाबा से पप्पू परिहार के दरवाजे तक इंटरलॉकिंगकार्य	342977.00
5.	ग्राम पंचायत गाजीपुरमें शहीद स्मारक से पंकज तिवारी तक इन्टरलॉकिंग	579026.00
6.	ग्राम पंचायत पचखुरा के मजराचपरहटा में इंद्रपाल दिवाकर के दरवाजे से मातादीन प्रजापति तकइन्टरलॉकिंग	275995.00
7.	ग्राम पंचायत बीहूपुर के मजरामिलकिनपुरमेंअजितसचान से बालक राम राजाराम से , जय नारायण तक इंटरलॉकिंग	711359.00
	योग	**3735279.00**

उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जाँच दौरान निम्न गंभीर कमियाँ/आपत्तियाँ प्रकाश में आयी : -

(क्) उक्त कार्यों के प्राक्कलन अनुसार पन्द्रहवाँ केन्द्रीय वित्त तथा पंचम राज्य वित्त के सम्मिलित व्यय से कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित था जिसके आधार पर कार्यालय खंड विकास अधिकारी भीतरगाँव , कानपुर नगर के पत्रांक 517 दिनांक 01.12.2021 द्वारा उक्त कार्यों की सम्मिलित व्यय के आधार पर ही अल्पकालीन निविदा जारी की गयी थी | स्वीकृत प्राक्कलन के विपरीत भुगतान केवल पंचम राज्य वित्त से किया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिजनक है |

(ख) उक्त किसी भी कार्य की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तकनीकी आधार पर तैयार की गयी हो पत्रावली में संलग्न नहीं की गयी , अतः कार्य तकनीकी रूप से से कराए जाने योग्य था या नहीं इसकी जानकारी न हो सकी , विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए थी | कार्यालय प्रमुख अभियंता

लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र स.7399एम्.टी./सामान्य वर्ग/60एम्.टी./2008 दिनांक-16.09.2008 के बिंदु 01 के अनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार करने से पूर्व कार्य स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर कार्यस्थल का नजरी नक्शाव् लाइनडायग्राम तैयार किया जायगा एवं तदनुसार प्रारंभिक आगणन तैयार किया जायगा। किन्तुउक्त कार्य की पत्रावली में निर्माण कार्य स्थल की कार्य के पूर्व की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट व फोटो, नजरीनक्शा, लाइनडायग्राम संलग्न नहीं है।स्पष्ट है किप्रारंभिक आगणन मानक पर तैयार नहीं किया गयाआगणन मनमाने ढंग से तैयार किया गया।जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ग) उक्त निर्माण कार्य जनपद के किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा विगत पांचवर्षो में नहीं कराया गया है इसका प्रमाण-पत्र संदर्भितसंस्थाओ से प्राप्त कर पत्रावली में संरक्षित नहीं किया गया जिससेनिर्माणकार्यमेंडुप्लीकेसी कीगहन संभावना विद्यमान है | निर्माण कार्य प्रथम बार अनन्य रूप से संस्था द्वारा ही कराया गया है इसकी पुष्टि न की जा सकी | प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है |

(घ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 36 के अनुसार संरक्षित की जाने वाली माप पुसि् तका नियमानुसार नहीं बनाई गयी | संलग्न माप पुस्तिका की जांच मे निम्न कमियाँ प्रकाश मे आई |

1 . उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-2 के अनुसार माप पुस्तिका पर अंकित किया जाने वाला क्रम संख्या तथा जारी करने की तिथि संलग्न माप पुस्तिका पर अंकित नहीं रहे |माप पुस्तिका रफ कापी पर हाथ से बनाई गयी है उक्त से प्रतीत होता है कि संलग्न माप पुस्तिका इस कार्य हेतु नियमतः जारी नहीं की गयी|पत्रावली के नोटशीटमे इस संबंध मे कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है | उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 153 केअधीन रखी जाने स्कन्ध बही (प्रपत्र संख्या 39) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहने से माप पुस्तिका के नियमतः जारी किए जाने की पुष्टि भी नहीं करवायी गयी |

2 . उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-3 के प्रावधानानुसार माप पुस्तिका के पृष्ठों पर मशीन से संख्या अंकित की जानी चाहिए किन्तु संलग्न माप पुस्तिका रफ रूप मे हाथ से बनाई गयी है |पत्रावली के नोटशीटमे इस संबंध मे कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

3. . उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-5 के अनुसार की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ नहीं की गयी है |माप पुस्तिका पर किए गए हस्ताक्षर दिनांकित नहीं है | पत्रावली के नोटशीटमे इस संबंध मे कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

4 . उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम-36 के बिंदु-08 में की गई व्यवस्था के अनुसार माप पुस्तिका में अंकित समस्तमापों की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए, इसकेपश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए।किंतु उक्त निर्माण कार्य परिमाप पुस्तिका की शत-प्रतिशत जाँच लेखाकार (क्षेत्र पंचायत) द्वारा नहीं की गई।पत्रावली के नोटशीटमे इस संबंध मे कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(च) उक्त निर्माण कार्य से संबंधित:- कार्य प्रारम्भ से पूर्व की (ii) कार्य के दौरान की (iii) कार्य पूर्ण होने के उपरांत की दिनांकितफोटोग्राफ पत्रावली के साथ अवश्य संलग्न की जानी चाहिए किन्तु उक्त तीनों स्तर (सम्पूर्ण कार्यावधि) की दिनांकितफोटोग्राफ पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रही अतः कार्य की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी | दिनांकितत्रिस्तरीयफोटोग्राफ उपलब्ध न होने के बावजूद भी

पत्रावली के नोटशीटमे इस संबंध मे कोई टिप्पणी नहीं की गयी तथा समस्त भुगतान कर दिया गया | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(छ)पत्रावली कि जांच से ज्ञात हुआ कि क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर कार्य कराया गया है किन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इस संबंध मे कोई प्रस्ताव पत्रावली के साथ संलग्न नहीं रहा , क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण के बावजूद भी पत्रावली के नोटशीटमे इस संबंध मे कोई टिप्पणी नहीं की गयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की डुप्लिकेसी रोकने के लिए राज्य सरकार के जनवरी 2005 , जून 2014 तथा जुलाई 2015 मे जारी दिशनिर्देशों के अधीन क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया उक्त कार्य अनुमन्य नहीं है |अननुमन्य कार्य का समस्त भुगतान कर दिया गया | जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ज) उक्त कार्यों की जांच दौरान ज्ञात हुया की कार्यों का पंजीकरण श्रम विभाग में नहीं कराया गया | किसी भी कार्य का कार्य समाप्ति से पूर्व श्रम विभाग में कार्य पंजीकरण के सापेक्ष जारी किया जाने वाला नंबर (कार्य पंजीकरण संख्या) पत्रावली में संलग्न /अंकित प्राप्त नहीं हुआ | लेखा परीक्षा दौरान परिसंपत्ति पंजिका उपलब्ध नहीं रही | बिना पंजीकरण कराए ही कार्य का समस्त समस्त भुगतान किया गया है यह गंभीर रूप से अनियमित व आपत्तिपूर्ण है |

(झ) उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से ज्ञात हुआ की पत्रावली के साथ संलग्न प्राक्कलन / पत्रावलियों में निर्माण/ मरम्मत कार्य के कराए जाने का उद्देश्य तथा कार्य से प्राप्त होने वाले समस्त लाभों का स्पष्ट रूप से अंकन नहीं है जिससे धनराशि के व्यय से लाभों की प्राप्ति या अप्राप्ति की स्पष्ट जानकारी न हो सकी अतः व्यय के सदुपयोग की पुष्टि न की जा सकी , जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ट) उक्त समस्त कार्यों की पत्रावलियों के साथ निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री यथा इन्टरलॉकिंगईट इत्यादि से संबंधित स्ट्रेन्थ सर्टिफिकेट संलग्न नहीं रहे अतः कार्य के मानक अनुसार होना संदिग्ध प्रतीत होता है जो गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

(ठ) - उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984के नियम 19 से 23 तक मे उल्लिखित निविदा प्रक्रियाओं तथा उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्टमैन्नुअल (प्रोक्योरमेंटऑफ़गुड्स) 2016 शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-2-2016-3(एस पी०) 2010 दिनांक 1अप्रैल 2016 के अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है | सामान्य निविदा की जगह अतिअल्पकालीननिविदा जारी करके ,निविदा सूचना का ,निविदा अभिलेख ,निविदा खोलना ,निविदा स्वीकार करने ,निविदा दरों ,कार्यादेश,अनुबंध करने , जमानत/धरोहर धनराशि इत्यादि से संबन्धित निर्देशों के पूर्णतः पालन नहीं किया गया , | संस्था द्वारा निविदाप्रपत्रों के साथ जमा धरोहर राशि तथा निविदाप्रपत्र के बिक्री मूल्य का लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया | उक्त समस्त गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है

(ड) - बिलों से काटे जाने वाले जी. एस. टी. , टीडी एस और लेबरसेस को नियमानुसार काटकर संदर्भित विभागों में जमा नहीं किया गया | जो लेखा परीक्षा में गंभीर रूप से आपत्तिपूर्ण है |

उपरिलिखित न्यूनताओं/ कमियों से प्रतीत होता है कि उक्त निर्माण कार्य में दुरभिसंधि द्वारा नियमों की अवहेलना कर मनमाने ढंग से भुगतान किया गया है तथा नियमों व शासनादेशो में निहित निर्देशों का पालन न कर अनुदान की धनराशि रू0 3735279.00 को व्यय करने में गम्भीरअनियमितताए की गयी है जिसके लिए तत्कालीन खण्ड विकासअधिकारी, लेखाकार, सहायक अभियंता तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख समान रूपसे उत्तरदायीप्रतीत होते है|उक्त बिंदुओं का संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उक्त समस्त से रू.3735279.00 की वसूली की कार्यवाही किए जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

मूल आपत्ति सं0 27

प्रस्तर सं0-(32) ग्रांट रजिस्टरों में गोवंश आश्रय संरक्षण निधि का लेखा किया गया है किंतु उक्त मद की प्राप्ति ,व्यय एवं लेखा परीक्षा से संबंधित शासनादेश व मार्ग निर्देशक सिद्धांतों का संकलन कर संस्था पर

अनुरक्षित नहीं किया गया है | संस्था द्वारा उक्त आय-व्यय के संबंध में पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी तथा बैंक स्टेटमेंट अनुपलब्ध रहने के कारण ग्रांट रजिस्टरों में दर्शित आय रू0 2889862.00 तथा दर्शित व्यय रू0 3088187.41 की पुष्टि न की जा सकी | इस प्रकार से प्रमाणकों व पत्रावलियों को संरक्षित किए बिना ही व्यय दर्शाकर व आहरण कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी प्रतीत होती है | जिसके लिए खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार समान रूप से उत्तरदायी प्रतीत होते है प्रकरण अधिभार योग्य है तथाजाँचोंपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण ना प्राप्त होने की दशा में दर्शित व्यय रू0 3088187.41 की वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है|**मूल आपत्ति सं0 21**

प्रस्तर सं0 33 संस्था के ग्रांट रजिस्टर 3 में मु० सामूहिक विवाह योजना मद का लेखा रखा गया है किंतु उक्त मद की प्राप्ति ,व्यय एवं लेखा परीक्षा से संबंधित शासनादेश व मार्ग निर्देशक सिद्धांतों का संकलन कर संस्था पर अनुरक्षित नहीं किया गया है | उक्त आय-व्यय के संबंध में पत्रावलियाँ संबंधित व्यय बाउचर , व्यय आदेश इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी | उक्त मद का बैंक खाता भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त समस्त धनराशि रू0 765000.00 के नियमानुसार व्यय किए जाने की व धनराशि क मितव्ययितापूर्ण सदुपयोग की पुष्टि न की जा सकी | जाँचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उक्त समस्त धनराशि रू0 765000.00 की वसूली की कार्यवाही तत्कालीन खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से किए जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

मूल आपत्ति सं0 22

प्रस्तर सं0- (34) संस्था के ग्रांट रजिस्टर 3 में मनरेगा कंटीजेन्सी मद से आलोच्य वर्ष में रू0 920028.00 तथा मनरेगा ब्याज मद से आलोच्य वर्ष में रू0 15099.00 का व्यय किया गया दर्शित है | आलोच्य अवधि के उक्त व्यय से संबंधित व्यय बाउचर , व्यय आदेश व अन्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी | उक्त मद का बैंक खाता भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया , जिससे उक्त समस्त धनराशि रू 935127.00 के नियमानुसार व्यय व धनराशि के मितव्ययितापूर्ण सदुपयोग की पुष्टि न की जा सकी | जाँचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उक्त समस्त धनराशि रू0 935127.00 की वसूली की कार्यवाही तत्कालीन खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से किए जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |**मूल आपत्ति सं0 23**

प्रस्तर सं0 35 संस्था के ग्रांट रजिस्टर 3 तथा ग्रांट रजिस्टर 3 तथा रजि0 2 से यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा लेबर चार्ज के रूप में गत वर्ष से अवशेष कुल रू0 32462.00 धनराशि को अपने पास रोक कर रखा गया तथा संबंधित विभाग को समयबद्ध रूप से हस्तांतरित /ट्रांसफर नहीं किया गया | राजकीय धनराशि को रोके जाने तथा उस धनराशि पर उद्भूत बैंक ब्याज की संबंधित विभाग को हानि होने के दृष्टिगत प्रकरण गंभीर प्रकृति का प्रतीत होता है | अतः प्रकाश में लाया जाता है | समस्त धनराशि को ब्याज और दंडात्मक शुल्क सहित संबंधित विभाग को हस्तांतरित करना तथा उत्तरदायी व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति सं0 24

प्रस्तर सं0- (36) संस्था द्वारा आंगनबाड़ी मद की प्राप्ति ,व्यय एवं लेखा परीक्षा से संबंधित शासनादेश व मार्ग निर्देशक सिद्धांतों का संकलन कर अनुरक्षित नहीं किया गया है उक्त का लेखा ग्रांट |रजिस्टर में नियमानुसार नहीं किया गया है |उक्त मद के आयव्यय के संबंध में पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी | उक्त के संबंध में निम्न आपत्तियाँ रही -

(1)आंगनबाड़ी केंद्र सचौली मेहरौली के बिलों का,रू. 547634.00का भुगतान योरसेल्फ द्वारा आहरित दर्शित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व(पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की किए गए जिससे उक्त समस्त धनराशि रू. 547634.00का व्यय नियमानुसार किए जाने व धनराशि के मितव्ययितापूर्ण सदुपयोग की पुष्टि न की जा सकी |जाँचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण ना प्राप्त होने की दशा में उक्त

समस्त धनराशि रू. 547634.00की वसूली की कार्यवाही तत्कालीन खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से किए जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीयउच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(2)आंगनबाड़ी केंद्र अमौर एवं साढ़मिर्जापुर के बिलों का रू. 548755.00का भुगतान योरसेल्फ द्वारा आहरित दर्शित किया गया(है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की किए गए जिससे उक्त समस्त धनराशि रू. 548755.00का व्यय नियमानुसार किए जाने व धनराशि के मितव्ययितापूर्ण सदुपयोग की पुष्टि न की जा सकी |जाँचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण ना प्राप्त होने की दशा में उक्त समस्त धनराशि रू. 548755.00की वसूली की कार्यवाही तत्कालीन खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से किए जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीयउच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(3)आंगनबाड़ी केंद्र पतारी के निर्माण कार्य के बिलों का रू. 270646.00का भुगतान योरसेल्फ द्वारा आहरित दर्शित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की किए गए(जिससे उक्त समस्त धनराशि रू. 270646.00का व्यय नियमानुसार किए जाने व धनराशि के मितव्ययितापूर्ण सदुपयोग की पुष्टि न की जा सकी |जाँचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण ना प्राप्त होने की दशा में उक्त समस्त धनराशि रू. 270646.00की वसूली की कार्यवाही तत्कालीन खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से किए जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

((4)आंगनबाड़ी केंद्र हस्कर के निर्माण कार्य के बिलों का रू. 270216.00का भुगतान योरसेल्फ द्वारा आहरित दर्शित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक व पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की किए गए(जिससे उक्त समस्त धनराशि रू. 270216.00का व्यय नियमानुसार किए जाने व धनराशि के मितव्ययितापूर्ण सदुपयोग की पुष्टि न की जा सकी |जाँचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण ना प्राप्त होने की दशा में उक्त समस्त धनराशि रू. 270216.00की वसूली की कार्यवाही तत्कालीन खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से किए जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

अतः उक्त बिन्दु से (4) में उल्लिखित समस्त धनराशि (1)रू.के नियमानुसार व्यय 1637251.00 व धनराशि के<u>मितव्ययितापूर्ण सदुपयोग</u> की पुष्टि न की जा सकी | जाँचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में उक्त समस्त धनराशि रू. 1637251.00 की वसूली की कार्यवाही तत्कालीन खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार से किए जाने हेतु प्रकरण सक्षम विभागीयउच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |**मूल आपत्ति संख्या 28**

<u>क्षेत्र पंचायत- ककवन</u>

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर सं0-(37) आलोच्य वर्ष 21-22 के अंतर्गत 15 वा केंद्रीय वित्त के तहत कुल रुपया 1513914.00 का व्यय)अनुदान रजिस्टर 2 अनुसार (किया गया। जिससे सम्बंधित प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे । फलतः दर्शित ब्यय उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1965 के नियम 174 के अनुसार अनियमित रहा। इस निमित श्री सुनील यादव एवं श्री राजेंद्र रजक के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ब्ययो का विवरण इस प्रकार रहा-

क्र०	**कार्य का विवरण**	**धनराशी**
1	ग्राम इब्राहीम पुर में देवेन्द्र के घर से राम औतार के घर तक इंटर लाकिंग व नाली निर्माण	410331.00
2	ग्राम पंचायत गढ़वा में राम शंकर अवस्थी के घर से छोटे लाल तक इंटर लाकिंग	390617.00
3	ग्राम पंचायत उटठा में रोड से अविनाश के मकान तक इंटर लाकिंग	372832.00

4 ग्राम पंचायत अराजी ईरोज में कर्जा यादव के घर से कमलाकांत व शयाम सिंह के 330853.00
घर तक इंटर लाकिंग
5 अन टाइड फण्ड का 5प्रतिशत कटौती का भुगतान 9281.00
योग - 1513914.00

(मूलआपत्तिसंख्या-01)

प्रस्तर सं0-(38) आलोच्य वर्ष 21-22 के अंतर्गत पाचवां राज्य वित्त के तहत कुल रुपया 1813629.00 का व्यय)अनुदान रजिस्टर 2 अनुसार (किया गया। जिससे सम्बंधित प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे । फलतः दर्शित व्यय उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1965 के नियम 174 के अनुसार अनियमित रहा। इस निमित श्री सुनील यादव एवं श्री राजेंद्र रजक के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ब्ययो का विवरण इस प्रकार रहा

क्र० कार्य का विवरण धनराशी

1. ग्राम पंचायत बछना में ज्ञान ठाकुर के घर से शाविर के घर तक इंटर 776731.00 लाकिंग व नाली निर्माण ।
2. ग्राम पंचायत औरोताहरपुर के जुम्मन निवादा में ज्ञान सिंह के घर से बलराम 187990.00
के घर तक खडंजा व नाली निर्माण ।
3. ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर रौस में अली मोहम्द के मकान से इरफ़ान अली के 385151.00
मकान तक इंटर लाकिंग।
4. ग्राम पंचायत मनावा में नहर रोड से राजेश यादव के दरवाजे तक इंटर लाकिंग 463757.00व नाली निर्माण ।

योग
1813629.00

(मूलआपत्तिसंख्या-02)

क्षेत्र पंचायत- घाटमपुर

लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर सं0-(39) ग्रांट रजिस्टरों में गोवंश आश्रय संरक्षण निधि का लेखा किया गया है किंतु उक्त मद की प्राप्ति, व्यय एवं लेखा परीक्षा से संबंधित शासनादेश व मार्ग निर्देशक सिद्धांतों का संकलन कर संस्था पर अनुरक्षित नहीं किया गया है। संस्था द्वारा उक्त आय-व्यय के संबंध में पत्रावलियों लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी तथा बैंक स्टेटमेंट अनुपलब्ध रहने के कारण ग्रांट रजिस्टरों में दर्शित आय रु 9021300.00 तथा दर्शित व्यय र 10164540.00 की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार से प्रमाणकों व पत्रावलियों को संरक्षित किए बिना ही व्यय दर्शाकर व आहरण कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी । जिसके लिए खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार समान रूप से उत्तरदायी है। प्रकरण अधिभार योग्य है तथा जाँथोंपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में दर्शित व्यय रू. 10164540.00 की वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(मूलआपत्तिसंख्या-11)

प्रस्तर सं0-(40) ग्रांट रजिस्टरों में आंगनवाड़ी निर्माण का लेखा किया गया है किंतु उक्त मद की प्राप्ति, व्यय एवं लेखा परीक्षा से संबंधित शासनादेश व मार्ग निर्देशक सिद्धांतों का संकलन कर संस्था पर अनुरक्षित नहीं किया गया है। संस्था द्वारा उक्त आय-व्यय के संबंध में पत्रावलियों लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी तथा बैंक स्टेटमेंट अनुपलब्ध रहने के कारण ग्राट रजिस्टरों में दर्शित आय रु 00.00 तथा दर्शित व्यय रू.38025.00 की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार से प्रमाणकों व पत्रावलियों को संरक्षित किए बिना ही व्यय दर्शाकर व आहरण कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी । जिसके लिए खंड विकास अधिकारी तथा लेखाकार समान रूप से उत्तरदायी है। प्रकरण अधिभार योग्य है तथा जाँचोंपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में दर्शित व्यय रू. 38025.00 की वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(मूलआपत्तिसंख्या-12)

क्षेत्र पंचायत शिवराजपुर

लेखा परीक्षा वर्ष -2021-22

प्रस्तर सं0-(41) उ0प्र0 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली-2009 (जो उ0प्र0 में दिनांक 04 फरवरी 2009 से लागू है (के नियम-4(3) के अनुसार ठेकेदार के बित से कार्य की कुल लागत का 1प्रतिशत की दर से कर्मकार उपकर /लेबर सेस नियोक्ता के द्वारा काटा जाएगा प्रमुख अभियंता ने अप्रैल, 2010 में इसे नियमानुसार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित भी किया है .कटौती उपरांत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तिया उपशीर्षक-11 में जमा किया जाना है, लेकिन इस नियम का अनुपालन नहीं किया गया है .आलोच्य वर्ष में ठेकेदारों के द्वारा प्रस्तुत बिलों पर लेबर सेस की। प्रतिशत कटौती की गयी है। प्रांट रजिस्टर-3 के लेवर सेस खाता में दिनांक 01-04-2021 को लेबर सेस की प्रारम्भिक शेष धनराशि रू० 58333.00 दर्शित है और आलोच्य वर्ष में लेबर सेस कटौती की धनराशि रू0 54762.00 जो संबंधित विभाग में जमा करने हेतु बिलों से काटी गयी है, लेखा परीक्षा की समाप्ति की तिथि तक लेबर सेस कटौती की कुल धनराशि रू0 113095.00 संस्था/पटल प्रभारी द्वारा संबंधित विभाग में जमा नहीं कि गयी है .लेबर सेस कटौती की कुल धनराशि रू0 113095.00 को संस्था के खाता मे रोककर रखा गया है . उल्लेखनीय है कि लेबर सेस की धनराशि से भारत सरकार द्वारा मजदूरो के कल्याण हेतु चलायी जाने वाली योजनाओं का वित्त पोशण होता है .कटौती उपरांत लेबर सेस की धनराशि को जमा न करना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी-1. श्री के० के० पाण्डेय 2. श्री सौरभ कुमार बरनवाल 3. श्री जियालाल सरोज 4. श्री रामकुमार उपाध्याय एवं लेखाकार-श्री आर०के० रजक उत्तरदायी है.

(मूलआपत्तिसंख्या-07)

प्रस्तर सं0-(42) वित्त वर्ष 2021-22 में खुले टेण्डर/अनुबंध के माध्यम से केन्द्र राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत कराए गए निर्माण कार्यों, जो कार्य प्रारूप-1 में क्रमांक 01 से 11 तक अंकित है (में ठेकेदारों के प्रस्तुत बिलों की कुल धनराशि रू० 4555885.50 के सापेक्ष 2 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० टी०डी०एस०,२ प्रतिशत आयकर-टी०डी०एस० काटकर व 12 प्रतिशत जी०एस०टी० जोड़कर संबंधित फों को भुगतान किया गया है, इस भुगतान में जी०एस०टी० की 12 प्रतिशत धनराशि रू० 546706.41 भी सम्मिलित है.लेखाकार के अनुसार प्रस्तुत बिल की धनराशि पर 12 प्रतिशत जी०एस०टी० का भुगतान ठेकेदार को इस हेतु किया गया है कि उक्त धनराशि को वाणिज्य कर/जी०एस०टी० विभाग के खाता में जमा कर दिया जाए, लेकिन ठेकेदार को 12 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि जो जमा करने हेतु दी गयी है, उसकी पुष्टि में जमा चालान

की प्रति पत्रावली में संरक्षित कर नहीं रखी गयी है जिससे इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि संबंधित फर्म/ठेकेदार द्वारा जी०एस०टी० की धनराशि को संबंधित विभाग में जमा किया गया है या नहीं .विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान इस आशय से आकृष्ट किया जाता है कि सरकारी राजस्व की क्षति न होने पाए इसलिए जी०एस०टी० रू० धनराशि 546706.41 के जमा चालान की प्रति फर्म से मंगाकर पत्रावली में रखी जाए .यदि फर्म द्वारा उक्त धनराशि को जमा न किया गया हो तो संबंधित फर्मों द्वारा पेनाल्टी व ब्याज सहित संदर्भित धनराशि को जी०एस०टी० विभाग के खाता में जमा कराया जाए तथा इस गम्भीर अनियमितता के लिए तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी-खण्ड विकास अधिकारी-1. श्री के० के० पाण्डेय 2. श्री सौरभ कुमार बरनवाल 3. श्री जियालाल सरोज 4. श्री रामकुमार उपाध्याय एवं लेखाकार-श्री आर०के० रजक को उतरदायी मानते हुए सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित विभागीय कार्यवाही की जाए जिससे कि इस प्रकार की गम्भीर अनियमितता भविष्य में न हो। **(मूलआपत्तिसंख्या-10)**

प्रस्तर सं0-(43) जी०एसटी एक्ट 2017 की धारा-51 के अनुसार समस्त सरकारी विभागो सरकारी एजेन्सियों व स्थानीयनिकाय द्वारा किए गए भुगतान पर 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौती /टी०डी०एस० का प्रावधान है औरउक्त व्यवस्था दिनांकः 01.10.2018 से उ० प्र० में प्रभावी है आलोच्य वर्ष में ठेकेदारों के द्वारा प्रस्तुत बिलों पर जी०एस०टी० टी०डी०एस० की 2 प्रतिशत कटौती की गयी है। ग्राट रजिस्टर-3 के जी०एस०टी०टी०डी०एस० खाता में दिनांक 01.04.2021 को जी०एस०टी०टी०डी०एस० की प्रारम्भिक शेश धनराशि रु० 139936.00 दर्शित है और आलोच्य वर्ष में जी०एस०टी० टी०डी०एस की धनराशि रु० 100428.00 जो जी०एस०टी० विभाग में जमा करने हेतु बिलों से काटी गयी है लेखा परीक्षा की समाप्ति की तिथि तक संस्था/पटल प्रभारी द्वारा उक्त धनराशि को संबंधित विभाग में जमा नहीं किया गया है ग्रांट रजिस्टर-3 में गत वित्त वर्ष व आलोच्य वर्ष की जी०एस०टी० टी०डी०एस० की कटौती की कुत धनराशि रु० 240364.00 में से मात्र रू० 6932.00 को संबंधित विभाग में जमा किया गया है दिनांक 31.03.2022 को खाता में रू० 233432.00 अवशेश दर्शाया गया है स्पष्ट है कि गत वित्त वर्ष व आलोच्य वर्ष की जी०एस०टी०टी०डी०एस० की कटौती की धनराशि रु० 233432.00 को संस्था के खाता में रोककर रखा गया है .विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान इस आशय से आकृष्ट किया जाता है कि सरकारी राजस्व की क्षति न होने पाएइसलिए संबंधित पटल प्रभारी द्वारा संदर्भित धनराशि को ब्याज सहित जी०एस०टी० विभाग के खाता में यथाशीघ्र जमा कराया जाए तथा इस गम्भीर अनियमितता के लिए तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी-1. श्री के० के० पाण्डेय 2. श्री सौरभ कुमार बरनवाल 3-श्री जियालाल सरोज 4. श्री रामकुमार उपाध्याय एवं लेखाकार श्री आरके रजक उत्तरदायी है सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित विभागीय कार्यवाही की जाए जिससे कि इस प्रकार की गम्भीर अनियमितता भविष्य में न हो।**(मूलआपत्तिसंख्या-09)**

प्रस्तर सं0-(44) आलोच्य वर्ष में ठेकेदारों के द्वारा प्रस्तुत बिलों पर आयकर-टी०डी०एस० की 2 प्रतिशत कटौती की गयी है। ग्रांट रजिस्टर-3 के आयकर-टी०डी०एस० खाता में दिनांक 01-04-2021 को आयकर-टी०डी०एस० की प्रारम्भिक शेष धनराशि रू0 141504.00 दर्शित है और आलोच्य वर्ष में आयकर-टी०डी०एस० की धनराशि रू० 111906.00 जो आय कर विभाग में जमा करने हेतु बिलों से काटी गयी है, लेखा परीक्षा की समाप्ति की तिथि तक संस्था/पटल प्रभारी द्वारा उक्त धनराशि को संबंधित विभाग में जमा नहीं किया गया है .ग्रांट रजिस्टर-3 में गत वित्त वर्ष व आलोच्य वर्ष की आयकर-टी०डी०एस० की कटौती की कुल धनराशि रू0 253410.00 में से मात्र रू० 18410.00 को आयकर विभाग में जमा किया गया है .दिनांक : 31-03-2022 को खाता में रू0 235000.00 अवशेश दर्शाया गया है .स्पष्ट है कि गत वित्त वर्ष व आलोच्य वर्ष की आयकर टी०डी०एस० की कटौती की धनराशि रू० 235000.00 को संस्था के खाता में रोककर रखा गया है जो कि आय कर अधिनियम की धारा-200 का उल्लंघन है .विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान इस आशय से आकृष्ट किया जाता है कि सरकारी राजस्व की क्षति न होने पाए, इसलिए संबंधित पटल प्रभारी द्वारा संदर्भित धनराशि को ब्याज सहित आय कर विभाग के खाता में यथाशीघ्र जमा कराया जाए तथा इस गम्भीर वित्तीय

अनियमितता के लिए तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी-खण्ड विकास अधिकारी-1. श्री के० के० पाण्डेय 2. श्री सौरभ कुमार बरनवाल 3. श्री जियालाल सरोज 4. श्री रामकुमार उपाध्याय एवं लेखाकार श्री आर०के० रजक उत्तरदायी है .सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित विभागीय कार्यवाही की जाए जिससे कि इस प्रकार की गम्भीर अनियमितता भविष्य में न हो।**(मूलआपत्तिसंख्या-05)**

क्षेत्र पंचायत बिल्हौर

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर सं0-(45) वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न तिथियों में मनरेगा प्रासंगिक मद से कुल धनराशि रुपए 1481236.70 का आहरण किया गया है। धनराशि आहरण के सापेक्ष में पत्रावली /मनरेगा प्रासंगिक व्यय से संबंधित मद वार विवरण/ पुष्टि प्रमाणिक /अनुमोदन पत्रावली इत्यादि लेखा परीक्षा में कई बार मांग नेके पश्चात भी प्रस्तुत नहीं की गई । अतःभुगतान की गई धनराशि रुपए 1481236.70 की वित्तीय अनियमितता के लिए खंड विकास अधिकारी श्री जे. एन. रावत था ले खाकार श्री राजेंद्र कुमार रजक जिम्मेदारहै। उक्त अनियमितता में सन्निहित धनराशि रुपए 1481236.70 की वसूली खंड विकास अधिकारी जे. एन. रावत थालेखाकार / पटल प्रभारी श्री राजेंद्र रजक से संयुक्त रूप से तातारी खब्याज सहित बराबर- बराबर की जानी चाहिए। **(मूलआपत्तिसंख्या-15)**

प्रस्तर सं0-(46) वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेखा परीक्षा में चतुर्थ राज्य वित्त/ पंचम राज्य वित्त अंतर्गत प्रस्तुत की गई निर्माण कार्य पत्रावली:-

- ग्राम पंचायत बीबीपुर में प्रमोद कटियार के घर से कैलाश कटियार के घर तक इंटरलॉकिंग रोड कार्य लागत धनराशि - **रुपए 4.39 लाख**
- ग्राम पंचायत देवी पुर सराय के मजरा अर्जुन पुर में विमल सिंह के घर से उमेश शर्मा के घर तक इंटरलॉकिंग रोड कार्य - **रुपए 4.63 लाख**
- ग्राम पंचायत बिल्हौर देहात में हरीश चंद्रशर्मा के घर से मुरारी कटियार के घर तक इंटरलॉकिंग रोड कार्य एवं नाली निर्माण कार्य - **रुपए 3.62 लाख**
- ग्राम पंचायत खजूरी में प्राइमरी स्कूल से भोलेबाबा मंदिर तक इंटर लॉकिंग रोड कार्य- **रुपए 2.96 लाख**
- ग्राम पंचायत गदनपुर आहार में रामखेलावन के मकान से धनी राम के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य- **रुपए 6.60 लाख**

इसमें से कुछ निर्माण पत्रावलीया **क्रमांक 1-5 उपरोक्त विवरण अनुसार** लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत की गई जिनसे संबंधित धनराशि रुपए 22.20 लाख रही। **इसके अतिरिक्त धनराशि रुपए 9627731.00 से संबंधित निर्माण पत्रावली/ व्यय प्रमाणिक/ पुष्टि प्रपत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से समस्त भुगतान पूर्णत: अनियमित रहा।**

चतुर्थ राज्य वित्त/ पंचम राज्य वित्त अंतर्गत प्रस्तुत नहीं की गई निर्माण कार्य पत्रावली:-

1	ग्राम पंचायत गोहोलियापुर में आदेश के खेत से बलराम नगर के पूर्व प्रधान की तरफ नाला निर्माण कार्य का भुगतान	9.80
2	ग्राम पंचायत चौबीगाही के मजरा अनुपूर्वा में तालाब से वन विभाग की पुलिया तक नाला निर्माणकार्य	9.89

3	ग्राम पंचायत बभियापुर में अवनीश कटियार के दरवाजे से असरिया तक नाला निर्माण कार्य का भुगतान	9.69
4	ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर विश्राम में सीमेंट रोड से हनुमान मंदिर तक इंटरलॉकिंग रोड कार्य का भुगतान	9.21
5	ग्राम पंचायत सुभानपुर मुरादनगर मैं बृजनंदन के घर से मोहिद्दीनपुर रोड तक नाला निर्माणकार्य	9.50
6	ग्राम पंचायत रहमतपुर में अर्पित गेस्ट हाउस से तालाब तक नाला निर्माण कार्य	3.67
7	ग्राम पंचायत बभियापुर में मेनरोड से सरकारी नलकूप होते हुए बाड़ी बाबा थान तक मिटटी व खड़ंजा निर्माण कार्य	7.70
8	ग्राम पंचायत अरोलमकनपुरपिहानी मार्ग से खाड़ामऊ मेनरोड से राजेश प्रजापति के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य	4.00
9	ग्रामपंचायत गुजेपुर में होरी लाल दिवाकर के घर से नंदलाल होते हुए महेश कटियार के घर तक इंटरलॉकिंगरोड एवं नाली निर्माण कार्य	6.50
10	ग्राम पंचायत नसीरापुर रोड से प्राथमिक विद्यालय तक मिटटी व खड़ंजा निर्माण कार्य	3.24
11	ग्राम पंचायत पलिया मे रामलखन शुक्ला के मकान से शिवसिंह के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य	5.09
12	ग्राम पंचायत दरियापुर में दिनेश के घर से राजेंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माणकार्य	4.80

जिसके लिए तत्कालीन खंडविकास अधिकारी श्री जे.एन. राव एवं वर्तमान खंड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री देवेंद्र सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदाई हैं।

(मूलआपत्तिसंख्या-16)

प्रस्तर सं0-(47) वर्ष 2021-22 दौरान ठेकेदार पंजीकरण शुल्क के मद में दिनांक 01.04.2021 को रुपए 136030.00 दर्शाई जा रही थी इस ठेकेदार पंजीकरण शुल्क के मद में माह जनवरी 2022 में धनराशि रु 20,000.00 की प्राप्ति दर्शाई गई है । अंतिम अवशेष की धनराशि रुपए 156030.00 रही। संबंधित पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा में जांच हेतु अनुपलब्ध रहा जिससे संबंधित धनराशिकी पुष्टि की जानी संभव नहीं हो सकी। पुष्टि प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा। इस हेतु संबंधित तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जे.एन. राव एवं वर्तमान खंड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री देवेंद्र सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदाई हैं।

(मूलआपत्तिसंख्या-19)

प्रस्तर सं0-(48) आयकर कटौती के मद अंतर्गत वर्ष 2021-22 मैं प्रारंभिक शेश धनराशि निल रही जबकि वर्ष 2021-22 में माह अक्टूबर से इस मद में कुल प्राप्ति रुपए 223212.00 एवं भुगतान रुपए 16750.00 दर्शाया गया है जिससे संबंधित पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा वर्षांत शेश की धनराशि रुपए 206462.00 को संबंधित विभाग में जमा नहीं किया गया है। जिसे किया जाना अपेक्षित रहा। इस हेतु संबंधित तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जे.एन. राव एवं वर्तमान खंड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री देवेंद्र सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदाई हैं।

(मूलआपत्तिसंख्या-20)

प्रस्तर सं0-(49) जी.एस.टीकटौती के मद में वर्ष की प्रारंभिक शेष की धनराशि रुपए निल दर्शाई गई है तथा वर्ष दौरान धनराशि रुपए 265556.00 की प्राप्ति तथा धनराशि रुपए 59094.00 का भुगतान दर्शाया जा रहा है भुगतान से संबंधित पुष्टि प्रमाणक/ चालान लेखा परीक्षा में जांच हेतु अप्राप्त रहा तथा वर्षांत शेष की धनराशि रुपए 206462.00 दर्शाई गई है.

जिसे संबंधित विभाग में जमाकर पुष्टि प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानीअपेक्षित हे। इस हेतु संबंधित तत्कालीन खंडविकास अधिकारी श्री जे.एन. राव एवं वर्तमान खंड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह तथा लेखाकारश्री देवेंद्र सिंह पूर्णरूप से उत्तरदाई हैं

(मूल आपत्ति संख्या-21)

प्रस्तर सं0-(50) निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल के मद में वर्ष के प्रारंभिक शेष की धनराशि रुपए 393836.00 अनुदान पंजिका में दर्शाई जा रही है जबकि वर्ष दौरान धनराशि रुपए 6993750.00 की अनुदान प्राप्ति एवं वर्ष दौरान उपभोग की धनराशि रुपए 6905460.00 दर्शित रहे। वर्ष के अंत में शेष धनराशि रुपए 482126.00 शेष रही। लेखा परीक्षा में निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल से संबंधित लेखा अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे संबंधित भुगतान की धनराशि अपुष्ट रही। इस हेतु संबंधित तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जे.एन. राव एवं वर्तमान खंड विकास अधिकारी श्री अनिल कुमारसिंह तथा लेखाकार श्री देवेंद्र सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदाई हैं।

(मूल आपत्ति संख्या-22)

प्रस्तरसं0-(51) पंचम राज्य वित्त अंतर्गत ग्राम पंचायत बीबीपुर में प्रमोद कटियार के घर से कैलाश कटियार के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य लागत धनराशिरुपए 4.39 लाख से कराया गया जिसमें निम्न आपत्तियां पाई गई:-

— कार्य आदेश संख्या/दिनांक 1475/22.11.2021 द्वारा खंड विकास अधिकारी श्री जे.एन राव द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कार्य प्रारंभ कराने के पूर्वअनुबंध पत्र प्रस्तुत करते हुए शेष 8 प्रतिशत की जमानत धनराशि की एफ.डी जो कि खंड विकास अधिकारी केना से बंधक होगी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। किंतु 8प्रतिशत की धरोहर धनराशि की एफ.डी जमा न करके उसकी कटौती बिल की धनराशि से की गई है एवं संबंधित शपथ पत्र अनुबंध के साथ दिया गया है जो कि स्पष्ट रूप से नियमों की अवहेलना है। करार नामा की शर्तों के अनुसार 8प्रतिशत की जमानत धनराशि की एफ डी खंड विकास अधिकारी के नाम बंधक न रखकर, बिल से कटौती किया जाना, पूर्णत: अनियमितरहा। जिस हेतु संबंधित तत्कालीन खंड विकास अधिकारी श्री जे.एन राव एवं तत्कालीन लेखाकार श्री राजेंद्र रजक पूर्ण रूप से उत्तरदाई है। नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जानी चाहिए।

— 8 प्रतिशत जमानत धनराशि की कटौती निर्माण कार्य की लागत धनराशि रुपए 4390000.00 के सापेक्ष न करके ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल की

धनराशि रुपए 4352253.00 के सापेक्ष की गई है।

— निर्माण कार्य के प्राक्कलन में निर्माण कार्य की माप 100.00 X3.00 (लंबाईX चौड़ाई)अंकित की गई है जबकि कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र में निर्माण कार्य की माप 357.00 मीटर स्क्वायर दर्शाई गई है। इस प्रकार प्राक्कलन एवं कराए गए निर्माण कार्य में अंतर रहा जिसके संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित रहा अन्यथा की स्थिति में संबंधित खंड विकास अधिकारी एवं जे.ई.आर.इ.एस. श्री ईश्वरदयाल तथा संबंधित लेखाकार से **<u>अंतर की धनराशि 67893.20</u>** वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

—- निर्माण कार्य में डिटेल ऑफ मेजरमेंट में दर्शाए गए क्रमांक 1 से क्रमांक 9 तक के चरण बद्ध कार्यों के सापेक्ष कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में मात्र क्मांक 2,5,,6 एवं क्रमांक 7 का ही कार्य कराया गया है। जिससे निर्माण कार्य पूर्णरूप से गुणवत्ता विहीन एवं मानक के अनुरूप नहीं रहा।

<u>प्राक्कलन में निर्माण कार्य की माप</u> **<u>एम0बी0 में निर्माण कार्य की माप</u>**

ई/डब्ल्यू फाउन्डेशन कार्य **5.37** सीयूएम दर**130** रू**0**/सीयूएम **=698.10** रू**0** कार्य नहीं कराया गया

1:6:12 सीमेन्ट, फाइनसैन्ड, बी/डब्ल्यू **4.03** सीयूएम दर**3050** रू**0**/सीयूएम **=12291.50** रू**0** कार्य नहीं कराया गया

क्लास **-150** बी/डब्ल्यू इन **1:4**

सीमेन्ट**+**कोर्स सैन्ड **9.75** सीयूएम दर**4850** रू**0**/सीयूएम **=47287.50** रू**0** **6.61** सीयूएम दर**4850** रू**0**/सीयूएम **32058.50** रू**0**

12MM सीमेन्ट प्लास्टर कार्य **4.80**सीयूएमदर**140**रू**0**/सीयूएम**=672** रू**0** कार्य नहीं कराया गया

1:2: सीमेन्ट कोर्स सैन्ड,

कंक्रीट कार्य **1.20** सीयूएम दर**6900** रू**0**/सीयूएम **=8280** रू**0** **1.25** सीयूएम दर**6900=8625** रू**0**

जीएसबी कान्स्ट्रक्शन **22.50** सीयूएम दर**3094** रू**0**/सीयूएम **=69624** रू**0** **18.85** सीयूएम दर**3094** रू**0**/सीयूएम **=58329.44** रू**0**

लेयरिंग ऑफ इन्टरलॉकिंग टाइल्स **300** एसक्यूएम दर**820** रू./एसक्यूएम **=246000** रू**0** **357** एसक्यूएम दर**820** रू./एसक्यूएम **=292740** रू**0**

आरसीसी कार्य **0.40** सीयूएम दर**7650** रू**0**/सीयूएम **=3060** रू**0** कार्य नहीं कराया गया

स्टील/ आयरन कार्य **0.22**क्यूटीएलदर**6180/** क्यूटीएल **=1359.60** रू**0** कार्य नहीं कराया गया

इनॉगरेशन ग्रेनाइट स्टोन **01** एनओएस दर**3072** रू**0 =3072** रू**0** कार्य नहीं कराया गया

इस प्रकार प्राक्कलन एवं कराए गए निर्माण कार्य में अंतर रहा ।जिससे निर्माण कार्य पूर्णरूप से गुणवत्ता विहीन एवं मानक के अनुरूप नहीं रहा। जिसके संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित रहा अन्यथा की स्थिति में संबंधित खंड विकास अधिकारी एवं जे.ई.आर.इ.एस. श्री ईश्वर दयाल तथा संबंधित लेखाकार से **अंतर की धनराशि 67893.20** की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

अंतर की धनराशि(कार्य नहीं कराया गया) जिससे निर्माण कार्य पूर्ण रूप से गुणवत्ता विहीन एवं मानक के अनुरूप नहीं रहा।

रुपए 698.10+ रुपए 12291.50+ रुपए 672.00+रुपए 3060+रुपए 1359.60+रुपए 3072 = 21153.20 रुपए

इण्टरलॉकिंग टाइल्स कार्यमेंअंतररहा (**अतिरिक्त** भुगतान)= **46740.00 रुपए**

67893.20 रुपए

यह घोर वित्तीय अनियमितता एवं अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग दर्शाता है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता रिपोर्ट भी पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गई। अतः निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराई जानी चाहिए एवं संबंधित उत्तरदाई व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

इस प्रकार प्राक्कलन एवं कराए गए निर्माण कार्य में अंतर रहा । जिससे निर्माण कार्य पूर्णरूपसे गुणवत्ता विहीन एवं मानक के अनुरूप नहीं रहा। जिसके संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित रहा अन्यथा की स्थितिमें संबंधित खंडविकास अधिकारी एवं जे.ई.आर.इ.एस. श्री ईश्वरदयाल तथा संबंधित लेखाकार से **अंतर की धनराशि 67893.20** की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूलआपत्तिसंख्या-24)

प्रस्तरसं0-(52) ग्राम पंचायत देवीपुर सराय के मजरा अर्जुनपुर में विमल सिंह के घर से उमेश वर्मा के घर तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य लागत धनराशि रुपए 4.63 लाख से कराया गया है

— कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में कराए गए निर्माण कार्य की माप 294.13 स्क्वायर मीटर अंकित की गई है जबकि प्राक्कलन में निर्माण कार्य की माप 100.00 मीटर X 3.0 मीटर अंकित की गई है। इस प्रकार माप में अंतर रहा जिसके लिए

जे.ई.आर.इ.एस. श्री ईश्वर दयाल पूर्णरूप से उत्तरदाई है। उनके विरुद्ध अपेक्षित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

— प्राक्कलन में दिए गए डिटेल ऑफ मेजरमेंट के अनुसार ,क्रमांक 1 से क्रमांक 11 तक के कार्य क्रमागत रूप से नियमानुसार कराए जाने थे किंतु कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के अनुसार मात्र क्रमांक 2,3,4,6,7,8, ,11 के कार्य कराए गए हैं। निर्माण कार्य में क्रमांक 09 पर दर्शाए जाने वाले आरसीसी कार्य एवं क्रमांक 10 पर दर्शित आयरन एंड स्टील वर्क नहीं कराया गया तथा क्रमांक 5 पर 12 एमएम सीमेंट प्लास्टर का कार्य, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार नहीं कराया गया है। जिससे निश्चित तौर पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने का अंदेशा है। निर्माण कार्य में किए गए भुगतान प्राक्कलन के अनुसार नहीं कराया गया है। इस प्रकार प्राक्कलन के कार्य तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार माप में अंतर रहा ।स्पष्ट है कि नियमों की अवहेलना करते हुए गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य कराया गया है तथा अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। निर्माण पत्रावली में निर्माण कार्य की गुणवत्ता रिपोर्ट भी संलग्न नहीं पाई गई है। अतःनिर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराते हुए संबंधित जे.ई.आर.इ.एस. श्री ईश्वरदयाल, संबंधित ठेकेदार मैसर्स अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। निर्माण कार्य की पूर्ण होने की तिथि में ही निर्माण कार्य का निरीक्षणकिया गया एवं बिल के सापेक्ष इनका भुगतान कर दिया गया है ।इस वित्तीय अनियमितता एं हेतु खंड विकास अधिकारी श्री जे.एन राव, तत्कालीन लेखाकार श्री राजेंद्र रजक , जे .ई.आर.ई..एस श्री ईश्वरदयाल पूर्णरूप से उत्तरदाई है। अतः निर्माण कार्य में किए गए भुगतान की समस्त धनराशि **रुपए** 420601.00 पर ब्याज लगाते हुए सभी से बराबर बराबर वसूली की जानी चाहिए।

(मूलआपत्तिसंख्या-25)

प्रस्तर सं0-(53) ग्राम पंचायत में हरीश चंद्रशर्मा के घर से मुरारी कटियार के घर तक इंटर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य एवं नाली निर्माण कार्य लागत धनराशि रुपए 3.62 लाख से कराया गया है

— प्राक्कलन में निर्माण कार्य की माप 90.00 X 2.00 X1 .50 मीटर दर्शाई गई है जबकि कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में निर्माण कराए गए निर्माण कार्य की माप 158.07 स्क्वायर मीटर दर्शाई गई है। इस प्रकार निर्माण कार्य की माप में अंतर रहा।

— प्राक्कलन में क्रमांक 1 से क्रमांक 10 तक के क्रमबद्ध रूप से कराए जाने वाले निर्माण कार्य का विवरण अंकित किया गया है परंतु संलग्न मापपुस्तिका में क्रमांक एक से क्रमांक 10 तक के कार्यों के माप में अंतर पाया गया:-

माप पुस्तिका में अंकित कार्य प्राक्कलन में दर्शित कार्य

1- **ई/डब्ल्यू इन एक्सावेशन**	7.94 **सीयूएम** दर130 रू0	13.06 **सीयूएम** दर130
2- **लेयरिंग ऑफ** 1:6:12		
ग्रिट, सीमेन्ट, ब्लास्ट	0.09 सीयूएमदर3050	9.79 सीयूएम दर3050
3-क्लास एम -150 **बी/डब्ल्यू**	12.21 सीयूएमदर4850	16.97 सीयूएम दर4850
4-12 एमएम प्लास्टर		69.60एसक्यूएम दर140 75.0एसक्यूएमदर140
5- **जीएसबी कान्स्ट्रक्शन**	12.10सीयूएमदर3094	12.38सीयूएम दर3094
6-1:2;4 **लेयरिंग ऑफ**		

सीमेन्ट, **सैन्ड**, **ग्रिट,**	2.00सीयूएमदर6900	2.10सीयूएम दर6900
7- **आयरन एण्ड स्टील कार्य**	0.20क्यूटीएलदर6180	0.37क्यूटीएल दर6180
8- **आरसीसी कार्य**	0.20सीयूएमदर7650	0.68सीयूएम दर7650
9- **लेयरिंग ऑफ इन्टरलॉकिंग टाइल्स**	158.07एसक्यूएम दर820	165एसक्यूएम दर 820

ई/डब्ल्यू फाउन्डेशन कार्य सीमेन्ट, फाइनसैन्ड, बी/डब्ल्यू क्लास सीमेन्ट कोर्स सीमेन्ट प्लास्टर कार्य सीमेन्ट कोर्स सैन्ड कंक्रीट कार्य कान्स्ट्रक्शन लेयरिंग ऑफ इन्टरलॉकिंग रू0/सीयूएम टाइल्स आरसीसी कार्य स्टील/ आयरन एण्ड स्टील कार्य इनॉगरेशन ग्रेनाइट स्टोन इन रू./एसक्यूएम जीएसबी आरसीसी कार्य स्टी क्यूटीएल एनओएस एक्सावेशन ग्रिट, सीमेन्ट, ब्लास्ट सीयूएम

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिल ऑफ क्वांटिटी में निर्माण कार्य की मात्रा एवं सामग्री जो दर्शाई गई थी मापपुस्तिका एवं निर्माण कार्य में कार्य का स्तर वह नहीं है। स्पष्ट है कि नियमों को ताकपर रखकर निर्माण कार्य कराया गया है। एवं कार्य दाई संस्था को लाभ पहुंचाने का प्रयास भी किया गया है। स्पष्ट है कि प्राक्कलन में दर्शाए गए माप एवं वास्तविकता में कराए गए निर्माण कार्य की माप में काफी अंतर रहा ।जिससे निश्चित ही तौर पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने का अंदेशा है। नियमों की अवहेलना करते हुए गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य कराया गया है तथा अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। निर्माण पत्रावली में निर्माण कार्य की गुणवत्ता रिपोर्ट भी संलग्न नहीं पाई गई है। अतः निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराते हुए संबंधित जे.ई.आर.ई.एस श्री ईश्वरदयाल, संबंधित ठेकेदार मैसर्स अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। निर्माण कार्य की पूर्ण होने की तिथि में ही निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया एवं बिल के सापेक्ष इनका भुगतान कर दिया गया इस वित्तीय अनियमितताएं हेतु खंडविकासअधिकारी श्रीजे.एनराव, तत्कालीन लेखाकार श्री राजेंद्र रजक जेई आर एस श्री ईश्वरदयाल पूर्ण रूप से उत्तरदाई है। अतः निर्माण कार्य में किए गए भुगतान के समस्त धनराशि 285546.00 पर दंडात्मक ब्याज लगाते हुए सभी से बराबर बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।

(मूलआपत्तिसंख्या-26)

प्रस्तर सं0-(54) ग्राम पंचायत गदनपुर आहार में रामखेलावन के मकान से धनीराम के मकान तक इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य लागत धनराशि रुपए 6.63 लाख से कराया गया जिसमें निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई

– कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में निर्माण कार्य की माप 398.25 स्क्वायर मीटर अंकित की गई है जबकि प्राक्कलन में कार्य की माप 125.00X3.00 मीटर जो कि 375.00 स्क्वायर मीटर अंकित की गई है इस प्रकार निर्माण कार्य के माप में अंतर पाया गया है उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिल ऑफ क्वांटिटी में निर्माण कार्य की मात्रा एवं सामग्री जो दर्शाई गई थी माप पुस्तिका एवं निर्माण कार्य में कार्य का स्तर वह नहीं है। स्पष्ट है कि नियमों को ताकपर रखकर निर्माण कार्य कराया गयाहै। एवं कार्य दाई संस्था को लाभ पहुंचाने का प्रयास भी किया गया है। इस वित्तीय अनियमितता हेतु ब्लाक प्रमुख एवं खंड विकास अधिकारी श्री आलोक पांडे तथा अवरअभियंता श्री मान सिंह संयुक्तरूप से उत्तरदाई हैं। इनके उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अपेक्षित कार्यवाही की जानी चाहिए तथा निर्माण कार्य में व्यय की समस्त धनराशि को संयुक्त रुप से वसूल किया जाना चाहिए।

—प्राक्कलन में क्रमांक 1 से क्रमांक 10 तक के क्रमबद्ध रूप से कराए जाने वाले निर्माण कार्य का विवरण अंकित किया गया है परंतु संलग्न माप पुस्तिका में क्रमांक एक से क्रमांक 10 तक के कार्यों के माप में अंतर पाया गया:-

मापपुस्तिका में अंकित कार्य प्राक्कलन में दर्शित कार्य

1- **ई/डब्ल्यू इन एक्सावेशन** सीयूएमदर130=2355.16	6.00 सीयूएम दर130 रू0 =780	18.12
2- **लेयरिंग ऑफ** 1:6:12 **ग्रिट, सीमेन्ट, ब्लास्ट** सीयूएमदर3050=41449.50	4.49 सीयूएम दर3050=13694.50	13.59
3- क्लास एम -150 **बी/डब्ल्यू** सीयूएमदर4850=114217.50	13.34 सीयूएम दर4850=64699.00	23.55
4-12 एमएम प्लास्टर एसक्यूएमदर140=7672.00	55.20 एसक्यूएम दर140=7728.00	54.80
5- **जीएसबी कान्स्ट्रक्शन** दर3094=87045.47	29.83 सीयूएम दर3094=92305.95	28.13सीयूएम
6-1:2;4 **लेयरिंग ऑफ सीमेन्ट**, **सैन्ड**, **ग्रिट,** सीयूएमदर6900=20148.00	0.00सीयूएम दर6900=निल	2.92
7- **आयरन एण्ड स्टील कार्य** क्यूटीएलदर6180=1854.00	0.00क्यूटीएलदर6180=निल	0.30
8- **आरसीसी कार्य** सीयूएमदर7650=4207.50	0.00 सीयूएमदर7650=निल	0.55
9- **लेयरिंग ऑफ इन्टरलॉकिंग टाइल्स** 375एसक्यूएमदर820=307500.00	398.25 एसक्यूएमदर820= 326565.00	
10. ग्रेनाइट स्टोन 01 एनओएस	3072.00	3072.00
	508844.45	**589521.57**

अंतर की धनराशि (12प्रतिशत **जीएसटी के अतिरिक्त) जिससे निर्माण कार्य पूर्ण रूप से गुणवत्ता विहीन एवं मानक के अनुरूप नहीं रहा।**

80677.12 रुपए

बिलो 0.7 प्रतिशत **एस पर साइन्ड बॉन्ड**	(-) 3561.91	निल
12प्रतिशत जी०एस०टी०	(+) 60633.90	(+) 70742.59
योग	**565916.40**	**660264.16**

अंतर की धनराशि 94347.76 रुपए 12प्रतिशत **जीएसटी के साथ जिससे निर्माण कार्य पूर्णरूप से गुणवत्ता विहीन एवं मानक के अनुरूप नहीं रहा।**

—उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिल ऑफ क्वांटिटी में निर्माण कार्य की मात्रा एवं सामग्री जो दर्शाई गई थी मापपुस्तिका एवं निर्माण कार्य में कार्य का स्तर वहन हीं है।

—-स्पष्ट है कि नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य कराया गया है। एवं कार्य दाई संस्था को लाभ पहुंचाने का प्रयास भी किया गया है।

—प्राक्कलन में दर्शाए गए माप एवं वास्तविकता में कराए गए निर्माण कार्य की माप में काफी अंतर रहा ।जिससे निश्चित तौर पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने का अंदेशा है।

—-नियमों की अवहेलना करते हुए गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य कराया गया है तथा अनुदान की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।

निर्माण पत्रावली में निर्माण कार्य की गुणवत्ता रिपोर्ट भी संलग्न नहीं पाई गई है।

—- अतः निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराते हुए संबंधित जे.ई.आर.ई.एस श्री ईश्वर दयाल, संबंधित ठेकेदार मैसर्स अल्ट्राकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

—- निर्माण कार्य की पूर्ण होने की तिथि में ही निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया एवं बिल के सापेक्ष इनका भुगतान कर दिया गया ।इन वित्तीय अनियमितता हेतु खंड विकास अधिकारी श्री जे.एनराव, तत्कालीन लेखाकार श्री राजेंद्र रजक ,जे.ई.आर.ई.एस श्री ईश्वरदयाल पूर्ण रूप से उत्तरदाई है। अतःनिर्माण कार्य में किए गए भुगतान के समस्त धनराशि 565916.00 पर दंडात्मक ब्याज लगाते हुए सभी से बराबर बराबर धनराशि वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूलआपत्तिसंख्या-27)

प्रस्तर सं0-(55) संस्था के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में अनुदान पंजिका भाग-2 अंतर्गत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में वर्ष के प्रारंभिक शेष की धनराशि रुपए 96000.00 दर्शाई गई हैतथा वर्ष दौरान इस मद में कुलअनुदान प्राप्ति रुपए 2130000.00 दर्शित रहा जबकि वर्ष दौरान भुगतान की धनराशि रुपए 2103000.00 दर्शितरहे। इस प्रकार वर्ष के अंत में धनराशि रुपए 123000.00 शेष दर्शाई गई है। योजना से संबंधित समस्त पत्रावली, लेखा अभिलेख, पुष्टिप्रपत्र, शासनादेश, गाइड लाइन एवं बैंक पासबुक जांच हेतु लेखा परीक्षा मेंप्रस्तुत नहीं की गई। पुष्टिप्रपत्र, एवं लेखा अभिलेख के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा । इन वित्तीय अनियमितता हेतु खंड विकास अधिकारी श्री जे. एनराव, तत्कालीन लेखाकार श्री राजेंद्र रजक पूर्ण रूप से उत्तरदाई है। **(मूलआपत्तिसंख्या-28)**

प्रस्तर सं0-(56) लेखा परीक्षावर्ष 2021-22 मेंआंगनबाड़ी केंद्र निर्माण योजना अंतर्गत वर्ष के प्रारंभिक शेष कीधनराशि दिनांक 01.04.2021 को रुपए 1540876.00 अनुदान पंजिका भाग 2 में दर्शाई गई है। वर्ष दौरान धनराशि रुपए 517079.00 की प्राप्ति इस मद में तथा विभिन्न निर्माण कार्यों में धनराशि रुपए 2008117.00 का भुगतान किया जाना अनुदान पंजिका में दर्शाया गया है। जबकि इस से संबंधित पुष्टि प्रपत्र एवं लेखा अभिलेख जांच हेतु लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। पुष्टि प्रपत्र एवं व्यय प्रमाण को के अभाव में किया गया समस्त भुगतान अनियमित रहा। लेख परीक्षा के दौरान लिखित पत्र के माध्यम से आवश्यक लेखा अभिलेख प्रस्तुत किए जाने हेतु संस्था से पत्राचार किया गया था किंतु वर्तमान लेखाकार श्री देवेंद्र सिंह द्वाराय था आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इस वित्तीय अनियमितता हेतु खंड विकास अधिकारी श्री जे.एन राव, तत्कालीन लेखाकार श्री राजेंद्र रजक पूर्ण रूप से उत्तरदाई है। **(मूलआपत्तिसंख्या-29)**